मुस्तनद-मुदल्लल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन

3

तफ़सीर
इब्ने कसीर

अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.)
अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी (रह.)
शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी (रह.)
शैख़ अली अहमद अल बाक़ी (रह.)
शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.)

تفسیرِ ابنِ کثیر

तफ़सीर इब्ने कसीर

इमाम एमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर (रह.)

जिल्द 3

तर्जुमा :
मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी

हिन्दी तर्जुमा :
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट
जमीअत अहले हदीस

ज़ेरे एहतिमाम : अन्जूमन खुद्दामुल कुरआन

शो'बा नश्रो इशाअत
शहरी जमीअ़त अहले हदीस
जोधपुर
सूबाई जमीअ़त अहले हदीस
राजस्थान

नाशिरान – ناشران

شعبہ نشرواشاعت
شہری جمعیت اہل حدیث
جودھپور
صوبائی جمعیت اہل حدیث
راجستھان

بِسْـــــمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم

अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुहू

बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व-करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए-मुस्लिमा के ख़िदमात में PDF की शकल में पेश है।

तफसीर ईब्ने क़सीर (8 जिल्द)

1. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द)
2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द)
3. सुनन अबु दाऊद (6 जिल्द)
4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द)
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द)
6. सुनन इब्ने माजह (1 जिल्द)

इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे।

अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की PDF बनाने में और इसमे ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए हिदायत का सबब बनाए।

शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) M.: +91 9825 696 131

मुस्तनद-मुदल्लल-मुकम्मल हिन्दी एडिशन

अल्लामा हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई (रह.)
अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.)
शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी (रह.)
शैख़ अली अहमद अल बाक़ी (रह.)
शैख़ मुबश्शिर अहमद रब्बानी (रह.)

تفسیر ابنِ کثیر

तफ़सीर इब्ने कसीर

इमाम एमादुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर (रह.)

जिल्द 3

तर्जुमा :
मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी

हिन्दी तर्जुमा :
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट
जमीअत अहले हदीस

ज़ेरे एहतिमाम : अन्जूमन खुद्दामुल कुरआन

शो'बा नश्रो इशाअत
शहरी जमीअत अहले हदीस
जोधपुर
सूबाई जमीअत अहले हदीस
राजस्थान

नाशिर-ناشر

شعبہ نشر و اشاعت
شہری جمعیت اہل حدیث
جودھپور
صوبائی جمعیت اہل حدیث
راجستھان

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज –ख़र्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताबः **तफ़सीर इब्ने कसीर**

मुरत्तिब (अ़रबी): **एमामुद्दीन इब्ने कसीर (रह.)**

उर्दू तर्जुमाः **मौलाना मुहम्मद जुनागढ़ी (रह.)**

हिन्दी तर्जुमाः **दारूत–तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**

तस्हीह व नज़्रे सानी: **मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी, 97857-69878**

लेज़र टाइपसेटिंगः **मोहम्मद अकबर, 85030-26306**

मेनेजिंग डायरेक्टरः **अली हम्जा, 82338-55857**

प्रिण्टिंगः **अनमोल प्रिण्टस, बासनी इण्डस्टील एरिया, 9414131426 जोधपुर (राज.)**

बाइंडिंगः **मो. शाहिद, कमाल बाइंडिंग हाउस, 9351668223 जोधपुर (राज.)**

तादाद पेजः 536

प्रकाशन (प्रथम संस्करण) सफ़र1438 हिजरी (नवम्बर 2016 इस्वी)

ता'दादः 1100 कॉपी क़ीमतः 500/– रुपये

प्रकाशक

शहरी जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर

सूबाई जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान

अधिकृत विक्रेता

अलकिताब इन्टरनेशनल जामिया नगर, नई दिल्ली	011-26986973
मकतबा तर्जुमान 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली	011-23273407
अल हीरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,जामा मस्जिद, दिल्ली	09015382970
माबूदी पब्लिकेशन दरियागंज, नई दिल्ली	09582340921
मकतबा अस्सुन्नह मुम्बई	08097444448
दारूल इल्म नागपाड़ा, मुम्बई	022-23088989 022-23082231
उमरी बुक डिपो, मुम्बई	09819961879
मकतबा अलफहीम मऊनाथ, भंजन, यू.पी.	0547-2222013
मौलाना खुर्शीद मुहम्मदी मिर्जापुर, यू.पी.	09919737053
शैख़ सुहैल सल्फ़ी, मकतबा सलफ़िया वाराणासी	09451915874
तौहीद किताब सेन्टर, सीकर	08003972503
अल कौसर टेडर्स	09414920119
आई.आई.सी, कच्छ नूरानी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात)	09429017111
कलीम बुक डिपो सीकर, राजस्थान	07014898515

फ़ेहरिस्त-ए-मज़ामीन

तफ़सीर सूरह माइदा	16
जानवर और हालते एहराम में शिकार का हुक्म	17
वह चीज़ें जिनका खाना हराम है	25
इस्तिख़ारा का तज़्किरा	36
शिकार और शिकारी जानवारों के अहकाम	42
अहले किताब का ज़बीहा हलाल है	49
वुज़ू और तयम्मुम के अहकाम पर तफ़्सीली बहस	54
अदलो इंसाफ़ से काम लो और अल्लाह तआला की नेअ़मतों को याद रखो	69
बनी इस्राईल की वादाख़िलाफ़ी और उनके बारह (12) सरदारों की वज़ाहत	73
अहले किताब की इल्मी ख़यानत	76
हज़रत ईसा (ﷺ) और उनकी वालिदा को इलाह कहने वाले काफ़िर हैं	77
हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ख़ातिमुन्नबिय्यीन बनकर आए हैं	79
एक के बाद एक अम्बिया (ﷺ) का नाज़िल करना अल्लाह तआला की रहमत है	83
वाक़िया हाबील व काबील और हसद व बुग़्ज़ का अंजाम	90
इंसानी जान की क़द्रो क़ीमत	97
लफ़्ज़ वसीला का मानी व मफ़्हूम	105
हाथ काटने का निसाब और उसकी शर्तें	108
ज़ाती क़यास और नफ़सानी ख़्वाहिशात की मज़म्मत	114
यहूदियों की ख़बासत का बयान	117
क़िसास और दियत में बराबरी का हुक्म और मुआफ़ करने की तर्ग़ीब	119
इंजील की चंद एक ख़ुसूसियात	124
क़ुरआन के नाज़िल होने के बाद तमाम शरीअ़तें मंसूख़ हो चुकी हैं	125
दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती रखने की मुमानिअ़त	129
दीन से मुर्तद होने वाला अपना ही नुक़सान करता है	132
ग़ैर मुस्लिमों से दोस्ती न रखो	135
नाफ़र्मान गिरोह का अंजाम	137
यहूदियों की अल्लाह तआला की शान में गुस्ताख़ी	140
अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को पूरी तालीमात की तब्लीग़ का हुक्म दिया	143
ईमान वाला बनने की शर्त	147
यहूदो- नसारा की वादाख़िलाफ़ियां	148
मुश्रिक पर जन्नत हराम है	149
नफ़ा व नुक़सान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है	151
बनी इस्राईल पर लानत के अस्बाब	153
ईसाई (नसारा) यहूदियों की निस्बत मुसलमानों के ज़्यादा क़रीब हैं	157
क़ुरआन सुनकर अहले ईमान के दिल नर्म और आँखें बह पड़ती हैं	159
अपनी तरफ़ से किसी चीज़ को हलाल या हराम करने की मुमानिअ़त	160
लग्व क़समों पर कफ़्फ़ारा नहीं है	164
क़सम और उसका कफ़्फ़ारा	164
शराब और जूए की हुर्मत	168
अंसाब और अज़्लाम	169
बहालते एहराम शिकार करने का हुक्म	178
एहराम की हालत में समुन्दरी शिकार का हुक्म	185

रिज़्के ह़लाल पर क़नाअ़त	190
फ़िज़ूल सवाल करने की मुमानिअ़त	190
बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवरों की ह़क़ीक़त	194
अ़लयकुम अन्फ़ुसकुम की तफ़्सीर और अम्र बिल मअ़रूफ़ वन्नही अ़निल मुंकर	198
सफ़र में मरने वाले की वसिय्यत और मुअ़तबर गवाही	201
क़यामत के दिन पैग़म्बरों से इस्तिफ़्सार	205
ह़ज़रत ईसा (ﷺ) पर इन्आ़माते इलाही का तज़्किरा	206
आसमान से माइदा का नुज़ूल	208
क़यामत के दिन ईसा (ﷺ)	214
मह़शर के दिन कामयाब होने वाले	218
तफ़्सीर सूरह अन्आ़म	222
अल्लाह तआ़ला की क़ुदरते- कामिला और इंसान	223
मुआ़निदीन का अंजाम	225
मुश्रिकों की ज़हनीयत और साफ़ दलाइल का बयान	226
आसमान व ज़मीन के मालिक की ही बंदगी करें	228
नफ़ा व नुक़सान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही है	230
क़यामत के दिन मुश्रिकीन और उनके शुरका का अंजाम	233
क़यामत के दिन कुफ़्फ़ार क्या कहेंगे	235
मुंकिरीने क़यामत (क़यामत का इंकार करने वालों) का अंजाम	236
नबी करीम (ﷺ) की कोशिश, कि कोई जहन्नम में न जाए	238
कुफ़्फ़ारे मक्का की दिली गवाही	238
मोजिज़ात का सुदूर रब तआ़ला की मर्ज़ी से होता है	241
जानवर, अलग उम्मतें और ह़श्र का दिन	241
अ़क़ीद- ए- तौह़ीद और मुश्रिकीने मक्का	243
बदह़ाली व ख़ुशह़ाली, एक आज़माइश एक ढील	244
मुआ़निदीन (दुश्मनी रखने वालों) से वज़्ह़े ह़क़	245
ग़ैब के ख़ज़ानों का मालिक कौन?	247
सह़ाबा (रज़ि.) का दिफ़ाअ़ अ़र्श वाला ख़ुद करता है	248
अ़ज़ाब भी अल्लाह तआ़ला की मर्ज़ी से उतरता है	252
मौते सुग़रा (छोटी) व कुब्रा (बड़ी) का बयान	255
नेक और बद रूह़ का अंजाम	256
मुश्रिकीन भी मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को पुकारते हैं	257
तक्ज़ीब नहीं, इताअ़त	262
मज़ाक़ करने वालों के साथ न बैठने का हुक्म	262
दीन को खेल- तमाशा समझने वालों का अंजाम	264
मुश्रिकों को फ़ैसलाकुन अ़ज़ाब	265
ह़ज़रत इब्राहीम (ﷺ) का ख़ानदान और आज़र	275
आज़र को दर्से तौह़ीद और उसका अंजाम	275
आसमान व ज़मीन के मलकूत पर नज़र	276
मैदाने मुनाज़िरा या मक़ामे ग़ौरो- फ़िक्र	278
मुश्रिकों के सामने खरी- खरी तौह़ीद की बातें	281
अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इब्राहीम	285
शिर्क, एक इन्तिहाई घिनौना गुनाह	287
आयत का शाने नुज़ूल	288
सबसे बड़ा ज़ालिम कौन और ज़ालिमों का अंजाम	291
कायनात के ख़ालिक़ व मालिक का एक तआ़रुफ़	294
अल्लाह तआ़ला की क़ुदरते कामिला और ह़िक्मते बालिग़ा का मज़ीद बयान	296
ग़ैरुल्लाह की परसतिश और उसका बुत्लान	297
अल्लाह तआ़ला की वह़दानियत का बयान	299
दीदारे इलाही का बयान	299
मोमिन, काफ़िर और रोशन दलीलें	302
नबी (ﷺ) और उम्मते मुह़म्मदिया के लिए अल्लाह तआ़ला का हुक्म	304
मअ़बूदाने बात़िला को गालियाँ देने की मुमानिअ़त	305
कुफ़्फ़ार का मोजिज़ात (चमत्कारों का) तलब करना और अल्लाह तआ़ला का जवाब	306
कुफ़्फ़ार ह़क़ पहचानने के बावजूद ईमान नहीं लाते	309
दुश्मनों के मुक़ाबिल अल्लाह तआ़ला का अपने नबियों की ह़ौसला अफ़ज़ाई फ़र्माना	309
अल्लाह का क़ुरआन क़ौले फ़ैसल है	312

- दुनिया में गुमराह लोगों की कसरत है 312
- अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह किये हुए से खाना चाहिए 313
- मख़्फ़ी और पोशीदा गुनाहों को छोड़ देना 314
- ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़िब्ह किये हुए से खाना हराम है 315
- ईमान रोशनी जबकि कुफ़्र तारीकी (अंधेरा) है 320
- साहिबे सरवत (मालदार लोग) हक़ का इंकार करते हैं 322
- नबी अकरम (ﷺ) हसब और नसब के लिहाज़ से पूरी दुनिया से अफ़ज़ल हैं 323
- शरहे सद्र से क्या मुराद है? 325
- क़ुरआन, सिराते मुस्तक़ीम और जन्नत सलामती का घर है 327
- जिन्न व इंस का एक दूसरे से फ़ायदा उठाना और उसका अंजाम 328
- ज़ालिम ज़ालिमों का, मोमिन मोमिनों का दोस्त है 329
- जिन्नों में नबी नहीं बल्कि डराने वाले आए 330
- अज़ाब इतमामे हुज्जत के बाद आता है 332
- अल्लाह तआला मख़्लूक़ से बेनियाज़ है 333
- मुश्रिक अल्लाह के साथ ग़ैरुल्लाह का हिस्सा भी निकालते थे 335
- मुफ़्लिसी के डर से औलाद को क़त्ल करना 337
- मुश्रिकीन के ख़ुदसाख़्ता (ख़ुद का बनाया हुआ) हलाल व हराम 337
- मुश्रिकीन के तय किए हुए हलाल व हराम 338
- मुश्रिकीने अरब की जिहालत 339
- अल्लाह तआला के कुछ इनआमात का तज़्किरा 340
- मुश्रिकीन और हलाल व हराम में ख़ुद साख़्ता तक़सीम 343
- किसी चीज़ को हलाल या हराम करना अल्लाह का काम है 344
- हराम चीज़ की ख़रीदो- फ़रोख़्त भी हराम है 346
- अल्लाह की रहमत की उम्मीद और अज़ाबे इलाही से डरने का हुक्म 348
- मुश्रिकीन का एक बिला दलील दावा 349
- अहम अख़्लाक़ी और मुआशरती वसिय्यतें 350
- चंद और मुफ़ीद हिदायात 354
- हिदायत का रास्ता अल्लाह और रसूल की इताअत है 355
- तौरात और क़ुरआन अल्लाह का नाज़िलकर्दा है 357
- अल्लाह ने किताब नाज़िल फ़र्माकर हुज्जत क़ायम कर दी 359
- क़यामत और उसकी निशानियाँ 360
- फ़िर्क़ापरस्त (गुटबाज़) लोगों से आप (ﷺ) का कोई रिश्ता नहीं 364
- नेकी का सवाब कई गुना जबकि बदी एक ही लिखी जाती है 365
- नबी (ﷺ) पर इनआमाते इलाही 368
- अस्लाफ़ को अख़्लाफ़ के नेक आमाल का सवाब मिलता है 370
- दरजात की तक़सीम एक आज़माइश 372
- तफ़्सीर सूरह आराफ़ 376
- ज़ालिमों का ऐतिराफ़े जुर्म और उनकी तबाही 377
- क़यामत और मीज़ाने अदल 378
- ख़ालिक़ के मख़्लूक़ पर एहसानात 380
- पैदाइश और फ़ज़ीलते आदम (عليه السلام) 380
- इब्लीस का क़यासे फ़ासिद 382
- इब्लीस को क़यामत तक मोहलत 384
- शैतान की मक्कारियाँ 384
- इब्लीस रांदा दरगाह (धुतकारा) हुआ 386
- इब्लीस की मक्कारी और फ़रेब 386
- आदम (عليه السلام) की अल्लाह तआला से रहम की दुआ करना 388
- आदम (عليه السلام) व हव्वा (عليها السلام) अर्श से ज़मीन पर 389
- लिबासे जिस्म और लिबासे तक़्वा 390
- अल्लाह तआला फ़ोहश काम का हुक्म नहीं करता 392
- अच्छा लिबास कौनसा है? 395
- हलाल चीज़ को हराम करना 397
- नेकों को बशारत (ख़ुशख़बरी) और बुरे लोगों को अज़ाब की वईद (धमकी) 399
- मलकुल मौत की ज़ालिम लोगों से मुलाक़ात 399
- काफ़िरों का एक दूसरे को मौरिदे इल्ज़ाम ठहराना 400

काफ़िरों का ओढ़ना बिछौना आग ही है	402
अहले ईमान की सआदतमंदी	405
जन्नतियों का अहले जहन्नम से सवाल	407
अस्हाबे आराफ़ और उनका अंजाम	408
क़यामत के दिन हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की सिफ़ारिश	411
अहले दोज़ख़ की फ़रियाद	413
मुश्रिकीन और तक्मीले हुज्जत	415
तौहीदे रुबूबियत का इस्बात	416
दुआ में आजिज़ी व इंकिसारी	418
बाराने रहमत का नुज़ूल अल्लाह तआला की तरफ़ से	420
नूह (عليه السلام) का अपनी क़ौम को नसीहत	422
अल्लाह तआला का क़ौमे नूह को पानी में डुबोना	424
हूद (عليه السلام) की अपनी क़ौम को तब्लीग़ और क़ौम का जवाब	425
क़ौमे आद की तबाही व बर्बादी	426
सालेह (عليه السلام) का पैग़ामे तौहीद	431
क़ौमे समूद का अंजाम	436
क़ौमे लूत का शदीदतरीन गुनाह	437
क़ौमे लूत का रद्दे अमल	438
इग़लामबाज़ी (समलैंगिकता) की सज़ा और फ़ुक़हा का मौक़िफ़	438
शुऐब (عليه السلام) का अपनी क़ौम से ख़िताब	440
शुऐब (عليه السلام) का अपनी क़ौम को वअ़ज़ (नसीहत)	440
क़ौमे शुऐब का जवाब और शुऐब (عليه السلام) की दुआ	442
क़ौमे शुऐब का कुफ़्र पर अ़ज़्मे मुसम्मम (ठोस इरादा) और नतीजा	443
शुऐब (عليه السلام) ने तब्लीग़ का हक़ अदा कर दिया	444
सेहत और ख़ुशहाली भी एक इम्तिहान है	444
ईमान व तक़्वा नुज़ूले बरकात और कुफ़्र अ़ज़ाब की वजह है	446
गुनाहों की वजह से हलाकत (बर्बादी) और दिलों पर क़ुफ़्ल (पर्दे)	447
मोजिज़ात (चमत्कार) देखने के बावजूद ईमान न लाए	448
मूसा (عليه السلام) और फ़िरऔन का मुनाज़िरा	450
मूसा (عليه السلام) के हाथ पर क़ुदरते इलाही का ज़ुहूर	450
मूसा (عليه السلام) के मोजिज़ात ने फ़िरऔनियों को फ़िक्रमंद कर दिया	451
मूसा (عليه السلام) से मुक़ाबले के लिए माहिर जादूगरों की ख़िदमात	452
जादूगरों का फ़िरऔन से मुतालबा	453
मूसा (عليه السلام) और जादूगरों का मुक़ाबला	453
हक़ की फ़तह (जीत), मूसा (عليه السلام) ने मैदान मार लिया	454
जादूगरों को उनके ईमान की सज़ा	455
दरबारियों की फ़िरऔन को मलामत	458
फ़िरऔनियों का रवय्या और अ़ज़ाबे इलाही	460
फ़िरऔनियों पर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के अ़ज़ाब	460
फ़िरऔनियों की तबाही और बनी इस्राईल पर अल्लाह तआला का इन्आ़म	465
बनी इस्राईल का जाहिलाना मुतालबा	466
फ़िरऔन की क़ैद से नजात देने वाला ही इबादत के लायक़ है	467
मूसा (عليه السلام) की कोहे तूर पर रवानगी और हारून (عليه السلام) की जानशीनी	467
मूसा (عليه السلام) का अल्लाह तआला से बात करना	468
मूसा (عليه السلام) की चंद इम्तियाज़ी औसाफ़ (विशेषताएँ)	471
तकब्बुर (घमण्ड) का नतीजा और अंजाम	472
सामरी का तैयारकर्दा बछड़ा और उसकी हक़ीक़त	472
मूसा (عليه السلام) की तूर से वापसी, क़ौम का शिर्क और हारून (عليه السلام) पर इज़्हारे नाराज़गी	475
गौशाला परस्ती से तौबा का तरीक़ा	476
मूसा (عليه السلام) तौरात और उम्मते मुहम्मदिया	477
कोहे तूर पर सत्तर (70) आदमियों की मौत	479
रहमते इलाही की वुसअ़तें	481
रिसालते मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लाए बग़ैर नजाते आख़िरत मुम्किन नहीं	482

- नबी (ﷺ) की आलमगीर नबुव्वत 489
- बनी इस्राईल में एक जमाअत हक़ पर थी 490
- असहाबे सब्त की हीलासाज़ी 492
- बनी इस्राईल के तीन गिरोह और फ़रीज़ा अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुंकर 493
- यहूदियों की पूरी तारीख़ (इतिहास) ज़िल्लत और रुस्वाई है 497
- यहूद व नसारा के रिश्वतख़ोर उलमा और क़ाज़ी 497
- बनी इस्राईल के सरों पर पहाड़ और उनका रवैया 499
- आलमे अरवाह और एक वादा 500
- दुनिया के तालिब का हाल कुत्ते की तरह है 505
- हिदायत और गुमराही अल्लाह तआला के इख़्तियार में है 510
- जिस्मानी हिस्सों का सही इस्तेमाल न करने वाले जानवरों से बदतर हैं 511
- अल्लाह तआला के अस्मा- ए- हुस्ना की तादाद और फ़ज़ीलत 512
- एक जमाअत क़यामत तक हक़ पर है 514
- कसरते रिज़्क़ बाइसे वबाल भी है 514
- नबी (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं 515
- मौत का इल्म नहीं, हक़ को क़बूल कर लेना चाहिए 515
- जिसे अल्लाह तआला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता 517
- क़यामत और उसकी निशानियां 517
- नबी (ﷺ) ग़ैब नहीं जानते 521
- अल्लाह तआला की अताकर्दा औलाद को मुश्रिक ग़ैरुल्लाह की तरफ़ मंसूब करते हैं 522
- मुश्रिकों के गूंगे, बहरे, अंधे मअबूद 526
- अफ़्व व दरगुज़र से काम लो 529
- शैतानी वस्वसों से बचने का तरीक़ा 531
- क़ुरआने हकीम ज़िन्दा व जावेद और अज़ीम मुअजिज़ा है 533
- क़ुरआन को ख़ामोशी से सुनो 533
- आहिस्ता आवाज़ से ज़िक्र करना मुस्तहब है 535

रुमूज़े औक़ाफ़(ठहरने की अलामात)

रुमूज़े औक़ाफ़ (Punctuation Marks) से मुराद वह अलामात या निशानियाँ हैं जो किसी भी ज़ुबान में लिखी गई किसी भी किताब को पढ़ते वक़्त हमें बताती हैं कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना, कहाँ कम ठहरना है या कहाँ ज़्यादा ठहरना है। अगर इन अलामात को नज़र अंदाज़ कर दिया जाए या इन पर पूरी तरह अमल न किया जाए तो इबारत के मानी कुछ के कुछ हो जाते हैं और मतलब समझ में नहीं आता। कुरआनुल अज़ीम में भी ख़ास ख़ास अलामात जिन्हें रुमूज़े औक़ाफ़ कहा जाता है, मुक़र्रर की गई हैं ताकि इसकी सहीह तिलावत करने के लिए आपको मालूम हो जाए कि आपको कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर कम रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है और कहाँ पर बिलकुल नहीं रुकना। कुरआन की सहीह क़िरात के लिए और इसके मफ़्हूम व मतालिब को सहीह समझने के लिए इन अलामात पर सख़्ती से अमल करना चाहिए। यह अलामात दर्जे ज़ेल (नीचे लिखी गई) हैं।

○ यह अलामत आयत के मुकम्मल होने की निशानी है। दरहक़ीक़त यह आयत की गोल ता यानी ता है। यह वक़्फ़ ताम की अलामत है। यह अंग्रेजी ज़ुबान के फ़ुल स्टॉप जैसी है। इस अलामत पर ठहरना लाज़मी है क्यों कि यहाँ पर कुरआन की आयत मुकम्मल हो जाती है। इस हिसाब से कुरआन की 6236 आयात हैं। यह आयात अल्लाह तआला ने जिब्राईल (عليه السلام) को बतलाई और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वही के लिखने वाले को यह आयात बतलाई।

तॉ ط यह वक़्फ़े मुत्लक़ की अलामत है बल्कि लफ़्ज़ 'मुत्लक़' का मुख़फ़्फ़फ़ है। इस अलामत पर ठहरना चाहिए, यहाँ पर उमूमन जुम्ला मुकम्मल हो जाता है अगरचे मज़्मून मुकम्मल नहीं होता और कहने वाला अभी कुछ और कहना चाहता है। इस तरह की निशानियाँ कुरआन में 3510 हैं।

जीम ج यह वक़्फ़ जाइज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और न ठहरना जाइज़ है। इस तरह के वक़्फ़ पूरे कुरआन में 1587 हैं।

मीम م यह वक़्फ़े लाज़िम की अलामत है। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। इसे तर्क कर देने से मानों में ख़लल पड़ जाएगा और हो सकता है कि इबारत का मफ़्हूम कहने वाले की मुराद के ख़िलाफ़ हो जाए। कुरआन में यह अलामत 82 या 85 बार आई है।

ज ز यह वक़्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है। यहाँ न ठहरना बेहतर है। अगरचे ठहरा जाना भी जाइज़ है। यह अलामत कुरआन में 191 बार आई है।

सॉद ص यह लफ़्ज़ "मुरख़्ख़स" का मुख़्तसर है। इस अलामत से मुराद है कि इससे पहले वाले को उसके बाद से मिलाकर पढ़ा जाए, लेकिन अगर पढ़ने वाला थक जाए या उसका सांस टूट जाए तो उसे ठहरने की इजाज़त है। इस तरह की अलामत कुरआन में 83 हैं।

क़ाफ़ (ق)	यह क़द क़ील अलैहिल वक़्फ़ का ख़ुलासा है, यहाँ ठहरना नहीं चाहिए।
सीन या सक्ता س	यह सक्ते की अलामत है। यहाँ पर किसी क़द्र ठहर जाना चाहिए मगर सांस न टूटने पाए।
वक़्फ़ा	यह लम्बे वक़्फ़े की अलामत है। यहाँ सक्ते की निस्बत ज़्यादा ठहरना चाहिए, लेकिन सांस न टूटे।
स़ॉद लाम صل	यह क़द यूसल (कभी-कभी मिलाकर पढ़ा जाता है) की अलामत है। यहाँ कभी ठहरा जाता है, कभी नहीं ठहरा जाता। लेकिन ठहरना बेहतर है।
वक़्फ़ुन्नबी (ﷺ)	हुज़ूर (ﷺ) जब तिलावत फ़र्माते थे तो इस जगह पर ठहरते थे। इस पर वक़्फ़ करना इत्तिबाए रसूल (ﷺ) है।

मुअद्दिबाना इल्तिजा

हमने इस तफ़्सीर की कम्पोजिंग और प्रिन्टिंग में हत्तल मक्दूर (हर सम्भव) कोशिश की है कि कोई ग़लती न होने पाए, ख़ुसूसन कुरआन के अरबी मतन और हिन्दी तर्जुमे में। ताहम इंसान ख़ता का पुतला है और ग़लती का हो जाना इंसानी फ़ित्रत है। मुम्किन है कि इस किताब में कुरआन के अरबी मतन और तर्जुमे, सूरतों के तआरुफ़, लुग़ात और आयात की वज़ाहत वग़ैरह में बार बार पढ़ने और दुरुस्तगी करने के बावजूद ग़ल्तियाँ रह गई हों। लिहाज़ा इस किताब को पढ़ने वाले से मुअद्दिबाना गुज़ारिश है कि अगर कोई ग़लती (छोटी हो या बड़ी) नज़र में आए तो पब्लिशर को बज़रिये डाक फ़ौरन ख़बर करें। इंशाअल्लाह! उसकी तस्हीह के लिए मुनासिब और फ़ौरी इक़्दामात उठाए जाएँगे। आपको यह बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई मुसलमान जान बूझकर कुरआन के मामले में ग़लती नहीं करता। इसलिए आप अफ़ू व दरगुज़र से काम लें और हमें ग़लती से फ़ौरन आगाह करें। हम इस ख़ैर के काम पर आपके बेहद मम्नून होंगे। अल्लाह आपको अज्र अता फ़र्माए और आपके घर वालों पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़र्माए, आमीन!

एहतियात कीजिए

आपसे गुज़ारिश है कि अगर इस किताब में पैग़म्बरे इस्लाम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नामे गिरामी आए तो पढ़ते वक़्त बड़े अदब के साथ (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कहें, अगर किसी दूसरे पैग़म्बर का नामे गिरामी आए तो अलैहिस्सलाम कहें, किसी सहाबी का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हू कहें, अगर किसी उम्मुल मोमिनीन या सहाबिया का नाम आए तो रज़ियल्लाहु अन्हा कहें, और अगर किसी मुहद्दिस या फ़क़ीह या आलिमे दीन का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैहि कहें। हमने इस तफ़्सीर में उन मुक़द्दस, मुतबर्रक हस्तियों के नामों के साथ यह दुआइया कलिमता लिखने की हत्तल मक्दूर कोशिश की है। ताहम अगर किसी जगह कोताही हो गई है और यह कलिमात न लिखे गए तो आप यह कमी पूरी करें, जज़ाकल्लाह!

सूरह माइदा

سورة المآئده

FLOW CHART
तरतीबी नक्श-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह माइदा

आयात 120 मदनी पैराग्राफ़ : 6

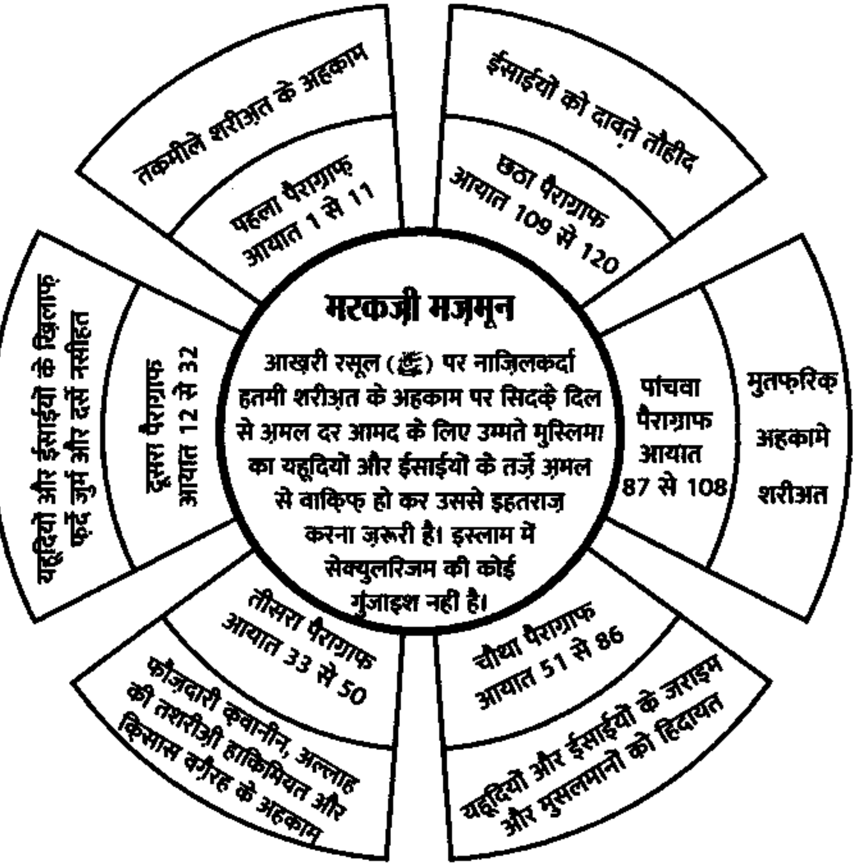

ज़मानए नुज़ूल:

सूरह (अल माइदा) का मुअतद बिही हिस्सा सुलहे हुदैबिया (ज़ुलक़अ़दा छः हिजरी) के बाद, ग़ालिबन सात हिजरी में नाज़िल हुवा। हालते एहराम के आदाब, ग़ालिबन उमर-ए-हुदैबिया या उमर-ए-क़ज़ाअ़ 7 हिजरी के मौक़े पर नाज़िल हुए। कुछ मुतफ़रिक़ आयात भी बाद में भी नाज़िल हुईं, लेकिन सिलसिलए-कलाम में पेवस्त है।

तकमीले दीन के मज़मून पर मुश्तमिल कुरआन की आयत (अलयौम अकमलतु लकूम दीनकुम) (अल माइदा:3) भी इसी सूरह में आई है, जो ग़ालिबन सब से आख़िर में नाज़िल होने वाली आयत है, अलबत्ता सब से आख़िर में नाज़िल होने वाली मुकम्मल सूरतुन्नसर (इज़ा जा अ़ नसरूल्लाहि वलफ़तहु) है।

सूरह माएदा

ये मदनी सूरत है इसका नाम सूरत की आयत नम्बर 112 से लिया गया है। इसके मज़ामीन से पता चलता है कि ये ज़्यादातर एक ही वह्य में नाज़िल हुई और इसका ज़्यादातर हिस्सा सुलहे-हुदैबिया के फ़ौरन बाद 6 हिजरी के आख़िर से 7 हिजरी तक के अ़रसे में नाज़िल हुआ। इसकी एक आयत 3 अ़रफ़ात के मैदान में जिलहिज्जा 10 हिजरी में हज्जातुल विदाअ़ के मौक़े पर नाजिल हुई। जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) और उनके साथियों को दीन की तक्मील का मुज़्दा (खुशख़बरी) सुनाया गया।

इस सूरते मुबारका में 120 आयतें और 16 रूकूअ़ हैं और इसके तीन मौज़ूआत (Subject) हैं।

1. पहले का ताल्लुक़ मुसलमानों के मजहबी, मुआशरती (समाजी) और सियासी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अहकाम है। जैसा कि हज नमाज़, गुस्ल, वुज़ू, तयम्मुम, खाने–पीने की चीज़ों में हलाल व हराम, शराब और जूए की क़तई हुरमत, बग़ावत, हालते एहराम में शिकार की मुमानिअ़त, वसियत, गवाही और इंसाफ़ के क़वाइद के अहकामात बताये गये हैं और मुसलमानों को अहले किताब का खाना खाने और उनकी पाकदामन औ़रतों से निकाह की इजाज़त दी गई है और इनमें हिदायत दी गई है कि वो अहले किताब की रविश से बचें और अल्लाह की इताअ़त करे। उसके अहकाम की पाबन्दी करे और उसके साथ किये हुए वादे (अ़हद) को निभाये।

2. दूसरे मज़मून का ताल्लुक़ यहूदियों से है। इसमें उनकी तारीख़ मुख़्तसर तौर पर बयान की गई है। किस तरह उन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए अ़हद (वादे) तोड़े। उसके अहकाम की ख़िलाफ़वर्जियाँ कीं। हज़रत मूसा (عليه السلام) से सरकशी की जिसकी पादाश में उन्हें 40 साल तक मुक़द्दस सरजमीन से दूर रखा गया और जंगल में भटकने के लिये छोड़ दिया गया।

3. तीसरा मौज़ूअ़ का ताल्लुक़ ईसाइयों से है। हज़रत ईसा (عليه السلام) के मुताल्लिक़ उनके बातिल अ़क़ाइद का खण्डन किया गया है। ईसा इब्ने मरियत सिर्फ अल्लाह के रसूल थे और जो मोअ़जिजे दिखाये थे वो अल्लाह के हुक्म से दिखाये थे। आयात 112 से 115 से पता चलता है कि हज़रत ईसा (عليه السلام) के हवारियों ने उनसे मुतालबा किया था कि उनका रब खाने से भरा हुआ दस्तरख़्वान आसमान से उतारे ताकि वो उससे खाये और उनके दिल मुतमइन हों। हज़रत ईसा (عليه السلام) ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, दस्तरख़्वान उतारा जा सकता है मगर साथ ये तम्बीह (Warning) भी कर दी गई कि बाद में जो कुफ़्र करेगा उसे ऐसा अज़ाब दिया जायेगा जो दुनिया में किसी को न दिया गया हो।

आदम (عليه السلام) के दो बेटों का क़िस्सा मुजरिमों को इबरत दिलाने के लिये बयान किया गया है और हुरमते जान का, ऐलान इंसानी तारीख़ में एक सुनहरे उसूल की हैसियत इख़्तियार कर चुका है। जिसने एक जान का क़त्ल किया उसने पूरी इंसानियत को क़त्ल किया। मोमिनों को यहूदियों, ईसाइयों और काफ़िरों से दोस्ती करने से मना किया गया और उन्हें अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान से दोस्ती व मुहब्बत का हुक्म दिया गया। (आयात 31-57)

سورة المائدة

तफ़्सीर सूरह माइदा

हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी अज़्बा की नकेल थामे हुई थी कि आप (ﷺ) पर सूरह माइदा पूरी नाज़िल हुई, क़रीब था कि उस बोझ से ऊँटनी के बाज़ू टूट जाएँ। (मुस्नद अहमद : 6/455; तबरानी : 19920; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/13) और रिवायत में है कि उस वक़्त आप (ﷺ) सफ़र में थे, वही के बोझ से यह मालूम होता था कि गोया ऊँटनी की गर्दन टूट गई। (अद्दुर्रुल मंसूर : 2/446; दलाइलुन्नबुव्वा : 7/45; इस रिवायत में उम्मे अम्र बिन अबस मज्हूल राविया है। लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) (इब्ने मर्दवे) और रिवायत में है कि जब ऊँटनी की ताक़त से ज़्यादा बोझ हो गया तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उस पर से उतर गए। (मुस्नद अहमद : 2/176; वसनदुहू ज़ईफ़ुन, मज्मउज़्ज़वाइद : 7/13) तिर्मिज़ी शरीफ़ की एक रिवायत में है कि सबसे आख़िरी सूरत जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पर उतरी वह सूरह (इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि) है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3063; वसनदुहू हसन; हाकिम : 2/311) मुस्तदरक हाकिम में है कि जुबैर बिन नुफ़ैर (रह.) फ़र्माते हैं कि मैं हज्ज के लिए गया, वहाँ हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (रज़ि.) ने मुझसे फ़र्माया, तुम सूरह माइदा पढ़ा करते हो? मैंने कहा हाँ! फ़र्माया, सुनो! सबसे आख़िर में यही सूरत नाज़िल हुई है, इसमें जिस चीज़ को हलाल पाओ हलाल ही समझो और इसमें जिस चीज़ को हराम पाओ, हराम ही जानो। (हाकिम : 2/311; वसनदुहू सहीह; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11138; इमाम हाकिम ने इसे सहीह कहा है।) मुस्नद अहमद में भी यह रिवायत है इसमें यह भी है कि फिर मैंने उनसे आँहज़रत (ﷺ) के अख़्लाक़ की निस्बत सवाल किया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के अख़्लाक़ कुरआन का अमली नमूना थे यह रिवायत नसाई शरीफ़ में भी है। (मुस्नद अहमद : 6/188; वसनदुहू सहीहुन; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11138; दलाइलुन्नबुव्वा : 118; फ़ज़ाइलुल कुरआन, पेज : 128; इस रिवायत की सनद सहीह दर्जा की है देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 42/353) नीज़ देखिए सहीह मुस्लिम : 746)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

''शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है''

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ ؕ اُحِلَّتۡ لَـكُمۡ بَهِيۡمَةُ الۡاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى الصَّيۡدِ وَاَنۡتُمۡ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ ① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا لَا تُحِلُّوۡا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهۡرَ الۡحَـرَامَ وَلَا الۡهَدۡىَ وَلَا الۡقَلَۤائِدَ وَلَاۤ آٰمِّيۡنَ
الۡبَيۡتَ الۡحَـرَامَ يَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلۡتُمۡ فَاصۡطَادُوۡا ؕ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ اَنۡ صَدُّوۡكُمۡ عَنِ الۡمَسۡجِدِ الۡحَـرَامِ اَنۡ تَعۡتَدُوۡا ۘ وَتَعَاوَنُوۡا
عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ
الۡعِقَابِ ②

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! अहदो पैमान पूरे किया करो, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए जाते हैं सिवाय उनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएँगे मगर हालते एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना यक़ीनन अल्लाह तआला जो चाहे हुक्म करता है। (1) ईमानवालों! अल्लाह तआला के निशानों की बेहुर्मती न करो, न अदब वाले महीनों की, न हरम में कुर्बान होने वाले जानवरों की और न उन पट्टे वाले जानवरों की जो कअबा को जा रहे हों और न उन लोगों की जो बैतुल्लाह के क़सद से अपने रब तआला के फ़ज़्ल और उसकी रज़ाजोई की निय्यत से जा रहे हों, हाँ! जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुज़र जाओ! नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करते रहो, गुनाह और ज़ुल्मो ज़्यादती में मदद न करो, अल्लाह तआला से डरते रहा करो। बेशक अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देने वाला है।'' (2)

जानवर और हालते एहराम में शिकार का हुक्म (आयत 1, 2) : इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स

ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कहा कि आप मुझे कोई ख़ास नसीहत कीजिए। आपने फ़र्माया, जब तू कुरआन में लफ़्ज़ (या अय्युहल् लज़ीना आमनू) सुने तो फ़ौरन कान लगाकर दिल से मुतवज्जा हो जा क्योंकि उसके बाद किसी न किसी भलाई का हुक्म होगा या किसी न किसी बुराई से मुमानिअत होगी। (मअन और औफ़ और इब्ने मसऊद (रज़ि.) के दरम्यान इन्क़िताअ की वजह से यह रिवायत मुंक़ताअ है।) इमाम ज़ोहरी (रह़.) फ़र्माते हैं जहाँ कहीं अल्लाह तआला ने ईमान वालों को कोई हुक्म दिया है उस हुक्म में नबी (ﷺ) भी शामिल हैं। ख़ैसमा (रह़.) फ़र्माते हैं कि तौरात में (या अय्युहल लज़ीना आमनू) की बजाए (या अय्यहुल मसाकीन) है एक रिवायत में जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) के नाम से बयान की जाती है यह है कि जहाँ कहीं (या अय्युहल लज़ीना आमनू) है उन तमाम मौक़ों पर उन सब ईमान वालों के सरदार व शरीफ़ और अमीर हज़रत अली (रज़ि.) हैं अस्ह़ाबे रसूल में से हर एक को डांटा गया है बजुज़ हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) कि उन्हें किसी अम्र में नहीं डांटा गया। (इसकी सनद में ईसा बिन राशिद मज्हूल रावी है।) याद रहे कि यह असर बिलकुल वही है इसके अल्फ़ाज़ मुंकर हैं और इसकी सनद भी सह़ीह़ नहीं। इमाम बुख़ारी (रह़.) फ़र्माते हैं इसका रावी ईसा बिन राशिद मज्हूल है, उसकी रिवायत मुंकर है मैं कहता हूँ इसी त़रह़ इसका दूसरा रावी अली बिन बज़ीमा गो सिक़ा है मगर आला दर्जे का शिया है फिर भला उसकी ऐसी रिवायत जो उसके अपने ख़ास ख़्यालात की ताईद में हो कैसे क़बूल की जा सकेगी? यक़ीनन वह इसमें नाक़ाबिले क़बूल ठहरेगा। इस रिवायत में यह जो है कि तमाम सह़ाबा (रज़ि.) को बजुज़ हज़रत अली (रज़ि.) के डांटा गया, इससे मुराद उनकी वह आयत है जिसमें अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) से सरगोशी करने से पहले सदक़ा निकालने का हुक्म दिया था, पस एक से ज़्यादा मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि इस पर अमल सिर्फ़ हज़रत अली (रज़ि.) ही ने किया है और फिर यह फ़र्मान कि (ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا) (58/मुजादिला : 13) नाज़िल हुआ लेकिन यह ग़लत़ है कि आयत में सह़ाबा को डांटा गया बल्कि दरअसल यह हुक्म बत़ौर वुजूब के था ही नहीं बल्कि इख़्तियारी अम्र था। फिर इस पर अमल होने से पहले ही अल्लाह तआला ने मंसूख़ कर दिया पस हक़ीक़तन किसी से इसका ख़िलाफ़ सरज़द ही नहीं हुआ। फिर यह बात भी ग़लत़ है कि हज़रत अली (रज़ि.) को किसी बात में डांटा नहीं गया। सूरह अन्फ़ाल की आयत मुलाह़िज़ा हो जिसमें उन तमाम सह़ाबा (रज़ि.) को डांटा गया जिन्होंने बद्री क़ैदियों को फ़िदया लेकर उन्हें छोड़ देने का मश्वरा दिया था। दरअसल सिवाए हज़रत उमर (रज़ि.) के बाक़ी तमाम सहाबा का मश्वरा यही था, पस यह बजुज़ हज़रत उमर (रज़ि.) के बाक़ी सबको है जिनमें हज़रत अली (रज़ि.) भी शामिल हैं पस यह तमाम बातें खुली दलील हैं उस अम्र की कि यह असर बिलकुल ज़ईफ़ और बेकार है, वल्लाहु आलम! इब्ने जरीर में है कि हज़रत मुह़म्मद बिन मुस्लिम (रह़.) फ़र्माते हैं जो किताब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अम्र बिन हज़म (रज़ि.) को लिखवाकर दी थी जबकि उन्हें नजरान भेजा था, उस किताब को मैंने अबूबक्र बिन हज़म (रज़ि.) के पास देखा था और उसे पढ़ा था उसमें अल्लाह तआला और रसूल (ﷺ) के बहुत अह़काम थे उसमें (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ) से (اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) भी लिखा हुआ था। (त़बरी : 9/454) इब्ने अबी ह़ातिम में है कि हज़रत अम्र बिन हज़म (रज़ि.) के पोते हज़रत अबूबक्र बिन मुह़म्मद (रह़.) ने फ़र्माया, हमारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) की यह किताब है जो आप (ﷺ) ने हज़रत अम्र बिन हज़म (रज़ि.) को लिखकर दी थी जब उन्हें यमन वालों को

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ○

''शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है''

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ ؕ اُحِلَّتۡ لَـكُمۡ بَهِيۡمَةُ الۡاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى الصَّيۡدِ وَاَنۡتُمۡ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ ‏① يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ
اٰمَنُوۡا لَا تُحِلُّوۡا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهۡرَ الۡحَـرَامَ وَلَا الۡهَـدۡىَ وَلَا الۡقَلَٓائِدَ وَلَاۤ آٰمِّيۡنَ
الۡبَيۡتَ الۡحَـرَامَ يَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَـلۡتُمۡ فَاصۡطَادُوۡا ؕ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَاٰنُ قَوۡمٍ اَنۡ صَدُّوۡكُمۡ عَنِ الۡمَسۡجِدِ الۡحَـرَامِ اَنۡ تَعۡتَدُوۡا ۘ وَتَعَاوَنُوۡا
عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوۡا عَلَى الۡاِثۡمِ وَالۡعُدۡوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ
الۡعِقَابِ ‏②

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! अहदो पैमान पूरे किया करो, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए जाते हैं सिवाय उनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएँगे मगर हालते एहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना यक़ीनन अल्लाह तआला जो चाहे हुक्म करता है। (1) ईमानवालों! अल्लाह तआला के निशानों की बेहुर्मती न करो, न अदब वाले महीनों की, न हरम में क़ुर्बान होने वाले जानवरों की और न उन पट्टे वाले जानवरों की जो कअबा को जा रहे हों और न उन लोगों की जो बैतुल्लाह के क़सद से अपने रब तआला के फ़ज़्ल और उसकी रज़ाजोई की निय्यत से जा रहे हों, हाँ! जब तुम एहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न करे कि तुम हद से गुज़र जाओ! नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद करते रहो, गुनाह और ज़ुल्मो ज़्यादती में मदद न करो, अल्लाह तआला से डरते रहा करो। बेशक अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देने वाला है।'' (2)

जानवर और हालते एहराम में शिकार का हुक्म (आयत 1, 2) : इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स

ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कहा कि आप मुझे कोई ख़ास नसीहत कीजिए। आपने फ़र्माया, जब तू कुरआन में लफ़्ज़ (या अय्युहल् लज़ीना आमनू) सुने तो फ़ौरन कान लगाकर दिल से मुतवज्जा हो जा क्योंकि उसके बाद किसी न किसी भलाई का हुक्म होगा या किसी न किसी बुराई से मुमानिअत होगी। (मअन और औफ़ और इब्ने मसऊद (रज़ि.) के दरम्यान इन्क़िताअ की वजह से यह रिवायत मुंक़तअ है।) इमाम ज़ोहरी (रह़.) फ़र्माते हैं जहाँ कहीं अल्लाह तआला ने ईमान वालों को कोई हुक्म दिया है उस हुक्म में नबी (ﷺ) भी शामिल हैं। ख़ैसमा (रह़.) फ़र्माते हैं कि तौरात में (या अय्युहल लज़ीना आमनू) की बजाए (या अय्यहुल मसाकीन) है एक रिवायत में जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) के नाम से बयान की जाती है यह है कि जहाँ कहीं (या अय्युहल लज़ीना आमनू) है उन तमाम मौक़ों पर उन सब ईमान वालों के सरदार व शरीफ़ और अमीर हज़रत अली (रज़ि.) हैं अस्ह़ाबे रसूल में से हर एक को डांटा गया है बजुज़ हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) कि उन्हें किसी अम्र में नहीं डांटा गया। (इसकी सनद में ईसा बिन राशिद मज्हूल रावी है।) याद रहे कि यह असर बिलकुल वही है इसके अल्फ़ाज़ मुंकर हैं और इसकी सनद भी सह़ीह़ नहीं। इमाम बुख़ारी (रह़.) फ़र्माते हैं इसका रावी ईसा बिन राशिद मज्हूल है, उसकी रिवायत मुंकर है मैं कहता हूँ इसी तरह इसका दूसरा रावी अली बिन बज़ीमा गो सिक़ा है मगर आला दर्जे का शिया है फिर भला उसकी ऐसी रिवायत जो उसके अपने ख़ास ख़्यालात की ताईद में हो कैसे क़बूल की जा सकेगी? यक़ीनन वह इसमें नाक़ाबिले क़बूल ठहरेगा। इस रिवायत में यह जो है कि तमाम सह़ाबा (रज़ि.) को बजुज़ हज़रत अली (रज़ि.) के डांटा गया, इससे मुराद उनकी वह आयत है जिसमें अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) से सरगोशी करने से पहले सदक़ा निकालने का हुक्म दिया थ, पस एक से ज़्यादा मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि इस पर अमल सिर्फ़ हज़रत अली (रज़ि.) ही ने किया है और फिर यह फ़र्मान कि (ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا) (58/मुजादिला : 13) नाज़िल हुआ लेकिन यह ग़लत है कि आयत में सह़ाबा को डांटा गया बल्कि दरअसल यह हुक्म बतौर वुजूब के था ही नहीं बल्कि इख़्तियारी अम्र था। फिर इस पर अमल होने से पहले ही अल्लाह तआला ने मंसूख़ कर दिया पस हक़ीक़तन किसी से इसका ख़िलाफ़ सरज़द ही नहीं हुआ। फिर यह बात भी ग़लत है कि हज़रत अली (रज़ि.) को किसी बात में डांटा नहीं गया। सूरह अन्फ़ाल की आयत मुलाह़िज़ा हो जिसमें उन तमाम सह़ाबा (रज़ि.) को डांटा गया जिन्होंने बद्री क़ैदियों को फ़िदया लेकर उन्हें छोड़ देने का मश्वरा दिया था। दरअसल सिवाए हज़रत उमर (रज़ि.) के बाक़ी तमाम सह़ाबा का मश्वरा यही था, पस यह बजुज़ हज़रत उमर (रज़ि.) के बाक़ी सबको है जिनमें हज़रत अली (रज़ि.) भी शामिल हैं पस यह तमाम बातें खुली दलील हैं उस अम्र की कि यह असर बिलकुल ज़ईफ़ और बेकार है, वल्लाहु आलम! इब्ने जरीर में है कि हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिम (रह़.) फ़र्माते हैं जो किताब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अम्र बिन हज़्म (रज़ि.) को लिखवाकर दी थी जबकि उन्हें नजरान भेजा था, उस किताब को मैंने अबूबक्र बिन हज़्म (रज़ि.) के पास देखा था और उसे पढ़ा था उसमें अल्लाह तआला और रसूल (ﷺ) के बहुत अह़काम थे उसमें (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ) से (اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ) भी लिखा हुआ था। (तबरी : 9/454) इब्ने अबी हातिम में है कि हज़रत अम्र बिन हज़्म (रज़ि.) के पोते हज़रत अबूबक्र बिन मुहम्मद (रह़.) ने फ़र्माया, हमारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) की यह किताब है जो आप (ﷺ) ने हज़रत अम्र बिन हज़्म (रज़ि.) को लिखकर दी थी जब उन्हें यमन वालों को

दीनी समझ और हदीस सिखाने और उनसे ज़कात वसूल करने के लिए यमन भेजा था उस वक़्त यह किताब लिखकर दी थी, उसमें अहदो पैमान और हुक्मो अहकाम का बयान है, और उसमें (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) के बाद लिखा है कि यह किताब अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ से है, ऐ ईमानवालों ! वादा को अहदो पैमान को पूरा करो, यह अहद है मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से अम्र बिन हज़्म (रज़ि.) के लिए जबकि उन्हें यमन भेजा, उन्हें अपने तमाम कामों में अल्लाह तआला से डरते रहने का हुक्म है यक़ीनन अल्लाह तआला उनके साथ है जो उससे डरते रहें और जो एहसान, ख़ुलूस और नेकी करें। (दलाइलुन्नबुव्वा : 5/413; वहुव हसन) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह फ़र्माते हैं उक़ूद से मुराद अहद हैं। (तबरी : 9/450) इब्ने जरीर (रह.) इस पर इज्माअ बतलाते हैं ख़्वाह क़स्मिया अहदो पैमान हों या वादे हों सबको पूरा करना फ़र्ज़ है। (तब्री : 9/450) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यह भी मरवी है कि अहद को पूरा करने में अल्लाह तआला के हलाल को हलाल जानना, उसके बाद हराम को हराम जानना उसके फ़राइज़ की पाबन्दी करना उसकी हद बंदी की निगहदाश्त करना भी है किसी बात का ख़िलाफ़ न करो, किसी हद को न तोड़ो किसी हराम काम को न करो, उस पर सख़्ती बहुत है। पढ़ो आयत (وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ) को (سُوْٓءُ الدَّارِ) (13/रअद : 25) तक। हज़रत ज़हहाक (रह.) फ़र्माते हैं मुराद यह है कि अल्लाह तआला के हलाल को, उसके हराम को, और उसके वादों को जो ईमान के बाद हर मोमिन के ज़िम्मे आ जाते हैं पूरा करना अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ है। फ़राइज़ की पाबन्दी, हलाल व हराम की अक़ीदतमंदी वग़ैरह वग़ैरह। हज़रत ज़ैद बिन असलम (रह.) फ़र्माते हैं कि यह छः अहद हैं, अल्लाह तआला का अहद आपस की यगानिगत का क़स्मिया अहद और शिर्कत का अहद। तिजारत के अहदो पैमान हैं। जो लोग कहते हैं कि ख़रीदो फ़रोख़्त पूरी हो चुकने के बाद, भले अब तक ख़रीददार और बेचने वाले एक दूसरे से जुदा न हुए हों, वापिस लौटाने का इख़्तियार नहीं, वह अपनी दलील इस आयत को बतलाते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) का यही मज़हब है लेकिन इमाम शाफ़ेई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) इसके ख़िलाफ़ हैं और जुम्हूर उलमा-ए-किराम भी इसके मुख़ालिफ़ हैं और दलील में वह सहीह हदीस पेश करते हैं जो सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ख़रीदो फ़रोख़्त करने वाले को सौदे के वापिस लेने देने का इख़्तियार है जब तक कि जुदा जुदा न हो जाएँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब इज़ा लम युवक़्क़ितिल ख़ियार हल यजूज़ुल बैअ : 2109; सहीह मुस्लिम : 1531; अबूदाऊद : 3457; अहमद : 2/73; इब्ने हिब्बान : 4912; बैहक़ी : 5/269) सहीह बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत में यूँ भी है कि ''जब दो शख़्सों ने ख़रीदो-फ़रोख़्त कर ली तो उनमें से एक को दूसरे से अलग होने तक इख़्तियार बाक़ी है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब इज़ा ख़य्यर अहदुहुमा साहिबहू बअदल बैअ फ़क़द वजबल बैअ : 2112; सहीह मुस्लिम : 1531; अबूदाऊद : 3457) यह हदीस साफ़ और सरीह है कि यह इख़्तियार ख़रीदो फ़रोख़्त पूरे हो चुकने के बाद का है, हाँ! इसे बैअ के लाज़िम हो जाने के ख़िलाफ़ न समझा जाए बल्कि यह शरई तौर पर इसी का मुक़्तज़ा है पस इसे निभाना भी उसी आयत के मातहत ज़रूरी है। फिर फ़र्माता है ''मवेशी चौपाए तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं'' यानी ऊँट गाय बकरी।'' अबुल हसन, क़तादा (रह.) वग़ैरह का यही क़ौल है। (तबरी : 9/455) इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं अरब में उनके

लुग़त के मुताबिक़ भी यही है, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह बहुत से बुज़ुर्गों ने इस आयत से इस्तिदलाल किया है कि जिस हलाल मादा को ज़िब्ह किया जाए और उसके पेट में से बच्चा निकले भले मुर्दा हो फिर भी हलाल है। (तबरी : 9/456) अबूदाऊद तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में है कि सहाबा (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि ऊँटनी गाय बकरी ज़िब्ह की जाती है उनके पेट में से बच्चा निकलता है तो हम उसे खा लें या फेंक दें? आपने फ़र्माया, "अगर चाहो खा लो उसका ज़बीहा उसकी माँ का ज़बीहा है" (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब मा जाअ फ़ी ज़कातिल जनीन : 2827; वहुव सहीह; तिर्मिज़ी : 1476; इब्ने माजा : 3199; अहमद : 3/31; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 8650; मुस्नद अबी यअला : 992; दारे कुत्नी : 4/273; बैहक़ी : 9/335) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन कहते हैं, अबूदाऊद में है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "पेट के अंदर वाले बच्चे का ज़बीहा उसकी माँ का ज़बीहा है।" (अबूदाऊद, हवाला साबिक़ : 2828; वहुव सहीह; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत पर सहीह का हुक्म लगाया है। देखिए (सहीह अबू दाऊद : 2452)) फिर फ़र्माता है "मगर वह जिनका बयान तुम्हारे सामने किया जाएगा।" इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इसका मतलब मुरदार, ख़ून और सूअर का गोश्त है। (तबरी : 9/458) हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि मुराद इससे अज़्ख़ुद (खुद से) मरा हुआ जानवर और वह जानवर है जिसके ज़बीहा पर अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो। (तबरी : 9/458) पूरा इल्म तो अल्लाह तआला ही को है लेकिन बज़ाहिर यह मालूम होता है कि इससे मुराद अल्लाह तआला का फ़र्मान (हुर्रिमत अलयकुमुल मयततु...) है यानी "तुम पर मुरदार, ख़ून और सूअर का गोश्त और हर वह चीज़ जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरे के नाम पर मन्सूब की जाए और जो गला घोंटने से मर जाए और जो किसी ज़र्ब लगने से मर जाए और ऊँची जगह से गिरकर मर जाए और जो किसी टक्कर लगने से मर जाए और जिसे दरिन्दा खाने लगे" पस यह भी गो मवेशी चौपायों में से हैं लेकिन इन वजूह से वह हराम हो जाते हैं। इसीलिए उसके बाद फ़र्माया, "लेकिन जिसको तुम ज़िब्ह कर डालो और जो जानवर परसतिशगाहों पर ज़िब्ह किया जाए वह भी हराम है" और ऐसा हराम कि उसमें से कोई चीज़ हलाल नहीं, इसलिए इससे इस्तिदराक नहीं किया गया और हलाल के साथ इसका कोई फ़र्द मिलाया नहीं गया पस यहाँ यही फ़र्माया जा रहा है कि चौपाए मवेशी तुम पर हलाल हैं, सिवाए उनके जिनका ज़िक्र अभी आएगा जो कुछ अहवाल में हराम हैं उसके बाद का जुम्ला हालियत की बिना पर मंसूब है, मुराद इन्आम से आम है कुछ तो वह जो इंसानों में रहते पलते हैं, जैसे ऊँट गाय बकरी और कुछ वह जो जंगली हैं जैसे हिरन नील गाय और जंगली गधे पस पालतू जानवरों में से तो इनको मख़्सूस कर लिया जो बयान हुए और वहशी जानवरों में से एहराम की हालत में किसी को भी शिकार करना मम्नूअ क़रार दिया। यह भी कहा गया है कि मुराद यह है कि हमने तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हर हाल में हलाल किए हैं पस तुम एहराम की हालत में शिकार खेलने से रुक जाओ और उसे हराम जानो क्योंकि अल्लाह तआला का यही हुक्म है और उसके तमाम अहकाम सरासर हिक्मत से पुर हैं। इसी तरह उसकी हर मुमानिअत में भी हिक्मत है, अल्लाह तआला वह हुक्म फ़र्माता है जो इरादा करता है। "ईमान वालो! रब तआला के निशानों की तौहीन न करो" यानी मनासिके हज्ज सफ़ा मरवा क़ुर्बानी के जानवर, ऊँट और अल्लाह तआला की हरामकर्दा हर चीज़ "हुर्मत वाले महीनों की तौहीन न करो।" उनका अदब करो, उनका लिहाज़ करो, उनकी ताज़ीम को मानो और उनमें

ख़ुसूसियत के साथ अल्लाह तआला की नाफ़र्मानियों से बचो और उन मुबारक और मुहतरम महीनों में अपने दुश्मनों से अज़्ख़ुद (ख़ुद से) लड़ाई न छेड़ो, जैसे इर्शाद है (يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ) (2/बक़रह : 217) "ऐ नबी (ﷺ)! लोग तुमसे हुर्मत वाले महीनों में जंग करने का हुक्म पूछते हैं। तुम उनसे कहो कि उनमें लड़ाई करना बड़ा गुनाह है।" और आयत में है "महीनों की गिनती अल्लाह तआला के नज़दीक बारह की है।" सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल विदा में फ़र्माया, "ज़माना घूम घामकर ठीक उसी तर्ज़ पर आ गया है जिस पर वह उस वक़्त था जिस दिन अल्लाह तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया था। साल बारह माह का है जिनमें से चार महीने हुर्मत वाले हैं। तीन तो पे दर पे ज़ुल क़अदा, ज़ुल हज्ज और मुहर्रम और चौथा रजब, जैसे क़बीला मुज़र का रजब कहा जाता है जो जमादिल आख़िर और शाबान के बीच है।" (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब मा जाअ फ़ी सब्इ अरज़ीन : 3197; सहीह मुस्लिम : 1679) इससे यह भी मालूम हुआ कि इन महीनों की हुर्मत ता क़यामत है जैसे कि सल्फ़ की एक जमाअत का मज़हब है। आयत की तफ़्सीर में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह से यह मरवी है कि इन महीनों में लड़ाई करना हलाल न कर लिया करो लेकिन जुम्हूर का मज़हब यह है कि यह हुक्म मंसूख़ हो गया और हुर्मत वाले महीनों में भी दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद की इब्तिदा करना जाइज़ है। इनकी दलील अल्लाह का यह फ़र्मान (فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ) (9/तौबा : 5) यानी "जब हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएँ तो मुश्रिकीन को क़त्ल करो जहाँ पाओ" और मुराद यहाँ उन चार महीनों का गुज़र जाना है जब वह चार महीने गुज़र चुके जो उस वक़्त थे तो अब उनके बाद बराबर जिहाद जारी है और क़ुरआन ने फिर कोई महीना ख़ास नहीं किया बल्कि इमाम जाफ़र (रह.) तो इस पर इज्माअ नक़्ल करते हैं कि अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन से जिहाद करना हर वक़्त और हर महीने में जारी ही रखा है, आप फ़र्माते हैं कि इसी तरह उस पर भी इज्माअ है कि अगर कोई काफ़िर हरम के तमाम दरख़्तों की छाल अपने ऊपर लपेट ले तो उसके लिए अमनो अमान न समझी जाएगी। अगर मुसलमानों ने अज़्ख़ुद (ख़ुद से) इससे पहले उसे अमन न दिया हो। इस मसला की पूरी बह्स यहाँ नहीं हो सकती। फिर फ़र्माया कि "हद्य" और क़लाइद" की बेहुर्मती भी मत करो, यानी बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ क़ुर्बानियाँ भेजने से बाज़ न रहो क्योंकि उसमें अल्लाह तआला के निशानियों की ताज़ीम है और क़ुर्बानी के लिए जो ऊँट बैतुल हराम की तरफ़ भेजो उनके गले में बतौर निशान पट्टा डालने से भी न रुको ताकि उस निशान से हर कोई पहचान ले। यह फ़ी सबीलिल्लाह हो चुका है। अब उसे कोई बुराई से हाथ न लगाए बल्कि उसे देखकर दूसरों को भी शौक़ पैदा होगा कि हम भी इस तरह अल्लाह तआला के नाम जानवर भेजें और इस सूरत में तुम्हें भी उसकी नेकी पर अज्र मिलेगा क्योंकि जो शख़्स हिदायत की तरफ़ दूसरों को बुलाए उसे भी वह अज्र मिलेगा जो उसकी बात मानकर उस पर अमल करने वालों को मिलता है, हाँ! अल्लाह तआला उनके अज्र को कम करके उसे नहीं देगा बल्कि उसे अपने पास से अता करेगा। आँहज़रत (ﷺ) जब हज्ज के लिए निकले तो आप (ﷺ) ने वादी अक़ीक़ यानी ज़ुल हुलैफ़ा में रात गुज़ारी, सुबह अपनी नौ बीवियों के पास गए फिर ग़ुस्ल करके ख़ुश्बू मली, और दो रकअत नमाज़ अदा की और अपनी क़ुर्बानी के जानवर के कोहान पर निशान किया और गले में पट्टा डाला और हज्ज और उमरे का एहराम बाँधा, क़ुर्बानी के लिए आप (ﷺ) ने

बहुत ख़ुश रंग मज़बूत और नौजवान ऊँट साठ से ऊपर अपने साथ लिए थे जैसे कि कुरआन का फ़र्मान है, "जो शख़्स अल्लाह तआला के अह़काम की ताज़ीम करे उसका दिल तक़्वा वाला है।" कुछ सलफ़ का फ़र्मान है कि ताज़ीम यह भी है कि कुर्बानी के जानवरों को अच्छी तरह रखा जाए और उन्हें ख़ूब खिलाया पिलाया जाए और मज़बूत और मोटा किया जाए। ह़ज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हमें रसूल (ﷺ) ने हुक्म दिया, हम कुर्बानी के जानवरों की आँखें और कान देखभाल कर ख़रीदें। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब मा यक्रहू मिनज़्ज़हाया : 2804; वसनदुहू ज़ईफ़; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाअ़ की सराह़त नहीं है। तिर्मिज़ी : 1498; नसाई : 4377; इब्ने माजा : 3142; अह़मद : 1/125; ह़ाकिम : 4/224; इब्ने ह़िब्बान : 5920; बैहक़ी : 9/275) (रवाहु अहले सुनन) मुक़ातिल बिन ह़य्यान (रह़.) फ़र्माते हैं कि जाहिलियत के ज़माने में जब यह लोग अपने वतन से निकलते थे और हुर्मत वाले महीने नहीं होते थे तो यह अपने ऊपर बालों और ऊन को लपेट लेते थे और ह़रम में रहने वाले मुश्रिक लोग ह़रम के दरख़्तों की छालें अपने जिस्म पर बाँध लेते थे। इससे आ़म लोग उन्हें अमन देते थे और उनको मारते पीटते न थे। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बरिवायत ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) मरवी है कि इस सूरह की दो आयतें मंसूख़ हैं। आयत (अल्क़लाइद) और यह आयत (فَإِنْ جَآءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (5/माइदा : 42) लेकिन ह़ज़रत ह़सन (रह़.) से जब सवाल होता है कि क्या इस सूरह में से कोई आयत मंसूख़ हुई है? तो आप फ़र्माते हैं, नहीं! ह़ज़रत अ़ता (रह़.) फ़र्माते हैं कि वह लोग ह़रम के दरख़्तों की छालें लटका लिया करते थे और उससे उन्हें अमन मिलता था पस अल्लाह तआला ने ह़रम के दरख़्तों को काटना मना फ़र्मा दिया। फिर फ़र्माता है कि "जो लोग बैतुल्लाह के इरादे से निकले हों उनसे लड़ाई मत करो" यहाँ जो आए वह अमन में पहुँच गया, पस जो उसके क़सद से चला है उसकी निय्यत अल्लाह तआला के फ़ज़्ल की तलाश और उसकी रज़ामंदी की जुस्तजू है तो अब उसे डर ख़ौफ़ में न रखो, उसकी इ़ज़्ज़त और अदब करो और उसे बैतुल्लाह से न रोको। कुछ का क़ौल है कि अल्लाह तआला का फ़ज़्ल तलाश करने से मुराद है, व्यापार और तिजारत, जैसे इस आयत में है (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ) (2/बक़रह : 198) यानी ज़माना ह़ज्ज में तिजारत करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं, 'रिज़्वान' से मुराद ह़ज्ज करने में अल्लाह तआला की मर्ज़ी तलाश करना है। इब्ने जरीर (रह़.) वग़ैरह फ़र्माते हैं कि यह आयत ह़तम बिन हिंद बकरी के बारे में नाज़िल हुई है उस शख़्स ने मदीना की चरागाह पर धावा बोला था। फिर अगले साल यह उ़मरे के इरादे से आ रहा था तो कुछ सह़ाबा (रज़ि.) का इरादा हुआ कि इसे रास्ते में रोकें, उस पर यह फ़र्मान नाज़िल हुआ। (तब्री : 9/472) इमाम इब्ने जरीर (रह़.) ने इस मसला पर इज्माअ़ नक़्ल किया है कि जो मुश्रिक मुसलमानों की अमान लिए हुए न हो तो गो वह बैतुल्लाह शरीफ़ के इरादे से जा रहा हो या बैतुल मक़्दिस के इरादे से, उसे क़त्ल करना जाइज़ है। यह हुक्म उनके ह़क़ में मंसूख़ है, वल्लाहु आ़लम! हाँ जो शख़्स वहाँ इल्ह़ाद फैलाने के लिए जा रहा हो और शिर्क व कुफ़्र के इरादे से क़सद करता हो वह तो रोका जाएगा। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं पहले मोमिन व मुश्रिक सब ह़ज्ज किया करते थे और अल्लाह तआला की मुमानिअ़त थी कि किसी मोमिन या काफ़िर को न रोको, लेकिन उसके बाद यह आयत उतरी कि मुश्रिक मस्जिदे-ह़राम में दाख़िल न हों (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا) (9/तौबा : 28) यानी "मुश्रिकीन सरासर

पलीद हैं वह इस साल के बाद मस्जिदे-हराम के पास भी न आएँ'' और फ़र्मान है (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ) (9/तौबा : 17) यानी ''मुश्रिकीन अल्लाह तआला की मस्जिदों को आबाद रखने के हर्गिज़ अहल नहीं'' और फ़र्मान है (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) (9/तौबा : 18) यानी ''अल्लाह तआला की मस्जिदों को तो सिर्फ़ वही आबाद रख सकते हैं जो अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों।'' पस मुश्रिकीन मस्जिदों से रोक दिए गए। हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं आयत (वलल क़लाइद वला आम्मीनल बैतल हराम) मंसूख़ है। जाहिलियत के ज़माने में जब कोई शख़्स अपने घर से हज्ज के इरादा से निकलता तो वह दरख़्त की छाल वग़ैरह बाँध लेता तो रास्ते में उसे कोई न सताता फिर लौटते वक़्त बालों का हार डाल लेता और महफ़ूज़ रहता, उस वक़्त तक मुश्रिकीन बैतुल्लाह से रोके न जाते थे, तो मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वह हुर्मत वाले महीनों में न लड़ें और न बैतुल्लाह के पास लड़ें, फिर इस हुक्म को इस आयत ने मंसूख़ कर दिया कि ''मुश्रिकीन से लड़ो जहाँ कहीं उन्हें पाओ।'' इब्ने जरीर (रह.) का क़ौल है कि क़लाइद से मुराद यही है जो हार वह हरम से गले में डाल लेते थे और उसकी वजह से अमन में रहते थे अ़रब में उसकी ताज़ीम बराबर चली आ रही थी और जो उसका ख़िलाफ़ करता था उसे बहुत बुरा कहा जाता था और शायर उसकी हिजू करते थे। फिर फ़र्माता है ''जब तुम एहराम खोल डालो तो शिकार कर सकते हो।'' एहराम में शिकार की मुमानिअ़त थी, अब एहराम के बाद फिर उसकी एबाहत (जवाज़) हो गई। जो हुक्म मुमानिअ़त के बाद हो उस हुक्म से वही साबित होता है जो मुमानिअ़त से पहले अस़ल में था यानी अगर वजूब अस़ली था तो मुमानिअ़त के बाद का अम्र भी वजूब के लिए होगा और इसी तरह मुस्तहब व मुबाह, गो कुछ ने कहा है कि ऐसा अम्र वजूब के लिए ही होता है। लेकिन दोनों जमाअ़तों के ख़िलाफ़ क़ुरआन की आयतें मौजूद हैं, पस सहीह मज़हब जिससे तमाम दलीलें मिल जाएँ वही है जो हमने ज़िक्र किया, उ़लमा-ए-उस़ूल ने भी इसे ही इख़्तियार किया है, वल्लाहु आ़लम!

फिर फ़र्माता है ''जिस क़ौम ने तुम्हें हुदेबिया वाले साल मस्जिदे हराम से रोका था तो तुम उनसे दुश्मनी बाँधकर क़िसास़ पर आमादा होकर अल्लाह तआला के हुक्म से आगे बढ़कर ज़ुल्मो-ज़्यादती पर न उतर आना'' बल्कि तुम्हें किसी वक़्त भी अ़द्ल को हाथ से न छोड़ना चाहिए। इस तरह की वह आयत भी है जिसमें फ़र्माया है ''तुम्हें किसी क़ौम की अ़दावत ख़िलाफ़े अ़द्ल करने पर आमादा न कर दे, अ़द्ल किया करो, अ़द्ल ही तक़्वा से ज़्यादा क़रीब है।'' कुछ सलफ़ का क़ौल है कि भले कोई तुझसे तेरे बारे में अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी करे लेकिन तुझे चाहिए कि तू उसके बारे में अल्लाह तआला की फ़र्मांबरदारी ही करे। अ़द्ल ही की वजह से आसमान व ज़मीन क़ायम है। हुज़ूर (ﷺ) और आपके अस्हाब (रज़ि.) को जबकि मुश्रिकीन ने बैतुल्लाह की ज़ियारत से रोका और हुदेबिया से आगे बढ़ने ही न दिया, उसी रंजो ग़म में सहाबा वापिस आ रहे थे जो मश्रिक़ी (पुरब में रहने वाले) मुश्रिक मक्का जाते हुए उन्हें मिले तो उनका इरादा हुआ कि जैसे उनके गिरोह ने हमें रोका है हम भी उन्हें उन तक न जाने दें, उस पर यह आयत उतरी। (तब्री : 9/478; यह रिवायत मुर्सल है।) 'शनआनु' के मानी बुग़्ज़ के हैं। कुछ अ़रब इसे शनान भी कहते हैं लेकिन किसी क़ारी की यह क़िराअत मरवी नहीं, हाँ! अ़रबी शेअ़रों में शनान भी आया है। फिर अल्लाह तआला अपने ईमान वाले बन्दों को नेकी के कामों पर एक दूसरे की ताईद करने को फ़र्माता है। 'बिर' कहते हैं नेकियों के करने और तक़्वा

कहते हैं बुराईयों के छोड़ने को और उन्हें मना फ़र्माता है गुनाहों और ह़राम कामों पर किसी की मदद करने से। इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं कि जिस काम के करने को अल्लाह तआला का हुक्म हो और इंसान उसे न करे यह इस्म (गुनाह) है और दीन में जो ह़दें अल्लाह तआला ने मुक़र्रर कर दी हैं और जो फ़राइज़ अपनी ज़ात या दूसरों के बारे में जनाब बारी तआला ने मुक़र्रर फ़र्माए हैं उनसे आगे निकल जाना (उ़दवान) है। (त़ब्री : 9/478; यह रिवायत मुर्सल है।)

मुस्नद अह़मद की ह़दीस में है कि "अपने भाई की मदद कर ख़्वाह वह ज़ालिम हो या मज़्लूम" तो हुज़ूर (ﷺ) से सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मज़्लूम होने की सूरत में मदद करें तो ठीक है लेकिन ज़ालिम होने की सूरत में कैसे मदद करें? फ़र्माया, "उसे ज़ुल्म न करने दो, ज़ुल्म से रोक लो, यही उसकी मदद है।" (अह़मद : 3/99) यह ह़दीस स़ह़ीह़ बुख़ारी व मुस्लिम में भी है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल इक्राह, बाब यमीनुर्रजुल लि स़ाह़िबिही अन्नहू अख़ूहु इज़ा ख़ाफ़ अ़लैहिल क़त्ल औ नह़्वुहू : 6952; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2584; अ़न जाबिर (रज़ि.); तिर्मिज़ी : 2255; मुस्नद अह़मद : 3/201; मुस्नद अबी यअ़ला : 3838; इब्ने ह़िब्बान : 5167) मुस्नद अह़मद में है "जो मुसलमान लोगों से मिले जुले और उनकी ईज़ाओं (तकलीफ़ों) पर स़ब्र करे वह उस मुसलमान से ज़्यादा अज्र वाला है जो न लोगों से मिले जुले, न उनकी ईज़ाओं (तकलीफ़ों) पर स़ब्र करे।" (मुस्नद अह़मद : 5/365; तिर्मिज़ी, किताब स़िफ़तुल क़यामा, बाब फ़ी फ़ज़्लिल मुख़ालत़ा मअ़स्स़ब्रि अ़ला अन्नास : 2507; वहुव स़ह़ीहुन; इब्ने माजा : 4032; अल्अदबुल मुफ़रद : 388; बैहक़ी : 10/89; मुस्नद त़यालिसी : 1876; शुअ़बुल ईमान : 8102; शरहुस्सुन्ना : 3585; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इब्ने माजा की रिवायत को ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्स़ह़ीह़ा : 939) मुस्नद बज़्ज़ार में है (अद्दाल्लु अ़लल ख़ैरि कफ़ाइलिही) (मुस्नद बज़्ज़ार : 154; तिर्मिज़ी, किताबुल इल्म, बाब मा जाअ अन अ़लल ख़ैरि कफ़ाइलिही : 2670; वहुव स़ह़ीह़; अबूदाऊद : 5129; बि तस़र्रुफ़िन यसीर, मुश्किलुल आसार : 1/484; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को बिश्शवाहिद स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस् स़ह़ीह़ा : 1660) यानी "जो शख़्स़ किसी भली बात की दूसरे को हिदायत करे वह उस भलाई के करने वाले ही की त़रह़ है।" इमाम अबूबक्र बज़्ज़ार (रह़.) इसे बयान फ़र्माकर फ़र्माते हैं कि यह ह़दीस सिर्फ़ इसी एक सनद से मरवी है लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी शाहिद यह स़ह़ीह़ ह़दीस है कि "जो शख़्स़ हिदायत की त़रफ़ लोगों को बुलाए उसे उन तमाम के बराबर सवाब मिलेगा जो क़यामत तक आएँ और उसकी ताबेदारी करें लेकिन उनके सवाब में घटाकर नहीं, और जो शख़्स़ किसी बुराई की त़रफ़ बुलाए तो क़यामत तक जितने लोग उस बुराई को करेंगे उन सबको जो गुनाह होगा वह सारा उस अकेले को होगा लेकिन उनके गुनाहों को घटाकर नहीं।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इल्म, बाब मन सन्न सुन्नतन ह़सनतन अव सय्यिअतन वमन दआ़ इला हुदन अव ज़लालतिन : 2674; अबूदाऊद : 4609; इब्ने माजा : 206) त़बरानी में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जो शख़्स़ किसी ज़ालिम के साथ जाए ताकि उसकी एआनत व इम्दाद करे और वह जानता हो कि यह ज़ालिम है वह यक़ीनन इस्लाम से ख़ारिज़ हो जाता है।" (त़ब्री : 1/227; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को ज़ईफ़ुन जिद्दा कहा है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 758) और यही राजेह़ है।)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ
غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣﴾

तर्जुमा : ''तुम पर मुरदार हराम किया गया और खून और सूअर का गोश्त और जो अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर मशहूर किया गया हो और जो गला घुटने से मरा हो और जो किसी ज़र्ब (चोट) से मर गया हो और जो ऊँचाई से गिरकर मरा हो, किसी टक्कर से मरा हो और जिसे दरिन्दों ने फाड़ खाया हो लेकिन उसे तुम ज़िब्ह कर डालो तो हराम नहीं और जो परसतिशगाहों (पूजाघरों) पर चढ़ाया गया हो तुम पर हराम किया जाता है, क़ुरआ के तीरों के ज़रिया तक़्सीम करना। यह सब बदतरीन गुनाह हैं, आज कुफ़्फ़ार तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए, ख़बरदार! तुम उनसे न डरना और मुझसे डरते रहा करना, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इन्आम पुरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामन्द हो गया। पस जो शख़्स शिद्दत की भूख में बेक़रार हो जाए बशर्ते कि किसी गुनाह की तरफ़ उसका मैलान न हो तो यक़ीनन अल्लाह तआला मुआफ़ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है।'' (3)

वह चीज़ें जिनका खाना हराम है (आयत 3) : इन आयतों में अल्लाह तआला उनका बयान फ़रमा रहा है जिनका खाना उसने हराम किया है। यह ख़बर उन चीज़ों के न खाने के हुक्म में शामिल है। 'मयततुन' वह है जो अज़्ख़ुद (खुद से) अपने आप मर जाए न तो उसे ज़िब्ह किया जाए, न शिकार किया जाए, उसका खाना इसलिए हराम किया गया कि उसका वह ख़ून जो मुज़िर (नुकसानदेह) है उसमें रह जाता है जबकि ज़िब्ह करने से बह जाता है और यह ख़ून दीन और बदन को मुज़िर है, हाँ यह याद रहे कि हर मुरदार हराम है मगर मछली नहीं, क्योंकि मोअत्ता इमाम मालिक, मुस्नद शाफ़ेई, मुस्नद अहमद, अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, और सहीह इब्ने हिब्बान में हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

से समुन्दर के पानी का मसला पूछा गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उसका पानी पाक है और उसका मुरदार ह़लाल है।" (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब अल्वुज़ू बि माइल बह़र : 83; वसनदुहू स़ह़ीहुन; तिर्मिज़ी : 69; नसाई : 333; इब्ने माजा : 386; मोअत्ता इमाम मालिक : 1/44; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को स़ह़ीह़ कहा है। देखिए (स़ह़ीह़ अबूदाऊद : 76) इसी त़रह़ टिड्डी भी भले ख़ुद ही मर गई हो, ह़लाल है, इसकी दलील की ह़दीस आ रही है। 'दम' से मुराद दमे मस्फ़ूह़ यानी वह ख़ून है जो बवक़्ते ज़िब्ह़ बहता है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सवाल होता है कि क्या तिल्ली खा सकते हैं? आपने फ़र्माया, हाँ! लोगों ने कहा, वह तो ख़ून है। आपने फ़र्माया, हाँ! सिर्फ़ वह ख़ून ह़राम है जो बवक़्ते ज़िब्ह़ बहा हो। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) भी यही फ़र्माती हैं कि सिर्फ़ बहा हुआ ख़ून ह़राम है, इमाम शाफ़ेई (रह़.) ह़दीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "हमारे लिए दो क़िस्म के मुर्दे औ दो ख़ून ह़लाल किए गए हैं, मछली और टिड्डी,कलेजी और तिल्ली।" (मुस्नद अह़मद : 2/97; इब्ने माजा , किताबुल अत़्इमा, बाबुल कबद वत़्तिह़ाल : 3314; वसनदुहू ज़ईफ़; अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ रावी है। बैहक़ी : 1/254; शरहुस्सुन्ना : 3/185; यह रिवायत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से मौक़ूफ़न जो मरफ़ूअ़ के हुक्म में है, स़ह़ीह़ है। देखिए (सिलसिलतुस्स़ह़ीह़ा : 1118) यह ह़दीस मुस्नद अह़मद, इब्ने माजा, दारे क़ुत़्नी और बैहक़ी में बरिवायत अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद बिन असलम मरवी है और यह ज़ईफ़ हैं, ह़ाफ़िज़ बैहक़ी (रह़.) फ़र्माते हैं कि अ़ब्दुर्रह़मान के साथ ही इसे इस्माईल बिन इदरीस और अ़ब्दुल्लाह भी रिवायत करते हैं, मैं कहता हूँ यह दोनों ज़ईफ़ हैं, हाँ! यह ज़रूर है कि इनके ज़ुअ़फ़ में कमी बेशी है। सुलेमान बिन बिलाल (रह़.) ने भी इस ह़दीस को रिवायत किया है और वह हैं भी सिक़ा, लेकिन इस रिवायत को कुछ रावियों ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ रखा है। ह़ाफ़िज़ अबू ज़रआ राज़ी फ़र्माते हैं, ज़्यादा स़ह़ीह़ इसका मौक़ूफ़ होना ही है। इब्ने अबी ह़ातिम में ह़ज़रत सुद्दी बिन अ़ज्लान (रज़ि.) से मरवी है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी क़ौम की त़रफ़ भेजा कि मैं उन्हें अल्लाह और रसूल (ﷺ) की त़रफ़ बुलाऊँ और अह़कामे इस्लाम उनके सामने पेश करूँ, मैं वहाँ पहुँचकर अपने काम में मशग़ूल हो गया। इत्तिफ़ाक़न एक दिन वह एक प्याला ख़ून का भरकर मेरे सामने आ बैठे और ह़ल्क़ा बाँधकर खाने के इरादे से बैठे और मुझसे कहने लगे, आओ सुद्दी! तुम भी खा लो। मैंने कहा, तुम ग़ज़ब कर रहे हो, मैं तो उनके पास से आ रहा हूँ जो इसका खाना हम सब पर ह़राम करते हैं। तब तो वह सबके सब मेरी त़रफ़ मुतवज्जह हो गए और कहा, पूरी बात कहो तो मैंने यही आयत (ह़ुर्रिमत अ़लयकुमुल मयततु वद् दमु....) पढ़कर सुना दी। (त़बरानी :8074; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 9/389; सनद में बशीर बिन शुरैह़ रावी ज़ईफ़ है।) यह रिवायत इब्ने मर्दवे में भी है उसमें उसके बाद यह भी है कि मैं वहाँ बहुत दिनों तक रहा और उन्हें पैग़ामे-इस्लाम पहुँचाता रहा लेकिन वह ईमान न लाए एक दिन जबकि मैं सख़्त प्यासा हुआ और पानी बिलकुल न मिला तो मैंने उनसे पानी मांगा और कहा कि प्यास के मारे मेरा बुरा ह़ाल है थोड़ा सा पानी पिला दो लेकिन किसी ने मुझे पानी न दिया बल्कि कहा, हम तो तुझे यूँ ही प्यासा ही तड़पा-तड़पाकर मार डालेंगे, मैं ग़मनाक होकर धूप में तपते हुए अंगारों जैसे संगरेज़ों पर अपना खुरदुरा कम्बल चेहरे पर डालकर उसी सख़्त गर्मी में मैदान में आ पड़ा रहा तो इत्तिफ़ाक़न मेरी आँख लग गयी तो ख़्वाब में देखता हूँ कि एक शख़्स़ बेहतरीन जाम लिए हुए और उसमें बेहतरीन और ख़ुश ज़ायक़ा मज़ेदार पीने की चीज़ लिए हुए मेरे पास आया और जाम

मेरे हाथ में दे दिया, मैंने ख़ूब पेट भरकर उसमें से पिया वहीं आँख खुल गई तो अल्लाह की क़सम! मुझे मुत्लक़ प्यास न थी बल्कि उसके बाद से लेकर आज तक मुझे कभी प्यास की तक्लीफ़ नहीं हुई, बल्कि यह यूँ कहना चाहिए, प्यास नहीं लगी, यह लोग मेरे जागने के बाद आपस में कहने लगे कि आख़िर तो यह तुम्हारी क़ौम का सरदार है तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, इतनी बेरुख़ी भी ठीक नहीं कि एक घूँट पानी भी हम इसे न दें, चुनाँचे अब यह लोग मेरे पास कुछ लेकर आए, मैंने कहा, अब तो मुझे कोई ह़ाजत नहीं, मेरे रब तआ़ला ने खिला पिला दिया है। यह कहकर मैंने उन्हें अपना भरा हुआ पेट दिखा दिया। उस करामत को देखकर वह सबके सब मुसलमान हो गए। (ह़ाकिम : 3/641, 642; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; त़बरानी : 8099)

आशा ने अपने क़सीदे में क्या ही ख़ूब कहा है कि मुरदार के क़रीब न हो और किसी जानवर की रग काटकर ख़ून निकालकर न पी और परसतिशगाहों पर चढ़ा हुआ न खा और अल्लाह तआ़ला के सिवा दूसरे की इबादत न कर, सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की इबादत किया कर (लह़मुल ख़िंज़ीर) ह़राम है ख़्वाह वह जंगली हो या पालतू हो। लफ़्ज़ (लह़्म) शामिल है उसके तमाम ह़िस्से को जिसमें चर्बी भी दाख़िल है पस ज़ाहिरया की त़रह़ तकल्लुफ़ात करने की कोई ह़ाजत नहीं कि वह दूसरी आयत में से (फ़इन्नहू रिज्सुन) लेकर ज़मीर का मरजअ़ सूअर को बतलाते हैं ताकि उसके तमाम ह़िस्से ह़ुर्मत में आ जाएँ, दरह़क़ीक़त यह लुग़त से दूर है मुज़ाफ़ इलैहि की त़रफ़ ऐसे मौक़ों पर ज़मीर फिरती ही नहीं, सिर्फ़ मुज़ाफ़ ही ज़मीर का मरजअ़ होता है साफ़ ज़ाहिर बात यही है कि लफ़्ज़ लह़्म शामिल है तमाम ह़िस्से को लुग़ते अ़रब का मफ़्हूम और आ़म उ़र्फ़ यही है। सह़ीह़ मुस्लिम की ह़दीस में है "शत़रंज खेलने वाला अपने हाथों को सूअर के गोश्त व ख़ून में रंगने वाला है।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुश्शिअ़र, बाब तह़रीमुल लइब बिन्नर्दि शेर : 2260; अल्अदबुल मुफ़रद : 1271; अबूदाऊद : 4939; इब्ने माजा : 3763; अह़मद : 5/352; इब्ने ह़िब्बान : 5873) ख़्याल कीजिए कि सिर्फ़ छूना भी शरअ़न किस क़द्र नफ़रत के क़ाबिल है फिर खाने के बेह़द बुरा होने में कोई शक रहा? और इसमें दलालत है कि लफ़्ज़ लह़्म शामिल है तमाम ह़िस्सों को ख़्वाह वह चर्बी हो ख़्वाह और बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "अल्लाह तआ़ला ने शराब और मुरदार और सूअर और बुतों की तिजारत की मुमानिअ़त कर दी है' तो पूछा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुरदार की चर्बी के बारे में क्या इर्शाद होता है? वह कश्तियों पर चढ़ाई जाती है, खालों पर लगाई जाती है और चिराग़ जलाने के काम भी आती है। आपने फ़र्माया, नहीं! नहीं! वह ह़राम है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ़, बाब बैअ़ल मयततु वल अस्नाम : 2236; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1581; अबूदाऊद : 3486; तिर्मिज़ी : 1297; इब्ने माजा : 2167; बैहक़ी : 6/12; अह़मद : 3/324; मुस्नद अबी यअ़ला : 1873; इब्ने ह़िब्बान : 4937) सह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में है कि अबू सुफ़ियान ने हिरक़्ल से कहा वह नबी (ﷺ) हमें मुरदार से और ख़ून से रोकता है।" (स़ह़ीह़ इब्ने अ़वाना : 4/192) वह जानवर भी ह़राम है जिसको ज़िब्ह़ करने के वक़्त अल्लाह तआ़ला के सिवा दूसरे का नाम लिया जाए। अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़्लूक़ पर उसे फ़र्ज़ कर दिया है कि वह उसका नाम लेकर जानवर को ज़िब्ह़ करें पस अगर कोई उससे हट जाए और उसके पाक नाम के बदले किसी बुत वग़ैरह का नाम ले ख़्वाह वह मख़्लूक़ में से कोई भी हो तो यक़ीनन वह जानवर बिल इज्माअ़ ह़राम हो जाएगा। हाँ! जिस

जानवर के ज़बीहा के वक़्त बिस्मिल्लाह कहना रह जाए ख़्वाह वह जान-बूझकर ख़्वाह भूल से वह हराम है या हलाल? इसमें उलमा का इख़्तिलाफ़ है जिसका बयान सूरह अन्आम में आएगा। हज़रत अबू तुफ़ैल (रह.) फ़र्माते हैं कि हज़रत आदम (عليه السلام) के वक़्त से लेकर आज तक यह चारों चीज़ें हराम रहीं किसी वक़्त इनमें से कोई हलाल नहीं हुई, मुरदार, ख़ून, सूअर का गोश्त और अल्लाह तआला के सिवा दूसरे के नाम की चीज़। अल्बत्ता बनी इस्राईल के पापियों के पाप की वजह से कुछ ग़ैर हराम चीज़ें भी उन पर हराम कर दी गई थीं। फिर हज़रत ईसा (عليه السلام) के ज़रिये दोबारा हलाल कर दी गईं लेकिन बनी इस्राईल ने आप (अ.) को सच्चा न जाना और आपकी मुख़ालिफ़त की। (इब्ने अबी हातिम) यह असर ग़रीब है। हज़रत अली (रज़ि.) जब कूफ़ा के हाकिम थे उस वक़्त इब्ने नाइल नामी क़बीला बनू रिबाह का एक शख़्स जो शायर था, फ़रज़्दक़ के दादा ग़ालिब से मुक़ाबिल हुआ और तै पाया कि दोनों आमने सामने एक एक सौ ऊँटों की कूचें काटेंगे, चुनाँचे कूफ़ा की पुश्त पर पानी की जगह यह आए और जब वहाँ उनके ऊँट आए तो यह अपनी तलवारें लेकर खड़े हो गए और ऊँटों की कूचें काटनी शुरू कर दीं और दिखलावे सुनावे और फ़ख़्र रियाकारी के लिए दोनों उसमें मशग़ूल हो गये। कूफ़ियों को जब यह मालूम हुआ तो वह अपने गधों और ख़च्चरों पर सवार होकर गोश्त लेने के लिए आने लगे, इतने में हज़रत अली (रज़ि.) रसूले करीम (ﷺ) के सफ़ेद ख़च्चर पर सवार होकर यह मुनादी करते हुए वहाँ पहुँचे कि, "लोगों! यह गोश्त न खाना यह जानवर (मा उहिल्ल बिही लि ग़ैरिल्लाह) में दाख़िल हैं। (इब्ने अबी हातिम) यह असर भी ग़रीब है, हाँ! इसकी सेहत की शाहिद वह हदीस है जो अबूदाऊद में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आराबियों की तरह मुक़ाबला मे कूचें काटने से मुमानिअत कर दी। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब मा जाअ फ़ी अकलि मुआक़िरतिल आराब : 2820; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू रैहाना का आख़िरी उम्र में हाफ़्ज़ा ख़राब हो गया था। बैहक़ी : 9/313; यह रिवायत मौक़ूफ़ है लेकिन मरफ़ूअ के हुक्म में है और इसका शाहिद मरफ़ूअ रिवायत अबूदाऊद : 3222; वसनदुहू सहीहुन और बैहक़ी : 9/313 में है।) फिर अबूदाऊद (रह.) ने फ़र्माया है कि मुहम्मद बिन जाफ़र ने इसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) पर मौक़ूफ़ किया है। अबूदाऊद ही की और हदीस में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उन दोनों शख़्सों का खाना खाना मना कर दिया जो आपस में एक दूसरे पर सब्क़त ले जाना, एक दूसरे का मुक़ाबला करना और रियाकारी करना चाहते हों। (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ी तआमिल मुत्बारिय्यीन : 3754; वहुव सहीहुन) (मुन्ख़निक़त) जिसका गला घुट जाए ख़्वाह किसी ने अमदन (जानबूझ कर) गला घोंटकर गला मरोड़कर मार डाला हो ख़्वाह अज़्ख़ुद उसका गला घुट गया हो, मस्लन अपने खूँटे में बँधा हुआ है और भागने लगा, फंदा गले में आ पड़ा और खिच खिचाव करता हुआ मर गया। पस यह हराम है (मौक़ूज़तुन) जिस जानवर को किसी ने ज़र्ब लगाई लकड़ी वग़ैरह ऐसी चीज़ से जो धारदार नहीं और उसी से वह मर गया तो वह भी हराम है। जाहिलियत में यह भी दस्तूर था कि जानवर लठ से मार डालते, फिर खाते, क़ुरआन ने ऐसे जानवर को हराम बतलाया। सहीह सनद से मरवी है कि हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं मिअराज़ (शिकार का आला) से शिकार खेलता हूँ तो क्या हुक्म है? फ़र्माया, "जब तू उसे फेंके और वह जानवर को ज़ख़्म लगाए तो खा सकता है और अगर वह चौड़ाई की तरफ़ से लगे तो वह जानवर लठ मारे हुए के हुक्म में है उसे न खा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह, बाब सैदुल मेअराज़ :

5476; सहीह मुस्लिम : 1929; अबूदाऊद : 2854; तिर्मिज़ी : 1467; नसाई : 4191; इब्ने माजा : 3208; अहमद : 4/256; इब्ने हिब्बान : 5881; बैहक़ी : 9/236) पस आप (ﷺ) ने उसमें जिसे धार और नोक से शिकार किया हो और उसमें जिसे चौड़ाई की जानिब से लगा हो फ़र्क़ किया, अव्वल को हलाल और दूसरे को हराम कहा। फ़ुक़्हा के नज़दीक यह भी मसला इत्तिफ़ाक़ी है, हाँ! इख़्तिलाफ़ इसमें है कि जब किसी ज़ख़्म करने वाली चीज़ ने शिकार को सदमा तो पहुँचाया लेकिन वह मरा है उसके बोझ और चौड़ाई की तरफ़ से तो आया यह जानवर हलाल है या हराम? इमाम शाफ़ेई (रह.) के इसमें दोनों क़ौल हैं, एक तो हराम होना ऊपर वाली हदीस को सामने रखकर, दूसरे हलाल होना कुत्ते के शिकार की हिल्लत को मद्देनज़र रखकर। इस मसला की पूरी तफ़्सील मुलाहिज़ा हो :

नोट : (फ़स्ल) उलमा-ए-किराम (रह.) का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि जब किसी शख़्स ने अपना कुत्ता शिकार पर छोड़ा और कुत्ते ने उसे अपनी मार से और बोझ से मार डाला और ज़ख़्मी नहीं किया या उसे इस क़द्र सदमा पहुँचाया कि वह मर गया और ज़ख़्मी नहीं हुआ तो क्या वह हलाल है या नहीं? इसमें दो क़ौल हैं एक यह कि यह हलाल है क्योंकि कुरआन के अल्फ़ाज़ आम हैं (5/माइदा : 4) यानी "वह जिन जानवरों को रोक लें तुम उन्हें खा सकते हो" इसी तरह हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) वग़ैरह की सहीह हदीसें भी आम ही हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) के साथियों ने इमाम साहब का यह क़ौल नक़्ल किया है और मुताख़िरीन ने इसकी सेहत की है जैसे नववी और राफ़ई (रह.), मैं कहता हूँ कि भले यूँ कहा जाता है लेकिन इमाम साहब (रह.) के कलाम से साफ़ तौर पर यह मालूम नहीं होता, मुलाहिज़ा हो 'उम्म' और 'मुख़्तसर'। इन दोनों में जो कलाम है वह दोनों मानी का एहतिमाल रखता है। पस दोनों फ़रीक़ ने इसकी तौजीह करके दोनों जानिब अलल इत्लाक़ एक क़ौल कह दिया, हम तो बसद मुश्किल सिर्फ़ यही कह सकते हैं कि इस बहस में हलाल होने के क़ौल की हिकायत कुछ क़द्रे क़लील ज़ख़्म का होना भी है गो इन दोनों में से किसी की तस्रीह नहीं और न किसी की मज़बूती। इब्नुस् सिबाग़ ने इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से हलाल होने का नक़्ल किया है और दूसरा कोई क़ौल उनसे नक़्ल नहीं किया और इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने अपनी तफ़्सीर में इस क़ौल को हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से नक़्ल किया है, लेकिन यह बहुत ग़रीब है और दरअसल उन बुज़ुर्गों से सराहत के साथ यह क़ौल पाए नहीं जाते, यह सिर्फ़ अपना तसर्रुफ़ है, वल्लाहु आलम! दूसरा क़ौल यह है कि वह हलाल नहीं। हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) के दो क़ौलों में से एक क़ौल यह है, मुज़्नी (रह.) ने इसी को पसंद किया है और इब्ने सिबाग़ के क़ौल से भी इसकी तर्जीह ज़ाहिर होती है, वल्लाहु आलम! और इसी को रिवायत किया है अबू यूसुफ़ और मुहम्मद ने अबू हनीफ़ा (रह.) से और यही मशहूर है इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से और यही क़ौल ठीक होने से ज़्यादा मुशाबिहत रखता है, वल्लाहु आलम! इसलिए कि उसूली क़वाइद और अहकामे शरई के मुताबिक़ यही है। इब्नुस्सिबाग़ ने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) की हदीस से दलील पकड़ी है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम कल दुश्मनों से भिड़ने वाले हैं और हमारे साथ छुरियाँ नहीं तो क्या हम तेज़ बांस से ज़िब्ह कर लिया करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो चीज़ ख़ून बहाए और उसके ऊपर अल्लाह तआला का ज़िक्र किया जाए उसे खा

लिया करो.....।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शिर्कत, बाब मन अद्दल अशरतम् मिनल ग़नमि बि जुज़ूरि फ़िल क़िस्म : 2507; सहीह मुस्लिम : 1968; तिर्मिज़ी : 1491; नसाई : 4328; बि तसर्रुफ़िन यसीरु इब्ने माजा : 3137; बैहक़ी : 9/281; अहमद : 3/463; इब्ने हिब्बान : 5886) यह हदीस भले एक ख़ास मौक़े के लिए है लेकिन हुक्म आम अल्फ़ाज़ का होगा, जैसे कि जुम्हूर उलमा-ए-उसूल व फ़ुरूअ का फ़र्मान है। इसकी दलील वह हदीस है जो कि हुज़ूर (ﷺ) से पूछा गया कि बतअ जो शहद की नबीज़ है उसका क्या हुक्म है? आपने फ़र्माया, ''हर वह पीने की चीज़ जो नशा लाए हराम है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाबुल ख़म्र मिनल असल वहुवल बतअ : 5585; सहीह मुस्लिम : 2001; अबूदाऊद : 3682; तिर्मिज़ी : 1864; नसाई : 8/549; अहमद : 6/190; बैहक़ी : 8/291) पस यहाँ सवाल है शहद की नबीज़ का, लेकिन जवाब के अल्फ़ाज़ आम हैं और मसला भी उनसे आम समझा गया। इसी तरह ऊपर वाली हदीस है कि भले सवाल के ख़ास सूरत से ज़िब्ह करने का तअय्युन है लेकिन जवाब के अल्फ़ाज़ उसे और उसके सिवा की तमाम सूरतों को शामिल हैं। अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) का यह भी एक ख़ास मुअजिज़ा है कि अल्फ़ाज़ थोड़े और मआनी बहुत। उसे ज़हन में रखने के बाद ग़ौर कीजिए कि कुत्ते के सदमे से जो शिकार मर जाए या उसके बोझ और थप्पड़ की वजह से जिस शिकार का दम निकल जाए, ज़ाहिर है कि उसका ख़ून किसी चीज़ से नहीं बहा, पस इस हदीस के मफ़्हूम की बिना पर वह हलाल नहीं हो सकता, हाँ! इस पर यह ऐतिराज़ हो सकता है कि इस हदीस का कुत्ते के शिकार के मसले से दूर का तअल्लुक़ भी नहीं। इसलिए कि साइल ने ज़िब्ह करने के एक आले की निस्बत सवाल किया था उनका सवाल उस चीज़ की निस्बत न था जिससे ज़िब्ह किया जाए इसलिए हुज़ूर (ﷺ) ने उससे दाँत और नाख़ुन को मुस्तस्ना (अलग) कर लिया और फ़र्माया, ''सिवाए दाँत और नाख़ुन के और मैं तुम्हें बताऊँ कि उनके सिवा क्यूँ? दाँत तो हड्डी है और नाख़ुन हब्शियों की छुरी है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह वस्सैद : बाबुत् तस्मियति अलज़्ज़बीहति व मन तरक मुतअम्मिदन : 5498; सहीह मुस्लिम : 1968) और यह क़ायदा है कि मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हू की जिंस पर दलालत करता है वरना मुत्तसिल नहीं माना जा सकता। पस साबित हुआ कि सवाल आल-ए-ज़िब्ह ही का था, तो अब कोई दलालत तुम्हारे क़ौल पर बाक़ी नहीं रही। इसका जवाब यह है कि हुज़ूर (ﷺ) के जवाब के जुम्ले को देखो, आपने ये फ़र्माया है कि जो चीज़ ख़ून बहा दे और उस पर अल्लाह तआला का नाम भी लिया गया हो उसे खा लो, यह नहीं फ़र्माया कि उसके साथ ज़िब्ह कर लो। पस इस जुम्ले से दो हुक्म एक साथ मालूम होते हैं, ज़िब्ह करने के आला का हुक्म भी और ख़ुद ज़बीहा का हुक्म भी, और यह कि उस जानवर का ख़ून किसी आला से बहाना ज़रूरी है जो दाँत और नाख़ुन के सिवा हो, एक मस्लक तो यह है। दूसरा मस्लक जो मुज़्नी (रह.) का है वह यह कि तीर के बारे में साफ़लफ़्ज़ आ चुके कि अगर वह अपनी चौड़ाई की तरफ़ से लगा है और जानवर मर गया है तो न खाओ और अगर उसने अपनी धार और अनी से ज़ख़्म किया है फिर मरा है तो खा लो। और कुत्ते के बारे में अलल इत्लाक़ अहकाम हैं, पस चूँकि मौजिब यानी शिकार दोनों जगह एक ही है तो मुत्लक़ का हुक्म भी मुक़य्यद पर महमूल होगा भले सबब अलग हों जैसे कि ज़िहार के वक़्त की आज़ादगिये गर्दन जो मुत्लक़ है महमूल की जाती है क़त्ल की आज़ादगिये गर्दन पर जो मुक़य्यद है ईमान के साथ, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरत शिकार के उस मसला में है। यह दलील उन लोगों पर यक़ीनन बड़ी

हुज्जत है जो इस क़ायदा की असल को मापते हैं और चूँकि उन लोगों में इस क़ायदा के मुसल्लम होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं तो ज़रूरी है कि या तो वह इसे तस्लीम करें, वरना कोई पुख़्ता जवाब दें। इसके अलावा यह फ़रीक़ यह भी कह सकता है कि चूँकि इस शिकार को कुत्ते ने बवजह अपने सक़्ल (भारीपन) के मार डाला है और यह साबित है कि जब तीर अपनी चौड़ाई से लगकर मार डाले तो वह हराम हो जाता है। पस उस पर क़यास करके कुत्ते का यह शिकार भी हराम हो गया। दोनों में यह बात मुश्तरक है कि दोनों शिकार के आलात हैं और दोनों ने अपने बोझ और ज़ोर से शिकार की जान ली है और आयत का उमूम इसके मुआरिज़ नहीं हो सकता क्योंकि उमूम पर क़यास मुक़द्दम है जैसाकि चारों इमामों और जुम्हूर का मज़हब है यह मस्लक भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात यह कि अल्लाह तआला का फ़र्मान है (फ़कूलू मिम्मा अम्सक्ना अलयकुम) यानी शिकारी कुत्ते जिस जानवर को रोक लें उसका खाना तुम्हारे लिए हलाल है। यह आम है, उसे भी शामिल है जिसे ज़ख़्मी किया हो और उसके सिवा को भी, लेकिन जिस सूरत में इस वक़्त बहस है वह या तो टक्कर लगा हुआ है या उसके हुक्म में या गला घोंटा हुआ है या उसके हुक्म में। बहर सूरत इस आयत की तक़्दीम इन वुजूह पर ज़रूर होगी। पहले तो यह शारेअ (ﷺ) ने इस आयत का हुक्म शिकार की हालत में मुअतबर माना है क्योंकि हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) से अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ने यही फ़र्माया, अगर वह चौड़ाई की तरफ़ से लगा है तो वह लठ मारा हुआ है, उसे न खाओ। जहाँ तक हमारा इल्म है हम जानते हैं कि किसी आलिम ने यह नहीं कहा कि लठ से और मार से मरा हुआ तो शिकार की हालत में मुअतबर हो और सींग और टक्कर लगा हुआ मुअतबर न हो पस जिस सूरत में इस वक़्त बहस हो रही है उस जानवर को हलाल कहना इज्माअ को तोड़ना होगा जिसे कोई भी जाइज़ नहीं कह सकता बल्कि अक्सर उलमा इसे मम्नूअ बतलाते हैं।

दूसरे यह कि आयत (फ़कूलू मिम्मा अम्सक्न) अपने उमूम पर बाक़ी नहीं और इस पर इज्माअ है, बल्कि आयत से मुराद सिर्फ़ हलाल हैवान हैं तो इसके आम अल्फ़ाज़ से वह हैवान जिनका खाना हराम है बिल इत्तिफ़ाक़ निकल गए और यह क़ायदा है कि उमूम महफ़ूज़े मुक़द्दम होता है, उमूमे ग़ैर महफ़ूज़ पर। एक तक़रीर इसी मसला में और भी गोशे गुज़ार कर लीजिए कि इस तरह का शिकार मयतत के हुक्म में है इसलिए कि उसका ख़ून और उसके रद्दी रुतूबात उसी में रहे पस जिस वजह से मुरदार हराम है वही वजह यहाँ भी है तो यह भी इसी क़यास से हलाल नहीं। एक और वजह भी सुनिए कि हुर्मत की आयत (हुर्रिमत) बिलकुल मुहकम है उसमें किसी तरह से नस्ख़ का दख़ल नहीं न कोई तख़्सीस होती है। ठीक इसी तरह आयते तहलील भी मुहकम ही होनी चाहिए यानी फ़र्माने बारी तआला (यस्अलूनक माज़ा उहिल्ला लहुम क़ुल् उहिल्ल लकुमुत्तय्यिबात) "लोग तुझसे पूछा करते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है? तू कह दे कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल हैं।" जब दोनों आयतें मुहकम और ग़ैर मंसूख़ हैं तो यक़ीनन इनमें तआरुज़ न होना चाहिए। पस हदीस को इसके बयान के लिए समझना चाहिए और इसी की शहादत तीर का वाक़िया है जिसमें यह बयान है कि इसमें यह सूरत दाख़िल है यानी जबकि वह अनी, धार और तेज़ी की तरफ़ से ज़ख़्म कर ले तो जानवर हलाल होगा क्योंकि वह तय्यिबात में आ गया। साथ ही हदीस में यह भी बयान आ गया कि आयते तहरीम में

कौनसी सूरत दाख़िल है? यानी वह सूरत जिसमें जानवर की मौत तीर की चौड़ाई से हुई है वह ह़राम हो गया है जिसे खाया न जाएगा, इसलिए कि वह वक़ीज़ है और वक़ीज़ आयते तह़रीम का एक फ़र्द है ठीक इसी त़रह़ अगर शिकारी कुत्ते ने जानवर को अपने दबाव ज़ोर बोझ और सख़्त पकड़ की वजह से मार डाला है तो वह (नत़ीह़) यानी टक्कर और सींग लगे हुए के हुक्म में है और ह़लाल नहीं, हाँ! अगर उसे मजरूह़ किया है तो वह आयते तह़लील के हुक्म में है और यक़ीनन ह़लाल है। इस पर अगर यह ऐतिराज़ किया जाए कि अगर यही मक़्सूद होता तो कुत्ते के शिकार में भी तफ़्सील कर दी जाती और फ़र्मा दिया जाता कि अगर वह जानवर को चीरे फाड़े ज़ख़्मी करे तो ह़लाल और अगर ज़ख़्म न लगाए तो ह़राम। इसका जवाब यह है कि चूँकि कुत्ते का बग़ैर ज़ख़्मी किए क़त्ल करना बहुत ही कम होता है, उसकी आदत यह नहीं, बल्कि यह है कि अपने पंजों या कुचलियों से ही शिकार को मारे या दोनों से बहुत कम कभी-कभी शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है कि वह अपने दबाव और बोझ से शिकार को मार डाले, इसलिए उसकी ज़रूरत ही न थी कि उसके हुक्म को बयान किया जाए और दूसरी वजह यह भी है कि जब आयते तह़रीम में (मयतत, मुंख़निक़त, मौक़ूज़तुन, मुतरद्दिया और नत़ीह़ा) की हुर्मत मौजूद है तो इसके जानने वाले के सामने इस क़िस्म के शिकार का हुक्म बिलकुल ज़ाहिर है। तीर और मिअ़राज़ में इस हुक्म को इसलिए अलग बयान कर दिया कि वह उ़मूमन ख़त़ा कर जाता है उस शख़्स के हाथ से जो क़ादिरे अंदाज़ न हो या निशाने में ख़त़ा कर जाता है इसलिए उसके दोनों हुक्म तफ़्सीलवार बयान कर दिए हैं, वल्लाहु आलम! देखिए चूँकि कुत्ते के शिकार में यह एह़तिमाल था कि मुम्किन है वह अपने किए हुए शिकार में से कुछ खा ले, इसलिए यह हु क्म सराह़त के साथ अलग बयान फ़र्मा दिया है और इर्शाद हुआ "अगर वह ख़ुद खा ले तो तुम उसे न खाओ मुम्किन है कि उसने ख़ुद अपने लिए ही शिकार को रोका हो।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह़ वस्सैदि, बाब इज़ा अकलल कल्ब : 5483; सह़ीह़ मुस्लिम : 1929) यह ह़दीस सह़ीह़ बुख़ारी व स ह़ीह़ मुस्लिम में मौजूद है और यह सूरत अक्सर ह़ज़रात के नज़दीक आयते तह़लील के उ़मूम से मख़्सूस है और इनका क़ौल है कि जिस शिकार को कुत्ता खा ले उसका खाना ह़लाल नहीं।

ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) और ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से यही ह़िकायत किया जाता है, ह़ज़रत ह़सन, शअ़बी और नख़ई (रह़.) का क़ौल भी यही है, और इसी की त़रफ़ अबू ह़नीफ़ा (रह़.) और उनके दोनों साह़ब और अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) और मशहूर रिवायत में शाफ़ेई (रह़.) भी गए हैं। इब्ने जरीर (रह़.) ने अपनी तफ़्सीर में अ़ली, सईद, सलमान, अबू हुरैरा, इब्ने उ़मर और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से नक़्ल किया है कि भले कुत्ते ने शिकार में से कुछ खा लिया हो ताहम उसे खा लेना जाइज़ समझते थे। बल्कि ह़ज़रत सईद, ह़ज़रत सलमान, ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) वग़ैरह तो फ़र्माते हैं भले कुत्ता आधो-आध खा गया हो ताहम उस शिकार को खा लेना जाइज़ है। इमाम मालिक और शाफ़ेई (रह़.) भी अपने क़दीम क़ौल में इसी त़रफ़ गए हैं और क़ौले जदीद में दोनों क़ौलों की त़रफ़ इशारा किया है। जैसे कि इमाम अबू नस़्र बिन सिबाग़ वग़ैरह ने कहा है। अबूदाऊद में क़वी सनद से मरवी है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब तू अपने कुत्ते को छोड़े और अल्लाह तआ़ला का नाम तूने ले लिया हो तो खा ले भले उसने भी उसमें से खा लिया हो और खा ले उस चीज़

को जिसे तेरा हाथ तेरी तरफ़ लौटा लाए।'' (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब फ़िस्सैदि : 2852; वहुव हसन) नसाई में भी यह रिवायत है। तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब किसी शख़्स ने अपना कुत्ता शिकार पर छोड़ा उसने शिकार को पकड़ा और उसका गोश्त खा लिया तो उसे इख़्तियार है कि बाक़ी जानवर यह अपने खाने के काम में ले।'' (त़ब्री) इसमें इतनी इल्लत है कि मौक़ूफ़न ह़ज़रत सलमान (रज़ि.) के क़ौल से मरवी है जुम्हूर ने अदी वाली ह़दीस को इस पर मुक़द्दम किया है और अबू सअ़ल्बा वग़ैरह की ह़दीस को ज़ईफ़ बतलाया है। कुछ उ़लमा-ए-किराम ने इस ह़दीस को इस बात पर महमूल किया है कि यह हुक्म उस वक़्त है जब कुत्ते ने शिकार पकड़ा और देर तक अपने मालिक का इंतिज़ार किया, जब वह न आया तो भूख वग़ैरह की वजह से उसने कुछ खा लिया हो, उस सूरत में यह हुक्म है कि बाक़ी का गोश्त मालिक खा ले क्योंकि ऐसी ह़ालत में यह डर बाक़ी नहीं रहता कि शायद शिकारी कुत्ता अभी सधा हुआ न हो मुम्किन है कि उसने अपने लिए ही शिकार किया हो, बख़िलाफ़ इसके कुत्ते ने पकड़ते ही खाना शुरू कर दिया तो उससे मालूम हो जाता है कि उसने अपने लिए शिकार दबोचा है, वल्लाहु आलम!

अब रहे शिकारी परिन्दे तो इमाम शाफ़ेई (रह.) ने साफ़ कहा है कि यह कुत्ते के हुक्म में हैं। अगर यह शिकार में से कुछ खा लें तो शिकार का खाना जुम्हूर के नज़दीक तो ह़राम है और दीगर के नज़दीक ह़लाल है, हाँ मुज़्नी (रह.) का मुख़्तार क़ौल यह है कि भले शिकारी परिन्दों ने शिकार का गोश्त खा लिया हो, तो भी वह ह़राम नहीं, यही मज़हब अबू ह़नीफ़ा और अह़मद (रह.) का है। इसलिए कि परिन्दों को कुत्तों की त़रह़ मारपीट कर सधा भी नहीं सकते और वह तालीम ह़ासिल कर ही नहीं सकता जब तक उसे खाए नहीं, तो यहाँ यह बात मुआफ़ है और इसलिए भी कि आयत कुत्ते के बारे में वारिद हुई है परिन्दों के बारे में नहीं। शैख़ अबू अ़ली 'अफ़्साह़' में फ़र्माते हैं कि जब हमने यह तै कर लिया कि उस शिकार का खाना ह़राम है जिसमें शिकारी कुत्ते ने खा लिया हो तो जिस शिकार में शिकारी परिन्द खा ले उसमें दो वजहें हैं, लेकिन क़ाज़ी अबुत् तय्यब ने इस फ़रअ़ का और इस तर्तीब का इंकार किया है क्योंकि इमाम शाफ़ेई (रह.) ने इन दोनों को साफ़ लफ़्ज़ों मे बराबर रखा है, वल्लाहु आलम!

'मुतरद्दिया' है जो पहाड़ी से या किसी बुलंद जगह से गिरकर मर गया हो, वह जानवर भी ह़राम है, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) यही फ़र्माते हैं, (त़ब्री : 9/498) क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि यह वह है जो कुएँ में गिर पड़े। (त़ब्री : 9/498) (नत़ीह़ा) वह है जिसे दूसरा जानवर सींग वग़ैरह से टक्कर लगाए और वह उस तक्लीफ़ से मर जाए भले उससे ज़ख़्म आया हो और भले उससे ख़ून भी निकला हो बल्कि भले ठीक ज़िब्ह़ करने की जगह ही लगा हो और ख़ून भी निकला हो, यह लफ़्ज़ मानी मे मफ़ऊ़ल यानी मंत़ूह़ा के है, यह वज़न उ़मूमन कलामे अ़रब में बग़ैर 'त' के आता है जैसे 'अैनुन कह़ीलुन और कफ़्फ़ुन ख़ज़ीबुन, इन मौक़ों में 'कह़ीलतुन' और 'ख़ज़ीबतुन' नहीं कहते, इस जगह 'त' इसलिए लाया गया है कि यहा उस लफ़्ज़ का इस्तेमाल क़ायम मक़ाम इस्म के है जैसे अ़रब का यह कलाम है 'त़रीक़तुन त़वीलतुन' कुछ नह़वी कहते हैं कि ताअे तानीस यहाँ इसलिए लाया गया है कि पहली मर्तबा ही तानीस पर दलालत हो जाए बख़िलाफ़े कह़ील और ख़ज़ीब के कि वहाँ तानीस कलाम के शुरू लफ़्ज़ से मालूम होती है (मा अकलस्सबुउ) से मुराद वह जानवर है

जिस पर शेर या भेड़िया या चीता या कुत्ता वग़ैरह दरिन्दा ह़मला करे और उसका कोई ह़िस्सा खा जाए और उस सबब से वह मर जाए तो उस जानवर को खाना भी ह़राम है अगरचे उससे ख़ून बहा हो बल्कि अगर ज़िब्ह़ करने की जगह से ही ख़ून निकला हो तो भी वह जानवर बिल इज्माअ़ ह़राम है। अहले जाहिलियत ऐसे जानवर का बक़िया गोश्त खा लिया करते थे, अल्लाह तआ़ला ने मोमिनों को इससे मना फ़र्माया, फिर फ़र्माता है "मगर वह जिसे तुम ज़िब्ह़ कर लो" यानी गला घोंटा हुआ लठ मारा हुआ, ऊपर से गिरा पड़ा हुआ, सींग और टक्कर लगा हुआ और दरिन्दों का खाया हुआ अगर इस ह़ालत में तुम्हें मिल जाए कि उसमें जान बाक़ी हो और तुम उस पर बाक़ायदा अल्लाह का नाम लेकर छुरी फेर लो तो फिर यह जानवर तुम्हारे लिए ह़लाल हो जाएँगे। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.), सईद बिन जुबैर, ह़सन और सुद्दी (रह़.) फ़र्माते हैं। (त़ब्री : 9/504) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि अगर तुम उनको इस ह़ालत में पा लो कि छुरी फेरते हुए वह दम रगड़ें या पैर हिलाएँ या आँखें फिराएँ तो बेशक ज़िब्ह़ करके खा लो। इब्ने जरीर में आपसे मरवी है कि जिस जानवर को ज़र्ब लगी हो या ऊपर से गिर पड़ा हो या टक्कर लगी हो और उसमें रूह़ बाक़ी हो और तुम्हें वह हाथ पैर रगड़ता हुआ मिल जाए तो तुम उसे ज़िब्ह़ करके खा सकते हो। (त़ब्री : 9/503) ह़ज़रत त़ाउस, ह़सन, क़तादा, उ़बैद बिन उ़मैर, ज़ह्ह़ाक (रह़.) और बहुत से ह़ज़रात से मरवी है कि बवक़्ते ज़िब्ह़ अगर कोई ह़रकत भी उस जानवर की ऐसी ज़ाहिर हो जाए जिससे यह मालूम हो कि उसमें ज़िन्दगी है तो वह ह़लाल है। (त़ब्री : 9/503) जुम्हूर फ़ुक़्हा का यही मज़हब है तीनों इमामों का भी यही क़ौल है। इमाम मालिक (रह़.) उस बकरी के बारे में जिसे भेड़िया फाड़ डाले और उसकी आँतें निकल आएँ, फ़र्माते हैं मेरा ख़्याल है कि उसे ज़िब्ह़ न किया जाए उसमें से किस चीज़ का ज़बीह़ा होगा? एक बार आपसे सवाल हुआ कि दरिन्दा अगर ह़मला करके बकरी की पीठ तोड़ दे तो क्या उस बकरी को जान निकलने से पहले ज़िब्ह़ कर सकते हैं? आपने फ़र्माया, अगर बिलकुल आख़िर तक पहुँच गया है तो मेरी राय में न खानी चाहिए और अगर अत़्राफ़ में ही है तो कोई ह़र्ज नहीं। साइल ने कहा, दरिन्दे ने उस पर ह़मला किया और कूदकर उसे पकड़ा जिससे उसकी कमर टूट गई है तो आपने फ़र्माया, मुझे उसका खाना पसंद नहीं क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चोट के बाद ज़िन्दा नहीं रह सकती। आपसे फिर पूछा गया कि अच्छा अगर पेट फाड़ डाला और आंतें नहीं निकलीं तो क्या हुक्म है? फ़र्माया, मैं तो यही राय रखता हूँ कि न खाई जाए, यह है इमाम मालिक (रह़.) का मज़हब लेकिन चूँकि आयत आ़म है इसलिए इमाम स़ाह़ब (रह़.) ने जिन सूरतों को मख़्सूस किया है उन पर कोई ख़ास़ दलील चाहिए, वल्लाहु आ़लम!

बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रह़.) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि हुज़ूर (ﷺ)! हम कल दुश्मन से लड़ाई में गुत्थ जाने वाले हैं और हमारे साथ छुरियाँ नहीं, क्या हम बांस से ज़िब्ह़ कर लें? आपने फ़र्माया, "जो चीज़ ख़ून बहाए और उस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खा लो, सिवाए दाँत और नाख़ुन के यह इसलिए कि दाँत हड्डी है और नाख़ुन ह़ब्शियों की छुरियाँ हैं।" (बुख़ारी मुस्लिम ह़वाला पीछे गुज़र चुका है।) मुस्नद अह़मद और सुनन में है कि हुज़ूर (ﷺ) से पूछा गया कि क्या ज़बीह़ा सिर्फ़ ह़लक़ और नरख़रे ही में होता है? आपने फ़र्माया, "अगर तूने उसकी रान में भी

ज़ख़्म लगा दिया तो काफ़ी है।" (अहमद : 4/334; अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब फ़ी ज़बीहतिल मुतरद्दिया : 2825; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; तिर्मिज़ी : 1481; नसाई : 4413; इब्ने माजा : 3184; तारीख़ुल कबीर : 2/1/22; दारमी : 2/9; मुस्नद अबी यअ़ला : 1503; बैहक़ी : 9/246; हिल्यतुल औलिया : 6/257; इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं अबुल अ़शरा की ह़दीस इसके नाम और इसके अपने वालिद से सिमाअ में नज़र है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत पर अबुल अ़शरा की जिहालत की वजह से ज़ईफ़ का हुक्म दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 2535) यह ह़दीस है तो सही लेकिन यह हुक्म उस वक़्त है जबकि स़ह़ीह़ त़ौर पर ज़िब्ह़ करने पर क़ादिर न हो। "नस़ब पर जो जानवर ज़िब्ह़ किए जाएँ वह भी ह़राम हैं।" मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं यह परसतिशगाहें कअ़बा के आसपास थीं। (त़ब्री : 9/508) इब्ने जुरैज (रह.) फ़र्माते हैं यह तीन सौ साठ बुत थे, ज़माना जाहिलियत के अ़रब उनके सामने अपने जानवर क़ुर्बान करते थे और उनमें से जो बैतुल्लाह के बिलकुल मुत्तसिल था उस पर उन जानवरों का ख़ून छिड़कते थे और गोश्त को उन बुतों पर बत़ौर चढ़ावा के चढ़ाते थे। (त़ब्री : 9/508) पस अल्लाह तआ़ला ने यह काम मोमिनों पर ह़राम किया और उन जानवरों का खाना भी ह़राम कर दिया अगरचे उन जानवरों के ज़िब्ह़ के वक़्त बिस्मिल्लाह भी कही गई हो क्योंकि यह शिर्क है जिसे अल्लाह तआ़ला वह़दुहू ला शरीक लहू ने और उसके रसूल (ﷺ) ने ह़राम किया है और यही लायक़ है और इस जुम्ला से भी मत़लब यही है क्योंकि इससे पहले उनकी हुर्मत बयान हो चुकी है जो अल्लाह तआ़ला के सिवा दूसरों के नाम पर चढ़ाए जाएँ।

'अज़्लाम' से तक़्सीम करना जो ह़राम है वह है जो जाहिलियत के अ़रब में दस्तूर था उन्होंने तीन तीर रख छोड़े थे एक पर लिखा था 'इफ़अल' यानी कर, दूसरे पर लिखा हुआ था 'ला तफ़अल' यानी न कर, तीसरा ख़ाली था। कुछ कहते हैं एक पर लिखा था मुझे मेरे रब तआ़ला का हुक्म है, दूसरे पर लिखा था मुझे तेरे रब तआ़ला की मुमानिअ़त है, तीसरा ख़ाली था, उस पर कुछ भी न लिखा हुआ था। वह लोग बत़ौर क़ुरआ अंदाज़ी के किसी काम के करने या न करने में जब उन्हें तरद्दुद होता तो उन तीरों को निकालते, अगर हुक्म का तीर निकला तो उस काम को करते अगर मुमानिअ़त का तीर निकला तो बाज़ आ जाते, अगर ख़ाली तीर निकला तो फिर नए सिरे से क़ुरआ अंदाज़ी करते। अज़्लाम जमा है ज़िल्म की और कुछ ज़ल्म भी कहते हैं। इस्तिक़्साम के मानी उन तीरों से तक़्सीम की त़लब है। क़ुरैशियों का सबसे बड़ा बुत हुबल ख़ाना कअ़बा के अंदर के कुएँ पर नस़ब था जिस कुएँ में कअ़बा के हदिये और माल जमा रहा करते थे, उस बुत के पास सात तीर थे जिन पर कुछ लिखा पाते उसी के मुत़ाबिक़ अ़मल करते। (त़ब्री : 9/513) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) जब कअ़बा में दाख़िल हुए तो वहाँ ह़ज़रत इब्राहीम और ह़ज़रत इस्माईल (عليهما السلام) के मुजस्समे गढ़े हुए पाए जिनके हाथों में तीर थे, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआ़ला इन्हें ग़ारत करे इन्हें ख़ूब मालूम है कि उन बुज़ुर्गों ने कभी तीरों से फ़ाल नहीं ली।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ह़ज्ज, बाब मन कब्बरा फ़ी नवाह़िल कअ़बा : 1601; अबूदाऊद : 2027; अह़मद : 1/334; इब्ने ह़िब्बान : 5861)

स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि सुराक़ा बिन मालिक बिन जअ़शम जब नबी (ﷺ) और ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) को ढूँढने के लिए निकला कि उन्हें पकड़कर कुफ़्फ़ारे मक्का के सुपुर्द कर देगा और आप उस

वक़्त हिज्रत करके मक्का से मदीना को जा रहे थे तो उसने उसी तरह क़ुरआ अंदाज़ी की। उसका बयान है कि पहली मर्तबा वह तीर निकला कि जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था। मैंने फिर तीरों को मिला जुलाकर तीर निकाला तो अबकी मर्तबा भी यही तीर निकला कि तू उन्हें कोई ज़रर न पहुँचा सकेगा। मैंने फिर न माना, तीसरी मर्तबा फ़ाल लेने के लिए तीर निकाला तो अब की मर्तबा भी यही निकला, लेकिन मैं हिम्मत करके उनका कोई लिहाज़ न करके इन्आम हासिल करने और सुरख़ुरू होने के लिए आपकी तलब में निकल खड़ा हुआ। उस वक़्त तक सुराक़ा मुसलमान नहीं हुआ था। यह हुज़ूर (ﷺ) का कुछ न बिगाड़ सका और फिर बाद में उसे अल्लाह तआला ने इस्लाम से मुशर्रफ़ फ़र्माया। इब्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "वह शख़्स जन्नत के बुलंद दर्जों को नहीं पा सकता जो कहानत करे या तीरों से फ़ाल निकाले या किसी बदफ़ाली की वजह से सफ़र से लौट आए।" (मज्मउज़्ज़वाइद : 5/118; तमामुर्राज़ी फ़िल फ़वाइद : 2/168; ह : 1444; वसनदुहू मअलूल ज़ईफ़ मुस्नद शामियीन : 2104; अब्दुल मलिक बिन इमैर अन्अन व सक़त ज़िक्रुहू मिन रिवायति तमाम) हज़रत मुजाहिद (रह.) ने यह भी कहा है कि अरब उन तीरों के ज़रिये और फ़ारसी और रूमी पांसों के ज़रिये जुआ खेला करते थे जो मुसलमानों पर हराम किया जाता है। (तब्री : 9/512) मुम्किन है कि इस क़ौल के मुताबिक़ हम यूँ कहें कि थे तो यह तीर इस्तिख़ारे के लिए मगर उनसे जुआ भी कभी कभी खेल लिया करते थे, वल्लाहु आलम! इसी सूरत के आख़िर में अल्लाह तआला ने जूए को भी हराम किया है और फ़र्माया है, "ईमानवालो! शराब, जुआ, बुत और तीर नजिस (नापाक) और शैतानी काम हैं तुम उनसे अलग रहो ताकि तुम्हें नजात मिले, शैतान तो यह चाहता ही है कि उनके ज़रिये से तुम्हारे बीच अदावत व बुग़्ज़ डाल दे।" इसी तरह यहाँ भी फ़र्मान होता है कि तीरों से तक़्सीम तलब करना हराम है, इस काम का करना फ़िस्क़, गुमराही, जिहालत और शिर्क है। इसके बजाए मोमिनों को हुक्म हुआ कि जब तुम्हें अपने किसी काम में तरद्दुद हो तो तुम अल्लाह तआला से इस्तिख़ारा कर लो, उसकी इबादत करके उससे भलाई तलब करो। (मुस्नद अहमद)

इस्तिख़ारा का तज़्किरा : बुख़ारी और सुनन में मरवी है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हमें रसूल (ﷺ) जिस तरह क़ुरआन की सूरतें सिखाते थे उस तरह हमारे कामों में इस्तिख़ारा करना भी तालीम फ़र्माते थे। आप इर्शाद फ़र्माया करते थे "जब तुममें से किसी को कोई अहम काम आ पड़े तो उसे चाहिए कि दो रकअत नमाज़े नफ़ल पढ़कर फिर यह दुआ पढ़े

اللھم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللھم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ودنیای ومعاشی وعاقبتہ امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم انہ شر لی فی دینی ونیای ومعاشی وعاقبتہ امری فاصرفہ عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ

(अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तख़ीरुका बि इल्मिका व अस्तक़्दिरुका बि क़ुदरतिका व अस्अलुक मिन

फ़ज़्लिकल अज़ीम, फ़ इन्नका तक़्दिरु वला अक़्दिर व तालमु वला आलमू व अन्त अल्लामुल गुयूब, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा ख़ैरुल्ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़्दिरहू ली व यस्सिरहू ली सुम्म बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्त तालमु अन्नहू शर्रुल् ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्रि फ़स्रिफ़्नी अन्हू वस्रिफ़्हू अन्नी वक़्दुर लियल ख़ैर हैसु काना सुम्म रज़िनी बिही) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तहज्जुद, बाब मा जाअ फ़ित्ततव्वअ मस्ना मस्ना : 1162; अबूदाऊद : 1538; तिर्मिज़ी : 480; नसाई : 6/80; इब्ने माजा : 1383; इब्ने हिब्बान : 887; बैहक़ी : 3/52; मुस्नद अबी यअ़ला : 2086; शरहुस्सुन्ना : 1016; अल्अदबुल मुफ़रद : 703) यानी "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरे इल्म के ज़रिये भलाई तलब करता हूँ और तेरी क़ुदरत के वसीले से तुझसे क़ुदरत तलब करता हूँ और तुझसे तेरे बहुत बड़े फ़ज़्ल का तालिब हूँ यक़ीनन तू हर चीज़ पर क़ादिर है और मैं महज़ मजबूर हूँ तू तमामतर इल्म वाला है और मैं मुत्लक़ बेइल्म हूँ, तू ही है जो तमाम ग़ैब को बख़ूबी जानने वाला है, ऐ मेरे अल्लाह तआला! अगर तेरे इल्म में यह काम बेहतर है तो तू इसे मेरे लिए मुक़द्दर कर दे और उसे मेरे लिए आसान भी कर दे और उसमें मुझे हर तरह की बरकतें अता फ़र्मा और अगर तेरे इल्म में यह काम मेरे लिए दीनो दुनिया की ज़िन्दगी और अंजामकार के लिहाज़ से बुरा है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे और मेरे लिए ख़ैरो बकरत जहाँ कहीं हो, मुक़र्रर कर दे, फिर मुझे उसी से रज़ामन्द कर दे।" दुआ के अल्फ़ाज़ मुस्नद अहमद में हैं। (मुस्नद अहमद : 3/344; वसनदुहू सहीहुन (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 23/56) देखिए सहीह बुख़ारी : 1162) "हाज़ल अम्र" जहाँ है वहाँ अपने काम का नाम ले मस्लन निकाह हो तो 'हाज़न्निकाह' सफ़र हो तो 'हाज़स्सफ़र' तिजारत हो तो 'हाज़िहित्तिजारत' वग़ैरह। कुछ रिवायतों में (ख़ैरुल् ली फ़ी दीनी) से 'अम्री' तक के बजाए यह अल्फ़ाज़ हैं। (ख़ैरुल् ली फ़ी आजिल अम्री व आजिलिही) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इस हदीस को हसन ग़रीब बतलाते हैं।

फिर फ़र्माता है आज काफ़िर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए यानी उनकी यह उम्मीदें ख़ाक में मिल गईं कि वह तुम्हारे दीन में कुछ ख़लत मलत कर सकें, अपने दीन को तुम्हारे दीन में गड मड कर लें। चुनाँचे सहीह हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "शैतान इससे तो मायूस हो चुका है कि नमाज़ी मुसलमान जज़ीरा अरब में उसकी परसतिश करें, हाँ! वह इसकी कोशिश में रहेगा कि मुसलमानों को आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काता रहे।" (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब तह्रीशुश्शैतान व बअ़सहू सरायाहू लि फ़िल्नतिन्नास... : 2812; तिर्मिज़ी : 1937; अहमद : 3/313; मुस्नद अबी यअ़ला : 2095; अल्बग़वी : 3525; इत्तिहाफ़ुलमहरा : 3/169) यह भी हो सकता है कि मुश्रिकीने मक्का इससे मायूस हो गए कि मुसलमानों से मिले जुले रहें क्योंकि अहकामे इस्लाम ने इन दोनों जमाअतों मे बहुत कुछ तफ़ावुत डाल दिया। इसीलिए हुक्मे रब्बानी हो रहा है कि मोमिन सब्र करें, साबित क़दम रहें और सिवा अल्लाह तआला के किसी से न डरें, कुफ़्फ़ार की मुख़ालिफ़त की कुछ परवाह न करें, अल्लाह तआला उनकी मदद करेगा और उन्हें अपने मुख़ालिफ़ीन पर ग़ल्बा देगा और उनके ज़रर से उनकी मुहाफ़िज़त करेगा। और दुनिया व आख़िरत में उन्हें बुलंद व बाला रखेगा। फिर अपनी ज़बरदस्त बेहतरीन आला और अफ़ज़लतर नेअमत का ज़िक्र फ़र्माता है कि मैंने तुम्हारा दीन हर तरह और हर हैसियत से कामिल व मुकम्मल कर दिया, तुम्हें इस दीन के सिवा किसी दीन

की एहतियाज (जरूरत) नहीं, न इस नबी (ﷺ) के सिवा किसी और नबी की तुम्हें कोई हाजत है अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी (ﷺ) को ख़ातिमुन् नबिय्यीन किया है, उन्हें तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ़ भेजा है, हलाल वही है जिसे वह हलाल कहें, हराम वही है जिसे वह हराम कहें, दीन वही है जिसे वह मुक़र्रर करें, इनकी तमाम बातें हक़ और सदाक़त वाली, जिनमें किसी तरह का झूठ और ख़िलाफ़ नहीं। जैसे फ़र्माने बारी तआला है (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا) (6/अन्आम : 116) यानी "तेरे रब का कलिमा पूरा हुआ जो ख़बरें देने में सच्चा है और हुक्म व मना में अदल वाला है।" दीन को कामिल करना तुम पर अपनी नेअमत को भरपूर करना है चूँकि मैं ख़ुद तुम्हारे इस दीने इस्लाम पर ख़ुश हूँ इसलिए तुम भी इसी पर राज़ी रहो यही दीन अल्लाह तआला का पसंदीदा है उसी को देकर उसने अपने रसूल (ﷺ) को भेजा है और अपनी अशरफ़ किताब नाज़िल फ़र्माई है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इस दीने इस्लाम को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए कामिल व मुकम्मल कर दिया है और अपने नबी (ﷺ) और मोमिनों को इसका कामिल होना ख़ुद अपने कलाम में फ़र्मा चुका है, अब यह रहती दुनिया तक किसी ज़्यादती का मुहताज नहीं, इसे अल्लाह तआला ने पूरा किया है जो क़यामत तक नाक़िस नहीं होने का, इससे अल्लाह तआला ख़ुश है और कभी भी नाख़ुश नहीं होने वाला। हज़रत सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं, यह आयत अरफ़ा के दिन नाज़िल हुई, उसके बाद हलाल व हराम का कोई हुक्म नहीं उतरा। उस हज्ज से लौटकर अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) का इंतिक़ाल हो गया। हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) फ़र्माती हैं उस आख़िरी हज्ज में हुज़ूर (ﷺ) के साथ में भी थी हम जा रहे थे इतने में हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) की तजल्ली हुई, हुज़ूर (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर झुक पड़े, वह्‌ी उतरनी शुरू हुई, ऊँटनी वह्‌ी के बोझ की ताक़त न रखती थी। मैंने उसी वक़्त अपनी चादर अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) पर ओढ़ा दी। इब्ने जरीर (रह.) वग़ैरह फ़र्माते हैं उसके बाद 81 दिन तक रसूलुल्लाह (ﷺ) हयात रहे। हज्जे अकबर वाले दिन जबकि यह आयत उतरी तो हज़रत उमर (रज़ि.) रोने लगे, हुज़ूर (ﷺ) ने सबब पूछा तो जवाब दिया कि हम अभी दीन की और ज़्यादती की उम्मीद में थे अब वह कामिल हो गया दस्तूर यह है कि कमाल के बाद नुक़्सान शुरू हो जाता है। आपने फ़र्माया सच है। (तब्री : 9/519; इसकी सनद में सुफ़ियान बिन वकीअ बिन जर्राह हाफ़्ज़ा के तग़य्युर (अत्तारीख़ुस्सग़ीर : 2/385) और हारून बिन अन्तरा पर इब्ने हिब्बान के मुंकरुल हदीस की जरह (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन : 3/171) की वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इस मानी की शहादत उस साबितशुदा हदीस से होती है जिसमें हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्मान है "इस्लाम ग़ुर्बत और परदेसीपन से शुरू हुआ और अन्क़रीब फिर ग़रीब व अंजान हो जाएगा पस ग़ुरबा के लिए ख़ुशख़बरी है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयान अनिल इस्लाम बदअ ग़रीबन सयऊदु ग़रीब.... : 145; इब्ने माजा : 3986; अहमद : 2/389; मुस्नद अबी यअ़ला : 6190; अबू अवाना : 1/101; तारीख़े बग़दाद : 11/307) मुस्नद अहमद में है कि एक यहूदी ने हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) से कहा तुम जो इस आयत **(अल्यौम अक्मल्तु)** को पढ़ते हो अगर वह हम यहूदियों पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद मना लेते। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह के फ़ज़्ल से मुझे इल्म है कि यह आयत आप पर किस वक़्त और किस दिन नाज़िल हुई? यह अरफ़ा के दिन जुम्आ की शाम को नाज़िल हुई है हम सब

उस वक़्त मैदाने अ़रफ़ा में थे। (अह़मद : 1/28; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब ज़्यादतुल ईमान व नुक़्सानुहू : 45; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 7017; नसाई : 4926; बैहक़ी : 5/118; मुस्नद हुमैदी : 31; तिर्मिज़ी : 3043; इब्ने हिब्बान : 185; शरीअ़त : 105) तमाम सीरत वाले इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज्जतुल विदा वाले अ़रफ़ा का दिन जुम्आ को था और रिवायत में है कि ह़ज़रत कअ़ब (रज़ि.) ने ह़ज़रत उ़मर से यह कहा था और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह आयत हमारे यहाँ दोहरी ईद के दिन नाज़िल हुई है। ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ज़ुबानी इस आयत की तिलावत सुनकर भी यहूदियों ने यही कहा था, जिस पर आपने फ़र्माया, हमारे यहाँ पर तो यह आयत दोहरी ईद के दिन उतरी है, ईद का दिन भी था और जुम्आ का दिन भी। (तब्री, तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3044; वसनदुहू स़ह़ीह़ उसमें (फ़ी यौमिल जुम्अ़ति व यौमल अ़रफ़ा) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि यह आयत अ़रफ़ा के दिन शाम को उतरी है। ह़ज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान (रज़ि.) ने मिम्बर पर इस पूरी आयत की तिलावत की और फ़र्माया, जुम्आ के दिन अ़रफ़ा को यह उतरी है। ह़ज़रत समुरह (रज़ि.) फ़र्माते हैं उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) मौक़फ़ में खड़े हुए थे'' इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि तुम्हारे नबी (ﷺ) पीर वाले दिन पैदा हुए, पीर वाले दिन ही मक्का से निकले और पीर वाले दिन ही मदीना से तशरीफ़ लाए, यह असर ग़रीब है और इसकी सनद ज़ईफ़ है। मुस्नद अह़मद में है कि हुज़ूर (ﷺ) पीर के दिन पैदा हुए, पीर के दिन नबी (ﷺ) बनाए गए। पीर के दिन हिज्रत के इरादा से मक्का से निकले, पीर के दिन ही मदीना पहुँचे और पीर के दिन ही फ़ौत हुए। ह़ज्रे अस्वद भी पीर के दिन रखा गया। (मुस्नद अह़मद : 1/277; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 1/201; इसकी सनद में इब्ने लहीआ़ मुख़्तलत़ रावी है। (अत्तक़रीब : 1/44; रक़म : 574) इसमें सूरह माइदा का पीर के दिन उतरना मज़्कूर नहीं, मेरा ख़्याल यह है कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा होगा, दो ईदों के दिन यह आयत उतरी तो दो के लिए भी लफ़्ज़ इस्नैन है और पीर के दिन को भी इस्नैन कहते हैं, इसलिए रावी को शुबा सा हो गया, वल्लाहु आ़लम! दो क़ौल इसमें और भी मरवी हैं एक तो यह कि यह दिन लोगों को नामालूम है। दूसरा यह कि यह आयत ग़दीरख़ुम के दिन नाज़िल हुई है जिस दिन को हुज़ूर (ﷺ) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) की निस्बत फ़र्माया था कि जिसका मौला मैं हूँ उसका मौला अ़ली है। (इसकी सनद में अबू हारून अल्अ़ब्दी अ़म्मारा बिन जुवेन ज़ईफ़ रावी है (अल् जरह वत्तादील : 6/363; रक़म : 2005) तो गोया ज़िल ह़िज्ज की 18वीं तारीख़ हुई जबकि आप ह़ज्जतुल विदा से वापिस लौट रहे थे। लेकिन यह याद रहे कि यह दोनों स़ह़ीह़ नहीं बिलकुल स़ह़ीह़ और बेशक व बिला शुबा क़ौल यही है कि यह आयत अ़रफ़ा के दिन जुम्आ को उतरी है। अमीरुल मोमिनीन उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) और अमीरुल मोमिनीन अ़ली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) और इस्लाम के पहले बादशाह ह़ज़रत मुआ़विया बिन अबी सुफ़ियान और तर्जुमानुल क़ुरआन ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास और ह़ज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) से यही मरवी है और इसी को ह़ज़रत शअ़बी, ह़ज़रत क़तादा, ह़ज़रत शहर (रह़.) वग़ैरह अइम्मा और उ़लमा ने कहा है यही मुख़्तार क़ौल इब्ने जरीर त़ब्री (रह़.) का है।

मजबूरी की ह़ालत में मुरदार खाने की इजाज़त : फिर फ़र्माता है ''जो शख़्स इन ह़रामकर्दा चीज़ों में से किसी चीज़ के इस्तेमाल के लिए मजबूर व बेबस हो जाए तो वह ऐसे इज़्तिरार (मजबूरी) की ह़ालत में उन्हें काम में ला सकता है। अल्लाह ग़फ़ूरुर्रह़ीम है, वह जानता है कि उसके बन्दे ने उसकी ह़द नहीं तोड़ी लेकिन

बेबसी और इज़्तिरार के मौक़े पर उसने यह किया है। तो अल्लाह तआला उसे मुआफ़ कर देगा।'' सहीह इब्ने हिब्बान में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरफ़ूअन मरवी है ''अल्लाह तआला को अपनी दी हुई रुख़्सतों पर बन्दों का अमल करना ऐसा भाता है जैसे अपनी नाफ़र्मानी से रुक जाना।'' (मुस्नद अहमद : 2/108; वसनदुहू हसन; इब्ने हिब्बान : 2742; तबरानी : 11880; शुअबुल ईमान : 3890; तारीख़े बग़दाद : 10/347; मुस्नद बज़्ज़ार : 988; बैहक़ी : 3/140; यह रिवायत सहीह दर्जे की है। (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 10/112) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 564)) मुस्नद अहमद में है ''जो शख़्स अल्लाह तआला की दी हुई रुख़्सत क़बूल न करे उस पर अरफ़ात के पहाड़ों के बराबर गुनाह है।'' (मुस्नद अहमद : 2/71; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को मुंकर क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 1949) इसीलिए फ़ुक़्हा कहते हैं कि कुछ सूरतों में मुरदार खाना वाजिब हो जाता है जैसे कि एक शख़्स की भूख की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब मरा जाता है और कभी जाइज़ हो जाता है और कभी मुबाह। हाँ! इसमें इख़्तिलाफ़ है कि भूख के वक़्त जबकि हलाल चीज़ मयस्सर न हो तो हराम सिर्फ़ उतना ही खा सकता है कि जान बच जाए या पेट भर सकता है बल्कि साथ भी रख सकता है। इसके तफ़्सीली बयान की जगह अहकाम की किताबें हैं। इस मसला में कि जब भूखा शख़्स जिसके ऊपर इज़्तिरार की हालत है मुरदार, दूसरे का खाना और हालते एहराम में शिकार तीनों चीज़ें मौजूद पाए तो क्या वह मुरदार खा ले? या हालते एहराम में होने के बावजूद शिकार कर ले और अपनी आसानी की हालत में उसकी जज़ा यानी फ़िदया अदा कर दे या दूसरे की चीज़ बिला इजाज़त खा ले और अपनी आसानी के वक़्त उसे वह वापिस कर दे। इसमें दो क़ौल हैं, इमाम शाफ़ई (रह.) से दोनों मरवी हैं। यह भी याद रहे कि मुरदार खाने की यह शर्त जो अवाम में मशहूर है कि जब तीन दिन का फ़ाक़ा हो जाए तो हलाल होता है यह बिलकुल ग़लत है बल्कि जब इज़्तिरार बेक़रारी और मजबूरी की हालत में हो उसके लिए मुरदार का खाना हलाल हो जाता है।

मुस्नद अहमद की हदीस में है कि लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि हुज़ूर (ﷺ)! हम ऐसी जगह रहते हैं कि वहाँ हमें फ़क़्रो फ़ाक़ा की नौबत आ जाती है। तो हमारे लिए मुरदार का खा लेना जाइज़ हो जाता है? फ़र्माया, ''जब सुबह व शाम न मिले और न कोई सब्ज़ी मिले तो तुम्हें इख़्तियार है।'' (अहमद : 5/218; व सनदुहू ज़ईफ़) इस हदीस की एक सनद में इरसाल भी है लेकिन मुस्नद वाली मरफ़ूअ हदीस की इस्नाद शर्ते शैख़ैन पर सहीह है। इब्ने औन फ़र्माते हैं कि हज़रत हसन (रह.) के पास हज़रत समुरह (रज़ि.) की किताब थी, जिसे मैं उनके सामने पढ़ता था, उसमें यह भी था कि सुबह व शाम न मिलना इज़्तिरार है। एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि हराम खाना कब हलाल हो जाता है? आपने फ़र्माया, ''जब तक कि तू अपने बच्चों को दूध से शिकम सेर न कर सके और जब तक कि उनका सामान न आ जाए।'' (यह रिवायत मुर्सल है।) एक आराबी ने हुज़ूर (ﷺ) से हलाल हराम का सवाल किया आप (ﷺ) ने जवाब दिया ''कुल पाकीज़ा चीज़ें हलाल और कुल ख़बीस चीज़ें हराम, हाँ! जबकि उनका मुहताज हो जाए तो उन्हें खा सकता है, जब तक कि तू उनसे ग़नी न हो जाए।'' उसने फिर पूछा कि वह मुहताजी कौनसी है जिसमें मेरे लिए वह हराम चीज़ हलाल हो जाए वह ग़नी होना कौनसा है जिससे मुझे उससे रुक जाना चाहिए? फ़र्माया, ''जबकि तू सिर्फ़ रात को अपने बाल बच्चों को दूध से आसूदा कर सकता हो तो तू हराम चीज़ से परहेज़ कर।'' (तब्री :

9/514; इस रिवायत में आराबी मज्हूल है।) अबूदाऊद में है कि हज़रत नजीअ आमिरी (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से पूछा कि हमारे लिए मुरदार का खाना कब ह़लाल हो जाता है? आपने फ़र्माया "तुम्हें खाने को क्या मिलता है?" उसने कहा सुबह़ को सिर्फ़ एक प्याला दूध और शाम को भी सिर्फ़ एक प्याला दूध। आपने कहा, "यही है और कौनसी भूख होगी?" पस इस ह़ालत में आपने उन्हें मुरदार खाने की इजाज़त अ़ता फ़र्माई। (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ीमन ज़्तर्रा इलल मयतति : 3817; वसनदुहू ज़ईफ़; वहब बिन उ़क़्बा के फ़जीअ (रह़.) से सिमाअ़ में नज़र है। बैहक़ी : 9/357; शरहुस्सुन्ना : 2900; इस रिवायत में वहब बिन उ़क़्बा आमिरी मस्तूर रावी है। (अत्तक़रीब : 2/339; रक़म : 122) और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ कहा है। देखिए (ज़ईफ़ अबूदाऊद : 822) मत़लब ह़दीस का यह है कि सुबह़ शाम एक एक प्याला दूध का उन्हें नाकाफ़ी था भूख बाक़ी रहती थी इसलिए उन पर मुरदार ह़लाल कर दिया गया ताकि वह पेट भर लिया करें। इसी को दलील बनाकर कुछ बुज़ुर्गों ने फ़र्माया है कि इज़्तिरार के वक़्त मुरदार को पेट भरकर खा सकता है, सिर्फ़ जान बच जाए उतना ही खाना जाइज़ हो यह क़ैद ठीक नहीं, वल्लाहु आलम! अबूदाऊद की और ह़दीस में है कि एक शख़्स अपने अहलो अयाल के साथ आया और ह़र्रा में ठहरा। किसी साह़ब की ऊँटनी गुम हो गई थी तो उसने उनसे कहा, अगर मेरी ऊँटनी मिल जाए तो उसे पकड़ लेना। इत्तिफ़ाक़ से यह ऊँटनी उन्हें मिल गई। अब यह उसके मालिक को तलाश करने लगे लेकिन वह न मिला और ऊँटनी बीमार हो गई तो उस शख़्स की बीवी साहिबा ने कहा, हम भूखे रहा करते हैं तो इसे ज़िब्ह़ कर डालो। लेकिन उसने इंकार कर दिया। आख़िर ऊँटनी मर गई तो फिर बीवी ने कहा, अब इसकी खाल खींच लो और इसके गोश्त और चर्बी को टुकड़े करके ख़ुश्क कर लो हम भूखों के काम आ जाएगा। उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मैं तो यह भी नहीं करने का, हाँ! अगर अल्लाह तआला के नबी (ﷺ) इजाज़त दे दें तो और बात है, चुनाँचे ह़ाज़िर होकर उसने तमाम क़िस्सा बयान किया। आपने फ़र्माया, "क्या तुम्हारे पास और कुछ खाने को है? जो तुम्हें काफ़ी हो।" जवाब दिया कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "फिर तुम खा सकते हो।" उसके बाद ऊँटनी वाले से मुलाक़ात हुई और जब उसे यह इल्म हुआ तो उसने कहा, फिर तुमने उसे ज़िब्ह़ करके खा क्यूँ न लिया? उस बुज़ुर्ग सह़ाबी (रज़ि.) ने कहा, शर्म मालूम हुई। (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ीमन इज़्तर्रा इलल मैतति : 3816; वसनदुहू सह़ीहुन; बैहक़ी : 9/356; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे ह़सनुल इस्नाद क़रार दिया है। देखिए (सह़ीह़ अबूदाऊद : 3234) यह ह़दीस दलील है उन लोगों की जो कहते हैं बवक़्ते इज़्तिरार उसके लिए मुबाह़ है जो किसी गुनाह की तरफ़ मैलान न रखता हो। उसके लिए इसे मुबाह़ करके दूसरे से ख़ामोशी है, जैसे सूरह बक़रह में है (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ) (2/बक़रह : 173) यानी "जो शख़्स बेक़रार हो जाए सिवाए बाग़ी और ह़द से गुज़रने वाले के, पस उस पर कोई गुनाह नहीं, अल्लाह तआला बख़्शने वाला मेहरबानी करने वाला है।" इस आयत से इस बात पर इस्तिदलाल किया गया है कि जो शख़्स अल्लाह तआला की किसी नाफ़र्मानी के लिए सफ़र कर रहा हो, उसे शरीअत की रुख़्सतों में से कोई रुख़्सत ह़ासिल नहीं इसलिए कि रुख़्सतें गुनाहों से ह़ासिल नहीं होतीं, वल्लाहु आलम!

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۴﴾

तर्जुमा : ''तुझसे पूछा करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है, तू कह दे कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गयी हैं। और जिन हासिल करने वाले शिकार खेलने वाले जानवरों को तुमने सधा रखा है कि तुम उन्हें थोड़ा बहुत वह सिखाओ जिसकी तालीम अल्लाह तआला ने तुम्हें दे रखी है। पस वह शिकार को तुम्हारे लिए पकड़कर रोक रखें, तुम उसे खा लो और उस पर अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र कर लिया करो, और अल्लाह तआला से डरते रहो, यक़ीनन अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है।'' (4)

शिकार और शिकारी जानवारों के अहकाम (आयत 4) : चूँकि इससे पहले अल्लाह तआला ने नुक़्सान पहुँचाने वाली ख़बीस चीज़ों की हुर्मत का बयान फ़र्माया, ख़्वाह वह नुक़्सान जिस्मानी हो या दीनी या दोनों, फिर ज़रूरत की हालत को ख़ास कर लिया, जैसे फ़र्मान है (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ) (6/अन्आम : 119) यानी ''तमाम हराम जानवरों का बयान तफ़्सीलवार तुम्हारे सामने आ चुका है हाँ! यह और बात है कि तुम उनकी तरफ़ बेबस और बेक़रार हो जाओ।'' तो उसके बाद इर्शाद हो रहा है कि हलाल चीज़ों के पूछने वालों से कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम पर हलाल हैं। सूरह आराफ़ में हज़रत (ﷺ) की यह सिफ़त बयान फ़र्माई है कि आप पाक चीज़ों को हलाल करते हैं और ख़बीस चीज़ों को हराम करते हैं। इब्ने अबी हातिम में है कि क़बीला ताई के दो शख़्सों हज़रत अदी बिन हातिम और ज़ेद बिन मुहिलहिल (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि मुर्दा जानवर तो हराम हो चुका, अब हलाल क्या है? इस पर यह आयत उतरी। सईद (रह.) फ़र्माते हैं यानी ज़िब्ह किए हुए जानवर हलाल तय्यब हैं। (इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/44; रक़म : 574) मुक़ातिल फ़र्माते हैं कि हर हलाल रिज़्क़ तय्यिबात में दाख़िल है। इमाम ज़ोहरी (रह.) से सवाल किया गया कि दवा के तौर पर पेशाब का पीना कैसा है? जवाब दिया कि वह तय्यिबात में दाख़िल नहीं। इमाम मालिक (रह.) से पूछा गया कि उस मिट्टी का बेचना कैसा है जिसे लोग खाते हैं ? फ़र्माया वह तय्यिबात में दाख़िल नहीं। और तुम्हारे शिकारी जानवरों के ज़रिये खेला हुआ शिकार भी हलाल किया जाता है। मस्लन सधाए हुए कुत्ते और शिकरे (एक शिकारी परिन्दा/पक्षी) वग़ैरह के ज़रिये। यही मज़हब है जुम्हूर सहाबा (रज़ि.) और ताबेईन और अइम्मा (रह.) वग़ैरह का। इब्ने अब्बास(रज़ि.) से मरवी है कि शिकारी सधाए हुए कुत्ते, बाज़, चीते, शिकरे वग़ैरह हर वह परिन्द जो शिकार करने की तालीम दिया जा सकता हो। (तब्री : 9/548; बैहक़ी : 9/235; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.)

ने भी इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 2550) और भी बहुत से बुज़ुर्गों से यही मरवी है कि फाड़ने वाले जानवरों और ऐसे ही परिन्दों में से जो भी तालीम हासिल कर ले, उनके ज़रिये शिकार खेलना हलाल है। लेकिन हज़रत मुजाहिद (रह.) से मरवी है कि उन्होंने तमाम शिकारी परिन्दों का किया हुआ शिकार मकरूह कहा है और दलील में (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ) पढ़ा। सईद बिन जुबैर (रह.) से भी इसी तरह रिवायत की गई है। ज़हहाक और सुद्दी (रह.) का भी यह क़ौल इब्ने जरीर में मरवी है। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं बाज़ वग़ैरह परिन्द जो शिकार पकड़ें अगर वह तुम्हें ज़िन्दा मिल जाए तो ज़िब्ह करके खा लो वरना न खाओ। (तब्री : 9/549) लेकिन जुम्हूर उलमा-ए-इस्लाम का फ़त्वा यह है कि शिकारी परिन्दों के ज़रिये जो शिकार हो उसका और शिकारी कुत्तों के किए हुए शिकार का एक ही हुक्म है इसलिए कि वह भी अपने पंजों के ज़रिये कुत्ते की तरह शिकार करते हैं फिर उनमें तफ़रीक़ करने की कोई चीज़ बाक़ी नहीं रहती, चारों इमामों वग़ैरह का मज़हब भी यही है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) भी इसी को पसंद करते हैं और इसकी दलील में इस हदीस को लाते हैं कि हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने रसूल मक़्बूल (ﷺ) से बाज़ के किए हुए शिकार का मसला पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिस जानवर को वह तेरे लिए रोक रखे तू उसे खा ले।'' (तब्री : 9/550; तिर्मिज़ी, किताबुस्सैदि, बाब मा जाअ फ़ी सैदिल बज़ात : 1467; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; बैहक़ी : 9/238; इसमें मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन : 3/35) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को 'मुंकर' कहा है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिज़ी : 248)) इमाम अहमद (रह.) ने स्याह कुत्ते का किया हुआ शिकार भी मुस्तस्ना कर लिया है इसलिए कि उनके नज़दीक उसका क़त्ल करना वाजिब है और पालना हराम है क्योंकि सहीह मुस्लिम में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं ''नमाज़ को तीन चीज़ें तोड़ देती हैं, गधा, औरत और स्याह (काला) कुत्ता।'' इस पर हज़रत उबय (रज़ि.) ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! काले कुत्ते की ख़ुसूसियत की क्या वजह है? तो आपने फ़र्माया, ''वह शैतान है।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब क़द्रे मा यस्तिरूल मुसल्ली.... : 510)

दूसरी हदीस में है कि आपने कुत्तों के मार डालने का हुक्म दिया फिर फ़र्माया, ''उन्हें कुत्तों से क्या वास्ता? उन कुत्तों में से सख़्त स्याह कुत्तों को मार डाला करो।'' शिकारी हैवानात को ''जवारेह'' इसलिए कहा गया है कि जरह कहते हैं कस्ब और कमाई को जैसे अरब कहते हैं **''फुलानु जरह अहलहू ख़ैरन''** यानी फ़लाँ शख़्स ने अपने अहल के लिए भलाई हासिल कर ली, और अरब कहते हैं **''फुलानुन ला जारिह लहू''** फ़लाँ शख़्स के लिए कोई कमाई करने वाला नहीं।'' क़ुरआन में भी लफ़्ज़ 'जरह' कस्ब और कमाई और हासिल करने के मानी में आया है। फ़र्मान है (وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ) यानी ''दिन को जो भलाई बुराई तुम हासिल करते हो उसे भी अल्लाह जानता है।'' इस आयते करीमा के उतरने की वजह इब्ने अबी हातिम में यह है कि हुज़ूर (ﷺ) ने कुत्तों के क़त्ल करने का हुक्म दिया और वह क़त्ल किए जाने लगे तो लोगों ने आकर आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! जिस उम्मत के क़त्ल का आपने हुक्म दिया है उनसे हमारे लिए क्या फ़ायदा हलाल है? आप ख़ामोश रहे, इस पर यह आयत उतरी। पस आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब कोई शख़्स अपने कुत्ते को शिकार के पीछे छोड़े और **''बिस्मिल्लाह''** भी कहे फिर वह शिकार पकड़े और

रोक रखे तो जब तक वह न खाए यह खा ले।'' (ह़ाकिम : 2/311; वसनदुहू ज़ईफ़ुन बिदूने क़ौलिन्नबी (ﷺ) इस रिवायत में मूसा बिन उ़बेदा रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/213; रक़म : 8895) इब्ने जरीर में है कि जिब्राईल (عليه السلام) ने हुज़ूर (ﷺ) से अन्दर आने की इजाज़त चाही, आपने इजाज़त दे दी लेकिन वह फिर भी अंदर न आए, तो आपने फ़र्माया, ''ऐ अल्लाह के क़ासिद! मैं तो तुम्हें इजाज़त दे चुका फिर क्यूँ नहीं आते?'' उस पर फ़रिश्ते ने कहा, हम उस घर में नहीं जाते जिसमें कुत्ता हो। उस पर ह़ज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) को हुक्म दिया कि मदीना के तमाम कुत्ते मार डाले जाएँ अबू राफ़ेअ फ़र्माते हैं; मैं गया और कुत्तों को क़त्ल करने लगा। एक बुढ़िया के पास एक कुत्ता था जो उसके दामन में लिपटने लगा और बतौरे फ़रियाद उसके सामने भौंकने लगा, मुझे रह़म आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया और आकर रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर दी। आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, ''उसे भी बाक़ी न छोड़ो।'' मैं फिर वापिस गया और उसे भी क़त्ल कर दिया, अब लोगों ने आकर हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि जिस उम्मत के क़त्ल का आप (ﷺ) ने हुक्म दिया है उनसे कोई फ़ायदा हमारे लिए ह़लाल भी है या नहीं? इस पर आयत (यस्अलूनक....) नाज़िल हुई। (ह़ाकिम : 2/311; वसनदुहू ज़ईफ़; त़बरानी : 971; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 4/43; इस रिवायत में मूसा बिन उ़बेदा रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/213; रक़म : 8895)) एक रिवायत में यह भी है कि मदीने के कुत्तों को क़त्ल करके फिर अबू राफ़ेअ आसपास की बस्तियों में पहुँचे, और मसला पूछने वालों के नाम भी उसमें हैं यानी ह़ज़रत आ़सिम बिन अ़दी, ह़ज़रत सईद बिन ख़ैसमा, ह़ज़रत उ़वैम बिन साएदा (रज़ि.)। मुह़म्मद बिन कअ़ब क़ुर्ज़ी (रह़.) फ़र्माते हैं कि आयत का शाने नुज़ूल कुत्तों का क़त्ल है। (यह रिवायत मुर्सल है।) **(मुकल्लिबीन)** का लफ़्ज़ मुम्किन है कि **(अ़ल्लम्तुम)** की ज़मीर यानी फ़ाइ़ल का ह़ाल हो और मुम्किन है कि जवारेह़ यानी मक़्तूल का ह़ाल हो यानी जिन शिकार ह़ासिल करने वाले जानवरों को तुमने सधाया हो वह शिकार को अपने पंजों और नाख़ुनों से शिकार करते हों। इससे भी यह इस्तिदलाल हो सकता है कि शिकारी जानवर जब शिकार को अपने सदमे से ही दबोच कर मार डाले तो वह ह़लाल न होगा। जैसे इमाम शाफ़ेई (रह़.) के दो क़ौलों में से एक क़ौल है और उ़लमा की एक जमाअ़त का ख़याल है। इसीलिए फ़र्माया, ''तुमने उन्हें उसमें से कुछ सिखा दिया हो जो अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें सिखा रखा है'' यानी जब तुम छोड़ो तो जाए और जब तुम रोको तो रुक जाए। शिकार पकड़कर तुम्हारे लिए रोक रखे ताकि तुम जाकर उसे ले लो, उसने ख़ुद अपने लिए उसे शिकार न किया हो, इसीलिए उसके बाद ही फ़र्माया कि जब शिकारी जानवर सधा हुआ हो और उसने अपने छोड़ने वाले के लिए शिकार किया और उसने भी उसको छोड़ते वक़्त अल्लाह तआ़ला का नाम लिया हो तो वह शिकार मुसलमानों के लिए ह़लाल है भले वह शिकार मर भी गया हो, इस पर इज्माअ़ है इस आयत के मसला के मुत़ाबिक़ ही बुख़ारी व मुस्लिम की यह ह़दीस है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अल्लाह का नाम लेकर अपने सधाए हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ता हूँ। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिस जानवर को वह पकड़े तू उसे खा ले अगरचे कुत्ते ने उसे मार भी डाला हो, हाँ! यह ज़रूर है कि उसके साथ शिकार करने में और कुत्ता न मिला हो इसलिए कि तूने अपने कुत्ते को अल्लाह तआ़ला का नाम लेकर छोड़ा है दूसरे को **''बिस्मिल्लाह''** पढ़कर नहीं छोड़ा।'' मैंने कहा, मैं नोकदार लकड़ी से शिकार करता हूँ। फ़र्माया, ''अगर वह अपनी तेज़ी की त़रफ़ से ज़ख़्मी करे तो खा ले और अगर अपनी

चौड़ाई की तरफ़ से लगा हो तो न खाए क्योंकि वह लठ मारा हुआ है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह , बाब इज़ा वजद मअस्सैदि कल्बन आख़र : 5486; सहीह मुस्लिम : 1929; अबू दाऊद : 2847; तिर्मिज़ी : 1467; इब्ने माजा : 3208; अहमद : 4/356; इब्ने हिब्बान : 5885; बैहक़ी : 9/236) दूसरी रिवायत में यह अल्फ़ाज़ हैं ''जब तू अपने कुत्ते को छोड़े तो अल्लाह तआला का नाम ज़िक्र कर लिया कर, फिर अगर वह शिकार को तेरे लिए पकड़े रखे और तेरे पहुँच जाने पर शिकार ज़िन्दा मिल जाए तो तू उसे ज़िब्ह कर डाल और अगर कुत्ते ने ही उसे मार डाला हो और उसमें से खाया न हो तो उसे भी खा सकता है। इसलिए कि कुत्ते का उसे शिकार कर लेना ही उसका ज़बीहा है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुज़् ज़बाइह वस्सैदि, बाब अस्सैदु इज़ा ग़ाब अन्हू यौमैनि अव सलासा : 5484; सहीह मुस्लिम : 1929) और रिवायत में यह अल्फ़ाज़ भी हैं कि ''अगर उसने खा लिया हो तो फिर तू उसे न खा, मुझे तो डर है कि कहीं उसने अपने खाने के लिए शिकार न पकड़ा हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह बाब इज़ा अकलल कल्ब व क़ौलुहू तआला **(यस्अलूनक मा ज़ा उहिल्ल लहुम)** : 5483; सहीह मुस्लिम : 1929) यही दलील जुम्हूर की है और हक़ीक़तन इमाम शाफ़ेई (रह.) का सहीह मज़हब भी यही है कि जब कुत्ता शिकार को खा ले तो मुत्लक़ हराम हो जाता है, इसमें कोई तफ़्सील नहीं, जैसे कि हदीस में है। हाँ! सल्फ़ की एक जमाअत का क़ौल भी है कि मुत्लक़न हलाल है, इनके दलाइल यह हैं।

सलमान फ़ारसी (रज़ि.) फ़र्माते हैं तू खा सकता है अगरचे कुत्ते ने तिहाई हिस्सा खा लिया हो। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि भले एक टुकड़ा ही बाक़ी रह गया हो तो भी खा सकते हैं। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से एक और रिवायत में है भले दो तिहाई कुत्ता खा गया हो फिर भी तू खा सकता है। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का भी यही फ़र्मान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब बिस्मिल्लाह' कहकर तूने अपने सधाए हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ा तो जिस जानवर को उसने तेरे लिए पकड़ रखा हो तू उसे खा ले चाहे कुत्ते ने उसमें से खाया हो या न खाया हो। हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी यही मरवी है हज़रत अता और हज़रत हसन बसरी (रह.) से इसमें मुख़्तलिफ़ क़ौल मरवी हैं। ज़ोहरी, रबीआ और मालिक (रह.) से भी यही रिवायत की गई है उसी की तरफ़ इमाम शाफ़ेई (रह.) अपने पहले क़ौल में गए हैं और नये क़ौल में भी इसी की तरफ़ इशारा किया है। हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि) से इब्ने जरीर (रह.) की एक मरफ़ूअ हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जब कोई शख़्स अपने कुत्ते को शिकार पर छोड़े फिर शिकार को इस हालत में पाए कि कुत्ते ने उसे खा लिया हो तो जो बाक़ी हो उसे वह खा सकता है।'' इस हदीस की सनद में बक़ौल इब्ने जरीर (रह.) नज़र है और सईद रावी का हज़रत सलमान (रज़ि.) से सुनना मालूम नहीं हुआ और दूसरे सिक़ा रावी इसे मरफ़ूअ नहीं करते बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) का क़ौल नक़्ल करते हैं। यह क़ौल है तो सहीह लेकिन इसी मानी की और मरफ़ूअ हदीसें भी मरवी हैं। अबूदाऊद में है कि हज़रत अम्र बिन शुऐब (रह.) अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि हुज़ूर (ﷺ)! मेरे पास शिकारी कुत्ते सधाए हुए हैं उनके शिकार की निस्बत क्या फ़त्वा है? आपने फ़र्माया, ''जो जानवर वह तेरे लिए पकड़ें वह तुझ पर

हलाल है।'' उसने कहा, ज़िब्ह कर सकूँ जब भी और ज़िब्ह न कर सकूँ तो भी? अगरचे कुत्ते ने खा लिया हो तब भी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ! भले खा भी लिया हो।'' उन्होंने दूसरा सवाल किया कि मैं अपने तीर कमान से जो शिकार करूँ उसका क्या फ़त्वा है? फ़र्माया, ''उसे भी तू खा सकता है।'' पूछा अगर ज़िन्दा मिले और मैं उसे ज़िब्ह कर सकूँ तो भी और तीर लगते ही मर जाए तो भी? फ़र्माया, ''भले वह तुझे नज़र न पड़े और ढूँढ़े से मिल जाए तो भी बशर्ते कि उसमें किसी दूसरे शख़्स के तीर का निशान न हो।'' उन्होंने तीसरा सवाल किया कि बवक़्ते ज़रूरत मजूसूयों के बर्तनों का इस्तेमाल करना हमारे लिए कैसा है? फ़र्माया, ''तुम उन बर्तनों को धो डालो फिर उनमें खा पी सकते हो।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सैदि, बाब फ़िस्सैदि : 2857; वसनदुहू हसन; दारे कुत्नी : 4/293; बैहक़ी : 9/237) यह हदीस नसाई में भी है।

अबूदाऊद की दूसरी हदीस में है ''जब तूने अपने कुत्ते को अल्लाह तआला का नाम लेकर छोड़ा हो तो तू उसके शिकार को खा सकता है भले उसने उसमें से खा भी लिया हो, और तेरा हाथ जिस शिकार को तेरे लिए लाया हो उसे भी तू खा सकता है।'' (इसकी तख़रीज आयत नम्बर 3 के तहत गुज़र चुकी है।) इन दोनों अहादीस की सनदें बहुत ही आला व उम्दा हैं। और हदीस में है ''तेरा सधाया हुआ कुत्ता जो शिकार तेरे लिए खेले तू उसे भी खा ले।'' हज़रत अदी (रज़ि.) ने पूछा अगरचे उसने उसमें से खा लिया हो?'' फ़र्माया, ''हाँ! फिर भी।'' इन आसार और अहादीस से साबित होता है कि शिकारी कुत्ते ने शिकार को भले खा लिया हो तो भी बक़िया शिकार शिकारी खा सकता है। कुत्ते वग़ैरह के खाए हुए शिकार को हराम न कहने वालों के यह दलाइल हैं। एक और जमाअत इन दोनों जमाअतों के दरम्यान है वह कहती हैं कि अगर शिकार पकड़ते ही खाने बैठ गया तो बक़िया हराम और अगर शिकार पकड़कर अपने मालिक का इंतिज़ार किया और बावजूद ख़ासी देर गुज़र जाने के अपने मालिक को न पाया और भूख की वजह से उसे खा लिया तो बक़िया हलाल। पहली बात पर महमूल है। हज़रत अदी (रज़ि.) वाली हदीस और दूसरी पर महमूल है अबू सअल्बा (रज़ि.) वाली हदीस। यह फ़र्क़ भी बहुत अच्छा है और इससे दो सहीह हदीसें जमा भी हो जाती हैं। उस्ताद अबुल मआली जुवैनी (रह.) ने अपनी किताब निहाया में यह तमन्ना ज़ाहिर की थी कि काश! कि कोई इसमें यह तफ़्सील करे तो अल्हम्दु लिल्लाह! यह तफ़्सील लोगों ने कर ली। इस मसला में एक चौथा क़ौल भी है वह यह कि कुत्ते का खाया हुआ शिकार तो हराम जैसाकि हज़रत अदी (रज़ि.) की हदीस में है। और शिकरे वग़ैरह का खाया हुआ शिकार हराम नहीं इसलिए कि वह तो खाने से ही तालीम क़बूल करता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अगर परिन्दा अपने मालिक के पास लौट आया और मारा नहीं, फिर आकर उसने पर नोचे और गोश्त खाया, तो तू खा ले। इब्राहीम नख़ई, शअबी, हम्माद बिन अबी सुलेमान (रह.) भी यही कहते हैं। इनकी दलील इब्ने अबी हातिम की यह रिवायत है कि हज़रत अदी (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि हम लोग कुत्तों और बाज़ से शिकार खेला करते हैं तो क्या यह हमारे लिए हलाल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शिकारी जानवर शिकार हासिल करने वाले सधाए हुए तुम्हारे लिए शिकार रोक रखें और तुमने उन पर अल्लाह का नाम पढ़ा हो, उसे तुम खा लो।'' फिर फ़र्माया, ''जिस कुत्ते को तूने अल्लाह तआला का नाम लेकर छोड़ा हो वह जिस जानवर को रोक रखे तू उसे खा ले।'' (इस रिवायत में मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान :

3/438; रक़म : 7070) मैंने कहा, भले उसे मार ड़ाला हो? फ़र्माया, "भले उसे मार डाला हो, लेकिन शर्त यह है कि खाया न हो।" मैंने कहा, अगर उस कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते भी शामिल हो गए हों तो? फ़र्माया, "फिर न खा जब तक कि तुझे इस बात का पूरा यक़ीन न हो कि तेरे ही कुत्ते ने शिकार किया है।" मैंने कहा, हम लोग तीर से भी शिकार किया करते हैं उसमें से कौनसा ह़लाल है? फ़र्माया, "जो तीर ज़ख़्मी करे और तूने अल्लाह तआ़ला का नाम लेकर छोड़ा हो उसे खा ले।" वजहे दलालत यह है कि कुत्ते में न खाने की शर्त आपने बतलाई और बाज़ में नहीं बतलाई, पस इन दोनों में फ़र्क़ साबित हो गया, वल्लाहु आ़लम!

अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त फ़र्माता है "तुम खा लो जिन ह़लाल जानवरों को तुम्हारे यह शिकारी जानवर पकड़ लें और तुमने उनके छोड़ने के वक़्त अल्लाह तआ़ला का नाम याद कर लिया हो।"जैसे कि ह़ज़रत अ़दी, और ह़ज़रत अबू सअ़ल्बा (रज़ि.) की ह़दीस में है इसीलिए ह़ज़रत इमाम अह़मद (रह़.) वग़ैरह इमामों ने यह शर्त ज़रूरी बतलाई है कि शिकार के लिए कुत्ते को छोड़ते वक़्त और तीर चलाते वक़्त 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना शर्त है। जुम्हूर का मशहूर मज़हब भी यही है कि इस आयत और इस ह़दीस से मुराद जानवर के छोड़ने का वक़्त है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अपने शिकारी जानवर को भेजते वक़्त 'बिस्मिल्लाह' कह ले। हाँ! अगर भूल जाए तो कोई ह़र्ज नहीं। (त़ब्री : 9/571) कुछ लोग कहते हैं कि मुराद खाने के वक़्त 'बिस्मिल्लाह' पढ़ना है जैसे कि बुख़ारी व मुस्लिम में उ़मर बिन अबी सलमा (रज़ि.) को हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्माना मरवी है "अल्लाह का नाम ले और अपने दाहिने हाथ से अपने सामने से खा।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अत़्इमा, बाब तस्मियतु अ़लत़्तआ़म वल अकल बिल यमीन : 5376; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2022; तिर्मिज़ी : 1857; इब्ने माजा : 3265; अह़मद : 4/26; इब्ने ह़िब्बान : 5211) स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से मरवी है कि लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि लोग हमारे पास गोश्त लाते हैं जो नए नए मुस्लिम हैं उसका इ़ल्म नहीं होता कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला का नाम लिया भी है या नहीं? तो क्या हम उसे खा लें? आपने फ़र्माया, "तुम ख़ुद अल्लाह तआ़ला का नाम ले लो और खा लो।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह़ वस्सैदि, बाब ज़बीह़तुल आ़राब व नह़्वुहुम : 5507; अबूदाऊद : 2829; इब्ने माजा : 3174; अबू यअ़ला : 4447) मुस्नद में है कि हुज़ूर (ﷺ) छः स़ह़ाबा के साथ खाना तनावुल फ़र्मा रहे थे जो एक आ़राबी ने आकर दो लुक़्मे उसमें से उठाए, आपने फ़र्माया कि, "अगर यह बिस्मिल्लाह कह लेता तो यह खाना तुम सबको काफ़ी हो जाता, तुममें से जब कोई खाने बैठे तो "बिस्मिल्लाह" पढ़ लिया करे अगर पहले कहना भूल गया तो जब याद आ जाए तो यह कह दे "बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरूहू।" (मुस्नद अह़मद : 6/143; वसनदुहू ज़ईफ़ वहुव स़ह़ीहुन बिश्शवाहिद, दारमी : 2020; इब्ने ह़िब्बान : 5214; यह रिवायत बिश्शवाहिद ह़सन है। (अल्मौसूअ़तुल ह़दीसिया : 42/43) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत पर स़ह़ीह़ का हुक्म लगाया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1965)) यही ह़दीस मुन्क़त़अ़ सनद के साथ इब्ने माजा में भी है। (इब्ने माजा, किताबुल अत़्इमा, बाब तस्मियतु इ़न्दत़्तआ़म : 3264; व हुव स़ह़ीह़)

दूसरी सनद से यह ह़दीस अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, और मुस्नद अह़मद में है और इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) उसे (अबूदाऊद, किताबुल अत़्इमा, बाब तस्मियतु अ़लत़्तआ़म : 3767; वसनदुहू स़ह़ीहुन; तिर्मिज़ी :

1858) हसन सहीह बतलाते हैं। जाबिर बिन सबह (रह.) फ़र्माते हैं कि मुस्ना बिन अब्दुर्रहमान ख़ुज़ाई के साथ मैंने वासित का सफ़र किया। उनकी आदत यह थी कि खाना शुरू करते वक़्त तो बिस्मिल्लाह' कह लेते और आख़िरी लुक़्मा के वक़्त बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरूहू कहते। मैंने इसका सबब पूछा तो उन्होंने उमय्या बिन मख़्शी (रज़ि.) की रिवायत बयान की कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स को खाते हुए देखा कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि जब वह आख़िरी पहुँचा तो बोला बिस्मिल्लाहि अव्वलुहू व आख़िरूहू।'' हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''वल्लाह! शैतान इसके साथ खाता रहा जब तक कि इसने बिस्मिल्लाह न कह ली, फिर तो शैतान ने क़ै करके सारा खाना अपने पेट से निकाल दिया।'' (मुस्नद अहमद : 4/336; अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब तस्मियतु अ लत्तआम : 3768; वसनदुहू हसन, अमलल यौम वल्लैला : 282; हाकिम : 4/108)

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हम नबी (ﷺ) के साथ खाना खा रहे थे जो एक लड़की गिरती पड़ती आई जैसे उसे कोई धक्का दे रहा हो और आते ही उसने लुक़्मा उठाना चाहा, हुज़ूर (ﷺ) ने उसका हाथ थाम लिया और एक आराबी भी इसी तरह आया और प्याले में हाथ डाला, आपने उसका हाथ भी अपने हाथ में पकड़ लिया और फ़र्माया, ''जब किसी खाने पर बिस्मिल्लाह न कही जाए तो शैतान उसे अपने लिए हलाल कर लेता है, वह पहले तो इस लड़की के साथ आया ताकि हमारा खाना खाए तो मैंने उसका हाथ थाम लिया, फिर वह इस आराबी के साथ आया तो मैंने उसका भी हाथ थाम लिया, उसकी क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि शैतान का हाथ इन दोनों के हाथ के साथ मेरे हाथ में है।'' (मुस्नद अहमद : 5/383; सहीह मुस्लिम, किताबुल अश्रिबा, बाब आदाबुत्तआम वश्शराब व अहकामुहा : 2017; अबूदाऊद : 3766; सुननुल कुब्रा : 6754) मुस्लिम, अबूदाऊद, नसाई और इब्ने माजा में है ''जब इंसान अपने घर में जाते हुए और खाना खाते हुए अल्लाह का नाम याद कर लिया करता है तो शैतान कहता है कि ऐ शैतानों! न तो तुम्हारे लिए रात गुज़ारने की जगह है न रात का खाना और जब वह घर में जाते हुए खाना खाते हुए अल्लाह तआला का नाम नहीं लेता तो वह पुकार देता है कि तुमने शब बाशी (रात गुज़ारने) की और खाना खाने की जगह पा ली।'' (सहीह मुस्लिम, हवाला साबिक़ : 2018; अबूदाऊद : 3765; इब्ने माजा : 3887; अहमद : 3/383; अमलुल यौम वल्लैला : 178; इब्ने हिब्बान : 819) अबूदाऊद और इब्ने माजा में है कि एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में शिकायत की कि हम खाते हैं हमारा पेट नहीं भरता तो आपने फ़र्माया, ''शायद तुम अलग अलग खाते होंगे, खाना सब मिलकर खाओ और बिस्मिल्लाह कह लिया करो उसमें अल्लाह तआला की तरफ़ से बरकत दी जाएगी।'' (मुस्नद अहमद : 3/501; अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़िल इज्तिमाइ अलत्तआम : 3764; वसनदुहू ज़ईफ़; हर्ब बिन वहशी मज्हूल है और वलीद बिन मुस्लिम मुदल्लस के सिमाअे मुसलसल की तस्रीह नहीं है। इब्ने माजा : 3286; इब्ने हिब्बान : 5224; हाकिम : 2/103; अल्अख़बार लि अबी नुएम : 2/350)

***

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۵﴾

तर्जुमा : ''कुल पाकीज़ा चीज़ें आज तुम्हारे लिए हलाल की गईं और अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है, और पाकदामन मोमिना औरतें और जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं उनकी पाकदामन औरतें भी हलाल हैं जबकि तुम उनके मुहर अदा करो, इस तरह कि तुम उनसे बाक़ायदा निकाह करो, न बतौर ऐलानिया ज़िनाकारी के और न बतौर पोशीदा बदकारी के, मुंकिरीने ईमान के आमाल ज़ाया और एकारत हैं। और आख़िरत में वह हारने वालों में से हैं।'' (5)

अहले किताब का ज़बीहा हलाल है (आयत 5) : हलाल व हराम के बयान के बाद बतौर ख़ुलासा फ़र्माया कि कुल सुथरी चीज़ें हलाल हैं फिर यहूद व नसारा के ज़िब्ह किए हुए जानवरों की हिल्लत बयान फ़र्माई है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.), अबू उमामा, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा, अता, हसन, मक्हूल, इब्राहीम नख़ई, सुद्दी, मुक़ातिल बिन हय्यान (रहि.) यह सब यही कहते हैं कि तआम से मुराद उनका अपने हाथ से ज़िब्ह किया हुआ जानवर है जिसका खाना मुसलमानों को हलाल है उलमा-ए-इस्लाम का इस पर इज्माअ है कि उनका ज़बीहा हमारे लिए हलाल है क्योंकि वह भी ग़ैरुल्लाह के लिए ज़िब्ह करना ना रवा समझते हैं और ज़िब्ह करने के वक़्त अल्लाह तआला के सिवा दूसरे का नाम नहीं लेते, भले इनके अक़ीदे ज़ाते बारी की निस्बत यक्सर और सरासर बातिल हैं जिनसे अल्लाह तआला बुलंद व बाला और पाक व मुनज़्ज़ा है। सहीह हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) का बयान है कि जंगे ख़ैबर में मुझे चर्बी की भरी हुई एक मश्क मिल गई, मैंने उसे क़ब्ज़े में किया और कहा, इसमें से तो आज मैं किसी को भी हिस्सा न दूँगा, अब जो इधर उधर निगाह दौड़ाई तो देखता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास ही खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब फ़र्ज़ुल ख़म्स, बाब मा युसीबु मिनत्तआम फ़ी अर्ज़िल हर्ब : 3153; बिदून (तबस्सुम) सहीह मुस्लिम : : 1772; अबूदाऊद : 2702; अहमद : 4/86; मुस्नद तयालिसी : 917; अबू अवाना : 4/109; बैहक़ी : 9/59; अद् दलाइलुन्नबुव्वत : 4/241) इस हदीस से यह भी इस्तिदलाल किया गया है कि माले ग़नीमत में से खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें तक़्सीम से पहले ले लेनी जाइज़ हैं। और यह

इस्तिदलाल इस ह़दीस से साफ़ ज़ाहिर है। तीनों मज़हब के फ़ुक़्हा ने मालिकियों पर अपनी यह सनद पेश की है और कहा है कि तुम जो कहते हो कि अहले किताब का वही खाना हम पर ह़लाल है जो ख़ुद उनके यहाँ भी ह़लाल हो, यह ग़लत़ है देखो चर्बी को यहूदी ह़राम जानते थे लेकिन मुसलमान उसे ले रहा है लेकिन यह है एक शख़्सी वाक़िया, साथ ही यह भी हो सकता है कि यह चर्बी वह हो जिसे ख़ुद यहूदी भी ह़लाल जानते थे यानी पुश्त की चर्बी, अंतड़ियों से लगी हुई चर्बी और हड्डी से मिली हुई चर्बी।

इससे भी ज़्यादा दलालत वाली तो वह रिवायत है जिसमें है कि ख़ैबर वालों ने सालिम भुनी हुई एक बकरी हुज़ूर (ﷺ) को तोह़फ़ा में दी जिसके शाने के गोश्त को उन्होंने ज़हर आलूदा कर रखा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि हुज़ूर (ﷺ) शाने का गोश्त पसंद फ़र्माते हैं चुनाँचे आपने उसका यही गोश्त लेकर मुँह में रखकर दाँतों से तोड़ा तो फ़र्माने बारी तआ़ला से उस शाने ने कहा कि मुझमें ज़हर मिला हुआ है, आपने उसी वक़्त उसे थूक दिया और उसका असर आपके सामने के दांतों वग़ैरह में रह भी गया। आपके साथ ह़ज़रत बिश्र बिन बराअ बिन मअ़रूर (रज़ि.) भी थे जो उसी के असर से फ़ौत हो गए जिनके क़िसास़ में ज़हर मिलाने वाली औ़रत को क़त्ल किया गया। जिसका नाम ज़ैनब था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल हिबा, बाब क़बूलुल हदियति मिनल मुश्रिकीन : 2617, 3169; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2190; मुख़्तस़रन; अबूदाऊद : 4508, 4514) वजहे दलालत यह है कि ख़ु द हुज़ूर (ﷺ) ने अपने साथियों के साथ उस गोश्त के खाने का पुख़्ता इरादा कर लिया और यह न पूछा कि इसकी जिस चर्बी को तुम ह़राम जानते हो उसे निकाल भी डाला है या नहीं। और ह़दीस में है कि एक यहूदी ने आपकी दावत में जौ की रोटी और पुरानी सूखी चर्बी पेश की थी। (मुस्नद अह़मद : 3/210, 211; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब शराउन्नबी (ﷺ) बिन्नसिय्या : 2069; बिदूनि ज़िक्रिल यहूदी) ह़ज़रत मक्ह़ूल (रह़.) फ़र्माते हैं कि जिस चीज़ पर रब तआ़ला का नाम न लिया जाए उसका खाना ह़राम करने के बाद अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों पर रह़म फ़र्माकर उसे मंसूख़ करके अहले किताब के ज़िब्ह़ किए हुए जानवर ह़लाल कर दिए। यह याद रहे कि अहले किताब का ज़बीह़ा ह़लाल होने से यह साबित नहीं होता कि जिस जानवर पर भी अल्लाह का नाम लिया जाए वह ह़लाल है वह इसलिए कि वह अपने ज़बीह़ों पर अल्लाह तआ़ला का नाम लेते थे लेकिन मुश्रिक जिस गोश्त को खाते थे उसे ज़बीह़ा पर मौक़ूफ़ न रखते थे बल्कि मुर्दा जानवर भी खा लेते थे। बख़िलाफ़े अहले किताब के। इसी त़रह़ सामरा, स़ाइबा और इब्राहीम व शीस वग़ैरह पैग़म्बरों के दीन के मुद्दई हैं जैसे कि उ़लमा के दो क़ौलों में से एक क़ौल है और अ़रब के नस़रानी जैसे बनू तग़लब, तनूख़, बहरा, जुज़ाम, लख़म, आ़मिला और इन जैसे और कि जुम्हूर के नज़दीक इनके हाथ का किया हुआ ज़बीह़ा नहीं खाया जाएगा। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि क़बीला बनू तग़लब के हाथ का ज़िब्ह़ किया हुआ जानवर न खाओ इसलिए कि इन्होंने तो नस़रानियत में से बजुज़ शराबनोशी के और कोई चीज़ नहीं ली। हाँ! सई़द बिन मुसय्यिब और ह़सन (रह़ि.) बनू तग़लब के नस़ारा के हाथों ज़िब्ह़ किए हुए जानवर को खा लेने में कोई ह़र्ज नहीं जानते थे। बाक़ी रहे मजूसी तो इनसे भले जिज़्या लिया गया है क्योंकि इन्हें इस मसला में यहूदो नस़ारा से मिला दिया गया है और इनका ताबेअ़ कर दिया है लेकिन इनकी औ़रतों से

निकाह करना और इनके ज़िब्ह किए हुए जानवर खाना मम्नूअ है। हाँ! अबू सौर इब्राहीम बिन ख़ालिद सुल्बी जो शाफ़ेई और अहमद (रह.) के साथियों में से थे उसके ख़िलाफ़ हैं जब उन्होंने यह क़ौल कहा और लोगों में इसकी शोहरत हुई तो फ़ुक़्हा ने इस क़ौल की ज़बरदस्त तर्दीद की, यहाँ तक कि हज़रत इमाम अहमद बिन हबंल (रह.) ने तो फ़र्माया कि अबू सौर इस मसला में अपने नाम की तरह ही है यानी बैल का बाप। अबू सौर ने एक हदीस के उमूम को सामने रखकर यह मसला कहा होगा जिसमें है "मजूसियों के साथ अहले किताब का तरीक़ा बरतो" (मौत़ा इमाम मालिक : 1/278; वसनदुहू ज़ईफ़; वलिल हदीसि शवाहिद बैहक़ी : 9/189; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1248) लेकिन अव्वल तो यह रिवायत इन अल्फ़ाज़ से साबित ही नहीं। दूसरे यह रिवायत मुर्सल है हाँ! अल्बत्ता सहीह बुख़ारी शरीफ़ में सिर्फ़ इतना तो है कि हिज्र के मजूसियों से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिज़्या लिया। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिज़्या वल मुवादिआ, बाबुल जिज़्यति वल मुवादिअति मअ अहलिज़्ज़िम्मति वल हर्ब : 3157; अबूदाऊद : 3043; तिर्मिज़ी : 1587; अहमद : 1/190; मुस्नद अबी यअ़ला : 860; इब्नुल जारूद : 1105; बैहक़ी : 9/189) अलावा इन सबके हम कहते हैं कि अबू सौर की पेशकर्दा हदीस को अगर हम सहीह मान लें तो भी हम कह सकते हैं कि इसके उमूम से भी बदलील इस आयत के मफ़्हूमे मुख़ालिफ़ के अहले किताब के सिवा और दीन वालों का ज़बीहा हमारे लिए हराम साबित होता है।

फिर फ़र्माता है "तुम्हारा ज़बीहा उनके लिए हलाल है" यानी तुम उन्हें अपने ज़बीहे खिला सकते हो। यह इस अम्र की ख़बर नहीं कि उनके दीन में उनके लिए तुम्हारा ज़बीहा हलाल है, हाँ! ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहा जा सकता है कि यह इस बात की ख़बर हो कि उन्हें भी उनकी किताब में यह हुक्म दिया गया है कि जिस जानवर का ज़बीहा अल्लाह तआला के नाम पर हुआ हो उसे वह खा सकते हैं क़त्अे नज़र इससे कि ज़िब्ह करने वाला उन्हीं में से हो या उनके सिवा कोई और हो लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर बात पहली ही है यानी यह कि तुम्हें इजाज़त है कि उन्हें अपने ज़बीहे खिलाओ जैसे कि उनके ज़िब्ह किए हुए जानवर तुम खा लेते हो, यह गोया अदल-बदल के तौर पर है जिस तरह कि हुज़ूर (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल मुनाफ़िक़ को अपने ख़ास कुर्ते में कफ़न दिया जिसकी वजह से कुछ हज़रात ने यह बयान की है उसने आप (ﷺ) के चचा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को अपना कुर्ता दिया था जबकि मदीने में आए थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब हल युख़रजुल मय्यित मिनल क़ब्रि वल् लहद : 1350; सहीह मुस्लिम : 2773) तो आपने उसका बदला कर दिया। हाँ! एक हदीस में है "मोमिन के सिवा किसी और की हमनशीनी न कर और अपना खाना बजुज़ परहेज़गारों के और को न खिला।" (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मय्युअमर अय्युंजालिस : 4832; वसनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 2395; अहमद : 3/83; हाकिम : 4/128; इब्ने हिब्बान : 555) इसे इस बदले के ख़िलाफ़ न समझना चाहिए, हो सकता है कि हदीस का यह हुक्म बतौर इस्तिहबाब और अफ़ज़लियत के हो, वल्लाहु आलम!

फिर इर्शाद होता है कि "पाकदामन मोमिन औरतों से निकाह करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया

है।'' यह बतौर तम्हीद के है इसीलिए इसके बाद ही फ़र्माया, ''तुमसे पहले जिन्हें किताब दी गई है उनमें से अफ़ीफ़ा औरतों से भी निकाह तुम्हें हलाल है'' यह क़ौल भी है कि मुराद यह है कि मुहसिनात से हराइर मुराद हैं और जब यह है तो जहाँ इस क़ौल का वह मतलब लिया जा सकता है कि लौण्डियाँ इससे ख़ारिज हैं वहाँयह मानी भी लिए जा सकते हैं कि पाकदामन इफ़्फ़त शिआर। जैसे कि उन्हीं से दूसरी रिवायत इन ही लफ़्ज़ों में मौजूद है, जुम्हूर भी यही कहते हैं और यही ज़्यादा ठीक है ताकि ज़िम्मिया होने के साथ ही ग़ैर अफ़ीफ़ा होना शामिल होकर बिलकुल ही बाइसे फ़साद न बन जाए और उसका शौहर सिर्फ़ फ़िज़ूल भर्ती के तौर पर और बुरे पैमाने के तौर पर न हो जाए। पस बज़ाहिर यही ठीक मालूम होता है कि मुहसनात से मुराद यहाँ इफ़्फ़त मआब और बदकारी से बचाव वालियाँ ही ली जा सकती हैं जैसे कि दूसरी आयत में (मुहसनात) के साथ (غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ) (4/निसाअ : 25) आया है। उलमा और मुफ़स्सिरीन का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि क्या यह आयत हर किताबिया अफ़ीफ़ा औरत को शामिल है? चाहे वह आज़ाद हो या लौण्डी हो? इब्ने जरीर (रह.) ने सल्फ़ की एक जमाअत से इसको नक़्ल किया है जो कहते हैं कि (मुहसनात) से मुराद पाकदामन औरतें हैं, एक क़ौल यह भी है कहा गया है कि अहले किताब से मुराद इस्राईली औरतें हैं। शाफ़ेई (रह.) का यही मज़हब है और यह भी कहा गया है कि इससे मुराद ज़िम्मिया औरतें हैं सिवाए आज़ाद औरतों के और दलील यह आयत है (قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ) (9/तौबा : 29) यानी ''उनसे लड़ो जो अल्लाह तआला पर क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते।'' चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) नसरानिया औरतों से निकाह करना जाइज़ नहीं जानते थे और फ़र्माते थे कि इससे बड़ा शिर्क क्या होगा कि वह कहती हो कि उसका रब ईसा (عليه السلام) है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तलाक़, बाब क़ौलुल्लाहि (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ) : 5285) और जब यह मुश्रिक ठहरीं तो नस्से क़ुरआनी में मौजूद है। (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) (2/बक़रह : 221) यानी ''मुश्रिका औरतों से निकाह न करो जब तक कि वह ईमान न लाएँ।'' इब्ने अबी हातिम में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जब मुश्रिका औरतों से निकाह न करने की रुख़्सत में नाज़िल हुई तो सहाबा (रज़ि.) ने अहले किताब औरतों से निकाह किए। (अल्मुअजमुल कबीर लित्तबरानी : 12607; व इब्ने अबी हातिम वसनदहू हसन; मज्मउज़्ज़वाइद : 4/274) और सहाबा की एक जमाअत से ऐसे निकाह इसी आयत को दलील बनाकर साबित है तो गोया पहले सूरह बक़रह की मुमानिअत में यह दाख़िल थीं लेकिन दूसरी आयत ने उन्हें मख़सूस कर दिया, यह उस वक़्त जब मान लिया जाए कि मुमानिअत वाली आयत के हुक्म में यह भी दाख़िल थीं वरना इन दोनों आयतों में कोई मुआरज़ा नहीं इसलिए कि और भी बहुत सी आयतों में आम मुश्रिकीन से इन्हें अलग बयान किया गया है जैसे कि आयत (لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) (98/बय्यिना : 1) और (قُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ) (3/आले इमरान : 20) फिर फ़र्माता है ''जब तुम उन्हें उनके मुक़र्ररा मुहर दे दो वह अपने नफ़्स को बचाने वालियाँ हों और तुम उनके मुहर अदा करने वाले हो।''

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.), आमिर शअबी, इब्राहीम नख़ई, और हसन बसरी (रह.) का फ़त्वा है कि जब किसी शख़्स ने किसी औरत से निकाह किया और दुख़ूल से पहले उसने बदकारी की तो मियाँ

बीवी में तफ़रीक़ करा दी जाएगी और जो मुहर शौहर ने औरत को दिया है उसे वापिस दिलवा दिया जाएगा। (इब्ने जरीर)

फिर फ़र्माता है, ''तुम भी पाकदामन इफ़्फ़त मआब रहो और ऐलानिया या पोशीदा बदकार न बनो।'' पस औरतों में जिस तरह पाकदामन और अफ़ीफ़ा होने की शर्त लगाई थी, मर्दों में भी यही लगाई और साथ ही फ़र्माया कि वह खुले बदकार न हों कि इधर उधर मुँह मारते फिरते हों, और न ऐसे हों कि ख़ास तअल्लुक़ से हरामकारी करते हों। सूरह निसाअ में भी इसी तरह गुज़र चुका है। हज़रत इमाम अहमद (रह.) इसी तरफ़ गए हैं कि ज़ानिया औरतों से तौबा से पहले हर्गिज़ किसी भले आदमी को निकाह करना जाइज़ नहीं और यही हुक्म उनके नज़दीक मर्दों का भी है कि बदकार मर्दों का निकाह नेककार इफ़्फ़त शआर औरतों से भी नाजाइज़ है जब तक कि वह सच्ची तौबा न करें और उस रज़ील काम से बाज़ न आ जाएँ। इनकी दलील एक हदीस भी है जिसमें है ''कोड़े लगाया हुआ ज़ानी अपने जैसी से ही निकाह कर सकता है।'' (अबूदाऊद, किताबुन्निकाह, बाब फ़ी क़ौलिही तआला (अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानिया) : 2052; वसनदुहू सहीहुन; अहमद : 2/324; मुश्किलुल आसार : 4548; हाकिम : 2/166; शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीहा : 2444) ख़लीफ़तुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने एक मर्तबा फ़र्माया कि मैं इरादा कर रहा हूँ कि जो मुसलमान कोई बदकारी करे मैं उसे हर्गिज़ किसी मुसलमान पाकदामन औरत से निकाह न करने दूँ। इस पर हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) ने अर्ज़ की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! शिर्क इससे बहुत बड़ा है इसके बावजूद भी मुश्रिक की तौबा क़बूल है इस मसला को हम आयत (اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً) (24/नूर : 3) की तफ़्सीर में पूरी तरह बयान करेंगे, इंशाअल्लाह! आयत के ख़ात्मे पर इर्शाद होता है कि आमाल एकारत हैं और वह आख़िरत में नुक़्सान याफ़्ता हैं।

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरे धो लिया करो और हाथों को कोहनियों समेत और अपने सरों का मसह कर लिया करो और अपने पैर को टख़्नों समेत धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की ह़ालत में हो तो ग़ुस्ल कर लिया करो, हाँ! अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुममें से कोई ह़ाजते-ज़रूरी से फ़ारिग़ होकर आया हो या तुम ज़ौरतों से मिले हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, उसे अपने चेहरे पर और हाथों पर मल लिया करो, अल्लाह तआला तुम पर किसी क़िस्म की तंगी डालना नहीं चाहता। बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेअमत देने का है ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो।'' (6)

वुज़ू और तयम्मुम के अह़काम पर तफ़्सीली बह़स (आयत 6) : अकसर मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि हुक्मे वुज़ू उस वक़्त है जबकि आदमी बेवुज़ू हो। एक जमाअ़त कहती है जब तुम खड़े हो यानी नींद से जागो, यह दोनों क़ौल तक़रीबन एक ही मतलब के हैं। और ह़ज़रात फ़र्माते हैं आयत तो ज़ाम है और अपने ज़ुमूम पर ही रहेगी लेकिन जो बेवुज़ू हो उस पर वुज़ू करने का हुक्म वुजूबन है और जो बावुज़ू हो उस पर इस्तिह़बाबन। एक जमाअ़त का ख़्याल है कि शुरु इस्लाम में हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू करने का हुक्म था फिर यह मंसूख़ हो गया। मुस्नद अह़मद वग़ैरह में है कि हुज़ूर (ﷺ) हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू किया करते थे, फ़तहे मक्का वाले दिन आपने वुज़ू किया और जुराबों पर मसह़ किया और उसी एक वुज़ू से कई नमाज़ें अदा कीं। यह देखकर ह़ज़रत ज़ुमर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज आपने वह काम किया जो आज से पहले नहीं करते थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ! मैंने भूलकर ऐसा नहीं किया बल्कि जान बूझकर क़सदन यह किया है।'' (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब जवाज़ुस्सलवाति कुल्लिहा बि वुज़ूइन वाह़िद : 277; अबूदाऊद : 172; तिर्मिज़ी : 61; इब्ने माजा : 510; अह़मद : 5/350; इब्ने ह़िब्बान : 1706; बैहक़ी : 1/162) इब्ने माजा वग़ैरह में है कि ह़ज़रत जाबिर बिन ज़ब्दुल्लाह (रज़ि.) एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ा करते थे, हाँ! पेशाब करते या वुज़ू टूट जाता तो ताज़ा कर लिया करते और वुज़ू ही के बचे हुए पानी से जुराबों पर मसह़ कर लिया करते थे, यह देखकर ह़ज़रत फ़ज़्ल बिन मुबश्शिर (रह़.) ने सवाल किया कि क्या आप इसे अपनी राय से करते हैं? फ़र्माया, नहीं! बल्कि मैंने नबी (ﷺ) को ऐसे करते देखा है। (इब्ने माजा, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ूइ लि कुल्लि सलातिन वस्सल्वातु कुल्लुहा बि वुज़ूइन वाह़िद : 511; वसनदुहू ज़ईफ़; फ़ज़्ल बिन मुबश्शिर ज़ईफ़ रावी हैं।) मुस्नद अह़मद वग़ैरह में है कि ह़ज़रत ज़ब्दुल्लाह बिन ज़ुमर (रज़ि.) को हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू करते देखकर ख़्वाह वुज़ू टूटा हो या न टूटा हो। उनके साह़बज़ादे ह़ज़रत ज़ुबेदुल्लाह (रह़.) से सवाल होता है कि इसकी क्या सनद है? फ़र्माया, इनसे ह़ज़रत अस्मा बिन्ते ज़ैद बिन ख़त्ताब ने कहा है उनसे ह़ज़रत ज़ब्दुल्लाह बिन ह़ंज़ला (रज़ि.) ने जो ग़सीले मलाइका के साह़बज़ादे थे, बयान किया है कि हुज़ूर (ﷺ) को हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू करने का हुक्म दिया गया था इस ह़ालत में कि वुज़ू बाक़ी हो तो भी, लेकिन इसमें क़द्रे मुशक़्क़त मालूम हुई तो वुज़ू के हुक्म के बदले मिस्वाक का हुक्म

रखा गया, हाँ! जब वुज़ू टूटे तो नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू ज़रूरी है उसे सामने रखकर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का ख़्याल है कि चूँकि उन्हें कुव्वत है इसलिए वह हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू करते हैं। आख़िर दम तक आपका यही हाल रहा। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुस्सिवाक : 48; वसनदुहू हसन; अहमद : 5/225; हाकिम : 1/156; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीह अबूदाऊद : 38) रज़ियल्लाहु अन्हू व अन वालिदिही। इसके एक रावी हज़रत मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) मुदल्लस हैं लेकिन चूँकि उन्होंने सराहत के साथ ''हदषना कहा है इसलिए तदलीस का डर भी जाता रहा है। हाँ! इब्ने असाकिर की रिवायत में यह लफ़्ज़ नहीं है, वल्लाहु आलम! हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के इस काम और इस पर हमेशगी से यह साबित होता है कि यह मुस्तहब ज़रूर है और यही मज़हब जुम्हूर का है।

इब्ने जरीर में है कि ख़ुलफ़ा (रज़ि.) हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू कर लिया करते थे। हज़रत अली (रज़ि.) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते और दलील में यह आयत तिलावत फ़र्मा देते। एक मर्तबा उन्होंने ज़ुहर की नमाज़ अदा की फिर लोगों का मज्मआ में तशरीफ़ फ़र्मा रहे फिर पानी लाया गया और आपने चेहरा धोया, हाथ धोये फिर सर का मसह किया और पैर का भी, और फ़र्माया, यह वुज़ू है उसका जो बेवुज़ू न हुआ हो। एक मर्तबा आपने ख़फ़ीफ़ वुज़ू करके भी यही फ़र्माया था। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है अबू दाऊद तयालिसी में हज़रत सईद बिन मुसय्यिब का क़ौल है कि वुज़ू टूटे बग़ैर वुज़ू करना ज़्यादती है, अव्वलन तो यह कौल सनदन बहुत ग़रीब है दूसरे यह कि मुराद इससे वह शख़्स है जो इसे वाजिब जानता हो और सिर्फ़ मुस्तहब समझकर जो ऐसा करे वह तो आमिलुल हदीस है। बुख़ारी व सुनन वग़ैरह में मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करते थे। एक अंसारी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से यह सुनकर कहा और आप लोग किया करते थे? फ़र्माया कि एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ा करते थे जब तक वुज़ू न टूटता। (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल वुज़ू मिन ग़ैरि हदस : 214; अबूदाऊद : 171; तिर्मिज़ी : 60; अहमद : 3/132; इब्ने माजा : 509; मुस्नद अबू यअ़ला : 3691; बैहक़ी : 1/162) इब्ने जरीर में हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान मरवी है ''जो शख़्स वुज़ू पर वुज़ू करे उसके लिए दस नेकियाँ लिखी जाती हैं।'' (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुर्रजुल युजद्दिदुल वुज़ू मिन ग़ैरि हद्स : 62; वसनदुहू ज़ईफ़; तिर्मिज़ी : 59; इस रिवायत में अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अफ़्रीक़ी ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : 1/480; रक़म : 938) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। देखिए (ज़ईफ़ुल जामेअ : 5536) तिर्मिज़ी वग़ैरह में भी यह रिवायत है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ कहा है। एक जमाअत कहती है कि आयत से सिर्फ़ इतना ही मक़्सूद है कि किसी और काम के वक़्त वुज़ू करना वाजिब नहीं सिर्फ़ नमाज़ के लिए ही इसका वुजूब है यह फ़र्मान इसलिए है कि हुज़ूर (ﷺ) की सुन्नत यह थी कि वुज़ू टूटने पर कोई काम न करते थे जब तक कि फिर वुज़ू न कर लें। इब्ने अबी हातिम वग़ैरह की एक ज़ईफ़ व ग़रीब रिवायत में है कि हुज़ूर (ﷺ) जब पेशाब का इरादा करते हम आपसे बोलते लेकिन आप (ﷺ) जवाब न देते, हम सलाम कहते फिर भी आप जवाब न देते यहाँ तक कि यह आयत रुख़्सत की उतरी। (तब्री इस रिवायत में जाबिर जुअफ़ी है जिसकी जुम्हूर मुहद्दिसीन ने तज़्ईफ़ की है। (अल्मीज़ान : 1/379; रक़म : 1425) अबूदाऊद में है कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) पाख़ाने से निकले

और खाना आपके सामने लाया गया तो हमने कहा, अगर फ़र्माएँ तो वुज़ू का पानी हाज़िर करें? फ़र्माया, "वुज़ू का हुक्म तो मुझे सिर्फ़ नमाज़ के लिए खड़ा होने के वक़्त ही किया गया है।" (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ी ग़ुस्लिल यदैन इन्दत्तआम : 3760; वसनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 1847; नसाई : 133; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह कहा है। (मुख़्तसरन शमाइले मुहम्मदिया : 158)) इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे हसन बतलाते हैं। एक और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया "मुझे कोई नमाज़ थोड़ी ही पढ़नी है जो मैं वुज़ू करूँ?" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हैज़, बाब जवाज़ु अकलिल मुहदसित्तआम : 374; अहमद : 1/222; बैहक़ी : 1/42) आयत के इन अल्फ़ाज़ से "जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो वुज़ू कर लिया करो" उलमा-ए-किराम (रह.) की एक जमाअत ने इस्तिदलाल किया है कि वुज़ू में निय्यत वाजिब है मतलब कलामे शरीफ़ का यह है कि नमाज़ के लिए वुज़ू कर लिया करो, जैसे अरब में कहा जाता है कि जब तू अमीर को देखे तो खड़ा हो जा। तो मतलब यह होता है कि अमीर के लिए खड़ा हो जा। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है "आमाल का दारोमदार निय्यत पर है और हर शख़्स के लिए सिर्फ़ वही है जो वह निय्यत करे।" (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ा काना बद्अल वही इला रसूलिल्लाह : 1; सहीह मुस्लिम : 1907) और चेहरा के धोने से पहले वुज़ू में बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब है क्योंकि एक पुख़्ता और बिलकुल सहीह हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "उस शख़्स का वुज़ू ही नहीं है जो अपने वुज़ू पर बिस्मिल्लाह न कहे।" (अबदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब तस्मियतु अलल वुज़ू : 101; वहुव हसन, इब्ने माजा : 399; हाकिम : 1/146; बैहक़ी : 1/43; अबू यअला : 6409; अहमद : 2/418; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 81) (हदीस के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ तो निय्यत की तरह बिस्मिल्लाह कहने पर भी वुजूब की दलालत करते हैं, वल्लाहु आलम, मुतर्जिम) यह भी याद रहे कि वुज़ू के पानी के बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथ का धो लेना मुस्तहब है और जब नींद से उठा हो तब तो सख़्त ताकीद आई है। बुख़ारी व मुस्लिम में रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान मरवी है "तुममें से कोई नींद से जागकर बर्तन में हाथ न डाले जब तक कि तीन मर्तबा धो न ले, उसे नहीं मालूम कि उसके हाथ रात के वक़्त कहाँ रहे हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल इस्तिज्मारि वितरा : 162; सहीह मुस्लिम : 278; अबूदाऊद : 103; तिर्मिज़ी : 24; इब्ने माजा : 393; अहमद : 2/241; इब्ने हिब्बान : 1061; बैहक़ी : 1/45)

मुँह की हद फ़ुक़्हा के नज़दीक लम्बाई में सिर के बालों के उगने की जो जगह उमूमन है वहाँ से दाढ़ी की हड्डी और ठुड़ी तक है। और चौड़ाई मेंएक से दूसरे कान तक। इसमें इख़्तिलाफ़ है कि दोनों जानिब के पेशानी के अड़े हुए बालों की जगह सर के हुक्म में है या चेहरे के? और दाढ़ी के लटकते हुए बालों का धोना चेहरे के धोने की फ़र्ज़ियत में दाख़िल है या नहीं? इसमें दो क़ौल हैं एक तो यह कि उन पर पानी का बहाना वाजिब है इसलिए कि चेहरा सामने करने के वक़्त उसका भी सामना होता है। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को दाढ़ी ढाँपे हुए देखकर फ़र्माया, "इसे खोल दे यह भी चेहरे में शामिल है।" (शैख़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी ने इसकी सनद के रावी मज्हूल होने की वजह से इसे ज़ईफ़ुन जिद्दा क़रार दिया है। देखिए (इब्ने कसीर : 2/486)) हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि अरब का मुहावरा भी यही है कि जब बच्चा की

दाढ़ी निकलती है तो वह कहते हैं "त़लआ वज्हुहू" पस मालूम होता है कि कलामे अ़रब में दाढ़ी चेहरे के हुक्म में है और लफ़्ज़ 'वज्ह' में दाख़िल है। दाढ़ी घनी और भरी हुई हो तो उसमें ख़िलाल करना मुस्तह़ब है। ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के वुज़ू का ज़िक्र करते हुए रावी कहता है कि आपने चेहरा धोते वक़्त तीन दफ़ा दाढ़ी का ख़िलाल किया फिर फ़र्माया, जिस त़रह़ तुमने मुझे करते हुए देखा, उसी त़रह़ मैं ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को करते हुए देखा है।" (तिर्मिज़ी, किताबुत्तहारत, बाब मा जाअ फ़ी तख़्लीलिल लह़िया : 31; वसनदुहू ह़सन; इब्ने माजा : 430; ह़ाकिम : 1/149; इब्ने ह़िब्बान : 1081; बैहक़ी : 1/45; शैख़ अल्बानी(रह़.) ने इस रिवायत को स़ह़ीह़ कहा है। (स़ह़ीह़ तिर्मिज़ी : 28)) तिर्मिज़ी वग़ैरह इस रिवायत को इमाम बुख़ारी और इमाम तिर्मिज़ी (रह़.) ह़सन बतलाते हैं। अबूदाऊद में है कि हुज़ूर (ﷺ) वुज़ू करते वक़्त एक चुल्लू पानी लेकर अपनी ठुडी तले डालकर अपनी दाढ़ी मुबारक का ख़िलाल करते थे और फ़र्माते थे "मुझे मेरे रब अ़ज़्ज़ व जल्ल ने इसी त़रह़ हुक्म फ़र्माया है।" (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब तख़्लीलिल लह़िया : 145; वसनदुहू ज़ईफ़; वलीद बिन ज़ूरान लीनुल ह़दीस रावी है। बैहक़ी : 1/54; ह़ाकिम : 1/149; वसनदुहू स़ह़ीहुन)

इमाम बैहक़ी (रह़.) फ़र्माते हैं कि दाढ़ी का ख़िलाल करना ह़ज़रत अ़म्मार, ह़ज़रत आ़इशा, ह़ज़रत उ़म्मे सलमा (रज़ि.) और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है और इसके तर्क की रुख़्स़त इब्ने उ़मर, ह़सन बिन अ़ली, नख़ई और ताबेईन (रह़.) की एक जमाअ़त से मरवी है। स़िह़ाह़ वग़ैरह में मरवी है कि हु ज़ूर (ﷺ) जब वुज़ू करने बैठते कुल्ली करते और नाक में पानी डालते। अइम्मा का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि यह दोनों वुज़ू और ग़ुस्ल में वाजिब हैं या मुस्तह़ब? इमाम अह़मद और इमाम मालिक (रह़.) मुस्तह़ब कहते हैं इनकी दलील सुनन की वह ह़दीस है जिसमें जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने वाले से हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्माना मरवी है "वुज़ू कर जिस त़रह़ अल्लाह तआ़ला ने तुझे हुक्म दिया है।" (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब स़लातु मल्ला युक़ीमु सुल्बहू फ़िर्रुकूइ वस्सुजूद : 861; वसनदुहू स़ह़ीहुन; तिर्मिज़ी : 302; इब्ने माजा : 2460; अह़मद : 4/340; बैहक़ी : 2/134; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत पर स़ह़ीह़ का हुक्म लगाया है। (देखिए स़ह़ीह़ तिर्मिज़ी : 247) इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) का मस्लक यह है कि ग़ुस्ल में वाजिब है और वुज़ू में नहीं। एक रिवायत इमाम अह़मद (रह़.) से मरवी है कि नाक में पानी डालना तो वाजिब और कुल्ली करना मुस्तह़ब है क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान है "जो वुज़ू करे वह नाक में पानी डाले।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब इस्तिन्सार फ़िल वुज़ू : 161; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 237; इब्ने माजा : 409;अह़मद : 2/401; इब्ने ह़िब्बान : 1438; बैहक़ी : 1/103) और रिवायत में है "तुममें से जो वुज़ू करे वह अपने दोनों नथुनों में पानी डाले और अच्छी त़रह़ डाले।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल इस्तिज्मार वितरा : 162; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 237; अबूदाऊद : 140; अह़मद : 2/278; इब्ने ह़िब्बान : 1439) मुस्नद अह़मद और बुख़ारी में है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास(रज़ि.) वुज़ू करने बैठे तो चेहरा धोया एक चुल्लू पानी लेकर कुल्ली की और नाक स़ाफ़ किया फिर एक चुल्लू लेकर दाहिना हाथ धोया फिर एक चुल्लू लेकर उससे बायाँ हाथ धोया, फिर मसह़ किया, फिर पानी का एक चुल्लू लेकर अपने दाहिने पैर पर डालकर उसे धोया फिर एक चुल्लू से बायाँ पैर धोया फिर फ़र्माया, मैंने अल्लाह तआ़ला के पैग़म्बर (ﷺ) को इसी त़रह़

वुज़ू करते हुए देखा है।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब गुस्लुल वज्हि बिल यदैन मिन गुर्फ़तिव्वांहिदा : 140; अह़मद : 1/268; बैहक़ी : 1/53) (इलल मराफ़िक़) से '' मअल मराफ़िक़ '' है जैसे फ़र्मान है (وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ، اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا) यानी ''यतीमों के मालों को अपने मालों समेत न खा जाया करो यह बड़ा ही गुनाह है।'' इसी त़रह़ यहाँ भी है कि हाथों को कोहनियों तक नहीं बल्कि कोहनियों समेत धोना चाहिए। दारे कुत़्नी वग़ैरह में है कि हुज़ूर (ﷺ) वुज़ू करते हुए अपनी कोहनियों पर पानी बहाते थे। (दारेकुत़्नी : 1/83; 268; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; बैहक़ी : 1/56) लेकिन इसकेदो रावियों में कलाम है, वल्लाहु आलम! वुज़ू करने वाले के लिए मुस्तह़ब है कि कोहनियों से आगे अपने बाज़ू को भी वुज़ू में धो ले क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम में ह़दीस है हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं ''मेरी उम्मत वुज़ू के निशानों की वजह से क़यामत के दिन चमकते ह़िस्सों से आएगी पस तुममें से जिससे हो सके वह अपनी चमक को दूर तक ले जाए।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब फ़ज़्लुल वुज़ू वल ग़र्रल मुह़ज्जिलून मिन आसारिल वुज़ू : 136; सह़ीह़ मुस्लिम : 246; अह़मद : 2/40; इब्ने ह़िब्बान : 1046; बैहक़ी : 1/57) सह़ीह़ मुस्लिम में है ''मोमिन को वहाँ तक ज़ेवर पहनाए जाएँगे जहाँ तक उसके वुज़ू का पानी पहुँचता है।'' (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब तुब्लगुल ह़िल्यतु हैसु यब्लुगुल वुज़ू : 250; अह़मद : 2/371; इब्ने ह़िब्बान : 1045; बैहक़ी : 1/56) (बि रुऊसिकुम) में जो ''ब'' है उसका इल्साक़ यानी मिला देने के लिए होना तो ज़्यादा ज़ाहिर है और तब्ईज़ यानी कुछ ह़िस्से के लिए होना ताम्मुल त़लब है। कुछ उसूली ह़ज़रात फ़र्माते हैं चूँकि आयत में इज्माल है इसलिए सुन्नत ने जो इसकी तफ़्सील की है वही मुअतबर है और उसी की त़रफ़ लौटना पड़ेगा। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम सह़ाबी (रज़ि.) से एक शख़्स ने कहा, आप वुज़ू करके हमें बतलाईए आपने पानी मंगवाया और अपने दोनों हाथ दो-दो दफ़ा धोये फिर तीन बार कुल्ली की और नाक में पानी डाला, तीन ही दफ़ा अपना चेहरा धोया, फिर कोहनियों समेत अपने दोनों हाथ दो मर्तबा धोये फिर दोनों हाथों से सर का मसह़ किया, सर के इब्तिदाई ह़िस्से से गुद्दी तक ले गए फिर वहाँ से यहीं तक वापिस लाए, फिर अपने दोनों पैर धोए। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब मसह़र्रअस कुल्लहू : 185; सह़ीह़ मुस्लिम : 235; अबूदाऊद : 118; तिर्मिज़ी : 32; इब्ने माजा : 434; अह़मद : 4/38; इब्ने ह़िब्बान : 1084; बैहक़ी : 1/59) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से भी हुज़ूर (ﷺ) के वुज़ू का त़रीक़ा इसी त़रह़ मंक़ूल है। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब सिफ़तु वुज़ूइन्नबी (ﷺ) : 111;वसनदुहू सह़ीहुन; अह़मद : 1/122; इब्ने ह़िब्बान : 1056; बैहक़ी : 1/50; तिर्मिज़ी : 49; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को सह़ीह़ कहा है। देखिए (सह़ीह़ तिर्मिज़ी : 49) अबूदाऊद में ह़ज़रत मुआ़विया और ह़ज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) से भी इसी त़रह़ मरवी है। यह ह़दीसें दलील हैं उस पर कि पूरे सर का मसह़ फ़र्ज़ है। यही मज़हब ह़ज़रत इमाम मालिक (रह़.) और ह़ज़रत इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) का है और यही मज़हब उन तमाम ह़ज़रात का है जो आयत को मुज्मल (कौमन) मानते हैं और ह़दीस को इसका बयान जानते हैं। ह़नफ़ियों का ख़्याल है कि चौथाई सर का मसह़ फ़र्ज़ है जो सर का इब्तिदाई ह़िस्सा है और हमारे साथी यानी शाफ़ेई कहते हैं कि फ़र्ज़ सिर्फ़ इतना है जितने पर मसह़ का इत़्लाक़ हो जाए उसकी कोई ह़द नहीं, सर के चंद बालों पर भी मसह़ हो गया तो फ़र्ज़ियत पूरी हो गई। इन दोनों जमाअ़तों की दलील ह़ज़रत मुग़ीरा बिन शुअ़बा (रज़ि.) वाली ह़दीस है कि नबी (ﷺ) पीछे रह गये और मैं भी आप

(ﷺ) के साथ पीछे रह गया। जब आप क़ज़ा-ए-हाजत कर चुके तो मुझसे पानी तलब किया, मैं लोटा ले आया, आपने अपने दोनों पहुँचे धोये फिर चेहरा धोया फिर कलाईयों पर से कपड़ा हटाया और पेशानी से मिले हुए बालों और पगड़ी पर मसह किया और दोनों जुराबों पर भी..... (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब अल्मसह अलन्नासिया वल अमामा : 274; अबूदाऊद : 150; इब्ने माजा : 1326; अहमद : 4/248; इब्ने हिब्बान : 1347; बैहक़ी : 1/58) इसका जवाब इमाम अहमद (रह.) और उनके साथी यह देते हैं कि सर से शुरू हिस्से पर मसह करके बाक़ी पगड़ी पर पूरा कर लिया और इसकी बहुत सी मिसालें अहादीस में हैं। आप (ﷺ) पगड़ी पर और जुराबों पर मसह किया करते थे पस यही औला है और इसमें हर्गिज़ इस बात पर कोई दलालत नहीं कि सर के कुछ हिस्से पर या सिर्फ़ पेशानी के बालों पर ही मसह करे और इसकी तक्मील पगड़ी पर न हो, वल्लाहु आलम!

फिर इसमें भी इख़्तिलाफ़ है कि सर का मसह भी तीन बार हो या एक ही बार? इमाम शाफ़ेई (रह.) का मज़हब अव्वल है और इमाम अहमद (रह.) और उनके मानने वाले का दूसरा। दलाइल यह हैं, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) वुज़ू करने बैठते हैं अपने दोनों हाथों पर तीन बार पानी डालते हैं, उन्हें धोकर फिर कुल्ली करते हैं और नाक में पानी डालते हैं फिर तीन मर्तबा चेहरा धोते हैं फिर तीन तीन बार दोनों हाथ कोहनियों समेत धोते हैं पहले दायाँ फिर बायाँ, फिर अपने सर का मसह करते हैं फिर दोनों पैर तीन तीन बार धोते हैं पहले दायाँ फिर बायाँ। फिर आपने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह वुज़ू करते हुए देखा और वुज़ू के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो शख़्स मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू करे फिर दो रकअत नमाज़ अदा करे जिसमें दिल से बातें न करे तो उसके तमाम अगले गुनाह माफ़ हो जाते हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाबुल वुज़ू सलासन सलासा : 159; सहीह मुस्लिम : 226; अबूदाऊद : 106; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 139; अहमद : 1/59; बैहक़ी : 1/57) सुनन अबी दाऊद में इसी रिवायत में सर के मसह करने के साथ ही यह लफ़्ज़ भी हैं कि सर का मसह एक मर्तबा किया। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब सिफ़तुल वुज़ू : 108; वसनदुहू ज़ईफ़; सईद बिन ज़ियाद अल्मुअज़्ज़िन मज्हूलुल हाल रावी है।) हज़रत अली (रज़ि.) से भी इसी तरह मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब सिफ़तुल वुज़ू : 111; तिर्मिज़ी : 48; वसनदुहू सहीहुन; नसाई : 92; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह कहा है। देखिए (अबूदाऊद : 102)) और जिन लोगों ने सर के मसह को भी तीन बार कहा है उन्होंने इस हदीस से दलील ली है जिसमें है कि हुज़ूर (ﷺ) ने तीन तीन बार वुज़ू के हिस्सों को धोया। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब फ़ज़्लुल वुज़ूइस्सलात अक़िबह् : 230) हज़रत उस्मान (रज़ि.) से मरवी है कि आप (ﷺ) ने वुज़ू किया फिर इसी तरह रिवायत है और उसमें कुल्ली करने और नाक में पानी डालने का ज़िक्र नहीं, और उसमें है कि फिर आपने तीन मर्तबा सर का मसह किया और तीन मर्तबा अपने दोनों पैर धोए फिर फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को इसी तरह करते देखा और आपने फ़र्माया, "जो ऐसा वुज़ू करे उसे काफ़ी है।" (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब सिफ़तुल वुज़ू : 107; वसनदुहू हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह कहा है। देखिए (सहीह अबूदाऊद : 98)) लेकिन हज़रत उस्मान (रज़ि.) से जो अहादीस सिहाह में मरवी है उनसे तो सर का मसह एक बार ही साबित होता है।

(अर्जुलकुम) लाम के ज़बर से अत्फ़ है। **(वुजूहकुम व अयदियकुम)** पर मातहत है धोने के हुक्म के। इब्ने अब्बास (रज़ि.) यूँ ही पढ़ते थे और यही फ़र्माते थे। (तब्री : 10/55) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) हज़रत उर्वा, हज़रत अता, हज़रत इक्रिमा, हज़रत हसन, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्राहीम, हज़रत ज़ह्हाक, हज़रत सुद्दी, हज़रत मुक़ातिल बिन हय्यान, हज़रत ज़ोहरी, हज़रत इब्राहीम तैमी (रहि.) वग़ैरह का यही क़ौल है और यही क़िरात है। (तब्री : 10/55) और यह बिलकुल ज़ाहिर है कि पैर धोने चाहिएँ यही फ़र्मान सल्फ़ का है और यहीं से जुम्हूर ने वुज़ू की तर्तीब के वुजूब पर इस्तिदलाल किया है सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) इसके ख़िलाफ़ हैं वह वुज़ू में तर्तीब को शर्त नहीं जानते। इनके नज़दीक अगर कोई शख़्स पहले पैरों को धोए फिर सर का मसह करे फिर हाथ धोए, फिर चेहरा धोए, जब भी जाइज़ है इसलिए कि आयत ने इन हिस्सों के धोने का हुक्म दिया है। वाव की दलालत तर्तीब पर नहीं होती। इसके जवाब जुम्हूर ने कई एक दिए हैं, एक तो यह कि 'फ़' तर्तीब पर दलालत करती है आयत के अल्फ़ाज़ में नमाज़ पढ़ने वाले को चेहरा धोने का हुक्म (फ़ग़्सिलू) से होता है। तो कम अज़्कम चेहरा का अव्वल धोना तो लफ़्ज़ों से साबित हो गया। अब उसके बाद के हिस्सों में तर्तीब इज्माअ से साबित है जिसमें ख़िलाफ़ नज़र नहीं आता। फिर जबकि 'फ़' जो तअक़ीब के लिए है और जो तर्तीब की मुक़्तज़ा है एक पर दाख़िल हो चुकी तो उस एक की तर्तीब मानते हुए दूसरे की तर्तीब का इंकार कोई नहीं करता बल्कि या तो सबकी तर्तीब के क़ाइल हैं या किसी एक की भी तर्तीब के क़ाइल नहीं, पस यह आयत उन पर यक़ीनन हुज्जत है जो सिरे से तर्तीब के मुंकिर हैं। दूसरा जवाब यह है कि वाव तर्तीब पर दलालत नहीं करता उसे भी हम तस्लीम नहीं करते बल्कि वह तर्तीब पर दलालत करता है जैसे कि नह्वियों की एक जमाअत का और कुछ फ़ुक़्हा का मज़हब है फिर यह चीज़ भी क़ाबिले ग़ौर है कि बिलफ़र्ज़ लुग़तन इसकी दलालत तर्तीब पर न भी हो तो भी शरअन तो जिन चीज़ों में तर्तीब हो सकती है उनमें उसकी दलालत तर्तीब पर होती है।

सहीह मुस्लिम शरीफ़ में हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करके बाबे सफ़ा से निकले तो आप आयत (اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ) (2/बक़रह : 158) की तिलावत कर रहे थे और फ़र्माया, ''मैं उसी से शुरू करूँगा जिसे अल्लाह तआला ने पहले बयान फ़र्मा दिया।'' चुनाँचे सफ़ा से सई शुरू की। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन् नबी (ﷺ) : 1218; अबूदाऊद : 1905; इब्ने माजा : 3074) नसाई में रसूलुल्लाह (ﷺ) का यह हुक्म देना भी मरवी है। (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 3968; वसनदुहू सहीहुन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1017) ''उससे शुरू करो जिससे अल्लाह तआला ने शुरू किया है'' इसकी इस्नाद भी सहीह हैं और इसमें अम्र है पस मालूम हुआ कि जिसका ज़िक्र पहले हो उसे पहले करना और उसके बाद उसे जिसका ज़िक्र बाद में हो करना वाजिब है पस साफ़ साबित हो गया कि ऐसे मवाक़ेअ पर शरअन तर्तीब मुराद होती है, वल्लाहु आलम! तीसरी जमाअत जवाबन कहती है कि हाथों को कोहनियों समेत धोने के हुक्म और पैरों को धोने के हुक्म के बीच सर के मसह करने के हुक्म को बयान करना साफ़ दलील है उस अम्र की कि मुराद तर्तीब को बाक़ी रखना है वरना नज़्मे कलाम को यूँ उलट पलट न किया जाता । एक जवाब इसका यह भी है कि अबूदाऊद वग़ैरह में सहीह सनद से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू के हिस्सों को एक एक बार धोकर वुज़ू

किया फिर फ़र्माया, ''यह वुज़ू है कि जिसके बग़ैर अल्लाह तआला नमाज़ को क़बूल नहीं फ़र्माता।'' (इब्ने माजा, किताबुत्तहारत, बाब मा जाअ फ़िल वुज़ूइ मर्रतन मर्रतैनि व सलासा : 419; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा ज़ैद इम्मी ज़ईफ़ रावी और इसका बेटा अब्दुर्रहीम मतरूक रावी है। दारे क़ुत्नी : 1/80; बैहक़ी : 1/80; अन अब्दुल्लाह बिन उमर(रज़ि.), शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ुन जिद्दा कहा है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 4735) अब दो सूरतें हैं या तो इस वुज़ू में तर्तीब थी या न थी। अगर कहा जाए कि हुज़ूर (ﷺ) का यह वुज़ू मुरत्तब था यानी बाक़ायदा एक के पीछे एक हिस्सा धोया था तो मालूम हुआ कि जिस वुज़ू में तक़्दीम व ताख़ीर हो और सह़ीह तौर पर तर्तीब न हो वह नमाज़ क़बूल नहीं, लिहाज़ा तर्तीब वाजिब व फ़र्ज़ है। और अगर यह मान लिया जाए कि इस वुज़ू में तर्तीब न थी बल्कि अड़ंग बड़ंग था, पैर धो लिए फिर कुल्ली कर ली, फिर मसह़ कर लिया, फिर चेहरा धो लिया वग़ैरह तो अदमे तर्तीब वाजिब हो जाएगी ह़ालाँकि इसका क़ाइल उम्मत में से एक भी नहीं पस साबित हो गया कि वुज़ू में तर्तीब फ़र्ज़ है आयत के इस जुम्ले की एक क़िराअत और भी है। (व अर्जुलिकुम) लाम के ज़ेर से और उसी से शिया ने अपने इस क़ौल की दलील ली है कि पैरों पर मसह़ करना वाजिब है क्योंकि उनके नज़दीक इसका अ़त्फ़ सर के मसह़ करने पर है कुछ सल्फ़ से भी कुछ ऐसे क़ौल मरवी हैं। जिनसे मसह़ के क़ौल का वहम पड़ता है चुनाँचे इब्ने जरीर में है कि मूसा बिन अनस (रज़ि.) ने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से लोगों की मौजूदगी में कहा कि ह़ज्जाज ने अहवाज़ में ख़ुत्बा देते हुए तहारत और वुज़ू के अह़काम में कहा है कि चेहरा हाथ धोओ और सर का मसह़ करो और पैरों को धोया करो। उमूमन पैरों पर ही गंदगी लगती है पस तलवों को और पैरों की पुश्त को और ऐड़ी को ख़ूब अच्छी तरह़ से धोया करो। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब में कहा कि अल्लाह तआला सच्चा है और ह़ज्जाज झूठा है। अल्लाह तआला फ़र्माता है (وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ) और ह़ज़रत अनस (रज़ि.) की आदत थी कि पैरों का जब मसह़ करते उन्हें बिलकुल भिगो लिया करते। आप ही से मरवी है कि क़ुरआने करीम में पैरों पर मसह़ करने का हुक्म है। हाँ! हुज़ूर (ﷺ) की सुन्नत पैरों का धोना है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि वुज़ू में दो चीज़ों का धोना है और दो पर मसह़ करना है। ह़ज़रत क़तादा (रह़.) से भी यही मरवी है। इब्ने अबी ह़ातिम में ह़ज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि आयत में पैरों पर मसह़ करने का बयान है। इब्ने उमर (रज़ि.), अल्क़मा, अबू जाफ़र मुह़म्मद बिन अली और एक रिवायत में ह़ज़रत ह़सन और जाबिर बिन ज़ैद (रह़.) और एक रिवायत में मुजाहिद (रह़.) से भी इसी तरह़ मरवी है। ह़ज़रत इक्रिमा (रह़.) अपने पैरों पर मसह़ कर लिया करते थे। शअबी फ़र्माते हैं कि ह़ज़रत जिब्राईल (عليه السلام) की मअरिफ़त मसह़ का हुक्म नाज़िल हुआ है। आपसे यह भी मरवी है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि जिन चीज़ों को धोने का हुक्म था उन पर तो तयम्मुम के वक़्त मसह़ का हुक्म रहा और जिन चीज़ों के मसह़ का हुक्म था तयम्मुम के वक़्त उन्हें छोड़ दिया गया। आमिर शअबी (रह़.) से किसी ने कहा कि लोग कहते हैं ह़ज़रत जिब्राईल (عليه السلام) पैरों के धोने का हुक्म लाए हैं। आपने फ़र्माया, जिब्राईल (عليه السلام)! मसह़ के हुक्म के साथ नाज़िल हुए थे। पस यह सब आसार बिलकुल ग़रीब हैं और मह़मूल हैं उस अम्र पर कि मुराद मसह़ से उन बुज़ुर्गों की हल्का धोना है, क्योंकि सुन्नत से साफ़ साबित है कि पैरों का धोना वाजिब है याद रहे कि ज़ेर की क़िरात या तो मुजाविरत और तनासुबे कलाम की वजह से है। जैसे अरब का कलाम ''जुह़रु ज़ुब्बिन ख़र्बे'' में और अल्लाह तआला के कलाम (عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ

سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ (76/दहर : 21) में। लुग़ते अरब में पास होने की वजह से दोनों लफ़्ज़ों को एक ही ऐराब दे देना यह अक्सर पाया गया है। हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह़.) ने इसकी एक तौजीह भी बयान की है कि यह हुक्म उस वक़्त है जब पैरों पर जुराबें हों। कुछ कहते हैं कि मुराद मसह़ से हल्का धो लेना है जैसे कि कुछ रिवायतों में सुन्नत से साबित है अल्ग़र्ज़ पैरों का धोना फ़र्ज़ है जिसके बग़ैर वुज़ू न होगा। आयत में भी यही है और अह़ादीस में भी यही है जैसे कि अब हम उन्हें वारिद करेंगे, इंशाअल्लाह तआला। बैहक़ी में है ह़ज़रत अली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) ज़ुहर की नमाज़ के बाद बैठक में बैठे रहे और अ़स्र तक लोगों के काम काज में मशग़ूल रहे पानी मंगवाया और एक चुल्लू से चेहरा का और दोनों हाथों का सर का और दोनों पैरों का मसह़ किया और खड़े होकर बचा हुआ पानी पी लिया फिर फ़र्माने लगे कि लोग खड़े खड़े पानी पीने को मकरूह कहते हैं और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी त़रह़ देखा है और आपने फ़र्माया "यह वुज़ू है उसका जो बेवुज़ू न हुआ हो।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब अश्शुर्बु क़ाइमा : 5615, 5616; अबूदाऊद : 3718; शमाइल : 210; अह़मद : 1/78; इब्ने ह़िब्बान : 1057; बैहक़ी : 1/75) शियों में से जिन लोगों ने पैरों का मसह़ उसी त़रह़ क़रार दिया जिस त़रह़ जुराबों पर मसह़ करते हैं, उन लोगों ने यक़ीनन ग़लती की और लोगों को गुमराही में डाला। इसी त़रह़ वह लोग भी ख़त़ाकार हैं जो मसह़ और धोने दोनों को जाइज़ क़रार देते हैं और जिन लोगों ने इमाम इब्ने जरीर (रह़.) की निस्बत यह ख़्याल किया है कि उन्होंने अह़ादीस की बिना पर पैरों के धोने को और आयते क़ुरआनी की बिना पर पैरों पर मसह़ को फ़र्ज़ क़रार दिया है उनकी तह़क़ीक़ भी स़ह़ीह़ नहीं। तफ़्सीर इब्ने जरीर हमारे हाथों में मौजूद है उनके कलाम का ख़ुलासा यह है कि पैरों को रगड़ना वाजिब है, और ह़िस्सों में यह वाजिब नहीं, क्योंकि पैर ज़मीन और मिट्टी वग़ैरह से मिलते रहते हैं तो इनका धोना ज़रूरी है ताकि जो कुछ लगा हो हट जाए लेकिन इस रगड़ने के लिए मसह़ का लफ़्ज़ वह लाए हैं और इसी से कुछ लोगों को यह शुबा सा हो गया। और वह यह समझ बैठे हैं कि मसह़ और ग़ुस्ल के बीच इस त़रह़ जमा कर दी है ह़ालाँकि दरअस़ल उसके कुछ मानी ही नहीं होते मसह़ तो ग़ुस्ल में दाख़िल है चाहे मुक़द्दम हो चाहे मुअख़्ख़र हो, पस ह़क़ीक़तन इमाम स़ाह़ब (रह़.) का इरादा वही है जो मैंने ज़िक्र किया और इसको न समझकर अक्सर फ़ुक़्हा ने इसे मुश्किल जान लिया। मैंने बा-बार ग़ौरो फ़िक्र किया तो मुझ पर स़ाफ़ त़ौर से यह अयाँ हो गया है कि इमाम स़ाह़ब (रह़.) दोनों क़िरातों में जमा करना तलाश कर रहे हैं। पस ज़ेर की क़िराअत यानी मसह़ को तो वह मह़मूल करते हैं 'दलक' पर यानी अच्छी त़रह़ मल रगड़कर स़ाफ़ करने पर और ज़बर की क़िराअत तो ग़ुस्ल पर यानी धोने पर है, पस वह धोने को और मलने को दोनों को वाजिब कहते हैं ताकि ज़ेर और ज़बर दोनों की क़िरातों पर एक साथ अ़मल हो जाए। अब उन अह़ादीस को सुनिए जिनमें पैरों के धोने के ज़रूरी होने का ज़िक्र है। अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान, अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रत अ़ली बिन अबी त़ालिब, ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास, ह़ज़रत मुआविया, ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम, ह़ज़रत मिक़्दाद बिन मअ़द यक्रिब (रज़ि.) की रिवायात पहले बयान हो चुकी हैं कि ह़ुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू करते हुए अपने पैरों को धोया, एक बार या दो बार या तीन बार, अ़म्र बिन शुऐ़ब (रह़.) की ह़दीस में है कि ह़ुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू किया और अपने दोनों पैर धोए फिर फ़र्माया, "यह वुज़ू है जिसके बग़ैर अल्लाह तआला नमाज़ क़बूल नहीं करता।" (इसकी तख़रीज पीछे गुज़र चुकी है) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि एक मर्तबा एक सफ़र में

रसूलुल्लाह हमसे पीछे रह गए थे जब आप आए तो हम जल्दी-जल्दी वुज़ू कर रहे थे क्योंकि अ़सर की नमाज़ का वक़्त मुअख़्ख़र हो चुका था। हमने जल्दी जल्दी अपने पैरों पर छुआ छुई शुरू कर दी तो आप (ﷺ) ने बहुत बुलंद आवाज़ से फ़र्माया, "वुज़ू को कामिल और पूरा करो, ऐड़ियों को ख़राबी है आग लगने से।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब मन रफ़अ़ स़ौतहू बिल इल्म : 60; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 241; अबूदाऊद : 97; इब्ने माजा : 450; अह़मद : 2/193; इब्ने ह़िब्बान : 1055; बैहक़ी : 1/68) एक और हदीस में है "वैल है ऐड़ियों के लिए और तलवों के लिए आग से" (ह़ाकिम : 1/162; अह़मद : 4/191; वसनदुहू ज़ईफ़; बैहक़ी : 1/70) और रिवायत में है "टख़्नों को वैल है आग से" (अह़मद : 3/369; वसनदुहू स़ह़ीह़) एक शख़्स के पैर में एक दिरहम के बराबर जगह बेधुली देखकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "ख़राबी है ऐड़ियों के लिए आग से।" (मुस्नद अह़मद : 3/390; वहुव स़ह़ीह़ बिशशवाहिद, मुस्नद त़यालिसी : 1797; इब्ने अबी शैबा : 1/26; मुस्नद अबी यअ़ला : 2065; यह रिवायत स़ह़ीह़ है। देखिए (अल्मौसूअ़तुल ह़दीसिया : 23/220) इब्ने माजा वग़ैरह में है कि कुछ लोगों को वुज़ू करते हुए देखकर जिनकी ऐड़ियों पर अच्छी त़रह़ पानी नहीं पहुँचा था अल्लाह तआ़ला के रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, "इन ऐड़ियों के लिए आग से ख़राबी है।" (इब्ने माजा, किताबुत्तहारत, बाब ग़ुस्लुल अ़राक़ीब : 450; अह़मद : 3/316; वसनदुहू ज़ईफ़; व अस़लुल ह़दीस स़ह़ीह़ बिशशवाहिद) मुस्नद अह़मद में भी हुज़ूर (ﷺ) के यह अल्फ़ाज़ वारिद हैं। इब्ने जरीर में दो मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) का इन अल्फ़ाज़ को कहना वारिद है। रावी ह़ज़रत अबू उमामा (रज़ि.) फ़र्माते हैं फिर तो मस्जिद में एक भी शरीफ़ व वज़ीअ़ ऐसा न रहा जो अपनी ऐड़ियों को मोड़-मोड़कर न देखता हो।" (त़ब्री : 10/73; इस रिवायत में मुत़रिह़ बिन यज़ीद, उ़बैदुल्लाह बिन ज़ह्र (अल्जरह़ वत्तादील : 8/409, 5/315) अ़ली बिन यज़ीद (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 1/159) ज़ईफ़ रूवात हैं।) और रिवायत में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते हुए देखा जिसकी ऐड़ी या टख़्ने में बक़द्र एक दिरहम के जिल्द ख़ुश्क रह गई थी तो यही फ़र्माया फिर तो यह ह़ालत थी कि अगर ज़रा सी जगह भी किसी के पैर की ख़ुश्क रह जाती तो वह पूरा वुज़ू फिर से करता। (त़बरानी : 8109, 8116; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 1/24; त़ब्री : 10/74; इस रिवायत में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत़ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/138) पस इन अह़ादीस से खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर है कि पैरों का धोना फ़र्ज़ है अगर इनका मसह़ फ़र्ज़ होता तो ज़रा सी जगह के ख़ुश्क रह जाने पर अल्लाह तआ़ला के नबी (ﷺ) वईद और वह भी जहन्नम की आग की वईद से न डराते, इसलिए कि मसह़ में ज़रा ज़रा सी जगह पर हाथ का पहुँचाना दाख़िल ही नहीं, लिहाज़ा फिर तो पैर के मसह़ की वही सूरत होगी जो जुराबों पर मसह़ करने की है यही चीज़ इमाम इब्ने जरीर (रह़.) ने शियों के मुक़ाबले में पेश की है। स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ में है कि ह़ज़रत (ﷺ) ने देखा कि एक शख़्स ने वुज़ू किया और उसका पैर किसी जगह से नाख़ुन के बराबर धुला नहीं, ख़ुश्क रह गया तो आपने फ़र्माया, "लौट जाओ और अच्छी त़रह़ वुज़ू करो।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब वुजूबे इस्तीआबे जमीइ़ अज्ज़ाइ मह़ल्लित्तहारत : 243) बैहक़ी वग़ैरह में भी यह ह़दीस है। मुस्नद अह़मद में है कि एक नमाज़ी को आपने नमाज़ में देखा कि उसके पैर में बक़द्र दिरहम के जगह ख़ुश्क रह गई है तो उसे वुज़ू लौटाने का हुक्म दिया। (मुस्नद अह़मद : 3/146; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब तफ़रीकुल वुज़ू : 173; वहुव स़ह़ीह़ इब्ने माजा : 665; मुस्नद अबू यअ़ला : 2944;

बैहक़ी : 1/83; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ तह़त रक़म : 86) ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि.) से हुज़ूर (ﷺ) के वुज़ू का त़रीक़ा जो मरवी है उसमें यह भी है कि आपने उँगलियों के बीच ख़िलाल भी किया। सुनन में है ह़ज़रत स़बुरा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से वुज़ू की निस्बत पूछा तो आपने फ़र्माया, "वुज़ू कामिल और अच्छा करो, उँगलियों के दरम्यान ख़िलाल करो और नाक में पानी अच्छी त़रह़ दो, हाँ! रोज़े की ह़ालत में हो तो और बात है।" (अबूदाऊद, किताबुस़्सियाम, बाब अस़्साइम युस़ीबु अ़लैहिल माअ मिनल अ़तशि व युबालिगु फ़िल इस्तिन्शाक़ : 2366; वसनदुहू स़ह़ीहुन; तिर्मिज़ी : 788; इब्ने माजा : 407; इब्ने ह़िब्बान : 1054; बैहक़ी : 1/50; ह़ाकिम : 1/147; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को स़ह़ीह़ कहा है। देखिए (स़ह़ीहुल जामेअ : 927) मुस्नद अह़मद व मुस्लिम वग़ैरह में है कि ह़ज़रत अ़म्र बिन अ़ब्सा (रज़ि) कहते हैं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे वुज़ू की बाबत ख़बर दीजिए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो शख़्स़ वुज़ू का पानी लेकर कुल्ली करता है और नाक में पानी डालता है तो उसके चेहरे से और नथुनों से पानी के साथ ही ख़त़ाएँ झड़ जाती हैं जबकि वह नाक झाड़ता है फिर जब वह चेहरा धोता है जैसाकि अल्लाह का हुक्म है तो उसके चेहरे की ख़त़ाएँ दाढ़ी और दाढ़ी के बालों से पानी के गिरने के साथ ही झड़ जाती हैं, फिर वह अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोता है तो उसके हाथों के गुनाह उसकी पोरियों की त़रफ़ से झड़ जाते हैं फिर वह मसह़ करता है तो उसके सर की ख़त़ाएँ उसके बालों के किनारों से पानी के साथ ही झड़ जाती हैं फिर जब वह अपने पैर टख़्नों समेत मुत़ाबिक़ हुक्मे रब्बानी धोता है तो उँगलियों से पानी टपकने के साथ ही उसके पैरों के गुनाह भी दूर हो जाते हैं फिर वह खड़ा होकर अल्लाह तआ़ला के लायक़ जो ह़म्दो सना है उसे बयान करके दो रकअ़त नमाज़ जब अदा करता है तो वह अपने गुनाहों से ऐसा पाक स़ाफ़ हो जाता है जैसे वह आज पैदा हुआ हो।" यह सुनकर ह़ज़रत अबू उमामा (रज़ि.) ने ह़ज़रत अ़म्र बिन अ़ब्सा (रज़ि.) से कहा, ख़ूब ग़ौर कर लीजिए कि आप क्या फ़र्मा रहे हैं। रसूल (ﷺ) से आपने इसी त़रह़ सुना है? क्या यह सब कुछ एक ही मक़ाम में इंसान ह़ासिल कर सकता है? ह़ज़रत अ़म्र (रज़ि.) ने जवाब दिया कि अबू उमामा! मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ ज़ईफ़ हो चुकी हैं मेरी मौत क़रीब आ पहुँची है, मुझे क्या फ़ायदा? जो मैं अल्लाह तआ़ला के रसूल (ﷺ) पर झूठ बोलूँ, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, मैंने इसे हुज़ूर (ﷺ) की ज़ुबानी सात बार बल्कि इससे भी ज़्यादा बार सुना है। इस ह़दीस की सनद बिलकुल स़ह़ीह़ है। स़ह़ीह़ मुस्लिम की दूसरी सनद वाली ह़दीस में है "फिर वह अपने दोनों पैर को धोता है जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने उसे हुक्म दिया है।" (मुस्नद अह़मद : 4/112; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताब स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाब इस्लामु अ़म्र बिन अ़ब्सा : 832) पस स़ाफ़ साबित हुआ कि क़ुरआन का हुक्म पैरों के धोने का है। अबू इस्ह़ाक़ सबीई (रह़.) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से बवास्त़ा ह़ारिस रिवायत की है कि आपने फ़र्माया, दोनों पैर टख़्नों समेत धोओ। (इसकी सनद में ह़ारिस आ़वर ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 1/141; रक़म : 39) लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं।) जैसे कि तुम हुक्म किए गए हो उससे यह भी मालूम होता है कि जिस रिवायत में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने दोनों क़दम जूती में ही भिगो लिए, इससे मुराद जूतियों में ही हल्का धोना है और चप्पल जूती पैर में होते हुए पैर धुल सकता है। ग़र्ज़ यह ह़दीस भी धोने की दलील है अल्बत्ता इससे वस्वसा और वहम रखने वाले लोगों का रद्द होता है जो ह़द से

गुज़र जाते हैं। इसी तरह वह दूसरी हदीस में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक क़ौम के कूड़ा डालने की जगह पर खड़े होकर पेशाब किया फिर पानी मंगवाकर वुज़ू किया और अपने नअलैन पर मसह कर लिया। (तब्री : 10/75; इस रिवायत में आमश मुदल्लस रावी है।) लेकिन यही हदीस दूसरी सनदों से मरवी है और उनमें है कि आप (ﷺ) ने अपनी जुराबों पर मसह किया। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब अल्मसह अलल ख़ुफ़्फ़ैन : 273) यही रिवायत दूसरी सनद से मरवी है उसमें आप (ﷺ) का कूड़े पर पेशाब करना फिर वुज़ू करना और उसमें नअलैन और दोनों क़दमों पर मसह करना मज़्कूर है। (अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब 62; रक़म : 160; वहुव हसन तबरानी : 10/75; बैहक़ी : 1/287; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह अबूदाऊद : 145) इमाम इब्ने जरीर (रह.) इसे लाए हैं फिर फ़र्माया है कि यह महमूल है उस पर कि उस वक़्त आप (ﷺ) का पहला वुज़ू था (या महमूल है उस पर कि नअलैन जुराबों के ऊपर थे, मुतर्जिम) भला कोई मुसलमान इसे कैसे क़बूल कर सकता है? कि अल्लाह तआला के फ़रीज़े में और पैग़म्बर की सुन्नत में तआरुज़ हो अल्लाह तआला कुछ फ़र्माए और पैग़म्बर कुछ और ही करें। पस हुज़ूर (ﷺ) के दवामी काम से वुज़ू में पैरों के धोने की फ़र्ज़ियत साबित है और आयत का सहीह मतलब भी यही है जिसके कानों तक यह दलाइल पहुँच जाएँ उस पर अल्लाह तआला की हुज्जत पूरी हो गई चूँकि ज़बर की क़िराअत से पैरों का धोना और ज़ेर की क़िराअत का भी उसी पर महमूल होना फ़र्ज़ियत का क़त्ई सबूत है इसलिए कुछ सल्फ़ तो यह भी कह गए हैं कि इस आयत से जुराबों के मसह का हुक्म मंसूख़ है। भले एक रिवायत हज़रत अली (रज़ि.) से भी ऐसी मरवी है लेकिन उसकी इस्नाद सहीह नहीं बल्कि ख़ुद आपसे सेहत के साथ इसका ख़िलाफ़ साबित है। और जिनका भी यह क़ौल है उनका यह ख़्याल सहीह नहीं। बल्कि हुज़ूर (ﷺ) से इस आयत के नाज़िल होने के बाद भी जुराबों पर मसह करना साबित है। मुस्नद अहमद में है हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का क़ौल है कि सूरह माइदा के नाज़िल होने के बाद ही मैं मुसलमान हुआ और अपने इस्लाम के बाद मैंने पैग़म्बर (ﷺ) को जुराबों पर मसह करते देखा। (अहमद : 4/363; वहुव सहीहुन बिश्शवाहिद, शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1/136) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत जरीर (रज़ि.) ने पेशाब किया फिर वुज़ू करते हुए अपनी जुराबों पर मसह किया। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा करते हैं? तो फ़र्माया, हाँ! यही करते हुए मैंने अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) को देखा है। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब सलातु फ़िल ख़िफ़ाफ़ : 387; सहीह मुस्लिम : 272; अबूदाऊद : 154; तिर्मिज़ी : 93; इब्ने माजा : 543; अहमद : 5/364; इब्ने हिब्बान : 1336; बैहक़ी : 1/270) राविये हदीस इब्राहीम नख़ई (रह.) फ़र्माते हैं, लोगों को यह हदीस बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए कि हज़रत जरीर (रज़ि.) का इस्लाम ही सूरह माइदा के नाज़िल हो चुकने के बाद का था, अहकाम की बड़ी-बड़ी किताबों में लगातार हुज़ूर (ﷺ) के क़ौल व फ़ेल से जुराबों पर मसह करना साबित है अब मसह की मुद्दत है या नहीं? इसके ज़िक्र की यह जगह नहीं, अहकाम की किताबों में इसकी तफ़्सील मौजूद है। राफ़िज़ियों ने इसमें भी ख़िलाफ़ किया है और इसकी कोई दलील उनके पास नहीं सिर्फ़ जिहालत और ज़लालत है। ख़ुद हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत से सहीह मुस्लिम में यह हदीस साबित है। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब अत्तौक़ीतु फ़िल मसह अलल ख़ुफ़्फ़ैन : 276) लेकिन रवाफ़िज़ इसे नहीं मानते, जैसे कि

हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत से बुख़ारी व मुस्लिम में निकाहे मुत्आ की मुमानिअत साबित है। (सहीह बुख़ारी, किताबुन्निकाह, बाब नहन्नबी (ﷺ), अन निकाहि मुत्आ अख़ीरन : 5115; सहीह मुस्लिम : 1407; तिर्मिज़ी : 1794; इब्ने माजा : 1941; इब्ने हिब्बान : 4140; बैहक़ी : 7/201) लेकिन शिया इसे मुबाह क़रार देते हैं, ठीक इसी तरह यह आयते करीमा दोनों पैरों के धोने पर साफ़ दलालत करती है और यही अम्र हुज़ूर (ﷺ) का लगातार हदीस से साबित है लेकिन शिया जमाअत इसकी भी मुख़ालिफ़ है फ़िल वाक़ेअ इन मसाइल में इनके हाथ दलील से बिलकुल ख़ाली हैं , वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह उन लोगों ने आयत का और सल्फ़े सालिहीन का कअबैन के बारे में भी ख़िलाफ़ किया है वह कहते हैं कि हर क़दम की पुश्त पर एक टख़्ना है पस उनके नज़दीक हर क़दम में एक ही कअब यानी टख़्ना है और जुम्हूर के नज़दीक टख़्ने की वह हड्डियाँ जो पिण्डली और क़दम के दरम्यान उभरी हुई हैं वह कअबैन हैं। इमाम शाफ़ेई (रह.) का फ़र्मान है कि जिन कअबैन का यहाँ ज़िक्र है यह टख़्ने की दो हड्डियाँ हैं जो इधर उधर क़द्रे ज़ाहिर दोनों तरफ़ हैं एक ही क़दम में कअबैन हैं लोगों के उर्फ़ में भी यही है और हदीस की दलालत भी इसी पर है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने वुज़ू करते हुए अपने दाहिने पैर को कअबैन समेत धोया फिर बाएँ को भी इसी तरह। (सहीह बुख़ारी, किताबुल वुज़ू, बाब अल्वुज़ू सलासन सलासा : 159; सहीह मुस्लिम : 226) बुख़ारी में तालीक़न बसैग़ा जज़म और सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा में और सुनन अबी दाऊद में है कि हमारी तरफ़ मुतवज्जा होकर अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, "अपनी सफ़ें ठीक ठीक दुरुस्त कर लो तीन बार यह फ़र्माकर फ़र्माया, क़सम अल्लाह की! या तो तुम अपनी सफ़ों को पूरी तरह दुरुस्त करोगे या अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में मुख़ालिफ़त डाल देगा।" हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) रावी हदीस फर्माते हैं फिर तो यह हो गया कि हर शख़्स अपने साथ के टख़्ने से टख़्ना, घुटने से घुटना और कँधे से कँधा मिला लिया करता था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अज़्ज़ाकु अल मन्कब बिल मन्कब वल क़दम बिल क़दम फ़िस्सफ़ तालीक़न क़ब्ल हदीस : 725; अबूदाऊद : 662; दारे क़ुत्नी : 1/282; इब्ने हिब्बान : 2176) इस रिवायत से साफ़ मालूम हो गया कि कअबैन उस हड्डी का नाम नहीं जो क़दम की पुश्त की तरफ़ है क्योंकि उसका मिलाना दो पास पास के शख़्सों में मुम्किन नहीं बल्कि यह वही दो उभरी हुई हड्डियाँ हैं जो पिण्डली के ख़ात्मे पर हैं और यही मज़हब अहले सुन्नत का है। इब्ने अबी हातिम में यह्या बिन हारिस तैमी से मंक़ूल है कि ज़ैद के जो साथी शिया क़त्ल किए गए थे उन्हें मैंने देखा तो उनका टख़्ना क़दम की पुश्त पर पाया यह उन्हें क़ुदरती सज़ा थी जो उनकी मौत के बाद ज़ाहिर की गई और मुख़ालिफ़ते हक़ का और किल्माने हक़ का बदला दिया गया।

इसके बाद तयम्मुम की सूरतें और तयम्मुम का तरीक़ा बयान हुआ है, इसकी पूरी तफ़्सीर सूरह निसाअ में गुज़र चुकी है लिहाज़ा यहाँ बयान नहीं की जा रही है। आयते तयम्मुम का शाने नुज़ूल भी वहीं बयान कर दिया गया है लेकिन अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस आयत के बारे में ख़ास एक हदीस वारिद की है उसे सुन लीजिए। हज़रत आइशा (रज़ि.) उम्मुल मोमिनीन का बयान है कि मेरे गले का हार बैदाअ जगह में गिर पड़ा, हम मदीना में दाख़िल होने वाले थे, हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी सवारी रोकी और मेरी गोद में सर रखकर सो गए, इतने में मेरे वालिद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) मेरे पास तशरीफ़ लाए और

मुझ पर बिगड़ने लगे कि तूने हार खोकर लोगों को रोक दिया और मुझे कचूके मारने लगे जिससे मुझे तक्लीफ़ हुई लेकिन इस ख़्याल से कि हुज़ूर (ﷺ) की नींद में ख़लल अंदाज़ी न हो मैं हिली डुली नहीं। हुज़ूर (ﷺ) जब जागे और सुबह की नमाज़ का वक़्त हो गया और पानी की तलाश की गई तो पानी न मिला, इस पर यह पूरी आयत नाज़िल हुई। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (रज़ि.) कहने लगे, ऐ आले अबीबक्र! अल्लाह तआला ने लोगों के लिए तुम्हें बाबरकत बना दिया है तुम इनके लिए सरतापा (सम्पूर्ण) बरकत हो। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल माइदा बाब क़ौलुहू **(फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबन)** : 4608) फिर फ़र्माता है "अल्लाह तआला तुम पर हर्ज डालना नहीं चाहता" इसीलिए अपने दीन को सहल आसान और हल्का कर रहा है। बोझल सख़्त और मुश्किल नहीं बनाता, हुक्म तो उसका यह था कि पानी से वुज़ू करो लेकिन जब मयस्सर न हो या बीमारी हो तो तुम्हें तयम्मुम करने की रुख़सत अता फ़र्माता है। बाक़ी अहकाम, अहकाम की किताबों में मुलाहिज़ा हों। "बल्कि अल्लाह तआला की चाहत यह है कि तुम्हें पाक साफ़ कर दे और तुम्हें पूरी पूरी नेअमतें अता फ़र्माए ताकि तुम उसकी रहमतों पर उसकी शुक्रगुज़ारी करो" उसकी तौसीअे अहकाम और राफ़्त व रहमत आसानी और रुख़सत पर उसका एहसान मानो। वुज़ू के बाद अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ने एक दुआ तालीम फ़र्माई जो गोया इस आयत के मातहत है। मुस्नद अहमद और सहीह मुस्लिम में हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हम बारी बारी ऊँटों को चराया करते थे मैं अपनी बारी वाली रात इशा के वक़्त चला तो देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए लोगों से कुछ फ़र्मा रहे हैं मैं जब पहुँच गया उस वक़्त मैंने आपसे ये सुना "जो मुसलमान अच्छी तरह वुज़ू करे, दिली तवज्जह के साथ दो रकअत नमाज़ अदा करे उसके लिए जन्नत वाजिब है।" मैंने कहा, वाह वाह! यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर एक साहब ने जो मेरे आगे ही बैठे थे फ़र्माया, इससे पहले जो बात हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माई है वह इससे भी ज़्यादा बेहतर है। मैंने जो ग़ौर से देखा तो वह हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) थे। आप मुझसे फ़र्माने लगे, तुम अभी आए हो, तुम्हारे आने से पहले हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है, "जो शख़्स इम्दगी और अच्छाई से वुज़ू करे फिर कहे (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله)"**अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू"** उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खुल जाते हैं जिसमें से चाहे दाख़िल हो जाए।" (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत बाब अज़्ज़िक्रुल मुस्तहब अक़्बल वुज़ू : 234; अबूदाऊद : 169; तिर्मिज़ी : 55; इब्ने माजा : 470; अहमद : 4/153; इब्ने हिब्बान : 1050; बैहक़ी : 1/78) और रिवायत में है "जब ईमान व इस्लाम वाला वुज़ू करने बैठता है उसके चेहरा धोते ही उसकी आँखों की तमाम ख़ताएँ पानी के साथ या पानी के आख़िरी क़तरे के साथ झड़ जाती हैं। इसी तरह हाथों के धोने के वक़्त हाथों की तमाम ख़ताएँ और इसी तरह पैरों के धोने के वक़्त पैरों की ताम ख़ताएँ धुलकर वह गुनाहों से बिलकुल पाक साफ़ हो जाता है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुत् तहारत, बाब ख़ुरूजुल ख़ताया मअ माअल वुज़ू : 244; तिर्मिज़ी : 2; मौता इमाम मालिक : 1/32; अहमद : 2/303; इब्ने हिब्बान : 1040; बैहक़ी : 1/81) तफ़्सीर इब्ने जरीर में है "जो शख़्स वुज़ू करे वह अपने हाथों या बाज़ूओं को जब धोता है उनसे उनके गुनाह दूर हो जाते हैं, चेहरा को धोते वक़्त चेहरे के गुनाह अलग हो जाते हैं, सर का मसह सर के गुनाह झाड़ देता है, पैर का धोना उनके गुनाह धो देता है।" दूसरी सनद में सर

के मसह का ज़िक्र नहीं।" (मुस्नद अहमद : 4/234, 235; इसकी सनद सहीह लि ग़ैरिही के दर्जे की है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 29/600) तफ़्सीर इब्ने जरीर में है "जो शख़्स अच्छी तरह वुज़ू करके नमाज़ के लिए खड़ा होता है उसके कानों से आँखों से हाथों से, पैरों से सब गुनाह झड़ जाते हैं।" (तब्री : 10/९6; अहमद : 5/252; वसनदुहू ज़ईफ़; वहुव सहीहुन बिश्शवाहिद; मज्मउज़्ज़वाइद : 1/223) सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है "वुज़ू आधा ईमान है। अल्हम्दु लिल्लाह कहने से नेकी का पलड़ा पुर हो जाता है क़ुरआन या तो तेरी मुवाफ़िक़त में दलील है या तेरे ख़िलाफ़ दलील है। हर शख़्स सुबह सुबह ही अपने नफ़्स की ख़रीदो फ़रोख़्त करता है पस या तो अपने तौर पर आज़ाद करा लेता है या हलाक कर गुज़रता है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब फ़ज़्लुल वुज़ू : 223; तिर्मिज़ी : 3517; अमलुल यौम वल्लैला : 169; इब्ने माजा : 280; अहमद : 342; इब्ने हिब्बान : 844) और हदीस में है "माले हराम का सदक़ा अल्लाह तआला क़बूल नहीं करता और बेवुज़ू की नमाज़ भी ग़ैर मक़्बूल है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब वुजूबुत्तहारत लिस्सलाति : 224; तिर्मिज़ी : 1; अहमद : 2/20; बैहक़ी : 1/42) यह रिवायत अबूदाऊद, तयालिसी, मुस्नद अहमद, अबूदाऊद, नसाई और इब्ने माजा में भी है। (मुस्नद अहमद : 5/74; अबूदाऊद, किताबुत्तहारत, बाब फ़र्ज़ुल वुज़ू : 59; वसनदुहू सहीहुन, नसाई : 139; इब्ने माजा : 271; इब्ने हिब्बान : 1705; बैहक़ी : 1/230; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 1855))

***

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا
قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۗءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓي اَلَّا تَعْدِلُوْا ۭ اِعْدِلُوْا ۣ
هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ
هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ وَعَلَي
اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞

तर्जुमा : "तुम पर तुम्हारे रब की जो नेअमतें नाज़िल हुई हैं, उन्हें याद रखो और उसके अहद (वादा) को भी जिसका तुमसे मुआहिदा हुआ है, जबकि तुमने कहा, हमने सुना और माना और अल्लाह तआला से डरते रहो। यक़ीनन अल्लाह तआला दिलों की बातों का जानने वाला है। (7) ऐ ईमानवालों! तुम लिल्लाहियत के साथ हक़ पर क़ायम हो जाओ, रास्ती और इंसाफ़ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ किसी क़ौम की अदावत तुम्हें ख़िलाफ़े अद्ल पर आमादा न कर दे, अद्ल किया करो जो परहेज़गारी से मुत्तसिल है और अल्लाह तआला से डरते रहो, यक़ीन मानो कि अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल से बहुत बाख़बर है। (8) अल्लाह तआला का वादा है कि जो ईमान लाएँ और नेक काम करें उनके लिए वसीअ मग़्फ़िरत और बहुत बड़ा अज्रो सवाब है। (9) और जिन लोगों ने कुफ़्र किया और हमारे अहकाम को झुठलाया वह दोज़ख़ी हैं। (10) ऐ ईमानवालों! अल्लाह तआला ने जो एहसान तुम पर किया है उसे याद करो जबकि एक क़ौम ने तुम पर दस्तदराज़ी करनी चाही तो अल्लाह तआला ने उनके हाथों को तुम तक पहुँचने से रोक दिया और अल्लाह तआला से डरते रहो। मोमिनों को अल्लाह तआला ही पर भरोसा करना चाहिए।" (11)

अद्लो इंसाफ़ से काम लो और अल्लाह तआला की नेअमतों को याद रखो (आयत 7-11) : इस दीने अज़ीम और इस रसूले करीम (ﷺ) को भेजकर जो एहसान अल्लाह तआला ने इस उम्मत पर किया है उसे याद दिला रहा है। और उस अहद पर मज़बूती रहने की इन्हें हिदायत कर रहा है जो मुसलमानों ने अल्लाह तआला के पैग़म्बर की ताबेदारी और इम्दाद करने, दीन पर क़ायम रहने, उसे क़बूल कर लेने और उसे दूसरों तक पहुँचाने का किया है। इस्लाम लाने के वक़्त इन्हीं चीज़ों का हर मोमिन अपनी बेअत में इक़रार करता था, चुनाँचे सहाबा (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बेअत की कि हम सुनते रहेंगे और मानते रहेंगे, ख़्वाह जी चाहे ख़्वाह न चाहे, दूसरों को हम पर तर्जीह दी जाए और किसी लायक़ शख़्स से हम किसी काम को छीनेंगे नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) सतरौन बअदी उमूरन तुन्किरूनहा : 7056; सहीह मुस्लिम : 1840) बारी तआला अज़्ज़ व जल्ल का इर्शाद है "क्यूँ ईमान नहीं लाते? हालाँकि रसूल (ﷺ) तुम्हें रब तआला पर ईमान लाने की दावत दे रहे हैं और इन्होंने तुमसे अहद भी ले लिया है अगर तुम्हें यक़ीन हो।" यह भी कहा गया है कि इस आयत में यहूदियों को याद दिलाया जा रहा है कि तुमसे हुज़ूर (ﷺ) की ताबेदारी के क़ौल व क़रार हो चुके हैं फिर आप (ﷺ) को न मानने के क्या मानी? यह भी कहा गया है कि हज़रत आदम (عليه السلام) की पीठ से निकालकर जो अहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनू आदम से लिया था उसे याद दिलाया जा रहा है जो फ़र्माया था "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने इक़रार किया, हाँ! हम इस पर गवाह हैं।" लेकिन पहला क़ौल ज़्यादा ज़ाहिर है। सुद्दी (रह.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वही मरवी है और इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसी को मुख़्तार बतलाया है। हर हाल में इंसान को

ख़ौफ़े इलाही रखना चाहिए दिलों और सीनों के भेदों से वह वाक़िफ़ है।

ईमानवालों! लोगों के दिखाने को नहीं बल्कि अल्लाह तआला की वजह से ह़क़ पर क़ायम हो जाओ और अ़द्ल के साथ स़ह़ीह़ गवाह बन जाओ। बुख़ारी व मुस्लिम में ह़ज़रत नोअ़मान बिन बशीर (रज़ि.) से रिवायत है कि मेरे बाप ने मुझे एक अ़तिया दे रखा था, मेरी माँ अ़मरा बिन्ते रवाह़ा (रज़ि.) ने कहा, मैं तो उस वक़्त तक मुत्मइन नहीं होने की जब तक कि तुम उस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को गवाह न बना लो। मेरे बाप हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए, वाक़िया बयान किया तो आपने पूछा, "क्या अपनी बक़िया औलाद को भी ऐसा ही अ़तिया दिया है?" जवाब दिया कि नहीं! तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला से डरो अपनी औलाद में अ़द्ल किया करो जाओ! मैं किसी ज़ुल्म पर गवाह नहीं बनता।" चुनाँचे मेरे बाप ने वह स़दक़ा लौटा लिया। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल हिबा, बाबुल इश्हाद फ़िल हिबा : 2587; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1623; मौत़ा इमाम मालिक : 2/751, 752; इब्ने ह़िब्बान : 5100; बैहक़ी : 6/176) फिर फ़र्माया, देखो! किसी की अ़दावत और ज़िद में आकर अ़द्ल से न हट जाना दोस्त हो या दुश्मन हो, तुम्हें अ़द्लो इंसाफ़ का साथ देना चाहिए। तक़्वा से ज़्यादा क़रीब यही है। (हुव) की ज़मीर के मरजअ़ पर दलालत फ़ेल ने कर दी है जैसे कि इसकी नज़ीरें क़ुरआन में और भी हैं और कलामे अ़रब में भी, जैसे और जगह है (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ) (24/नूर :28) यानी "अगर तुम किसी मकान में जाने की इजाज़त मांगो और न मिले बल्कि कहा जाए कि वापिस लौट जाओ तो तुम वापिस चले जाओ यही तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़गी का बाइस है।" पस यहाँ भी (हुव) की ज़मीर का मरजअ़ मज़्कूर नहीं लेकिन फ़ेल की दलालत मौजूद है यानी लौट जाना। इसी त़रह़ मुंदर्जा बाला आयत में यानी अ़द्ल करना। यह भी याद रहे कि यहाँ पर (अक़्रबु) अफ़अ़लु तफ़्ज़ील का स़ेग़ा ऐसे मौक़े पर आता है कि दूसरी जानिब और कोई चीज़ नहीं। जैसे आयत में है (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) (25/फ़ुरक़ान : 23) और जैसे किसी स़ह़ाबिया (रज़ि.) का ह़ज़रत उ़मर से कहना कि "अन्त अफ़ज़्ज़ु व अग़लज़ु मिर्रसूलिल्लाहि (ﷺ)" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब स़िफ़तु इब्लीस व जुनूदिही : 3294; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2396) अल्लाह तआला से डरो वह तुम्हारे आ़माल से बाख़बर है भलाई और बुराई का पूरा पूरा बदला देगा। वह ईमानवालों और नेककारों से उनके गुनाहों की बख़्शिश का और उन्हें अज्रे अ़ज़ीम यानी जन्नत देने का वादा कर चुका है। भले दरअस़ल वह उस रह़मत को सिर्फ़ फ़ज़्ले रब्बानी से ह़ास़िल करेंगे लेकिन रह़मत की तवज्जह का सबब उनके नेक आ़माल बने। पस ह़क़ीक़तन हर त़रह़ क़ाबिले तारीफ़ व सताइश अल्लाह तआला ही है। और यह सब कुछ उसका फ़ज़्ल व रह़म है। ह़िक्मत व अ़द्ल का तक़ाज़ा यही था कि ईमानवालों और नेककारों को जन्नत दी जाए और काफ़िर और झुठलाने वालों को जहन्नम में पहुँचाया जाए। चुनाँचे यूँ ही होगा।

फिर अपनी एक और नेअ़मत याद दिलाता है जिसकी तफ़्स़ील यह है। ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) एक मंज़िल में उतरे लोग इधर उधर सायादार दरख़्तों की तलाश में लग गये। आपने अपने

हथियार उतारकर एक दरख़्त पर लगा दिए। एक आराबी ने आकर आपकी तलवार अपने हाथ में ले ली और उसे खींचकर हज़रत (ﷺ) के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, अब बता कि मुझसे तुझे कौन बचाएगा? आपने फ़ौरन जवाब दिया, "अल्लाह तआला" उसने फिर यही सवाल किया और आपने फिर यही जवाब दिया, तीसरी मर्तबा के जवाब के साथ ही उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। अब आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) को आवाज़ दी और जब वह आ गए तो उनसे सारा वाक़िया कह सुनाया। आराबी उस वक़्त भी मौजूद था। लेकिन आपने उससे कोई बदला न लिया। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि कुछ लोगों ने धोखे से हुज़ूर (ﷺ) को क़त्ल करना चाहा था और उन्होंने उस आराबी को आपकी घात में भेजा था लेकिन अल्लाह तआला ने उसे नाकाम और नामुराद रखा। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़्वतुर्रिक़ाअ : 4135; सहीह मुस्लिम : 843; बि तसर्रुफ़िन यसीर, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1/185; अहमद : 3/364; अबू यअला : 1778; इब्ने हिब्बान : 3883) फ़ल्हम्दु लिल्लाह! इस आराबी का नाम सहीह अहादीस में ग़ौरस बिन हारिस आया है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यहूदियों ने आपको और आपके सहाबा (रज़ि.) को क़त्ल करने के इरादे से ज़हर मिला खाना पकाकर दावत कर दी लेकिन अल्लाह तआला ने आपको ख़बरदार कर दिया और आप बच रहे। यह भी कहा गया है कि कअब बिन अशरफ़ और उसके यहूदी साथियों ने अपने घर में बुलाकर आपको सदमा पहुँचाना चाहा था। इब्ने इस्हाक़ (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि इससे मुराद बनू नज़ीर के वह लोग हैं जिन्होंने चक्की का पाट क़िला के ऊपर से आपके सर पर गिराना चाहा था जब आप आमिरी लोगों की दियत के लेने के लिए उनके पास गए थे तो उन शरीरों ने अम्र बिन हिजाश बिन कअब को इस बात पर आमादा किया था कि हम तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को नीचे खड़ा करके बातों में मशग़ूल कर लेंगे तू ऊपर से यह फेंककर आपका काम तमाम कर देना, लेकिन रास्ते ही में अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर को उनकी शरारत व ख़बासत से आगाह कर दिया। आप (ﷺ) अपने सहाबा (रज़ि.) के साथ वहीं से पलट गए। इसी का ज़िक्र इस आयत में है। मोमिनों को अल्लाह तआला ही पर भरोसा करना चाहिए। किफ़ायत करने वाला और हिफ़ाज़त करने वाला वही है। इसके बाद हुज़ूर (ﷺ) बहुक्मे बारी तआला बनू नज़ीर की तरफ़ लश्कर के साथ गये, मुहासिरा किया, कुछ मारे गए और बाक़ी को जिलावतन कर दिया।

***

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ۭ وَقَالَ اللّٰهُ
اِنِّيْ مَعَكُمْ ۭ لَىِٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ
وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۗءَ السَّبِيْلِ ⑫ فَبِمَا
نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۙ
وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰي خَاۗىِٕنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ⑬ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى
اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ
اِلٰي يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ⑭

तर्जुमा : ''अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल से अ़हदो-पैमान लिया। और उन्हीं में से बारह सरदार हमने मुक़र्रर किए। और अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया कि यक़ीनन मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नमाज़ को क़ायम रखोगे और ज़कात देते रहोगे और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी मदद करते रहोगे। और अल्लाह तआला को बेहतर क़र्ज़ देते रहोगे तो यक़ीनन मैं तुम्हारी बुराईयाँ तुमसे दूर रखूँगा और तुम्हें उन जन्नतों में ले जाऊँगा जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं। अब जो इस अ़हदो पैमान के बाद तुममें से इंकारी हो जाए वह यक़ीनन राहे रास्त से भटक गया है। (12) फिर उनकी वादाख़िलाफ़ी की वजह से हमने उन पर अपनी लानत नाज़िल फ़र्मा दी और उनके दिल सख़्त कर दिए कि कलाम को उस जगह से बदल डालते हैं जो कुछ नसीहत उन्हें की गई थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे, उनकी एक एक ख़यानत पर तुझे ख़बर मिलती ही रहेगी। हाँ! थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं पस तू उन्हें माफ़ करता जा और दरगुज़र करता जा, बेशक अल्लाह तआला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। (13) जो अपने आपको नस्रानी कहते हैं हमने उनसे भी अ़हदो-पैमान लिया उन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फ़रामोश कर दिया जो उन्हें नसीहत की गई थी, तो हमने भी उनके आपस में बुग़्ज़ व अ़दावत डाल दी जो क़यामत तक रहेगी और जो कुछ यह करते थे अल्लाह तआला उन्हें सब जता देगा।'' (14)

बनी इस्राईल की वादाख़िलाफ़ी और उनके बारह (12) सरदारों की वज़ाहत (आयत 12-14) : ऊपर की आयतों में अल्लाह तआला ने अपने मोमिन बन्दों को अहदो-पैमान की वफ़ादारी का, हक़ पर मुस्तक़ीम रहने का और अद्ल की शहादत देने का हुक्म दिया था, साथ ही अपनी ज़ाहिरी व बातिनी नेअमतों को याद दिलाया था, तो अब इन आयतों में उनसे पहले के अहले किताब से अहदो मीसाक़ जो लिया था उसकी हक़ीक़त व कैफ़ियत को बयान कर रहा है। फिर जबकि उन्होंने अल्लाह तआला से किए हुए अहदो पैमान तोड़ डाले तो उनका क्या हश्र हुआ, उसे बयान करके गोया मुसलमानों को वादाख़िलाफ़ी से रोकता है। उनके बारह सरदार थे। यानी बारह क़बीलों के बारह चौधरी थे जो उनसे उनकी बेअत को पूरा कराते थे कि यह अल्लाह और रसूल के ताबेअ फ़र्मान रहें और किताबुल्लाह की इत्तिबाअ करते रहें। हज़रत मूसा (عليه السلام) जब सरकशों से लड़ने के लिए गए तब हर क़बीला में से एक एक सरदार मुंतख़ब कर गए थे। रूबैल क़बीले का सरदार शामून बिन रकून था और शम्ऊनियों का चौधरी शाफ़ात बिन हुर्री। और यहूज़ा का कालिब बिन यूफ़न्ना और अतीन का मीख़ाईल बिन यूसुफ़। और इफ़राईम का यूशअ बिन नून और बिनयामीन के क़बीले का चौधरी फ़ल्तम बिन दिफ़ून और ज़बूलून का जुदी बिन शूरी और मंशा का जुदी बिन मूसा और दान का ख़मलाईल बिन हमल और इशार का सातूर। नफ़्साली का बहर और यसाख़िर का लाइल। तौरात के चौथे हिस्सों में बनी इस्राईल के क़बीलों के सरदारों के नाम मज़्कूर हैं जो इन नामों से क़द्रे मुख़्तलिफ़ हैं, वल्लाहु आलम! मौजूदा तौरात में ये नाम यह हैं। बनू रूबैल पर यसूर बिन सादून, बनी शम्ऊन पिर शम्वाल बिन सौर्शकी, बनू यहूज़ा पर हिशून इब्ने अम्याज़ाब, बनू यसाख़िर पर शाल बिन साऊन, बनू ज़िबूलून पर इल्याब बिन हालूब, बनू इफ़राईम पर मंशा बिन उम्नुहूर, बनू मंशा पर हुम्लयाइल, बनू बिनयामीन पर अबैदिन, बनू दान पर जुऐज़िर, बनू इशार पर नहाइल, बनू कान पर सैफ़ बिन दावाईल, बनू नफ़्ताली पर अख़बरअ। यह याद रहे कि "लैलतुल अक़बा" में जब हज़रत (ﷺ) ने अंसार से बैत ली, उस वक़्त उनके सरदार भी बारह ही थे। तीन क़बीला औस के हज़रत उसैद बिन हुज़ैर, हज़रत सअद बिन ख़ैसमा, और हज़रत रफ़ाआ बिन अब्दुल मुंज़िर (रज़ि.)। कुछ रिवायतों में इनकी बजाए हज़रत अबुल हैसम बिन तीहान (रज़ि.) का नाम है और नौ सरदार क़बीला ख़ज़्रज के थे, अबू उमामा, अस्अद बिन ज़ुरारा, सअद बिन रबीअ, अब्दुल्लाह बिन रवाहा, राफ़ेअ बिन मालिक बिन अज्लान, बराअ बिन मअरूर, उबादा बिन सामित, सअद बिन उबादा, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम, मुंज़िर बिन उमर बिन हुनैश (रज़ि.) इन्हीं सरदारों ने अपनी अपनी क़ौम की तरफ़ से पैग़म्बर आख़िरुज़्ज़मान (ﷺ) से सुनने और मानने की बेअत ली।

हज़रत मसरूक़ (रह.) फ़र्माते हैं कि हम लोग अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पास बैठे थे, आप हमें उस वक़्त क़ुरआन पढ़ा रहे थे तभी एक शख़्स ने सवाल किया कि आप लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से यह भी पूछा है कि इस उम्मत के कितने ख़ुल्फ़ा होंगे? हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं जबसे इराक़ आया हूँ इस सवाल को बजुज़ तेरे किसी ने नहीं पूछा, हमने हुज़ूर (ﷺ) से इस बारे में पूछा था तो आपने फ़र्माया, "बारह होंगे जितनी गिनती बनू इस्राईल के नक़ीबों की थी।" (अहमद : 1/398; मुस्नद अबी यअला : 5031; मुस्नद बज़्ज़ार : 1586; तबरानी : 1031; मज्मउज़्ज़वाइद : 5/193; इस रिवायत में मुजालिद बिन

सईद ज़ईफ़ रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन : 3/35) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन बुख़ारी में (बारह अमीर) के अल्फ़ाज़ हैं जैसाकि आगे आ रहा है।) यह रिवायत सनदन ग़रीब है लेकिन मज़्मूने ह़दीस बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत से भी साबित है। जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैंने नबी (ﷺ) से सुना है "लोगों का काम चलता रहेगा जब तक कि उनके वाली बारह शख़्स न हो लें।" फिर एक लफ़्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया लेकिन मैं न सुन सका तो मैंने दूसरों से पूछा कि हुज़ूर (ﷺ) ने अब कौनसा लफ़्ज़ फ़र्माया, उन्होंने जवाब दिया "वह सब कुरैशी होंगे।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अह़काम, बाब 7222; सह़ीह़ मुस्लिम : 1821; अबूदाऊद : 4279; तिर्मिज़ी : 2223; अह़मद : 5/86; इब्ने ह़िब्बान : 6662; दलाइलुन्नबुव्वा : 6/519) सह़ीह़ मुस्लिम में यही लफ़्ज़ है। इस ह़दीस का मतलब यह है कि बारह ख़लीफ़ा सालेह़ नेकबख़्त होंगे जो ह़क़ को क़ायम करेंगे और लोगों में अ़द्ल करेंगे। इससे यह साबित नहीं होता कि यह सब पे दर पे एक के बाद एक ही हों पस चार ख़ुल्फ़ा तो पे दर पे हुए। ह़ज़रत अबूबक्र, ह़ज़रत उ़मर, ह़ज़रत उ़स्मान और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) जिनकी ख़िलाफ़त बत़रीक़े नबुव्वत रही, उन्हीं बारह में से पाँचवीं ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह़.) हैं। बनू अ़ब्बास में से भी कुछ इ सी त़रह़ के ख़लीफ़ा हुए हैं और क़यामत से पहले पहले इन बारह की तादाद पूरी होनी ज़रूरी है और इन ही में से ह़ज़रत इमाम महदी (रह़.) हैं जिनकी बशारत अह़ादीस में आ चुकी है उनका नाम हुज़ूर (ﷺ) के नाम पर होगा और उनके वालिद का नाम हुज़ूर (ﷺ) के वालिद का होगा। ज़मीन को अ़द्लो इंसाफ़ से भर देंगे ह़ालाँकि इससे पहले वह ज़ुल्म व जबर से पुर होगी। लेकिन इससे शियों का इमामे मुंतज़िर मुराद नहीं। इसकी तो दरअस़ल कोई ह़क़ीक़त ही नहीं। न सिरे से इसका कोई वजूद है बल्कि यह तो सिर्फ़ शिया की वहम परस्ती और उनका तख़य्युल है। न इस ह़दीस से शियों के फ़िर्क़े इस्ना अ़शरिया के अइम्मा मुराद हैं। इस ह़दीस को इन अइम्मा पर मह़मूल करना भी शियों के इस फ़िर्क़ा की बनावट है जो उनकी कमअक़्ली और जिहालत का करिश्मा है। तौरात में ह़ज़रत इस्माईल (عليه السلام) की बशारत के साथ ही मरक़ूम है कि उनकी नस्ल में बारह बड़े शख़्स होंगे। इससे मुराद भी यही मुसलमानों के बारह कुरैशी बादशाह हैं लेकिन जो यहूदी मुसलमान हुए थे और थे वह अपने इस्लाम में कच्चे साथ ही जाहिल भी थे उन्होंने शियों के कान में कहीं यह सूर फूँक दिया और वह समझ बैठे कि इससे मुराद उनके बारह इमाम हैं, वरना अह़ादीस इसके स़ाफ़ ख़िलाफ़ मौजूद हैं।

अब उस अ़हदो-पैमान का ज़िक्र हो रहा है जो अल्लाह तआ़ला ने यहूदियों से लिया था कि वह नमाज़ें पढ़ते रहें, ज़कात देते रहें, अल्लाह तआ़ला के रसूलों की तस्दीक़ करें, उनकी मदद व एआनत करें अल्लाह तआ़ला की मदद व नुस्रत उनके साथ रहेगी, उनके गुनाह माफ़ होंगे। और यह जन्नत में दाख़िल किए जाएँगे। मक़्सूद ह़ासिल होगा और ख़ौफ़ ज़ाइल होगा। लेकिन अगर वह इस अ़हदो-पैमान के बाद भी फिर गए और इसे अनसुना कर दिया तो यक़ीनन वह ह़क़ से दूर हो जाएँगे। भटक और बहक जाएँगे। चुनाँचे यही हुआ कि उन्होंने मीसाक़ तोड़ दिया, वादाख़िलाफ़ी की तो उन पर लानते रब तआ़ला नाज़िल हुई। हिदायत से दूर हो गए दिल के सख़्त हो गए, वअ़ज़ व नसीह़त से मुस्तफ़ीद न हो सके, समझ बिगड़ गई। अल्लाह तआ़ला की बातों में हेर-फेर करने लगे, बात़िल तावीलें गढ़ने लगे जो मुराद ह़क़ीक़ी थी इससे कलामुल्लाह को फेरकर और

ही मतलब समझने समझाने लगे और अल्लाह तआला का नाम लेकर वह वह मसाइल बयान करने लगे जो अल्लाह तआला के बतलाए हुए न थे। यहाँ तक कि अल्लाह तआला की किताब उनके हाथों से छूट गई और उससे बेअमल ही नहीं बल्कि बेरग़बत हो गए। दीन की असल जब उनके हाथों से छूट गई फिर फ़ुरूई अमल कैसे क़बूल होते? अमल छूट जाने की वजह से न दिल ठीक रहे न फ़ितरत अच्छी रही न ख़ुलूस व इख़्लास रहा, ग़द्दारी और मक्कारी अपना शेवा बना लिया, नित नए जाल नबी (ﷺ) और अस्हाबे नबी (ﷺ) के ख़िलाफ़ बुनते रहे। फिर नबी (ﷺ) को हुक्म होता है कि आप उनसे चश्मपोशी कीजिए यही मामला उनके साथ अच्छा है जैसे हज़रत उमर (रज़ि.) से मरवी है कि जो तुझसे अल्लाह के फ़र्मान के ख़िलाफ़ करे तू उससे हुक्मे अल्लाह की बजाआवरी के मातहत कर उसमें एक बड़ी मस्लिहत यह भी है कि मुम्किन है उनके दिल खींच आएँ हिदायत नसीब हो जाए। और हक़ की तरफ़ आ जाएँ। अल्लाह तआला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। यानी दूसरों की बदसुलूकी से चश्मपोशी करके ख़ुद नेक सुलूक रखने वाले अल्लाह तआला के महबूब हैं। हज़रत क़तादा (रह़.) फ़र्माते हैं कि दरगुज़र करने का हुक्म जिहाद की आयत से मंसूख़ है। (तब्री : 10/134)

फिर इर्शाद होता है कि इन नसरानियों से भी हमने वादा लिया था कि जो रसूल आएगा, यह उस पर ईमान लाएँगे, उसकी मदद करेंगे और उसकी बातें मानेंगे लेकिन इन्होंने भी यहूदियों की तरह बदअहदी की जिसकी सज़ा में हमने उनमें आपस में अदावत (दुश्मनी) डाल दी जो क़यामत तक जारी रहेगी। उनमें फ़िर्क़े-फ़िर्क़े बन गए जो एक दूसरे को काफ़िले मल्ऊन कहते हैं। और अपने इबादतख़ानों में भी नहीं आने देते। मलिकिया फ़िर्क़ा, याक़ूबिया फ़िर्क़ा को याक़ूबिया मलिकिया को खुले बन्दों काफ़िर कहते हैं। इसी तरह दूसरे तमाम फ़िर्क़े। इन्हें इनके आमाल की पूरी तम्बीह अन्क़रीब होगी। इन्होंने भी अल्लाह तआला की नसीहतों को भुला दिया है और अल्लाह तआला के ज़िम्मे तोहमतें लगाई हैं। उसकी बीवी और औलाद क़ायम की है, यह क़यामत के दिन बुरी तरह पकड़े जाएँगे। अल्लाह तआला अकेला तंहा और **(अस्समदु लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहू कुफ़ुवन अहद)** है।

***

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ

الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ

اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ

وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

तर्जुमा : "ऐ अहले किताब! यक़ीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका जो तुम्हारे सामने किताबुल्लाह की अक्सर वह बातें ज़ाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे। और अक्सर दरगुज़र करता रहता है। तुम्हारे पास अल्लाह तआला की तरफ़ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। (15) जिसके ज़रिये अल्लाह तआला उन्हें जो रज़ा-ए-रब के दर पे हों, सलामती की राहें बतलाता है और अपनी तौफ़ीक़ से अंधेरियों से निकालकर नूर की तरफ़ लाता है और राहे रास्त की तरफ़ उनकी रहबरी करता है।" (16)

अहले किताब की इल्मी ख़यानत (आयत 15, 16) : फ़र्माता है कि रब्बुल उला ने अपने आली क़द्र रसूल हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को हिदायत और दीने हक़ के साथ तमाम मख़लूक़ की तरफ़ भेज दिया है, मुअजिज़े और रोशन दलीलें उन्हें अता फ़र्माई हैं। जो बातें यहूदो नसारा ने बदल डाली थीं। तावीलें करके दूसरे मतलब बना लिए थे और अल्लाह तआला की ज़ात पर बोहतान बाँधे थे, किताबुल्लाह के जो हिस्से अपने नफ़्स के ख़िलाफ़ पाते थे उन्हें छुपा लेते थे, उन सबको यह रसूल ज़ाहिर करते हैं हाँ! जिसके बयान की ज़रूरत ही न हो, यह बयान नहीं फ़र्माते। मुस्तदरक हाकिम में है "जिसने रजम के मसले का इंकार किया उसने बेइल्मी से क़ुरआन का इंकार किया।" चुनाँचे इस आयत में इसी रजम के छुपाने का ज़िक्र है। (हाकिम : 4/359; इमाम हाकिम (रह.) ने इसे सहीह कहा है और इमाम ज़हबी (रह.) ने इसकी मुवाफ़िक़त की है, सहीह इब्ने हिब्बान अल्एहसान : 4413; वस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 7162; वसनदुहू हसन) फिर क़ुरआने अज़ीम की बाबत फ़र्माता है कि उसी ने इस नबी करीम (ﷺ) पर अपनी यह किताब उतारी है जो मुत्लाशी हक़ (हक़ की तलाश करने वाले) को सलामती की राह बतलाती है, लोगों को अन्धेरों से निकाल कर नूर की तरफ़ ले जाती है और राहे मुस्तक़ीम की रहबर है। इस किताब की वजह से अल्लाह तआला के इन्आमों को हासिल कर लेना और उसकी सज़ाओं से बच जाना बिलकुल आसान हो गया है। यह ज़लालत को मिटा देने वाली और हिदायत को वाज़ेह कर देने वाली है।

***

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ وَلِلّٰهِ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ
﴿۱۷﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन वह लोग काफ़िर हो गए जिन्होंने कहा कि बेशक मसीह बिन मरयम अल्लाह तआला ही है। तू इनसे कह दे कि अगर अल्लाह तआला मसीह बिन मरयम और उनकी माँ और रूए ज़मीन के सब लोगों को हलाक कर देना चाहे तो कौन है जो अल्लाह तआला पर कुछ भी इख़्तियार रखता हो? आसमान व ज़मीन और दोनों के बीच का कुल मुल्क अल्लाह तआला ही का है। वह जो चाहता है पैदा करता है। अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है। (17) यहूदो नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके दोस्त हैं। तू कह दे कि फिर तुम्हारे गुनाहों के सबब अल्लाह तआला क्यूँ सज़ा देता है? नहीं! बल्कि तुम भी उसकी मख़्लूक़ में से एक इंसान हो वह जिसे चाहता है बख़्शश देता है और जिसे चाहता है अज़ाब करता है। ज़मीनो आसमान और इनके बीच की हर चीज़ अल्लाह तआला की मिल्कियत है और उसी की तरफ़ लौटना है।'' (18)

हज़रत ईसा (عليه السلام) और उनकी वालिदा को इलाह कहने वाले काफ़िर हैं (आयत 17, 18) :
अल्लाह तबारक व तआला ईसाइयों के कुफ़्र को बयान फ़र्माता है कि उन्होंने अल्लाह तआला की मख़्लूक़ को अल्लाह का दर्जा दे रखा है, अल्लाह तआला शिर्क से पाक है तमाम चीज़ें उसकी महकूम और मक़्हूर हैं हर चीज़ पर उसकी हुकूमत और मिल्कियत है कोई नहीं जो उसे किसी इरादे से बाज़ रख सके कोई नहीं जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लबकुशाई की जुर्अत कर सके। वह अगर मसीह (عليه السلام) को और उनकी वालिदा को और रूए ज़मीन की तमाम मख़्लूक़ को नेस्तो-नाबूद कर देना चाहे तो भी किसी की मजाल नहीं कि उसके आगे आए, उसे रोक सके। तमाम मौजूदात और मख़्लूक़ात का मूजिद व ख़ालिक़ वही है, सबका मालिक और

सबका हुक्मरान वही है जो चाहे कर गुज़रे, कोई चीज़ उसके इख़्तियार से बाहर नहीं, उससे कोई बाज़पुर्स नहीं कर सकता, उसकी सल्तनत व मम्लिकत बहुत वसीअ है उसकी अ़ज़्मत व इज़्ज़त बहुत बुलंद है वह आ़मिल व ग़ालिब है जिसे जिस तरह चाहता है बनाता बिगाड़ता है, उसकी कुदरतों की कोई इंतिहा नहीं।

नसरानियों की तर्दीद के बाद अब यहूदियों और नसरानियो दोनों की तर्दीद हो रही है कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे एक झूठ यह बाँधा कि हम अल्लाह तआ़ला के बेटे और उसके महबूब हैं, हम अम्बिया की औलाद हैं और अल्लाह तआ़ला के लाडले फ़रज़न्द हैं, अपनी किताब से नक़्ल करते थे कि अल्लाह तआ़ला ने इस्राईल को कहा है 'अन्त इब्नी बिक्री' फिर तावीलें करके मतलब उलट पलट करके कहते हैं जब वह अल्लाह के बेटे हुए तो हम भी अल्लाह के बेटे और अ़ज़ीज़ हुए। हालाँकि ख़ुद उन ही में से जो अ़क़्लमंद और साहिबे दीन थे, वह उन्हें समझाते थे कि इन लफ़्ज़ों से सिर्फ़ बुज़ुर्गी साबित होती है न कि क़राबतदारी। इसी मानी की आयत नसरानी अपनी किताब से नक़्ल करते थे कि हज़रत ईसा (عليه السلام) ने फ़र्माया, **"इन्नी ज़ाहिबुन इला अबी व अबीकुम"** इससे मुराद भी सगा बाप न था बल्कि उनके अपने मुहावरे में अल्लाह तआ़ला के लिए यह लफ़्ज़ भी आता था, पस मतलब इसका यह है कि अपने और तुम्हारे रब की तरफ़ जा रहा हूँ। और यह इससे और ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ इस आयत में जो निस्बत हज़रत ईसा (अ) की तरफ़ है वही निस्बत उनकी तमाम उम्मत की तरफ़ है लेकिन वह लोग अपने बातिल अक़ीदे में हज़रत ईसा (عليه السلام) को अल्लाह तआ़ला से जो निस्बत देते हैं उस निस्बत पर अपने आपको नहीं समझते, पस यह लफ़्ज़ इज़्ज़त व वक़्अ़त के लिए था न कि कुछ और। अल्लाह तआ़ला उन्हें जवाब देता है कि अगर यह सहीह है तो फिर तुम्हारे कुफ़्र और किज़्ब, बोहतान और इफ़्तिरा पर अल्लाह तआ़ला तुम्हें सज़ा क्यूँ करता है? किसी सूफ़ी ने किसी फ़क़ीह से पूछा कि क्या कुरआन में यह भी कहीं है कि हबीब अपने हबीब को अ़ज़ाब नहीं करता, इससे कोई जवाब बन न पड़ा तो सूफ़ी ने यही आयत तिलावत फ़र्मा दी। यह क़ौल निहायत उ़म्दा है इसी की दलील मुस्नद अहमद की यह हदीस है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने अस्हाब की एक जमाअ़त के साथ राह से गुज़र रहे थे, एक छोटा सा बच्चा राह में खेल रहा था। उसकी माँ ने जब देखा कि एक जमाअ़त उसी राह पर आ रही है तो उसे डर लगा कि बच्चा रौंदन में न आ जाए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! कहती हुई दौड़ी हुई आई और झट से बच्चे को गोद में उठा लिया। उस पर सहाबा (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! यह औरत तो अपने प्यारे बच्चे को कभी भी आग में नहीं डाल सकती, आपने फ़र्माया, "ठीक है अल्लाह तआ़ला भी अपने प्यारे बन्दों को हर्गिज़ जहन्नम में नहीं ले जाएगा।" (मुस्नद अहमद : 3/104; ह : 9/120; मुस्नद अबी यअ़ला : 3737; मज्मउज़्ज़वाइद : 10/212; हाकिम : 4/177; यह रिवायत हुमीद तवील की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है।) यहूदियों के जवाब में फ़र्माता है कि तुम भी मिन्जुम्ला और मख़्लूक़ के एक इंसान हो तुम्हें दूसरों पर कोई फ़ज़ीलत व फ़ौक़ियत नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला अपने बन्दों पर हाकिम है और वही उनमें सच्चे फ़ैसले करने वाला है। वह जिसे चाहे बख़्शे, जिसे चाहे पकड़े, वह जो चाहे कर गुज़रता है। उसके किसी भी हुक्म को कोई रद्द नहीं कर सकता, वह बहुत जल्द बन्दों से हिसाब लेने वाला है, ज़मीन व आसमान और उनके बीच की मख़्लूक़ सब उसकी मिल्क है, उसके दबाव में है, उसकी बादशाहत तले है, सबका लौटना

उसी की तरफ़ है, वही बन्दों के फ़ैसले करेगा, वह ज़ालिम नहीं आदिल है। नेकों को नेकी और बदों को बदी देगा। नोअमान बिन आसा, बहरी बिन अम्र और शास बिन अदी जो यहूदियों के बड़े भारी उलमा थे, हुज़ूर (ﷺ) के पास आए, आपने उन्हें समझाया बुझाया, आख़िर में अज़ाब से डराया तो कहने लगे, हज़रत (ﷺ)! आप हमें क्या डरा रहे हैं? हम तो अल्लाह तआला के बच्चे हैं और उसके प्यारे हैं। यही नसरानी भी कहते थे, पस यह आयत उतरी। (इस रिवायत में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन लि इब्ने जौज़ी : 3/96)) उन लोगों ने यह एक बात भी गढ़कर अपने आपस में मशहूर कर दी थी कि अल्लाह तआला ने हज़रत इस्राईल (عليه السلام) की तरफ़ वही नाज़िल फ़र्माई है कि तेरा (पहलू नठा (पहला बच्चा) बेटा मेरी औलाद में से है, उसकी औलाद चालीस दिन तक जहन्नम में रहेगी, इस मुद्दत में आग उन्हें पाक कर देगी और उनकी ख़ताओं को खा जाएगी। फिर एक फ़रिश्ता मुनादी करेगा कि इस्राईल की औलाद में से जो भी ख़त्नाशुदा हों वह निकल आएँ, यही मानी हैं उनके इस क़ौल के जो क़ुरआन में मरवी है कि वह कहते थे, हमें गिनती के चंद ही दिन जहन्नम में रहना पड़ेगा।

***

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾

तर्जुमा : "ऐ अहले किताब! बिल यक़ीन हमारा रसूल तुम्हारे पास रसूलों की आमद की ताख़ीर के ज़माने में आ पहुँचा जो तुम्हारे पास साफ़-साफ़ बयान कर रहा है ताकि तुम्हारी यह बात न रह जाए कि हमारे पास तो कोई भलाई बुराई सुनाने वाला आया ही नहीं, पस अब तो यक़ीनन ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और आगाह करने वाला आ पहुँचा, अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।" (19)

हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ख़ातिमुन्नबिय्यीन बनकर आए हैं (आयत 19) : इस आयत में अल्लाह तआला यहूद व नसारा को ख़िताब करके फ़र्माता है कि मैंने तुम सबकी तरफ़ अपना रसूल भेज दिया है जो ख़ातिमुल अम्बिया है जिसके बाद कोई नबी या रसूल आने वाला नहीं, यह सबके बाद के रसूल हैं। देख लो हज़रत ईसा (عليه السلام) के बाद से लेकर अब तक कोई रसूल नहीं आया। फ़त्रा की इस लम्बी मुद्दत के बाद रसूल आए। कुछ कहते हैं, यह मुद्दत छः सौ साल की थी। (सहीह बुख़ारी, किताब मनाक़िबुल अंसार, बाब इस्लामु सलमान फ़ारसी (रज़ि.) : 3948) कुछ कहते हैं साढ़े पाँच सौ बरस की, कुछ कहते हैं पाँच सौ चालीस बरस

की, कोई कहता है चार सौ से कुछ ऊपर तीस बरस की। इब्ने असाकिर में है कि हज़रत ईसा (عليه السلام) के आसमान की तरफ़ उठाए जाने और हमारे नबी (ﷺ) के हिज्रत करने के बीच नौ सौ तैंतीस साल का फ़ासला था लेकिन मशहूर क़ौल पहला ही है छः सौ साल का। कुछ कहते हैं कि छः सौ बीस साल का फ़ासला था। इन दोनों क़ौलों में इस तरह तत्बीक़ भी हो सकती है कि पहला क़ौल सूरज के हिसाब से हो और दूसरा चाँद के हिसाब से हो, इस गिनती में हर तीन सौ साल में तक़रीबन आठ साल का फ़र्क़ पड़ जाता है। इसलिए अहले कहफ़ के क़िस्से में है (وَ لَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ ازْدَادُوْا تِسْعًا) (18/कहफ़ : 25) "वह लोग अपने ग़ार में तीन सौ साल तक रहे और नौ बरस और ज़्यादा किए।" पस सूरज के हिसाब से अहले किताब को जो मुद्दत उनकी ग़ार की मालूम थी वह तीन सौ साल की थी, नौ बढ़ाकर चाँद के हिसाब से पूरा हो गया। आयत से मालूम हुआ कि हज़रत ईसा (عليه السلام) से जो बनी इस्राईल के आख़िरी नबी थे, हज़रत मुहम्मद (ﷺ) तक जो अलल इत्लाक़ ख़ातिमुन्नबिय्यीन थे, फ़त्रा (वक़्फ़ा) का ज़माना था, यानी दरम्यान में कोई नबी नहीं हुए। चुनाँचे सहीह बुख़ारी शरीफ़ में है कि हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "मैं हज़रत ईसा (عليه السلام) से बनिस्बत और सब लोगों के ज़्यादा औला हूँ इसलिए कि मेरे और उनके बीच कोई नबी नहीं।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज़्कुर् फ़िल किताबि मरयम....) : 3442; सहीह मुस्लिम : 2365; अहमद : 2/319; इब्ने हिब्बान : 6195) इसमें उन लोगों का भी रद्द है जो ख़्याल करते हैं कि इन दोनों जलीलुल क़द्र पैग़म्बरों के बीच भी एक नबी गुज़रे हैं जिनका नाम ख़ालिद बिन सिनान था। (हाकिम : 2/599, 600) वसनदुहू ज़ईफ़ुन लिइर्सालिही; शैख़ अल्बानी (रह.) ने ख़ालिद बिन सिनान के नाम की निस्बत नबी (ﷺ) की तरफ़ करने की रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 281)) जैसे कि क़ुज़ाई वग़ैरह ने हिकायत की है। मक़्सूद यह है कि ख़ातिमुल अम्बिया अल्लाह के हबीब दुनिया में उस वक़्त तशरीफ़ लाए हैं जबकि रसूलों की तालीम मिट चुकी थी उनकी राहें बेनिशान हो चुकी थी, दुनिया तौहीद को भुला चुकी थी। जगह जगह मख़्लूक़ परस्ती हो रही थी। सूरज, चाँद, बुत, आग पूजी जा रही थी, अल्लाह तआला का दीन बदल चुका था। कुफ़्र की तारीकी नूरे दीन पर छा चुकी थी, दुनिया का चप्पा-चप्पा सरकशी और तुग़ियानी से भर गया था। अदलो इंसाफ़ बल्कि इंसानियत भी फ़ना हो चुकी थी, जिहालत व ग़ुबारत का दौर चल रहा था, बजुज़ चंद नफ़ूस के अल्लाह तआला का नाम लेने वाला ज़मीन पर नहीं रहा। पस मालूम हुआ कि आप (ﷺ) की जलालत व इज़्ज़त अल्लाह तआला के नज़दीक बहुत बड़ी थी और आपने जो अल्लाह की रिसालत अदा की वह कोई मामूली रिसालत न थी, (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)

मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने एक ख़ुत्बे में फ़र्माया, "मुझे मेरे रब का हुक्म है कि मैं तुम्हें वह बातें सिखाऊँ जिनसे तुम वाक़िफ़ न हो और अल्लाह तआला ने मुझे आज ही बताई हैं, फ़र्माया है कि मैंने अपने बन्दों को जो कुछ इनायत किया है वह उनके लिए हलाल किया है, मैं अपने सब बन्दों को मुवह्हिद (तौहीदपरस्त) पैदा किया है लेकिन फिर शैतान उनके पास आता है और उन्हें बहकाता है और मेरी हलालकर्दा चीज़ें उन पर हराम करता है और उनसे कहता है कि वह मेरे साथ बावजूद दलील न होने के शिर्क करें। सुनो!

अल्लाह तआला ने ज़मीन वालों को देखा और तमाम अरब व अजम को नापसंद किया। सिवाय उन चंद बक़ाया बनी इस्राईल के (जो तौहीद पर क़ायम हैं) फिर (मुझसे) फ़र्माया, मैंने तुझे इसीलिए अपना नबी बनाकर भेजा है कि मैं तेरी आज़माइश करूँ और तेरी वजह से औरों की भी आज़माइश कर लूँ, मैंने तुझ पर वह किताब नाज़िल फ़र्माई है जिसे पानी धो नहीं सकता और जिसे तू सोते जागते पढ़ता है। फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि मैं कुरैशियों में पैग़ामे रब तआला पहुँचाऊँ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह! यह तो मेरा सर कुचलकर रोटी जैसा बना देंगे। परवरदिगार ने फ़र्माया, तू इन्हें निकाल जैसे उन्होंने तुझे निकाला, तू उनसे जिहाद कर तेरी मदद की जाएगी, तू इन पर ख़र्च कर, तुझ पर ख़र्च किया जाएगा, तू इनके मुक़ाबले पर लश्कर भेज, हम इससे पाँच गुना लश्कर और भेजेंगे, अपने फ़र्मांबरदारों को लेकर अपने नाफ़र्मानों से जंग कर। जन्नती लोग तीन क़िस्म के हैं। बादशाह आदिल, तौफ़ीक़े ख़ैर वाला, और सदक़ा ख़ैरात करने वाला और रहम करने वाला क़राबतदार मुसलमान के साथ और नर्म दिली करने वाला और बावजूद मुफ़्लिस होने के हराम से बचने वाला हालाँकि साहिबे अयाल भी है। और जहन्नमी लोग पाँच क़िस्म के हैं, वह सुफ़्ले लोग जो बेदीन, ख़ुशामद ख़ोर और मातहत हैं जिनके आल औलाद और धन दौलत नहीं, और वह ख़ाइन लोग जिनके दाँत छोटी से छोटी चीज़ पर भी तेज़ होते हैं और हक़ीर चीज़ों में भी ख़यानत से नहीं चूकते और वह लोग जो सुबह व शाम लोगों को उनके अहल व माल में धोखा देते फिरते हैं और बख़ील या फ़र्माया, कज़्ज़ाब और शिंज़ीर यानी बद गो।'' (मुस्नद अहमद : 4/162; सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नह, बाब अस्सिफ़ातुल्लती युअरफ़ु बिहा फ़िद्दुनिया अहलुल जन्नत व अहलुन्नार : 2865; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 8071; इब्ने हिब्बान : 653; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 2088; बैहक़ी : 9/20)

यह हदीस मुस्लिम और नसाई में भी है। मक़्सूद यह है कि हुज़ूर (ﷺ) की बिअसत के वक़्त सच्चा दीन दुनिया में न था, अल्लाह तआला ने आपकी वजह से लोगों को अंधेरों से और गुमराहियों से निकालकर उजाले में और राहे रास्त पर ला खड़ा किया और उन्हें रोशन व ज़ाहिर शरीअत अता फ़र्माई, इसलिए कि लोगों का उज़्र कट जाए, उन्हें यह कहने की गुंजाइश न रहे कि हमारे पास कोई नबी नहीं आया, हमें न तो किसी ने कोई ख़ुशख़बरी सुनाई, न धमकाया, न डराया। पस कामिल क़ुदरतों वाले अल्लाह तआला ने अपने बरगुज़ीदा पैग़म्बर (ﷺ) को सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेज दिया, वह अपने फ़र्मांबरदारों को सवाब देने पर और नाफ़र्मानों को अज़ाब देने पर क़ादिर है।

***

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ
وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا
الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا
مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ
فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا
فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا
نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ
اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

तर्जुमा : ''याद करो जब मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम से कहा, ऐ मेरी क़ौम के लोगों! अल्लाह तआला के उस एहसान का ज़िक्र करो कि उसने तुममें से पैग़म्बर बनाए और तुम्हें बादशाह बना दिया और तुम्हें वह दिया जो तमाम आलम में किसी को नहीं। (20) ऐ मेरी क़ौम वालों! उस मुक़द्दस ज़मीन में जाओ जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे नाम लिख दी है और अपनी पुश्त के बल रूगर्दानी न करो कि फिर नुक़्सान में जा पड़ो। (21) उन्होंने जवाब दिया कि मूसा (عليه السلام)! वहाँ तो ज़ोरावर सरकश लोग हैं और जब तक वह वहाँ से निकल न जाएँ हम तो हर्गिज़ वहाँ न जाएँगे, हाँ! अगर वह वहाँ से निकल जाएँ फिर तो हम बख़ुशी चले जाएँगे। (22) दो शख़्सों ने जो अल्लाह वाले लोगों में से थे जिन पर अल्लाह तआला का फ़ज़्ल था, कहा कि तुम उनके पास दरवाज़े में तो पहुँच जाओ, दरवाज़े में क़दम रखते ही यक़ीनन तुम ग़ालिब आ जाओगे,

तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखना चाहिए। (23) क़ौम ने जवाब दिया कि ऐ मूसा (ﷺ)! जब तक वह वहाँ हैं तब तक तो हम हर्गिज़ वहाँ जाएँगे ही नहीं तो आप और तुम्हारे परवरदिगार जाकर दोनों ही लड़-भिड़ लो, हम यहीं बैठे हुए हैं। (24) मूसा (ﷺ)! कहने लगे, ऐ अल्लाह! मुझे तो सिवाय अपने और मेरे भाई के किसी और पर कोई इख़्तियार नहीं, पस तू हममें और इन नाफ़र्मानों में फ़ैसला और फ़र्क़ कर दे। (25) इर्शाद हुआ कि अब ज़मीन उन पर चालीस साल तक हराम कर दी गई है। यह ख़ानाबदोश इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे। सो तू इन फ़ासिक़ों के बारे में ग़मगीन न होना।'' (26)

एक के बाद एक अम्बिया (ﷺ) का नाज़िल करना अल्लाह तआला की रहमत है (आयत 20-26) : हज़रत मूसा कलीमुल्लाह (ﷺ) ने अपनी क़ौम को अल्लाह तआला की नेअमतें याद दिलाकर अल्लाह तआला की इताअत की तरफ़ माइल किया था, उसका बयान हो रहा है, फ़र्माया, लोगों! अल्लाह तआला की नेअमत को याद करो कि उसने एक के बाद एक नबी तुममें तुम्हीं में से भेजे। हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (ﷺ) के बाद उन ही की नस्ल में नबुव्वत रही। यह सब अम्बिया (ﷺ) तुम्हें दावते तौहीद व इत्तिबाअ देते रहे यह सिलसिला हज़रत ईसा रूहुल्लाह (ﷺ) पर ख़त्म हुआ, फिर ख़ातिमुल अम्बिया वर्रुसुल हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) को नुबुव्वते-कामिला अता हुई। आप हज़रत इस्माईल (ﷺ) के वास्ते से हज़रत इब्राहीम (ﷺ) की औलाद में से थे जो अपने से पहले तमाम रसूलों और नबियों में से अफ़ज़ल थे, अल्लाह तआला आप पर दुरूदो सलाम नाज़िल फ़र्माए और तुम्हें उसने बादशाह बना दिया, यानी ख़ादिम दिये, बीवियाँ दीं, घर बार दिया और उस वक़्त जितने लोग थे उन सबसे ज़्यादा नेअमतें तुम्हें अता फ़र्माईं। यह लोग इतना पाने के बाद बादशाह कहलाने लगते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा कि क्या मैं फ़ुक़रा मुहाजिरीन में से नहीं हूँ? आपने फ़र्माया, तेरी बीवी है? उसने कहा, हाँ! कहा घर भी? कहा, हाँ! फिर तू तो ग़नी है। उसने कहा, यूँ तो मेरा ख़ादिम भी है। आपने फ़र्माया, फिर तू तो बादशाहों में से है। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुन लिल मोमिन व जन्नतुन लिल काफ़िरीन : 2979)

हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं सवारी और ख़ादिम मिल्क है बनु इस्राईल ऐसे लोगों को मुलूक कहा करते थे। बक़ौले क़तादा (रह.) ख़ादिमों का अव्वल अव्वल रवाज उन बनी इस्राइलियों ने ही दिया है।

एक मरफ़ूअ हदीस में है ''उन लोगों में जिसके पास ख़ादिम सवारी और बीवी होती, वह बादशाह कहा जाता था।'' (इस रिवायत में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/444; रक़म : 574) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) एक और मरफ़ूअ हदीस में है ''जिसका घर और ख़ादिम है, वह बादशाह है।'' (तब्री : 10/163) यह हदीस मुर्सल और ग़रीब है। एक हदीस में आया है ''जो शख़्स इस हालत में सुबह करता है कि उसका जिस्म सहीह सालिम हो, उसका नफ़्स अम्नो-अमान में हो और दिनभर किफ़ायत करे, उतना माल भी हो उसके लिए गोया कुल दुनिया सिमटकर आ गई।'' (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब फ़िल वस्फ़ मिन

ह़ीज़तिदुनिया : 2346; वसनदुहू ह़सन; इब्ने माजा : 4141) उस वक़्त जो यूनानी क़िब्ती वग़ैरह थे उनसे यह अशरफ़ व अफ़ज़ल बना दिए गए थे। और आयत में है "हमने बनी इस्राईल को किताब, हुक्म, नबुव्वत, पाकीज़ा रोज़ियाँ और सब पर फ़ज़ीलत दी थी।" ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) से जब उन्होंने मुश्रिकों की देखा देखी रब बनाने को कहा, उसके जवाब में ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) ने अल्लाह तआला के फ़ज़्ल बयान करते हुए यही फ़र्माया था कि उसने तुम्हें तमाम जहान पर फ़ज़ीलत दे रखी है। मतलब सब जगह यही है कि उस वक़्त के तमाम लोगों पर, क्योंकि साबितशुदा अम्र है कि यह उम्मत उनसे अफ़ज़ल है क्या शरई ह़ैसियत से, क्या अह़कामी ह़ैसियत से, क्या नबुव्वत की ह़ैसियत से, क्या बादशाहत , इज़्ज़त मम्लिकत, दौलत व ह़श्मत, और माल व औलाद वग़ैरह की ह़ैसियत से? ख़ुद कुरआन मजीद फ़र्माता है (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) (3/आले इमरान : 110) और फ़र्माया (جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) (2/बक़रह : 143) यह भी कहा गया है कि बनू इस्राईल के साथ इस अफ़ज़लियत में उम्मते मुह़म्मदी (ﷺ) को भी शामिल करके ख़िताब किया गया है और यह भी कहा गया है कि कुछ उमूर में इन्हें फ़िल वाक़ेअ अलल इत्लाक़ फ़ज़ीलत दी गई थी, जैसे मन्न व सल्वा का उतरना, बादलों से साया दिया जाना, वग़ैरह वग़ैरह जो ख़िलाफ़े आदत चीज़ें थीं। यह क़ौल तो अक्सर मुफ़स्सिरीन का है जैसाकि पहले बयान हो चुका है कि मुराद इससे उनके अपने ज़माने वालों पर उन्हें फ़ज़ीलत दिया जाना है, वल्लाहु आलम!

फिर बयान होता है कि बैतुल मक़्दिस दरअसल इनके दादा ह़ज़रत याक़ूब (عليه السلام) के ज़माने में उन्हीं के क़ब्ज़े में था। और जब वह अपने अहलो अयाल के साथ ह़ज़रत यूसुफ़ (عليه السلام) के पास मिस्र में चले गए तो यहाँ अमालिक़ा क़ौम उस पर क़ब्ज़ा जमा बैठी थी, वह बड़े मज़बूत हाथ पैरों वाले थे। अब ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) अपनी क़ौम से फ़र्माते हैं कि तुम उनसे जिहाद करो, अल्लाह तआला तुम्हें उन पर ग़ालिब करेगा। और यहाँ का क़ब्ज़ा फिर तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन यह नामर्दी दिखाते हैं और बुज़दिली से चेहरा फेर लेते हैं। उसकी सज़ा में उन्हें चालीस साल तक वादी तीह में ह़ैरान व सरगर्दां खाना बदोशी में रहना पड़ता है। मुक़द्दसा से मुराद पाक है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यह तूर और उसके पास की ज़मीन का ज़िक्र है, एक और रिवायत में अरीह़ा का ज़िक्र है लेकिन यह दुरुस्त नहीं इसलिए कि न तो अरीह़ा का फ़तह़ करना मक़्सूद था न वह उनके रास्ते में था क्योंकि वह फ़िरऔन की हलाकत के बाद मिस्र के शहरों से आ रहे थे। और बैतुल मक़्दिस जा रहे थे। यह हो सकता है कि वह मशहूर शहर हो जो तूर की तरफ़ बैतुल मक़्दिस के मश्रिक़ी रुख़ था। "अल्लाह तआला ने उसे तुम्हारे लिए लिख दिया है" मतलब यह है कि तुम्हारे बाप इस्राईल से अल्लाह तआला ने वादा किया है कि वह तेरी औलाद के बाईमान लोगों के वर्सा में आएगी। तुम अपनी पीठों पर मुर्तद न हो जाओ यानी जिहाद से मुँह फेरकर थककर न बैठ जाओ वरना ज़बरदस्त नुक़्सान में पड़ जाओगे। वह जवाब देते हैं कि जिस शहर में जाने को और जिन शहरियों से जिहाद करने को आप फ़र्मा रहे हैं हमें मालूम है कि वह बड़े क़वी ताक़तवर और जंगजू हैं। हम उनसे मुक़ाबला नहीं कर सकते और जब तक वह वहाँ मौजूद हैं हम उस शहर में नहीं जा सकते, हाँ! अगर वह लोग वहाँ से निकल जाएँ तो हम चले जाएँगे, वरना आपकी हुक्म बरदारी हमारी ताक़त से बाहर है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) जब अरीह़ा के क़रीब पहुँच गए

तो आपने बारह जासूस मुक़र्रर किए, बनू इस्राईल के हर क़बीले में से एक जासूस लिया और उन्हें अरीहा भेजा कि सहीह ख़बरें ले आएँ, यह लोग जब गए तो इनकी जसामत और कुव्वत से ख़ौफ़ज़दा हो गए। एक बाग़ में यह सबके सब थे, इत्तिफ़ाक़न बाग़ वाला फल तोड़ने के लिए आ गया। वह फल तोड़ता हुआ उनके निशाने क़दम ढूँढ़ता हुआ उनके पास पहुँच गया और उन्हें भी फलों के साथ ही अपनी गठरी में बाँध लिया और जाकर बादशाह के सामने बाग़ में फलों की गठरी खोलकर डाल दी जिसमें यह सबके सब थे, बादशाह ने उनसे कहा, अब तो तुम्हें हमारी कुव्वत का अंदाज़ा हो गया, मैं तुम्हें क़त्ल नहीं करता, जाओ! वापिस चले जाओ और अपने लोगों को बता दो, चुनाँचे उन्होंने जाकर सब हाल बयान किया, जिससे बनू इस्राईल डर गए। लेकिन इसकी इस्नाद दुरुस्त नहीं। दूसरी रिवायत में है कि उन बारह लोगों को उनमें से एक शख़्स ने पकड़ लिया और अपनी चादर में उनको गठरी में बाँधकर शहर में ले गया और लोगों के सामने उन्हें डाल दिया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन लोग हो? उन्होंने जवाब दिया हम मूसा (ﷺ) की क़ौम के लोग हैं। हम तुम्हारी ख़बर लेने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने एक अंगूर उनको दिया जो एक शख़्स को काफ़ी था और कहा जाओ, उनसे कह दो कि यह हमारे मेवे हैं। उन्होंने वापिस जाकर क़ौम से सब हाल कह दिया। अब हज़रत मूसा (ﷺ) ने उन्हें जिहाद का और शहर में जाने का हुक्म दिया तो उन्होंने साफ़ कह दिया कि आप और आपका रब जाएँ और लड़ें, हम तो यहाँ से हिलने वाले भी नहीं।

हज़रत अनस (रज़ि.) ने एक बांस लेकर नापा जो पचास या पचपन हाथ का था, फिर उसे गाड़कर फ़र्माया कि उन अमालीक़ के क़द इस क़द्र लम्बे थे। मुफ़स्सिरीन ने यहाँ पर इस्राईली रिवायात बहुत बयान की हैं। कि यह लोग इस क़द्र क़वी थे ऐसे मोटे और इतने लम्बे थे, उन्हीं में से औज बिन अनक़ इब्ने बिन्ते आदम था जिसका क़द लम्बाई में तीन हज़ार तीन सौ तैंतीस गज़ का था। और चौड़ाई उसके जिस्म की तीन गज़ की थी लेकिन यह सब बातें बेकार हैं, इनके तो ज़िक्र से भी हया मानेअ है। फिर यह सहीह हदीस के ख़िलाफ़ भी है। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (ﷺ) को साठ हाथ का पैदा किया था। फिर आज तक मख़्लूक़ के क़द घटते ही रहे।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्क़े आदम व ज़ुर्रियतिही : 3326; सहीह मुस्लिम : 2/315; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 19435; इब्ने हिब्बान : 6162; अल्अस्मा वस्सिफ़ात : 635) इन इस्राईली रिवायतों में यह भी है कि औज बिन अनक़ काफ़िर था। और वलदुज़्ज़िना था, यह तूफ़ाने नूह में था और हज़रत नूह (ﷺ) के साथ उनकी कश्ती में न बैठा था लेकिन ताहम पानी उसके घुटनों तक भी न पहुँचा था, यह भी महज़ लग़्व और बिलकुल झूठ है बल्कि कुरआन के ख़िलाफ़ है। कुरआने करीम में हज़रत नूह (ﷺ) की दुआ मज़्कूर है कि ज़मीन पर एक काफ़िर भी न बचना चाहिए, यह दुआ क़बूल हुई और यह हुआ भी। कुरआन फ़र्माता है कि हमने नूह (ﷺ) को और उनकी कश्ती वालों को नजात दी फिर बाक़ी सब काफ़िरों को ग़र्क़ कर दिया। ख़ुद कुरआन में है कि आज के दिन सिवाय उन लोगों के जिन पर रहमते रब है कोई भी बचने का नहीं। ताज्जुब पर ताज्जुब है कि नूह (ﷺ) का लड़का भी जो ईमान वाला न था, न बच सका लेकिन औज बिन अनक़ काफ़िर वलदुज़्ज़िना बच रहा, यह बिलकुल अक़्ल व नक़्ल के ख़िलाफ़ है बल्कि हम तो सिरे से इसके भी क़ाइल नहीं हैं कि औज बिन अनक़ नामी कोई शख़्स था, वल्लाहु

आलम! बनी इस्राईल जब अपने नबी को नहीं मानते बल्कि उनके सामने सख़्त कलामी और बेअदबी करते हैं तो दो शख़्स जिन पर अल्लाह तआला का इन्आम व इकराम था वह उन्हें समझाते हैं उनके दिलों में अल्लाह का ख़ौफ़ था, वह डरते थे कि बनी इस्राईल की इस सरकशी से कहीं रब तआला का अज़ाब न आ जाए। एक क़िरात में (यख़ाफ़ून) के बदले (युख़ाफ़ून) है। इससे मुराद यह है कि उन दोनों बुज़ुर्गों की क़ौम में इज़्ज़त व अज़्मत थी, एक का नाम हज़रत युशअ बिन नून था और दूसरे का नाम कालिब बिन युफ़न्ना था। उन्होंने कहा कि अगर तुम अल्लाह तआला पर भरोसा रखोगे और उसके रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह तआला तुम्हें उन दुश्मनों पर ग़ालिब कर देगा और वह ख़ुद तुम्हारी मदद और ताईद करेगा। और तुम उस शहर में ग़ल्बे के साथ पहुँच जाओगे। तुम दरवाज़े तक तो चले चलो, यक़ीन मानो कि ग़ल्बा तुम्हारा ही है, उन नामर्दों ने अपना पहला जवाब और मज़बूत कर दिया और कहा कि उस जब्बार क़ौम की मौजूदगी में हमारा एक क़दम बढ़ाना भी नामुम्किन (असम्भव) है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून (عليهما السلام) ने यह देखकर बहुत समझाया यहाँ तक कि उनके सामने बड़ी आजिज़ी की लेकिन वह न माने। यह हाल देखकर हज़रत युशअ (عليه السلام) और हज़रत कालिब ने अपने कपड़े फाड़ डाले और उन्हें बहुत कुछ मलामत की लेकिन यह बदनसीब और अकड़ गए बल्कि यह भी कहा गया है कि उन दोनों बुज़ुर्गों को उन्होंने पत्थरों से शहीद कर दिया, एक तूफ़ाने बदतमीज़ी शुरू हो गया और बेतरह मुख़ालिफ़ते रसूल पर तुल गए। उनके इस हाल को सामने रखकर फिर अस्हाबे रसूल के हाल को देखिए कि जब नौ सौ या एक हज़ार काफ़िर अपने क़ाफ़िले को बचाने के लिए चले, क़ाफ़िला तो दूसरे रास्ते निकल गया लेकिन उन्होंने अपनी ताक़त व कुव्वत के घमण्ड पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को नुक़्सान पहुँचाए बग़ैर वापिस जाना अपनी उम्मीदों पर पानी फिरना समझकर इस्लाम और मुसलमानों को कुचल डालने के इरादे से मदीना का रुख़ किया। इधर हुज़ूर (ﷺ) को जब यह हालात मालूम हुए तो आपने अपने अस्हाब (रज़ि.) से कहा, बतलाओ तो अब क्या करना चाहिए? अल्लाह तआला उन सबसे ख़ुश रहे। उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) के सामने अपने माल अपनी जानें और अपने ज़न व फ़रज़न्द सब रख दिए और कहा, हुज़ूर (ﷺ) मालिक हैं, हम न तादाद को देखते हैं न ग़ल्बे को देखते हैं, न अस्बाब पर नज़र करते हैं बल्कि हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्मान पर कुर्बान हैं। सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने इस क़िस्म की बातचीत की फिर मुहाजिरीने सहाबा (रज़ि.) में से कई एक ने इस क़िस्म की तक़रीरें कीं, लेकिन फिर भी आपने फ़र्माया, "और अस्हाब अपना इरादा ज़ाहिर करें" आपका मक़्सद इससे यह था कि अंसार का दिली इरादा मालूम करें इसलिए कि यह जगह उन्हीं की थी और तादाद में भी यह मुहाजिरीन से ज़्यादा थे। इस पर हज़रत सअद बिन मुआज़ अंसारी (रज़ि.) खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे कि शायद! आपका इरादा हमारा मंशा मालूम करने का है। सुनिए! या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम है उस अल्लाह तआला की जिसने आप (ﷺ) को हक़ के साथ नबी बनाकर भेजा है अगर आप हमें समुन्दर के किनारे खड़े करके फ़र्माएँ कि इसमें कूद जाओ तो हम बे पसो पेश उसमें कूद जाएँगे, आप देख लेंगे कि हममें से एक भी न होगा जो किनारे पर खड़ा रह जाए। हुज़ूर (ﷺ) आप अपने दुश्मनों के मुक़ाबले में हमें शौक़ से ले चलिए, आप देख लेंगे कि हम लड़ाई में सब्र और साबित क़दमी दिखाने वाले लोग हैं, आप जान लेंगे कि हम अल्लाह तआला की मुलाक़ात को सच जानने वाले लोग हैं, आप अल्लाह तआला का नाम लेकर उठ खड़े होईए, हमें देखकर हमारी बहादुरी और इस्तिक़्लाल को देखकर

इंशाअल्लाह! आपकी आँखें ठण्डी हो जाएँगी। यह सुनकर अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ख़ुश हो गए और आप (ﷺ) को अंसार की यह बातें बहुत ही भली मालूम हुईं। एक रिवायत में है कि बद्र की लड़ाई के मौक़े पर आप (ﷺ) ने मुसलमानों से मश्वरा लिया, हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कुछ कहा, फिर अंसार (रज़ि.) ने कहा कि अगर आप हमारी सुनना चाहते हैं तो सुनिए! हम बनी इस्राईल की त़रह़ नहीं कि कह दें कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम यहाँ बैठे हैं बल्कि हमारा जवाब यह है कि आप अल्लाह तआला की मदद लेकर जिहाद के लिए चलिए हम जानो माल से आपके साथ हैं। हज़रत मिक़्दाद अंसारी (रज़ि.) ने भी खड़े होकर यही फ़र्माया था। (मुस्नद अह़मद : 4/314; स़ह़ीह़ बुख़ारी : 4609) हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) के इस क़ौल से अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ख़ुश हो गए। उन्होंने कहा था कि हुज़ूर(ﷺ)! लड़ाई के वक़्त देख लेंगे कि आपके पीछे दाएँ-बाएँ हम ही हम होंगे, काश! कि कोई ऐसा मौक़ा मुझे मयस्सर आता कि मैं अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) को इस क़द्र ख़ुश कर सकता। (मुस्नद अह़मद : 1/389; स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरतुल माइदा, बाब क़ौलुहू **(फ़ज़्हब अन्त व रब्बुक फ़क़ातिला अन्ना हाहुना क़ाइदून)** : 4609) एक और रिवायत में हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) का यह क़ौल हुदैबिया के दिन मरवी है जबकि मुश्रिकीन ने आप (ﷺ) को उम्रा के लिए बैतुल्लाह शरीफ़ जाते हुए रास्ते में रोका और कुर्बानी के जानवर भी ज़िब्ह़ की जगह न पहुँच सके, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं तो अपनी कुर्बानी के जानवर को लेकर बैतुल्लाह पहुँचकर कुर्बान करना चाहता हूँ।" तो हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हम अस्ह़ाबे मूसा की त़रह़ नहीं, यह उन्हीं से हो सका कि अपने नबी (ﷺ) से कह दिया कि आप और आपका अल्लाह जाकर लड़ लो हम तो यहाँ बैठे हैं, हम कहते हैं हुज़ूर (ﷺ)! आप चलिए अल्लाह तआला की मदद आपके साथ हो और हम सबके सब आपके साथी हैं। यह सुनकर और अस्ह़ाब (रज़ि.) ने भी इसी त़रह़ जान निसारियों के वादे करने शुरू कर दिये हैं। पस अगर इस रिवायत में हुदैबिया का ज़िक्र करना मह़फ़ूज़ हो तो हो सकता है कि बद्र वाले दिन भी आप (ﷺ) ने यह फ़र्माया हो, वल्लाहु आलम!

हज़रत मूसा (ﷺ) को यह सुनकर अपनी उम्मत पर बहुत गुस्सा आया और अल्लाह तआला के सामने उनसे बेज़ारी का इज़्हार किया कि रब्बुल आलमीन! मुझे तो अपनी जान पर और अपने भाई पर इख़्तियार है, तू अब मेरे और मेरी क़ौम के इन फ़ासिक़ों के दरम्यान फ़ैसला फ़र्मा। जनाब बारी तआला ने इस दुआ को क़बूल फ़र्माया और फ़र्माया कि अब यह चालीस साल तक यहाँ से जा नहीं सकते, वादी तीह में हैरान व सरगर्दां घूमते फिरते रहेंगे। किसी त़रह़ इसकी हुदूद से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ उन्होंने अ़ज़ीबो ग़रीब ख़िलाफ़े आदत उमूर देखे, मस्लन बादल का साया उन पर होना, मन्न व सल्वा का उतरना, एक ठोस पत्थर से जो उनके साथ था, पानी का निकलना, हज़रत मूसा (ﷺ) ने इस पत्थर पर एक लकड़ी मारी तो फ़ौरन ही उससे बारह चश्मे पानी के जारी हो गए और हर क़बीले की त़रफ़ एक चश्मा बह निकला। इसके सिवा और भी बहुत से मुजिज़े बनी इस्राईल ने वहाँ पर देखे यहीं तौरात उतरी, यहीं अह़कामे अल्लाह तआला नाज़िल हुए वग़ैरह वग़ैरह। इसी मैदान में चालीस साल तक यह घूमते-फिरते रहे लेकिन कोई राह वहाँ से निकल जाने की

उन्हें न मिली हाँ! बादल का साया उन पर कर दिया गया और मन्न व सल्वा उतार दिया गया। फ़ुतून की लम्बी ह़दीस में इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है। फिर ह़ज़रत हारून (عليه السلام) की वफ़ात हो गई। उसके तीन साल बाद कलीमुल्लाह ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) भी इंतिक़ाल कर गए। फिर आप (عليه السلام) के ख़लीफ़ा ह़ज़रत युशअ़ बिन नून (عليه السلام) नबी बनाए गए। इस अस्ना में बहुत से बनी इस्राईल मर मरा चुके थे, बल्कि यह भी कहा गया है कि सिर्फ़ ह़ज़रत युशअ़ और कालिब ही बाक़ी रहे थे। कुछ मुफ़स्सिरीन (सनतन) पर वक़्फ़े ताम करते हैं। और (अरबईन सनतन) को नसब की ह़ालत में मानते हैं और इसका आ़मिल (यतीहून फ़िल अर्ज़ि) को बतलाते हैं। इस चालीस साला मुद्दत के गुज़र जाने के बाद जो भी बाक़ी थे, उन्हें लेकर ह़ज़रत युशअ़ बिन नून (عليه السلام) निकले और दूसरे पहाड़ से भी बाक़ी बनू इस्राईल उनके साथ हो लिए और आप (عليه السلام) ने बैतुल मक़्दिस का मुहासिरा कर लिया, जुम्आ के दिन अ़स्र के बाद जबकि फ़तह़ का वक़्त आ पहुँचा, दुश्मनों के क़दम उखड़ गए, इतने में सूरज डूबने लगा और डूबने के बाद हफ़्ते की ताज़ीम की वजह से लड़ाई हो नहीं सकती थी इसलिए अल्लाह के नबी (عليه السلام) ने फ़र्माया, "ऐ सूरज! तू भी अल्लाह का ग़ुलाम है। और मैं भी अल्लाह का महकूम हूँ, ऐ अल्लाह! इसे ज़रा सी देर रोक दे।" चुनाँचे अल्लाह के हुक्म से सूरज रुक गया और आपने दिलजम्ई के साथ बैतुल मक़्दिस को फ़तह़ कर लिया। रब तआ़ला का हुक्म हुआ कि बनी इस्राईल से कह दो इस शहर के दरवाज़े में सज्दा करते हुए जाएँ और कहें ह़ित्ततुन, यानी ऐ अल्लाह! हमारे गुनाह माफ़ कर। लेकिन उन्होंने रब के हुक्म को बदल दिया, रानों पर घसीटते हुए और ज़ुबान से 'ह़ब्बतुन फ़ी शअ़रतिन' कहते हुए शहर में गए। मज़ीद तफ़्सील सूरह बक़रह की तफ़्सीर में गुज़र चुकी है। दूसरी रिवायत में इतनी ज़्यादती भी है कि इस क़द्र माले ग़नीमत उन्हें ह़ासिल हुआ कि उतना माल कभी उन्होंने देखा न था। फ़र्मानि रब के मुताबिक़ उसे आग में जलाने के लिए आग के पास ले गए लेकिन आग ने उसे न जलाया उस पर उनके नबी ह़ज़रत युशअ़ बिन नून (عليه السلام) ने फ़र्माया, तुममें से किसी ने इसमें से कुछ चुरा लिया है पस मेरे पास हर क़बीले का सरदार आए और मेरे हाथ पर बेअ़त करे, चुनाँचे यूँ ही किया गया, एक क़बीले के सरदार का हाथ अल्लाह के नबी (عليه السلام) के हाथ से चिपक गया। आपने फ़र्माया, तेरे पास वह ख़यानत की चीज़ है, जा उसे ले आ। उसने एक गाय का सर सोने का बना हुआ पेश किया। जिसकी आँखें याक़ूत की थीं और दाँत मोतियों के थे जब वह भी दूसरे माल के साथ डाल दिया गया, अब आग ने उस सब माल को जला दिया। इमाम जरीर (रह.) ने भी इस क़ौल को पसंद किया है (अरबईन सनतन) में (फ़ इन्नहा मुह़र्रमतुन) आ़मिल है। और बनी इस्राईल की यह जमाअ़त चालीस बरस तक उसी मैदाने तीह में सरगर्दां रही। फिर ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) के साथ यह लोग निकले और बैतुल मक़्दिस को फ़तह़ किया। इसकी दलील अगले उ़लमा-ए-यहूद का इज्माअ़ है कि औ़ज बिन अ़नक़ को ह़ज़रत कलीमुल्लाह (अ.) ने ही क़त्ल किया है तो अगर उसका क़त्ल अ़मालीक़ की उस जंग से पहले का होता तो कोई वजह न थी कि बनी इस्राईल जंगे अ़मालीक़ का इंकार कर बैठते? तो मालूम हुआ कि यह वाक़िया तीह से छूटने के बाद का है। उ़लमा-ए-यहूद का इस पर भी इज्माअ़ है कि बल्आ़म बिन बाऊ़राअ ने क़ौमे अ़मालीक़ के जब्बारों की एआनत की और उसने ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) पर बद्दुआ की, यह वाक़िया भी उस मैदान की क़ैद से छूटने के बाद का है इसलिए कि उससे पहले तो जब्बारों को मूसा (عليه السلام) और उनकी क़ौम से कोई डर न था। इब्ने जरीर (रह.) की यही दलील है, वह यह भी कहते हैं कि ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) का

असा (लाठी) दस हाथ का था और आप (ﷺ) का क़द भी दस हाथ का था और दस हाथ ज़मीन से उछलकर आप (ﷺ) ने औज बिन अनक़ को वह असा मारा था जो उसके टख़ने पर लगा और वह मर गया। उसके जस्से से दरिया-ए-नील का पुल बनाया गया था। जिस पर से साल भर तक अहले नील आते जाते रहे। नौफ़ बक्काली कहते हैं कि उसका तख़्त तीन सौ गज़ का था। फिर अल्लाह तआला अपने नबी को तसल्ली देते हुए फ़र्माता है कि तू अपनी क़ौम बनी इस्राईल पर ग़म व रंज न कर, वह उसी जेलख़ाने के मुस्तहिक़ हैं। इस वाक़िया में यहूदियों को डांट-डपट है और उनकी मुख़ालिफ़तों का और बुराईयों का बयान है कि यह अल्लाह के दुश्मन सख़्ती के वक़्त अल्लाह के दीन पर क़ायम नहीं रहते, रसूलों की पैरवी से इंकार कर जाते हैं, जिहाद से जी चुराते हैं, अल्लाह के उस कलीम व बुज़ुर्ग रसूल (ﷺ) की मौजूदगी का, उनके वादे का और उनके हुक्म का कोई पास उन्होंने नहीं किया, दिन रात मुजिज़े देखते थे, फ़िरऔन की बर्बादी अपनी आँखों से देख ली थी और उसे कुछ ज़माना भी न गुज़रा था। अल्लाह के बुज़ुर्ग कलीम पैग़म्बर साथ हैं। वह नुसरत व फ़तह़ के वादे कर रहे हैं मगर यह हैं कि अपनी बुज़दिली में मरे जा रहे हैं और न सिर्फ़ इंकार बल्कि होलनाकी के साथ इंकार करते हैं। अल्लाह के नबी (ﷺ) की बेअदबी करते हैं और साफ़ जवाब दे देते हैं अपनी आँखों देख चुके हैं कि फ़िरऔन जैसे बासामान बादशाह को उसके साज़ो-सामान और लश्कर, रइयत समेत उस रब ने डुबो दिया। लेकिन फिर भी उस बस्ती वालों की तरफ़ अल्लाह के भरोसे पर उसके हुक्म की मातहती में नहीं बढ़ते, हालाँकि यह तो फ़िरऔन के दसवें हिस्से में भी न थे। पस अल्लाह का ग़ज़ब उन पर नाज़िल होता है। उनकी बुज़दिली दुनिया पर ज़ाहिर हो जाती है। और आए दिन उनकी रुस्वाई और ज़िल्लत बढ़ती जाती है। यह भले अपने आपको रब के महबूब जानते थे लेकिन हक़ीक़त उसके बिलकुल बरअक्स थी। रब की नज़रों से यह गिर गए थे, दुनिया में उन पर तरह तरह के अज़ाब आए, सूअर, बंदर भी बन गए और लानते अब्दी में यहाँ गिरफ़्तार होकर अज़ाबे आख़िरत के दाइमी शिकार बनाए गए। पस तमाम तारीफ़ उस रब के लिए है जिसकी फ़र्मांबरदारी तमाम भलाईयों की कुंजी है।

***

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ
يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ
بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ
جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

۝٣٠ فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ
يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِيَ سَوْءَةَ اَخِيْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ
النّٰدِمِيْنَ ۝٣١

तर्जुमा : "आदम (ﷺ) के दोनों बेटों का खरा-खरा हाल भी उन्हें सुना दो। उन दोनों ने एक नज़राना पेश किया, उनमें से एक की नज़्र तो क़बूल हुई। और दूसरे की मक़्बूल न हुई। तो वह कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूँगा। उसने कहा, अल्लाह तआला तक़्वा वालों का ही अमल क़बूल करता है। (27) भले तू मेरे क़त्ल के लिए दस्तदराज़ी करे लेकिन मैं तेरे क़त्ल की तरफ़ हर्गिज़ अपने हाथ न बढ़ाऊँगा। मैं तो अल्लाह तआला परवरदिगारे आलम से डरता हूँ। (28) मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले और दोज़ख़ियों में शामिल हो जाए, ज़ालिमों का यही बदला है।(29) पस उसे उसके नफ़्स ने अपने भाई के क़त्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे क़त्ल कर डाला, जिससे नुक़्सान पाने वालो में से हो गया। (30) फिर अल्लाह तआला ने एक कौआ को भेजा जो ज़मीन खोद रहा था ताकि उसे दिखा दे कि वह किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे, वह कहने लगा, हाय! अफ़सोस क्या मैं ऐसा होने से भी गया गुज़रा कि इस कौओ की तरह अपने भाई की लाश को दफ़ना देता? फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिन्दा हो गया।" (31)

वाक़िया हाबील व काबील और हसद व बुग़्ज़ का अंजाम (आयत 27-31) : इस क़िस्से में हसद व बुग़्ज़, सरकशी और तकब्बुर का बुरा अंजाम बयान हो रहा है कि किस तरह हज़रत आदम (ﷺ) के दो सुल्बी (सगे) बेटों में कशमकश हो गई और एक अल्लाह का होकर मज़्लूम बनकर मार डाला गया और अपना ठिकाना जन्नत में बना लिया और दूसरे ने उसे ज़ुल्मो-ज़्यादती के साथ बेवजह क़त्ल किया और दोनों जहानों में बर्बाद हुआ। फ़र्माता है, "ऐ नबी (ﷺ)! इन्हें हज़रत आदम (ﷺ) के दोनों बेटों का सहीह सहीह बग़ैर कमी बेशी क़िस्सा सुना दो।" उन दोनों का नाम हाबील व क़ाबील था। मरवी है कि चूँकि उस वक़्त दुनिया की शुरुआती हालत थी इसलिए यूँ होता था कि हज़रत आदम (ﷺ) के यहाँ एक हमल से लड़का लड़की दो होते थे, फिर दूसरे हमल में भी इसी तरह तो उस हमल का लड़का और दूसरी हमल की लड़की उन दोनों का निकाह करा दिया जाता था। हाबील की बहन तो ख़ूबसूरत न थी और क़ाबील की बहन ख़ूबसूरत थी तो क़ाबील ने चाहा कि अपनी ही बहन से अपना निकाह कर ले। हज़रत आदम (ﷺ) ने उससे मना किया। आख़िर यह फ़ैसला हुआ कि तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुछ निकालो जिसकी ख़ैरात क़बूल हो जाए ,

उसका निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। हाबील की ख़ैरात क़बूल हो गई। फिर वह हुआ जिसका बयान कुरआन की इन आयतों में है। मुफ़स्सिरीन के क़ौल सुनिए। हज़रत आदम (ﷺ) की सुल्बी औलाद के निकाह का क़ायदा जो ऊपर मज़्कूर हुआ बयान फ़र्माने के बाद मरवी है कि बड़ा भाई क़ाबील खेती करता था और हाबील जानवरों वाला था। क़ाबील की बहन बनिस्बत हाबील की बहन के ख़ूबसूरत थी। जब हाबील का पैग़ाम उससे मिला तो क़ाबील ने इंकार कर दिया और अपना निकाह उससे करना चाहा। हज़रत आदम (ﷺ) ने उससे रोका। अब दोनों ने ख़ैरात निकाली कि जिसकी क़बूल हो जाए वह निकाह का ज़्यादा हक़दार है। हज़रत आदम (ﷺ) उस वक़्त मक्का चले गए कि देखें क्या होता है? अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (ﷺ) से फ़र्माया, ज़मीन पर जो मेरा घर है उसे जानते हो? आप (ﷺ) ने कहा, नहीं! हुक्म हुआ, मक्का में है तुम वहीं जाओ, हज़रत आदम (ﷺ) ने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तू हिफ़ाज़त करेगा। उसने इंकार किया, ज़मीन से कहा, वह भी इंकारी हो गई। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इंकार किया। क़ाबील से कहा, उसने कहा, हाँ! मैं मुहाफ़िज़ हूँ, आप जाईए आकर मुलाहिज़ा फ़र्मा लेंगे और ख़ुश होंगे। अब हाबील ने एक ख़ूबसूरत मोटी ताज़ी भेड़ अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह की और बड़े भाई ने अपनी खेती का हिस्सा अल्लाह की राह में निकाला। आग आई और हाबील की नज़्र तो जला गई जो उस ज़माना में क़बूलियत की अलामत थी और क़ाबील की नज़्र क़बूल न हुई। उसकी खेती यूँ ही रह गई। उसने अल्लाह की राह में करने के बाद उसमें अच्छी अच्छी बालें तोड़कर खा ली थीं। चूँकि क़ाबील अब मायूस हो चुका था कि उसके निकाह में उसकी बहन नहीं आने की। इसलिए अपने भाई को क़त्ल की धमकी दी थी। उसने कहा, अल्लाह तआला तक़्वा वालों की कुर्बानी क़बूल फ़र्माया करता है। उसमें मेरा क्या क़ुसूर है? एक रिवायत में यह भी है यही भेड़ जन्नत में पलती रही और यही वह भेड़ है जिसे हज़रत इब्राहीम (ﷺ) ने अपने बच्चे के बदले ज़िब्ह की। एक रिवायत में है कि हाबील ने अपने जानवरों में से बेहतरीन और मरग़ूब व महबूब जानवर अल्लाह के नाम कुर्बान किया और ख़ुशी के साथ। बरख़िलाफ़ इसके क़ाबील ने अपनी खेती में से निहायत रद्दी और वाही चीज़ और वह भी मरे जी से अल्लाह के नाम निकाली थी। हाबील तनोमंदी और ताक़तवरी में क़ाबील से ज़्यादा था ताहम अल्लाह के डर की वजह से उसने अपने भाई की ज़ुल्मो ज़्यादती सही और हाथ न उठाया। बड़े भाई की कुर्बानी जब क़बूल न हुई और हज़रत आदम (ﷺ) ने उससे कहा तो उसने कहा कि आप चूँकि हाबील को चाहते हैं उसके लिए दुआ की तो उसकी कुर्बानी क़बूल हो गई। अब उसने ठान ली कि मैं इस कांटे ही को उखाड़ डालूँगा। मौक़ा का मुंतज़िर थे, एक दिन इत्तिफ़ाक़न हज़रत हाबील के आने में देर लग गई। तो उन्हें बुलाने के लिए हज़रत आदम (ﷺ) ने क़ाबील को भेजा, यह एक छुरी अपने साथ छुपाकर चला, रास्ते में ही दोनों भाईयों की मुलाक़ात हो गई। तो उसने कहा, मैं तो तुझे मार डालूँगा। तेरी कुर्बानी क़बूल हुई और मेरी न हुई, इस पर हाबील ने कहा, मैंने बेहतरीन और उम्दा महबूब और मरग़ूब चीज़ अल्लाह तआला की राह में कुर्बान की और तूने रद्दी बेकार वाही चीज़ निकाली, अल्लाह तआला मुत्तक़ियों ही की नेकी क़बूल करता है। इस पर वह और बिगड़ा और छुरी घोंप दी। हाबील कहते रह गए कि अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह तआला के यहाँ इस ज़ुल्म का बदला तुझसे बुरी तरह लिया जाएगा, अल्लाह तआला का ख़ौफ़ कर, मुझे क़त्ल न कर लेकिन उस बेरहम ने अपने भाई को मार ही डाला। क़ाबील ने अपनी ही बहन से अपना निकाह

करने की एक वजह यह भी बयान की थी कि हम दोनों जन्नत में पैदा हुए हैं और यह दोनों ज़मीन में पैदा हुए हैं, इसलिए मैं ही इसका ह़क़दार हूँ। यह भी मरवी है कि क़ाबील ने गैहूँ निकाले थे। और हाबील ने गाय की कुर्बानी की थी चूँकि उस वक़्त कोई मिस्कीन तो था ही नहीं जिसे स़दक़ा दिया जाए इसलिए यही दस्तूर था, स़दक़ा निकाल देते आग आसमान से आती और उसे जला जाती। यह निशान था क़बूलियत का। उस बरतरी से जो छोटे भाई को ह़ासिल हुई, बड़ा भाई गुस़्सा खा गया और उसके क़त्ल के दर पे हो गया, यूँ ही बैठे बैठे दोनों भाईयों ने कुर्बानी की थी, निकाह़ के इख़्तिलाफ़ मिटाने की वजह न थी। क़ुरआन के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ का इक़्तिज़ा भी यही है कि बाइसे नाराज़ी अ़दमे क़बूलियते कुर्बानी थी, न कुछ और। एक रिवायत मुंदर्जा रिवायतों के भी ख़िलाफ़ है कि क़ाबील ने खेती अल्लाह के नाम नज़्र दी थी जो क़बूल हुई लेकिन मालूम होता है कि इसमें रावी का ह़ाफ़िज़ा ठीक नहीं और यह मशहूर अम्र के ख़िलाफ़ है, वल्लाहु आ़लम! ''अल्लाह तआ़ला उसका अ़मल क़बूल करता है जो अपने काम में उससे डरता है।'' ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) फ़र्माते हैं लोग मैदाने क़यामत में होंगे जो एक मुनादी निदा करेगा कि परहेज़गार कहाँ हैं। पस परवरदिगार से डरने वाले खड़े हो जाएँगे। और रब के बाज़ू के नीचे जा ठहरेंगे, अल्लाह तआ़ला उनसे रुख़ पोशी करेगा न पर्दा। रावी ह़दीस अबू अ़फ़ीफ़ से पूछा गया कि मुत्तक़ी कौन हैं? फ़र्माया, वह जो शिर्क और बुतपरस्ती से बचे और ख़ालिस़ रब तआ़ला की इबादत करे, फिर यह सब लोग जन्नत में जाएँगे। जिस नेकबख़्त की कुर्बानी क़बूल की गई थी वह अपने भाई के उस इरादा को सुनकर उससे कहता है कि ख़ैर तू जो चाहे कर, मैं तो तेरी त़रह़ करूँगा नहीं बल्कि मैं स़ब्र सिहार कर लूँगा। थे तो ज़ोर त़ाक़त में यह उससे ज़्यादा मगर अपनी भलाई नेकबख़्ती और तवाज़ोअ़, फ़रोतनी और परहेज़गारी की वजह से यह फ़र्माया कि, तू गुनाह पर आमादा हो जाए लेकिन मुझसे इस जुर्म का इर्तिकाब नहीं होने का, मैं तो अल्लाह तआ़ला से डरता हूँ वह तमाम जहान का रब है।

स़ह़ीह़ैन में है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर भिड़ गए तो क़ातिल मक़्तूल दोनों जहन्नमी हैं। स़ह़ाबा (रज़ि.) ने पूछा, क़ातिल तो ख़ैर, लेकिन मक़्तूल क्यूँ हुआ? आपने फ़र्माया, इसलिए कि वह भी अपने साथी के क़त्ल पर ह़रीस़ था। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब इज़ल तक़ल मुस्लिमान बि सैफ़िहिमा : 7083; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2888; अबूदाऊद : 4368; अह़मद : 7/46; इब्ने ह़िब्बान : 5945; बैहक़ी : 8/190) ह़ज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (रज़ि.) ने उस वक़्त जबकि बाग़ियों ने ह़ज़रत उ़स्मान ज़ुन्नूरैन (रज़ि.) को घेर रखा था, कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, ''अन्क़रीब फ़ित्ना बरपा होगा, बैठा रहने वाला उस वक़्त खड़े रहने वाले से अच्छा होगा और खड़ा रहने वाला, चलने वाले से बेहतर होगा। और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा।'' किसी ने पूछा, ह़ुज़ूर (ﷺ)! अगर कोई मेरे घर में भी घुस आए और मुझे क़त्ल करना चाहे? फ़र्माया, ''फिर तू ह़ज़रत आदम (عليه السلام) के बेटे की त़रह़ हो जा।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ इन्नहू तकून फ़ित्नतल क़ाइद फ़ीहा ख़ैरुम् मिनल क़ाइम : 2194; वहुव स़ह़ीह़; अह़मद : 1/185; मुस्नद अबी यअ़ला : 750; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इस रिवायत को स़ह़ीह़ कहा है। देखिए (स़ह़ीह़ तिर्मिज़ी : 1785)) एक रिवायत में आपका उसके बाद इस आयत की तिलावत करना भी मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुल फ़ितन, बाब अन्नही अ़निस्सई फ़िल फ़ित्नति :

4257; वहुव ह़सन; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सह़ीह़ अबूदाऊद : 3581) ह़ज़रत अय्यूब सुख़्तियानी (रह़.) फ़र्माते हैं इस उम्मत में सबसे पहले जिसने इस आयत पर अमल किया वह अमीरुल मोमिनीन ह़ज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) हैं। एक मर्तबा एक जानवर पर हुज़ूर (ﷺ) सवार थे और आपके साथ ही आप (ﷺ) के पीछे ह़ज़रत अबू ज़र (रज़ि.) थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अबू ज़र! बताओ तो जब लोगों पर ऐसे फ़ाक़े आएँगे कि घर से मस्जिद तक न आ सकेंगे तो तू क्या करेगा? मैंने कहा जो हुक्मे रब्बानी और हुक्मे रसूलुल्लाह (ﷺ) हो। फ़र्माया, ''सब्र करना।'' फिर फ़र्माया ''जबकि आपस में ख़ूँ रेज़ी होगी यहाँ तक कि रेत के पत्थर भी ख़ून में डूब जाएँ तो तू क्या करेगा?'' मैंने वही जवाब दिया तो फ़र्माया, ''अपने घर में बैठ जा और दरवाज़े बन्द कर ले। कहा, फिर अगरचे न उतरूँ? फ़र्माया, ''तू उनमें चला जा जिनका तू है। और वहीं रह'' अर्ज़ किया कि फिर मैं अपने हथियार ही क्यूँ न ले लूँ? फ़र्माया ''फिर तो तू भी उनके साथ ही शामिल हो जाएगा। बल्कि अगर तुझे किसी की तलवार की शुआएँ परेशान करती नज़र आएँ तू भी अपने चेहरे पर कपड़ा डाल ले ताकि तेरे और ख़ुद अपने गुनाहों को वही ले जाए।'' (मुस्नद अह़मद : 5/149; अबूदाऊद, किताबुल फ़ितन, बाब अन्नही अनिस्सई फ़िल फ़ित्नति : 4261; वहुव ह़सन; इब्ने माजा : 3958; ह़ाकिम : 4/423; बैहक़ी : 8/191; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (इरवाअ : 8/101) ह़ज़रत रुबई (रह़.) फ़र्माते हैं हम ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के जनाज़े में थे। जो एक साहब ने फ़र्माया, मैंने मरहूम से सुना है आप रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुनी हुई ह़दीसें बयान फ़र्माते हुए कहते थे ''अगर तुम आपस में लड़ोगे तो मैं अपने सबसे दूर दराज़ के घर में चला जाऊँगा और उसे बन्द करके बैठ जाऊँगा, अगर वहाँ भी कोई घुस आए तो मैं कह दूँगा कि ले अपना और मेरा गुनाह अपने सर पर रख ले। पस मैं ह़ज़रत आदम (عليه السلام) के उन दोनों बेटों में से जो बेहतर था उसकी त़रह़ हो जाऊँगा। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुनाह अपने सर पर रख ले जाए यानी तेरे वह गुनाह जो इससे पहले के हैं और मेरे क़त्ल का गुनाह भी।'' यह मत़लब भी ह़ज़रत मुजाहिद (रह़.) से मरवी है कि मेरी ख़त़ाएँ भी तुझ पर आ पड़ें और मेरे क़त्ल का गुनाह भी, लेकिन इन्हीं से एक क़ौल पहले जैसा भी मरवी है, मुम्किन है यह दूसरा साबित न हो। इसी बिना पर कुछ लोग कहते हैं कि क़ातिल मक़्तूल के सब गुनाह अपने ऊपर बार कर लेता है और इस मानी की एक ह़दीस भी बयान की जाती है। लेकिन इसकी कोई अस़ल नहीं। बज़्ज़ार में एक ह़दीस है ''बेसबब का क़त्ल तमाम गुनाहों को मिटा देता है।'' (मुस्नद बज़्ज़ार : 1545; वसनदुहू ह़सन; मज्मउज़्ज़वाइद : 6/226; त़ब्क़ात : 2/66; अख़बारे अस्बहान : 2/36; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ह़सन कहा है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ा : 2016) भले यह ह़दीस ऊपर वाले मानी में नहीं, ताहम यह भी सह़ीह़ नहीं। और इस रिवायत का मत़लब यह भी है कि क़त्ल की ईज़ा के सबब अल्लाह तआला मक़्तूल के सब गुनाह माफ़ कर देता है। अब वह क़ातिल पर आ जाते हैं। यह बात साबित नहीं। मुम्किन है कुछ क़ातिल वैसे भी हों, क़ातिल को मैदाने क़यामत में मक़्तूल ढूँढता फिरेगा और उसके ज़ुल्म के मुत़ाबिक़ उसकी नेकियाँ लेता जाएगा और सब नेकियाँ ले लेने के बाद भी उस ज़ुल्म की तलाफ़ी न हुई तो मक़्तूल के गुनाह क़ातिल पर रख दिए जाएँगे। यहाँ तक कि बदला हो जाए, तो मुम्किन है कि सारे ही गुनाह कुछ क़ातिलों के सर पड़ जाएँ। क्योंकि ज़ुल्म के इस त़रह़ बदले लिए जाने का अह़ादीस से साबित हैं और यह ज़ाहिर है कि क़त्ल

सबसे बड़ा ज़ुल्म है और सबसे बदतर, वल्लाहु आलम! इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं मतलब इस जुम्ले का सहीहतर यही है कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने गुनाह और मेरे क़त्ल का गुनाह सब ही अपने ऊपर ले जाए। तेरे और गुनाहों के साथ एक गुनाह यह भी बढ़ जाए। इसका यह मतलब हर्गिज़ नहीं कि मेरे गुनाह भी तुझ पर आ जाएँ, इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि हर आमिल को उसके अमल की जज़ा सज़ा मिलती है, फिर यह कैसे हो सकता है कि मक़्तूल के उम्रभर के गुनाह क़ातिल पर डाल दिए जाएँ और उसके गुनाहों पर उसकी पकड़ हो? बाक़ी रही यह बात कि फिर हाबील ने यह बात अपने भाई से क्यूँ कही? इसका जवाब यह है कि उसने आख़िरी मर्तबा नसीहत की और डराया और ख़ौफ़ज़दा किया कि इस काम से बाज़ आ जा। वरना गुनहगार होकर जहन्नम में जाएगा क्योंकि मैं तो तेरा मुक़ाबला करने ही का नहीं, तो सारा बोझ तुझ ही पर होगा। और तू ही ज़ालिम ठहरेगा और ज़ालिमों का ठिकाना जहन्नम है। बावजूद इस नसीहत के भी उसके नफ़्स ने उसे धोखा दिया और गुस्से और हसद और तकब्बुर में आकर अपने भाई को क़त्ल कर दिया, उसे शैतान ने क़त्ल पर उभार दिया और उसने अपने नफ़्से अम्मारा की पैरवी कर ली और लोहे से उसे मार डाला। एक रिवायत में है कि यह अपने जानवरों को लेकर पहाड़ियों पर चले गए थे, यह ढूँढ़ता हुआ वहाँ पहुँचा और एक बड़ा भारी पत्थर उठाकर उनके सर पर दे मारा, यह उस वक़्त सोये हुए थे। कुछ कहते हैं कि मिस्ल दरिन्दे के काट-काटकर और गला दबाकर उनकी जान ली। यह भी कहा गया है कि शैतान ने जब देखा कि उसे क़त्ल करने का ढंग नहीं आता, यह उसकी गर्दन मरोड़ रहा है तो उस लईन ने एक जानवर पकड़ा, उसका सर एक पत्थर पर रखकर ऊपर से दूसरा पत्थर ज़ोर से दे मारा जिससे वह जानवर उसी वक़्त मर गया। यह देखकर उसने भी अपने भाई के साथ यही किया। यह भी मरवी है कि चूँकि अब तक ज़मीन पर कोई क़त्ल नहीं हुआ था तो क़ातिल अपने भाई को गिराकर कभी उसकी आँखें बंद करता कभी उसे थप्पड़ और घूँसे मारता, यह देखकर इब्लीस लईन उसके पास आया और उसे बतलाया कि पत्थर लेकर उसका सर कुचल डाल। जब उसने कुचल डाला तो लईन दौड़ता हुआ हज़रत हव्वा (عليها السلام) के पास आया और कहा, क़ाबील ने हाबील को मार डाला। उन्होंने पूछा, क़त्ल कैसा होता है? कहा, अब न वह खाता है, न पीता है, न बोलता-चालता है, न हिलता-डुलता है। कहा, शायद मौत आ गई। उसने कहा, हाँ! वही मौत। अब तो माई साहिबा चीख़ने-चिल्लाने लगीं, इतने में हज़रत आदम (عليه السلام) आए, पूछा कि क्या बात है? लेकिन यह जवाब न दे सकीं। आप (عليه السلام) ने दोबारा पूछा, लेकिन फ़र्ते ग़म व रंज की वजह से उनकी ज़ुबान न उठी, तो कहा अच्छा तू और तेरी बेटियाँ हाए वाए में ही रहेंगी और मैं और मेरे बेटे इससे बरी हैं। क़ाबील ख़सारे टूटे और नुक़्सान वाला हो गया। दुनिया और आख़िरत दोनों ही बिगड़ी।

हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं "जो इंसान ज़ुल्म से क़त्ल किया जाता है उसके ख़ून का बोझ आदम (عليه السلام) के उस पहले लड़के पर भी होता है इसलिए कि उसी ने सबसे पहले ज़मीन पर ख़ूने नाहक़ गिराया है। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्क़े आदम व ज़ुर्रियतुहू : 3335; सहीह मुस्लिम : 1675; तिर्मिज़ी : 2673; इब्ने माजा : 2616; अहमद : 1/382; इब्ने हिब्बान : 5983; बैहक़ी : 8/15; इब्ने अबी शैबा : 9/364; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 19718; मुस्नद हुमैदी : 118; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11142;

मुस्नद अबी यअ़ला : 5179) मुजाहिद (रह़.) का क़ौल है कि क़ातिल के एक पैर की पिण्डली को रान से उस दिन लटका दिया गया और उसका चेहरा सूरज की त़रफ़ कर दिया गया, उसके घूमने के साथ घूमता रहता है। जाड़ों और गर्मियों में आग और बर्फ़ के गढ़े में वह मुअ़ज़्ज़ब (अ़ज़ाब दिया जा रहा) है।'' ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि जहन्नम का आधो-आध अ़ज़ाब सिर्फ़ उस एक को हो रहा है सबसे बड़ा मुअ़ज़्ज़ब यही है ज़मीन के हर क़त्ल के गुनाह का ह़िस्सा उसके ज़िम्मे है। इब्राहीम नख़्ई (रह़.) फ़र्माते हैं उस पर और शैत़ान पर हर ख़ूने नाह़क़ का बोझ पड़ता है। जब मार डाला तो अब यह मालूम न था कि क्या करे, किस त़रह़ उसे छुपाए? तो अल्लाह तआ़ला ने दो कौअे भेजे, वह दोनोंभी आपस में भाई-भाई थे। यह उसके सामने लड़ने लगे यहाँ तक कि एक ने दूसरे को मार डाला फिर एक गढ़ा खोदकर उसमें उसकी लाश को रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी, यह देखकर क़ाबील की समझ में भी यह तर्कीब आ गई। और उसने भी ऐसा ही किया। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि अज़्ख़ुद मरे हुए एक कौअे को दूसरे कौअे ने इस त़रह़ गढ़ा खोदकर दफ़्न किया था। यह भी मरवी है कि साल भर तक तो क़ाबील अपने भाई की लाश अपने काँधे पर लादे फिरता रहा, फिर कौअे को देखकर अपने नफ़्स पर मलामत करने लगा कि मैं इतना भी न कर सका। यह भी कहा गया है कि मारकर वह फिर बहुत पछताता और लाश को गोद में रखकर बैठ गया और इसलिए भी कि सबसे पहली मय्यित और सबसे पहला क़त्ल रूए ज़मीन पर यही था। अहले तौरात कहते हैं कि जब क़ाबील ने अपने भाई हाबील को क़त्ल किया तो अल्लाह तआ़ला ने उससे पूछा कि तेरे भाई हाबील को क्या हुआ? उसने कहा, मुझे क्या ख़बर? मैं इसका निगहबान तो था ही नहीं। अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, सुन! तेरे भाई का ख़ून ज़मीन में से मुझे पुकार रहा है तुझ पर मेरी लानत है। उस ज़मीन में जिसका मुँह खोलकर तूने उसे अपने बेगुनाह भाई का ख़ून पिलाया है अब तू ज़मीन में जो कुछ काम करेगा वह अपनी खेती तुझे नहीं देने की जब तक कि तू उसमें सर गर्दानी न करे। उसने इस काम को कर तो लिया लेकिन फिर तो बड़ा ही नादिम हुआ, नुक़्सान के साथ ही पछतावा, गोया अ़ज़ाब पर अ़ज़ाब था।

इस क़िस्से में मुफ़स्सिरीन के क़ौल इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ हैं कि यह दोनों ह़ज़रत आदम (عليه السلام) के सुल्बी बेटे थे और यही क़ुरआन के अल्फ़ाज़ से बज़ाहिर मालूम होता है और यही ह़दीस में भी है कि रूए ज़मीन पर जो क़त्ले नाह़क़ होता है उसका एक ह़िस्सा बोझ और गुनाह का ह़ज़रत आदम (عليه السلام) के उस पहले बेटे पर होता है इसलिए कि उसी ने सबसे पहले क़त्ल का त़रीक़ा ईजाद किया है। (इसकी तख़रीज पहले गुज़र चुकी है। सफ़्ह़ा साबिक़ा) लेकिन ह़सन बसरी (रह़.) का क़ौल है कि यह दोनों बनी इस्राईल में से थे। क़ुर्बानी सबसे पहले उन्हीं में आई और ज़मीन पर सबसे पहले ह़ज़रत आदम (عليه السلام) का इंतिक़ाल हुआ है लेकिन यह क़ौल ताम्मुल त़लब है और इसकी इस्नाद भी ठीक नहीं। एक मरफ़ूअ़ ह़दीस में है ''यह वाक़िया बत़ौर एक मिसाल के है तुम इसमें से अच्छाई ले लो और बुरे को छोड़ दो।'' (त़ब्री : 6/129; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को इर्साल की वजह से ज़ईफ़ कहा है, देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 3097) यह ह़दीस मुर्सल है। कहते हैं कि इस सदमे से ह़ज़रत आदम (عليه السلام) बहुत ग़मगीन हुए और साल भर तक उन्हें हंसी न आई, आख़िर फ़रिश्तों ने उनके ग़म को दूर होने और उन्हे हंसी आने की दुआ़ की। ह़ज़रत आदम

(ﷺ) ने उस वक़्त अपने रंजो ग़म में यह भी कहा था कि शहर और शहर की सब चीज़ें मुतग़य्यर हो गईं। ज़मीन का रंग बदल गया और वह निहायत बदसूरत हो गई। हर-हर चीज़ का रंग व मज़ा जाता रहा और कशिश वाले चेहरों की मलाहत (चमक) भी सल्ब हो गई। इस पर उन्हें जवाब दिया गया कि इस मुर्दे के साथ इस ज़िन्दा ने भी गोया अपने आपको हलाक कर दिया और जो बुराई क़ातिल ने की थी उसका बोझ उस पर आ गया। बज़ाहिर मालूम होता है कि क़ातिल को उसी वक़्त कोई सज़ा दी गई। चुनाँचे वारिद हुआ है कि उसकी पिण्डली उसकी रान से लटका दी गई और उसका चेहरा सूरज की तरफ़ कर दिया गया और उसके साथ ही साथ घूमता रहता था। यानी जिधर सूरज होता उधर ही उसका चेहरा उठा रहता। हदीस शरीफ़ में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जितने गुनाह इस लायक़ हैं कि बहुत जल्द उनकी सज़ा दुनिया में भी दी जाए और फिर आख़िरत के ज़बरदस्त अ़ज़ाब बाक़ी रहें उनमें सबसे बढ़कर गुनाह, सरकशी और क़तअ रहमी है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िन्नही अ़निल बग़्यि : 4902; वसनदुहू सहीह; तिर्मिज़ी : 2511; इब्ने माजा : 4211; अल्अदबुल मुफ़रद : 67; अहमद : 5/36; इब्ने हिब्बान : 455; हाकिम : 2/356; जुहद : 724; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीहुल इस्नाद क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 918) तो क़ाबील में यह दोनों बातें जमा हो गईं।" (इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन) (यह याद रहे कि इस क़िस्से की तफ़सीलात जिस क़द्र बयान हुई हैं उनमें से अक्सर व बेशतर हिस्सा अहले किताब से अख़ज़ किया हुआ है, वल्लाहु आलम, मुतर्जिम)

***

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ
فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ
جَمِيْعًا ۭ وَلَقَدْ جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۡ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي
الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝ اِنَّمَا جَزٰۗؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ
اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ
۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

तर्जुमा : "इसी वजह से हमने बनी इस्राईल पर यह लिख दिया कि जो शख़्स किसी को बग़ैर उसके कि वह किसी का क़ातिल हो या ज़मीन में फ़साद मचाने वाला हो, क़त्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को क़त्ल कर दिया। और जो शख़्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों की जान बचा लिया, उनके पास हमारे बहुत से रसूल ज़ाहिर दलीलें लेकर आए लेकिन फिर उसके बाद भी उनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़ुल्मो-ज़्यादती और ज़बरदस्ती करने वाले ही रहे। (32) उनकी सज़ा जो अल्लाह तआला से और उसके रसूल से लड़ें और ज़मीन में फ़साद करते फिरें यही है कि वह क़त्ल कर दिए जाएँ या सूली चढ़ा दिए जाएँ या उल्टे तौर से उनके हाथ पैर काट दिए जाएँ, या उन्हें जिलावतन (देश निकाला) कर दिया जाए, यह तो हुई उनकी दुनियावी ज़िल्लत और ख़्वारी और आख़िरत में उनके लिए बड़ा भारी अज़ाब है। (33) हाँ! जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम उन पर इख़्तियार पा लो तो यक़ीन मानो कि अल्लाह तआला बहुत बड़ी बख़्शिश और रहमो करम वाला है।" (34)

इंसानी जान की क़द्रो क़ीमत (आयत 32-34) : फ़र्मान है कि हज़रत आदम (عليه السلام) के उस लड़के के बेवजह क़त्ल की वजह से हमने बनी इस्राईल से साफ़ फ़र्मा दिया उनकी किताब में लिख दिया और उनके लिए इस हुक्म को हुक्मे शरई कर दिया कि जो शख़्स किसी एक को बिला वजह मार डाले, न उसने किसी को क़त्ल किया था, न उसने ज़मीन में फ़साद फैलाया था तो गोया उसने तमाम लोगों को क़त्ल किया, इसलिए कि रब के नज़दीक सारे इंसान यक्साँ है। और जो किसी बेक़ुसूर शख़्स के क़त्ल से बाज़ रहे, उसे हराम जाने तो गोया उसने तमाम लोगों को बचा लिया, इसलिए कि सब लोग इस तरह सलामती के साथ रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान (रज़ि.) को जब बाग़ी घेर लेते हैं तो हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) उनके पास जाते हैं और कहते हैं, मैं आपकी तरफ़दारी में आपके मुख़ालिफ़ीन से लड़ने के लिए आया हूँ। आप मुलाहिज़ा फ़र्माईए कि अब पानी सर से ऊँचा हो गया है। यह सुनकर हज़रत उस्मान ग़नी (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या तुम इस बात पर आमादा हो कि सब लोगों को क़त्ल कर दो जिनमें एक मैं भी हूँ? हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं! नहीं! फ़र्माया, सुनो! एक को क़त्ल करना ऐसा बुरा है जैसे सबका क़त्ल करना। जाओ वापिस लौट जाओ, मेरी यही ख़्वाहिश है अल्लाह तआला तुम्हें अज्र दे और गुनाह न दे। यह सुनकर आप वापिस लौट गए और न लड़े। मतलब यह है कि क़त्ल का अज्र दुनिया की बर्बादी का बाइस है और उसकी रोक लोगों की ज़िन्दगी का बाइस है। हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) फ़र्माते हैं कि एक मुसलमान का ख़ून बहाने वाला तमाम लोगों का क़ातिल है और एक मुस्लिम के ख़ून को बचाने वाला गोया तमाम मुसलमानों को बचा रहा है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि नबी को और आदिल मुस्लिम बादशाह को क़त्ल करने वाले पर सारी दुनिया के इंसानों के क़त्ल का गुनाह है और नबी और इमामे आदिल के बाज़ू मज़बूत करना दुनिया को बचा लेना है। (इब्ने जरीर) और रिवायत में है कि एक को बेवजह मार डालते ही जहन्नमी हो जाता है गोया सबको मार डाला है। मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं मोमिन को बग़ैर शरई वजह के मार डालने वाला जहन्नमी, दुश्मने रब, मल्ऊन और

मुस्तहिक़े सज़ा हो जाता है। फिर अगर वह सब लोगों को भी मार डालता है तो उससे ज़्यादा अज़ाब उसे और क्या होता? जो क़त्ल से रुक जाए गोया कि उसकी तरफ़ से सबकी ज़िन्दगी महफ़ूज़ है। (तब्री : 10/235) अब्दुर्रहमान (रह.) फ़र्माते हैं एक क़त्ल के बदले ही उसका ख़ून हलाल हो गया। यह नहीं कि कई एक को क़त्ल करे जब ही वह क़िसास के क़ाबिल हुआ और जो उसे बचा ले यानी वली क़ातिल से दरगुज़र करे उसने गोया लोगों को बचा लिया और यह मतलब भी बयान किया गया है कि जिसने इंसान की जान बचा ली, मस्लन डूबते को निकाल लिया, जलते को बचा लिया, किसी को हलाकत से हटा लिया। मक़सद लोगों को ख़ूने नाहक़ से रोकना और लोगों की ख़ैरख़्वाही और अम्नो-अमान पर आमादा करना है। हज़रत हसन (रह.) से पूछा गया कि क्या बनी इस्राईल जिस तरह इस हुक्म के मुकल्लफ़ थे हम भी हैं? फ़र्माया, यक़ीनन अल्लाह की क़सम! कुछ बनी इस्राईल के ख़ून अल्लाह के नज़दीक हमारे ख़ून से ज़्यादा बावक़अत न थे। पस एक शख़्स का बेसबब क़त्ल सबके क़त्ल का बोझ है और एक की जान के बचाव का सवाब सबको बचा लेने के बराबर है। एक मर्तबा हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ)! मुझे कोई ऐसी बात बतलाइए कि मेरी ज़िन्दगी आराम के साथ गुज़रे। आपने फ़र्माया, ''क्या किसी को मार डालना तुम्हें पसंद है। या किसी को बचा लेना तुम्हें महबूब है?'' जवाब दिया बचा लेना। ''फ़र्माया, बस अपनी इस्लाह में लगे रहो।'' (मुस्नद अहमद : 2/175; वसनदुहू ज़ईफ़; इस रिवायत में इब्ने लहीआ ज़ईफ़ रावी है जबकि इब्ने अम्र का हम्ज़ा (रज़ि.) से लिक़ाअ (मुलाक़ात) साबित नहीं और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ुत्तर्ग़ीब : 1313)

फिर फ़र्माता है उनके पास हमारे रसूल (ﷺ) वाज़ेह दलीलें और रोशन अहकाम और खुले मुजिज़ात लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी अक्सर लोग अपनी सरकशी और दराज़ दस्ती से बाज़ न रहे। बनू क़ेनुक़ाअ के यहूद बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर वग़ैरह को देख लीजिए कि औस और ख़ज़रज के साथ मिलकर आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और लड़ाई के बाद फिर क़ैदियों के फ़िदये देकर छुड़ाते थे और मक़्तूल की दियत अदा करते थे जिस पर उन्हें कुरआन में समझाया गया कि तुमसे यह अहद लिया गया था कि न तो अपने वालों के ख़ून बहाओ न उन्हें देश निकाला दो। लेकिन तुमने बावजूद पुख़्ता इक़रार और मज़बूत अहदो पैमान के इसका ख़िलाफ़ किया भले फ़िदये अदा किए लेकिन निकालना भी तो हराम था। इसका क्या मतलब कि किसी हुक्म को मानो और किसी से इंकार करो। ऐसों की सज़ा यही है कि दुनिया में रुस्वा और ज़लील हों और आख़िरत में सख़्ततर अज़ाबों का शिकार हों, अल्लाह तआला तुम्हारे आमाल से ग़ाफ़िल नहीं।

ज़मीन में फ़साद करने वालों की सज़ा : मुहारिबा के मानी ख़िलाफ़ करना हुक्म के बरअक्स करना, मुख़ालिफ़त पर तुल जाना हैं मुराद इससे कुफ़्र, डाकाज़नी, ज़मीन में शौरिश व फ़साद और तरह-तरह की बदअम्नी पैदा करना है। यहाँ तक कि सल्फ़ ने यह भी फ़र्माया है कि सिक्के को तोड़ देना भी ज़मीन में फ़साद मचाना है, कुरआन की और आयत में है ''जब वह किसी काम के वाली हो जाते हैं तो फ़साद फैला देते हैं और खेत और नस्ल को हलाक करने लगते हैं। अल्लाह तआला फ़साद को पसंद नहीं फ़र्माता।'' यह आयत मुश्रिकीन के बारे में नाज़िल हुई है इसलिए कि उसमें यह भी है कि जब ऐसा शख़्स इन कामों के बाद मुसलमानों के हाथों में गिरफ़्तार होने से पहले ही तौबा कर ले तो फिर उस पर कोई मुवाख़िज़ा नहीं, बरख़िलाफ़

इसके कि अगर मुसलमान इन कामों को करे और भागकर कुफ़्फ़ार में जा मिले तो हद्दे शरई से आज़ाद न होगा। (तब्री : 10/244) इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, यह आयत मुश्रिकों के बारे में उतरी है फिर उनमें से जो कोई मुसलमान के हाथ आ जाने से पहले तौबा कर ले तो जो हुक्म उस पर उसके काम के सबब साबित हो चुका वह टल नहीं सकता। हज़रत उबय (रज़ि.) से मरवी है कि अहले-किताब के एक गिरोह से रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुआहिदा हो गया था लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया और फ़साद मचा दिया। इस पर अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) को इख़्तियार दिया कि अगर आप चाहें उन्हें क़त्ल कर दें। और अगर चाहें उल्टे सीधे हाथ पैर कटवा दें। (तब्री : 10/243) हज़रत सअद (रज़ि.) फ़र्माते हैं, यह हरूरिया ख़्वारिज के बारे में नाज़िल हुई है। सहीह यह है कि जो भी यह काम करे उसके लिए यह हुक्म है। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम में है कि क़बीला उ़कल के आठ आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आए, आपने उनसे फ़र्माया, ''अगर तुम चाहो तो हमारे चरवाहों के साथ चले जाओ ऊँटों का दूध और पेशाब तुम्हें मिलेगा।'' चुनाँचे यह गए और जब उनकी बीमारी जाती रही तो उन्होंने उन चरवाहों को मार डाला, और ऊँट लेकर चलते बने। हुज़ूर (ﷺ) को जब यह ख़बर पहुँची तो आपने सहाबा (रज़ि.) को उनके पीछे दौड़ाया कि उन्हें पकड़ लाओ। चुनाँचे यह गिरफ़्तार किए गए। और हुज़ूर (ﷺ) के सामने पेश किए गए फिर उनके हाथ पैर काट दिए गए। और आँखों में गर्म सलाईयाँ फेरी गईं और धूप में पड़े हुए तड़प-तड़प कर मर गए। मुस्लिम में है या तो यह लोग उ़कल के थे या उ़रैना के। यह पानी माँगते थे मगर उन्हें पानी न दिया गया। न उनके ज़ख़्म दाग़े गए। उन्होंने चोरी भी की थी क़त्ल भी किया था। ईमान के बाद कुफ़्र भी किया था और अल्लाह रसूल से लड़े भी थे। उन्होंने चरवाहों की आँखों में गर्म सलाईयाँ भी फेरी थीं। मदीना की आबो हवा उस वक़्त बेहतर न थी। बरसाम की बीमारी थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके पीछे बीस अंसारी घुड़सवार भेजे थे और एक पग्गी था जो निशाने क़दम देखकर रहबरी करता जाता था। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़िस्सतु उ़कल व उ़रैना : 4192, 3018; सहीह मुस्लिम : 1671; अबूदाऊद : 4366; तिर्मिज़ी : 2042; नसाई : 4030; अहमद : 3/198; इब्ने हिब्बान : 6744; अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 17132) मौत के वक़्त उनकी प्यास के मारे यह हालत थी कि ज़मीन चाट रहे थे उन ही के बारे में यह आयत उतरी है। (तिर्मिज़ी, किताबुत्तहारत, बाब मा जाअ फ़ी बौलिम मा युअकल लहमुहू : 72; वसनदुहू सहीह; नसाई : 4039; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह कहा है। देखिए (सहीह तिर्मिज़ी : 62) एक मर्तबा हज्जाज ने हज़रत अनस (रज़ि.) से सवाल किया कि सबसे बड़ी और सबसे सख़्त सज़ा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किसी को दी हो उसको बयान करो तो आपने यह वाक़िया बयान फ़र्माया। इसमें यह भी है कि यह लोग बहरैन से आए थे, बीमारी की वजह से उनके रंग ज़र्द पड़ गए थे और पेट बढ़ गए थे तो आपने उन्हें फ़र्माया, ''जाओ ऊँटों में रहो उनका दूध और पेशाब पियो।'' (इस रिवायत में सलाम बिन अबिस सहबा मजरूह है। जबकि इसका शाहिद सहीह बुख़ारी : 5685 में मौजूद है जिसकी वजह से यह रिवायत हसन है।) हज़रत अनस (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि फिर मैंने देखा, हज्जाज ने तो इस रिवायत को अपने मज़ालिम की दलील बना लिया, तब तो मुझे सख़्त नदामत हुई कि मैंने इससे यह हदीस क्यूँ बयान की? और रिवायत में है कि उनमें से चार शख़्स तो उ़रैना क़बीले के थे। और तीन उ़कल के थे यह सब तंदुरुस्त हो गए तो मुर्तद बन गए। और रिवायत में है कि रास्ते भी उन्होंने बन्द कर दिए थे और ज़िनाकार भी थे। (तब्री :

10/250, 10/276; ह : 11854; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को मुंकर क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 5108) यह जब आए तो उनके पास बवजह फ़क़ीरी के पहनने के कपड़े तक न थे, यह क़त्लो ग़ारत करके भागकर अपने शहर को जा रहे थे। हज़रत जरीर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि यह अपनी क़ौम के पास पहुँचने वाले ही थे जो हमने उन्हें जा लिया। वह पानी माँगते थे और हुज़ूर(ﷺ) फ़र्माते थे अब तो पानी के बदले जहन्नम की आग मिलेगी। इस रिवायत में यह भी है कि आँखों में सलाइयाँ फेरना अल्लाह को नापसंद आया। यह हदीस ज़ईफ़ और ग़रीब है लेकिन इससे यह मालूम हुआ कि जो लश्कर उन मुर्तदों के गिरफ़्तार करने के लिए भेजा गया था उनके सरदार हज़रत जरीर (रज़ि.) थे। हाँ! इस रिवायत में यह फ़िक़रा बिलकुल मुंकर है कि अल्लाह तआला ने उनकी आँखों में सलाइयाँ फेरना मकरूह रखा, इसलिए कि सहीह मुस्लिम में यह मौजूद है कि उन्होंने चरवाहों के साथ भी यही किया था। पस यह उसका बदला और उनका क़िसास था जो उन्होंने उनके साथ किया था। (सहीह मुस्लिम, किताबुल क़सामा, बाब हुक्मुल मुहारिबीन वल मुर्तद्दीन : 1671) वही उनके साथ किया गया, वल्लाहु आलम! और रिवायत में है कि यह लोग बनू फ़ुज़ारा के थे। इस वाक़िया के बाद हुज़ूर (ﷺ) ने यह सज़ा किसी को नहीं दी। (अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 18541; इस रिवायत में इब्राहीम बिन मुहम्मद असलमी सख़्त ज़ईफ़ रावी है।) और रिवायत में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का एक गुलाम था जिसका नाम यसार (रज़ि.) था, चूँकि यह बड़े अच्छे नमाज़ी थे इसलिए हुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें आज़ाद कर दिया था और अपने ऊँटों में उन्हें भेज दिया था कि यह उनकी निगरानी रखें। उन ही को उन मुर्तदों ने क़त्ल कर दिया और उनकी आँखों में काँटे गाड़कर ऊँट लेकर भाग गए। जो लश्कर उन्हें गिरफ़्तार करके लाया था उनमें एक शहज़ोर हज़रत कुर्ज़ बिन जाबिर फ़हरी (रज़ि.) थे। (तबरानी : 6223, 6278; मज्मउज़्ज़वाइद : 6/294) इस रिवायत में मूसा बिन मुहम्मद तैमी ज़ईफ़ रावी है।) हाफ़िज़ अबूबक्र बिन मर्दवे (रह.) ने इस रिवायत के तमाम तरीक़ों को जमा कर दिया है, अल्लाह उन्हें जज़ा-ए-ख़ैर दे। अबू हम्ज़ा बिन अब्दुल करीम (रह.) से ऊँटों के पेशाब के बारे में सवाल होता है। तो आप उन मुहारिबीन का क़िस्सा बयान करते हैं। इसमें यह भी है कि यह लोग मुनाफ़िक़ाना तौर पर ईमान लाए थे और हुज़ूर (ﷺ) से मदीना की आबो हवा की नामुवाफ़िक़त की शिकायत की थी। जब हुज़ूर (ﷺ) को उनकी दग़ाबाज़ी और क़त्लो ग़ारत और इर्तिदाद का इल्म हुआ तो आप (ﷺ) ने मुनादी कराई "अल्लाह तआला के लश्करियों! उठ खड़े होओ!" यह आवाज़ सुनते ही मुजाहिदीन खड़े हो गए बग़ैर उसके लोग अपनी जाए अमन में पहुँचने के थे। जो सहाबा (रज़ि.) ने उन्हें घेर लिया और उनमें से जितने गिरफ़्तार हो गए उन्हें लेकर हुज़ूर (ﷺ) के सामने पेश कर दिया और यह आयत उतरी। उनकी जिलावतनी यही थी कि उन्हें हुकूमते इस्लाम की हुदूद से ख़ारिज कर दिया गया। फिर उनको इब्रतनाक सज़ाएँ दी गईं उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने किसी के भी बदन के हिस्से जुदा नहीं कराए बल्कि आपने इससे मना फ़र्माया है, जानवरों को भी इस तरह करना मना है। कुछ रिवायतों में है कि क़त्ल के बाद उन्हें जला दिया गया। (तब्री : 10/246) कुछ कहते हैं कि यह बनू सुलैम के लोग थे। कुछ बुज़ुर्गों का क़ौल है कि हुज़ूर (ﷺ) ने जो सज़ा उन्हें दी वह अल्लाह तआला को पसंद न आई और इस आयत से उसे मंसूख़ कर दिया। उनके नज़दीक गोया इस आयत में हज़रत (ﷺ) को उस सज़ा से रोका गया है, जैसे आयत (عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ) (9/तौबा : 43) में। और कुछ कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने

मुसला करने से यानी हाथ, पैर, कान, नाक काटने से जो मुमानिअत फ़र्माई है इस हदीस से यह सज़ा मंसूख़ हो गई, लेकिन है ज़रा यह ताम्मुल तलब फिर यह भी सवाल तलबे अम्र है कि नासिख़ की ताख़ीर की दलील क्या है? कुछ कहते हैं हुदूदे इस्लाम के मुक़र्रर होने से पहले का यह वाक़िया है लेकिन यह भी कुछ ठीक नहीं मालूम होता। बल्कि हुदूद के तक़र्रुर के बाद का वाक़िया मालूम होता है। इसलिए कि इस हदीस के एक रावी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) हैं। और इनका इस्लाम सूरह माइदा के नाज़िल हो चुकने के बाद का है। कुछ कहते हैं हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी आँखों में गर्म सलाईयाँ फेरनी चाही थीं लेकिन यह आयत उतरी और आप अपने इरादे से बाज़ रहे। लेकिन यह भी दुरुस्त नहीं है इसलिए कि बुख़ारी व मुस्लिम में यह लफ़्ज़ हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी आँखों में सलाईयाँ फिरवाईं। मुहम्मद बिन अज्लान (रह.) फ़र्माते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने जो सख़्त सज़ा उन्हें दी उसके इंकार में यह आयतें उतरी हैं और उनमें सहीह सज़ा बयान की गई है जो क़त्ल करने और हाथ पैर उल्टी तरफ़ से काटने और वतन से निकाल देने के हुक्म पर शामिल है, चुनाँचे देख लीजिए कि उसके बाद फिर किसी की आँखों में सलाईयाँ फेरनी साबित नहीं। (तब्री : 10/253; यह रिवायत मुअज़ल (ज़ईफ़) है।) लेकिन औज़ाई (रह.) कहते हैं कि यह ठीक नहीं है कि इस आयत में हुज़ूर (ﷺ) के उस काम पर आप (ﷺ) को डांटा गया हो। बात यह है कि जो उन्होंने किया था उसका वही बदला मिल गया। अब आयत नाज़िल हुई जिसने एक ख़ास हुक्म ऐसे लोगों का बयान फ़र्माया और उसमें आँखों में गर्म सलाईयाँ फेरने का हुक्म नहीं दिया। इस आयत से जुम्हूर उलमा ने दलील पकड़ी है कि रास्तों की बन्दिश करके लड़ना और शहर में लड़ना दोनों बराबर हैं क्योंकि लफ़्ज़ (व युस्औन फ़िल अर्ज़ि फ़सादन) के हैं। इमाम मालिक, औज़ाई, लैस, शाफ़ेई और अहमद (रह.) का यही मज़हब है कि बाग़ी लोग ख़्वाह शहर में ऐसा फ़ित्ना मचाएँ या बैरूने शहर में, उनकी सज़ा यही है। बल्कि इमाम मालिक (रह.) तो यहाँ तक फ़र्माते हैं कि अगर कोई शख़्स दूसरे को उसके घर में इस तरह धोखाधड़ी से मार डाले तो उसे पकड़ लिया जाएगा और उसका तमाम मालो अस्बाब जो उसके पास है, ले लिया जाएगा और उसे क़त्ल कर दिया जाएगा। और ख़ुद इमामे वक़्त इन कामों को अज़्ख़ुद (खुद से) करेगा न कि मक़्तूल के औलिया के हाथ में यह काम हों बल्कि अगर वह दरगुज़र करना चाहें तो भी उनके इख़्तियार में नहीं बल्कि यह जुर्म बेवास्ता हुकूमते-इस्लामिया का है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का मज़हब यह नहीं, वह कहते हैं कि मुहारिबा उसी वक़्त माना जाएगा जबकि शहर के बाहर ऐसे फ़साद कोई करे क्योंकि शहरों में तो इम्दाद का पहुँचना मुम्किन है रास्तों में यह बात नामुम्किन सी है जो सज़ा उन मुहारिबीन की बयान हुई है उसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं जो शख़्स मुसलमानों पर तलवार उठाए, रास्तों को ख़तरनाक बना दे, इमामुल मुस्लिमीन इन तीनों सज़ाओं में से जो सज़ा देना चाहे उसका इख़्तियार है। (तब्री : 10/263) यही क़ौल और भी बहुत सों का है और इस तरह का इख़्तियार ऐसी ही और आयतों के अहकाम में भी मौजूद है, जैसे मुहरम जो शिकार खेले उसका बदला शिकार के बराबर की क़ुर्बानी या मसाकीन का खाना उसके बराबर के रोज़े, बीमारी या सर की तक्लीफ़ की वजह से हालते एहराम में सर मुँडवाने और ख़िलाफ़े एहराम काम करने वाले के फ़िदये में भी रोज़े या सदक़ा या क़ुर्बानी का बयान है, क़सम के कफ़्फ़ारे में दरम्याने दर्जे का खाना दस मिस्कीनों का या उनका कपड़ा या एक गुलाम की आज़ादी है, तो जिस तरह यहाँ इन सूरतों में से किसी एक के पसंद कर लेने का इख़्तियार है। इसी तरह ऐसे मुहारिब मुर्तद

लोगों की सज़ा भी या तो क़त्ल है या हाथ पैर उल्टी तरफ़ से काटना है, या जिला वतन करना और जुम्हूर का क़ौल है कि यह आयत कई अह्वाल में है, जब डाकू क़त्लो-ग़ारत दोनों के मुर्तकिब हुए हों तो क़ाबिलदार और गर्दन ज़दनी हैं और जब सिर्फ़ क़त्ल सरज़द हुआ तो क़त्ल का बदला सिर्फ़ क़त्ल है और अगर फ़क़त माल लिया हो तो हाथ पैर उल्टे सीधे काट दिए जाएँगे। और जबकि रास्ते पुर ख़तर कर दिए हो, लोगों को ख़ौफ़ज़दा कर दिया हो और किसी गुनाह के मुर्तकिब न हुए हों और गिरफ़्तार कर लिए जाएँ तो सिर्फ़ जिलावतनी है। (अल्बग़वी फ़ित्तफ़्सीर : 788; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; इस रिवायत में इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन अबी यह्या मत्रूक रावी है। (अल्मीज़ान : 1/57; रक़म : 189) शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को वाहिन जिद्दन कहा है। देखिए (इरवाअ : 2440) अक्सर सल्फ़ और अइम्मा का यही मज़हब है। फिर बुज़ुर्गों ने इसमें भी इख़्तिलाफ़ किया है कि आया सूली पर लटकाकर यूँ ही छोड़ दिया जाए कि भूखा प्यासा मर जाए? या नेज़े वग़ैरह से क़त्ल कर दिया जाए? या पहले क़त्ल कर दिया जाए फिर सूली पर लटका दिया जाए? ताकि और लोगों को इब्रत हासिल हो? और क्या तीन दिन तक सूली पर रहने दिया जाए फिर उतार लिया जाए? या यूँ ही छोड़ दिया जाए लेकिन तफ़्सीर का यह मौज़ूअ नहीं कि हम ऐसे जुज़्इ इख़्तिलाफ़ में पड़ें और हर एक की दलीलें वग़ैरह वारिद करें, हाँ! एक हदीस में कुछ तफ़्सीली सज़ा है अगर इसकी सनद सहीह हो तो, वह यह है कि हुज़ूर (ﷺ) ने जब उन मुहारिबीन के बारे में हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) से पूछा तो आप (عليه السلام) ने फ़र्माया, जिन्होंने माल चुराया और रास्तों को ख़तरनाक बना दिया, उनके हाथ तो चोरी के बदले काट दीजिए और पैर बदअम्नी के बदले, और जिसने क़त्ल किया है उसे क़त्ल कर दीजिए और जिसने क़त्ल और ख़तर-ए-राह और बदकारी का इर्तिकाब किया है, उसे सूली पर चढ़ा दीजिए। (तब्री : 10/276; वसनदुहू ज़ईफ़; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसकी सनद को वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस और इब्ने लहीआ के ज़ुअफ़ की वजह से मुंकर क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 5108)

फ़र्मान है कि ज़मीन से अलग कर दिए जाएँ यानी उन्हें तलाश करके उन पर हद क़ायम की जाए या वह दारुल इस्लाम से भागकर कहीं चले जाएँ या यह कि एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर उसे भेज दिया जाता रहे। या यह कि इस्लामी सल्तनत से बिलकुल ही ख़ारिज कर दिया जाए। शअबी (रह़.) तो निकाल ही देते थे और अता ख़ुरासानी (रह़.) कहते हैं कि एक लश्कर में दूसरे लश्कर में पहुँचा दिया जाए, यूँ ही कई साल तक मारा मारा फिराया जाए लेकिन दारुल इस्लाम से बाहर न किया जाए। अबू हनीफ़ा (रह़.) और उनके अस्हाब कहते हैं उसे जेलख़ाने में डाल दिया जाए। इब्ने जरीर (रह़.) का मुख़्तार क़ौल है कि उसे उसके शहर से निकालकर किसी दूसरे शहर के जेलख़ाने में डाल दिया जाए। ऐसे लोग दुनिया में ज़लील व रज़ील और आख़िरत में बड़े भारी अज़ाबों में मुअज़्ज़ब होंगे। आयत का यह टुकड़ा उन लोगों की तो ताईद करता है जो कहते हैं कि यह आयत मुश्रिकों के बारे में उतरी है। और मुस्लिमों के बारे में वह सहीह हदीस है जिसमें है कि हुज़ूर (ﷺ) ने हमसे वैसे ही अहद लिए जैसे औरतों से लेते थे ''हम अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न करें, चोरी न करें, ज़िना न करें, अपनी औलादों को क़त्ल न करें, एक दूसरे की नाफ़र्मानी न करें, जो इस वादे को निभाए उसका अज्र अल्लाह तआला के पास है। और जो इनमें से किसी गुनाह के साथ आलूदा हो जाए फिर अगर उसे सज़ा हो गई तो वह सज़ा कफ़्फ़ारा बन जाएगी, और अगर अल्लाह तआला ने

पर्दापोशी कर ली तो उसका मामला अल्लाह की तरफ़ है अगर चाहे अज़ाब करे, चाहे छोड़ दे। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद, बाबुल हुदूद कफ़्फ़ारातुन लि अहलिहा : 1709) और हदीस में है ''जिस किसी ने कोई गुनाह किया फिर अल्लाह तआला ने उसे ढाँप लिया और उससे चश्मपोशी कर ली तो अल्लाह तआला की ज़ात और उसका रहमो करम इससे बहुत बुलंद व बाला है कि माफ़ किए हुए जुर्म पर फिर से पकड़े।'' (मुस्नद अहमद : 1/99; तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ ला यज़्निज़्ज़ानी वहुव मोमिन : 2626; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और तस्रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं है। इब्ने माजा : 2604; बज़्ज़ार : 482; दारे क़ुत्नी : 3/215; हाकिम : 2/445; मुस्नद शिहाब : 503; बैहक़ी : 8/328; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ुल जामेअ : 423) इसी दुनियावी सज़ा में अगर बग़ैर तौबा मर गए तो आख़िरत की वह सज़ाएँ बाक़ी हैं, जिनका इस वक़्त सहीह तसव्वुर करना नामुम्किन है, हाँ! तौबा नसीब हो जाए तो और बात है, फिर तौबा करने वालों की निस्बत जो फ़र्माया है उसका इज़्हार उस सूरत में तो साफ़ है कि इस आयत को मुश्रिकों के बारे में नाज़िलशुदा माना जाए, लेकिन जो मुसलमान मुहारिब हों और वह क़ब्ज़े में आने से पहले तौबा कर लें तो उनसे क़त्ल और सूली और पैर का कटना तो हट जाता है लेकिन हाथ का कटना भी हट जाता है या नहीं, इसमें उलमा के दो क़ौल हैं। आयत के ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से तो यही मालूम होता है कि सब कुछ हट जाएगा, सहाबा (रज़ि.) का अमल भी इसी पर है। चुनाँचे जारिया बिन बद्र तैमी बसरी ने ज़मीन में फ़साद किया, मुसलमानों से लड़ा, इस बारे में चंद क़ुरैशियों ने हज़रत अली (रज़ि.) से सिफ़ारिश की, जिनमें हज़रत हसन बिन अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (रज़ि.) भी थे लेकिन आपने उसे अमन देने से इंकार कर दिया। वह सईद बिन क़ैस हम्दानी (रह.) के पास आया, आपने उसे अपने घर में ठहराया, वह हज़रत अली (रज़ि.) के पास आए और कहा, बतलाईए तो जो अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से लड़े और ज़मीन में फ़साद की सई करे। फिर इन आयतों की (क़ब्ल अन तक़्दिरू अलयहिम) तक की तिलावत की, तो आपने फ़र्माया, मैं तो ऐसे शख़्स को अमन लिख दूँगा। हज़रत सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह जारिया बिन बद्र है। (तब्री : 10/280) चुनाँचे जारिया ने उसके बाद उनकी मदह में अश्आर भी कहे हैं।

क़बीला मुराद का एक शख़्स हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के पास कूफ़ा की मस्जिद में जहाँ गवर्नर थे एक फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आया और कहने लगा, ऐ अमीरे कूफ़ा! मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ मुरादी क़बीला का हूँ, मैंने अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से लड़ाई लड़ी, ज़मीन में फ़साद की कोशिश की, लेकिन आप लोग मुझ पर क़ुदरत पाएँ उससे पहले मैं ताइब हो गया, अब मैं आपसे पनाह हासिल करने वाले की जगह पर खड़ा हूँ। इस पर हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) खड़े हो गए और फ़र्माया, ऐ लोगों! तुममें से कोई अब इस तौबा के बाद इससे किसी तरह की तक्लीफ़ न पहुँचाए, अगर यह सच्चा है तो अल्हम्दु लिल्लाह और अगर यह झूठा है तो इसके गुनाह ही इसको हलाक कर देंगे। यह शख़्स एक मुद्दत तक तो ठीक-ठीक रहा लेकिन फिर निकल खड़ा हुआ, अल्लाह ने भी उसके गुनाहों के बदले उसे ग़ारत कर दिया और यह मार डाला गया। अली नामी एक असदी शख़्स ने भी लड़ाई की, रास्ते पुर ख़तर कर दिए, लोगों को क़त्ल किया, माल लूटा, सालारे लश्कर और रिआया ने हर चंद उसे गिरफ़्तार करना चाहा लेकिन यह हाथ न लगा। एक मर्तबा यह जंगल में था

जो एक शख़्स को क़ुरआन पढ़ते सुना और वह उस वक़्त यह आयत तिलावत कर रहा था (قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا) (39/ज़ुमर : 53) यह उसे सुनकर रुक गया और उससे कहा, ऐ अल्लाह के बन्दे! यह आयत मुझे दोबारा सुनाओ, उसने फिर पढ़ी, अल्लाह के उस पैग़ाम को सुनकर वह फ़र्माता है, ''ऐ मेरे गुनहगार बन्दो! तुम मेरी रह़मत से नाउम्मीद न हो जाओ, मैं सब गुनाहों के बख़्शने पर क़ादिर हूँ, मैं ग़फ़ूरुर्रह़ीम हूँ'' उस शख़्स ने झट से अपनी तलवार को म्यान में कर लिया, उस वक़्त सच्चे दिल से तौबा की और सुबह़ की नमाज़ से पहले मदीना में पहुँच गया। ग़ुस्ल किया और मस्जिदे नबवी (ﷺ) में नमाज़े सुबह़ जमाअ़त के साथ अदा की और ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) के पास जो लोग बैठे थे उन ही में एक त़रफ़ यह भी बैठ गया। जब रोशनी हो गई तो लोगों ने उसे देखकर पहचान लिया कि यह तो सल्त़नत का बाग़ी बहुत बड़ा मुज्रिम और मफ़रूर शख़्स अ़ली असदी है। उठ खड़े हुए कि उसे गिरफ़्तार कर लें। उसने कहा, सुनो भाईयों! तुम मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकते इसलिए कि तुम मुझ पर क़ाबू पाओ उससे पहले ही मैं तो तौबा कर चुका हूँ बल्कि तौबा के बाद तुम्हारे पास आ गया हूँ। ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने फ़र्माया, यह सच कहता है और उसका हाथ पकड़कर मरवान बिन ह़कम (रज़ि.) के पास ले चले, यह उस वक़्त ह़ज़रत मुआ़विया (रज़ि.) की त़रफ़ से मदीना के गवर्नर थे, वहाँ पहुँचकर फ़र्माया, यह अ़ली असदी हैं, यह तौबा कर चुके हैं इसलिए अब तुम इन्हें कुछ कर नहीं सकते, चुनाँचे किसी ने उसके साथ कुछ न किया। जब मुजाहिदों की एक जमाअ़त रूमियों से लड़ने के लिए चली तो उन मुजाहिदों के साथ यह भी हो लिए। समुन्दर में इनकी कश्ती जा रही थी कि सामने से चंद कश्तियाँ रूमियों की आ गईं। यह अपनी कश्ती में से रूमियों की गर्दनें मारने के लिए उनकी कश्ती में कूद गए। उनकी आबदाद और ख़ाराशिगाफ़ तलवार की चमक की ताब रूमी न ला सके और नामर्दी से एक त़रफ़ को भागे, यह भी उनके पीछे उसी त़रफ़ चले, चूँकि सारा बोझ एक त़रफ़ हो गया इसलिए कश्ती पलट गई जिससे वह सारे रूमी कुफ़्फ़ार हलाक हो गए, और ह़ज़रत अ़ली असदी (रज़ि.) भी डूबकर शहीद हो गए। (त़बरी : 10/248) (अल्लाह उन पर रह़मतें नाज़िल फ़र्माए) आमीन!

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ
مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ
﴿٣٦﴾ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾

तर्जुमा : "मुसलमानों! अल्लाह से डरते रहा करो और उसकी तरफ़ नज़दीकी करते रहो और उसकी राह में जिहाद किया करो ताकि तुम्हारा भला हो। (35) यक़ीन मानो कि काफ़िरों के लिए अगर वह सब कुछ हो जो सारी ज़मीन में है बल्कि उसी की मिस्ल जैसा और भी हो और वह इन सबको क़यामत के दिन अज़ाबों के बदले फ़िदये में देना चाहें तो भी नामुम्किन है कि इनका यह फ़िदया क़बूल किया जाए, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब ही हैं। (36) यह चाहेंगे कि दोज़ख़ में से निकल जाएँ लेकिन यह हर्गिज़ उससे न निकल सकेंगे, इनके लिए तो हमेशा का अज़ाब है।" (37)

लफ़्ज़ वसीला का मानी व मफ़्हूम (आयत 35-37) : तक़्वा का हुक्म हो रहा है वह भी इताअत से मिला हुआ। मतलब यह है कि रब के मना किए हुए कामों से रुके रहो, उसकी तरफ़ क़ुर्बत यानी नज़दीकी तलाश करो, यही मानी वसीले के हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मंक़ूल हैं। मुजाहिद (रह.) अबू वाइल, हसन, इब्ने ज़ैद, और बहुत से मुफ़स्सिरीन (रह.) से भी यह मरवी है। क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह की इताअत और उसकी मर्ज़ी के आमाल से उससे क़रीब होते जाओ। (तब्री : 10/291) इब्ने ज़ैद (रह.) ने यह आयत भी पढ़ी (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ) (17/इस्रा : 57) "जिन्हें यह पुकारते हैं वह तो ख़ुद ही अपने रब की नज़दीकी की जुस्तजू में लगे हुए हैं।" इन अइम्मा (रह.) ने वसीला के जो मानी इस आयत में किए हैं उस पर सब मुफ़स्सिरीन का गोया इज्माअ है, इसमें किसी एक का भी बिलकुल ख़िलाफ़ नहीं। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने इस पर एक अरबी शेअर भी वारिद किया है जिसमें वसीला क़ुर्बत और नज़दीकी के मानी में इस्तेमाल हुआ है। वसीले के मानी उस चीज़ के हैं जिससे मक़्सूद के हासिल करने की तरफ़ पहुँचा जाए और वसीला जन्नत की उस आला और बेहतरीन मंज़िल का नाम है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की जगह है। अर्श से बहुत ज़्यादा क़रीब। यही दर्जा है। सहीह बुख़ारी शरीफ़ की हदीस में है "जो शख़्स अज़ान सुनकर 'अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद् दावतित्ताम्मति' पढ़े उसके लिए मेरी सिफ़ारिश हलाल हो जाती है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अद्दुआउ इन्दन्निदा : 614; अबूदाऊद : 529; तिर्मिज़ी : 211; नसाई : 680; इब्ने माजा : 722; अहमद : 3/354; इब्ने हिब्बान : 1689) मुस्लिम की हदीस में है "जब तुम अज़ान सुनो तो जो मुअज़्ज़िन कह रहा हो वही तुम भी कहो फिर मुझ पर दुरूद भेजो, एक दुरूद के बदले तुम पर अल्लाह तआला दस रहमतें नाज़िल फ़र्माएगा" फिर मेरे लिए तुम अल्लाह तआला से वसीला तलब करो, वह जन्नत का एक दर्जा है जिसे सिर्फ़ एक ही बन्दा पाएगा, मुझे उम्मीद है वह बन्दा मैं ही हूँ, पस जिसने मेरे लिए वसीला तलब किया उसके लिए मेरी सिफ़ारिश वाजिब हो गई।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब इस्तिहबाबुल क़ौलि मिस्लु क़ौलिल मुअज़्ज़िन लिमन समिअहू..... : 384; अबूदाऊद : 523; तिर्मिज़ी : 3614; अहमद : 2/168; इब्ने हिब्बान : 1690; बैहक़ी : 1/410) मुस्नद अहमद में है "जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो तो मेरे लिए वसीला मांगो" पूछा गया, वसीला क्या है? फ़र्माया, "जन्नत का सबसे बुलंद दर्जा जिसे सिर्फ़ एक शख़्स ही पाएगा और मुझे उम्मीद है कि वह शख़्स मैं हो जाऊँ।" (मुस्नद अहमद : 2/365;

तिर्मिज़ी, किताबुल मनाक़िब, बाब सलवातुल्लाहि लिल वसीला : 3612; वहुव सहीह; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 3120; अबू यअ़ला : 6414; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीह तिर्मिज़ी : 2857) तबरानी में है ''तुम अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करो कि अल्लाह मुझे वसीला अ़ता फ़र्माए, जो शख़्स दुनिया में मेरे लिए यह दुआ़ करेगा मैं उस पर गवाह या उसका सिफ़ारिशी क़यामत के दिन बन जाऊँगा।'' (अल्मुअजमुल औसत : 637; वसनदुहू हसन, मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 1/333; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीहुत्तर्ग़ीब : 257) और हदीस में है ''वसीले से बड़ा और दर्जा जन्नत में कोई नहीं, पस तुम अल्लाह तआ़ला से मेरे लिए वसीले के मिलने की दुआ़ करो।'' (मुस्नद अहमद : 3/83; ह : 18183; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अल्मुअजमुल औसत : 265) एक ग़रीब और मुंकर हदीस में इतनी ज़्यादती भी है कि लोगों ने आप (ﷺ) से पूछा कि इस वसीले में आपके साथ और कौन होंगे? तो आपने हज़रत फ़ातिमा और हसन (रज़ि.) और हुसैन (रज़ि.) का नाम लिया। (इसकी सनद में हारिस आवर और अब्दुल हमीद ज़ईफ़ रावी हैं। (अत्तक़रीब : 1/141; अल्मीज़ान : 2/538; रक़म : 4765) एक और बहुत ही ग़रीब रिवायत में है कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने मिम्बरे कूफ़ा पर फ़र्माया कि जन्नत में दो मोती हैं एक सफ़ेद, एक पीला, पीला तो अ़र्श तले है और मक़ामे महमूद सफ़ेद मोती का है जिसमें सत्तर हज़ार बालाख़ाने हैं जिनमें से हर-हर घर तीन मील का है, उसके दरीचे, दरवाज़े, तख़्त वग़ैरह सबके सब गोया एक ही जड़ से हैं। उसी का नाम वसीला है। मुहम्मद (ﷺ) और आपके अहले बैत के लिए है। (यह रिवायत मौक़ूफ़ है इसमें सअ़द बिन तरीफ़ मतरूक रावी है। (अल् जरह वत्तादील : 4/87)

तक़्वा का यानी मम्नूआत से रुकने और अहकाम के बजा लाने का हुक्म देकर फिर फ़र्मया कि उसकी राह में जिहाद करो, मुश्रिकीन व कुफ़्फ़ार को जो उसके दुश्मन हैं उसके दीन से अलग हैं, उसकी सीधी राह से भटक गए हैं, उन्हें क़त्ल करो ऐसे मुजाहिदीन बामुराद हैं, फ़लाह व सलाह, सआ़दत व शराफ़त उन्हीं के लिए है, जन्नत के बुलंद बालाख़ाने और अल्लाह की बेशुमार नेअ़मतें उन्हीं के लिए हैं। यह उस जन्नत में पहुँचाए जाएँगे जहाँ मौत व फ़ौत नहीं, जहाँ कमी और नुक़्सान नहीं, जहाँ हमेशगी की जवानी और अबदी सेहत और दवामी ऐशो इशरत है। अपने दोस्तों का नेक आंजम बयान करके अब अपने दुश्मनों का बुरा नतीजा ज़ाहिर करता है कि ऐसे सख़्त और बुरे अ़ज़ाब उन्हें हो रहे होंगे कि अगर उस वक़्त रूए ज़मीन के मालिक हों बल्कि उतना ही और भी हो तो उन अ़ज़ाबों से बचने के लिए बतौर बदले के सब दे डालें। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो भी उनसे अब फ़िदया क़बूल नहीं बल्कि जो अ़ज़ाब उन पर हैं वह दाइमी अब्दी और दवामी हैं, जैसे और जगह है कि जहन्नमी जब जहन्नम में से निकलना चाहेंगे तो फिर दोबारा उसी में लौटा दिए जाएँगे, भड़कती हुई आग के शोले के साथ ऊपर आ जाएँगे कि दारोग़े उन्हें लोहे के हथोड़े मार-मारकर फिर क़अ़रे जहन्नम में गिरा देंगे। ग़र्ज़ उन दाइमी अ़ज़ाबों से छुटकारा महाल (असम्भव) है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं ''एक जहन्नमी को लाया जाएगा फिर उसे पूछा जाएगा कि ऐ इब्ने आदम! कहो तुम्हारी जगह कैसी है? वह कहेगा बदतरीन और सख़्ततरीन। उसे पूछा जाएगा कि उससे छूटने के लिए तू क्या ख़र्च कर देने पर राज़ी है, वह कहेगा, सारी ज़मीन भरकर सोना देकर भी मैं यहाँ से छूटूँ तो भी सस्ता छूटा। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, झूठा

है मैंने तो तुझसे इससे भी बहुत कम माँगा था। लेकिन तूने कुछ भी न किया। फिर हुक्म दिया जाएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब मन नूक़िशिल हिसाब उज़्ज़िबा : 6538; सहीह मुस्लिम : 2805; अहमद : 3/218; इब्ने हिब्बान : 7351) एक मर्तबा हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) का यह फ़र्मान बयान किया ''एक क़ौम जहन्नम में से निकालकर जन्नत में पहुँचाई जाएगी'' उस पर उनके शागिर्द हज़रत यज़ीद (रह.) ने पूछा कि फिर इस आयते कुरआनी का क्या मतलब है? कि (यूरीदून अय्यंख्रुजू मिनन्नारि) यानी ''वह जहन्नम से आज़ाद होना चाहेंगे लेकिन वह आज़ाद होने वाले नहीं'' तो आपने फ़र्माया, इससे पहले की आयत (**इन्नल् लज़ीना कफ़रू**) पढ़ो जिससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि यह काफ़िर लोग हैं यह कभी न निकलेंगे। (मुस्नद अहमद : 3/355; सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अदना अहलुल जन्नत मंज़िलतुन फ़ीहा : 191; इब्ने हिब्बान : 7483) दूसरी रिवायत में है कि यज़ीद (रह.) का ख़्याल यही था कि जहन्नम में से कोई भी न निकलेगा इसलिए यह सुनकर उन्होंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से कहा मुझे और लोगों पर तो अफ़सोस नहीं हाँ! आप सहाबियों पर अफ़सोस है कि आप भी कुरआन के ख़िलाफ़ कहते हैं उस वक़्त मुझे भी गुस्सा आ गया था। इस पर उनके साथियों ने मुझे डांटा लेकिन हज़रत जाबिर (रज़ि.) बहुत हलीमुत्तबअ थे उन्होंने सबको रोक दिया और मुझे समझाया कि कुरआन में जिनके जहन्नम से न निकलने का ज़िक्र है वह कुफ़्फ़ार हैं तुमने कुरआन नहीं पढ़ा? मैंने कहा, हाँ! मुझे सारा कुरआन याद है। कहा फिर क्या यह आयत कुरआन में नहीं है? (وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ) (17/इस्रा : 79) इसमें मक़ामे महमूद का ज़िक्र है यही मक़ामे सिफ़ारिश है अल्लाह तआला कुछ लोगों को जहन्नम में उनकी ख़ताओं की वजह से डालेगा और जब तक चाहे उन्हें जहन्नम में ही रखेगा, फिर जब चाहेगा उन्हें उससे आज़ाद कर देगा। हज़रत यज़ीद (रह.) फ़र्माते हैं कि उसके बाद मेरा ख़्याल ठीक हो गया। हज़रत तलक़ बिन हबीब (रह.) कहते हैं मैं भी मुंकिरे सिफ़ारिश था यहाँ तक कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) से मिला और अपने दावा के सबूत में जिन-जिन आयतों में जहन्नम की हमेशगी का बयान है सब पढ़ डालीं तो आपने सुनकर फ़र्माया, ऐ तलक़ (रह.)! क्या तुम अपने आपको किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल (ﷺ) के इल्म में मुझसे अफ़ज़ल जानते हो? सुनो! जितनी आयतें तुमने पढ़ी हैं वह सब अहले जहन्नम के बारे में हैं यानी मुश्रिकों के लिए, लेकिन जो लोग निकलेंगे यह वह लोग हैं जो मुश्रिक न थे, लेकिन गुनहगार थे, गुनाहों के बदले सज़ा भुगत ली, फिर जहन्नम से निकाल दिए गए। जाबिर (रज़ि.) ने यह सब फ़र्माकर अपने दोनों हाथों से अपने कानों की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, यह दोनों बहरे हो जाएँ अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से यह सुना न हो कि जहन्नम में दाख़िल होने के बाद भी लोग उसमें से निकाले जाएँगे और वह जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाएँगे। कुरआन की यह आयतें जिस तरह तुम पढ़ते हो हम भी पढ़ते ही हैं। (मुस्नद अहमद : 3/330; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; शरह मुश्किलुल आसार :5668; अल्अदबुल मुफ़्रद : 818; यह रिवायत सईद बिन मिह्लब की जिहालत की वजह से ज़ईफ़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 22/405)

***

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾

तर्जुमा : "चोरी करने वाले मर्द औरत के हाथ काट दिया करो, बदला उसका जो उन्होंने किया, तम्बीह अल्लाह तआला की तरफ़ से, और अल्लाह तआला कुव्वत व हिक्मत वाला है। (38) जो शख़्स अपने गुनाहों के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह तआला रहमत के साथ उसकी तरफ़ लौटता है। यक़ीनन अल्लाह तआला माफ़ करने वाला मेहरबानी करने वाला है। (39) क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह तआला ही के लिए आसमान व ज़मीन की बादशाहत है? जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे। अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है।" (40)

हाथ काटने का निसाब और उसकी शर्तें (आयत 38-40) : हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िराअत में **(फ़क्तऊ अयमानहुमा)** है लेकिन यह क़िराअत शाज़ है भले अमल इसी पर है लेकिन वह अमल इस क़िराअत की वजह से नहीं बल्कि दूसरे दलाइल की बिना पर है, चोर के हाथ काटने का तरीक़ा इस्लाम से पहले भी था। इस्लाम ने इसे तफ़्सीलवार मुनज़्ज़म कर दिया। इसी तरह क़सामा, दियत और फ़राइज़ के मसाइल भी पहले थे लेकिन ग़ैर मुनज़्ज़म और अधूरे, इस्लाम ने उन्हें ठीक-ठाक कर दिया। एक क़ौल यह भी है कि सबसे पहले दुवैक नामी एक ख़ुज़ाई शख़्स के हाथ चोरी के इल्ज़ाम में क़ुरैश ने काटे थे, उसने कअबा का ग़िलाफ़ चुरा लिया था। और यह भी कहा गया है कि चोरों ने उसके पास रख दिया था। कुछ फ़ुक़हा का ख़याल है कि चोरी की चीज़ की कोई हद नहीं, थोड़ी हो या बहुत, महफ़ूज़ जगह से ली या ग़ैर महफ़ूज़ जगह से, बहरसूरत हाथ काटा जाएगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यह आयत आम है, तो मुम्किन है इसके क़ौल का यही मतलब हो और दूसरे मतालिब भी मुम्किन हैं। एक दलील इन हज़रात की यह हदीस भी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला चोर पर लानत करे कि अण्डा चुराता है और हाथ कटवाता है, रस्सी चुराई और हाथ काटा जाता है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब लुइनस्सारिक़ु इज़ा लम युसम्मः 6783; सहीह मुस्लिम : 1687; इब्ने माजा : 2583; अहमद : 2/252; इब्ने हिब्बान : 5748; बैहक़ी : 8/253; इब्ने अबी शैबा : 9/473; नसाई : 4877; वल बग़वी : 2598) जुम्हूर उलमा का मज़हब यह है कि चोरी के माल की हद मुक़र्रर है भले उस हद के तक़र्रुर में इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक (रह.) कहते हैं तीन

दिरहम सिक्के वाले ख़ालिस या उनकी क़ीमत की या ज़्यादा की कोई चीज़, चुनाँचे सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में हुज़ूर (ﷺ) का एक ढाल की चोरी पर हाथ काटना मरवी है और उसकी क़ीमत उतनी ही थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला **(वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा)** व फ़ी कम युक़त्तउ : 6795; सहीह मुस्लिम : 1686; अबूदाऊद : 4385; तिर्मिज़ी : 1446; नसाई : 8/76; इब्ने माजा : 2584; अहमद : 2/54; इब्ने हिब्बान : 4461; बैहक़ी : 8/256) हज़रत उस्मान (रज़ि.) अतरंज के चोर के हाथ काटे थे, जबकि वह तीन दिरहम की क़ीमत का था। (मौता इमाम मालिक, किताबुल हुदूद, बाब मा यजिब फ़ीहिल क़त्अ : 2/832; ह : 1418; वसनदुहू ज़ईफ़ु लि इंक़िताइही) हज़रत उस्मान (रज़ि.) का यह कौल गोया सहाबा (रज़ि.) का इज्माअे सुकूती है और इससे यह भी साबित होता है कि फल के चोर के हाथ काटे जाएँगे। हनफ़िया इसे नहीं मानते और इनके नज़दीक चोरी के माल का दस दिरहम की क़ीमत का होना ज़रूरी है। इसमें शाफ़िया का ख़िलाफ़ है, पाव दीनार के तक़र्रुर में इमाम शाफ़ेई (रह.) का फ़र्मान है कि पाव दीनार की क़ीमत की चीज़ हो या उससे ज़्यादा, उनकी दलील बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "चोर का हाथ पाव दीनार में फिर जो उससे ऊपर हो, उसमें काटना चाहिए।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला **(अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा)** व फ़ी कम युक़त्तउ : 6789; सहीह मुस्लिम : 1684; नसाई : 8/78; इब्ने माजा : 2585; अहमद : 6/163; इब्ने हिब्बान ' 4459; बैहक़ी : 8/254) मुस्लिम की एक हदीस में है "चोर का हाथ न काटा जाए मगर पाव दीनार में फिर उससे ऊपर में।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद, बाब हद्दुस्सरक़ति व निसाबुहा : 1684) पस यह हदीस इस मसले का साफ़ फ़ैसला कर देती है और जिस हदीस में तीन दिरहम में हुज़ूर (ﷺ) से हाथ काटने को फ़र्माना मरवी है वह उसके ख़िलाफ़ नहीं। इसलिए कि उस वक़्त दीनार बारह दिरहम का था पस असल चौथाई दीनार है न कि तीन दिरहम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) भी यही फ़र्माते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, लैस बिन सअद, औज़ाई, शाफ़ेई, इस्हाक़ बिन राहवे, अबू सौर और अबूदाऊद इब्ने अली ज़ाहिरी (रह.) का भी यही क़ौल है। एक रिवायत में इमाम इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) और इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) से मरवी है कि ख़्वाह चार दीनार हो, ख़्वाह तीन दिरहम, दोनों ही हाथ काटने का निसाब है। मुस्नद अहमद की एक हदीस में है "चौथाई दीनार की चोरी पर हाथ काट दो, उससे कम में नहीं" उस वक़्त दीनार बारह दिरहम का था तो चौथाई दीनार तीन दिरहम का हुआ। (मुस्नद अहमद : 6/80; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ तहत रक़म : 2402) इसकी सनद सहीह है।) नसाई में है "चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से कम में न काटा जाए।" हज़रत आयशा (रज़ि.) से पूछा गया ढाल की क़ीमत क्या है? फ़र्माया, पाव दीनार। (नसाई, किताब क़त्उस्सारिक़, बाब ज़िक्रू इख़्तिलाफ़े अबीबक्र बिन मुहम्मद व अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र... : 4939; वहुव सहीहुन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह लिग़ैरिही का हुक्म लगाया है। देखिए (सहीह नसाई : 4583) पस इन तमाम अहादीस से साफ़ साबित हो रहा है कि दस दिरहम की शर्त लगानी खुली ग़लती है, वल्लाहु आलम! इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनके

साथियों ने कहा है जिस ढाल के बारे में हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में चोर का हाथ काटा गया, उसकी क़ीमत दस दिरहम थी। (ह़ाकिम : 4/378, 379; ह़ : 8142; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; इब्ने अबी शैबा : 6/465 (9/474; ह़ : 28095) वसनदुहू ह़सन मौक़ूफ़) चुनाँचे अबूबक्र बिन अबी शैबा में यह मौजूद है और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) मुख़ालिफ़त कर रहे हैं और ह़ुदूद के बारे में एह़तियात़ पर अ़मल करना चाहिए और एह़तियात़ ज़्यादती में है इसलिए दस दिरहम निसाब हमने मुक़र्रर किया है। कुछ सल्फ़ कहते हैं कि दस दिरहम या एक दीनार ह़द है। अ़ली बिन मसऊ़द, इब्राहीम नख़ई और अबू जाफ़र बाक़िर (रह़.) से यही मरवी है।

सईद बिन जुबैर (रह़.) फ़र्माते हैं कि पाँचों उँगलियाँ न काटी जाएँ, मगर पाँच दीनार या पचास दिरहम की क़ीमत के बराबर के माल की चोरी में। ज़ाहिरिया का मज़हब है कि हर थोड़ी बहुत चीज़ की चोरी पर हाथ कटेगा। उन्हें जुम्हूर ने यह जवाब दिया कि पहले तो यह इत्लाक़ मंसूख़ है, लेकिन जवाब ठीक नहीं इसलिए कि तारीख़े नस्ख़ का कोई यक़ीन नहीं। दूसरा जवाब यह है कि अण्डे से मुराद लोहे का अण्डा है और रस्सी से मुराद कश्तियों के क़ीमती रस्से हैं। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल ह़ुदूद, बाब लुइनस्सारिक़ु इज़ा लम युसम्म : 6783) तीसरा जवाब यह है कि यह फ़र्मान बा ऐतिबार नतीजे के है यानी इन छोटी-छोटी मामूली सी चीज़ों से चोरी शुरू करता है आख़िरकार क़ीमती चीज़ें चुराने लगता है और हाथ काटा जाता है। और यह भी हो सकता है कि यह फ़र्मान हुज़ूर (ﷺ) का बत़ौर बयाने वाक़िया के हो, अय्यामे जाहिलियत में हर छोटी सी चीज़ की चोरी पर भी हाथ काट दिया जाता था। तो गोया हुज़ूर (ﷺ) बत़ौर अफ़सोस के और चोर को नादिम (शर्मसार) करने के फ़र्मा रहे हैं कि कैसा ज़लील और बेवक़ूफ़ इंसान है कि मामूली चीज़ के लिए हाथ जैसी नेअ़मत से मह़रूम हो जाता है। मज़्कूर है कि अबुल अ़ला मुअ़र्रा जब बग़दाद में आया तो उसने इस बारे में बड़े ऐतिराज़ शुरू किए और उसके जी में यह ख़्याल बैठ गया कि मेरे इस ऐतिराज़ का जवाब किसी से नहीं हो सकता। तो उसने एक शेअ़र कहा कि अगर हाथ काट डाला जाए तो दियत पाँच सौ दिलवाएँ और फिर उसी हाथ को पाव दीनार की चोरी पर कटवा दें, यह ऐसा तनाक़ुज़ है कि हमारी समझ में तो आता ही नहीं, ख़ामोश हैं और कहते हैं, हमारा मौला हमें जहन्नम से बचाए। लेकिन जब इसकी यह बकवास मशहूर हुई तो उ़लमा-ए-किराम ने इसे जवाब देना चाहा तो यह भाग गया। फिर जवाब मशहूर कर दिए गए। क़ाज़ी अ़ब्दुल वह्हाब (रह़.) ने जवाब दिया कि जब तक हाथ अमीन था तब तक समीन यानी क़ीमती था और जब यह ख़ाइन हो गया, उसने चोरी कर ली तो उसकी क़ीमत घट गई। कुछ बुज़ुर्गों ने इसे क़द्रे तफ़्सील से जवाब दिया था कि इससे शरीअ़त की कामिल ह़िक्मत ज़ाहिर होती है और दुनिया का अमनो अमान क़ायम होता है। जो किसी का हाथ बेवजह काट डाले, उस पर बड़ा जुर्माना रखा ताकि लोग इस बुरे काम से बचें, वहाँ यही हुक्म मुनासिब था। चोरी में थोड़ी सी चीज़ पर उसे काट देने का हुक्म दिया ताकि चोरी का दरवाज़ा इस डर से बंद हो जाए, पस यह तो ऐन ह़िक्मत है। अगर चोरी मे भी इतनी रक़म की क़ैद लगाई जाती तो चोरियों का इंसिदाद न होता। ''यह बदला है उनके करतूत का'' मुनासिब मक़ाम यही है कि जिस ह़िस्से से उसने दूसरे को नुक़्सान पहुँचाया है उसी ह़िस्से पर सज़ा हो ताकि उन्हें काफ़ी इब्रत ह़ासिल हो और दूसरों को भी तम्बीह हो जाए।

अल्लाह तआला अपने इंतिक़ाम में गालिब है और अपने हुक्मों में हकीम है। जो शख़्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ़ झुक जाए, अल्लाह तआला उसे उसका गुनाह माफ़ कर देता है, हाँ जो माल चोरी में किसी का ले लिया है चूँकि वह उस शख़्स का हक़ है लिहाज़ा सिर्फ़ तौबा करने से वह माफ़ नहीं होता उस वक़्त तक कि वह माल जिसका है उसे न पहुँचाए, या उसके बदले पूरी पूरी क़ीमत अदा करे। जुम्हूर अइम्मा का यही क़ौल है सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि जब चोरी पर हाथ कट गया और माल तल्फ़ हो चुका है तो उसका बदला देना उस पर ज़रूरी नहीं। दारे कुत्नी वग़ैरह की एक मुर्सल हदीस में है कि एक चोर हुज़ूर (ﷺ) के सामने लाया गया। जिसने चादर चुराई थी, आपने उससे फ़र्माया, "मेरा ख़्याल है कि तुमने चोरी नहीं की होगी।" उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने चोरी की है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "इसे ले जाओ और इसका हाथ काट दो।" जब हाथ कट चुका और आप (ﷺ) के पास आए तो आपने फ़र्माया, "तौबा करो"। उन्होंने तौबा की। आपने फ़र्माया, "अल्लाह तआला ने तुम्हारी तौबा क़बूल फ़र्मा ली।" (शरह मआनिल आसार : 2/96; दारे कुत्नी : 3/102; हाकिम : 4/381; बैहक़ी : 8/276; वसनदुहू सहीहुन) इब्ने माजा में है कि हज़रत उमर बिन समुरा (रज़ि.) हुज़ूर(ﷺ) के पास आकर कहते हैं कि हज़रत! मुझसे चोरी हो गई है, तो आप मुझे पाक कीजिए, फ़लाँ क़बीले वालों का ऊँट मैंने चुराया है। आप (स.) ने उस क़बीले वालों के पास आदमी भेजकर पूछवाया तो उन्होंने कहा कि, हमारा एक ऊँट तो जरूर गुम हो गया है। आप (ﷺ) ने हुक्म दिया और उनका हाथ काट डाला गया। वह हाथ कटने पर कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने तुझे मेरे जिस्म से अलग कर दिया। तू मेरे सारे जिस्म को जहन्नम में ले जाना चाहता था। (इब्ने माजा, किताबुल हुदूद, बाब अस्सारिक़ु यअतरिफ़ु : 2588; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; इस रिवायत में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/444; रक़म : 574) और अब्दुर्रहमान बिन सअल्बा मज्हूल है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है। (ज़ईफ़ इब्ने माजा : 562) इब्ने जरीर में है कि एक औरत ने कुछ ज़ेवर चुरा लिए। उन लोगों ने उसे हुज़ूर (ﷺ) के सामने पेश किया। आपने उसका दायाँ हाथ काटने का हुक्म दिया। जब कट चुका तो उस औरत ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मेरी तौबा भी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तू ऐसी पाक साफ़ हो गई कि गोया आज ही पैदा हुई हो, इस पर आयत (फ़मन ताब...) नाज़िल हुई। (तब्री : 10/299) मुस्नद अहमद में इतना और भी है कि उस वक़्त उस औरत वालों ने कहा, हम इसका फ़िदया देने को तैयार हैं। लेकिन आप (ﷺ) ने उसे क़बूल न किया और हाथ काटने का हुक्म दे दिया। (अहमद : 2/177; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; मज्मउज़्ज़वाइद : 6/278; इमाम हैसमी ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है।) यह औरत मख़्ज़ूम क़बीले की थी, इसका यह वाक़िया बुख़ारी व मुस्लिम में भी मौजूद है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब कराहियतुश्शफ़ाअत फ़िल हद इज़ा रफ़अ इलस्सुल्तान : 6788; सहीह मुस्लिम : 1688) चूँकि यह बड़े घराने की औरत थी। लोगों में बड़ी तश्वीश फैली और इरादा किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसके बारे में कुछ कहें सुनें। यह वाक़िया ग़ज़्वा फ़तहे मक्का में हुआ था। बिलआख़िर तै यह हुआ कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के बहुत प्यारे सहाबी हैं, वह उनके बारे में हुज़ूर (ﷺ) से सिफ़ारिश करें। हज़रत उसामा (रज़ि.) ने जब उनकी

सिफ़ारिश की तो हुज़ूर (ﷺ) को सख़्त नागवार गुज़रा और गुस्से से फ़र्माया, ''उसामा! तू अल्लाह तआला की हदों में से एक हद के बारे में सिफ़ारिश कर रहा है?' अब तो हज़रत उसामा (रज़ि.) बहुत घबराए और कहने लगे, मुझसे बड़ी ग़लती हुई, मेरे लिए आप इस्तिग़फ़ार कीजिए। शाम के वक़्त अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) ने एक ख़ुत्बा दिया जिसमें अल्लाह तआला की पूरी हम्दो सना के बाद फ़र्माया, ''तुमसे पहले लोग इसी ख़स्लत पर तबाह व बर्बाद हो गए। कि उनमें से जब कोई शरीफ़ शख़्स यानी बड़ा आदमी चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे। और जब कोई मामूली आदमी चोरी करता तो उस पर हद जारी करते थे। अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (ﷺ) भी चोरी करें, तो मैं उनके भी हाथ काट दूँ'' फिर हुक्म दिया और उस औरत का हाथ काट दिया गया। हज़रत सिद्दीक़ा (रज़ि.) फ़र्माती हैं फिर उस बीवी साहिबा (रज़ि.) ने तौबा की और पूरी और पुख़्ता तौबा की और निकाह कर लिया, फिर वह मेरे पास अपने किसी काम काज के लिए आती थीं और मैं उनकी हाजत हुज़ूर (ﷺ) से बयान कर दिया करती थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब : 54, 4304; सहीह मुस्लिम : 1688; अबूदाऊद : 4373; तिर्मिज़ी : 1430; नसाई : 4907; इब्ने माजा : 2547; इब्ने हिब्बान : 4402; बैहक़ी : 8/253) मुस्लिम में है कि एक औरत लोगों से अस्बाब उधार लेती थी फिर इंकार कर जाया करती थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया। (सहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद, बाब क़त्अस्सारिक़िश्शरीफ़ व ग़ैरुहू वन्नही अनिश्शफ़ाअति फ़िल हुदूद...: 1688) और रिवायत में है यह ज़ेवर इस तरह लेती थी और इसका हाथ काटने का हुक्म हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुआ था। (नसाई, किताब क़त्अस्सारिक़, बाब मा यकूनु हरज़व्वमा ला यकून : 4893; वहुव सहीहुन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीहुल इस्नाद कहा है। देखिए (अल्इरवाअ तहत रक़म : 2405) किताबुल अहकाम में ऐसी बहुत सी हदीसें वारिद हैं जो चोरी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, फ़ल्हम्दु लिल्लाह! जमीअ मम्लूक का मालिक, सारी कायनात का हक़ीक़ी बादशाह सच्चा हाकिम अल्लाह तआला ही है जिसके किसी हुक्म को कोई रोक नहीं सकता। जिसके किसी इरादे को कोई बदल नहीं सकता, जिसे चाहे बख़्शे जिसे चाहे अज़ाब करे, हर-हर चीज़ पर क़ादिर है, उसकी क़ुदरत कामिल और उसका क़ब्ज़ा सच्चा है।

***

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا
بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۛ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ
لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُولُونَ إِنْ
أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ۚ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ

مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۭ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ ښ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝۴۱ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۭ فَاِنْ
جَاۗءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـــًٔا ۭ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝۴۲ وَكَيْفَ
يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۭ وَمَآ
اُولٰۗىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝۴۳ اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ
الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ
اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاۗءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَـمَنًا
قَلِيْلًا ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝۴۴

तर्जुमा : "ऐ नबी (ﷺ)! तू उन लोगों के पीछे अपना दिल रंजीदा ख़ातिर न कर जो कुफ्र में सब्क़त कर रहे हैं, ख़्वाह वह उन मुनाफ़िक़ों में से हों जो ज़ुबानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हक़ीक़तन उनके दिल ईमान वाले नहीं, और ख़्वाह वह यहूदियों में से हों, जो ग़लत बातों के सुनने के आ़दी हैं, और उन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आप (ﷺ) के पास नहीं आए। बातों के असली मौक़ों को छोड़कर उन्हें बे उस्लूब और मुतग़य्यर कर दिया करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो क़बूल कर लेना और अगर यह हुक्म न दिए जाओ तो अलग-थलग रहना। जिसका ख़राब करना अल्लाह को मंज़ूर हो तो तू उसके लिए अल्लाह तआ़ला की हिदायत में से किसी चीज़ का मुख़तार नहीं। अल्लाह का इरादा उनके दिलों को पाक करने का नहीं। उनके लिए दुनिया में भी बड़ी ज़िल्लत और रुस्वाई है और आख़िरत में भी उनके लिए बहुत सख़्त सज़ा है। (41) यह कान लगा लगाकर झूठ के सुनने वाले और जी भर-भरकर हराम खाने वाले हैं। अगर यह तेरे पास आएँ तो तुझे इख़्तियार है ख़्वाह इनके आपस का फ़ैसला कर ख़्वाह इनको टाल दे। अगर तू इनसे चेहरा

फेरेगा तो भी यह तुझे हर्गिज़ कोई ज़रर नहीं पहुँचा सकते। और अगर तू फ़ैसला करे तो इनमें अद्लो इंसाफ़ के साथ फ़ैसला कर। अद्ल वालों के साथ अल्लाह मुहब्बत करता है। (42) ताज्जुब की बात यह है कि वह अपने पास तौरात होते हुए जिसमें अहकामे इलाही हैं तुझे हकम बनाते हैं। फिर उसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल यह ईमान व यक़ीन वाले हैं ही नहीं। (43) हमने तौरात नाज़िल फ़र्माई है जिसमें हिदायत व नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह तआला के मानने वाले अम्बिया और अल्लाह वाले और उलमा फ़ैसले करते थे। क्योंकि उन्हें अल्लाह की उस किताब की हिफ़ाज़त का हुक्म दिया गया था। और वह उस पर इक़रारी गवाह थे, अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो और सिर्फ़ मेरा डर रखो, मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मोल पर न बेचो, जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फ़ैसले न करें वह पूरे और पुख़्ता काफ़िर हैं।'' (44)

ज़ाती क़यास और नफ़्सानी ख़्वाहिशात की मज़म्मत (आयत 41-44) : इन आयतों में उन लोगों की मज़म्मत बयान हो रही है जो राय क़यास और ख़्वाहिशे नफ़्सानी को अल्लाह की शरीअत पर मुक़द्दम रखते हैं, अल्लाह तआला व रसूल (ﷺ) की इताअत से निकलकर कुफ़्र की तरफ़ दौड़ते भागते रहते हैं। भले यह लोग ज़ुबानी ईमान के दावे करें लेकिन इन का दिल ईमान से ख़ाली हैं। मुनाफ़िक़ों की यही हालत है कि ज़ुबान के खरे दिल के खोटे, और यही ख़स्लत यहूदियों की है जो इस्लाम और अहले इस्लाम के दुश्मन हैं। यह झूठ को मज़े से सुनते हैं ओर दिल खोलकर क़बूल करते हैं लेकिन सच से भागते हैं बल्कि नफ़रत करते हैं। और जो लोग आप (ﷺ) की मज्लिस में नहीं आते यह यहाँ की वहाँ लगाते हैं, उनकी तरफ़ से जासूसी करने को आते हैं फिर नालायक़ी यह करते हैं कि बात को बदल डाला करते हैं। मतलब कुछ हो, ले कुछ उड़ाते हैं। इरादे यही हैं कि अगर तुम्हारी ख़्वाहिश के मुताबिक़ कहे तो मान लो, तबीयत के ख़िलाफ़ हो तो दूर रहो। कहा गया है कि यह आयत उन यहूदियों के बारे में उतरी थी। जिनमें एक को दूसरे ने क़त्ल कर दिया था, अब कहने लगे, चलो! हुज़ूर (ﷺ) के पास चलें, अगर दियत जुर्माने का हुक्म दें तो मंज़ूर कर लेंगे और अगर क़िसास बदले को फ़र्माएँ तो नहीं मानेंगे। लेकिन ज़्यादा सहीह बात यह है कि वह एक ज़िनाकार को लेकर आए थे, इनकी किताब तौरात में दरअसल हुक्म तो यह था कि शादीशुदा ज़ानी को संगसार किया जाए, लेकिन उन्होंने उसे बदल डाला था। और सौ कोड़े मारकर चेहरे को काला करके और उल्टा गधे पर सवार करके, रुस्वाई करके छोड़ देते थे, जब हिज्रत के बाद उनमें से कोई ज़िनाकारी के जुर्म में पकड़ा गया, तो यह कहने लगे, आओ! हुज़ूर (ﷺ) के पास चलें और आपसे इसके बारे में सवाल करें, अगर आप भी वही फ़र्माएँ जो हम करते हैं तो उसे क़बूल कर लें और अल्लाह के यहाँ भी हमारी सनद हो जाएगी, रजम को फ़र्माएँ तो नहीं मानेंगे। चुनाँचे यह आए और हुज़ूर (ﷺ) से ज़िक्र किया कि हमारे एक मर्द औरत ने यह बदकारी की है। उनके बारे में आप क्या इर्शाद फ़र्माते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तुम्हारे पास तौरात में क्या हुक्म है?'' उन्होंने कहा, हम तो उसे रुस्वा करते हैं और कोड़े मारकर छोड़ते हैं, यह सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने फ़र्माया, झूठ कहते

हो। तौरात में संगसार करने का हुक्म है, लाओ तौरात पेश करो। उन्होंने तौरात खोली, लेकिन आयते रजम पर हाथ रखकर आगे पीछे की सब इबारत पढ़कर सुनाई। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) समझ गए और आपने फ़र्माया, ''अपने हाथ को तो हटा, हाथ हटाया तो संगसार करने की आयत मौजूद थी, अब तो उन्हें भी इक़रार करना पड़ा। फिर हुज़ूर (ﷺ) के हुक्म से ज़ानियों को संगसार कर दिया गया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं मैंने देखा कि वह उस ज़ानी औरत को पत्थरों से बचाने के लिए उसके आड़े आ जाता था। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल हुदूद, बाब अह़काम अहलिज़्ज़िम्मा व अह़सानुहुम इज़ा ज़नू..... : 6841, 7543; सह़ीह़ मुस्लिम : 1699; अबूदाऊद : 4446; इब्ने हि़ब्बान : 4434; बैहक़ी : 8/214; मौता इमाम मालिक : 819) और सनद से मरवी है कि यहूदियों ने कहा, हम तो उसे काला चेहरा करके कुछ मारपीट करके छोड़ देते हैं। और आयत के ज़ाहिर होने के बाद उन्होंने कहा, है तो यही हुक्म लेकिन हमने तो इसे छुपा लिया था। जो पढ़ रहा था उसी ने रजम की आयत पर अपना हाथ रख दिया था। जब उसका हाथ हटवाया तो आयत लपकती हुई नज़र आई। उन दोनों के रजम करने वालों में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) भी मौजूद थे।

और रिवायत में है कि उन लोगों ने अपने आदमी भेजकर आप (ﷺ) को बुलवाया था। अपने मदरसे में गद्दी पर आप (ﷺ) को बिठाया था और जो तौरात आपके सामने पढ़ रहा था। (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़ी रज्मिल यहूदैन : 4449; वहुव ह़सन; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ह़सन कहा है। देखिए (अल्इरवाउ तहत रक़म : 1253) वह उनका बहुत बड़ा आ़लिम था। और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने उनसे क़सम देकर पूछा था तुम तौरात में शादीशुदा ज़ानी की क्या सज़ा पाते हो? तो उन्होंने यही जवाब दिया था, लेकिन एक नौजवान कुछ न बोला, ख़ामोश ही खड़ा रहा। आप (ﷺ) ने उसकी त़रफ़ देखकर ख़ास़ उसे दोबारा क़सम दी और जवाब मांगा। उसने कहा, जब आप ऐसी क़समें दे रहे हैं तो मैं झूठ न बोलूँगा। वाक़ई तौरात में उन लोगों के ज़िम्मे संगसारी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अच्छा! फिर यह भी सच सच बताओ कि पहले पहल इस रजम को तुमने क्यूँ और किस पर से उड़ाया?'' उसने कहा, हज़रत! हमारे किसी बादशाह के रिश्तेदार बड़े आदमी ने ज़िनाकारी की, उसकी अ़ज़्मत और बादशाह की हैबत के मारे उसे रजम न किया, फिर एक आ़मी आदमी ने बदकारी की तो उसे रजम करना चाहा लेकिन उसकी सारी क़ौम चढ़ दौड़ी कि या तो उस अगले शख़्स को भी रजम करो वरना इसे भी छोड़ दो। आख़िर हमने मिलकर यह तै किया कि बजाए रजम के इस क़िस्म की कोई सज़ा मुक़र्रर कर दी जाए। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने तौरात के हुक्म को जारी किया और उसी बारे में आयत (इन्ना अन्ज़ल्ना.....) उतरी। पस हुज़ूर (ﷺ) भी इन अह़काम के जारी करने वालों में से हैं। (अबूदाऊद, बह़वाला साबिक़, रक़म : 4450; वसनदुहू ज़ईफ़; सनद में एक रावी मज्हूल है। अह़मद : 2/280; मुख़्तस़रन; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अबूदाऊद : 959) मुस्नद अह़मद में है एक शख़्स़ को यहूदी काला चेहरा किए ले जा रहे थे और उसे कोड़े भी मार रहे थे। तो आप (ﷺ) ने बुलाकर उनसे माजरा पूछा। उन्होंने कहा, कि इसने ज़िना किया है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क्या ज़ानी की यही सज़ा तुम्हारे यहाँ है?'' कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने उनके एक आ़लिम को बुलाकर उसे सख़्त क़सम देकर पूछा, तो उसने कहा कि अगर आप ऐसी क़सम न देते तो मैं हर्गिज़ न बताता,

बात यह है कि हमारे यहाँ दरअसल ज़िनाकारी की सज़ा संगसारी है, लेकिन चूँकि अमीरुल उम्रा और शुर्फ़ा लोगों में यह बदकारी बढ़ गई थी, और उन्हें इस क़िस्म की सज़ा देनी हमने मुनासिब न जानी। इसलिए उन्हें तो छोड़ देते थे। और हुक्मे रब्बानी मारा न जाए इसलिए ग़रीब गुर्बा कम हैसियत लोगों को रजम करा देते थे, फिर हमने राय ज़नी की कि आओ कोई ऐसी तज्वीज़ करो कि शरीफ़ और ग़ैर शरीफ़, अमीर और ग़रीब सब पर यक्साँ (बराबर) जारी हो सके, चुनाँचे हमारा सबका इस बात पर इज्माअ हो गया कि चेहरा काला करा दें और कोड़े लगाएँ। यह सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इन दोनों को संगसार करो, चुनाँचे उन्हें रज़म कर दिया गया। और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ अल्लाह! मैं पहला वह शख़्स हूँ जिसने तेरे एक मुर्दा हुक्म को ज़िन्दा किया।'' इस पर यह आयत (يَآأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ) से (هُمُ الْكٰفِرُوْنَ) नाज़िल हुई।

उन ही यहूदियों के बारे में और आयत में है ''अल्लाह तआला के नाज़िलकर्दा हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला न करने वाले ज़ालिम हैं।'' और आयत में है ''फ़ासिक़ हैं'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हुदूद, बाब रूजिमल यहूद अहलुज़्ज़िम्मा फ़िज़्ज़िना : 1700; अबूदाऊद : 4447; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 7218; इब्ने माजा : 2558; अहमद : 4/284; बैहक़ी : 8/246) और रिवायत में है कि वाक़िया ज़िना फ़िदक में हुआ था। और वहाँ यहूदियों ने मदीना शरीफ़ के यहूदियों को लिखकर हुज़ूर (ﷺ) से मालूम कराया था। जो आलिम उनका आया उसका नाम इब्ने सूरिया था। यह आँख का भेंगा था और इसके साथ एक दूसरा आलिम भी था। हुज़ूर (ﷺ) ने जब उन्हे क़सम दिलाई तो दोनों ने क़बूल किया था। आप (ﷺ) ने उनसे कहा था ''तुम्हें उस अल्लाह की क़सम! जिसने बनी इस्राईल के लिए पानी में रास्ता कर दिया था और अब्र का साया उन पर किया था और फ़िरऔनियों से बचा लिया था। और मन्न व सल्वा उतारा था।'' उस क़सम से वह चौंक गए और आपस में कहने लगे, बड़ी ज़बरदस्त क़सम है। इस मौक़े पर झूठ बोलना ठीक नहीं। देखिए हुज़ूर (ﷺ)! तौरात में यह है कि बुरी नज़र से देखना भी ज़िना की तरह है और गले लगाना भी और बोसा लेना भी, अगरचे गवाह इस बात के हों कि उन दुख़ूल व ख़ुरूज देखा है जैसाकि सलाई सुर्मादानी में जाती आती है तो रजम वाजिब हो जाता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''यही मसला है'' फिर हुक्म दिया और उन्हें रजम करा दिया गया। इस पर यह आयत (फ़ इन जाऊक...) उतरी। (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़ी रज्मिल यहूदैन : 4452; व सनदुहू ज़ईफ़; इब्ने माजा : 2328; मुख़्तसरन; इस रिवायत में मुजालिद बिन सईद ज़ईफ़ रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन : 3/35) एक रिवायत में है जो दो आलिम आप (ﷺ) के सामने लाए गए थे यह दोनों सूरिया के लड़के थे। तर्के हद का सबब इस रिवायत में यहूदियों की तरफ़ से यह बयान हुआ है कि जब हममें सल्तनत न रही तो हमने अपने आदमियों की जान लेनी मुनासिब न समझी। फिर आप (ﷺ) ने गवाहों को बुलवाकर गवाही ली, जिन्होंने बयान दिया कि हमने अपनी आँखों से उन्हे बुराई में साफ़-साफ़ देखा जिस तरह सुर्मा में सलाई है। (इसका हुक्म भी पहली रिवायत का है।) दरअसल तौरात वग़ैरह का मंगवाना उनके आलिमों को बुलवाना यह सब उन्हें इल्ज़ाम देने के लिए था, न इसलिए था कि वह उसी के मानने के मुकल्लफ़ हैं, नहीं बल्कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान वाजिबुल अमल है, इससे मक़्सद एक तो हुज़ूर (ﷺ) की सच्चाई का इज़्हार था कि अल्लाह की वही से आपने यह मालूम कर लिया कि उनकी

तौरात में भी हुक्मे रजम मौजूद है और यही निकला, दूसरे उनकी रुस्वाई कि उन्हें पहले के इंकार के बाद इक़रार करना पड़ा और दुनिया पर ज़ाहिर हो गया कि यह लोग अल्लाह के फ़र्मान को छुपा लेने वाले और अपनी राय क़यास पर अमल करने वाले हैं और इसलिए भी कि यह लोग सच्चे दिल से हुज़ूर (ﷺ) के पास कुछ इसलिए नहीं आए थे कि आप (ﷺ) की हुक्मबरदारी करेंगे बल्कि महज़ इसलिए आए थे कि आप (ﷺ) से भी अपने इज्माअ के मुवाफ़िक़ पाएँ तो ले लेंगे वरना हर्गिज़ न क़बूल करेंगे इसलिए फ़र्मान है कि "जिन्हें अल्लाह गुमराह कर दे तो उनकी किसी क़स्म की रास्ती का मुख़्तार नहीं है" उनके गंदे दिलों को पाक करने का इरादा अल्लाह का नहीं है। यह दुनिया में ज़लीलो ख़ार होंगे, आख़िरत में दाख़िले नार होंगे। यह बातिल को कान लगाकर मज़े लेकर सुनने वाले हैं, रिश्वत जैसी हराम चीज़ को दिन दहाड़े खाने वाले हैं, भला उनके नजिस (नापाक) दिल कैसे पाक होंगे? और उनकी दुआएँ अल्लाह कैसे सुनेगा? अगर यह तेरे पास आएँ तो तुझे इख़्तियार है कि उनके फ़ैसले कर या न कर, अगर तू उनसे चेहरा फेर ले जब भी यह तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उनकी इत्तिबाअ हक़ नहीं बल्कि अपनी ख़्वाहिशों की पैरवी है। कुछ बुज़ुर्ग कहते हैं यह आयत मंसूख़ है इस आयत से (وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ) (5/माइदा : 49) (तब्री : 10/330) फिर फ़र्माया, "अगर तू उनमें फ़ैसले करे तो अद्लो इंसाफ़ के साथ कर, भले यह ख़ुद ज़ालिम हैं और अद्ल से हटे हुए हैं।" और जान रख कि अल्लाह तआला आदिल लोगों से मुहब्बत रखता है।"

यहूदियों की ख़बासत का बयान : फिर उनकी खबासत, बदबातिनी और सरकशी का बयान हो रहा है कि एक तरफ़ तो उस किताबुल्लाह को छोड़ रखा हे जिसकी ताबेदारी और हक़्क़ानियत के ख़ुद क़ाइल हैं दूसरी तरफ़ उस जानिब झुक रहे हैं जिसे नहीं मानते और जिसे झूठ मशहूर कर रखा है और फिर उसमें भी निय्यते बद है कि अगर वहाँ से हमारी ख़्वाहिश के मुताबिक़ हुक्म मिले तो ले लेंगे वरना छोड़ देंगे। तो फ़र्माया कि यह कैसे तेरी हुक्मबरदारी करेंगे? इन्होंने तो तौरात को भी छोड़ रखा है जिसमें हुक्मे अल्लाह होने का इक़रार उन्हें भी है लेकिन फिर भी बेईमानी करके उससे फिर (नट) जाते हैं। फिर उस तौरात की मदह व तारीफ़ बयान की जो उसने अपने बरगुज़ीदा रसूल हज़रत मूसा बिन इमरान (अ.) पर नाज़िल फ़र्माई थी कि उसमें हिदायत व नूरानियत थी, अम्बिया (अ.) जो अल्लाह के ज़ेरे फ़र्मान थे उसी पर फ़ैसला करते रहे, यहूदियों में उसी के अहकाम जारी करते रहे तब्दील तहरीफ़ से बचे रहे और रब्बानी यानी आबिद उलमा और अहबार यानी ज़ी इल्म लोग भी इसी रविश पर रहे, क्योंकि उन्हें यह पाक किताब सौंपी गई थी। और उसके इज़्हार का और उस पर अमल करने का उन्हें हुक्म दिया गया था और वह उस पर गवाह शाहिद थे, अब तुम्हें चाहिए कि बजुज़ अल्लाह के किसी और से ऐसे न डरो, हाँ! क़दम क़दम और लम्हा लम्हा पर ख़ौफ़े इलाही रखो और मेरी आयतों को थोड़े थोड़े मौल पर फ़रोख़्त न किया करो। जान लो कि अल्लाह की वही का हुक्म जो न करे वह काफ़िर है। इसमें दो क़ौल हैं जो अभी बयान होंगे, इंशाअल्लाह! इन आयतों का एक और शाने नुज़ूल भी सुन लीजिए, इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ऐसे लोगों को इस आयत में तो काफ़िर कहा, दूसरी में ज़ालिम, तीसरी में फ़ासिक़। बात यह है कि यहूदियों के दो गिरोह थे, एक ग़ालिब था, दूसरा मग़्लूब था, उनकी आपस में इस बात पर सुलह हुई थी कि ग़ालिब ज़ी इज़्ज़त फ़िर्क़े का कोई शख़्स अगर मग़्लूब ज़लील फ़िर्क़ा के किसी

शख़्स को क़त्ल कर डाले तो पचास (50) वसक़ दियत दे और ज़लील लोगों में से कोई अ़ज़ीज़ शख़्स को क़त्ल कर दे तो एक सौ (100) वसक़ दियत दे, यही रवाज उनमें चला आ रहा था। जब हुज़ूर (ﷺ) मदीना में आए उसके बाद एक वाक़िया ऐसा हुआ कि उन नीचे वाले यहूदियों में से किसी ने किसी ऊँचे यहूदी को मार डाला, यहाँ से आदमी गया कि लाओ सौ (100) वसक़ दिलवाओ। वहाँ से जवाब मिला कि यह स़रीह़ नाइंस़ाफ़ी है कि हम दोनों एक ही क़बीले के एक ही दीन के एक ही नसब के एक ही शहर के, फिर हमारी दियत कम और तुम्हारी ज़्यादा। हम चूँकि अब तक तुमसे दबे हुए थे इस नाइंस़ाफ़ी को बादिले नाख़्वास्ता बर्दाश्त करते रहे। लेकिन अब जबकि ह़ज़रत मुह़म्मद (ﷺ) जैसे अ़ादिल बादशाह यहाँ आ गए हैं, हम तुम्हें उतनी ही दियत देंगे जितनी तुम हमें देते हो। इस बात पर इधर उधर से आस्तीनें चढ़ गईं फिर आपस में यह बात तै़ हुई कि अच्छा! इस झगड़े का फ़ैस़ला रसूलुल्लाह (ﷺ) को सौंप दिया जाए, लेकिन ऊँची क़ौम के लोगों ने अपने आपस में जब मश्वरा किया तो उनके समझदारों ने कहा, देखो! इससे हाथ धो रखो कि हुज़ूर (ﷺ) किसी नाइंस़ाफ़ी का हुक्म करें, यह स़रीह़ ज़्यादती है कि हम आधी दें और पूरी लें और फ़िल वाक़ेअ़ इन लोगों ने दबकर इसे मंज़ूर किया था। अब जो तुमने हुज़ूर (ﷺ) को हुक्म और सालिस मुक़र्रर किया है तो यक़ीनन तुम्हारा यह ह़क़ मारा जाएगा। किसी ने राय दी कि अच्छा! यूँ करो किसी को हुज़ूर (ﷺ) के पास चुपके से भेज दो, वह मालूम कर आए कि आप फ़ैसला क्या करेंगे? और अगर हमारी मुवाफ़िक़त में हो तो बहुत अच्छा, चलो और उनसे ह़क़ ह़ासिल कर आओ और अगर ख़िलाफ़ हो तो बस अलग थलग ही अच्छे हैं। चुनाँचे मदीना के चंद मुनाफ़िक़ों को उन्होंने जासूस बनाकर हुज़ूर (ﷺ) के पास भेजा। यहाँ वह पहुँचे उससे पहले अल्लाह तअ़ाला ने यह आयतें उतारकर अपने रसूल (ﷺ) को उन दोनों फ़िर्क़ों के बुरे इरादों से ख़बरदार कर दिया। (मुस्नद अह़मद : 1/246; अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ा बाबुल क़ाज़ी युख़ती : 3576; वसनदुहू ह़सन; त़ब्री : 6/254; त़बरानी : 10732; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 7/16; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 2552) और रिवायत में है कि यह दोनों क़बीले बनू नज़ीर और बनू क़ुरैज़ा थे, बनू नज़ीर की पूरी दियत थी और बनू क़ुरैज़ा की आधी। हुज़ूर (ﷺ) ने दोनों की दियत बराबर यक्साँ देने का फ़ैस़ला स़ादिर फ़र्मा दिया। और रिवायत में है कि क़ुर्ज़ी अगर किसी नज़री को क़त्ल कर डाले तो उससे क़िस़ास़ लेते थे लेकिन उसके ख़िलाफ़ में क़िस़ास़ था ही नहीं। सौ (100) वसक़ दियत थी। (अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ा, बाब अल्हुक्मु बैन अहलिज़्ज़िम्मा : 3591; वसनदुहू ज़ईफ़; दाऊद बिन हुसैन की इक्रिमा से रिवायत मुंकर होती है। नसाई : 4737; अह़मद : 1/3) यह बहुत मुम्किन है कि इधर यह वाक़िया हुआ उधर ज़िना का क़िस़्स़ा वाक़ेअ़ हुआ जिसका तफ़्सीली बयान पहले गुज़र चुका है और इन दोनों पर यह आयतें नाज़िल हुईं, वल्लाहु अ़ालम!

हाँ! एक बात और है जिससे दूसरी शाने नुज़ूल की तक़्वियत होती है वह यह कि उसके बाद ही फ़र्माया है (व कतब्ना अ़लयहिम फ़ीहा) यानी "हमने यहूदियों पर तौरात में यह हुक्म फ़र्ज़ कर दिया था कि जान के बदले में जान, आँख के बदले में आँख...." वल्लाहु अ़ालम! फिर उन्हें काफ़िर कहा गया जो अल्लाह तअ़ाला की शरीअ़त और उसकी उतारी हुई वह़ी के मुत़ाबिक़ फ़ैस़ले और हुक्म न करें। भले यह शाने नुज़ूल के

ऐतिबार से बक़ौले मुफ़स्सिरीन अहले किताब के बारे में है लेकिन हुक्म के एतिबार से हर शख़्स को शामिल है। बनी इस्राईल के बारे में उतरी और इस उम्मत का भी यही हुक्म है। (तब्री : 10/356) इब्ने मसऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि रिश्वत हराम है और रिश्वत सतानी के बाद किसी शरई मसले के ख़िलाफ़ फ़त्वा देना कुफ़्र है। सुद्दी (रह.) फ़र्माते हैं जिसने वह्यी रब्बानी के ख़िलाफ़ अमदन (जानबूझ कर) फ़त्वा दिया, जानने के बावजूद उसके ख़िलाफ़ किया, वह काफ़िर है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, जिसने अल्लाह के फ़र्मान का इंकार किया उसका यह हुक्म है तो जिसने इंकार तो न किया लेकिन उसके मुताबिक़ न कहा, वह ज़ालिम और फ़ासिक़ है। (तब्री : 4/597) ख़्वाह अहले किताब हो, ख़्वाह कोई भी हो। शअबी (रह.) फ़र्माते हैं मुसलमानों में जिसने किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ फ़त्वा दिया वह काफ़िर है और यहूदियों में दिया हो तो ज़ालिम है और नसरानियों में दिया तो फ़ासिक़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं उसका कुफ़्र इस आयत के साथ है। ताउस (रह.) फ़र्माते हैं कि उसका कुफ़्र उसके कुफ़्र जैसा नहीं जो सिरे से अल्लाह व रसूल, क़ुरआन और फ़रिश्तों का मुंकिर हो। अता (रह.) फ़र्माते हैं कुफ़्र कुफ़्र से कम है इसी तरह ज़ुल्म व फ़िस्क़ के भी अदना आला दर्जे हैं। (तब्री : 4/595, (6/116; वसनदुहू सहीह) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीहा तहत रक़म : 2552) इस कुफ़्र से वह मिल्लते इस्लाम से फिर जाने वाला नहीं हो जाता। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं इससे मुराद वह कुफ़्र नहीं जिसकी तरफ़ तुम जा रहे हो। (हाकिम : 2/313)

***

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

तर्जुमा : ''हमने यहूदियों के ज़िम्मे तौरात में यह बात मुक़र्रर कर दी थी कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दाँत के बदले दाँत और ख़ास ज़ख़्मों का भी बदला है, फिर जो शख़्स उसको मुआफ़ कर दे तो उसके लिए कफ़्फ़ारा है। और जो शख़्स अल्लाह के नाज़िल किए हुए के मुताबिक़ हुक्म न करे वही लोग ज़ालिम हैं।'' (45)

क़िसास और दियत में बराबरी का हुक्म और मुआफ़ करने की तर्ग़ीब (आयत 45) : यहूदियों को सरज़निश की जा रही है कि उनकी किताब में साफ़ लफ़्ज़ों में जो हुक्म था यह खुल्लम खुल्ला उसका भी

ख़िलाफ़ कर रहे हैं और सरकशी और बेपरवाही से उसे भी छोड़ रहे हैं। नज़री यहूदियों को तो क़र्ज़ी यहूदियों के बदले क़त्ल करते हैं लेकिन क़ुरैज़ा के यहूद को बनू नज़ीर के यहूद के बदले क़त्ल नहीं करते, बल्कि दियत लेकर छोड़ देते हैं, इसी तरह उन्होंने शादीशुदा ज़ानी की संगसारी के हुक्म को बदल दिया है और सिर्फ़ चेहरा काला करके रुस्वा करके मार पीटकर छोड़ देते हैं, इसलिए तो वहाँ उन्हें काफ़िर कहा, यहाँ इंसाफ़ न करने की वजह से उन्हें ज़ालिम कहा। एक हदीस में हुज़ूर (ﷺ) का (वल अैनु) पढ़ना भी मरवी है। (अबूदाऊद, किताबुल हुरूफ़ वल क़िराअत : 3976; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; इब्ने शिहाब ज़ोहरी के सिमाअ की तस्रीह नहीं। तिर्मिज़ी : 2929; अहमद : 3/215; मुस्नद अबू यअ़ला : 3566; हाकिम : 2/236) उ़लमा-ए-किराम का क़ौल है कि अगली शरीअ़त जो हमारे सामने बतौर तक़रीर के बयान की जाए और मंसूख़ न हो जाए तो वह हमारे लिए भी शरीअ़त है जैसे कि यह अह़काम सबके सब हमारी शरीअ़त में भी इसी तरह हैं। इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं इस मसला में तीन मस्लक हैं, एक तो वही जो बयान हुआ, एक उसके बिलकुल बरख़िलाफ़, एक यह कि इब्राहीमी शरीअ़त सिर्फ़ जारी और बाक़ी है और कोई नहीं। इस आयत के उ़मूम से यह भी इस्तिदलाल किया गया है कि मर्द को औरत के बदले भी क़त्ल किया जाएगा क्योंकि यहाँ लफ़्ज़ नफ़्स है जो मर्द औरत दोनों को शामिल है चुनाँचे हदीस शरीफ़ में भी है कि मर्द को औरत के ख़ून के बदले क़त्ल किया जाएगा। (नसाई, किताबुल क़सामा, बाब ज़िक्रू हदीसे अ़म्र बिन हज़्म फ़िल उक़ूल व इख़्तिलाफ़िन्नाक़िलीन लहू : 4857; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; सुलेमान बिन अरक़म ज़ईफ़ रावी है। हाकिम : 1/395; इब्ने हिब्बान : 6559; बैहक़ी : 1/77) और हदीस में है "मुसलमानों के ख़ून आपस में मसावी हैं।" (अबूदाऊद, किताबुल जिहाद, बाब फ़िस्सरिया तुरद्दु अ़ला अहलिल अ़स्कर : 2751; वहुव हसन; इब्ने माजा : 2685; अहमद : 2/191; बैहक़ी : 8/29; इब्नुल जारूद : 1073; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 2208) कुछ बुज़ुर्गों से मरवी है कि मर्द जब किसी औरत को क़त्ल कर दे तो उसके बदले क़त्ल न किया जाएगा। बल्कि सिर्फ़ दियत ली जाएगी, लेकिन यह क़ौल जुम्हूर उ़लमा के ख़िलाफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) तो फ़र्माते हैं कि ज़िम्मी काफ़िर के क़त्ल के बदले भी मुसलमान क़त्ल कर दिया जाएगा, और ग़ुलाम के क़त्ल के बदले आज़ाद भी क़त्ल कर दिया जाएगा, लेकिन यह मज़हब जुम्हूर के ख़िलाफ़ है। बुख़ारी व मुस्लिम में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाएगा।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुद्दियात, बाब ला युक़्तलुल मुस्लिम बिकाफ़िर : 6915; अबूदाऊद : 4506; इब्ने अबी शैबा : 9/294; तिर्मिज़ी : 1413; इब्ने माजा : 2659; अहमद : 2/178) और सल्फ़ के बहुत से आसार इस बारे में मौजूद हैं कि वह ग़ुलाम का क़िसास आज़ाद से नहीं लेते थे, और आज़ाद ग़ुलाम के बदले क़त्ल न किया जाएगा। हदीसें भी इस बारे में मरवी हैं लेकिन सेह़त को नहीं पहुँचीं। इमाम शाफ़ेई (रह.) तो फ़र्माते हैं इस मसला में इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के ख़िलाफ़ इज्माअ़ है, लेकिन इन बातों से इस क़ौल का बुत्लान लाज़िम नहीं आता, उस वक़्त तक कि कोई आयत के उ़मूम को ख़ास करने वाली कोई ज़बरदस्त साफ़ और साबित दलील न हो।

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हज़रत अनस बिन नज़र (रज़ि.) की फूफी रबीअ़ ने एक लौण्डी के दाँत

तोड़ दिए, अब लोगों ने इससे मुआफ़ी चाही लेकिन वह न मानी। हुज़ूर (ﷺ) के पास मामला आया, आप (ﷺ) ने बदला का हुक्म दे दिया। इस पर हज़रत अनस बिन नज़र (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या इसके सामने के दाँत तोड़े जाएँगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! ऐ अनस! रब की किताब में क़िसास का हुक्म मौजूद है।" यह सुनकर फ़र्माया, नहीं नहीं! या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम उस अल्लाह की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है उसके दाँत हर्गिज़ न तोड़े जाएँगे। चुनाँचे यही हुआ भी कि वह लोग रज़ामन्द हो गए और क़िसास छोड़ दिया बल्कि मुआफ़ कर दिया। उस वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "कुछ बंदगाने अल्लाह ऐसे भी हैं कि अगर वह अल्लाह पर कोई क़सम खा लें तो अल्लाह तआला उसे पूरी ही कर दे।" दूसरी रिवायत में है कि पहले उन्होंने न मुआफ़ी दी न दियत लेनी मंज़ूर की। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सुलह बाब अस्सुलह फ़िदियत : 2703; सहीह मुस्लिम : 1675; अबूदाऊद : 4595; इब्ने माजा : 2649; अहमद : 3/128; इब्ने हिब्बान : 6491; बैहक़ी : 8/64) नसाई वग़ैरह में है कि एक ग़रीब जमाअत के गुलाम ने किसी मालदार जमाअत के गुलाम के कान काट दिए, उन लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से आकर अर्ज़ किया कि हम लोग फ़क़ीर मिस्कीन हैं, माल हमारे पास नहीं, तो हुज़ूर (ﷺ) ने उन पर कोई जुर्माना नहीं किया। (अबूदाऊद, किताबुद्दियात, बाब जनाबतुल अब्दे यकूनु लिल फुक़रा : 4590; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; क़तादा मुदल्लस है और सिमाअ की सराहत नहीं है। नसाई : 4755) हो सकता है कि यह गुलाम बालिग़ न हो और हो सकता है कि आप (ﷺ) ने दियत अपने पास से दे दी हो और यह भी हो सकता है उनसे सिफ़ारिश करके मुआफ़ करा लिया हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जान जान के बदले मारी जाएगी, आँख फोड़ देने वाले की आँख फोड़ी जाएगी, नाक काटने वाले की नाक काटी जाएगी, दाँत तोड़ने वाले के दाँत तोड़े जाएँगे और ज़ख़्म का भी बदला लिया जाएगा। (तब्री : 10/360) इसमें आज़ाद मुसलमान सबके बराबर हैं मर्द औरत एक ही हुक्म में हैं जबकि यह काम क़सदन किए गए हों। इसमें गुलाम भी आपस में बराबर हैं। उनके मर्द भी और औरतें भी। **क़ायदाः-** हिस्सों का कटना कभी तो जोड़ से होता है, उसमें तो क़िसास वाजिब है जैसे हाथ पैर क़दम हथेली वग़ैरह लेकिन जो ज़ख़्म जोड़ पर न हो बल्कि हड्डी पर आए हों उनकी बाबत हज़रत इमाम मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि उनमे भी क़िसास है मगर रान में और उस जैसे हिस्सों में इसलिए कि वह ख़ौफ़ व ख़तरे की जगह है। इनके बरख़िलाफ़ हज़रत अबू हनीफ़ा (रह.) और इनके दोनों साथियों का मज़हब है कि किसी हड्डी में क़िसास नहीं, सिवाय दाँत के और इमाम शाफ़ई (रह.) के नज़दीक मुत्लक़ किसी हड्डी का क़िसास नहीं। यही हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से भी मरवी है और अता, शअबी, हसन बसरी, ज़ोहरी, इब्राहीम नख़ई, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) भी यही कहते हैं और इसी तरफ़ गए हैं। सुफ़ियान सौरी (रह.) और लैस बिन सअद भी और इमाम अहमद (रह.) से भी यही क़ौल ज़्यादा मशहूर है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) की दलील वही हज़रत अनस (रज़ि.) वाली रिवायत है जिसमें रबीअ से दाँत का क़िसास दिलवाने का हुक्म हाज़िर है लेकिन दरअसल उस रिवायत से यह मज़हब साबित नहीं होता क्योंकि उसमें यह अल्फ़ाज़ हैं कि उसके सामने के दाँत उसने तोड़ दिए थे और हो सकता है कि बग़ैर टूटने के झड़ गए हों। इस हालत में क़िसास इज्माअ से वाजिब है। इनकी दलील का पूरा हिस्सा वह है जो इब्ने माजा में है कि एक शख़्स

ने दूसरे के बाज़ू को कोहनी से नीचे एक तलवार मार दी जिससे उसकी कलाई कट गई, हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास मुक़द्दमा आया, आप (ﷺ) ने हुक्म दिया "दियत अदा करो" उसने कहा, मैं क़िसास चाहता हूँ, आपने फ़र्माया, "उसी को ले ले, अल्लाह तआला तुझे उसी में बरकत देगा" और आपने क़िसास को नहीं फ़र्माया। (इब्ने माजा, किताबुद्दियात, बाब मा ला क़ौदु फ़ीही : 2636; वसनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन; बैहक़ी : 8/65; इस रिवायत में दहसम बिन क़िरान मतरूक और नमरान बिन जारिया मज्हूल रावी हैं। (अत्तक़रीब : 1/236; रक़म : 61; 2/207; रक़म : 147) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 2235) लेकिन यह हदीस बिलकुल ज़ईफ़ और गिरी हुई है उसके एक रावी ज़हशम बिन क़िरान उ़कली आ़राबी ज़ईफ़ हैं , इनकी हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ी जाती, दूसरे रावी नम्रान बिन जारिया आ़राबी भी ज़ईफ़ हैं, फिर वह कहते हैं कि ज़ख़्मों का क़िसास उनके दुरुस्त हो जाने और भर जाने से पहले लेना जाइज़ नहीं, और अगर पहले ले लिया गया फिर ज़ख़्म बढ़ गया तो कोई बदला न दिलवाया जाएगा। इसकी दलील मुस्नद अहमद की यह हदीस है कि एक शख़्स ने दूसरे के घुटने में चोट मारी, वह हुज़ूर (ﷺ) के पास आया और कहा, मुझे बदला दिलवाइए, आप (ﷺ) ने दिलवा दिया। उसके बाद फिर वह आया, कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो लंगड़ा हो गया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैंने तो मना किया था, लेकिन तू न माना, अब तेरे इस लंगड़ेपन का कुछ बदला नहीं।" फिर हुज़ूर (ﷺ) ने ज़ख़्मों के भर जाने से पहले बदला लेने को मना फ़र्मा दिया। (अहमद : 2/217; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 6/295; इस रिवायत में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी है जिसके सिमाअ़ की सराहत नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।)

मसला : अगर किसी ने दूसरे को ज़ख़्मी किया और बदला उससे लिया गया, उसमें मर गया तो उस पर कुछ नहीं। इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद (रह.) और जुम्हूर सहाबा (रज़ि.) व ताबेईन (रह.) का यही क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल है कि उस पर दियत वाजिब है उसी के माल में से। कुछ और बुज़ुर्ग फ़र्माते हैं उसके माँ बाप की तरफ़ के रिश्तेदारों के माल पर वह वाजिब है, कुछ और हज़रात कहते हैं बक़द्र उसके बदले तो साक़ित है बाक़ी उसी के माल में से वाजिब है।

फिर फ़र्माता है जो शख़्स क़िसास से दरगुज़र कर दे और बतौर सदक़ा के अपने बदले को माफ़ कर दे तो ज़ख़्मी करने वाले का कफ़्फ़ारा हो गया और जो ज़ख़्मी हुआ है उसे सवाब मिलेगा। जो अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। कुछ ने यह भी कहा है कि वह कफ़्फ़ारा है ज़ख़्मी के लिए यानी उसके गुनाह उसी ज़ख़्म की मिक़्दार से अल्लाह तआला बख़्श देता है। एक मरफ़ूअ़ हदीस में यह आया है, "अगर चौथाई दियत के बराबर की चीज़ है और उसने दरगुज़र कर लिया तो उसके चौथाई गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सुलुस है तो तिहाई गुनाह, आधी है तो आधे गुनाह, और पूरी है तो पूरे गुनाह।" एक क़ुरैशी ने एक अंसारी को ज़ोर से धक्का दे दिया जिससे उसके आगे के दाँत टूट गए। हज़रत मुआविया (रज़ि.) के पास मुक़द्दमा गया और जब वह बहुत सर हो गया तो आपने फ़र्माया, अच्छा! जा तुझे इख़्तियार है। हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) वहीं थे, फ़र्माने लगे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है "जिस मुसलमान के जिस्म को कोई ईज़ा पहुँचाई जाए और वह सब्र कर ले, बदला न ले तो अल्लाह तआला उसके दर्जे बढ़ाता है और उसकी ख़ताएँ मुआफ़ फ़र्माता है" उस अंसारी ने

यह सुनकर कहा, क्या सचमुच आपने ख़ुद ही इसे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ज़ुबानी सुना है, आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरे इन कानों ने सुना है और मेरे दिल ने याद किया है, उसने कहा, फिर गवाह रहो कि मैंने अपने मुज्रिम को मुआफ़ कर दिया। हज़रत मुआविया (रज़ि.) यह सुनकर बहुत ख़ुश हुए और उसे इन्आम दिया। (तिर्मिज़ी, किताबुद्दियात, बाब मा जाअ फ़िल अफ़ू : 1393; इब्ने माजा : 2693; वसनदुहू ज़ईफ़; अबुस्सफ़र का हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) से सिमाअ साबित नहीं और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 4482) (इब्ने जरीर) तिर्मिज़ी में भी यह रिवायत है लेकिन बक़ौल इमाम तिर्मिज़ी (रह.) यह ग़रीब है। अबू सफ़र रावी का अबू दर्दा से सुनना साबित नहीं, और रिवायत में है कि तीन गुनी दियत वह देना चाहता था लेकिन यह राज़ी नहीं होता था, इसमें हदीस के अल्फ़ाज़ यह हैं ''जो शख़्स ख़ून या उससे कम मुआफ़ कर दे वह उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक का कफ़्फ़ारा है।'' (इस रिवायत में इमरान बिन ज़ुबियान मज्रूह रावी है। (अत्तारीख़ुल कबीर : 6/424; रक़म : 2862) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) मुस्नद अहमद में है ''जिस शख़्स के जिस्म पर कोई ज़ख़्म लगे और वह मुआफ़ कर दे तो अल्लाह तआला उसके उतने ही गुनाह मुआफ़ फ़र्माता है।'' (मुस्नद अहमद : 5/316, 412; वसनदुहू ज़ईफ़ुन) अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ हुक्म न करने वाले ज़ालिम हैं। पहले गुज़र चुका है कि कुफ़्र कुफ़्र से कम है, ज़ुल्म में भी तफ़ावुत है और फ़िस्क़ में भी दर्जे हैं।

***

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

तर्जुमा : ''और हमने ईसा बिन मरयम (عليه السلام) को भेजा जो अपने से आगे की किताब यानी तौरात की तस्दीक़ करने वाले थे। और हमने उन्हें इंजील अता फ़र्माई जिसमें हिदायत थी और नूर, और अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक़ करती थी, और वह सरासर हिदायत व नसीहत थी पारसा लोगों के लिए। (46) इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह तआला ने जो कुछ इंजील में नाज़िल फ़र्माया है उसी के मुताबिक़ हुक्म करें। जो अल्लाह तआला के नाज़िलकर्दा से ही हुक्म न करें वह बदकार फ़ासिक़ हैं।'' (47)

इंजील की चंद एक ख़ुसूसियात (आयत 46, 47) : अम्बिय-ए-बनी इस्राईल के पीछे हम ईसा (عليه السلام) नबी को लाए जो तौरात पर ईमान रखते थे, उसके अह़काम के मुताबिक़ लोगों में फ़ैसले करते थे, हमने उन्हें भी अपनी किताब इंजील दी जिसमें ह़क़ की हिदायत थी और शुब्हात और मुश्किलात की तौज़ीह़ थी और अगली किताबों की मुवाफ़िक़त थी, हाँ! चंद मसाइल जिनमें यहूदी मुख़्तलिफ़ थे उनके साफ़ फ़ैसले उसमें मौजूद थे। जैसे कुरआन में और जगह है कि ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) ने फ़र्माया, ''मैं तुम्हारे लिए कुछ वह चीज़ें ह़लाल करूँगा जो तुम पर ह़राम कर दी गई हैं।'' इसीलिए उ़लमा का मशहूर मक़ौला है कि इंजील ने तौरात के कुछ अह़काम मंसूख़ कर दिए हैं इंजील से पारसा लोगों की रहनुमाई और वाज़ व पंद होती थी कि वह नेकी की त़रफ़ रग़बत करें और बुराई से बचें। (अहलल इंजील) भी पढ़ा गया है इस सूरत में (वल्यहकुम) में लाम (कै) के मानी में होगा। मत़लब यह होगा कि हमने ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) को इंजील इसलिए दी थी कि वह अपने ज़माने के अपने मानने वालों को उसी के मुताबिक़ चलाएँ और अगर उस लाम को अम्र का लाम समझा जाए। और मशहूर क़िराअत (वल्यहकुम) पढ़ी जाए तो मानी यह होंगे कि उन्हें चाहिए कि इंजील के कुल अह़काम पर ईमान लाएँ और उसी के मुताबिक़ हुक्म करें। जैसे और आयत में है (قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ) यानी ''ऐ अहले किताब! जब तक तुम तौरात व इंजील पर और जो कुछ अल्लाह की त़रफ़ से उतरा है उस पर क़ायम न हो तो तुम किसी चीज़ पर नहीं हो'' और आयत में है (اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ) (7/आराफ़ : 157) ''जो लोग उस रसूल नबी उम्मी (ﷺ) की ताबेदारी करते हैं जिसकी सिफ़त अपने यहाँ तौरात में लिखी हुई पाते हैं।'' वह लोग जो किताबुल्लाह और अपने नबी के फ़र्मान के मुताबिक़ हुक्म न करें वह इत़ाअ़ते अल्लाह तआ़ला से ख़ारिज, ह़क़ के तारिक (छोड़ने वाला) और बात़िल के आ़मिल हैं। यह आयत नस़रानियों के ह़क़ में है। रविशे आयत से भी यह ज़ाहिर है और पहले बयान भी गुज़र चुका है।

***

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۭ لِكُلٍّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۭ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝۴۸ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۭ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

तर्जुमा : "हमने तेरी तरफ़ हक़ के साथ यह किताब नाज़िल फ़र्माई है जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक़ करने वाली है और उनकी मुहाफ़िज़ है सो तू इनके आपस के मामलात में उसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ हुक्म कर। इस हक़ से हटकर उनकी ख़्वाहिशों के पीछे न लग। तुममें से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुक़र्रर कर दी है। अगर मंज़ूरे इलाही होता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता लेकिन उसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है उसमें तुम्हें आज़माए, तुम नेकियों की तरफ़ जल्दी करो, तुम सबका रुजूअ अल्लाह ही की तरफ़ है फिर वह तुम्हें हर वह चीज़ जता देगा जिसमें तुम इख़्तिलाफ़ करते रहते थे। (48) तू इनके बाहमी मामलात में अल्लाह की नाज़िलकर्दा वही के मुताबिक़ ही हुक्म किया करो। इनकी ख़्वाहिशों की ताबेदारी न कीजिए, इनसे होशियार रह कि कहीं यह तुझे अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर न कर दें। अगर यह लोग चेहरा फेर लें तो यक़ीन कर ले कि अल्लाह का इरादा यही है कि इन्हें इनके कुछ गुनाहों की सज़ा दे ही ले। अक्सर लोग बेहुक्म ही होते हैं। (49) क्या यह लोग फिर से जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? यक़ीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह तआला से बेहतर फ़ैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है?" (50)

क़ुरआन के नाज़िल होने के बाद तमाम शरीअतें मंसूख़ हो चुकी हैं (आयत 48-50) : तौरात व इंजील की सना व सिफ़त और तारीफ़ व मदह के बाद अब क़ुरआने अज़ीम की बुज़ुर्गी बयान हो रही है कि हमने इसे हक़ व सदाक़त के साथ नाज़िल किया है, यह बिल यक़ीन रब्बे वाहिद की तरफ़ से है और उसी का कलाम है, यह तमाम अल्लाह की अगली किताबों को सच्चा मानता है और उन किताबों में भी इसकी सिफ़त व सना मौजूद है और यह भी बयान उनमें है कि यह पाक और आख़िरी किताब आख़िरी और अफ़ज़ल रसूल (ﷺ) पर उतरेगी, पस हर दाना शख़्स इस पर यक़ीन रखता है और इसे मानता है, जैसे क़ुरआन में है (اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ) (17/इस्रा : 107) "जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया था जब उनके सामने इसकी तिलावत की जाती है तो वह ठोड़ियों के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और ज़बानी इक़रार करते हैं कि हमारे रब का वादा सच्चा है" और वह सच्चा साबित हो चुका है उसने अगले रसूलों की ज़ुबानी जो ख़बर दी थी वह पूरी हुई और आख़िरी रसूल रसूलों के सरताज रसूल आ ही गये। और यह किताब इनकी अगली किताबों की अमीन है यानी इसमें जो है वही अगली किताबों में था। अब इसके ख़िलाफ़ कोई कहे कि फ़लाँ अगली किताब में यूँ है तो यह ग़लत है। यह उनकी सच्ची गवाह और उन्हें घेर लेने वाली और समेट लेने वाली है जो जो

अच्छाईयाँ पहले की तमाम किताबों में मिलकर थीं, वह सब इस आख़िरी किताब में यकजा मौजूद हैं इसीलिए यह सब पर हाकिम और सब पर मुक़द्दम है और इसकी हिफ़ाज़त का कफ़ील ख़ुद अल्लाह तआला है। जैसाकि फ़र्माया (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (15/हिज्र : 9) कुछ ने कहा, मुराद इससे यह है कि हुज़ूर (ﷺ) अमीन हैं इस किताब पर। वाक़ेअ में तो यह क़ौल बहुत सहीह है लेकिन इस आयत की तफ़्सीर यह करनी ठीक नहीं, बल्कि अरबियत के ऐतिबार से भी यह ग़ौरतलब अम्र है। सहीह तफ़्सीर पहली ही है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) ने भी हज़रत मुजाहिद (रह.) से इस क़ौल को नक़्ल करके फ़र्माया है यह बहुत दूर की बात है बल्कि ठीक नहीं है इसलिए (मुहैमिना) का अत्फ़ मुसद्दिक़ पर है पस यह भी इसी चीज़ की सिफ़त है जिसकी सिफ़त मुसद्दिक़ का लफ़्ज़ था। अगर हज़रत मुजाहिद (रह.) के मानी सहीह मान लिए जाएँ तो इबारत बग़ैर अत्फ़ के होनी चाहिए थी।

पस ऐ नबी (ﷺ)! आप इन सब में अल्लाह की इस किताब के अहकाम फैलाईए ख़्वाह अरब हों ख़्वाह अजम हों, ख़्वाह लिखे पढ़े हैं, ख़्वाह अनपढ़ हों। अल्लाह के नाज़िलकर्दा से मुराद अल्लाह की वही है ख़्वाह वह इस किताब की सूरत में हो, ख़्वाह जो अगले अहकाम अल्लाह ने आप (ﷺ) के लिए मुक़र्रर कर रखे हों। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं इस आयत से पहले तो आपको आज़ादी दी गई थी अगर चाहें इनमें फ़ैसले करें, चाहें न करें लेकिन इस आयत ने हुक्म दिया कि वही इलाही के साथ इनमें फ़ैसले करने ज़रूरी है। (तब्री : 10/332; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अहकम बिन ज़ुतैबा अन्अन; यह रिवायत मौक़ूफ़ है।) इन बदनसीब जाहिलों ने अपनी तरफ़ से अहकाम गढ़ लिए हैं और इनकी वजह से किताबुल्लाह को पसे पुश्त डाल दिया है। "ख़बरदार! ऐ नबी (ﷺ)! तुम इनकी चाहतों के पीछे लगकर हक़ को न छोड़ देना। इनमें से हर एक के लिए हमने रास्ता और तरीक़ा बना दिया है।" किसी चीज़ की तरफ़ इब्तिदा करने को शरअ कहते हैं, मिन्हाज लुग़त में कहते हैं, वाज़ेह और आसान रास्ते को, पस इन दोनों लफ़्ज़ों की यही तफ़्सीर ज़्यादा मुनासिब है अगली तमाम शरीअतें जो अल्लाह तआला की तरफ़ से थीं, वह सब तौहीद पर तो मुत्तफ़िक़ थीं अल्बत्ता छोटे मोटे अहकाम में क़द्रे हेर फेर था, जैसे हदीस शरीफ़ है "हम सब अम्बिया अल्लाती भाई हैं हम सबका दीन एक है।" (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वज़्कुर फ़िल किताबि मरयम ... : 3443) सहीह मुस्लिम : 3265; अहमद : 2/319; इब्ने हिब्बान : 6194) हर नबी तौहीद के साथ भेजा जाता रहा और हर आसमानी किताब में तौहीद का बयान है, उसका सबूत और उसी की तरफ़ दावत होती रही। जैसे क़ुरआन फ़र्माता है "तुझसे पहले जितने भी रसूल हमने भेजे हैं उन सबकी तरफ़ यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूदे हक़ीक़ी नहीं, तुम सब सिर्फ़ मेरी ही इबादत करते रहो।" और आयत में है (وَلَقَدْ بَعَثْنَا) (16/नह्ल : 36) 'हमने हर उम्मत को बज़ुबाने रसूल (ﷺ) कहलवा दिया कि अल्लाह तआला की इबादत करो और उसके सिवा दूसरों की इबादत से बचो।" हाँ! अहकाम का इख़्तिलाफ़ ज़रूर रहा। कोई चीज़ किसी ज़माने में हराम थी, फिर हलाल हो गई या उसके बरअक्स, या किसी हुक्म में तख़फ़ीफ़ थी, अब ताकीद हो गई या उसके ख़िलाफ़ और यह भी हिक्मत और मस्लिहत और हुज्जते रब्बानी के साथ पस तौरात मस्लन एक शरीअत है, इंजील एक शरीअत है, और क़ुरआन एक मुस्तक़िल शरीअत है ताकि हर ज़माने के फ़र्मांबरदारों

और नाफ़र्मानों का इम्तिहान हो जाया करे, अल्बत्ता तौहीद सब ज़मानों में बराबर रही। और मानी इस जुम्ला के यह हैं कि ऐ उम्मते मुहम्मदिया! तुममें से हर शख़्स के लिए हमने अपनी इस किताब क़ुरआने करीम को शरीअत और तरीक़ा बनाया है तुम सबको इसकी इक़्तिदा और ताबेदारी करनी चाहिए। इस सूरत में (जअल्ना) के बाद ज़मीर हू की महज़ूफ़ माननी पड़ेगी। पस बेहतरीन मक़ासिद हासिल करने का ज़रिया और तरीक़ा सिर्फ़ क़ुरआने करीम ही है और बस। लेकिन सहीह क़ौल पहला ही है और इसकी एक दलील यह भी है कि इसके बाद ही फ़र्मान हुआ है ''अगर अल्लाह तआला चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत कर देता।'' पस मालूम हुआ कि अगला ख़िताब सिर्फ़ इस उम्मत से ही नहीं बल्कि सब उम्मतों से है और इसमें अल्लाह तआला की बहुत बड़ी और कामिल क़ुदरत का बयान है कि अगर वह चाहता तो सब लोगों को एक ही शरीअत और दीन पर कर देता कोई तब्दीली किसी वक़्त न होती, लेकिन रब की हिक्मते कामिला का तक़ाज़ा यह हुआ कि अलग अलग शरीअतें मुक़र्रर करे एक के बाद दूसरा नबी भेजे और कुछ अहकाम अगले नबी के पिछले नबी से बदलवा दे यहाँ तक कि तमाम अगले दीन हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नबुव्वत से मंसूख़ हो गए और आप (ﷺ) तमाम रूए ज़मीन की तरफ़ भेजे गए और ख़ातिमुल अम्बिया बनाकर भेजे गए। यह मुख़्तलिफ़ शरीअतें सिर्फ़ तुम्हारी आज़माइश के लिए हुईं ताकि ताबेदारों को जज़ा और नाफ़र्मानों को सज़ा मिले। यह भी कहा गया है कि वह तुम्हें आज़माए उस चीज़ में जो तुम्हें दी गई है यानी किताब। पस तुम्हें ख़ैरात और नेकियों की तरफ़ सब्क़त और दौड़ करनी चाहिए। अल्लाह तआला की इताअत उसकी शरीअत की फ़र्मांबरदारी की तरफ़ आगे बढ़ना चाहिए और इस आख़िरी शरीअत और आख़िरी किताब और आख़िरी पैग़म्बर (ﷺ) की दिलो जान के साथ हुक्म बरदारी करनी चाहिए। लोगों! तुम सबका मरजअ व मावा और लौटना फिरना अल्लाह तआला ही की तरफ़ है, वहाँ वह तुम्हें तुम्हारे इख़्तिलाफ़ की असलियत बता देगा, सच्चों को उनकी सच्चाई का अच्छा फल देगा और बुरों को उनकी तक्ज़ीब, सरकशी और ख़्वाहिशे नफ़्स की पैरवी करने की सज़ा देगा।

हक़ को मानना तो एक तरफ़ वह तो हक़ से चिढ़ते हैं और मुक़ाबला करते हैं। ज़ह्हाक (रह.) कहते हैं मुराद उम्मते मुहम्मदिया (ﷺ) है मगर पहला ही ठीक है। फिर पहली बात की और ताकीद हो रही है और इसके ख़िलाफ़ से रोका जाता है और फ़र्माया जाता है कि देखो! कहीं इन ख़ाइन, मक्कार, कज़्ज़ाब और कुफ़्फ़ार, यहूदियों की बातों में आकर किसी अल्लाह के हुक्म से इधर उधर न हो जाना। अगर वह तेरे अहकाम से रूगर्दानी करें और शरीअत के ख़िलाफ़ करें तो तू समझ ले कि इनकी स्याहकारियों की वजह से अल्लाह का कोई अज़ाब इन पर आने वाला है, इसीलिए भलाई की तौफ़ीक़ इनसे छीन ली गई है। अक्सर लोग फ़ासिक़ हैं यानी इताअते हक़ से ख़ारिज, दीने अल्लाह के मुख़ालिफ़ और हिदायत से दूर हैं। जैसे फ़र्माया (وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ) (12/यूसुफ़ : 103) यानी ''भले तू हिर्स करके चाहे लेकिन अक्सर लोग मोमिन होने के नहीं हैं।'' और फ़र्माया (وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) (6/अन्आम : 117) ''अगर तू ज़मीन वालों की अक्सरियत की मानेगा तो वह तुझे भी राहे अल्लाह से बहका देंगे।'' यहूदियों के चंद बड़े बड़े रईसों और आलिमों ने आपस में एक मीटिंग करके हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत

में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि आप जानते हैं अगर हम आपको मान लें तो तमाम यहूद आपकी नबुव्वत का इक़रार कर लेंगे और हम आपको मानने के लिए तैयार हैं, आप सिर्फ़ इतना कीजिए कि हममें और हमारी क़ौम में एक झगड़ा है उसका फ़ैसला हमारे मुताबिक़ कर दीजिए। आप (ﷺ) ने इंकार कर दिया और उसी पर यह आयतें उतरीं। (तब्री : 10/393; दलाइलुन्नबुव्वा : 2/536; इस रिवायत में मुहम्मद बिन अबी मुहम्मद मज्हूल रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन लि इब्निल जौज़ी : 3/96) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इसके बाद जनाब बारी तआला उन लोगों पर इंकार कर रहा है जो अल्लाह के हुक्म से हट जाएँ जिसमें तमाम भलाईयाँ मौजूद हैं और तमाम बुराईयाँ दूर हैं ऐसे पाक हुक्म से हटकर राय क़यास की तरफ़ ख़्वाहिशे नफ़्सानी की तरफ़ और उन अहकाम की तरफ़ झुके जो लोगों ने अज़्ख़ुद (खुद से) अपनी तरफ़ से बग़ैर दलीले शरई के गढ़ लिए हैं जैसे कि अहले जाहिलियत व ज़लालत अपनी राय से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हुक्म अहकाम जारी कर लिया करते थे और जैसे कि तातारी मुल्की मामलात में चंगेज़ख़ानी अहकाम की पैरवी करते थे जिन्हें इल्यासिक़ ने गढ़ लिया था। वह बहुत से मज्मूई अहकाम के दफ़ातिर थे जो मुख़्तलिफ़ शरीअतों और मज़हबों से छांटे गए थे। यहूदियत, नस्रानियत, और इस्लामियत वग़ैरह सबके अहकाम का वह मज्मूआ था और फिर इसमें बहुत से अहकाम वह भी थे जो सिर्फ़ अपनी राय क़यास और अक़्ल और दिक्कते नज़र से ईजाद किए गए थे जिनमें अपनी ख़्वाहिश की मिलौनी भी थी बस वही मज्मूअे उनकी औलाद में क़ाबिले अमल ठहर गए। और उसी को किताबो सुन्नत पर फ़ौक़ियत और तक़्दीम दे ली। दरहक़ीक़त ऐसा करने वाले काफ़िर हैं और उनसे जिहाद वाजिब है यहाँ तक कि वह लौटकर अल्लाह तआला और उसके रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म की तरफ़ आ जाएँ और किसी छोटे या बड़े अहम या मामूली मामले में सिवाए किताबो सुन्नत के कोई हुक्म किसी का न लें। अल्लाह तआला फ़र्माता है क्या यह जाहिलियत के अहकाम का इरादा करते हैं और अल्लाह के हुक्म से सिरक रहे हैं? यक़ीन वालों के लिए अल्लाह तआला से बेहतर हुक्मरान और कार फ़र्मान कौन होगा अल्लाह से ज़्यादा अद्लो इंसाफ़ वाले अहकाम किसके होंगे? ईमानदार और यक़ीने कामिल वाले बख़ुबी जानते और मानते हैं कि उस अहकमुल हाकिमीन और अरहमुर्राहिमीन से ज़्यादा अच्छे साफ़ सहल और उम्दा अहकाम व क़वाइद और मसाइल व ज़वाबित किसी के भी नहीं हो सकते। वह अपनी मख़्लूक़ पर उससे भी ज़्यादा मेहरबान है जितना माँ अपनी औलाद पर होती है वह पूरे और पुख़्ता इल्म वाला और कामिल और अज़ीमुश्शान क़ुदरत वाला और अद्लो इंसाफ़ वाला है। हज़रत हसन (रह.) फ़र्माते हैं अल्लाह तआला के फ़ैसले के बग़ैर जो फ़त्वा दे उसका फ़त्वा जाहिलियत का हुक्म है। एक शख़्स ने हज़रत ताउस (रह.) से पूछा कि क्या मैं अपनी औलाद में से एक को ज़्यादा और एक को कम दे सकता हूँ? तो आपने यही आयत पढ़ी। तबरानी में है रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, "सबसे बड़ा अल्लाह का दुश्मन वह है जो इस्लाम में जाहिलियत का तरीक़ा और चाल तलाश करे और बेवजह किसी की गर्दन मारने के दर पे हो जाए।" यह हदीस बुख़ारी में भी क़द्रे ज़्यादती के साथ है। (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दियात, बाब मन तलब दम इम्रइन बिग़ैरि हक़ : 6882; तबरानी : 10749)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى
الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا
دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا فِىْۤ
اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ
اَيْمَانِهِمْ ۙ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۵۳﴾

तर्जुमा : ''ऐ ईमान वालों! तुम यहूदो नसारा को दोस्त न बनाओ, यह तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुममें से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वह इन ही में से है। ज़ालिमों को अल्लाह तआला हर्गिज़ राहे रास्त नहीं दिखाता। (51) तू देखेगा जिनके दिल में बीमारी है वह दौड़ दौड़कर उनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें ख़तरा है ऐसा न हो कि कोई हादसा हम पर पड़ जाए। बहुत मुम्किन है कि अल्लाह तआला फ़तह दे दे या अपने पास से कोई और चीज़ लाए फिर तो यह अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर बेतरह नादिम होने लगेंगे। (52) और ईमान वाले कहने लगेंगे, क्या यही वह लोग हैं जो बड़े मुबालिग़ा से अल्लाह की क़समें खा खाकर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं इनके आमाल ग़ारत हुए और यह नाकाम हो गए।'' (53)

दुश्मनाने इस्लाम से दोस्ती रखने की मुमानिअत (आयत 51-53) : दुश्मनाने इस्लाम यहूदो नसारा से दोस्तियाँ करने की अल्लाह तबारक व तआला मुमानिअत फ़र्मा रहा है और फ़र्माता है कि वह तुम्हारे दोस्त हर्गिज़ नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे दीन से उन्हें बुग़ज़ो अदावत है, हाँ! अपने दीन वालों से उनकी दोस्तियाँ और मुहब्बतें हैं। मेरे नज़दीक जो भी उनसे दिली मुहब्बत रखे वह उन ही में से है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) को इस बात पर पूरी तम्बीह की और यह आयत पढ़कर सुनाई। (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/100; इब्ने अबी हातिम; यह रिवायत मुहम्मद बिन सईद बिन साबिक़ की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी : 10/127; में इसका हसन शाहिद है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से अरब नसरानियों के ज़बीहे का मसला पूछा जाता है तो आप यही आयत तिलावत कर देते हैं। जिनके दिलों में खोट है वह तो लपक लपककर पोशीदा तौर पर उनसे साज़ बाज़ और मुहब्बत व मवद्दत करते हैं और बहाना यह बनाते हैं कि हमें

ख़तरा है अगर मुसलमानों पर यह लोग ग़ालिब आ गए तो फिर हमारे तके बोटियाँ कर देंगे इसलिए हम उनसे भी मैल मिलाप रखते हैं। हम क्यूँ किसी से बिगाड़ें? अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मुम्किन है कि अल्लाह तआला मुसलमानों को साफ़ तौर पर ग़ालिब कर दे, मक्का भी उनके हाथों फ़तह़ हो जाए। फ़ैसले और हुक्म उन ही के चलने लगें, हुकूमत उनके क़दमों में डाल दे या अल्लाह तआला और कोई चीज़ अपने पास से लाए यानी यहूदो नसारा को मग़लूब करके उन्हें ज़लील करके उनसे जिज़्या लेने का हुक्म मुसलमानों को दे दे, फिर तो यह मुनाफ़िक़ीन जो आज लपक-लपकर घुसपेठ करते फिरते हैं, बड़ेभुनाने लगेंगे और अपनी इस चालाकी पर ख़ून के आँसू बहाने लगेंगे, उनके पर्दे खुल जाएँगे और जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर से नज़र आएँगे। उस वक़्त मुसलमान इनकी मक्कारियों पर ताज्जुब करेंगे और कहेंगे "ऐ लो! यही वह लोग हैं जो बड़ी बड़ी क़समें खा खाकर हमें यक़ीन दिलाते थे कि यह हमारे साथी हैं, खो दिया जो किया था। और बर्बाद हो गए।" (व यक़ूलु) तो जुम्हूर की क़िरात है। एक क़िराअत बग़ैर वाव के भी है, अहले मदीना की यही क़िरात है (यक़ूलु) है तो मुब्तदा और दूसरी क़िरात इसकी (यक़ूल) है तो यह फ़असा... पर अ़त्फ़ होगा गोया (व अय्यक़ूल) है।

अहले मदीना के नज़दीक इन आयतों का शाने नुज़ूल यह है कि जंगे उहुद के बाद एक शख़्स ने कहा कि मैं इस यहूदी से दोस्ती करता हूँ ताकि मौक़ा पर मुझे नफ़ा पहुँचे। दूसरे ने कहा, मैं फ़लाँ नसरानी के पास जाता हूँ उससे दोस्ती करके उसकी मदद करूँगा, उस पर यह आयतें उतरीं। इक्रिमा (रह.) फ़र्माते हैं, लुबाबा बिन अ़ब्दुल मुंज़िर (रज़ि.) के बारे में यह आयतें उतरीं जबकि हुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें बनू क़ुरैज़ा की तरफ़ भेजा था तो उन्होंने आपसे पूछा कि हुज़ूर (ﷺ) हमारे साथ क्या सुलूक करेंगे? तो आपने अपने गले की तरफ़ इशारा किया यानी तुम सबको क़त्ल करा देंगे। एक रिवायत में है कि यह आयतें अ़ब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल के बारे में उतरी हैं। हज़रत उ़बादा बिन सामित (रज़ि.) ने तो हुज़ूर (ﷺ) से कहा कि बहुत से यहूदियों से मेरी दोस्ती है मगर मैं उन सबकी दोस्तियाँ तोड़ता हूँ मुझे अल्लाह तआला और रसूल की दोस्ती काफ़ी है। इस पर उस मुनाफ़िक़ ने कहा, मैं आगा पीछा सोचने का आ़दी हूँ मुझसे यह न हो सकेगा, न जाने किस वक़्त क्या मौक़ा पड़ जाए? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ अ़ब्दुल्लाह! तू उ़बादा से बहुत ही घाटे में रहा" इस पर यह आयतें उतरीं। एक रिवायत में है कि जब बद्र में मुश्रिकीन को शिकस्त हुई तो कुछ मुसलमानों ने अपने मिलने वाले यहूदियों से कहा कि यही तुम्हारी दुर्गत हो इससे पहले ही तुम इस दीने बरहक़ को क़ुबूल कर लो। उन्होंने जवाब दिया कि चंद क़ुरैशियों पर जो लड़ाई के फ़ुनून को नहीं जानते हैं, फ़तहमंदी हासिल करके कहीं तुम मग़रूर न हो जाना, हमसे अगर पाला पड़ा तो हम तुम्हें मालूम करा देंगे कि लड़ाई इसे कहते हैं। इस पर हज़रत उ़बादा (रज़ि.) और अ़ब्दुल्लाह बिन उबय का वह मुकालिमा हुआ जो ऊपर बयान हो चुका है। जब यहूदियों के उस क़बीले से मुसलमानों की जंग हुई और बफ़ज़्ले रब तआला यह ग़ालिब आ गए तो अब अ़ब्दुल्लाह बिन उबय आपसे कहने लगा, हुज़ूर (ﷺ)! मेरे दोस्तों के मामले में मुझ पर एहसान कीजिए, यह लोग ख़ज़रज के साथी थे। हुज़ूर (ﷺ) ने उसे कोई जवाब न दिया। उसने फिर कहा, आपने चेहरा फेर लिया, यह आप (ﷺ) के दामन से चिमट गया। आप (ﷺ) ने ग़ुस्से से फ़र्माया, "छोड़ दे।" उसने कहा, नहीं! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं नहीं छोड़ूँगा यहाँ तक कि आप उनके बारे में एहसान करें, उनकी बड़ी पूरी जमाअ़त है

और आज तक यह लोग मेरे तरफ़दार रहे और एक ही दिन यह सब फ़ना के घाट उतर जाएँगे, मुझे तो आने वाली मुसीबतों का बड़ा खटका है। आख़िर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जा वह सब तेरे लिए हैं।'' और रिवायत में है कि जब बनू क़ैनुक़ाअ के यहूदियों ने हुज़ूर (ﷺ) से जंग की और अल्लाह ने उन्हें नीचा दिखाया तो अब्दुल्लाह बिन उबय तो उनकी हिमायत हुज़ूर (ﷺ) के सामने करने लगा और उबादा बिन सामित (रज़ि.) बावजूद उसके यह भी उनके हलीफ़ थे लेकिन उन्होंने उससे साफ़ बरात ज़ाहिर की, इस पर यह आयतें (हुमुल ग़ालिबून) तक उतरीं। (इब्ने हिशाम : 3/52) मुस्नद अहमद में है कि इस मुनाफ़िक़ अब्दुल्लाह बिन उबय की एयादत के लिए हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ले गए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं ने तुझे बारहा उन यहूदियों की मुहब्बत से रोका तो उसने कहा, सअद बिन ज़ुरारा तो उनसे दुश्मनी रखता था वह भी मर गया। (मुस्नद अहमद : 5/201; अबूदाऊद, किताबुल जनाइज़, बाब फ़िल एयादति : 3094; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; इस रिवायत में मुहम्मद बिन इस्हाक़ मुदल्लस रावी है और सिमाअ की सराहत नहीं और शैख़ अल्बानी ने इस रिवायत को ज़ईफ़ुल इस्नाद क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ अबू दाऊद : 681)

***

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا
يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّمَا
وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ
الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

तर्जुमा : ऐ ईमानवालों! तुममें से जो शख़्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह तआला बहुत जल्द ऐसी क़ौम को लाएगा जो अल्लाह तआला की महबूब होगी। और वह भी अल्लाह तआला से मुहब्बत रखती होगी, नर्म दिल होंगे, मुसलमानों पर और सख़्त और तेज़ होंगे, कुफ़्फ़ार पर अल्लाह की राह में जिहाद करते रहेंगे। और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह भी न करेंगे, यह है अल्लाह तआला का फ़ज़्ल जिसे चाहे दे, अल्लाह तआला बड़ी वुस्अत वाला और ज़बरदस्त इल्म वाला है। (54) मुसलमानों! तुम्हारा दोस्त

ख़ुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं जो नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वह ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ करने वाले हैं। (55) जो शख़्स अल्लाह तआला से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे वह यक़ीन माने कि अल्लाह तआला की जमाअत ही ग़ालिब रहेगी।'' (56)

दीन से मुर्तद होने वाला अपना ही नुक़्सान करता है (आयत 54-56) : अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो क़ादिर ग़ालिब है, ख़बर देता है कि अगर कोई इस पाक दीन से मुर्तद हो जाए तो वह इस्लाम की क़ुव्वत घटा नहीं देगा, अल्लाह तआला ऐसों के बदले उन लोगों को इस सच्चे दीन की ख़िदमत पर मामूर करेगा, जो उनसे हर हैसियत में अच्छे होंगे। जैसे और आयत में है (وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا) (47/मुहम्मद : 38) और आयत में (اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ) (4/निसाअ : 133) और जगह फ़र्माया (وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ) (35/फ़ातिर : 16) मतलब इन सब आयतों का वही है जो बयान हुआ। इर्तिदाद कहते हैं हक़ को छोड़कर बातिल की तरफ़ फिर जाने को। मुहम्मद बिन कअब (रह.) फ़र्माते हैं यह आयत सरदाराने क़ुरैश के बारे में उतरी है। हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं ख़िलाफ़ते सिद्दीक़ी में जो लोग इस्लाम से फिर गए थे उनका हुक्म इस आयत में है जिस क़ौम को उनके बदले लाने का वादा हो रहा है अहले क़ादसिया हैं या क़ौमे सबा है या अहले यमन हैं जो कुन्दा और सकून क़बीलों के हैं। एक बहुत ही ग़रीब मरफ़ूअ हदीस में यह पिछली बात बयान हुई है। और रिवायत में है कि आपने हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, ''वह इसकी क़ौम है।'' (हाकिम : 2/313; वसनदुहू सहीह; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/16; इब्ने अबी शैबा : 12/125; तब्क़ात : 4/107; अल्मुअजमुल कबीर : 1016; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीहा : 3368) उन कामिल ईमान वालों की सिफ़त बयान हो रही है कि यह अपने दोस्तों यानी मुसलमानों के सामने तो बिछ जाने वाले होते हैं और कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में तन जाने वाले, उन पर भारी पड़ने वाले और उन पर तेज़ होने वाले होते हैं। जैसे फ़र्माया (اَشِدَّاۗءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَهُمْ) (48/फ़तह : 29) हुज़ूर (ﷺ) की सिफ़तों में है कि आप (ﷺ) ''ज़हूक'' थे और ''क़त्ताल'' थे यानी दोस्तों के सामने हंसमुख ख़ंदापेशानी और दीन के दुश्मनों के मुक़ाबले में सख़्त और जंगजू।

सच्चे मुसलमान राहे रब के जिहाद से चेहरा नहीं फेरते, न पीठ दिखाते हैं, न थकते हैं, न बुज़दिली, न आरामतलबी करते हैं, न किसी की मुरव्वत में आते हैं, न किसी की मलामत का ख़ौफ़ करते हैं, वह बराबर इताअते इलाही में उसके दुश्मनों से जंग करने में, भलाई का हुक्म करने में और बुराई से रोकने में मशग़ूल रहते हैं। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़र्माते हैं मुझे मेरे ख़लील (ﷺ) ने सात बातों का हुक्म दिया है ''मिस्कीनों से मुहब्बत रखने और उनके साथ बैठने उठने का और दुनियावी उमूर में अपने से कम दर्जे के लोगों को देखने का और अपने से बढ़े हुओं को न देखने का और सिलह रहमी करते रहने का भले दूसरे न करते हों, और किसी से कुछ भी न माँगने का, और हक़ बात बयान करने का भले वह सबको कड़वी लगे और दीन के मामलात में किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरने का और बकसरत ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ने का' क्योंकि यह कलिमा अर्श के नीचे का ख़ज़ाना है।'' (मुस्नद अहमद : 5/159; अल्मुअजमुल औसत :

5635; वसनदुहू हसन; मज्मउज़्ज़वाइद : 10/263; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 2166) और रिवायत में है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से पाँच मर्तबा बेअत की है और सात बातों पर आपने मेरी पुख़्तगी की है और सात मर्तबा मैं अपने ऊपर अल्लाह को गवाह करता हूँ कि मैं अल्लाह के दीन के बारे में किसी बदगोई की मुत्लक़ परवाह नहीं करता। मुझे बुलाकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्या मुझसे जन्नत के बदले में बेअत करेगा?" मैंने मंज़ूर करके हाथ बढ़ाया तो आप (ﷺ) ने शर्त की कि किसी से कुछ भी न माँगना, मैंने कहा बहुत अच्छा, फ़र्माया, "अगरचे कोड़ा भी हो" यानी अगर वह भी गिर पड़े तो ख़ुद सवारी से उतरकर ले लेना। (मुस्नद अहमद : 5/172; वसनदुहू ज़ईफ़; (मुंक़तअ) इसकी सनद में अबुल मुस्ना मज्हूल रावी है।) हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं, "लोगों की हैबत में आकर हक़ कहने से न रुकना, याद रखो न तो कोई मौत को क़रीब कर सकता है, न रिज़्क़ को दूर कर सकता है।" (मुस्नद अहमद : 3/50; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अल्मुअजमुल औसत : 2825; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/265) मुलाहिज़ा हो, इमाम अहमद की मुस्नद। फ़र्माते हैं "ख़िलाफ़े शरअ अम्र (काम) देख सुनकर अपने आपको कमज़ोर जानकर ख़ामोश न हो जाना वरना अल्ल्लह के यहाँ इसकी बाज़पुर्स होगी, उस वक़्त इंसान जवाब देगा मैं लोगों के डर से चुप हो गया तो जनाबे बारी तआला फ़र्माएगा, मैं इसका ज़्यादा हक़दार था कि तू मुझसे डरता" (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाबुल अम्र बिल मारूफ़ वन्नही अनिल मुंकर : 4008; मुस्नद अहमद : 3/73; वसनदुहू ज़ईफ़; सनद मुंक़तअ है। अबुल बख़्तरी ने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से कुछ नहीं सुना; अबू यअला : 1089; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है। देखिए (ज़ईफ़ुत्तर्ग़ीब : 1387) फ़र्माते हैं "अल्लाह तआला अपने बन्दे से क़यामत के दिन एक सवाल यह भी करेगा कि तूने ख़िलाफ़े शरअ अम्र देखकर उससे रोका क्यूँ नहीं? फिर अल्लाह तआला ख़ुद ही उसे जवाब समझाएगा और यह कहेगा, परवरदिगार! मैंने तुझ पर भरोसा किया और लोगों से डरा।" (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब क़ौलुहू तआला (या अय्युहल लज़ीन आमनू अलयकुम अन्फ़ुसकुम) : 4017; वसनदुहू हसन; अहमद : 3/77; मुस्नद अबी यअला : 1089; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी सनद को जय्यद क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 926) एक और सहीह हदीस में है "मोमिन को न चाहिए कि अपने आपको ज़िल्लत में डाले" सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, किस तरह? फ़र्माया, "उन बलाओं को अपने ऊपर ले ले जिनकी बर्दाश्त की ताक़त न हो।" (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब ला यअतरिज़ु मिनल बलाइ लिमा ला युतीक़ : 2254; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अली बिन ज़ैद बिन जिदआन ज़ईफ़ रावी है। इब्ने माजा : 4016) फिर फ़र्माया, "अल्लाह तआला का फ़ज़्ल है जिसे चाहे दे" यानी कमाल ईमान की यह सिफ़तें ख़ास अल्लाह का अतिया हैं उसी की तरफ़ से उनकी तौफ़ीक़ होती है, उसका फ़ज़्ल बहुत वसीअ है और वह कामिल इल्म वाला है, ख़ूब जानता है कि इस बहुत बड़ी नेअमत का मुस्तहिक़ कौन है?

फिर इर्शाद होता है कि तुम्हारे दोस्त कुफ़्फ़ार नहीं बल्कि हक़ीक़तन तुम्हें अल्लाह तआला से उसके रसूल और मोमिनों से दोस्तियाँ रखनी चाहिए, मोमिन भी वह जिनमें यह सिफ़तें हों कि वह नमाज़ के पूरे पाबंद हों, जो इस्लाम का आला और बेहतरीन रुक्न है और सिर्फ़ अल्लाह तआला का हिस्सा है और ज़कात अदा करते हों जो अल्लाह तआला के कमज़ोर, मिस्कीन बन्दों का हक़ है, आख़िरी जुम्ला जो है उसकी निस्बत

कुछ लोगों को वहम सा हो गया कि यह (युअतूनज़्ज़कात) से हाल वाक़ेअ है यानी रुकूअ की हालत में ज़कात अदा करते हैं, यह बिलकुल ग़लत है अगर इसे मान लिया जाए तो यह नुमायाँ तौर पर साबित हो जाएगा कि रुकूअ की हालत में ज़कात देना अफ़ज़ल है हालाँकि कोई आलिम इसका क़ाइल नहीं, इन वहमियों ने यहाँ एक वाक़िया बयान किया है कि हज़रत अली (रज़ि.) नमाज़ के रुकूअ में थे कि एक साइल आ गया तो आपने अपनी अंगूठी उतारकर उसे दे दी। (इस रिवायत में ज़ह्हाक और इब्ने अब्बास (रज़ि.) के बीच इंक़िताअ और अबू सिनान मुतकल्लम फ़ीह रावी है। (अज़्ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन : 1/320; रक़म : 1407) (वल्लज़ीन आमनू) से मुराद बक़ौल उत्बा (रह.) जुम्ला मुसलमान और हज़रत अली (रज़ि.) हैं। इस पर यह आयत उतरी है। एक मरफ़ूअ हदीस में भी अंगूठी का क़िस्सा है और कुछ दीगर मुफ़स्सिरीन ने भी यह तफ़्सीर की है, लेकिन सनद एक की भी सहीह नहीं, रिजाल एक के भी सिक़ह और साबित नहीं, पस यह वाक़िया बिलकुल ग़ैर साबित है और सहीह नहीं, ठीक वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि यह सब आयतें हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) के बारे में नाज़िल हुई हैं जबकि उन्होंने खुले लफ़्ज़ों में यहूद की दोस्ती तोड़ी और अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) और ईमानवाले लोगों की दोस्ती पर रज़ामन्द हो गए। इसीलिए इन तमाम आयतों के आख़िर में फ़र्मान हुआ "जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों से दोस्ती रखे वह अल्लाह के लश्कर में दाख़िल है और यही अल्लाह का लश्कर ग़ालिब है।" जैसे फ़र्माने बारी तआला है (كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ) (58/मुजादिला : 21) "अल्लाह तआला लिख चुका है कि मैं और मेरे रसूल (ﷺ) ही ग़ालिब रहेंगे। अल्लाह तआला पर और आख़िरत पर ईमान रखने वालों को तो अल्लाह तआला और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती रखने वाला कभी न पाएगा भले वह बाप, बेटे, भाई और कुंबे क़बीले के लोग हों। यही हैं जिनके दिलों में अल्लाह तआला ने ईमान लिख दिया है और अपनी रूह से इनकी ताईद की है। उन्हें अल्लाह तआला उन जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ वह हमेशा रहेंगे, रब तआला उनसे राज़ी है यह अल्लाह से राज़ी हैं, यही अल्लाह तआला के लश्कर हैं, और अल्लाह तआला ही का लश्कर फ़लाह पाने वाला है।" पस जो भी अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) और मोमिनों की दोस्तियों पर रज़ामन्द हो जाए वह दुनिया में मंसूर है और आख़िरत में फ़लाह पाने वाला है, इसीलिए इस आयत को भी इस जुम्ले पर ख़त्म किया।

***

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۵۸﴾

तर्जुमा : ''मुसलमानों! उन लोगों को दोस्त न बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं ख़्वाह वह उनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए, ख़्वाह कुफ़्फ़ार हों, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह तआला से डरते रहो। (57) जब तुम नमाज़ के लिए पुकारते हो तो वह उसे हंसी ठहरा लेते हैं, यह इस वास्ते कि बेअक़्ल हैं।'' (58)

ग़ैर मुस्लिमों से दोस्ती न रखो (आयत 57, 58) : अल्लाह तआला मुसलमानों को ग़ैर मुस्लिमों की मुहब्बत से नफ़रत दिलाता है और फ़र्माता है कि क्या तुम उनसे दोस्तियाँ करोगे जो तुम्हारे ताहिर व पाक दीन को हँसी में उड़ाते हैं और उसे एक खिलौना बनाए हुए हैं। (मिन) बयाने जिंस के लिए है जैसे (अल्औसानि) में। कुछ ने (वल कुफ़्फ़ारि) पढ़ा है और अत्फ़ डाला है। कुछ ने (वल कुफ़्फ़ार) पढ़ा है और (ला तत्तख़िज़ू) का मामूल बनाया है तो तक़्दीर इबारत (वलल्कुफ़्फ़ार औलिया) होगी। कुफ़्फ़ार से मुराद मुश्रिकीन हैं। हज़रत इब्ने मसऊद(रज़ि.) की क़िरात में (वमिनल्लज़ीना अश्रकू)है। ''अल्लाह तआला से डरो और उनसे दोस्तियाँ न करो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो।'' यह तो तुम्हारे दीन की और शरीअत की दुश्मनी करने वाले हैं। जैसे फ़र्माया (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ) (3/आले इमरान : 28) ''मोमिन मोमिनों को छोड़कर कुफ़्फ़ार से दोस्तियाँ न करें और जो ऐसा करे वह अल्लाह तआला के यहाँ किसी भलाई में नहीं, हाँ! उनसे बचाव मक़्सूद हो तो और बात है, अल्लाह तआला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह तआला ही की तरफ़ लौटना है।''

अज़ान सुनकर शैतान भाग जाता है : इसी तरह यह कुफ़्फ़ारे अहले किताब भी और मुश्रिक भी उस वक़्त भी मज़ाक़ उड़ाते हैं जब तुम नमाज़ों के लिए पुकारते हो हालाँकि वह अल्लाह तआला की सबसे प्यारी इबादत है। लेकिन यह बेवक़ूफ़ इतना भी नहीं जानते इसलिए कि यह मुत्तबेअ़े शैतान हैं और ''उसकी यह हालत है कि अज़ान सुनते ही गोज़ मारता हुआ दुम दबाए भागता है, और वहाँ जाकर ठहरता है जहाँ अज़ान की आवाज़ न आए, उसके बाद वापिस आ जाता है, फिर तक्बीर सुनकर भाग खड़ा होता है उसके ख़त्म होते ही आकर अपने बहकावे में लग जाता है। इंसान को इधर उधर की भूली बिसरी बातें याद दिलाता है, यहाँ तक कि उसे यह भी ख़बर नहीं रहती कि नमाज़ की कितनी रकअ़तें पढ़ीं हैं? जब ऐसा हो तो दो सज्दे सह्व के करे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सहव, बाब इज़ा लम यदरि कम सल्ला, सलासा अव अरबआ सज्दतैन...: 1231; सहीह मुस्लिम : 389) इमाम ज़ोहरी (रह.) फ़र्माते हैं कि अज़ान का ज़िक्र क़ुरआने करीम में भी है, फिर यही आयत तिलावत की। (इब्ने अबी हातिम : 4/1164) एक नसरानी मदीने में अज़ान में जब ''अश्हदु अन्ना मुहम्मदर् रसूलुल्लाहि'' सुनता तो कहता कज़्ज़ाब जल जाए। एक मर्तबा रात को उसकी ख़ादिमा घर में आग लाई, कोई पतिंगा उड़ा जिससे घर में आग लग गई, वह शख़्स और उसका घरबार सब जलकर ख़ाक हो गया। फ़तहे मक्का के साल हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को कअबे में अज़ान कहने का हुक्म दिया, क़रीब ही अबू सुफ़ियान बिन हर्ब, उताब बिन उसैद और हारिस बिन हिशाम बैठे हुए थे। उताब ने तो अज़ान सुनकर कहा कि मेरे बाप पर तो अल्लाह तआला का फ़ज़्ल हुआ कि वह इस गुस्से दिलाने वाली आवाज़ के सुनने से पहले ही दुनिया से चल बसा। हारिस कहने लगा, अगर मैं इसे सच्चा जानता तो मान ही लेता। अबू सुफ़ियान ने कहा कि भई! मैं तो कुछ भी ज़ुबान से नहीं निकालता, डर है कि कहीं यह कंकरियाँ उसे ख़बर न

कर दें। उन्होंने बातें ख़त्म की ही थीं जो हुज़ूर (ﷺ) आ गए। और फ़र्माने लगे, ''इस वक़्त तुमने यह बातें कही हैं।'' यह सुनते ही इ़ताब और हारिस तो बोल पड़े कि हमारी गवाही है कि आप अल्लाह तआ़ला के सच्चे रसूल हैं। यहाँ तो कोई चौथा था ही नहीं वरना हम यह गुमान कर सकते थे कि उसने जाकर आप (ﷺ) से कह दिया होगा। (सीरत मुहम्मद बिन इस्हाक़)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुहैरीज़ (रह.) जब शाम के सफ़र को जाने लगे तो हज़रत अबू महज़ूरा (रह.) से जिनकी गोद में उन्होंने अय्यामे यतीमी बसर किए थे कि आपकी अज़ान के बारे में मुझसे वहाँ के लोग ज़रूर सवाल करेंगे, तो आप अपने वाक़ियात तो मुझे बता दीजिए। फ़र्माया, हाँ! सुनो! जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हुनैन से वापिस आ रहे थे, रास्ते में हम लोग एक जगह थे और नमाज़ के वक़्त हुज़ूर (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही। हमने उसकी नक़्ल और मज़ाक़ उड़ाना शुरु किया। कहीं आपके कान में भी आवाज़ें पड़ गईं। सिपाही आया और हमें आपके पास ले गया। आप (ﷺ) ने पूछा, ''तुम सब में ज़्यादा ऊँची आवाज़ किसकी थी?'' सबने मेरी तरफ़ इशारा किया, तो आपने और सबको छोड़ दिया और मुझे रोक लिया और फ़र्माया, ''उठो और अज़ान कहो।'' अल्लाह की क़सम! उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) की ज़ात से आपकी हुक्मबरदारी से ज़्यादा बुरी चीज़ मेरे नज़दीक कोई न थी लेकिन बेबस था, खड़ा हो गया। अब ख़ुद आपने मुझे अज़ान सिखाई और जो आप (ﷺ) सिखाते रहे, मैं कहता रहा (फिर अज़ान पूरी बयान की) जब अज़ान से फ़ारिग़ हुआ तो आप (ﷺ) ने मुझे एक थैली दी जिसमें चाँदी थी फिर अपना दस्ते मुबारक मेरे सर पर रखा और पीठ तक लाए।

फिर फ़र्माया, ''अल्लाह तआ़ला तुझमें और तुझ पर बरकत दे।'' अब तो अल्लाह तआ़ला की क़सम! मेरे दिल से अ़दावते रसूल (ﷺ) बिलकुल जाती रही और बजाए उसके ऐसी ही मुहब्बत हुज़ूर (ﷺ) की दिल में पैदा हो गई। मैंने आरज़ू की कि मक्का का मुअज़्ज़िन हुज़ूर (ﷺ) मुझको बना दें। आप (ﷺ) ने मेरी यह दरख़्वास्त मंज़ूर फ़र्मा ली और मैं मक्का में चला गया और वहाँ के गवर्नर हज़रत इ़ताब बिन उसैद (रज़ि.) से मिलकर मुअज़्ज़िनी पर मामूर हो गया। (मुस्नद अहमद : 3/409; सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब सिफ़तुल अज़ान : 379; अबूदाऊद : 503; मुख़्तसरन; बैहक़ी : 1/393; नसाई : 633; इब्ने माजा : 708; मुतव्वलन) हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) का नाम समुरा बिन मुईर बिन लौज़ान था। हुज़ूर (ﷺ) के चार मुअज़्ज़िनों में से एक आप थे और लम्बी मुद्दत तक आप अहले मक्का के मुअज़्ज़िन रहे (रज़ि यल्लाहु अ़न्हु व अरज़ाहू)

***

قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ
مِنْ قَبْلُ ۙ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ
اللّٰهِ ۭ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ

الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝٦٠ وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۝٦١
وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٦٢ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝٦٣

तर्जुमा : ''कह दे कि ऐ यहूदियों और नसरानियों! तुम हमसे सिर्फ़ इस वजह से दुश्मनियाँ रखते हो कि हम अल्लाह तआला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाज़िल किया गया है और जो कुछ इससे पहले उतारा गया है उस पर ईमान लाए हैं और इसलिए भी कि तुममें से अक्सर फ़ासिक़ हैं। (59) कह कि क्या मैं तुम्हें बताऊँ? कि इससे भी ज़्यादा बुरे अज्र पाने वाला अल्लाह तआला के नज़दीक कौन है? वह जिस पर अल्लाह तआला ने लानत की और उस पर वह गुस्सा हुआ और उनमें से कुछ को बंदर और सूअर बना दिया और वह जिन्होंने माबूदाने बातिल की पूजा की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राहे रास्त से बहुत ज़्यादा भटकने वाले हैं। (60) जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हालाँकि वह कुफ़्र लिए हुए ही आए थे और इसी कुफ़्र के साथ ही गए भी। जो कुछ छुपा रहे हैं उससे अल्लाह तआला ख़ूब दाना है। (61) तू देखेगा कि इनमें अक्सर गुनाह के कामों की तरफ़ और ज़ुल्मो ज़्यादती की तरफ़ और माले हराम के खाने की तरफ़ लपक रहे हैं जो कुछ यह कर रहे हैं वह निहायत बुरे काम हैं। (62) इन्हें इनके आबिद व आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीज़ों के खाने से क्यूँ नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो यह कर रहे हैं।'' (63)

नाफ़र्मान गिरोह का अंजाम (आयत 59-63) : हुक्म होता है कि जो अहले किताब तुम्हारे दीन का मज़ाक़ उड़ाते हैं, उनसे कहो कि तुमने जो दुश्मनी हमसे बाँध रखी है उसकी वजह इसके सिवा नहीं कि हम अल्लाह तआला पर और उसकी तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं। पस दरअसल न तो यह कोई दुश्मनी की वजह है, न सबबे मज़म्मत। यह इस्तिस्ना मुंक़तअ है। और आयत में है (وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ) (85/बुरूज : 8) यानी ''फ़क़त इस वजह से उन्होंने इनसे दुश्मनी की थी कि अल्लाह अज़ीज़ व हमीद को मानते थे।'' और जैसे और आयत में है (وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ) (9/तौबा : 74) यानी ''उन्होंने सिर्फ़ उसका इंतिक़ाम लिया है कि इन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने माल देकर

ग़नी कर दिया है।'' बुख़ारी मुस्लिम की हदीस में है ''इब्ने जमील इसी का बदला लेता है कि फ़क़ीर था तो अल्लाह तआला ने उसे ग़नी कर दिया।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (वफ़िर्रिक़ाबि वल ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि) : 1468; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 983) और यह कि तुममें से अक्सर सिराते मुस्तक़ीम से अलग और ख़ारिज हो चुके हैं। तुम जो हमारी निस्बत गुमान रखते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला के पास बदला पाने में कौन बदतर है? और वह तुम हो क्योंकि यह ख़स्लतें तुममें ही पायी जाती हैं। यानी जिसे अल्लाह तआला ने लानत की हो, अपनी रह़मत से दूर डाल दिया हो उस पर ग़ज़बनाक हुआ हो, ऐसा जिसके बाद रज़ामंद नहीं होने का और जिनमें से कुछ की सूरतें बिगाड़ दी हो, बंदर और सूअर बना दिए हों। इसका पूरा बयान सूरह बक़रा में गुज़र चुका है। हुज़ूर (ﷺ) से सवाल हुआ कि क्या यह बंदर और सूअर हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''जिस क़ौम पर अल्लाह तआला का ऐसा अ़ज़ाब नाज़िल होता है उनकी नस्ल ही नहीं होती, इनसे पहले भी सूअर और बन्दर थे।'' यह रिवायत मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ में स़ह़ीह़ मुस्लिम (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब बयानु इन्नल आजाल वल अरज़ाक़ वग़ैरुहा.... : 2663; अह़मद : 1/413) और नसाई में भी है कि ''जिन्नों की एक क़ौम साँप बना दी गई थी, जैसे बंदर और सूअर बना दिए गए।'' (मुस्नद अह़मद : 1/348; वसनदुहू स़ह़ीहुन; त़बरानी : 11946; मुस्नदे बज़्ज़ार : 1232; इब्ने ह़िब्बान : 1080; यह रिवायत मौक़ूफ़ स़ह़ीह़ है। (अल्मौसूअतुल ह़दीसिया : 10/305) और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने भी इस रिवायत को स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्स़ह़ीह़ा : 1824) यह ह़दीस बहुत ग़रीब है, इन्हीं में से कुछ को ग़ैरुल्लाह का परस्तार बना दिया। एक क़िरात इज़ाफ़त के साथ त़ाग़ूत की ज़ेर से भी है यानी उन्हें बुतों का गुलाम बना दिया। ह़ज़रत बुरैदा असलमी (रह़.) इसे (आ़बिदुत्त़ाग़ूत) पढ़ते थे। अबू जाफ़र क़ारी (रह़.) से (व उ़बिदत्त़ाग़ूत) भी मंक़ूल है, फिर इसके मानी में दूरी पड़ जाती है लेकिन फ़िल वाक़ेअ़ दूरी भी नहीं। मत़लब यह है कि तुम ही वह हो जिनमें त़ाग़ूत की इ़बादत की गई। अल्ग़र्ज़ अहले किताब को इल्ज़ाम दिया जाता है कि हम पर तो ऐ़बगीरी करते हो, ह़ालाँकि हम मुवह़्ह़िद हैं, सिर्फ़ एक अल्लाह बरह़क़ के मानने वाले हैं और तुम तो वह हो कि यह सब बातें तुममें पायी गईं। इसलिए ख़ात्मे पर फ़र्माया कि यही लोग बाऐ़तिबार क़द्रो-मंज़िलत के बहुत बुरे हैं और बाऐ़तिबार रास्ती पर होने के बहुत दूर की ग़लत़ राह पर पड़े हुए हैं। इस अफ़्अ़लुत्तफ़्ज़ील में दूसरी जानिब कुछ नहीं। मुशारिकत यहाँ सिरे से है ही नहीं, जैसे इस आयत में (أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا) (25/फ़ुरक़ान : 24)

फिर मुनाफ़िक़ों की एक बदख़स्लत बयान हो रही है कि ज़ाहिर में तो वह मोमिनों के सामने इज़्हारे ईमान करते हैं। और उनके अंदर कुफ़्र से भरे पड़े हैं। यह तेरे पास आते हैं तो कुफ़्र की ह़ालत में और तेरे पास से जाते हैं तो इसी ह़ालत में। तेरी बातें, तेरी नस़ीह़तें उन पर कुछ भी तो असर नहीं करतीं। भला यह पर्दादारी उनके क्या काम आएगी, जिससे काम पड़ता है वह तो आ़लिमुल ग़ैब है, दिलों के भेद उस पर रोशन हैं, वहाँ जाकर पूरा पूरा बदला भुगतना पड़ेगा। तू देख रहा है कि यह गुनाहों पर, ह़राम पर, और बात़िल के साथ लोगों के माल पर किस त़रह चढ़ दौड़ते हैं? इनके आ़माल निहायत ही ख़राब हो चुके हैं। इनके औलिया यानी आ़बिद व आ़लिम और इनके उ़लमा इन्हें इन बातों से क्यूँ नहीं रोकते? दरअस़ल इन उ़लमा और पीरों के आ़माल भी

बदतरीन हो गए। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि, उ़लमा और फ़ुक़रा की डांट के लिए इससे ज़्यादा सख़्त आयत कुरआन में कोई नहीं।

हज़रत ज़ह्हाक (रह.) से भी इसी तरह मंक़ूल है। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने अपने एक ख़ुत्बे में अल्लाह तआ़ला की हम्दो सना के बाद फ़र्माया, लोगों! तुमसे अगले लोग इसी बिना पर हलाक कर दिये गए कि वह बुराईयाँ करते थे और उनके आ़लिम और अल्लाह वाले ख़ामोश रहते थे। जब यह आ़दत उनमें पड़ गई तो अल्लाह तआ़ला ने उन्हें क़िस्म क़िस्म की सज़ाएँ दीं, पस तुम्हें चाहिए कि भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम पर भी वही अ़ज़ाब आ जाएँ जो तुमसे पहले वालों पर आए, यक़ीन रखो कि अच्छाई का हुक्म और बुराई से मुमानिअ़त न तो तुम्हारी रोज़ी घटाएगा, न तुम्हारी मौत क़रीब कर देगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान है, "जिस क़ौम में कोई अल्लाह तआ़ला की नाफ़र्मानी करे और वह लोग बावजूद रोकने की क़ुदरत और ग़ल्बे के उसे न मिटाएँ तो अल्लाह तआ़ला सब पर अपना अ़ज़ाब नाज़िल करेगा।" (मुस्नद अहमद : 4/363; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अल्मुअजमुल कबीर : 2379) अबूदाऊद में है "यह अ़ज़ाब उनकी मौत से पहले ही आ पड़ेगा।" (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्रु वन्नही : 4339; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; उ़बैदुल्लाह बिन जरीर रावी मज्हूलुल हाल है।) इब्ने माजा में भी यह रिवायत है। (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्अम्रु बिल मारूफ़ वन्नही अ़निल मुंकर : 4009; वहुव हसन)

***

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُاللهِ مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ
مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۗ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَاۗ
اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِيْنَ ۝٦٤ وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٦٥ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۗ اُنْزِلَ
اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۭ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۭ
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۗءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ۝٦٦

तर्जुमा : ''यहूदियों ने कहा, अल्लाह तआला के हाथ बँधे हुए हैं। इन ही के हाथ बँधे हुए हैं और इनके इस क़ौल की वजह से इन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह तआला के दोनों हाथ खुले हुए हैं। जिस तरह चाहता है, ख़र्च करता रहता है, जो कुछ तेरी तरफ़ तेरे रब तआला की जानिब से उतारा जाता है वह उनमें से अक्सर को तो सरकशी और कुफ़्र में और बढ़ा देता है हमने उनमें आपस में ही क़यामत तक के लिए अदावत और बुग़्ज़ डाल दिया है वह जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह तआला उसे बुझा देता है, यह मुल्क भर में शर व फ़साद मचाते फिरते हैं। अल्लाह तआला फ़सादियों से मुहब्बत नहीं करता। (64) अगर यह अहले किताब ईमान लाते और तक़्वा इख़्तियार करते तो हम उनकी तमाम बुराईयाँ माफ़ फ़र्मा देते और ज़रूर उन्हें राहत व आराम की जन्नतों में ले जाते। (65) और अगर यह लोग तौरात व इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह तआला की तरफ़ से नाज़िल फ़र्माया गया है उन पर पूरे पाबंद रहते तो यह लोग अपने ऊपर नीचे से रोज़ियाँ पाते और खाते, एक जमाअत तो उनमें से दरम्याना रविश की है, बाक़ी उनमें के अक्सर लोगों के बड़े बुरे आमाल हैं।'' (66)

यहूदियों की अल्लाह तआला की शान में गुस्ताख़ी (आयत 64-66) : मल्ऊन यहूदियों का एक ख़बीस क़ौल बयान फ़र्मा रहा है कि यह अल्लाह तआला को बख़ील कहते थे। यही लोग अल्लाह तआला को फ़क़ीर भी कहते हैं (नऊज़ुबिल्लाह) अल्लाह तआला की ज़ात इस नापाक मक़ूला से बहुत बुलंद व बाला है पस अल्लाह तआला के हाथ बँधे हुए हैं, से मतलब इनका यह न था कि हाथ जकड़ दिए गए हैं बल्कि मुराद इससे बुख़्ल था। यही मुहावरा कुरआन में और जगह भी है, फ़र्माता है (لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ) (17/इस्रा : 29) यानी ''अपने हाथ अपनी गर्दन से बाँध भी न ले और न हद से भी ज़्यादा फैला दे कि फिर तकान और नदामत के साथ बैठ रहना पड़े।'' पस बुख़्ल से और इस्राफ़ से अल्लाह तआला ने इस आयत में रोका पस मल्ऊन यहूदियों का भी हाथ बँधा हुआ होने से यही मुराद थी। फ़न्हास नामी यहूदी ने यह कहा था। (तब्री : 10/453) और इसी मल्ऊन का वह दूसरा क़ौल भी था कि अल्लाह फ़क़ीर है और हम ग़नी हैं, जिस पर हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उसे पीटा था। एक रिवायत में है शिनास बिन क़ैस ने यही कहा था। जिस पर यह आयत उतरी और इर्शाद हुआ कि बख़ील और कंजूस ज़लील और बुज़दिल यह लोग ख़ुद हैं। चुनाँचे और आयत में है ''अगर यह बादशाह बन जाएँ तो किसी को कुछ भी न दें बल्कि यह तो औरों की नेअमतें देखकर जलते हैं।'' यह ज़लीलतर लोग हैं बल्कि अल्लाह तआला के हाथ खुले हैं, वह बहुत कुछ ख़र्च करता रहता है, उसका फ़ज़्ल वसीअ है, उसकी बख़्शिश आम है, हर चीज़ के ख़ज़ाने उसके हाथों में हैं, हर नेअमत उसकी तरफ़ से है। सारी मख़्लूक़ दिन रात हर वक़्त हर जगह उसी की मुहताज है। फ़र्माता है (وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ) (14/इब्राहीम : 34) ''तुमने जो माँगा अल्लाह तआला ने वह दिया। अगर तुम अल्लाह तआला की नेअमतों का शुमार करना चाहो तो भी शुमार नहीं कर सकते। यक़ीनन इंसान बड़ा ही ज़ालिम है बेहद नाशुक्रा है।'' मुस्नद में हदीस है ''अल्लाह

तआला का दाहिना हाथ पुर है। दिन रात का ख़र्च उसके ख़ज़ाने को घटाता नहीं। शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी उसने अपनी मख़्लूक़ को अ़ता फ़र्माया है, उसने उसके ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं की। उसका अ़र्श पहले पानी पर था, उसी के हाथ में फ़ैज़ है या क़ब्ज़ा है, वही बुलंदी और पस्ती करता है, उसका फ़र्मान है कि लोगों! तुम मेरी राह में ख़र्च करो तुम दिए जाओगे।'' (स़हीह़ बुख़ारी, किताबुत्तौह़ीद, बाब (व कान अ़र्शुहू अ़लल माअ) : 7419; स़हीह़ मुस्लिम : 993; अह़मद : 2/313; इब्ने ह़िब्बान : 725) फिर फ़र्माया जिस क़द्र अल्लाह तआला की नेअ़मतें ऐ नबी (ﷺ)! तेरे पास बढ़ेंगी उतना ही इन शयातीन का कुफ़्र ह़सद और जलापा बढ़ेगा। ठीक उसी त़रह़ जिस त़रह़ मोमिनों का ईमान और उनकी तस्लीम व इत़ाअ़त बढ़ती है। जैसे और आयत में है (قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ) (41/हामीम सज्दा : 44) ''ईमानवालों के लिए तो यह हिदायत व शिफ़ा है, और बेईमान इससे अंधे, बहरे हैं, यही हैं जो दूर दराज़ से पुकारे जाते हैं।'' और आयत में है (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ) (17/इस्रा : 82) ''हमने वह कुरआन उतारा है जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रह़मत है और ज़ालिमों को तो नुक़्सान में ही बढ़ाता रहता है।''

फिर इर्शाद होता है कि इनके दिलों में से ख़ुद आपस का बुग़्ज़ व बैर भी क़यामत तक नहीं हटने का। एक दूसरे के आपस में ही ख़ून के प्यासे लोग हैं। नामुम्किन है कि यह ह़क़ पर जम जाएँ, यह अपने ही दीन में फ़िर्के फ़िर्के हो रहे हैं। झगड़े और अ़दावतें इनमें आपस में चली आ रही हैं और जारी ही रहेंगी। यह बसाऔक़ात लड़ाई के सामान करते हैं, चारों ओर एक आग तेरे ख़िलाफ़ भड़काना चाहते हैं, लेकिन हर मर्तबा मुँह की खाते हैं। इनका मकर इन ही पर लौट जाता है यह मुफ़्सिद (फ़साद फैलाने वाले) लोग हैं और अल्लाह तआला के दुश्मन हैं। किसी मुफ़्सिद को अल्लाह तआला अपना दोस्त नहीं रखता। अगर यह ईमान वाले और परहेज़गार बन जाएँ तो हम इनसे तमाम डर दूर कर दें और मक़्सूद से इन्हें मिला दें। अगर यह तौरात व इंजील और इस क़ुरआन को मान लें क्योंकि तौरात व इंजील का मानना इस कुरआन के मानने को लाज़िम कर देगा, इनकी स़हीह़ तालीम यही है कि यह कुरआन सच्चा है, इसकी और आख़िरी नबी (ﷺ) की तस्दीक़ पहले की किताबों में मौजूद है तो अगर यह अपनी उन किताबों को बग़ैर तह़रीफ़ व तब्दील और तावील व तफ़्सीर के मानें तो वह इन्हें उसी इस्लाम की हिदायत करेगी जो ह़ुज़ूर (ﷺ) बतलाते हैं। इस सूरत में अल्लाह तआला इन्हें दुनिया के फ़ायदे भी देगा और आसमान से पानी बरसाएगा। ज़मीन से पैदावार उगाएगा, नीचे ऊपर की यानी ज़मीन आसमान की बरकतें इन्हें मिल जाएँगी, जैसे और आयत में है (وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا) (7/आ़राफ़ : 96) यानी ''अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और परहेज़गारी करते तो हम उन पर आसमान व ज़मीन से बरकतें नाज़िल करते।'' और आयत में है (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ) (30/रूम : 41) ''लोगों की बुराईयों की वजह से ख़ुश्की और तरी में फ़साद जाहिर हो पड़ा'' और यह भी मानी हो सकते हैं कि बग़ैर मुशक़्क़त व मुश्किल के हम इन्हें बकसरत बाबरकत रोज़ियाँ देते। कुछ ने इस जुम्ला का मत़लब यह भी बयान किया है कि यह लोग ऐसा करने से ख़ैर में हो जाते। लेकिन यह क़ौल अक़्वाले सलफ़ के ख़िलाफ़ है। इब्ने अबी ह़ातिम में इस जगह एक असर वारिद हुआ है कि ह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क़रीब है कि इल्म उठा लिया जाए'' यह सुनकर ह़ज़रत ज़ियाद बिन लुबैद (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह कैसे हो सकता है कि इल्म उठ जाए? हमने कुरआन सीखा, अपनी औलादों को

सिखाया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अफ़सोस! मैं तो तमाम मदीना वालों से ज़्यादा तुमको समझदार जानता था, तू नहीं देखता कि यहूदो नसारा के हाथों में भी तौरात व इंजील है लेकिन किस काम की? जबकि उन्होंने अहकामे इलाही छोड़ दिये।" फिर आपने यही आयत तिलावत फ़र्माई। यह हदीस मुस्नद अहमद में भी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने किसी चीज़ का बयान फ़र्माया कि यह बात इल्म के जाते रहने के वक़्त होगी। इस पर हज़रत इब्ने लुबैद (रज़ि.) ने कहा, इल्म कैसे जाता रहेगा? हम कुरआन पढ़े हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वह अपनी औलादों को पढ़ाएँगे, यही सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। इस पर आप (ﷺ) ने जवाब में वह फ़र्माया जो ऊपर बयान हुआ है। (मुस्नद अहमद : 4/160; इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब ज़िहाबुल कुरआन वल इल्म : 4048; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; सनद मुंक़तअ है। सालिम ने ज़ियाद बिन लुबैद (रज़ि.) से कुछ नहीं सुना है। तबरानी : 5290)

फिर फ़र्माया, इनमें एक जमाअत म्याना रू भी है मगर अक्सर बदआमाल हैं। जैसे फ़र्मान है (وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ) (7/आराफ़ : 159) "मूसा (عليه السلام) की क़ौम में से एक गिरोह हक़ की हिदायत करने वाला और उसी के साथ अद्लो इंसाफ़ करने वाला भी था।" और क़ौमे ईसा (عليه السلام) के बारे में फ़र्मान है (فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ) (57/हदीद : 27) "उनमें से बाईमान लोगों को हमने उनके सवाब इनायत फ़र्माए" यह नुक्ता ख़्याल में रहे कि इनका बेहतरीन दर्जा बीच का बयान फ़र्माया और इस उम्मत में यह दर्जा दूसरा दर्जा है जिस पर एक तीसरा ऊँचा दर्जा भी है। फ़र्माया (ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا) (35/फ़ातिर : 32) "फिर हमने किताब का वारिस अपने चुनिन्दा बन्दों को बनाया, उनमें से कुछ तो अपने नफ़्सों पर ज़ुल्म करने वाले, कुछ म्याना रू और कुछ अल्लाह तआला के हुक्म से नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं। यही बहुत बड़ा फ़ज़्ल है।" पस यह तीनों क़िस्में इस उम्मत की दाख़िले जन्नत होने वाली हैं। इब्ने मर्दवे में है कि सहाबा (रज़ि.) के सामने हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "मूसा (عليه السلام) की उम्मत के इकहत्तर गिरोह हो गए, जिनमें से एक तो जन्नती है, बाक़ी सत्तर जहन्नमी हैं। ईसा (عليه السلام) की उम्मत के बहत्तर गिरोह हो गए, जिनमें से एक तो जन्नती बाक़ी इकहत्तर जहन्नमी। मेरी यह उम्मत इन दोनों से बढ़ जाएगी, इनका भी एक गिरोह जन्नत में जाएगा, बाक़ी बहत्तर गिरोह जहन्नम में जाएँगे।" लोगों ने पूछा, वह कौन हैं? फ़र्माया, जमाअतें, जमाअतें।" याक़ूब बिन ज़ैद (रह.) कहते हैं कि जब हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) यह हदीस बयान करते तो कुरआन की आयत (وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا) (5/माइदा: 65) और (وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ) (7/आराफ़ : 181) भी पढ़ते और फ़र्माते, इससे मुराद उम्मते मुहम्मदिया है। (मुस्नद अबी यअला : 3668; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/261; इस रिवायत में अबू मिअशर नजीह अस्सनदी हाशमी है जिसे इब्ने मदीनी ने शैख़ ज़ईफ़, दारे कुत्नी ने 'ज़ईफ़' और बुख़ारी (रह.) ने मुंकरुल हदीस क़रार दिया है। देखिए (अल्मीज़ान : 4/246; रक़म : 9017) लेकिन यह हदीस इन लफ़्ज़ों में और इस सनद से बेहद ग़रीब है, और सत्तर से ऊपर फ़िर्क़ों की हदीस बहुत सी सनदों से मरवी है जिसे हमने और जगह बयान कर दिया है, फ़ल्हम्दु लिल्लाह!

***

يَآيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

तर्जुमा : "ऐ रसूल (ﷺ)! पहुँचा दे जो कुछ भी तेरी तरफ़ तेरे रब की तरफ़ से नाज़िल किया गया है। अगर तूने ऐसा न किया तो तूने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की, तुझे अल्लाह तआला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह तआला काफ़िरों की रहबरी नहीं करता।" (67)

अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को पूरी तालीमात की तब्लीग़ का हुक्म दिया (आयत 67) : अपने नबी (ﷺ) को रसूल के प्यारे ख़िताब से आवाज़ देकर अल्लाह तआला हुक्म देता है कि अल्लाह तआला के कुल अहकाम लोगों को पहुँचा दो। हुज़ूर (ﷺ) ने भी ऐसा ही किया है। सहीह बुख़ारी में है हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं जो तुझसे कहे कि हुज़ूर (ﷺ) ने अल्लाह के किसी नाज़िलकर्दा हुक्म को छुपा लिया तो जान लो कि वह झूठा है। अल्लाह तआला ने अपने नबी (ﷺ) को यह हुक्म दिया है। फिर इसी आयत की तिलावत आपने की। यह हदीस यहाँ मुख़्तसर है और जगह पर लम्बी भी है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल माइदा, बाब (या अय्युहर्रसूल बल्लिग़ मा उंज़िला इलैका मिर्रब्बिक) : 4612, 4855; मुतव्वलन; सहीह मुस्लिम : 177; तिर्मिज़ी : 3068; अहमद : 6/49; अबू यअला : 4900; इब्ने हिब्बान : 60) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि अगर हुज़ूर (ﷺ) अल्लाह तआला के किसी फ़र्मान को छुपाने वाले होते तो इस आयत को छुपाते (وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ) (33/अहज़ाब : 27) (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब मअना क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल (व लक़द रआहू नज़्लतन उख़्रा...) : 177) यानी "तू अपने दिल में वह छुपाता था जिसे अल्लाह तआला ज़ाहिर करने वाला था और तू लोगोंसे डर रहा था। हालाँकि अल्लाह तआला ज़्यादा हक़दार है कि तू उससे डरे।" इब्ने अब्बास (रज़ि.) से किसी ने कहा, लोगों में चर्चा हो रहा है कि तुम्हें कुछ बातें हुज़ूर (ﷺ) ने ऐसी बताई हैं जो और लोगों से छुपाई थीं, तो आप (रज़ि.) ने यही आयत पढ़ी और फ़र्माया, "क़सम अल्लाह तआला की! हमें हुज़ूर (ﷺ) ने किसी ऐसी मख़सूस चीज़ का वारिस नहीं बनाया। (इब्ने अबी हातिम) सहीह बुख़ारी में है कि हज़रत अली (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा, क्या तुम्हारे पास क़ुरआन के अलावा कुछ और वही भी है? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, उस अल्लाह की क़सम! जिसने दाने को उगाया है और जानों को पैदा किया है कि कुछ नहीं बजुज़ इस फ़हम व दरायत के जो अल्लाह तआला किसी शख़्स को दे, और जो कुछ इस सहीफ़े में है। उसने पूछा, सहीफ़े में क्या है? फ़र्माया, दियत के मसाइल हैं, क़ैदियों को छोड़ देने के अहकाम हैं, और यह है कि मुसलमान काफ़िर के बदले क़िसासन क़त्ल न किया जाए। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब फ़काकुल असीर : 3047) सहीह बुख़ारी में इमाम ज़ोहरी (रह.) का फ़र्मान है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से रिसालत है और पैग़म्बर (ﷺ) के ज़िम्मे तब्लीग़ है और हमारे ज़िम्मे क़बूल करना और ताबेअ फ़र्मान होना है। (सहीह बुख़ारी,

किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (या अय्युहर्रसूल बल्लिग़ मा उंज़िल इलैका मिर्रब्बिक....) : क़ब्ल हदीस : 7530; तालीक़न) हुज़ूर (ﷺ) ने अल्लाह तआला की सब बातें पहुँचा दीं, उसकी गवाह आप (ﷺ) की तमाम उम्मत है कि फ़िल वाक़ेअ आप (ﷺ) ने अमानत की पूरी अदायगी की और सबसे बड़ी मज्लिस जो थी उसमें सबने इस अम्र का इक़रार किया, यानी हज्जतुल विदा के ख़ुत्बे में जिस वक़्त आपके सामने हज़ारों सहाबा (रज़ि.) का गिरोहे अज़ीम था। सहीह मुस्लिम में है कि आप (ﷺ) ने उस ख़ुत्बे में लोगों से फ़र्माया, "तुम मेरे बारे में अल्लाह तआला के यहाँ पूछे जाओगे तो बताओ क्या जवाब दोगे?" सबने कहा, हमारी गवाही है कि आपने तब्लीग़ कर दी और हक़्क़े रिसालत अदा कर दिया। और हमारी पूरी ख़ैरख़्वाही की, आप (ﷺ) ने हाथ और सर आसमान की तरफ़ उठाकर लोगों की तरफ़ झुककर फ़र्माया, "ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुँचा दिया? (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन्नबी (ﷺ) : 1218) ऐ अल्लाह तआला! क्या मैंने पहुँचा दिया" मुस्नद अहमद में यह भी है कि आप (ﷺ) ने उस ख़ुत्बे में पूछा "लोगों! यह कौनसा दिन है?" लोगों ने कहा, हुर्मत वाला। पूछा "लोगों! यह कौनसा शहर है?" जवाब मिला, हुर्मत वाला। फ़र्माया, "कौनसा महीना है?" जवाब मिला, हुर्मत वाला। फ़र्माया, "पस तुम्हारे माल और ख़ून व आबरूएँ आपस में एक दूसरे पर ऐसी ही हुर्मत वाली हैं जैसे इस दिन की, इस शहर में और इस महीने में हुर्मत है।" फिर बार बार इसी को दोहराया फिर अपनी उँगली को आसमान की तरफ़ उठाकर फ़र्माया, "ऐ अल्लाह! क्या मैंने पहुँचा दिया।" इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला की क़सम! यह आप (ﷺ) के रब तआला की तरफ़ आपको वसिय्यत थी फिर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "देखो हर हाज़िर शख़्स ग़ैर हाज़िर को यह पहुँचा दे। देखो! मेरे पीछे कहीं काफ़िर न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारते फिरो।" इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इसे रिवायत किया है। (मुस्नद अहमद : 1/330; सहीह बुख़ारी, किताबुल हज्ज, बाब अल्ख़ुत्बतु अय्यामे मिना : 1739)

फिर फ़र्माता है अगर तूने मेरी बात बन्दों तक न पहुँचाए तो तूने हक़्क़े रिसालत अदा नहीं किया। फिर उसकी जो सज़ा है वह ज़ाहिर है अगर एक आयत भी छुपा ली तो रिसालत तोड़ दी। हज़रत मुजाहिद (रह.) फ़र्माते हैं कि जब यह हुक्म नाज़िल हुआ कि जो कुछ उतरा है सब पहुँचा दो तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं अकेला हूँ और यह सब मिलकर मुझ पर चढ़ दौड़ते हैं, मैं किस तरह करूँ?" तो दूसरा जुम्ला उतरा कि अगर तूने न किया तो तूने रिसालत का काम भी नहीं किया। फिर फ़र्माया, तुझे लोगों से बचा लेना मेरे ज़िम्मे है। तेरा हाफ़िज़ व नासिर मैं हूँ। बेखटके रह, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस आयत से पहले हुज़ूर (ﷺ) अपना पहरा रखते थे, लोग निगहबानी पर मुक़र्रर रहते थे। चुनाँचे हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि एक रात को हुज़ूर (ﷺ) बेदार थे, नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज क्या बात है? फ़र्माया, "काश! कि कोई मेरा नेकबख़्त सहाबी आज पहरा देता।" यह बात हो रही थी कि मेरे कानों में हथियार की आवाज़ आई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "कौन है?" जवाब मिला कि मैं सअद बिन मालिक हूँ। फ़र्माया, "कैसे आए?" जवाब दिया इसलिए कि रात भर हुज़ूर (ﷺ) की पहरेदारी करूँ। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) बाआराम सो गए, यहाँ तक कि ख़र्राटों की आवाज़ आने लगी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद,

बाब अल ह़िरासतु फ़िल्ग़ज़्वा फ़ी सबीलिल्लाह : 2885; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2410; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 8867; अह़मद : 6/141; इब्ने ह़िब्बान : 6986) एक रिवायत में है कि यह वाक़िया 2 हिज्री का है। इस आयत के नाज़िल होते ही आप (ﷺ) ने ख़ैमे से सर निकालकर चौकीदारों से फ़र्माया, "जाओ! जब मैं अल्लाह तआ़ला की पनाह में आ गया हूँ, तुम्हारी चौकीदारी की ज़रूरत नहीं रही।" (तिर्मिज़ी, किताबुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3046; वसनदुहू ह़सन; ह़ाकिम : 2/313; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को स़ह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 2489) एक रिवायत में है कि अबू त़ालिब आप (ﷺ) के साथ साथ किसी न किसी आदमी को रखते थे, जब यह आयत नाज़िल हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बस चचा! अब मेरे साथ किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह की ह़िफ़ाज़त में आ गया हूँ।" (त़ब्रानी : 11663; बि नह़विही; इस रिवायत में मुह़म्मद बिन मुफ़ज़्ज़ल बिन इब्राहीम अशअ़री और उसका बाप मज्हूल रावी है जिसकी वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है। और इसका मतन मुंकर है। देखिए (इब्ने कसीर बतख़रीज अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ महदी : 2/579) लेकिन यह रिवायत ग़रीब है और मुंकर है। यह वाक़िया हो तो मक्का का हो, और यह आयत तो मदनी है बल्कि मदीना की भी आख़िरी मुद्दत की आयत है। इसमें शक नहीं कि मक्का में भी अल्लाह तआ़ला की ह़िफ़ाज़त अपने रसूल (ﷺ) के साथ रही बावजूद दुश्मने जान होने के हर हर अस्बाब और सामान से लेस होने के सरदाराने मक्का और अहले मक्का आप (ﷺ) का बाल तक बेका न कर सके। इब्तिदा-ए-रिसालत के ज़माने में अपने चचा अबू त़ालिब की वजह से जो कि कुरैशियों के सरदार और असर व रुसूख़ वाले शख़्स़ थे, आप (ﷺ) की ह़िफ़ाज़त होती रही। इनके दिल में अल्लाह तआ़ला ने आपकी मुह़ब्बत व इ़ज़्ज़त डाल दी, यह मुह़ब्बत त़ब्ई थी, शरई न थी, अगर शरई होती तो कुरैश हुज़ूर (ﷺ) के साथ ही उनकी भी जान के ख़्वाहाँ हो जाते। उनके इंतिक़ाल के बाद अल्लाह तआ़ला अंस़ार के दिलों में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की शरई मुह़ब्बत पैदा कर दी। आप (ﷺ) उन्हीं के यहाँ चले गये। अब तो मुश्रिकीन भी और यहूदी भी भिड़ भिड़ाकर निकल खड़े हुए, बड़े बड़े बा सामान लश्कर लेकर चढ़ दौड़े। लेकिन बार-बार की नाकामियों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी त़रह़ ख़ुफ़िया साज़िशें भी जितनी कीं क़ुदरत ने भी उन्हीं पर उलट दीं, इधर वह जादू करते हैं उधर सूरह मऊ़ज़तैन नाज़िल होती हैं और उनका जादू उतर जाता है। उधर वह हज़ारों जतन करके बकरी के शाने में ज़हर मिलाकर हुज़ूर (ﷺ) की दावत करके आप (ﷺ) के सामने रखते हैं, इधर अल्लाह तआ़ला अपने नबी (ﷺ) को उस धोखाधड़ी से आगाह करता है और यह हाथ काटते रह जाते हैं। और भी ऐसे वाक़ियात आप (ﷺ) की ज़िन्दगी में बहुत सारे नज़र आते हैं। तफ़्सीर इब्ने जरीर में है कि एक सफ़र में आप (ﷺ) एक सायादार दरख़्त तले जो स़ह़ाबा (रज़ि.) अपनी आ़दत के मुत़ाबिक़ हर मंज़िल में तलाश करके आप (ﷺ) के लिए छोड़ देते थे, दोपहर के वक़्त क़ैलूला कर रहे थे कि एक आ़राबी अचानक आ पहुँचा, आप (ﷺ) की तलवार जो उसी दरख़्त पर लटक रही थी, उतार ली और म्यान से बाहर निकाल ली और डांटकर आप (ﷺ) से कहने लगा, अब बताओ कौन है जो तुझे बचा ले? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला मुझे बचाएगा।" उसी वक़्त आ़राबी का हाथ काँपने लगता है और तलवार उसके हाथ से गिर जाती है और वह दरख़्त से टकराता है जिससे उसका दिमाग़ पाश

पाश हो जाता है और अल्लाह तआला यह आयत उतारता है। (इस रिवायत में अबू मेअशर नजीह सनदी ज़ईफ़ रावी है। (इसका हवाला गुज़र चुका है।) इब्ने अबी हातिम में है कि जब हुज़ूर (ﷺ) ने बनू अन्मार से ग़ज़्वा किया, ज़ातुर्रिक़ाक़ खजूर के बाग़ में आप (ﷺ) एक कूएँ में पैर लटकाए बैठे थे जो बनू नज्जार के एक शख़्स हारिस नामी ने कहा, देखो! अब मैं मुहम्मद (ﷺ) को क़त्ल करता हूँ, लोगों ने कहा, कैसे? कहा मैं किसी हीले से आपकी तलवार ले लूँगा और फिर एक ही वार में आर-पार कर दूँगा। यह आप (ﷺ) के पास आया और इधर उधर की बातें बनाकर आप (ﷺ) से तलवार देखने को मांगी, आप (ﷺ) ने उसे दे दी, लेकिन तलवार उसके हाथ में आते ही उस पर उस बला का लरज़ा चढ़ा कि आख़िर तलवार संभल न सकी ओर हाथ से गिर पड़ी, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''तेरे और तेरे बदइरादों के बीच अल्लाह तआला हाइल हो गया'' और यह आयत उतरी। (इस रिवायत में मूसा बिन उबेदा रब्ज़ी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/213; रक़म : 8895) लेकिन बुख़ारी (2913) वग़ैरह में आयत के नुज़ूल के बग़ैर इसी मानी की रिवायत मौजूद है।) ग़ौरस बिन हारिस का भी ऐसा ही क़िस्सा मशहूर है। इब्ने मर्दवे में है कि सहाबा (रज़ि.) की आदत थी कि सफ़र में जिस जगह ठहरते, हुज़ूर (ﷺ) के लिए घने साये वाला बड़ा दरख़्त छोड़ देते कि आप (ﷺ) उसके ज़ेरे साया आराम फ़र्माएँ। एक दिन आप (ﷺ) इसी तरह ऐसे दरख़्त के नीचे सो गए और आप (ﷺ) की तलवार उसी दरख़्त से लटक रही थी। एक शख़्स आ गया और तलवार हाथ में लेकर कहने लगा, अब बताओ कि मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला बचाएगा, तलवार रख दे।'' वह इस क़द्र डर गया कि हुक्म बरदारी करनी ही पड़ी और तलवार आप (ﷺ) के सामने डाल दी। और अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी (वल्लाहु यहसिमुक मिनन्नास) (इब्ने हिब्बान, अल्मवारिद : 1739; वसनदुहू हसन; यह रिवायत हसन दर्जे की है (इब्ने कसीर तहक़ीक़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 2/581) मुस्नद अहमद में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक मोटे आदमी के पेट की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, ''अगर यह इसके सिवा में होता तो तेरे लिए बेहतर था'' एक शख़्स को सहाबा (रज़ि.) पकड़कर आप (ﷺ) के पास लाए और कहा कि यह आपके क़त्ल का इरादा कर रहा था। वह काँपने लगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''घबरा नहीं! भले तू इरादा करे लेकिन अल्लाह उसे पूरा नहीं करेगा।'' (मुस्नद अहमद : 3/471; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; तब्रानी : 2185; शुअबुल ईमान : 5666; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 10903; मज्मउज़्ज़वाइद : 8/227; यह रिवायत अबू इस्राईल के ज़ुअफ़ की वजह से ज़ईफ़ है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 25/203) फिर फ़र्माता है, ''तेरे ज़िम्मे सिर्फ़ तब्लीग़ है, हिदायत रब के हाथ है वह काफ़िरों को हिदायत नहीं देगा, तू पहुँचा दे, हिसाब का लेने वाला अल्लाह तआला ही है।''

***

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا
وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾

तर्जुमा : "कह दे कि ऐ अहले किताब! तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक कि तौरात व इंजील पर और जो कुछ तुम्हारी तरफ़ रब तआला की तरफ़ से नाज़िल हुआ है, क़ायम न हो जाओ, जो कुछ तेरी जानिब तेरे रब तआला की तरफ़ से उतरा है वह उनमें से अक्सरों को शरारत और इंकार में और भी बढ़ाएगा। तो तू इन काफ़िरों पर ग़मगीन न हो। (68) मोमिन, यहूदी, सितारापरस्त, नस़रानी कोई हो जो भी अल्लाह तआला और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे वह महज़ बेख़ौफ़ रहेगा और बिलकुल बेग़म हो जाएगा।" (69)

ईमान वाला बनने की शर्त (आयत 67, 68) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि यहूदो नसारा किसी दीन पर नहीं जब तक कि अपनी किताबों पर और अल्लाह तआला की इस किताब पर ईमान न लाएँ। लेकिन इनकी हालत तो यह है कि ज्यों-ज्यों कुरआन उतरता है, त्यों-त्यों यह सरकशी और कुफ़्र में बढ़ते जाते हैं। पस ऐ नबी (ﷺ)! तू इन काफ़िरों की तरफ़ से हसरत व अफ़सोस करके क्यूँ अपनी जान में घुन लगाता है? साबी नसरानियों और मजूसियों की बेदीन जमाअत को कहते हैं और सिर्फ़ मजूसियों को भी, और यह एक गिरोह था यहूद नसरानियों दोनों में से मिस्ल मजूसियों के। क़तादा (रह.) कहते हैं कि यह ज़बूर पढ़ते थे, ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ें पढ़ते थे और फ़रिश्तों को पूजते थे। वहब (रह.) फ़र्माते हैं यह अल्लाह तआला को एक जानते थे, किसी शरीअत पर आमिल न थे। इनमें कुफ़्र की ईजाद नहीं हुई थी। यह इराक़ के मुत्तसिल आबाद थे। बकूसी कहे जाते थे, नबियों को मानते थे, हर साल तीस रोज़े रखते थे, और यमन की तरफ़ चेहरा करके दिन भर में पाँच नमाज़ें पढ़ते थे, इसके सिवा और क़ौल भी हैं चूँकि पहले दो जुम्लों के बाद उनका ज़िक्र आया था इसलिए रफ़अ के साथ अत्फ़ डाला। उन तमाम लोगों से जनाब बारी तआला फ़र्माता है कि अम्नो अमान वाले बेडर और बेख़ौफ़ वह हैं जो अल्लाह तआला पर और क़यामत के दिन पर सच्चा ईमान रखें और नेक अमल करें। और यह नामुम्किन है जब तक इस आख़िरी रसूल (ﷺ) पर ईमान न हो जो कि तमाम जिन्न व इंस की तरफ़ अल्लाह तआला के रसूल बनाकर भेजे गए हैं। पस आप (ﷺ) पर ईमान लाने वाले आने वाली ज़िन्दगी के ख़तरात से बेख़ौफ़ हैं और यहाँ छोड़कर जाने वाली चीज़ों की उन्हें कोई तमन्ना और हसरत नहीं। सूरह बक़रह की तफ़्सीर में इस जुम्ले के मुफ़स्सल मानी बयान कर दिए गए हैं।

لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوْٓا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

तर्जुमा : ''हमने बिल यक़ीन बनी इस्राईल से अ़हदो पैमान लिया और उनकी त़रफ़ रसूलों को भेजा, जब कभी रसूल उनके पास वह अह़काम लेकर आए जो उनकी अपनी मंशा के ख़िलाफ़ थे तो उन्होंने उनकी एक जमाअ़त को तो झुठलाया और एक जमाअ़त को क़त्ल कर दिया। (70) और समझ बैठे कि कोई सज़ा न मिलेगी, पस अंधे, बहरे बन बैठे, फिर अल्लाह तआ़ला उन पर मुतवज्जा हुआ, उसके बाद भी उनमें से अक्सर अंधे बहरे हो गए। अल्लाह तआ़ला उनके आ़माल को बख़ूबी देखने वाला है।'' (71)

यहूदो-नसारा की वादाख़िलाफ़ियाँ (आयत 70,71) : अल्लाह तआ़ला ने यहूदो नसारा से वादे लिए थे कि वह अल्लाह के अह़काम पर आ़मिल और वह़ी के पाबंद रहेंगे। लेकिन उन्होंने मीसाक़ (वादा) तोड़ दिया और अपनी राय व ख़्वाहिश के पीछे लग गए, किताबुल्लाह की जो बात उन्होंने अपनी मंशा और राय के मुताबिक़ पाई, मान ली और जिसमें ख़िलाफ़ नज़र आया, छोड़ दिया और न सिर्फ़ इतना ही बल्कि रसूलों के मुख़ालिफ़ होकर बहुत से रसूलों को झूठा बताया और बहुतों को शहीद कर दिया क्योंकि उनके लाए हुए अह़काम इनकी राय क़यास के मुख़ालिफ़ थे, इतने बड़े गुनाह के बाद भी बेफ़िक्र होकर बैठे और समझ लिया कि हमें कोई सज़ा न होगी लेकिन इन्हें ज़बरदस्त रूहानी सज़ा हुई यानी वह ह़क़ से दूर डाल दिए गए और उससे अंधे बहरे बना दिए गए, न ह़क़ को सुनें, न हिदायत को देख सकें लेकिन फिर भी अल्लाह तआ़ला ने उन पर मेहरबानी की लेकिन उसके बाद उनमें से अक्सर ऐसे ही हो गए कि ह़क़ से नाबीना और ह़क़ के सुनने से मह़रूम। अल्लाह तआ़ला उनके आ़माल से बाख़बर है वह जानता है कि कौन किस चीज़ का मुस्तह़िक़ है।

***

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ
ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ ؕ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ؕ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ
انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝

तर्जुमा : ''बेशक वह लोग काफ़िर हो गए जिनका क़ौल है कि मसीह बिन मरयम (عليه السلام) ही अल्लाह है, हालाँकि ख़ुद मसीह (عليه السلام) ने इनसे कहा था कि ऐ बनी इस्राईल! अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है, यक़ीन मानो कि जो शख़्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है अल्लाह तआला उस पर जन्नत को हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नम ही है। गुनहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं। (72) वह लोग भी क़तअन काफ़िर हो गए जिन्होंने कहा, अल्लाह तआला तीन में का तीसरा है, दरअसल अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। अगर यह लोग अपने इस क़ौल से बाज़ न रहे तो इनमें से जो कुफ़्र पर हैं उन्हें अलमनाक अज़ाब ज़रूर पहुँचेंगे। (73) यह लोग क्यूँ अल्लाह तआला की तरफ़ नहीं झुकते और क्यूँ इस्तिग़फ़ार नहीं करते? अल्लाह तो बहुत ही बख़्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। (74) मसीह बिन मरयम (عليه السلام) सिवाए पैग़म्बर होने के और कुछ भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से पैग़म्बर हो चुके हैं। उनकी माँ एक सिद्दीक़ा (सच्ची) औरत थीं, दोनों माँ बेटे खाना खाया करते थे, देख तो कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते जाते हैं फिर ग़ौर कर ले कि किस तरह पलटाए जाते हैं।'' (75)

मुश्रिक पर जन्नत हराम है (आयत 72-75) : नसरानियों के फ़िर्क़ों की यानी मलिकिया, याक़ूबिया, निस्तूरिया के कुफ़्र की हालत बयान की जा रही है कि यह मसीह (عليه السلام) ही को अल्लाह कहते हैं और मानते हैं, अल्लाह इनके क़ौल से पाक, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा है। मसीह तो अल्लाह तआला के गुलाम थे, सबसे पहला कलिमा दुनिया में क़दम रखते ही गोद में ही यह था कि (اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ) (19/मरयम : 30) ''मैं अल्लाह का

बन्दा हूँ।'' उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं अल्लाह हूँ या अल्लाह का बेटा हूँ बल्कि अपनी गुलामी का इक़रार किया था और साथ ही फ़र्माया था ''मेरा और तुम सबका रब अल्लाह तआला ही है। उसी की इबादत करते रहो, सीधी और सह़ीह़ राह यही है'' और यही क़ौल अपनी जवानी के बाद की उम्र में भी कहा, ''अल्लाह तआला ही की इबादत करो, उसके साथ दूसरे की इबादत करने वाले पर जन्नत ह़राम है, उसके लिए जहन्नम वाजिब है।'' जैसे कुरआन की और आयत में है ''अल्लाह तआला शिर्क को मुआफ़ नहीं करता'' जहन्नमी जब जन्नतियों से खाना पानी मांगेंगे तो अहले जन्नत का यही जवाब होगा, दोनों चीज़ें कुफ़्फ़ार पर ह़राम हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने बज़रिया मुनादी मुसलमानों में आवाज़ लगवाई थी कि जन्नत में फ़क़त ईमान व इस्लाम वाले ही जाएँगे। (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब ग़िल्ज़ु तह़रीमिल गुलूल व अन्नहू ला यद्ख़ुलुल् जन्नत इल्लल मोमिनून : 114) सूरह निसाअ की आयत (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ) (4/निसाअ : 48) की तफ़्सीर में वह ह़दीस भी बयान कर दी गई है जिसमें है कि गुनाह के तीन दीवान (रजिस्टर) हैं जिसमें से एक वह है जिसे अल्लाह तआला कभी नहीं बख़्शता और वह अल्लाह तआला के साथ शिर्क है। (मुस्नद अह़मद : 6/240; इस रिवायत में सदक़ा बिन मूसा को अबूदाऊद और नसाई ने ज़ईफ़ कहा है और अबू ह़ातिम ने लीनुल ह़दीस कहा है (तहज़ीबुत्तहज़ीब : 4/218) और शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ुल जामेअ : 3022) ह़ज़रत मसीह़ (عليه السلام) ने भी अपनी क़ौम में यही वअ़ज़ बयान किया और फ़र्माया कि ऐसे नाइंसाफ़ मुश्रिकीन का कोई मददगार भी खड़ा न होगा।

अब उन काफ़िरों का बयान हो रहा है जो अल्लाह तआला को तीन में से एक मानते थे। यहूदी उज़ैर (عليه السلام) को और नसरानी ईसा (عليه السلام) को अल्लाह तआला का बेटा कहते थे। और अल्लाह तआला को तीन में से एक मानते थे। लेकिन यह आयत सिर्फ़ नस्रानियों के बारे में है वह बाप बेटा और उस कलिमे को जो बाप की तरफ़ से बेटे की जानिब था अल्लाह तआला मानते थे फिर उन तीन के मुक़र्रर करने में बहुत बड़ा इख़्तिलाफ़ था और हर फ़िर्क़ा दूसरे को काफ़िर कहता था और ह़क़ यह है कि सबके सब काफ़िर थे। ह़ज़रत मसीह़ (عليه السلام) को और उनकी माँ को और अल्लाह तआला को मिलाकर अल्लाह तआला मानते थे उसी का बयान इस सूरत के आख़िर में है कि क़यामत के दिन अल्लाह तआला ह़ज़रत मसीह़ (عليه السلام) से फ़र्माएगा ''क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को भी अल्लाह मानो?'' वह इससे साफ़ इंकार करेंगे और अपनी ला इल्मी और बेगुनाही ज़ाहिर करेंगे। ज़्यादा ज़ाहिर क़ौल भी यही है, वल्लाहु आलम! दरअसल लायक़े इबादत सिवाए उस ज़ात पाक के और कोई नहीं, तमाम कायनात और कुल मौजूदात का माबूदे बरह़क़ वही है अगर यह अपने इस कुफ़्रिया क़ौल से बाज़ न आए तो यक़ीनन यह अलमनाक अज़ाबों का शिकार होंगे।

फिर अल्लाह अपने करम वजूद, बख़्शिश व इन्आम और लुत्फ़ो-रह़मत को बयान फ़र्मा रहा है और बावजूद उनके इस क़द्र सख़्त जुर्म के और इतनी अशद बेह़याई के और किज़्ब व इफ़्तिरा के इन्हें अपनी रह़मत की दावत देता है और फ़र्माता है कि अब भी मेरी तरफ़ झुक जाओ, अभी सबको मुआफ़ कर दूँगा और दामने रह़मत तले ले लूँगा। ह़ज़रत मसीह़ (عليه السلام) अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल ही थे उन जैसे रसूल उनसे पहले भी हुए हैं। जैसे फ़र्माया (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 59) ''वह हमारे गुलाम ही थे, हाँ! हमने उन

पर रहमत नाज़िल फ़र्माई थी। और बनी इस्राईल के लिए क़ुदरत की एक निशानी बनाई'' वालिदा ईसा (عليه السلام) मोमिना और सच्चाई वाली औरत थीं, इससे मालूम हुआ कि नबिय्या न थीं, क्योंकि यह मक़ामे वस्फ़ है तो बेहतरीन वस्फ़ जो आपका था वह बयान कर दिया अगर नबुव्वत वाली होतीं तो इस मौक़े पर उसका बयान निहायत ज़रूरी था। इब्ने हज़्म (रह.) वग़ैरह का ख़्याल है कि उम्मे इस्हाक़ और उम्मे मूसा और उम्मे ईसा नबिय्या थीं, और दलील यह देते हैं कि फ़रिश्तों ने हज़रत सारा और हज़रत मरयम (عليه السلام) से ख़िताब और कलाम किया और वालिदा मूसा (عليه السلام) की निस्बत फ़र्मान है (وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰى) (28/क़सस : 7) ''हमने मूसा (عليه السلام) की वालिदा की तरफ़ वही की कि तू इन्हें दूध पिला।'' लेकिन जुम्हूर का मज़हब इसके ख़िलाफ़ है वह कहते हैं कि नबुव्वत मर्दों में रही। जैसे क़ुरआन का फ़र्मान है (وَ مَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا) (21/अम्बिया : 7) ''तुझसे पहले हमने बस्ती वालों में से मर्दों ही की तरफ़ रिसालत इन्आम फ़र्माई है।'' शैख़ अबुल हसन अशअ़री (रह.) ने तो इस पर इज्माअ नक़्ल किया है। फिर फ़र्माता है कि माँ बेटा तो दोनों खाने पीने के मुहताज थे और ज़ाहिर है कि जो अंदर जाएगा वह बाहर भी आएगा पस साबित हुआ कि वह भी औरों के मिस्ल बन्दे ही थे, उलूहियत उनमें न थी। देखो तो हम किस तरह खोल खोलकर इनके सामने अपनी हुज्जतें पेश कर रहे हैं। फिर यह भी देख बावजूद इसके यह किस तरह इधर उधर भटकते और भागते फिरते हैं? कैसे गुमराह मज़ाहिब ले रहे हैं और कैसे रद्दी और बेदलील क़ौल को गिरह में बाँधे हुए हैं।

***

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۭ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَاۗءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

तर्जुमा : ''कह दे कि क्या तुम अल्लाह तआ़ला के सिवा उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे किसी नुक़्सान के मालिक, न किसी नफ़ा के? अल्लाह तआ़ला ही है ख़ूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला। (76) ऐ अहले किताब! अपने दीन में नाहक़ ग़ुलू और ज़्यादती न करो और उन लोगों की नफ़्सानी ख़्वाहिशों की पैरवी न करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं।'' (77)

नफ़ा व नुक़्सान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ही है (आयत 76,77) : माबूदाने बातिला की जो अल्लाह तआ़ला के सिवा हैं इबादत करने से मुमानिअ़त की जाती है कि उन तमाम लोगों से कह दो कि जो तुमसे ज़रर को दूर करने की और नफ़ा को पहुँचाने की कुछ भी ताक़त नहीं रखते, आख़िर तुम क्यूँ उन्हें पूजे

चले जा रहे हो? तमाम बातों के सुनने वाले और तमाम चीज़ों से बाख़बर अल्लाह तआला से हटकर बेसमअ व बसर, बेज़रर, बेनफ़ा व बेक़द्र और बेक़ुदरत चीज़ों के पीछे पड़ जाना यह कौनसी अक़्लमन्दी है? ऐ अहले किताब! इत्तिबाअे हक़ की हदों से आगे न बढ़ो जिसकी तौक़ीर करने का जितना हुक्म हुआ उतनी ही उसकी तौक़ीर करो। इंसानों को जिन्हें अल्लाह ने नबुव्वत दी है, नबुव्वत के दर्जे से उलूहियत के दर्जे तक न पहुँचाओ, जैसे कि तुम जनाब मसीह (عليه السلام) के बारे में ग़लती कर रहे हो और इसकी कोई वजह नहीं सिवाए इसके कि तुम अपने पीरों, मुर्शिदों, उस्तादों और इमामों के पीछे लग गए हो, वह ख़ुद ही गुमराह हैं बल्कि गुमराहकुन हैं, इस्तिक़ामत और अद्ल के रास्ते को छोड़े हुए उन्हें ज़माना गुज़र गया, ज़लालत और बिदअतों में मुब्तला हुए अर्सा हो गया। इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख़्स उनमें था, अल्लाह के दीन का बड़ा पाबन्द, एक ज़माना के बाद शैतान ने उसे बहका दिया कि जो अगले कर गए, वही तुम भी कर रहे हो उसमें क्या रखा है? इसकी वजह से न तो आम लोगों में तुम्हारी क़द्र होगी, न शोहरत, तुम्हें चाहिए कि कोई नई बात ईजाद करो, उसे लोगों में फैलाओ फिर देखो कि कैसी शोहरत होती है, और किस तरह जगह जगह तुम्हारा ज़िक्र होने लगता है। चुनाँचे उसने ऐसा ही किया। उसकी वह बिदअतें लोगों में फैल गईं और एक ज़माना उसकी तक़्लीद करने लगा, अब तो उसे बड़ी नदामत हुई, सल्तनत व मुल्क छोड़ दिया और तंहाई में अल्लाह तआला की इबादतों में मशग़ूल हो गया। लेकिन अल्लाह तआला की तरफ़ से उसे जवाब मिला कि मेरी ही ख़ता सिर्फ़ होती तो मैं मुआफ़ कर देता लेकिन तूने तो आम लोगों को बिगाड़ दिया और उन्हें गुमराह करके ग़लत राह पर लगा दिया जिस राह पर चलते चलते वह मर भी गए उनका बोझ तुझ पर से कैसे हटेगा, मैं तो तेरी तौबा क़बूल नहीं करूँगा, बस ऐसों ही के बारे में यह आयत उतरी है।

***

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۷۸﴾ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا
كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۷۹﴾ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَلَوْ كَانُوْا
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ
فٰسِقُوْنَ ﴿۸۱﴾

तर्जुमा : ''बनी इस्राईल के काफ़िरों पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा बिन मरयम (ﷺ) की ज़ुबानी लानत की गई। इस वजह से कि वह नाफ़र्मानियाँ करते थे और हद से आगे बढ़ गए थे। (78) आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वह करते थे, रोकते न थे, जो कुछ भी यह करते थे यक़ीनन वह बहुत बुरा था। (79) उनमें के अक्सर लोगों को तू देखेगा कि वह काफ़िरों से दोस्तियाँ करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वह बहुत बुरा है कि अल्लाह तआला उनसे नाराज़ हुआ और वह हमेशा अज़ाब में रहेंगे। (80) अगर उन्हें अल्लाह तआला पर और नबी (ﷺ) पर और जो नाज़िल किया गया है उस पर ईमान होता तो यह कुफ़्फ़ार से दोस्तियाँ न रखते, लेकिन इनमें के अक्सर लोग फ़ासिक़ हैं।'' (81)

बनी इस्राईल पर लानत के अस्बाब (आयत 78-81) : इर्शाद है कि बनी इस्राईल के काफ़िर पुराने मल्ऊन हैं, हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा (ﷺ) की ज़ुबानी उन ही के ज़माने में मल्ऊन क़रार पा चुके हैं क्योंकि वह अल्लाह तआला के नाफ़र्मान थे और मख़्लूक़े बारी तआला पर ज़ालिम थे। तौरात, इंजील, ज़बूर और क़ुरआन सब किताबें उन पर लानत बरसाती आईं, यह अपने ज़माने में भी एक दूसरे को बुरे कामों पर देखते थे लेकिन घनी साधे बैठे रहते थे। हरामकारियाँ और गुनाह खुले आम होते थे, और कोई किसी को रोकता न था, यह था उनका बदतरीन काम। मुस्नद अहमद में फ़र्माने रसूल (ﷺ) है ''बनी इस्राईल में पहले पहल जब गुनहगारियाँ शुरू हुईं तो उनके उलमा ने उन्हें रोका लेकिन जब देखा कि बाज़ नहीं आते तो उन्होंने उन्हें अलग न किया बल्कि उन ही के साथ उठते बैठते खाते पीते रहे। अल्लाह तआला ने एक दूसरे के दिल भिड़ा दिए और हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा (ﷺ) की ज़ुबानी उन पर लानत नाज़िल फ़र्माई, क्योंकि वह नाफ़र्मान और ज़ालिम थे'' उसके बयान के वक़्त हुज़ूर (ﷺ) तकिया लगाए हुए थे लेकिन अब ठीक होकर बैठ गए'' और फ़र्माने लगे ''नहीं! नहीं! अल्लाह तआला की क़सम! तुम पर ज़रूरी है कि लोगों को ख़िलाफ़े शरअ बातों से रोको और शरीअत की पाबन्दी पर लाओ।'' (मुस्नद अहमद : 1/391; इस रिवायत में अबू उबेदा और उनके वालिद के दरम्यान इंक़िताअ है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) अबूदाऊद की हदीस में है ''सबसे पहली बुराई बनी इस्राईल में यही दाख़िल हुई थी कि एक शख़्स दूसरे को ख़िलाफ़े शरअ कोई काम करते देखता तो उसे रोकता, उससे कहता कि अल्लाह तआला से डर और इस बुरे काम को छोड़ दे, यह हराम है, लेकिन दूसरे दिन जब वह न छोड़ता तो यह उससे किनाराकशी न करता बल्कि उसका हम निवाला, हम प्याला रहता और मेलजोल बाक़ी रखता, इस वजह से सब में ही संगदिली आ गई।'' फिर आप (ﷺ) ने इस पूरी आयत की तिलावत करके फ़र्मा दिया ''अल्लाह की क़सम! तुम पर फ़र्ज़ है कि भली बातों का हर एक को हुक्म करो, बुराईयों से रोको, ज़ालिम को उसके ज़ुल्म से दूर रखो और उसे तंग करो कि हक़ पर आ जाए।'' (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्रु वन्नही : 4336; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू उबेदा ने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कुछ नहीं सुना। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सहीह अबूदाऊद : 932) तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में भी यह हदीस मौजूद है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3048; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; सनद मुंक़तअ है, अबू उबेदा ने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कुछ नहीं सुना, इब्ने माजा : 4006; शैख़

अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ तिर्मिज़ी : 582) अबूदाऊद वग़ैरह में इसी हदीस के आख़िर में यह भी है "अगर तुम ऐसा न करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल भी आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देगा और तुम पर भी अपनी फटकार नाज़िल करेगा, जैसी उन पर नाज़िल की। (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाबुल अम्र वन्नही : 4337; वहुव ज़ईफ़ुन; अबू उबैदा अन अबीही अब्दुल्लाह मुंक़तअ; मुस्नद अबी यअला : 5035; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है। देखिए (ज़ईफ़ अबूदाऊद : 933) इस बारे में और बहुत सी अहादीस हैं, कुछ सुन भी लीजिए। हज़रत जाबिर (रज़ि.) वाली हदीस तो आयत (لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ) (5/माइदा : 63) की तफ़्सीर में गुज़र चुकी। (يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ) (5/माइदा : 105) की तफ़्सीर में हज़रत अबूबक्र और हज़रत अबू सअल्बा (रज़ि.) की अहादीस आएँगी, इंशाअल्लाह तआला! मुस्नद अहमद और तिर्मिज़ी में है "या तो तुम भलाई का हुक्म और बुराई से मना करते रहोगे या अल्लाह तआला तुम पर अपनी तरफ़ से कोई अज़ाब भेज देगा फिर तुम उससे दुआएँ भी करोगे लेकिन वह क़बूल नहीं करेगा।" (मुस्नद अहमद : 5/388; तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ फ़िल अम्रि बिल मारूफ़ वन्नही अनिल मुंकर : 2169; वहुव हसन; शुअबुल ईमान : 7558; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 7070) इब्ने माजा में है "अच्छाई का हुक्म और बुराई से मुमानिअत करो इससे पहले कि तुम्हारी दुआएँ क़बूल होने से रोक दी जाएँ।" (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्अम्रु बिल मारूफ़ वन्नही अनिल मुंकर : 4004; वहुव हसन; अहमद : 6/159; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीह इब्ने माजा : 3235) सहीह हदीस में है "तुममें से जो शख़्स ख़िलाफ़े शरअ काम देखे उस पर फ़र्ज़ है कि उसे अपने हाथ से रोके, अगर उसकी ताक़त न हो तो ज़ुबान से, अगर उसकी भी ताक़त न रखता हो तो दिल से और यह बहुत ही कमज़ोर ईमान की अलामत है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बयानु कौनिन्नही अनिल मुंकर मिनल ईमान...) : 49; अबूदाऊद : 2140; तिर्मिज़ी : 2172; इब्ने माजा : 1275; अहमद : 3/10; इब्ने हिब्बान : 306; बैहक़ी : 10/90) मुस्नद अहमद में है "अल्लाह तआला ख़ास लोगों के गुनाहों की वजह से आम लोगों को अज़ाब नहीं करता लेकिन उस वक़्त की बुराईयाँ उनमें फैल जाएँ और वह बावजूद क़ुदरत के इंकार न करें, उस वक़्त आम ख़ास सबको अल्लाह तआला अज़ाब में घेर लेता है।" (मुस्नद अहमद : 4/192; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अज़्ज़ुहद : 1352; अल्मुअजमुल कबीर : 344; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 3110) अबूदाऊद में है "जिस जगह अल्लाह तआला की ख़ताएँ होनी शुरू हो जाएँ, जो वहाँ हो और उन ख़िलाफ़े शरअ उमूर से नाराज़ हो" एक रिवायत में है "जो उनका इंकार करता हो वह मिस्ल उसके है जो वहाँ हाज़िर ही न हो और जो उन ख़ताओं से राज़ी हो, भले वहाँ मौजूद न हो वह ऐसा है जैसे उनमें हाज़िर है।" (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्रु वन्नही अनिल मुंकर : 4345; व सनदुहू हसन ; शैख़ अल्बानी (रह) ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 689) अबूदाऊद में है "लोगों के बहाने (उज़्र) जब तक मुंक़तअ न हो जाएँ वह हलाक न होंगे।" (अबूदाऊद, हवाला साबिक़ : 4347; वसनदुहू हसन; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सहीहुल जामेअ : 5231) इब्ने माजा में है कि हुज़ूर (ﷺ) ने

अपने ख़ुत्बे में फ़र्माया, "ख़बरदार! किसी शख़्स को लोगों की हैबत हक़ बात कहने से रोक न दे।" इस ह़दीस को बयान फ़र्माकर ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) रो पड़े और फ़र्माने लगे, अफ़सोस! हमने ऐसे मौक़ों पर लोगों की हैबत मान ली। (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा अख़्बरन्नबी (ﷺ) : 2191; मुत्वव्वलन व सनदुहू ज़ईफ़ुन बिहाज़स्सियाक़; अली बिन ज़ैद बिन जुदआन ज़ईफ़ रावी है। इब्ने माजा : 4007; ह़ाकिम : 4/506; मुस्नद तयालिसी : 2156) अबूदाऊद तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में है "अफ़ज़ल जिहाद हक़ कलिमा ज़ालिम बादशाह के सामने कह देना है।" (अबूदाऊद, किताबुल मलाह़िम, बाब अल्अम्रु वन्नही : 4344; वहुव ह़सन; इब्ने माजा : 4011; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे बिश्शवाहिद ह़सन क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 491) इब्ने माजा में है कि जम्रा ऊला के पास हुज़ूर (ﷺ) के सामने एक शख़्स आया और आप (ﷺ) से सवाल किया कि सबसे अफ़ज़ल जिहाद कौनसा है? आप ख़ामोश रहे, फिर आप (ﷺ) जम्रा सानी पर आए तो उसने फिर वही सवाल किया, मगर आप (ﷺ) ख़ामोश रहे, जब जम्रा उ़क़्बा पर कंकर मार चुके और सवारी पर सवार होने के इरादे से रकाब में पैर रखे तो पूछा, "वह पूछने वाला कहाँ है?" उसने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! मैं ह़ाज़िर हूँ। फ़र्माया, "हक़ कलिमा ज़ालिम बादशाह के सामने कह देना।" (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्अम्रु बिल मारूफ़ वन्नही अ़निल मुंकर : 4012; वसनदुहू ह़सन; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत को ह़सन सह़ीह़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़; तह़्त रक़म : 491) इब्ने माजा में है "तुममें से किसी शख़्स को अपनी बेइ़ज़्ज़ती न करनी चाहिए।" लोगों ने पूछा, हुज़ूर (ﷺ)! यह कैसे? फ़र्माया, "ख़िलाफ़े शरअ़ कोई काम देखे और कुछ न कहे, क़यामत के दिन उससे बाज़पुर्स होगी कि फ़लाँ मौक़े पर तू क्यूँ ख़ामोश रहा? यह जवाब देगा कि लोगों के डर की वजह से। अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, मैं सबसे ज़्यादा हक़दार था कि तू मुझसे डरे।" (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब अल्अम्रु बिल मारूफ़ वन्नही अ़निल मुंकर : 4008) वसनदुहू ज़ईफ़ुन; सनद मुंक़तअ़ है। अबुल बख़्तरी का अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सिमाअ़ नहीं है। शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है देखिए (ज़ईफ़ इब्ने माजा : 868) एक रिवायत में है "जब उसे अल्लाह तआ़ला तल्क़ीने हुज्जत करेगा तो यह कहेगा कि तुझसे तो मैंने उम्मीद रखी और लोगों से डर गया।" (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब क़ौलुहू तआ़ला **(या अय्युहल् लज़ीना आमनू अ़लयकुम अन्फ़ुसकुम)** : 4017; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इस रिवायत की सनद को जय्यद क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सह़ीह़ : 929) व सनदुहू ह़सन) मुस्नद अह़मद में है "मुसलमानों को अपने आपको ज़लील न करना चाहिए।" लोगों ने पूछा, कैसे ? फ़र्माया, "उन बलाओं को सर पर लेना जिनकी बर्दाश्त की त़ाक़त न हो।" (मुस्नद अह़मद : 5/405; तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, वसनदुहू ह़सन; बाब ला यअ़तरिज़ु मिनल बलाइ ला युत़ीक़ : 2254; इब्ने माजा : 4016; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अ़ली बिन ज़ैद बिन जुदआन रावी ज़ईफ़ है।) इब्ने माजा में है कि हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया गया कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अ़निल मुंकर कब छोड़ी जाए? फ़र्माया, "उस वक़्त जब तुममें भी वही ज़ाहिर हो जाए जो तुमसे अगलों में ज़ाहिर हुआ था।" हमने पूछा, वह क्या चीज़ है? फ़र्माया, "कमीने आदमियों में सल्तनत का चला जाना, बड़े आदमियों में बदकारी आ जाना, रज़ीलों में इ़ल्म का आ जाना।" ह़ज़रत ज़ैद (रह़.) कहते हैं कि रज़ीलों में इ़ल्म आ जाने से मुराद फ़ासिक़ों में इ़ल्म आ जाना है। (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाबा

क़ौलुहू तआला (**या अय्युहल् लज़ीना आमनू अलयकुम अन्फ़ुसकुम**) : 4015; वसनदुहू हसन) इस हदीस की शाहिद अबू सअल्बा (रज़ि.) की हदीस है जो यह आयत (ला यज़ुर्रुकुम) की तफ़्सीर में आएगी, इंशाअल्लाह तआला!

फिर फ़र्माता है कि अक्सर मुनाफ़िक़ों को तू देखेगा कि वह काफ़िरों से दोस्तियाँ रखते हैं, उनके इस काम की वजह से यानी मुसलमानों से दोस्तियाँ छोड़कर काफ़िरों से दोस्तियाँ करने की वजह से उन्होंने अपने लिए बुरा ज़ख़ीरा जमा कर रखा है, उसी की पादाश में उनके दिलों में निफ़ाक़ पैदा हो गया है और इसी बिना पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब उन पर नाज़िल हुआ है और क़यामत के दिन दाइमी (हमेशगी) अज़ाब भी उनके लिए आगे आ रहे हैं। इब्ने अबी हातिम में है "ऐ मुसलमानों! ज़िनाकारी से बचो, इससे छः बुराईयाँ आती हैं, तीन दुनिया में, तीन आख़िरत में, इससे इज़्ज़त व वक़ार औ रौनक़ व ताज़गी जाती रहती है। इससे फ़क्रो-फ़ाक़ा आ जाता है। इससे उम्र घटती है, और क़यामत के दिन की तीन बुराईयाँ यह हैं, अल्लाह तआला का ग़ज़ब, हिसाब की सख़्ती और बुराई और जहन्नम का ख़ुलूद।" फिर हुज़ूर (ﷺ) ने इसी आख़िरी जुम्ले की तिलावत फ़र्माई। (शुअबुल ईमान : 5475; हिल्यतुल औलिया : 4/111; अल्मौज़ूआत : 3/107; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत पर मौज़ूअ का हुक्म लगाया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 141) इसमें मुस्लिमा बिन अली मतरूक और अबू अब्दुर्रहमान कूफ़ी मज्हूल है।) यह हदीस ज़ईफ़ है, वल्लाहु आलम! फिर फ़र्माता है अगर यह लोग अल्लाह तआला पर, उसके रसूल (ﷺ) पर और कुरआन पर पूरा ईमान रखते तो हर्गिज़ काफ़िरों से दोस्तियाँ न रखते और छुप-छुपकर उनसे मैल मिलाप ज़ारी न रखते, न सच्चे मुसलमानों से दुश्मनियाँ रखते, दरअसल बात यह है कि इनमें अक्सर लोग फ़ासिक़ हैं यानी अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की इताअत से ख़ारिज हो चुके हैं, उसकी वही और उसके पाक कलाम की आयतों के मुख़ालिफ़ बन बैठे हैं।

***

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝٨٢

तर्जुमा : "यक़ीनन तू ईमानवालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पाएगा, और ईमानवालों से सबसे ज़्यादा दोस्ती के क़रीब तू यक़ीनन उन्हें पाएगा जो अपने आपको नसारा कहते हैं, यह इसलिए कि उनमें दानिशमंद और गौशा नशीन हैं और इस वजह से कि वह तकब्बुर नहीं करते।" (82)

ईसाई (नसारा) यहूदियों की निस्बत मुसलमानों के ज़्यादा क़रीब हैं (आयत 82) : यह आयत और इसके बाद की चार आयतें नज्जाशी और उनके साथियों के बारे में उतरी हैं। जब इनके सामने हब्शा के मुल्क में हज़रत जाफ़र (रज़ि.) बिन अबू तालिब ने कुरआन शरीफ़ पढ़ा तो इनकी आँखों से आँसू बहने लगे और इस क़द्र रोए कि इनकी दाढ़ियाँ तर हो गईं लेकिन यह ख़्याल रहे कि यह आयतें मदीना तय्यिबा में उतरी हैं और हज़रत जाफ़र (रज़ि.) का यह वाक़िया हिज्रत से पहले का है। यह भी मरवी है कि यह आयतें उस वफ़्द के बारे में नाज़िल हुई हैं जिसे नज्जाशी ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा था कि वह आपसे मिलें, हाज़िरे ख़िदमत होकर आप (ﷺ) के हालात व सिफ़ात देखें और आप (ﷺ) का कलाम सुनें। जब यह आए, आपसे मिले और आप (ﷺ) की ज़ुबाने मुबारक से कुरआन सुना तो उनके दिल नर्म हो गए, बहुत रोए और इस्लाम क़बूल कर लिया और वापिस जाकर नज्जाशी से सब हाल कह सुनाया। (तब्री : 10/500) नज्जाशी अपनी सल्तनत छोड़कर हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ हिज्रत करके आने लगे लेकिन रास्ते ही में इंतिक़ाल हो गया। मगर सहीह रिवायात से साबित है कि वह हब्शा में ही सल्तनत करते हुए फ़ौत हुए। उनके इंतिक़ाल के दिन ही हुज़ूर (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) को उनके इंतिक़ाल की ख़बर दी और उनकी नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना अदा की। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब अस्सुफ़ूफ़ु अलल जनाइज़ : 1318; सहीह मुस्लिम : 951, 952) कुछ तो कहते हैं कि उस वफ़्द में सात तो उलमा थे और पाँच ज़ाहिद थे या पाँच उलमा थे, सात ज़ाहिद थे। कुछ कहते हैं यह कुल पचास आदमी थे, और कहा गया है कि साठ से कुछ ऊपर थे। एक क़ौल यह भी है कि यह सत्तर थे, फ़ल्लाहु आलम! हज़रत अता (रह.) फ़र्माते हैं जिनके औसाफ़ आयत में बयान हैं, यह अहले हब्शा हैं। मुसलमान मुहाजिरीन हब्शा जब उनके पास पहुँचे तो यह सब मुसलमान हो गए थे। (तब्री : 10/501) हज़रत क़तादा (रह.) फ़र्माते हैं कि पहले यह दीने ईस्वी पर क़ायम थे लेकिन जब इन्होंने मुसलमानों को देखा और कुरआन को सुना तो फ़ौरन सब मुसलमान हो गए। इब्ने जरीर (रह.) का फ़ैसला इन सब क़ौल को ठीक कर देता है, वह फ़र्माते हैं कि यह आयतें उन लोगो के बारे में हैं जिनमें यह औसाफ़ हों ख़्वाह वह हब्शा के हों या और कहीं के। यहूदियों को मुसलमानों से जो सख़्त दुश्मनी है उसकी वजह यह है कि उनकी सरकशी और इंकार का माद्दा ज़्यादा है और जान बूझकर कुफ़्र करते हैं और ज़िद्द से नाहक़ के ऊपर अड़ते हैं, हक़ के मुक़ाबले में बिगड़ बैठते हैं, हक़ वालों पर हिक़ारत की नज़रें डालते हैं, उनसे बुग़्ज़ व बैर बाँधते हैं और इल्म से कोरे हैं। उलमा की तादाद उनमें बहुत ही कम है और इल्म और ज़ी इल्म लोगों की कोई वक़्अत इनके दिल में नहीं। यही थे जिन्होंने बहुत से अम्बिया (عليهم السلام) को शहीद कर दिया। ख़ुद पैग़म्बर आख़िरुज़्ज़माँ अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद (ﷺ)के क़त्ल का भी इरादा किया और एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार आप (ﷺ) को ज़क दिया, आप (ﷺ) पर जादू किया और अपने जैसे बद बातिन लोगों को अपने साथ मिलाकर हुज़ूर (ﷺ) पर हमले किए लेकिन अल्लाह तआला ने हर मर्तबा उन्हें नामुराद और नाकाम किया। इब्ने मर्दवे में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं "जब कभी कोई यहूदी किसी मुसलमान को तंहाई में पाता है उसके दिल में उसे क़त्ल का क़सद पैदा होता है।" एक दूसरी सनद से भी यह हदीस मरवी है। (अल्मजरूहीन लि इब्ने हिब्बान : 3/122; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत पर सख़्त ज़ईफ़ या मौज़ूअ का हुक्म लगाया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 4439) इसमें यहया बिन उबेदुल्लाह मतरूक रावी है। देखिए तक़रीबुत्तहज़ीब : 7599)

लेकिन है बहुत ही ग़रीब सनद। हाँ! मुसलमानों से दोस्ती में ज़्यादा क़रीब वह लोग हैं जो अपने आपको नसारा कहते हैं। हज़रत मसीह (عليه السلام) के सच्चे ताबेदार हैं, इंजील के असल अहकाम पर और सहीह तरीक़े पर क़ायम हैं, उनमें एक हद तक फ़िल जुम्ला मुसलमानों और इस्लाम की मुहब्बत है यह इसलिए कि उनमें नर्मदिली है, जैसे इर्शादे बारी तआला है **(व जअल्ना फ़ी कुलूबिल्लज़ीनत्तबऊहु राफ़तवं व रहमतन)** यानी "हज़रत ईसा (عليه السلام) के ताबेदारों के दिलों में हमने नर्मी और रहम डाल दिया है।" इनकी किताब में हुक्म है कि जो तेरे दाहिने कुल्ले (गाल) पर थप्पड़ मारे तू उसके सामने बायाँ गाल भी पेश कर दे, इनकी शरीअत में लड़ाई है ही नहीं। यहाँ इनकी दोस्ती की वजह यह बयान फ़र्माई कि इनमें ख़तीब और वाइज़ हैं। क़िस्सीस और क़िस्सुन की जमा (क़िस्सीसीन) है क़ुसूस भी इसकी जमा आती है (रुहबान) जमा राहिब की। राहिब कहते हैं आबिद को। यह लफ़्ज़ मुश्तक़ है रहब से और रुहबत के मानी हैं ख़ौफ़ और डर के जैसे राकिब की जमा है रुक्बान और फ़ारिस की जमा फ़ुरसान है। इमाम इब्ने जरीर (रह.) फ़र्माते हैं कभी रुहबान वाहिद के लिए भी आता है और इसकी जमा रुहाबीन आती है जैसे कुर्बान और क़राबीन और जौज़ान और जवाज़ीन और कभी इसकी जमा रुहाबिना भी आती है, अरब के शेअरों में भी लफ़्ज़ रुहबान वाहिद के लिए आया है। हज़रत सलमान (रज़ि.) से एक शख़्स (क़िस्सीसीन व रुहबाना) पढ़कर इसके मानी पूछता है तो आप फ़र्माते हैं कि (क़िस्सीसीन) को ख़ानक़ाहों और ग़ैर आबाद जगहो में छोड़, मुझे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (सिद्दीक़ीन व रुहबाना) पढ़ाया है। (मज्मउज़्ज़वाइद : 7/17; तबरानी : 6175; हैसमी कहते हैं इस रिवायत में यहया बिन अब्दुल हमीद हिमानी और नसीर बिन ज़ियाद ज़ईफ़ रावी हैं। देखिए (मज्मउज़्ज़वाइद हवाला साबिक़) (बज़्ज़ार और इब्ने मर्दवे) अल्ग़र्ज़ इनके तीन औसाफ़ यहाँ बयान हुए हैं, उनमें आलिमों का होना, उनमें आबिदों का होना और उनमें तवाज़ोअ, फ़रोतनी और आजिज़ी होना।

***

وَاِذَا سَمِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰٓى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا
مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ
وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٤﴾ فَاَثَابَهُمُ
اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزَآءُ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

तर्जुमा : "और जब वह इस क़ुरआन को सुनते हैं जो इस रसूल की तरफ़ उतारा गया है तो आप (ﷺ) इनकी आँखें आंसू से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि इन्होंने हक़ को पहचान लिया, यूँ कहते हैं कि ऐ हमारे रब! हम मुसलमान हो गए, तू हमको भी उन लोगों के साथ लिख ले जो तस्दीक़ करते हैं। (83) और हमारे पास कौनसा उज़्र है कि हम अल्लाह तआला पर और जो हक़ हमको पहुँचा है उस पर ईमान न लाएँ और इस बात की उम्मीद रखें कि हमारा रब हमको नेक लोगों के साथ दाख़िल करेगा। (84) सो इनको अल्लाह तआला इनके क़ौल के बदले में ऐसे बाग़ देगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यह उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे और नेक लोगों का यही बदला है। (85) और जो लोग काफ़िर रहे और हमारी आयात को झूठा कहते रहे वह लोग दोज़ख़ वाले हैं।" (86)

क़ुरआन सुनकर अहले ईमान के दिल नर्म और आँखें बह पड़ती हैं (आयत 83-86) : और जब वह रसूलुल्लाह (ﷺ) पर उतरी हुई वह्यी को सुनते हैं, तो तुम उनकी आँखों को देखोगे कि आँसूओं से भरी हुई होंगी क्योंकि वह उस बशारत को पहचान गए हैं जो बिअ़सते मुहम्मद (ﷺ) के बारे में इन्होंने अपनी किताबों तौरात और इंजील में देखी थीं, चुनाँचे वह कहने लगते हैं कि ऐ रब! हम मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान ले आए अब तू हमको उस गिरोह में शामिल कर ले जिन्होंने गवाही दी है और ईमान ले आए हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि यह आयत नज्जाशी और उसके साथियों के बारे में नाज़िल हुई है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि (मअ़श्शाहिदीन) से मुहम्मद (ﷺ) और आपकी उम्मत मुराद हैं जिन्होंने अपने नबी के लिए गवाही दी है कि नबी ने हक़्क़े तब्लीग़ अदा कर दिया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) की भी गवाही दी है कि वह तब्लीग़ का फ़रीज़ा अदा कर चुके। (हाकिम : 2/313; व सह्हहुल हाकिम व वाफ़क़हुज़्ज़हबी व लाकिन सनदुहू ज़ईफ़) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि (तफ़ीज़ु मिनद्दम्अ़) से वह काश्तकार लोग मुराद हैं जो जाफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) के साथ हब्शा से आए थे और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुरआन सुनाया तो वह ईमान ले आए, उनकी आँखों में आँसू आ गए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि, "जब तुम अपने वतन जाओगे तो अपने साबिक़ा मज़हब में लौट तो नहीं जाओगे? वह कहने लगे कि हम अपने इस दीन से हर्गिज़ नहीं पलटेंगे।" (अल्मुअ़जमुल कबीर : 12455; हैसमी कहते हैं इसकी सनद में अ़ब्बास बिन फ़ज़्ल अंसारी ज़ईफ़ रावी है। देखिए (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 7/18) बल्कि मतरूक मुत्तहम बिल वज़अ़ है। देखिए (तक़्रीबुत् तहज़ीब : 3/318) लिहाज़ा यह रिवायत मौज़ूअ़ है।) चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनके क़ौल को इस तरह नक़्ल किया है **(वमा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नत्मउ़ अय्युदख़िलना रब्बुना मअ़ल क़ौमिस्सॉलिहीन)** यानी "आख़िर हम क्यूँ ईमान न लाएँ अल्लाह तआला पर और अल्लाह तआला की वह्यी पर। हमारी तो ऐन ख़्वाहिश है कि हमारा रब हमें क़ौमे सालिहीन में दाख़िल फ़र्मा दे।" यह नसारा लोग थे जिनका ज़िक्र अल्लाह तआला ने यूँ फ़र्माया है कि अहले किताब में से ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह तआला पर ईमान लाते हैं, ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ इख़्तियार करते हैं और तुम्हारे क़ुरआन और

अपनी इंजील पर भी ईमान रखते हैं। यह वह लोग हैं जो इससे पहले भी इंजील पर ईमान लाए थे। और जब क़ुरआन इन पर पढ़ा जाता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह तआला की तरफ़ से हक़ है हम तो पहले ही मुसलमान हैं। (28/क़सस : 52, 53) इसीलिए यहाँ अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इनके इस ऐतिराफ़ के सबब इन्हें जन्नतें दी जाएँगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यह इनके ईमान और तस्दीक़ का सिला है। उन जन्नतों में वह हमेशा रहेंगे वहाँ से दम भर के लिए हटेंगे नहीं। इत्तिबाअे हक़ करने वालों की जज़ा यही है जिस तरह भी वह हों या जहाँ भी हों या जिसके साथ भी हों, वह इसी सिला के मुस्तहिक़ हैं। इसके बाद बुरे और बेईमान लोगों के हालात की ख़बर दी जाती है कि जिन्होंने कुफ़्र किया और हमारी आयात को झुठलाया वह सब जहन्नमी हैं।

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ
مُؤْمِنُوْنَ ﴿۸۸﴾

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों! अल्लाह तआला ने जो चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की हैं उनमें लज़ीज़ चीज़ों को हराम मत करो और हद से आगे मत निकलो, बेशक अल्लाह तआला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं फ़र्माता। (87) और अल्लाह तआला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल मरग़ूब चीज़ें खाओ और अल्लाह तआला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो।" (88)

अपनी तरफ़ से किसी चीज़ को हलाल या हराम करने की मुमानिअत (आयत 87, 88) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि यह आयत अस्हाबुन्नबी के एक गिरोह के बारे में नाज़िल हुई। उन्होंने यह कहा था कि हम अपने आलात को क़तअ और तर्के शहवत करना चाहते हैं और यह कि राहिबों की तरह इधर उधर घूमते रहें और दुनिया से बिलकुल बेनियाज़ हो जाएँ। नबी (ﷺ) को जब यह ख़बर मिली तो आप (ﷺ) ने उन्हें बुला भेजा और पूछा, तो कहा कि हाँ! हमारा क़स्द ऐसा है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "लेकिन देखो! मैं तो रोज़ा भी रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ, रात को नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सो भी जाता हूँ, औरतों से निकाह भी करता हूँ, राहिब नहीं बना फिरता, जो मेरे तरीक़े पर चला वही मेरा, और जो मेरा तरीक़ा इख़्तियार न करे वह मुझसे नहीं।" (तब्री : 10/518; बिदूनिल आयात)

हज़रत आयशा (रज़ि.) से मरवी है कि कुछ अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नबी करीम (ﷺ) के घरेलू मख़्फ़ी अमल के बारे में कुछ अज़्वाजे नबी (ﷺ) से कुछ सवालात किए (तो नबी करीम ﷺ की शब

व रोज़ इबादत गुज़ारी का हाल मालूम हुआ) तो उनमें से एक कहने लगा कि मैं अब से कभी गोश्त नहीं खाऊँगा। किसी ने कहा, मैं कभी किसी औरत के क़रीब न जाऊँगा, किसी ने कहा, मैं फ़र्शे ख़ाक पर सोऊँगा, कभी बिस्तर पर न सोऊँगा। यह ख़बर नबी करीम (ﷺ) को मिली तो आपने फ़र्माया, ''उन लोगों को क्या हुआ? कोई यह कहता है कोई वह कहता है। मैं तो रोज़ा रखता भी हूँ और नहीं भी रखता, सोता भी हूँ और नमाज़ भी पढ़ता हूँ। गोश्त भी खाता हूँ और निकाह भी करता हूँ। जो मेरे तौर-तरीक़े से हट गया वह मुझमें से नहीं।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुन्निकाह़, बाब अत्तर्ग़ीबु फ़िन्निकाह़ : 5063; सह़ीह़ मुस्लिम : 1401; अह़मद : 3/241; इब्ने ह़िब्बान : 14) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के पास आकर कहने लगा कि मैं गोश्त खाता हूँ तो बहुत शह्वत पैदा हो जाती है इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त को ह़राम कर लिया है। तो यह आयत उतरी कि ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआ़ला की ह़लाल की हुई चीज़ों को अपने ऊपर ह़राम न कर डालो। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3054; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; उ़स्मान बिन सअ़द अल्कातिब रावी ज़ईफ़ है।) अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से मरवी है कि हम एक लड़ाई में लम्बी मुद्दत से नबी अकरम (ﷺ) के साथ थे, हमारे साथ औरतें न थीं, जब हमसे स़ब्र न हो सका तो हमने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा कि क्या हम ख़स्सी हो जाएँ कि ख़्वाहिश ही पैदा न हो तो आप (ﷺ) ने मना फ़र्माया, और हमें एक कपड़े या एक जोड़े मुहर के मुआ़वज़े में एक मुवक़्क़ती (तयशुदा वक़्त के लिए) निकाह़ की इजाज़त दे दी फिर अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने यह आयत पढ़ी कि ऐ ईमानवालो! अल्लाह तआ़ला की ह़लालकर्दा चीज़ों को अपने ऊपर ह़राम न कर लो। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब **(या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तुह़र्रिमू त़य्यिबाति मा अह़ल्ललल्लाहु लकुम)** : 4615; सह़ीह़ मुस्लिम : 1404; बैहक़ी : 7/79; इब्ने ह़िब्बान : 4141) लेकिन यह वाक़िया निकाहे मुत्आ को ह़राम क़रार दिए जाने से पहले का है, वल्लाहु आ़लम!

अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के पास पकी हुई खीर का तोह़फ़ा आया। लोग मिलकर खाने लगे तो एक आदमी मज्लिस से हट गया। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, आओ शरीक हो जाओ, तो कहने लगा कि मैंने तो इसके न खाने की क़सम खा ली है। आपने फ़र्माया कि, आओ खा लो और क़सम तोड़ डालो और कफ़्फ़ारा अदा करो। फिर इस आयत की तिलावत फ़र्माई। (ह़ाकिम : 2/313, 314) कहते हैं अ़ब्दुल्लाह बिन रवाह़ा (रज़ि.) ने एक मेहमान की दावत की लेकिन हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में होने की वजह से देर हो गई। घर आकर मालूम हुआ कि मेहमान को मुंतज़िर रखा गया और खाना नहीं खिलाया गया तो बीवी पर ग़ज़बनाक होकर कहा कि मेरे वास्ते तुमने मेहमान को भूखा रखा, मुझ पर आज खाना ही ह़राम है। औरत ने कहा, हाँ! मुझ पर भी ह़राम है मैं भी नहीं खाऊँगी। मेहमान ने यह देखकर कहा, मुझ पर भी ह़राम है। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) यह देखकर बहुत परेशान हुए। फिर हाथ बढ़ाकर खाने लगे और कहा, बिस्मिल्लाह पढ़कर सब शुरु करो। ग़र्ज़ यह ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को मिली तो आयते बाला नाज़िल हुई। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) यह असर मुंक़त़अ़ समझा जाता है।

सह़ीह़ बुख़ारी की वह ह़दीस जिसमें वाक़िया ह़ज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और उनके मेहमानों का है वह भी इसी के मुशाबा है। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा यक्रहू मिनल ग़ज़बि वल जज़इ

इन्दज़्ज़ैफ़ : 6140; सह़ीह़ मुस्लिम : 2057) और वह और यह दोनों क़िस्से इस बात की दलील हैं कि इमाम शाफ़ेई (रह़.) वग़ैरह उलमा का मस्लक है कि जिसने अपने ऊपर कोई खाना या लिबास या औरतों को छोड़कर और कोई चीज़ ह़राम कर ली तो वह ह़राम नहीं हो जाती और उसका कफ़्फ़ारा नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने कह दिया है कि अल्लाह तआला की ह़लाल की हुई चीज़ अपने ऊपर ह़राम न बना लो। यही तो वजह है कि जिसने गोश्त खाना ह़राम कर लिया था उसको नबी अकरम (ﷺ) ने कफ़्फ़ारा देने का हुक्म न दिया था। लेकिन इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह़.) यह कहते हैं कि जिसने कोई खाना पीना, लिबास या और कोई चीज़ अपने ऊपर ह़राम कर ली तो क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना पड़ेगा, इसलिए कि जब कोई शख़्स क़सम के ज़रिये तर्क (छोड़ना) अपने ऊपर लाज़िम करले तो जैसे क़सम का कफ़्फ़ारा लाज़िम आता है उसी तरह़ बग़ैर क़सम के मुजर्रद (सिर्फ़) तह़रीम से भी ग़ैर लाज़िम को लाज़िम क़रा देने की पादाश में इससे मुवाख़िज़ा किया जाना चाहिए जो कफ़्फ़ारा की सूरत में हो सकता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने भी ऐसा ही फ़त्वा दिया है। वह फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआला के क़ौल से भी यही निकलता है। इशार्द है (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ) (66/तह़रीम : 1) और फ़र्माया (قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (66/तह़रीम : 2) यानी "ऐ नबी (ﷺ)! अपनी बीवियों की ख़ुशनुदी की ख़ातिर अल्लाह तआला ने जो तुम पर ह़लाल कर दिया है उसको क्यूँ ह़राम कर लेते हो, अल्लाह तआला ग़फ़ूरुर रह़ीम है।" फिर फ़र्माया, "अल्लाह तआला तुम पर फ़र्ज़ करता है कि अपनी क़समों को तोड़ दो।" यहाँ आयते मज़्कूरा बाला के ज़िक्र के बाद यमीन के कफ़्फ़ारा का ज़िक्र फ़र्माया है। इससे यह बात साबित हुई कि यमीन का ज़िक्र न भी हो और अपने ऊपर ह़राम कर लिया हो तो भी मुस्तह़िक़्क़े कफ़्फ़ारा होने में बमंज़िला यमीन ही के है, वल्लाह आलम! मुजाहिद (रह़.) से मरवी है कि कुछ बुज़ुर्ग सह़ाबा जैसे उस्मान बिन मज़्ऊन, और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने इरादा किया कि तर्के दुनिया कर लेंगे, ख़स्सी हो जाएँगे, टाट के सिवा कुछ न पहनेंगे तो आयते मुतज़क्किरा उतरी जिसके आख़िर में फ़र्माया गया कि जिस अल्लाह तआला पर तुम ईमान ला चुके, उससे डरो।

इक्रिमा (रह़.) से मरवी है कि उस्मान बिन मज़्ऊन, अली बिन अबी तालिब, इब्ने मसऊद, मिक़्दाद बिन अस्वद, सालिम मौला अबू हुज़ैफ़ा (रज़ि.) इन अस्ह़ाब ने तर्के दुनिया का क़स्द कर लिया, घरों में बैठ गए, औरतों को छोड़ दिया, टाट पहन लिया, खाना व लिबास की अच्छी अच्छी चीज़ें सब अपने ऊपर ह़राम कर लीं, बनी इस्राईल के रुहबानों का सा खाना पीना इख़्तियार कर लिया, ख़स्सी होने का क़स्द किया, इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि रात भर नमाज़ पढ़ा करेंगे और दिन भर रोज़ा रखेंगे। तो यह आयत उतरी कि अल्लाह की ह़लाल कर्दा चीज़ों को अपने ऊपर ह़राम न बना लो, ह़द से आगे न बढ़ जाओ, हम ऐसे लोगों को हर्गिज़ पसंद नहीं करते। यह मुसलमानों का तरीक़ा नहीं कि औरतों से अलग रहना, अच्छा खाना पीना और अच्छा लिबास छोड़ देना, रात भर जागना, दिन भर रोज़ा रखना, ख़स्सी हो जाना यह सब ग़लत तरीक़े हैं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "तुम पर तुम्हारे नफ़्स का भी ह़क़ है, कभी नफ़्ल रोज़ा रखो कभी न रखो, कभी नमाज़ पढ़ो, कभी सो जाओ, हमारे इस तरीक़े को छोड़ोगे तो तुम हममें से नहीं।" यह सुनकर सबने कहा, ऐ अल्लाह तआला! हमको हमारे इन इरादों से बचा और इत्तिबाऐ वह़ी की तौफ़ीक़ इनायत फ़र्मा। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।)

नबी अकरम (ﷺ) एक वक़्त तज़्किरा व तंबीह करके उठे और सिर्फ़ अज़ाबे इलाही से ख़ौफ़ दिलाते रहे तो अस्हाबे नबी में से दस आदमियों ने कहा, जिनमें अली (रज़ि.) भी थे। उस्मान बिन मज़्ऊन (रज़ि.) भी थे। कहने लगे कि नसारा और रुहबान अपने ऊपर ऐश व राहत हराम कर सकते हैं, तो हमको उनसे भी ज़्यादा इसका हक़ है। चुनाँचे कुछ ने गोश्त चर्बी अपने ऊपर हराम कर ली। कुछ ने नींद और कुछ ने औरतों को हराम कर लिया। चुनाँचे इब्ने मज़्ऊन (रज़ि.) ने औरत को अपने ऊपर हराम कर लिया था। न यह अहल के पास जाते न अहलिया उनके पास आ सकती। अब उनकी औरत आयशा (रज़ि.) के पास आई। आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) के साथ दूसरी नबी (ﷺ) की बीवियाँ भी बैठी हुई थीं। हज़रत आयशा ने पूछा, ऐ ख़ौला! यह तुझे क्या हो गया, चेहरे का रंग फ़क़ है, न कंघी चोटी है न तैल इत्र है? तो उन्होंने कहा, कंघी करके तैल व इत्र लगाकर क्या करूँ? मेरा शौहर न मुझ पर आ गिरता है, न ज़रा सा कपड़ा तक मेरा हटाता है। सबकी सब उसकी बात सुनकर हंस पड़ीं। ऐसे में रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सबकी सब क्यूँ हंस रही हो? तो कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़ौला ऐसा ऐसा कह रही है। तो आप (ﷺ) ने उस्मान बिन मज़्ऊन (रज़ि.) को बुलाकर कहा, "यह तूने क्या किया।" वह कहने लगे कि मैंने यह ऐश अल्लाह तआला के लिए छोड़ दिया है ताकि इबादत के लिए बिलकुल ख़ास रहूँ बल्कि मेरा इरादा है कि मैं अपने आपको ख़स्सी ही कर लूँ। तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "तुझको अल्लाह तआला की क़सम है हर्गिज़ ऐसा न करना, फ़ौरन घर जा और बीवी से मिल।" उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा रोज़ा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "रोज़ा तोड़ दे।" चुनाँचे हस्बे हुक्म उन्होंने पूरी तामील की। अब ख़ौला आयशा (रज़ि.) के पास आई, कंघी की हुई, सुर्मा और इत्र लगाए हुए। हज़रत आयशा (रज़ि.) ने हंसकर पूछा, ख़ौला क्या हुआ। कहने लगी, कल वह आया था। हुज़ूर (ﷺ) उस्मान (रज़ि.) से फ़र्माते थे कि "उस्मान ऐसा क़तई न करना, यह दीन पर बहुत बड़ी ज़्यादती है और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करने का हुक्म दे दिया और फ़र्माया, कि अल्लाह तआला तुम्हारी लग़्व क़समों पर मुवाख़िज़ा नहीं करता है। हाँ! क़सम का पैमान बाँधा गया हो तो गिरफ़्त करेगा।" (यह रिवायत मुअज़ल यानी ज़ईफ़ है।) (لَا تَعْتَدُوْا) के मानी में यह भी एहतिमाल हो सकता है कि मुबाहात को अपने ऊपर हराम करके अपने नफ़्सों पर तंगी न कर लो, और यह भी एहतिमाल है कि यह मुराद हो कि हलाल को हराम न बना लो और हलाल से फ़ायदा उठाने में हद से आगे न बढ़ जाओ। हलाल को भी बक़द्रे किफ़ायत ही हासिल करो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया (كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا) (7/आराफ़ : 31) "खाओ पियो लेकिन खाने पीने में ज़रूरत से ज़्यादा न ख़र्च करो।" फ़र्माया कि मोमिन वह लोग हैं जो ख़र्च करते हैं तो इस्राफ़ नहीं करते, न बुख़्ल करते हैं बल्कि ऐतिदाल की रविश में रहते हैं। (25/फ़ुरक़ान : 67) अल्लाह तआला ने इफ़्रात की इजाज़त दी है, न तफ़्रीत की। इसीलिए फ़र्माया कि (ला तअतदू) फिर फ़र्माया कि हर हालत में हलाल और पाक चीज़ खाओ और अपने तमाम कामों में अल्लाह तआला से डरो, उसकी इताअत और मर्ज़ी की इत्तिबाअ करो, मुख़ालिफ़त व नाफ़र्मानी से बाज़ रहो।

***

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ
اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا
حَلَفْتُمْ ؕ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

तर्जुमा : "अल्लाह तुमसे मुवाख़िज़ा नहीं फ़र्माते, तुम्हारी क़समों में लग़्व क़सम पर लेकिन मुवाख़िज़ा उस पर फ़र्माते हैं कि तुम क़समों को मुस्तहकम कर दो। सो उसका कफ़्फ़ारा दस मुहताजों को खाना देना औसत दर्जे का जो अपने घर वालों को खाने दिया करते हो या उनको कपड़ा देना या एक गुलाम या लौण्डी आज़ाद करना और जिसको मक़्दूर न हो तो तीन दिन के रोज़े हैं यह कफ़्फ़ारा है तुम्हारी क़समों का जबकि तुम क़सम खा लो। और अपनी क़समों का ख़्याल रखा करो। इसी तरह अल्लाह तआला तुम्हारे वास्ते अपने अहकाम बयान फ़र्माते हैं ताकि तुम शुक्र करो।" (89)

लग़्व क़समों पर कफ़्फ़ारा नहीं है (आयत 89) : (यमीने लग़्व) जिनको झूट मूट की क़समें या तकिया कलाम क़समें कहना चाहिए, इनका ज़िक्र सूरह बक़रह में गुज़र चुका है, इसके एआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं। ऐसी क़समें आदमी बिला क़सद अपनी बातों में बोलता रहता है "अल्लाह तआला की क़सम" "अल्लाह तआला की क़सम" यह इमाम शाफ़ेई (रह.) का क़ौल है। दूसरों का क़ौल है कि ऐसी लग़्व हज़्ल में हुआ करती हैं या मअसियत के मौक़े पर भी हो सकती हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद (रह.) का क़ौल है कि ग़ल्ब-ए-ज़न्न के मौक़े पर भी कहा जाता हो तो यमीन लग़्व की तारीफ़ में आ जाएगा या गुस्सा के वक़्त या भूलकर क़सम खाई गई हो। और यह भी कहा गया है कि खाना, पीना और लिबास को तर्क करने के बारे में भी क़सम हो तो इसी इस्तिदलाल से क़ाबिले ग़ैर मुवाख़िज़ा है कि (ला तुहर्रिमू तय्यिबात) लेकिन सहीहतर बात यही है कि बिला क़सद जो क़सम ज़ुबान से निकलती है वही यमीने लग़्व है।

क़सम और उसका कफ़्फ़ारा : (वलाकिय्युआख़िज़ुकुम बिमा अक़्क़त्तुमुल अयमान) यानी क़सम खाने की निय्यत और इरादे से क़सम खाई गई हो तो अल्लाह तआला मुवाख़िज़ा करेगा (फ़कफ़्फ़ारतुहू इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुत्इमून अहलीकुम) यानी अज़्मे समीम (मज़बूत इरादे) वाली क़सम को तोड़ने का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीनों को खाना खिलाना है जिनके पास ज़रूरियात के हुसूल की कोई सबील नहीं, और वह औसत क़सम की ग़िज़ा दी जानी चाहिए जो तुम कमाते हो और अपने अहलो-अयाल को खिलाते

हो। यह औसत ग़िज़ा, रोटी और दूध या रोटी और रोग़न है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया है कि कुछ लोग अपने अहल को हैसियत से भी ख़राब ग़िज़ा खिलाते हैं और कुछ हैसियत से भी अच्छी, इसलिए अल्लाह तआला ने कहा है कि औसत क़िस्म की हो न कि उसमें तंगी बरती गई हो, न दिल खोलकर ख़र्च किया गया हो। इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि वह रोटी गोश्त है या रोटी दूध रोग़न या सिर्का वग़ैरह या रोटी खजूर वग़ैरह। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि औसत से मुराद ग़िज़ा की क़िल्लत व कसरत है। चुनाँचे उलमा ने मिक़्दारे ग़िज़ा में इख़्तिलाफ़ किया है। हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि सुबह व शाम दो वक़्त दस मिस्कीनों को खिलाया जाए। मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) कहते हैं कि एक ही वक़्त काफ़ी है यानी रोटी और गोश्त। अगर गोश्त न हो तो रोटी और रोग़न सही या सिर्का और पेट भर खिलाई जाए। कुछ कहते हैं कि हर एक को आधा साअ गेहूँ या खजूरें दी जाएँ यानी तक़रीबन सवा सेर। अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि गेहूँ हों तो आधा साअ और दूसरा ग़ल्ला हो तो एक साअ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक साअ खजूर का कफ़्फ़ारा दिया था और यही हुक्म लोगों को दिया था और खजूरें न हों तो आधा साअ गेहूँ। (इब्ने माजा, किताबुल कफ़्फ़ारात, बाब कम युत्इमु फ़िल कफ़्फ़ारतिल यमीन : 2112; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में उमर बिन अब्दुल्लाह बिन यअला, ज़ईफ़ रावी है। (अत्तक़रीब : 2/59; रक़म : 468) फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि एक मुद्द गेहूँ यानी 56 तौला सालन के साथ। इब्ने उमर, ज़ैद बिन साबित (रज़ि.), मुजाहिद, इक्रिमा, और मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) वग़ैरह से भी यही मरवी है।

इमाम शाफ़ेई (रह.) ने कहा कि कफ़्फ़ारा यमीन में मिक़्दारे वाजिब मुद्दुन्नबी (ﷺ) है यानी वही 56 तौला गेहूँ लेकिन सालन की कोई क़ैद नहीं। यहाँ इमाम शाफ़ेई (रह.) ने दलील ली है कि नबी अकरम (ﷺ) के इस हुक्म से जो आप (ﷺ) ने एक शख़्स को हुक्म दिया था जिससे बहालते रोज़े रमज़ान के महीने में जिमाअ का काम सरज़द हो गया था "साठ मिस्कीनों को एक ऐसे पैमाना से नापकर गेहूँ दो जिसमें पन्द्रह साअ समा सकें कि हर एक को एक एक मुद्द मिल सके।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब इज़ा जामआ फ़ी रमज़ान वलम यकुल्लहूशैउन फ़तसद्दक़ अलैहि फ़ल्युकफ्फ़िर... : 1936; सहीह मुस्लिम : 1111) इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) यमीन का कफ़्फ़ारा एक मुद्द गेहूँ क़रार देते थे। अहमद बिन हंबल (रह.) कहते हैं कि वाजिब मुद्द भर गेहूँ या दो मुद्द गेहूँ के अलावा, वल्लाहु आलम!

क़ौलुहू तआला (अव किस्वतुहुम) इमाम शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि अगर उन दस में से हर एक को इस क़द्र कपड़ा दें जिस पर लिबास का इत्लाक़ हो सकता हो तो काफ़ी है। जैसे एक क़मीस एक पाजामा या अमामा या चादर। टोपी के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि सिर्फ़ टोपी काफ़ी हो सकती है या नहीं। कुछ कहते हैं जाइज़ है, दलील इस हदीस से ली है कि इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से सवाल किया गया तो कहा कि अगर चंद लोग तुम्हारे अमीर के पास आएँ और वह हर एक को एक एक टोपी ओढ़ा दे तो तुम कहते हो लिबास दिया गया। पस (किस्वतुहुम) में टोपी भी आ गई, लेकिन इसकी इस्नाद ज़ईफ़ हैं। मालिक और अहमद बिन हंबल (रह.) कहते हैं कि हर एक को उतना लिबास देना ज़रूरी है जितना कि नमाज़ पढ़ने में लिबास पहने रहना

ज़रूरी है। मर्द और औरत को इसके हस्बे ज़रूरते शरई, वल्लाहु आलम! इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हर मिस्कीन को एक अबाअ दी जाए या एक शम्ला। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि ऊपर का लिबास या लिबास ज़ेरी जो चाहो कोई एक दे सकते हो। इब्राहीम नख़ई (रह.) कहते हैं कि ऐसा लिबास जो मुल्हिफ़ा और रिदाअ दोनों पर मुश्तमिल हो, देना चाहिए यानी लिहाफ़ और चादर वग़ैरह न कि सिर्फ़ जांगिया और क़मीस और ओढ़नी वग़ैरह, उसको लिबासे जामेअ नहीं कहेंगे। सईद बिन मुसय्यिब (रह.) कहते हैं कि अमामा जिसे सर पर लपेटते हैं और अबाअ जिसे बदन पर पहनते हैं, लिबासे जामेअ की तारीफ़ में है। इब्ने सीरीन (रह.) कहते हैं कि दो दो कपड़े दिए जाएँ। अबू मूसा (रह.) ने क़सम खाई थी तो दो कपड़े कफ़्फ़ारे में दिए थे। हज़रत आयशा (रज़ि.) से मरवी है कि (किस्वा) से हर मिस्कीन के लिए एक अबा मुराद है और यह हदीस ग़रीब है।

(अव तहरीरु रक़बतिन) या एक ग़ुलाम आज़ाद कर दिया जाए। अबू हनीफ़ा (रह.) मुत्लक़ ग़ुलाम मुराद लेते हैं ख़्वाह काफ़िर ग़ुलाम आज़ाद किया जाए या मोमिन। इमाम शाफ़ेई (रह.) और दूसरे फ़ुक़्हा कहते हैं कि मोमिन ग़ुलाम होना ज़रूरी है जैसाकि क़त्ल के कफ़्फ़ारा में मोमिन ग़ुलाम की क़ैद है। इस सूरत में इत्तिहादे मुजिब तो मौजूद रहेगा अगरचे इत्तिहादे सबब न हो। हदीसे मुआविया बिन हकम (रज़ि.) से मालूम होता है और सहीह मुस्लिम में भी है कि इब्ने हकम सुलमी (रज़ि.) के ज़िम्मे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना था। चुनाँचे वह एक हब्शी जारिया को लेकर आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे पूछा कि "अल्लाह तआला कहाँ है" तो उस हब्शन ने कहा, आसमान में। फिर पूछा "मैं कौन हूँ?" तो कहा आप अल्लाह तआला के रसूल हैं तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हाँ! यह मोमिना है इसको आज़ाद कर सकते हो।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद, बाब तहरीमुल कलामे फ़िस्सलाति नस्ख़ुन मा काना मिन इबादतिही : 537; अबूदाऊद : 930; अहमद : 5/447; बैहक़ी : 10/57; इब्ने हिब्बान : 165) अब इन तीन क़िस्म के कफ़्फ़ारों में से जिस क़िस्म का कफ़्फ़ारा भी अदा किया जाएगा, अदा हो जाएगा। क़ुरआन में पहले सबसे आसान का ज़िक्र है, उसके बाद दर्जा ब दर्जा यानी खिलाना ज़्यादा आसान है लिबास देने से, फिर लिबास ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा आसान है। ग़र्ज़ यह अदना से आला की तरफ़ क़दम बढ़ाया गया है।

सबसे आख़िर में यह है कि अगर मुकल्लफ़ इन तीनों में से किसी पर भी क़ादिर न हो तो (फ़मल्लम यजिद फ़-सियामु सलासति अय्याम) यानी तीन दिन के रोज़े रखे। इब्ने ज़ुबैर और हसन बसरी (रह.) ने कहा है कि जिसके पास तीन दिरहम भी हों तो वह खाना खिलाए वरना रोज़े रखे। कुछ मुताख़्ख़िरीन फ़ुक़्हा से मंक़ूल है कि उसके लिए जाइज़ है कि जिसके पास अपनी ज़रूरियात के सिवा और कोई चीज़ फ़ाज़िल न हो, जिसको वह यमीन के कफ़्फ़ारा में दे सकता हो। इब्ने जरीर (रह.) ने यह भी कहा है कि नीज़ वह इस क़द्र ग़रीब हो कि वह अपनी या अपने अयाल की उस दिन की कुव्वत से ज़्यादा कुछ न रखता हो। अब उलमा का इख़्तिलाफ़ इसमें भी है कि पे दर पे तीन रोज़े रखना वाजिब है या मुस्तहब है और क्या अलग अलग भी रख सकते हैं। शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि पे दर पे रखना वाजिब नहीं, मालिक (रह.) भी यही कहते हैं इसलिए कि हुक्म मुत्लक़ है कोई क़ैद नहीं। जैसे रमज़ान के मुसलसल रोज़े क़ज़ा हों तो उसको भी मुसलसल क़ज़ा रखने

की ज़रूरत नहीं क्योंकि (फ़इद्दतुम् मिन अय्यामिन उख़र) एक मुत्लक़ आयत है। इमाम शाफ़ेई (रह़.) से एक जगह पे दर पे के वुजूब की स़राह़त है। अह़नाफ़ और ह़नाबिला का भी यही क़ौल है। वह इस रिवायत की बिना पर कि उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) की क़िरअत है (फ़स़ियामु सलासति अय्यामिम् मुतताबिआ़तिन) अस्ह़ाबे इब्ने मसऊ़द भी इसी त़रह़ पढ़ते थे अगरचे यह क़िरअत लगातार त़ौर पर साबित नहीं, लेकिन कम अज़्कम ख़बरे वाह़िद ज़रूर है या स़ह़ाबा की तफ़्सीर से इसका सबूत मिलता है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जब कफ़्फ़ारा की आयत उतरी तो ह़ुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम इन तीनों में से किसी एक को इख़्तियार करने में आज़ाद हैं तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हाँ! चाहो तो गुलाम आज़ाद करो, या किसी को लिबास पहना दो या खाना खिला दो और कुछ भी नहीं तो तीन दिन के लगातार रोज़े रखो" और यह ह़दीस ग़रीब है। (ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा ह़लफ़्तुम) यह यमीन का शरई कफ़्फ़ारा है (वह़फ़िज़ू अयमानकुम) यानी कफ़्फ़ारा अदा किए बग़ैर न रहना। अल्लाह तआ़ला इसी त़रह़ वज़ाह़त के साथ अपनी आयतें बयान फ़र्माता है कि शायद तुम शुक्र अदा करो।

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩٠ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ
فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝٩١ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝٩٢ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٩٣

तर्जुमा : "ऐ ईमान वालों ! बात यही है कि शराब और जूआ और बुत वग़ैरह और क़ुरआ के तीर यह सब गंदी बातें शैतानी काम हैं सो उनसे बिलकुल अलग रहो ताकि तुमको फ़लाह हो। (90) शैतान तो यूँ चाहता कि शराब और जूए के ज़रिये से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़ेअ कर दे और अल्लाह तआला की याद से और नमाज़ से तुमको बाज़ रखे सो अब बाज़ आओ। (91) और तुम अल्लाह तआला की इताअत करते रहो और रसूलुल्लाह (ﷺ) की इताअत करते रहो और एहतियात रखो अगर ऐराज़ करोगे तो यह जान रखो कि हमारे रसूल के ज़िम्मे सिर्फ़ साफ़-साफ़ पहुँचा देना था। (92) ऐसे लोगों पर जो कि ईमान रखते हों और नेक काम करते हों उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं जिसको वह खाते पीते हों जबकि वह लोग परहेज़ रखते हों और ईमान रखते हों और नेक काम करते हों फिर परहेज़ करने लगते हों और ईमान रखते हों फिर परहेज़ करने लगते हों और ख़ूब नेक अमल करते हों, अल्लाह तआला ऐसे नेकोकारों से मुहब्बत रखता है।" (93)

शराब और जूए की हुर्मत (आयत 90-93) : अल्लाह तआला अपने मोमिन बन्दों को शराबनोशी और जूएबाज़ी वग़ैरह से मना फ़र्माता है। हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि शतरंज भी एक क़िस्म का जूआ है। मुजाहिद और ताउस (रह.) से मरवी है कि हर चीज़ जिसमें जूए का लगाव हो जूआ है, यहाँ तक कि बच्चों का शर्तें लगाकर मुनक्के या कोड़ियाँ खेलना यह सब जूआ है। (तब्री : 4/322, 323) इस्लाम आने तक यह जूआ ज़माना जाहिलियत में ख़ुसूसियत के साथ खेला जाता था लेकिन अल्लाह तआला ने मुसलमानों को अख़्लाक़े क़बीहा से मना फ़र्माया। अहले जाहिलियत में बिल उमूम यह जूआ यूँ होता था कि एक बकरी या दो बकरी का गोश्त शर्त के तौर पर बेच दिया जाता था।

ज़ोहरी (रह.) कहते हैं कि जूआ यूँ होता था कि अम्वाल व अस्मार (फलों) पर पांसे फेंके जाते थे और इस तरह जूए के ज़रिये उन पर क़ब्ज़ा किया जाता था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि पांसों के ज़रिये जो खेल खेला जाता है वही जूआ है। इसी तरह जिस चीज़ को खेलते वक़्त मारकर जीता जाता है वह भी क़िमार (जुआ) है। और शायद इससे यह मुराद है कि शतरंज का खेल हराम है और इसी तरह चौसर का क्यूँ कि उसमें मुहरे को मारकर जीता जाता है।

हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शतरंज या चौसर खेले गोया कि उसने अपना हाथ सूअर के गोश्त में डाल दिया और उसके ख़ून में डुबो दिया। (सहीह मुस्लिम, किताबुश्शेअर, बाब तहरीमुल् लइब बिन्नरदि शेर : 2260; अल्अदबुल मुफ़रद : 1271; अबूदाऊद : 4939; इब्ने माजा : 3763; अहमद : 5/352; इब्ने हिब्बान : 5873) अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) की रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया जो नर्द खेले वह अल्लाह तआला का बाग़ी है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िन्नही अनिल लइबुन्नर्द : 4938; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; सईद बिन अबी हिंद की सय्यदना अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से

रिवायत मुर्सल होती है। इब्ने माजा : 3762; अह्‌मद : 4/397; मुस्नद अबी यअ़ला : 7290; मौता इमाम मालिक : 2/958; अल्अदबुल मुफ़रद : 1269; ह़ाकिम : 1/50; बैहक़ी : 10/514) अ़ब्दुर्रह़मान (रह़.) कहते हैं कि मैंने अपने बाप से सुना कि मुह़म्मद (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जो चौसर खेलकर नमाज़ पढ़ने को खड़ा हुआ उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई पीप और सूअर के ख़ून से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हो। (मुस्नद अह़मद : 5/370; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; मुस्नद अबी यअ़ला : 1104; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 8/113; इसकी सनद में मूसा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ख़त्मी है। जिसका सिक़ा व सदूक़ होना मालूम नहीं है लिहाज़ा वह मज्हूलुल ह़ाल है।) शतरंज के बारे में तो अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) कहते हैं कि यह चौसर से भी बुरी है और वह इसे क़िमार व मैसर में शुमार करते हैं। इमाम मालिक, इमाम अबू ह़नीफ़ा, और इमाम अह़मद (रह़.) इसके ह़राम होने के क़ाइल हैं लेकिन इमाम शाफ़ेई (रह़.) इसको मकरूह बताते हैं।

अंसाब और अज़्लाम : इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और दूसरे बहुत से सह़ाबा (रज़ि.) कहते हैं कि "अंसाब" उन पत्थरों को कहते हैं कि जिन पर मुश्रिकीन क़ुर्बानियाँ करके बुतों पर चढ़ाते थे। और "अज़्लाम" भी उन पांसों को कहते थे जिन्हें तक़्सीम करके फ़ाल ली जाती थी।

अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि "ये शैतानी कामों की गंदगी है और सबसे बुरे शैतानी काम हैं इसलिए ऐ मेरे बन्दों! इस गंदगी से बचो, तुम फ़लाह़ पा सकोगे" इस इ़बारत को पहले के साथ मिलाएँ ताकि इस्लाम क़ायम रहे।

इर्शादे बारी तआ़ला है "शैतान का मक़्सद हमेशा यह रहता है कि ख़म्र और मैसर में मुब्तला करके तुममें बुग़्ज़ व अ़दावत पैदा करता रहे और अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र और नमाज़ से तुम्हें ग़ाफ़िल करता रहे। अब भी इन बातों से बाज़ आओगे कि नहीं।" यह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से ज़बरदस्त तंबीह व तख़्वीफ़ है।

हुर्मते शराब, अह़ादीस की रोशनी में : अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि शराब की हुर्मत तीन बार आई। जब नबी अकरम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए उस वक़्त लोग शराब पीते थे, जूए का माल खाते थे, हुज़ूर (ﷺ) से इस बारे में सवाल किया गया, तो यह वह़ी नाज़िल हुई कि "तुमसे शराब और जूए के बारे में पूछते हैं, तू कह दे कि इसमें फ़ायदा तो है लेकिन बहुत कम, और इसके मुक़ाबले में नुक़्सान बहुत ज़्यादा है।" (2/बक़रह : 219) तो लोगों ने कहा कि फ़ायदा कम और ज़्यादा नुक़्सान बताया गया है, ह़राम नहीं किया गया है। चुनाँचे शराब पीते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि एक मुहाजिर सह़ाबी (रज़ि.) ने नमाज़े मग़्रिब में क़ुरआन पढ़ते वक़्त नशे के आ़लम में क़ुरआन को ग़लत सलत और ख़लत मलत कर दिया। चुनाँचे यह आयत उतरी कि "ऐ मोमिनों ! नशे की ह़ालत में नमाज़ न पढ़ा करो जब तक कि तुम्हें होश न हो कि क्या पढ़ते हो और क्या नहीं।" (4/निसाअ : 43) यह आयत पहले से ज़्यादा सख़्त थी। चुनाँचे लोगों ने नमाज़ के वक़्त शराब पीना छोड़ दिया लेकिन फिर भी बराबर पीते रहे क्योंकि सराह़तन मुमानिअ़त नहीं थी लेकिन एक दिन शराब में मस्त होकर कोई नमाज़ पढ़ रहा था। चुनाँचे मुमानिअ़त की साफ़ आयत नाज़िल हो गई कि "ऐ लोगों! शराब और जूआ और पांसे और तीर, यह सब शैतान के गंदे अ़मल हैं तुम फ़ौरन रुक जाओ, शायद

फ़लाह पा सको'' तो लोगों ने कहा, ऐ रब! हम रुक गए, बाज़ आ गए। फिर लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से उन लोगों के बारे में पूछा जो यह मुमानिअत किए जाने से पहले फ़ी सबीलिल्लाह क़त्ल हो गए थे या तब्ई मौत मर गए थे लेकिन शराब पीते थे और जूआ खेलते थे, उनका क्या होगा जैसाकि अल्लाह तआला ने इसको शैतानी अमल फ़र्मा दिया और मुमानिअत कर दी। तो यह आयत नाज़िल हुई कि ''जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल किए थे तो मुमानिअत से पहले जो कुछ उन्होंने हराम खाया था उस पर इल्ज़ाम नहीं दिया जाएगा।'' और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अगर उनकी ज़िन्दगी में उन पर यह हराम हो जाता तो वह भी उसको ऐसे ही छोड़ देते जैसाकि तुमने छोड़ दिया।''(मुस्नद अहमद : 2/351; व सनदुहू ज़ईफ़ुन)

अबू मैसरा (रह.) से रिवायत है कि तहरीमे ख़म्र की आयत उतरने से पहले हज़रत उमर (रज़ि.) ने यह दुआ मांगी थी ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त! हुर्मते शराब के बारे में हमारे पास अपनी वह्यी भेज तो यह आयत उतरी थी कि इसमें नुक़्सान ज़्यादा और फ़ायदा कम है। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) को जब यह आयत सुनाई गई तो उन्होंने फिर यह दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह तआला! बयाने शाफ़ी व काफ़ी नाज़िल फ़र्मा तो सूरह निसाअ में यह आयत उतरी कि ''ऐ ईमान वालों! नशे की हालत में हर्गिज़ नमाज़ न पढ़ो तो नबी अकरम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने (हय्य अलस्सलात) के बाद पुकारकर कह दिया कि नशे की हालत में नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत आ गई है। उमर (रज़ि.) को फिर यह वह्यी सुना दी गई फिर भी आप यह कहने लगे कि ''ऐ अल्लाह तआला! बयाने शाफ़ी व काफ़ी उतार।'' तो सूरह माइदा की यह आयत नाज़िल हुई कि ''शराब बिलकुल हराम है बिलकुल रुक जाओ।'' तो हज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे कि, रुक गए ऐ अल्लाह तआला! हम रुक गए।'' (अबूदाऊद, किताबुल अश्रिबा, बाब तहरीमुल ख़म्र : 3670; तिर्मिज़ी : 3049; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू इस्हाक़ मुदल्लस के सिमाअ की सराहत नहीं। अम्र बिन शुरहबील ने उमर (रज़ि.) से कुछ नहीं सुना। अहमद : 1/53)

बुख़ारी व मुस्लिम से साबित है कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने मिम्बरे रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि ''ऐ लोगों! शराब हराम हो गई है और उन पाँच चीज़ों में से जिससे भी बनाई जाए, वह शराब है अंगूर, खजूर, शहद, गेहूँ, जौ और ख़म्र का लफ़्ज़ आम है हर ऐसी नशे की चीज़ पर जो अक़्ल को ढाँक दे।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब मा जाअ फ़ी अनिल ख़म्रि मा ख़ामरल अक़्ल मिनश्शराब : 5588; सहीह मुस्लिम : 3032; अबूदाऊद : 3669; तिर्मिज़ी : 1874; इब्ने हिब्बान : 5353) इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि तहरीमुल ख़म्र के वक़्त अंगूर की शराब चालू नहीं थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल माइदा बाब क़ौलुहू (इन्नमल ख़म्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अज़्लाम...) : 4616)

एक दूसरी हदीस यह भी है कि शराब के बारे में जब पहले वह्यी आई तो आम चर्चा हुआ कि शराब हराम हो गई तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि इसमें नफ़ा है तो हमको नफ़ा उठाते रहना चाहिए। नबी करीम (ﷺ) ख़ामोश रहे जब दूसरी आयत उतरी तो फिर शोहरत हुई कि शराब हराम हो गई, तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम नमाज़ के वक़्त नहीं पियेंगे तो आप (ﷺ) फिर ख़ामोश रहे। लेकिन जब यह आयत नाज़िल हुई कि यह शैतानी काम है इससे रुक जाओ तो नबी

करीम (ﷺ) ने साफ़ फ़र्मा दिया कि "शराब हराम हो गइ।" (मुस्नद तयालिसी : 1957; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में मुहम्मद बिन हमीद ज़ईफ़ रावी है।)

एक दूसरी हदीस है जो कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि क़बीला सक़ीफ़ या क़बीला औस का एक शख़्स हुज़ूर (ﷺ) का दोस्त था। वह फ़तहे मक्का के दिन आप (ﷺ) से मिला और शराब का एक मटका हुज़ूर (ﷺ) को तोहफ़ा में पेश किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्या तुमको नहीं मालूम कि शराब को अल्लाह तआला ने हराम कर दिया है" तो वह आदमी अपने गुलाम की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और कहा, इसे बाज़ार में ले जाकर बेच दो। तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिसने शराब हराम की है उसने इसकी ख़रीदो फ़रोख़्त को भी हराम किया है" तो उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि शहर से बाहर ले जाओ ओर यह मटका उन्डेल दो। (सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाक़ात, बाब तहरीमु बैइल ख़म्र : 1579; अहमद : 1/230; मुस्नद अबी यअला : 3535; बैहक़ी : 6/12; दारमी : 2103)

एक दूसरी हदीस तमीमदारी (रज़ि.) से मरवी है कि वह हर साल नबी अकरम (ﷺ) को कुछ न कुछ तोहफा भेजा करते थे पस इस मर्तबा वह शराब का एक मटका तोहफ़तन लेकर आए तो मुहम्मद (ﷺ) ने मुस्कुराकर फ़र्माया, "तुम्हारे पीछे शराब हराम कर दी गई है।" तो उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इसे बेच देता हूँ और क़ीमत हाथ कर लेता हूँ तो मुहम्मद (ﷺ) ने फ़र्माया, "अल्लाह तआला यहूदियों पर लानत करे जिन पर गाय और बकरे की चर्बी हराम कर दी गई थी वह उसको पिघलाकर रोग़न बनाकर बेच देते थे। अल्लाह तआला ने शराब और इसकी क़ीमत सब हराम कर दी है।" (मुस्नद अहमद : 4/227; वत्तबरानी फ़िल कबीर : 1275; व सनदुहू हसन व लहू शाहिद फ़ी सहीह मुस्लिम : 1579; मज्मउज़्ज़वाइद : 4/88) बिलकुल ऐसी ही एक हदीस अब्दुर्रहमान बिन ग़नम (रज़ि.) से मरवी है जिसमें मअनन कोई फ़र्क़ नहीं। इसी तरह की और हदीस है कि इब्ने कीसान का बाप नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में शराब की तिजारत करता था। चुनाँचे वह तिजारत के लिए शाम से शराब के मटके ले आया और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास भी एक मटका लाकर कहने लगा कि "या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके लिए बड़ी नफ़ीस शराब ले आया हूँ।" तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ कीसान! यह तो तेरे पीछे हराम हो गई है।" तो उसने पूछा कि हुज़ूर (ﷺ)! क्या मैं इसे बेच दूँ? उस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "इसकी क़ीमत भी हराम है।" तो कीसान (रज़ि.) ने मटकों को लेकर पैर से ठोकर मारकर तमाम तिजारत की शराब बहा दी। (मुस्नद अहमद : 4/335; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अल्मुअजमुल कबीर : 438; मज्मउज़्ज़वाइद : 4/88; इसकी सनद में इब्ने लहीआ मुख़्तलत रावी है। (अत्तक़रीब : 1/144; रक़म : 574))

अनस (रज़ि.) से मरवी है कि मैं अबू उबेदह (रज़ि.) को और उनके दूसरे साथियों को शराब पिला रहा था, हत्ताकि क़रीब था कि शराब उन्हें मख़्मूर कर दे कि इतने में किसी ने कहा, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि शराब हराम हो गई है तो लोगों ने कहा, अभी हम इंतिज़ार करेंगे और तहक़ीक़ करेंगे तो दूसरे सहाबा (रज़ि.) ने कहा, नहीं ऐ अनस! जो कुछ तेरे मटके में बच रही है वह सब उन्डेल दे, अल्लाह तआला की क़सम! अब हम फिर नहीं पियेंगे। यह खजूर और जौ की शराब थी। (मुस्नद अहमद : 3/181; सहीह बुख़ारी, किताबुल

अश्रिबा, बाब (मन रआ अल्ला युख़्लतुल बुस्र वत्तमर...) : 5600; सहीह मुस्लिम : 1980; मुस्नद अबी यअ़ला : 3008) उस वक़्त अनस (रज़ि.) और उनके साथी अबू तलहा (रज़ि.) के घर में थे। मुनादी (आवाज़ लगाने वाला) आवाज़ देने लगा तो कहा गया कि निकलकर देखो और सुनो! तो मालूम हुआ कि शराब हराम हो गई है। मदीना की गलियों में शराब बह रही थी। कुछ ने कहा कि उन लोगों का क्या हाल होगा जो शराब पीते थे और जिहाद में क़त्ल हो गए तो यह आयत उतरी कि जो मोमिन नेक अ़मल करते थे और मर गये हैं उन पर कोई गुनाह नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल माइदा बाब (लैस अ़लल्लज़ीना आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तइमू) : 4620; सहीह मुस्लिम : 1980; अबूदाऊद : 3673; अहमद : 3/227; बैहक़ी : 8/286)

अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैं शराब पिला रहा था। लोगों के सर नशे से लुढ़क रहे थे कि मुनादी ने शराब की हुर्मत सुना दी तो हर आने जाने वाले ने अपनी शराब बहा दी और मटके तोड़ दिए। कुछ ने वुज़ू किया और कुछ ने गुस्ल किया, कुछ ने उम्मे सुलैम के पास से लेकर ख़ुशबू लगाई फिर मस्जिद आए तो नबी अकरम (ﷺ) ने हुर्मते शराब की आयत सुनाई। एक आदमी ने क़तादा (रह.) से कहा कि क्या तुमने यह अनस (रज़ि.) से सुना है और किसी ने अनस (रज़ि.) से पूछा कि क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? तो अनस (रज़ि.) ने कहा, हाँ! न हुज़ूर अकरम (ﷺ) झूठ बोलते हैं न हम झूठ कहते हैं बल्कि हम तो जानते भी नहीं कि झूठ क्या चीज़ है? (तब्री : 7/24; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; क़तादा अन्अ़न; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 5/52)

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने आ़म शराब और जौ और गेहूँ की शराब और शतरंज और चौसर, गाने बजाने के आलात सब हराम कर दिए हैं और सिर्फ़ मुझ पर सलाते वित्र वाजिब फ़र्माई है। (मुस्नद अहमद : 2/165; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मेरी तरफ़ से जो शख़्स झूठी हदीस बनाकर पेश करे उसका ठिकाना जहन्नम है।" आप (ﷺ) ने अ़बीरा दरख़्त से खींची हुई शराब भी हराम क़रार दी और हर नशा दिलाने वाली चीज़ को हराम फ़र्माया। (मुस्नद अहमद : 2/171; व अबू दाऊद : 3685; वहुव हदीसुन हसन)

इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "शराब के दस मुतअ़ल्लिक़ात पर लानत, ख़ुद शराब पर लानत, पीने वाले और पिलाने वाले पर लानत, बेचने वाले और ख़रीदने वाले पर लानत, शराब कशीद करने वाले, शराब बनाने वाले, शराब उठाकर ले जाने वाले और जिसकी तरफ़ ले जा रहा हो उस पर और शराब की क़ीमत खाने वाले, इन सब पर लानत।" (अबूदाऊद, किताबुल अश्रिबा, बाबुल अ़सीर लिल ख़म्र : 3674; व सनदुहू हसन; इब्ने माजा : 3380; अहमद : 2/25; मुस्नद अबी यअ़ला : 5591)

इब्ने उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) एक बाड़े की तरफ़ निकले, मैं आपकी सीधी तरफ़ था कि अबूबक्र (रज़ि.) सामने की तरफ़ से आए, मैं पीछे हो गया, अबूबक्र (रज़ि.) आप (ﷺ) की सीधी तरफ़ हो गए, मैं बाईं तरफ़ हो गया कि इतने में उ़मर (रज़ि.) आते दिखाई दिए। मैं बाज़ू में हो गया। हज़रत उ़मर (रज़ि.) आप (ﷺ) की बाईं तरफ़ हो गए। अब नबी अकरम (ﷺ) उस बाड़े पर आए जो घरों

के पीछे ऊँटों के बैठने की जगह थी, वहाँ शराब का एक मशकीज़ा दिखाई दिया। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने मुझे बुलाया और एक छुरा दिया और कहा, ''इस मशकीज़े को चीर दो'' और फ़र्माया कि ''शराब पर और शराब के पीने और पिलाने वाले पर, लाने और ले जाने वाले पर, कशीद करने वाले और बनाने वाले और इसकी क़ीमत खाने वाले सब पर लानत है।'' (अहमद : 2/71; बैहक़ी : 8/287; वहुव हदीसुन हसन) इब्ने उमर (रज़ि.) ही से मरवी है कि एक दिन नबी अकरम (ﷺ) अपने अस्हाब को लेकर मदीना के बाज़ारों में गए। वहाँ शराब के मशकीज़े रखे हुए थे जो शाम से लाए गए थे। मेरे हाथ में छुरा था। मुझसे आप (ﷺ) ने छुरा लिया फिर जितने मशकीज़े आप (ﷺ) के सामने थे, सबको चीर दिया। फिर छुरा मुझे दिया और अपने अस्हाब (रज़ि.) से कहा कि इनके साथ जाओ, इनकी मदद करो और मुझे हुक्म दिया कि बाज़ार में कोई ऐसा मशकीज़ा न छोड़ना जिसको चीरकर शराब बहा न दी गई हो। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया। (मुस्नद अहमद : 2/132; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; व हदीसे अहमद : 2/171; युग़्नी अन्हू)

यज़ीद ख़ौलानी (रह.) से मरवी है कि उनका चचा शराब बेचा करता था और बहुत बाख़ैर और मुख़य्यर आदमी था। मैंने उसको शराब फ़रोशी से मना किया, उसने न सुनी, जब मैं मदीना आया तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से शराब और उसकी क़ीमत के बारे में पूछा तो कहने लगे कि, शराब और शराब की क़ीमत हराम है। फिर कहा कि ऐ उम्मते मुहम्मद (ﷺ)! अगर तुम्हारी किताब के बाद कोई और किताब आई होती या तुम्हारे नबी के बाद दूसरा नबी आया होता तो तुम्हारे गुनाहों और सरकशियों का उसमें इसी तरह ज़िक्र होता जैसे कि पहले की गुनाहगार उम्मतों का ज़िक्र तुम्हारे क़ुरआन में है और वह रुस्वा हो गए हैं लेकिन अब दूसरी किताबे इलाही आने वाली नहीं है इसलिए तुम्हारी रुस्वाई क़यामत तक के लिए ताख़ीर में पड़ गई है। अल्लाह की क़सम! यह उन लोगों की रुस्वाई से भी अहम है।

साबित (रह.) कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से शराब की क़ीमत के बारे में पूछा तो कहा, सुनो! मैं मस्जिद में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था, आप (ﷺ) गोट लगाए बैठे थे, फ़र्माने लगे, ''जिसके पास शराब है ले आए'' लोग लाने लगे। कोई मटका लाया, किसी ने मशकीज़ा, किसी ने कुछ और हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''सारी शराब मैदाने बक़ीअ में जमा करके मुझे ख़बर दो।'' चुनाँचे ऐसा ही किया गया। अब आप (ﷺ) उठ खड़े हुए, मैं भी आप (ﷺ) के साथ चला और आपकी सीधी तरफ़ था। आप (ﷺ) मुझ पर सहारा लिए हुए थे, इतने में अबूबक्र (रज़ि.) मिल गए। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को मेरी जगह ले लिया और मुझे बाएँ जानिब कर दिया। फिर चलते हुए उमर (रज़ि.) मिले। उमर (रज़ि.) को नबी करीम (ﷺ) ने बाएँ जानिब कर दिया और मुझे पीछे कर दिया। अब आप (ﷺ) शराब के ज़ख़ीरे पर पहुँचे और लोगों से कहा, ''जानते हो यह क्या है?'' जवाब दिया कि हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह शराब है। फ़र्माया, ''तुम सच कहते हो।'' फिर शराब के दस मुतअल्लिक़ात पर लानत भेजी। फिर आप (ﷺ) ने एक छुरी मंगवाई। आप (ﷺ) ने छुरी तेज़ करवाई, फिर सारे मशकीज़े चीर दिए। लोगों ने कहा कि इसमें मंफ़अत भी थी। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ! मैं अल्लाह तआला के ग़ज़ब से डरकर ऐसा कर रहा हूँ, शराब में अल्लाह तआला की नाराज़गी है।'' उमर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लाईए मैं सब मशकीज़े चीर

देता हूँ तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं ख़ुद इसको ज़ाया करूँगा।" (हाकिम : 4/144; व सहीहुन व वाफ़क़हुज़्ज़हबी व सनदुहू हसनुन व उंज़ुर इत्तिहाफ़ुल मह्रा : 8/281; मुश्किलुल आसार : 3342; बैहक़ी : 8/287)

सअद (रज़ि.) से मरवी है कि शराब के बारे में चार आयतें उतरीं। फिर वह हदीस बयान करते हैं कि एक अंसारी (रज़ि.) ने हमारी दावत की, हमने वहाँ ख़ूब शराब पी। यह शराब के हराम होने से पहले का ज़िक्र है। जब हम ख़ूब नशा में हो गए तो आपस में फ़ख़्र करने लगे। अंसार कहते थे कि हम अफ़ज़ल हैं और क़ुरैश कहते थे कि हम अफ़ज़ल हैं। चुनाँचे एक अंसारी (रज़ि.) ने ऊँट की एक बड़ी हड्डी लेकर सअद (रज़ि.) की नाक पर दे मारी जिससे सअद (रज़ि.) की नाक की हड्डी टूट गई। इसी बिना पर शराब की हुर्मत नाज़िल हुई जिसको मुस्लिम ने बयान किया है। (मुस्नद अहमद : 1/181, 182; वहुव सहीहुन; इब्ने हिब्बान : 6992; मुस्नद बज़्ज़ार : 1149; मुस्नद तयालिसी : 208; अबू अवाना : 4/104; बैहक़ी : 6/269; यह रिवायत मुख़्तसरन सहीह मुस्लिम : 1748; तिर्मिज़ी : 3189; में भी मौजूद है।)

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि शराब की हुर्मत की यह वजह हुई कि अंसार के दो क़बीलों ने ख़ूब शराब पी ली। जब मस्त हो गए तो एक दूसरे पर दस्त दराज़ियाँ करने लगे, और जब नशा उतर गया तो किसी के चेहरे पर ज़ख़्म आया हुआ था, तो किसी के सर पर चोट आई हुई थी, किसी की दाढ़ी नुची हुई थी। कोई कहता था कि मेरे फ़लाँ साथी ने मुझे यह ज़ख़्म दिया है चुनाँचे एक दूसरे के दुश्मन हो गए, हालाँकि पहले आपस में बड़ी मुहब्बत थी, कीना नहीं था। कहते थे कि अगर यह मेरा हमदर्द होता तो कभी मुझे ज़ख़्मी न करता। चुनाँचे दुश्मनी बढ़ गई, अब अल्लाह तआला ने शराब की हुर्मत नाज़िल कर दी। लोग कहने लगे कि मरे हुओं का क्या होगा तो वही उतरी कि जो मोमिन नेक अमल करके मर गए हैं उन पर कोई गुनाह नहीं। (अलमुअजमुल कबीर : 12459; हाकिम : 4/142; बैहक़ी : 8/285; सुननुल कुब्रा : 11151; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/18; व सनदुहू हसन)

इब्ने बुरैदा (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम एक टीले पर बैठे शराब पी रहे थे। हम तीन या चार अफ़राद थे, शराब का मटका रखा था, दौर चल रहा था कि मैं उठकर नबी करीम (ﷺ) के पास आया, उसी वक़्त तहरीमुल ख़म्र की आयत उतरी। मैं फ़ौरन अपने साथियों के पास आया और उन्हें वही सुनाई। कुछ ने शराब पीली थी, कुछ ने कुछ पी थी और कुछ हाथ में धरी रखी थी। किसी के मुँह से शराब लगी हुई थी। यह सुनते ही सबने अपनी अपनी शराब ज़मीन पर बहा दी। और आख़िरी आयत (फ़हल अन्तुम मुन्तहून) को सुनकर कहने लगे (इन्तहैना रब्बना) ऐ रब! हम रुक गए। (तब्री : 10/527; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) सहीह बुख़ारी में जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि जंगे उहुद की सुबह में लोगों ने शराब पी थी और लड़ाई में उस दिन अक्सर शहीद हो गए, यह तहरीमुल ख़म्र से पहले की बात है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरतुल माइदा क़ौलुहू (इन्नमल ख़म्रु वल मैसर वल अंसाब वल अज़्लाम..) : 4618) तो यहूदी कहने लगे कि जो लोग क़त्ल हो गए और उनके पेटों में शराब थी, तो यह आयत नाज़िल हुई कि नेक अमल करने वाले मोमिनीन पर कुछ आँच नहीं जबकि तहरीमुल ख़म्र से पहले शराब पी हो।

जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि एक शख़्स ख़ैबर से मदीने की तरफ़ शराब ला रहा था ताकि यहाँ लाकर बेचे और जब मदीना पहुँचा तो एक मुसलमान ने उससे कहा कि शराब तो हराम हो गई है तो उसने ले जाकर एक टीले पर रख दी, और उसे कपड़ों से ढाँक दिया। फिर नबी अकरम (ﷺ) के पास आया और पूछा, क्या शराब हराम हो गई है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! कहने लगा क्या मैं माल ले जाकर वापिस कर दूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "शराब में वापिस किए जाने की भी सलाहियत नहीं" तो उसने कहा कि क्या मैं उस शख़्स को दे दूँ जो इसका मुआवज़ा अदा करे? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "यह भी नहीं।" उसने कहा कि इस तिजारत में यतीमों का भी पैसा लगा हुआ था जो मेरे ज़ेरे परवरिश हैं। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "जब बहरैन का माल आएगा तुम मेरे पास आना तो मैं उसमें से तुम्हारे यतीमों का मुआवज़ा दे दूँगा।" फिर हुर्मते शराब की मदीना में मुनादी हो गयी। एक शख़्स ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! शराब के बर्तनों से हमें नफ़ा उठाने की इजाज़त दीजिए। आप (ﷺ) ने कहा कि "बर्तनों के मुँह खोल डालो, शराब बहा दो" चुनाँचे शराब उतनी बहाई गई कि पस्त ज़मीनों में शराब खड़ी हो गई थी। (मुस्नद अबी यअ़ला : 1884; व सनदुहू हसन; ईसा बिन जारिया हसनल हदीस वस्सक़हुल जुम्हूर मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 4/92) अबू तलहा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि मेरे ज़ेरे परवरिश यतीम हैं कि वर्सा में जिनको शराब मिली है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "बहा दो! सब बहा दो!" अबू तलहा (रज़ि.) ने कहा, हम इसका सिर्का बना लें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "नहीं!" (सहीह मुस्लिम, किताबुल अश्रिबा, बाब तहरीमु तख़्लीलिल ख़म्र : 1983; अहमद : 3/119; अबूदाऊद : 3675; तिर्मिज़ी : 1292; मुस्नद अबी यअ़ला : 4045) मुस्लिम, अबूदाऊद और तिर्मिज़ी सबने इसकी ताईद की है। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि (या अय्युहल लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु इला क़ौलिही..... लअ़ल्लकुम तुफ़्लिहून) यही आयत तौरात में भी है। अल्लाह तआ़ला ने हक़ को इसलिए नाज़िल किया है कि बातिल को नाबूद कर दे और गाने बजाने के आलात बरबत, सितार, सारंगी, दुफ़, तंबूर इन सबको बातिल कर दे। अल्लाह तआ़ला अपनी इ़ज़्ज़त की क़सम खाकर कहता है कि हुर्मत के बाद जो इसको पिएगा, मैं उसको क़यामत के दिन प्यासा रखूँगा और जो इसको छोड़ देगा मैं उसको जन्नत के पाकीज़ा चश्मे से शराब पिलाऊँगा। (इब्ने अबी हातिम : 4/1196)

अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिसने नशे की वजह से एक वक़्त की नमाज़ खो दी तो गोया कि सारी दुनिया की दौलत उसको हासिल थी और छिन गई और जिसने नशे की वजह से चार वक़्त की नमाज़ खो दी, तो अब अल्लाह को हक़ है कि उसको (तीनतुल ख़बाल) पिलाए।" लोगों ने कहा (तीनतुल ख़बाल) क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जहन्नमियों के जिस्म से निचोड़ी हुई गंदगी।" (मुस्नद अहमद : 2/178; व सनदुहू हसन; बैहक़ी : 1/389; हाकिम : 4/146)

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अ़क़्ल पर पर्दा डाल देने वाली हर पीने की चीज़ ख़म्र है और हर नशावर चीज़ हराम है जो शख़्स कोई नशावर चीज़ पिएगा उसकी चालीस दिन की नमाज़ क़बूल न होगी लेकिन अगर वह तौबा कर ले तो तौबा क़बूल कर ली जाएगी। और चौथी बार अगर शराब पिए तो अल्लाह तआ़ला को हक़ है कि उसको (तीनतुल ख़बाल) पिलाए।" आप

(ﷺ) ने फ़र्माया कि "(त़ीनतुल ख़बाल) अहले नार की पीप है और जिसने किसी बच्चे को शराब पिलाई जो ह़राम ह़लाल को नहीं जानता तो उस आदमी को भी (त़ीनतुल ख़बाल) पिलाया जाएगा।" (अबूदाऊद, किताबुल अश्रिबा, बाब मा जाअ फ़िस्सकर : 3680; व सनदुहू ह़सन; बैहक़ी : 8/288)

इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि जिसने दुनिया में शराब पी और तौबा नहीं की तो आख़िरत की शराब उस पर ह़राम है। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंस़ाबु...) : 5575; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2003; अह़मद : 2/19; मौत़ा इमाम मालिक : 2/746; बैहक़ी : 8/287) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हर नशा वाली चीज़ ख़म्र है और ह़राम है। जो उम्रभर शराब पीता रहा और मर गया और तौबा नहीं की तो वह जन्नत की शराब से बिलकुल मह़रूम रहेगा।" (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल अश्रिबा, बाब बयानु इन्न कुल्ल मुस्किरिन ख़म्र : 2003; अबूदाऊद 3679; तिर्मिज़ी : 1861; इब्ने ह़िब्बान : 5366) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "तीन आदमी हैं जिनकी त़रफ़ अल्लाह तआला क़यामत के दिन नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। एक वह जो अपने वालिदेन की नाफ़र्मान औलाद है और दूसरे हमेशा शराब पीने वाला और तीसरे एह़सान करके जताने वाला।" (नसाई, किताबुज़्ज़कात, बाब अल्मन्नानु बिमा अअ़त़ा : 2563; व सनदुहू ह़सन; अह़मद : 2/134; बैहक़ी : 8/388; ह़ाकिम : 1/146; इब्ने ह़िब्बान : 56) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "एह़सान जताने वाला और वालिदेन का नाफ़र्मान और हमेशा शराब पीने वाला यह तीनों कभी जन्नत में नहीं जाएँगे।"(मुस्नद अह़मद : 3/44; व सनदुहू ज़ईफ़ुन वहुव ह़सन बिश्शवाहिद; उंज़ुर मुस्नद अह़मद : 2/134; व सनदुहू ह़सन सुननुल कुब्रा : 4920; अबू यअ़ला : 1168)

उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से मरवी है कि शराब से बहुत बचते रहो क्योंकि वह सारी बुराइयों की जड़ है। एक वाक़िया सुनो कि तुमसे पहले के ज़माने में एक शख़्स बड़ा ही आ़बिद था। लोगों को छोड़ छाड़कर बस्ती से अलग थलग इबादतख़ाने में इबादत करता रहता था। एक बदकार औ़रत की उस पर नज़र थी, उसने अपनी ख़ादिमा को भेजा कि एक गवाही के बहाने उसको बुला लाए। वह बेचारा आ गया। जब वह किसी दरवाज़े के अंदर दाख़िल होता तो बाहर से उसका दरवाज़ा बन्द कर दिया जाता, यहाँ तक कि वह उस बदकार औ़रत तक पहुँच गए। उसके पास एक बच्चा और शराब का मटका रखा हुआ था। वह उस शैख़ से कहने लगी कि अल्लाह तआला की क़सम! मैंने तुझको किसी गवाही के लिए नहीं बुलाया है बल्कि इसलिए कि या तो मेरे साथ रात गुज़ारे या यह कि इस बच्चे को क़त्ल कर दे या यह कि शराब पिए। उस शैख़ ने यह मुनासिब जाना कि दोनों गुनाहों की बनिस्बत शराब आसान गुनाह है। चुनाँचे उसने शराब पी ली। अब वह एक जाम के बाद पे दर पे और जाम मांगने लगा। यहाँ तक कि शराब के नशे में उस लड़के को भी क़त्ल कर दिया और औ़रत के साथ भी रात गुज़ारी, इसलिए शराब से बचो, वह सारी बुराइयों की जड़ है, शराब और ईमान कभी एक जगह नहीं जमा हो सकते, अगर शराब है तो ईमान नहीं, अगर ईमान है तो शराब नहीं। (बैहक़ी : 8/287, 288; व सनदुहू ह़सन; नसाई : 5669, 5670) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "ज़ानी जब ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं रहता और चोर जब चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता, और शराबी जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अश्रिबा, बाब क़ौलुल्लाहि

तआला (इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु...) : 5578; सहीह मुस्लिम : 57; अबूदाऊद : 4689; तिर्मिज़ी : 2625; अहमद : 2/276; इब्ने हिब्बान : 186; बैहक़ी : 1/186) जब क़िब्ला के बदलने की आयत उतरी तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह लोग जो मर गए और बैतुल मक़्दिस की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते थे, उनका क्या होगा? तो वही नाज़िल हुई कि उनकी इबादत बर्बाद नहीं होगी। (मुस्नद अहमद : 1/295; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; व हदीस बुख़ारी : 4486 युग्नी अन्ह)

अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिसने शराब पी अल्लाह तआला चालीस दिन तक उससे नाख़ुश रहता है अगर वह मर जाए तो काफ़िर मरेगा और अगर तौबा करे तो अल्लाह तआला तौबा क़बूल कर लेगा।" (मुस्नद अहमद : 6/460; व सनदुहू हसन; मज्मउज़्ज़वाइद : 5/69) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "जब यह आयत उतरी कि हुर्मत से पहले पीने पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा तो मुझसे कहा गया कि तुम पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। (सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा, बाब मिन फ़ज़ाइले अब्दुल्लाह बिन मसऊद व उम्महू : 2459; तिर्मिज़ी : 3053; मुस्नद अबी यअला : 5064; हाकिम : 4/143) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जूए से बचो और चौसर और शतरंज से बचो, यह दोनों अजम का जूआ हैं।" (मुस्नद अहमद : 1/446; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इब्राहीम हिज्री ज़ईफ़ुन मशहूर)

***

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾
يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا
سَلَفَ ؕ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों ! अल्लाह तआला क़द्रे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े पहुँच सकेंगे ताकि अल्लाह तआला मालूम कर ले कि कौन शख़्स उससे बिन देखे डरता है। सो जो शख़्स इसके बाद हद से निकलेगा उसके वास्ते दर्दनाक सज़ा है। (94) ऐ ईमान वालों ! वहशी शिकार को क़त्ल मत करो जबकि तुम हालते एहराम में हो और जो शख़्स तुममें उसको जान बूझकर क़त्ल करेगा तो उस पर बदला वाजिब होगा जो कि मसावी होगा उस जानवर के जिसको उसने क़त्ल किया है जिसका फ़ैसला तुममें से दो मुअतबर शख़्स कर दें ख़्वाह वह बदला ख़ास चौपायों में से हो बशर्तेकि नियाज़ के तौर पर कअबा तक पहुँचाई जाए और ख़्वाह कफ़्फ़ारा मसाकीन को दे दिया जाए और ख़्वाह उसके बराबर रोज़े रख लिए जाएँ ताकि अपने किये की शामत का मज़ा चखे, अल्लाह तआला ने गुज़िश्ता को मुआफ़ कर दिया और जो शख़्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा तो अल्लाह तआला इंतिक़ाम लेगा और अल्लाह तआला ज़बरदस्त इंतिक़ाम लेने वाला है।'' (95)

बहालते एहराम शिकार करने का हुक्म (आयत 94, 95) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह तआला आज़मा रहा है शिकार की मुमानिअत करके ख़्वाह कमज़ोर शिकार हो या छोटा हो कि देखें हालते एहराम में तुम उनका शिकार करने से बचते हो या नहीं, हत्ताकि लोग अगर चाहते तो अपने हाथों से उस शिकार को पकड़ सकते थे। अल्लाह तआला ने उनके क़रीब होने से भी मुमानिअत कर दी। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि छोटे शिकारों को और बच्चों को हाथों से भी पकड़ सकते थे और बड़ों को तीर से शिकार करके। मुक़ातिल बिन हय्यान (रह.) कहते हैं कि उमर-ए-हुदेबिया में यह आयत उतरी कि जहाँ जंगली चौपाये परिन्दे और शिकार उनके ठिकानों में टूट पड़ने लगे थे कि उससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। चुनाँचे बहालते एहराम उनका शिकार करने से मुमानिअत की गई ताकि साबित हो जाए कि सिर्रन (छुपकर) व ऐलानिया किससे इताअत सरज़द होती है और किससे नहीं। जैसाकि अल्लाह तआला फ़र्माता है (اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِیْرٌ) (67/मुल्क : 12) ''जो अल्लाह तआला से डरते हैं, ग़ैब पर ईमान लाते हैं, उनके लिए मग़्फ़िरत और अज्रे करीम है।'' यहाँ अल्लाह पाक ने फ़र्माया है कि अब इसके बाद जो नाफ़र्मानी करे उसके लिए अज़ाबे अलीम है क्योंकि उसने हुक्मे इलाही की मुख़ालिफ़त की है। फिर फ़र्माया कि हालते एहराम में शिकार न करो। यह नही मअनवियत के लिहाज़ से तो हलाल जानवर और उनके बच्चों पर भी मुश्तमिल है और ग़ैर माकूल पर भी। लेकिन इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक ग़ैर माकूल का शिकार करना हराम वाले के लिए जाइज है। लेकिन जुम्हूर उलमा तो ऐसे शिकार को भी जाइज़ नहीं रखते और किसी को मुस्तस्ना (अलग) नहीं करते। इसके सिवा जो बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत आयशा (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''पाँच चीज़ें फ़ासिक़ हैं, एहराम में भी उनको क़त्ल किया जा सकता है क्योंकि यह तक्लीफ़ पहुँचाने वाले जानवर हैं, कौआ, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता।'' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब इज़ा वक़अज़्ज़ुबाबु फ़ी शराबि अहदिकुम, फ़ल्यग़्मसहू...: 3314; सहीह मुस्लिम :

1198) इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "इन पाँच को क़त्ल करना मुहरिम के लिए गुनाह नहीं।" (सहीह बुख़ारी हवाला साबिक़ : 3314; सहीह मुस्लिम : 1199; मौता इमाम मालिक : 1/356) अय्यूब (रह.) कहते हैं कि मैंने नाफ़ेअ से पूछा कि साँप का क्या हुक्म है? तो नाफ़ेअ (रह) ने कहा कि साँप को मारने में भी क्या शक है। उलमा का इसमें इख़्तिलाफ़ नहीं।

इमाम मालिक और अहमद और दीगर उलमा(रह.) ने भौंकने वाले कुत्ते के साथ भेड़िए और दरिन्दे शेर और चीते को भी शामिल रखा है क्यों कि इनका ज़रर तो कुत्ते से भी ज़्यादा है, वल्लाहु आलम! ज़ैद बिन असलम (रह.) और सुफ़ियान (रह.) कहते हैं कि हर हमला करने वाले दरिन्दे का हुक्म कुत्ते के हुक्म में शामिल है जिसकी ताईद इस हदीस से होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब उत्बा बिन अबी लहब पर बद दुआ की थी तो कहा था कि "ऐ अल्लाह! इस पर शाम में अपना एक कुत्ता मुसल्लत कर दे।" चुनाँचे मक़ामे ज़रक़ा में उसको एक भेड़िये ने फाड़ खाया था। हाँ! उनके सिवा अगर वह किसी और जानवर को क़त्ल करेगा तो फ़िदया देना पड़ेगा। जैसे सूस्मार या लोमड़ी या कुफ़्तार वग़ैरह। मालिक (रह.) कहते हैं कि यही हुक्म है उन पाँच जानवरों के बच्चों का भी या फाड़ने वाले जानवरों के छोटे बच्चों का भी कि अगर मुहरिम क़त्ल करेगा तो फ़िदया देना पड़ेगा, ख़्वाह हैवान ग़ैर माकूल या उनके बच्चों ही को क़त्ल किया हो, क्योंकि उसमें छोटे बड़े की कोई क़ैद नहीं है और ग़ैर माकूल जानवर पर भी सब शामिल है। अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि एहराम वाला काटने वाले कुत्ते को और भेड़िए को भी क़त्ल कर सकता है क्यों कि भेड़िया भी कुत्ते के मिस्ल है लेकिन इन दोनों के सिवा किसी और को क़त्ल करेगा तो फ़िदया देना पड़ेगा, हाँ! कोई दूसरा दरिन्दा हमला कर बैठे तो क़त्ल कर सकता है फ़िदया अदा करना ज़रूरी नहीं। यह औज़ाई और हसन (रह.) का क़ौल है कि इमाम ज़ुफ़र (रह.) कहते हैं कि फ़िदया देना पड़ेगा अगरचे हमला करने की वजह से ही मार डाला गया हो।

कुछ लोग कहते हैं कि कौअे से मुराद वह कौआ है कि जिसके पेट और पीठ पर सफ़ेदी हो स्याही न हो। जुम्हूर का मज़हब यह है कि कौअे से हर आम कौआ मुराद है क्योंकि लफ़्ज़ में कोई क़ैद नहीं। मालिक (रह.) फ़र्माते हैं कि कौआ जब हमला करे या तक्लीफ़ पहुँचाए तो मुहरिम सिर्फ़ उस वक़्त उसको क़त्ल कर सकता है बिलावजह नहीं, और मुजाहिद और दूसरे लोग कहते हैं कि क़त्ल न करे बल्कि उसको हाँके या उसको उड़ा दे। हज़रत अली (रज़ि.) से भी एक रिवायत ऐसी ही है। अबू सईद (रज़ि.) से मरवी है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "साँप बिच्छू और चूहा इनको क़त्ल कर दिया जाए लेकिन मुहरिम कौअे को सिर्फ़ उड़ा दे, क़त्ल न करे, और काटने वाले कुत्ते और गिद्ध और हमला करने वाले दरिन्दे, उनको मुहरिम क़त्ल कर सकता है।" (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब मा यक़्तुलुल मुहरिम मिनद्दवाब्बि : 1848; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; यज़ीद बिन अबी ज़ियाद रावी ज़ईफ़ है। तिर्मिज़ी : 838; इब्ने माजा : 389; अहमद : 3/3; बैहक़ी : 5/210)

अल्लाह तआला का क़ौल है कि जो जान बूझकर बहालते एहराम शिकार करेगा उसको उस शिकार के जैसा ही दूसरा मवेशी फ़िदया में देना पड़ेगा। ताउस (रह.) से मरवी है कि यह हुक्म उस शख़्स के बारे में नहीं जिसने ग़लती से किसी जानवर को क़त्ल कर दिया हो, बल्कि जान बूझकर क़त्ल करने की क़ैद है और ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से भी यही मालूम होता है। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि यहाँ (मुतअम्मिदन) से मुराद यह है

कि किसी ने अपनी हालते एहराम को भूलकर क़त्ल का क़सद किया हो वरना एहराम की हालत याद रहने के बावजूद इरादतन क़त्ले सैद करे तो उसका गुनाह तो कफ़्फ़ारा की सज़ा से भी बहुत बढ़ा चढ़ा है उसका तो एहराम ही बातिल हो जाता है। जुम्हूर इस बात के क़ाइल हैं कि क़सदन और भूलकर क़त्ल करने वाला दोनों कफ़्फ़ारा अदा करने में बराबर हैं। ज़ोहरी (रह.) कहते हैं कि कुरआन से तो दलालत होती है अमदन क़त्ल करने वाले पर, लेकिन हदीस से भूलकर क़त्ल करने वाला भी इसी हुक्म में शामिल है। मतलब यह है कि कुरआन से साबित हुआ है उसको कफ़्फ़ारा भी देना होगा और गुनहगार भी है जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया, तो उसको अपने गुनाहों की सज़ा चखनी पड़ेगी, लेकिन जो गुज़र गया सो मुआफ़ है और अगर किसी ने फिर ऐसा किया तो अल्लाह तआला उससे इंतिक़ाम लेगा। अहकामे नबी और अहकामे सहाबा से भी सबूत मिलता है कि ख़ता से क़त्ल करने की सूरत में भी कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा जैसाकि अमदन क़त्ल करने की सूरत में कुरआन की दलील के हिसाब से देना पड़ता है क्योंकि अगर शिकार को क़त्ल किया गया तो यह शिकार को तलफ़ करना होगा और जब अमदन तलफ़ करे तो तावान अदा करना पड़ता है और ग़लती से तलफ़ करने का भी यही हुक्म है। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि अमदन शिकार करने वाला कफ़्फ़ारा के साथ गुनहगार भी हुआ लेकिन ग़लती से क़त्ल करने वाला गुनहगार नहीं होगा।

क़ौलुहू तआला (फ़जज़ाउम् मिस्लुहुम मा क़तल मिनन्नअमि) कुछ ने जज़ा को मुज़ाफ़ बनाकर पढ़ा है कुछ ने अत्फ़ क़रार देकर और इब्ने मसऊद (रज़ि.) (फ़जज़ाउहू) इज़ाफ़त के साथ पढ़ते हैं। लेकिन हर तरह पढ़ने में भी मालिक, शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर (रह.) की दलील क़ायम रहती है कि सैदशुदा (शिकार किया हुआ) जानवर के मिस्ल की जज़ा अपनी जगह वाजिब रहती है बशर्तेकि उस जैसा या उसके क़रीब कोई पालतू जानवर हो ताकि वही दे दे वरना उसकी क़ीमत दे दे। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का इसमें इख़्तिलाफ़ है। वह कहते हैं कि सैद (शिकार) मक़्तूल पालतू जानवर के मुशाबेह हो या ग़ैर पालतू के हर सूरत में उसका मिस्ल देने के बजाय क़ीमत ही देना चाहिए और उस शिकारी को इख़्तियार है कि चाहे उसकी क़ीमत सदक़ा कर दे या कुर्बानी का कोई जानवर ख़रीद ले। लेकिन हक़ तो यह है कि सहाबा (रज़ि.) ने मिस्ल देने का जो हुक्म लगाया है वह हमारे लिए ज़्यादा क़ाबिले इत्तिबाअ है। उन्होंने हुक्म लगाया है कि शुतुरमुर्ग़ का शिकार किया था तो ऊँट कफ़्फ़ारे में दो और जंगली गाय के शिकार में घरेलू गाय और हिरन के शिकार में बकरी। सहाबा (रज़ि.) के यह फ़ैसले किताबुल अहकाम में सबके सब मज़्कूर हैं। लेकिन जहाँ कोई सैद मिस्ली न हो यानी ऐसा न हो कि किसी पालतू जानवर के मुशाबेह हो वहाँ इब्ने अब्बास (रज़ि.) हुक्म लगाते हैं कि उसकी क़ीमत मक्के रवाना कर दी जाए। बैहक़ी इसके रावी हैं।

क़ौलुहू तआला (यह्कुमु बिही ज़वा अदलिम् मिन्कुम) यानी उस कफ़्फ़ारा का फ़ैसला करने के लिए दो आदिल मुसलमान नामज़द किए जाएँ जो यह फ़ैसला करें कि मिस्ली शिकार में मिस्ली जानवर दिया जाए या ग़ैर मिस्ली में क़ीमत दी जाए। अगर उलमा का इख़्तिलाफ़ है तो सिर्फ़ इस बारे में है कि इन दो हकमों (जज) में एक हकम ख़ुद शिकारी भी बनाया जा सकता है या नहीं। एक क़ौल यह है कि नहीं बनाया जा सकता। इसलिए कि इस सूरत में अपना हुक्म अपने ही पर नाफ़िज़ करना लाज़िम आएगा जिससे मुत्तहम होने

का अंदेशा है। इमाम मालिक (रह़.) का यही क़ौल है। दूसरा क़ौल है कि बनाया जा सकता है इसलिए कि आयत बिलकुल आ़म है इसमें कोई इस क़िस्म की क़ैद नहीं। यह इमाम शाफ़ेई (रह़.) और अह़मद (रह़.) का क़ौल है। पहले क़ौल की दलील यह है कि एक ही क़ज़िया के अंदर ह़ाकिम ख़ुद मह़कूम नहीं बनाया जा सकता। इब्ने अबी ह़ातिम की ह़दीस है कि एक आ़राबी ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास आया और कहा कि मैंने बह़ालते एह़राम एक शिकार कर लिया है, अब मुझ पर क्या जज़ा है। आपने उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से जो पास ही बैठे हुए थे, पूछा, कहो तुम क्या फ़ैसला करते हो? तो आ़राबी ने कहा, मैं तो तुम्हारे पास आया कि तुम ख़लीफ़-ए-रसूल (ﷺ) हो लेकिन तुम ख़ुद दूसरे से पूछते हो। तो अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा, तुम क्यूँ ऐतिराज़ करते हो, अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद कहा है कि दो आ़दिल मुसलमान मिलकर कोई हुक्म लगाएँ। चुनाँचे मैंने अपने साथी से मश्वरा किया। हम दोनों जिस बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँगे तुझको अपना फ़ैसला सुना देंगे। यहाँ इसी बात का एह़तिमाल था चुनाँचे सिद्दीक़ (रज़ि.) ने जब देखा कि आ़राबी जाहिल है और आ़दिलैन के मसले से वाक़िफ़ नहीं तो नर्मी और मुलाइमत से उसे समझा दिया क्योंकि जहल की दवा तालीम है। लेकिन मुअ़तरिज़ अगर स़ाह़िबे इल्म हो तो जैसाकि इब्ने जरीर बयान करते हैं कि इब्ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हम एक बार ह़ज्ज के इरादे से निकल खड़े हुए और हम जब सुबह़ की नमाज़ पढ़ लेते तो अपनी सवारियो के पीछे पीछे पैदल चलते और बातें करते रहते। एक दिन सुबह़ ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि एक हिरन दिखाई दिया। हमारे एक साथी ने उसको एक पत्थर मारा, वह निशाना पर पहुँचा और हिरन मर गया। यह शख़्स़ हिरन को मुर्दा छोड़कर सवार होकर चल दिया। हमने उस शख़्स़ पर सख़्त ऐतिराज़ किया और जब मक्के पहुँचे तो मैं उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के पास आया और उनसे सारा वाक़िया बयान किया। उ़मर (रज़ि.) के साथ ही एक और स़ाह़ब बैठे हुए थे, गोरे चिट्टे, चाँदी की त़रह़ सफ़ेद। यह अ़ब्दुर्रह़मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) थे। उ़मर (रज़ि.) उनकी त़रफ़ मुतवज्जा हुए, कुछ बातें कीं फिर उस आदमी से पूछा, क्या तूने अ़मदन उसको मारा या ग़लत़ी से? उसने कहा, पत्थर तो मैंने इरादतन मारा था लेकिन उसको क़त्ल करने का इरादा नहीं था। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि इरादतन और ग़लत़ी दोनों के बीच तुझसे अ़मल सरज़द हुआ था। चुनाँचे एक बकरी ले, उसको ज़िब्ह़ कर, उसका गोश्त स़दक़ा कर दे, और उसकी खाल घर के काम में ला। अब हम वहाँ से उठ खड़े हुए। मैंने अपने साथी से कहा, अल्लाह तआ़ला के ह़ुदूदे शरीअ़त की इ़ज़्ज़त बड़ी अहमियत रखती है। जो कुछ तूने पूछा था, अमीरुल मोमिनीन ख़ुद इससे वाक़िफ़ न थे। ह़त्ताकि अपने साथी से पूछा। अब तो मुआ़फ़ी के त़ौर पर अपनी नाक़ा को ज़िब्ह़ कर दे। मुम्किन है कि इस तेरे जुर्म की मुकाफ़ात हो जाए। क़ुबैस़ा कहते हैं कि मुझे सूरह माइदा की आ़दिलैन वाली आयत याद नहीं आई थी। मेरे इस मश्वरा की ख़बर उ़मर (रज़ि.) को पहुँची। वह दुर्रा लिए आ पहुँचे, मेरे साथी पर एक कोड़ा बरसाया और कहने लगे, क्या तू ह़रम में क़त्ल करता है और ह़ुक्म में बेवक़ूफ़ को ह़कम बनाता है। फिर मेरी त़रफ़ मुतवज्जा हुए। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन! अगर आपने मुझे मारा तो इस नारवा मार को मैं मुआ़फ़ नहीं करूँगा। तो कहने लगे, ऐ क़ुबैस़ा बिन जाबिर! तू नौजवान है, खुले दिल वाला, ख़ूब बोलने वाला है लेकिन अगर किसी नौजवान में नौ आ़दतें भी अच्छी हों और सिर्फ़ एक बुरी हो तो वही एक सारी अच्छाईयों पर पानी फेर देती है। नौजवानी की लग़्ज़िशों से मुह़तात़ रह।

अब्दुल्लाह बिन जरीर (रज़ि.) कहते हैं कि बहालते एहराम एक हिरन का मैंने शिकार कर लिया। हज़रत उमर (रज़ि.) से मैंने उसका ज़िक्र किया तो आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अपने दो साथियों को लाओ ताकि वह दोनों तुम पर अपना फ़ैसला सादिर करें। मैं अब्दुर्रहमान और सअद (रज़ि.) को ले आया। उन्होंने यह फ़ैसला सादिर किया कि मैं एक मोटा ताज़ा बकरा फ़िदया दूँ। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि अरबद ने एक हिरन को बहालते एहराम रौंदकर मार डाला फिर हज़रत उमर (रज़ि.) के पास फ़ैसला लेने के लिए आया तो उमर (रज़ि.) ने कहा कि मेरे साथ फ़ैसले के लिए एक और हकम तू ख़ुद बन जा। चुनाँचे दोनों ने एक पालतू बकरी कफ़्फ़ारे में क़रार दी जो घर का पानी और चारा खाकर ख़ूब मोटी ताज़ी हो गई थी। फिर उमर (रज़ि.) ने आदिलैन वाली आयत पढ़ी। यह वाक़िया इस बात के जवाज़ पर दलालत करता है कि क़ातिल ख़ुद हकमैन आदिलैन में से एक हो सकता है जैसाकि शाफ़ेई और अहमद (रह.) का मज़हब है। फिर उसमें भी उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि आइन्दा ज़माने में भी जब किसी मुज्रिम से यह जुर्म सरज़द हो तो उसी वक़्त के दो हकम चाहिए या सहाबा (रज़ि.) के फ़ैसले ऐसे मसले के वक़्त जो सादिर हो चुके हैं उनकी रोशनी में फ़त्वा दिया जा सकता है। इसमें दो क़ौल है। अहमद और शाफ़ेई (रह.) कहते हैं सहाबा (रज़ि.) ने इस बारे में जो फ़ैसले दे दिए हैं उनकी पैरवी की जाए और उन दोनों ने उसी को शरई फ़ैसला क़रार दिया है इससे इंहिराफ़ न किया जाए और जिसमें सहाबा का कोई हुक्म मौजूद न हो तो फिर अपने ज़माने के आदिलैन की तरफ़ रुजूअ करें। मालिक और अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि हुक्म अपने अपने ज़माने के हर हर फ़र्द पर अलग अलग लगेगा और अपने ज़माने ही के आदिल क़रार पायेंगे ख़्वाह सहाबा का कोई हुक्म और फ़त्वा मौजूद हो कि न हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने मिन्कुम का लफ़्ज़ फ़र्माया है और पहले ज़माने के सहाबा इस वक़्त तुम्हारी जमाअत के अफ़राद तो नहीं हैं।

व क़ौलुहू तआला (हदयम् बालिग़ल कअबति) यानी यह कुर्बानी कअबे तक पहुँचाई जाए, वहीं ज़िब्ह की जाए और हरम ही के मसाकीन में उसका गोश्त बांटा जाए। इस बात में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं, सब बिलइत्तिफ़ाक़ यह राय रखते हैं। क़ौलुहू तआला (अव कफ़्फ़ारतुन तआमु मसाकीन अव अद्लु ज़ालिका सियामन) यानी मुहरिम अगर क़त्ल किए हुए शिकार का मिस्ल न पाए या शिकारे मक़्तूल इस क़िस्म का जानवर ही न हो कि घरेलू जानवर से मुशाबिहत रखे तो फिर जज़ा और इत्आम और सियाम के बारे में इख़्तियार है और कुरआन पाक में (अव) इख़्तियार ही के मानी में आया है और यही क़ौल है मालिक और अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद (रह.) का नीज़ शाफ़ेई (रह.) का भी एक क़ौल ऐसा ही है। अहमद (रह.) का भी यही क़ौल मशहूर है कि (अव) इख़्तियार देने के मक़्सद से लाया गया है और एक दूसरा क़ौल यह है कि इख़्तियार के मक़्सद से नहीं, बल्कि तर्तीब और सिलसिला बताने के लिए है और इसकी सूरत यह होगी कि क़ीमत के बराबर आकर ठहर जाए और सैद मक़्तूल की तलाफ़ी हो जाए। यह मालिक और अबू हनीफ़ा और हम्माद और इब्राहीम (रह.) के नज़दीक है लेकिन शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि वह क़ीमत बदल हो और उस जानवर का कि अगर मौजूद होता तो क्या क़ीमत होती। फिर उस रक़म से अनाज ख़रीद ले और सदक़ा कर दे और हर मिस्कीन को एक मुद्द यानी 56 तौला ग़ल्ला दे। यह मसला शाफ़ेई और मालिक और उलमा-ए-हेजाज़ के नज़दीक है

और अबू हनीफ़ा (रह.) और अबू यूसुफ़ और मुहम्मद (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि हर मिस्कीन को दो मुद्द दिए जाएँ। अहमद (रह.) कहते हैं गेहूँ हों तो एक मुद्द और दूसरा ग़ल्ला हो तो दो मुद्द, पस अगर यह न दे सके तो रोज़े रखे यानी एक मिस्कीन को जितने दिन खाना खिलाया जाता है उतने दिन रोज़े रखे। दूसरों का क़ौल है कि हर साअ के बदले जो न दिया जा सका एक रोज़ा है। नबी अकरम (ﷺ) ने कअब बिन अज्रा (रज़ि.) को हुक्म दिया था कि एक फ़िरक़ अनाज छः आदमियों में बांट दे या तीन दिन के रोज़े रखे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल महसर, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (अव सदक़तिन) : 1815; सहीह मुस्लिम : 1201) एक फ़िरक़ तीन साअ का होता है और साअ 225 तौले का होता है। अब इसमें भी इख़्तिलाफ़ है कि कहाँ खिलाएँ। शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि हरम में खिलाएँ। अता (रह.) का भी यही क़ौल है। मालिक (रह.) कहते हैं कि उस जगह खिलाएँ जहाँ शिकार को क़त्ल किया था या वहीं कहीं क़रीब में। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं इसकी कोई तख़्सीस नहीं, कहीं भी खिलाएँ, ख़्वाह हरम हो या ग़ैर हरम या कोई और जगह हो।

इस मसला के बारे में सल्फ़ के क़ौल : इस आयत के बारे में इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि मुहरिम जब सैद करे तो वैसा ही जानवर उस पर लाज़िम आता है अगर कफ़्फ़ारे के लिए वैसा ही चौपाया न मिले तो उसकी क़ीमत देखी जाएगी, क़ीमत से फिर खाना का अंदाज़ा लगाया जाएगा। फिर हर आधा साअ अनाज के बदले एक रोज़ा रखा जाएगा। अल्लाह तआला ने कफ़्फ़ारा खाना और रोज़े के ज़रिये क़रार दिया है जब खाना पाया जाए तो उसी से कफ़्फ़ारा अदा किया जा सकेगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि कफ़्फ़ारा का जानवर कअबा को भेजा जाए या मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए या उसी के बराबर रोज़े रखे जाएँ। जब मुहरिम ने शिकार किया तो उसी के मिस्ल चौपाया उस पर लाज़िम आया। अगर किसी ने हिरन या उसके मिस्ल जानवर क़त्ल किया तो उस पर बकरी लाज़िम आएगी जो मक्का भेजकर ज़िब्ह की जाएगी। अगर न हो सके तो छः मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा और अगर यह भी न हो सके तो तीन रोज़े रखे जाएँगे। अगर किसी ने ऊँट या ऊँट के मिस्ल जानवर को क़त्ल किया तो उस पर गाय वाजिब है। अगर न हो सके तो बीस मिस्कीनों को खिलाए अगर यह भी न हो सके तो बीस रोज़े रखे और अगर शुतरमुर्ग़ या गोरख़र वग़ैरह को मारे तो एक ऊँटनी उस पर वाजिब हो गई, न हो सका तो तीस मिस्कीनों को खाना खिलाए, वरना तीस दिन के रोज़े रखे। इब्ने जरीर (रह.) ने भी यही कहा है लेकिन यह और ज़्यादा किया है कि खाना हर एक को एक एक मुद्द दिया जाए ताकि पेट भरकर मिले। अता और मुजाहिद (रह.) वग़ैरह ने कहा है कि खाना एक एक मुद्द उस शख़्स के लिए है जो कुर्बानी का जानवर कअबे तक न पहुँचा सकता हो। सुद्दी का कहना है कि इस इख़्तियार में तर्तीब का लिहाज़ रखा जाए और इब्राहीम नख़ई (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि हर तरह उसको इख़्तियार है चाहे जो कफ़्फ़ारा पसंद करे।

क़ौलुहू तआला (लि यज़ूक़ व बाला अम्रिही) ताकि वह करतूत की सज़ा पा ले यानी हमने कफ़्फ़ारा उस पर इसलिए वाजिब किया कि हमारे हुक्म की जो उसने मुख़ालिफ़त की है उसकी सज़ा पा ले लेकिन ज़माना जाहिलियत में जो कुछ हो वह उस शख़्स के लिए मुआफ़ है जिसने इस्लाम में अच्छे काम किये। फिर फ़र्माया कि (वमन आदा फ़यन्तक़िमुल्लाहु मिन्हू) यानी इस्लाम में आने के बाद और उसकी मुमानिअत के

बावजूद जिसने नाफ़र्मानी की अल्लाह तआला उससे इंतिक़ाम लेगा और वह सरकशों से इंतिक़ाल लेने वाला है लेकिन जाहिलियत में जो कुछ हो गया वह माफ़ है और इस सवाल का जवाब भी नफ़ी में है कि क्या इमामे वक़्त उसकी कोई सज़ा क़रार दे सकता है? यानी इमाम को सज़ा देने का हक़ नहीं है। यह गुनाह अल्लाह तआला और बन्दे के बीच है। हाँ! उसको इमाम के सज़ा न देने के बावजूद फ़िदया तो ज़रूर ही देना पड़ेगा। इसको इब्ने जरीर (रह.) ने रिवायत किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआला कफ़्फ़ारा ही के ज़रिये इंतिक़ाम लेगा और इंतिक़ाम की यही सूरत होगी।

जुम्हूर सल्फ़ और ख़ल्फ़ इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मुहरिम ने जब शिकार को क़त्ल कर दिया तो उस पर फ़िदया देना वाजिब हो गया और पहली या दूसरी या तीसरी ग़लती में कोई फ़र्क़ नहीं है ख़्वाह कितनी ही बार हो। फ़ेअ़ले ख़ता और फ़ेअ़ले अ़मद सब हुक्म में बराबर हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मर्वी है कि मुहरिम से ख़ता अगर क़त्ले सैद सरज़द हुआ तो उस पर हर क़त्ल के वक़्त यह हुक्म सादिर होगा। लेकिन अगर वह अ़मदन क़त्ल करे तो पहली बार में तो यह सज़ा उस पर लगेगी लेकिन दूसरी बार में उससे कहा जाएगा कि अल्लाह तआला तुझसे इंतिक़ाम ले जैसाकि ख़ुद अल्लाह तआला ने भी फ़र्मा दिया है कि दोबारा करे तो अल्लाह तआला इंतिक़ाम लेगा। इमाम हसन बसरी (रह.) फ़र्माते हैं कि एक साहिबे एहराम ने शिकार किया, उस पर फ़िदया की सज़ा लगाई गई। उसने दोबारा यह जुर्म किया तो आसमान से आग उतरी, बिजली गिरी और उसे जला दिया, यही मानी (फ़यन्तक़िमुल्लाहु मिन्हू) के हैं। अल्लाह तआला अपनी सल्तनत में ग़ालिब है कोई उसको मग़्लूब नहीं कर सकता। वह इंतिक़ाम लेना चाहे तो कौन है कि रोके। सारी कायनात उसकी मख़्लूक़ है हुक्म बस उसी का चलता है, सरकशों को वह सज़ा ज़रूर देगा। उसकी सिफ़ते इंतिक़ाम का यही इक़्तिज़ा है।

***

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾

तर्जुमा : "तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना और उसका खाना ह़लाल किया गया है तुम्हारे इंतिफ़ाअ (फ़ायदे) के वास्ते और मुसाफ़िरों के वास्ते और ख़ुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए ह़राम किया गया है जब तक तुम ह़ालते एह़राम में रहो और अल्लाह तआला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। (96) अल्लाह तआला ने कअबा को जो कि अदब का मकान है लोगों के क़ायम रहने का सबब क़रार दे दिया और इ़ज़्ज़त वाले महीने को भी और ह़रम में क़ुर्बानी होने वाले जानवर को भी और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हों यह इसलिए ताकि तुम इस बात का यक़ीन कर लो कि बेशक अल्लाह तआला तमाम आसमानों और ज़मीन के अंदर की चीज़ों का इ़ल्म रखते हैं और बेशक अल्लाह तआला सब चीज़ों को ख़ूब जानता है। (97) तुम यक़ीन जानो कि अल्लाह तआला सज़ा भी सख़्त देने वाला है और अल्लाह तआला बड़ी मग़्फ़िरत और रह़मत वाला भी है। (98) रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़िम्मे तो स़िर्फ़ पहुँचाना है और अल्लाह तआला सब जानता है जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो।" (99)

एह़राम की ह़ालत में समुन्दरी शिकार का हुक्म (आयत 96-99) : तुम्हारे लिए समुन्दर का ताज़ा शिकार ह़लाल है और जो मछली सुखाकर ज़ादे राह बनाई जाती है वह भी तुम्हारे लिए और अहले क़ाफ़िला के लिए जाइज़ है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि वह शिकार जो समुन्दर से ज़िन्दा ह़ासिल किया गया है मुराद है और लफ़्ज़ (त़आम) से वह मुराद है कि जिसे समुन्दर ने मारकर साह़िल (किनारे) पर फेंक दिया हो। अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) कहते हैं कि त़आम से मुराद हर वह चीज़ है जो समुन्दर में है। ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने ख़ुत्बा दिया तो कहा कि स़ैदे बह़्र तुम्हारे लिए ह़लाल है और न शिकार किया हुआ लेकिन समुन्दर का फेंका हुआ वह भी तुम्हारे लिए इस्तिफ़ादा और ज़ादे राह की चीज़ है। इब्नुल मुसय्यिब (रह़.) कहते हैं कि समुन्दर ने तो ज़िन्दा फेंका हो लेकिन ख़ुश्की पर आकर मर गया हो वह त़आम है। अ़ब्दुर्रह़मान (रह़.) ने सवाल किया कि समुन्दर बहुत सी मुर्दा मछलियाँ साह़िल पर ला डालता है, क्या हम खा सकते हैं तो इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि न खाना। जब अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) घर वापिस गए, क़ुरआन खोला और यह आयत (त़आमुहू मताअ़ल्लकुम वलिस्सय्यारति) तो कहा जाओ और कह दो कि खा लिया करो क्योंकि समुन्दर की चीज़ को अल्लाह तआला त़आम कहता है। इब्ने जरीर (रह़.) भी यही कहते हैं कि "त़आम" से समुन्दर की मुर्दा मछलियाँ ही मुराद हैं। ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने भी यही फ़र्माया है कि "समुन्दर की मौजों से मुर्दा आई हुई मछली त़आम है।" मताअ़ से मुराद मंफ़अ़त और क़ुव्वत है। सय्यारा जमा है सियार की, इ़क्रिमा (रह़.) कहते हैं कि जो समुन्दरी मक़ामात पर रहते हैं वह तो ताज़ा ताज़ा शिकार कर लेते हैं और जो मर जाएँ उनको सुखाकर ज़ख़ीरा रखते हैं या शिकार करके रख छोड़ते हैं और यह मुसाफ़िरीन और साह़िली मक़ामात से दूर रहने वालों के लिए ज़ादे राह का काम देता है। जुम्हूर ने माही मुर्दा के ह़लाल होने पर इसी आयत से इस्तिदलाल किया है।

इमाम मालिक (रह.) ने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत की है कि नबी अकरम (ﷺ) ने साहिल की तरफ़ एक लश्कर भेजा। अबू उ़बेदह बिन जर्राह (रज़ि.) को उसका अमीर बनाया। यह तीन सौ आदमी थे, मैं भी उनमें शामिल था। हम रास्ते ही में थे कि ज़ादे राह ख़त्म हो गया तो अबू उ़बेदह (रज़ि.) ने हुक्म दिया कि सारे लश्कर में से सबका ज़ादे राह लाकर जमा कर दें। मेरे पास खजूर ज़ादे राह थी। हम उसमें से हर रोज़ थोड़ा थोड़ा खाते थे। आख़िरकार वह ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया और रसद के तौर पर हमको सिर्फ़ एक एक खजूर मिलती थी। हम लोग ख़ुद अब मरने के क़रीब हो गए, लेकिन समुन्दर तक आ पहुँचे थे। साहिल पर देखा कि एक मछली टीले के मानिन्द चौड़ी चकली पड़ी हुई है। हमारे सारे लश्कर ने उसको तेरह दिन तक खाया। अबू उ़बेदह (रज़ि.) ने उस मछली की दो पस्लियों को बसूरते कमान क़ायम करने का हुक्म दिया। उस कमान के नीचे से एक ऊँटनी सवार गुज़र गया और उसके बालाई हिस्से को छू न सका। जाबिर (रज़ि.) भी इसी तरह बयान करते हैं कि साहिले बह्र पर एक बुलंद टीला सा मालूम हुआ, देखा तो वह दरियाई जानवर मरा पड़ा था जिसको अ़म्बर कहते थे। अबू उ़बेदह (रज़ि.) ने कहा, यह तो मय्यित है फिर कहा, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ासिद हैं, भूख से मजबूर हो गए हैं, ताज़ा ताज़ा गोश्त है ख़ूब खाओ। हम वहाँ एक महीना ठहरे रहे, हम तीन सौ आदमी थे। खा-खाकर ख़ूब मोटे हो गए। उसकी आँखों के ढेलों के अंदर से हम मटके भर भरकर रोग़न निकालते थे। इतने बड़े बड़े टुकड़े काट लिए थे, जैसे गाय। अबू उ़बेदह (रज़ि.) ने उसकी आँख के गढ़े में तेरह आदमियों को बिठाया था। उसकी एक पसली लेकर बसूरते कमान ज़मीन पर क़ायम की गई तो बड़े से बड़ा ऊँट उसके नीचे से निकल गया। (सहीह बुख़ारी, किताबुश्शिरका, बाबुश्शिरकत फ़ित्तआम...: 2483; सहीह मुस्लिम : 1935; मौता इमाम मालिक : 2/930; इब्ने हिब्बान : 5262; बैहक़ी : 9/252) ग़र्ज़ यह कि वह मछली इस क़द्र बड़ी थी। फिर हमने उसका गोश्त सुखाकर ज़ादे राह बना लिया। जब मदीने पहुँचे और नबी (ﷺ) से उसका ज़िक्र किया तो फ़र्माया, "यह तुम्हारे लिए अल्लाह तआ़ला का रिज़्क़ था अगर तुम्हारे साथ कुछ है तो लाओ, हमें भी खिलाओ" हमने हुज़ूर (ﷺ) के पास कुछ भेजा, आप (ﷺ) ने तनावुल फ़र्माया। (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सैद, बाब इबाहतु मैततिल बह्र : 1935; सहीह बुख़ारी : 4362; मुख़्तसरन; अबूदाऊद : 3840; अहमद : 3/303; मुस्नद अबी यअ़ला : 1920; इब्ने हिब्बान : 5260) और एक रिवायत में है कि यह लश्कर नबी अकरम (ﷺ) के साथ था जबकि यह मछली पाई गई थी। कुछ कहते हैं, नहीं! नबी करीम (ﷺ) साथ नहीं थे और वह दूसरा वाक़िया है। कुछ कहते हैं कि नहीं, वाक़िया एक ही है। पहले वाक़िया में नबी अकरम (ﷺ) साथ थे, फिर नबी अकरम (ﷺ) ने जब दूसरा लश्कर भेजा था तो उसके अमीर अबू उ़बेदह (रज़ि.) थे और यह वाक़िया उसी अबू उ़बेदह (रज़ि.) वाले लश्कर का था, वल्लाहु आ़लम!

अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने हुज़ूर (ﷺ) से सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम समुन्दर में सफ़र करते हैं और थोड़ा सा पानी साथ रख सकते हैं, अगर उससे वुज़ू कर लिया करें तो प्यासे रह जाएँगे तो क्या हम अब समुन्दर के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "समुन्दर का पानी पाक है और उसकी मुर्दा मछली हलाल है।" (अबू दाऊद, किताबुत्तहारत, बाबुल वुज़ूइ बिमाइल बह्र : 83; व सनदुहू सहीहुन; तिर्मिज़ी : 69; नसाई : 333; इब्ने माजा : 386; अहमद :

2/361) सहाबा (रज़ि.) की एक जमाअत से भी यही मरवी है। अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ हज्ज या उमरा में साथ थे तो एक टिड्डियों के लश्कर से हमारा सामना हुआ। हम अपनी लकड़ी से उन्हें मारते थे, वह मरकर हमारे पास गिर पड़ती थीं। हमने आपस में कहा कि अब हम क्या करें? हम तो हालते एहराम में हैं। चुनाँचे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से हमने पूछा तो फ़र्माया कि, "सैदे बह्र की मुमानिअत नहीं है।" (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाबुल जराद लिल मुहरिम : 1854; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; तिर्मिज़ी : 850; इब्ने माजा : 3222; अहमद : 2/407; इसकी सनद में अबुल हज़्म यज़ीद बिन सुफ़ियान ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/426; रक़म : 9701) नबी (ﷺ) ने जब टिड्डियों पर बद दुआ की थी तो कहा था कि "ऐ अल्लाह! छोटी बड़ी सब टिड्डियों को हलाक कर दे, इनके अण्डों को ज़ाया करके अफ़्ज़ाइशे नस्ल से रोक दे ताकि यह हमारा ग़ल्ला और हमारी फ़सलें और हमारे बाग़ात व दरख़्त तबाह न करें। तू मुजीबुद्दअवात है।" हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह भी गोया एक इलाही फ़ौज है आप इसके नस्ल के ख़त्म होने की बद दुआ क्यूँ करते हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "यह टिड्डियाँ भी समुन्दर की मछलियों की नस्ल से होती हैं।" ज़ियाद बयान करते हैं कि मुझसे ख़ुद उस शख़्स ने बयान किया जिसने मछली से टिड्डी पैदा होते देखी है। (इब्ने माजा, किताबुस्सैद, बाब सैदुल हीतान वल जराद : 3221; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; तिर्मिज़ी : 1823; इसकी सनद में मूसा बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम मतरूक रावी है। (अल्मीज़ान : 4/218; रक़म : 8914) यह हदीस सिर्फ़ इब्ने माजा ने बयान की है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हरम में टिड्डी का शिकार करने की मुमानिअत की है और कुछ फ़ुक़्हा ने इस आयते करीमा से इस्तिदलाल किया है कि तमाम आबी जानवर खाये जा सकते हैं और उसमें किसी चीज़ का इस्तिस्ना नहीं है। कुछ ने मेंढकों को मुस्तस्ना (अलग) किया है और इसके सिवा बाक़ी को जाइज़ रखा है। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मेंढक को मारने की मुमानिअत की है और फ़र्माया (अबूदाऊद, किताबुत्तिब्ब, बाब फ़िल अदवियतिल मकरूहा : 3871; वहुव सहीह; नसाई : 4360; अहमद : 3/454) कि "उसकी आवाज़ अल्लाह तआला की तस्बीह है।" (अल्मुअजमुल औसत : 3728; व सनदुहू ज़ईफ़; अल्अज़्मतु लि अबिश्शैख़ : 5/1226; इब्ने असाकिर : 1/270) दूसरों ने कहा है कि मछली खा ली जाए लेकिन मेंढक न खाएँ। इन दोनों के मासिवा में इख़्तिलाफ़ है। कुछ कहते हैं कि बर्री (ख़ुश्की) माकूल (खाये जाने वाले) जानवरों के मुशाबेह जो बहरी जानवर हैं, वह खाए जाएँ और जो ख़ुश्की के जानवर नहीं खाए जाते हैं बह्र के भी ऐसे जानवर न खाए जाएँ। यह सब इख़्तिलाफ़ बर बिनाए मज़हबे शाफ़ेई है।

और अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि समुन्दर में जो मछली मर गई, वह न खाई जाए, जैसाकि ख़ुश्की का मरा हुआ जानवर भी नहीं खाया जाता है क्योंकि अल्लाह तआला ने (हुर्रिमत अलयकुमु ल मयततु) फ़र्माया है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि "तुमने समुन्दर से जो शिकार किया था और वह ज़िन्दा था फिर मर गया था तो खाओ और जिस मुर्दा मछली को मौजों ने बहाकर किनारे ला डाला हो तो न खाना।"

(अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ी उकुलित्ताफ़ी मिनस्समकि : 3815; व सनदुहू ज़ईफ़; अबुज़्ज़ुबैर मुदल्लस के सिमाअ़ की तस्रीह़ नहीं है।) जुम्हूर ने अस्ह़ाबे मालिक व शाफ़ेई व अह़मद (रह़.) से ह़दीसे अ़म्बर के ज़रिये और इस ह़दीस से इस्तिदलाल किया है कि समुन्दर का पानी पाक है और उसका मुर्दा ह़लाल है इसलिए वह ऐसी मछली को भी जाइज़ रखते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हमारे लिए दो मुर्दा जानवर और दो ख़ून जाइज़ हैं। दो मुर्दा जानवर तो मछली और टिड्डी हैं और दो ख़ून कलेजी और तिल्ली हैं।" (सूरह बक़रह में इसकी तख़रीज गुज़र चुकी है।)

एह़राम की ह़ालत में बर्री शिकार का हुक्म : क़ौलुहू (व हुर्रिम अ़लयकुम सैदुल बर्रि मा दुम्तुम हुरुमा) यानी ह़ालते एह़राम में तुमको बर्री (खुश्की) का शिकार करना ह़राम है। अगर अ़मदन ऐसा करोगे तो गुनहगार हो जाओगे और तावान भी देना पड़ेगा और ग़लती से किया है तो तावान देने के बाद सज़ा उठ जाएगी लेकिन उस शिकार का खाना ह़राम होगा इसलिए कि वह उसके ह़क़ में मिस्ल मैता (मुर्दा) के है और इमाम शाफ़ेई (रह़.) व मालिक (रह़.) का एक क़ौल यह भी है कि एह़राम वालों और ग़ैर एह़राम वालों सबके लिए इसका खाना ह़राम है। पस वह शिकारी अगर उसमें से कुछ खा ले तो क्या उस पर दुगुना फ़िदया लाज़िम होगा। इसमें उ़लमा के दो क़ौल हैं एक तो यह कि हाँ! दुगुना फ़िदया लाज़िम आएगा। अ़ता (रह़.) से रिवायत है कि अगर मुह़रिम शिकारी उसको ज़िब्ह़ करे और खा ले तो दो कफ़्फ़ारे लाज़िम आएँगे। एक जमाअ़ते उ़लमा का मज़हब यही है। दूसरा क़ौल यह है कि उसके खाने पर दूसरा फ़िदया लाज़िम न आएगा। मालिक बिन अनस (रज़ि.) का यही मज़हब है। अबू उ़मर कहते हैं कि ज़ानी ने ह़द मारी जाने से पहले बार बार वती की तो उस पर एक ही ह़द वाजिब होगी। अबू ह़नीफ़ा (रह़.) कहते हैं कि अपने शिकार का गोश्त खा लेने पर अपनी ग़िज़ा की क़ीमत देनी लाज़िम आएगी उससे ज़्यादा नहीं। अबू सौर(रह़.) कहते हैं कि ऐसी सूरत में मुह़रिम पर सिर्फ़ कफ़्फ़ारा लाज़िम आएगा और उस सैद में से खाना उसके लिए ह़लाल है लेकिन मैं मकरूह समझता हूँ कि वह उसमें से खाए क्योंकि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि "बह़ालते एह़राम सैदे बर्र तुम पर ह़लाल है बशर्तेकि ख़ुद तुमने उसका शिकार न किया हो और न तुम्हारे लिए शिकार किया गया हो।" (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब लह़मुस्सैदि लिल मुह़रिम : 1851; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; तिर्मिज़ी : 846; नसाई : 2830; दारे क़ुत्नी : 2/290; ह़ाकिम : 1/452; बैहक़ी : 5/190; इब्ने ह़िब्बान : 3971; इसकी सनद में मुत्तलिब बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ंतब का ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं।) इस ह़दीस का बयान आगे आएगा लेकिन शिकारी के लिए उसका खाना जाइज़ क़रार देना यह अ़जीब बात है लेकिन ग़ैर शिकारी के लिए मुह़रिम के शिकार के बारे में इख़्तिलाफ़ है और हमने साबिक़ में बयान कर दिया है कि जाइज़ नहीं लेकिन कुछ लोग ग़ैर शिकारी को उसका खाना जाइज़ कहते हैं और मुह़रिम और ग़ैर मुह़रिम सबको एक जैसा क़रार देते हैं।

जब ग़ैर मुह़रिम शिकार करे और मुह़रिम को हदिया भेजे तो कुछ लोग कहते हैं कि मुह़रिम के लिए मुत्लक़न जाइज़ है और उसमें कोई फ़र्क़ नहीं कि ख़ुद उसके लिए शिकार किया हो या न किया हो। अबू हुरैरा (रज़ि.) से ग़ैर मुह़रिम के शिकार के बारे में पूछा गया कि क्या उसका खाना मुह़रिम को ह़लाल है तो फ़त्वा

दिया कि हाँ! खा सकता है। फिर उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मुलाक़ात हुई, उन्हें इल्म हुआ तो कहा कि इसके ख़िलाफ़ अगर तुम फ़त्वा देते तो मैं तुम्हें सज़ा देता लेकिन दूसरे लोग बिलकुल यह नाजाइज़ समझते हैं। इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (रज़ि.) मकरूह समझते हैं क्योंकि (हुर्रिम अलयकुम) की आयत आम है। हज़रत अली (रज़ि.) मुह्रिम के लिए "अकल लह्मे सैद" मकरूह कहते हैं और मालिक व शाफ़ेई और अह्मद (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि ग़ैर मुह्रिम ने अगर मुह्रिम की ख़ातिर शिकार किया हो तो मुह्रिम को उसका खाना अब जाइज़ नहीं। सअब बिन जस्सामा (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) को एक गोरख़र हदिया भेजा था तो आप (ﷺ) ने वापिस कर दिया था और जब आप (ﷺ) ने भेजने वाले के चेहरे पर कुछ आसारे रंज महसूस किये तो फ़र्माया कि "मैं तो सिर्फ़ मुह्रिम होने की वजह से नहीं खाता हूँ।" (सहीह बुख़ारी, किताब जज़ाउस्सैद, बाब इज़ा अहदा लिल मुह्रिम हिमरन वह्शिय्यन हय्यन लम युक़्बल : 1825; सहीह मुस्लिम : 1193) यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में ज़्यादा अल्फ़ाज़ के साथ मरवी है। इसकी वजह यह थी कि नबी अकरम (ﷺ) ने गुमान किया था कि यह सिर्फ़ आपकी ख़ातिर शिकार किया गया था इसलिए वापिस किया और अगर कोई शिकार मुह्रिम के वास्ते न किया गया हो तो मुह्रिम के लिए उसका खाना जाइज़ है क्यों कि अबू क़तादा (रह.) की हदीस में है कि उन्होंने एक गोरख़र शिकार किया था और वह मुह्रिम नहीं थे और उसके अस्हाब मुह्रिम थे तो वह उसके खाने से बाज़ रहे और नबी (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "क्या तुममें से किसी ने शिकारी को शिकार करने के लिए शिकार बताया था या उसके क़त्ल में मदद की थी?" तो अस्हाब (रज़ि.) ने कहा, नहीं! तो फ़र्माया कि "फिर खाओ और ख़ुद आप (ﷺ) ने भी खाया।" (सहीह बुख़ारी, हवाला साबिक़ : 1824; सहीह मुस्लिम : 1196)

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "सैदे बर्र तुम्हारे लिए हलाल है बशर्तेकि ख़ुद तुमने बहालते एहराम शिकार न किया हो या तुम्हारे ईमा (इशारे) से या तुम्हारे मक़्सद से शिकार न किया गया हो।" (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब लह्मुस्सैदि लिल् मुह्रिम : 1851; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; तिर्मिज़ी : 846; नसाई : 283; इसका हुक्म पहले गुज़र चुका है।) आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को जब वह अर्ज में थे और मुह्रिम थे, सर्दी का ज़माना था, देखा कि आपने अपना चेहरा अर्ग़वानी चादर से छुपा लिया था। फिर शिकार का गोश्त लाया गया तो आप (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि "तुम लोग खाओ मैं नहीं खाऊँगा क्योंकि शिकार मेरी ख़ातिर किया गया है और तुम्हारी ख़ातिर नहीं किया गया है।" (मौता इमाम मालिक, किताबुल हज्ज, बाब मा ला यहिल्लु लिल मुह्रिम कुल्लुहू मिनस्सैदि : 84; व सनदुहू सहीहुन मौक़ूफ़; लित्तब्री : 1/266; ह : 443; व सनदुहू हसन)

***

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ
لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, भले तुझको नापाक की कस्रत ताज्जुब में डालती हो तो अल्लाह तआला से डरते रहो, ऐ अक़्लमन्दों! ताकि तुम कामयाब हो जाओ। (100) ऐ ईमान वालों! ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुमसे ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हारी नागवारी का सबब हो और अगर तुम ज़माना नुज़ूले क़ुरआन में इन बातों को पूछो तो तुमसे ज़ाहिर कर दी जाएँ। सवालाते गुज़िश्ता अल्लाह तआला ने मुआफ़ कर दिए और अल्लाह तआला बड़ी मग़्फ़िरत वाला है, बड़े हिल्म वाला है। (101) ऐसी बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थीं फिर उन बातों का हक़ न बजा लाए।" (102)

रिज़्क़े हलाल पर क़नाअत (आयत 100-102) : अल्लाह तआला रसूले करीम (ﷺ) से इर्शाद फ़र्माता है कि नापाक और पाक दोनों बराबर नहीं हो सकते, अगरचे नापाक कितना ही अच्छा क्यूँ न मालूम हो। ऐ इंसान! थोड़ी सी हलाल चीज़ जो नफ़ा वाली हो वह उस कसीर हराम से बेहतर है जो मज़र्रतबख़्श (नुक़सानदेह) है जैसाकि हदीस में है कि कम चीज़ और किफ़ायत करने वाली चीज़ अच्छी है ज़्यादा चीज़ से जो अल्लाह तआला से ग़ाफ़िल बनाने वाली है। (मुस्नद अबी यअला : 1/295; ह : 1053; व सनदुहू हसन; सहीह इब्ने हिब्बान, अल्इहसान : 3319; तहज़ीबुल आसार; मज्मउज़्ज़वाइद : 10/256) सअल्बा बिन हातिब अंसारी (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला मुझे बहुत सा माल अता करे तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "थोड़ा माल जिसका तुम शुक्र अदा करो वह उस ज़्यादा माल से अच्छा है जिसका शुक्र अदा न करो।" (अल्मुअजमुल कबीर : 7873; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/31; इसकी सनद में अली बिन यज़ीद अल्इल्हानी मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 3/161; रक़्म : 5966) पस ऐ सहीह अक़्ल वालों! अल्लाह तआला से डरो, हराम से बचो, हलाल पर क़नाअत करो, ताकि तुम दीन और दुनिया में फ़लाह पा सको।

फ़िज़ूल सवाल करने की मुमानिअत : फिर फ़र्माया कि ऐ ईमानवालों! ऐसे सवाल मत करो कि अगर उनके जवाब ज़ाहिर हो जाएँ तो तुम्हें सख़्त रंज पहुँचे। यह अल्लाह तआला की तरफ़ से मोमिन बन्दों को तादीब है

और ग़ैर मुफ़ीद व मुज़िर (नुक़सानदेह) सवालात के पूछने से मुमानिअत है क्यों कि अगर यह उमूर ज़ाहिर हो जाएँगे तो उन्हें सुनकर सख़्त नागवार होगा और रंज पहुँचेगा। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "कोई मुझे किसी की कोई ख़बर लाकर न पहुँचाया करे। मैं चाहता हूँ कि तुमसे सामना हो तो मेरा दिल तुम्हारी तरफ़ से बिलकुल साफ़ रहे और किसी की तरफ़ से दिल में कोई ख़लश पैदा होने न पाए।" (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब रफ़इल हदीस मिनल मज्लिसि : 4860; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; वलीद बिन अबी हिशाम मस्तूर और ज़ैद बिन ज़ाइद मज्हूलुल हाल रावी है। तिर्मिज़ी : 3896; अहमद : 1/395; मुस्नद अबी यअ़ला : 5388) अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया था कि ऐसा ख़ुत्बा मैंने कभी नहीं सुना था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अगर तुम वह सब कुछ जानते जो मैं जानता हूँ तो बहुत थोड़ा हँसते और बहुत ज़्यादा रोते।" तो सहाबा (रज़ि.) अपना अपना चेहरा छुपाकर रोने लगे। एक आदमी उठकर पूछने लगा कि हुज़ूर (ﷺ)! मेरा बाप कौन था? कहा, फ़लाँ था। चुनाँचे यह आयत उतरी कि **ला तस्अलू अन अश्याअ** (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल माइदा बाब क़ौलुहू (ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुब्द लकुम तसूकुम) : 4621; सहीह मुस्लिम : 2359; तिर्मिज़ी : 3058; अहमद : 3/210; मुस्नद तयालिसी : 2/60) अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि एक दिन कुछ सहाबा (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से कुछ सवालात किए और ब इस्रार किए तो आप (ﷺ) मिम्बर पर आए और फ़र्माने लगे कि "आज जो बात मुझसे पूछना चाहते हो पूछो, मैं सब कुछ तुम्हारे हालात बयान कर दूँगा।" अस्हाबुन्नबी यह सुनकर काँप उठे कि कोई नई बात ज़ाहिर होने वाली है और मैं दाएँ बाएँ जिधर भी देखता था सहाबा (रज़ि.) अपना चेहरा कपड़े से ढाँके हुए रो रहे थे। एक आदमी उठा, जिसको लोग उसके बाप के नाम से बदनाम करते थे। कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मेरा बाप कौन था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हुज़ाफ़ा था।" फिर उमर (रज़ि.) उठे और कहने लगे, हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआ़ला हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, मुहम्मद (ﷺ) हमारे रसूल हैं। हम किसी फ़ित्ने के ज़ाहिर होने से पनाह माँगते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "आज की तरह मैंने कभी ख़ैरो शर्र को अयाँ नहीं देखा। जन्नत और जहन्नम इस तरह मेरे सामने मुजस्सम है गोया इस दीवार के पीछे ही वाक़ेअ हो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़ितन, बाब अतअव्वुज़ु मिनल फ़ितन : 7089; सहीह मुस्लिम : 2359)

इब्ने हुज़ाफ़ा (रज़ि.) के पूछने पर उम्मे अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा कहने लगी कि तुझसे ज़्यादा नालायक़ लड़का मैंने नहीं देखा, तुझे क्या मालूम कि अय्यामे जाहिलियत में क्या क्या हुआ करता था, अगर फ़र्ज़ करो, मैं भी उस ज़माने में किसी मअ़सियत में मुब्तला हो जाती तो आज नबी अकरम (ﷺ) की ज़ुबान पर लोगों के सामने तेरी बदौलत रुस्वा होना पड़ता। अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहने लगे कि अगर कोई हब्शी ग़ुलाम भी मेरा बाप क़रार पाता तो मैं अपने को उसी की तरफ़ मंसूब करता। अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बाहर निकले तो ग़ज़बनाक थे, चेहरा सुर्ख़ था। मिम्बर पर बैठ गए। एक आदमी उठकर पूछने लगा, कि मेरा मुतवफ़्फ़ा (गुज़रा हुआ) बाप कहाँ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "जहन्नम में है।" दूसरे ने पूछा, मेरा बाप कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "तेरा बाप हुज़ाफ़ा है।" उमर (रज़ि.) खड़े हो गए और कहने

लगे, बस काफ़ी है, हमारे लिए कि अल्लाह तआला हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है और मुहम्मद (ﷺ) हमारे रसूल हैं, कुरआन हमारा इमाम है। या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम अहदे जाहिलियत और अहदे शिर्क से बहुत क़रीब हैं, अल्लाह तआला ही वाक़िफ़ है कि हमारे बाप-दादा कौन थे। यह सुनकर आप (ﷺ) का गुस्सा ठण्डा हो गया और यह आयत उतरी कि ऐसे सवालात न करो कि बात ज़ाहिर हो जाए तो तुम्हें रंज पहुँचे। (तब्री : 11/103)

एक मुर्सल हदीस में है कि एक दिन जब नबी अकरम (ﷺ) ग़ज़ब में थे, उठकर फ़र्माने लगे कि "पूछो मुझसे क्या पूछते हो। जो कुछ तुम पूछोगे, बता दूँगा।" यह सुनकर बनी सहम का एक कुरैशी उठा, जिसके बाप के बारे में तअन किया जाता था। पूछने लगा, हुज़ूर (ﷺ)! मेरा बाप कौन था? तो आप (ﷺ) ने उसको उसके बाप की तरफ़ ही मंसूब किया। उमर (रज़ि.) उठे और कहा, हुज़ूर (ﷺ)! हमारी ख़ता मुआफ़ कर दीजिए, अल्लाह तआला आपको भी माफ़ करे। आपने मुसलसल दरख़्वास्त की, हत्ताकि नबी अकरम (ﷺ) का गुस्सा ठण्डा हो गया। फ़र्माने लगे, ज़ानिया का लड़का बाप के बजाए माँ की तरफ़ मंसूब किया जाएगा और ज़ानी पर पत्थर पड़ेंगे। (तब्री : 11/103) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि लोग नबी अकरम (ﷺ) से ज़राफ़त व ख़ुश तब्ई के तौर पर भी सवाल पूछते थे कि मेरा बाप कौन है? कोई कहता है कि मेरी गुमशुदा ऊँटनी कहाँ है। चुनाँचे सवालात से मुमानिअत की आयत उतरी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल माइदा बाब क़ौलुहू (ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुब्द लकुम तसूकुम) : 4622)

अली (रज़ि.) से रिवायत है कि जब यह आयत उतरी कि **(व लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मनिस्तताअ इलैहि सबीला)** यानी जिसको कुदरत हो उस पर हज्ज करना फ़र्ज़ है तो लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हर साल? तो आप (ﷺ) ख़ामोश हो गए। दोबारा पूछा, क्या हर साल? आप (ﷺ) फिर ख़ामोश हो गए। तीसरी बार फिर पूछा, तो फ़र्माया कि "अगर मैं हाँ कह दूँ तो हर साल तुम पर हज्ज फ़र्ज़ हो जाएगा जिसकी तुम कुदरत नहीं रखते और अगर अदा न करोगे तो काफ़िर हो जाओगे।" चुनाँचे मुमानिअते सवाल की आयत उतरी। (तिर्मिज़ी, किताबुल हज्ज, बाब मा जाअकुम फ़र्जुल हज्ज : 814; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; सनद मुंक़तअ है। अबुल बख़्तरी का सय्यदुना अली (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं है। इब्ने माजा : 2884; अहमद : 1/113; हाकिम : 2/294; दारे कुत्नी : 2/280) एक आदमी ने भी इसी तरह पूछा था कि क्या हर साल हज्ज करें तो आप (ﷺ) चीख़ उठे कि चुप करो, या उस पर ग़ज़बनाक हो गए, कुछ देर तक ठहरे रहे, फिर फ़र्माया "किसने सवाल किया था" आराबी ने कहा, मैंने, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "कमबख़्त! अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़रीज़-ए-हज्ज से तुझे कौन बचा सकता था। यक़ीनन तुम लोग अदा न कर सकते। तुमसे पहले की उम्मतें इसी तरह तो हलाक हुईं, अगर मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया व मा फ़ीहा भी हलाल कर दूँ और क़दम बराबर जगह हराम कर दूँ तो इसकी हिर्स तुम्हें दामनगीर हो जाएगी।" (तब्री : 11/108) इसीलिए तो अल्लाह तआला ने कहा है कि अगर तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया जाए तो तुम पर निहायत ही शाक़ गुज़रेगा। अल्लाह तआला ने फ़र्माया है **(व इन तस्अलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरआनु तुब्द लकुम)**

क़ुरआन नाज़िल होते वक़्त अगर तुम कुछ पूछोगे जिसकी तुम्हें मनाही कर दी गई है तो यक़ीन रखो कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सवाल पर रोशनी डाल देगा फिर क्या करोगे और यह बात तो अल्लाह तआ़ला पर आसान है। लेकिन जो गुज़र चुका है वह अल्लाह तआ़ला ने मुआफ़ कर दिया है, अल्लाह तआ़ला बड़ा ग़फ़ूर है ह़लीम है इसलिए हर्गिज़ कोई नया सवाल बिलावजह न कर बैठो, वरना जवाब में तुम पर सख़्ती और तंगी वारिद हो जाएगी, और यह अपने हाथों मुसीबत मोल लेना है।

ह़दीस में है कि ''मुसलमानों का सबसे बड़ा मुज्रिम वह है जिसके सवाल की वजह से एक ग़ैर ह़राम चीज़ महज़ सवाल करने की बिना पर ह़राम हो गई और लोगों पर तंगी पैदा हो गई।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल एअतिस़ाम बिल किताबि वस्सुन्नति, बाब मा यकरहू मिन कसरतिस्सवाल वमिन तकल्लुफ़ि मा ला यअ़नीहि : 7289; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2358; अबूदाऊद : 4610; अह़मद : 1/176; मुस्नद अबी यअ़ला : 761; इब्ने ह़िब्बान : 110) हाँ! क़ुरआन की कोई बात बवजह इज्माल समझ में न आती हो और तुम समझना चाहो तो पूछ लो, मैं बयान कर दूँगा। क्योंकि तुम तामीले ह़ुक्म के लिए उसकी ज़रूरत रखते हो। अगर किताब में कुछ मज़्कूर न हो और तुमने किया तो तुम्हारे अ़मल की तुमसे बाज़पुर्स नहीं, तो तुम भी किसी सवाल के बारे में चुप्पी साध लिया करो, जैसाकि स़ह़ीह़ ह़दीस में है कि ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैंने जो बयान नहीं किया उसको ग़ैर बयानशुदा ही रहने दो। ज़्यादा सवाल करना और अम्बिया (عليهم السلام) के ह़ुक्म से इख़्तिलाफ़ करने ही ने अगली उम्मतों को तबाह किया है।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल एअतिस़ाम बिल किताबि वस्सुन्नति : बाबुल इक़्तिदा बि सुननि रसूलुल्लाहि (ﷺ) : 7288; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1337) ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआ़ला ने फ़राइज़ क़रार दे दिये हैं। उनको ज़ाया न होने दो और अ़मल के ह़ुदूद मुक़र्रर कर दिये हैं उनसे तजावुज़ न करो और जो बातें ह़राम की गई हैं उनके मुर्तकिब न बनो। मैं कुछ बातों से अ़मदन साकित हूँ, यह तुम पर इक़्तिज़ा-ए-रह़मत की बिना पर है। मैं भूल जाने के सबब साकित नहीं हुआ हूँ इसलिए हर्गिज़ सवालात न करो।'' (ह़ाकिम : 4 /116; दारे क़ुत़्नी : 4/184; बैहक़ी : 10/ 13; व सनदुहू ज़ईफ़ुन बि तस़र्रुफ़िन यसीर) फिर अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि इन मसाइले मम्नूआ का सवाल तुमसे पहले की क़ौमों ने किया था। जवाब दिया गया। सख़्ती आइद हो जाने की वजह से उन्होंने अ़मल नहीं किया और काफ़िर हो गए। क्योंकि उन्होंने बर बिनाए त़लबे हिदायत सवाल नहीं किया था, बल्कि बर बिनाए इस्तिहज़ाद व इनाद। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैंने जो छोड़ दिया तुम भी छोड़ दो और मैं जो ह़ुक्म दूँ, इख़्तियार कर लो। नस़ारा ने जैसा सवाल किया था तुम ऐसा करने से बाज़ रहो। उन्होंने माइदा मांगा था लेकिन उसके बावजूद कुफ़्र किया और माइदा की क़द्र न की। पूछने की बजाए ख़ुद मेरे कहने का इंतिज़ार करो। तुम्हारे पूछने के बग़ैर ही क़ुरआन ख़ुद तुम्हारे सवाल की वज़ाह़त में नाज़िल हो जाएगा।''

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि बह़ीरा और वस़ीला और साइबा और ह़ाम के बारे में सवालात करने की मुमानिअ़त है देखो (ला तस्अलू अ़न अश्याअ) के बाद ही (مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ) (माइदा : 103) वग़ैरह है।

इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि वह लोग मोजिज़ात के बारे में सवालात करते थे जिसकी मुमानिअ़त की गई है। कुरैश नबी अकरम (ﷺ) से बाग़ात और नहरें माँगते थे और कहते थे कि कोहे सफ़ा को हमारे लिए सोना बना दो वग़ैरह वग़ैरह जैसाकि यहूद के मुतालिबात थे कि मूसा (عليه السلام)! आसमान से हमारे लिए किताब उतार दो। अल्लाह तआला ने फ़र्माया (وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ) (17/इस्रा : 59) जब कभी हमने उनके मुतालबा पर अपने मोजिज़े भेजे तो साबिक़ा लोगों ने झुठलाया। हमने समूद को अपनी रोशन दलील नाक़ा (ऊँटनी) दी। उन्होंने उसके साथ ज़ुल्म किया। हमारे मोजिज़े सिर्फ़ तख़्वीफ़ के लिए आते हैं। वह क़समें खा खाकर बयान करते हैं कि अगर इनके पास मोजिज़े आए तो वह ज़रूर ईमान ले आएँगे। ऐ नबी! कह दो कि मोजिज़ात अल्लाह तआ़ला के हाथ में हैं, तुम समझते नहीं, अगर मोजिज़े आएँगे तो भी वह ईमान न लाएँगे, हमने इनके दिलों को उलट दिया है, आँखों पर पर्दा डाल दिया है। हस्बे साबिक़ वह ईमान न लाएँगे। हम इनकी सरकशियों में इनको और भटका रहे हैं अगर हम इन पर फ़रिश्ते भी नाज़िल कर दें, मुर्दे ज़िन्दा होकर इनसे बातें करने लगें और हर साबिक़ा चीज़ ज़िन्दा होकर इनके सामने आ मौजूद हो तो भी यह ईमान न लाएँगे। हाँ! अल्लाह तआ़ला जिसको चाहे, वह ईमान इख़्तियार करे लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। (6/अन्आम : 109, 111)

***

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

तर्जुमा : "अल्लाह तआ़ला ने बहीरा को मशरूअ़ किया है और न साइबा को और न वसीला को और न हाम को और लेकिन जो लोग काफ़िर हैं वह अल्लाह तआ़ला पर झूठ लगाते हैं और अक्सर काफ़िर अ़क़्ल नहीं रखते। (103) और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआ़ला ने जो अह़काम नाज़िल किए हैं उनकी तरफ़ और रसूल की तरफ़ रुजूअ़ करो तो कहते हैं कि हमको काफ़ी वही है जिस पर हमने अपने बड़ों को देखा, क्या अगरचे इनके बड़े न कुछ समझ रखते हों और न हिदायत रखते हों।" (104)

बुतों के नाम पर छोड़े हुए जानवरों की हक़ीक़त (आयत 103, 104) : बहीरा वह मवेशी है जिसका

दूध नहीं दूहते थे और कहते थे कि यह बुतों के नाम है। कोई यह दूध नहीं पीता था। सायबा वह जानवर जो बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था उस पर न सामान लादा जाता, न सवारी की जाती। अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अम्र बिन आमिर ख़ुज़ाई को दोज़ख़ में पेट के बल घिसटते हुए देखा है। उसी ने सबसे पहले जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ने का तरीक़ा ईजाद किया था।" और वसीला वह ऊँटनी है जिससे पहली बार एक नर पैदा हो फिर लगातार दो मादा पैदा हों। ऐसी ऊँटनी को भी बुतों के नाम पर छोड़ देते हैं और हाम वह नर ऊँट है जिसकी नस्ल से कई बच्चे हो चुके हों और जब नस्ल बहुत बढ़ चुकी हो तो उससे न बार बरदारी का काम लिया जाता, न सवारी का, बुतों के हवाले कर देते। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल माइदा बाब **(मा जअलल्लाहु मिम् बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन...)** : 4623; सहीह मुस्लिम : 2856; मुख़्तसरन; अहमद : 2/275; इब्ने हिब्बान : 6260; बैहक़ी : 10/109) यह सब अम्र की ईजादात (घड़े हुए) थे। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मैंने जहन्नम को देखा कि एक आग दूसरी आग को खाए जा रही है, अम्र उसमे घिसटता हुआ चल रहा है। उसी ने सबसे पहले 'साइबा' की रस्म डाली।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल माइदा बाब **(मा जअलल्लाहु मिम् बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन...)** : 4624) रसूलुल्लाह (ﷺ) अक्सम बिन जून (रज़ि.) से फ़र्माते थे कि "ऐ अक्सम! मैंने अम्र बिन लुहय बिन क़ुम्मा को दोज़ख़ में देखा। तुमसे बढ़कर उसका हमशक्ल दूसरा नहीं, न उससे बढ़कर तुम्हारा हमशक्ल कोई है बिलकुल तुम्हारे ही जैसा मालूम होता है।" अक्सम ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपका गुमान है कि उसकी यह मुशाबिहत मेरे लिए मुज़िर होगी? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "नहीं! तुम मोमिन हो और वह काफ़िर। उसी ने सबसे पहले दीने इब्राहीम (ﷺ) में रख़्नाअंदाज़ी (हेर-फेर) की। बहीरा साइबा और हाम की बिदअतें राइज कीं। (तब्री : 11/118; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; हाकिम : 4/605; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) सनमपरस्ती (बुतपरस्ती) करना, साइबा बनाना, यह अबू ख़ुज़ाआ अम्र बिन आमिर ही ने किया है। मैंने उसे दोज़ख़ में देखा है।" (अहमद : 1/446; मज्मउज़्ज़वाइद : 1/116; इसकी सनद सहीह लि ग़ैरिही के दर्जे की है। देखिए अल्मौसूअतुल हदीसिया : 7/292)

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "दीने इब्राहीम (ﷺ) में तग़य्युर डालना यह अम्र बिन लुहय का काम है बनी कअब के क़बीले का था। वह दोज़ख़ में है उसकी बदबू दूसरे दोज़ख़ियों को सख़्त तक्लीफ़ पहुँचाती है। मैं जानता हूँ कि बहीरा की बिदअत का यही मुजिद (रचना करने वाला) है।" लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह कौन है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया "क़बीला बनी मुदलज का एक आदमी था, उसकी दो ऊँटनियाँ थीं, उसने उन दोनों के कान काट दिए, पहले तो उनका दूध पीना हराम किया फिर कुछ दिन बाद पीना शुरू किया। वह दोज़ख़ में है, यह ऊँटनियाँ उसको अपने मुँह से काट रही हैं और पैर से रौंद रही हैं। (तफ़्सीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1/191; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) यही अम्र बिन लुहय बिन क़ुम्मा का बेटा है, ख़ुज़ाआ के रईसों में से था। क़बीला जुरहुम के बाद कअबा की तौलियत ख़ुज़ाआ ही को मिली थी। दीने इब्राहीमी को सबसे पहले मुतग़य्यर (चेंज) करने वाला और हिजाज़ में अस्नाम परस्ती दाख़िल करने वाला और लोगों को बुतों की पूजा और उनके तक़र्रुब की तरफ़ बुलाने वाला। जानवरों और मवेशियों वग़ैरह के बारे में अय्यामे

जाहिलियत में सबसे पहले बिदआत इसमें राइज करने वाला।" जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने सूरह अन्आम में फ़र्माया है **(व जअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अन्आमि नसीबन)** खेत से जो कुछ पैदावार हो, या जानवरों से, उनका सिर्फ़ एक हिस्सा अल्लाह तआला के नाम का समझते थे और बाक़ी बुतों के नाम का। बहीरा उस नाक़ा (ऊँटनी) को कहते हैं कि जब पाँच बच्चे जन चुके और पाँचवाँ नर हो तो उसको ज़िब्ह करके सिर्फ़ मर्द उसका गोश्त खा लें, औरतों पर उसका गोश्त हराम समझते और अगर वह मादा हो तो उसके कान काट देते और कहते कि इसका नाम बहीरा है। (तब्री : 11/129) सुद्दी (रह.) वग़ैरह ने भी इसी के क़रीब क़रीब बयान किया है। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि साइबा उस बकरे को कहते हैं जिस पर बहीरा की तारीफ़ सादिक़ आए। लेकिन छः मादा हो जाने के बाद सातवीं हमल एक या दो नर हों तो उसको ज़िब्ह कर देते थे और सिर्फ़ मर्द ही उसको खा सकते, औरतों पर उसका गोश्त हराम होता था। और मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) का क़ौल है कि साइबा वह ऊँटनी है कि जब मुसलसल दस मादा जन चुके तो वह बुत के नाम पर छोड़ दी जाती, उससे सवारी नहीं ली जाती। उसके बाल नहीं काटे जाते, न उसका दूध दूहा जाता मगर मेहमान आ जाए तो उसको उस ऊँटनी का दूध पिलाया जा सकता था। अबू रौक़ कहते हैं कि साइबा उस ऊँटनी व ग़नम वग़ैरह को कहते थे कि जब आदमी किसी काम से निकले और वह काम पूरा हो गया तो अब उस जानवर को साइबा बना दिया जाता और बुत के नाम पर चढ़ा दिया जाता, उसकी औलाद भी बुतों के नाम पर समझी जाती। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि कोई शख़्स जब किसी ग़र्ज़ से निकलता या मर्ज़ से तन्दुरुस्ती पाता या उसके माल व मताअ में ग़ैर मामूली इज़ाफ़ा हो जाता तो अपना कुछ माल बुतों के नाम पर चढ़ा देता और अगर ऐसे माल या मवेशी से कोई तअर्रुज़ (छेड़छाड़) करता तो उसे सख़्त सज़ा दी जाती।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि वसीला वह बकरी है कि जब सात झोल दे दे और सातवाँ अगर नर हो और मुर्दा पैदा हो तो उसको सिर्फ़ मर्द खाते थे, औरतें नहीं खा सकती थीं और सातवें बतन में मादा हो तो उसको ज़िन्दा रहने दिया जाता और अगर उस बतन में नर और मादा दोनों पैदा हुए हों तो दोनों को ज़िन्दा छोड़ दिया जाता और कहते कि साथ वाली मादा ने नर को भी वसीला बना दिया। और अब वह भी हम पर हराम है। (इब्ने अबी हातिम : 4/1222) सईद बिन मुसय्यिब (रह.) कहते हैं कि वसीला वह ऊँटनी है कि पहली बार और दूसरी बार मादा ही जने तो कहते कि मुत्तसिल दो मादा पैदा हुए चुनाँचे दूसरी के कान काट देते और वह बुतों के नाम पर समझी जाती। (तफ़्सीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1/191) मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) कहते हैं कि वसीला वह बकरी है कि पाँच झोल में दस मादा बच्चे जने, हर बतन में दो दो। उसको छोड़ दिया जाता उसके बाद उसके जो भी बच्चा होता, ख़्वाह नर हो या मादा, तो सिर्फ़ मर्द खाते औरतें न खातीं, और अगर मादा पैदा होती तो फिर दोनों खाते और किसी नर के दस बच्चे हो चुके हों तो उसको भी बुत के नाम पर क़रार देते और छोड़ देते, उसको 'हाम' कहते। उस पर बार बरदारी न करते, न उसके बाल काटते, किसी के भी खेत और किसी के भी चश्मे से उस जानवर को पानी पीने की इजाज़त होती, कोई न रोकता।

मालिक बिन नज़ला (रज़ि.) कहते हैं कि मैं पुराने बोसीदा कपड़े पहने हुए था। तो हुज़ूर (ﷺ) ने

फ़र्माया कि, "तुम्हारे पास कुछ माल है?" मैंने कहा, ऊँट, बकरे और घोड़ों के मँडले (यानी बड़ी तादाद में हैं) लौण्डी गुलाम भी हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला ने तुझे दौलत दी है तो तुझ पर दौलत के आसार ज़ाहिर होने चाहिये। और क्या तुम्हारे ऊँटों के बच्चे सालिम कानों वाले पैदा होते हैं।" तो मैंने कहा, हाँ! लेकिन क्या ऊँट के बच्चे सालिम कानों के बग़ैर भी पैदा होते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया "क्या उन कुछ बच्चों के उस्तुरे से तुम कान काट दिया करते हो और कहते हो कि अब यह बह़ीरा हो गया, अब यह हम पर ह़राम हैं।" तो मैंने कहा, हम ऐसा भी करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हर्गिज़ न करना, अल्लाह तआला ने तुम्हें जो कुछ दिया है सब ह़लाल है कोई ह़राम नहीं।" (त़ब्री : 11/122; अह़मद : 3/473; व सनदुहू सह़ीहुन) अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया है कि बह़ीरा, साइबा, वस़ीला, ह़ाम की अल्लाह तआला के पास कोई सनद नहीं। बह़ीरा के कान काट देते हो, औरतों में से तुम किसी को भी इस बह़ीरा से किसी हैसियत से भी मुस्तफ़ीद नहीं होने देते। साइबा को बुतों के नाम पर चढ़ाते हो। बकरी जब सातवाँ झोल दे तो उसके कान और सींग काटकर छोड़ देते हो। वह चाहे जिस खेत में चरे और जिस ह़ौज़ से पानी पिए उसको रोका नहीं जाता। उसको वस़ीला कहते हो।" ह़दीस में इन अल्फ़ाज़ की यूँ तफ़्सीर बयान की गई है। क़ौलुहू तआला (वलाकिन् नल्लज़ीना कफ़रू यफ़्तरून अ़लल्लाहिल कज़िब, व अक्सरुहुम ला यअ़क़िलून) यानी यह काफ़िर अल्लाह तआला पर झूठ बोलते हैं, अल्लाह तआला ने इन चीज़ों को मशरूअ़ नहीं क़रार दिया, न यह अल्लाह तआला के पास वजहे क़ुर्बत हैं , यह मुश्रिकीन की इफ़्तिरा परदाज़ी है। इन्होंने इसको शरअ़ बना लिया है और अल्लाह तआला के पास वजहे क़ुर्बत समझते हैं, यह तो ह़ासिल न होगा बल्कि और इन पर वबाल पड़ेगा। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआला की वह़ी की त़रफ़ और उसके रसूल (ﷺ) की त़रफ़ आओ तो कहते हैं कि हम अपने बाप दादा के त़रीक़े पर ही ठीक हैं। क्या यह नहीं समझते कि इनके बाप दादा भी बात़िल हो सकते हैं। वह भी ह़क़ से बे बहरा और हिदायत से मह़रूम हो सकते हैं। फिर तुम उनकी पैरवी कैसे कर सकते हो। सच तो यह है कि जाहिल और गुमराह ही ऐसा कह सकता है।

***

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

तर्जुमा : "ऐ ईमानवालों! अपनी फ़िक्र करो, जब तुम राह चल रहे हो तो जो शख़्स गुमराह रहे तो उससे तो तुम्हारा कोई नुक़्सान नहीं, अल्लाह तआला ही के पास तुम सबको जाना है फिर वह तुम सबको जतला देगा जो कुछ तुम सब किया करते थे।" (105)

अलयकुम अन्फ़ुसकुम की तफ़्सीर और अम्र बिल मअरूफ़ वन्नही अनिल मुंकर (आयत 105) : अल्लाह तआला अपने बन्दों को हुक्म देता है कि तुम अपनी ज़ात से ठीक रहो, नेकियों की मुम्किना (हर सम्भव) कोशिश करते रहो। जिसने अपनी इस्लाह ख़ुद कर ली, चाहे क़रीब व बईद की सारी दुनिया फ़साद पज़ीर हो, तुम पर कोई आँच नहीं। जब बन्दा हलाल व हराम में मेरी इताअत करे तो कोई कितना ही गुमराह क्यूँ न हो जाए, उसको कोई मज़र्रत (नुक़्सान) नहीं। तुम सब अल्लाह तआला की तरफ़ आने वाले हो, अल्लाह तआला तुम्हें बता देगा कि तुम अच्छा करते थे या बुरा करते थे, जिसका अमल नेक होगा उसको अच्छी जज़ा मिलेगी और जिसका अमल बुरा होगा उसको बुरी सज़ा मिलेगी। इस आयत के मफ़्हूम से यह दलील नहीं ली जा सकती कि अम्र बिल मअरूफ़ वन्नही अनिल मुंकर करना ज़रूरी नहीं रहा। अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने खड़े होकर अल्लाह तआला की हम्दो सना बयान की, फिर कहा कि ऐ लोगों! तुम यह आयत पढ़ते हो लेकिन इसके मफ़्हूम पर इसको नहीं रहने देते। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते थे कि, "अगर कोई गुनाह की बात देखे और फिर उसे ग़ैरत न आए और गुस्सा न आए तो क्या अजब है कि अल्लाह तआला दोनों को अज़ाब में घसीट ले।" (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्रु वन्नही : 4338; वहुव सहीहुन; तिर्मिज़ी : 2168; इब्ने माजा : 4005; इब्ने हिब्बान : 304) ऐ लोगों! झूठ बोलने से बचो। झूठ इंसान को ईमान से हटा देता है।"

अबू उमय्या शअबानी (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू सअल्बा (रज़ि.) से इस आयत के बारे में पूछा कि (या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलयकुम अन्फ़ुसकुम...) तो उन्होंने कहा कि तुमने अल्लाह की क़सम! बहुत ही ख़बर रखने वाले आदमी से पूछा। सुनो! मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस आयत के बारे में पूछा, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "तुम अपनी अपनी पगड़ी संभालने के बाद बेफ़िक्र होकर न बैठ जाना। अम्र बिल मअरूफ़ वन्नही अनिल मुंकर बराबर किए जाओ, उस वक़्त तक कि लोग तंगदिल और तंग हौसला हो जाएँ, ज़कात न दें, ख़्वाहिशात की पैरवी करने लगें, दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह देने लगें, हर शख़्स अपनी राय पर अड़ने लगे, किसी नासेह की कुछ न सुने, उस वक़्त अलग थलग हो जाओ, नाबकारों को अपनी हालत पर छोड़ दो। तुम्हारे बाद ही ऐसा ज़माना आने वाला है कि उसमें दम साधकर बैठ रहने वाला ऐसी मुश्किलात में होगा गोया आग को हाथ में थामे हुए है। अपने आप नेक अमल कर लेने वाला गोया पचास आदमियों के नेक आमाल के बराबर अज्र पाएगा।" कहा गया या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हमारे पचास आदमी या उस गिरोह के? आप (ﷺ) ने फ़र्माया "नहीं! बल्कि तुम्हारे पचास नेक आदमी।" (अबूदाऊद, किताबुल मलाहिम, बाब अल्अम्रु वन्नही : 4341; व सनदुहू हसन तिर्मिज़ी : 3058; इब्ने माजा : 4014; इब्ने हिब्बान : 385; बैहक़ी : 10/92)

इब्ने मसऊद (रज़ि.) से किसी ने इसी आयत के बारे में पूछा तो कहा कि आज तो ख़ैर तुम्हारी बात मान भी ली जाती है, लेकिन क़रीबतर ऐसा ज़माना आने ही वाला है कि तुम ख़ैरख़्वाही की बात कहोगे और वह तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा बरताव करने लगेंगे, उस वक़्त चुपचाप देखे जाओ और कुछ न बोलो, वह गुमराह हो गए तो तुम पर कुछ आँच नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के पास लोग बैठे हुए थे कि कोई दो आदमियों में कुछ झगड़ा हो गया तो एक दूसरे की तरफ़ लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ, तो हाज़िरीन में से एक ने कहा कि मैं उठकर दोनों को समझा देता हूँ, अम्र बिल मअरूफ़ वन्नही अनिल मुंकर करता हूँ, तो बराबर वाले ने कहा, तुझको क्या पड़ी है, अपनी जगह बैठा रह अल्लाह तआला ने फ़र्माया है (अलयकुम अन्फ़ुसकुम) तो इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने सुनकर कहा, इसको न रोको, इस आयत का अमल का मौका यह नहीं है क़ुरआन

जैसा उतरा है उतरा है। कुछ आयतों के उतरने से पहले ही उनकी तावील का ज़माना गुज़र चुका और कुछ ऐसी आयतें हैं कि उनकी तावीलें अहदे रसूलुल्लाह (ﷺ) में हो चुकीं और कुछ की तावीलें हुज़ूर (ﷺ) के कुछ दिन बाद वाक़ेअ हुईं। कुछ की तावीलें उस ज़माने के बाद और कुछ की क़यामत के नज़दीक, जबकि क़यामत बरपा होने लगेगी और कुछ की क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो रहा होगा। जब तक तुम्हारे दिल इकट्ठे हैं और तुम्हारे जज़्बात एक हैं, तुममें फूट नहीं पड़ी है और एक दूसरे की बुराई के दर पे नहीं है उस वक़्त तक अम्र व नही बराबर करते रहो। और जब दिल बिगड़ जाएँ, फ़िर्क़ाबन्दी हो जाए, एक दूसरे के साथ अल्लाह तआला वास्ते का गुस्सा रखने लगे। उस वक़्त बिलकुल सबसे अलग थलग रहो। इस आयत की यही तफ़्सीर बयान की गई है। इब्ने जरीर (रह.) ने इसको रिवायत किया है।

इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा गया है कि अब तो आप बैठ रहें तो अच्छा है, न अम्र बिल मअरूफ़ करो न नही अनिल मुंकर। क्योंकि अल्लाह तआला ने ऐसा ही हुक्म दे दिया है। तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे इसका हक़ नहीं पहुँचता, न मेरे साथियों को, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्मा दिया है कि "हाज़िर शख़्स सुनकर ग़ायब को पहुँचाए।" हम हाज़िर के हुक्म में हैं और तुम ग़ायब के हुक्म में। यह आयत उन लोगों के हक़ में है जो हमारे बाद आने वाले हैं कि अगर उन्हें कुछ कहा जाएगा तो क़बूल न करेंगे। इब्ने उमर (रज़ि.) के पास एक आदमी आया तेज़ मिजाज़ और तेज़ ज़ुबान और कहने लगा, या अबा अब्दर्रहमान! छः आदमी हैं सबके सब कुरआन के जय्यद आलिम, कोई ख़ैर के सिवा शरीरुन् नफ़्स नहीं, लेकिन एक दूसरे पर शिर्क का इल्ज़ाम लगाता है। तो एक आदमी उठकर कहने लगा कि इससे बढ़कर शरारते नफ़्स और क्या होगी कि एक दूसरे को मुश्रिक कहे, तो उस आदमी ने कहा। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो शैख़ से यानी इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछ रहा हूँ। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मसला पूछा कि ऐसे लोगों को क्या समझें? तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह तआला तुम्हारा भला करे, क्या तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हें हुक्म दूँ कि जाओ, उन्हें क़त्ल कर दो। तुमको तो चाहिए कि उन्हें नसीहत करो। इस बदगोई से रोको, अगर वह न मानें तो तुम पर कुछ नहीं। अबू माज़िन कहते हैं कि मैं ज़मान-ए-उस्मान में मदीना गया। वहाँ चंद मुसलमान बैठे हुए थे। एक ने यह आयत पढ़ी (अलयकुम अन्फुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल) तो इब्ने माज़िन ने कहा कि लोग इस आयत का मफ़्हूम अच्छी तरह समझते नहीं। ज़ुबैर बिन नुफ़ैर कहते हैं कि अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे हुए थे। मैं भी मौजूद था और मैं सबसे कमसिन था। मौज़ूअे बहस था अम्र बिल मअरूफ़ व नही अनिल मुंकर। मैं बोल उठा कि अल्लाह तआला ने नही फ़र्माया है (अलयकुम अन्फुसकुम) वग़ैरह तो सबके सब मेरी तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगे, तुम नहीं जानते आयत का मतलब अच्छी तरह नहीं समझते। मैंने दिल में कहा, काश! मैं न बोलता। फिर वह तबादल-ए-ख़्यालात करने लगे। जब मज्लिस बरख़्वास्त होने लगी तो कहा, "तुम अभी बच्चे हो आयत का सहीह मिस्दाक़ (मफ़्हूम) नहीं जानते, लेकिन क्या अजब तुम ऐसा ज़माना भी पा लो, जब लोग तंगदिल हो जाएँ, ख़्वाहिशाते नफ़्सानी की पैरवी करने लगें, हर शख़्स अपनी ही राय पर नाज़ करता हो किसी की न सुनता हो तो यह वही ज़माना है। हसन (रह.) ने कहा, अल्लाह तआला का शुक्र है कि गुज़िश्ता मोमिनों में भी और मौजूदा मोमिनों में भी ऐसे लोग हैं कि उनके साथ ही मुनाफ़िक़ हैं लेकिन वह उनके अमल को बुरा समझते हैं। कअब (रह.) कहते हैं कि यह ज़माना उस वक़्त आएगा जबकि दमिश्क़ के कनीसा को गिराकर मस्जिद बना दिया जाएगा। यानी तास्सुब बढ़ जाएगा। इस आयत का यह मतलब है।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ
مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ
بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾ فَاِنْ عُثِرَ
عَلٰۤى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاۤ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَاۤ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَاۤ ۖ اِنَّاۤ اِذًا لَّمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَاۤ اَوْ يَخَافُوْۤا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ
اَيْمَانِهِمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٨﴾

तर्जुमा : ''ऐ ईमानवालों! तुम्हारे आपस में दो शख़्स वसी होना मुनासिब है जबकि तुममें से किसी को मौत आने लगे। जब वसिय्यत करने का वक़्त हो वह दो शख़्स ऐसे हों कि दीनदार हों और तुममें से हों या ग़ैर क़ौम के दो शख़्स हों अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो फिर तुम पर मौत आ जाए, अगर तुमको शुब्हा हो तो उन दोनों को बाद नमाज़ रोक लो। फिर दोनों अल्लाह तआला की क़सम खाएँ कि हम इस क़सम के बदले कोई नफ़ा नहीं उठाना चाहते अगरचे कोई क़राबतदार भी होता और अल्लाह तआला की बात को हम पोशीदा न करेंगे, हम उस हालत में सख़्त गुनहगार होंगे। (106) फिर अगर उसकी ख़बर हो कि वह दोनों वसी किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं तो उन लोगों में से जिनके मुक़ाबले में गुनाह का इर्तिकाब हुआ था और दो शख़्स जो सबमें क़रीबतर हैं जहाँ वह दोनों खड़े हुए थे यह दोनों खड़े हों फिर दोनों अल्लाह तआला की क़सम खाएँ कि बिल यक़ीन हमारी यह क़सम इन दोनों की उस क़सम से ज़्यादा रास्त है और हमने ज़रा तजावुज़ नहीं किया। हम उस हालत में सख़्त ज़ालिम होंगे। (107) यह क़रीब ज़रिया है इस अम्र का कि वह लोग वाक़िया ठीक तौर पर

ज़ाहिर करें या उस बात से डर जाएँ कि उनसे क़समें लेने के बाद क़समें मुतवज्जा की जाएँगी और अल्लाह तआला से डरो और सुनो! अल्लाह तआला फ़ासिक़ लोगों की रहनुमाई नहीं करता।'' (108)

सफ़र में मरने वाले की वसिय्यत और मुअतबर गवाही (आयत 106-108) : यह आयते करीमा एक हुक्मे अज़ीज़ पर मुश्तमिल है और यह भी कहा गया है कि यह मंसूख़ है। बहैसियत तर्कीबे नह़वी (इस्नानि) ख़बर है और (शहादतु बैनिकुम) जुम्ला में मुब्तदा की हैसियत रखता है यानी (शहादतु बैनिकुम शहादतु इस्नानि) दूसरा लफ़्ज़ (शहादतु) बहैसियत मुज़ाफ़ था जो ह़ज़फ़ कर दिया गया और मुज़ाफ़ इलैहि यानी इस्नानि ही को उसका क़ायम मक़ाम क़रार दे दिया गया। और यह भी कहा गया है कि (यश्हदु इस्नानि) समझा जाए (ज़वा अद्लिन इस्नान) की सिफ़त है बमअनी (अद्लानि मिन्कुम) से (मिनल मुस्लिमीन) मुराद है। और कुछ ने कहा है कि कुम से वसिय्यत करने वाले मुराद हैं। (मिन ग़ैरिकुम) से (मिन ग़ैरिल मुस्लिमीन) या अहले किताब मुराद हैं। यानी मूसी के क़बीले के दो गवाह हों और दो ग़ैर क़बील-ए-मूसी हों। (ज़रब्तुम फ़िल अर्ज़ि) से मुराद यह कि जब तुम सफ़र में हो और तुम्हें मौत आ जाए तो तुम मुसलमानों में से दो गवाह हों और मुसलमान न हों तो ग़ैर मुस्लिम ही सही। यहाँ इस बात का जवाज़ निकलता है कि सफ़र में वसिय्यत के वक़्त जब मुसलमान मौजूद न हों तो ज़िम्मियों को गवाह बनाया जा सकता है। शुरैह़ (रह़.) कहते हैं कि सफ़र और वसिय्यत के वक़्त के सिवा, यहूद व नसारा की शहादत किसी और वक़्त जाइज़ नहीं। (तब्री : 11/163, 164) तीनों अइम्मा ने मुसलमान पर अहले ज़िम्मा की शहादत जाइज़ नहीं समझी और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) ज़िम्मी की गवाही ज़िम्मी पर जाइज़ क़रार देते हैं। ज़ोहरी (रह़.) कहते हैं कि त़रीक़े सुन्नत यही है कि काफ़िर की शहादत न सफ़र में जाइज़ है न ह़ज़र में, शहादत का ह़क़ सिर्फ़ मुसलमान ही को है। इब्ने ज़ैद कहते हैं कि यह आयत उस वक़्त उतरी जबकि एक आदमी मर गया और उस वक़्त वहाँ कोई मुसलमान न था। शुरू इस्लाम का ज़माना था सब शहरे दारुल ह़र्ब थे। लोग काफ़िर थे, वरासत का कोई क़ानून न था, बतौरे वसिय्यत तक़्सीम होती थी। फिर वसिय्यत मंसूख़ हो गई और वरासत फ़र्ज़ हो गई और लोग क़ानूने विरासत पर अमल करने लगे। इब्ने जरीर (रह़.) ने इसको रिवायत किया है। यह चीज़ ज़रा क़ाबिले ग़ौर है, वल्लाहु आलम!

फिर इसमें इख़्तिलाफ़ है कि यह (आख़रानि मिन ग़ैरिकुम) से क्या मराद है कि दोनों वसी हों या गवाह हों। इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि एक आदमी ने सफ़र किया हो उसके साथ माल हो तो अगर मसलमानों में से दो आदमी पाए तो अपना तर्का उनके सुपुर्द कर दे और दो मुसलमान गवाहों को भी उस पर गवाह बना ले। यह तो वसी बनाने की सूरत थी और अगर (मिन ग़ैरिकुम) से मुराद यह है कि यह दोनों गवाह हों और ज़ाहिरे सियाक़ आयते करीमा यही है। पस अगर इन दोनों के साथ तीसरा वसी मौजूद न हो तो इन दोनों गवाहों में वसायतन और शहादतन के दोनों औसाफ़ भी पाए जाते हों। जैसाकि क़िस्सा तमीमदारी और अदी बिन बिदाअ में मज़्कूर है जिसका ज़िक्र इंशाअल्लाह आएगा। इब्ने ज़रीर (रह़.) ने एक इश्काल पेश किया है

कि जब यह दोनों गवाह हो तो गवाह पर तो क़सम नहीं हुआ करती। लेकिन यह एक मुस्तक़िल हुक्म समझा जाएगा दीगर तमाम अहकाम का क़ियास उस पर न होगा। यह एक ख़ास शहादत है और ख़ास मौक़ा के लिए। इसमें और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दूसरे अहकाम में नहीं। हाँ! जब शक का क़रीना हो तो इस आयत के अहकाम के मुताबिक़ उन गवाहों पर क़सम है। इन दोनों गवाहों को नमाज़ के बाद रोक लो यानी नमाज़े अ़सर के बाद। और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि इन दोनों गवाहों की मज़हबी नमाज़ के बाद। मक़्सद यह है कि यह दोनों गवाह नमाज़ के बाद जमा हों ताकि इज्तिमाअ़े कसीर के मौक़े पर यह गवाही अ़मल में आए (इनिर तब्तुम) यानी अगर तुम्हें शक हो कि वह ग़लत बयान करेंगे या ख़यानत करेंगे तो ऐसी सूरत में उन्हें क़सम भी खिला दें कि दुनियाए फ़ानी की थोड़ी सी कमाई हम झूठी क़सम के ज़रिये नहीं कमाएँगे। अगरचे हमारी क़सम से किसी हमारे रिश्तेदार को नुक़्सान ही क्यूँ न पहुँचे, हम अल्लाह तआ़ला की शहादत को नहीं छुपाएँगे। अम्रे शहादत की अहमियत के सबब शहादत की इज़ाफ़त अल्लाह तआ़ला की तरफ़ की गई है। अगर हमने शहादत में तहरीफ़ व तब्दील कर दी या उसको बिलकुल छुपा डाला तो हम गुनहगारों में से होंगे। फिर अगर उन दोनों गवाहों या वसियों के बारे में मुतहक़्क़क़ और साबित हो जाए कि उन्होंने ख़यानत की और वफ़ात पाने वाले का माल वारिसों को पहुँचाने में ग़बन किया तो जिनका हक़ मारा गया है उनमें से दो गवाह उनकी बजाए उठ खड़े हों। (औलियान) यह जुम्हूर की क़िराअत है और हसन बसरी वग़ैरह इसको (अव्वलानि) पढ़ते हैं। अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने (औलियान) पढ़ा था। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) अव्वलीन पढ़ते हैं। जुम्हूर की क़िरात (औलियान) की बिना पर यह मअ़नी हैं कि जब ख़बरे सहीह से उन दोनों की ख़यानत का पता चल जाए तो मुस्तहिक़्क़ीन तर्का में से दो वारिस खड़े हों और चाहिए कि यह दोनों वर्सा में से सब क़रीबतर हों और अल्लाह तआ़ला की क़सम खाकर बयान करें कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज़्यादा सहीह है। इन दोनों ने दरहक़ीक़त ख़यानत की है और इस इल्ज़ाम में हमने कोई ज़्यादती नहीं की है। अगर हमने झूठ इल्ज़ाम लगाया हो तो हम गुनहगार हैं। अल्लाह हमें पकड़ ले। यह वारिसों की तरफ़ से गोया क़सम है जैसाकि मक़्तूल के औलिया क़सम खाते हैं जबकि क़ातिल की जानिब से बेईमानी साबित हो रही हो जैसाकि अहकाम के बाब क़सामत में मुक़र्रर है और हदीसे नबवी भी इसी तरह वारिद हुई है जिस पर कि यह आयते करीमा दलालत करती है।

तमीमदारी (रह़.) मुसलमान होने के बाद इस आयत (या अय्युहल् लज़ीना आमनू शहादतु बयनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत) के बारे में कहते हैं कि इस गुनाह से दूसरे सब लोग बरी हैं लेकिन मैं और अ़दी बिन बिदाअ इस जुर्म के मुज्रिम हैं। यह दोनों नस्रानी थे। इस्लाम से पहले शाम की तरफ़ आते जाते थे। चुनाँचे तिजारत की ग़र्ज़ से शाम आए हुए थे, इनके पास बनी सहम का ग़ुलाम भी तिजारत के लिए आया हुआ था। उसका नाम बुदेल बिन अबी मरयम था। उसके साथ तिजारत की ग़र्ज़ से चाँदी का एक प्याला था जो मुल्के शाम के लिए लाया था और यह उसके माले तिजारत में सबसे अहम चीज़ थी। बीमार हो गया तो उन दोनों को वसी बनाया और कहा कि उसका तर्का उसके अहलो अ़याल को पहुँचा दिया जाए। तमीमदारी कहते हैं कि जब वह मर गया तो यह जाम हमने लेकर एक हज़ार दिरहम में बेच दिया और आपस में हम दोनों ने रक़म तक़्सीम

कर ली और बाक़ी माल उसके अहल को लाकर दे दिया। उन लोगों ने जाम के बारे में पूछा तो हमने कहा, जो कुछ था हमने लाकर दे दिया, जाम की हमको ख़बर नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद जब मैं मुसलमान हो गया तो मैं उन लोगों के पास आया और सहीह वाक़िया कह सुनाया और उन्हें पाँच सौ दिरहम अपने हिस्से के दे दिया और कहा। इतनी ही रक़म मेरे साथी के पास भी है। चुनाँचे वह लोग उसके पास आ धमके तो नबी अकरम (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि "इससे इसके मज़हब की बिना पर क़सम लें।" उसने क़सम खा ली, चुनाँचे यह आयत उतरी। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3059; व सनदुहू मौज़ूअ; इसकी सनद में अबुन्नज़र मुहम्मद बिन साइब सख़्त ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 2/163; रक़म : 240) अब अम्र बिन आस (रज़ि.) और एक दूसरे शख़्स उठे और क़सम खाई कि (ल शहादतुना अहक़्क़ु मिन शहादतिहिमा) चुनाँचे अदी से पाँच सौ दिरहम ले लिए गए। और यह जाम मक्का में पाया गया। ख़रीददारों ने कहा कि हमने इसको तमीमदारी और अदी से ख़रीदा था। तो सहमी के औलिया में से दो आदमी उठे और क़सम खाई कि हमारी क़सम इसकी क़सम से सच्ची है और यह जाम हमारे साथी का है। उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी थी। (सहीह बुख़ारी, किताबुल वसाया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (या अय्यहुल लज़ीना आमनू शहादतू बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत) : 2780; अबूदाऊद : 3606; तिर्मिज़ी : 3060; दारे कुत्नी : 4/169) और बयान किया गया कि यह तहलीफ़ (क़सम) बाद सलाते असर हुई थी। यह चीज़ दलालत करती है इस बात पर कि सल्फ़ में इस वाक़िया की सेहत मशहूर और अवाम में मुतआरफ़ है। इसकी सेहत की यह भी दलील है कि अबू जाफ़र बिन जरीर ने रिवायत की है कि एक मुसलमान की वफ़ात विदेश में हो गई और वसी बनाने के लिए वहाँ कोई मुसलमान नहीं था तो मरने वाले ने अहले किताब में से दो अफ़राद को गवाह बना लिया। अब यह दोनों अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) के पास कूफ़े आए और मरने वाले का तर्का और वसिय्यत पेश की तो अशअरी (रज़ि.) ने कहा कि ऐसा ही एक वाक़िया तो नबी अकरम (ﷺ) के पास पेश हुआ था और अब यह दूसरा है, चुनाँचे नमाज़े असर के बाद उन दोनों को क़सम दी गई कि हमने न ख़यानत की है, न झूठ कहा और न कुछ छुपाया और यह मुतवफ़्फ़ा (वफ़ात पाने वाले) के तर्के और वसिय्यत के मुताबिक़ है' चुनाँचे उनकी शहादत सहीह मान ली गई। और उसी शहादत पर अशअरी (रज़ि.) ने फ़ैसला कर दिया। (अबूदाऊद, किताबुल क़ज़ाअ, बाब शहादतु अहलुज़्ज़िम्मा वफ़िल वसिय्यति फ़िस्सफ़रि : 3605; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; ज़करिया बिन अबी ज़ाइदा मुदल्लस रावी है और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं।) नबी अकरम (रज़ि.) के ज़माने में ऐसे ही वाक़िया से मुराद तमीम व अदी का क़िस्सा था। और कहा गया है कि तमीमदारी का वाक़िया क़बूले इस्लाम 9 हिज्री का है और ज़ाहिर है कि अशअरी वाला वाक़िया दूसरा वाक़िया था।

इस आयत में हुक्म है कि मरने वाला मौत के वक़्त वसी बना दे और वह मुसलमान गवाह क़रार दे कि उसको क्या लेना और क्या देना है। यह तो बहालते हज़र का मसला था जो इस आयत की बिना पर था कि (या अय्यहुल लज़ीना आमनू शहादतू बैनिकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत.....) और सफ़र के बारे में है कि (अव आख़रानि मिन ग़ैरिकुम इन अन्तुम ज़रब्तुम फ़िल अर्ज़ि फ़असाबत्कुम मुसीबतुल मौत) जबकि कोई मुसलमान मौत के वक़्त मौजूद न हो तो यहूदो नसारा या मजूसी से दो आदमी ले लें और उन्हें वसिय्यत करके मीरास

उनके सुपुर्द कर दें। अब अगर अहले मय्यित ने वसिय्यत को सहीह मान लिया तो ठीक वरना मुक़्तदिरे आला के पास मुक़द्दमा पेश होगा। अब अल्लाह तआला का हुक्म है कि (तह्बिसूनहा मिम बअदिस्सलाति फ़युक़्सिमानि बिल्लाहि इनिर तब्तुम) यानी अगर तुम्हें उनकी सदाक़त पर शक हो तो नमाज़ के बाद उन्हें अल्लाह की क़सम दिलाओ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अहले मय्यित ने इंकार किया था और उन दोनों गवाहों को डराया धमकाया गया तो अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने उन दोनों को नमाज़े अस्र के बाद क़सम दिलाई। मैंने कहा कि हमारी नमाज़ की उन्हें क्या वक़्अत हो सकती है, उन्हें तो उनकी नमाज़ के बाद क़सम दिलानी चाहिए, चुनाँचे अपने मज़हब की रू से नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने क़समें खाईं कि हम थोड़े से माल के लिए अपनी क़समों को नहीं बेचेंगे अगरचे किसी रिश्तेदार की ख़ातिर ही क्यूँ न हो। हम अल्लाह तआला की शहादत को नहीं छुपाएँगे वरना हम गुनहगार हैं। तुम्हारे साथी ने बस यही वसिय्यत की थी और यही उसका तर्का था। क़सम खाने से पहले इमाम ने उनसे कह दिया था कि अगर तुमने छुपाया या ख़यानत की तो अपनी क़ौम में तुम रुस्वा हो जाओगे और फिर कभी तुम्हारी गवाही क़बूल नहीं की जाएगी और तुम्हें सज़ा भी दी जाएगी। तो (ज़ालिक अदना अय्यांतू बिश्शहादति अला वज्हिहा) यानी यही एक सूरत ऐसी है कि गवाह अपनी गवाही को मुताबिक़े वाक़िया रख सकते हैं और उन्हें डर रहेगा कि कहीं ऐसा न हो कि उन मुसलमानों की दोबारा क़समों के बाद हमारी पहली क़समें रद्द कर दी जाएँ। अल्लाह तआला फ़र्माता है (फ़ इन् उसिर अला अन्नहुमस्तहक़्क़ा इस्मन फ़ आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा) यानी अगर मालूम हो जाए कि उन्होंने नाजाइज़ तौर पर हक़ दबा लिया है तो उनके क़ायम मक़ाम और दो शख़्स खड़े हों जिनका हक़ मारा गया है कि काफ़िरों की शहादत झूठी है और हम ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। अब काफ़िरों की शहादत रद्द कर दी जाएगी और औलिया की शहादत क़बूल कर ली जाएगी।

इस आयत का मुक़्तज़ा यही हुक्म है अक्सर अइम्म-ए-ताबेईन और सल्फ़ और इमाम अहमद (रह.) वग़ैरह का भी यही मज़हब है और क़ौलुहू (**ज़ालिक अदना अय्यातू बिश्शहादति अला वज्हिहा**) यानी इस हुक्म की शरीअत इसी वजहे पसंदीदा की बिना पर है कि ज़िम्मी गवाहों को क़सम दिलाई जाए (अव यख़ाफ़ू अन तुरद्दु अयमानुम् बअद अयमानिहिम) क्या अजब है कि वह लोग हलफ़ बिल्लाह की तअज़ीम के लिए और रुस्वाई के डर से कि वर्ना अगर अपनी क़समों से हमारी क़समों को रद्द कर दें तो फिर हमें सज़ा भी मिलेगी, सच बोलें। फिर फ़र्माया कि सच बोलो और अल्लाह तआला से डरो, उसकी बात सुनो, उसकी इताअत गुज़ारी करो, वरना नाफ़र्मानों और फ़ासिक़ों को तो अल्लाह तआला तौफ़ीक़ देता ही नहीं और हिदायत करता ही नहीं।

***

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾

तर्जुमा : ''जिस दिन अल्लाह तआला पैग़म्बरों को जमा करेगा फिर इर्शाद फ़र्माएगा कि तुमको क्या जवाब मिला था। वह अर्ज़ करेंगे कि हमको कुछ ख़बर नहीं, तू बेशक पोशीदा बातों का पूरा जानने वाला है।'' (109)

क़यामत के दिन पैग़म्बरों से इस्तिफ़्सार (आयत 109) : इस आयत में बतला दिया गया है कि क़यामत के दिन पैग़म्बरों से अल्लाह तआला किस तरह ख़िताब करेगा कि जिन क़ौमों की तरफ़ तुमको भेजा गया, उन्होंने दावते तब्लीग़ को क़बूल भी किया कि नहीं। चुनाँचे फ़र्माता है कि (فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ) (7/आराफ़ : 6) कि हम उन क़ौमों से भी पूछेंगे और उनके पैग़म्बरों से भी पूछेंगे। फिर इर्शाद होता है (فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۹۳﴾) (15/हिज्र : 92, 93) तुम्हें अल्लाह की क़सम कि हम उन सबसे पूछेंगे कि दुनिया में तुम्हारा अमल क्या था। रसूलों का क़ौल होगा कि (ला इल्म लना) हमें तो कुछ ख़बर नहीं, यह उस दिन की दहशत की बिना पर होगा कि ख़ौफ़ के मारे उन्हें कुछ जवाब बन न पड़ेगा और कह देंगे कि हमें कुछ इल्म नहीं। उस दिन अक़्लें ठिकाने नहीं रहेंगी और फिर जब कुछ इत्मिनान होगा तो फिर अपनी क़ौम के बारे में हस्बे वाक़िया शहादत देंगे। लेकिन पहली बार तो यही उनका क़ौल होगा कि ऐ अल्लाह तआला! हमें क्या ख़बर, तू आलिमुल ग़ैब है तेरे मुक़ाबले में हम क्या जान सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बलिहाज़े हुस्ने अदब यह बहुत अच्छा जवाब है कि तेरे इल्मे मुहीत की बनिस्बत हमारे इल्म की क्या हक़ीक़त, हमारे इल्म की बुनियाद महज़ ज़ाहिर पर है और तेरा इल्म तो बातिन की भी ख़बर लाता है क्योंकि तू आलिमुल ग़ैब है, तू जानता है कि जो कुछ उन्होंने जवाब दिया। अब अगर बर बिनाए मुनाफ़िक़त किसी का अमल या ऐतिक़ाद रहा हो तो हमें तो इसका इल्म नहीं, तू ही जानता है।

***

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا

فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٠﴾ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا
آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾

तर्जुमा : "जबकि अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्मा देगा कि ऐ ईसा बिन मरयम! मेरे इन्आम याद करो जो तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर हुआ है जब मैंने तुमको रूहुल कुदुस से ताईद दी। तुम आदमियों से कलाम करते थे गोद में भी और बड़ी उम्र में भी और जबकि मैंने तुमको किताबें और समझ की बातें और तौरात और इंजील की तअलीम कीं। और जबकि तुम गारे से एक शक्ल बनाते थे जैसे परिन्दा की शक्ल होती है मेरे हुक्म से फिर तुम उसके अंदर फूँक मार देते थे जिससे वह परिन्दा बन जाता था, मेरे हुक्म से और तुम अच्छा कर देते थे जन्म के अंधे को और बर्स की बीमार को मेरे हुक्म से। और जबकि तुम मुर्दों को निकाल खड़ा कर लेते थे मेरे हुक्म से और जबकि मैंने बनी इस्राईल को तुमसे बाज़ रखा जब तुम उनके पास दलीलें लेकर आए थे फिर उनमें जो काफ़िर थे, उन्होंने कहा था कि सिवाय खुले जादू के और कुछ नहीं। (110) और जबकि मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए और तू गवाह रहना कि हम पूरे फ़र्मांबरदार हैं।" (111)

हज़रत ईसा (عليه السلام) पर इन्आमाते इलाही का तज़्किरा (आयत 110, 111) : यहाँ अल्लाह तआला उन एहसानात का ज़िक्र कर रहा है जो ईसा बिन मरयम (عليه السلام) पर वारिद किए कि ईसा (عليه السلام)! हमारे उन एहसानात को याद करो जो मोजिज़ात, बाहिरात और ख़रक़े आदात (आम तौर पर जो चीज़ समझ में न आए) हमने तुम्हें दिए और तुम्हें बाप के बग़ैर सिर्फ़ माँ से पैदा किया और तुम्हारी ज़ात को ख़ुद अपने कमाले कुदरत की एक निशानी क़रार दिया और तुम्हारी माँ पर भी एहसान किया कि तुम्हें उसकी पाकदामनी की दलील बनाया और जो गंदा इल्ज़ाम यह ज़ालिम और जाहिल लोग मंसूब करते थे उससे तुम्हारी माँ को बचाया। तुम्हें जिब्राईल (अ.) के ज़रिये मदद दी, तुम्हें तिफ़्ली (बचपन) और शबाब में भी नबी और दाई इलल्लाह बनाया कि तुम गोद में भी बोलने लगे और माँ की पाकदामनी की गवाही देने लगे और अपने अ़ब्द (बन्दा) होने का ऐतिराफ़ किया। तिफ़्ली और शबाब में भी लोगों को तब्लीग़ की। बड़ी उम्र में बोलना तो कोई अ़जीब नहीं लेकिन गोद में तुम्हारा बोलना कैसा अ़जीब था। तुम्हें किताब की तालीम की और तौरात को पढ़ना और

लिखना सिखाया जो मूसा कलीमुल्लाह (عليه السلام) पर उतारी गयी थी। हदीस में तौरात का लफ़्ज़ है। और इससे मुराद है तौरात भी और हर दूसरी किताब भी। तुम मिट्टी से परिन्दे जैसी एक शक्ल बनाते थे और हमारे हुक्म से उसमें फूँक मारते थे तो वो एक जिन्दा परिन्दा बन जाती थी और अल्लाह तआला के हुक्म से उड़ने लगती थी। क़ौलुहू तआला (व तुब्रिउल अक्मह वल् अब्रस़ बि इज़्नी) सूरह आले इमरान में इस पर बहस गुज़र चुकी है, इसलिए एआदा की ज़रूरत नहीं। (व इज़ा तुख़्रिजुल मौता बि इज़्नी) यानी तुम मुर्दों को बुलाते थे तो वह अल्लाह तआला के हुक्म और उसकी क़ुदरत से जीते जागते क़ब्रों से निकल आते। ईसा (عليه السلام) जब इरादा करते कि किसी मय्यित को ज़िन्दा करें तो दो रकअत नमाज़ पढ़ते। पहली रकअत में (تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ.) (67/मुल्क : 1) और दूसरी रकअत में (الٓمٓ ۚ تَنْزِيْلُ) **(32/अलिफ़ लाम मीम सज्दा : 1)** फिर अल्लाह तआला की हम्दो सना करते। फिर यह सात अस्मा बारी (अल्लाह के नाम) पढ़ते (या क़दीमु, या ख़फ़ी, या दाइम, या फ़र्द, या वित्रु, या अहदु, या स़मदु) और अगर कोई सख़्त परेशानी लाहिक़ हो जाती तो यह सात नाम लेकर दुआ करते (या हय्यु, या क़य्यूमु, या अल्लाहु, या रहमानु, या ज़ल जलालि वल इकराम, या नूरुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, या रब्बि) यह ज़बरदस्त असर वाले नाम हैं। और मेरी उन नेअमतों को याद करो कि जब तुम बनी इस्राईल के पास दलाइले नुबुव्वत लेकर पहुँचे और उन्होंने तुम्हें झुठलाया, तुम पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम साहिर हो, और तुम्हें क़त्ल करने और सूली पर चढ़ा देने की कोशिश कीं। तो हमने तुम्हें उनसे बचा लिया। अपनी तरफ़ तुम्हें उठा लिया। उनके शर से तुम्हें बचा लिया। यह चीज़ दलालत करती है कि यह एहसान ईसा (عليه السلام) पर उनके उठा लिए जाने के बाद का है या यह कि क़यामत के दिन वाक़ेअ होने वाला है लेकिन मुस्तक़्बिल (भविष्य) को माज़ी (भूतकाल) के स़ेग़े से तअबीर किया गया है। क्योंकि अल्लाह तआला के पास मुस्तक़्बिल भी माज़ी ही की तरह यक़ीनी वाक़ेअ होने वाली चीज़ है। यह ग़ैब के असरार हैं जिनसे अल्लाह तआला ने मुहम्मद (ﷺ) को वाक़िफ़ कराया है।

और जब हमने हवारियों को वही भेजी कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, यानी ईसा (عليه السلام) के अस्हाब व अंसार बन जाओ। यहाँ वही से मुराद दिल में एक बात डाल देना है जैसाकि फ़र्माया कि हमने मूसा (عليه السلام) की माँ की तरफ़ भी वही भेजी थी कि मूसा (عليه السلام) को दूध पिलाओ। ऐसे इल्हाम को बिला इख़्तिलाफ़ वही कहा गया है। और फ़र्माया है कि हमने शहद की मक्खी की तरफ़ वही भेजी थी कि पहाड़ों और दरख़्तों में अपना घर बनाओ और लोगों के महलों में। इसी तरह हवारियों को भी इल्हाम किया गया तो वह हुक्म बजा लाए। और एहतिमाल (इम्कान/chance) है कि यह भी मुराद हो कि हमने तुम्हारे वास्ते से उन पर वही भेजी और उन्हें ईमान बिल्लाह की तरफ़ बुलाया तो उन्होंने क़बूल किया और कहने लगे कि (आमन्ना वश्हद बि अन्नना मुस्लिमून) यानी ऐ पैग़म्बर! गवाह रहो कि हम ईमान लाए।

***

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً
مِّنَ السَّمَآءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا
وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا
لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا
عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّيْٓ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُٓ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ ﴿١١٥﴾

तर्जुमा : ''वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है कि जब हवारियों ने अर्ज़ किया कि ऐ ईसा बिन मरयम (ﷺ)! क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से कुछ खाना नाज़िल कर दे? आपने फ़र्माया कि अल्लाह तआला से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। (112) वह बोले कि हम यह चाहते हैं कि उसमें से खाएँ और हमारे दिलों को पूरा इत्मिनान हो जाए और हमारा यह यक़ीन और बढ़ जाए कि आप (ﷺ) ने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से बन जाएँ। ईसा बिन मरयम (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! ऐ हमारे परवरदिगार! हम पर आसमान से खाना नाज़िल फ़र्माईए कि वह हमारे लिए यानी हममें जो पहले हैं और जो बाद में हैं सबके लिए एक ख़ुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ़ से एक निशानी हो जाए और तू हमको अता कर दे और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। (113) हक़ तआला ने इर्शाद फ़र्माया कि मैं वह खाना तुम लोगों पर नाज़िल करने वाला हूँ। (114) फिर जो शख़्स तुममें से उसके बाद नाहक़ शनासी करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूँगा कि वह सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को न दूँगा।'' (115)

आसमान से माइदा का नुज़ूल (आयत 112-115) : यहाँ माइदा का क़िस्सा बयान किया जा रहा है इसलिए इस सूरह का नाम सूरह माइदा रखा गया। इसमें भी अल्लाह पाक ने अपने बन्दे और रसूल हज़रत ईसा (ﷺ) पर एहसान का इज़्हार किया है। यानी नुज़ूले माइदा की दुआ क़बूल की गई है। जो हज़रत ईसा (ﷺ) का एक ज़बरदस्त मोजिज़ा और हुज्जते क़ातिआ है। कुछ अइम्मा ने बयान किया है कि यह क़िस्सा इंजील में

मज़्कूर नहीं और मुसलमानों के सिवा नसारा इससे वाक़िफ़ नहीं थे। लेकिन अल्लाह तआला ने क़ुरआन के ज़रिये उन्हें ख़बर दी। क़ौले बारी है कि "जब ईसा (عليه السلام) के मुत्तबेईन ने कहा कि ऐ ईसा (عليه السلام)! क्या तुम्हारे रब से यह हो सकता है कि आसमान से एक बना बनाया ख़्वाने नेअ़मत नाज़िल फ़र्माए?" यहाँ अक्सर क़ारियों ने (यस्ततीइ़) पढ़ा है (यानी क्या तुम्हारे रब से यह मुम्किन है?) दूसरे क़ारी (तस्ततीइ़) पढ़ते हैं यानी क्या तुमसे यह मुम्किन है कि अपने रब से सवाल करो? माइदा पुरअज़्तआम ख़्वान (भरे हुए डिश) को कहते हैं। कुछ का बयान है कि ईसा (عليه السلام) के साथियों ने अपनी ह़ाजत और फ़क़्र की वजह से यह सवाल किया था कि हर दिन एक ख़्वान उतरा करे जिसको हम खाएँ और इबादत के लिए क़ुव्वत ह़ासिल करें तो ईसा (عليه السلام) ने कहा कि अगर तुम ईमान ही रखते हो तो अल्लाह तआ़ला से डरो और ऐसा सवाल न करो, त़लबे रिज़्क़ में अल्लाह तआ़ला पर भरोसा रखो। कहीं ऐसा न हो कि यही चीज़ तुम्हारे लिए फ़ित्ना बन जाए। तो ह़वारियों ने कहा कि हम ग़िज़ा के मुह़ताज हो गए हैं, हमें खाने के लिए चाहिए और जब हम आसमान से उतरता हुआ माइदा देखेंगे तो हमको पूरा इत्मिनान हो जाएगा और तुम पर ईमान बढ़ जाएगा और तुम्हारे रसूल होने का कामिल यक़ीन हो जाएगा और हम ख़ुद इसके गवाह बन जाएँगे कि यह अल्लाह तआ़ला की एक निशानी है और ईसा (عليه السلام) की नुबुव्वत की सच्ची और खुली दलील है।

तो ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) ने दुआ मांगी कि "ऐ रब! आसमान से हम पर एक माइदा उतार, उस दिन की यादगार में हमारे अगले और पिछले लोग ईद मनाएँगे।" सुफ़ियान सौरी (रह़.) कहते हैं कि (तकूनु लना ईदन) से मुराद यह है कि हम उस दिन नमाज़ें पढ़ने लगेंगे। क़तादा (रह़.) ने कहा है कि इससे मुराद यह है कि हमसे बाद में आने वालों के लिए यह दलील काफ़ी हो सके। और ऐ अल्लाह तआ़ला! हर बात पर तेरी क़ुदरत की और मेरी दुआ की क़बूलियत की दलील बन सके ताकि लोग मेरी रिसालत की तस्दीक़ कर सकें। अपनी त़रफ़ से बिला कुल्फ़त व तअ़ब ख़ुशगवार रिज़्क़ भेज। तू ख़ैरुर्राज़िक़ीन है। तो अल्लाह तआ़ला ने कहा, "अच्छा मैं ख़्वान उतारूँगा लेकिन अगर उस पर भी तुम्हारी क़ौम ने कुफ़्र किया और मुख़ालिफ़त बरती तो मैं उसको ऐसा अ़ज़ाब दूँगा कि किसी ने ऐसा अ़ज़ाब न चखा होगा।" जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है (وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ) (40/ग़ाफ़िर : 46) और (اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) (4/निसाअ : 145) अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि क़यामत के दिन शदीदतरीन अ़ज़ाब जिन पर होगा वह यह तीन हैं, मुनाफ़िक़ लोग, माइदा उतरने के बाद जिन्होंने ने कुफ़्र किया और फ़िरऔन की उम्मत।

नुज़ूले माइदा के बारे में सलफ़ की रिवायात : इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) ने बनी इस्राईल से कहा कि क्या तुम तीस दिन तक रोज़े रखोगे। फिर अल्लाह तआ़ला से नुज़ूले माइदा का सवाल करोगे ताकि वह तुम्हारी दरख़्वास्त क़बूल करे। क्योंकि अज्र उसी को मिलता है जिसने ख़ुद भी अ़मल किया हो। चुनाँचे उन्होंने ऐसा ही किया, तीस दिन के रोज़े रखे और फिर कहा कि ऐ ख़ैर की तालीम देने वाले ईसा (عليه السلام)! तुमने कहा था कि अ़मल करने वालों को उसका अज्र ज़रूर मिलता है। तुमने हमें तीस दिन रोज़े रखने के लिए कहा और हमने ऐसा ही किया। तीस दिन हम किसी की नौकरी करते हैं तो वह हमको रोज़ी या तनख़्वाह देता है तो अब क्या तुम्हारा अल्लाह हम पर माइदा उतारेगा? तो ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) ने कहा, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह तआ़ला से डरो। ह़वारियों ने जवाब दिया, हम तो अपने दिल में इत्मिनान चाहते हैं

और ख़ुद भी यक़ीन करके दूसरों के सामने भी गवाह बनना चाहते हैं। ग़र्ज़ यह कि आसमान से माइदा उतरा जिसमें सात मछलियाँ और सात रोटियाँ थीं और उनके सामने आकर रुक गया जिसे शुरू से लेकर आख़िर तक तमाम लोगों ने खाया।

अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि "माइदा में रोटी और गोश्त था और हुक्म था कि उसमें ख़यानत न करें और कल के लिए उठा न रखें। लेकिन लोगों ने ख़यानत की और अपने लिए जमा कर रखा। ऐसे लोंगों की सूरतें मस्ख़ हो गईं। बंदर और सूअर बना दिए गए।" (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, वमिन सूरतिल माइदा : 3061; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में सईद बिन अबी अ़रूबा (अत्तक़रीब : 1/302; रक़म : 226) और क़तादा (अल्मीज़ान : 3/385; रक़्म 6864) मुदल्लस रावी हैं और रिवायत मअ़न्अ़न है।) और यह भी कहा गया कि उसमें जन्नत के मेवे थे। कहते हैं कि अ़म्मार बिन यासिर (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ने के बाद बाज़ू वाले बनी अ़जल के एक आदमी से कहा कि, जानते हो कि बनी इस्राईल का माइदा कैसा था? लोग उसमें से खाते जाते थे और वह ख़त्म नहीं होता था और कह दिया गया था कि अगर तुम इसमें ख़यानत न करोगे और कल के लिए ज़ख़ीरा करना न चाहोगे तो यह तुम्हारे लिए पायदार रहेगा। अगर तुमने ज़ख़ीरा किया तो ऐसा अ़ज़ाब दिया जाएगा कि किसी को न दिया गया होगा। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने उसमें से छुपा रखा और ख़यानत की। और ऐ अहले अ़रब! तुम भी ऊँटों और बकरों की दुमें मरोड़ते थे। यानी निहायत ज़लील ह़ालत में थे, अल्लाह तआ़ला ने तुम ही में से एक रसूल पैदा किया। तुम उसका ह़सब नसब जानते हो। उसने तुम्हें ख़बर दे दी कि तुम अ़जम पर भी ग़ालिब आने वाले हो और बड़े मालदार बनने वाले हो, ईसा (عليه السلام) की त़रह़ तुम्हारे रसूल ने भी तुम्हें मना कर दिया है कि सोने चाँदी का ज़ख़ीरा न करो। अल्लाह की क़सम! कोई दिन नहीं जाता कि तुम अपना यह ख़ज़ाना बढ़ाते न रहते हो। देखो! ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) की उम्मत की त़रह़ अल्लाह तआ़ला कहीं तुम्हें भी अ़ज़ाबे अलीम में मुब्तला न कर दे। इस्ह़ाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं कि माइदा में सात मछलियाँ और सात रोटियाँ थीं। लोगों ने खाया और कल के लिए उठा रखा। चुनाँचे माइदा का आना बंद हो गया। कहते हैं कि उसमें हर क़िस्म का ज़ायक़ा था और जन्नत के मेवे होते थे। हर दिन उतरता रहा। उसे चार हज़ार आदमी बैठकर खाते थे और जब खा चुकते तो और उतना ही खाना मौजूद होता। जौ की रोटियाँ होतीं, सब लोगों के खा लेने के बाद भी बच रहता। सईद बिन जुबैर (रह़.) कहते हैं कि बकरे के गोश्त के सिवा हर चीज़ होती। इक्रिमा कहते हैं कि चावल की रोटियाँ होती थीं।

ह़ज़रत वहब और सलमानुल ख़ैर (रह़.) फ़र्माते हैं कि जब ह़ज़रत ईसा (عليه السلام) से माइदा का सवाल किया गया तो उन्हें बुरा मालूम हुआ और कहा कि ज़मीन से तुम्हें जो रिज़्क़ दिया गया है उसी पर क़नाअ़त करो और आसमान से रिज़्क़ नाज़िल होने का सवाल न करो। क्योंकि यह अल्लाह तआ़ला का एक मोजिज़ा होगा और क़ौमे समूद ने जिस त़रह़ अपने नबी से सवाल किया था लेकिन सवाल पूरा होने के बावजूद कुफ़्र करने की वजह से हलाक हो गए थे। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा न हो लेकिन वह इस़रार (ज़िद) करते रहे और जब ईसा (عليه السلام) ने देखा कि अल्लाह तआ़ला से दुआ किए बग़ैर चारा नहीं तो अपना जुब्बा उतार दिया और काले बालों का कुर्ता और जुब्बा पहन लिया, कम्बल ओढ़ लिया, वुज़ू और ग़ुस्ल करके सूमिआ़ (इबादतख़ाना) गए। देर तक नमाज़ पढ़ते रहे। फिर क़िब्ला रुख़ खड़े हो गए। अपने क़दम जोड़ लिए, टख़्ना से टख़्ना मिला

लिया। उँगलियाँ सीधी रख लीं। सीधा हाथ बाएँ हाथ पर रखकर सीने पर बाँध लिया, सर झुका लिया और नज़रें नीची कर लीं। रुख़सारों पर से आंसू बहते हुए दाढ़ी पर से होते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे। और अल्लाह तआला से दुआ मांग रहे थे। अब एक सुर्ख़ ख़्वान दो बादलों के बीच आसमान से उतरना शुरू हुआ। लोग उसे ऊपर से गिरता हुआ देख रहे थे और ख़ुश हो रहे थे। लेकिन हज़रत ईसा (عليه السلام) अल्लाह के डर से रो रहे थे। क्योंकि बारी तआला ने शर्त लगाकर माइदा नाज़िल किया था कि अगर इसके बाद भी वह ईमान न लाएँगे तो सख़्त तरीन अज़ाब उठाएँगे। वह अल्लाह से दुआ मांग रहे थे और कह रहे थे, ऐ अल्लाह! तू इसको रहमत बना और अज़ाब न बना, कितनी अजीब बातें जो जो मैंने तुझसे मांगी थीं, वह तूने मुझे अता कीं। ऐ अल्लाह! हमें शाकिर बना। ऐ अल्लाह! इस माइदा के सबब ग़ज़ब बनने से मैं पनाह माँगता हूँ, इसको सलामती व आफ़ियत बना और फ़ित्ना न बना।

वह दुआ मांग ही रहे थे कि ख़्वान उनके हवारियों के सामने आकर टिक गया और उसमें से ऐसी ख़ुश्बू फूट पड़ी कि कभी ऐसी ख़ुश्बू सूँघने में न आई थी। हज़रत ईसा (عليه السلام) और उनके हवारिय्यीन सज्दा शुक्र में गिर पड़े क्योंकि ऐसी अज़ीम निशानी और इब्रतनाक चीज़ उन्होंने देखी जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, यहूद उस अम्रे अजीब को देख रहे थे और उनके दिल रंजो ग़म से भरे हुए थे। फिर वह आप ही आप बल खाते हुए चल दिए। अब ईसा (عليه السلام) और उनके साथी ख़्वान के पास आए, ख़्वान पर रूमाल ढ़का हुआ था। हज़रत ईसा (عليه السلام) ने कहा, इस पर से रूमाल कौन हटाएगा? हममें से जो अपने नफ़्स पर सबसे ज़्यादा मुत्मइन है और इम्तिहाने इलाही में सबसे ज़्यादा निडर है वह रूमाल हटाए ताकि हम अल्लाह तआला के रिज़्क़ को देखें और उसका नाम लेकर खाने लगें। हवारियों ने कहा, या रूहल्लाह! आपसे बढ़कर इसका हक़दार कौन है, यह सुनकर हज़रत ईसा (عليه السلام) उठे, ताज़ा वुज़ू किया, मस्जिद आए, नमाज़ पढ़ी। कुछ देर तक रोते रहे और अल्लाह तआला से दुआ की कि माइदा को खोलने की इजाज़त दे और उसमें क़ौम के लिए बरकत व रिज़्क़ अता फ़र्मा। अब ख़्वान के पास जाकर रूमाल हटाया। देखा कि उसमें एक बड़ी तली हुई मछली रखी हुई है जिसके पोस्त पर न फुलूस हैं और न गोश्त में कोई कांटा है। रोग़न उसमें से बह रहा है उसमें हर क़िस्म की सब्ज़ियाँ भी हैं, सिवाए मूली के उसके सर की तरफ़ सिर्का है और दुम की तरफ़ नमक है। सब्ज़ियों के अत्राफ़ पाँच रोटियाँ हैं जिनमें से एक पर रोग़ने ज़ेतून है और दूसरी पर खजूरें हैं और पाँच अनार हैं। हवारियों के सरदार शमऊन ने कहा कि या रूहल्लाह! यह हमारी दुनिया का तआम है या जन्नत का तआम है? तो ईसा (عليه السلام) ने जवाब दिया कि क्या अब भी वक़्त नहीं आया कि जो कुछ अजायबात देख रहे हो उससे इब्रत लो और इन सवालात से बाज़ आओ, मुझे तो डर है कि यही निशानी कहीं तुम्हारे लिए अज़ाब का सबब न बन जाए। शमऊन ने कहा, नहीं! रब्बे इस्राईल की क़सम! ऐ सच्ची माँ के बेटे! मेरा मक़्सद इससे कोई सवाल करना नहीं था। तो हज़रत ईसा (عليه السلام) ने जवाब दिया कि न यह तआमे दुनिया है और न तआमे जन्नत। यह तो अल्लाह तआला ने अपनी क़ुदरते कामिला से आसमान ही में पैदा कर लिया है। वह सिर्फ़ कुन फ़र्मा देता है और तरफ़तुल ऐन (पलक झपकते ही) वह चीज़ पैदा हो जाती है चुनाँचे अल्लाह तआला का नाम लेकर खाओ और खाकर शुक्रकरो, अल्लाह तआला और ज़्यादा अता फ़र्माएगा। क्योंकि वह बदीअ है और क़ादिर और शाकिर है।

हवारियों ने कहा, ऐ रूहुल्लाह! हम चाहते हैं कि इस मोजिज़े के अंदर और एक मोजिज़ा हमें दिखाई दे। तो ईसा (ﷺ) ने कहा, सुब्हानल्लाह! क्या यह निशानी जो तुमने देखी काफ़ी नहीं, कि इसी में फिर दूसरी निशानी का सवाल करते हो। फिर ईसा (ﷺ) ने मछली से मुख़ातिब होकर फ़र्माया कि, ऐ मछली! अल्लाह तआला के हुक्म से ज़िन्दा हो जा। चुनाँचे वह भूनी हुई मछली अल्लाह तआला के हुक्म से ज़िन्दा हो गयी और तरोताज़ा होकर तड़पने लगी, शेर की तरह मुँह फाड़ने लगी, उसकी आँखें घूमने और चमकने लगी। उसके जिस्म पर खपल भी नमूदार हो गए, यह देखकर लोग डर गए। ईसा (ﷺ) ने यह देखकर फ़र्माया, तुम तो और एक निशानी मांग रहे थे और तुम्हें दिखाई गई तो डरने लगे। मुझे तो अंदेशा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए एक़ाब और फ़ित्ने का सबब होगा। अब हज़रत ईसा (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "ऐ मछली! अल्लाह तआला के हुक्म से जैसी थी वैसी हो जा। चुनाँचे वह पहले ही की तरह भूनी हुई बन गई। लोगों ने कहा, ऐ ईसा (ﷺ)! तुम पहले खाओ फिर हम खाएँगे। ईसा (ﷺ) ने कहा, मआज़ल्लाह, जिसने मुतालबा किया है उसी को पहले खाना चाहिए। जब हवारियों ने देखा कि ईसा (ﷺ) नहीं खा रहे हैं तो डर गए कि नुज़ूले माइदा नाख़ुशी का सबब है और उसके खाने में अंदेशा है और रुक गए तो हज़रत ईसा (ﷺ) ने फ़क़ीरों, ग़रीबों और मरीज़ों को बुलाया और कहा, खाओ! यह अल्लाह की तरफ़ से रिज़्क़ है और तुम्हारे नबी की तरफ़ से दावत है और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करो जिसने यह तुम्हें दिया, यह तुम्हारे लिए मुबारक है और दूसरों के लिए उक़ूबत है। चुनाँचे वह सब अल्लाह तआला का नाम लेकर खाने लगे, चुनाँचे तेरह सौ मर्द और औरतों ने खाया और सब पेट भरकर उठे। फिर यह माइदा आसमान की तरफ़ चला गया और लोग देखते ही रह गए। हर फ़क़ीर खाकर ग़नी बन गया और मरीज़ तंदुरुस्त हो गया। फिर यह हमेशा ग़नी और तंदुरुस्त रहे और जिन हवारियों ने खाने से इंकार किया था, वह सख़्त नादिम हुए और मरते दम तक खाने की हसरत उनके दिलों में बाक़ी रही।

और जब यह माइदा उतरा तो हर तरफ़ से सारे बनी इस्राईल टूट पड़े। ग़नी, फ़क़ीर, छोटे बड़े, मरीज़ व तंदुरुस्त, खाने के लिए एक पर एक गिर रहे थे। अब हज़रत ईसा (ﷺ) ने सबकी बारी मुक़र्रर कर दी। एक दिन आकर जो खाते वह दूसरे दिन न आते, दरम्यान में एक दिन छोड़कर आया करते। इस तरह चालीस दिन गुज़र गए। दिन भर खाने का सिलसिला जारी रहता, फिर माइदा अल्लाह तआला के हुक्म से आसमान की तरफ़ चढ़ जाता, हत्ताकि लोग उसका साया ज़मीन पर गिरता हुआ देखते। अल्लाह तआला ने अपने नबी ईसा (ﷺ) को वही भेजी कि माइदा में मेरा रिज़्क़ फ़ुक़रा और यतीमों और मरीज़ों के लिए है, तवंगरों के लिए नहीं। मालदारों को यह बात बुरी लगी। बातें बनाने लगे। ख़ुद भी शक में पड़ गए और लोगों को भी शक में डालने लगे और ग़लत बातें फैलाने लगे। शैतान ने उन पर क़ब्ज़ा कर लिया और अच्छे लोगों के दिलों में भी वस्वसे डालने लगा, चुनाँचे वह कहने लगे कि, ऐ ईसा (ﷺ)! सच बताना कि क्या यह नुज़ूले माइदा आसमान से हक़ बात है। क्योंकि हममें से अक्सर लोग शक में हैं। तो ईसा (ﷺ) ने कहा कि, मेरे अल्लाह की क़सम! तम हलाक हो गए। तुमने नबी (ﷺ) से सवाल किया था कि अल्लाह तआला से माइदा की दुआ करे और जब उसने दुआ की और अल्लाह तआला ने तुम पर अपनी रहमत और अपना रिज़्क़ उतारा और तुम्हें अपनी निशानी और इब्रतें बताईं तो तुम शक और इंकार करने लगे। अब अज़ाब की ख़ुशख़बरी सुन लो, वह

तुम्हें आ दबोचेगा, यह दूसरी बात है कि अल्लाह तआला ही ख़ुद रहम कर दे। तो अल्लाह तआला ने हज़रत ईसा (عليه السلام) की तरफ़ वही भेजी कि मैं तक्ज़ीब करने वालों को नहीं छोड़ूँगा, जो नुज़ूले माइदा के बाद इंकार करे उसके बारे में यही शर्त थी कि उसे ऐसा अज़ाब दिया जाएगा कि अब तक न दिया गया हो। यह शक करने वाले जब अपने बिस्तरों पर सो गए और सोते वक़्त अपनी अच्छी ख़ासी शक्लो सूरत में थे। लेकिन आख़िरी रात में अल्लाह तआला ने इन्हें सूअर बना दिया और यह कचरे और गंदगियों में फिरने लगे। यह सारी रिवायत बहुत अजीबो ग़रीब है। अबू हातिम ने इसको जगह जगह से अलग अलग टुकड़े करके बयान किया है। मैं ने इनको सियाक़ व तर्तीब क़ायम रहने के लिए बतौर वाक़िया मुसलसल जोड़ लिया है।

यह रिवायत तो दलालत करती है कि माइदा उतरा था और हज़रत ईसा (عليه السلام) की दुआ पर बनी इस्राईल को मिला था। ज़ाहिरे इबारत क़ुरआन से भी यह अख़ज़ होता है। क्योंकि अल्लाह तआला ने (मुनज़्ज़िलुहा अलयकुम) फ़र्माया है। लेकिन कहने वाले यह भी कहते हैं कि माइदा उतरा ही नहीं और अल्लाह तआला ने इस बात को सिर्फ़ मिसाल के तौर पर फ़र्माया है और यह कि जब उन्हें अज़ाब का डर बताया गया तो मुतालब-ए-माइदा से दस्तबरदार हो गए और कहा, नहीं! हमें माइदा नहीं चाहिए। मुजाहिद और हसन (रह.) तक इसकी असानीद बहुत सहीह है और सबसे क़वी दलील यह है कि नसारा इस माइदा से वाक़िफ़ ही नहीं और उनकी किताब इंजील में माइदा का कहीं ज़िक्र ही नहीं है अगर माइदा उतरा ही होता तो इंजील में जगह जगह इसका ज़िक्र आता और एक बार नहीं, लगातार इंजील में मज़्कूर होता लेकिन जुम्हूर का यही ख़्याल है कि माइदा उतरा था। इब्ने जरीर (रह.) ने इसी ख़्याल को इख़्तियार किया है। क्योंकि अल्लाह तआला ने (इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलयकुम) फ़र्माया है, उसका वादा और वईद हक़ है और यही बात ठीक भी मालूम होती है। अहले तारीख़ ने लिखी है कि मूसा बिन नसीर नाइब बनी उमय्या ने फ़ुतूहे बिलादे मग़्रिब के वक़्त वहाँ माइदा पाया जिसमें मोती जड़े हुए थे और क़िस्म-क़िस्म के जवाहिर कंदा थे। तो अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास वह भेज दिया गया। यह माइदा रास्ते ही में था कि वह मर गया। अब वह उसके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास भेजा गया जो उसके बाद ख़लीफ़ा हुए। लोगों ने उसके याक़ूत और जवाहिर वग़ैरह देखकर बहुत ताज्जुब किया और कहा जाता है कि यह माइदा सुलेमान बिन दाऊद (عليه السلام) का था। वल्लाहु आलम!

क़ुरैश का सवाल और पैग़ामे जिब्राईल (عليه السلام) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि क़ुरैश ने नबी अकरम (ﷺ) से कहा था कि सफ़ा की पहाड़ी को हमारे लिए सोना बना दो तो हम तुम पर ईमान लाएँ। आपने फ़र्माया कि "क्या ईमान लाओगे?" कहा हाँ! इतने में जिब्राईल (عليه السلام) आए और कहा कि, अल्लाह तआला तुम्हें सलाम कहता है। और फ़र्माता है कि अगर तुम चाहो तो सुबह तक कोहे सफ़ा सोना हो जाए लेकिन उसके बाद भी अगर यह ईमान न लाएँगे तो बदतरीन अज़ाब का सामना करना पड़ेगा और अगर तुम यह चाहो कि मैं इनकी तौबा क़बूल कर लूँ और इन पर रहमत करूँ तो वैसा सही। आपने फ़र्माया, "ऐ परवरदिगार! तेरी तौबा और रहमत चाहिए।" (मुस्नद अहमद : 1/242; वहुव हसन, हाकिम : 2/214; अल्मुअजमुल कबीर : 12736; बैहक़ी : 9/8)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

तर्जुमा : ''और वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है जबकि अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि ऐ ईसा बिन मरयम (عليه السلام)! क्या तुमने लोगों से कह दिया था कि मुझको और मेरी माँ को भी अल्लाह तआला के अलावा मअबूद क़रार दे लो, ईसा (عليه السلام) अर्ज़ करेंगे कि मैं तो तुझे मुनज़्ज़ा समझता हूँ, मुझको किसी तरह ज़ेबा न था कि मैं ऐसी बात कहता, जिसके कहने का मुझको कोई हक़ नहीं। अगर मैंने कहा होगा तो तुझे उसका इल्म होगा। तू तो मेरे दिल के अंदर की बात भी जानता है और मैं तेरे इल्म में जो कुछ है, उसे नहीं जानता। तमाम ग़ैबों का जानने वाला तू है। (116) मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा, मगर सिर्फ़ वही जो तूने मुझसे कहने के लिए कहा था कि तुम अल्लाह तआला की बंदगी इख़्तियार करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं इन पर मुत्तलअ रहा जब तक इनमें रहा। फिर जब तूने मुझको उठा लिया तो तू इन पर मुत्तलअ रहे। और तू हर चीज़ की पूरी ख़बर रखता है। (117) अगर तू इनको सज़ा दे तो यह तेरे बन्दे हैं। और अगर तू इनको मुआफ़ कर दे तो तू ज़बरदस्त हिक्मत वाला है।'' (118)

क़यामत के दिन ईसा (عليه السلام) से जवाब तलबी (आयत 116-118) : अल्लाह पाक ईसा (عليه السلام) से क़यामत के दिन उन लोगों की मौजूदगी में ख़िताब फ़र्माएगा जिन्होंने ईसा (عليه السلام) और ईसा (अ.) की माँ

को अल्लाह बना रखा था। यह नसारा को डंके की चोट तहदीद और तौबीख़ है। क़तादा (रह़.) ने इस पर अल्लाह तआला के इस क़ौल से इस्तिदलाल किया है कि (هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) (5/माइदा : 119) यानी यह वह दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई का सिला मिलेगा। सुद्दी (रह़.) कहते हैं कि यह ख़िताब और जवाब दुनिया में है। इब्ने जरीर इसकी तस्दीक़ करते हैं कि यह उस वाक़िया के बारे में है जबकि हज़रत ईसा (ﷺ) आसमान पर उठाए गए थे। और इब्ने जरीर ने इस पर दो तरह से इस्तिदलाल किया है, एक तो यह कि कलामे लफ़्ज़ माज़ी यानी (क़ाल) के साथ है। दूसरे यह कि क़ौलुहू तआला (इन तुअज़्ज़िबहुम), (व इन तग़्फ़िर लहुम) यानी कलाम शर्तिया है और बात दुनिया ही में हुई होगी, जब तो अज़ाब या मग़्फ़िरत की शर्त आख़िरत के लिए उठा रखी गई। लेकिन यह दोनों दलीलें ग़ौरतलब हैं। इसलिए कि लफ़्ज़ माज़ी हो तो क्या हुआ क़यामत के अक्सर उमूर लफ़्ज़े माज़ी ही से बयान किए गए हैं ताकि वुक़ूअ और सबूत पर दलील काफ़ी बन सके, रहा (इन तुअज़्ज़िबहुम) का शर्तिया कलाम सो इससे तो ईसा (ﷺ) का उन गुनहगारों से बेज़ारी ज़ाहिर करना और अल्लाह तआला की मर्ज़ी का उनमें नाफ़िज़ होना ज़ाहिर किया गया है और शर्त पर किसी चीज़ का मुतअल्लिक़ होना वक़ूअ चीज़ के लिए मुक़्तज़ा नहीं हो सकता। आयाते क़ुरआनी में इसकी बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं। क़तादा (रह़.) का जो बयान है वह ज़्यादा साफ़ है कि क़यामत के दिन का मुकालिमा है ताकि क़यामत के दिन सबके सामने नसारा का पोल खुल जाए और तहदीद व तौबीख़ हो सके। अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "क़यामत के दिन अम्बिया (ﷺ) और उनकी उम्मतें बुलाई जाएँगी फिर ईसा (ﷺ) तलब किए जाएँगे, उन पर इज़्हारे एहसान फ़र्माया जाएगा और वह इक़रार करेंगे फिर अल्लाह तआला उनसे यह सवाले बाला फ़र्माएगा तो वह इंकार करेंगे कि मैंने अपनी उम्मत से अपनी परसतिश के लिए नहीं कहा था। अब नसारा बुलाए जाएँगे, उनसे बाज़पुर्स होगी, वह कहेंगे कि, हाँ! ईसा (ﷺ) ने हमें ऐसा हुक्म दिया था। यह सुनकर ख़ौफ़ के मारे ईसा (ﷺ) के सर और जिस्म के बाल खड़े हो जाएँगे। फ़रिश्ते उन बालों को थाम लेंगे और यह नसारा अल्लाह तआला के सामने एक हज़ार साल तक पैर जोड़े बिठाए रखे जाएँगे हत्ताकि उन पर हुज्जत क़ायम हो जाएगी और असलियत उनके सामने आ जाएगी।

किज़्ब बयानी की सज़ा में सलीब को उनका पेशवा बना दिया जाएगा। फिर यह लोग जहन्नम की तरफ़ हाँके जाएँगे।" (अद्दुर्रुल मंसूर : 2/615) व क़ौलुहू तआला (सुब्हाना मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैस ली बि हक़्क़िन) इस जवाब में हुस्ने अदब की किस क़द्र तौफ़ीक़ इनायत हुई है। ईसा (ﷺ) के दिल में कैसी अच्छी दलील डाली गयी है कि ऐ अल्लाह! जिस बात का मुझे कोई हक़ नहीं, आख़िर मैं ऐसी बात कैसे कहता, बिल फ़र्ज़ अगर मैंने ऐसा कहा भी होगा तो ज़रूर तू जानता ही होगा क्योंकि तुझ पर कोई बात छुपी हुई नहीं। तू मेरे दिल की बात जानता है लेकिन मैं तेरे इरादे को नहीं जान सकता जो कुछ तू ने मुझे हुक्म दिया था, मैं ने उससे एक हर्फ़ भी ज़्यादा नहीं कहा। मैंने तो यही कहा था कि तुम अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं जब तक उनमें रहा, उनके आमाल का निगरान रहा और जब तूने मुझे उठा लिए तो अब तू उनका निगरानकार हो गया और तू तो हर बात का निगरान है।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि "ऐ

लोगों! क़ियामत के दिन तुम नंगे और ग़ैर ख़त्ना उठाए जाओगे जैसे कि पैदाइश के वक़्त थे। सबसे पहले इब्राहीम (ﷺ) को लिबास पहनाया जाएगा। अब मेरी उम्मत के चंद लोग लाए जाएँगे जिन्हें दोज़ख़ की निशानी के तौर पर बाएँ तरफ़ रखा जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यह तो मेरी उम्मत है, तो कहा जाएगा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बाद तुम्हारी सुन्नत को छोड़कर क्या क्या बिदअतें इन लोगों ने जारी कीं। तो मैं एक बंदा सालेह की तरह वही कहूँगा जो ईसा (ﷺ) ने कहा था। कहा जाएगा कि तुम्हारे बाद लोग मुर्तद और बिदअती हो गए थे।''(सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल माइदा बाब **(व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा .....)** : 4625; सहीह मुस्लिम : 2860; तिर्मिज़ी : 1423; अहमद : 1/229; इब्ने हिब्बान : 7347)

उम्मत की बख़्शिश के लिए नबी (ﷺ) की आहवज़ारी : क़ौलुहू (इन तुअज़्ज़िबहुम) इला आख़िरिही। यह कलाम अल्लाह तआला की मशिय्यत पर मुतज़म्मिन (शामिल) है कि वह जो चाहे करे, वह सबसे पूछ सकता है लेकिन उससे कोई नहीं पूछ सकता। नीज़ यह कलाम नसारा से बेज़ारी पर भी मुश्तमिल है। जिन्होंने ईसा (ﷺ) को अल्लाह तआला का शरीक और वलद, और मरयम (ﷺ) को बीवी क़रार दे दिया था, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक! इस आयत की बड़ी शान है। हदीस में है कि एक रात नबी अकरम (ﷺ) सुबह तक इसी आयत को नमाज़ में पढ़ते रहे।

अबू ज़र (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) एक रात इसी आयत को पढ़ते रहे, हत्ता कि रुकूअ और सज्दे में भी यही आयत पढ़ी। सुबह को जब उसकी वजह मैंने पूछी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैं रब अज़्ज़ा व जल्ल से शफ़ाअते उम्मत के लिए सवाल करता रहा। चुनाँचे शिर्क के सिवा सबको बख़्शने का उसने वादा फ़र्माया।'' (मुस्नद अहमद : 5/149; नसाई, किताबुल इफ़्तिताह, बाब तर्दीदुल आयात : 1011; इब्ने माजा : 1350; व सनदुहू हसन; इब्ने अबी शैबा : 7/439) जसुरा बिन्ते दुजाजा से मरवी है कि अबू ज़र (रज़ि.) कह रहे थे कि नबी अकरम (ﷺ) ने ईशा की नमाज़ पढ़ाई तो उसके बाद लोग अपनी अलग अलग नमाज़ें पढ़ने लगे, अब हज़रत (ﷺ) अपने मस्कन पर जा बैठे और जब देखा कि लोग अपने घर चले गए हैं तो फिर मुसल्ला पर आकर नमाज़ में मशग़ूल हो गए, अब मैं भी आ गया और आपके पीछे नमाज़ पढ़ने लगा। आपने सीधी तरफ़ हो जाने का इशारा किया। मैं सीधी तरफ़ हो गया फिर इब्ने मसऊद (रजि.) आए तो हमारे पीछे खड़े हो गए तो उन्होंने बाईं तरफ़ हो जाने का इशारा किया। अब हम तीनों अपनी अलग अलग नमाज़ें पढ़ने लगे लेकिन आपने नमाज़ में एक ही आयत जो शुरू की तो उसी को पढ़ते पढ़ते सुबह कर दी। मैंने अब अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से कहा कि रात भर एक ही आयत पढ़ने का सबब नबी अकरम (ﷺ) से पूछें। उन्होंने कहा, नहीं! जब तक आप ख़ुद से बयान न करें मैं तो नहीं पूछूँगा, अब मैंने जुर्अत करके पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान, सारा क़ुरआन आपके सीने में है लेकिन आप क़ुरआन की सिर्फ़ एक ही आयत पढ़ रहे थे। अगर हममें से कोई ऐसा करता तो हम उस पर ऐतिराज़ कर बैठते। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैं अल्लाह तआला से उम्मत के लिए दुआ कर रहा था।'' मैंने पूछा कि अल्लाह तआला से क्या जवाब मिला तो फ़र्माया कि ''जिस बात का मुझसे वादा किया गया है उसको तुम लोग सुन पाओ तो अक्सर तो नमाज़ पढ़ना ही छोड़ दोगे और अल्लाह तआला की रहमत का बहाना ले लोगे।'' मैंने कहा कि लोगों को क्या इसकी ख़ुशख़बरी न पहुँचा दूँ? फ़र्माया ''हाँ! पहुँचा दो।'' मैं कुछ दूर ही चला था कि

उमर (रज़ि.) कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर लोगों को यह बात पहुँचा दी जाएगी तो इबादत ही छोड़ बैठेंगे। तो आप (ﷺ) ने मुझे वापिस बुला लिया और वह आयत यह थी (इन तुअ़ज़्ज़िबहुम फ़ इन्नहुम इबादुक व इन तग़्फ़िर लहुम फ़ इन्नका अन्तल अ़ज़ीज़ुर्रहीम) (मुस्नद अहमद : 5/170; व सनदुहू हसन; इब्ने माजा : 1350; नसाई : 1011; मुस्नद बज़्ज़ार : 4062)

यह हज़रत ईसा (ﷺ) का क़ौल है जो नबी अकरम (ﷺ) तिलावत फ़र्मा रहे थे। फिर आप (ﷺ) ने अपने हाथ उठाए और फ़र्माया, "(अल्लाहुम्मा उम्मती) ऐ मेरे रब! मेरी उम्मत! और ज़ारो कतार रो रहे थे।" अल्लाह तआ़ला ने जिब्राईल (ﷺ) को भेजा। जिब्राईल (ﷺ) आकर रोने की वजह पूछने लगे तो आप (ﷺ) ने जो जवाब देना था, जिब्राईल (अ.) को दिया तो अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया "ऐ जिब्राईल (ﷺ)! मुहम्मद (ﷺ) से जाकर कहो कि हम तुम्हारी उम्मत के बारे में तुम्हें राज़ी करेंगे और दिल न दुखाएँगे।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब दुआउन् नबी (ﷺ) लि उम्मतिही व बुकाइही शफ़क़तन अ़लैहिम : 202) हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) एक दिन देर से तशरीफ़ लाए और सज्दे में गिर पड़े और इतनी देर की कि गोया रूह ही परवाज़ हो गई हो। फिर आप (ﷺ) ने जब सर उठाया तो फ़र्माया कि, "मेरे रब ने उम्मत के बारे में मुझसे मश्वरा किया था कि इनके साथ क्या किया जाए? तो मैंने कहा, ऐ रब! यह तो तेरे ही बन्दे और तेरी मख़्लूक़ हैं, दूसरी बार पूछा, फिर भी मैंने यही कहा, तो अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मैं उम्मत के बारे में तुमको रुस्वा न करूँगा और मुझसे कहा कि मेरे साथ सत्तर हज़ार उम्मती जाएँगे और हर एक ऐसे उम्मती के साथ और सत्तर हज़ार उम्मती होंगे कि यह सब बग़ैर हिसाब दाख़िले जन्नत किए जाएँगे। फिर फ़र्माया, मांगो तुमको दिया जाएगा, तो मैंने जिब्राईल (ﷺ) से कहा कि क्या अल्लाह पाक मेरे सवाल को पूरा करना चाहता है तो जिब्राईल (ﷺ) ने कहा, हाँ! अल्लाह तआ़ला ने मुझे आपके पास इसी ग़र्ज़ से भेजा है। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने मुझे सब कुछ अ़ता कर दिया। मैं इस पर ग़ुरूर नहीं करता और अल्लाह तआ़ला ने मेरे अगले पिछले गुनाह बख़्श दिए हैं और मैं ज़मीन पर ज़िन्दा व तंदुरुस्त चल रहा हूँ और मुझे यह भी ख़ुसूसियत बख़्शी कि मेरी उम्मत क़हत से न मरेगी और मग़्लूब न होगी। अल्लाह तआ़ला ने मुझे कौसर इनायत फ़र्माया है यह जन्नत की एक नहर का नाम है जो मेरे हौज़ में बहती आएगी। और मुझे इज़्ज़त व मदद और रौब व शौकत की ख़ुसूसियत अ़ता फ़र्माई है। जो मेरी उम्मत के सामने लोगों पर एक महीना भर की राह से असर डालती है। मैं जन्नत में सब अम्बिया से पहले दाख़िल होऊँगा और मेरी उम्मत के लिए माले ग़नीमत हलाल कर दिया गया है और अकसर ऐसी चीज़ें हलाल कर दी हैं जो मुझसे पहले की उम्मतों पर हराम थीं और मज़हबी हैसियत से मेरे दीन में कोई सख़्ती रवा नहीं रखी।" (मुस्नद अहमद : 5/393; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में अ़ब्दुल्लाह बिन लहीआ़ मुख़्तलत़ रावी है (अत्तक़रीब : 1/44; रक़म : 574)

***

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۱۹﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۲۰﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माएगा कि यह वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा, उनको बाग़ मिलेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वह हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआला उनसे राज़ी और ख़ुश और यह अल्लाह तआला से राज़ी और ख़ुश हैं, यह बड़ी भारी कामयाबी है। (119) अल्लाह तआला ही की सल्तनत आसमानों की और ज़मीन की और उन चीज़ों की जो उनमें मौजूद हैं और वह हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखता है।''(120)

महशर के दिन कामयाब होने वाले (आयत 119, 120) : अल्लाह तआला अपने बन्दे ईसा (عليه السلام) की बात का जवाब देते हुए, जबकि उन्होंने नसाराए मुल्हिदीन काज़िबीन से अपनी बेज़ारी ज़ाहिर की थी, फ़र्माता है कि (هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ) यानी आज का दिन मुवह्हिदीन की तौहीद की नफ़ाबख़्शी का दिन है कि बहती नहरों वाली जन्नत में होंगे। न वहाँ से निकाले जाएँगे, न दम भर के लिए जन्नत को छोड़ेंगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, उस दिन रब्बे करीम जलवा अफ़रोज़ होगा और फ़र्माएगा, मांगो! मैं देने पर आमादा हूँ। लोग उसकी रज़ामन्दी मांगेंगे तो फ़र्माएगा कि मेरी रज़ामंदी ही ने तुम्हें मेरे घर उतारा है। मांगो! क्या माँगते हो। लोग फिर उसकी रज़ामन्दी मांगेंगे। फ़र्माएगा, गवाह रहो कि सुब्हानहू व तआला तुमसे राज़ी है।'' (इब्ने अबी शैबा : 2/150; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत रावी है (अत्तक़रीब : 2/138, 2/13) फ़र्माता है (ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम) यह बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है (لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ) (37/साफ़्फ़ात : 61) अमल करने वालों को ऐसा ही अमल करना चाहिए। (وَ فِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ) (83/मुतफ़्फ़िफ़ीन : 26) और उसी की कोशिश लोगों को करनी चाहिए वह सारी अश्या (चीज़ों) का ख़ालिक़ है हर चीज़ पर मुतसर्रिफ़ और क़ादिर है। सब उसके ग़ल्बा और क़ुदरत के तहत हैं, उसका न कोई नज़ीर है, न हमपाया, न मददगार है। उसके न बाप है, न बेटा, न बीवी। उसके सिवा कोई दूसरा अल्लाह नहीं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं सबसे आख़िरी सूरत यही सूरह माइदा उतरी है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल माइदा : 3063; व सनदुहू हसन लि ज़ातिही; व सह्हहुल हाकिम : 2/311; व वाफ़क़हुज़्ज़हबी)

सूरह
अल अन्आम
الانعام

FLOW CHART
तरतीबी नक़्शा-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह अल अन्आम

आयात: 165 मदनी, पैराग्राफ : 7

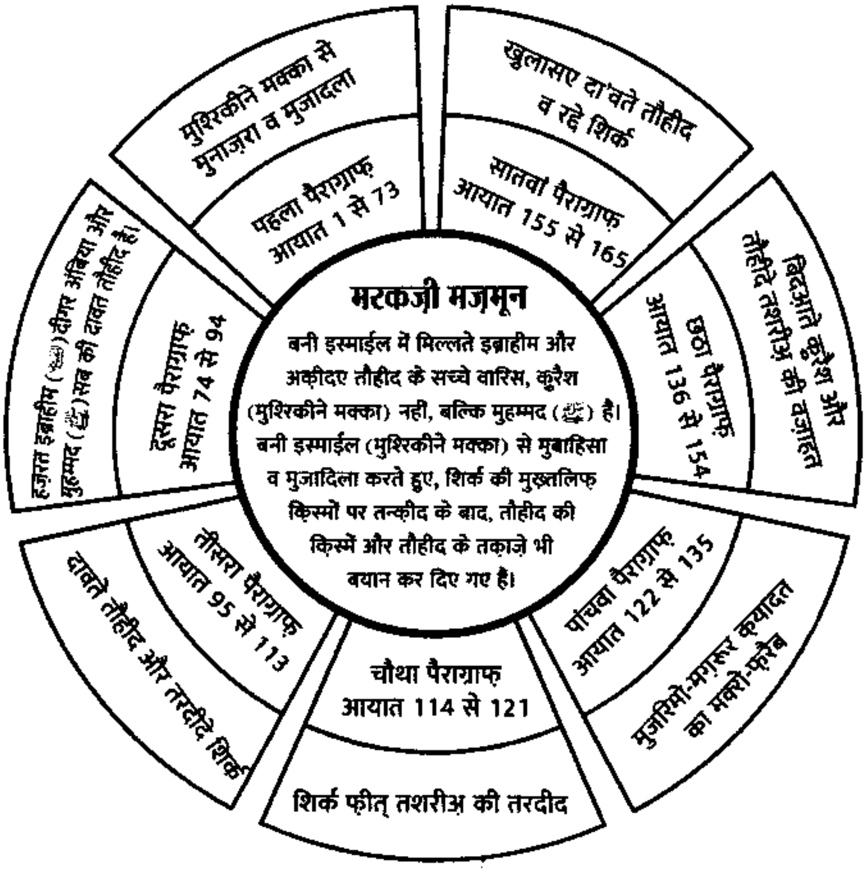

ज़मानए नुज़ूल:
रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़यामे मक्का के आख़री दौर में, ऐन (ठीक) हिजरत से पहले ग़ालिबन 13 नबवी में, (सूरह अल अन्आम)और सूरह (अल आराफ़) नाज़िल हुई। इस सूरह में तेरह साल की दावत का ख़ुलासा, आख़री अल्टीमेटम के साथआ गया है।
आयत 33 शायद अबू जहल के उस क़ौल पर नाज़िल हुई कि मुश्रिकीन, मुहम्मद (ﷺ) की ज़ात को नही झुठलाते बल्कि क़ुरआन की आयत से इन्कार है। (सुनन तिरमिज़ी: किताबु तफ़सीरिल क़ुरआन, बाब तफ़सीर सूरह अलअन्आम, हदीस 064, ज़ईफ़)

सूरह अन्आम

अन्आम नअम की जमा है और नअम जानवर मवेशी और चौपाये को कहते हैं। जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊँट वग़ैरह। मुश्रिकीने मक्का में उन चौपायों के बारे में कुछ बातिल अक़ाइद और वहम परस्ती की रूसूम पाई जाती थी इसका जिक्र करके उनको रद्द कर दिया गया है।

ये सूरह मक्की है इसकी 165 आयतें और 20 रूकूअ हैं।

ये सूरह रसूलुल्लाह (ﷺ) की मक्की ज़िंदगी के आख़िरी साल में नाज़िल हुई। एक रिवायत के मुताबिक़ पूरी सूरत एक ही बार नाज़िल हुई। आपने उसी रात इसको तहरीर करवा दिया।

इस सूरह का मर्कजी ख़्याल (Central Theme) तौहीद की दावत और शिर्क का रद्द है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को सख़्ती के साथ रोका गया है और तमाम मुश्रिकाना रूसूम और वहम परस्ती की मज़म्मत की गई है। अक़ीदे तौहीद को उसकी असल हालत में बिला कम व कास्त पेश किया गया है और अल्लाह के एक होने के तसव्वुर और अल्लाह की बेमिसाल सिफ़ात को उजागर कर दिया गया है। अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है उसकी न कोई बीवी है न औलाद, कायनात का वो एक ही माबूद है। सिर्फ़ उसी की इबादत करो। मौत के बाद की ज़िंदगी, यौमे हिसाब, आमाल की सज़ा और जजा और इन मिशन और पैग़ाम के ख़िलाफ़ मुश्रिकीन और काफ़िरों के ऐतराज़ात का मुदल्लल जवाब दिया गया है।

हज़रत मुहम्मद (ﷺ) दूसरी नबियों की तरह एक बशर (इंसान) और अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। न वो फ़रिश्ते हैं न वो ग़ैब का इल्म रखते हैं, न वो अल्लाह के ख़जानों की मिल्कियत का दावा करते हैं। ग़ैब की कुन्जियाँ अल्लाह के पास हैं।

इस सूरत में जिन अम्बिया (عليهم السلام) का जिक्र किया गया है उनमें हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इस्हाक, हज़रत याक़ूब, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलैमान, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूसुफ़, हज़रत मूसा, हज़रत हारून, हज़रत जकरिया, हज़रत यहया, हज़रत इल्यास, हज़रत लूत, हज़रत यूनुस, हज़रत ईसा और हज़रत अल्यसअ शामिल है। ये गिरोह हिदायत याफ़्ता था। हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को इनके नक्शें क़दम पर चलने की हिदायत की गई।

जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाये उसे खाओ। जिस पर उसका नाम नहीं लिया जाये उसे मत खाओ। नाप-तोल इंसाफ़ के साथ पूरा करो। इंसाफ़ की बात कहो चाहे वह अपनों के मफ़ाद के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह के अहद को पूरा करो, उसके सीधे रास्ते पर चलो।

फ़लों और खेत की पैदावार पर अल्लाह का हक़ अदा करने की ताकीद, जिन बातों से मना किया गया वो ये हैः अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन के साथ बदसुलूकी, ग़रीबी और मुफ़्लिसी के डर से औलाद का क़त्ल, बेहयाई के काम, यतीम के माल का नाजाइज इस्तेमाल हर आदमी अपने आमाल के लिये जिम्मेदार है। एक के हिसाब की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं। मोमिन की ज़िंदगी का मक़सद, मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना अल्लाह के लिये है। (आयत : 162) अल्लाह ने इंसान को जमीन पर ख़लीफ़ा बनाया है। (आयत : 165)

तफ़्सीर सूरह अन्आम

फ़ज़ाइले सूरह अन्आम : सूरह अन्आम मक्का में एक ही रात में एक ही बार में नाज़िल हो गई। उसको सत्तर हज़ार फ़रिश्ते लेकर हाज़िर हुए थे और तस्बीह पढ़ते जा रहे थे। (तबरानी : 12930; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अली बिन ज़ैद बिन जिदआन ज़ईफ़) अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) कहती हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ऊँटनी पर सवार थे और सूरह अन्आम उतर रही थी। मैं नबी (ﷺ) की ऊँटनी की लगाम थामे हुए थी। वह्री के बोझ से ऊँटनी ऐसी दब गई थी कि गोया उसकी हड्डियाँ ही टूट जाएँगी। (मज्मउज़्ज़वाइद : 7/20; इसकी सनद में लैस बिन अबी सुलैम मुख़्तलत रावी और ज़ईफ़ रावी है, लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) फ़रिश्ते ज़मीनो आसमान को घेरे हुए थे। सूरह अन्आम उतरने के बाद नबी अकरम (ﷺ) तस्बीह पढ़ने लगे और फ़र्माया, "इस सूरत की मुशायिअत में फ़रिश्ते आसमान तक घेरे हुए थे। (हाकिम : 2/314, 315; व सनदुहू मुअल्लल ज़ईफ़, उंज़ुर इत्तिहाफ़ुल महरा : 3/561; व शुअबुल ईमान : 2432) फ़रिश्तों की **(सुब्हानल्लाहि वबि हम्दिही सुब्हानल्लाहिल् अज़ीम)** की गूँज से ज़मीनो-आसमान में हंगामा था। हुज़ूर (ﷺ) भी यही तस्बीह पढ़ रहे थे। (अल्मुअजमुल कबीर : 6443; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/20; हैसमी कहते हैं कि इसकी सनद में मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन उर्स और अहमद बिन मुहम्मद ग़ैर मअरूफ़ हैं लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "पूरी सूरह अन्आम एक ही बार में नाज़िल हुई है और सत्तर हज़ार फ़रिश्तों की तस्बीह व तहमीद की गूँज के साथ उतरी है।" (अल्मुअजमुल कबीर : 1/81; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/20; इसकी सनद में यूसुफ़ बिन अतियतुस्सिफ़ार है जिसे नसाई ने मतरूक और इमाम बुख़ारी ने मुंकरुल हदीस कहा है। (अल्मीज़ान : 4/468; रक़म : 9877)

✲✲✲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

''शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रह़म वाला है''

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ① هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ
مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ
وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ③

तर्जुमा : तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला ही के लिए लायक़ है जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और तारीकियों (अंधेरे) और नूर (रोशनी) को बनाया। फिर भी काफ़िर लोग अपने रब के बराबर क़रार देते हैं।(1) वह ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बनाया फिर एक वक़्त मुअय्यन किया और दूसरा मुअय्यन वक़्त ख़ास़ अल्लाह तआला ही के नज़दीक है फिर भी तुम शक करते हो।(2) और वही है मअबूदे बरह़क़ आसमानों में भी और ज़मीन में भी, वह तुम्हारे पोशीदा अह़वाल को भी और तुम्हारे ज़ाहिर अह़वाल को भी जानता है और तुम जो कुछ अमल करते हो उसको जानता है।''(3)

अल्लाह तआला की क़ुदरते-कामिला और इंसान (आयत 1-3) : अल्लाह तआला अपने नफ़्से करीमा की मदह़ (तारीफ़) फ़र्माता है कि उसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया। गोया कि बन्दों को ह़म्द (तारीफ़) करना सिखला रहा है। दिन में नूर को और रात में तारीकी को अपने बन्दों के लिए एक मन्फ़अत क़रार देता है। यहाँ लफ़्ज़े नूर को वाह़िद लाया गया है और ज़ुलुमात को जमा लाया गया है क्योंकि अशरफ़ चीज़ को वाह़िद ही लाता है। जैसे कि अल्लाह तआला का क़ौल है (عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ) (16/नह़्ल : 48) और (اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ) (6/अन्आम : 153) यहाँ भी यमीन वाह़िद है और शमाइल जमा है और अपने रास्ते को लफ़्ज़े सबील कहकर वाह़िद लाया हे और ग़लत रास्तों को सुबुल कहकर जमा लाया है। ग़र्ज़ यह कि बावजूद इसके कुछ बन्दे कुफ़्र करते हैं और उसके लिए शरीक व अ़दील क़रार देते हैं। उसके बीवी और बच्चे बनाते हैं। अल्लाह तआला इन बातों से मुनज़्ज़ा है। फिर फ़र्माता है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया। यानी तुम्हारे बाप आदम मिट्टी से बनाए गए थे और मिट्टी ही ने उनके गोश्त पोस्त की शक्ल इख़्तियार की। फिर उन ही से लोग पैदा हो कर मश्रिक़ व मग़्रिब में फैल गए। फिर आदम (عليه السلام) ने अपनी मुद्दत पूरी की और अपने मुक़र्ररा वक़्त मौत तक आन पहुँचे। पहले लफ़्ज़े अजल से ह़सन (रह़.) के नज़दीक मरने

तक की ज़िन्दगी का वक़्त मुराद है और दूसरे लफ़्ज़े अजल से मरने के बाद दोबारा ज़िन्दगी का वक़्त मुराद है। अजले ख़ास इंसान की उम्र रवाँ है और अजले आम से मुराद सारी दुनिया की उम्र है। यानी दुनिया के ख़त्म होने और ज़वाल पजीर होने तक और दारे आख़िरत का वक़्त आने तक।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) और मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि पहली अजल से मुराद मुद्दते दुनिया है और अजले मुसम्मा से मुराद उम्रे इंसान की मौत का वक़्त है। (तब्री : 11/256) गोया कि वह अल्लाह तआला के इस क़ौल से माख़ूज़ है। (وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ) (6/अन्आम : 60) यानी वह रात में तुमको मार देता है और दिन में तुम जो कुछ करते हो उसे जानता है और रात में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। यानी नींद में होते हो जो क़ब्ज़े रूह की शक्ल में है और फिर जागते हो तो अपने साथियों के पास गोया वापिस आ जाते हो। और उसके क़ौल (इन्दहू) के मानी यह हैं उस वक़्त को सिवाय उसके और कोई नहीं जानता। जैसेकि एक जगह फ़र्माया है कि उसका इल्म अल्लाह तआला ही को है। उसका वक़्त अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जान सकता। और इसी तरह यह क़ौले बारी है कि ऐ नबी (ﷺ)! तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब आएगी? सो तुम्हें उसकी क्या ख़बर, उसका इल्म तो अल्लाह तआला ही को है। (79/अन्कबूत : 42) फिर आयत ज़ेरे ज़िक्र में इर्शाद होता है कि तुम क़यामत के बारे में शक करते हो, वही आसमानों और ज़मीनों का मालिक अल्लाह तआला तुम्हारी छुपी बातों को भी जानता है और खुली बातों को भी। और तुम जो कुछ करते हो उससे अच्छी तरह वाक़िफ़ है। इस आयत के मुफ़स्सिरीन ने पहला फ़िर्क़ा जहमिया के क़ौल से इंकार पर इत्तिफ़ाक़ किया है और फिर इस आयत की तफ़्सीर के बारे में उनका इख़्तिलाफ़ भी है। जहमिया (एक गुमराह फ़िर्क़े का नाम) का यह क़ौल है कि यह आयत इस बात की हामिल है कि अल्लाह तआला हर जगह बज़ाते ख़ुद मौजूद है। यानी इस अक़ीदे से यह बात अख़ज़ होती है कि हर चीज़ के अंदर बज़ाते ख़ुद अल्लाह तआला मौजूद है। सहीह क़ौल यह है कि आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह तआला ही को माना जाता है और उसकी इबादत की जाती है। और आसमानों में जो फ़रिश्ते और ज़मीन पर जो इंसान हैं, सब उसी का इक़रारे उलूहियत करते हैं। उसको अल्लाह तआला कहकर पुकारते हैं। लेकिन जिन्न व इंस के काफ़िर उससे नहीं डरते। और यही आयत अल्लाह तआला के इस क़ौल पर भी मुंतबिक़ (फिट) होती है कि वही आसमानों का अल्लाह तआला और ज़मीन का अल्लाह तआला है। मतलब यह कि जो आसमानों में है उनका अल्लाह तआला और जो ज़मीन पर है उनका अल्लाह तआला। न यह कि जो आसमानों और ज़मीनों में है वही अल्लाह तआला है। इसी बिना पर हुक्म है कि वह तुम्हारे छुपे को भी जानता है और तुम्हारे खुले को भी। दूसरा क़ौल यह है कि इससे मुराद यह है कि अल्लाह तआला वह है जो ज़मीन व आसमान में हर छुपी-खुली बात को जानता है और उसका क़ौल **(यअलमु फ़िस्समावाति वफ़िल अर्ज़ि)** के बारे में है। चुनाँचे उसकी तक़्दीर यूँ हुई कि वही अल्लाह तआला है जो ज़मीन व आसमान में तुम्हारी हर बात को जानता है और तुम जो कुछ करते हो उसका इल्म रखता है। और तीसरा क़ौल यह है कि **(हुवल्लाहु फ़िस्समावाति)** यह वक़्फ़े ताम है उसके बाद फिर ख़बर का आग़ाज़ होता है यानी **(हुवल्लाहु फ़िस्समावाति)** मुब्तदा है और **(फ़िल अर्ज़ि यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम)** ख़बर है। इब्ने जरीर का यही मस्लक है। फिर आख़िर में इर्शाद होता है कि वह तुम्हारे तमाम आमाल को जानता है।

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑤ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا
السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ
وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ⑥

तर्जुमा : "और इनके पास कोई निशानी भी इनके रब की निशानियों में से नहीं आती मगर वह उससे ऐराज़ ही किया करते हैं। (4) सो इन्होंने इस सच्ची किताब को भी झूठा बतलाया जबकि वह इनके पास पहुँची सो जल्दी ही इनको ख़बर मिल जाएगी उस चीज़ की जिसके साथ यह लोग इस्तिहाज़ा (मज़ाक़) किया करते थे। (5) क्या इन्होंने देखा नहीं कि हम इनसे पहले कितनी जमाअतों को हलाक कर चुके हैं जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वह कुव्वत नहीं दी और हमने उन पर ख़ूब बारिशें बरसाईं। और हमने उनके नीचे से नहरें जारी कीं फिर हमने उनको उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया और उनके बाद दूसरी जमाअतों को पैदा कर दिया।" (6)

मुआनिदीन का अंजाम (आयत 4-6) : मुश्रिकीन मुआनिदीन के बारे में अल्लाह तआला ख़बर देता है कि जब कभी अल्लाह तआला की कोई आयत उनके पास आती है यानी कोई मोजिज़ा या अल्लाह तआला की वहदानियत पर कोई दलीले वाज़ेह या रसूलुल्लाह (ﷺ) की सदाक़त की कोई निशानी तो यह लोग उससे ऐराज़ करते हैं और उसकी परवाह तक नहीं करते। और जब हक़ बात उनके पास आई तो उसका इंकार करने लगे। उसके बारे में उन्हें अन्क़रीब मालूम हो जाएगा। यह बात उनके लिए तहदीद और वईदे शदीद (सख़्त धमकी के तौर पर) है। क्योंकि उन्होंने हक़ को झुठला दिया। अब तक्ज़ीब का नतीजा उन्हें देखना ज़रूरी है। अल्लाह तआला उन्हें समझा रहा है और डरा रहा है कि पहले के लोगों ने भी जो इनसे ज़्यादा क़वी (ताक़तवर) और तादाद में भी ज़्यादा थे और माल और औलाद भी ज़्यादा रखते थे। दौलत व हुकूमत भी हासिल थी, फिर भी उन्हें कैसा अज़ाब व नकाल (बदला) पहुँचा था। इसी क़िस्म के अज़ाब से तुम्हें भी सामना करना पड़ सकता है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही क़ौमों को हलाक कर दिया है, जो दुनिया में बड़ी क़ुदरत रखते थे कि ऐसे अम्वाल व औलाद व आमार (उम्रें) और ऐसी शानो-शौकत तुम्हें नसीब ही नहीं। आसमान से हम उनके लिए पानी बरसाते थे, कभी उन्हें क़हत का सामना न करना पड़ा, हमने बाग़ात, चश्मे और नहरें दे रखी थीं और इससे मक़सद फ़क़त उन्हें ढील देना था फिर उनके गुनाहों और

नाफ़र्मानियों की वजह से उन्हें हलाक कर दिया और उनकी जगह पर दूसरी क़ौमें आबाद कर दीं। पहले लोग तो जाने वाले दिन की तरह चले गए और दास्तान बनकर रह गए। लेकिन उन बाद के लोगों ने भी पहले के लोगों की तरह अमल किया और पहले लोगों की तरह यह भी हलाक कर दिए गए। चुनाँचे ऐ लोगों! इस बात से डरो कि तुम्हें भी कहीं ऐसे ही हालात से सामना न करना पड़ जाए। तुमसे निपटना अल्लाह तआला के लिए उनसे ज़्यादा अहम काम तो नहीं। तुम्हारा रसूल जिसको तुम झुठलाते हो यह तो उनके रसूल (ﷺ) से भी ज़्यादा अकरम है इसलिए अगर अल्लाह तआला ख़ास तौर पर मेहरबानी व एहसान न करे तो तुम ज़्यादा उक़ूबत (सज़ा) के मुस्तहिक़ हो।

***

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ
هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ
ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ
۞ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ۞ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۞

तर्जुमा : "और अगर हम काग़ज़ पर लिखा हुआ कोई परवाना आप पर नाज़िल फ़र्माते फिर उसको यह लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी यह काफ़िर लोग यही कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर सरीह जादू है। (7) और यह लोग यूँ कहते हैं कि इनके पास कोई फ़रिश्ता क्यूँ नहीं भेजा गया और अगर हम कोई फ़रिश्ता भेज देते तो सारा क़िस्सा ही ख़त्म हो जाता फिर इनको ज़रा सी मुहलत न दी जाती। (8) और अगर हम इसको फ़रिश्ता तज्वीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते और हमारे इस काम से फिर इन पर वही इश्काल होता जो अब इश्काल कर रहे हैं। (9) और वाक़ई आपसे पहले जो पैग़म्बर हुए हैं उनके साथ भी इस्तिहज़ा (मस्ख़रापन) किया गया है फिर जिन लोगों ने उनसे मज़ाक़ किया था उनको उस अज़ाब ने आ घेरा जिसका मज़ाक़ उड़ाते थे। (10) आप कह दीजिए कि ज़रा ज़मीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि झुठलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ।" (11)

मुश्रिकों की ज़हनीयत और साफ़ दलाइल का बयान (आयत 7-11) : मुश्रिकीन के इनाद (दुश्मनी)

और मुकाबिरा व मुनाज़िआ की ख़बर देते हुए अल्लाह पाक फ़र्माते हैं कि अगर हम तुम पर कोई ऐसी भी किताब नाज़िल करते जो काग़ज़ों में लिखी हुई होती जिसको वह अपने हाथ से भी छू सकते, उसको आसमान से उतरती देख सकते, तो फिर भी यह काफ़िर यही कहते कि यह तो खुला जादू है। जैसे कि महसूसात के अंदर भी इनकी फ़साद तबीयत का इक़्तिज़ा यह है कि अगर हम इन पर आसमान का एक दरवाज़ा खोल दें जिसमें ऊपर चढ़ने भी लगें तो यही कहेंगे कि हमारी आँखें मुंद गई हैं और इन पर नज़रबन्दी हो गई है। (15/हिज्र : 14, 15) या जैसाकि फ़र्माया अगर आसमान के टुकड़े भी गिरते हुए देखें तो कहें कि, बादल के टुकड़े हैं। (52/तूर : 44) और फिर इनका कहना यह भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कोई फ़रिश्ता लगा लिपटा क्यूँ नहीं रहता है तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अगर ऐसा हो तो फिर तो बात ख़त्म है, वह फ़रिश्ते को देखने के बाद भी वही जादू की रट लगाएँगे तो इन्हें उस वक़्त इस तरह राहे रास्त पर आने के लिए मुहलत दी ही नहीं जाएगी। फ़ौरन अज़ाबे इलाही आ पहुँचेगा। और फ़र्माया कि जिस दिन वह फ़रिश्ते को देख लेंगे तो फिर मुज्रिमीन के लिए कोई अच्छी ख़बर है ही नहीं। फिर ऊपर की नसीहत भरी आयत में इर्शाद है कि अगर हम इंसान रसूल के साथ किसी फ़रिश्ते को भी नाज़िल करते तो वह भी इंसान ही की शक्ल व सूरत में इनके सामने आता, ताकि वह लोग उससे बातचीत कर सकें या उससे कोई इंतेफ़ाअ (नफ़ा) पा सकें। और जब यूँ होता तो बात उन पर मुश्तबा (डाउटफुल) हो जाती कि जैसे रसूले बशरी (स.) के बारे में शक कर रहे हैं, फ़रिश्ते बशरी के बारे में यही शक इन्हें दामनगीर होता क्योंकि वह भी आख़िर बशर ही की शक्लो सूरत रखता। जैसाकि एक जगह फ़र्माया है कि आसमान से तो हम फ़रिश्ता उस वक़्त उतारते हैं जबकि ज़मीन पर फ़रिश्ते चलते फिरते होते। (17/इस्रा : 95) और जब ऐसा नहीं तो आसमान से भी क्यूँ उतारा जाएगा। यह तो अल्लाह तआला की रहमत है कि जब मख़्लूक़ की तरफ़ वह कोई रसूल भेजा है तो उन्हीं में से भेजता है ताकि एक दूसरे से बातचीत कर सकें और उस रसूल से इंतेफ़ाअ (नफ़ा) उन लोगों के लिए मुम्किन हो सके। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि मोमिनीन पर अल्लाह तआला का एहसान है कि उनका रसूल उन्हीं में से एक आदमी है जो उन पर अल्लाह तआला की आयतें पेश करता है और उनको पाक बनाता है। (3/आले इमरान : 164) वरना वह फ़रिश्ता की तरफ़ तो उसके नूर की वजह से नज़र भी नहीं डाल सकते। और बात फिर भी उन पर मुश्तबा हो जाती और ऐ नबी (ﷺ)! तुमसे पहले के नबियों के साथ भी तो इसी क़िस्म का मज़ाक़ किया गया था। चुनाँचे उस मज़ाक़ व इस्तिहज़ा (मज़ाक़) के सबब यह क़ौमें हलाक हो गईं। इस आयत के ज़रिये नबी अकरम (ﷺ) को ढारस दी गई है कि अगर किसी ने तुम्हें झुठलाया है तो परवाह न करो। फिर मोमिनीन को अपनी मदद और आक़िबते हुस्ना का वादा दिया गया और आख़िर में यह भी फ़र्माया गया कि दुनिया में चल फिर कर देख तो लो कि क़ुरूने माज़िया (गुज़रे हुए ज़माने) में जिन लोगों ने पैग़म्बरों को झुठलाया, उनकी बस्तियों के कैसे खण्डर पड़े हैं और दुनियावी उक़ूबत का उन्हें कैसा अज़ाब दिया गया और फिर आख़िरत में अलग अज़ाब दिया जाएगा। और फिर रसूलों और मोमिनों को हमने कैसे बचा लिया था।

***

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ لَيَجْمَعَنَّكُمْ
اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَهٗ مَا
سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ
اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾

तर्जुमा : ''आप कह दीजिए कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में मौजूद है यह सब किसकी मिल्कियत है, आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही की मिल्कियत है, अल्लाह तआला ने मेहरबानी फ़र्माना अपने ऊपर लाज़िम कर लिया है तुमको अल्लाह तआला क़यामत के दिन जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने को ज़ाया कर लिया है सो वह ईमान न लायेंगे। (12) और अल्लाह तआला ही की मिल्कियत है सब जो कुछ रात में और दिन में रहती हैं और वही है बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला। (13) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला के सिवा जो कि आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और जो कि खाने को देता है और उसको कोई खाने को नहीं देता और किसी को मअबूद क़रार दूँ, आप कह दीजिए कि मुझको हुक्म हुआ है कि सबसे पहले मैं इस्लाम क़बूल करूँऔर तुम मुश्रिकीन में से हर्गिज़ न होना। (14) आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन के अ़ज़ाब से डरता हूँ। (15) जिस शख़्स से उस दिन वह अ़ज़ाब हटा दिया जाएगा तो उस पर अल्लाह तआला ने बड़ा रहम किया और यह सरीह कामयाबी है।'' (16)

आसमान व ज़मीन के मालिक की ही बंदगी करें (आयत 12-16) : ख़बर दी जा रही है कि अल्लाह तआला पाक **मालिकुस्समावाति वल अर्ज़ि** है और उसने अपने नफ़्स पर रहमत वाजिब क़रार दे दी है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अल्लाह तआला ने जब मख़्लूक़ को पैदा किया तो लोहे महफ़ूज़ में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहेगी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सह) : 7404; सहीह मुस्लिम : 2751; तिर्मिज़ी : 3543; इब्ने माजा : 4295;

इब्ने हिब्बान : 6143; अहमद : 2/313) इर्शाद है कि यक़ीनन वह क़यामत के दिन तुम सबको जमा करेगा। यहाँ लाम बतौर क़सम के है गोया उसने क़सम खा रखी है कि यौमे मुक़र्ररा के वक़्त वो अपने सारे बन्दों को जमा करेगा। मोमिनीन को तो उसमें शक नहीं लेकिन काफ़िर शक में पड़े हुए हैं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सवाल किया गया कि क्या वहाँ चश्मे भी हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला की क़सम! वहाँ चश्मे हैं। अल्लाह तआला के नेक बन्दे अम्बिया (عليهم السلام) अपने अपने हौज़ों पर वारिद होंगे। अल्लाह पाक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते भेजेगा जिनके हाथों में आग के डण्डे होंगे और अम्बिया के हौज़ों पर वारिद होने वाले कुफ़्फ़ार को वहाँ से हटा देंगे। (इब्ने मर्दवे, व सनदुहू ज़ईफ़; ज़ुबैर बिन शबीब और मिहसन बिन उक़्बा दोनों नामालूम हैं।) यह हदीस ग़रीब है। और तिर्मिज़ी में है आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हर नबी का एक हौज़ होगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे हौज़ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होगी।" (तिर्मिज़ी, किताब सिफ़तुल क़यामा, बाब मा जाअ फ़ी सिफ़तिल हौज़ : 2443; व सनदुहू ज़ईफ़; अल्मुअजमुल कबीर : 6881; इसकी सनद में सईद बिन बशीर ज़ईफ़ रावी है।) अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह लोग जो आख़िरत के लिहाज़ से घाटे में हैं, वही हैं जो ईमान नहीं ला रहे हैं और उस आख़िरत के दिन से डरते नहीं। फिर फ़र्माता है कि जो मख़्लूक़ भी दिन में बस्ती है या रात में वह सब उसके तहत तसर्रुफ़ (हरकत में) है और ज़ेरे इंतिज़ाम है, वह बन्दों की बातों को सुनता है और उनकी हरकात को और दिलों के भेदों को जानता है। फिर अपने रसूल (ﷺ) से जिसको तौहीदे अज़ीम और शरऐ क़वीम इनायत की। फ़र्माता है कि लोगों को सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़ बुलाओ और कह दो कि आसमानों और ज़मीन में क्या अल्लाह तआला के सिवा मैं किसी दूसरे को दोस्त बनाऊँ। जैसाकि फ़र्माया, कह दो, ऐ जाहिलों! क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि अल्लाह तआला के सिवा किसी और को पूजूँ। (39/ज़ुमर : 64) मतलब यह है कि वह फ़ातिरिस्समावाति वल अर्ज़ि है। बग़ैर नमूने के उसने ज़मीनों व आसमानो को वजूद बख़्शा। उसको छोड़कर किसी और को कैसे पूजूँ, वह सबको खिलाता है उसको नहीं खिलाया जाता। हालाँकि वह बन्दों का हाजतमंद नहीं कि ग़र्ज़ मुतअल्लिक़ हो जैसाकि फ़र्माया कि जिन्न व इंस को मैंने सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। (51/ज़ारियात : 56) कुछ ने (ला यत्अमु) पढ़ा है यानी वह ख़ुद कुछ नहीं खाता। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि अहले क़ुबा के एक अंसारी ने नबी अकरम (ﷺ) को दावत दी। हम सब भी गए। आप (ﷺ) जब खाने से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि, "अल्लाह तआला का शुक्र जो खिलाता है और ख़ुद कुछ नहीं खाता। हम पर एहसान फ़र्माता है, हमें खाना खिलाया, पानी पिलाया, हमारे बरहना (नंगे) जिस्म पर लिबास पहनाया।" हम अल्लाह तआला को नहीं छोड़ सकते। उसकी नेअमतों का इंकार नहीं कर सकते, न उससे बेनियाज़ हो सकते हैं। उसने गुमराही से बचाया। दिल के अंधेपन से दूर रखा। सारी मख़्लूक़ात पर हमें फ़ज़ीलत इनायत की। (हाकिम : 1/546; नसाई फ़िल कुब्रा : 1033; अल्अन्वारु लिल बग़वी : 1038; वहुव हदीसुन हसन; इब्ने हिब्बान : 5219; वहुव हसन) कह दो ऐ नबी (ﷺ)! मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहला मुसलमान बनूँ और शिर्क न करूँ। अगर मैं अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी करूँ तो मुझे बड़े दिन के अज़ाब का डर है। क़यामत के दिन जिस पर से अज़ाब हट गया उस पर बड़ी मेहरबानी हुई और यह बहुत बड़ी कामयाबी रही, जैसाकि फ़र्माया कि जो दोज़ख़ से दूर रखा गया और जन्नत में भेजा गया वह बड़ा ही कामयाब शख़्स है। (3/आले इमरान : 185)

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ
شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾ قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ
شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِیْ وَبَيْنَكُمْ ۚ وَاُوْحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ
وَمَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰی ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ
اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا
يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ
افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾

तर्जुमा : "और अगर तुझको अल्लाह तआ़ला कोई तकलीफ़ पहुँचा दे तो उसका दूर करने वाला सिवा अल्लाह तआ़ला के कोई नहीं, और अगर तुझको कोई नफ़ा पहुँचा दे तो वो हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत रखने वाला है। (17) और वही अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब है, बरतर है और वही बड़ी ह़िक्मत वाला और पूरी ख़बर रखने वाला है। (18) आप कह दीजिए कि सबसे बढ़कर गवाही देने के लिए कौन है, आप कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह तआ़ला गवाह है और मेरे पास यह क़ुरआन बतौर वह़ी के भेजा गया है ताकि मैं इस क़ुरआन के ज़रिये से तुमको और जिस जिसको यह क़ुरआन पहुँचे उन सबको डराऊँ। क्या तुम सचमुच यही गवाही दोगे कि अल्लाह तआ़ला के साथ कुछ और माबूद भी हैं। आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप कह दीजिए कि बस वह तो एक ही मअ़बूद है और बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हूँ। (19) जिन लोगों को हमने किताब दी है वह लोग रसूल को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने को बर्बाद कर लिया है सो वह ईमान न लायेंगे। (20) और उससे ज़्यादा कौन बेइंसाफ़ होगा जो अल्लाह तआ़ला पर झूठ बोहतान बाँधे या अल्लाह तआ़ला की आयात को झूठा बतलाए, ऐसे बेइंसाफ़ों को कामयाबी न होगी।"(21)

नफ़ा व नुक़सान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही है (आयत 17-21) : अल्लाह तआ़ला ख़बर दे रहा है कि वह मालिके नुक़सान व नफ़ा है वह अपनी मख़्लूक़ में जैसा चाहे तसर्रुफ़ करे। उसकी ह़िक्मत को न

कोई पीछे डालने वाला है न उसकी क़ज़ा को कोई रोकने वाला है। अगर वह मज़र्रत (नुक़्सान) को रोक दे तो कोई जारी करने वाला नहीं और ख़ैर को जारी कर दे तो कोई रोकने वाला नहीं। जैसाकि फ़र्माया (مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ) (35/फ़ातिर : 2) यानी अल्लाह तआला जिसे जो रहमत देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिससे वह रोक ले उसे कोई दे नहीं सकता।'' नबी (ﷺ) फ़र्माया करते थे **(अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअता वला यन्फ़उ ज़ल जद्दि मिन्कल जद्दु)** (सहीह बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब अज़्ज़िक्रु बअदस्सलात : 844; सहीह मुस्लिम : 593; अबूदाऊद : 1505; अहमद : 4/250; इब्ने हिब्बान : 2005; बैहक़ी : 2/185) इसीलिए अल्लाह तआला ने फ़र्माया है **(वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही)** यानी अल्लाह तआला वह है जिसके लिए लोगों के सर झुक गए हैं। हर चीज़ पर वह ग़ालिब है, उसकी अज़्मत व किब्रियाई और बुलन्दी के सामने सब पस्त हैं, उसका हर काम हिक्मत पर मुश्तमिल है, वह तमाम चीज़ों से बाख़बर है, अगर वह कुछ देता है तो मुस्तहिक़ ही को देता है, और रोक देता है तो ग़ैर मुस्तहिक़ से रोक देता है। फिर फ़र्माता है कि सबसे बड़ी शहादत किसकी शहादत है, फिर फ़र्माता है कि कह दो कि अल्लाह तआला तुम्हारे और इनके बीच गवाह की हैसियत में है और यह क़ुरआन मेरी तरफ़ नाज़िल किया गया है ताकि मैं तुम्हें डराऊँ और उसे भी जिस तक यह क़ुरआन पहुँचे, जैसाकि फ़र्माया (وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ) (11/हूद : 17) यानी उन लोगों में से जो कुफ़्र इख़्तियार करेगा तो दोज़ख़ उसकी वादे की जगह है और जिस तक क़ुरआन पहुँच जाए तो गोया उसने नबी अकरम (ﷺ) से मुलाक़ात कर ली। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''जिस तक मेरा क़ुरआन पहुँचा गोया मैंने ख़ुद उसे तब्लीग़ कर दी।'' हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अल्लाह तआला की आयतें दूसरों तक पहुँचाओ जिसको किताबुल्लाह की कोई आयत पहुँच गई तो अल्लाह तआला का हुक्म उसको पहुँच गया।'' (तफ़्सीर अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 1/198; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) रबीअ बिन अनस (रह.) ने कहा है कि ताबेअ रसूल पर लाज़िम है कि उस तरह इस्लाम की दावत दे जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) देते थे और उस तरह डराए जैसे हुज़ूर (ﷺ) डराया करते थे। क़ौलुहू तआला **(अइन्नकुम लतशहदूना अन्न मअल्लाहि आलिहतन उख़्रा कुल्ला अशहदु)** यानी ऐ मुश्रिकों! क्या वाक़ेई तुम गवाही देते हो कि अल्लाह तआला के साथ और दूसरे अल्लाह भी हैं। कह दो कि ऐसी गवाही तो मैं नहीं दे सकता। जैसाकि फ़र्माया **(फ़इन शहिदू फ़ला तशहद मअहुम)** अगर वह गवाही दें भी तो ऐ नबी (ﷺ)! तुम ऐसी गवाही न देना **(क़ुल इन्नमा हुवा इलाहुंव्वाहिदुव्वं इन्ननी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून)** फिर अहले किताब के बारे में फ़र्माता है कि यह क़ुरआन और नबी अकरम (ﷺ) को ऐसे बेहतर तौर पर जानते हैं जैसाकि वह अपनी औलाद को जानते हैं क्योंकि इनकी किताबों में मुहम्मद (ﷺ) की हर सिफ़त से उनके वतन, उनकी हिज्रत, उनकी उम्मत के औसाफ़, ग़र्ज़ यह कि अपनी किताबों में इन सारी बातों का दाख़िला पाते हैं। इसीलिए फ़र्माया कि **(अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फ़ुसहुम फ़हुम ला युअमिनून)** यानी जिन लोगों ने अपनी ज़ातों को नुक़्सान पहुँचाया वही हैं कि ईमान नहीं लाते, हालाँकि बात बिलकुल वाज़ेह है। अम्बिया (عليهم السلام) ने आप (ﷺ) की बशारतें दी हैं और पुराने ज़माने से आप (ﷺ) की पैग़म्बरी और आप (ﷺ) के वुजूद की पेशीनगोई करते चले आए हैं **(वमन अज़्लमु मिम्मनिफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन अव कज़्ज़ब बि आयातिही)** यानी उस शख़्स से बढ़कर कोई ज़ालिम नहीं जो अल्लाह तआला पर झूठ तोहमत बाँधे कि

अल्लाह तआला ने उसे पैग़म्बर बनाकर भेजा है और फिर उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह तआला की आयतों और दलाइल व बराहीन को झुठला दे। **(इन्नहू ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून)** यह मुफ़्तरी और मुकज़्ज़िब कभी फ़लाह नहीं पाएँगे।

***

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ
تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ
﴿٢٣﴾ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُم مَّن
يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن
يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ
هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

तर्जुमा : "और वो वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है जिस दिन हम उन तमाम ख़लाइक़ को जमा करेंगे फिर हम मुश्रिकीन से कहेंगे कि तुम्हारे वो शुरका जिनके मअबूद होने का तुम दावा करते थे, कहाँ गए। (22) फिर उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी न होगा कि वह यूँ कहेंगे कि क़सम अल्लाह तआला की! अपने परवरदिगार के हम मुश्रिक न थे। (23) ज़रा देखो तो किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर और जिन चीज़ों को वो झूठ-मूठ तराशा करते थे वह सब ग़ायब हो गए। (24) और उनमें कुछ ऐसे हैं कि आपकी तरफ़ कान लगाते हैं और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल रखा है, उससे कि वो इसको समझें, और इनके कानों में डाट दे रखी है और अगर वह लोग तमाम दलाइल को देख लें, उन पर कभी ईमान न लायें, यहाँ तक कि जब यह लोग आपके पास आते हैं तो आपसे ख़्वाह मख़्वाह झगड़ते हैं, यह लोग जो काफ़िर हैं, यूँ कहते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं, सिर्फ़ बे सनद बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। (25) और यह लोग इससे औरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी इससे दूर-दूर रहते हैं और यह लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ ख़बर नहीं रखते।"(26)

क़यामत के दिन मुश्रिकीन और उनके शुरका का अंजाम (आयत 22-26) : हम जब क़यामत के दिन उन सबको जमा करेंगे तो उन अस्नाम (मूर्तियों) व औसान के बारे में उनसे पूछेंगे जिन्हें यह अल्लाह तआला को छोड़कर पूजते रहते थे कि तुम्हारे वह बुत कहाँ गए जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते थे। क़ौलुहू तआला **(लम तकुन फ़ित्नतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन)** यानी उनकी मअज़िरत और एहतिजाज यही होगा कि अल्लाह की क़सम! हम तो मुश्रिक न थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि उनके पास एक आदमी आया और कहा, ऐ इब्ने अब्बास (रज़ि.)! आपने सुना कि अल्लाह तआला फ़र्माता है **(वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन)** लेकिन यह कैसे होगा? तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब यह मुश्रिकीन देखेंगे कि अहले सलात के सिवा कोई जन्नत में दाख़िल नहीं हो रहा है तो आपस में कहेंगे कि आओ हम शिर्क का इंकार कर दें। चुनाँचे वह अपने मुश्रिक होने का इंकार करेंगे तो अल्लाह तआला उनकी जुबानों पर मुहर (सील) लगा देगा तो फिर उनके हाथ पैर अज़्ख़ुद गवाही देने लगेंगे और कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। ऐ शख़्स! अब तो कोई शक तुम्हारे दिल में बाक़ी नहीं रहा। क़ुरआन में कोई ऐसी बात बाक़ी नहीं रह गई है जो वज़ाहत तलब हो। लेकिन तुम नहीं समझ सकते और तावील और तौजीह नहीं कर सकते।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि यह आयत मुनाफ़िक़ीन के बारे में उतरी। लेकिन यहाँ पर यह शुब्हा वारिद होता है कि यह आयत तो मक्का में उतरी है और मक्का में मुनाफ़िक़ीन कहाँ थे। यह तो इस्लाम के मक़्बूले आम होने के बाद मदीना में मुनाफ़िक़ीन का गिरोह पैदा हुआ। मुनाफ़िक़ीन के बारे में जो आयत उतरी है वह आयते मुजादिला है यानी (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ) (58/मुजादिला : 18) यानी जिस दिन अल्लाह तआला उनको क़यामत में जमा करेगा तो वह अल्लाह तआला की क़सम खा खाकर बयान करेंगे और इसी तरह उन लोगों के बारे में फ़र्माया है **(उंज़ुर कैफ़ कज़बू अला अंफ़ुसिहिम व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून)** यानी देखो तो उन्हों ने जान बूझकर कैसी झूठ बात कही और जिन बुतों को वह पूजते थे वह कैसे इनसे मुंहरिफ़ (अलग) हो गए। उसके बाद इर्शाद होता है कि उनमें से कुछ तुम्हारी तरफ़ कान लगाकर सुनते हैं, हालाँकि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं ताकि वह समझ न सकें और उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है और ख़्वाह वह अल्लह तआला की कैसी ही निशानी पाएँ, ईमान नहीं लाते हैं वह वही सुनने के लिए आते हैं लेकिन यह सुनना उनको कोई फ़ायदा नहीं देता, जैसाकि अल्लाह तआला ने एक और मक़ाम पर फ़र्माया कि, "इनकी मिसाल उन चौपायों जैसी है जो अपने ऊपर चरवाहे की आवाज़ को सुनते हैं लेकिन मतलब ख़ाक नहीं समझते।" (2/बक़रह : 117) फिर नीचे की आयत में फ़र्माता है कि आयात व दलाइल व बय्यिनात वो देखते हैं लेकिन उन्हें न अक़्ल है, न इंसाफ़ से काम लेते हैं, फिर क्या ईमान लाएँगे। अगर उनमें कुछ भी भलाई की सलाहियत होती तो अल्लाह तआला इन्हें सुनने की तौफ़ीक़ देता और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो हुज्जतें करने लगते हैं और बातिल बातें पेश करके हक़ के अंदर बहसो मुबाहिसा करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ तुम वही के नाम से पेश कर रहे हो, यह तो पहले लोगों की किताबों से नक़ल की गई है। वह नबी करीम (ﷺ) से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी इनसे दूर रहते हैं। (यन्हौन) की तफ़सीर में दो

क़ौल हैं, एक तो यह कि इत्तिबाए हक़ और तस्दीक़े रसूल और इंक़ियादे क़ुरआन से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी इनसे दूर रहते हैं। गोया दो फ़ेअ़ले क़बीह़ (बुरे काम) करते हैं, न ख़ुद फ़ायदा उठाते हैं, न दूसरों को फ़ायदा उठाने देते हैं। और दूसरा क़ौल यह है कि (यन्हौन अ़न्हू) से मुराद यह है कि लोग नबी अकरम (ﷺ) को तक्लीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते थे, तो अबू तालिब उन्हें रोकते थे। उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी।

सईद बिन अबी बिलाल (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) के दस चचा थे। बज़ाहिर आपके बड़े हमदर्द लेकिन बातिन में आप (ﷺ) के बरख़िलाफ़। यह सब क़त्ले नबी अकरम (ﷺ) से लोगों को रोकते थे लेकिन अफ़सोस कि ईमान की बरकत ह़ासिल करने से ख़ुद महरूम रह जाते थे। इर्शाद होता है कि वह ग़ैर शऊरी तौर पर अपने ही नुफ़ूस को हलाक कर रहे हैं। वह इस बात को समझते ही नहीं कि अपनी ही ज़ात को नुक़्सान व मज़र्रत पहुँचा रहे हैं।

***

وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا

نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوْۤا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۗ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوْا بَلٰى

وَرَبِّنَا ۗ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٠﴾

तर्जुमा : ''और अगर आप उस वक़्त देखें जबकि दोज़ख़ के पास खड़े किए जाएँगे तो कहेंगे, हाय! क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापिस भेज दिए जाएँ और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयात को झुठा न बतलाएँ और हम ईमान वालों में से हो जाएँ। (27) बल्कि जिस चीज़ को उसके पहले दबाया करते थे वह उनके सामने आ गई है और अगर यह लोग फिर वापिस भेज दिए जाएँ तब भी यह वही काम करें जिससे इनको मना किया गया था और यक़ीनन यह बिलकुल झूठे हैं। (28) और यह कहते हैं कि जीना और कहीं नहीं सिर्फ़ यही फ़िलहाल का जीना है और हम ज़िन्दा न किए जाएँगे। (29) और अगर आप उस वक़्त देखें जब यह अपने रब के सामने खड़े किए जाएँगे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि क्या यह अम्र वाक़ेई नहीं है। वह कहेंगे बेशक क़सम अपने रब की! अल्लाह तआला फ़र्माएगा तो अब अपने कुफ़्र के बदले अ़ज़ाब चखो।'' (30)

क़यामत के दिन कुफ़्फ़ार क्या कहेंगे (आयत 27-30) : अल्लाह तआला कुफ़्फ़ार का हाल बयान फ़र्माता है कि जब वह क़यामत के दिन आग के सामने खड़े किए जाएँगे और उसके तौक़ और ज़ंजीर को देखेंगे तो कहने लगेंगे कि काश! हम फिर दुनिया में वापिस भेज दिए जाएँ, अब की बार हम सालेह और नेक अमल करेंगे और रब की आयात को न झुठलायेंगे, ईमान लाएँगे। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि नहीं! बल्कि यह बात है कि कुफ़्र व तक्ज़ीब व मुआनिदत (दुश्मनी) की जो बातें इन्होंने अपने नुफ़ूस (दिलों) में छुपा रखी थीं, वह अब ज़ाहिर हो गई हैं, अगरचे दुनिया या आख़िरत में उसका इन्होंने इंकार किया हो, जैसा कि अभी अभी अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि इनकी हुज्जत फ़क़त यह है कि हम मुश्रिक नहीं थे। देखो कि इन्होंने कैसी झूठी बातें बनाईं और यह भी मुहतमिल है कि इन पर अब यह ज़ाहिर हो गया है कि दुनिया में रसूल की सदाक़त जानने के बावजूद वह जो ईमान नहीं लाते थे इस वक़्त यही मअरिज़े बहस में है यानी जानकर भी ईमान न लाना। यह चीज़ यहाँ आकर ज़ाहिर हो गई है। दुनिया में यह राज़ फ़ाश न हो सका था। जैसाकि मूसा (عليه السلام) ने फ़िरऔन से कहा था कि ''ऐ फ़िरऔन! तू अच्छी तरह जानता है कि इसको अल्लाह तआला ही ने नाज़िल किया है।'' और अल्लाह पाक ने भी फ़िरऔन और क़ौमे फ़िरऔन के बारे में फ़र्माया कि उन्होंने इंकार करने को कर दिया लेकिन उनके दिल यक़ीन रखते हैं कि यह हमारी तरफ़ से ज़ुल्मो-ज़्यादती है। और यह भी मुहतमिल है कि इससे मुराद वह मुनाफ़िक़ीन हों जो लोगों के सामने तो ईमान लाए होते लेकिन बातिन में काफ़िर होते। यह कुफ़्फ़ार के उस कलाम की ख़बर दी जा रही है जो वह क़यामत के दिन करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं कि यह सूरत मक्की है और निफ़ाक़ तो मदीने वाले मुनाफ़िक़ीन में था या उसके अतराफ़ के आराब में, फिर मक्की सूरत में मुनाफ़िक़ीन कैसे मज़्कूर हो सकते हैं।

क्योंकि अल्लाह तआला ने सूरह मक्किया में भी वक़ूए निफ़ाक़ का ज़िक्र फ़र्माया है और वह सूरह अन्कबूत है, फ़र्माता है (وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ) (29/अन्कबूत : 11) यानी अल्लाह तआला ईमान वालों को भी जानता है और मुनाफ़िक़ीन को भी। इसी बिना पर कहा गया कि मुनाफ़िक़ीन जब दारुल आख़िरत में मुआयना अज़ाब को देख लेंगे तो कुफ़्र व निफ़ाक़ को छुपाने के बाद उन पर यह बात ज़ाहिर हो जाएगी कि हमारा ईमान ज़ाहिरी ईमान था। चुनाँचे यह जो फ़र्माया कि, वह छुपाते थे। अब ज़ाहिर हो गया सो इसका मतलब यह है कि वह दुनिया की तरफ़ वापसी जो चाहते हैं वह ईमान के साथ रग़्बत व मुहब्बत की बिना पर नहीं बल्कि जो अज़ाब क़यामत के दिन उन्हों ने देख लिया है, उससे डर गए हैं कि अब अपने कुफ़्र की सज़ा मिलेगी। इसलिए जहन्नम से वक़्ती तौर पर बचने के लिए दुनिया की तरफ़ लौटना चाहते हैं। और अगर वह दुनिया में फिर भेजे भी जाएँ तो ज़रूर फिर कुफ़्र ही करने लगेंगे और इनका यह कहना कि अब के हम झुठलाएँगे नहीं और ईमान वाले बने रहेंगे, सब ग़लत है। वह तो कहते हैं कि जो कुछ है वह सिर्फ़ यही ज़िन्दगी है। कौन दोबारा उठाया जाता है। काश! तुम देख सकते कि वह अपने रब के सामने कैसे मायूस होकर खड़े हुए हैं। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि क्यूँ? यह क़यामत का दिन हक़ है कि नहीं? वो कहेंगे कि हाँ! ऐ अल्लाह! तेरी क़सम सच है। हुक्म होगा कि फिर तो अपने कुफ़्र का मज़ा चखो। क्या यह जादू है या यह कि तुम्हीं को दीद-ए-बसीरत नहीं था।

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ؕ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا
يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ۙ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ ؕ اَلَا سَآءَ مَا
يَزِرُوْنَ ﴿۳۱﴾ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۳۲﴾

तर्जुमा : "बेशक ख़सारा में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह तआला से मिलने को झुठलाया, यहाँ तक कि जब वह मुक़र्ररा वक़्त उन पर अचानक आ पहुँचेगा, कहने लगेंगे कि हाय! अफ़सोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई और हालत उनकी यह होगी कि वह अपने बोझ अपनी कमर पर लादे होंगे, ख़ूब सून लो कि बरी होगी वह चीज़ें जिसको लादेंगे। (31) और दुनियावी ज़िन्दगानी तो कुछ भी नहीं सिवाय लह्व व लइब के और पिछला घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है। क्या तुम सोचते समझते नहीं।" (32)

मुंकिरीने क़यामत (क़यामत का इंकार करने वालों) का अंजाम (आयत 31, 32) : अल्लाह तआला की मुलाक़ात से झुठलाने वालों और उनकी नामुरादी व मायूसी का ज़िक्र हो रहा है कि जब अचानक क़यामत आ पहुँचेगी तो अपने बुरे कामों पर उन्हें कैसी नदामत (शर्मिन्दगी) होगी और कहेंगे कि हाय! अफ़सोस! हमने ख़िलाफ़े हक़ जो ज़्यादतियाँ की थीं (फ़ीहा) की ज़मीर मुहतमिल (मुम्किन) है कि हयाते दुनियावी और अपने आमाल की तरफ़ रुजूअ हो। और अपनी पीठों पर अपने गुनाहों के बोझ उठाये हुए होंगे। हैफ़ कि वह कैसा बुरा वज़न उठाए हुए होंगे। क़तादा (रह.) (यज़िरून) को (यअमलून) पढ़ते थे। अबू ज़ौक़ से रिवायत है कि जब काफ़िर या फ़ाजिर क़ब्र से उठेंगे तो एक निहायत बदशक्ल मुजस्समा उनका इस्तिक़्बाल करेगा। उसके पास सख़्त बदबू आती होगी। वह काफ़िर शख़्स पूछेगा, तू कौन है? वह शक्ल कहेगी कि तू मुझे नहीं पहचानता, मैं तेरे आमाले ख़बीसा (बुरे आमाल) का मुजस्समा हूँ, जो तू दुनिया में किया करता था। दुनिया में बहुत दिनों तक तू मुझ पर सवार था अब मैं तुझ पर सवार होऊँगा। चुनाँचे इर्शाद होता है कि (हुम यह्मिलून अव ज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम) सुद्दी (रह.) से रिवायत है कि जब कोई गुनाहगार क़ब्र में दाख़िल होता है तो उसके पास एक निहायत बदशक्ल सूरत सामने आती है। काला रंग, बदबूदार, मेले-कुचेले कपड़े। उसके साथ क़ब्र में सकूनत पज़ीर हो जाता है। वह उसको देखकर कहता है कि क्या ही बुरा है तेरा चेहरा तो वह कहेगा कि तेरे बुरे आमाल का मैं अक्स हूँ, ऐसे ही थे तेरे आमाल और ऐसे ही बदबूदार थे तेरे तमाम काम। वह कहेगा, तू है कौन? तो कहेगा मैं तेरा अमल हूँ। फिर वह क़यामत तक उसके साथ क़ब्र में रहेगा। क़यामत में वह उससे कहेगा कि लज़्ज़ात व शहवात की शक्ल में तुझको मैं दुनिया में उठाए हुए था, आज के दिन तू मुझे

उठाएगा। चुनाँचे उसके आमाल का मुजस्समा उसकी पीठ पर सवार होकर उसको दोज़ख़ की तरफ़ ले जाएगा। (तब्री : 11/328) यही इस आयत की वज़ाहत है। इर्शाद है कि अक्सर दुनिया की ज़िन्दगी लह्व व लइब है और मुत्तक़ियों के लिए तो सिर्फ़ दारुल आख़िरत ही है।

***

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا
وَاُوْذُوْا حَتّٰۤى اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى
الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى
الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى
فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٣٥﴾ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ؕ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ
اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٣٦﴾

तर्जुमा : "हम ख़ूब जानते हैं कि आपको उनकी बातें उदास करती हैं सो यह लोग आपको झूठा नहीं कहते लेकिन यह ज़ालिम तो अल्लाह तआला की आयतों का इंकार करते हैं। (33) और बहुत से पैग़म्बर जो आपसे पहले हुए हैं, उनकी भी तक्ज़ीब की जा चुकी है, सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया कि उनकी तक्ज़ीब की गई और उनको तक्लीफ़ें दी गईं यहाँ तक कि हमारी इम्दाद उनको पहुँची और अल्लाह तआला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं और आपके पास कुछ पैग़म्बरों के कुछ क़िस्से पहुँच चुके हैं। (34) और अगर आपको ऐराज़ गिराँ गुज़रता है तो अगर आपको यह क़ुदरत है कि ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूँढ़ लो फिर कोई मोजिज़ा ले आओ तो करो और अगर अल्लाह तआला को मंज़ूर होता तो इन सबको राह पर जमा कर देता, सो आप नादानों में से न हो जाइए।(35) वही लोग क़बूल करते हैं जो सुनते हैं और मुर्दों को अल्लाह तआला ज़िन्दा करके उठाएगा। फिर सब अल्लाह तआला ही की तरफ़ लौटाए जाएँगे।"(36)

नबी करीम (ﷺ) की कोशिश, कि कोई जहन्नम में न जाए (आयत 33-36) : क़ौम के झुठलाने और मुख़ालिफ़त करने पर अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) को तस्कीन देता है कि हमको इनकी तक्ज़ीब और तुम्हारे ग़म व अफ़सोस का इल्म है जैसाकि एक जगह फ़र्माया कि "हमें इनकी हरकत ख़ूब मालूम है तुम मलाल न करो।" और फ़र्माया कि क्या अगर यह ईमान न लाये तो आप इनके पीछे अपनी जान हलाक कर डालेंगे, कहाँ तक इन पर हसरत व अफ़सोस करेंगे?

कुफ़्फ़ारे मक्का की दिली गवाही : फिर इर्शाद होता है कि दरहक़ीक़त तुमको किज़्ब से मुत्तहम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हक़ से इनाद (दुश्मनी) की वजह से आयाते अल्लाह का इंकार करते हैं। इसी से मुतअल्लिक़ हज़रत अली (रज़ि.) से मरवी है कि अबू जहल ने नबी अकरम (ﷺ) से कहा कि हम तुम्हें तो नहीं झुठलाते बल्कि तुम जो दीन पेश करते हो उसको झुठलाते हैं। चुनाँचे अल्लाह तआला ने इस आयत को उतारा। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्आम : 3064; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू इस्हाक़ रावी मुदल्लस है और तस्रीह बिस्सिमाअ साबित नहीं। हाकिम : 2/315)

अबू यज़ीद मदनी से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) और अबू जहल की मुलाक़ात हुई। अबू जहल ने मुसाफ़ा किया तो उसके साथी ने कहा कि क्या तुम इस शख़्स से मुसाफ़ा करते हो? तो अबू जहल ने कहा कि अल्लाह तआला की क़सम! मैं जानता हूँ कि यक़ीनन यह नबी है लेकिन क्या कभी अब तक हम अब्दे मुनाफ़ से दबकर रहे? (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।)

क़िस्सा अबू जहल के बारे में कहा गया है कि वह रात में छुपकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की क़िरात सुनने के लिए आया। इसी तरह अबू सुफ़ियान बिन सख़र और अख़नस बिन शुरैक़ भी। एक को दूसरे की ख़बर न थी, सुबह तक तीनों छुपकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से क़ुरआन सुनते रहे। दिन का उजाला होने लगा तो वापसी में एक संगम पर तीनों की मुलाक़ात हो गई। हर एक ने दूसरे से कहा कि तुम कैसे आए थे। अब सबने आपस में मुआहिदा किया कि हमको क़ुरआन सुनने के लिए नहीं आना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हमें देखकर क़ुरैश के नौजवान भी आने लगें और आज़माइश में पड़ जाएँ। जब दूसरी रात आई तो हर एक ने यही गुमान किया कि वह दोनों तो नहीं आए होंगे, चलो! क़ुरआन सुन लें। ग़र्ज़ यह कि सुबह के क़रीब फिर तीनों का संगम हुआ और ख़िलाफ़े मुआहिदा करने पर हर एक दूसरे को मलामत करने लगा और दोबारा मुआहिदा किया कि अब के न जाएँगे और जब तीसरी रात आई तो फिर तीनों नबी अकरम (ﷺ) की मज्लिस में गए। फिर सुबह के वक़्त मुआहिदा कर लिया कि आइन्दा से तो हर्गिज़ न आयेंगे। अब अख़नस बिन शुरैक़ अबू सुफ़ियान बिन हर्ब के पास आया और कहने लगा, ऐ अबू हंज़ला! तुम्हारी क्या राय है, तुमने मुहम्मद (ﷺ) से जो क़ुरआन सुना, उसके बारे में क्या कहते हो? अबू सुफ़ियान कहने लगा, ऐ अबू सअल्बा! अल्लाह तआला की क़सम! मैंने जो बातें सुनीं उनको ख़ूब पहचानता हूँ और उसका जो मतलब है उसको भी जानता हूँ लेकिन कुछ बातें ऐसी सुनी हैं जिनका मक़सद और मानी न समझ सका। तो अख़नस ने कहा, अल्लाह तआला की क़सम! यही मेरी भी हालत है। फिर अख़नस वहाँ से चलकर अबू जहल के पास आया और कहने लगा, ऐ अबुल हकम! मुहम्मद (ﷺ) से

जो कुछ सुना, तुम्हारी उस बारे में क्या राय है और तुमने क्या सुना? तो अबू जहल ने कहा कि हम और बनू अब्दे मुनाफ़ मक़ामे शर्फ़ के हासिल करने में हमेशा दस्तो गिरेबाँ रहे हैं, उन्होंने दावतें कीं तो हमने भी कीं, उन्होंने ख़ैरो सख़ावत की तो हमने भी की। यहाँ तक कि हम तो पैर जोड़े बैठे रहे और वह कहने लगे कि हमारे पास अल्लाह तआला का एक पैग़म्बर है उस पर आसमान से वही उतरती है। तो अब हम यह बात कहाँ से लाएँ। अल्लाह तआला की क़सम! हम उस पर ईमान न लाएँगे और उसकी पैग़म्बरी की तस्दीक़ न करेंगे और अपने पर उसकी मुसाबिक़त को न मानेंगे। अख़नस यह बात सुनकर चला गया। (इब्ने हिशाम : 1/337; दलाइलन्नबुव्वत : 2/206; व सनदुहू ज़ईफ़ुन)

और इस आयत के बारे में कि वह तुम्हें नहीं झुठलाते, आयाते इलाही को झुठलाते हैं, सुद्दी (रह.) कहते हैं कि बद्र के दिन अख़नस बिन शुरैक़ ने बनी ज़ोहरा से कहा कि मुहम्मद (ﷺ) तुम्हारा भांजा है। तुम इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक़ हो कि अपने भांजे की तरफ़ से मुदाफ़िअत करो अगर दरहक़ीक़त वह नबी है तो आज यौमे बद्र में तुमको उससे लड़ना नहीं चाहिए। और अगर वह काज़िब है तो अपने भांजे से रुक जाने के भी तुम्हीं ज़्यादा मुस्तहिक़ हो कि उस पर हमला न करो और लड़ाई से अलग रहो और उसकी मदद न करो। अच्छा ठहरो! मैं अबुल हकम से मिल लूँ। अगर वह मुहम्मद (ﷺ) पर ग़ालिब आ जाए तो तुम बिला मुज़र्रत (नुक़्सान) अपने वतन वापिस होंगे और अगर इस जंग में मुहम्मद (ﷺ) ग़ालिब आ गए तो तुमने अपनी क़ौम के ख़िलाफ़ जंग की ही नहीं थी इसलिए शिर्कते जंग से रुक ही क्यूँ नहीं जाते। उसी दिन से उसका नाम अख़नस हो गया हालाँकि उसका नाम उबय था। अब अख़नस और अबू जहल की बाहम ख़ल्वत हुई। अख़नस ने पूछा कि अबुल हकम! भला मुझे बता तो दो कि मुहम्मद (ﷺ) सच्चे हैं या झूठे? यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई और अहले क़ुरैश नहीं जो हमारी बात सुन सके। तो अबू जहल ने कहा, कमबख़्त! अल्लाह तआला की क़सम! मुहम्मद (ﷺ) है तो सच्चे, कभी मुहम्मद (ﷺ) ने झूठ नहीं कहा लेकिन बात यह है कि जब बनू क़ुसय ही अलमबरदार भी हों, अय्यामे हज्ज में सक़ायत (पानी पिलाना) और कलीद बरदारी कअबा का भी हक़ उन्हीं को हासिल हो, फिर नुबुव्वत भी उनकी सब मान लें तो फिर बक़िया क़ुरैश के लिए क्या रह गया। इसी बिना पर अल्लाह पाक ने फ़र्माया कि वह तुमको नहीं झुठलाते हैं बल्कि आयाते इलाही को झुठलाते हैं, और मुहम्मद (ﷺ) भी तो आयते अल्लाह हैं।

और यह क़ौल कि तुमसे पहले के रसूलों की भी तक्ज़ीब हो चुकी है। उन्होंने सब्र किया, उन्हें तक्लीफ़ें पहुँचाई गईं। हत्ताकि उन्हें हमारी मदद आ पहुँची। इस आयत में नबी अकरम (ﷺ) को तसल्ली दी गई है और उनसे नुसरत का वादा किया गया है जैसाकि दूसरे नबियों की मदद की गई थी। यहाँ तक कि क़ौम की तक्ज़ीब और उनसे अज़िय्यते बलीग़ पहुँचने के बाद वादा किया गया कि आक़िबत तुम्हारी है चुनाँचे दुनिया में भी उनके लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद आ गई, जैसे कि आख़िरत की मदद हासिल हो ही चुकी है। इसीलिए फ़र्माया कि अल्लाह तआला की बात नहीं बदलती और नुसरत (मदद) का जो वादा किया गया है, वह ज़रूर पूरा किया जाएगा। जैसाकि फ़र्माया (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ) (37/साफ़्फ़ात : 171,173) फिर

फ़र्माया, (كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ) (58/मुजादिला : 21) और फ़र्माया **(लक़द जाअक मिन नबइल मुर्सलीन)** यानी पैग़म्बरों के वाक़ियात तो तुम्हें बताए ही जा चुके हैं और उनकी तारीख़ (इतिहास) के अंदर तुम्हारे लिए उस्व-ए-हस्ना है। फिर इर्शाद होता है (व इन काना क़बुर अलैक इअराज़ुहुम) यानी अगर तुम पर इनका ऐराज कर जाना शाक़ गुज़रता हो तो तुम उसका इलाज कर ही क्या सकते हो। ज़मीन में सुरंग लगाओ और वहाँ से अल्लाह तआला की निशानियाँ निकाल लाओ या आसमान पर सीढ़ी लगाकर चढ़ो और ऊपर से कोई निशानी ढूँढ़ निकालो और लाकर पेश करो। अगर हो सकता हो तो ऐसा भी करके देखो। यह कभी ईमान न लाएँगे। अगर अल्लाह तआला को इनका ईमान लाना मंज़ूर ही होता तो इन्हें हिदायत पर ला जमा करता। इसलिए बात को समझो, नाहक़ का रंज न करो, बेसमझ न बनो, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया (وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا) (10/यूनुस : 99) अगर अल्लाह तआला चाहता तो ज़मीन के सब ही बाशिन्दे ईमान लाए हुए होते। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से (वलौ शाअ) वाली आयत के बारे में मज़्कूर है कि नबी अकरम (ﷺ) की यह कोशिश रहती थी कि सब ही लोग ईमान लाएँ और हिदायत की पैरवी करने लगें। चुनाँचे अल्लाह तआला ने ख़बर दी कि ईमान तो वही लाता है जिसके लिए सआदते (ख़ुशक़िस्मती) अज़ल ही में मुक़र्रर हो चुकी है। और क़ौलुहू तआला **(इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीन यस्मऊन)** यानी ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम्हारी दावत पर लब्बैक तो वह लोग कहेंगे जो तुम्हारी बात को सुनते हैं और समझते हैं और क़ौले इलाही **(वल मौता यब्असुहुमुल्लाहु सुम्म इलैहि युरजऊन)** यानी इन मुर्दों को अल्लाह तआला दोबारा उठाएगा। फिर वह उसकी तरफ़ रुजूअ करेंगे। ''मौता'' से कुफ़्फ़ार मुराद हैं क्योंकि उनके दिल मुर्दा हैं। इसलिए अल्लाह तआला ने उनको बहालते ज़िन्दगी भी अम्वात के नाम से याद किया और अम्वात को अज्साद से तश्बीह दी। यह इनकी रुस्वाई और तज़्लील की ख़ातिर था।

***

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ
اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ؕ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۹﴾

तर्जुमा : ''और यह लोग कहते हैं कि इन पर कोई मोजिज़ा क्यों नहीं नाज़िल किया गया इनके रब की तरफ़ से, आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला को बेशक पूरी कुदरत है। इस पर कि वह मोजिज़ा नाज़िल कर दे लेकिन इनमें अक्सर बेख़बर हैं। (37) और जितने क़िस्म के जानदार ज़मीन पर चलने वाले हैं और जितने क़िस्म के परिन्द जानवर हैं कि अपने दोनों परों से उड़ते हैं उनमें कोई क़िस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गिरोह न हों हमने दफ़्तर (रजिस्टर) में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएँगे। (38) और जो लोग हमारी आयतों की तक्ज़ीब करते हैं वह तो बहरे और गूँगे हो रहे हैं, तरह तरह की ज़ुल्मतों (अंधेरों) में अल्लाह तआला जिसको चाहें बेराह कर दें और जिसको चाहें, सीधी राह पर लगा दें।'' (39)

मोजिज़ात का सुदूर रब तआला की मर्ज़ी से होता है (आयत 37-39) : मुश्रिकीन के बारे में इर्शाद होता है कि वह कहते थे कि हम जिस तरह चाहते हैं ऐसी कोई निशानी या (जो आम तौर पर न होता हो) बात अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम पर क्यूँ नहीं उतरती। मस्लन ज़मीन में चश्मों का जारी हो जाना वग़ैरह। तो इर्शाद होता है कि कह दो कि अल्लाह तआला तो इस बात पर क़ादिर है लेकिन उसकी हिक्मत ताख़ीर की मुक़्तज़ा है इसलिए कि अगर उनके हस्बे मंशा निशानी अल्लाह तआला नाज़िल कर दे और फिर वह ईमान न लाएँ तो ख़ुद ही अज़ाब उन पर नाज़िल हो जाएगा। मौत तक भी फ़ुर्सत न मिलेगी, जैसाकि पिछली क़ौमों के साथ हुआ। अहले समूद की मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। हम तो जो चाहें निशानी भी दिखा सकते हैं और जो चाहें अज़ाब भी कर सकते हैं।

जानवर, अलग उम्मतें और हश्र का दिन : और फिर फ़र्माया (वमा मिन दाब्बतिन....) चरने चुगने वाले जानवर, उड़ने वाले परिन्दे भी तुम्हारी तरह क़िस्म क़िस्म के हैं। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि इन दवाब की कई क़िस्में हैं जिनके नाम मशहूर हैं। क़तादा (रह.) कहते हैं कि 'तैर' एक उम्मत है। इंस व जिन्न भी एक एक उम्मत है और यह उम्मतें तुम्हारी ही जैसी मख़्लूक़े रब तआला है। **(मा फ़र्रत्ना...)** यानी सबका इल्म अल्लाह तआला को है किसी को रिज़्क़ देना वह भूलता नहीं, ख़्वाह वह ज़मीनी हों कि समुन्दरी हों। जैसे कि इर्शाद है (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (11/हूद : 6) यानी वह उनके नाम और आदाद (गिनती) व मक़ामात को जानता है हत्ताकि उनकी हरकात व सक्नात तक का एहाता किए हुए है। और फ़र्माया **(व क अय्यिम् मिन दाब्बतिल् ला तहमिलु रिज़्क़हा ...)** बहुत से जानदार हैं जिनकी रोज़ी तेरे ज़िम्मे नहीं, इन्हें और तुम सबको अल्लाह तआला ही रिज़्क़ देता है।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माना ख़िलाफ़त में एक साल टिड्डीदल नहीं आया। आप (रज़ि.) ने पूछा, तो कुछ मालूम न हुआ। आपको चूँकि तअल्लुक़ ख़ातिर था इसलिए इराक़ और शाम वग़ैरह की तरफ़ लोगों को भेजकर पुछवाया कि क्या वहाँ कोई टिड्डीदल आया तो यमन की तरफ़ से आदमी ने चंद टिड्डियाँ निकालकर सामने डाल दीं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें देखकर तीन बार अल्लाहु अकबर कहा और फ़र्माया कि, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते थे कि ''अल्लाह तआला ने हज़ार

मख़्लूक़ात पैदा की हैं जिसमें से छः सौ समुन्द्री हैं और चार सौ ज़मीनी हैं। सबसे पहले अल्लाह तआला इस टिड्डी वाली मख़्लूक़ को हलाक करेगा। फिर पे दर पे मख़्लूक़ात की हलाकत का सिलसिला क़ायम हो जाएगा जैसे मुनक्के के दाने टूट जाते हैं। (अबू यअला फ़िल मुस्नद अल्कबीर, मज्मउज़्ज़वाइद : 7/322; अल्मौज़ूआत : 3/13; यह रिवायत मौज़ूअ है।) **(सुम्म इला रब्बिहिम युहशरून)** यानी उन सारी उम्मतों को फिर मौत आ जाएगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बहाइम की मौत ही उनका हश्र होना है। इस बारे में एक दूसरा क़ौल यह है कि यह बहाइम भी क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएँगे। चुनाँचे फ़र्माया **(व इज़ल् वुहूशु हुशिरत)** बहाइम भी महशर में आएँगे।

अबू ज़र्र (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दो बकरों को देखा कि एक दूसरे को सींग मार रहे हैं, कहा "ऐ अबू ज़र्र! क्या जानते हो कि यह कैसे लड़ रहे हैं" फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला इनमें से ज़ालिम को जानता है और क़यामत के दिन इनका भी फ़ैसला करेगा।" (मुस्नद अहमद : 5/162; व सनदुहू ज़ईफ़; मुस्नद तयालिसी : 480) अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने हमें उड़ते हुए परिन्दे तक के बारे में इल्म दिया है। (इसकी सनद मुंज़िर सौरी और अबू ज़र्र (रज़ि.) के बीच मुंक़तअ है अल्बत्ता इस मानी की रिवायत अहमद : 5/173 में मौजूद है। जिसकी सनद ज़ईफ़ है।) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "बेसींग की बकरी क़यामत के दिन सींग वाली बकरी से इंतिक़ाम लेगी।" (ज़वाइद मुस्नद अहमद : 1/72; मुस्नद बज़्ज़ार : 3449; व सनदुहू ज़ईफ़ व हदीसे मुस्लिम : 2582 युग्नी अन्हू) **(इल्ला उममुन अम्सालुकुम)** के बारे में अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह तआला बहाइम (जानवर) और दवाब (चौपाये) और तैर (परिन्दे) को पैदा करेगा। हर एक दूसरे से अपना बदला लेंगे फिर फ़र्माएगा कि तुम सब मिट्टी हो ज.ओ। चुनाँचे काफ़िर भी उस वक़्त यह कहने लगेंगे (या लैतनी कुन्तु तुराबा) काश! हम भी मिट्टी हो जाते। (हाकिम 2/316; वहुव हसन) **(वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना सुम्मुव्व बुक्मुन फ़िज़्ज़ुलुमाति)** यानी जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है वह अपने जहल और क़िल्लते इल्म और अदमे फ़हम की वजह से बहरे और गूँगों की तरह हैं। और फिर अंधेरों में हैं, कुछ देख भी नहीं सकते। अब ऐसे लोग ठीक रास्ता पर चल सकें तो क्यूँ कर। जैसेकि अल्लाह तआला सूरह बक़रह में फ़र्माता है "इनकी मिसाल उस शख़्स की सी है जो आग रोशन करे तो आसपास की चीज़ें उसको नज़र आ जाएँ उस वक़्त आग बुझ जाए वह तारीकी में रह जाएँ और वह कुछ न देख सकें।" और इसीलिए फ़र्माया **(मंय्यशइल्लाहु युज़्लिल्हू वमंय्यशा यज्अल्हू अला सिरातिम् मुस्तक़ीम)** वह जिनको चाहे गुमराह होने दे और जिनको चाहे सिराते मुस्तक़ीम (सीधा रास्ता) पर रखे। वह अपनी तख़्लीक़ पर अपनी हस्बे मंशा मुतसर्रिफ़ है।

***

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ
كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا تُشْرِكُوْنَ ۞ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۞ فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۞
فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۭ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

तर्जुमा : ''आप कह दीजिए कि अपना ह़ाल तो बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह तआ़ला का कोई अ़ज़ाब आ पड़े या तुम पर क़यामत ही आ पहुँचे तो क्या अल्लाह तआ़ला के सिवा किसी और को पुकारोगे, अगर तुम सच्चे हो। (40) बल्कि ख़ास़ उसी को पुकारने लगोगे फिर जिसके लिए तुम पुकारो अगर वह चाहे तो उसको हटा भी दे और जिन जिनको तुम शरीक ठहराते हो उन सबको भूल भाल जाओ। (41) और हमने और उम्मतों की त़रफ़ भी जो कि आपसे पहले हो चुकी हैं, पैग़म्बर भेजे थे। सो हमने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा ताकि वह ढीले पड़ जाएँ। (42) सो जब उनको हमारी सज़ा पहुँची थी वह ढीले क्यूँ पड़े लेकिन उनके दिल तो सख़्त रहे और शैत़ान उनके आ़माल को उनके ख़्याल में आरास्ता करके दिखाता रहा। (43) फिर जब वह लोग उन चीज़ों को भूले रहे जिनकी उनको नस़ीहत की जाती थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए यहाँ तक कि जब उन चीज़ों पर जो कि उनको मिली थी वह ख़ूब इतरा गए, हमने उनको दफ़्अतन (अचानक) पकड़ लिया, फिर तो वह बिलकुल हैरतज़दा हो गए। (44) फिर ज़ालिम लोगों की जड़ कट गई और अल्लाह तआ़ला का शुक्र है जो तमाम आ़लम का परवरदिगार है।'' (45)

अक़ीद-ए-तौहीद और मुश्रिकीने मक्का (आयत 40-45) : अल्लाह तआ़ला अपनी ख़ल्क़ (मख़्लूक़) में हर त़रह़ मुतस़र्रिफ़ होने की क़ुदरत रखता है। न कोई उसका हुक्म बदल सकता है न उसकी ह़िक्मत को पीछे डाल सकता है। उससे मांगा जाए तो अगर वह चाहे तो क़बूल कर लेता है। फ़र्माता है कि क्या तुम नहीं जानते कि

नागहाँ (अचानक) क़यामत आ जाए या यकायक अल्लाह तआला का अज़ाब आ पकड़े तो तुम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारते। क्योंकि जानते हो कि उस अज़ाब को अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं हटा सकता। अगर तुम ग़ैरुल्लाह को रब तआला बनाने में सच्चे हो तो तजुर्बा करो देखो! बल्कि तुम तो उसी को पुकारोगे। फिर अगर वह चाहेगा तो यह अज़ाब हटाएगा। ऐसे वक़्त तुम अपने शरीकों और बुतों सबको भूल जाते हो। तुमसे पहली उम्मतों की तरफ़ भी हमने पैग़म्बरों को भेजा। और जब उन्होंने तक्ज़ीब की तो हमने फ़क़्र और तंगी के अज़ाब में जकड़ लिया और बीमारियों व मुसीबतों में मुब्तला कर दिया। ताकि वह अल्लाह तआला ही को पुकारें और उसी की तरफ़ ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ करें। फिर जब हम उन्हें मुब्तला-ए-अज़ाब करते हैं तो वह असरगीर क्यूँ नहीं होते। बात यह है कि उनके दिल पत्थर हो गए हैं, कुछ असर ही नहीं होता, शैतान ने उनके शिर्क और मुआनिदत के कामों को उनकी नज़रों में अच्छा बनाकर पेश किया हुआ है। पस जब वह हमारी तम्बीह को भी भूल जाते हैं और ईमान को पसो पेश डाल देते हैं तो हम पूरे रिज़्क़ के दरवाज़े उन पर खोल देते हैं ताकि वह और ढ़ील में पड़ जाएँ। तदबीरे अल्लाह तआला से अल्लाह तआला ही की पनाह और जब वह दुनियावी साज़ो-सामान पर फूले नहीं समाते और अपने अम्वाल और औलाद और रिज़्कों में हमसे ग़ाफ़िल हो जाते हैं तो यकायक उन पर अज़ाब आ जाता है या मौत आ जाती है। इस नौबत पर वह हर ख़ैर से मायूस हो जाते हैं।

बदहाली व ख़ुशहाली, एक आज़माइश एक ढील : हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि जिस पर रिज़्क़ खोल देता है वह इस बात पर ग़ौर ही नहीं करता कि यह भी अल्लाह तआला की एक तदबीर है और जिसको तंगहाली हो वह भी ग़ौर नहीं करता कि उसकी आज़माईश की गई है और मोहलत दी गई है। रब्बे कअबा की क़सम! जब गुनहगारों को पकड़ना मक़्सूद होता है तो दुनिया में उन्हें सरसब्ज़ रखा जाता है। क़तादा (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तआला ने किसी क़ौम को उस वक़्त तक नहीं पकड़ा जब तक कि वह अपनी नेअमत में बदमस्त नहीं हो गए। धोखा न खाओ, फ़ासिक़ और गुनहगार लोग ही धोखा खाते हैं। **(अब्वाब कुल्लि शैइन)** से दुनियावी राहत व फ़राख़हाली मुराद है। इब्ने आमिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब तुम किसी को देखो कि उसके मआसी (गुनाह के काम) के बावजूद दुनियावी ऐशो तन्इम अल्लाह तआला ने उसे दे रखा है तो यक़ीन कर लो कि यह अल्लाह तआला की ढील का वक़्त गुज़र रहा है।" फिर आप (ﷺ) ने यही आयत पढ़ी कि जब वह हमें भूल जाते हैं तो हम उन्हें हर तरह का ऐशो तन्इम बख़्शते हैं और जब वह उस पर मग़रूर हो जाते हैं और फिर हमारी गिरफ़्त में आ जाते हैं तो हर तरह से मायूस हो जाते हैं।" (मुस्नद अहमद : 4/145; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; वलिल हदीसि शवाहिद ज़ईफ़तुन; शुअबुल ईमान : 4540; अल्मुअजमुल कबीर : 913; तब्री : 7/195; अल्अस्मा वस्सिफ़ात, पेज : 488; अज़्ज़ुहद, पेज : 12) नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते थे कि "जब अल्लाह तआला किसी क़ौम को बाक़ी रखना और तरक़्क़ी देना चाहता है तो उसको पाकदामनी और म्यानारवी बख़्शता है और जिस क़ौम से अपना रिश्ता तोड़ लेना चाहता है तो उसे ख़ुशहाली अता फ़र्माता है और बाबे ख़यानत उस पर खोल देता है और जब वह मग़रूर हो जाते हैं तो नागहाँ (अचानक) उसे पकड़ लेता है। अब वह मायूस होकर बैठ जाते हैं, और उस क़ौम का सतियानाश हो जाता है। हम्द की सज़ावार अल्लाह तआला ही की ज़ात है।" (मुस्नद फ़िरदौस : 1/97; इब्ने अबी हातिम व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ
يَاْتِيْكُمْ بِهٖ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ
اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ
الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٤٩﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि यह बतलाओ कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारी शुनवाई और बीनाई (देखने की ताक़त) बिलकुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर कर दे तो अल्लाह के सिवा और कोई माबूद है कि यह तुमको फिर से दे दे। आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख़्तलिफ़ पहलूओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी यह ऐतिराज़ करते हैं। (46) आप कह दीजिए कि यह बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह तआला का अ़ज़ाब आ पड़े, ख़्वाह बेख़बरी में या ख़बरदारी में तो क्या सिवाय ज़ालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा। (47) और हम पैग़म्बरों को सिर्फ़ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वह बशारत दें और डराएँ फिर जो शख़्स ईमान ले आए और दुरुस्ती कर ले सो उन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और न वह ग़मगीन होंगे। (48) और जो लोग हमारी आयतों को झुठा बतलाएँ उनको अ़ज़ाब लगता है बवजह इसके कि वह दायरा से निकलते हैं।" (49)

मुआनिदीन (दुश्मनी रखने वालों) से वअ़ज़े हक़ (आयत 46-49) : रसूलुल्लाह (ﷺ) से इर्शाद फ़र्माता है कि इन झूठलाने वालों से कहो कि कुछ ख़बर है कि अल्लाह तआला तुम्हारी सुनने और देखने की ताक़त को छीन ले जो तुम्हें दे रखी थी जैसाकि फ़र्माया **(हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअ़ल लकुमुस्सम्अ वल अब्सार)** और यह भी मुम्किन है कि यह मुराद हो कि सुनने और देखने की ताक़त के होते हुए इंतिफ़ाअ़े शरई से उन्हें महरूम कर दे और हक़ बात के इस्तिफ़ादा से वह अंधे और बहरे हो जाए और यही मतलब था **(व ख़तमा अ़ला कुलूबिकुम)** जैसाकि फ़र्माया (اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ) (10/यूनुस : 31) और फ़र्माया (وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ) (8/अन्फ़ाल : 24) यानी अगर वह तुम्हारे दिलों पर भी मुहर लगा दे तो अल्लाह तआला के सिवा कौन है जो उस मुहर को तोड़ सके। इसीलिए फ़र्माया कि ज़रा ग़ौर करो कि हम अपनी बातें किस क़द्र वज़ाहत से बयान कर देते हैं, जो इस बात की पूरे तौर पर दलील होती है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई दूसरा रब तआला नहीं और जितने मअ़बूद अल्लाह के सिवा हैं, सब झूठे हैं। इस वाज़ेह चीज़ के बाद भी वह इत्तिबाअ़े हक़ से लोगों को रोकते हैं और ख़ुद भी रुकते हैं। कुछ जानते हो कि अगर अल्लाह तआला का अ़ज़ाब तुम्हें आ पहुँचे कि उसका तुम्हें सान व गुमान भी न हो या देखते दिखाते सामने आ जाए तो क्या इस गुमराह क़ौम

के सिवा कोई और हलाक होगा। क्योंकि यह लोग अल्लाह के साथ शरीक करने की वजह से हीत-ए-इक्तिदार में हैं, लेकिन वह लोग नजात पा जाएँगे जो सिर्फ़ एक अल्लाह तआला की इबादत करते हैं। उन पर न ख़ौफ़ है, न हुज़्न। जैसाकि फ़र्माया (اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) (6/अन्आम : 82) जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क से ख़राब न किया, उनके लिए अम्नो अमान है और वह सीधी राह पर हैं। फिर इर्शाद होता है कि हम पैग़म्बरों को तो जन्नत की ख़ुशख़बरी और दोज़ख़ की तहदीद व तख़्वीफ़ के लिए भेजते हैं, वह नेक मोमिन बन्दों को बशारत देते हैं तो कुफ़्र व गुनाह करने वालों को तम्बीह भी कर देते हैं, इसीलिए फ़र्माया कि जो दिल से ईमान लाए और नबी की इत्तिबाअ में अमले सालेह करे तो उस पर आइन्दा की निस्बत करते कोई ख़ौफ़ नहीं और माज़ी (गुज़रे हुए) की निस्बत करते उन्हें कोई हसरत और रंज नहीं क्योंकि उनके पिछलों का अल्लाह वाली (मददगार) है। फिर फ़र्माया कि जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है उन्हें अपने कुफ़्र व फ़िस्क़ के सबब अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि वह अल्लाह तआला के हुक्मों से आज़ाद हो गए हैं और उसके मनाही और हराम कामों का इर्तिकाब करने लगे हैं और उसके हुदूद को तोड़ने लगे हैं।•

***

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ
مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا
تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ
دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ
حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ
بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًۢا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
وَاَصْلَحَ ۙ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि न तो मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह तआला के ख़ज़ाने हैं और न मैं तमाम ग़ैबों को जानता हूँ और न मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ़ जो कुछ मेरे पास वह्यी आती है उसका इत्तिबाअ कर लेता हूँ। आप कह दीजिए कि अँधा और बीना कहीं बराबर हो सकता है। सो क्या तुम ग़ौर नहीं करते। (50) और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएँगे कि जितने ग़ैरुल्लाह हैं, न कोई उनका मददगार होगा और न कोई शफ़ीअ होगा, इस उम्मीद पर कि वह डर जाएँ। (51) और उन लोगों को न निकालिए जो सुबह शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं जिससे ख़ास उसकी रज़ा ही का क़सद रखते हैं, उनका हिसाब ज़रा भी आपके बारे में नहीं और आपका हिसाब ज़रा भी उनके बारे में नहीं कि आप उनको निकाल दें। वरना आप नामुनासिब काम करने वालों में से हो जाएँगे। (52) और इसी तरह हमने एक को दूसरों के ज़रिये से आज़माइश में डाल रखा है ताकि यह लोग कहा करें कि क्या यह लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह तआला ने फ़ज़्ल किया है। क्या यह बात नहीं है कि अल्लाह तआला हक़ शनासों को ख़ूब जानता है। (53) और यह लोग जब आपके पास आएँ जो कि हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो यूँ कह दीजिए कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने मेहरबानी फ़र्माना अपने ज़िम्मे मुक़र्रर कर लिया है कि जो शख़्स तुममें से बुरा काम कर बैठे जिहालत से फिर वह उसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो अल्लाह तआला की यह शाने है कि वह बड़ा मग़्फ़िरत करने वाला और बड़ी रहमत वाला है।" (54)

ग़ैब के ख़ज़ानों का मालिक कौन? (आयत 50-54) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ रसूल (ﷺ) तुम इनसे कह दो कि मैं इसका दावा ही कब करता हूँ कि मेरे पास अल्लाह तआला के ख़ज़ाने गड़े हैं और न मुझे इसका दावा है कि मैं ग़ैब की बात जानता हूँ। ग़ैब का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को है मुझे उसमें से सिर्फ़ उसी क़द्र मालूम है जितना कि अल्लाह तआला ने मालूम करा दिया और न मैं कोई फ़रिश्ता हूँ, मैं तो एक इंसान ही हूँ, सिर्फ़ यह है कि मेरी तरफ़ अल्लाह तआला की वह्यी आती है मुझे उसने इसका शर्फ़ बख़्शा है और एहसान फ़र्माया है, इसीलिए मैं वह्यी के सिवा और किसी चीज़ की इत्तिबाअ नहीं करता और हुदूदे वह्यी से बालिश्त भर भी बाहर नहीं होता। और कह दो कि क्या देखने वाला और अंधा इंसान दोनों बराबर हो सकते हैं यानी हक़ की पैरवी करने वाले और उससे गुमराह लोग दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या तुम इस पर ग़ौर नहीं करते। जैसाकि फ़र्माया "क्या वह शख़्स जो जानता है कि जो कुछ तेरी तरफ़ तेरे रब की तरफ़ से नाज़िल हुआ, हक़ है, मिस्ल नाबीना शख़्स के हो सकता है?"

फिर इर्शाद होता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! इस कुरआन के ज़रिये तुम उन लोगों को ख़ौफ़ दिलाओ जिन्हें इस बात का अंदेशा है कि अल्लाह तआला का सामना करना पड़ेगा। इस बात का डर कि अल्लाह तआला के सिवा न कोई वली है, न कोई सिफ़ारिश करने वाला काम देगा। वह लोग जो अल्लाह तआला से डरते हैं और हिसाब के दिन का अंदेशा रखते हैं, जिन्हें डर है कि अल्लाह तआला के सामने खड़े होना है, उस

दिन इनके लिए न कोई वली है, न कोई शफ़ीअ (सिफ़ारिश करने वाला), कि सिफ़ारिश करके इन्हें अ़ज़ाब से छुटकारा दिला सके। इन्हें उस दिन से डराओ जिस दिन अल्लाह तआला के सिवा किसी की हुकूमत नहीं, शायद कि वह अल्लाह तआला से डरें और इस दुनिया में ऐसे अ़मल करें जो इन्हें क़यामत के दिन अ़ज़ाब से नजात दें और अगर सवाब मिले तो दो गुना मिले।

सहाबा (रज़ि.) का दिफ़ाअ अर्श वाला ख़ुद करता है : इर्शाद होता है कि जो लोग सुबह व शाम अल्लाह तआला का ज़िक्र करते रहते हैं, मुख़्लिसाना तौर पर तू ऐसे लोगों को अपने पास से न हटाना बल्कि अपने मख़्सूस हमनशीन (साथी) क़रार देना। जैसाकि फ़र्माया (وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ) (18/कहफ़ : 28) वह लोग रब की सुबह व शाम इबादत करते हैं और दिन रात की नमाज़ें पढ़ते हैं जैसाकि फ़र्माया (وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ) (40/ग़ाफ़िर : 60) और इर्शाद होता है कि वह लोग यह अ़मल मुख़्लिसाना (ख़ुलूस के साथ) अल्लाह तआला के लिए करते हैं और इर्शाद होता है कि न उनका हिसाब तुमसे लिया जाएगा और न तुम्हारा हिसाब उनसे लिया जाएगा। जैसाकि नूह (عليه السلام) का क़ौल उन लोगों के जवाब में जिन्होंने कहा था क्या हम तुम पर ईमान लाएँ हालाँकि तुम्हारी पैरवी तो घटिया दर्जा के लोग करते हैं, तो नूह (عليه السلام) ने फ़र्माया था कि मुझे तो इल्म नहीं कि वह क्या करते हैं। अगर तुम कुछ समझ रखते हो तो जाने रहो कि उनकी बात को अल्लाह तआला ही जानता है, वही उनका मुहासिब है और ऐ नबी (ﷺ)! अगर तुम उनको अपने पास से हटा दोगे तो ज़ालिमीन में से हो जाओगे।

इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि क़ुरैश की जमाअ़त नबी अकरम (ﷺ) के पास आई, वहाँ हज़रत ख़ब्बाब, सुहैब, बिलाल और अ़म्मार (रज़ि.) बैठे हुए थे। तो उन इज़्ज़तदार लोगों ने कहा कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! क्या तुमको क़ौम के यह लोग पसंद हैं, क्या यही वह लोग हैं कि हमें छोड़कर अल्लाह तआला ने इन पर एहसान किया है? अब हम इनके गिरोह में मिलकर तुम्हारे ताबेअ़ कैसे बन सकते हैं। तुम इन्हें अपने पास से हटा दो तो फिर हम तुम्हारी पैरवी करें, तो यह आयत उतरी थी। (मुस्नद अहमद : 1/420; व सनदुहू ज़ईफ़; अल्मुअजमुल कबीर : 10520; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/20) उस मौक़े पर अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि इस तरह हमने कुछ को कुछ के ज़रिये फ़ित्ना और आज़माइश में डाला। नबी अकरम (ﷺ) के आसपास उन कमज़ोर मोमिनीन को देखकर उन लोगों ने उनकी हिक़ारत की थी। चुनाँचे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अलग होकर कहा कि हम आपके साथ शरीके मज्लिस रहना चाहते हैं, यह देहाती अ़रब अपने पर हमारी फ़ज़ीलत से वाक़िफ़ हैं। वुफ़ूदे अ़रब आपके पास आते रहते हैं, हमें शर्म आती है कि वह लोग हमें इन घटिया दर्जे के लोगों के साथ देखें, हम जब आपके पास आएँ तो आप इन्हें अपने पास से उठा दिया कीजिए और हम जब आपके पास से उठ जाएँ तो चाहे फिर अपने पास बिठा लीजिए। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, अच्छा तो इन लोगों ने कहा कि इस मुआहिदा (समझौता) पर एक दस्तावेज़ी तहरीर पा जाए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने काग़ज़ मंगवाया और हज़रत अ़ली (रज़ि.) को बुलवाया ताकि लिखें। यह कमज़ोर मोमिनीन एक गोशे में बैठे हुए थे और यह आयत उतरी कि इन्हें अपने पास से न हटाना, यह अल्लाह तआला को याद करते हैं तो नबी

अकरम (ﷺ) ने काग़ज़ हज़रत अली (रज़ि.) से लेकर फेंक दिया और उन लोगों को अपने नज़दीक बुला लिया। (तब्री : 11/376; व सनदुहू ज़ईफ़) यह हदीस ग़रीब है क्योंकि यह आयत मक्की है और अक़रअ बिन हाबिस और उयेयना (रह.) हिज्रत के बाद ईमान लाए।

हज़रत सअद (रज़ि.) कहते हैं कि यह आयत छः अस्हाबे नबी के बारे में उतरी है जिनमें से इब्ने मसऊद भी हैं। हम नबी अकरम (ﷺ) के पास पहुँचने में एक दूसरे पर सब्क़त ले जाना चाहते थे। आप (ﷺ) हमको क़रीब बिठा लेते थे तो कुरैश कहते कि हमें छोड़कर आप (ﷺ) उन्हें अपने से क़रीबतर करते हैं। इर्शाद होता है कि हमने आज़मा लिया कि कौन उनमें कैसा है। इस इम्तिहान का नतीजा यह था कि कुफ़्फ़ारे कुरैश कहते थे कि क्या यही लोग हैं कि हम पर एहसान करने के बजाए अल्लाह तआला ने इन पर एहसान किया है। (हाकिम : 3/319; व इब्ने हिब्बान : 6539; वहुव हदीसुन हसन; इसकी असल सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइले सहाबा, बाब फ़ी फ़ज़्लि सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) : 2413 में मौजूद है।) बात यह थी कि हुज़ूर (ﷺ) के इब्तिदा-ए-तब्लीग़ के ज़माने में ग़ालिबतर हिस्से उन मर्दों औरतों और गुलामों का था जो कमज़ोर और निचले दर्जे के लोग थे। अमीरों और सरदारों में बहुत कम ईमान लाए थे, जैसे कि क़ौमे नूह ने हज़रत नूह (अ.) से कहा था कि हम तो देखते हैं कि तुम्हारी पैरवी तो सतही और घटिया दर्जे के लोग ही करते हैं, कोई मुम्ताज़ और रसूख़दार आदमी नहीं करता। और इसी तरह हिरक़्ल मुल्के रूम ने अबू सुफ़ियान से पूछा था कि क्या क़ौम के बड़े लोग उनकी पैरवी करते हैं या ग़रीब लोग? तो अबू सुफ़ियान ने कहा था कि ज़ुअफ़ा और ग़रीब ज़्यादातर पैरवी करने वाले हैं। तो हिरक़्ल ने कहा था, रसूलों की पैरवी पहले ऐसे ही लोगों ने की है। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ काना बदउल वही इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) : 7; सहीह मुस्लिम : 1773) मतलब यह है कि मुश्रिकीने कुरैश उन मोमिन ज़ुअफ़ा का मज़ाक़ उड़ाते थे और अगर बस में होता तो उन्हें अज़िय्यत पहुँचाते। आख़िर अल्लाह तआला ने ख़ैर की तरफ़ उन लोगों की क्यूँ रहनुमाई की। जिस बात की तरफ़ उन लोगों ने पहल की है अगर वह ख़ैर है तो अल्लाह तआला ने हमें क्यूँ छोड़ दिया। और कहते थे कि अगर इसके तस्लीम करने में ख़ैर होती तो यह हमसे आगे बढ़ते ही नहीं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जब इन पर हमारी वाज़ेह आयतें तिलावत की जाती हैं तो यह काफ़िर मोमिनीन से कहते हैं कि बताओ दोनों में अच्छा कौन रहा और शरीफ़ और इज़्ज़तदार और दौलतमंद कौन है? इसके जवाब में अल्लाह तआला फ़र्माता है कि हमने इनसे पहले ऐसी कितनी ही क़ौमों को हलाक कर दिया जो बड़े रुत्बे और ऐज़ाज़ वाले और जाह व शौकत वाले थे। और जिन लोगों ने यह कहा था कि अल्लाह तआला ने हम पर उनको क्यूँ तर्जीह दी? इसके जवाब में इर्शाद होता है कि क्या अल्लाह तआला सच्चे शुक्रगुज़ारों और नेक दिल और अच्छे किरदार लोगों को नहीं जानता? अल्लाह तआला उन ही लोगों को तौफ़ीक़ देता है क्योंकि अल्लाह तआला नेकोकार के साथ होता है। हदीसे सहीह में है कि "अल्लाह तआला तुम्हारी सूरतों और रंगों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल को देखता है।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला, बाब तहरीमु ज़ुल्मिल मुस्लिम व ख़ज़लिही व इह्तिक़ारिही व दमिही व इर्ज़िही व मालिही : 2564; अहमद : 2/439; इब्ने हिब्बान : 394)

इक्रिमा (रह.) से इस आयत के बारे में कि इब्रत दिलाओ उन लोगों को जिन्हें अल्लाह तआला के सामने आने का अंदेशा था, यह रिवायत है कि बनी अब्दे मुनाफ़ के चंद काफ़िर शुरफ़ा अबू तालिब के पास आकर कहने लगे कि ऐ अबू तालिब! काश तुम्हारा भतीजा मुहम्मद (ﷺ) हमारे गुलामों और हलीफ़ों को अपने पास से हटा देता क्योंकि वह हमारे गुलाम और ख़ादिम हैं और यह बात हमें बहुत शाक़ (भारी) गुज़रती है। ऐसी सूरत में हम मुहम्मद (ﷺ) की इताअत करेंगे और उनकी पैरवी और तस्दीक़ करेंगे। तो अबू तालिब नबी अकरम (ﷺ) के पास आए और इसका ज़िक्र किया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) नबी अकरम (ﷺ) से कहने लगे, अच्छा ऐसा भी करके देखिए, मालूम हो जाएगा कि इनका क्या इरादा है और इसके बाद वह क्या करेंगे तो यह आयत उतरी। यहाँ तक कि फ़र्माया, क्या अल्लाह तआला शुक्रगुज़ार बन्दों को नहीं जानता। शुक्रगुज़ार बन्दों से यह लोग मुराद हैं बिलाल, अम्मार बिन यासिर, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा, सबीह उसैद के आज़ादकर्दा गुलाम, इब्ने मसऊद, मिक़्दाद बिन अम्र, मसऊद बिन अल्क़ारी, वाक़िद बिन अब्दुल्लाह हंज़ली, अम्र बिन अब्दे अम्र, ज़ुश्शुमालीन, मर्सद बिन अबी मर्सद, और अबू मर्सद अल्ग़नवी जो हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ़ थे। (रज़ि.) और यह आयत क़ुरैश के अइम्मतुल कुफ़्र और उनके हलीफ़ों के बारे में उतरी थी, जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर (रज़ि.) उठे, नबी अकरम (ﷺ) के पास आए और अपने ग़लत मश्वरे की माज़िरत करने लगे। चुनाँचे इर्शादे बारी तआला होता है कि जब हमारी आयतों पर ईमान लाने वाले तुम्हारे पास आते हैं तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो। यानी उन्हें सलाम कहकर उनकी इज़्ज़त बढ़ाओ और अल्लाह तआला की रहमते वासिआ की ख़ुशख़बरी दो। और इसीलिए फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने अपने नफ़्से करीमा पर रहमत को वाजिब क़रार दे लिया है। और जो तुममें से नादानिस्तगी के सबब कोई गुनाह कर बैठे और फिर उसके बाद तौबा कर ले और फिर हमेशा के लिए मआसी (गुनाह) से बाज़ रहे और इरादा कर ले कि फिर ऐसा न करेगा तो अल्लाह तआला ग़फ़ूरुर् रहीम है।

शाने रहीमियत : अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब अल्लाह तआला ने मख़्लूक़ पर अपनी तक़्दीर क़ायम की तो अर्श पर जो उसकी किताब लौहे महफ़ूज़ है उसमें लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहेगी।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा) : 7404; सहीह मुस्लिम : 2751; अहमद : 2/313; तिर्मिज़ी : 3543; इब्ने माजा : 4295; इब्ने हिब्बान : 6143) चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब मख़्लूक़ के बारे में निफ़ाज़े हुक्म से अल्लाह तआला फ़ारिग़ होगा तो तख़्ते अर्श से किताब निकालेगा जिसमें लिखा हुआ होगा, मैं अरहमुर्राहिमीन हूँ। फिर अपनी एक या दो मुट्ठी भर मख़्लूक़ को जहन्नम से निकालेगा, जिन्होंने कुछ ख़ैर के काम न किए होंगे और उनकी आँखों के बीच माथे पर लिखा होगा कि अत्क़ाअल्लाहु यानी यह अल्लाह के आज़ादकर्दा हैं।" सलमान (रज़ि.) ने क़ौले बारी तआला **(कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर्रहमत)** के बारे में कहा है कि हम तौरात में यह लिखा पाते हैं कि अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और अपनी सौ रहमतें पैदा कीं और यह मख़्लूक़ के पैदा करने से पहले ही पैदा कीं,

फिर मख़्लूक़ को पैदा करके उनमें से एक रहमत मख़्लूक़ के बीच तक़्सीम की और अपने पास निन्नान्वे हिस्से रहमत के रख लिए। उसी एक रहमत की बरकत से लोग आपस में रहमत व मुहब्बत बरतते हैं, बज़्ल व करम करते हैं और मेल-मिलाप रखते हैं। ऊँटनी और गाय और बकरी उसी रहमत में से हिस्सा लेकर अपने बच्चों के साथ उतूफ़त (नर्मी) बरतते हैं और समुन्दर में दो साँप आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह तआला उन सब रहमतों को और अपने पास की रहमत, सबको गुनहगार बन्दों पर सर्फ़ करेगा। इस मज़्मून में बहुत सी हदीसें वारिद हैं। चुनाँचे मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) से मरवी है कि क्या तुम जानते हो कि बन्दों पर अल्लाह तआला का क्या हक़ है? हक़ यह है कि वह उसी की इबादत करें और किसी को उसका शरीक न बनाएँ। फिर पूछा कि बन्दों का हक़ अल्लाह तआला पर क्या है? फिर कहा यह है कि अल्लाह तआला उन्हें मुआफ़ करदे और मुब्तला-ए- अज़ाब न करे। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब मा जाअ फ़ी दुआइन्नबी (ﷺ) उम्मतहू इला तौहीदिल्लाहि तबारक व तआला : 7373; सहीह मुस्लिम : 30; तिर्मिज़ी : 2643; इब्ने माजा : 4296; अहमद : 5/228)

***

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾ قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ
اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ
اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِيْ مَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَّوْ اَنَّ
عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٨﴾
وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ
كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾

तर्जुमा : "और इसी तरह हम आयात की तफ़्सील करते रहते हैं और ताकि मुज्रिमीन का तरीक़ा ज़ाहिर हो जाए। (55) आप कह दीजिए कि मुझको इससे मुमानिअत की गई है कि उनकी इबादत करूँ जिनकी तुम अल्लाह तआला को छोड़कर इबादत करते हो, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे ख़्याल का इत्तिबाअ न करूँगा क्योंकि उस हालत में तो मैं बेराह हो जाऊँगा और राह पर चलने वालों में न रहूँगा। (56) आप कह दीजिए कि मेरे पास तो एक दलील है मेरे रब की तरफ़ से और तुम उसकी तक्ज़ीब करते हो, जिस चीज़ का तुम तक़ाज़ा कर रहे हो वह मेरे पास नहीं। हुक्म किसी का नहीं, सिवाय अल्लाह तआला के। अल्लाह तआला वाक़ई बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला वही है। (57) आप कह दीजिए कि अगर मेरे पास वह चीज़ होती जिसका तुम तक़ाज़ा कर रहे हो तो मेरा और तुम्हारा बाहमी क़िस्सा फ़ैसल हो चुका होता और ज़ालिमों को अल्लाह तआला ख़ूब जानता है और अल्लाह तआला ही के पास हैं ख़ज़ाने तमाम मख़्फ़ी अश्याअ (चीज़ों) के उनको कोई नहीं जानता, बजुज़ अल्लाह तआला के और वह तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ ख़ुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में हैं और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वह उसको भी जानता है और कोई दाना ज़मीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता और न कोई तर और न कोई ख़ुश्क चीज़ गिरती है मगर यह सब किताबे मुबीन में हैं।" (59)

अज़ाब भी अल्लाह तआला की मर्ज़ी से उतरता है (आयत 55-59) : इर्शाद होता है कि जिस तरह हमने पिछले बयानात में दलाइल व बराहीन के ज़रिये तरीक़े रुश्दो-हिदायत वग़ैरह को वाज़ेह कर दिया उसी तरह वह आयतें जिनके मुख़ातब मुह्ताज हैं, वज़ाहत से बयान करते हैं और इसलिए भी कि मुज्रिमीन का रास्ता खुलकर सामने आ जाए। ऐ नबी (ﷺ)! कह दो कि जो वह्यी अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ भेजी है मैं उसी पर बसीरत रखते हुए क़ायम हूँ, और तुमने तो हक़ को झुठला दिया है। तुम जिस अज़ाब की जल्दी कर रहे हो वह मेरे हाथ की बात नहीं। हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह तआला का चलता है अगर वह जल्दतर तुम पर अज़ाब लाना चाहे तो फ़ौरन ही आ जाए और वह देर करना चाहे और अपनी हिक्मते अज़ीमा से तुम्हें मुहलत दे तो उसका इख़्तियार है। इसीलिए फ़र्माया कि वह हक़ तरीक़ इख़्तियार करता है वह अहकाम व क़ज़ाया के फ़ैसले करने में और बन्दों के दरम्यान कोई हुक्म नाफ़िज़ करने में हक़ पर होता है। तुम कह दो कि अगर तुम पर अज़ाब जल्दी लाना मेरी इख़्तियारी बात होती तो तुम जिस अज़ाब के मुस्तह्क़िक़ हो, मैं तो उसको तुम पर फ़ौरन ही नाज़िल कर देता और अल्लाह तआला तो ज़ुल्म करने वालों से ख़ूब वाक़िफ़ है। अगर यह कहा जाए कि इस आयत में और इस हदीस में जो बुख़ारी व मुस्लिम से साबित है, आपस में जमा व तवाफ़ुक़ किया है। यानी वह हदीस जो हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या उहुद के दिन से भी कोई शदीद दिन आप पर गुज़रा है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "आइशा (रज़ि.)! तुम्हारी इस क़ौम से सख़्ततरीन तक्लीफ़ जो मुझे पहुँची वह यौमे उक़्बा (ताइफ़) में पहुँची जबकि मैंने इब्ने अब्देयालील पर अपने को पेश किया तो मेरी दावत उसने मंज़ूर नहीं की। मैं निहायत ग़मगीन होकर चल खड़ा हुआ। मक़ामे क़र्ने सआलिब में आकर मेरे हवास ठीक हुए और मैंने सर उठाया तो देखा कि एक

अब्र मेरे पर छाया हुआ है, उसमें जिब्राईल (ﷺ) दिखाई दे रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि या मुहम्मद (ﷺ)! तुम्हारी क़ौम ने जो तुमसे कहा, अल्लाह तआला ने सुन लिया। मलकुल जिबाल (पहाड़ों का फ़रिश्ता) अल्लाह तआला ने तुम्हारी तरफ़ भेजा है ताकि तुम जो चाहो इसको हुक्म दो। मलकुल जिबाल ने भी आवाज़ दी और सलाम अर्ज़ किया और कहा कि अल्लाह तआला ने मुझे तुम्हारी तरफ़ इसीलिए भेजा है, कहा अगर तुम हुक्म दो तो यह दोनों पहाड़ तुम्हारी क़ौम पर गिरा दूँ। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तआला इन्हीं काफ़िरों की नस्ल से ऐसे लोग भी पैदा कर दे जो मोमिन निकलें और किसी को अल्लाह तआला का शरीक न बनाएँ।'' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब इज़ा क़ाल अहदुकुम आमीन वल मलाइकतु फ़िस्समाइ फ़वाफ़क़त.... : 3231) यह मुस्लिम के लफ़्ज़ हैं कि उन पर फ़रिश्ते ने अपना अज़ाब पेश किया तो नबी अकरम (ﷺ) ने उसको मुहलत देने को कहा और अज़ाब में ताख़ीर की ख़्वाहिश की ताकि उनकी नस्ल से मोमिन पैदा हो सकें, तो अब शुब्हा यह वारिद होता है कि इस हदीस और अल्लाह तआला के ऊपर की आयत में तताबुक़ (मेल) किस तरह होगा। पिछले क़ौल यह है कि जो अज़ाब तुम मांगते हो अगर मुझे उस पर दस्तरस होती, तो हमारा तुम्हारा फ़ैसला इसी वक़्त हो जाता और मैं इसी वक़्त तुम पर अज़ाब नाज़िल कर देता। और यहाँ दस्तरस होने के बावजूद हुज़ूर (ﷺ) अज़ाब नाज़िल नहीं फ़र्मा रहे हैं।

यह शुब्हा यूँ दूर हो सकता है कि ऊपर की आयत तो दलालत करती है इस बात पर कि जिस अज़ाब को वह तलब करते हैं तो तलब करने पर वक़ूअे अज़ाब हो जाता है और हदीस में यह मज़्कूर नहीं कि उन्होंने अज़ाब तलब किया था। बल्कि फ़रिश्ते ने अपनी तरफ़ से अज़ाब की पेशकश की थी कि अगर आप चाहें तो यह अख़्शबीन जो मक्का में दो पहाड़ हैं और जुनूबन व शिमालन इसको घेरे हुए हैं, इन पर गिरा दूँ लेकिन नबी अकरम (ﷺ) ने नर्मी करने और ताख़ीर से काम लेने की ख़्वाहिश की।

फिर इर्शादे बारी है कि ग़ैब की बातें अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''ग़ैब की बातें पाँच हैं, वह यह कि क़यामत का वक़्त अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता, दूसरे पानी का बरसना, तीसरे यह कि हमल में लड़का है या लड़की, चौथे यह कि कल कोई शख़्स क्या करने वाला है, पाँचवीं यह कि कोई शख़्स नहीं जानता कि वह किस मक़ाम में मरेगा। अल्लाह तआला ही इन बातों से ख़बरदार है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल अन्आम बाब (व इन्दहू मफ़ातीहुल ग़ैबि ला यअलमुहा इल्ला हुआ) : 4627; सुननुल कुब्रा : 7728) हदीसे उमर (रज़ि.) में है कि जिब्राईल (ﷺ) एक वक़्त एक आराबी की शक्लो सूरत में आप (ﷺ) के पास आए और ईमान व इस्लाम व एहसान के बारे में आप (ﷺ) से सवाल किये तो नबी अकरम (ﷺ) ने जवाब के ज़िम्न में फ़र्माया था कि ''पाँच चीज़ों का इल्म अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं। फिर आयत तिलावत की (इन्नल्लाह इन्दहू इल्मुस्साअत) आख़िर तक और क़ौलुहू तआला (व यअलमु मा फ़िल बर्रि वल बहरि) यानी उसका इल्मे करीम जमीअ (तमाम) मौजूदाते बर्री व बहरी पर मुहीत है ज़मीन और आसमान का कोई ज़र्रा उससे मख़फ़ी (छुपा हुआ) नहीं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिब्राईलिन्नबी (ﷺ) अनिल ईमान वल

इस्लाम... : 50; सहीह मुस्लिम : 9; तिर्मिज़ी : 2610; इब्ने माजा : 63; इब्ने हिब्बान : 168) सरसरी ने क्या ख़ूब कहा है:-

फ़ला यख़्फ़ा अलैहिहुर्रुइम्मा तराआ लिन्नवाज़िरि अव तवारा

यानी **''अल्लाह तआला से कोई ज़र्रा भी मख़्फ़ी नहीं रह सकता। ख़्वाह देखने वालों से कोई चीज़ खुली रहे या छुपी रहे।''**

अल्लाह तआला का फ़र्मान है कि (वमा तस्कुतु मिंव्वरक़तिन इल्ला यअलमुहा) जब वह जमादात तक की हरकात को जानता है तो फिर हैवानात और ख़ुसूसन जिन्न व इंस की हरकात व आमाल को कैसे न जानेगा जबकि वह मुकल्लफ़ भी हैं। जैसाकि फ़र्माया (यअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़्फ़िस्सुदूर) बर्र व बहर के हर शजर तक पर एक फ़रिश्ता मुवक्किल है जो पत्तों के गिरने तक की याददाश्त रखता है। किताब लौहे महफ़ूज़ में हर रत्ब व याबिस हर सीधी टेढ़ी बात और ज़मीन की तारीकियों के अंदर का एक एक ज़र्रा तक लिखा हुआ है। हर दरख़्त बल्कि सूई के नाके पर भी फ़रिश्ता मुक़र्रर है यानी लिखता है कि कब यह तरोताज़ा हुआ और कब सूख गया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह तआला ने दवात को पैदा किया और अल्वाह पैदा किए और दुनिया में तमाम होने वाले उमूर दर्ज किए कि कैसे मख़्लूक़ पैदा होगी, रिज़्क़ उसको हलाल मिलेगा या हराम, अमल उसका नेक होगा या बद। अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है कि तीसरी ज़मीन से नीचे और चौथी के ऊपर के जिन्नों ने तुम्हारे लिए ज़ाहिर होना चाहा लेकिन उनका नूर और रोशनी किसी ज़ाविये से भी तुम्हें दिखाई न दे सकी। यह अल्लाह तआला की ख़्वातीम हैं कि हर ख़ातिम पर एक फ़रिश्ता है। अल्लाह तआला हर दिन एक फ़रिश्ते को भेजकर कहता है कि जो ख़ातिम तेरे हवाले है उसकी हिफ़ाज़त कर।

***

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى
اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا
وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۗ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۣ وَهُوَ اَسْرَعُ
الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾

तर्जुमा : "और वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गुना क़ब्ज़ कर देता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उसको जानता है फिर तुमको जगा उठाता है ताकि तयशुदा वक़्त को पूरा कर दे फिर उसी की तरफ़ तुमको जाना है फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे। (60) और वही अपने बन्दों के ऊपर ग़ालिब है बरतर है और तुम पर निगहदाश्त रखने वाले भेजता है यहाँ तक कि जब तुममें से किसी को मौत आ पहुँचती है उसकी रूह हमारे भेजे हुए क़ब्ज़ कर लेते हैं और वह ज़रा कोताही नहीं करते। (61) फिर सब अपने मालिके ह़क़ीक़ी के पास लाए जाएँगे। ख़ूब सुन लो, फ़ैसला अल्लाह तआला ही का होगा और वह बहुत जल्द हिसाब ले लेगा।" (62)

मौते सुग़रा (छोटी) व कुब्रा (बड़ी) का बयान (आयत 60-62) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह अपने बन्दों को रात के वक़्त बवक़्ते ख़्वाब वफ़ात देता है और यह वफ़ाते असग़र (छोटी) है जैसाकि फ़र्माया जब अल्लाह तआला ने कहा, ऐ ईसा (عليه السلام)! मैं तुम्हें वफ़ात देने वाला हूँ और अपनी तरफ़ तुम्हें उठा लेने वाला हूँ। (3/आले इमरान : 55) और फ़र्माया कि अल्लाह तआला मौत के वक़्त नुफ़ूस को वफ़ात दे देता है और जो बहालते ख़्वाब मर नहीं जाते हैं वह ऐसे नुफ़ूस होते हैं उन पर तारी होने वाली मौत रोक दी जाती है और उन पर दूसरी मौत भेजी जाती है यानी नींद और यह मुक़र्ररा मौत तक होता रहता है। इस आयत में दो वफ़ातों का ज़िक्र किया गया है, एक मौते कुब्रा और दूसरी मौते सुग़रा। फिर इर्शाद होता है कि वह रात के वक़्त तुमको वफ़ात दे देता है तुम कारोबार से रुक जाते हो लेकिन दिन में तुम अपने काम में लगे रहते हो और वह तुम्हारे दिन भर के आमाल को जानता है। यह एक जुम्ला मुअतर्ज़ा है जो इस बात पर दलालत करता है कि अल्लाह तआला का इल्म अपनी मख़्लूक़ पर कैसा मुहीत है। रात के वक़्त हालते सुकून में और दिन में बहालते हरकात। जैसाकि फ़र्माया (**सवाउम् मिन्कुम मन असर्रल् क़ौल वमन जहरा बिही वमन हुवा मुस्तख़्फ़िम् बिल्लैलि व सारिबुम् बिन् नहार**) यानी छुपा व खुला रात का या दिन के सब उमूर का उसे इल्म है। और फ़र्माया (وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ) (28/क़सस : 73) यानी "अल्लाह तआला की रहमत है कि तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए ताकि रात में सुकून हासिल करो और दिन में कमाओ खाओ।" और फ़र्माया कि "हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया और दिन को तलबे मुआश (रिज़्क़) का वक़्त" (78/नबा : 10) इसीलिए आयते ज़ेरे ज़िक्र में फ़र्माता है कि रात को वह मार देता है और दिन में जो आमाल तुमने कर रखे हैं, उन्हें जानता है। फिर इस ज़ाहिरी मौत के बाद दिन के वक़्त फिर तुम्हें जीता जागता उठाता है। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हर इंसान के साथ एक फ़रिश्ता होता है जब वह सो जाए तो उसके नफ़्स को ले लेता है और अल्लाह तआला के पास ले जाता है। अगर अल्लाह तआला फ़र्माए कि रोक रख तो रोक लेता है वरना फिर उसके जिस्म में वापिस कर देता है।"(यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है ज़ह्हाक का इब्ने अब्बास (रज़ि.) से लिक़ाअ व सुनना साबित नहीं) (**हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि**) का यही मतलब है। अल्लाह तआला फ़र्माता है (**लि युक़्ज़ा अजलुम् मुसम्मन**) यानी हर शख़्स का मुक़र्ररा वक़्त पूरा हो जाने पर उसकी रूह अल्लाह तआला के पास पहुँचा दी जाती है। अल्लाह तआला उसको बतला देता है कि तू क्या अमल करता था और फिर उसका बदला देता है। ख़ैर हो तो ख़ैर का बदला, बुरा है तो बद। वक़ौलुहू (**वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही**) यानी वह हर चीज़ पर ग़ालिब है और हर

चीज़ उसके सामने झुकी हुई है, उसने इंसान पर फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं जो उसकी हर आन हिफ़ाज़त करते हैं। जैसाकि फ़र्माया कि इंसान के आगे पीछे फ़रिश्ते होते हैं जो अल्लाह तआला के हुक्म से उसकी हिफ़ाज़त करते रहते हैं। जैसाकि फ़र्माया (وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ) (82/इंफ़ितार : 10) और फ़र्माया (اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ.....) (50/क़ाफ़ : 17, 18) और फ़र्माया कि जब तुममें से किसी को मौत आ जाती है तो हमारे फ़रिश्ते उसकी रूह क़ब्ज़ कर लेते हैं। (तबरी : 11/410) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मलकुल मौत के कई फ़रिश्ते मददगार हैं। जो जिस्म से रूह खींचते हैं और जब हलक़ तक वह रूह आ पहुँचती है तो मलकुल मौत क़ब्ज़ कर लेते हैं और इसका ज़िक्र तफ़्सीर आयत (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) (14/इब्राहीम : 27) में आगे आएगा। फिर फ़र्माया **(वहुम ला युफ़्रिज़ून)** यानी वह रूहे मुतवफ़्फ़ा की हिफ़ाज़त में कोई कमी नहीं करते। फिर उसको वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ अल्लाह तआला की मर्ज़ी होती है। अगर वह नेक हो तो इल्लीय्यीन में जगह दी जाती है और अगर फ़ाजिर हो तो सिज्जीन में, जो दोज़ख़ का तब्क़ा है, अल्लाह तआला की पनाह। फिर यह फ़रिश्ते उन रूहों को अपने मौलाए हक़ की तरफ़ फेर देते हैं।

नेक और बद रूह का अंजाम : यहाँ हम एक हदीस ज़िक्र करते हैं जिसको अबू हुरैरा (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मरने वाले के पास फ़रिश्ते आते हैं, अगर वह मर्दे सालेह हो तो कहते हैं कि आ जा ऐ नफ़्से तय्यिबा! तू जसदे तय्यिब में था, दुनिया से महमूद वापिस आ। तुझको जन्नत के रूह व ईमान की ख़ुशख़बरी है, अल्लाह तुझसे नाराज़ नहीं। जब यह मुसलसल कहते रहते हैं तो रूह जिस्म से निकल आती है, वह उसे लेकर आसमान पर चढ़ते हैं, आसमान का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। पूछा जाता है, कौन है? कहा जाता है कि फ़लाँ की रूह है तो आसमान के फ़रिश्ते कहते हैं कि "मरहबा ऐ पाक नफ़्स! तू पाक जिस्म में था। तुझे ख़ुशख़बरी है।" यहाँ तक कि वह उसे लेकर उस आसमान तक पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह तआला है। और अगर वह जान बदकार की जान है तो कहते हैं कि "ऐ ख़बीस जिस्म में रहने वाली ख़बीस रूह! निकल ज़लील बनकर, तुझे हमीम व ग़स्साक़ की ख़ुशख़बरी है और तेरे लिए उसी पीप और गर्म पानी की तरह और दूसरे अज़ाब भी हैं।" बार बार कहने के बाद जब वह निकलती है तो उसे लेकर आसमान पर चढ़ जाते हैं। दरवाज़ा खुल जाता है, पूछा जाता है कौन है? कहा जाता है, फ़लाँ तो फ़रिश्ते कहते हैं, लानत है तुझ पर ऐ बुरी नफ़्स! तेरे लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खुलेगा फिर वह रूह अपनी क़ब्र की तरफ़ वापिस कर दी जाती है।" (इब्ने माजा, किताबुज़्ज़ुहद, बाब ज़िक्रुल मौत वल इस्तिअदाद लहू : 4262; व सनदुहू सहीहुन; अहमद : 2/364, 365; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11442; शरीअतु लिल आजुरी, पेज : 392; अल्ईमान लि इब्ने मंदा : 1068) यह हदीस ग़रीब है और मुहतमिल (सम्भव) है कि यह मुराद हो कि (सुम्म रुद्दू) यानी सारी मख़्लूक़ को क़यामत के दिन अल्लाह तआला की तरफ़ लौटाया जाएगा और अल्लाह पाक हस्बे इंसाफ़ उन पर हुक्म सादिर करेगा जैसाकि फ़र्माया (اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ۝ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝) (56/वाक़िया : 49,50) और फिर वारिद है (وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا) (18/कहफ़ : 47) यानी अव्वलीन व आख़रीन सबको क़यामत के दिन जमा किया जाएगा। हम सबको उठाएँगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह तआला किसी पर ज़ुल्म नहीं करेगा। वह मौला-ए-हक़ है हुक्म सिर्फ़ उसी का चलता है, वह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا
مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ
اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ
مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ
نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾

तर्जुमा : ''आप कह दीजिए कि वह कौन है जो तुमको ख़ुश्की और दरिया की जुलुमात (अंधेरों) से इस हालत में नजात दे देता है कि तुम उसको पुकारते हो तज़ल्लुल ज़ाहिर करके और चुपके चुपके कि अगर तू हमको इनसे नजात दे दें तो हम ज़रूर शुक्रगुज़ार बन्दों में से हो जाएँगे। (63) आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला ही तुमको इनसे नजात देता है और हर ग़म से। तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। (64) आप कह दीजिए कि इस पर भी वही क़ादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे या तुम्हारे पैरों तले से या कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक को दूसरे की लड़ाई चखा दे, आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग) पहलूओं से बयान करते हैं, शायद वह समझ जाएँ।'' (65)

मुश्रिकीन भी मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ अल्लाह तआला ही को पुकारते हैं (आयत 63-65) : अल्लाह अपने बन्दों पर एहसान का ज़िक्र फ़र्मा रहा है कि हमने बर्री (ख़ुश्की) व बहरी (समुन्द्री) की तारीकियों से उन परेशान हालों को कैसे नजात दी जबकि बड़ी मुश्किलात और बहरी गर्दाब में फंस गए थे जहाँ मुख़ालिफ़ हवाएँ चल रही थीं और उस वक़्त वह दुआ के लिए अल्लाह तआला वाहिद को मख़्सूस कर रहे थे। जैसाकि एक जगह और फ़र्माया कि जब तुम्हें समुन्दर में किसी मज़र्रत (नुक़्सान) से सामना पड़ता है तो उस वक़्त यह सारे शुर्का को भूल जाते हैं, कोई बुत याद नहीं आता और याद आता है तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क़ौले पाक है कि तुम्हारा रब वही अल्लाह तआला तो है जो बहरो बर्र में तुम्हें ले चलता है और जब जहाज़ ख़ुशगवार और मुवाफ़िक़े हवा के साथ चलते हैं तो बड़े ख़ुश रहते हो और जब हवा मुख़ालिफ़ (उल्टी) चलती है और हर तरफ़ से मौजें टक्कर देती रहती हैं और यक़ीन हो जाता है कि अब तो मौत में घिर गए तो बड़े ख़ुलूस से अल्लाह तआला को पुकारते हैं कि ऐ अल्लाह तआला! अगर इस मुसीबत से तू हमें नजात बख़्शेगा तो हम बहुत शुक्रगुज़ार बन्दे बनेंगे। (10/यूनुस : 22) और इर्शाद होता है कि ग़ौर तो करो कि बहरो बर्र की तारीकियों में तुम्हें सीधी राह कौन चलाता है। और ख़ुश आइन्द हवाओं को अपनी रहमत से कौन भेजता है, क्या अल्लाह तआला

के साथ कोई और खुदा भी है जिसे तुमने शरीक बना लिया है और यह आयते करीमा कि ज़ुलुमाते बह्ररो बर्र से कौन नजात देता है जिसको तुम सिर्रन (छुपे तौर पर) व ऐलानियातन (ज़ाहिरी तौर पर) पुकारते हो कि तू हमें नजात दे तो हम शुक्रगुज़ार बनेंगे। कह दो कि अल्लाह तआला ही ने तुम्हें उससे और हर दर्द व कर्ब से नजात बख़्शी है। लेकिन तुम फिर भी ख़ुशहाली में बुतों को उसका शरीक बनाते हो। अल्लाह तआला इस पर क़ादिर है कि तुम पर अज़ाब नाज़िल करे, जैसाकि सूरह बनी इस्राईल में है कि तुम्हारा रब ही जहाज़ों को समुन्द्र में चलाता है ताकि तुम दौलत कमाओ। वह तुम पर रहीमो करीम है। और जब तुम्हें कोई मज़र्रात (तकलीफ़) आ पहुँचती है तो अपने सब बुतों को भूल जाते हो और अल्लाह तआला ही याद रह जाता है और जब समुन्दर के ख़तरात से बचाकर ख़ुश्की पर ला खड़ा करता है तो अल्लाह तआला से ऐराज़ कर जाते हो। इंसान बड़ा ही नाशुक्रगुज़ार है, ज़मीन पर आने के बाद क्या तुम बच गए, वह चाहे तो पानी में डुबोने की तरह क्या ज़मीन के अन्दर भी तुम्हें नहीं धंसा सकता। या तुम पर आसमान से पत्थर बरसाए और फिर कोई तुम्हारा मददगार न हो। वह तुम्हें फिर समुन्दर का सफ़र कराके और मुख़ालिफ़ हवा भेजकर तुम्हें डुबो सकता है। अल्लाह तआला क़ादिर है कि चाहे तो तुम्हारे सर के ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से तुम पर अज़ाब भेज दे। यह मुश्रिकीन से ख़िताब था। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि यह तम्बीह उम्मते मुहम्मद के लिए है। यहाँ हम चंद अहादीस ज़िक्र कर रहे हैं जो इसी के बारे में हैं। भरोसा अल्लाह तआला ही पर है।

बुख़ारी (रह.) ने इस आयते मुंदर्जा बाला के बारे में फ़र्माया (यल्बिसकुम) यानी तुम फ़िर्क़े बन बनकर आपस में तफ़र्क़ा बंदियाँ करने लगो और एक दूसरे से लड़ भिड़ो। यानी अल्लाह तआला चाहे तो ऐसे अज़ाब में भी तुम्हें मुब्तला कर सकता है।

नबी (ﷺ) की उम्मत के लिए रहमत की दुआएँ : जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि जब यह आयत उतरी यानी **(अज़ाबम् मिन फ़ौक़िकुम)** वाली तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया **(अऊज़ुबि वज्हिक)** और **(तहत अर्जुलिकुम)** के वक़्त भी फ़र्माया **(अऊज़ुबि वज्हिक)** यानी ऐ अल्लाह! तेरी पनाह। और जब **(क़ुल हुवल क़ादिर)** तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया **(अऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक)** फिर **(मिन तह्रति अर्जुलिकुम)** सुनकर भी फ़र्माया **(अऊज़ुबिल्लाहि)** फिर **(यल्बिसकुम शियअन)** सुना तो फ़र्माया, ''यह निस्बतन सहल है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल अन्आम बाब **(क़ुल हुवल क़ादिरु अला अंय्यब्अस अलयकुम अज़ाबम् मिन फ़ौक़िकुम....)** : 4628; तिर्मिज़ी : 3065; मुस्नद अबी यअला : 1982; इब्ने हिब्बान : 722) जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि जब यह आयत उतरी कि **(क़ुल हुवल क़ादिर)** तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया **(अऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक)** फिर **(मिन तह्रति अर्जुलिकुम)** सुनकर भी फ़र्माया, **(अऊज़ुबिल्लाह)** फिर **(यल्बिसकुम शियअन)** सुनकर फ़र्माया ''यह आसानतर है।'' अगर इस पर भी आप (ﷺ) पनाह मांगते तो मांग सकते थे। सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से मरवी है कि इस आयत को सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''यह बात होकर रहेगी और अभी तक हुई नहीं है।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्आम : 3066; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अहमद : 1/171; इसकी सनद में अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है।)

एक हदीस सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से मरवी है कि हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ चले और मस्जिदे बनी मुआविया में आए, वहाँ आप (ﷺ) ने दो रकअतें पढ़ीं। हमने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। फिर आप (ﷺ) देर तक रब्बे अज़्ज़ा व जल्ल से मुनाजात में मसरूफ़ रहे, फिर फ़रमाने लगे कि, "मैंने तीन बातों की अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की थी कि मेरी उम्मत फ़िरऔनियों की तरह डुबकर तबाह न हो, क़हत से हलाक न हो और इनको गिरोहों के अन्दर जंग बरपा न हो जाए, तो पहली दो बातें तो मंज़ूर कर ली गईं और तीसरी बात न मंज़ूर की गई।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब हलाकु हाज़िहिल उम्मति बअज़ुहुम बिबअज़िन : 2890; अहमद : 1/175; मुस्नद अबी यअला : 734; इब्ने हिब्बान : 7236)

जाबिर बिन अतीक (रज़ि.) से रिवायत है कि हमारे पास अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) मक़ामे बनी मुआविया में आए जो अंसार का एक गाँव है और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस मस्जिद में नबी अकरम (ﷺ) ने कहाँ नमाज़ पढ़ी थी? मैंने कहा, हाँ! और एक गोशे की तरफ़ इशारा किया। फिर पूछा, वहाँ आप (ﷺ) ने किन तीन बातों की दुआ की थी? मैंने कहा, आप (ﷺ) ने दुआ की थी कि "कोई दुश्मन मेरी उम्मत पर ग़ालिब न हो और क़हत इन्हें हलाक न करे, तो यह दोनों बातें मंज़ूर कर ली गईं, और यह भी दुआ की थी कि इनकी आपस में जंग न हो तो यह दुआ क़बूल न हुई।" तो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि तुमने ठीक कहा। चुनाँचे क़यामत तक मुसलमानों की आपस में जंगें होती रहेंगी। (मुस्नद अहमद : 5/445; मौता इमाम मालिक : 1/216; ह : 504; वहुव हदीसुन सहीहुन; अल्मुअजमुल कबीर : 1781; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/221) यह हदीस सिहाहे सित्ता में दर्ज नहीं है लेकिन इसकी इस्नाद जय्यद और क़वी है।

मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया तो कहा गया कि अभी चले गए हैं। जहाँ जाता, कहा जाता कि अभी यहाँ से चले गए। हत्ताकि मैंने आप (ﷺ) को एक जगह नमाज़ पढ़ते देखा। मैं भी आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया। आप (ﷺ) ने बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने बड़ी लम्बी नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मैं सलाते ख़ौफ़ व रग़बत पढ़ रहा था।" फिर आप (ﷺ) ने इन्हीं अपनी तीन दुआओं का ज़िक्र फ़र्माया। (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब मा यकूनु मिनल फ़ितन : 3951; वहुवा सहीह; अहमद : 5/240; इब्ने ख़ुज़ैमा : 1218)

ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) मौला बनी ज़ोहरा से रिवायत है जो बद्र में नबी अकरम (ﷺ) के साथ हाज़िर थे, कहते हैं कि एक दिन मैं तमाम रात नबी अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ता रहा। यहाँ तक कि जब आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़कर सलाम फेरा तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज आपने ऐसी नमाज़ पढ़ी कि मैंने कभी नहीं देखा था। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ! यह नमाज़ उम्मीद व रजा की थी जिसके बाद मैंने अल्लाह तआला से तीन बातों की दरख़्वास्त की थी।" उसके बाद पूरी हदीस मज़्कूर है। (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ फ़ी सुआलिन्नबी (ﷺ) सलासन फ़ी उम्मतिही : 2175; व सनदुहू सहीह; नसाई : 1639; अहमद : 5/108, 109; इब्ने हिब्बान : 7236; अल्मुअजमुल कबीर : 3621) इसको सिहाहे सित्ता में नसाई (रह.) ने रिवायत किया है। अबू मालिक कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ऐ नाफ़ेअ बिन ख़ालिद

ख़ुज़ाई! क्या यह हदीस तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान से सुनी है? तो कहा, हाँ! मैंने उन लोगों से सुना जिन्होंने ख़ुद नबी अकरम (ﷺ) की ज़बान से सुना था।

शद्दाद बिन औस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मेरे लिए ज़मीन के मश्रिक़ व मग़्रिब क़रीब कर दिए गए और यह कि मेरी उम्मत उन सब पर मालिक हो जाएगी। और मुझे दोनों ख़ज़ाने दिए गए हैं। ख़ज़ाना अब्यज़ भी और ख़ज़ाना अह्मर भी। और मैंने सवाल किया था कि इसके साथ ऐ अल्लाह तआला! यह भी हो कि मेरी उम्मत क़ह्त से न मरे और न कोई दुश्मन इन पर मुसल्लत़ हो कि उमूमी हलाकत ला डाले और इनमें गिरोहबन्दी न हो जाए कि एक दूसरे से जंग करने लगें। तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मैंने जो तक़्दीर क़ायम कर दी वो होकर रहेगी। मैंने तुम्हारी दोनों बातें तो मंज़ूर कीं लेकिन तुम्हारी उम्मत कुछ को कुछ हलाक करेगी या क़ैद किया करेगी।'' और नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मुझे अगर अपनी उम्मत पर ख़ौफ़ है तो गुमराह इमामों और सरदारों का है। जब एक बार मेरी उम्मत में तलवार चल पड़ेगी तो फिर न रुकेगी और क़यामत तक आपस में जंगो जिदाल का सिलसिला क़ायम रहेगा।'' (मुस्नद अह्मद : 4/123; वहुव हदीसुन सहीहुन; मुस्नद बज़्ज़ार : 3291)

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से दुआ की थीा कि मेरी उम्मत को चार चीज़ों से दूर रख। चुनाँचे दो बातों से अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत को महफ़ूज़ रखा और दो से नहीं रखा। मैंने दुआ की थी कि मेरी उम्मत पर आसमान से पथराव न हो और अहले फ़िरऔन की तरह वह डूबकर न मरें और इनमें फ़िर्क़ाबन्दी न हो और यह कि वह एक दूसरे से जंग न करें, तो अल्लाह तआला ने पथराव न होने और डुबने से महफ़ूज़ रहने की दुआएँ क़बूल कर लीं लेकिन आपस में फ़िर्क़ाबन्दी और गिरोहबन्दी और जंगो क़िताल बाक़ी रहा।'' (इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन कीसान ज़ईफ़ रावी है)

इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जब यहआयत उतरी (कुल हुवल क़ादिर) तो नबी अकरम (ﷺ) उठे, वुज़ू किया और दुआ मांगने लगे कि ''ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत पर ऊपर से और नीचे से अज़ाब नाज़िल न फ़र्मा और इनमें गिरोहबन्दी और जंग न हो तो जिब्राईल (عليه السلام) आए और कहा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! अल्लाह तआला ने तुम्हारी उम्मत को आसमान से अज़ाब नाज़िल होने से और पैर तले से अज़ाब उबलने से महफ़ूज़ कर दिया है।'' (इसकी सनद में अम्र बिन क़ैस का शैख़ मज्हूल है जिसकी वजह से इसकी सनद ज़ईफ़ है।)

इसके बाद और कई हदीसें इसी नोइयत (क़िस्म) और इसी मज़्मून की दर्ज हैं, जिनका बार-बार ज़िक्र तर्जुमा व तफ़्सीर पढ़ने वाले के लिए ग़ैर ज़रूरी है।

आसमानी अज़ाब से पथराव मुराद है और पैर तले के अज़ाब से ज़मीन में धंस जाना मुराद है। यह चार चीज़ें थीं जिनमें से दो नबी अकरम (ﷺ) की वफ़ात से पच्चीस बरस बाद ही ज़ाहिर होने लगीं यानी आपस में इख़्तिलाफ़े राय और गिरोहबन्दी और मुसलमानों की दो पार्टियों में जंगो-जिदाल। रजम और ख़स्फ़ से उम्मते मुहम्मद महफ़ूज़ व मामून रखी गयी।

इस आयत के बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) मस्जिद में या मिम्बर पर चीख़ चीख़कर फ़र्माते

थे कि ऐ लोगों! तुम पर अल्लाह तआला की आयत उतर चुकी है, अगर अज़ाब आसमान से आएगा तो कोई नहीं बचेगा, और अगर पैरों तले से आएगा तो तुम ज़मीन में धंसकर हलाक हो जाओगे, अगर जमाअतों में बट जाओगे और आपस में जंग छिड़ जाएगी तो यह सबसे बदतर बात होगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते थे कि इस आयत में (अज़ाबम् मिन फ़ौक़िकुम) से बुरे पेशवा मुराद हैं और (तह़ति अर्जुलिकुम) से बुरे ख़ादिम मुराद हैं या यह कि उमरा और गुरबा मुराद हैं।

इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि अगरचे यह क़ौल एक तौजीह रखता है लेकिन पहला क़ौल ज़ाहिर और क़वी (मज़बूत) है। इब्ने जरीर (रह़.) फ़र्माते हैं कि इसकी सेह़त की गवाही अल्लाह तआला का यह क़ौल देता है (अ अमिन्तुम मन् फ़िस्समाइ) यानी क्या तुम इससे मह़फ़ूज़ हो कि अल्लाह तआला तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और वह भड़कने और उबलने लगे या इस बात से मह़फ़ूज़ हो कि आसमान से पहले की क़ौमों की तरह़ पत्थर बरसाए। अन्क़रीब तुम जान लोगे कि मेरी अंदेशा दहानी कितनी स़ह़ीह़ थी। (67/मुल्क : 16, 17) और ह़दीस में है कि यह आसमान से पत्थर बरसना, ज़मीन में धंसा देना और सूरतों का मस्ख़ हो जाना यह सब इस उम्मत में होगा और यह क़यामत की निशानियों में से हैं। (इब्ने मर्दवे, व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबुल मिन्हाल लम आरफ़्हू, व ह़दीसे तिर्मिज़ीः 2152 युग़्नी अन्हू) क़यामत से पहले इन आयात का ज़हूर होगा और इंशाअल्लाह तआला इसका ज़िक्र अपने मौक़े पर आएगा।

(यल्बिसकुम शियअन) से मुराद बहुत से अलग अलग फ़िर्क़े (गिरोह/जमाअत) हैं। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "मेरी उम्मत तेहत्तर (73) फ़िर्क़ों में बट जाएगी, एक फ़िर्क़ा को छोड़कर बाक़ी सब नारी और जहन्नमी होंगे।" (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ी इफ़्तिराक़े हाज़िहिल उम्मति : 2641; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अब्दुर्रह़मान बिन ज़ियाद बिन अन्अम अफ़्रीक़ी रावी ज़ईफ़ है। अबूदाऊद : 4597; व सनदुहू ह़सन; ह़ाकिम : 1/129) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि कुछ को कुछ पर अज़ाब व क़त्ल के साथ मुसल्लत़ कर दिया जाएगा। क़ौलुहू तआला (उंजुर कैफ़ युसर्रिफ़ुल आयात) देखो कि हम किस तरह़ वज़ाह़त व तफ़्सीर के साथ बारहा बयान करते जाते हैं ताकि तुम अल्लाह तआला की आयतों और उसके दलाइल पर ग़ौर करो और समझो। ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि जब (हुवल क़ादिर) वाली आयत उतरी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मेरे बाद काफ़िर न हो जाना कि आपस में तलवार लेकर एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो।" तो लोगों ने कहा, हम तो गवाही देते हैं कि अल्लाह तआला एक है और आप अल्लाह तआला के रसूल हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "हाँ!" तो किसी ने कहा, कि ऐसा कभी न होगा कि हममें से एक दूसरे को क़त्ल करने लगे जबकि हम स़ह़ीह़ मआनी में मुसलमान हों। चुनाँचे यह आयत उतरी। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) इर्शाद होता है कि (व कज़्ज़बा बिही क़ौमुक वहुवल ह़क़्क़.....) यानी तुम्हारी क़ौम वह़ी को झुठलाएगी ह़ालाँकि वह ह़क़ है। तुम कह दो कि मैं तुम्हारा कोई सरधरा तो हूँ नहीं न ज़िम्मेदार, हर बात का एक वक़्त मुक़र्रर है, क़रीब में तुमको ह़क़ीक़त का पता चल जाएगा।

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝٦٦ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ
وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٦٧ وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى
يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ۭ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝٦٨ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝٦٩ ·

तर्जुमा : "और आपकी क़ौम इसको झुठलाती है हालाँकि वह यक़ीनी है। आप कह दीजिए कि मैं तुम पर तैनात नहीं किया गया हूँ। (66) हर ख़बर के वक़ूअ का एक वक़्त है और जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा। (67) और जब तू उन लोगों को देखे जो हमारी आयात में ऐबजूई कर रहे हैं तो उन लोगों से किनाराकश हो जा, यहाँ तक कि वह कोई और बात में लग जाएँ। और अगर तुझको शैतान भुला दे तो याद आने के बाद फिर ऐसे ज़ालिम लोगों के पास मत बैठ। (68) और जो लोग एहतियात रखते हैं उन पर उनकी बाज़ पुर्स का कोई असर न पहुँचेगा और लेकिन उनके ज़िम्मे नसीहत कर देना है शायद वह भी एहतियात करने लगें।" (69)

तक्ज़ीब नहीं, इताअत (आयत 66-69) : तुम्हारी क़ौम कुरैश ने कुरआन को झुठलाया हालाँकि इसके सिवा कोई दूसरी चीज़ हक़ नहीं। तुम कह दो कि मैं तुम्हारा कोई हफ़ीज़ और ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जैसाकि फ़र्माया, कह दो (ऐ मुहम्मद ﷺ!) कि यह तुम्हारे रब की तरफ़ से हक़ है जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे न लाए, यानी मेरा फ़रीज़ा तो सिर्फ़ तब्लीग़ कर देना है और तुम्हारा काम सुनना और इताअत करना है, जो मेरी इताअत करेगा वह दीनो दुनिया में सुर्ख़रू रहेगा और जो मुख़ालिफ़त करेगा वह दोनों जगह बदबख़्त रहेगा। इसीलिए इर्शाद फ़र्माया कि हर बात के लिए एक तयशुदा वक़्त है और हर ख़बर के लिए एक वक़ूअ है अगरचे कुछ अर्सा (मुद्दत) बाद सही। जैसाकि फ़र्माया कि कुछ अर्सा बाद तुमको इसका पता चल जाएगा। और फ़र्माया **(लि कुल्लि अजलिन किताब)** यह तहदीद और वईदे अकबर है इसीलिए फ़र्माया कि अन्क़रीब तुम इसको जान लोगे।

मज़ाक़ करने वालों के साथ न बैठने का हुक्म : क़ौले बारी **(व इज़ा रअय्तल्लज़ीन यख़ूज़ून फ़ी आयातिना फ़अअरिज़ अन्हुम)** यानी जब तुम उन कुफ़्फ़ार को देखो कि तक्ज़ीब व इस्तिहज़ा (मज़ाक़) के साथ हमारी आयतों में बहस कर रहे हैं तो उनसे रूगर्दां हो जाओ यहाँ तक कि वह कोई दूसरी बातें करने लगें। और अगर तुमको शैतान भुला दे तो याद आ जाने के बाद इन ज़ालिम लोगों के साथ मिल न बैठना। मुराद यह कि

उम्मत का हर हर फ़र्द उन मुकज़्ज़िबीन के साथ न बैठे जो अल्लाह तआला की आयतों की तहरीफ़ कर देते हैं और इसके सहीह और ज़ाहिर मफ़्हूम पर इसको क़ायम नहीं रखते। इसीलिए हदीस में वारिद है कि मेरी उम्मत के लिए क़ाबिले मुआफ़ी क़रार दिया गया है ख़ता और निस्यान से कोई काम करना या मजबूर होकर करना। (इसकी तख़रीज सूरह बक़रह 286 के तहत गुज़र चुकी है।) और इसी चीज़ की तरफ़ इस क़ौले पाक में इशारा है कि किताब में तुमको बतला दिया गया है कि जब तुम मालूम करो कि अल्लाह तआला की आयतों के साथ कुफ़्र और मज़ाक़ किया जा रहा है तो उनके पास से उठ जाओ, यहाँ तक कि उनका मौज़ूअे सुख़न (Topic) बदल जाए, वरना तुम भी मज़ाक़ करने वालों में समझे जाओगे और उन्हीं के बराबर हो जाओगे। (4/निसाअ : 140) और क़ौलुहू **(वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन)** यानी जब तुम उनके पास से हट गए और उनके हमनशीन न रहे तो तुमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली और उनके साथ शुमूलियते गुनाह से महफ़ूज़ हो गए। और सईद बिन जुबैर (रह.) ने इसका मतलब ये पेश किया है कि अगर वह कुफ़्फ़ार तंक़ीसे आयात की कोशिश में लगे हैं तो अब तुम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं, जबकि तुमने उनसे इज्तिनाब और ऐराज़ कर लिया हो। और दूसरे उलमा इसका यह मतलब बताते हैं कि अगर तुम लोग उन नालायक़ों के साथ बैठो भी तो उनके इस मज़ाक़ की ज़िम्मेदारी तुम पर आइद नहीं और गुमान किया है कि यह आयत सूरह निसाअ मदीना की आयत से मंसूख़ है और वह आयत यह है (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) (4/निसाअ : 140) यानी ऐसी सूरत में तुम भी उन जैसे हो गए। यह तौज़ीह आयत **(वमा अलल्लज़ीना यत्तक़ून)** के बारे में थी। यह मुजाहिद व सुद्दी व इब्ने जुरैज (रह.) वग़ैरह का क़ौल था उनके इस क़ौल की बिना पर क़ौले पाक **(वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तक़ून)** का मतलब यह हुआ कि लेकिन हमने तुमको इनसे ऐसी सूरत में ऐराज़ करने का हुक्म दिया है ताकि उन्हें तम्बीह और नसीहत हो जाए।'' शायद कि आइन्दा को वह इससे दूर रहें और फिर दोबारा ऐसा न करें।

***

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝٧٠

तर्जुमा : ''और ऐसे लोगों से बिलकुल किनाराकश रह जिन्होंने अपने दीन को लह्व व लइब (ख़ेल-तमाशा) बना रखा है और दुनियावी ज़िन्दगी ने इनको धोखे में डाल रखा है और इस

कुरआन के ज़रिये से नसीहत भी करता रह ताकि कोई शख़्स अपने किरदार के सबब इस तरह न फंस जाए कि कोई ग़ैरुल्लाह उसका न मददगार हो और न सिफ़ारिशी और यह कैफ़ियत हो कि अगर दुनियाभर का मुआवज़ा भी दे डाले तब भी उससे न लिया जाए। यह ऐसे ही हैं कि अपने किरदार के सबब फंस गए, इनके लिए निहायत तेज़ गर्म पानी पीने के लिए होगा, दर्दनाक सज़ा होगी। अपने कुफ़्र की वजह से।" (70)

दीन को खेल-तमाशा समझने वालों का अंजाम (आयत 70) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि उन लोगों को छोड़ जिन्होंने दीन को एक खिलौना समझ रखा है क्योंकि वह अज़ाबे अज़ीम की तरफ़ जा रहे हैं, इसीलिए फ़र्माया कि उन्हें इस कुरआन के ज़रिये नसीहत व इब्रत दिलाओ, अल्लाह तआला के अज़ाब से उन्हें डराओ ताकि वह अपने आमाल की वजह से हलाक न कर दिए जाएँ। ज़ह्हाक (रह.) तुब्सल को तुसल्लम के मअनी में लेते हैं यानी सौंप न दिए जाएँ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं ताकि रुस्वा न हो जाए। क़तादा (रह.) कहते हैं ताकि रोक न रखे जाएँ। और मुर्रा व इब्ने ज़ेद मुवाख़िज़ा के मअनी में लेते हैं। यह तमाम अक़्वाले इबारात तक़रीबन हम मअनी हैं। हासिल यह है कि हलाकत के लिए छोड़ देना और ख़ैर से रोक लेना और हुसूले मत्लूब से दूर रहना। जैसाकि फ़र्माया (كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ) (74/मुद्दस्सिर : 38, 39) हर शख़्स अपने आमाल में रुका हुआ है, सिवाय दाहिने हाथ वाले के। और क़ौलुहू **(लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युंव्वला शफ़ीउन)** यानी न उनका कोई वली होगा, न शफ़ीअ। जैसे फ़र्माया कि **(मिन क़ब्लि अंय्यातिय यौमुल्ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुव्वला शफ़ाअतुन)** इससे पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न सौदेबाज़ी है, न दोस्ती व मुहब्बत, न सिफ़ारिश और शफ़ाअत। काफ़िर ही पूरे ज़ालिम हैं। और क़ौले पाक **(वइन तअदिल कुल्ला अद्लिल्ला युअख़ज़ मिन्हा)** यानी अपने गुनाह के बदले में वह अपनी सारी दुनिया जहान भी फ़िदया या बदले में दे डालें तो न क़बूल होगी। जैसाकि फ़र्माया (اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ) (3/आले इमरान : 91) जो लोग कुफ़्र पर रहे और कुफ़्र ही पर मरे वह अगर ज़मीन भर सोना दे डालें तो नामुम्किन है कि क़बूल करके उनकी गुलू ख़लासी (छुटकारा) कर दी जाए। पस फ़र्माया **(ऊलाइकल्लज़ीना उब्सिलू बिमा कसबू)**

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ
هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ
اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
﴿٧١﴾ وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ ۗ وَهُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۭ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ڛ قَوْلُهُ الْحَقُّ ۭ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ

يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۭ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि हम अल्लाह तआ़ला के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें कि न वह हमको नफ़ा पहुँचाए और न हमको नुक़्सान पहुँचाए और क्या फिर उल्टे फिर जाएँ बाद इसके कि हमको अल्लाह तआ़ला ने हिदायत कर दी है जैसे कोई शख़्स हो कि उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो और वह भटकता फिरता हो उसके कुछ साथी भी थे कि वह उसको ठीक रास्ते की तरफ़ बुला रहे हैं कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए कि यक़ीनी बात है कि राहे रास्त वह ख़ास अल्लाह तआ़ला ही की राह है और हमको यह हुक्म हुआ है कि हम परवरदिगारे आलम के पूरे मुतीअ़ हो जाएँ। (71) और यह कि नमाज़ की पाबन्दी करो और उससे डरो और वही है जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे। (72) और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को फ़ायदे के लिए पैदा किया और जिस वक़्त अल्लाह तआ़ला इतना कह देगा कि तू हो जा पस वह हो पड़ेगा। उसका कहना बाअसर है और जबकि सूर में फूँक मारी जाएगी। सारी हुकूमत ख़ास उसी की होगी, वह जानने वाला है पोशीदा चीज़ों का और वही है बड़ी हिक्मत वाला, पूरी ख़बर रखने वाला।"(73)

मुश्रिकों को फ़ैसलाकुन अज़ाब (आयत 71-73) : मुश्रिकीन ने मुसलमानों से कहा था कि दीने मुहम्मद (ﷺ) को छोड़ दो तो अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी कि कह दो कि क्या मैं अल्लाह तआ़ला को छोड़कर उन बुतों की पूजा करूँ जो न नफ़ा बख़्शते हैं, न नुक़्सान और क्या कुफ़्र इख़्तियार करके हम उल्टे पैर फिर जाएँ। हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने हमें रोशनी (हिदायत) दे दी है। हमारी तो ऐसी मिसाल हो जाएगी कि जैसे किसी शैतान ने भटका दिया हो। यानी ईमान लाने के बाद कुफ़्र इख़्तियार करना ऐसा है जैसे कोई शख़्स सफ़र कर रहा हो और रास्ता भूल गया हो और शैतानों ने उसे भटका दिया हो और उसके साथी सीधी राह पर हों और उसको बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ, हम सीधी राह पर हैं, और वह इंकार कर गया हो। यह वह शख़्स है कि जो नबी अकरम (ﷺ) को अच्छी तरह जानने के बावजूद गुमराहों की पैरवी करके काफ़िर हो जाए और नबी अकरम (ﷺ) उसको सीधी राह पर बुला रहे हों। यह राह इस्लाम की राह है। **(कुल अ- नदक़)** इसमें बुतों और बुतपरस्तों की मिसाल बयान की गई है और उन लोगों की जो हिदायते इलाही की तरफ़ बुलाते हैं। जैसे कोई रास्ता से भटक गया हो, और कोई पुकारने वाला उसे पुकारता हो कि ऐ फ़लाँ! तू इस रास्ता की तरफ़ आ। और इसके दूसरे हमसफ़र बुला रहे हों कि भटको नहीं हमारी तरफ़ सीधी राह पर आओ, पस अगर पहले दाई (बुलाने वाले) की सुन ले तो वह उसको ले जाकर हलाकत के गढ़े में डाल देगा। और अगर दूसरे लोगों की बात सुनेगा तो वह उसको सीधी राहे हिदायत पर पहुँचाएँगे। पहला बुलाने वाला जंगल के शयातीन में से है। यह मिसाल है उस शख़्स की जो अल्लाह तआ़ला से हटकर बुतों की पूजा शुरू कर दे और वह उसी में

मस्लिहत समझे और जब उसको मौत आ जाएगी तो नदामत (शर्मिन्दगी) उठानी पड़ेगी। यह राह से भटकाने वाले शयातीन होते हैं जो उसको उसके बाप दादा के नाम लेकर और उसका नाम लेकर बुलाते हैं तो वह उनकी पैरवी करने लगता है और वह उसी में मस्लिहत समझता है। अब शयातीन उसको हलाकत में डाल देते हैं, उसे खा जाते हैं या भूखा प्यासा जंगल में भटकाते रहते हैं ताकि हलाक हो जाए। (हैरान) से हैरान मुराद है। जैसे कि कोई शख़्स भटका हो हैरान फिर रहा हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं अल्लाह तआला की हिदायत को क़बूल नहीं करता वह शैतान की इताअत करने वाला और गुनाह के काम करने वाला शख़्स मुराद है। उसके साथी हालाँकि उसको हिदायत की तरफ़ दावत देते रहते हैं। अल्लाह तआला कहता है कि यह शैतान का भटकाया हुआ वह है जिसके औलिया इंसान हैं। हिदायत अल्लाह तआला की हिदायत है और गुमराही वह है कि जिसकी तरफ़ शैतान बुलाता है। इसको इब्ने जरीर (रह.) ने रिवायत किया है। फिर कहा कि यह उसको मुक़्तज़ा है कि उसके साथी उसको गुमराही की तरफ़ बुला रहे हैं और गुमान करते हैं कि सहीह राह यही है।

औफ़ी (रह .) कहते हैं कि यह राय ज़ाहिर आयत के ख़िलाफ़ है इसलिए कि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि उसके हमसफ़र साथी उसको हिदायत की तरफ़ बुलाते हैं। पस यह जाइज़ नहीं कि उसको गुमराही क़रार दिया जाए हालाँकि अल्लाह तआला ने तो ख़बर दी है कि वह हिदायत है, और यह बात तो वही है जो इब्ने जरीर (रह.) ने कहा कि सियाक़े इबारत इस बात की मुतक़ाज़ी है कि **(कल्लज़िस्तहवत्हुश्शयातीनु फ़िल अर्ज़ि हैरान)** यह हाल होने की वजह से नसब के महल में है। यानी हैरत व ज़लाल व जहल की हालत में और इसके अस्हाब इसी राह पर चल रहे हैं तो उन्होंने उसको अपनी ही राह पर चलाया और अपने उसी रास्ते पर आने के लिए कहा जिसको अल्लाह तआला ने मिसाल के तौर पर फ़र्माया। अब तक़्दीरे कलाम यूँ हुई कि वह उनके बुलाने पर इंकार करता है और उनकी तरफ़ तवज्जह नहीं करता। और अगर अल्लाह चाहता तो उसको हिदायत कर देता और उसको सीधी राह पर फेर देता। इसीलिए फ़र्माया कि **(हुदल्लाहि हुवल् हुदा)** जैसकि फ़र्माया कि जिसको अल्लाह तआला हिदायत करे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और फ़र्माया कि उनके राह पर आने के कितने ही हरीस क्यूँ न हो, अल्लाह तआला जिसको गुमराह कर दे उसको कौन राह पर लाए और न उन लोगों का कोई मददगार है। फिर इर्शाद होता है कि (व उमिर्ना लि नुस्लिम लि रब्बिल आलमीन) यानी हमें हुक्म है कि ख़ुलूस से उसकी इबादत करें और नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें और अल्लाह तआला से डरते रहें और हर हाल में परहेज़गार बने रहें। और उसी की तरफ़ सब क़यामत में उठाए जाएँगे। उसी ने आसमानों और ज़मीन को ऐतिदाल के साथ पैदा किया, वह उनका मालिक और मुदब्बिर (तदबीर करने वाला) है, वह क़यामत के दिन सिर्फ़ 'कुन' कहेगा और तरफ़्तुल ऐन (पलक झपकते) में सब चीज़ें अपने आप दोबारा वजूद में आ जाएँगी। यहाँ **(यौमा यक़ूलु कुन फ़यकून)** में यौम के लफ़्ज़ को नसब है, या तो (वत्तक़ूहु) पर अत्फ़ क़रार देकर जिसकी तक़्दीर यूँ होगी **(वत्तक़ू यौमा यक़ूलु कुन फ़यकून)** यानी डरो उन दिनों से, या यह कि नसब होगा इस बिना पर कि **(ख़लक़स्समावात)** पर अत्फ़ है। यानी डरो उस दिन से जिस दिन वह कहेगा 'कुन' चुनाँचे इब्तिदा-ए-ख़ल्क़ और एआद-ए-ख़ल्क़ का ज़िक्र हुआ और यही ज़्यादा मुनासिब भी है। या यह कि नसब होगा इस बिना पर कि फ़ेअल यहाँ मुक़द्दर रखा गया है तो तक़्दीर यूँ हुई कि याद करो उस दिन को

जब कहेगा, 'कुन' यानी **(वज़्कुर यौमा यक़ूलु कुन)** और इससे पहले **(ख़लक़ यौम यक़ूलु कुन)** था। फिर इर्शादे बारी कि **(क़ौलुहुल हक़्क़ु व लहुल मुल्क)** यह दो जुम्ले हैं, इन दोनों जुम्लों का महल्ल जर (ज़ेर) है इस बिना पर कि यह दोनों लफ़्ज़ रब्बिल आलमीन की सिफ़त वाक़ेअ हुए हैं और क़ौले बारी तआला **(यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि)** मुहतमिल (मुम्किन) है कि यह बदल हो **(व यौम यक़ूलु कुन फ़यकून)** **(यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूर)** का और यह भी एहतिमाल है कि ज़र्फ़ हो **(व लहुल मुल्क)** **(यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि)** जैसाकि फ़र्माया है (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) (40/ग़ाफ़िर : 16) यानी आज सल्तनत किसकी है, वाहिद क़हहार की सल्तनत है जैसाकि फ़र्माया (اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا) (25/फ़ुरक़ान : 26) उस दिन रहमान की सल्तनत बरहक़ है और वह दिन काफ़िरों पर बड़ा ही सख़्त होगा।

सूरे इस्राफ़ील की हक़ीक़त और होलनाकी : मुफ़स्सिरीन ने **(यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि)** में इख़्तिलाफ़े राय किया है। कुछ ने कहा है कि सूर जमा है सूरत की। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि जिस तरह 'सूर' शहर की शहरे पनाह को कहते हैं और यह सूरत की जमा है। और सहीहतर यह है कि 'सूर' से मुराद वह क़र्न है जिसके अन्दर इस्राफ़ील (عليه السلام) फूंकेंगे। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि सहीह वही है जिस पर हदीसे नबवी से रोशनी पड़ती है। यानी हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "इस्राफ़ील (عليه السلام) सूर को मुँह में लगाए हुए हैं। सर झुकाए हुए हैं और मुंतज़िर हैं कि कब सूर फूँकने का हुक्म सादिर होता है।" (इस्राफ़ील के नाम के बग़ैर यह रिवायत तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिज़्ज़ुमर : 3243; व सनदुहू ज़ईफ़; अतिया औफ़ी रावी ज़ईफ़ है। इब्ने माजा : 4273; अहमद : 3/7; हिल्यतुल औलिया : 5/105; मुस्नद अबी यअला : 1/71; इब्ने हिब्बान : 2569 में मौजूद है।) एक आराबी ने भी हुज़ूर (ﷺ) से पूछा था कि सूर क्या चीज़ है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि "क़र्न (शंख) जिसमें फूँककर बजाते हैं।" (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्नह, बाब ज़िक्रुल बअस वस्सूर : 4742; व सनदुहू सहीह; तिर्मिज़ी : 3244; दारमी : 2/325; इब्ने हिब्बान : 2570; हाकिम : 2/436; अहमद : 2/162)

नबी अकरम (ﷺ) एक वक़्त अस्हाबे किराम (रज़ि.) के साथ बैठे हुए थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह पाक जब आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से फ़ारिग़ हुआ तो सूर को पैदा किया और इस्राफ़ील (عليه السلام) को दिया जिसको वह अपने मुँह में लगाए हुए हैं, आँखें अर्श की तरफ़ लगी हैं मुंतज़िर हैं कि कब सूर फूँकने का हुक्म होता है।" तो अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सूर क्या है? इर्शाद फ़र्माया, "वह क़र्न है"। पूछा वह कैसा है? कहा, "बहुत बड़ा, अल्लाह तआला की क़सम! जिसने मुझे भेजा, उसकी चौड़ाई इतनी है जितनी आसमानों और ज़मीन की पहनाई। उसमें तीन वक़्त फूँका जाएगा। पहली फूँक घबराहट और परेशानी पैदा करने वाली होगी और दूसरी सबको बेहोश कर देने वाली और तीसरी फिर अल्लाह तआला के सामने आ खड़े होने की। अल्लाह पाक पहली फूँक का हुक्म देगा उससे सारी दुनिया जहान के लोग घबरा उठेंगे मगर जिसको अल्लाह तआला मुस्तक़ीम रखे। जब तक दूसरा हुक्म न होगा सूर फूँका जाता रहेगा, रुकेगा नहीं।" जैसा कि फ़र्माया (وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) (38/साद : 15) यानी वह एक ज़बरदस्त चीख़ और बहुत ही बुलंद आवाज़ होगी पहाड़ बादलों की तरह उड़ रहे होंगे और

ज़मीन हिलने और झूलने लगेगी, जैसे समुन्दर में शिकस्ता (टूटी) सफ़ीना (कश्ती) जिसको मौजें हर तरफ़ धकेलती रहती हैं जैसे किसी क़िन्दील को जो छत में लटकी हुई हो, हवा झूलाती रहती है। फ़र्माता है (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) (79/नाज़िआत : 6) उस दिन लरज़ा देने वाला सूर फूँका जाएगा और उसके बाद फिर दूसरी बार फूँका जाएगा। उस दिन सबके सब बेइंतिहा ख़ौफ़ज़दा हो जाएँगे, लोग गिर पड़ेंगे, माएँ दूध पीने वाले बच्चों को भूल जाएँगी, हामिला औरतों के हमल गिर जाएँगे, नौजवानों पर ख़ौफ़ के मारे बुढ़ापा तारी हो जाएगा, शयातीन जान बचाने के ख़याल से ज़मीन के किनारों तक भाग जाएँगे लेकिन फ़रिश्ते उन्हें मार मारकर वापिस लाएँगे। एक दूसरे को पुकारता रहेगा लेकिन कोई किसी को पनाह न दे सकेगा सिवा अल्लाह तआला के। लोग उसी घबराहट के आलम में होंगे कि ज़मीन हर तरफ़ के गोशे से फटने लगेगी। ऐसा अम्रे अज़ीम ज़ाहिर होगा कि कभी न देखा गया हो और ऐसा कुर्ब व होल लाहिक़ होगा कि अल्लाह तआला ही जानता है। फिर लोग आसमान की तरफ़ देखेंगे तो उसके पुर्ज़े उड़ रहे होंगे, सितारे टूट रहे होंगे, सूरज और चाँद स्याह पड़ जाएँगे। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "लेकिन मुर्दों को इसकी ख़बर न होगी।"

अबू हुरैरा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला जब फ़र्माएगा (فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ) (27/नम्ल : 87) तो अल्लाह तआला किसको मुस्तस्ना (अलग) करेगा। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया "वो शुहदा हैं। फ़ज़अ और घबराहट तो ज़िन्दों को हुआ करती है और वह ज़िन्दा तो हैं लेकिन अल्लाह तआला के पास हैं, अल्लाह तआला उन्हें रिज़्क़ देता है। अल्लाह तआला ने उस दिन के फ़ज़अ से उन्हें महफ़ूज़ रखा है क्योंकि वह तो अल्लाह तआला का अज़ाब है और अज़ाब तो अशरारे ख़ल्क़ (बदतरीन मख़्लूक़) पर उतरता है। इसी चीज़ को अल्लाह तआला ने (تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ) (22/हज्ज : 2) वाली आयत में पेश फ़र्माया है कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से ग़ाफ़िल हो जाएगी। हर हामिला औरत का हमल गिर जाएगा। जब तक अल्लाह तआला चाहे, वह उस अज़ाब में मुब्तला रहेंगे। लम्बे अर्से तक यह कैफ़ियत रहेगी। फिर अल्लाह पाक बेहोशी लाने वाले सूर का हुक्म इस्राफ़ील (عليه السلام) को दे देगा। इसलिए सब आसमान और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएँगे लेकिन जिसको अल्लाह तआला चाहे वह होश में रहेगा। मलकुल मौत अल्लाह तआला के पास आएँगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह तआला! सब मर गए। अल्लाह तआला तो जानता है मगर पूछेगा कि बाक़ी कौन है? वह अर्ज़ करेंगे, तू बाक़ी है कि तुझे तो मौत आने की नहीं, और अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते भी हैं, जिब्राईल व मीकाईल भी बाक़ी हैं और मैं भी। अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माएगा, जिब्राईल व मीकाईल को भी मर जाना चाहिए तो अर्श बोल उठेगा, या रब! जिब्राईल व मीकाईल भी मर जाएँगे? अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माएगा, जुबान न खोलना, अर्श के नीचे जितने हैं सबको मर जाना है। मलकुल मौत फिर अल्लाह तआला से अर्ज़ करेंगे या रब! जिब्राईल और मीकाईल भी मर गए। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अब कौन बाक़ी है? वह कहेंगे कि तू बाक़ी है तुझे तो मौत आएगी नहीं। अब मैं और अर्श उठाने वाले बाक़ी हैं। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अर्श उठाने वालों को भी मर जाना चाहिए। वह भी मर जाएँगे। अल्लाह तआला पूछेगा, अब कौन बाक़ी है? इज़्राईल (عليه السلام) कहेंगे, तू न मरने वाला और मैं। अल्लाह तआला अर्श को हुक्म देगा, इस्राफ़ील से सूर ले लो और

इस्राफ़ील से कहेगा कि तुम भी मेरी मख़्लूक़ हो, तुम भी मर जाओ। वह उसी वक़्त मर जाएँगे और रब व अहद व समद लम यलिद वलम यूलद के सिवा कोई बाक़ी न रहेगा तो आसमान व ज़मीन लपेट दिए जाएँगे जैसे कि तूमार (काग़ज़) लपेट दिया जाता है। तीन बार उसको खोला और लपेटा जाएगा फिर फ़र्माएगा, मैं जब्बार हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं जब्बार हूँ। फिर तीन बार आवाज़ देगा, क्या आज के दिन है किसी की बादशाहत? कौन जवाब देता। फिर ख़ुद ही फ़र्माएगा कि बादशाहत अल्लाह वाहिदुल क़हहार की है।

फिर दूसरे ज़मीनो आसमान पैदा करेगा, उन्हें फैला देगा और दराज़ कर देगा जिसमें कोई कजी और नुक़्स बाक़ी न रहेगा। फिर मख़्लूक़ को अल्लाह तआला की एक ज़बरदस्त आवाज़ होगी तो दोबारा पैदाशुदा ज़मीन में सब पहले की तरह हो जाएँगे जो ज़मीन के अंदर है वह अंदर और जो ज़मीन के बाहर है वह बाहर। फिर तहतुल अर्श से अल्लाह तआला पानी नाज़िल करेगा। आसमान को हुक्म देगा कि बरसे। चालीस दिन तक पानी बरसता रहेगा यहाँ तक कि पानी उन पर बारह गज़ बलंद हो जाएगा। फिर जिस्मों को हुक्म देगा तो वह ज़मीन में से ऐसे नमूदार होने लगेंगे जैसे नबातात और सब्ज़ियाँ उग आती हैं। जब जिस्मों पहले की तरह मुकम्मल हो जाएँगे तो पहले अर्श के फ़रिश्ते ज़िन्दा किए जाएँगे। अल्लाह तआला इस्राफ़ील (عليه السلام) को हुक्म देगा कि सूर ले लो। वह ले लेंगे फिर अल्लाह तआला अपने हुक्म से जिब्राईल(عليه السلام) और मीकाईल (अ.) को ज़िन्दा करेगा। फिर रूहों को बुलाया जाएगा। मुसलमानों की रूहें नूर की तरह चमकती होंगी और काफ़िरों की रूहें तारीक रहेंगी। उन सबको लेकर सूर में डाल दिया जाएगा। इस्राफ़ील (अ) को हुक्म होगा कि नफ़्ख़ा बअस (ज़िन्दा होने की सूर) फूँका जाए, चुनाँचे ज़िन्दगी की फूँक फूँकी जाएगी तो रूहें ऐसी उछल पड़ेंगी जैसे कि शहद की मक्खियाँ कि ज़मीनो आसमान उनसे भर जाएगा। अब हुक्मे बारी तआला होगा कि रूहें अपने जिस्मों में दाख़िल हो जाएँ तो दुनिया की सारी रूहें दाख़िल होने लगेंगी और नथनों की राह जिस्मों में आएँगी, जैसे ज़हर किसी मारगज़ीदा (साँप का डसा हुआ) के जिस्म में सरायत कर जाता है। फिर ज़मीन फटने लगेगी और लोग उठ उठकर अपने रब की तरफ़ रुख़ करने लगेंगे और सबसे पहले मेरी क़ब्र खुलेगी। अल्लाह तआला की तरफ़ सब जाएँगे। काफ़िर कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा संगीन मालूम होता है। लोग नंगे और ग़ैर ख़त्ना होंगे, एक ही जगह खड़े होंगे। सत्तर बरस यही आलम रहेगा कि अल्लाह तआला न उन्हें देखेगा, न कोई फ़ैसला करेगा। लोग आह व गिरया करने लगेंगे। आंसू ख़त्म हो जाएँगे तो ख़ून आँखो से बहने लगेगा। लोग अपने पसीना में शराबोर हो जाएँगे। ठोढियों तक पसीना पहुँचा हुआ होगा।

लोग कहेंगे कि अल्लाह तआला के पास किसी को सिफ़ारिश के लिए जाना चाहिए ताकि वह कोई तस्फ़िया कर दे। अब आपस में कहने लगेंगे कि बाबा आदम (عليه السلام) के सिवा ऐसा कौन हो सकता है जो ज़ुबान खोल सके। अल्लाह तआला ने उन्हें अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह उनके अंदर फूँकी और सबसे पहले आदम (عليه السلام) से बात की। चुनाँचे लोग आदम (عليه السلام) के पास आएँगे और उनके आगे अपना मक़सद पेश करेंगे, वह सिफ़ारिश करने से इंकार करेंगे और कहेंगे कि मैं इसके शायान (लायक़) नहीं। फिर फ़र्दन-फ़र्दन एक एक नबी (عليه السلام) के पास आएँगे, जिसके पास भी आएँगे, वह नबी (عليه السلام) इंकार कर देंगे। नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं कि फिर मेरे पास आएँगे, मैं जाऊँगा और सज्दे में फ़हस पर गिर पड़ूँगा।" अबू हुरैरा (रज़ि.)

ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़हस क्या चीज़ है? नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अर्श के सामने का हिस्सा।'' अब अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को भेजेगा, वह मेरा बाज़ू पकड़कर उठाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़र्माएगा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं अर्ज़ करूँगा, रब! तूने मुझसे सिफ़ारिश का हक़ देने का वादा फ़र्माया है चुनाँचे यह हक़ मुझे अता फ़र्मा और लोगों के बीच फ़ैसला फ़र्मा दे। अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अच्छा! तुम सिफ़ारिश कर सकते हो और मैं इंसानों के बीच अपने फ़ैसले नाफ़िज़ करूँगा।''

नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं ''फिर मैं वापिस आकर लोगों के साथ खड़ा हो जाऊँगा। हम सब लोग खड़े ही होंगे कि आसमान से एक ज़ोर की आवाज़ होगी कि हम घबरा उठेंगे। ज़मीनी जिन्न व इंस से दुगुनी तादाद में आसमान से फ़रिश्ते नाज़िल होंगे। वह ज़मीन से क़रीबतर आ जाएँगे, ज़मीन उनके नूर से रोशन हो उठेगी। वह सफ़बन्दी कर लेंगे, हम उनसे पूछेंगे, क्या अल्लाह पाक तुम्हारे अंदर है। वह कहेंगे, नहीं! वह आने ही वाला है। फ़रिश्ते आसमान से दोबारा उस तादाद में उतरेंगे कि उतरे हुए फ़रिश्तों से दुगुनी तादाद होगी यहाँ तक कि जिन्न व इंस से भी दुगुनी तादाद में, ज़मीन उनके नूर से चमक उठेगी। वह क़रीने से खड़े हो जाएँगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या रब तुम्हारे अंदर है? वह कहेंगे, नहीं! वह आने ही वाला है। फिर तीसरी बार उससे भी दुगुनी तादाद में नुज़ूले फ़रिश्ते होगा। अब रब जब्बार अज़्ज़ व जल्ल अब्र (बादल) के छतरी लगाए आठ फ़रिश्तों से अपना तख़्त उठवाये तशरीफ़ फ़र्मा होगा। हालाँकि इस वक़्त तो उसका तख़्त चार फ़रिश्ते उठाए रहते हैं। उनके क़दम आख़िरी नीचे वाली ज़मीन की तह में हैं, ज़मीनो आसमान उनके आधे हिस्से जिस्म के मुक़ाबले में है। उनके कँधों पर अर्शे इलाही है, उनकी ज़ुबानों पर तस्बीह व तहमीद रहेगी, वह कह रहे होंगे (सुब्हान ज़िल् अर्शि वल जबरूति सुब्हान ज़िल मुल्कि सुब्हानल हय्यिल् लज़ी ला यमूतु सुब्हानल्लज़ी युमीतुल ख़लाइक़ वला यमूतु सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन क़ुद्दूसुन क़ुद्दूसुन सुब्हान रब्बिनल आला रब्बिल मलाइकति वर्रूह सुब्हान रब्बिनल आलल्लज़ी युमीतुल ख़लाइक़ वला यमूत) फिर अल्लाह तआला अपनी कुर्सी पर जलाल अफ़रोज़ होगा। एक आवाज़ होगी, या मअशरल् जिन्न वल इंस! मैंने जबसे तुमको पैदा किया है, आज तक ख़ामोश था, तुम्हारी बातें सुनता रहा, तुम्हारे आमाल देखता रहा, अब तुम ख़ामोश रहो, तुम्हारे आमाल के सहीफ़े तुमको पढ़कर सुनाए जाएँगे, अगर वह अच्छे साबित हुए तो मेरा शुक्र करो और अगर ख़राब निकले तो अपने आपको मलामत करो। फिर अल्लाह तआला जहन्नम को हुक्म देगा तो उसमें से एक तारीक तरीन चमकदार सूरत रूनुमा होगी। अब अल्लाह तआला फ़र्माएगा, ऐ बनी आदम! क्या मैंने हुक्म नहीं दे रखा था कि शैतान को न पूजना कि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम मेरी ही इबादत करना कि यही सिराते मुस्तक़ीम (सीधी राह) है। उस शैतान ने तो बहुतों को गुमराह किया है, क्या तुम अक़्ल नहीं रखते थे। यह वह जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया गया था और जिसको तुम झुठलाते थे। अब ऐ मुज्रिमों! नेकों से अलग हो जाओ। (36/यासीन : 60-64) अल्लाह तआला अब उम्मतों को अलग अलग कर देगा। इर्शादे बारी तआला है कि ऐ नबी (ﷺ)! तुम हर उम्मत को घुटनों के बल गिरी हुई देखोगे। हर उम्मत के पास उसका नामा-ए-आमाल होगा और आज अपने किए का बदला पाएँगे। (45/जासिया : 28) अब अल्लाह तआला अपनी तमाम मख़्लूक़ के बीच फ़ैसला शुरू कर देगा लेकिन जिन्न व इंस का अभी नहीं।

अब वहशी जानवर व बहाइम के बीच फ़ैसले करेगा हत्ता कि एक ज़ालिम और सींग वाली बकरी के ज़ुल्म का बदला भी दूसरी बकरी से दिलवाएगा, यहाँ तक कि जब इंसाफ़ दिलवाने से कोई जानवर भी बाक़ी न रहेगा तो उन जानवरों से कहेगा कि मिट्टी हो जाओ तो काफ़िर कहने लगेंगे कि काश! हम भी इस अ़ज़ाब से बचने के लिए मिट्टी हो जाते। ग़र्ज़ यह कि अब बन्दों के बीच मुक़द्दमात के फ़ैसले होंगे। सबसे पहले क़त्लो ख़ून के मुक़द्दमात पेश होंगे। अब हर वह मक़्तूल आएगा जिसको अल्लाह तआ़ला की राह में क़त्ल किया गया था, अल्लाह तआ़ला क़ातिल को हुक्म देगा, वह मक़्तूल का सर उठाएगा। वह सर अ़र्ज़ करेगा ऐ अल्लाह तआ़ला! इससे पूछ कि इसने मुझे क्यूँ क़त्ल किया था। अल्लाह तआ़ला उससे पूछेगा (हालाँकि वह ख़ुद जानता है) कि क्यूँ क़त्ल किया था? वह ग़ाज़ी कहेगा, ऐ अल्लाह तआ़ला! तेरी इ़ज़्ज़त और तेरे नाम की ख़ातिर। तो अल्लाह तआ़ला फ़र्माएगा, तू सच कहता है और उसका चेहरा नूरे शम्स की तरह चमकने लगेगा। फ़रिश्ते उसको जन्नत की तरफ़ लेकर चलेंगे। इसी तरह दूसरे मक़्तूल भी अपनी आँतें सर पर लिए आएँगे। अल्लाह तआ़ला उनके क़ातिलों से भी पूछेगा कि क्यूँ क़त्ल किया था, उनको कहना पड़ेगा कि अपनी शोहरत व नाम की ख़ातिर। तो फ़र्माएगा, हलाक हो जाए तू। ग़र्ज़ हर मक़्तूल का मुक़द्दमा पेश होगा और इंसाफ़ होगा और हर ज़ुल्म का बदला ज़ालिम से लिया जाएगा और जिस ज़ालिम को अल्लाह तआ़ला चाहे अ़ज़ाब देगा और जिस पर चाहे वह अपनी रहमत नाज़िल करेगा। फिर सारी मख़्लूक़ का इंसाफ़ होगा कि कोई मज़्लूम ऐसा न बचेगा कि ज़ालिम से बदला न दिलाया गया हो। यहाँ तक कि जो दूध में पानी मिलाकर बेचता है और कहता है, ख़ालिस दूध है उसको भी सज़ा दी जाएगी। और ख़रीदने वाले को उसकी नेकियाँ दी जाएँगी। इससे भी जब फ़राग़त हो जाएगी तो एक निदा देने वाला निदा (आवाज़) देगा और सारी मख़्लूक़ सुनेगी कि हर गिरोह को चाहिए कि अपने अपने ख़ुदाओं की तरफ़ हो जाओ और अपने माबूदों का दामन पकड़ लो। अब कोई बुतपरस्त ऐसा न होगा जिसके बुत उसके सामने ज़लील पड़े हुए न हों। एक फ़रिश्ता उस दिन उ़ज़ेर (عليه السلام) की शक्ल में आ जाएगा और एक फ़रिश्ता को ईसा बिन मरयम (عليه السلام) की सूरत दी जाएगी। चुनाँचे यहूदी तो उ़ज़ेर (عليه السلام) के पीछे हो जाएँगे और ईसा (عليه السلام) के पीछे नसारा हो जाएँगे। फिर उनके यह फ़र्ज़ी माबूदान को दोज़ख़ की तरफ़ ले जाएँगे और वह कहेगा कि अगर यह उनके रब होते तो अपने मानने वालों को दोज़ख़ की तरफ़ कभी न ले जाते। अब यह सब दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे। अब जबकि सिर्फ़ मोमिनीन बाक़ी रह जाएँगे जिनमें मुनाफ़िक़ीन भी शामिल रहेंगे, अल्लाह तआ़ला उनके पास आएगा, अपनी जिस हैयते मुतबद्दिला (बदली सूरत) में कि चाहेगा और फ़र्माएगा, ऐ लोगों! सब अपने अपने ख़ुदाओं से जा मिले हैं तुम भी जिनकी इ़बादत करते थे उनसे जा मिलो तो यह सब लोग मोमिनीन बशुमूले मुनाफ़िक़ीन यह कहेंगे कि अल्लाह तआ़ला की क़सम! हमारा अल्लाह तो तू ही था, तेरे सिवा हम किसी और को नहीं मानते, अब अल्लाह तआ़ला उनके पास से हट जाएगा। फिर अपनी हक़ीक़ी शान में आएगा, उनके पास रुक रहेगा जब तक कि चाहे। फिर सामने आएगा और इर्शाद फ़र्माएगा, ऐ लोगों! सब अपने अपने ख़ुदाओं से जा मिले हैं तुम भी अपने माबूदों से जा मिलो। वह कहेंगे, अल्लाह तआ़ला की क़सम! तेरे सिवा हमारा तो कोई अल्लाह तआ़ला नहीं। हम तेरे सिवा किसी को नहीं पूजते थे। अब अल्लाह पाक अपनी पिण्डली खोल देगा। उसकी अ़ज़्मत से उन पर यह बात साफ़ हो जाएगी कि उनका अल्लाह तआ़ला यही है कि फिर सबके सब सज्दे में सर के बल गिर पड़ेंगे लेकिन जो मुनाफ़िक़ होंगे, वह पीठ के बल गिरेंगे। सज्दे के लिए झुक न सकेंगे, उनकी पीठ गाय

की पीठ की तरह सीधी रहेगी।

अब अल्लाह तआला हुक्म देगा कि इन्हें उठा ले जाओ, अब इनके सामने जहन्नम का पुल सिरात आएगा जो किसी ख़ंजर या तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ होगा और जगह जगह आँकड़े और काँटे और बड़ी फिसलती हुई और ख़तरनाक होगी। उसके नीचे और एक पस्त तर फिसल्वाँ पुल भी होगा। नेक लोग ऐसे गुज़र जाएँगे जैसे आँख झपक जाती है या बिजली चमक जाती है या तेज़ चलने वाली हवा की तरह या तेज़ दौड़ने वाले घोड़े या तेज़ सवारी या तेज़ दौड़ने वाले आदमी की तरह कि कुछ तो पूरी तरह महफ़ूज़ रहेंगे और नजात पा जाएँगे, कुछ ज़ख़्मी होकर और कुछ कट-कटकर जहन्नम में गिर जाएँगे और फिर जब अहले जन्नत जन्नत की तरफ़ भेजे जाने लगेंगे तो कहेंगे, अब हमारी सिफ़ारिश अल्लाह तआला के पास कौन करेगा। चुनाँचे वह आदम (عليه السلام) के पास आएँगे और दरख़्वास्ते सिफ़ारिश करेंगे तो वह अपने गुनाह का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे कि मैं तो इसका अहल (लायक़) नहीं। तुम नूह (عليه السلام) के पास जाओ, वह अल्लाह तआला के सबसे पहले रसूल हैं। लोग हज़रत नूह (عليه السلام) के पास आएँगे, वह भी अपने गुनाह का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे मैं तो अहल (लायक़) नहीं, और कहेंगे कि इब्राहीम (عليه السلام) के पास जाओ कि अल्लाह तआला ने उन्हें अपना ख़लील बनाया है। वह भी अपनी ख़ताओं का ज़िक्र करेंगे और कहेंगे, मूसा (عليه السلام) के पास जाओ कि अल्लाह तआला ने उनसे कलाम किया और उन पर तौरात जैसी किताब सबसे पहले उतारी है। वह मूसा (عليه السلام) के पास आकर दरख़्वास्त करेंगे तो वह भी अपने क़त्ल के गुनाह का ज़िक्र करके कहेंगे कि मैं भी इसका अहल नहीं, तुम ईसा (عليه السلام) के पास जाओ वह अल्लाह तआला की रूह और कलिमा हैं। ईसा (عليه السلام) भी कहेंगे कि नहीं! मैं इस क़ाबिल नहीं। तुम मुहम्मद (ﷺ) ही के पास पहुँचो। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते हैं कि अब लोग मेरे पास आएँगे और अल्लाह तआला ने मुझे तीन सिफ़ारिशों का हक़ दिया और वादा फ़र्माया है। अब मैं जन्नत की तरफ़ चलूँगा, दरवाज़े के खूँटे को खटखटाऊँगा और जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा, मुझे ख़ुशआमदीद कहा जाएगा। मैं जन्नत में दाख़िल होकर अल्लाह तआला की तरफ़ नज़र उठाऊँगा , सज्दे में गिर पड़ूँगा, अल्लाह तआला मुझे तहमीद व तम्जीद की इजाज़त देगा कि किसी को ऐसी तहमीद नहीं सिखाई थी, फिर फ़र्माएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाओ क्या सिफ़ारिश करते हो, करो तुम्हारी सिफ़ारिश सुनी जाएगी, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। मैं अपना सर उठाऊँगा तो अल्लाह तआला पूछेगा, क्या कहना चाहते हो। मैं कहूँगा, या रब! तूने मुझे सिफ़ारिश का हक़ दिया है। अहले जन्नत के बारे में मेरी सिफ़ारिश क़बूल फ़र्मा कि वह दाख़िले जन्नत हो सकें। तो फ़र्माएगा, अच्छा! मैंने इजाज़त दी, यह लोग जन्नत में दाख़िल हो सकते हैं।

नबी अकरम (ﷺ) का फ़र्मान है कि "अल्लाह तआला की क़सम! तुम जन्नत के अंदर अपने मसाकीन और अपनी बीवियों को उससे जल्द पहचान लोगे जितना कि दुनिया में पहचानते हो। हर आदमी को बहत्तर (72) बीवियाँ मिलेंगी, दो औलादे आदम में से और सत्तर (70) हूरों में से। उन दोनों को उन सत्तर हूरों पर फ़ज़ीलत हासिल रहेगी, क्योंकि दुनिया में उन नेकोकार औरतों ने अल्लाह तआला की बड़ी बड़ी इबादत की थी। वह एक के पास आएगा तो वह एक याक़ूत के मकान में मोतियों से आरास्ता सोने के तख़्त पर बैठी होगी जो सुंदुस और इस्तब्रक़ के सत्तर हुल्ले पहने होगी। वह उसके कंधे पर हाथ रखेगा तो अपने हाथ का

अक्स उसके सीने के वरे (पीछे) उसके कपड़ों, जिस्म और गोश्त के वरे होता हुआ दूसरी तरफ़ दिखाई देगा। जिस्म इस क़द्र मुसफ़्फ़ा होगा कि पिण्डली का गूदा नज़र आता होगा, गोया तुम याक़ूत की छड़ी को देख रहे हो। उसका दिल उसके लिए आईना बना होगा और उसका दिल उसके लिए, न यह उससे थकेगा, न वो इससे थकेगी। वह जब कभी उस औरत के पास आएगा उसको बाकिरा (जवान) पाएगा, न यह उससे थकावट की शिकायत करेगा, न वह इससे ख़स्तगी की शिकायत करेगी। ऐसे में आवाज़ आएगी कि हमें इल्म है कि तुममें से किसी का जी भरेगा नहीं, लेकिन तेरी दूसरी बीवी भी तो हैं चुनाँचे वह बारी बारी उनके पास आएगा और जिस किसी के पास वह आएगा, कहेगा, अल्लाह तआला की क़सम! जन्नत में मुझसे ज़्यादा ख़ूबतर कोई नहीं और न मेरे पास तुझसे ज़्यादा कोई महबूबतर है।

लेकिन जब अहले नार दोज़ख़ में डाले जाएँगे तो आग किसी के तो क़दमों तक होगी और किसी के आधे साक़ तक और किसी के घुटनों और कमर तक और चेहरे को छोड़कर किसी के पूरे जिस्म तक क्योंकि चेहरे पर आग हराम कर दी गई है।" रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मैं अल्लाह तआला से कहूँगा या रब! मेरी उम्मत के अहले दोज़ख़ के बारे में मेरी सिफ़ारिश क़बूल फ़मा। तो फ़र्माएगा कि निकाल लो दोज़ख़ से जिन अपने उम्मतियों को तुम जानते हो। चुनाँचे कोई उम्मती बचा न रहेगा, फिर सिफ़ारिशे आम की इजाज़त मिलेगी। चुनाँचे हर नबी और शहीद अपनी अपनी सिफ़ारिशें पेश करेंगे। अब अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि जिसके दिल में दीनार के वज़न के बराबर भी ईमान हो, उसको दोज़ख़ से निकाल लो। फिर फ़र्माएगा अगर दो सुलुस दीनार बराबर भी हो। फ़र्माएगा, अगर सुलुस दीनार बराबर भी हो। अगर चौथाई दीनार बराबर भी हो। फिर क़ीरात बराबर भी। फिर राई के बराबर भी अगर हो। चुनाँचे सब दोज़ख़ से निकाल लिए जाएँगे। फिर वह भी जिन्होंने अल्लाह तआला के लिए कोई भी कारे ख़ैर किया हो। अब कोई बाक़ी न रहेगा जो क़ाबिले सिफ़ारिश हो। यहाँ तक कि अल्लाह तआला की उस रहमते आम्मा को देखकर इब्लीस को भी तमअ (लालच) होगी कि कोई उसकी भी सिफ़ारिश करे। अब अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि अब एक मैं बाक़ी रह गया हूँ, मैं तो सब रहम करने वालों में बड़ा रहम करने वाला हूँ, चुनाँचे जहन्नम में वह अपना हाथ डालेगा और ऐसे ला ताद दोज़ख़ियों को निकाल लेगा जो जलकर कोयलों की तरह हो गए होंगे, उन्हें जन्नत की एक नहर में जिसको नहरे हयात कहते हैं, डाला जाएगा, वह दोबारा ऐसे सरसब्ज़ हो जाएँगे जैसे झील के किनारे के नबातात, धूप उन्हें पहुँचे तो सब्ज़ दिखाई दें और साये में हों तो ज़र्द मालूम हों। वह शादाब सब्ज़ियों की तरह उग आएँगे और ज़र्रात की तरह फैले हुए होंगे, उनकी पेशानियों पर लिखा होगा "अल्लाह तआला के आज़ादकर्दा जहन्नमी।" इस तहरीर से अहले जन्नत मालूम कर लेंगे कि इन्होंने कुछ नेक काम किए थे। एक अर्सा तक जन्नत में वह इसी तरह रहेंगे फिर अल्लाह तआला से दरख़्वास्त करेंगे कि या रब! यह तहरीर मिटा दे। चुनाँचे मिटा दी जाएगी।" यह मशहूर हदीस है और बहुत लम्बी है। बहुत ग़रीब है और मुतफ़र्रिक़ अहादीस में मुतफ़र्रिक़ टुकड़े हैं, कुछ बातें क़ाबिले नकारत हैं। इस्माईल बिन राफ़ेअ क़ाज़ी मदीना इसकी रिवायत के मुंफ़रिद हैं, इसकी सेहत में इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने इसको तौसीक़ की है और कुछ ने ज़ईफ़ क़रार दिया है, कुछ ने इंकार किया है। जैसे अहमद बिन हंबल, अबू हातिम राज़ी, उमर बिन अली फ़ल्लास। कुछ ने मतरूक कहा

है। इब्ने अ़दी कहते हैं कि यह सारी ह़दीस क़ाबिले ग़ौर है और इसके सब रावी ज़ईफ़ हैं। मैं कहता हूँ कि इसके इस्नाद में कई वुजूह से इख़्तिलाफ़ है। मैंने इसको अलग एक जुज़ में बयान कर दिया है। इसका सियाक़े इ़बारत भी अ़जीब है। बहुत सी ह़दीसों को मिलाकर इसे एक ह़दीस बना लिया गया है और इसको एक ही सियाक़ क़रार दे दिया गया, इसीलिए वह क़ाबिले इंकार हो गई। मैंने अपने उस्ताज़ ह़ाफ़िज़ अबुल ह़ज्जाज मिज़्ज़ी से सुना है कि यह वलीद बिन मुस्लिम की एक तस्नीफ़ है जिसको उसने जमा कर रखा है। गोया कि यह शवाहिद हैं कुछ अलग-अलग अह़ादीस के, वल्लाहु आ़लम!

***

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٧٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ
الْمُوْقِنِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ
اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَىِٕنْ لَّمْ
يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّاۗلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْۗءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّيْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾

तर्जुमा : "और वो वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है जब इब्राहीम (عليه السلام) ने अपने बाप आज़र से फ़र्माया कि क्या तू बुतो को माबूद क़रार देता है? बेशक मैं तुझको और तेरी सारी क़ौम को स़रीह़ ग़लती में देखता हूँ। (74) और हमने ऐसे ही त़ौर पर इब्राहीम (عليه السلام) को आसमानों और ज़मीन की मख़्लूक़ात दिखलाईं ताकि वह आ़रिफ़ हो जाएँ और ताकि कामिल यक़ीन करने वालों में से हो जाएँ। (75) फिर जब रात की तारीकी उन पर छा गई तो उन्होंने एक सितारा देखा, आपने फ़र्माया कि यह मेरा रब है सो जब वह ग़ुरूब हो गया तो आपने फ़र्माया कि मैं ग़ुरूब हो जाने वालों से मुह़ब्बत नहीं रखता। (76) फिर जब चाँद को देखा, चमकता हुआ तो फ़र्माया कि यह मेरा रब है सो जब वह ग़ुरूब हो गया तो आपने फ़र्माया कि अगर मुझको मेरा रब हिदायत न करे तो मैं गुमराह

लोगों में शामिल हो जाऊँगा। (77) फिर जब आफ़ताब को देखा चमकता हुआ तो फ़र्माया कि यह मेरा रब है यह तो सबसे बड़ा है। सो जब वह डूब गया तो आपने फ़र्माया बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेज़ार हूँ। (78) मैं अपना रुख़ उसकी तरफ़ करता हूँ जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ।" (79)

हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का ख़ानदान और आज़र (आयत 74-79) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के बाप का नाम आज़र नहीं था बल्कि तारख़ था। क़ौलुहू (व इज़ क़ाल इब्राहीमु लि अबीहि) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि आज़र से सनम मुराद है। इब्राहीम (عليه السلام) के बाप का नाम तो तारख़ और माँ का नाम शानी और बीवी का नाम सारा था और हज़रत इस्माईल (عليه السلام) की माँ का नाम जो इब्राहीम (عليه السلام) की कनीज़ थीं, हाजरा था। उलमा-ए-नसब में से अक्सर का यही क़ौल है। आज़र नाम था एक बुत का। चूँकि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के वालिद उस बुत के ख़ादिम और पुजारी थे इसलिए यही नाम उन पर ग़ालिब आ गया था, वल्लाहु आलम!

इब्ने जरीर (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि यह तरीक़े कलाम उन लोगों की बातचीत में एक ऐब की बात और नारवा कलाम समझा जाता था। इस लफ़्ज़े आज़र के मानी हैं टेढ़ा। लेकिन किसी से इसकी रिवायत पेश नहींकी और न किसी से इसको मंसूब किया है। इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि मुअतमिर बिन सुलेमान ने बयान किया कि मैंने अपने बाप से सुना कि वह आज़र के मानी आवज यानी टेढ़ा बताते थे और यह एक सख़्त कलिमा है जिसको इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि दुरुस्त तो यह है कि उनके बाप का नाम आज़र था। फिर नसब जानने वालों का ऐतिराज़ पेश करके कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के बाप का नाम तारख़ था। फिर कहते हैं कि मुम्किन है कि दो नाम हों जैसाकि अक्सर लोगों के होते हैं या एक नाम लक़ब और उर्फ़ के तौर पर हो। यह एक जय्यद वजह हो सकती है, वल्लाहु आलम!

आज़र को दर्से तौहीद और उसका अंजाम : क़ौले बारी तआला में क़ारियों का इख़्तिलाफ़ है। हसन बसरी और अबू यज़ीद मदनी (रह.) कहते हैं कि इसके मानी यह हैं कि ऐ आज़र! क्या तुम बुतों को रब क़रार देते हो? गोया आज़र को मुनादा बनाया है और जुम्हूर इसको फ़त्हा से पढ़ते हैं। हसन बसरी (रह.) के नज़दीक पेश से नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यह लफ़्ज़ एक मअरफ़ा और अलम है, इस बिना पर ग़ैर मुंसरिफ़ समझा जाएगा। और गोया क़ौल (लिअबीह) से बदल है और इसी बिना पर मंसूब है। या अत्फ़े बयान समझा जाए और यही ज़्यादा ठीक हो सकता है और जो लोग इसको नअत क़रार देते हैं जैसे अह्मर और अस्वद ग़ैर मुंसरिफ़ हैं लेकिन जिनका यह गुमान है कि वह मह्मूल होने की बिना पर मंसूब है क्योंकि **(अतत्तख़िज़ु अस्नामन)** की तक्दीर यूँ हुई **(या अबति अतत्तख़िज़ु आज़र अस्नामन आलिहतन)** यानी ऐ बाप! क्या आज़र बुतों को तुम रब बनाते हो। लेकिन लुग़त के लिहाज़ से यह क़ौल बईद है इसलिए कि जो हर्फ़े इस्तिफ़्हाम के बाद हो वह अपने मा क़ब्ल पर अमल नहीं किया करता है। क्योंकि उस हर्फ़े इस्तिफ़्हाम के लिए तो सद्रे कलाम चाहिए। इब्ने जरीर (रह.) वग़ैरह ने इसकी तक़रीर व तस्दीक की है और क़वाइदे अरबिया में यही मशहूर है। मक़्सूद यह है कि

इब्राहीम (عليه السلام) ने अपने बाप को नसीहत की, इबादते अस्नाम पर उनकी मुख़ालिफ़त की। उन्हें उससे रोका। लेकिन उनके बाप बाज़ न आए। उन्होंने कहा, क्या तुमने बुतों को रब बना लिया? मैं तो तुमको और तुम्हारी क़ौम को बड़ी गुमराही में पाता हूँ। इससे भटकते रहोगे बल्कि हैरत व जिहालत में रहोगे। उनको जिहालत व गुमराही में क़रार देना हर साहिबे अक़्ले सलीम के लिए एक खुली दलील है।

इर्शादे बारी तआला है कि क़ुरआने हकीम में इब्राहीम (عليه السلام) का ज़िक्र देखो। वह सिद्दीक़ और नबी थे। अपने बाप से उन्होंने कहा था कि "ऐ वालिद मुहतरम! उसकी इबादत न करो, जो सुनता नहीं हो, न देखता हो और न तुम्हारा कोई काम निकालता हो। ऐ वालिद! अल्लाह तआला की तरफ़ से मुझे वह इल्म हासिल हुआ है जो तुमको नहीं हुआ, इसलिए मेरी बात सुनो! मैं तुमको बिलकुल सीधा रास्ता बताऊँगा। ऐ वालिद! शैतान की इबादत न करो। शैतान अल्लाह तआला का दुश्मन है। ऐ वालिद! सख़्त अंदेशा है कि तुम पर अज़ाब नाज़िल हो जाए और तुम शैतान के दोस्त क़रार पाओ।" तो आज़र ने जवाब दिया कि "ऐ इब्राहीम! क्या तुम मेरे इलाहों से रूगर्दां हो। अगर तुम इस रविश से बाज़ न आओगे तो मैं तुमको संगसार (पत्थर से हलाक) कर दूँगा।" तो इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा, सलाम अर्ज़ है मैं अल्लाह तआला से आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। मेरा अल्लाह तआला बड़ा मेहरबान है लेकिन मैं तुमको भी छोड़ता हूँ और तुम्हारे माबूदाने बातिल को भी। मैं तो अल्लाह तआला ही से अपना राब्ता जोड़ूँगा। मुम्किन है कि अल्लाह तआला मेरी दुआ में मुझे नाकाम न रखे। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) पूरी ज़िन्दगी अपने वालिद के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे और जब वालिद शिर्क पर ही मर गये और हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को मालूम हो गया कि मुश्रिक के लिए इस्तिग़फ़ार काम नहीं देता तो इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया। जैसाकि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इब्राहीम (عليه السلام) का इस्तिग़फ़ार अपने वालिद के लिए तो सिर्फ़ इस वजह से था कि उसने वालिद से वादा कर लिया था लेकिन जब इब्राहीम (عليه السلام) को मालूम हो गया कि वह अल्लाह तआला का दुश्मन है तो उससे बेज़ारी ज़ाहिर की। बेशक इब्राहीम (عليه السلام) बड़े अल्लाह वाले और हलीम थे। हदीसे सहीह में वारिद है कि क़यामत के दिन इब्राहीम (عليه السلام) अपने वालिद से मिलेंगे तो आज़र उनसे कहेगा कि "ऐ बेटे! आज मैं तुम्हारी नाफ़र्मानी न करूँगा" तो इब्राहीम (عليه السلام) अपने रब से अर्ज़ करेंगे कि "ऐ रब! क्या तूने मुझसे वादा न किया था कि मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करेगा और आज मेरे लिए इससे बड़ी और कौनसी रुस्वाई हो सकती है कि मेरा बाप इस हाल में है" तो इर्शाद फ़र्माया जाएगा कि ऐ इब्राहीम (عليه السلام)! तुम अपने पीछे देखो तो वह अपने बाप को देखने के बजाए एक बिज्जू को देखेंगे। जो कीचड़ में लतपत हुआ है और उसकी टाँगे पकड़कर उसको जहन्नम में ले जाया जा रहा है। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुल्लाहि तआला **(वत्तख़ज़ल्लाह इब्राहीम ख़लीला)** : 3350)

आसमान व ज़मीन के मलकूत पर नज़र : चुनाँचे अल्लाह पाक फ़र्माता है कि हम इस तरह इब्राहीम (عليه السلام) को आसमान व ज़मीन के मलकूत पेशेनज़र कर देते हैं और उसकी नज़र में यह दलील क़ायम कर देते हैं कि किस तरह वहदानियते अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर ज़मीनो आसमान के ख़ल्क़ की बुनियाद है जिससे यह दलील ली जा सकती है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई और रब नहीं। ऐसी ही दलालत फ़िन्नज़र को मलकूत कहते हैं। क्योंकि दलालत फ़िन्नज़र सबसे पहले हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) को ही हासिल रही। जैसाकि फ़र्माया (اَوَ لَمْ

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ) (7/आराफ़ : 185) और दूसरी जगह है (يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ) (34/सबा : 9) यानी लोगों को आसमान व ज़मीन की मख़्लूक़ पर اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ इब्रत की नज़र करनी चाहिए उन्हें अपने आगे पीछे ज़मीन व आसमान को देखना चाहिए। अगर हम चाहें तो उन्हे ज़मीन में धंसा दें और चाहें तो आसमान से टुकड़ा उन पर गिरा दें। रग़बत और रुजूअ करने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। लेकिन मलकूत के बारे में इब्ने जरीर (रह़.) वग़ैरह ने बयान किया है कि इब्राहीम (عليه السلام) की निगाहों के सामने आसमान फट गए थे और इब्राहीम (عليه السلام) आसमान की सब चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ तक उनकी नज़र अ़र्श तक पहुँची और सातों ज़मीनें उनके लिए खुल गईं और वह ज़मीन के अंदर की चीज़ें देखने लगे। कुछ ने इस मज़्मून का भी इज़ाफ़ा किया कि वह लोगों के मआ़सी को भी देखने लगे थे और उन गुनहगारों पर बद दुआ़ करने लगे थे तो अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि, नहीं ऐ इब्राहीम! मैं तुमसे ज़्यादा अपने बन्दों पर करीम हूँ, क्या अ़जब कि बाद को वह तौबा कर लें और रुजूअ कर लें।

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इस आयत के बारे में कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने इब्राहीम (عليه السلام) को अपनी क़ुदरत से आसमान व ज़मीन की छुपी हुई और ऐलानिया सारी चीज़ें दिखला दीं, उनमें कुछ भी छुपा न रहा और जब वह अस्ह़ाबे गुनाह पर लअ़नत कर रहे थे तो फ़र्माया कि ऐसा नहीं और उनकी बद्दुआ को रद्द कर दिया। फिर वह पहले जैसे हो गए। इसलिए मुह़तमिल (मुम्किन) है कि उनकी नज़रों पर से पर्दा हट गया हो और निहाँ उनके लिए अयाँ (ज़ाहिर) हो गया हो। और यह भी मुह़तमिल (मुम्किन) है कि उसको दिल की आँखों से देखा हो। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला की ह़िक्मते बाहिरा और दलालते क़ातिआ़ को मालूम कर लिया हो। जैसाकि इमाम अह़मद और तिर्मिज़ी (रह़.) से मरवी है कि ''आलमे ख़्वाब में अल्लाह तआ़ला एक बेहतरीन शक्ल में मेरे पास आया और फ़र्माने लगा, ऐ मुह़म्मद (ﷺ)! मल-ए-आला में क्या बह़स हो रही है? मैंने कहा, या रब! मैं नहीं जानता तो उसने अपना हाथ मेरे दोनों शानों के दरम्यान रख दिया कि उसकी उँगलियों की ठण्डक मैं अपने सीने में पाने लगा। अब हर चीज़ मुझ पर खुल गई और मैं सब कुछ देखने लगा।'' (मुस्नद अह़मद : 5/243; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरति साद : 3235; व सनदुहू ह़सन) और फ़र्माया (وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ) (6/अन्आम : 55) इसमें अल्आयात के बाद वाव ज़ाइद है। यह भी कहा गया है कि ज़ाइद नहीं है बल्कि साबिक़ा बात की बुनियाद पर बात को उठाया गया है। यानी हमने उस पर मलकूत ज़ाहिर कर दिया ताकि वह देखे और यक़ीन भी कर ले। अब क़ौले बारी है कि जब तारीक रात हो गई तो इब्राहीम (عليه السلام) ने जब सितारे को देखा तो कहा यह मेरा रब होगा लेकिन जब वह ग़ुरूब हो गया तो कहा कि डूब जाने वालों को तो मैं पसंद नहीं करता, न ग़ायब हो जाने वाली चीज़ अल्लाह हो सकती है। क़तादा (रह़.) कहते हैं कि इब्राहीम (عليه السلام) ने जान लिया कि अल्लाह तआ़ला वह होना चाहिए जो ज़ाइल (ख़त्म) न हो। फिर जब चाँद को रोशन देखा तो कहा, यह मेरा अल्लाह तआ़ला होगा। वह भी डूब गया तो कहा, यह भी अल्लाह तआ़ला नहीं। अगर सच्चा अल्लाह तआ़ला मेरी रहनुमाई न करे तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। फिर जब सूरज को उगा हुआ देखा तो कहा, यह रोशन है और सबसे बड़ा है लेकिन वह भी डूब गया तो कहने लगे, ऐ क़ौम! मैं तो दस्तबरदार होता हूँ तुम्हारी उन तमाम चीज़ों से जिनकी तुम पूजा करते हो। अब मैंने तो अपना रुख़ कर लिया है

उस ज़ात की तरफ़ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है। अब मैं बिलकुल उसका हूँ और मुश्रिकीन में से नहीं हो सकता और अपनी इबादत व पूजा उसी के लिए ख़ास करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया हुआ है हालाँकि उसकी कोई नज़ीर तख़्लीक़ के वक़्त उसके सामने न होगी। इस तरह मैं शिर्क से तौहीद की तरफ़ आता हूँ।

मैदाने मुनाज़िरा या मक़ामे ग़ौरो-फ़िक्र : मुफ़स्सिरीन ने इस मक़ाम पर इख़्तिलाफ़ किया है कि क्या यह हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का मक़ामे ग़ौरो फ़िक्र है या क़ौम से मुनाज़िरा का मक़ाम है और वह क़ौम से एक मुनाज़िरा करने वाले के मौक़िफ़ में आकर सवाल कर रहे हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) इसको इब्राहीम (عليه السلام) का मक़ामे ग़ौरो-फ़िक्र क़रार देते हैं, इस क़ौल से इस्तिदलाल करते हुए कि अगर मेरा रब ही मुझे हिदायत न करे तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) कहते हैं कि यह इब्राहीम (عليه السلام) ने उस वक़्त कहा था जबकि वह पहली बार उस ग़ार से बाहर निकले, जिसमें कि उनकी माँ ने उन्हें जना था, क्योंकि नमरूद बिन किन्आन के डर से विलादत के वक़्त वह ग़ार में घुस गई थीं। नमरूद से नुजूमियों ने कहा था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है कि जिसके हाथों तुम्हारा मुल्क बर्बाद होगा। तो उसने हुक्म दे रखा था कि इस साल जितने लड़के पैदा हों, सब क़त्ल कर दिए जाएँ। उम्मे इब्राहीम जब हामिला हुईं और वक़्ते वज़अे हमल क़रीब आया तो वह शहर के बाहर एक ग़ार में चली गईं और लड़के को वहीं छोड़कर चली आईं। इस सिलसिले में वह बहुत से ख़ारिक़े आदात चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। जैसाकि उसी बुनियाद पर मुफ़स्सिरीन सल्फ़ व ख़ल्फ़ ने भी ज़िक्र किया है लेकिन सच तो यह है कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) का अपनी क़ौम से यह बयान बहैसियत एक मुनाज़िरा के है, इस अक़ीदे को बातिल करने के लिए कि तुम जो हयाकिल व अस्नाम (बुतों) को पूजते हो, यह सब हेच (बेकार) हैं।

चुनाँचे मक़ामे अव्वल में वह इबादाते अस्नाम के बारे में अपने बाप की ग़लती ज़ाहिर करते हैं, यह बुत उन्होंने फ़रिश्तों की शक्ल में बना रखे थे ताकि यह पुतले ख़ालिक़े अज़ीम के सामने उनकी सिफ़ारिश कर सकें, हालाँकि यह बुत ख़ुद उनकी अपनी नज़रों में भी हक़ीर और बेमानी थे लेकिन वह गोया फ़रिश्तों की इबादत करके यह चाहते थे कि वह रिज़्क़ और दूसरी ज़रूरियात के बारे में अल्लाह तआला के पास उनकी सिफ़ारिश किया करें, चुनाँचे इस मक़ाम पर उनकी ख़ता और गुमराही ज़ाहिर की गई है। यह हयाकिल सात सितारों के थे, यानी क़मर, अतार, ज़ोहरा, शम्स, मिर्रीख़, मशतरी, ज़हल, सबसे ज़्यादा चमकदार सितारा शम्स (सूरज) है फिर क़मर (चाँद) है फिर सब सितारों में रोशनतर ज़ोहरा है। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने सबसे पहले इसी ज़ोहरा को लिया और क़ौम को बतलाया कि इलाहियत की उन सितारों में सलाहियत नहीं यह ख़ुद पाबन्द हैं, इनकी रफ़्तार मुअय्यन मुक़द्दर है। यह सीधे या बाएँ ज़रा भी अपने इख़्तियार से नहीं झुक सकते। यह तो अज्रामे (चाँद सितारे वग़ैरह) फ़लकी हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने रोशन बनाकर पैदा किया है और इसमें उसकी बड़ी हिक्मतें पोशीदा हैं यह मश्रिक़ से निकलते हैं फिर मश्रिक़ व मग़्रिब के दरम्यानी रास्ते तै करते हैं फिर निगाहों से ओझल हो जाते हैं। दूसरी रात फिर ज़ाहिर होते हैं। ऐसी चीज़ें जो अपनी आदते मुस्तमिर्रा पर पाबन्द हों, अल्लाह कैसे हो सकती हैं। फिर वह क़मर की तरफ़ आते हैं और ज़ोहरा के बारे में जो बयान किया था, वही बयान करते हैं, फिर शम्स का ज़िक्र करते हैं और इन तीन अज्राम से जब इलाहियत का इंतिफ़ाअ फ़र्माते हैं जो अज्रामे फ़लकी में

रोशन तरीन थे और दलीले क़ातेअ़ से अपना दावा साबित कर चुकते हैं, तो कहते हैं कि ऐ क़ौम! मैं तो उन चीज़ों से बरी हूँ जिनको तुम अल्लाह तआ़ला का शरीक करते हो। अगर यह अल्लाह तआ़ला हैं तो इन सबको मददगार बनाकर तुम मेरी मुख़ालिफ़ करो और ज़रा भी मेरे साथ रिआ़यत न करो। मैं तो फ़ातिरुस्समावाति वल अ़र्ज़ का हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी तरह़ शिर्क न करूँगा। मैं तो इन चीज़ों के ख़ालिक़ को पूजूँगा जो इनका मुख़्तरेअ़ है मुसख़्ख़िर है मुदब्बिर है। हर चीज़ का रिश्ते इंक़ियाद उसी के हाथ में है। जैसाकि फ़र्माया "तुम्हारा रब फ़क़त वही है जिसने छः दिन में आसमान व ज़मीन को पैदा किया फिर अ़र्श पर मुस्तवी हो गया। रात को दिन और दिन को रात से ढाँपता है कि एक दूसरे के पीछे आ जा रहे हैं। सूरज, चाँद और सितारे सब उसी के ज़ेरे फ़र्मान हैं। ख़ल्क़ व अम्र का मालिक वही है, वह रब्बुल आलमीन है बड़ी बरकतों वाला।" (7/आ़राफ़ : 54)

चुनाँचे यह कैसे जाइज़ हो सकता है कि इब्राहीम (عليه السلام) उस मक़ाम पर नज़रे ग़ौरो फ़िक्र डाले और शिर्क के ख़यालात में पहले मुब्तला हो जाए ह़ालाँकि अल्लाह तआ़ला ने उनके ह़क़ में फ़र्मा दिया है कि हमने इब्राहीम (عليه السلام) को पहले ही से हिदायत बख़्श रखी है। हम उसको ख़ूब जानते हैं। वह ख़ुद अपने बाप और क़ौम से कहते थे कि यह क्या मूर्तियाँ हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। और फ़र्माया कि इब्राहीम (عليه السلام) यक्सू होकर अल्लाह तआ़ला की पूजा (इबादत) करने वाला और बहुत मुख़्लिस़ बन्दा है। उसने कभी शिर्क नहीं किया। वह अल्लाह तआ़ला की नेअ़मतों पर शुक्रगुज़ार है। अल्लाह तआ़ला ने उसको बरगुज़ीदा बनाया है और उसको स़िराते मुस्तक़ीम की हिदायत फ़र्माई है और दुनिया में भी उसको ख़ूबियाँ और नेकियाँ अ़ता फ़र्माईं। और आख़िरत में भी वह स़ालेह़ीन में से है फिर हम तुम्हारी त़रफ़ ऐ नबी (ﷺ) वह़ी भेजते हैं कि मिल्लते इब्राहीम (عليه السلام) की पैरवी करो, वह ह़नीफ़ थे, मुश्रिक न थे। (16/नह़्ल : 120) और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि कह दो, ऐ नबी (स.)! कि मेरे रब ने स़िराते मुस्तक़ीम की मुझे हिदायत फ़र्माई है जिस पर कि इब्राहीम(अ.) क़ायम थे और वह मुश्रिकीन में से न थे। (6/अन्आम : 161) स़ह़ीह़ ह़दीस से साबित है कि "रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर मौलूद फ़ित्रत पर पैदा होता है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा क़ील फ़ी औलादिल मुश्रिकीन : 1385; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2685; तिर्मिज़ी : 2138; अह़मद : 2/253; इब्ने ह़िब्बान : 130) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों को ह़नीफ़ पैदा किया है। (स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल जुम्आ़, बाब अस्सिफ़ातुल्लती युअ़रफ़ु बिहा फ़िद्दुनिया अहलुल जन्नत व अहलुन्नार : 2865; अह़मद : 4/266; इब्ने ह़िब्बान : 653; मुस्नद त़यालिसी : 1079; मुस़न्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20088) यानी अल्लाह तआ़ला ही का होकर रहने वाला।" और फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला की फ़ित्रत वह है कि जिस पर इंसान की पैदाइश होती है और जो चीज़ जैसी पैदा कर दी गई उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। (30/रूम : 30) और फ़र्माया (وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى) (7/आ़राफ़ : 172) जिसके मानी एक क़ौल की रू से यही है जैसे कि (فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا) (30/रूम : 30) के हैं जिसका बयान आएगा। यानी यह कि लोगों को अल्लाह तआ़ला ने फ़ित्रते इस्लाम पर पैदा किया है अल्लाह तआ़ला की तख़्लीक़ की तब्दीली नहीं। जब यह अल्लाह परस्ती की फ़ित्रत और ऐतिराफ़े उ़बूदियत तमाम ही मख़्लूक़ के बारे में है तो इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (عليه السلام) के बारे में कैसे न हो और वह

अल्लाह शनासी के बारे में मुतफ़क्किर और मुतरद्दिद कैसे हो सकते हैं, वह तो फ़ित्रते सलीम के लिहाज़ से बेहतरीन हस्ती थी। बिला शक बात यही है कि वह उस मक़ाम में अपनी क़ौम से मुनाज़िरा और मुबाहिसा कर रहे हैं और जिस शिर्क में वह लोग मुब्तला थे उनके ख़्यालात को दलील और बुरहान के ज़रिये दूर कर रहे हैं, यह बात नहीं कि ख़ुद मुतरद्दिद हैं।

***

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ
اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّیْ كُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَكَیْفَ اَخَافُ
مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ بِهٖ عَلَیْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَیُّ
الْفَرِیْقَیْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۱﴾ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْٓا اِیْمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَیْنٰهَآ اِبْرٰهِیْمَ عَلٰی
قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ﴿۸۳﴾

तर्जुमा : ''और उनसे उनकी क़ौम ने हुज्जत करना शुरू कर दिया, आपने फ़र्माया कि क्या तुम अल्लाह तआला के मामले में मुझसे हुज्जत करते हो हालाँकि उसने मुझको तरीक़ा बतला दिया है और मैं उन चीज़ों से जिनको तुम अल्लाह तआला के साथ शरीक बनाते हो, नहीं डरता, हाँ! लेकिन अगर मेरा परवरदिगार ही कोई अम्र चाहे मेरा परवरदिगार हर चीज़ को अपने इल्म में घेरे हुए है। क्या तुम फिर ख़्याल नहीं करते। (80) और मैं उन चीज़ों से कैसे डरूँ जिनको तुमने शरीक बनाया है हालाँकि तुम उस ज़ात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह तआला के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिन पर अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं उतारी। सो उन दो जमाअतों में से अम्न का ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है अगर तुम ख़बर रखते हो। (81) जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ ख़लत़ मलत़ नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए अमन है और वही सीधी राह पर चल रहे हैं। (82) और यह हमारी हुज्जत थी वह हमने इब्राहीम (अ.) को उनकी क़ौम के मुक़ाबले में दी थी। हम जिसको चाहते हैं मर्तबों (दरजात) में बढ़ा देते हैं। बेशक तुम्हारा रब बड़ा हिक्मत वाला, बड़ा इल्म वाला है।'' (83)

मुश्रिकों के सामने खरी-खरी तौहीद की बातें (आयत 80-83) : अल्लाह पाक अपने ख़लील इब्राहीम (ﷺ) के बारे में ज़िक्र फ़र्माता है जबकि आप तौहीद के बारे में मुनाज़िरा कर रहे थे और आप अपनी क़ौम से फ़र्मा रहे थे कि क्या तुम अल्लाह तआला के बारे में मुझसे झगड़ रहे हो, वह तो वाहिद यक्ता है वह मुझे हक़ की तरफ़ बसीरत व हिदायत फ़र्मा चुका है और मैं उसकी यक्ताई पर दलाइल रखता हूँ। फिर तुम्हारी झूठी बातों और झूठे शुब्हात की तरफ़ कैसे तवज्जह दे सकता हूँ। तुम्हारे क़ौल के बुत्लान पर मेरे पास दलील है। तुम्हारे यह ख़ुद साख़्ता बुत तो किसी बात पर असर अंदाज़ नहीं वह कुछ नहीं कर सकते। मैं न इनसे डरता हूँ, न ज़र्रा बराबर भी इनकी परवाह करता हूँ। अगर यह बुत मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अच्छा बिगाड़ कर देखें बल्कि मुझे संभलने के लिए ज़र्रा भर मुहलत भी न दें। क़ौलुहू **(इल्ला अंय्यशाअ रब्बी शैअन)** हाँ! अल्लाह तआला ही अगर कुछ बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकता है। तमाम चीज़ों पर उसका एहात-ए-इल्म वसीअ है। कोई चीज़ उससे मख़्फ़ी नहीं है। मैं जो कुछ बयान करता हूँ तुम उससे कुछ भी इब्रत नहीं लेते? ताकि उनकी इबादत से बाज़ आएँ। यह सूरते एहतिजाज ऐसी ही है जैसी हूद (ﷺ) ने अपनी क़ौम के सामने पेश की थी, और उस क़ौमे आद का क़िस्सा कुरआन में मौजूद है कि (قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ) (11/हूद : 53,56) यानी ऐ हूद (ﷺ)! तुमने कोई मोजिज़ा तो पेश नहीं किया, ख़ाली तुम्हारे कहने से क्या हम अपने मअबूदों को छोड़ देंगे, हम तो तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। हम तो यही समझते हैं कि तुम पर हमारे माबूदों की कोई लानत बरसी है। तो हूद (ﷺ) ने कहा, मैं अल्लाह तआला को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं अल्लाह तआला से नहीं बल्कि अल्लाह तआला के साथ दूसरे मअबूदों को जो शरीक कर देते हो, उनसे बरी हूँ। अब तुम और तुम्हारे बुत सब मिलकर ख़ूब मेरी बुराई चाहो, न कोई कसर उठा रखो, न मुझे मोहलत दो। मेरा भरोसा तो मेरे रब पर है जो तुम्हारा भी रब है वह तो हर जानदार को अपने पास पकड़ बुलाएगा। फिर आयते ज़ेरे ज़िक्र में फ़र्माता है कि मैं आख़िर तुम्हारे इन झूठे अस्नाम (बुतों) से क्यूँ डरूँ जब तुम ख़ुद इस बात से नहीं डरते, जो दूसरों को अल्लाह तआला का शरीक ठहरा रहे हो। जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील भी नहीं, जैसे कि एक जगह और फ़र्माया (اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا) (42/शूरा : 21) नीज़ फ़र्माया (اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ) (53/नज्म : 23) फिर इर्शाद होता है, पस तुम ही बताओ कि तुम्हारी और मेरी जमाअत में से हक़ पर कौन है, क्या वह अल्लाह तआला जो सब कुछ कर सकता है या वह बुत जो ज़र्रा भर नफ़ा व नुक़्सान का मालिक नहीं। फिर फ़र्माता है कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म का पैवन्द नहीं लगाया, अम्नो इत्मिनान तो उन्हीं का हक़ है और वही हिदायत याफ़्ता हैं। उन्होंने अपनी इबादत शाइब-ए-शिर्क से ख़ालिस रखी थी, दुनिया आख़िरत में उन्हीं की कामयाबी है।

जब सहाबा (रज़ि.) को मफ़्हूमे ज़ुल्म का पता न चल सका : बुख़ारी में अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि जब आयत (वलम यल्बिसू ईमानहुम बि ज़ुल्मिन) नाज़िल हुई तो अस्हाब ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौन है जिसने अपने नफ़्स पर ज़ुल्म नहीं कर लिया है तो आयत नाज़िल हुई **(इन्नश्शिर्क ल ज़ुल्मुन अज़ीम)** यानी शिर्क सबसे बड़ा ज़ुल्म है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल अन्आम बाब (वलम यल्बिसू ईमानहुम बि ज़ुल्मिन) : 4629; सहीह मुस्लिम : 124; तिर्मिज़ी : 3067; अहमद : 1/387;

सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11165; बैहक़ी : 10/185; इब्ने हिब्बान : 253) जब आयत मुन्दर्जा बाला नाज़िल हुई थी और लोगों को ग़लतफ़हमी हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि "तुम जैसा समझते हो वैसा नहीं। क्या तुमने सुना नहीं कि अब्दे सालेह यानी लुक़्मान हकीम (ﷺ) ने कहा था **(या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि, इन्नश्शिर्क ल ज़ुल्मुन अज़ीम)** यानी ज़ुल्म से मुराद शिर्क है।" (अहमद : 1/378; शर्ते शैख़ेन पर सहीह है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 6/69) अब्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि जब **(लम यल्बिसू ईमानहुम बि ज़ुल्मिन)** आयत उतरी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मुझसे कहा गया कि तुम उन्हीं ईमानदार लोगों में से हो।" (इब्ने मर्दवे व सनदहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में मुहम्मद बिन शद्दाद ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 3/579; रक़म : 7665) और बाक़ी सनद भी ज़ईफ़ है।) जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि एक वक़्त हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चले और जब मदीना से बाहर हुए तो एक सवार हमारी तरफ़ आता हुआ दिखाई दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "यह सवार तुमसे मिलने के लिए आ रहा है।" जब वह हम तक पहुँचा तो हमें सलाम कहा। हुज़ूर (ﷺ) ने पूछा "कहाँ से आ रहे हो?" उसने कहा, अपने अहलो-अयाल और अपने क़बीले वालों के पास से। फिर आप (ﷺ) ने कहा, "कहाँ जाओगे?" कहा रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिलना चाहता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कहो! "मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ।" उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ईमान की तालीम दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "कहो कि अल्लाह तआला के सिवा कोई दूसरा इलाह नहीं और यह कि मुहम्मद अल्लाह तआला के रसूल हैं, और नमाज़ पढ़ा करो, ज़कात दिया करो, रमज़ान के रोज़े रखो और हज्ज करो।" उसने कहा, मुझे इन सब बातों का इक़रार है।

फिर जब वह रवाना हो चुका तो उसके ऊँट का पैर एक जंगली चूहे के एक सूराख़ में फंस गया और ऊँट गिर पड़ा, उसके साथ ही यह सवार भी गिर पड़ा और इसका सर फट गया, गर्दन टूट गयी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "मुझ पर इसकी देखभाल ज़रूरी है।" साथ ही अम्मार बिन यासिर, और हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने दौड़कर उसे उठाया फिर कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो मर चुका। आप (ﷺ) दूसरी तरफ़ पलट गए। फिर फ़र्माया, "क्या तुम जानते हो कि मैंने इसकी तरफ़ से रुख़ क्यूँ पलटा? मैंने दो फ़रिश्तों को देखा था कि जन्नत के फल इसके मुँह में दे रहे हैं जिससे मैं समझ गया कि वह भूखा मरा है।" फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "यह उन लोगों में से था जिनके बारे में अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि वह अपने ईमान के साथ ज़ुल्म यानी शिर्क को शामिल नहीं करते।" फिर फ़र्माया "अपने भाई का इंतिज़ाम करो।" चुनाँचे हमने उसको ग़ुस्ल दिया, कफ़न पहनाया, ख़ुश्बू लगाई और जब क़ब्र की तरफ़ ले जाने लगे तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लाए फिर क़ब्र के किनारे बैठ गए और फ़र्माया कि "बग़ली क़ब्र बनाओ, खुली न रखो, हमारी क़ब्रें बग़ली होती हैं और खुली क़ब्रें दूसरों की।" (अहमद : 4/359; व सनदहू ज़ईफ़ुन; अल्मुअजमुल कबीर : 2329; मज्मउज़्ज़वाइद : 1/41; हिल्यतुल औलिया : 4/203; इसकी सनद में अबू जनाब यहया बिन अबी हय्या कल्बी ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 4/371; रक़म : 9491) और यह उन लोगों में से था जो बहुत ही थोड़ा अमल करके अज्रे कसीर हासिल कर लेते हैं।" (मुस्नद अहमद हवाला साबिक़) तफ़्सील के साथ इब्ने

अब्बास (रज़ि.) यूँ बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चल रहे थे कि एक आराबी सामने से आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम उसकी जिसने आपको हक़ के साथ मब्ऊस फ़र्माया है कि मैं अपने वतन अपनी औलाद और अपने माल को छोड़कर आ रहा हूँ ताकि आपके ज़रिया हिदायत हासिल करूँ और इस तरह आप तक पहुँचा हूँ कि ज़मीन की घास पूरे रास्ते में खाता हुआ आया, अब मुझे दीन सिखाइए। आप (ﷺ) ने उसको दीन सिखाया, उसने क़बूल कर लिया। हम उसके अतराफ़ (आसपास) जमा हो गए। वह जाने लगा तो उसके ऊँट का पैर जंगली चूहे के बिल में घुस गया, वह गिर पड़ा और धक्के से उसकी गर्दन टूट गई। तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया "अल्लाह तआला की क़सम! इसने सच कहा था कि अपने वतन और बाल बच्चों को छोड़कर वह मुझसे सिर्फ़ हिदायत और दीन हासिल करने के लिए आया था, उसने तालीमाते दीनी हासिल कर ली। मुझे मालूम हुआ कि उसने अय्यामे सफ़र ज़मीन की सिर्फ़ घास पात खाकर गुज़ारे थे, उसने अमल थोड़ा किया और अज्र बहुत पाया। क्या तुमने उन लोगों के बारे में सुना, जिन्होंने अपने ईमान के साथ ज़ुल्म शिर्क को शामिल न किया। यही लोग अम्नो इत्मिनाने दिल के हक़दार हैं। यही असल हिदायत पाने वाले हैं। यह उन्हीं में से था।

अब्दुल्लाह बिन सबख़रा (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "जिसको दिया गया और उसने शुक्र किया, और जिसको न दिया गया और उसने सब्र किया, और जिसने ज़ुल्म किया फिर मग़्फ़िरत तलब की, और जिस पर ज़ुल्म हुआ और उसने बख़्श दिया।" इतना कहकर आप (ﷺ) ख़ामोश हो गए तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसको क्या मिलेगा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "यही लोग अल्लाह तआला की तरफ़ से अम्न के अंदर आ गए, हिदायत याफ़्ता यही हैं।" और क़ौले पाक (व तिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला क़ौमिही) यानी हमने इब्राहीम (अ.) को अपनी क़ौम से मुनाज़िरा करना और दलीलें लाना सिखाया। मुजाहिद (रह.) वग़ैरह इस आयत से हस्बे ज़ेल दलील पेशकर्दा बारी तआला मुराद लेते हैं यानी यह हुज्जते इब्राहीमी कि मैं तुम्हारे मअबूदों से क्यूँ डरूँ जबकि तुम अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने से नहीं डरते जिसकी कोई सनद और दलील ही नहीं। अब तुम ख़ुद जान लो कि दोनों में से किसने अपना ज़्यादा बचाव कर लिया है। अल्लाह तआला ने इसको अम्नो हिदायत का नाम दिया है। फिर फ़र्माया (आमनू वलम् यल्बिसू) फिर उसके बाद फ़र्माया (व तिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला क़ौमिही नरफ़उ दरज़ातिम् मन नशाउ) यहाँ दरजात का लफ़्ज़ बिल इज़ाफ़ और बिला इज़ाफ़ा दोनों तरह पढ़ा गया है। जैसाकि सूरह यूसुफ़ में है और बात दोनों तरह यक्साँ है। और क़ौलुहू (इन्न रब्बका हकीमुन अलीम) यानी वह अपने क़ौल में हकीम है और अपने अफ़आल में अलीम है यानी जिसको चाहे हिदायत करे और जिसको चाहे गुमराह होने दे जैसाकि फ़र्माया (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ) (10/यूनुस : 96, 97) यानी जिनकी क़िस्मत में अल्लाह तआला का फ़ैसला मुतहक़्क़क़ हो चुका है वह ईमान न लाएँगे ख़्वाह कैसी ही निशानी उन्हें क्यों न बताई जाए कि अज़ाबे इलाही से उन्हें साबिक़ा न पड़े।

***

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ
دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٤﴾
وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ
وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ
وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ
يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَاۗءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا
لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۭ قُلْ لَّآ اَسْـَٔــلُكُمْ
عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾

तर्जुमा : ''और हमने उनको इस्हाक़ दिया और याक़ूब। हर एक को हमने हिदायत की और पहले ज़माने में हमने नूह (عليه السلام) को हिदायत की और उनकी औलाद में से दाऊद (عليه السلام) को और सुलेमान (عليه السلام) को और अय्यूब (عليه السلام) को और यूसुफ़ (عليه السلام) को और हारून (عليه السلام) को और इसी तरह हम नेक काम करने वालों को जज़ा दिया करते हैं। (84) और नीज़ ज़करिया (عليه السلام) को और यहया (عليه السلام) को और ईसा (عليه السلام) को और इल्यास (عليه السلام) को सब पूरे शाइस्ता (नेक) लोगों में से थे। (85) और नीज़ इस्माईल (عليه السلام) को और यसअ (عليه السلام) को और यूनुस (عليه السلام) को और लूत (عليه السلام) को और हर एक को तमाम जहान वालों पर हमने फ़ज़ीलत दी। (86) और नीज़ उनके कुछ बाप-दादों को और कुछ औलाद को और कुछ भाईयों को और हमने उनको मक़्बूल बनाया और हमने उनको राहे रास्त की हिदायत की। (87) अल्लाह तआला की हिदायत वह यही है अपने बन्दों में से जिसको चाहे उसको हिदायत करता है और अगर फ़र्ज़न यह हज़रात भी शिर्क करते तो जो कुछ यह आमाल किया करते थे उनसे सब एकारत हो जाते। (88) यह ऐसे थे कि हमने इनको किताब और हिक्मत और नुबुव्वत अ़ता की थी सो अगर यह लोग नुबुव्वत का इंकार करें तो हमने उसके लिए ऐसे बहुत लोग मुक़र्रर कर दिए हैं जो इसके मुंकिर नहीं। (89) यह हज़रात ऐसे थे जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत की थी सो

आप भी उन ही के त़रीक़ पर चलिए आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवज़ा (बदला) नहीं चाहता यह तो सिर्फ़ तमाम जहान वालों के वास्ते एक नसीहत है।" (90)

अल्लाह तआला की त़रफ़ से इब्राहीम (عليه السلام) पर इन्आमात (आयत 84-90) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि हमने इब्राहीम (عليه السلام) को इस्हाक़ (عليه السلام) जैसा बेटा दिया। ह़ालाँकि बुढ़ापे के सबब वह और उनकी बीवी सारा औलाद से मायूस हो चुके थे। फ़रिश्ते उनके पास आए और क़ौमे लूत़ (عليه السلام) की त़रफ़ भी वह जा रहे थे। फ़रिश्तों ने मियाँ बीवी को इस्हाक़ (عليه السلام) की विलादत की बशारत दी। बीवी ह़ैरान होकर रह गईं और कहा, "अब मेरे यहाँ बच्चा होगा" मैं बुढ़िया, मेरा शौहर शैख़ फ़ानी यह कैसी अजीब बात है।" तो फ़रिश्तों ने कहा, "ऐ बीबी! क्या अल्लाह तआला के कारसाज़ी पर ताज्जुब करती हो? ऐ घरवालों! अल्लाह की रह़मत और बरकतें तुम पर हैं।" चुनाँचे फ़रिश्तों ने उन्हें यह भी बशारत दी कि वह नबी भी होंगे और उनकी नस्ल भी बढ़ेगी, यानी फ़र्माया (وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ) (37/साफ़्फ़ात : 112) और यह बड़ी बशारत और बड़ी नेअमत है। चुनाँचे फ़र्माया (فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ) (11/हूद : 71) यानी उस मौलूद इस्हाक़ (عليه السلام) को तुम्हारी ह़यात ही में लड़का होगा और तुम्हारी आँखें जैसे बेटे से ठण्डी होंगी, पोते से भी ठण्डी होंगी क्योंकि बक़ाअे नस्ल के सबूत के सबब पोते की विलादत से ख़ुशी और भी ज़्यादा होती है। बूढ़े और बुढ़िया की औलाद में जब शक हो सकता है कि ज़ुअफ़ की वजह से उनके बच्चे नहीं हो सकते, तो बेटे और फिर पोते जिसका नाम याक़ूब (عليه السلام) होगा, उसकी ख़ुशी कैसे न होगी। याक़ूब (عليه السلام) का इश्तिक़ाक़ अक़ब से है यानी इस्ह़ाक़ के बाद उसके अक़ब में भी आने वाला। यह स़िला है इब्राहीम (عليه السلام) का। जिसने अपने वत़न और क़ौम को छोड़ा, उनके शहरों से हिज्रत करके इबादते इलाही की ख़ात़िर दूर-दराज़ चल दिया। उसकी जज़ा उनकी सुल्बी औलादे स़ालेह़ीन थी ताकि उनसे उनकी आँखें ठण्डी हों। जैसाकि फ़र्माया, जब इब्राहीम (عليه السلام) ने अपनी क़ौम और उनके मअ़बूदों को छोड़ा तो हमने उनको इस्ह़ाक़ (عليه السلام) और याक़ूब (عليه السلام) अत़ा किए और दोनों को नबी बनाया। और यहाँ फ़र्माया (व वहब्ना लहू इस्ह़ाक़ व याक़ूब कुल्लन हदयना) और फिर फ़र्माया (व नूह़ हदयना मिन क़ब्ल) यानी इससे पहले हम नूह़ (عليه السلام) की हिदायत कर चुके थे। और हमने इब्राहीम (عليه السلام) को स़ालेह़ नस्ल अत़ा फ़र्माई और इस्ह़ाक़ और याक़ूब उन दोनों को ख़ुसूस़ियते अज़ीमा ह़ास़िल है। जब अल्लाह तआला ने सारे अहले ज़मीन को ग़र्क़ कर दिया। बजुज़ (सिवाए) उनके जो नूह़ (عليه السلام) पर ईमान ला चुके थे और उनके साथ सफ़ीने (कश्ती) में बैठ चुके थे। यह बाक़ी लोग ही नूह़ (عليه السلام) की ज़ुर्रियत थे और सारी दुनिया के लोग उनकी ज़ुर्रियत हैं, और इब्राहीम (عليه السلام) कि उनके बाद कोई नबी नहीं हुआ बजुज़ उन अफ़राद के जो उनकी ज़ुर्रियत में थे, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया (وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ) (29/अन्कबूत : 27) और अल्लाह तआला ने फ़र्माया (وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ) (57/ह़दीद : 26) और यह भी फ़र्माया कि नबियों में से यह भी हैं जिन पर इन्आमे इलाही हुआ। आदम (عليه السلام) की औलाद में से और जिन्हें हमने नूह़ (عليه السلام) के साथ कश्ती में ले लिया था और इब्राहीम (عليه السلام) व इस्राईल (عليه السلام) की औलाद में से और जिन्हें हमने हिदायत की थी और पसंद कर लिया था। उनके सामने जब आयाते इलाही पढ़ी जाती हैं तो

रोते और गिड़गिड़ाते हुए सज्दा में गिर जाते हैं। इस आयते करीमा में (वमिन ज़ुर्रियतिही) से मतलब यह है कि हमने उसकी ज़ुर्रियत को भी हिदायत दी यानी दाऊद (अलै.) और सुलेमान (अलै.) को भी लेकिन अगर ज़ुर्रियत की ज़मीर को नूह (अलै.) की तरफ़ फेरें कि क़रीबतर नूह (अलै.) का लफ़्ज़ ही है और ज़मीर अक़रब की तरफ़ ही जाती है तो यह बात तो साफ़ है कोई इश्काल (प्रॉब्लम) नहीं। इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसी को इख़्तियार किया है। लेकिन अगर ज़मीर इब्राहीम (अलै.) की तरफ़ फेरें कि सियाक़े कलाम ऐसा ही है तो यह तो बहुत अच्छा है लेकिन इश्काल यह है कि इब्राहीम (अलै.) की औलाद के सिलसिले में लूत (अलै.) का लफ़्ज़ भी आया है और लूत (अलै.) इब्राहीम (अलै.) की औलाद में से नहीं हैं बल्कि उनके भाई हारून बिन आज़र के बेटे हैं, क्या अजब कि ग़ल्बा और अकसरियत के तौर पर उनकी ज़ुर्रियत के ज़िम्न में ज़िकर कर दिया गया हो। जैसाकि इस क़ौले बारी तआला में भी है **(अम् कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत)** यहाँ आबा याक़ूब (अलै.) के सिलसिले में इस्माईल (अलै.) का भी नाम आ गया हालाँकि इस्माईल (अलै.) तो उनके चचा थे। यह सिलसिल-ए-कलाम में ग़ल्बा व अकसरियत की बिना पर हुआ। और इसी तरह की दूसरी आयत है **(फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अज्मऊन इल्ला इब्लीस)** जहाँ फ़रिश्ते को सज्दे का हुक्म हुआ और मुख़ालिफ़त की मज़म्मत की गई वहाँ इब्लीस को बिनाबर ग़ल्बा फ़रिश्ते में शामिल क़रार देकर इस्तिस्ना किया गया। क्योंकि वह फ़रिश्ते (फ़रिश्तों) के साथ तशाबोह रखता था। वरना तो मलक नहीं था। जिन्नों में से था। उसकी तबीयत नार (आग) थी और फ़रिश्तों की तबीयत नूर थी। नीज़ इसलिए कि ईसा (अलै.) को ज़ुर्रियते इब्राहीम (अलै.) और नूह (अलै.) के सिलसिले में लाया गया है। गोया उन्हें भी इब्राहीम (अलै.) की नस्ल में कहा गया। इस दलील की बिना पर कि बेटी की औलाद भी आदमी की नस्ल ही में से समझी जाती है। अब अगर ईसा (अलै.) को इब्राहीम (अलै.) से कोई ताल्लुक़ है तो सिर्फ़ इस बिना पर कि उनकी माँ मरयम (अलै.) इब्राहीम (अलै.) की नस्ल से थीं, वरना हज़रत ईसा (अलै.) के तो बाप थे ही नहीं। कहते हैं कि हज्जाज (बिन यूसुफ़) ने यहया बिन यअ्मर से कहा कि मैंने सुना है तुम कहते हो कि हसन और हुसैन ज़ुर्रियते नबी (ﷺ) में से है हालाँकि वह अली और अबू तालिब की ज़ुर्रियत से हैं और फिर यह भी दावा करते हो कि इसका सबूत कुरआन से है। मैंने कुरआन को पहले से आख़िर तक पढ़ा, कहीं इसको न पाया। तो इब्ने यअ्मर ने कहा कि क्या तुमने सूरह अन्आम में नहीं पढ़ा कि **(वमिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलेमान)** यहाँ तक कि वह यहया और ईसा (अलै.) तक पढ़ते चले गए। कहा कि हाँ! पढ़ा है। कहा कि ईसा (अलै.) को ज़ुर्रियते इब्राहीम (अलै.) में बताया गया है हालाँकि वह बाप नहीं रखते थे सिर्फ़ बेटी के ताल्लुक़ से ज़ुर्रियत में क़रार दिया गया तो फिर बेटी के ताल्लुक़ से हसन और हुसैन ज़ुर्रियते नबी (ﷺ) में क्यूँ न हों। हज्जाज ने कहा तुम ठीक कहते हो। (हाकिम : 3/164, 165; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा, सालेह बिन मूसा तलही मतरूक़)

इसीलिए जब कोई आदमी अपनी मीरास को अपनी ज़ुर्रियत के नाम पर वसिय्यत करता हे या वक़्फ़ या हिबा करता है तो उस ज़ुर्रियत में औलादे बीनात (बेटियों की औलाद) भी दाख़िल समझी जाती है। लेकिन जब वह अपने बेटों के नाम से देता है या वक़्फ़ करता है तो ख़ास सुल्बी बेटे ही मुस्तहिक़ होते हैं या पोते। और दूसरों ने तो कहा है कि इसमें औलादे बनात भी दाख़िल है क्योंकि सहीह बुख़ारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हसन बिन अली (रज़ि.) के बारे में फ़र्माया कि ''मेरा यह बेटा सय्यद है और अल्लाह तआला

इसके ज़रिये मुसलमानों के दो बड़े फ़िर्क़ों में सुलह कर देगा और जंग का फ़ित्ना दब जाएगा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सुलह, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) लिल हसन बिन अली रज़ि. **(इन्नब्नी हाज़ा सय्यद)** : 2704; अबूदाऊद : 4662; तिर्मिज़ी : 3773; अहमद : 5/49) चुनाँचे हसन (रज़ि.) को इब्न के लफ़्ज़ से ताबीर किया जो दलालत करता है कि वह औलाद में दाख़िल समझे जा सकते हैं। और क़ौले बारी **(वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़्वानिहिम)** यहाँ इनकी नस्ल और नसब दोनों का ज़िक्र है और हिदायत व बरगुज़ीदगी इन सब पर शामिल है। इसीलिए फ़र्माया **(वज्तबैनाहुम व हदयनाहुम इला स़िरातिम्मुस्तक़ीम)** यानी हमने इनको चुन लिया और स़िराते मुस्तक़ीम की हिदायत की। फिर फ़र्माया **(ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मंय्यशाउ मिन इबादिही)** यानी यह बात उनको अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ और उसकी हिदायत के सबब हासिल हुई है।

शिर्क, एक इन्तिहाई घिनौना गुनाह : (वलौ अश्रकू लहबित़ा अन्हुम मा कानू यअमलून) यानी अगर वह शिर्क करेंगे तो उनके सारे नेक आमाल सल्ब (छीन) कर लिए जाएँगे। यहाँ यह बताना मक़्सूद है कि अम्रे शिर्क किस क़द्र सख़्त है और उसकी बुराई की अहमियत कितनी ज़बरदस्त है। जैसाकि फ़र्माया (وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) (39/ज़ुमर : 65) यह जुम्ला महल्ले शर्त में है और शर्त के लिए यह ज़रूरी नहीं कि वाक़ई ही हो। जैसे कि फ़र्माया (قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 81) यानी अगर अल्लाह की औलाद हो तो मैं सबसे पहले मानने वाला बन जाऊँ। और फ़र्माया (لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا)(21/अम्बिया : 17) यानी अगर खेल तमाशा बनाना ही चाहते तो अपने पास से ही बना लेते। और फ़र्माया (لَّوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا) (39/ज़ुमर:4) यानी अगर अल्लाह तआला की औलाद का ही इरादा करता तो अपनी मख़्लूक़ में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वह इससे पाक है अकेला और ग़ालिब है।

और नीचे की आयते करीमा में इर्शाद है कि इन्हीं लोगों को हमने किताब और हिक्मत और नुबुव्वत दी और अपने बन्दों पर उनके सबब नेअमत व करम मब्ज़ूल फ़र्माया। पस अगर वह नुबुव्वत का इंकार करें तो इन अहले मक्का और क़ुरैश पर हम ऐसे लोगों को मुसल्लत़ कर देंगे जो इंकार नहीं करेंगे और हमारे शुक्रगुज़ार बन्दे होंगे। अब ख़्वाह वह ग़ैर क़ुरैश अरब व अजम हों या अहले किताब हों, उन पर हम मुहाजिरीन व अंसार को मुसल्लत़ कर देंगे, वह हमारी किसी बात का इंकार नहीं करते हैं और न कोई बात रद्द करते हैं। बल्कि क़ुरआन की सब बातों पर ख़्वाह वह आयतें मुहकम हों या मुतशाबेह हों, ईमान रखते हैं। फिर अपने रसूल से मुख़ात़ब होकर फ़र्माता है कि वह अम्बिया मज़्कूर और उनके आबा व ज़ुर्रियत व इख़्वान ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत फ़र्माई है तो अब तुम उन्हीं की इक़्तिदा और इत्तिबाअ करो। जब रसूल के लिए यह हुक्म है तो उनकी उम्मत तो उनकी ताबेअ है।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सवाल किया गया कि क्या सूरह स़ाद में सज्दा है? तो फ़र्माया, हाँ! फिर यह आयत तिलावत फ़र्माई (व वहब्ना लहू इस्हाक़ व याक़ूब) से **(फ़बि हुदाहुमुक़्तदिह)** फिर कहा कि वह उन्हीं के गिरोह में से है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल अन्आम बाब क़ौलुल्लाहि तआला **(ऊलाइकल्लज़ीन हदल्लाहु फ़बि हुदाहुमुक़्तदिह)** : 4632) और क़ौलुहू तआला **(क़ुल् ला**

अस्अलुकुम अलैहि अजरा) यानी मैं तुमसे अपना कोई हक़्क़े तब्लीग़ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए **(इन हुव इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन)** यह तो दुनिया जहान वालों के लिए एक नसीहत है ताकि गुमराही से हिदायत हासिल कर लें।

***

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ مَنْ
اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِیْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِیْسَ
تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِیْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ
ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۱﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ
یَدَیْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ
وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ﴿۹۲﴾

तर्जुमा : ''और उन लोगों ने अल्लाह तआला की जैसी क़द्र करनी वाजिब थी वैसी क़द्र न पहचानी जिसको यूँ कह दिया कि अल्लाह तआला ने किसी बशर पर कोई चीज़ भी नाज़िल नहीं की। आप यह कहिए कि वह किताब किसने नाज़िल की है जिसको मूसा (عليه السلام) लेकर आए थे। जिसकी कैफ़ियत यह है कि वह नूर है और लोगों के लिए हिदायत है जिसको तुमने मुतफ़र्रिक़ औराक़ में रख छोड़ा है जिनको ज़ाहिर कर देते हो और बहुत सी बातों को छुपाते हो और तुमको बहुत सी ऐसी बातें तालीम की गई हैं जिनको तुम न जानते थे और न तुम्हारे बड़े। आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़र्माया है फिर इनको इनके मशग़ले में बेहूदगी के साथ लगा रहने दीजिए। (91) और यह भी ऐसी ही किताब है जिसको हमने नाज़िल किया है जो बड़ी बरकत वाली है अपने से पहली किताबों की तस्दीक़ करने वाली है और ताकि आप मक्का वालों को और आसपास वालों को डराएँ और जो लोग आख़िरत का यक़ीन रखते हैं ऐसे लोग उस पर ईमान ले आते हैं और अपनी नमाज़ पर मुदाविमत (हमेशगी) रखते हैं।'' (92)

आयत का शाने नुज़ूल (आयत 91-92) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि जब उन्होंने रसूल की तक्ज़ीब की तो अल्लाह का हक़्क़े ताज़ीम अदा नहीं किया। अब्दुल्लाह बिन कसीर (रह.) कहते हैं कि यह आयत क़ुरैश

के हक़ में नाज़िल हुई है। (तब्री : 11/524) और यह भी कहा गया है कि यहूद के बारे में है या यह कि उन्हीं के एक आदमी फुन्हास़ के बारे में है या मालिक बिन सैफ़ के बारे में। उन नासमझों का क़ौल है कि अल्लाह तआला ने किसी इंसान पर किताब नहीं उतारी। शाने नुज़ूल के बारे में पहली बात ज़्यादा स़हीह़ है इसलिए कि आयत मक्की है और यहूद तो इस बात के क़ाइल न थे कि इंसान पर कोई किताब नहीं उतरी क्योंकि वह तौरात के उतरने के क़ाइल हैं, और अहले वतन कुरैश और अरब मुहम्मद (ﷺ) के मुंकिर थे इस हुज्जत में कि आप (ﷺ) बशर हैं और बशर पर किताब नहीं उतरती जैसाकि फ़र्माया (اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ) (10/यूनुस : 2) यानी लोगों को ताज्जुब क्यूँ है अगर हम उन्हीं में से किसी पर वह़ी भेजें कि लोगों को कुफ़्र से डराए। और इर्शाद होता है (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى) (17/इस्रा : 94, 95) यानी जब इनके पास हिदायत पहुँची तो ईमान लाने से जो चीज़ मानेअ (रोकने वाली) थी वह यह कि इनका कहना था कि अल्लाह ने किसी बशर को रसूल बनाकर भेजा है तो ऐ नबी! कह दो कि फ़रिश्ते अगर ज़मीन पर चलते फिरते होते तो हम भी आसमान से किसी मलक ही को रसूल बनाकर भेजते।

अब यहाँ अल्लाह पाक फ़र्माता है कि इन्होंने अल्लाह तआला की क़द्र जैसा कि चाहिए नहीं पहचानी। यानी कह दिया कि अल्लाह तआला ने किसी बशर पर कुछ नाज़िल नहीं किया है। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि कह दो कि किसने किताब उतारी थी मूसा (عليه السلام) पर जो लोगों पर नूर और हिदायत साबित हुई। मूसा (عليه السلام) की पेश की हुई किताब तौरात किसकी नाज़िल की हुई थी। तुम और हर कोई यह जानता है कि मूसा बिन इमरान (عليه السلام) की किताब अल्लाह की नाज़िलकर्दा थी जिससे लोग कश्फ़े मुश्किलात में रोशनी पाते थे और शुब्हात की तारीकियों में सीधी राह को ढूँढ़ लेते थे। फिर फ़र्माया कि तुम तौरात को वरक़ वरक़ बनाकर लिखते हो लेकिन उसमें लिखते हुए तह़रीफ़ व तब्दील भी अपनी त़रफ़ से करते जाते हो और कहते यह हो कि यह भी अल्लाह ही की आयत है इसीलिए फ़र्माया कि कुछ तो ह़क़ीक़ी आयतों को ज़ाहिर कर देते हो और अक्सर को छुपा देते हो। और अल्लाह तआला का क़ौल कि तुमने वह कुछ जान लिया जिसको न तुम जानते थे, न तुम्हारे अस्लाफ़। यानी किसने उतारा इस क़ुरआन को जिसने तुमको सारी गुज़िश्ता ख़बरें बता दीं और होने वाली बातों की पेशगोई कर दी जिसको न तुम जानते थे, न तुम्हारे बाप दादा। क़तादा (रह़.) कहते हैं कि इससे मुराद मुश्रिकीने अ़रब हैं और मुजाहिद कहते हैं कि मुसलमान मुराद हैं। अब अल्लाह तआला का क़ौल है कि इस सवाल के जवाब में तुम आप ही जवाब दे दो कि अल्लाह ही ने नाज़िल फ़र्माया। और वह जिसको इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा है कि वह इस कलिमा की तफ़्सीर में मुतअय्यन है, ऐसा नहीं जैसा कि कुछ मुताख़्ख़िरीन ने कहा है कि (कुलिल्लाह) के मानी यह हैं कि तुम्हारा यह ख़ित़ाब उनके लिए नहीं है सिवाए उसके कि यह कलिमा यानी लफ़्ज़े अल्लाह है और इससे यह लाज़िम आएगा कि एक मुफ़रद (अकेला) कलिमा भी जुम्ला हो सकता है जो ग़ैर मुरक्कब हो। लेकिन कलिम-ए-मुफ़रद का लाना लुग़ते अ़रब में ग़ैर मुफ़ीद समझा गया है और इस पर सुकूत नहीं हो सकता। और क़ौले बारी तआला है कि इन्हें ज़लालत व जहल में भटकने दो यहाँ तक कि मौत के सबब इनकी यक़ीन की आँखें खुल जाएँ और आख़िरकार वह अल्लाह को जान लें।

क़ुरआन और स़ाहिबे क़ुरआन की शान : और क़ौले बारी है कि यह क़ुरआन मुबारक है और तौरात और

इंजील की तस्दीक़ करने वाला है और ताकि तुम इसके ज़रिये से मक्का और इसके अत्राफ़ (आसपास) में रहने वाले क़बाइले अरब को और अरब व अजम के बनी आदम को कुफ़्रो शिर्क के बुरे नतीजे से डरा सको। जैसाकि एक दूसरी आयत में फ़र्माया (يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ جَمِيۡعًا) (7/आराफ़ : 158) यानी कह दो कि ऐ लोगों! मैं तुम सारे इंसानों की तरफ़ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ ताकि तम्बीह कर सकूँ, और उन्हें भी जिन तक मेरा पैग़ाम पहुँचे। और फ़र्माया कि जो लोग इंकार करेंगे उनके लिए जहन्नम का वादा है। और फ़र्माया (تَبٰرَكَ الَّذِيۡ نَزَّلَ الۡفُرۡقَانَ عَلٰى عَبۡدِهٖ لِيَكُوۡنَ لِلۡعٰلَمِيۡنَ نَذِيۡرَا) (25/फ़ुरक़ान : 1) मुबारक है वह ज़ात जिसने क़ुरआन को नाज़िल किया अपने रसूल पर, ताकि सारी दुनिया जहान के लिए वह डराने वाला बने। और फ़र्माया (وَقُلۡ لِّلَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَالۡاُمِّيّٖنَ ءَاَسۡلَمۡتُمۡ ؕ فَاِنۡ اَسۡلَمُوۡا فَقَدِ اهۡتَدَوْا ۚ وَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّمَا عَلَيۡكَ الۡبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۢ بِالۡعِبَادِ) (3/आले इमरान : 20) यानी अहले किताब और अनपढ़ सब ही लोगों से कह दो कि अब भी तुम ईमान लाओगे या नहीं, अगर वह ईमान लाएँगे तो हिदायत पा लेंगे और अगर रूगर्दानी करेंगे तो करने दो, तुम्हारा काम बात को सिर्फ़ इन तक पहुँचाना था। अपने बन्दों से अल्लाह ख़ूब वाक़िफ़ हैं और बुख़ारी व मुस्लिम से साबित है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मुझे पाँच चीज़ें बख़्शी गई हैं कि मुझसे पहले नबियों में से किसी को नहीं दी गईं। उन ही में से एक यह है कि हर नबी ख़ास अपनी ही क़ौम की तरफ़ भेजा जाता था और मैं सारी दुनिया जहान के लोगों की तरफ़ भेजा गया हूँ।" (इसकी तख़रीज सूरह आले इमरान आयत 151 के तहत गुज़र चुकी है।) और इसीलिए फ़र्माया (**वल्लज़ीना युअमिनून बिल आख़िरति यूअमिनून बिही**) यानी हर वह शख़्स जो अल्लाह तआला पर ईमान रखता है और यौमे आख़िरत पर और इस मुबारक किताब पर भी ईमान लाएगा जो ऐ मुहम्मद (ﷺ)! हमने तुम पर उतारी है। और वह मोमिनीन ऐसे हैं कि पाबन्दी से अपनी नमाज़ अदा करते हैं जो अल्लाह तआला ने अपने अपने औक़ात में अदा करने के लिए उन पर फ़र्ज़ कर दी है।

***

وَمَنۡ اَظۡلَمُ مِمَّنِ افۡتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوۡ قَالَ اُوۡحِىَ اِلَىَّ وَلَمۡ يُوۡحَ اِلَيۡهِ شَىۡءٌ
وَّمَنۡ قَالَ سَاُنۡزِلُ مِثۡلَ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوۡ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوۡنَ فِىۡ غَمَرٰتِ الۡمَوۡتِ
وَالۡمَلٰۤئِكَةُ بَاسِطُوۡۤا اَيۡدِيۡهِمۡ ۚ اَخۡرِجُوۡۤا اَنۡفُسَكُمُ ؕ اَلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ الۡهُوۡنِ بِمَا
كُنۡتُمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ غَيۡرَ الۡحَـقِّ وَكُنۡتُمۡ عَنۡ اٰيٰتِهٖ تَسۡتَكۡبِرُوۡنَ ۝٩٣ وَلَقَدۡ جِئۡتُمُوۡنَا
فُرَادٰى كَمَا خَلَقۡنٰكُمۡ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكۡتُمۡ مَّا خَوَّلۡنٰكُمۡ وَرَآءَ ظُهُوۡرِكُمۡ ۚ وَمَا نَرٰى

مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

तर्जुमा : "और उस शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ तोहमत लगाए या यूँ कहे कि मुझ पर वह़ी आती है ह़ालाँकि उसके पास किसी बात की भी वह़ी नहीं आई और जो शख़्स यूँ कहे कि जैसा कलाम अल्लाह तआला ने नाज़िल किया है उसी त़रह़ का मैं भी लाता हूँ और अगर आप उस वक़्त देखें जबकि यह ज़ालिम लोग मौत की सख़्तियों में होंगे और फ़रिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे। हाँ! अपनी जानें निकालो आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी उस सबब से कि तुम अल्लाह तआला के ज़िम्मे झूठी बातें बकते थे और तुम अल्लाह तआला की आयात से तकब्बुर करते थे। (93) और तुम हमारे पास तंहा-तंहा आ गए जिस त़रह़ हमने पहली बार तुमको पैदा किया और जो कुछ हमने तुमको दिया था उसको अपने पीछे ही छोड़ आए और हम तो तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफ़ारिश करने वालों को नहीं देखते जिनकी निस्बत तुम दावा रखते थे कि वह तुम्हारे मामले में शरीक हैं। वाक़ई तुम्हारे आपस में तो क़त़अ तअल्लुक़ हो गया और वह तुम्हारा दावा सब तुमसे गया गुज़रा हुआ।" (94)

सबसे बड़ा ज़ालिम कौन और ज़ालिमों का अंजाम (आयत 93, 94) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि अल्लाह तआला पर झूठ बाँधने वाले से बढ़कर और कौन ज़ालिम होगा कि वह उसके लिए शरीक क़रार देता है या उसके औलाद क़रार देता है या यह दावा करता है कि अल्लाह तआला ने उसको रसूल बनाकर भेजा है। ह़ालाँकि अल्लाह तआला ने नहीं भेजा और इसीलिए फ़र्माया कि, "वह कहता है कि मुझ पर वह़ी भेजी गई है ह़ालाँकि नहीं भेजी गई।" इक्रिमा और क़तादा (रह़.) कहते हैं कि यह आयत मुसैलिमा कज़्ज़ाब के बारे में उतरी है। और उससे बढ़कर ज़ालिम कौन है जो कहता है कि मैं भी ऐसा क़ुरआन नाज़िल कर सकता हूँ जैसाकि अल्लाह तआला ने नाज़िल किया है। यानी अल्लाह तआला की वह़ी के साथ मुआरज़ा करता है जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि "जब उनको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि हमने उसे सुना, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसा ही हम भी कह सकते हैं।" (8/अन्फ़ाल : 31) आयते ज़ेरे ज़िक्र (नीचे की आयत) में इर्शाद है कि काश! तुम उन ज़ालिमों को सकरात और करबाते मौत (मौत की परेशानियों) के आलम में देखते जबकि फ़रिश्ते मारने के लिए हाथ उठा रहे हों जैसा कि फ़र्माया (لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ) (5/माइदा : 28) यानी मुझे क़त्ल करने के लिए अगर तू अपना हाथ उठाए भी (क़िस्सा हाबील व क़ाबील) और फ़र्माया (يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ) (60/मुम्तह़िना : 2) वह अपने हाथ अपनी ज़ुबानें तुम्हारी त़रफ़ दराज़ करते हैं ताकि तुमको मज़र्रत पहुँचाएँ और बुरा भला कहें। ज़ह़्ह़ाक और अबू स़ालेह़ (रह़.) कहते हैं कि अज़ाब के लिए हाथ उठाना मुराद है। जैसाकि फ़र्माया, "काश! तुम देखते कि मरने वाले काफ़िरों

को फ़रिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर बवक़्ते मर्ग मार रहे हैं। (8/अन्फ़ाल : 50) और इसीलिए फ़र्माया (वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम) ताकि उनके जिस्मों से उनकी रूहों को निकालें। वह फ़रिश्ते उन काफ़िरों से कहेंगे कि अपनी रूहों को बाहर निकालो। काफ़िरों का जब वक़्ते मर्ग क़रीब आएगा तो फ़रिश्ते उनको ख़बर देंगे अज़ाब व नकाल (सज़ा) की, बेड़ियों, दोज़ख़ और हमीम की और ग़ज़बे रहमान की, तो उनकी रूह उनके जिस्म में फिरने लगेगी, निकलने से इंकार करेगी, तो फ़रिश्ते उनको मारने लगेंगे, हत्ता कि रूहें निकल जाएँ, और कहेंगे कि अपनी रूहें निकाल फेंको, आज तुमको बड़ा ज़लील अज़ाब दिया जाएगा, उस सज़ा में कि कैसे कैसे बोहतान अल्लाह तआला पर तराशा करते थे। मोमिन और काफ़िर के वक़्ते मर्ग के बारे में बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं। क़ौले बारी तआला है कि अल्लाह तआला ने मोमिनीन को दुनिया और आख़िरत की ज़िन्दगी में क़ौले साबित के ज़रिये साबित क़दम रखा है। (14/इब्राहीम : 27) इब्ने मर्दवे ने यहाँ एक बहुत लम्बी रिवायत सनदे ग़रीब से बयान की है। जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी बताई गई है।

इर्शादे बारी तआला है तुम हमारे पास ऐसे फ़र्दन फ़र्दन आओगे जैसे ख़ल्क़े अव्वल में पैदा किए जाते हो, और यह बात उनसे मआद में फ़र्माई जाएगी। जैसाकि फ़र्माया कि वह अपने रब के सामने सफ़ ब सफ़ पेश किए जाएँगे और इसी कैफ़ियत में आएँगे जैसे कि पहले ख़ल्क़ के वक़्त थे यानी जैसा पैदा किया था वैसे ही उठाए जाएँगे और तुम इस बात का इंकार करते थे और इस क़यामत के दिन को दूर समझते थे। और फ़र्माया कि दुनिया में तुमने जो माल व मताअ जमा कर रखा था उसको अपने पीछे छोड़ आओगे। सहीह हदीस में है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "इब्ने आदम कहता है कि मेरा माल मेरा माल लेकिन तेरा माल तो सिर्फ़ उतना ही था जितना कि तूने खाया और फ़ना कर दिया, पहना और पुराना कर दिया या दूसरों को दिया और गोया बाक़ी रख लिया, उसके सिवा तेरी सारी दौलत दूसरों के लिए है। अल्लाह पाक इब्ने आदम से पूछेगा कि कहाँ जमा कर रखा है तो कहेगा कि ऐ रब! जमा किया और बढ़ाकर वहीं छोड़ आया।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफ़िर : 2958; तिर्मिज़ी : 2342; अहमद : 4/24; मुस्नद तयालिसी : 1148; इब्ने हिब्बान : 701; हाकिम : 2/524) फिर फ़र्माया कि इस दिन के लिए क्या आगे भेजा। वह देखेगा कि कुछ भी नहीं भेजा। फिर फ़र्माएगा कि तेरे वह सिफ़ारिशी कहाँ हैं जिनको तू समझता था कि वह मेरे साथ शरीक हैं। अब वह क्यूँ सिफ़ारिश नहीं करते। यह उसको मलामत और सरज़निश की जा रही है क्योंकि वह दुनिया में औसान व अस्नाम (बुत) को पूजता था और यह समझता था कि वह उसकी दुनियावी ज़िन्दगी और आख़िरत की ज़िन्दगी में फ़ायदा बख़्श होंगे। क़यामत के दिन तो सारे ताल्लुक़ात टूट जाएँगे, गुमराही ख़त्म हो जाएगी। बुतों का राज जाता रहेगा और अल्लाह पाक इंसानों से ख़िताब करेगा कि तुम्हारे वह बुत अब कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरे शुरका क़रार देते थे और उनसे कहा जाएगा कि अब तुम्हारे वह माबूदाने बातिल कहाँ हैं वह क्या तुम्हारी इस वक़्त कोई मदद कर सकते हैं या तुम उनकी मदद कर सकते हो। और इसीलिए फ़र्माया कि तुम्हारे साथ अब वह शुरका नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन्हें तुम मेरे पास शफ़ीअ समझते थे और उन्हें भी मुस्तहिक़ समझते थे कि उनकी इबादत की जाए। फिर फ़र्माया कि तुम्हारे आपस के ताल्लुक़ात अब सब टूट गए हैं।

(बयनकुम) को अगर रफ़अ से पढ़ें यानी (बयनुकुम) तो मुराद यह होगी कि तुम्हारी जमाअतें तोड़ दी जाएँगी और अगर नसब से पढ़ें तो मतलब होगा कि बाहमी अस्बाब व ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाएँगे और अस्नाम व अन्दाद से तुमने जो उम्मीदें क़ायम कर रखी थीं वह सब जाती रहेंगी। जैसाकि फ़र्माया, उस वक़्त यह माबूदाने बातिल अपने मुत्तबेईन से बेज़ारी ज़ाहिर करेंगे, अज़ाब को अपनी आँखों से देख लेंगे और उनके बाहमी ताल्लुक़ाते नसब मुंक़तअ हो जाएँगे और उनके मुत्तबेईन कहेंगे कि काश! हम फिर दुनिया में भेजे जाएँ ताकि जिस तरह इन माबूदों ने हमसे बेज़ारी ज़ाहिर की है हम भी इनसे बेज़ार बनें। देखो अल्लाह पाक किस तरह इनके आमाल इन पर हसरत बनाकर पेश करता है। अब यह आग से निकल नहीं सकेंगे। (2/बक़रह : 166) और फ़र्माया जब सूर फूँक दिया जाएगा तो आपस में हसब नसब कुछ बाक़ी न रहेगा न कोई बाप, न कोई बेटा, और न कोई एक दूसरे की पुर्सिश करेगा। (23/मोमिनून : 101) और फ़र्माया, तुम दुनिया में उनकी पुर्सिश करते थे तो सिर्फ़ दुनियावी ज़िन्दगी में मुहब्बत व मवद्दत की ख़ातिर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे का इंकार कर बैठेंगे और आपस में लानत मलामत करने लगेंगे। तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा और कोई तुम्हारी मदद को न उठेगा। (29/अन्कबूत : 25) और फ़र्माया, अपने शरीकों को बुलाओ। वह बुलाएँगे तो उनकी तरफ़ से कोई जवाब न पाएँगे। (28/क़सस : 64) और फ़र्माया कि जिस दिन हम इन सबको इकट्ठा करेंगे तो मुश्रिकीन से हम कहेंगे। (6/अन्आम : 22 से आख़िर तक) इसके बारे में कुरआन में कसीरुत् तादाद आयतें हैं।

***

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

तर्जुमा : ''बेशक अल्लाह तआला फाड़ने वाला है दाना को और गुठलियों को, वह जानदार को बेजान से निकाल लाता है और वह बेजान को जानदार से निकालने वाला है। अल्लाह तआला यह है सो तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो। (95) वह सुबह का निकालने वाला है। और उसने रात को राहत की चीज़ बनाया है और सूरज और चाँद को हिसाब से रखा है। यह ठहराई बात है ऐसी ज़ात की जो कि क़ादिर है बड़े इल्म वाला है। (96) और वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए सितारोंको पैदा किया ताकि तुम उनके ज़रिये से अंधेरों में ख़ुश्की में भी और दरियाओं में भी रास्ता मालूम कर

सको। बेशक हमने दलाइल ख़ूब खोल खोलकर बयान कर दिए हैं उन लोगों के लिए जो ख़बर रखते हैं।'' (97)

कायनात के ख़ालिक़ व मालिक का एक तआरुफ़ (आयत 95-97) : अल्लाह पाक ख़बर देता है कि ज़मीन में बोये हुए दाने को वह ऊपर लाकर चीर देता है और उसमें मुख़्तलिफ़ नोअ़ (क़िस्म) की सब्ज़ियाँ और रूईदगियाँ पैदा हो जाती हैं। जिनके रंग अलग शक्लें अलग और ज़ायक़े अलग। और इसी **(फ़ालिक़ुल हब्बि वन्नवा)** की तफ़्सीर में फ़र्माया कि वह एक बेजान चीज़ के अंदर से एक जानदार चीज़ यानी नबातात पैदा करता है और जानदार के अंदर से बेजान चीज़ निकालता है। जैसे बीज और हुबूब (दाने) कि बेजान चीज़ हैं जो जानदार पौधे के अंदर पैदा होते हैं, जैसाकि फ़र्माया समझने के लिए यह भी एक नुक्ता है कि ज़मीन तो होती है ख़ुश्क और मुर्दा लेकिन पानी बरसाकर हम उसे फिर ज़िन्दा कर देते हैं और उससे अनाज और ग़ल्ला पैदा करते हैं जिसे तुम खाते (36/यासीन : 33) **(मुख़्रिजुल मय्यित मिनल हय्यि)** यह **(फ़ालिक़ुल हब्बि)** पर मातूफ़ है। फिर इसकी तफ़्सीर की गई फिर आयत **(मुख़्रिजुल मय्यित)** को इस पर अत्फ़ किया गया। यह सारी इबारत आपस में मुतक़ारिब (क़रीब-क़रीब) है सबका एक ही मफ़्हूम है। कोई कहता है कि बेजान अण्डे से जानदार मुर्ग़ी का पैदा करना मुराद है या इसका अक्स कोई मुराद लेता है कि फ़ाजिर से वलदे सालेह़ और मर्दे सालेह़ से वलदे फ़ाजिर मुराद है क्योंकि नेक बमंज़िला ज़िन्दा के है और बद बमंज़िला मुर्दा के। इसके सिवा और बहुत से उमूर मुराद हो सकते हैं।

फ़र्माया है कि इन सबका फ़ाइल (करने वाला/कर्ता) अल्लाह वह़्दहू ला शरीक लहू है तो फिर तुम किधर भटके जा रहे हो ह़क़ से चेहरा फेरते, ग़ैरुल्लाह की परसतिश करते हो। वह रोशनी और तारीकी का पैदा करने वाला है जैसा कि इब्तिदाए सूरत में फ़र्माया कि इसी ने तारीकी और रोशनी बनाई यानी दिन की रोशनी के अन्दर से रात की तारीकी निकाली। फिर रात के अंदर से दिन को निकाला जिसने सारे उफ़ुक़ को रोशन किया। रात ख़त्म हो गई, तारीकी जाती रही दिन चमक उठा जैसाकि फ़र्माया कि रात दिन को ढाँक देती है। चुनाँचे अल्लाह तआला अश्याओ मुतज़ाद की तख़्लीक़ पर अपनी क़ुदरते कामिला का बयान फ़र्माता है इसीलिए फ़र्माया कि रात के अंदर से दिन को चीरकर निकालने वाला है और इसी तरह इसके बरअक्स। और रात को तारीक और मह़ल्ले सकून बनाया ताकि सारी चीज़ें इसमें सुकून, चैन और राहत ले सकें। जैसाकि फ़र्माया, क़सम है दिन की रोशनी की और क़सम है रात की जो तारीकतर हो जाती है। (93/ज़ुहा : 21) और फ़र्माया, क़सम है रात की जो घटाटोप तारीकी बन जाती है और दिन की क़सम है जो ख़ूब रोशन हो जाता है। (92/लैल : 1, 2) और फ़र्माया, क़सम है दिन की जब उसकी ज़िया (रोशनी) ख़ूब फूट पड़ती है और रात की जो सारी दुनिया को घेर लेती है। (91/शम्स : 3, 4) सुहैब रूमी (रज़ि.) की बीवी उनकी कसरते शब बेदारी की शिकायत करते हुए कहती हैं कि अल्लाह तआला ने सबके लिए रात को मह़ल्ले सुकून (सुकून का सामान) बनाया लेकिन सुहैब (रज़ि.) के लिए नहीं। क्योंकि सुहैब (रज़ि.) को जब जन्नत याद आती है तो उसके शौक़ में रातभर नहीं सोते और इबादत करते रहते हैं। और जब दोज़ख़ याद आती है तो उनकी नींद ही उड़ जाती है। इब्ने अबी ह़ातिम ने इसको रिवायत किया

है और फ़र्माया कि सूरज और चाँद अपने अपने ज़ाब्ता और हिसाब से चलते रहते हैं उनके क़ानूने रफ़्तार में ज़र्रा भर तग़य्युर (बदलाव) नहीं होता न इधर उधर भटकते हैं। बल्कि हर एक की मनाज़िल मुक़र्रर हैं, सर्दियों और गर्मियों में अपने अपने उसूल पर चलते रहते हैं और इसी मर्तबा क़ायदा से दिन और रात घटते और बढ़ते रहते हैं। जैसाकि फ़र्माया, उसी अल्लाह तआला ने सूरज को रोशनतर बनाया और चाँद को ठण्डी रोशनी दी और उसके घटने बढ़ने की मनाज़िल क़रार दीं। और फ़र्माया कि न सूरज चाँद से टकराता है और न उससे आगे बढ़ जाता है कि रात को भी नमूदार होने लगे और न रात दिन को आ पकड़ती है। हर सितारा अपने अपने मदार और मुहीत़ पर गर्दिश में है। (36/यासीन : 37) और फ़र्माया कि सूरज और चाँद और सब सितारे अम्रे इलाही ही के महकूम और मुसख़्ख़र हैं। और फ़र्माया कि यह रब्बे अ़ज़ीज़ व अ़लीम का क़रारदाद क़ानून है कि कोई उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं कर सकता। कोई चीज़ उसके इल्म से हट नहीं सकती, ख़्वाह ज़मीन व आसमान का कोई ज़र्रा ही क्यों न हो।

जहाँ कहीं अल्लाह तआला ने ख़ल्क़े लैल (रात) व नहार (दिन) और ख़ल्क़े शम्स (सूरज) व क़मर (चाँद) का ज़िक्र फ़र्माया है तो कलाम को अ़ज़ीज़ व अ़लीम ही के अल्फ़ाज़ पर ख़त्म फ़र्माता है जैसाकि यहाँ भी है और जैसा कि फ़र्माया। उनके समझने के लिए यह भी एक नुक्ता है कि रात जिसके अन्दर से हम दिन को निकालते हैं, वह उनके लिए कैसी तारीक रहती है और सूरज भी अपनी ही क़रारगाह पर हरकत कर रहा है और अपने मुस्तक़र (ठिकाने) की त़रफ़ जा रहा है। यह रब्बे अ़ज़ीज़ व अ़लीम का क़रारदादा क़ानून है। जब अल्लाह पाक ने अव्वल सूरह हामीम सज्दा में **(ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़)** का ज़िक्र फ़र्माया तो इर्शाद होता है कि हमने इस आसमान को चराग़ों से मुज़य्यन कर रखा है और यही चराग़ दुनिया की हिफ़ाज़त का काम देते हैं। यह तक़्दीरे अ़ज़ीज़ व अ़लीम है। (41/फ़ुस्सिलत : 12) और फ़र्माया कि उसने तुम्हारे लिए सितारे बना रखे हैं ताकि जब तुम बहरो बर्र की तारीकियों में हो तो उनसे राह शनासी (जानकारी) का काम लो। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि यह सितारे एक तो आसमान की ज़ीनत हैं और दूसरे यह कि शयात़ीन को इससे रजम किया जाता है और तीसरे यह कि उनसे ज़ुलुमाते (अंधेरा) बहरो बर्र में रास्ता पहचाना जाता है। कुछ सलफ़ ने कहा है कि नुजूम (सितारों) का मक़्सद सिर्फ़ यही तीन चीज़ें हैं इससे ज़्यादा और कोई मक़्सद अगर उनका कोई समझे तो उसने ख़त़ा की, अल्लाह तआला की आयात पर इज़ाफ़ा किया। फिर फ़र्माया कि हमने अपनी आयतें बहुत तफ़्सील व वज़ाहत से बयाना की हैं ताकि लोग कुछ अ़क़्ल पकड़ें और हक़ को पहचानकर बात़िल से इज्तिनाब (परहेज़) करें।

وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۭ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۹۸ وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ
شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا

قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾

तर्जुमा : ''और वह ऐसा है जिसने तुमको एक शख़्स से पैदा किया फिर एक जगह ज़्यादा रहने की है और एक जगह आरज़ी रहने की, बेशक हमने दलाइल ख़ूब खोल खोलकर बयान कर दिए उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। (98) और वह ऐसा है जिसने पानी बरसाया फिर हमने उसके ज़रिये से हर क़िस्म के नबातात को निकाला फिर हमने उससे सब्ज़ शाख़ निकाली कि उससे हम ऊपर तले दाने चढ़े हुए निकालते हैं। और खजूर के दरख़्तों से यानी उनके गुच्छे में से ख़ोशे हैं जो नीचे को लटके जाते हैं और अंगूरों के बाग़ और ज़ेतून और अनार जो कि एक दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं और एक दूसरे से मिलते-जुलते नहीं होते। हर एक के फल को देखो जब वह फलता है और उसके पकने को देखो। इनमें दलाइल हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।'' (99)

अल्लाह तआला की क़ुदरते कामिला और हिक्मते बालिग़ा का मज़ीद बयान (आयत 98, 99) :
अल्लाह पाक फ़र्माता है कि उसी ने तुमको एक रूह यानी हज़रत आदम (عليه السلام) से पैदा किया। जैसाकि फ़र्माया, ऐ लोगों ! उस अल्लाह तआला से डरो जिसने आदम (عليه السلام) को बनाया और उससे उसकी बीवी को और फिर उन दोनों से बेइन्तिहा मर्द और औरतें पैदा कीं। (4/निसाअ : 1) और फ़र्माया कि फिर तुम क़रारपज़ीर होते हो और फिर दूसरी जगह सौंप दिए जाते हो। इस जुम्ला के मानी में मुफ़स्सिरीन के बीच इख़्तिलाफ़ात हैं। इब्ने मसऊद (रज़ि.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह कहते हैं कि मुस्तक़र से मुराद रह्मे मादर है और मुस्तौदअ से मुराद पुश्ते पेदर (बाप) है। (हाकिम : 2/316; अन इब्ने अब्बास (रज़ि.) व सनदुहू हसन) और कुछ कहते हैं कि मुस्तक़र से मुराद क़रारगाहे दुनिया और मुस्तौदअ से मुराद आख़िरत बाद अज़्मौत। सईद बिन जुबैर (रह.) कहते हैं कि ''इस्तिक़रार फ़िल अर्ज़'' और वदीअत बादे मर्ग'' मुराद है। हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि मरने पर जो अमल रुक गए यह मुस्तक़र है और मुस्तौदअ दारे आख़िरत है। लेकिन क़ौले अव्वल ज़्यादा दुरुस्त है। हम समझने वालों के लिए बात को किस क़द्र वाज़ेह करके बयान करते हैं। फिर फ़र्माया उसी ने आसमान से पानी बरसाया जो मुबारक है और बन्दों के लिए रिज़्क़ मुहय्या करता है। मख़्लूक़ की मदद करता है उसी से हम हर क़िस्म की नबातात उगाते हैं, जैसाकि फ़र्माया कि पानी ही से हर चीज़ ज़िन्दगी पाती है। (21/अम्बिया : 30) उसी से ज़राअत (खेतियाँ) और सरसब्ज़ दरख़्त उगते हैं, उन्हीं दरख़्तों में फिर दाने और फल पैदा होते हैं। हम उन्हीं के अन्दर से ऐसे दाने निकालते हैं जो एक से एक जुड़े होते हैं जिन्हें ख़ौशे और गुच्छे कहते हो। दरख़्ते ख़ुर्मा में ख़ौशेदार डालियाँ होती हैं। क़िन्वान क़िन्वुन की जमा है जिसके मानी हैं ताज़ा ख़ुर्मा के गुच्छे जो क़रीब क़रीब और एक दूसरे के साथ जुड़े जुड़े हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि क़िन्वान दानिया से छोटे छोटे दरख़्त ख़ुर्मा जिनके ख़ौशे ज़मीन से लगे हों मुराद हैं। अहले

हिजाज़ तो इसे 'क़िन्वान' कहते हैं लेकिन बनू तमीम के क़बीला वाले क़िन्यान (याअ के साथ) कहते हैं और यह 'क़िन्वुन' की जमा है जैसे सिन्वान सिन्वुन की जमा है। फ़िर फ़र्माया कि 'अंगूर के बाग़ात' यानी अंगूर के बाग़ात हम ज़मीन पर पैदा करते हैं। ख़ुर्मा और अंगूर का ज़िक्र फ़र्माया क्योंकि यही दोनों अहले हिजाज़ के बेहतरीन फल समझे जाते हैं बल्कि सारी दुनिया की बेहतरीन फल हैं। अल्लाह पाक अपने एहसान का ज़िक्र फ़र्माता है कि इन ख़ुर्मा और अंगूर के फलों से तुम शराब बनाते हो और अच्छी ग़िज़ा अपने लिए तैयार करते हो। यह आयत तहरीमे ख़म्र से पहले की है। और फ़र्माया कि ज़मीन में हमने ख़ुर्मा और अंगूर के बाग़ात बनाए और फ़र्माया कि ज़ैतून और अनार के भी बाग़ात जो पत्तों और शक्ल के लिहाज़ से एक दूसरे से मुतशाबेह और क़रीब हैं लेकिन फल और शक्ल और ज़ायक़ा और तबीयत के लिहाज़ से बिलकुल मुख़्तलिफ़ हैं। फिर फ़र्माया कि जब वह पक जाए तो उसके फल की तरफ़ देखो। यानी अल्लाह तआला की क़ुदरत में तफ़क्कुर करो कि किस तरह उनको अदम से वजूद में लाया हालाँकि फल बनने से पहले यह भी जलाने की लकड़ी थी। फिर यही लकड़ी ख़ुर्मा और अंगूर और दूसरे मेवे बन गई जैसाकि फ़र्माया कि ज़मीन पर गुंजान दरख़्त और अंगूर और ज़राअत के बाग़ात में जो ख़ौशेदार भी हैं और ग़ैर ख़ौशा की भी, सबको पानी एक ही क़िस्म का मिलता है लेकिन खाने में एक बहुत अफ़ज़ल होता है दूसरे से इसीलिए यहाँ फ़र्माया कि ऐ लोगो! इसमें अल्लाह तआला की क़ुदरत व हिक्मत की कमाल दलालतें हैं। इसको ईमान वाले लोग ही समझते हैं और अल्लाह तआला व रसूल (ﷺ) की तस्दीक़ करते हैं।

***

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحٰنَهٗ

وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾

तर्जुमा : "और लोगों ने शयातीन को अल्लाह तआला का शरीक क़रार दे रखा है हालाँकि इन लोगों को अल्लाह तआला ने पैदा किया है और इन लोगों ने अल्लाह तआला के हक़ में बेटे और बेटियाँ महज़ बिला सनद तराश रखी हैं, वह पाक और बरतर है उन बातों से जिनको यह लोग बयान करते हैं।" (100)

ग़ैरुल्लाह की परसतिश और उसका बुत्लान (आयत 100) : यहाँ मुश्रिकीन का रद्द है जो इबादत में अल्लाह तआला के साथ ग़ैर को शरीक करते हैं और शैतान की परसतिश करने लगते हैं। अगर यह कहा जाए कि वह तो अस्नाम की परसतिश करते थे, फिर शैतान की परसतिश का क्या मतलब? तो जवाब यह है कि बुतों की पूजा (परसतिश) करते भी थे तो शैतान के बहकाने और उसकी इताअत करने की बिना पर, जैसाकि फ़र्माया, वह अल्लाह तआला को छोड़कर औरतों की पूजा करने लगे (यानी फ़रिश्तों को अल्लाह तआला की

बेटियाँ कहकर उन फ़रिश्ते उनास को पूजने लगे) वह तो महज़ शैतान सरकश की इबादत करते हैं, जिसने कहा था कि ऐ अल्लाह तआला में तेरे बन्दों का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ़ खींच लूँगा, उन्हें गुमराह कर दूँगा, उनमें दूर रस उम्मीदें पैदा कर दूँगा, मैं उन्हें हुक्म दूँगा और वह मवेशियों के कान काट दिया करेंगे, मैं उन्हें ऐसा ही हुक्म करूँगा ताकि वह तेरी बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें और जिसने अल्लाह तआला को छोड़कर शैतान को अपना वली और सरपरस्त बना लिया। वह बहुत खुले ख़सारे (घाटे) में रहा, वह उन मुश्रिकीन से बड़े ख़ुश आइन्द वादे करता है, दूर रस तमन्नाएँ उनमें पैदा कराता है और उसके सारे वादे धोखा होते हैं। (4/निसाअ : 117) जैसाकि फ़र्माया कि क्या तुम शैतान और उसकी ज़ुर्रियत को अपनाते हो। (18/कहफ़ : 50) हालाँकि तुमको तो मेरा दामन पकड़ना चाहिए था। और हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने अपने बाप से कहा था कि ऐ बाप! क्या तुम शैतान की इबादत करते हो, शैतान तो रहमान का नाफ़र्मान है। (19/मरियम : 44) और जैसाकि फ़र्माया, ऐ बनी आदम! क्या मैंने तुमको न बता दिया था कि शैतान की इबादत न करना, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम मेरी ही इबादत करो। यही सिराते मुस्तक़ीम है। (36/यासीन : 60)

और फ़रिश्ते क़यामत के दिन कहेंगे, तू पाक है, तू हमारा वली है, यह मुश्रिकीन अगरचे हमें "बनातुल्लाह" (अल्लाह की बेटियाँ) कहकर पूजते रहे लेकिन हमें इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, यह तो दरअसल शैतान को पूजते रहे, इसीलिए आयत ज़ेरे ज़िक्र में फ़र्माया कि इन मुश्रिकीन ने शयातीन को अल्लाह तआला का शरीक बना दिया। हालाँकि इनको भी अल्लाह वाहिद ने ही पैदा किया है। (37/साफ़्फ़ात : 95) पस वह अल्लाह तआला के साथ अल्लाह तआला की मख़्लूक़ को भी कैसे पूजते हैं जैसाकि इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा था कि "क्या तुम उन्हीं चीज़ों को पूजने लगे हो जिनको ख़ुद अपने हाथों से बनाया, हालाँकि तुमको भी और तुम्हारी इन मस्नूआत (बनाई हुई) को भी अल्लाह तआला ही ने पैदा किया है। इसलिए चाहिए कि तुम इबादत में यक्सू होकर रब ला शरीक से ताल्लुक़ रखो।" फिर फ़र्माया कि उन्होंने बेसमझी से अल्लाह तआला के लिए बेटे और बेटियाँ बना डालीं। यहाँ औसाफ़े बारी तआला में गुमराह की गुमराही पर तम्बीह की जा रही है। वह अल्लाह तआला के लिए बेटा क़रार देते हैं, जैसे यहूद कहते हैं कि उज़ेर (عليه السلام) अल्लाह तआला का बेटा हैं। हालाँकि वह पैग़म्बर हैं और नसारा कहते हैं कि ईसा (عليه السلام) अल्लाह का बेटा हैं और मुश्रिकीने अरब फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ क़रार देते हैं। यह ज़ालिम जिस बात के क़ाइल हैं अल्लाह तआला उससे बहुत बालातर है। (ख़रक़ू) के मानी हैं उन्होंने दिल से गढ़ लिया। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने अटकल लगाई। औफ़ी (रह.) कहते हैं कि इन्होंने क़रार दिया। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि इन्होंने झूठी बात बनाई। मतलब यह हुआ कि वह जिनको शरीके इबादत करते हैं, हालाँकि रब वाहिद ही ने बिला शिर्कते ग़ैर पैदा किया है वह हक़ीक़त से वाक़फ़ियत के बग़ैर ऐसा कहते हैं, अल्लाह तआला की अज़्मत से जाहिल हैं। जो अल्लाह तआला है उसको बेटा, बेटी, बीवी कैसे हो सकते हैं, इसीलिए फ़र्माया कि वह पाक है इनकी हफ़्वात व बेहूदा बातों से बालातर है।

***

بَدِيۡعُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ اَنّٰى يَكُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمۡ تَكُنۡ لَّهٗ صَاحِبَةٌ‌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ

شَىۡءٍ‌ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ۝١٠١

तर्जुमा : ''वह आसमानों और ज़मीन का मूजिद (नये सिरे से बनाने वाला) है। अल्लाह तआला के औलाद कहाँ हो सकती है हालाँकि उसके कोई बीवी तो है नहीं, और अल्लाह तआला ने हर चीज़ को पैदा किया और वह हर चीज़ को ख़ूब जानता है।'' (101)

अल्लाह तआला की वहदानियत का बयान (आयत 101) : वह ज़मीन व आसमान का मुजिद है, ख़ालिक़ है। कोई मिसाल ज़मीन व आसमान की उसके सामने नहीं थी। चुनाँचे बिदअत को बिदअत इसलिए कहते हैं कि सल्फ़ में इसकी कोई नज़ीर नहीं होती है लोग किसी अमल को अपनी तरफ़ से ईजाद करके उसको बज़अमे ख़ुद सवाब का काम समझने लगते हैं। उसका बेटा कैसे होता। उसकी तो बीवी ही नहीं और बेटा तो दो शैऐने मुतनासिबीन से पैदा होगा और अल्लाह तआला के मुनासिब व मुशाबेह तो कोई चीज़ भी नहीं। जैसाकि फ़र्माया कि वह कहते हैं कि रहमान ने अपना बेटा बना लिया है। (19/मरियम : 88) यह बड़ी झूठ बात है उसी ने हर चीज़ को पैदा किया। फिर उसी की मख़्लूक़ उसकी बीवी कैसे होगी, उसकी कोई नज़ीर नहीं, फिर उसका बेटा उसकी नज़ीर बनकर कैसे आ सकता है। अल्लाह तआला की ज़ात इससे पाक है।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمۡ‌ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ‌ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىۡءٍ فَاعۡبُدُوۡهُ‌ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ

وَّكِيۡلٌ ۝١٠٢ لَا تُدۡرِكُهُ الۡاَبۡصَارُ وَهُوَ يُدۡرِكُ الۡاَبۡصَارَ‌ ۚ وَهُوَ اللَّطِيۡفُ الۡخَبِيۡرُ ۝١٠٣

तर्जुमा : ''यह है अल्लाह तआला तुम्हारा रब! उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं, हर चीज़ का पैदा करने वाला तो तुम उसकी इबादत करो। और वह हर चीज़ का कारसाज़ है। (102) उसको तो किसी की निगाह मुहीत नहीं हो सकती और वह सब निगाहों को मुहीत हो जाता है। और वही बड़ा बारीक बीन बाख़बर है।'' (103)

दीदारे इलाही का बयान (आयत 102, 103) : यही तुम्हारा रब है जिसने हर चीज़ पैदा की है उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हर चीज़ का ख़ालिक़ है। पस तुम उसी की इबादत करो और उसकी वहदानियत का इक़रार करो। उसका न कोई लड़का है, न कोई बाप है, न बीवी, न कोई उसका अदील और नज़ीर। वह हर चीज़ पर हफ़ीज़ व रक़ीब है। हर चीज़ का मुदब्बिर है, वही रिज़्क़ देता है, रात और दिन उसी ने बनाए। उसको निगाहें पा नहीं सकतीं। इस मसला में अइम्म-ए-सलफ़ के कई क़ौल हैं एक तो यह कि अगरचे आँखें उसको आख़िरत में देख सकें, लेकिन दुनिया में नहीं देख सकतीं। नबी अकरम (ﷺ) की अहादीस से लगातार यही

साबित है, जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि जिसने यह गुमान किया कि नबी अकरम (ﷺ) ने अल्लाह तआला को देखा था तो वह झूठा है। फिर आप (रज़ि.) ने यही आयत पढ़ी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुन्नज्म : 4855; सहीह मुस्लिम : 176) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसके बरख़िलाफ़ मरवी है। उन्होंने रूइयते बारी तआला को मुत्लक़ रखा है और इनसे यह भी मरवी है कि आप (ﷺ) ने अपने दिल की आँखों से अल्लाह तआला को दो बार देखा है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब मअ़ना क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल **(व लक़द रआहू नज़्लतन उख़रा)** : 176) और यह पहला मसला सूरह नज्म में इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। इब्ने उयेयना (रह.) कहते हैं कि दुनिया में निगाहें उसको नहीं देखेंगी, और दूसरों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि आँख भरकर उसको नहीं देख सकते। इससे तख़्सीस होती है कि उस रुइयत की जो मोमिनीन को दारुल आख़िरत में हासिल होगी, और मुअतज़िला ने अपने इक़्तिज़ा-ए-फ़हम की बिना पर इसका जो मतलब समझा वह यह है कि न दुनिया में अल्लाह तआला को देख सकते हैं, न आख़िरत में। यह अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमाअत के ख़िलाफ़ है जो नादानी की बिना पर है। क्योंकि अल्लाह तआला के क़ौल से यह बात साबित होती है। यानी अल्लाह तआला ने फ़र्माया ईमानदार लोगों के चेहरे उस दिन शगुफ़्ता रहेंगे और अपने रब की तरफ़ वह नज़र उठाए हुए होंगे। नीज़ काफ़िरों के बारे में अल्लाह तआला फ़र्माता है कि वह अपने रब को देखने से हिजाब में होंगे यानी वह रब को नहीं देख सकेंगे। इससे इस बात पर दलालत होती है कि मोमिनीन के लिए रूइयते बारी तआला में हिजाब नहीं होगा और मुतवातिर अहादीस से भी साबित है कि मोमिनीन दारुल आख़िरत में अल्लाह तआला को रौज़ाते जन्नत में देखेंगे। अल्लाह तआला अपने फ़ज़्ल से यह बात नसीब फ़र्माए, आमीन!

और यह भी कहा गया है कि मुराद यह है कि अक़्ले इदराक नहीं कर सकेंगे और ऐसा ख्याल बहुत अजीब है और ज़ाहिर आयत के ख़िलाफ़ है जिसका मतलब यह हुआ कि इदराक के मानी रूयत के हैं, वल्लाहु आलम! नीज़ दूसरों का यह ख़्याल है कि रूयत को साबित मानते हुए इदराक के इंकार के ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए कि इदराक रूयत से ख़ासतर है और ख़ास की नफ़ी से आम की नफ़ी नहीं होती। अब जिस इदराक की यहाँ नफ़ी की गई है यह इदराक किस क़िस्म का है। इसमें कई क़ौल हैं जैसे मारिफ़ते हक़ीक़त। और हक़ीक़त को जानने वाला तो बजुज़ (सिवाये) अल्लाह तआला के और कोई नहीं हो सकता। अगरचे मोमिन को रूयत होगी लेकिन हक़ीक़त और ही चीज़ है। चाँद को सब देखते हैं लेकिन उसकी हक़ीक़त उसकी ज़ात तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। पस अल्लाह तआला तो बेमिस्ल है। इब्ने अलिया (रह़.) कहते हैं कि न देखना मख़्सूस है दुनिया के अंदर, यानी दुनिया में आँखों से कोई नहीं देख सकता। कुछ कहते हैं कि इदराक रुइयत से ख़ासतर है क्योंकि इदराक एहाता कर लेने को कहते हैं और अदमे एहाता से अदमे रुइयत लाज़िम नहीं आती। जैसे सारे इल्म का एहाता न होने से यह लाज़िम नहीं आता कि मुत्लक़ इल्म ही हासिल नहीं। इंसान को एहात-ए-इल्म का हासिल न होना इस आयत से साबित है कि **(ला युहीतून बिही इल्मन)** और सहीह मुस्लिम में है कि "ऐ अल्लाह तआला! मैं तेरी सना का एहाता नहीं कर सकता।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस् सलात, बाब मा युक़ाल फ़िर्रुकूअ वस्सुजूद : 486; अबूदाऊद : 879; तिर्मिज़ी : 3493; अहमद : 6/58; इब्ने

हिब्बान : 1932) इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि मुत्लक़ सना भी नहीं कर सकता। इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि किसी की निगाह अल्लाह तआला को घेर नहीं सकती। इक्रिमा (रह.) से कहा गया कि **(ला तुदरिक्हुल अब्सार)** तो कहा कि क्या तुम आसमान को नहीं देख सकते हो? कहा कि हाँ! देख सकते हैं। तो कहा, क्या पूरा आसमान एक ही नज़र में देखते हो। ग़र्ज़ यह कि उसकी शान उससे बालातर है कि उस पर निगाहें पड़ सकें।

अल्लाह पाक ने फ़र्माया कि मोमिनीन के चेहरे इस दर्जा रोशन होंगे और अपने रब को देखेंगे लेकिन उसकी अज़्मत की वजह से निगाहें उस पर मुहीत न हो सकेंगी। और इस आयत की तफ़्सीर में हदीस वारिद है कि अगर तमाम जिन्न व इन्स और शयातीन व फ़रिश्ते जबसे पैदा किए गए हैं सबकी एक सफ़ बनाई जाए तो भी उसका एहाता न हो सके। (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/68; इब्ने अबी हातिम, व सनदुहू ज़ईफ़; इसकी सनद में बिश्र बिन अम्मारा और अतिया औफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं।) यह हदीस बहुत ग़रीब है और सिहाहे सित्ता में कहीं भी नहीं है।

इब्ने अब्बास(रज़ि.) कहते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने अपने रब तआला को देखा था। जब कहा गया क्या अल्लाह तआला ने कहा है कि **(ला तुदरिक्हुल अब्सार)** तो आपने फ़र्माया, यह अल्लाह का नूर है जो उसका ज़ाती नूर है जब वह अपनी तजल्ली करे तो आँखें उसको नहीं देख सकतीं। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिन् नज्म : 3279; वहुव हसन, हाकिम : 2/316; अस्सुन्नतु लि इब्ने अबी आसिम : 437) और कुछ यह मतलब बयान करते हैं कि कोई चीज़ उसके सामने क़ायम नहीं रह सकती। हदीस में है अल्लाह तआला न सोता है न सोना उसको सज़ावार है। वह मीज़ान क़ायम किए हुए है, दिन के आमाल रात होने से पहले और रात के आमाल दिन होने से पहले उसके सामने पेश हो जाते हैं , उसका हिजाब नूर है या नार है। अगर वह उठ जाए तो उसकी तजल्ली सारी दुनिया को जला डालेगी। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब फ़ी क़ौलिही अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह ला यनाम : 179; मुस्नद तयालिसी ' 491; अहमद : 4/395; इब्ने माजा : 195; इब्ने हिब्बान : 266) कुतुबे मुतक़द्दमा में है कि अल्लाह तआला ने मूसा (عليه السلام) से कहा था कि ऐ मूसा (عليه السلام)! कोई ज़िन्दा मेरी तजल्ली पाकर ज़िन्दा नहीं रह सकता और कोई ख़ुश्क चीज़ बग़ैर फ़ना के नहीं रह सकती। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जब अल्लाह तआला ने पहाड़ पर तजल्ली की तो वह टूटकर और लरज़ाकर रह गया और हज़रत मूसा (عليه السلام) बेहोश होकर गिर पड़े और जब होश में आए तो कहा (سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ) (7/आराफ़ : 143) इदराक ख़ास यौमे क़यामत में रुइयत की नफ़ी नहीं करता है वह इबादे मोमिनीन पर अपनी तजल्ली फ़र्माएगा। उसकी तजल्ली और जलालो अज़्मत उसके हस्बे मंशा होगी। निगाहें उसको ब तमाम इदराक नहीं कर सकतीं। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन आईशा (रज़ि.) आख़िरत में रूयत (देखने) की क़ाइल हैं और दुनिया में रूयत की नफ़ी करती हैं, उन्होंने भी एहतिजाज इसी आयत से किया है। पस जिस बात की नफ़ी इदराक करे कि उसके मानी भी रुइयते अज़्मत व जलाल के हैं वह बात कैसे मुम्किन है कि किसी बशर या किसी फ़रिश्ते से हो सके। फिर इर्शाद होता है कि **(हुव युदरिकुल अब्सार)** यानी वह लोगों के अब्सार का इदराक और एहाता कर

सकता है। क्योंकि उसी ने अब्सारे इंसान को पैदा किया है फिर वह कैसे एहाता न कर सके। इर्शाद है कि क्या वह अपनी पैदा की हुई चीज़ को नहीं जानेगा वह लतीफ़ व ख़बीर है और कभी लफ़्ज़े अब्सार से मुब्सेरीन मुराद होती है यानी मुब्सेरीन उसको नहीं देख सकते, वह लतीफ़ है यानी किसी बात के इस्तिख़राज में बहुत बारीक बीन है और हर चीज़ के ठिकाना से बाख़बर है, वल्लाहु आलम! जैसे कि हज़रत लुक़्मान (عليه السلام) अपने बेटे को नसीहत करते वक़्त कहते हैं (يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ) (31/लुक़्मान : 16) यानी ऐ मेरे बच्चे! अगर कोई भलाई या बुराई राई के दाना के बराबर भी हो, ख़्वाह पत्थर में हो या आसमानों में या ज़मीन में, अल्लाह तआला उसे ले आएगा। अल्लाह तआला निहायत ही बारीक बीन और ख़बरदार है।

***

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿١٠٥﴾

तर्जुमा : "अब बिला शुब्हा तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक़ बीनी के ज़रायेअ पहुँच चुके हैं सो जो शख़्स देख लेगा वह अपना फ़ायदा करेगा और जो शख़्स अंधा रहेगा वह अपना नुक़्सान करेगा और मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। (104) और हम इस तौर पर दलाइल को मुख़्तलिफ़ पहलूओं से बयान करते हैं ताकि आप सबको पहुँचा दें और ताकि ये यूँ कहें कि आपने किससे पढ़ लिया है और ताकि हम इसको दानिशमंदों के लिए ख़ूब ज़ाहिर कर दें।" (105)

मोमिन, काफ़िर और रोशन दलीलें (आयत 104, 105) : बसाइर यानी मुबय्यिनात और निशानियाँ जो क़ुरआन में हैं और जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेश की हैं। पस जिसने बसीरत से काम लिया उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुँचा जैसे फ़र्माया कि जो हिदायत हासिल करेगा वह अपनी ज़ात के लिए करेगा और जो भटक जाएगा उसकी मज़र्रत (नुक़्सान) उसी पर रहेगी, इसीलिए फ़र्माया कि जो अंधा बनेगा उसका नुक़्सान उसी को पहुँचेगा जैसे फ़र्माया कि आँखें अंधी नहीं होती हैं बल्कि दिल अंधे होते हैं और मैं तुम पर कुछ मुहाफ़िज़ व रक़ीब व निगरानकार तो हूँ नहीं। बल्कि मैं तो सिर्फ़ एक मुबल्लिग़ हूँ, हिदायत तो अल्लाह तआला करता है जिसको चाहे और गुमराह होने देता है जिसको चाहे और इस तरह हम आयात को तफ़्सील से बयान करते जाते हैं, जैसाकि इस सूरत में बयाने तौहीद पेश किया गया है। और इस बिना पर भी कि मुश्रिक और काफ़िर कहते हैं कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! यह बातें तुमने साबिक़ा किताब वालों से नक़्ल की हैं और उन ही से सीखकर कह रहे हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि लफ़्ज़ 'दरस्त' है बमअ़नी तलौता। इनकी यह बात मुख़ासमत व मुजादलत के

महल में है, जैसे उन कुफ़्फ़ार के झूठ व इनाद (दुश्मनी) की अल्लाह तआला ने यूँ ख़बर दी है कि काफ़िर कहते हैं कि यह तो बनाया हुआ झूठ है और दूसरों ने भी इस किताब कुरआन के बनाने में मदद दी है। यह बड़े ज़ुल्म और झूठ की बात है। वह कहते हैं कि यह तो पहले के लोगों के मल्फ़ूज़ात व मक्तूबात हैं जिसको इन्होंने भी लिख लिया है। और उन कुफ़्फ़ार के ज़अम व किज़्ब के बारे में फ़र्माता है कि उसने फ़िक्र किया, सोचा अंदाज़ा लगाया। कमबख़्त हलाक हो जाए कैसा ग़लत अंदाज़ा लगाया। फिर सोचा तुर्शुरू हुआ, मुँह बिगाड़ा, ग़ुरूर किया और कहने लगा कि यह तो एक पढ़ा हुआ जादू है, यह अल्लाह तआला का नहीं इंसान का कलाम है। और फ़र्माया कि हम ऐसे लोगों के लिए वज़ाहत से बात बोलते हैं जो हक़ को जानकर उसकी इत्तिबाअ करते हैं, बातिल से इज्तिनाब (परहेज़) करते हैं। काफ़िरों की गुमराही और मोमिनों की तस्दीक़ में अल्लाह तआला की हिक्मत व मस्लिहत है। जैसाकि फ़र्माया, ग़लत तअबीर करने वाले कुरआन से गुमराह भी होते हैं और हिदायत भी पाते हैं। (2/बक़रह : 26) और फ़र्माया कि जिनके दिल में मर्ज़ है और जिनके दिल पत्थर हैं, शैतान उनके दिल में वस्वसे डालता है और यह चीज़ उनके लिए अल्लाह तआला की तरफ़ से आज़माइश बन जाती है। (22/हज्जः : 53) और अल्लाह तआला ईमान वालों को सिराते मुस्तक़ीम की राह बताता है। (22/हज्ज : 54)

और फ़र्माया हमने दोज़ख़ पर फ़रिश्ते मुक़र्रर कर रखे हैं और उनकी मुक़र्ररकर्दा तादाद अहले कुफ़्र के लिए एक फ़ित्ना है लेकिन उसी से अहले किताब और ईमान वालों का ईमान बढ़ता है। अहले किताब और मोमिनीन उसमें शक नहीं करते (क्योंकि अहले किताब भी अपनी किताबों में यह मुक़र्ररा तादाद का ज़िक्र पाते हैं) लेकिन काफिर और बीमार दिल वाले लोग बोल उठते हैं कि यह बात पेश करने की अल्लाह तआला को ज़रूरत ही क्या थी, इसी तरह बहुत से लोग गुमराह होते हैं और बहुत से हिदायत पाते हैं। अल्लाह तआला के लश्कर को उसके सिवा कौन जानता है। (74/मुद्दस्सिर : 31) और फ़र्माया हमने कुरआन को मोमिनन के लिए शिफ़ा और रहमत बनाकर नाज़िल फ़र्माया और यही चीज़ ज़ालिमों के लिए घाटे का सबब है। (17/इस्राः82) और फ़र्माया कि "कह दो कि यह कुरआन मोमिनीन के लिए हिदायत व शिफ़ा है और काफ़िरों के कानों में डाट लगे हुए हैं और वह अंधे हैं।" (41/फ़ुस्सिलत : 44) कुरआन का मुत्तक़ीन के लिए हिदायत होना और हिदायत व ज़लालत उसके मंशा पर मौक़ूफ़ होना, इस मौज़ूअ पर बहुत आयतें हैं, इसीलिए यहाँ फ़र्माया कि हम आयतें कैसे-कैसे फेर-फेरकर बयान करते हैं लेकिन काफ़िर यही कहते हैं कि कहीं से लिखवा लाए हो। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने (दरस्त) बमअनी (क़रअ्त व तअल्लम्मत) बयान किया है। और हसन (रह.) ब मअनी तक़ाविमत कहते हैं। अम्र बिन दीनार कहते हैं कि इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) कहते थे कि बच्चे यहाँ दारस्त पढ़ते हैं और है लफ़्ज़ (दरस्त क़रअ्त) इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िरात (दरस्त) नसबे सीन और वक़्फ़े ताअ के साथ है और इसके मानी हैं तक़ावमत। मतलब यह हुआ कि जो चीज़ तुम हमें सुना रहे हो, हम मुतक़द्दिमीन के ज़रिए इससे वाक़िफ़ हैं। इब्ने मसऊद (रज़ि.) की क़िरात में दरस् है यानी मुहम्मद (ﷺ) ने इसको सीख रखा है। यह इख़्तिलाफ़ अजीब है। उबय बिन कअब (रज़ि.) कहते थे कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुझे यूँ सुनाया था (व लि यक़ूलू दरस्त) यानी सीन के जज़म और ता के ज़बर के साथ। (हाकिम : 2/238, 239; व सनदुहू ज़ईफ़ुन मुस्लिम)

اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿١٠٧﴾

तर्जुमा : "आप ख़ुद इस तरीक़ पर चलते रहिये जिसकी वह़ी आपके रब तआला की तरफ़ से आपके पास आई है, अल्लाह तआला के सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं और मुश्रिकीन की तरफ़ ख़याल न कीजिए। (106) और अगर अल्लाह तआला को मंज़ूर होता तो यह शिर्क न करते और हमने आपको उनका निगरान नहीं बनाया। और न आप (ﷺ) उन पर मुख़्तार हैं।" (107)

नबी (ﷺ) और उम्मते मुहम्मदिया के लिए अल्लाह तआला का हुक्म (आयत 106, 107) : अल्लाह तआला रसूले करीम (ﷺ) और आपकी उम्मत को हुक्म देता है कि वह़ी की इक़्तिदा करो और उसी पर अमल करो क्योंकि यही ह़क़ है और इसमें कोई आमेज़िश (मिलावट) नहीं है और इन मुश्रिकीन से ऐराज़ करो, इनसे दरगुज़र करो, इनकी ईज़ारसानी (तक्लीफ़ों) को बर्दाश्त कर लो यहाँ तक कि अल्लाह तआला तुमको इन मुआनिदीन पर फ़तह और ज़फ़र अता फ़र्माए और जान लो कि इनकी गुमराही में अल्लाह तआला की ह़िक्मत है, अगर अल्लाह तआला चाहता तो सारी दुनिया ही को हिदायत याफ़्ता कर देता सब हिदायत पर मुत्तफ़िक़ हो जाते और शिर्क करने वाले शिर्क करते ही नहीं। इसमें अल्लाह तआला की ख़ास ह़िक्मत है वह जो करता है उस पर ऐतिराज़ नहीं किया जा सकता। हाँ! वह सबसे बाज़पुर्स करता है। हमने तुमको इनका ज़िम्मेदार नहीं बनाया है इनके जी में जो आए कहें और करें, तुम इन पर निगरानकार नहीं हो, न तुम इनको रिज़्क़ देते हो, तुम्हारा काम तो सिर्फ़ तब्लीग़ कर देना है। जैसाकि फ़र्माया कि इनको नसीह़त कर दो तुम सिर्फ़ नसीह़त व ख़ैरख़्वाही करने वाले हो तुम इनके लिए रब्बानी फ़ौजदार नहीं और फ़र्माया कि तब्लीग़ तुम्हारा काम है और फिर पूछताछ हमारा काम है। (13/रअ़द : 40)

***

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

तर्जुमा : "और गाली मत दो, उनको जिनकी यह लोग अल्लाह तआला को छोड़कर इबादत करते हैं क्योंकि फिर वह बराहे जहल (नादानी की वजह से) ह़द से गुज़रकर अल्लाह तआला की शान में गुस्ताख़ी करेंगे। हमने इसी तरह हर तरीक़ा वालों को उनका अमल मरग़ूब बना रखा है। फिर अपने रब ही के पास इनको जाना है। सो वह इनको जतला देगा जो कुछ भी वह किया करते थे।" (108)

मअबूदाने बातिला को गालियाँ देने की मुमानिअत (आयत 108) : अल्लाह पाक रसूलुल्लाह (ﷺ) को और मोमिनीन को मना फ़र्माता है मुश्रिकीन के ख़ुदाओं को गालियाँ देने से और भला बुरा कहने से, अगरचे इसमें यक गुना मस्लिहत सही लेकिन मफ़ासिद इससे बढ़कर पैदा होते हैं यानी मुक़ाबला में वह भी मुसलमानों के अल्लाह को गालियाँ देंगे। मुश्रिकीन कहते थे कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! हमारे बुतों को गाली देने से तुमको बाज़ रहना चाहिए वरना हम भी तुम्हारे रब की हिजू करेंगे। चुनाँचे अल्लाह तआला ने मना फ़र्मा दिया। क़तादा (रह.) से मरवी है कि मुसलमान अस्नामे कुफ़्फ़ार को गाली देते थे। पस कुफ़्फ़ार भी बग़ैर हक़ीक़त को समझे इनाद से अल्लाह तआला को बुरा भला कहने लगे। (तफ़्सीरुल क़ुरआन लि अब्दिर्रज़ाक़ : 1/208) जब अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पर थे तो क़ुरैश ने मश्वरा किया कि अबू तालिब के पास चलें और उनसे कहें कि अपने भतीजे को रोक दो, हमें यह आर की बात मालूम होती है कि अबू तालिब के मरने के बाद मुहम्मद (ﷺ) को क़त्ल कर दें। अरब कहेंगे कि अबू तालिब की ज़िन्दगी में तो कुछ न चली, अब जबकि वह मर गए तो बुज़दिलों ने क़त्ल किया है। चुनाँचे अबू जहल, अबू सुफ़ियान, अम्र बिन आस, और कई लोग बसूरते वफ़्द आए और मुत्तलिब नामी एक शख़्स को इजाज़त हासिल करने के लिए भेजा। अबू तालिब ने बुला लिया। वह कहने लगे, ऐ अबू तालिब! तुम हमारे बड़े और हमारे सरदार हो, मुहम्मद (ﷺ) ने हमें तक्लीफ़ पहुँचाई है और हमारे ख़ुदाओं को अज़िय्यत दी है, हम चाहते हैं कि तुम इन्हें बुलाकर रोक दो ताकि वह हमारे ख़ुदाओं का नाम ही न लें हम भी उसको और उसके रब तआला को छोड़ देंगे। तो आपने नबी अकरम (ﷺ) को बुलाया और कहा, यह तुम्हारी ही क़ौम है और तुम्हारे ही चचा की औलाद है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "चचा! बात क्या है और यह लोग चाहते क्या हैं?" तो वह कहने लगे कि हमारा मक़्सद यह है कि तुम हमसे और हमारे ख़ुदाओं से अलग हो जाओ और हम भी तुमसे और तुम्हारे रब तआला से दस्तबरदार हो जाएँगे। तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "क्या मैं तुमको एक ऐसी बात बतला दूँ कि अगर तुमने उसको अपना लिया तो तुम अरब और अजम के मालिक हो जाओगे और सब मुल्कों से तुम्हारे पास ख़िराज की दौलत आने लगेगी।" तो अबू जहल ने कहा कि तुम्हारी ऐसी एक बात नहीं दस बातें भी क़बूल कर लेंगे, बताओ वह क्या है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कह दो (ला इलाहा इल्लल्लाह) तो उन्होंने इंकार कर दिया। मुँह बना लिया। अबू तालिब कहने लगे, ऐ भतीजे! इसके सिवा दूसरी बात बताओ, तुम्हारी क़ौम इस कलिमा से तो और भड़कती है। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "चचा! मुझे क्या हक़ है कि इसके सिवा कोई और बात बोलूँ, अगर सूरज को भी लाकर वह मेरे हाथ में रख दें तो मैं इसके सिवा तो कुछ नहीं कह सकता।" मतलब यह था कि इनको मायूस कर दें, चुनाँचे वह ग़ुस्से में भर गए और कहने लगे कि हमारे ख़ुदाओं को बुरा कहने से रुक जाओ वरना हम तुमको और तुम्हारे रब को भी गालियाँ देंगे। इसीलिए फ़र्माया कि वह दुश्मनी की बिना पर बग़ैर समझे अल्लाह तआला को बुरा कहने लगेंगे।

यह वह सूरत है जहाँ मस्लिहत को भी इसलिए नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है कि इसके बिल मुक़ाबिल फ़साद बढ़ जाएगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "जो अपने वालिदैन को गालियाँ दे वह बड़ा

मल्ऊन है।'' कहा गया या रसूलल्लाह (ﷺ)! कोई माँ बाप को कैसे गाली देगा? तो फ़र्माया कि ''यह इस तरह कि यह दूसरे के बाप को गालियाँ दे, दूसरा उसके बाप को। यह किसी की माँ को गाली दे वह उसकी माँ को तो गोया कि उसी पहले शख़्स ने अपने माँ बाप को गालियाँ दीं।'' (अहमद : 1/317; ब लफ़्ज़ आख़र नहविल मअना व सनदुहू हसन; नीज़ देखिए सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब ला यसुब्बुर्रजुलु वालिदेहि : 5973; सहीह मुस्लिम : 90; अबूदाऊद : 5141; तिर्मिज़ी : 1902) इर्शादे बारी तआला है कि हम हर उम्मत को उसी का अमल उसकी नज़रों में बेहतर क़रार देते हैं जैसाकि यह क़ौम मुहब्बते अस्नाम ही को पसंद करती है चुनाँचे गुज़िश्ता उम्मतें भी गुमराही पर थीं और उसी को अपना बेहतर अमल समझती थीं। अल्लाह तआला जो चाहता है इख़्तियार करता है उसी में बड़ी हिक्मत होती है। फिर उन लोगों की बाज़गश्त अल्लाह तआला ही की तरफ़ होगी। उस वक़्त उन्हें अपने मुअतक़िदात की ख़ूबी या बुराई मालूम हो जाएगी। अगर अमले नेक हो तो नेक बदला और बुरा हो तो बुरा बदला मिलेगा।

***

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ
اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ اَفْـــِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ
كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖٓ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١٠﴾

तर्जुमा : ''और उन लोगों ने क़समों में बड़ा ज़ोर लगाकर अल्लाह तआला की क़सम खाई कि अगर उनके पास कोई निशानी आ जाए तो वह ज़रूर ही उस पर ईमान ले आएँगे आप कह दीजिए कि निशानियाँ सब अल्लाह तआला के क़ब्ज़े में हैं और तुमको उसकी क्या ख़बर कि वह निशानियाँ जिस वक़्त आ जाएँगी यह लोग जब भी ईमान न लाएँगे। (109) और हम भी उनके दिलों को और उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसाकि यह लोग इससे पहली दफ़ा ईमान नहीं लाए और हम इनको इनकी सरकशी में हैरान रहने देंगे।'' (110)

कुफ़्फ़ार का मोजिज़ात (चमत्कारों का) तलब करना और अल्लाह तआला का जवाब (आयत 109, 110) : मुश्रिकीन अल्लाह तआला की क़समें खा खाकर बयान करते हैं कि अगर उन्हें कोई मोजिज़ा और ख़िलाफ़े आदतबात बताई जाए तो वह ईमान लाएँगे। तो ऐ नबी (ﷺ)! कह दो कि मौजिज़े तो अल्लाह तआला के पास हैं अगर वह चाहे तो मोजिज़ा बता दे और न चाहे तो न बताए। क़ुरैश ने नबी अकरम (ﷺ) से कहा कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम्हीं ने हमें बतलाया है कि मूसा ने अपना असा पत्थर पर मारा था तो बारह चश्मे फूट पड़े थे और ईसा (عليه السلام) मुर्दे को ज़िन्दा करते थे और सालेह (عليه السلام) को भी नाक़ा (ऊँटनी) का मोजिज़ा मिला था। अगर तुम भी कोई ऐसा मोजिज़ा पेश करो तो हम तुम्हारी तस्दीक़ करेंगे। नबी अकरम (ﷺ) ने

फ़र्माया, 'तुमको क्या मोजिज़ा चाहिए?'' कहा कि इस सफ़ा की पहाड़ी को हमारे लिए सोने की बना दो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम तौहीद की तस्दीक़ करोगे?'' काफ़िरों ने कहा हाँ! हम सब तुम पर ईमान ले आएँगे। आप (ﷺ) उठे और अल्लाह तआला से दुआ मांगने लगे। जिब्राईल (عليه السلام) आए और कहा अगर आप चाहते हैं तो कोहे सफ़ा सोने का बन जाएगा लेकिन अगर इस पर भी वह ईमान न लाएँगे तो फ़ौरन उन पर अज़ाब नाज़िल हो जाएगा और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो यह लोग यूँ ही बिला अज़ाब छोड़ दिए जाएँ ताकि बाद को उनमें से कोई ईमान भी ले आएँ और तौबा कर लें। (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) चुनाँचे अल्लाह पाक ने फ़र्माया कि वह क़समें खा खाकर बयान करते हैं (इला आख़िर) लेकिन बात यह है कि इनमें से अक्सर लोग नादान हैं। और फ़र्माया कि हमें मोजिज़ात भेजने से सिर्फ़ यह बात रोकती है कि इनके पहलू ने भी मोजिज़े देखने के बावजूद इंकार कर दिया था और यह भी इंकार कर देंगे तो फ़ौरन अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएँगे और जो मोहलत कि हासिल है वह भी जाती रहेगी। तुमको क्या ख़बर वह तो मोजिज़े देखकर भी ईमान नहीं लाएँगे।

कहा गया है कि **(युश्इरुकुम)** के ज़रिये मुश्रिकीन को मुख़ातब बनाया गया है, गोया कि अल्लाह तआला इनसे फ़र्माता है कि क्या यह ईमान वाली बात जो क़समें खाकर बयान की जाती है तुम दरहक़ीक़त सच समझते हो **(अन्नहा इज़ा जाअत ला युअमिनून)** एक क़िरात में **(इन्न)** ज़ेर से है इस बिना पर कि मोजिज़ात देखने के बाद नफ़ी ईमान की ख़बर शुरू की जा रही है और जुम्ला शुरु होता है तो **(इन्नहा)** से पढ़ना पड़ता है और कुछ ने **(तुअमिनून)** यानी **(त)** से इस लफ़्ज़ को पढ़ा है और कहा गया है कि क़ौल **(वमा युश्इरुकुम)** के मुख़ातब मोमिनीन हैं। यानी ऐ मोमिनों! क्या तुम जानते हो कि इन निशानियों के ज़ाहिर होने के बाद भी यह ईमान नहीं लाएँगे। इस सूरत में **(इन्नहा)** अलिफ़ के ज़ेर के साथ भी आ सकता है और अलिफ़ के ज़बर के साथ भी। यानी **(युश्इरुकुम)** का मामूल होकर और इस सूरत में **(ला युअमिनून)** **(ला)** सिला वाक़ेअ होगा जैसाकि फ़र्माया (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (7/आराफ़ : 12) यहाँ भी **(अल्ला)** का **(अन्)** सिला वाक़ेअ हुआ है। और क़ौले बारी तआला (وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) (21/अम्बिया : 95) यानी जब मैंने तुझको हुक्म दे दिया था तो किस चीज़ ने तुझको सज्दा करने से मना किया। तक़्दीर इस आयत की यूँ है कि ऐ मोमिनों! तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि यह अपनी मतलूबा निशानी और मोजिज़ा पाकर ईमान ज़रूर ले ही आएँगे और कुछ ने यह भी कहा है कि **(अन्नहा)** बमअनी **(लअल्लहा)** है। बल्कि उबय बिन कअब (रज़ि.) की क़िरात में **(अन्नहा)** के बदले **(लअल्लहा)** ही है। अहले अरब से सुना गया है **(इज़्हब इलस्सूक़ि अन्नक तश्तरी लना शैअन)** यानी बाज़ार जाओ तुम मेरे लिए वहाँ से कुछ ख़रीदोगे बमअनी **(लअल्लक तश्तरी)** है यानी शायद ख़रीदोगे। इसी तरह इस दावे पर अश्आरे अरब भी पेश किए गए हैं। क़ौलुहू तआला **(व नुक़ल्लिबु अफ़्इदतहुम व अब्सा रहुम कमा लम युअमिनू बिही अव्वल मर्रतिन)** इनके इंकार और कुफ़्र की वजह से इनके दिल और इनकी निगाहें हमने फेर दी हैं। अब यह किसी बात पर जमने वाले नहीं। ईमान में और इनमें फ़र्क़ पड़ गया है, यह दुनिया जहान की निशानियाँ देख लेंगे लेकिन ईमान न लायेंगे। जैसाकि पहली बार इनके और इनके ईमान के बीच हाइल हो गए थे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह तआला ने ख़बर दे दी है कि इनके कहने से

पहले ही कि यह क्या कहने वाले हैं और अमल करने से पहले ही इत्तिलाअ (ख़बर) दे दी कि क्या अमल करेंगे। और फ़र्माया कि शख़्से आगाह के मानिन्द कोई तुमको पक्की बात नहीं बता सकता। इंसान कहेगा कि हाय अफ़सोस! जो ज़्यादती और जो गुनाह मैंने किए हैं। (39/ज़ुमर : 56) यहाँ तक कि फ़र्माया कि वह कहेंगे कि काश! हमें दुनियावी ज़िन्दगी का एक और मौक़ा मिल गया होता तो हम नेकों में से होते। (39/ज़ुमर : 58) अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अगर वह दुनिया में फिर वापिस भी किए जाएँ तो भी हिदायत पर न चलेंगे। (6/अन्आम : 28) और फ़र्माया कि अगर दुनिया में पलटाए गए तो मन्हियात का फिर ज़रूर इर्तिकाब करेंगे। वह झूठ कह रहे हैं कि नेक बनेंगे। दोबारा दुनिया में जाने के बाद भी वह हस्बे ज़िन्दगी साबिक़ा ईमान नहीं लाएँगे क्योंकि उस वक़्त की तरह इस वक़्त भी हम इनके दिल और इनकी आँखों पर पर्दे डाल देंगे और फिर भी इनके और हिदायते मुतवक़्क़अ के बीच पर्दा हाइल ही रहेगा। और हम इन्हें इनकी सरकशियों में भटकने के लिए छोड़ देंगे।

***

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا
كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
غُرُوْرًا ۭ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

तर्जुमा : "(काफ़िरों के तमाम मुतालिबात पूरे हो जाएँ तो भी ईमान नहीं लाएँगे) और अगर हम इनके पास फ़रिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आँखों के रूबरू लाकर जमा कर देते तब भी यह लोग हर्गिज़ ईमान न लाते हाँ! अगर अल्लाह चाह ले तो और बात है लेकिन इनमें ज़्यादा लोग जिहालत की बातें करते हैं। (111) और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे कुछ आदमी और कुछ जिन्न, जिनमें से कुछ दूसरे कुछ को चिकनी चुपड़ी बातों का वस्वसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखा में डाल दें और अगर अल्लाह तआला चाहता तो यह ऐसे काम न कर सकते सो इन लोगों को और जो कुछ यह इफ़्तिरा परवाज़ी कर रहे हैं उसको आप रहने दीजिए। (112) और ताकि उसकी तरफ़ इन लोगों के दिल माइल हो जाएँ जो आख़िरत पर यक़ीन नहीं रखते और ताकि उसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकिब हो जाएँ उन उमूर के जिनके वह मुर्तकिब होते थे।" (113)

कुफ़्फ़ार हक़ पहचानने के बावजूद ईमान नहीं लाते (आयत 111-113) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि अगर हम इन लोगों का सवाल पूरा कर दें जो क़समें खाकर यह बयान करते हैं कि हमारे पास कोई निशानी आए तो हम ज़रूर ईमान लाएँगे। और फिर हम उन पर फ़रिश्ते भी नाज़िल कर दें जो रसूलों की तस्दीक़ और तुम्हारी रिसालत की गवाही दे दें तो भी वह ईमान न लायेंगे। जैसाकि वह कहते हैं कि तुम अल्लाह तआला और फ़रिश्तों को लाकर बताओ और हम तो उस वक़्त तक ईमान न लाएँगे कि दूसरे रसूलों की तरह तुम भी निशानियाँ पेश कर दो। और जिन्हें हमसे सामना करने का कोई यक़ीन नहीं कहते हैं कि हम पर फ़रिश्ते क्यूँ नहीं नाज़िल किए गए या अल्लाह ही को हम देख लेते। ऐसे लोग बड़ी सरकशी और इनाद में हैं। (फ़ुरक़ान :21) और अगर फ़रिश्ते भी आकर इनसे बात करें और रसूलों की तस्दीक़ कर दें और हर चीज़ का ज़ख़ीरा इनके पास लाकर जमा कर दें। (तब भी इनके दिलों पर कोई असर नहीं होगा) कुछ ने (क़बलन) को कसरे क़ाफ़ और फ़तहा बा के साथ पढ़ा है जिसके मानी मुक़ाबले और मुआयने के हैं और कुछ ने दोनों हुरुफ़ को पेश से पढ़ा है जिसके सबब मआनी हुए कि गिरोह दर गिरोह फ़ौज-दर-फ़ौज लोग भी आकर तस्दीक़े रुसुल कर दें तो भी ईमान न लाएँ। हिदायत सिर्फ़ अल्लाह तआला का काम है। कितने ही लोग क्यूँ न हों, उन्हें हिदायत नहीं कर सकते। वह जो चाहे करे वह सबसे सवाल करेगा लेकिन उससे सवाल नहीं हो सकता। जैसे कि फ़र्माया वह लोग जिन पर अल्लाह तआला की बात पूरी हो चुकी है। वह कभी ईमान न लाएँगे ख़्वाह वह कितनी ही निशानियाँ क्यूँ न देख लें। अज़ाबे अलीम आ घेरेगा तो इनकी आँखें खुलेंगी। (यूनुस : 96)

दुश्मनों के मुक़ाबिल अल्लाह तआला का अपने नबियों की हौसला अफ़ज़ाई फ़र्माना : इर्शाद होता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! जैसाकि तुम्हारे मुख़ालिफ़ीन और दुश्मन हैं हर नबी के इसी तरह मुआनिदीन और दुश्मन गुज़रे हैं इसलिए तुम इनकी मुख़ालिफ़त पर रंज न करो। और फ़र्माया "तुमसे पहले के नबियों ने तक्ज़ीब व ईज़ारसानी पर सब्र किया था।" (6/अन्आम : 34) और फ़र्माया यह लोग जो तुमसे कहते हैं पहले के रसूलों से भी ऐसा ही कहा गया है। अल्लाह तआला मग़्फ़िरत वाला भी है और दर्दनाक अज़ाब वाला भी है। और फ़र्माया कि इसी तरह हमने हर नबी के लिए दुश्मन बना रखे थे। (25/फ़ुरक़ान : 31) वरक़ा बिन नौफ़िल ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा था कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! यह क़ुरैश तुम्हारे साथ भी दुश्मनी करेंगे और जिस नबी ने भी तुम्हारी जैसी बातें अपनी उम्मत से कहीं, उनके साथ भी ज़रूर दुश्मनी की गई है।

क़ौलुहू **(शयातीनल इन्स वल जिन्न)** यह बदल है और (अदुव्वन) मुब्दल मिन्हु है यानी इनके दुश्मन शयातीन इंसान व जिन्न हैं। और शैतान हर वह है जो शर में अपना नज़ीर न रखता हो और उन रसूलों से तो दुश्मनी इन शयातीन के सिवा कौन करेगा जो उन्हीं की क़िस्म में से हैं। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल वही, बाब कैफ़ा कान बदअल वही इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) : 3; सहीह मुस्लिम : 160; अहमद : 2/232; इब्ने हिब्बान : 33; दलाइलुन् नुबुव्वत : 2/135) क़तादा (रह.) कहते हैं कि जिन्नों में भी शैतान हैं और इंसानों में भी शयातीन हैं कि अपने अपने लोगों को गुनाह की तल्क़ीन करते रहते हैं। अबू ज़र (रज़ि.) एक रोज़ नमाज़ पढ़ने लगे तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "ऐ अबू ज़र्र (रज़ि.)! शयातीन इंस व जिन्न से अऊज़ुबिल्लाह पढ़ लो!" तो अबू ज़र्र (रज़ि.)! ने कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो आप (ﷺ)

ने फ़र्माया, "हाँ होते हैं।" अबू ज़र (रज़ि.) से एक दूसरी रिवायत में मरवी है कि मैं हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास आया मज्लिस लम्बी हो गई, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अबू ज़र! क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली है?" मैंने कहा, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उठो दो रकअत नमाज़ पढ़ लो।" मैं आपके क़रीब आकर नमाज़ पढ़ने लगा, तो फ़र्माया, "क्या तुमने शैताने जिन्न व इंस से तअव्वुज़ कर लिया है?" मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया "हाँ! यह जिन्न के शयातीन से ज़्यादा शरअंगेज़ (ख़तरनाक) होते हैं।" (तब्री : 12/53; इसकी सनद में इंक़िताअ है जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फ़र्माया जबकि मुस्नद अहमद : 5/178; नसाई, किताबुल इस्तिआज़ा, बाबुल इस्तिआज़ति मिन शर्रि शयातीनिल इंस : 7/5509; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; हाकिम : 2/282; यह रिवायत मुत्तसिलन मौजूद है। लेकिन इसमें उबेद बिन ख़श्ख़ाश मज्हूल और अबू उमर ज़ईफ़ रावी है देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 35/432) इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि जिन्न के शयातीन इंसानी शयातीन की तरफ़ वही लाते हैं और इंसानाी शयातीन जिन्नी शयातीन की तरफ़। क़ौलुहू (यूही बअ्ज़ुहुम इला बअ्ज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरन) इक्रिमा (रह.) ने कहा कि इंसान में भी शयातीन हैं और जिन्न में भी। अब इंसानी शयातीन जिन्नी शयातीन पर इल्क़ा करते हैं। चुनाँचे उनमें से कुछ दूसरे कुछ की तरफ़ बेहूदा बातों की वही करते रहते हैं। इक्रिमा (रज़ि.) ने कहा कि इंसानी शयातीन वह हैं जो इंसानों को गुनाह के मश्वरे देते हैं और जिन्नों के शयातीन जिन्नों को गुमराह करते हैं चुनाँचे हर एक अपने साथी से कहता है कि मैंने तो अपने साथी को भटका दिया है, तू भी इस इस तरह अपने साथी को भटका दे। इस तरह एक दूसरे को गुनाह की तालीम देते रहते हैं। ग़र्ज़ इससे इब्ने जरीर (रह.) ने यह समझा कि इक्रिमा और सुद्दी (रह.) के नज़दीक शयातीन इंस से मुराद वह शैतान जिन्न हैं जो इंसान को भटकाते हैं यह मुराद नहीं कि शयातीन इंस भी इंसान के अंदर हैं। और इसमें शक नहीं कि कलामे इक्रिमा से यही ज़ाहिर होता है लेकिन कलामे सुद्दी इस मअ्नी का हामिल नहीं है अगरचे इसका एहतिमाल हो।

रिवायते ज़हहाक (रह.) में है कि जिन्न में भी शयातीन हैं जो उनको गुमराह करते हैं जैसे कि इंसान शयातीन इंसान की गुमराही का सबब बनते हैं। अब इंसानी शयातीन जिन्नी शयातीन से मिलकर कहते हैं कि इसको इससे भटकाओ और इस तरह भटकाओ जैसाकि क़ौले बारी है **(यूही अबज़ुहुम इला बअ्ज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरन)** बहर हाल सहीह वह है जो हदीसे अबी ज़र्र (रज़ि.) की हदीस मंक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "काला कुत्ता शैतान होता है" (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात, बाब क़द्र मा यस्तुरूल मुसल्ली : 510; अबूदाऊद : 702; तिर्मिज़ी : 338; इब्ने माजा : 952; अहमद : 5/149; इब्ने हिब्बान : 2385) जिसके मअ्नी यह हुए कि वह कुत्तों में से शैतान है। मुजाहिद (रह.) ने इस आयत की तफ़्सीर में लिखा है कि जिन्न के कुफ़्फ़ार शयातीन जिन्न हैं वह शयातीन इंस की तरफ़ वही भेजते हैं और शयातीने इंस कुफ़्फ़ारे इंस हैं। इक्रिमा (रह.) से रिवायत है कि मैं मुख़्तार के पास गया, मेरी मेहमानदारी की रात में भी मुझे अपने पास ठहराया। फिर मुझसे कहा कि क़ौम की तरफ़ जाओ और उन्हें हदीस सुनाओ! मैं गया एक आदमी मेरे सामने आया और कहने लगा कि वही के बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, वही दो तरह

की होती है। अल्लाह तआला ने फ़र्माया है (बिमा औह़यना इलैक हाज़ल कुरआन) यानी यह कुरआन हमने तुम्हारी तरफ़ वह़ी की है और यह भी फ़र्माया है **(शयात़ीनल इंस वल जिन्न यूह़ी बअ़ज़ुहुम इला बअ़ज़िन ज़ुख़रुफ़ल क़ौलि गुरूरन)** यानी इंस व जिन्न के शयात़ीन अपने अपने लोगों की तरफ़ बेहूदगी की वह़ी करते रहते हैं लेकिन यह कहने पर उन्होंने मुझ पर ह़मला कर दिया और मारपीट करना चाहा मैंने कहा कि तुम्हारी यह ह़रकत है, मैं तो तुम्हें एक बात बता रहा हूँ और तुम्हारा मेहमान हूँ। ग़र्ज़ उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इक्रिमा (रह़.) ने यह चीज़ मुख़्तार पर पेश की थी और वह इब्ने अबी उ़बेद है, अल्लाह उसका बुरा करे वह यह ज़अ़म करता है कि उसके पास भी वह़ी आती है। उसकी बहन स़फ़िया अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की बीवी थीं और नेक औ़रत थीं। जब अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर(रज़ि.) ने ख़बर दी कि मुख़्तार अपने पर भी वह़ी आने का दावा करता है तो इक्रिमा (रह़.) ने कहा कि अल्लाह तआला ने सच फ़र्माया कि शयात़ीन अपने औलिया की तरफ़ करते रहते हैं कि एक दूसरे को झूठ और ग़लत बातें पहुँचाता है जिससे सुनने वाला उसके असर में आ जाता है। अगर अल्लाह तआला चाहता तो वह ऐसा न करते। यानी यह सब अल्लाह की तक़्दीर और मशिय्यते वारिदा से है कि हर नबी का उन्हीं लोगों में से एक दुश्मन होता है। पस ऐ नबी! तुम इनसे दरगुज़र करो और इनके इस झूठ व इफ़्तिरा से भी ऐराज़ की अ़दावत की बाबत में अल्लाह तआला पर तवक्कल और भरोसा करो, वह तुम्हारे लिए काफ़ी है।

और क़ौलुहू तआला (लि तस़्ग़ा इलैहि) यानी ऐसे शयात़ीन की तरफ़ आख़िरत पर ईमान न रखने वालों के दिल झुक जाते हैं और इनके दोस्त व हमदम बन जाते हैं और एक दूसरे को ख़ुश करने लगते हैं जैसे कि फ़र्माया (فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾) (37/स़ाफ़्फ़ात : 161-163) और फ़र्माया (إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾) (51/ज़ारियात : 8-9) और फ़र्माया (वल्यक़्तरिफ़ू माहुम मुक़्तरिफ़ून) यानी ऐ नबी! अगर वह शैत़ान बनकर बहकाते हैं और लोग उनकी तरफ़ झुकते हैं तो उन्हें कमाने दो जो वह कमा रहे हैं।

***

أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ
ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِن تُطِعْ
أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾

तर्जुमा : "तो क्या अल्लाह तआला के अलावा किसी और फ़ैसला करने वाले को तलाश करूँ हालाँकि वह ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है उसकी हालत यह है कि उसके मज़ामीन ख़ूब साफ़ साफ़ बयान किए गए हैं और जिन लोगों को हमने किताब दी है वह इस बात को यक़ीन के साथ जानते हैं कि यह आपके रब की तरफ़ से वाक़इयत के साथ भेजी गई है सो आप शुब्हा करने वालों में न हों। (114) और आपके रब का कलाम वाक़इयत (वास्तविक रूप) और ऐतिदाल के ऐतिबार से कामिल है उसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं और वह ख़ूब सुन रहा है ख़ूब जान रहा है। (115) और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप उनका कहना मानने लगें तो वह आपको अल्लाह तआला की राह से बेराह कर दें। वह महज़ बेअसल ख़्यालात पर चलते हैं और बिलकुल क़यासी बातें करते हैं। (116) बिलयक़ीन आपका रब उनको ख़ूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है। और वह उनको भी ख़ूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं।" (117)

अल्लाह का क़ुरआन क़ौले फ़ैसल है (आयत 114-117) : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ नबी (ﷺ)! इन मुश्रिकीन से कह दो कि मैं अपने और तुम्हारे बीच क्या अल्लाह तआला के सिवा किसी और को हकम (फ़ैसला करने वाला) क़रार दूँ, हालाँकि उसने तुम्हारी तरफ़ एक तफ़्सीली किताब उतार दी है और सिर्फ़ तुम्हीं पर नहीं बल्कि यह किताब अहले किताब के लिए भी उतरी है और यह यहूदो नसारा सब जानते हैं कि यह दरहक़ीक़त अल्लाह के पास से उतरी हुई है क्योंकि तुम्हारे बारे में इनकी किताबों के अन्दर अम्बिया मुतक़द्दिमीन की बशारतें मौजूद हैं। बस तुम शक में न पड़ो। (10/यूनुस : 94) जैसांकि फ़र्माया हमने तुम्हारी तरफ़ जो नाज़िल किया है अगर उसकी तरफ़ से तुम शक में हो तो उन लोगों से पूछो जो अहले किताब हैं। तुम्हारी तरफ़ आई हुई वही बिलकुल बरहक़ है पस शक में न पड़ो। यह आयत बतौरे शर्त है और यह ज़रूरी नहीं कि शर्त वाक़ेअ भी हो जाए। इसीलिए आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मैं न शक करता हूँ और न सवाल करने की ज़रूरत है।" (मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ : 6/126; ह : 12011; वफ़ित्तफ़्सीर : 1/261; यह सनद मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसे ज़ईफ़ कहा है।) क़ौलुहू तआला **(तम्मत कलिमतु रब्बिक सिदक़व् व अद्लन)** तुम्हारे रब की बात सच्चाई और अदल पर ख़त्म होती है जो कुछ वह फ़र्माता है अम्रे हक़ है। अम्रे हक़ होने में कोई शुब्हा नहीं हो सकता और जो कुछ वह हुक्म देता है वह अदल के सिवा और कुछ नहीं होता। वह जिस बात से रोकता है वह बातिल होती है फ़सादअंगेज़ चीज़ ही से वह रोकता है जैसाकि फ़र्माया (يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ) (7/आराफ़ : 157) यानी दुनिया और आख़िरत में उसके अहकाम बदलने वाला कोई नहीं। वह अपने बन्दों की बातों को सुनता है उनकी हरकात व सक्नात को जानता है और हर आमिल के अमल का बदला उसी के मुताबिक़ देता है।

दुनिया में गुमराह लोगों की कसरत है : फ़र्माता है कि अक्सर बनी आदम के अहवाल गुमराही से पुर हैं जैसाकि फ़र्माया, पहले के अक्सर लोगों ने गुमराही इख़्तियार की थी। (37/साफ़्फ़ात : 71) और फ़र्माया कि

तुम कितनी ही तमन्ना क्यूँ न करो अक्सर लोग तो ईमान लाने वाले ही नहीं हैं। (12/यूसुफ़ : 103) वह गुमराही में हैं और लुत्फ़ यह है कि ख़ुद उन्हें अपने अमल और किरदार पर यक़ीन नहीं वह ज़न्ने बातिल में भटक रहे हैं अटकल से बातें बना लेते हैं तवह्हुम परस्ती में घिरे हुए हैं। **(इल्ला यख़रुसून)** ख़रस के मअ़नी अटकल और अंदाज़ा "**ख़रसन्नख़ल**" कहते हैं कि दरख़्त और पौधों का अंदाज़ा लगाना। अल्लाह तआ़ला की मशिय्यत और अंदाज़ा यह है कि वह अपनी राह से भटकने वालों को ख़ूब जानता है इसी वजह से भटकना उन पर आसान कर देता है और हिदायत पाने वालों को भी ख़ूब जानता है और उन पर भी हिदायत को आसान बना देता है और हर एक के लिए जो मुनासिब है वही उस पर आसान हो जाती है।

***

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۸﴾ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا
ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ
كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوْا
ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾

तर्जुमा : "सो जिस जानवर पर अल्लाह तआ़ला का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम उसके अहकाम पर ईमान रखते हो। (118) और तुमको कौनसा मुआ़मला (रुकावट का कारण) हो सकता है कि तुम ऐसे जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह तआ़ला का नाम लिया गया हो हालाँकि अल्ल्लाह तआ़ला ने सब जानवरों की तफ़्सील बयान कर दी है। जिनको तुम पर हराम किया है मगर वह भी जब तुमको सख़्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है और यक़ीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ग़लत ख़्यालात पर बिना किसी दलील के गुमराह करते हैं इसमे कोई शुब्हा नहीं कि अल्लाह तआ़ला हद से निकल जाने वालों को ख़ूब जानता है। (119) और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ो, बिला शुब्हा जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको उनके किए की अ़न्क़रीब सज़ा मिलेगी।" (120)

अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह किये हुए से खाना चाहिए (आयत 118-120) : अल्लाह पाक अपने मोमिन बन्दों को इजाज़त देता है कि जिस ज़बीहा पर अल्लाह तआ़ला का नाम लिया गया हो वह तुम खा सकते हो। यानी जिस जानवर को अल्लाह तआ़ला का नाम लेकर ज़िब्ह न किया गया हो वह हराम है जैसाकि कुफ़्फ़ारे कुरैश मुरदार चीज़ों को खा जाते थे और बुतों वग़ैरह पर जो जानवर ज़िब्ह किया गया उसको भी खाते

थे। चुनाँचे फ़र्माया कि जिस पर अल्लाह तआ़ला का नाम ले लिया गया हो उसको तुम क्यूँ न खाओ उसने तो हराम चीज़ तुम्हें बता दी है और वज़ाहत से समझा दिया है। कुछ ने (फ़स्सल) को तशदीद के साथ पढ़ा और कुछ ने तख़्फ़ीफ़ के साथ। दोनों सूरतों में मअ़नी बयाने वज़ूह के हैं। हाँ! इज़्तिरार और सख़्त मजबूरी की हालत में जो कुछ तुम पाओ तुम्हारे लिए हलाल है। फिर अल्लाह पाक मुश्रिकीन की आरा फ़ासिदा (झूठे ख़्यालात) का ज़िक्र फ़र्माता है कि मैता को और ग़ैरूल्लाह के नाम पर किये हुए ज़बीहा को किस तरह उन्होंने अपने लिए हलाल बना लिया है। उनमें से अक्सर बग़ैर इल्म अपनी ख़्वाहिशाते नफ़्सानी के पीछे गुमराह हो गए हैं अल्लाह तआ़ला उन तजावुज़ कर जाने वालों से ख़ूब वाक़िफ़ है।

मख़्फ़ी और पोशीदा गुनाहों को छोड़ देना : इर्शाद होता है कि मअ़सियत (गुनाह) ज़ाहिरी व ऐलानिया सबको छोड़ दो। मुजाहिद (रह.) से रिवायत है कि इससे वह मअ़सियत मुराद है जिसके अंजाम देने की किसी अ़मल करने वाले ने निय्यत की हो। और क़तादा (रह.) कहते हैं कि इससे मख़्फ़ी और ऐलानिया कम और ज़्यादा मअ़सियत मुराद है। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि ज़ाहिर मअ़सियत यह है कि फ़ाहिशा औरतों से तअ़ल्लुक़ हो और बातिन मअ़सियत यह है कि चोरी छुपीबदकारा औरतों के साथ मअ़सियत अ़मल में आए। इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि ज़ाहिर मअ़सियत महरम (वह औरत जिनसे निकाह जाइज़ नहीं) औरतों के साथ निकाह करना है। लेकिन सहीह यही है कि आयत इस बारे में बिलकुल आ़म है किसी बात की तख़्सीस नहीं है। जैसे कि फ़र्माया, "मेरे रब ने हर क़िस्म के फ़वाहिश हराम कर दिए हैं ख़्वाह वह अलल ऐलान हों या मख़्फ़ी तौर पर।" (7/आराफ़ : 33) इसीलिए फ़र्माया कि जो लोग गुनाह के काम करते हैं ज़रूर उनको अपने अ़मल का बदला दिया जाएगा। ख़्वाह वह ज़ाहिर हों या मख़्फ़ी। रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि "इस्म" क्या है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "वह जिसकी खटक तुम्हारे दिल में हो और तुमको यह मंज़ूर न हो कि कोई तुम्हारे इस अ़मल पर वाक़िफ़ हो।" (सहीह मुस्लिम, बाब तफ़्सीरुल बिर्र वल इस्म : 2553; तिर्मिज़ी : 2389; अहमद : 4/182; इब्ने हिब्बान : 397)

***

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰى
أَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

तर्जुमा : "और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह तआ़ला का नाम न लिया गया हो और यह काम फिस्क है और यक़ीनन शयातीन अपने दोस्तों को तालीम कर रहे हैं ताकि यह तुमसे जिदाल करें और अगर तुम इन लोगों की इताअ़त करने लगोगे तो यक़ीनन तुम मुश्रिक हो जाओगे।" (121)

ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़िब्ह किये हुए से खाना हराम है (आयत 121) : इस आयत में यह बतलाया गया है कि जब किसी ज़बीहा पर अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो तो वह हलाल नहीं ख़्वाह ज़िब्ह करने वाला मुसलमान हो। फ़िक़ह् के इमामों के इसमें तीन इख़्तिलाफ़ात हैं। कुछ कहते हैं कि इस तरह का ज़बीहा हलाल नहीं जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया गया हो, ख़्वाह अमदन (जान बूझकर) न लिया गया हो या सहवन। इस क़ौल की ताईद अस्हाबे मुतक़द्दिमीन और मुताख़्ख़िरीन में से एक जमाअत ने की है। मुताख़्ख़िरीन शाफ़इया ने अपनी किताब 'अरबईन' में इसी को इख़्तियार किया है और अपनी राय की ताईद में इसी आयत से और आयते सैद से दलील ली है कि "खाओ जिसको तुम्हारे शिकारी जानवर ने तुम्हारे लिए रोक रखा हो और उस पर अल्लाह तआला का नाम ले लिया करो।" (5/माइदा : 4) फिर इस आयत में क़ौले बारी तआला **(व इन्नहू ल फ़िस्कुन)** से ताकीद की है और कहा गया है कि (इन्नहू) की ज़मीर (अकल) की तरफ़ आइद होती है यानी ऐसा ज़बीहा खाना फ़िस्क़ है और यह भी कहा गया है कि ज़िब्ह (लि ग़ैरिल्लाह) की तरफ़ आइद होती है यानी ऐसा ज़बीहा करना फ़िस्क़ है और वह अहादीस जो ज़बीहा और सैद (शिकार) के वक़्त नाम लेने के बारे में वारिद हैं। अदी बिन हातिम और अबी सअल्बा की अहादीस की मानिन्द हैं कि "जब तुम अपने सधाए हुए कुत्ते को शिकार पर भेजो और भेजते वक़्त बिस्मिल्लाह कह लिया करो तो वह तुम्हारे लिए शिकार को पकड़ रखे और उसमें से खाए नहीं तो तुम्हें वह शिकार खाना जाइज़ है ख़्वाह वह ज़ख़्मी होकर मर चुका हो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह वस्सैद, बाब तस्मियतु अलस्सैदि : 5475; सहीह मुस्लिम : 1929) यह हदीस बुख़ारी व मुस्लिम में है। और यह हदीस राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) की भी बुख़ारी व मुस्लिम में है कि "जिससे ख़ून बहा हो और अल्लाह तआला का नाम ले लिया गया हो तो वह खा सकते हो।" (सहीह बुख़ारी किताबुज़्ज़बाइह, बाब माइद मिनल बहाइम फ़हुवा बि मंज़िलतिल वहश : 5509; सहीह मुस्लिम : 1968; तिर्मिज़ी : 1491; इब्ने माजा : 3137; अहमद : 3/46२; इब्ने हिब्बान : 5886) और हदीसे जुंदुब बिन सुफ़ियान (रज़ि.) में है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "बक़र ईद में जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर लिया, चाहिए कि अब नमाज़ के बाद दूसरा ज़बीहा करे और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह न किया हो तो चाहिए कि अल्लाह तआला का नाम लेकर ज़िब्ह कर ले।" (सहीह बुख़ारी, अज़्ज़बाइह बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) **फ़ल्युज़ब्बिह अला इस्मिल्लाह** : 5500; सहीह मुस्लिम : 1960; इब्ने माजा : 3152; अहमद : 4/312; इब्ने हिब्बान : 5913) हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग गोश्त का तोहफ़ा हमें देते हैं हम नहीं जानते कि उस पर अल्लाह तआला का नाम लिया हुआ है या नहीं तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अगर तुम्हें शक हो तो तुम ख़ुद अल्लाह तआला का नाम ले लो और खा लो।" हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि यह नौ मुस्लिम लोग होते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह, बाब ज़बीहतुल आराब व नहविहिम : 5507; अबूदाऊद : 2829; इब्ने माजा : 3174; बैहक़ी : 9/239) इसको बुख़ारी ने रिवायत किया है। वजहे दलालत यह है कि उन लोगों ने समझा कि नाम लेना ज़रूरी है और शायद तोहफ़ा भेजने वाले इसलिए नाम न ले सके हों कि नौ मुस्लिम थे इसलिए नबी अकरम (ﷺ) ने एहतियातन खाते वक़्त नाम लेने की हिदायत फ़र्माई ताकि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ज़िब्ह के वक़्त नाम मतरूक (छुट) भी हो गया हो तो उस वक़्त रब का नाम लेना

उसका बदल हो जाए। और उन लोगों को हुक्म दिया कि ठीक तौर पर अह्कामे इस्लाम का इज्रा हो सके और मसला में दूसरा मज़हब यह है कि ज़िब्ह के वक़्त नाम लेना ही कुछ मशरूत नहीं बल्कि मुस्तहब है। अगर अमदन या सहवन नाम न भी ले तो कोई हर्ज नहीं। और यही इमाम शाफ़ेई (रह.) का मज़हब है और इमाम अह्मद और इमाम मालिक (रह.) भी यही कहते हैं और शाफ़ेई (रह.) ने आयत **(वला ताकुलू मिम्मा लम् युज़्करिस्मिल्लाहि अलैहि व इन्नहू लफ़िस्कुन)** को ज़िब्ह लिग़ैरिल्लाहि पर मह्मूल किया है जैसाकि क़ौले बारी है (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (6/अन्आम : 145) और इब्ने जुरैज (रह.) ने कहा कि इस मुमानिअ़ते अकल से मुराद है कि वह ज़बीह़ा न खाओ जिसको क़ुरैश ने "औसान" के लिए ज़िब्ह किया हो। इसी तरह मजूस का ज़बीह़ा खाने की भी मुमानिअ़त है। यही वह मसलक है जिस पर इमाम शाफ़ेई (रह.) चलते हैं और यही क़वी भी है। कुछ मुताख़्ख़िरीन ने इस बात की कोशिश की है कि इस क़ौल को इस तरह क़वी बनाएँ कि **(व इन्नहू लफ़िस्कुन)** के वाव को ह़ालिया क़रार दें। यानी अल्लाह तआला का नाम न लिए हुए ज़बीह़ा को न खाओ। यहाँ तक कि ऐसा करना फ़िस्क़ है और फ़िस्क़ वही है जो ग़ैरुल्लाह के नाम पर ज़िब्ह हो। फिर यह दावा किया गया कि यह मुतअय्यन है और यह जाइज़ नहीं कि वाव आतिफ़ा हो क्योंकि ऐसी सूरत में जुम्ला इस्मिया ख़बरिया का अ़त्फ़ जुम्ला फ़ेअलिया त़ल्बिया पर लाज़िम आएगा जो ग़लत़ बात है क्योंकि यह दलील उसके बाद के जुम्ले **(व इन्नश्शयात़ीन लयूह़ून इला औलियाइहिम)** से ही टूट जाती है क्योंकि यहाँ तो यक़ीनन अ़त्फ़ है तो जिस तरह अगली वाव को ह़ालिया कहा गयाा है, अगर इसे ह़ालिया मान लिया जाए तो फिर इस पर उस जुम्ला का अ़त्फ़ नाजाइज़ होगा और अगर इसे पहले के जुम्ला फ़ेअलिया त़ल्बिया पर अ़त्फ़ किया जाए तो जो ऐतिराज़ यह दूसरे पर वारिद कर रहे हैं वही उन पर आइद होगा। हाँ! अगर इस वाव को ह़ालिया न माना जाए तो यह ऐतिराज़ मिट सकता है लेकिन जो बात और दावा था वह दूसरे से बात़िल हो जाएगा, वल्लाहु आलम!

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का क़ौल है कि इससे मुराद मुरदार जानवर है जो आप मर गया हो। इस मज़हब की ताईद अबूदाऊद की एक मुर्सल ह़दीस से भी होती है जिसमें नबी अकरम (ﷺ) का फ़र्मान है कि "मुसलमान का ज़बीह़ा हलाल है ख़्वाह उसने उस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया हो क्योंकि अगर वह नाम लेता तो अल्लाह तआला ही का नाम लेता। (मरासीले अबीदाऊद : 378; यह रिवायत मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है।) यह ह़दीस मुर्सल है और इसकी ताईद दारे क़ुत्नी की इस ह़दीस से होती है जो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि "अगर मुस्लिम ज़िब्ह करे और अल्लाह तआला का नाम न भी लिया हो तो खा सकते हैं क्योंकि वह मुसलमान ख़ुद गोया अल्लाह तआला का एक नाम है। (दारे क़ुत्नी : 4/296; ह : 4760; बैहक़ी : 9/239) और वह जब ज़िब्ह करेगा तो निय्यत यही होगी कि अल्लाह तआला के नाम पर ज़िब्ह करता हूँ।" बैहक़ी (रह.) ने ह़दीसे आइशा (रज़ि.) से भी जो पहले गुज़र चुकी हुज्जत ली है कि लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग नौ मुस्लिम होते हैं गोश्त का तोह़फ़ा लाते हैं हम नहीं जानते कि अल्लाह तआला का नाम उस पर लिया गया है या नहीं। तो फ़र्माया "तुम अल्लाह तआला का नाम ले लो और खा लो।" चुनाँचे अगर नाम लेना ज़रूरी भी होता तो आप (ﷺ) बग़ैर तह्क़ीक़ के खाने की इजाज़त ही न देते, वल्लाहु आलम!

इस मसला में तीसरा क़ौल यह है कि ज़बीहा पर बिस्मिल्लाह कहना अगर भूल गया तो उसके खाने में कोई हर्ज नहीं और अगर अ़मदन छोड़ देगा तो जाइज़ न होगा। इमाम मालिक और इमाम अहमद (रह़.) का मशहूर मज़हब यही है और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) और उनके अस्ह़ाब भी इसी के क़ाइल हैं। इमाम अबुल ह़सन (रह़.) ने अपनी किताब "अल हिदाया" में लिखा है कि इमाम शाफ़ेई (रह़.) से पहले इज्माअ़ इस पर था कि अ़मदन तस्मिया अगर तर्क हो तो ह़राम है इसीलिए अबू यूसुफ़ (रह़.) और दीगर मशाइख़ ने कहा कि अगर कोई ह़ाकिम ऐसे ज़बीहा के गोश्त की बेअ़ की इजाज़त दे तो यह हुक्म नाफ़िज़ न किया जाएगा क्योंकि इसमें इज्माअ़े उम्मत की मुख़ालिफ़त है और इज्माअ़ की मुख़ालिफ़ के साथ कोई बात जाइज़ नहीं हो सकती। साह़िबे हिदाया की यह बात अ़जीब है, ह़ालाँकि इमाम शाफ़ेई (रह़.) से पहले भी ऐसा इख़्तिलाफ़ साबित है, वल्लाहु आ़लम! इमाम अबू जाफ़र इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि जिसने भूल जाने वाले के ज़बीहा को ह़राम क़रार दिया उसने मुज्तमिआ़ दलील के क़ाइल होने से अपने को अलग कर लिया और जो ह़दीस कि नबी अकरम (ﷺ) से साबित है उसकी मुख़ालिफ़त की। वह ह़दीस यह है कि "मुस्लिम के लिए ख़ुद उसका मुसलमान होना काफ़ी है ख़्वाह वह ज़िब्ह़ के वक़्त भूल गया हो और नाम न लिया हो, तुम अल्लाह तआ़ला का नाम ले लो और खा लो।" और इस ह़दीस को ख़त्अ़न मरफ़ूअ़ कहा है और दूसरों ने इसकी तौसीक़ की है और यही स़ह़ीह़ है। इब्ने जरीर और मुह़म्मद बिन सीरीन (रह़.) ने भूलकर तस्मिया तर्क कर देने को मकरूह क़रार दिया है और सल्फ लफ़्ज़े कराहतन का इत़्लाक़ ह़राम पर करते थे। इमाम अबू जाफ़र इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि जिन लोगों ने बवक़्ते ज़िब्ह़ बिस्मिल्लाह भूलकर न कहे जाने पर भी ज़बीहा को ह़राम कहा है, उन्होंने अ़लावा और दलाइल का ख़िलाफ़ करने के इस ह़दीस का भी ख़िलाफ़ किया है जो साबित है, कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मुस्लिम को उसका मुस्लिम होना ही काफ़ी है अगर वह ज़िब्ह़ के वक़्त नाम लेना भूल गया तो अब खाने वाला अल्लाह तआ़ला का नाम ले और खा ले।" इससे यह साबित हुआ कि इसको मरफ़ूअ़ कहना ख़त़ा है और यह ख़त़ा मअ़क़िल बिन उ़बेदुल्लाह जज़्री की है। बक़ौले इमाम बैहक़ी यह रिवायत सबसे ज़्यादा स़ह़ीह़ है। इमाम इब्ने जरीर (रह़.) का यह त़रीक़ा है कि वह इन दो एक अक़्वाल को कुछ वक़अ़त नहीं देते जो क़ौल जुम्हूर के ख़िलाफ़ हों और इस इज्माअ़ को क़ाबिले अ़मल इज्माअ़ ही समझते हैं। ह़सन बस़री (रह़.) से एक शख़्स़ ने मसला पूछा कि एक शख़्स़ के पास बहुत से ज़िब्ह़ शुदा परिन्दे लाए गए जिनमें से कुछ पर तो अल्लाह तआ़ला का नाम लेकर ज़िब्ह़ किया गया था और कुछ पर नाम लेना भूल गए थे और यह और वह परिन्दे आपस में मख़्लूत़ हो गए थे। तो ह़सन (रह़.) ने कहा तुम सबको खा सकते हो। मुह़म्मद बिन सीरीन (रह़.) से यही सवाल किया गया तो कहा जिन पर अल्लाह तआ़ला का नाम नहीं लिया गया है न खाओ क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने यही फ़र्माया है **(ला ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि अ़लैहि)** और अपने फ़त्वे की इस ह़दीस से दलील ली जो इब्ने माजा में भी मरवी है यानी इस तीसरे मज़हब की दलील में यह ह़दीस भी पेश की जाती है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआ़ला ने मेरी उम्मत पर से ख़त़ा और निस्यान को मुआ़फ़ फ़र्मा दिया है और मजबूर होकर इर्तिकाबे ख़त़ा करने को भी मुआ़फ़ कर दिया है।" (यह रिवायत सूरतुल बक़रह आयत 286 के तह़त गुज़र चुकी है।) लेकिन यह क़ाबिले

ग़ौर चीज़ है। एक ह़दीस में है कि एक शख़्स नबी अकरम (ﷺ) के पास आया और कहा कि अगर हममें से कोई शख़्स ज़िब्ह़ करे और बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो उसमें क्या हुक्म है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, "मुसलमान का मुसलमान होना ही काफ़ी है। वह ख़ुद अल्लाह तआ़ला का नाम है।" (दारे कुत्नी : 4/295; ह़ : 4758; बैहक़ी : 9/240; इसकी सनद में मरवान बिन सालिम मतरूकुल ह़दीस है (अल्मीज़ान : 4/91; रक़म : 4825) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) लेकिन इसकी इस्नाद ज़ईफ़ हैं। मरवान बिन सालिम अबू अ़ब्दुल्लाह शामी इसके रावी हैं और उन पर बहुत से अइम्मा ने जरह़ की है। मैंने इस मसला पर एक अ़लाह़िदा (अलग) रिसाला लिखा है और अइम्मा के मज़ाहिब और इनके माख़ज़ और इनकी दलीलों और वजहे दलालत और वजहे मआ़रिज़त वग़ैरह सब बातों पर रोशनी डाली है, वल्लाहु आ़लम!

इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि अहले इ़ल्म ने इसके बारे में इख़्तिलाफ़ किया है कि आया इस आयत का हुक्म मंसूख़ है। तो कुछ ने कहा कि हुक्म मंसूख़ नहीं बल्कि मुह़कम और क़ाबिले अ़मल है और इसी बिना पर मुजाहिद और आ़म अहले इ़ल्म का क़ौल है। हुक्म मंसूख़ हो जाता तो मुजाहिद वग़ैरह ऐसा क़ौल न कहते। इक्रिमा और ह़सन बस़री (रह़.) कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है कि जिस पर अल्लाह तआ़ला का नाम लिया गया हो वह खाओ अगर तुम अल्लाह तआ़ला की आयतों पर ईमान रखते हो। और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि न खाओ जिस पर अल्लाह तआ़ला का नाम न लिया गया हो क्योंकि यह फ़िस्क़ है। चुनाँचे यह आयत मंसूख़ है लेकिन इससे मुस्तस्ना है क़ौले बारी तआ़ला **(व तआ़मुल्लज़ीना ऊतुल किताब ह़िल्लुल लकुम व तआ़मुकुम ह़िल्लुल्लहुम)** यानी अहले किताब का ज़बीह़ा तुम्हारे लिए ह़लाल है और तुम्हारा ज़बीह़ा अहले किताब के लिए। इब्ने अबी ह़ातिम का क़ौल है कि अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन में नाज़िल फ़र्मा दिया है कि न खाओ जिस पर अल्लाह तआ़ला का नाम न लिया हो। फिर अल्लाह तआ़ला ने इसको मंसूख़ फ़र्मा दिया और मुसलमान पर रह़म किया और फ़र्माया कि अब सारे त़य्यिबात तुम्हारे लिए ह़लाल हैं और अहले किताब का ज़बीह़ा भी तुम्हारे लिए ह़लाल है। चुनाँचे पहली बात को इस आयत के ज़रिया मंसूख़ (ख़त्म) कर दिया और अहले किताब के ज़बीह़ा को ह़लाल क़रार दे दिया। इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि स़ह़ीह़ तो यही है कि अहले किताब के त़आ़म के ह़लाल होने और नाम न लिए हुए ज़बीह़ा के ह़राम होने में बाहम कोई तआ़रुज़ नहीं है। यही बयान है जो स़ह़ीह़ कहे जाने का मुस्तह़िक़ है और जिसने इसको मंसूख़ क़रार दिया है तो सिवा उसके और कुछ नहीं कि उसको ख़ास़ कर दिया, वल्लाहु आ़लम!

क़ौलुहू तआ़ला **(इन्नश्शयात़ीन लयूह़ून इला औलियाइहिम लि युजादिलूकुम)** शयात़ीन अपने औलिया की त़रफ़ अपनी बातें इसलिए वह़ी करते हैं ताकि वह तुमसे बह़स मुबाह़िसा और मुनाज़िरा कर सकें। एक शख़्स ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से कहा कि मुख़्तार का यह दावा है कि इसकी त़रफ़ वह़ी आती है तो कहा कि उसने सच कहा। फिर यह आयत पढ़ी। यानी शैत़ान अपने औलिया की त़रफ़ तो वह़ी करता ही है।

अबू ज़मील से मरवी है कि मैं इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था। उस वक़्त मुख़्तार ह़ज्ज करने को आया हुआ था तो एक आदमी इब्ने अ़ब्बास(रज़ि.) के पास आया और कहने लगा कि ऐ इब्ने

अब्बास! अबू इस्हाक़ गुमान करता है कि आज की रात उस पर वह्यी आई है। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा सच कहता है। मैं यह सुनकर परेशान हो गया और कहा कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) इसके क़ौल की तस्दीक़ करते हैं तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहने लगे कि वह्यी दो क़िस्म की होती है एक अल्लाह तआला की वह्यी, एक शैतान की वह्यी। अल्लाह तआला की वह्यी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा (ﷺ) की तरफ़ है और शैतान की वह्यी उसके औलिया की तरफ़ है। फिर इसी आयत को तिलावत फ़र्माया। इक्रिमा (रह.) का भी ऐसा ही क़ौल पहले गुज़र चुका है। क़ौलुहू **(लि युजादिलूकुम)** के बारे में कहा गया है कि यहूद नबी अकरम (ﷺ) से झगड़ते थे और कहते थे कि कैसी अजीब बात है कि हम जिस जानवर को क़त्ल करें उसको तो खा लें और जिसको ख़ुद अल्लाह तआला ने क़त्ल किया हो उसे न खाएँ और हराम समझें। तो यह आयत उतरी **(वला ताकुलू मिम्मा लम युज़्करिस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहू ल फ़िस्कुन)** इसको मुर्सलन रिवायत किया। (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब फ़ी ज़बाइहि अहलिल किताब : 2819; व सनदुहू ज़ईफ़; अता बिन साइब मुख़्तलत रावी है।) और अबूदाऊद ने मुत्तसलन रिवायत किया है। यह कई वुजूह से ग़ौरतलब है। एक तो यह कि यहूद मैता के खाने को जाइज़ ही नहीं समझते थे। फिर वह इस बारे में ख़िलाफ़ ही क्यूँ करेंगे। दूसरे यह कि यह आयत सूरह अन्आम में है जो मक्की है और यहूद तो मदीना में रहते थे और तीसरे यह कि इस हदीस को तिर्मिज़ी (रह.) ने रिवायत किया है जो इब्ने अब्बास(रज़ि.) से मरवी है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल क़ुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्आम : 3069; वहुव हसन) और तिर्मिज़ी कहते हैं कि लोग नबी अकरम (ﷺ) के पास आए। फिर इस हदीस का ज़िक्र किया। और कहते हैं कि यह हदीस हसन ग़रीब है और सईद बिन जुबैर से मुर्सलन मरवी है। तबरानी इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते हुए लिखते हैं कि जब यह आयत उतरी कि अल्लाह तआला का नाम न लिए हुए को न खाओ तो अहले फ़ारस ने क़ुरैश को कहला भेजा कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) से इस बारे में बहस करो और कहो कि अपनी छुरी से क़त्ल किया गया तो वह हलाल हो गया और जिसको अल्लाह ने अपनी सुनहरी तलवार से ज़िब्ह किया यानी मैता तो वह हराम हो गया, यह कैसी बात है? तो यह आयत उतरी कि शयातीन अपने औलिया को सिखाते हैं कि तुमसे लड़ें बहस व मुजादिला करें। (अल्मुअजमुल कबीर : 11614; इसकी सनद में मूसा बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़ईफ़ रावी है लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) अगर तुमने इनकी बात मान ली और मैता (मुर्दा) को भी हलाल समझने लगे तो तुम भी मुश्रिक क़रार पाओगे। मुराद यह कि फ़ारस के शयातीन क़ुरैश को वह्यी भेजते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीस में यहूद का ज़िक्र नहीं है और यही ऐतिराज़ से बचने की महफ़ूज़ सूरत है क्योंकि आयत मक्की है और यह भी कि यहूद तो मैता को पसंद ही नहीं करते थे और कुछ अल्फ़ाज़ में इब्ने अब्बास (रज़ि.) से यूँ मरवी है कि तुम जिसको क़त्ल करते हो उस पर अल्लाह तआला का नाम होता है और जो ख़ुद बख़ुद मर जाता है उस पर अल्लाह तआला का नाम मज़्कूर नहीं होता। अहले फ़ारस के सिखाने पर मुश्रिकीन ने अस्हाबे रसूल पर जब यह ऐतिराज़ वारिद किया तो मुसलमानों के दिलों में एक शुब्हा उठ गया, तो यह आयत उतरी और मुजादिला करने वालों की साज़िश खुल गई। सुद्दी (रह.) ने इस आयत की तफ़्सीर में कहा है कि मुश्रिकीन ने मुसलमानों से कहा था कि तुम दावा तो करते हो कि हम अल्लाह तआला की मर्ज़ी को पसंद करते

हैं फिर अल्लाह तआला के क़त्ल किए हुए को नहीं खाते और अपने क़त्ल किए हुए को खाते हो। तो फ़र्माया कि अगर तुम उनकी दलील के धोखे में आ जाओगे तो तुम भी मुश्रिक हो जाओगे। जैसाकि फ़र्माया (اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ) (9/तौबा : 31) यानी अपने पेशवाओं और राहिबों को अल्लाह तआला की बजाए उन्होंने अपने अरबाब बना लिया है और उन्हीं की इबादत करने लगे हैं। तो अदी बिन हातिम (रज़ि.) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह उन रुहबान और अहबार की तो इबादत नहीं करते हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''उन पेशवाओं ने हलाल को हराम और हराम को हलाल कर दिया और उन लोगों ने उनकी मान ली, तो यही तो इबादत करना हुआ।'' (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतित्तौबा : 3095; व सनदुहू हसन; ग़तीफ़ रावी ज़ईफ़ है।)

***

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾

तर्जुमा : ''ऐसा शख़्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको ज़िन्दा बना दिया और हमने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वह उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है क्या ऐसा शख़्स उस शख़्स की तरह हो सकता है जिसकी हालत यह हो कि वह तारीकियों में है उनसे निकलने ही नहीं पाता इसी तरह काफ़िरों को उनके आमाल अच्छा मालूम हुआ करते हैं।'' (122)

ईमान रोशनी जबकि कुफ्र तारीकी (अंधेरा) है (आयत 122) : यह मिसाल के तौर पर अल्लाह तआला ने बयान फ़र्माया है कि ईमान लाने वाला जो पहले मय्यित था यानी ज़लालत में हालिक और हैरान था, उसको अल्लाह तआला ने ज़िन्दा कर दिया, यानी उसके क़ल्ब को ईमान की दौलत बख़्शी और इत्तिबाओ रसूल (ﷺ) की तौफ़ीक़ व हिदायत फ़र्माई। और इसके लिए एक नूर क़रार दिया जो उसके चलने में रहनुमाई करता है। यह नूर कुरआन है। यह मोमिन उस शख़्स की तरह कैसे हो सकता है जो अपनी जिहालतों और गुमराही की तारीकियों में हो जो उन तारीकियों से निकलने की कोई राह नहीं पाता जिससे उसको छुटकारा हो ही नहीं सकता जैसाकि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''अल्लाह तआला ने अपनी मख़्लूक़ को तारीकी में पैदा किया, फिर उन पर नूर की बारिश की जिसने उस नूर को पा लिया उसने हिदायत पा ली और जिसने उस नूर को नहीं लिया वह दुनिया में गुमराह रह गया।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल इल्म, बाब मा जाआ फ़ी इफ़्तिराक़े हाज़िहिल उम्मति : 2642; वहुवा सहीह; अहमद : 2/176; इब्ने हिब्बान : 6169; हाकिम : 1/30; शरीअत लिल आजुरी, पेज : 175) जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि अल्लाह पाक वली है उन लोगों का जो ईमान ले आए जो उनको तारीकियों से निकालकर नूर की तरफ़ ले जाता है और जिन्होंने कुफ्र

किया उनके औलिया शैतान हैं जो उनको नूर से निकालकर तारीकियों की तरफ़ ले जाते हैं। यही अहले दोज़ख़ हैं जो हमेशा उसमें रहेंगे। (2/बक़रह : 257) अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जो सर झुकाए झुककर टेढ़ा होकर चलता है वह ज़्यादा हिदायत याफ़्ता है या वह जो सीधा और सिराते मुस्तक़ीम पर चलता है। (67/मुल्क : 22) और फ़र्माया दो क़िस्म के लोगों की मिसाल ऐसी है कि एक तो हैं अंधे और बहरे और दूसरे आँखों और कान वाले किया यह दोनों बराबर हो सकते हैं। क्या तुम इस बात को ज़रा नहीं समझते। (11/हूद : 24) और फ़र्माया "नाबीना और बीना दोनों बराबर नहीं हो सकते और न तारीकी और नूर और न साया और गर्मी और न ज़िन्दा और मुर्दा। अल्लाह तआला जिसको चाहता है सुनाता है तुम क़ब्र के मुर्दे को नहीं सुना सकते। तुम तो सिर्फ़ अज़ाबे इलाही से डराने वाले हो।" (35/फ़ातिर : 19-23) इस मौज़ूअ पर बहुत सी आयतें हैं वजहे मुनासिबत इन मिसालों में नूर और ज़ुलुमात हैं कि इस सूरत के अव्वल में इसी मिसाल से शुरु हुई है। यानी **(जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर)** से इब्तिदा की है।

कुछ ने यह ख़्याल ज़ाहिर किया है कि इस मिसाल से मुराद दो मुअय्यन शख़्स हैं और वह उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जो गोया पहले मय्यित थे फिर अल्लाह तआला ने उनको ज़िन्दा कर दिया और उन्हें नूर अता फ़र्माया कि वह उस नूर को लिए हुए लोगों के अंदर चलते हैं। और कहा गया कि अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) मुराद हैं। लेकिन जो ज़ुलुमात में हैं वह उससे निकल नहीं सकते वह अबू जहल यानी अम्र बिन हिशाम है। और सहीह यही है कि आयत आम है, इसमें हर मोमिन और काफ़िर दाख़िल है।

और क़ौलुहू तआला **(कज़ालिक ज़ुय्यिन लिल काफ़िरीन मा कानू यअमलून)** यानी अल्लाह तआला काफ़िरों को उनके आमाल अच्छे बनाकर ही दिखाता है और यह बात उनकी जिहालत और गुमराही के सबब है।

***

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا

بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿۱۲۳﴾ وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ

اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا

صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ﴿۱۲۴﴾

तर्जुमा : ''और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मुर्तकिब बनाया ताकि वह लोग वहाँ शरारतें किया करें। और वह लोग अपने ही साथ शरारत कर रहे हैं और उनको ज़रा ख़बर नहीं। (123) और जब उनको कोई आयत पहुँचती है तो यूँ कहते हैं कि हम हर्गिज़ ईमान न लाएँगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ न दी जाए जो अल्लाह तआला के रसूलों को दी जाती है। इस मौक़े को तो अल्लाह तआला ही ख़ूब जानता है जहाँ अपना पैग़ाम भेजता है। अन्क़रीब उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह तआला के पास पहुँचकर ज़िल्लत पहुँचेगी और सज़ाए सख़्त इनकी शरारतों के मुक़ाबले में।'' (124)

साहिबे सरवत (मालदार लोग) हक़ का इंकार करते हैं (आयत 123, 124) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! जैसाकि तुम्हारी बस्ती में बड़े बड़े लोग मुज्रिम और काफ़िर साबित हुए हैं जो ख़ुद भी अल्लाह तआला की राह से रुके हुए हैं और दूसरों को भी कुफ़्र ही की तरफ़ बुलाते हैं और तुम्हारी मुख़ालिफ़त और अदावत (दुश्मनी) में सब्क़त लिए हुए हैं इसी तरह तुमसे पहले भी रसूलों से दुश्मनी करने वाले ऐसे ही दौलतमंद और ज़रदार लोग हुआ करते थे फिर उन्हें जो सज़ा मिली वह मालूम ही है। चुनाँचे फ़र्माया कि इसी तरह हमने हर नबी के लिए ऐसे मुज्रिमों को दुश्मन बना दिया था। (25/फ़ुरक़ान : 31) और फ़र्माया कि जब हम इरादा करते हैं कि किसी बस्ती को बर्बाद कर दें, तो उनके मालदारों को तौफ़ीक़ होती है कि वह बस्ती में फ़साद मचाएँ और फ़िस्क़ो फ़िजूर करने लगें। (17/इस्रा : 31) मतलब यह है कि हम उनको इताअत का हुक्म करते हैं लेकिन वह मुख़ालिफ़त करते हैं इस बुनियाद पर हम उन्हें हलाक कर देते हैं और यह भी कहा गया है कि हम उन्हें वह अम्र करते हैं जो उनकी क़िस्मत में लिखा होता है ताकि उसमें वह शैतानियत इख़्तियार करें और फ़र्माया कि जिस बस्ती में भी हमने अपना डराने वाला भेजा तो सबसे पहले वहाँ के दौलतमंदों ने यही कहा कि हम तो तुम्हें नहीं मानते। और कहते हैं कि हम तुमसे अम्वाल व औलाद में बढ़े हुए हैं हमें अज़ाब नहीं होगा और फ़र्माया कि यह दौलतमंद कहते हैं कि हमने अपने आबा व अज्दाद (बाप दादों) को इसी ढंग पर पाया और हम तो उन्हीं के नक़्शे क़दम पर चलेंगे। (43/ज़ुख़रुफ़ 23) मकर से यहाँ मुराद यह है कि वह अपनी बेहूदा बकवास के ज़रिये लोगों को गुमराही की तरफ़ बुलाते हैं जैसे कि क़ौमे नूह़ के बारे में फ़र्माया (وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا) (71/नूह़ : 22) और फ़र्माया कि काश! तुम देखते उन ज़ालिमों को कि अपने रब के सामने खड़े हुए हैं और एक दूसरे अपने साथी से यूँ कह रहा है और चैला (शिष्य) अपने पेशवा (गुरु) और ताबेअ अपने मत्बूअ से कह रहा है कि अगर तुम्हारे ज़ेरे असर हम न होते तो ईमान लाए हुए होते। तो पेशवा और मत्बूअ अपने चेलों और ताबेओं से कहेंगे हमने हिदायत से तुम्हें रोका था? हाँ था तू ख़ुद गुनहगार और मुज्रिम थे और यह कि तुम्हारा मश्वरा था कि हम कुफ़्र इख़्तियार करें और अल्लाह तआला के लिए शरीक बनाएँ। चुनाँचे अपने साथ हमको भी तुमने अपनी लपेट में ले लिया। (34/सबा :31, 32) सुफ़ियान (रह़.) कहते हैं कि कुरआन में मकर से मुराद अमल है। और फ़र्माया कि नहीं चालबाज़ी करते हैं वह मगर अपने ही नफ़्सों के साथ लेकिन इस बात को वह नहीं जानते। यानी इस चालबाज़ी और दूसरों को गुमराह करने का वबाल ख़ुद उनकी अपनी ज़ात पर पड़ेगा जैसाकि फ़र्माया कि यह पेशवा अपने गुनाहों के बोझ के

साथ दूसरों के गुनाहों का वज़न भी उठाए हुए हैं। (29/अन्कबूत : 13) और फ़र्माया कि गुमराह करने वाले कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं और जानते नहीं कि दूसरे का भी गुनाह हम ले रहे हैं। (16/नह्ल : 25) और फ़र्माया कि इन लोगों के पास जब हमारी कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम तो उस वक़्त तक ईमान न लाएँगे जब तक कि उस जैसी निशानियाँ न पेश करो जैसी कि पहले पैग़म्बरों ने बताई थीं। वह कहते थे कि रसूल (ﷺ) के साथ फ़रिश्ते भी बतौरे दलील क्यूँ नहीं होते जैसे कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास वह्यी लेकर आते हैं। जैसाकि फ़र्माया कि जिन लोगों को हमसे मिलने का यक़ीन नहीं वह कहते हैं कि हम पर भी फ़रिश्ते क्यूँ नहीं उतरते, या यह कि हम अपनी आँखों से अल्लाह तआला को देख लें। (25/फ़ुरक़ान : 21)

नबी अकरम (ﷺ) ह़सब और नसब के लिह़ाज़ से पूरी दुनिया से अफ़ज़ल हैं : और क़ौलुह् तआला **(अल्लाहु आलमु हैसु यज्अलु रिसालतहू)** यानी अल्लाह तआला जानता है कि मह़ल्ले रिसालत किसको बनाना चाहिए और कौन दरह़क़ीक़त रसूल बनने की सलाह़ियत रखता है। जैसाकि फ़र्माया कि वह कहते हैं कि यह क़ुरआन दोनों बस्तियों के किसी बड़े आदमी पर क्यूँ नहीं उतारा गया। क्या वह अल्लाह तआला की रह़मत की तक़्सीम अपनी सवाबदीद से लेकर लेंगे। (43/ज़ुख़रुफ़ : 31) (क़रयतैन) से मुराद मक्का और ताइफ़ हैं। यह बात वह कमबख़्त इस वजह से कहते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) को बग़ावत और ह़सद की वजह से अपने से ह़क़ीर समझते थे। जैसाकि फ़र्माया कि जब यह काफ़िर तुमको देखते हैं तो तुमको मज़ाक़ और ठिठोल में ले लेते हैं और कहते हैं कि अरे क्या यही है वह शख़्स जो तुम्हारे मअबूदों के बारे में बोलता फिरता है। ह़ालाँकि वह रह़मान के ज़िक्र को भूले बैठे हैं। और फ़र्माया कि जब कभी वह तुमको देखते हैं तो मज़ाक़ में ले उड़ते हैं कि क्या यही है जिसको अल्लाह तआला ने रसूल बनाकर भेजा है और फ़र्माया कि तुमसे पहले भी रसूलों के साथ इसी तरह का मज़ाक़ और इस्तिहज़ा (मज़ाक़) किया जाता रहा है लेकिन उन्हीं के मज़ाक़ ने उन्हें हलाक कर दिया। ह़ालाँकि उन कमबख़्तों को नबी अकरम (ﷺ) के फ़ज़्लो शर्फ़ और नसब का ऐतिराफ़ था और आप (ﷺ) के ख़ानदान की शराफ़त और क़बीला की इ़ज़्ज़त और वतने मक्का की बुज़ुर्गी के मुअतरिफ़ थे, अल्लाह तआला और सारे फ़रिश्ते और मोमिनीन की तरफ़ से आप (ﷺ) पर दुरूद हो। ह़त्ताकि यह लोग आपके नबी होने के पहले ही से आपके ऐसे मुअतरिफ़े ह़ुस्ने अख़्लाक़ थे कि आप (ﷺ) को अमीन का ख़िताब दे रखा था और रईसे कुफ़्फ़ार अबू सुफ़ियान तक आप (ﷺ) की सच्चाई से इस क़द्र मरऊब थे कि हिरक़्ल मुल्के रूम ने जब आपकी बाबत और आपके ह़सब नसब की बाबत पूछा तो कहने लगे कि वह हम लोगों में बहुत शरीफ़ुन्नसब हैं। फिर पूछा कि क्या उससे पहले कभी झूठा भी मशहूर रहा है तो अबू सुफ़ियान ने कहा, कभी नहीं! (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब बदउल वह्यी, बाब कैफ़ा कान बदअल वह्यी इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) : 7; सह़ीह़ मुस्लिम : 1773) ग़र्ज़ यह कि ह़दीस लम्बी है जिससे शाहे रूम ने यह इस्तिदलाल किया कि वह अच्छी सिफ़ात वाला मालूम होता है यह चीज़ें तो उसकी नुबुव्वत और सदाक़त की दलील हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह पाक ने औलादे इब्राहीम में से इस्माईल (عليه السلام) को इंतिख़ाब किया और बनी इस्माईल में से बनी किनाना को और बनी किनाना में से क़ुरैश को मुंतख़ब किया और क़ुरैश में से बनी हाशिम को और बनी हाशिम में से मुझको मुंतख़ब किया।" (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ज़ाइल,

बाब फ़ज़्लु नसबिन्नबी (ﷺ) : व तस्लीमुल हजर अलैहि क़ब्लन्नुबुव्वत : 2276; तिर्मिज़ी : 3610; अहमद : 4/107; मुस्नद अबी यअ़ला : 7485; दलाइलुन्नबुव्वा : 166) अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "बनी आदम के अच्छे क़र्न एक के बाद एक आते रहे हत्ताकि वह अच्छा क़र्न भी आ गया जिसमें मैं हूँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब सिफ़तुन्नबी (ﷺ) : 3557; मुस्नद अबी यअ़ला : 6553) हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) मिम्बर पर चढ़कर फ़र्माने लगे कि "बताओ मैं कौन हूँ?" लोगों ने कहा कि आप अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हाँ! मैं मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह तआ़ला ने मख़्लूक़ात पैदा कीं और मुझको अपनी मख़्लूक़ात में सबसे बेहतर पैदा किया और लोगों को दो फ़रीक़ में तक़्सीम कर दिया और मुझको अच्छे फ़रीक़ में से क़रार दिया और जब उसने क़बाइल पैदा किए तो सबसे अच्छे क़बीले में से मुझे क़रार दिया। अल्लाह तआ़ला ने ख़ानदान बनाए और मुझको सबसे अच्छे घराने में पैदा किया। मैं ख़ानदान के हिसाब से तुममें सबसे अच्छा हूँ, नीज़ ज़ात के हिसाब से तुममें सबसे अच्छा हूँ।" (मुस्नद अहमद : 1/210; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) सच फ़र्माया, नबी अकरम (ﷺ) ने। नीज़ हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिब्राईल (عليه السلام) ने मुझसे कहा कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! दुनिया भर में मश्रिक़ व मग़्रिब सब मैंने छान लिये लेकिन मुहम्मद (ﷺ) से बढ़कर मैंने किसी को अफ़ज़ल नहीं पाया और सारे मश्रिक़ व मग़्रिब ढूँढ़ डाले तो कोई ख़ानदान बनू हाशिम के ख़ानदान से ज़्यादा फ़ज़ीलत रखने वाला न मिला।" (दलाइलुन्नुबुव्वाः 1/176; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि "अल्लाह तआ़ला ने सबके दिलों पर नज़र डाली तो अस्हाब के क़ुलूब को सबके दिलों से अच्छा पाया चुनाँचे उन्हीं को नबी के वुज़रा और मददगार बनाया जो नबी के साथ दीन के लिए क़िताल करते हैं पस मुसलमान जिसको अच्छा समझते हैं वह अल्लाह तआ़ला के पास से अच्छा होता है। और जिसको मुसलमान बुरे समझते हैं वह अल्लाह तआ़ला के पास भी बुरा होता है। (अहमद : 1/379; व सनदुहू हसन, अल्मुअजमुल कबीर : 8583; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 1/177; मुस्नदे बज़्ज़ार : 130; मुस्नदे तयालिसी : 246) सलमान (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ सलमान! मुझसे बुग़्ज़ न रखना और नाराज़ न रहना वरना तुम अपने दीन से जुदा हो जाओगे।" तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपसे कैसे बुग़्ज़ रखूँगा, आप (ﷺ) ही के ज़रिये तो अल्लाह तआ़ला ने हमारी हिदायत फ़र्माई।" तो फ़र्माया "तुम क़ौमे अ़रब से बुग़्ज़ रखोगे तो गोया मुझसे बुग़्ज़ रखोगे।" (मुस्नद अहमद : 5/440; व सनदुहू ज़ईफ़; हाकिम : 4/86; मुस्नद तयालिसी : 658)

रिवायत है कि एक आदमी ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को देखा कि मस्जिद में दाख़िल हो रहे हैं पस जब उनकी तरफ़ देखा तो डर गया और पूछने लगा यह कौन हैं? बताया गया कि यह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचाज़ाद भाई हैं। तो कहा कि अल्लाह तआ़ला अपने महल्ले नबुव्वत व रिसालत को ख़ूब जानता है कि कौन नबुव्वत का मिस्दाक़ बन सकता है। और क़ौलुहू तआ़ला **(स-युसीबुल्लज़ीना अज्रमू सग़ारुन इन्दल्लाहि व अ़ज़ाबुन शदीद)** यह रिसालत की इत्तिबाअ़ से तकब्बुर और इंक़ियादे रसूल से ग़ुरूर करने वालों के लिए वईदे शदीद है। इसको अल्लाह तआ़ला के पास हिक़ारत और हमेशा की ज़िल्लत

नसीब होगी। इसी तरह जो लोग गुरूर करते हैं तो क़यामत के दिन उसके नतीजे में उन्हें ज़िल्लत मिलेगी। जैसाकि फ़र्माया कि ''जो लोग मेरी इबादत से गुरूर करते हैं और चेहरा फेरते हैं, वह औंधे मुँह जहन्नम में डाले जाएँगे।'' (40/ग़ाफ़िर : 60) और फ़र्माया कि उनके इस अमले बद की वजह से उन्हें अज़ाबे शदीद लाहिक़ होगा। क्योंकि मकर उमूमन ख़फ़ी होता है। मकर कहते हैं निहायत लतीफ़ तौर पर हीलाबाज़ी और मक्कारी को, वह इसी के बिलमुक़ाबिल क़यामत के दिन पूरी जज़ा और पूरा अज़ाबे शदीद दिए जाएँगे। चुनाँचे फ़र्माया **(व अज़ाबुन शदीदुम् बिमा कानू यम्कुरून)** लेकिन अल्लाह तआला अज़ाब देने में किसी पर ज़ुल्म नहीं करता जैसाकि फ़र्माया (يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ) (86/तारिक़ : 9) यानी उस दिन सारी छुपी हुई बातें और सब मक्नूनात ज़ाहिर हो जाएँगी। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''हर बाग़ी और ग़द्दार के लिए क़यामत में एक झण्डा होगा और यह उसकी सुरीन से लगा होगा और कहा जाएगा कि यह फ़लाँ बिन फ़लाँ ग़द्दार है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा युद्अन्नासु बि आबाइहिम : 6178; सहीह मुस्लिम : 1736; इब्ने माजा : 2872; इब्ने हिब्बान : 7341; बैहक़ी : 9/160) इसमें हिक्मत यह है कि ग़द्दार चूँकि ख़फ़ी होता है लोग उससे आगाह नहीं हो पाते इसलिए क़यामत के दिन वह एक अलम और झण्डा बन जाएगा जो ग़द्दार की ग़द्दारी का ऐलान करता रहेगा।

***

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢٥﴾

तर्जुमा : ''सो जिस शख़्स को अल्लाह तआला रास्ते पर डालना चाहते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है और जिसको बेराह रखना चाहता है उसके सीने को तंग कर देता है जैसे कोई आसमान में चढ़ता है इसी तरह अल्लाह तआला ईमान न लाने वालों पर फटकार डालता है।'' (125)

शरहे सद्र से क्या मुराद है? (आयत 125) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि जिसको अल्लाह तआला हिदायत देना चाहता है तो इस्लाम के लिए उसका दिल खोल देता है यानी दीने इस्लाम इख़्तियार करना उसके लिए आसान कर देता है चुनाँचे यह चीज़ अलामत है इस बात की कि उसकी क़िस्मत में ख़ैर लिखी है जैसाकि फ़र्माया कि इस्लाम के लिए जिसका दिल खुल जाता है तो अल्लाह तआला की तरफ़ से उसके लिए नूर मुतअय्यन (मुक़र्रर) कर दिया जाता है। (39/ज़ुमर : 22) और फ़र्माया, लेकिन अल्लाह तआला ने तुम्हारे दिल में ईमान की मुहब्बत डाल दी जो तुम्हारे क़ुलूब (दिलों) की ज़ीनत का सबब है। और कुफ़्र व फ़ुसूक़ व

इस्यान (नाफ़र्मानी) से तुम्हारे दिलों में नफ़रत डाल दी है। ऐसे ही लोग रुश्दो-हिदायत पाए हुए हैं। (49/हुजुरात : 7) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने इस आयत के बारे में कहा कि अल्लाह तआ़ला तौहीद और ईमान को क़बूल करने के लिए उसके दिल में वुस्अ़त दे देता है। (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/356) अबू मालिक और अक्सर ने कहा कि यही बात ज़्यादा ज़ाहिर व साबित है। अबू जाफ़र से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा मोमिन ज़ीरक (होशियार) व दाना (जानकार/अक़्लमंद) है। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "वह जो अक्सर मौत को याद करता रहे और जो सबसे ज़्यादा मौत के बाद के लिए अपने को तैयार करता रहे।" और नबी अकरम (ﷺ) से सवाल किया गया इसी आयत के बारे में , चुनाँचे लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! शरहे सद्र क्या होता है तो फ़र्माया "एक नूर होता है जो दिल में डाल दिया जाता है जिससे दिल खुल जाता है और वसीअ़ हो जाता है।" यानी इंसान में तंगदिली बाक़ी नहीं रहती। लोगों ने कहा कि हम उस चीज़ को कैसे पहचानें कि उसको शरहे क़ल्ब हासिल है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "इसका पता इस बात से चलेगा कि कौन दारुल आख़िरत की तरफ़ ज़्यादा झुका हुआ है और दुनिया के तमत्तोआ़त से किस क़द्र दूर रहता है और मौत आने से पहले ही मौत के लिए अपने आपको किस क़द्र तैयार कर रखा है।" (त़ब्री : 12/100; अल्अस्माउल हुस्ना : 1/257; इसकी सनद में अबू जाफ़र मदाइनी मतरूक रावी है। इमाम अहमद (रह.) ने इसकी रिवायात को मौज़ूअ़, इमाम नसाई (रह.) और दारे कुत्नी (रह.) ने मतरूक क़रार दिया है। देखिए (अल्मीज़ान : 2/504; रक़म : 4608) लिहाज़ा यह रिवायत मरदूद है।)

क़ौलुहू तआ़ला **(वमंय्युरिद अंय्युज़िल्लहू यज्अ़ल स़दरहू ज़य्यिक़न हरजन)** जिसको वह गुमराह करना चाहता है उसके दिल को बहुत तंग कर देता है। ज़ैक़ का लफ़्ज़ फ़तहे ज़ाद और सुकूने याअ के साथ है और अक्सर लोग तशदीदे याअ और कसरे याअ से क़रार देते हैं। यह दोनों लुग़त मिस्ल (हय्यिन) और (हैन) के हैं और लफ़्ज़ (हरिज) को कुछ ने फ़तहे हाअ और कसरे राअ के साथ पढ़ा है और दूसरी क़िराअत फ़तहे हा और फ़तहे रा से है यानी वह गुमराह ऐसा होता है कि उसका दिल हिदायत के लिए ज़रा भी कोशादा नहीं, उसमें ईमान राह नहीं पाता। हज़रत उ़मर (रज़ि) ने एक बदवी से पूछा कि (हरजत) क्या चीज़ है? तो कहा वह एक दरख़्त है दरख़्तों ही के बीच होता है न कोई चरवाहा उस तक पहुँच सकता है और न कोई जानवर और न कोई और चीज़। तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुनाफ़िक़ीन का दिल भी ऐसा ही होता है कि अम्रे ख़ैर की वहाँ तक रसाई हो ही नहीं सकती। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर इस्लाम को तंग कर देता है क्योंकि इस्लाम तो एक वसीअ़ (भारी) चीज़ है और काफ़िर का दिल तंग होता है कैसे समा सकेगी। **(वमा जअ़ल अ़लैकुम फ़िद्दीनि मिन हरजिन)** यानी दीन क़बूल कर लेने के बाद तुम्हारे दिल में कोई तंगी नहीं रह सकती और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं रखी लेकिन मुनाफ़िक़ का दिल शक में मुब्तला रहता है **(ला इलाहा इल्लल्लाहु)** का इक़रार अपनी तंगदिली की वजह से वह कर ही नहीं सकता। ईमान लाना इस पर उस क़द्र दुश्वार है जैसे किसी को आसमान पर चढ़ना दुश्वार है कि जिस तरह इब्ने आदम आसमान पर नहीं चढ़ सकता उसी तरह तौहीद का अ़क़ीदा उसके दिल में घर नहीं

कर सकता। औज़ाई कहते हैं कि जिसके दिल को अल्लाह तआला ने तंग बनाया हो वह किस तरह इस्लाम ला सकता है। यह एक मिसाल है जो काफ़िर के दिल के बारे में कही गयी है कि ईमान उसके दिल पर चढ़ना इस क़द्र मुश्किल है कि जैसे कोई आसमान पर चढ़े और चूँकि आसमान पर चढ़ना मुम्किन नहीं, इसी तरह उस काफ़िर का ईमान लाना मुम्किन नहीं। फिर इर्शाद होता है कि जिस तरह उसके दिल को तंग कर दिया, उसी तरह शैतान को अल्लाह तआला उस पर मुसल्लत कर देता है। जो अल्लाह तआला की राह से उसको भटकाता रहता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं (रिज्स) के मअनी शैतान और हर वह चीज़ जिसमें कोई ख़ैर न हो और अज़ाब के हैं।

***

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ
السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ
يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا
اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ؕ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

तर्जुमा : "और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ़ साफ़ बयान किया है। (126) उन लोगों के वास्ते उनके रब के पास सलामती का घर है और अल्लाह तआला उनसे मुहब्बत रखता है उनके आमाल की वजह से। (127) और जिस दिन अल्लाह तआला तमाम मख़्लूक़ात को जमा करेगा ऐ जमाअते जिन्नात की तुमने इंसानों में बड़ा हिस्सा लिया। जो इंसान उनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे वह कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार! हममें एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया था और हम अपनी इस मुअय्यन म्याद तक आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए तय की। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि तुम सबका ठिकाना जहन्नम है जिसमें हमेशा रहोगे, हाँ! अगर अल्लाह तआला ही को मंज़ूर हो तो दूसरी बात है। बेशक आपका रब बड़ी हिक्मत वाला बड़ा इल्म वाला है।" (128)

क़ुरआन, सिराते मुस्तक़ीम और जन्नत सलामती का घर है (आयत 126-128) : अल्लाह तआला जब उन गुमराहों का ज़िक्र फ़र्मा चुका तो अब दीन और हिदायत के शर्फ़ को बताता है और फ़र्माता है कि

तुम्हारे रब का रास्ता यही सीधा रास्ता है (मुस्तक़ीमा) ह़ाल होने की वजह से मंसूब है। यानी यह दीन, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! जो हमने तुम्हें दिया है यह उस वह़ी के ज़रिये है जिसको कुरआन कहते हैं और यही सिराते मुस्तक़ीम है। जैसे कि ह़ज़रत अली (रज़ि.) ने कुरआन की तारीफ़ में फ़र्माया कि वह सिराते मुस्तक़ीम है ह़ब्लुल्लाहिल मतीन है, ज़िक्रे ह़कीम है। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल कुरआन, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिल्कुरआन : 2906; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; दारमी : 2/435; इसकी सनद में ह़ारिस बिन आवर ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 1/141; रक़म : 39) और हमने कुरआन की आयतों को निहायत तफ़्सील और वज़ाह़त के साथ पेश किया है इससे वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिन्हें अक़्ल व फ़रासत ह़ासिल है जो अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की बातों में न्याज़ मंदाना ग़ौरो फ़िक्र करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन जन्नत दारुस्सलाम है। जन्नत को दारुस्सलाम का नाम इसलिए दिया गया है कि जैसी सलामती की राह वह यहाँ चले क़यामत के दिन भी सलामती का घर उन्हें मिलेगा। अल्लाह पाक उनका ह़ाफ़िज़ व नासिर व मददगार है क्योंकि वह नेक अमल करते थे।

जिन्न व इंस का एक दूसरे से फ़ायदा उठाना और उसका अंजाम (आयत 129) : इर्शाद होता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उस दिन को याद करो, जबकि अल्लाह तआला उन जिन्न व शयातीन और इंसानी औलिया जिनकी वह दुनिया में इबादत किया करते थे और उन्हीं के पास पनाह लेते थे और दुनिया से तमत्तोआत के बारे में एक दूसरे को वह़ी भेजते थे उन सबको जमा करेगा और उनसे फ़र्माएगा कि ऐ गिरोहे जिन्न व शयातीन! तुमने इंसानों को बहुत भटका लिया। जैसाकि फ़र्माया कि ऐ बनी आदम! क्या मैंने तुमसे अहद नहीं ले लिया था कि शैतान की इबादत न करना क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है और मेरी इबादत करो कि यही सिराते मुस्तक़ीम है। ऐ लोगों! तुममें से बहुत बड़े गिरोह को उन शैतानों ने गुमराह कर दिया है। क्या अब भी तुमको अक़्ल नहीं आएगी। (36/यासीन : 60-62) और इनके इंसान औलिया कहेंगे कि ऐ रब! बेशक तेरी बात दुरुस्त है। हममें से हर एक दूसरे से तमत्तोअ ह़ासिल करता रहा। ह़सन (रह़.) कहते हैं कि यह इस्तिम्ताअ यह था कि शयातीन हुक्म देते थे और यह नादान इंसान उस पर अमल करते जाते थे। इब्ने जुरैज (रह़.) कहते हैं कि ज़माना जाहिलियत में कोई शख़्स सफ़र करता हुआ किसी वादी में भटकता था तो कहता था कि मैं इस वादी के सबसे बड़े जिन्न की पनाह लेता हूँ। यह होता था उन इंसानों का इस्तिम्ताअ। चुनाँचे क़यामत के दिन उसी का उज़्र पेश कर रहे हैं। और जिन्नों का इंसानों से फ़ायदा उठाना यह है कि इंसान उनकी ताज़ीम करते थे और उनसे मदद तलब करते थे और इंसानों से उन्हें बुज़ुर्गी मिलती थी। चुनाँचे वह कहते थे कि हम जिन्नों और इंसानों के सरदार हैं। और तूने जो वक़्त हमारे लिए क़रार दे दिया था उस वादा तक हम पहुँच गए, इससे मुराद मौत है तो अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि अब दोज़ख़ तुम्हारा और तुम्हारे औलिया का ठिकाना है जिसमें तुम हमेशा रहोगे। फिर अल्लाह तआला ही जो चाहेगा करेगा। कुछ कहते हैं कि इस्तिस्ना के मआनी बरज़ख़ की तरफ़ रुजूअ करने के हैं और कुछ कहते हैं कि यह मुद्दत दुनिया की तरफ़ रद्द है और कुछ ने वह बातें कहीं जिनका बयान सूरह हूद में आएगा। जहाँ कि अल्लाह पाक ने फ़र्माया है कि वह दोज़ख़ में हमेशा रहेंगे, जब तक कि ज़मीनो आसमान रहेंगे। हाँ! इसके सिवा अल्लाह तआला कुछ और चाहे तो उसकी मर्ज़ी, वह तो जो

इरादा करता है अपने इरादा को अमल में लाने का हक़ रखता है। (6/अन्आम : 107) इस आयत की तफ़सीर उस आयत से होती है कि दोज़ख़ तुम्हारा ठिकाना है जिसमें हमेशा रहोगे मगर हाँ! फिर जो अल्लाह तआला चाहे। यह एक ऐसी आयत है कि किसी को भी यह सज़ावार नहीं कि अल्लाह तआला की मख़्लूक़ के बारे में अल्लाह तआला पर कोई हुक्म लगाए और किसी को जन्नती या दोज़ख़ी क़रार दे।

***

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

तर्जुमा : "और इसी तरह कुछ कुफ़्फ़ार को कुछ के क़रीब रखेंगे उनके आमाल के सबब।" (129)

ज़ालिम ज़ालिमों का, मोमिन मोमिनों का दोस्त है (आयत 129) : अल्लाह तआला लोगों को जो एक जैसे आमाल रखते हों तो आपस में दोस्त बना देता है। चुनाँचे मोमिन वली है मोमिन का ख़्वाह कहीं हो और कैसा ही हो। और काफ़िर वली है काफ़िर का ख़्वाह कहीं का हो और किसी ज़ात पात का हो। ईमान तमन्नाओं और ज़ाहिरदारियों का नाम नहीं। मालिक बिन दीनार (रह.) ने कहा कि मैंने ज़बूर में पढ़ा है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मैं मुनाफ़िक़ीन का इंतिक़ाम मुनाफ़िक़ीन ही के ज़रिये लूँगा और फिर उसके बाद सारे ही मुनाफ़िक़ीन से और यह कुरआन में भी है। चुनाँचे इर्शाद होता है कि हम इसी तरह एक ज़ालिम को दूसरे ज़ालिम का दोस्त बना देते हैं यानी जिन्न के ज़ालिमों को इंसानी ज़ालिमों का दोस्त बना देते हैं और जो अल्लाह तआला के ज़िक्र से ग़ाफ़िल हो जाए तो हम एक शैतान को उस पर मुसल्लत कर देते हैं और वह हमेशा उसके साथ रहता है। (43/ज़ुख़रुफ़ : 36) इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरफ़ूअ हदीस है कि जिसने ज़ालिम की मदद की तो उसी को हम उस पर मुसल्लत कर देते हैं। (तारीख़े दमिश्क़ लि इब्ने असाकिर : 3/36; व सनदुहू मौज़ूअ; इसका रावी हसन बिन अली बिन ज़करिया अददी कज़्ज़ाब मतरूक है।) यह हदीस ग़रीब है। किसी शायर ने कहा है कि कोई हाथ ऐसा नहीं जिससे बालातर अल्लाह तआला का हाथ न हो और कोई ज़ालिम ऐसा नहीं जिसको दूसरे ज़ालिम से साबिक़ा न पड़े। आयते करीमा के मअनी यह हुए कि जिस तरह हमने इन नुक़सान याफ़्ता इंसानों के दोस्त उनके बहकाने वाले जिन्न व शयातीन को बना दिया उसी तरह ज़ालिमों में से कुछ को कुछ का वली बना देते और कुछ कुछ से हलाक होते हैं और हम उनके ज़ुल्मो सरकशी और बग़ावत का बदला कुछ से कुछ को दिलाते हैं।

***

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ
وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۰﴾

तर्जुमा : ''ऐ जमाअते जिन्नात और इंसानों की क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैग़म्बर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान किया करते थे और तुमको इस आज के दिन की ख़बर दिया करते थे वह सब अर्ज़ करेंगे कि अपने ऊपर इक़रार करते हैं और इनकी दुनियावी ज़िन्दगानी ने भूल में डाल रखा है और यह लोग इक़रार करेंगे कि वह काफ़िर थे।'' (130)

जिन्नों में नबी नहीं बल्कि डराने वाले आए (आयत 130) : क़यामत के दिन काफ़िर कुफ़्र का इक़रार करेंगे। अल्लाह पाक यहाँ काफ़िरीन जिन्न व इंस को मुतनब्बा फ़र्मा रहा है कि हम क़यामत के दिन उनसे पूछेंगे कि क्या हमारे रसूलों ने तुम्हारे पास हक़्क़े नुबुव्वत अदा कर दिया था। पूछने का ढंग है जो अपनी बात को साबित करने के लिए इख़्तियार किया जाता है। यानी ऐ जिन्न व इंस! क्या तुम्हीं में से रसूल नहीं आए थे। रसूल सिर्फ़ इंसानों में हुए हैं जिन्नों में से नहीं हुए हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूल बनी आदम में होते हैं और जिन्नों में सिर्फ़ डराने वाले होते हैं जो अल्लाह तआला के अज़ाब से डराते हैं। इब्ने मज़ाहिम का ख़्याल है कि जिन्नों में भी रसूल होते हैं और अपने दावा में इसी आयते करीमा से दलील लाते हैं। लेकिन यह ग़ौरतलब बात है। क्योंकि यह कोई यक़ीनी बात नहीं है क्योंकि कहीं भी किसीआयत में इस चीज़ की सराहत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यह एहतिमाल है कि इस अदमे तसरीह की आयते रब्बानी से यह दलील है कि फ़र्माया (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿۱۹﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿۲۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۱﴾) (55/रहमान : 19-21) और फिर फ़र्माया (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۲۲﴾) (55/रहमान : 22) और ज़ाहिर है कि लूअ लूअ और मरजान खारी समुन्द्र के अंदर होते हैं, मीठे समुन्दर में नहीं होते। चुनाँचे जिस तरह लू लू और मरजान को मीठे और खारी दोनों समुन्द्रों की तरफ़ मंसूब किया बिलकुल उसी तरह रसूलों को जिन्न व इंस दोनों की तरफ़ शुमार किया। इब्ने जरीर (रह.) ने भी बिलकुल यही जवाब दिया है। और इस बात की दलील कि रसूल सिर्फ़ इंसानों में हैं। यह क़ौले बारी तआला है (इन्ना अव हैना इलैक कमा अवहैना इला नूह़िव् व नबिय्यीन मिन बअदिही) इला क़ौलिही (رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ) (4/निसाअ: 165) और इब्राहीम (عليه السلام) के ज़िक्र से मुतअल्लिक़ क़ौलुहू तआला (وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ) (29/अन्कबूत : 27) चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के बाद नबुव्वत और किताब को उन्हीं की ज़ुर्रियत में मौक़ूफ़ कर दिया गया और कोई भी इस बात का क़ाइल नहीं कि हज़रत इब्राहीम (अ) से पहले नबुव्वत जिन्न में थी और उनके मब्ऊस होने के बाद जिन्नों से मुंक़तअ (कट) हो गई। ग़र्ज़ यह कि जिन्नों में सबूते नबुव्वत न इब्राहीम (عليه السلام) से पहले साबित है न

इब्राहीम (ﷺ) के बाद। और फ़र्माया कि तुमसे पहले हमने जो रसूल भेजे थे वह भी खाना वग़ैरह खाते थे और बाज़ारों में घुमा करते थे। और फ़र्माया कि तुमसे पहले जिस क़द्र हमने रसूल भेजे वह उन्हीं के अहले वतन थे। (12/यूसुफ़ : 109) और मालूम है कि जिन्न इस बाबे रिसालत में ताबेअ़े इंसान हैं और इसीलिए जिन्नों के बारे में ख़बर देते हुए इर्शाद होता है कि "जिन्नों की एक जमाअ़त को हमने तुम्हारी तरफ़ फेर दिया है कि वह कुरआन सुनने लगते हैं और जब हाज़िरे मज्लिस रहते हैं तो कहते हैं कि ख़ामूश हो जाओ, सुनने दो और जब कुरआन ख़त्म हो जाता है तो अपनी क़ौम की तरफ़ जाकर अल्लाह तआ़ला से उन्हें डराते हैं और कहते हैं कि ऐ क़ौम! हमने एक किताब सुनी जो मूसा (ﷺ) के बाद उतरी है और जो तौरात की तस्दीक़ करती है और हक़ बातों और तरीक़े मुस्तक़ीम (सीधी राह) की तरफ़ हिदायत करती है। ऐ लोगों! अल्लाह तआ़ला की तरफ़ बुलाने वाले को लब्बैक कहो, उन पर ईमान लाओ, अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाहों को बख़्श देगा और अ़ज़ाबे अलीम से तुम्हें नजात देगा। और अगर किसी ने अल्लाह तआ़ला के दाई को लब्बैक न कहा और काफ़िर रह गया तो वह अल्लाह तआ़ला को कुछ आ़जिज़ नहीं कर सकता और अल्लाह तआ़ला के सिवा उसका कोई वली नहीं हो सकता। ऐसे लोग बड़ी गुमराही में होंगे। (46/अहक़ाफ़ : 29-32) तिर्मिज़ी की एक हदीस में है कि नबी अकरम (ﷺ) ने सूरह रहमान की तिलावत फ़र्माई और उसमें इस आयत को पढ़ा **(सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहस्सक़लान)** (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिर्रहमान : 3291; वहुव हसन) और फ़र्माया कि 'ऐ जिन्न व इंस की जमाअ़त! क्या तुममें स अल्लाह तआ़ला के रसूल तुम्हारे पास नहीं आए थे जो मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाते थे और आज के दिन मेरी मुलाक़ात से तुम्हें मुतनब्बा करते थे तो वह कहेंगे कि हम इक़रार करते हैं कि तेरे रसूलों ने अपनी तब्लीग़ हम तक पहुँचाई थी और हमें तेरी मुलाक़ात से डराया भी था और यह भी बताया था कि यह आज का दिन ज़रूर वाक़ेअ़ होने वाला है।" और फ़र्माया, दुनिया की ज़िन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा था। वह दुनिया की ज़िन्दगी में इफ़्रात व तफ़्रीत में मुब्तला हो गए थे और तक्ज़ीबे रुसुल और मुख़ालिफ़ते मोजिज़ात करके हलाक हो गए क्यों कि दुनिया की ज़िन्दगी दुनिया की अ़य्याशियों और ज़ीनत व शहवात में गिरफ़्तार हो गए और क़यामत के दिन वह ख़ुद अपनी नफ़्सों पर गवाही देंगे कि हम काफ़िर थे।

***

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ

مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

तर्जुमा : "यह इस वजह से है कि आप (ﷺ) का रब किसी बस्ती वालों को कुफ़्र की वजह से ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि उस बस्ती के रहने वाले बेख़बर हों। (131) और हर एक के लिए दर्जे मिलेंगे उनके आ़माल के सबब और आपका रब उनके आ़माल से बेख़बर नहीं है।" (132)

अज़ाब इत्मामे हुज्जत के बाद आता है (आयत 131, 132) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि ऐसा नहीं हुआ करता कि तुम्हारा रब बस्तियों को हलाक करे और ज़ुल्म से हलाक करे ऐसी हालत में कि वह लोग बिलकुल ग़फ़्लत में हों। नहीं बल्कि रसूलों को भेजकर और किताबें नाज़िल करके हमने जिन्न व इंस के बहानों को ख़त्म कर दिया है ताकि कोई ज़ुल्म से न पकड़ा जाए और उसको दावते तौहीद न पहुँची हो। हमने लोगों का कोई उज़्र बाक़ी नहीं रहने दिया अगर हमने क़ौमों पर अज़ाब भेजा भी तो रसूलों को भेजकर तक्मीले हुज्जत करने के बाद जैसा कि फ़र्माया कोई बस्ती ऐसी नहीं जहाँ हमने कोई डराने वाला रसूल अपनी तरफ़ से न भेजा हो।" और फ़र्माया कि हमने हर क़ौम में रसूल भेजे हैं कि अल्लाह तआला ही की परसतिश करो और शैतान से बचो जैसा कि फ़र्माया कि हम कभी किसी पर अज़ाब नाज़िल करने वाले नहीं जब तक कि उनके पास रसूल न भेज दें। (17/इस्रा : 15) और फ़र्माया कि "जिस वक़्त जहन्नम में लोग झोंके जाएँगे तो उसके मुतअय्यिना फ़रिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या अल्लाह तआला का कोई डराने वाला तुम्हारे पास आया नहीं था? वह कहेंगे कि हाँ! ज़रूर आया था लेकिन हमने उसको झुठला दिया था।" (67/मुल्क : 8, 9) इस मौज़ूअ के बारे में बहुत सी आयतें हैं।

इमाम अबू जाफ़र (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तआला का क़ौल (बिज़ुल्मिन) दो वजूह का एहतिमाल रखता है। एक तो यह कि यह बात इस वजह से है कि अल्लाह तआला का यह तरीक़ा नहीं कि किसी क़ौम को उसके शिर्क के सबब इस तरह हलाक कर दे कि उसे अपने शिर्क की ख़बर भी न हो यानी वह उक़ूबत (सज़ा देने) में कभी जल्दी नहीं करता है जब तक कि उनके पास रसूल न भेज दे जो उन्हें अज़ाब से मुतनब्बा (खबरदार) कर दे और अल्लाह तआला की हुज्जत तमाम (पूरा) कर दे और आख़िरत के दिन के अज़ाब से उन्हें डरा न दे। अगर वह ग़फ़्लत में किसी को पकड़ता तो वह कहते कि हमारे पास तो कोई बशीर और नज़ीर आया ही न था। (5/माइदा : 19) और दूसरी वजह यह है कि अल्लाह तआला कहता है कि वह उन्हें बग़ैर मुतनब्बा किये और रसूलों और आयात के ज़रिये नसीहत किए बग़ैर हलाक नहीं किया करता, वरना उन पर ज़ुल्म करना लाज़िम आता, और अल्लाह तो अपने बन्दों पर ज़ुल्म नहीं करता है। उसके बाद अबू जाफ़र वजहे अव्वल को तर्जीह देते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि यही वजह अक़्वा और अफ़ज़ल है, वल्लाहु आलम!

क़ौलुहू तआला **(व लिकुल्लिन दरजातुम् मिम्मा अमिलू)** यानी हर नेक व बद अमल करने वाले के बलिहाज़े अमल कई मरातिब व मनाज़िल हैं कि जिसका जैसा अमल है उसके नतीजे तक उसको पहुँचा देता है। अगर अमल ख़ैर हो तो नतीजा ख़ैर तक और अमल बद हो तो नतीजा बद तक। और यह भी मुहतमिल है कि यह मतलब हो कि इन काफ़िरीन जिन्न व इंस के कई दरजात हैं और हर काफ़िर के लिए दोज़ख़ में उसके हस्बे मअसियत मदारिज व मनाज़िल हैं। जैसाकि फ़र्माया कि हर एक के लिए दुगुना तीन गुना अज़ाब है और फ़र्माया कि जिन लोगों ने कुफ़्र किया और अल्लाह तआला की राहे मुस्तक़ीम की तरफ़ आने से लोगों को रोका हम अज़ाब पर अज़ाब उनके लिए ज़्यादा करेंगे। क्योंकि वह ख़ुद भी कुफ़्र करते रहे और लोगों को भी कुफ़्र की राह पर लाए और फ़साद बरपा करते रहते थे। (16/नहल : 88) और अल्लाह तआला तो अमल करने वाले के अमल से ग़ाफ़िल नहीं। यह लोग अल्लाह तआला के इल्म में हैं जब वह उसकी तरफ़ लौटेंगे तो उन्हें सज़ा से दो चार होना पड़ेगा।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا

أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

﴿١٣٤﴾ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَنْ تَكُونُ لَهُ

عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

तर्जुमा : "और आपका रब बिलकुल ग़नी है रहमत वाला है अगर वह चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे जैसे तुमको एक दूसरी क़ौम की नस्ल से पैदा किया है। (133) जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वह बेशक आने वाली चीज़ है और तुम आजिज़ नहीं कर सकते। (134) आप यह फ़र्मा दीजिए कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो मैं भी अमल कर रहा हूँ, सो अब जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा उस आलम का अंजामकार किसके लिए नाफ़ेअ होगा। यह यक़ीनी बात है कि हक़तल्फ़ी करने वालों को कभी फ़लाह न होगी।" (135)

अल्लाह तआला मख़्लूक़ से बेनियाज़ है (आयत 133-135) : इर्शाद होता है कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम्हारा रब तमाम मख़्लूक़ात से मिन जमीइल वुजूह ग़नी है तमाम अहवाल में सब उसके मुहताज हैं। और उसके अलावा वह रहीमो-करीम भी है जैसाकि फ़र्माया (إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ) (2/बक़रह : 143) अगर तुम उसके अवामिर व नवाही की मुख़ालिफ़त करोगे तो अगर वह चाहे तुमको हलाक व बर्बाद कर देगा और फिर जिस क़ौम को चाहेगा तुम्हारा जानशीन बना देगा ताकि यह दूसरी क़ौम उसकी फ़र्मांबरदारी करे। जैसाकि अल्लाह तआला ने तुमको एक दूसरी क़ौम की ज़ुर्रियत से पैदा किया। वह इस बात पर क़ादिर है उस पर यह चीज़ आसान है। जैसाकि उसने क़ुरूने ऊला (पहले ज़माने के लोगों) को हलाक कर दिया और फिर बाद की क़ौमों को ला बसाया इसी तरह वह इस क़ौम को हलाक करने और दूसरी क़ौम को लाने पर क़ादिर है। (4/निसाअ : 133) और फ़र्माया कि ऐ लोगों! तुम अल्लाह तआला के मुहताज हो उसके फ़क़ीर हो और ग़नी और हमीद सिर्फ़ अल्लाह तआला है वह चाहे तो तुमको फना करके एक दूसरी मख़्लूक़ पैदा करे। यह अल्लाह तआला पर दुश्वार (मुश्किल) नहीं। (14/इब्राहीम : 15,16) अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अगर तुम उससे चेहरा फेरोगे तो तुम्हारी बजाए दूसरी क़ौमों को बदल देगा। फिर तुम्हारा ज़िक्र भी बाक़ी न रहेगा।

अबान बिन उस्मान इस आयत के बारे में कहते हैं कि ज़ुर्रियत असल को भी कहते हैं और ज़ुर्रियत नस्ल को भी कहते हैं। और अल्लाह तआला का क़ौल कि **(इन्नमा तूअदून लआतिव्वमा अन्तुम बि मुअजिज़ीन)** यानी ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उन्हें ख़बर दे दो कि आख़िरत के बारे में जिस बात का उनसे वादा

किया गया है वह ला महाला (यक़ीनन) होकर रहेगी। तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। वह तो इस बात पर क़ादिर है कि तुम्हें फिर से ज़िन्दा करे ख़्वाह तुम ख़ाक क्यूँ न बन जाओ और तुम्हारी हड्डियाँ तक क्यूँ न गल जाएँ। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "ऐ बनी आदम! अगर तुम समझ रखते हो तो अपने को मुर्दों में शुमार करो, अल्लाह तआला की क़सम! जिस बात का तुमसे वादा किया गया है वह बात होकर रहेगी। तुम इस पर ग़ालिब आ ही नहीं सकते और उससे बच नहीं सकते। (शुअबुल ईमान : 10564; हिल्यतुल औलिया : 6/91; क़स्रुल अमल लि इब्ने अबिदुनिया : (1/2/1); इसकी सनद में अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है। (अल्मीज़ान : 4/489; रक़म : 1006) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 4977)

फिर फ़र्माया कि ऐ लोगों! तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं अपनी जगह करता रहूँगा और इस बात को तुम क़रीब में जान लोगे। यह बड़ी सख़्त वईद और ज़बरदस्त तहदीद है। यानी अगर गुमान करते हो कि तुम ठीक राह पर हो तो उसी पर चलो और मैं भी अपने मन्हज और अपने तरीक़े पर चलता हूँ जैसा कि फ़र्माया कि "ईमान न लाने वालों से कह दो कि तुम भी अपना करते रहो और मैं भी अपना करता रहूँगा। तुम भी मेरा इंतिज़ार करो और मैं भी तुम्हारा इंतिज़ार करता हूँ। (11/हूद : 121) क़रीब में तुम्हें मालूम हो जाएगा कि आख़िरत की भलाई किसके लिए है याद रखो ज़ालिम कभी फ़लाह नहीं पाएंगे।" अल्लाह तआला ने रसूल से अपना किया हुआ वादा पूरा किया उनके लिए बीसयों शहर फ़तह किए, उन्हें मुल्कों पर क़ाबिज़ व मुतसर्रिफ़ बनाया और मुख़ालिफ़ीन को चोटी से पकड़कर नीचा दिखाया, मक्के को नबी अकरम (ﷺ) के लिए फ़तह करा दिया और सब मक्का वालों पर उन्हें ग़ालिब कर दिया और तमाम जज़ीर-ए-अरब पर उनका हुक्म नाफ़िज़ हो गया। इसी तरह यमन और बहरैन पर भी। और ख़ुद उन्हीं की ज़िन्दगी में यह सब कुछ हुआ। और आप (ﷺ) की वफ़ात के बाद ख़ुल्फ़ा (रज़ि.) के ज़माने में अम्सार व अक़ालीम भी फ़तह होने लगे। जैसाकि फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने लिख दिया है कि मैं और मेरा रसूल ग़ालिब आएँगे। अल्लाह तआला क़वी और अज़ीज़ है। (58/मुजादला : 21)

और फ़र्माया कि हम अपने रसूलों और अहले ईमान की दुनिया में भी और आख़िरत में भी मदद करेंगे जिस दिन कि ज़ालिमीन को उनकी मअज़िरत कोई नफ़ा न देगी। उन पर लानत है और दोज़ख़ का ठिकाना है। (40/ग़ाफ़िर : 51, 52) और फ़र्माया हमने बाद अज़्ज़िक्र ज़बूर में लिख दिया था कि हमारी ज़मीन के वारिस हमारे नेक बन्दे होंगे। (21/अम्बिया : 105) और रसूलों के बारे में ख़बर दी जा रही है कि हमने रसूलों की तरफ़ वही भेज दी थी कि उन कुफ़्फ़ार ज़ालिमीन को हम हलाक कर देंगे और फिर दुनिया में हम तुम लोगों को बसाएँगे। यह हमारी इनायत उन लोगों के लिए है जो हमसे डरते हैं। और फ़र्माया कि तुम्हारे ईमानदारों और सालेहों से अल्लाह तआला वादा फ़र्माता है कि ज़मीन में अल्लाह तआला उन्हें अपना ख़लीफ़ा बनाएगा। जैसा कि उनसे पहले के लोगों को अपना ख़लीफ़ा बनाया था और जो दीन उसने पसंद फ़र्माया है उस पर उन्हें चलाएगा और ख़ौफ़ के बाद उनकी ज़िन्दगी अमन से बदल देगा क्योंकि वह मेरी इबादत करते हैं और शिर्क नहीं करते। (24/नूर : 55) और अल्लाह तआला ने उम्मते मुहम्मदिया को इसी सरफ़राज़ी से इम्तियाज़े ख़ास बख़्शा है इसका अव्वल व आख़िर शुक्र है।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا
لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى
شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

तर्जुमा : "और अल्लाह तआला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं उन लोगों ने उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह तआला का मुक़र्रर किया और बज़अमे ख़ुद कहते हैं कि यह तो अल्लाह तआला का है और यह हमारे मअबूदों का है। फिर जो चीज़ उनके मअबूदों की होती है वह तो अल्लाह तआला की तरफ़ नहीं पहुँचती और जो चीज़ अल्लाह तआला की होती है वह उनके मअबूदों की तरफ़ पहुँच जाती है। उन्होंने क्या बुरी तज्वीज़ निकाल रखी है।" (136)

मुश्रिक अल्लाह के साथ ग़ैरुल्लाह का हिस्सा भी निकालते थे (आयत 136) : यहाँ अल्लाह तआला की तरफ़ से मुश्रिकीन को मलामत की जा रही है जिन्होंने कि बिदअतें और शिर्क व कुफ़्र फैलाया और दूसरी मख़्लूक़ात को अल्लाह तआला का शरीक बनाया, हालाँकि हर चीज़ का ख़ालिक़ वही पाक परवरदिगार है और इसीलिए फ़र्माया कि यह लोग खेती की पैदावार या मवेशियों की नस्ल से जो कुछ पैदा करते हैं तो उसमें से एक हिस्सा तो अल्लाह तआला के नाम का निकालते हैं और अपने ज़अमे बातिल की रू से कहते हैं कि यह तो अल्लाह तआला के नाम है और यह हमारे शुर्का के नाम का है लेकिन जो शुर्का के नाम का है वह तो अल्लाह तआला के लिए ख़र्च नहीं किया जाता और जो अल्लाह तआला के नाम का है वह शुर्का के अग़राज़ में ख़र्च कर देते हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इस आयत की तफ़्सीर में फ़र्माया है कि यह अअदा-ए-रब (रब के दुश्मन) जब ज़राअत या नख़्लिस्तान वग़ैरह की काश्त करते थे और पैदावार और समर हासिल होते थे तो उसमें से किसी क़द्र हिस्सा अल्लाह तआला का क़रार देते और कुछ बुतों के नाम का। पस जो बुतों के नाम का होता था उसको तो महफ़ूज़ कर लेते थे और अगर अल्लाह तआला के नाम का कुछ हिस्सा उसमें से गिर जाए या कुछ आसेब पहुँचे तो उसको बुतों के हिस्से में शरीक कर डालते थे। और अगर बुतों के लिए क़रारदाद हिस्सा से पानी आगे बढ़कर अल्लाह तआला के लिए क़रारदाद हिस्से तक पहुँच जाता तो कहते यह तो हमारे बुत का है और अल्लाह तआला के हिस्से के फल या पैदावार गिर जाती या बुतों के हिस्से में आकर मिल जाती तो कहते यह तो मुस्तहेक़ीन (हक़दारों) का हिस्सा है, बुतों के हिस्से में मिला लेते और अल्लाह तआला की तरफ़ रद्द न करते और अल्लाह तआला के हिस्से का क़रार दिया हुआ पानी आगे बढ़कर बुतों की काश्त वाली ज़मीन को सैराब करता तो ऐसा होने देते और उसको बुतों ही के लिए ख़ास कर देते। और बहीरा और सायबा और हाम और वसीला जानवरों को बुतों के लिए मख़्सूस कर लिया करते और दावा करते कि अल्लाह तआला के तक़र्रुब की ख़ातिर हम इनसे फ़ायदा उठाना हराम समझते हैं। चुनाँचे आयत मुंदर्जा बाला इसी

मज़्मून पर रोशनी डालती है। इब्ने ज़ैद (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तआला के नाम का कोई जानवर होता और उसको वह ज़िब्ह करते तो अल्लाह तआला के नाम के साथ बुतों का नाम भी लेते। और बुतों का नाम अगर उस पर लिया गया न हो और सिर्फ़ अल्लाह तआला का नाम लिया हो तो उस ज़बीहा को न खाते और जो बुतों के नाम के जानवर हों उनको ज़िब्ह करते वक़्त अल्लाह तआला का नाम न लेते सिर्फ़ बुतों का नाम लेते। फिर यह आयत पढ़ी (सा-अ मा यह्कुमून) यानी इनकी कैसी बुरी तक़्सीम है।

पहले तो तक़्सीम में इन्होंने ग़लती की। इसलिए कि अल्लाह तआला ही हर चीज़ का रब है और ख़ालिक़ है। और फिर जो तक़्सीमे फ़ासिदा की उसको भी अपनी जगह क़ायम न रखा बल्कि उसमें भी जोर और नाइंसाफ़ी से काम लिया। जैसाकि फ़र्माया कि अल्लाह तआला के लिए तो बेटियाँ क़रार देते हैं और अपने लिए अपने हस्बे इंतिख़ाब बेटे क़रार देते हैं और फ़र्माया कि अल्लाह ही के बन्दों को उसका हिस्सेदार बना दिया, इंसान बड़ा नाशुक्रगुज़ार है। (43/ज़ुख़रुफ़ : 15) और फ़र्माया, क्या तुम्हारे लिए बेटा और अल्लाह के लिए बेटियाँ। यह तुम्हारी कैसी ग़लत तक़्सीम है। (53/नज्म : 22)

***

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾
وَقَالُوا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ
حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِمْ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

तर्जुमा : "और इसी तरह बहुत से मुश्रिकीन के ख़याल में उनके मअबूदों ने अपनी औलाद के क़त्ल करने को मुस्तहेसिन (अच्छा) बना रखा है ताकि वह उनको बर्बाद करें और ताकि उनके तरीक़े को मख़बूत कर दें। और अगर अल्लाह तआला को मंज़ूर होता तो यह ऐसा काम न करते तो आप उनको और जो कुछ यह ग़लत बातें बना रहे हैं यूँ ही रहने दीजिए। (137) और वह अपने ख़याल पर यह भी कहते हैं कि यह मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख़्स को जाइज़ नहीं उनको कोई नहीं खा सकता सिवा उनके जिनको हम चाहे और मवेशी जिन पर सवारी या बार बरदारी हराम कर दी गई है और मवेशी हैं जिन पर यह लोग अल्लाह तआला का नाम नहीं लेते महज़ अल्लाह तआला पर इफ़्तिरा बाँधने के तौर पर। अभी अल्लाह तआला इनको इनके इफ़्तिरा की सज़ा दिये देता है।" (138)

मुफ़्लिसी के डर से औलाद को क़त्ल करना (आयत 137, 138) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि जिस तरह शयातीन ने इन्हें यह बात पसंदीदा बतलाई कि अल्लाह तआला के लिए बुतों से अलग एक हिस्सा क़रार दें उसी तरह इफ़्लास (फ़क़ीरी) के डर से अपनी औलाद को क़त्ल कर देना या अपनी लड़किया को ससुराली रिश्ते से आर की बिना पर मुस्तहसन बनाना। इनके शुर्का शयातीन हैं जो इन्हें मश्वरा देते हैं कि मुफ़्लिसी के डर से अपनी औलाद को ज़िन्दा दफ़न कर दें। या तो निय्यत ही हलाक करने की होती थी या उसको एक मज़हबी बात समझते थे और दीन उन पर मुश्तबा हो गया था। जैसा कि फ़र्माया कि जब कहा जाता था कि तुम्हारी लड़की पैदा हुई है तो उसका चेहरा नाराज़ी से स्याह पड़ जाता, मुँह बनकर रह जाता और इस शर्म के मारे लोगों से छुपता फिरता। (16/नहल : 58, 59) और जैसाकि फ़र्माया, "क्या जवाब दोगे जब ज़िन्दा दफ़न कर्दा लड़की से पूछा जाएगा कि तू किस गुनाह के बदले में क़त्ल की गई थी।" (81/तकवीर : 8, 9) नीज़ वह इसलिए भी औलाद को क़त्ल कर देते कि उन्हें मुफ़्लिसी का डर दामनगीर होता और उन्हें पालने में माल के तल्फ़ होने का डर होता। यह सब शयातीन की फ़रेबकारियाँ होतीं फिर फ़र्माता है कि अगर अल्लाह तआला चाहता तो वह ऐसा न करते। यानी जो कुछ होता है अल्लाह तआला की मशिय्यत (चाहत) के तहत होता है। इसमें उसकी हिक्मते ताम्मा है उस पर कोई ऐतिराज़ नहीं कर सकता। तुम ऐ नबी (ﷺ)! उन्हें भी छोड़ो और उनके झूठे मअबूदों को भी। अल्लाह तआला अन्क़रीब ही तुम्हारा और इनका फ़ैसला कर देगा।

मुश्रिकीन के ख़ुदसाख़्ता (ख़ुद का बनाया हुआ) हलाल व हराम : इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हिज्र के मअनी हराम के हैं यानी वह जो बसूरते वसीला हराम कर लिया था। वह कहने लगे कि यह मवेशी और यह खेती हराम है हमारी मर्ज़ी के बग़ैर कोई इसको नहीं खा सकता। यह तहरीम और यह सख़्तगीरी अपने ऊपर शयातीन की तरफ़ से थी अल्लाह तआला की क़रार दी हुई नहीं थी। इब्ने ज़ैद कहते हैं कि अपने ख़ुदाओं की ख़ातिर उसको हराम क़रार दे लिया था। जैसाकि फ़र्माया कि यह तुम्हें क्या हुआ कि जिसको अल्लाह तआला ने तुम्हारा रिज़्क़ बनाया था, उसको तुमने अपने ऊपर हराम कर लिया और हराम को हलाल कर लिया। इनसे पूछो कि क्या अल्लाह तआला ने तुम्हें ऐसा हुक्म दिया था, या यह कि अल्लाह तआला पर झूठ बाँधते हो। (12/यूसुफ़ : 59) और फ़र्माया कि अल्लाह तआला के पास बहीरा और सायबा और वसीला और हाम की कोई सनद नहीं। मगर यह कि यह काफ़िर अल्लाह तआला पर तोहमत रखते हैं और इनमें से अक्सर कुछ भी नहीं समझते। (5/माइदा : 103) सुद्दी कहते हैं कि बहीरा और साइबा और वसीला और हाम तो वह जानवर हैं जिन पर सवारी लेना हराम क़रार दिया गया हो। या यह कि वह जानवर हैं जिन पर अल्लाह तआला का नाम नहीं लेते थे न बवक़्ते पैदाइश न बवक़्ते ज़िब्ह। अबू वाइल ने कहा क्या तुम जानते हो कि इस आयत में कि कुछ मवेशियों पर सवार होना हराम था, और कुछ पर अल्लाह तआला का नाम नहीं याद किया जाता था, उससे कौन जानवर मुराद हैं, इससे बहीरा जानवर मुराद हैं कि जिन पर सवार होकर हज्ज को नहीं जाते थे, न उन पर सवार होते, न बोझ लादते, न उनका दूध पीते, न नस्लकशी करते। यह सब अल्लाह तआला पर किज़्ब व इफ़्तिरा था। न अल्लाह तआला का यह हुक्म, न रज़ाजूई के लिए ज़रिया। लिहाज़ा अल्लाह तआला इस इफ़्तिरा का उन्हें बदला देगा।

وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ
يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۳۹﴾

तर्जुमा : "और वह कहते हैं कि जो चीज़ इन मवेशी के पेट में है वह ख़ालिस़ हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर तो हराम है और अगर वह मुर्दा है तो उसमें सब बराबर हैं अभी अल्लाह तआला इनको इनकी ग़लत़ बयानी की सज़ा दिए देता है बिला शुब्हा वह ह़िक्मत वाला है वह बड़ा इल्म वाला है।" (139)

मुश्रिकीन के तय किए हुए ह़लाल व ह़राम (आयत 139) : वह कहते हैं कि जो इस मादा के पेट में है वह ख़ालिस़ मर्दों का ह़क़ है। इससे मुराद दूध है कि इस त़रह़ कुछ जानवरों का दूध औरतों पर ह़राम कर देते और मर्द पीते रहते। अगर बकरी को कोई नर बच्चा होता तो ज़िब्ह़ करके सिर्फ़ मर्द खाते, औरतों को न देते, कहते तुम पर ह़राम है। और मादा बच्चा होता तो ज़िब्ह़ न करते बल्कि पाल लेते और अगर मरा हुआ पैदा होता तो सब मिलकर खाते मर्दों को खाने की मुमानिअ़त न थी।

अल्लाह तआला ने इस बात की मुमानिअ़त की। (त़बरी : 12/147) शअ़बी (रह़.) कहते हैं कि बह़ीरा जानवर का दूध सिर्फ़ मर्द पीते थे और कोई जानवर मर जाता तो मर्दों के साथ औरतों को भी उसमें हिस्सा दिया जाता। इर्शाद होता है कि उनके इस किज़्ब की क़रार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। जैसा कि फ़र्माया

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ (16/नह़ल : 116)

यानी तुम्हारी ज़ुबानें जो झूठ बकती हैं इस त़रह़ न कह दिया करो कि यह ह़लाल है और यह ह़राम, ताकि अल्लाह पर बोहतान बाँधो, जो अल्लाह तआला पर बोहतान बाँधते हैं वह कभी फ़लाह़ नहीं पाते। अल्लाह पाक बड़ा ह़कीम है, अपने अफ़आल व अक़्वाल के अंदर। और बन्दों के अच्छे बुरे आमाल से ख़ूब वाक़िफ़ है वह उन्हें पूरी पूरी जज़ा देगा।

***

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً

عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۞ وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ

وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا

وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۞ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا

تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۞

तर्जुमा : "वाक़ेई ख़राबी में पड़ गए वह लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज़ बराहे हिमाक़त (बेवक़ूफ़ी) बिला किसी सनद के क़त्ल कर डाला और जो चीज़ें उनको अल्लाह तआला ने खाने पीने को दी थीं उनको हराम कर लिया, महज़ अल्लाह तआला पर इफ़्तिरा बाँधने के तौर पर बेशक यह लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह पर चलने वाले नहीं हुए। (140) और वही है जिसने बाग़ात पैदा किए वह भी जो टटियों पर चढ़ाए जाते हैं और वह भी जो टटियों पर नहीं चढ़ाए जाते और खजूर के दरख़्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख़्तलिफ़ तौर की होती हैं और ज़ैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबेह भी होते हैं और एक दूसरे के मुशाबेह नहीं भी होते, इन सबकी पैदावार खाओ जब वह निकल आए और इसमें जो हक़ वाजिब है वह उसके काटने के दिन दिया करो और हद से न बढ़ो यक़ीनन वह हद से गुज़रने वालों को नापसंद करता है। (141) और मवेशी में ऊँचे क़द के और छोटे क़द के जो कुछ अल्लाह तआला ने तुमको दिया है, खाओ और शैतान के क़दम बक़दम मत चलो। बिलाशक वह तुम्हारा सरीह दुश्मन है।" (142)

मुश्रिकीने अरब की जिहालत (आयत 140-142) : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि वह लोग जो यह काम करते हैं वह दुनिया और आख़िरत दोनों जगह नुक़्सान में हैं। दुनिया में तो इस तरह कि अपनी औलाद को क़त्ल करके ख़सारे में पड़े, उनकी दौलत छिन गई, उन पर मुफ़्लिसी आ गई, और ख़ुद अपनी तरफ़ से जो नई बातें उन्होंने राइज कर दी थीं। उसकी वजह से उन नफ़ाबख़्श चीज़ों से महरूम हो गए और आख़िरत के लिहाज़ से यूँ कहा कि सबसे बुरे ठिकाने के मुस्तहिक़ बन गए। जैसाकि फ़र्माया जो लोग अल्लाह तआला पर किज़्ब का इफ़्तिरा करते हैं वह कभी फ़लाह नहीं पा सकते। दुनिया में चंद दिन तमत्तोअ हासिल कर लो। फिरआख़िर

तुमको हमारी तरफ़ आना ही है और अपने कुफ़्र के सबब अज़ाबे शदीद को चखना ही है। (10/यूनुस : 69, 70) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अगर तुम चाहो कि जहले (जिहालते) अरब को मालूम करो तो सूरह अन्आम में एक सौ तीस आयात के बाद (वाली आयात) पढ़ो **(क़द ख़सिरल्लाहु क़तलू औलादहुम.....)** (सहीह बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब क़िस्सतु ज़मज़म व जहलुल अरब : 3524)

अल्लाह तआला के कुछ इन्आमात का तज़्किरा : ज़ुरूअ (खेतियाँ), सिमार (फल) और अन्आम (चौपाये) जिन पर यह मुश्रिकीन तसर्रुफ़ करते हैं और अपने फ़ासिद आरा (राय) से इसकी तक़्सीम करके किसी को हलाल और किसी को हराम बना लेते हैं। यह सब अल्लाह तआला के पैदा किए हुए हैं। और यह छतों और मँडवे वाले और बेसक़्फ़ बाग़ात जो टटियों पर चढ़े हुए नहीं हैं सब उसी के पैदाकर्दा हैं। मअरूशात तो वह बेलें हों और टटियों पर चढ़ाई हुई हों जैसे अंगूर वग़ैरह और ग़ैर मअरूशात वह फल व दरख़्त जो जंगलों और पहाड़ों में उग आते हैं, जो यक्साँ भी होते हैं और जुदागाना भी यानी देखने में यक्साँ और ज़ायक़ा में जुदागाना। जब ख़ूब फल फल जाएँ तो उनके फल खाओ और खेत काटने के वक़्त ग़रीबों को देने का जो हक़ है वह भी अदा कर दो। कुछ ने इससे ज़काते मफ़रूज़ा मुराद लिया है जबकि वह पैदावार नापी या तौली जाए तो उसी दिन यह हक़ अदा कर दिया जाए। पहले लोग नहीं दिया करते थे। फिर शरीअत ने दसवाँ हिस्सा मुक़र्रर कर दिया। और जो ख़ोशों में से गिर जाए वह भी मिस्कीनों का हक़ है। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिसकी खजूरें दस वस्क़ से ज़्यादा हों तो वह एक ख़ोशा मसाकीन के लिए मस्जिद में लाकर लटका दें।" (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़कात, बाब फ़ी हुक़ूक़िल माल : 1662; वहुवा हसन; अहमद : 3/359, 360; अबू यअला : 2038) इस हदीस की इस्नाद जय्यद और क़वी हैं। हसन बसरी (रह.) ने कहा कि यह हुबूब व सिमार का सदक़ा है और ज़कात के सिवा ग़रीबों का एक मज़ीद हक़ है और खेत काटने और ज़कात के सिवा यह दिया जाता था। और जब मसाकीन उस दिन आ जाएँ तो उन्हें भी कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए और कहा कि कम अज़्कम एक एक मुट्ठी दिया जाए यह काश्त के दिन, उसी तरह काटने के वक़्त भी एक एक मुट्ठी भर गिरा पड़ा भी मसाकीन ही का हक़ है।

इब्ने ज़ुबैर (रह.) ने कहा है कि यह ज़कात के फ़र्ज़ होने से पहले की बात है कि मसाकीन के लिए मुट्ठी भर की मिक़्दार थी और जानवर के लिए चारा था और गिरा पड़ा भी ग़रीबों का हक़ था। इब्ने मर्दवे कहते हैं कि यह चीज़ वाजिब थी फिर अल्लाह तआला ने इसको मंसूख़ कर दिया और उ़श्र (दसवाँ हिस्सा) या निस्फ़े उ़श्र को इसके बजाए क़रार दे दिया। इब्ने जरीर (रह.) ने भी इसी को इख़्तियार किया है। मैं कहता हूँ कि इसको मंसूख़ क़रार देना ग़ौरतलब बात है क्योंकि यह तो ऐसी चीज़ थी जो असल में वाजिब थी फिर तफ़्सील से इसका बयान किया गया और यह मिक़्दार मुक़र्रर की गई कि कितना निकाला जाए। कहते हैं कि यह ज़कात सन दो हिज्री में फ़र्ज़ हुई थी। अल्लाह तआला ने उन लोगों की मज़म्मत की है जो खेत काट तो लेते हैं लेकिन ग़रीबों को उसमें से सदक़ा नहीं करते। जैसाकि एक बाग़ वालों का ज़िक्र सूरह 'नून' में किया गया है कि जब उन्होंने अहदो पैमान किया कि सुबह होते ही जाकर खेत काट लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा था। तो रात

ही उस खेत पर एक हवा चली कि सारा खेत बर्बाद हो गया और वह सुबह् तक सोते ही रहे और खेत के सारे ही दरवाज़े काले जले हुए बन गए। पस जब सुबह् को उठे तो कहने लगे कि सवेरे सवेरे खेत को चलो जबकि तुम्हें खेत काटना ही है। चुनाँचे वह चले और चुपके चुपके बोलते जा रहे थे कि देखो यह ग़रीब गुर्बा आने न पाएँ। चुनाँचे सुबह् ही जल्दी पहुँच गए। पहुँचकर जब उन्होंने अपने बाग़ को देखा तो कहने लगे हम भटककर शायद दूसरे बाग़ में निकल आए हैं। फिर कहने लगे, नहीं! बाग़ हमारा ही है मगर यह कि हम इस बाग़ से महरूम कर दिए गए हैं। उनमें से एक बेहतर आदमी ने कहा, मैंने क्या तुमसे नहीं कहा था फिर क्यूँ न तुम अल्लाह तआ़ला की तस्बीह् पढ़ते रहे। अब वह कहने लगे, ऐ अल्लाह तआ़ला! तू पाक है। इस अम्र में ज़्यादती हमारी ही तरफ़ से हुई थी। अब हर एक दूसरे को मलामत करने लगा और कहने लगा, अफ़सोस! हम पर हमने अल्लाह तआ़ला से सरकशी की थी। क्या अ़जब कि अल्लाह तआ़ला हमको इससे भी बेहतर बाग़ इनायत कर दे। हम अपने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजूअ़ करते हैं। देखो अ़ज़ाबे दुनियावी इस तरह् होता है और अ़ज़ाबे आख़िरत तो इससे बड़ा है बशर्तेकि ज़रा ग़ौर करें। (68/क़लम : 17-33)

क़ौलुहू तआ़ला **(वला तुस्रिफ़ू इन्नहू ला युहि़ब्बुल मुस्रिफ़ीन)** यानी देने में ह़स्बे ज़रूरत से ज़्यादा न देने लगो। कुछ लोग खेती कटने के वक़्त इस क़द्र ज़्यादा दे देते थे कि यह बात इसराफ़ (हद से ज़्यादा) में दाख़िल हो जाती, तो फ़र्माया कि **(वला तुस्रिफ़ू)** साबित बिन क़ैस ने अपने दरख़्त ख़ुर्मा के फल उतारे और कह दिया कि आज जो भी मेरे पास लेने आएगा उसको दूँगा, ह़त्ताकि इतने लोग आकर ले गए कि एक भी फल उनके लिए बाक़ी न रहा। चुनाँचे यह आयत उतरी कि अल्लाह तआ़ला इस्राफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। इब्ने जुरैज (रह़.) कहते हैं कि मतलब यह है कि हर बात में इस्राफ़ से काम लेने की मुमानिअ़त है। अयास बिन मुआविया कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म की अंजामदेही में तजावुज़ से काम लिया गया तो वह इसराफ़ है। सुद्दी कहते हैं कि मुराद यह है कि इस क़द्र न दो कि ख़ुद महरूम होकर बैठ रहो और फ़क़ीर बन जाओ। मुह़म्मद बिन कअ़ब कहते हैं कि ज़कात देने से न रुको वरना अल्लाह तआ़ला की नाफ़र्मानी लाज़िम आएगी। लेकिन सच तो यह है कि हर चीज़ में इस्राफ़ की मुख़ालिफ़त है लेकिन सियाक़े आयत से ज़ाहिर यह है कि जैसा फ़र्माया अल्लाह तआ़ला ने कि जब पक जाएँ तो उसके फल खाओ और फ़सल काटने के वक़्त ग़रीबों को उनका ह़क़ भी दे दो और तुम उसके खाने में इस्राफ़ से काम न लो क्योंकि ज़्यादा खाने में मज़र्रते (नुक़्सान) अ़क़्ल व बदन है जैसकि फ़र्माया, खाओ पियो लेकिन ज़्यादती न करो। (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल लिबास, बाब क़ौलुल्लाहि तआ़ला **(क़ुल मन ह़र्रम ज़ीनतल्लाहि...)** तालीक़न क़ब्ल ह़दीस : 5783; नसाई : 2560; इब्ने माजा : 3605; मुस्नद तयालिसी : 2261) स़ह़ीह़ बुख़ारी में है कि खाओ पियो पहनो, लेकिन उन बातों में इस्राफ़ न करो और शान न बनाओ।

क़ौलुहू अ़ज़्ज़ व जल्ल **(मिनल अन्आमि ह़मूलतव्व फ़र्शन)** यानी तुम्हारे लिए मवेशी पैदा कर दिए जो तुम्हारी बार बरदारी (बोझ ढोने) का काम देते हैं और सवारी के काम में आते हैं जैसे ऊँट हैं। और 'फ़र्श' से छोटे मवेशी मुराद हैं। (ह़ाकिम : 2/317; अ़न इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) व सनदुहू ज़ईफ़) या छोटी

क़ामत के ऊँट। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि "ह़मूलत" से ऊँट, घोड़े, ख़च्चर, गधे और हर जानवर जिस पर बार बरदारी हो मुराद है। और 'फ़र्श' से बकरे मुराद हैं। इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि मैं ख़्याल करता हूँ कि बकरों को 'फ़र्श' इसलिए कहा गया होगा कि वह छोटे क़द के होने की वजह से गोया फ़र्शे ज़मीन बने हुए हैं। अब्दुर्रह़मान बिन ज़ेद का ख़्याल है ह़मूलतन सवारी का जानवर है और फ़र्श से वह मवेशी मुराद हैं जिनको ज़िब्ह़ करके खाते हैं या उनका दूध पीते हैं बकरी पर बोझ नहीं लादते बल्कि उसका गोश्त खाया जाता है और उसके बालों से कम्बल और फ़र्श बनाए जाते हैं। यही वह मअ़नी हैं जो अब्दुर्रह़मान ने इस आयत की तफ़्सीर में कहे और ठीक यह है अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल से भी इसकी तस्दीक़ होती है कि (اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ۝ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ۝) (36/यासीन : 71, 72) यानी क्या वह नहीं जानते कि हमने यह चीज़ें इनके फ़ायदे के लिए पैदा कीं और इन जानवरों को बनाने में हमारे हाथों ने काम किया जिनके वह मालिक बने हुए हैं। हमने यह जानवर इन इंसानों के लिए मुसख़्ख़र कर दिए हैं कि कुछ पर तो वह सवार होते हैं और कुछ को ज़िब्ह़ करके खाते हैं और फ़र्माया कि इन जानवरों में तुम्हारे लिए बड़ी इब्रत व नसीह़त है। इनके ख़ून से बना हुआ दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, यह ख़ालिस़ दूध पीने वालों के लिए किस क़द्र ख़ुशगवार होता है और इनके बाल तुम्हारे लिए लिबास और ओढ़ने का काम देते हैं और दूसरे अग़राज़ से इस्तेमाल में आते हैं। (16/नह़ल : 66) और फ़र्माया अल्लाह तआ़ला ने यह जानवर जो तुम्हारे लिए पैदा किए तुम इन पर सवार होते हो, इन्हें खाते हो और तुम्हारे लिए और दीगर मस़ालेह़ (काम) भी हैं। और तुम अपने दिली मक़ासिद इनसे पूरे करते हो। तुम इन पर सवार होते हो, और जहाज़ों और कश्तियों में बार बरदारी और सवारी करते हो। अल्लाह तआ़ला तुम्हें अपनी कितनी ही निशानियाँ पेश करता है। तुम अल्लाह तआ़ला की किस किस निशानी का इंकार करोगे। (40/ग़ाफ़िर : 79-81)

क़ौलुहू तआ़ला **(कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु)** यानी अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें जो फल फुलारी हुबूब (दाने) व ज़ुरूअ़ (खेतियाँ) और मवेशी वग़ैरह दिए हैं उन्हें चाहो तो खाओ उन सबको अल्लाह तआ़ला ने पैदा किया है और तुम्हारा रिज़्क़ बना दिया है। और तुम शैत़ान के त़रीक़ और अवामिर की पैरवी न करो जैसे कि इन मुश्रिकीन ने इत्तिबाअ़ की जिन्होंने अल्लाह तआ़ला के कुछ रिज़्क़ को अपने ऊपर ह़राम कर लिया, ऐ लोगों! शैत़ान तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी ज़रा भी सोचो तो उसकी अ़दावत बिलकुल ज़ाहिर है। तुम भी शैत़ान को अपना दुश्मन क़रार दे लो, वह अपना शैत़ानी लश्कर लेकर तुम पर ह़मलावर होता है ताकि अहले दोज़ख़ में से हो जाओ। ऐ बनी आदम! शैत़ान तुमको फ़ित्ने में न डाले जैसाकि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला और उनका लिबास उन पर से उतरवा दिया और वह खुले दिखाई देने लगे। (7/आराफ़ : 27) और फ़र्माया क्या तुम मुझे छोड़कर शैत़ान और उसकी ज़ुर्रियत को अपने औलिया बनाओगे। यह शयात़ीन तो तुम्हारे दुश्मन हैं, ज़ालिमों के लिए बहुत बुरी सज़ा है। (18/कहफ़ : 50) क़ुरआन के अंदर इस मौज़ूअ़ (टॉपिक) पर बहुत कसरत से आयतें हैं।

***

ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ
الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ
الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ
اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٤﴾

तर्जुमा : "आठ नर व मादा यानी भेड़ में दो क़िस्म और बकरी में दो क़िस्म आप कहिए कि क्या अल्लाह तआला ने इन दोनों नरों को हराम कहा है या दोनों मादा को या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों तुम मुझको किसी दलील से तो बतला दो अगर सच्चे हो। (143) और ऊँट में दो क़िस्म और गाय में दो क़िस्म आप कहिए कि क्या अल्लाह तआला ने इन दोनों नरों को हराम कहा है या दोनों मादा को या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हों, क्या तुम हाज़िर थे जिस वक़्त अल्लाह तआला ने तुमको इसका हुक्म दिया तो उससे ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआला पर बिला दलील झूठ तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे यक़ीनन अल्लाह तआला ज़ालिम लोगों को रास्ता न दिखाएगा।" (144)

मुश्रिकीन और हलाल व हराम में ख़ुद साख़्ता तक़्सीम (आयत 143, 144) : इस्लाम से पहले के जाहिल अरबों ने कुछ मवेशी अपने ऊपर हराम कर लिए थे और उनकी क़िस्में क़रार दे ली थीं। यानी बह़ीरा, साइबा, वसीला, और हाम वग़ैरह। जानवरों में भी और ज़ुरूअ व सिमार में भी। चुनाँचे अल्लाह तआला ने फ़र्मा दिया कि तुम्हारे यह बाग़ और खेत और यह बार बरदारी और सवारी वग़ैरह के जानवर सब उसने पैदा किए हैं। फिर अक़्सामे अन्आम (चौपायों की क़िस्में) ज़िक्र फ़र्माए और बकरी का ज़िक्र फ़र्माया जो सफ़ेद रंग की होती है और भेड़ जो स्याह रंग की उनकी नर और मादा का भी ज़िक्र किया फिर ऊँट नर व मादा का और ऐसे ही गाय। उसने उन चीज़ों में से किसी को हराम नहीं क़रार दिया, न इनके बच्चों को। क्योंकि यह सब बनी आदम की ग़िज़ा और सवारी, बार बरदारी और दूध वग़ैरह से इस्तिम्ताअ के लिए पैदा किया। जैसाकि फ़र्माया कि हमने इन जानवरों में से आठ जोड़े तुम्हारे लिए उतारे। (39/ज़ुमर : 6) (**अम्मश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सययन्**) यह काफ़िरों के उस क़ौल का रद्द है कि "उन जानवरों के पेट में जो है वह सिर्फ़ हम मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है।" अब अल्लाह पाक फ़र्माता है कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे

यक़ीन से बताओ कि वह चीज़ें जिनके हराम होने का तुम गुमान करते हो, अल्लाह तआला ने तुम पर कैसे हराम कर दीं तुम बहीरा साइबा वग़ैरह को क्यूँ हराम क़रार देते हो। इब्ने अब्बास (रज़ि) कहते हैं कि आठ जोड़ों में से दो भेड़ और दो बकरी के चार जोड़े हुए। फ़र्माता है कि इनमें से मैंने किसी को हराम नहीं बनाया। और इनका बच्चा ख़्वाह नर हो या मादा किसी को हलाल और किसी को हराम कैसे बना देते हो अगर तुम सच्चे हो तो यक़ीन से बताओ। यह तो सबके सब हलाल हैं। **(अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा)** इन्हें मलामत की जा रही है कि किस तरह अपने जी से एक नई नई बात निकालते हैं और ख़ुद हराम क़रार देकर इस तहरीम (हराम करने) को अल्लाह तआला की तरफ़ मंसूब कर देते हैं। अब जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँधे ताकि लोगों को भटकाए, उससे बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा? इसके मिस्दाक़ में अम्र बिन लुहय् बिन क़ुम्आ को बताया जाता है कि उसने सबसे पहले दीने अम्बिया को मुतग़य्यर किया था और साइबा और वसीला और हाम का एअतिक़ाद पैदा किया था। हदीस से भी यही साबित है। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल माइदा बाब (मा जअलल्लाहु ....) : 4624; सहीह मुस्लिम : 2856; अल् अवाइल लि इब्ने अबी आसिम : 192; अल्मुअजमुल कबीर : 10808)

***

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴۵﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बज़रिये वही मेरे पास आए उनमें तो मैं कोई हराम ग़िज़ा पाता नहीं किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए मगर यह कि मुरदार हो या कि बहता हुआ ख़ून हो या ख़िंज़ीर का गोश्त हो क्योंकि वह बिलकुल नापाक है या जो शिर्क का ज़रिया हो कि ग़ैरुल्लाह के लिए नामज़द किया गया हो फिर जो शख़्स बेताब हो जाए बशर्तेकि न तो तालिबे लज़्ज़त हो और न तजावुज़ करने वाला हो तो वाक़ई तेरा रब ग़फ़ूरुर्रहीम है।" (145)

किसी चीज़ को हलाल या हराम करना अल्लाह का काम है (आयत 145) : अपने रसूल को हुक्म फ़र्माता है कि ऐ मुहम्मद(ﷺ)! इन लोगों से कह दीजिए कि जिन्होंने अल्लाह तआला के रिज़्क़ को हराम कर लिया कि मेरी तरफ़ जो वही उतरी है उसमें तो कहीं नहीं पाता कि उसका खाना हराम है किसी पर हैवानों में से सिवा उन जानवरों के जो बयान हुए हैं और कुछ हराम नहीं। चुनाँचे इस आयत के मफ़्हूम का रफ़अ करने वाली इस आयत के बाद की सूरह माइदा की आयात हैं, और दूसरी हदीसें भी जिनमें हुर्मत का बयान है। कुछ लोग इसको भी मंसूख़ कहते हैं लेकिन अकसर मुताख़्ख़िरीन के नज़दीक यह मंसूख़ नहीं। क्योंकि इसमें तो असल के

जवाज़ को भी रफ़अ करना लाज़िम आएगा। 'दमे मस्फूह' बहते हुए ख़ून को कहते हैं। अगर यह आयत न होती तो लोग उस ख़ून को भी ले लेते जो रगों में फिर रहा है। जैसाकि यहूद ने किया। इमरान बिन जरीर (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू मिज्लज़ से ख़ून के बारे में पूछा यानी उस ख़ून के बारे में जो ज़बीहा के सर और गले वग़ैरह से चिमटा हुआ होता है और पकाने की हँडिया के अंदर जो ख़ून की सुर्ख़ी नमूदार रहती है तो कहा अल्लाह तआला ने तो बहते हुए ख़ून को मना फ़र्माया है। गोश्त के साथ अगर ख़ून लगा हुआ हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं। क़ासिम (रह.) से रिवायत है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) जंगली जानवर के गोश्त और हँडिया के अंदर के ख़ून में कोई हर्ज नहीं जानती थीं।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सवाल किया गया कि लोग गुमान करते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने जंगे ख़ैबर के मौक़े पर पालतू गधों के गोश्त की मुख़ालिफ़त की थी। तो कहा, हाँ! हकम बिन अम्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसी रिवायत करते हैं। लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) जो इल्मे तफ़्सीर के समुन्द्र हैं इसका इंकार करते हैं और यह आयत पढ़कर सुनाते हैं **(क़ुल् ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलय्या मुहर्रमन अला ताइमिय्यत्अमहू)** (सहीह बुख़ारी, किताबुज़बाइह, बा लुहूमुल हुमुरिल उंसिया : 5529) इब्ने अब्बास (रज़ि) से रिवायत है कि अहले जाहिलियत कुछ चीज़ें खाते थे और कुछ को मकरूह व नापाक जानकर तर्क (छोड़) कर देते थे। चुनाँचे अल्लाह तआला ने अपने नबी अकरम (ﷺ) पर अहकाम नाज़िल किए और हलाल को हलाल और हराम को हराम बता दिया और जिन चीज़ों के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया उनका खाना मुबाह है और फिर इसी आयत का एआदा फ़र्माया। (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब मा लम युज़्कर तहरीमुहू : 3800; व सनदुहू सहीहुन; हाकिम : 4/115) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.) की एक बकरी मर गई तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि मेरी बकरी मर गई। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "उसकी खाल की तुमने मश्क क्यूँ न बना ली।" चुनाँचे सौदा (रज़ि.) कहती हैं कि बकरी मर जाती थी तो हम उसकी खाल से मश्क बना लिया करते थे। फिर इस आयत को पढ़कर फ़र्माया कि मैता और बहता ख़ून और ख़िंज़ीर का गोश्त नहीं खाना चाहिए कि यह हराम है लेकिन अगर तुमने मुरदार की खाल की दबाग़त दे दी तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। चुनाँचे सौदा (रज़ि.) ने उसकी खाल की मश्क बना ली जो बहुत दिनों उनके पास रही। (मुस्नद अहमद : 1/327, 328; सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान वन्नुज़ूर; बाब इज़ा ‑लफ़ा अल्ला यश्रिब नबीज़न फ़शरिब तल्अन अव सकरन.... : 6686) इब्ने उमर (रज़ि.) से एक आदमी ने ख़ार पुश्त यानी साही के खाने के बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने यही आयत पढ़ी यानी वही में इसकी हुर्मत के बारे में कोई ज़िक्र नहीं, तो एक बूढ़ा जवान के पास बैठा हुआ था, कहने लगा कि मैंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुना है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "वह ख़ार पुश्त एक ख़बीस चीज़ है ख़बाइस में से।" तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि अगर नबी अकरम (ﷺ) ने ऐसा फ़र्माया है तो ऐसा ही होना चाहिए। (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ी अकले हशरातिल अर्ज़ : 3799; व सनदुहू ज़ईफ़; बैहक़ी : 9/326; इसकी सनद में ईसा और उसका बाप नमीला और उनका शैख़ यह तीनों मज्हूल रावी हैं।)

क़ौलुहू तआला **(फ़मनिज़्तुर्र ग़ैरा बाग़िवं वला आदिन)** यानी कोई अगर हराम चीज़ खाने पर

मजबूर और मुज़्तर (परेशान) हो जाए और वह न ख़्वाहिशे नफ़्स की बिना पर ऐसा कर रहा हो और न ज़रूरत से ज़्यादा खाता हो तो उसके लिए ख़ैर जाइज़ है, क्योंकि अल्लाह तआला बख़्शने वाला है, रहीम है। इस आयत की तफ़्सीर सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है और काफ़ी रोशनी डाली जा चुकी है। इस आयत के सियाक़ से यह ग़र्ज़ मालूम होती है कि यहाँ मुश्रिकीन पर रद्द मक़सूद है कि उन्होंने अपने ऊपर कुछ चीज़ों को हराम करने की बिदअत राइज कर ली थी। जैसे बहीरा व साइबा वग़ैरह की हुर्मत। चुनाँचे नबी अकरम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि "उन्हें ख़बर कर दो कि ऐसे जानवरों की हुर्मत का तो कहीं ज़िक्र नहीं इसलिए मुसलमानों को उनके खाने से बचने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ मुरदार, बहता हुआ ख़ून, और खिंज़ीर के गोश्त की मुमानिअत की है और ग़ैरुल्लाह के ज़बीहा से मना फ़र्माया है इसके सिवा और किसी चीज़ को अल्लाह तआला ने हराम नहीं किया, सकूत फ़र्माया तो मुआफ़ होना चाहिए। तो अल्लाह तआला ने जिसको हराम नहीं किया तुम कहाँ से उसको हराम बना रहे हो।" इसी बिना पर दूसरी चीज़ों की हुर्मत जैसे पालतू गधे या दरिन्दों का गोश्त या पंजा वाले परिन्दे जैसाकि उलमा का मशहूर मस्लक है, इन सबकी हुर्मत बाक़ी नहीं रहती। (यह याद रहे कि इनकी हुर्मत क़तई है क्योंकि सहीह अहादीस से साबित है।)

***

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ
بِبَغْيِهِمْ ۡ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾

तर्जुमा : "और यहूद पर हमने तमाम नाख़ुन वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी में से उन दोनों की चर्बियाँ उन पर हमने हराम कर दी थीं मगर वह जो उनकी पुश्त पर या अंतड़ियो में लगी हो या जो हड्डी से मिली हो। उनकी शरारत के सबब हमने उनको यह सज़ा दी और हम यक़ीनन सच्चे हैं।" (146)

हराम चीज़ की ख़रीदो-फ़रोख़्त भी हराम है (आयत 146) : इर्शाद होता है कि हमने यहूदियों पर सुम वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरे की चर्बी भी हराम कर दी थी। हाँ! वह चर्बी हलाल थी जो उनकी पीठ से या हड्डियों से या आँतों और मेदे से चिमटी हुई हो। यह सुम वाले जानवर मवेशी और परिन्दे हैं जिनकी उँगलियाँ कटी-कटी और जुदा-जुदा न हों। जैसे ऊँट और शुतुरमुर्ग, क़ाज़ और बत़। सईद बिन जुबैर (रह.) कहते हैं कि वह जानवर मुराद हैं जिनकी उँगलियाँ फटी हुई न हों। और एक रिवायत में सईद से यूँ भी मरवी है कि वह जिनकी उँगनिलयाँ मुतफ़र्रिक़ हों जैसे मुर्ग़। क़तादा कहते हैं कि इससे ऊँट और शुतुरमुर्ग़ मुराद हैं और परिन्दे और मछलियाँ। और इन्हीं से एक रिवायत में है कि परिन्दे और बत़ख और ऐसे ही जानवर जिनकी उँगलियाँ खुली खुली न हों। चुनाँचे यहूद इन जानवरों और परिन्दों को खाते थे जिनके पंजे खुले हुए हों।

इसी तरह गोरख़र वग़ैरह भी नहीं खाते थे। क्योंकि उसके पंजे भी ऊँट की तरह खुले हुए नहीं होते। बक़र और ग़नम की चर्बी से वह चर्बी मुराद है जो पुट्ठों पर अलग जमा होती है। यहूद कहते थे कि याक़ूब (अ.) चूँकि उसको हराम समझते थे इसलिए हम भी हराम क़रार देते हैं। पीठ की चर्बी हराम नहीं थी। इमाम अबू जाफ़र कहते हैं कि ज़वाया जमा है जिसका वाहिद ज़ाविया है यह पेट के अंदर की चीजों को कहते हैं जैसे आँतें और ओझ वग़ैरह। या जो हड्डियों पर चिमटी हुई चर्बी वह भी हलाल थी और इसी तरह पैर, सीना, सर और आँख की चर्बी भी हलाल थी। यह तंगी जो हमने उन पर की थी, उनकी बग़ावत और मुख़ालिफ़त की सज़ा के तौर पर थी। जैसकि फ़र्माया **(फ़बिज़ुल्मिम् मिनल्लज़ीना हादू....)**। यानी जो चीज़ें उन पर पहले हलाल थीं वह उनकी बग़ावत और रब की राह से दूसरों को रोकने की सज़ा के तौर पर पाक चीजें भी हमने उन पर हराम कर दीं थीं और उस सज़ा में हम सच्चे और आदिल हैं। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि यानी ऐ मुहम्मद (ﷺ)! हमने तुम्हें इसकी हुर्मत के बारे में जो बताया यही दुरुस्त है न वह जो यहूद ने गुमान कर लिया है कि याक़ूब (अ.) इसको हराम समझते थे। उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को ख़बर मिली कि समुरह ने शराब बेची है तो फ़र्माया, अल्लाह तआला समुरह को हलाक करे क्या उसे मालूम नहीं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला यहूद पर लानत करे कि जिन पर चर्बी हराम कर दी गई थी तो उसको निकालकर साफ़ करके बेच देते थे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब ला युज़ाबु शहमुल मैता वला युबाउ विदकहू : 2223, 2224; सहीह मुस्लिम : 1582; अहमद : 1/25; मुस्नद अबू यअला : 200)

फ़तहे मक्का के दिनों में नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला ने शराब और मुरदार, ख़िंज़ीर और अस्नाम की बेअ को भी हराम क़रार दिया है।" तो पूछा गया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैता की चर्बी से खाल को रोग़न देते हैं, कश्तियों पर यह चर्बी मढ़ते हैं और उसको जलाकर रोशनी हासिल करते हैं। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "नहीं! यह हराम है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब बैअल मैतति वल अस्नाम : 2236; सहीह मुस्लिम : 1581; अबूदाऊद : 3486; तिर्मिज़ी : 1297; इब्ने माजा : 1267; अहमद : 3/324; मुस्नद अबी यअला : 1873; इब्ने हिब्बान : 4937) फिर फ़र्माया कि "अल्लाह तआला यहूद को हलाक करे कि जब उनकी चर्बी हराम कर दी गई तो वह साफ़ करके बेचने लगे और उसकी क़ीमत खाने लगे।" नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिसका खाना हराम है उसको बेचकर नफ़ा उठाना भी हराम है।" उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से भी यूँ मरवी है कि हम नबी अकरम (ﷺ) के पास आए आप (ﷺ) मरीज़ थे हम एयादत कर रहे थे। आप (ﷺ) लेटे हुए थे और अदनी चादर से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। फिर आप (ﷺ) ने चादर हटा दी और फ़र्माया कि "यहूद पर चर्बी हराम हुई तो उसको बेचकर उसकी क़ीमत खाने लगे, अल्लाह तआला उन्हें हलाक करे।" (हाकिम : 4/194; इमाम हाकिम और ज़हबी ने इसे सहीह कहा है, व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अअमश मुदल्लस है।) जिसका खाना हराम है उसका बेचना भी हराम है।

***

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ
﴿١٤٧﴾ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ
كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَأْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ
فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ
الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ
اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٥٠﴾

तर्जुमा : ''फिर अगर यह आपको काज़िब (झूठा) कहें तो आप कह दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वसीअ़ रहमत वाला है और उसका अ़ज़ाब मुज्रिमों से न टलेगा। (147) यह मुश्रिकीन यूँ कहने को हैं कि अगर अल्लाह को मंज़ूर होता तो न हम शिर्क करते और न हमारे बाप दादा और न हम किसी चीज़ को हराम कह सकते। इसी तरह जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तक्ज़ीब की थी यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अ़ज़ाब का मज़ा चखा आप कह दीजिए कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो उसको हमारे रूबरू ज़ाहिर करो। तुम लोग महज़ ख़्याली बातों पर चलते हो और तुम बिलकुल अटकल से बातें बनाते हो। (148) आप कह दीजिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की रही फिर अगर वह चाहता तो तुम सबको राह पर ले आता। (149) आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह तआ़ला ने उन चीज़ों को हराम कर दिया है फिर अगर वह गवाही दे दें तो आप उस शहादत की समाअ़त न करें और ऐसे लोगों के बातिल ख़्यालात का इत्तिबाअ़ न करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और वह जो आख़िरत पर ईमान नहीं रखते और वह अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं।'' (150)

अल्लाह की रहमत की उम्मीद और अ़ज़ाबे इलाही से डरने का हुक्म (आयत 147-150) : ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम्हारे मुख़ालिफ़ यहूद और मुश्रिकीन वग़ैरह अगर तुम्हें झुठलाते हैं तो कह दो कि तुम्हारा रब बड़ी रहमत वाला है। यह इस बात के लिए तर्ग़ीब है कि तुम भी अल्लाह तआ़ला से उसकी रहमते वासिआ़ तलब करो ताकि उन्हें इत्तिबाअ़े रसूल की तौफ़ीक़ हो जाए क्योंकि अगर वह रहमत न करे तो मुज्रिमों से अ़ज़ाबे इलाही को कोई नहीं लौटा सकता। यहाँ तर्हीब (डराना) व तख़्वीफ़ (धमकाना) है कि मुख़ालिफ़ते रसूल न करो वरना

उसके अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हो जाओगे। हर जगह अल्लाह तआला ने तर्ग़ीब व तख़्वीफ़ दोनों को एक साथ ज़िक्र किया है जैसा कि इस सूरत के आख़िर में है कि अल्लाह सरीउल इक़ाब है आर ग़फ़ूर्रुर्रहीम है। (6/अन्आम : 165) और लोगों के गुनाहों पर उनको बख़्शने वाला भी है और शदीदुल इक़ाब भी है। (13/रअ़द : 6) और मेरे बन्दों को आगाह करो कि मैं रहम करने वाला भी हूँ और मेरा अ़ज़ाब बड़ा सख़्त अ़ज़ाब होता है। (15/हिज्र : 49) और अल्लाह तआला गुनाहों को बख़्शने वाला तौबा क़बूल करने वाला और फिर शदीदुल इक़ाब भी है। अल्लाह तआला की गिरफ़्त बड़ी सख़्त होती है। पैदा भी उसी ने किया और वापिस भी उसी की तरफ़ जाना है वह ग़फ़ूर भी है और मेहरबान भी। (85/बुरूज : 12-14) इस मज़्मून में बहुत सी आयात हैं।

मुश्रिकीन का एक बिला दलील दावा : यहाँ एक मुनाज़रा का ज़िक्र है और मुश्रिकीन का एक शुब्हा ज़िक्र किया गया है जो वह अपने शिर्क और हलाल को हराम कर लेने के बारे में रखते थे, अल्लाह तआला उनके शिर्क और उनकी तहरीम से उन्हें आगाह फ़र्मा रहा है। वह यह शुब्हा था कि वह हमारे दिल को बदल सकता था हमको ईमान की तौफ़ीक़ दे सकता था और हाजिब होकर हमको कुफ़्र से रोक सकता था। लेकिन जब अल्लाह तआला ने ऐसा नहीं किया तो साबित हुआ कि उसकी मशिय्यत और उसका इरादा ही ऐसा है और वह हमारे इस काम से राज़ी है। चुनाँचे वह कहने लगे **(लौ शाअल्लाहु मा अश्रक्ना...)** यानी अगर अल्लाह न चाहता तो न हम शिर्क करते न हमारे अस्लाफ़, न हम किसी चीज़ को हराम क़रार दे लेते। इसी तरह वह कहते थे (لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ) (43/ज़ुख़रुफ़ : 20) चुनाँचे अल्लाह पाक फ़र्माता है कि **(कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम)** यानी इसी शक की वजह से पहले के लोग भी गुमराह होते रहे और यह बड़ी ही पस्त और बातिल और तिफ़्लाना (बचपना) हुज्जत है अगर यह सहीह होती तो उनके अस्लाफ़ पर अल्लाह तआला का अ़ज़ाब कभी नहीं आता और वह हलाक न किए जाते और मुश्रिकीन को इंतिक़ाम का अ़ज़ाब न चखना पड़ता। ऐ नबी (ﷺ)! कह दो कि तुमको यह कहाँ से मालूम हो गया कि तुम्हारे इन कामों से अल्लाह तआला राज़ी है। अगर इस दावे की कोई दलील है तो ज़ाहिर तो कर दो तुम भला इसका क्या सबूत दे सकते हो। तुम फ़क़त अपने क़यास और एक ज़न्ने बातिल की पैरवी कर रहे हो।

ज़न से यहाँ मुराद ऐतिक़ादे फ़ासिद है। तुम फ़क़त अटकल चला रहे हो, अल्लाह तआला पर झूठ बोहतान लगा रहे हो। यह मुश्रिकीन कहते थे कि हम इन बुतों की जो इबादत करते हैं तो इससे फ़क़त अल्लाह तआला के पास तक़र्रुब हासिल करना मक़्सद होता है। अब अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इससे इन्हें तक़र्रुब हासिल नहीं होगा। (وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا) (6/अन्आम : 107) इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम चाहते तो वह सब हिदायत पर मुत्तफ़िक़ हो जाते। कह दो कि हुज्जते बालिग़ा अल्लाह तआला ही के लिए है, अगर वह चाहे तो सब हिदायत याफ़्ता बन जाएँ। ऐ मुहम्मद (ﷺ)! तुम कह दो कि उसकी हुज्जत हुज्जते बालिग़ा है और हिक्मत हिक्मते ताम्मा (मुकम्मल) है कि कौन हिदायत का मुस्तहिक़ है और कौन ज़लालत का। हर चीज़ उसकी क़ुदरत और इरादे में है, वह मोमिनीन से राज़ी है और काफ़िरों से नाराज़ है अगर वह चाहता तो सारे अहले ज़मीन को भी ईमान वाला बना देता। (10/यूनुस : 99) अगर वह चाहता तो सबको एक ही क़ौम और एक ही मिल्लत बना देता। उसका वादा पूरा होकर रहेगा कि मैं जहन्नम जिन्नों और इंसानों से भर दूँगा। बग़ावत करने के लिए कोई

दलील क़ायम नहीं है। कह दो कि अगर तुम्हारे पास गवाह हैं तो उन्हें ला हाज़िर करो जो इस बात की गवाही दें कि हाँ! अल्लाह तआला ने यह चीज़ें हराम कर दी थीं और अगर ऐसे झूठे गवाह वह लाएँ भी तो ऐ नबी (ﷺ)! तुम ऐसी गवाही न देना क्योंकि इनकी यह शहादत बिलकुल झूठी और मक्कारी है इन लोगों का साथ न दो जो हमारी आयात को झुठलाते हैं, आख़िरत पर ईमान नहीं लाते, अपने रब से ऐराज़ करके उसके लिए शरीक व अदील (बरार) क़रार देते हैं।

***

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿151﴾

तर्जुमा : ''आप कह दीजिए कि आओ मैं तुमको वह चीज़ें पढ़कर सुनाता हूँ जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया है वह यह कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ एहसान किया करो और अपनी औलाद को ग़रीबी की वजह से क़त्ल मत किया करो हम तुमको और उनको रिज़्क़ देंगे और बेहयाई के जितने तरीक़े हैं उनके पास भी मत जाओ ख़्वाह वह ऐलानिया हो और ख़्वाह पोशीदा हो और जिसका ख़ून करना अल्लाह तआला ने हराम कर दिया है उसको क़त्ल न करो, हाँ! मगर हक़ पर उसका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो।'' (151)

अहम अख़्लाक़ी और मुआशरती वसिय्यतें (आयत 151) : इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि जो नबी अकरम (ﷺ) की आख़िरी वसिय्यत को देखना चाहता है वह मुंदर्जा बाला आयतों को पढ़ लें। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल अन्आम : 3070; वसनदुहू ज़ईफ़; दाऊद रावी के अद्मे तअय्युन की वजह से यह रिवायत ज़ईफ़ है।) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि सूरह अन्आम में चंद आयाते मुहकमात हैं और वह उम्मुल किताब हैं। फिर **(कुल तआलव)** वाली आयतें पढ़ीं। (हाकिम : 2/317) इब्ने सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''तुममें से कौन मुझसे तीन बातों का वादा करेगा फिर आप (ﷺ) ने **(तआलव)** वाली आयतें आख़िर तक पढ़ीं। जो इन बातों पर वाक़ेई अमल करेगा उसका अज्र अल्लाह तआला पर साबित है और जो तामील (अमल करने में) में कोताही करेगा तो मुम्किन है अल्लाह तआला दुनिया ही में उसको उक़ूबत (सज़ा) दे और अगर अम्रे उक़ूबत (सज़ा के मुआमले) को

आख़िरत तक उठा रखे तो उस वक़्त उसकी मर्ज़ी चाहे अज़ाब दे चाहे मुआफ़ कर दे। (हाकिम : 2/318) इसकी तफ़्सीर यूँ है कि अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) से फ़र्माता है कि ऐ नबी (ﷺ)! इन मुश्रिकीन से कह दो जो ग़ैरुल्लाह की पूजा करते हैं और अल्लाह तआला के हलाल को हराम ठहराते हैं और अपनी औलाद को क़त्ल करते हैं, यह शयातीन के बहकावे हैं और इनकी मनगढ़त बातें हैं तो इनसे कह दो कि आओ मैं तुम्हें बताऊँ कि अल्लाह तआला ने किन बातों को हराम बताया है। मैं यह अटकल और ज़न (गुमान) से नहीं कह रहा हूँ बल्कि अल्लाह तआला की वह्यी की बिना पर कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न बनाओ। आयत का सियाक़े इबारत बता रहा है कि यहाँ **(औसाकुम)** का लफ़्ज़ फ़हज़ूफ़ है यानी **(औसाकुम अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि)** और इसीलिए आख़िर आयत में फ़र्माया **(ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तअक़िलून)** अबू ज़र्र (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मेरे पास जिब्राईल (अ.) आए और यह ख़ुशख़बरी दी कि जो मर जाए और उसने शिर्क न किया हो तो वह जन्नत में दाख़िल होगा। मैंने कहा अगरचे उसने ज़िना किया हो या चोरी की हो? तो जिब्राईल (अ.) ने कहा, हाँ! ज़िना किया हो या चोरी की हो। तीसरी बार के पूछने पर जिब्राईल (अ.) ने कहा, हाँ! अगरचे शराब भी पी हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़कात, बाब अल्मुक्सिरून हुमुल मुक़िल्लून : 6443; सहीह मुस्लिम : 94) कुछ रिवायतों में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से यह तीन बार सवाल करने वाले ख़ुद अबू ज़र्र (रज़ि.) थे और तीसरी बार नबी अकरम (ﷺ) ने अबू ज़र (रज़ि.) से फ़र्माया था कि ''हाँ! अबू ज़र्र की नाक नीची, ख़्वाह ज़िना किया हो, या चोरी की हो।'' अबू ज़र (रज़ि .) जब कभी यह हदीस सुनाते तो हदीस पूरी करने के बाद साथ ही यह भी ज़रूर फ़र्मा देते कि ''अबू ज़र की नाक नीची हो।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल्लिबास, बाब अस्सियाबुल बैज़ : 5827; सहीह मुस्लिम : 94; अहमद : 5/166) अबू ज़र (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ इब्ने आदम! जब तक तू मुझसे उम्मीद क़ायम रखेगा और दुआ मांगता रहेगा, मैं तुझे बख़्शता रहूँगा जो कुछ तुझसे गुनाह हो और मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा कि तूने क्या गुनाह किया है। अगर तू मेरे पास ज़मीन भरकर ख़ताएँ लाएगा तो मैं भी ज़मीन भरकर मग़्फ़िरत दूँगा बशर्ते कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न किया हो अगर तेरी ख़ताएँ आसमान भर के बराबर भी हों और तूने मग़्फ़िरत मांगी हो तो मैं मग़्फ़िरत कर दूँगा।'' (अहमद : 5/172; अन अबी ज़र (रज़ि.) दारमी : 2, 322; तिर्मिज़ी : किताबुद्दअवात, बाबुल हदीसिल कुदसी (या इब्ने आदम! इन्नक मा दअवतनी....) : 3540; अन अनस (रज़ि.) व सनदुहू हसन और इस मअनी की रिवायत सहीह बुख़ारी : 1238; सहीह मुस्लिम : 92 में भी मौजूद है।)

कुरआन से इसकी शहादत यूँ मिलती है कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला शिर्क के गुनाह को नहीं बख़्शेगा बाक़ी सब गुनाहों को चाहे तो बख़्श दे। (4/निसाअ : 48) हदीस में है ''जिसने शिर्क न किया और तौहीद का क़ाइल रहा और मर गया तो ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अद्दलीलु अला मम् माता ला युश्रिक बिल्लाहि शैअन दख़लल जन्नत... : 94) आयात और अहादीस इस मज़्मून के बारे में बहुत हैं। अबुद्दर्दा (रज़ि.) से हदीस मरवी है कि ''शिर्क इख़्तियार न करो ख़्वाह तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाएँ या सूली पर चढ़ा दिये जाओ या जला दिए जाओ।'' इब्ने सामित (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सात ख़स्लतों की वसिय्यत फ़र्माई कि ''ख़्वाह टुकड़े टुकड़े हो जाओ मगर शिर्क न करो।'' (हसन रिवायत है। देखिए माहनामा अल हदीस : 6; पेज : 11)

फिर इर्शाद होता है कि वालिदैन के साथ बहुत नेकी बरतो। जैसा कि फ़र्माया कि तुम्हारे रब का हुक्म है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करना और वालिदैन के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना। अल्लाह तआला उमूमन अपनी इताअत के साथ साथ वालिदैन से एहसान करने को भी मुत्तसिल ही बयान करता है। जैसाकि फ़र्माया कि मेरा औरअपने वालिदैन का एहसान मानो तुमको मेरी तरफ़ आना है। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमको इस बात पर मजबूर करें कि मेरे साथ किसी और को शरीक करो जो तुम्हारा अक़ीदा ही नहीं है तो उनकी बात न सुनना लेकिन दुनिया में उनके साथ अच्छा बर्ताव जारी रखो और जो मेरी तरफ़ रुजूअ हैं, उनकी पैरवी करो, तुमको मेरी ही तरफ़ लौटना है जहाँ मैं तुमको तुम्हारे सारे आमाल से बाख़बर कर दूँगा। (31/लुक़्मान : 14, 15) चुनाँचे वालिदैन के मुश्रिक होने पर भी वालिदैन के हस्बे हाल उनकेसाथ अच्छे बर्ताव की हिदायत की और फ़र्माया कि हमने बनी इस्राईल से यह भी वादा लिया था कि तौहीद इख़्तियार करने के साथ साथ वालिदैन के साथ नेक सुलूक भी ज़रूरी है। (2/बक़रह : 83) इस मज़्मून पर बहुत आयतें हैं। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने नबी अकरम (ﷺ) से पूछा कि कौनसा अमल अफ़ज़ल है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि 'अपने वक़्त पर नमाज़ पढ़ना।'' मैंने अर्ज़ किया फिर कौनसा अमल ? फ़र्माया, ''वालिदैन के साथ नेक सलूक।'' मैंने कहा, फिर कौनसा? फ़र्माया, ''जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह!'' इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि अगर मैं मज़ीद सवाल करता तो हज़रत मज़ीद जवाब देते। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब अल्बिर्रु वस्सिला : 5970; सहीह मुस्लिम : 85; तिर्मिज़ी : 173; अहमद : 1/451; इब्ने हिब्बान : 1477) इब्ने सामित (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''ऐ इब्ने सामित! अपने वालिदैन की इताअत करो अगर वह तुम्हें यह भी हुक्म दें कि सारी दुनिया जहान भी हमें दे दो, तो दे दो।'' (हसन है, देखिए सफ़हा गुज़िश्ता हाशिया : 6) इसकी इस्नाद ज़ईफ़ है, वल्लाहु आलम!

जब वालिदैन और अज्दाद के साथ हुस्न सुलूक की हिदायत फ़र्माई तो अब बेटों और पोतों के बारे में फ़र्माता है कि औलाद को तंगदस्ती के डर से क़त्ल न करो। शयातीन के बहकाने से मुश्रिकीन अपनी औलाद को क़त्ल कर देते थे और आर वआर की बिना पर लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न कर देते थे और कुछ वक़्त लड़कों को फ़क़्रो तंगहाली के डर से मार देते। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह तआला का शरीक ठहराना है। हालाँकि यह शरीफ़ ख़ुद अल्लाह तआला की मख़्लूक़ है।'' नबी अकरम (ﷺ) से पूछा गया फिर कौनसा गुनाह? तो फ़र्माया कि ''औलाद को मार डालना इस डर से कि उन्हें भी अपने साथ शरीके ग़िज़ा बनाना पड़ेगा।'' पूछा गया, फिर कौनसा गुनाह? फ़र्माया, ''अपने पड़ौसी की औरत से ज़िना करना।'' फिर आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत की कि (وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ) (25/फ़ुरक़ान : 68) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला (फ़ला तज्अलुल्लाहा अन्दादा) : 7520; सहीह मुस्लिम : 86; अहमद : 1/434; तिर्मिज़ी : 3183· इब्ने हिब्बान : 4414) यानी जो लोग अल्लाह तआला के साथ दूसरे झूठे ख़ुदाओं को नहीं शरीक करते और अल्लाह तआला ने जिस जान की इज़्ज़त की है उसको क़त्ल नहीं करते मगर हक़ बात पर और जो ज़िना नहीं करते। मज़्कूरा फ़क़ीर को 'इम्लाक़' कहते हैं। इसीलिए फ़र्माया कि रिज़्क़ तो उनको और तुमको हम ही देते हैं। रिज़्क़ की शुरुआत में उन बच्चों का नाम लिया क्योंकि एहतिमाम उन्हीं से मक़सूद था। यानी उनको रिज़्क़ पहुँचाने के सबब मुहताज हो जाने से न डरो क्योंकि सबका रिज़्क़

अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। लेकिन यहाँ चूँकि फ़क़्रे हासिला मौजूद है इसलिए फ़र्माया कि तुमको और उनको हम ही रिज़्क़ देते हैं इसलिए कि यहाँ अहम यही बात है कि तुम्हारा रिज़्क़ हमारा ही दिया हुआ है इसलिए अपने रिज़्क़ से न डरो।

क़ौलुहू तआला **(वला तक़्रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन)** यानी फ़वाहिश के क़रीब भी न जाना ख़्वाह वह ज़ाहिर (खुली) हों या बातिन (छुपी) हों। जैसा कि फ़र्माया, कह दो ऐ नबी (ﷺ)! रब ने फ़वाहिशे ज़ाहिरी व मख़्फ़ी सबको हराम क़रार दिया है। और गुनाह और बग़ावत से बचो जो ख़िलाफ़े हक़ है और शिर्क से बचो जिसकी कोई सनद नहीं। और अल्लाह तआला की तरफ़ ऐसी बातें मंसूब करने से बचो जिनको तुम नहीं जानते। (7/आराफ़ : 33) (وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ) (6/अन्आम : 120) में इसकी तफ़्सीर गुज़र चुकी है। इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला से ज़्यादा ग़य्यूर (ग़ैरतमंद) कोई नहीं हो सकता। इसीलिए उसने सारे ज़ाहिर व बातिन फ़वाहिश हराम कर दिये हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल अन्आम बाब क़ौलुहू तआला **(वला तक़्रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन)** : 4634; सहीह मुस्लिम : 2760; तिर्मिज़ी : 3530; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11173; अहमद : 1/381; इब्ने हिब्बान : 294) सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने कहा कि अगर मैं अपनी औरत के साथ किसी मर्द को देखूँ तो तलवार से उसे क़त्ल ही कर दूँ। जब नबी अकरम (ﷺ) ने यह बात सुनी तो फ़र्माया कि "तुम्हें सअद की ग़ैरत पर तअज्जुब क्यूँ है? अल्लाह तआला की क़सम! मैं सअद से ज़्यादा ग़ैरतमंद हूँ और अल्लाह तआला मुझसे ज़्यादा ग़ैरतमंद है इसीलिए सारे फ़वाहिश उसने हराम कर दिए हैं।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत् तौहीद, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) **(ला शख़्सा अग़्यरु मिनल्लाहि)** : 7416; सहीह मुस्लिम : 1499; अल्अस्माउ वस्सिफ़ात : 630) और इसी सनद से मरवी है कि मेरी उम्मत की उम्र साठ और सत्तर के बीच है। (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब **मा जाअ फ़ी आमारि हाज़िहिल उम्मति....)** : 2331; व सनदुहू हसन)

क़ौलुहू तआला किसी नफ़्स को क़त्ल न करो, जब तक कि उसके क़त्ल करने का हक़ न हो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान (रज़ि.) ने, जब उनको बाग़ी क़ातिलों ने घेर रखा था, फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि "तीन बातों के बग़ैर किसी मुसलमान का ख़ून रवा नहीं। जबकि इस्लाम लाने के बाद फिर काफ़िर हो गया हो या शादी शुदा होने के बावजूद ज़िना का इर्तिकाब किया हो या किसी को नाहक़ क़त्ल कर दिया हो, यानी बग़ैर क़िसास के।" पस अल्लाह तआला की क़सम! मैंने कभी ज़िना नहीं किया, न जाहिलियत के ज़मानें में, न इस्लाम में। और कभी मेरी यह ख़्वाहिश न रही कि इस्लाम लाने के बाद फिर अपना दीन बदल दूँ और न मैंने कभी किसी को नाहक़ क़त्ल किया है पस तुम मुझे किस बिना पर क़त्ल करना चाहते हो। (अबूदाऊद, किताबुद्दियात, बाब अल्इमामु यामुर बिल अफ़्व फ़िद्दम : 4502; तिर्मिज़ी : 2158; व सनदुहू सहीह; नसई : 4024; इब्ने माजा : 2533; मुस्नद तयालिसी : 72; अहमद : 1/61) जिस ग़ैर मुस्लिम से मुआहिदा हो चुका हो, और जिस हर्बी को इस्लामी शहर में रहने के लिए अमन दिया गया हो, उसको क़त्ल की सख़्त मुमानिअत और ज़ज्रो वईद आई है। जो किसी पैमान बस्ता (अमन दिये हुए) को क़त्ल करेगा तो जन्नत की ख़ुश्बू तक न सूँघ सकेगा हालाँकि जन्नत की ख़ुश्बू चालीस बरस की दूरी की राह से पहुँचती है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिज़्या, बाब इस्मुम मन क़तला मुआहिदीन बिग़ैरि जुर्म : 3166; इब्ने माजा : 2686; अहमद : 1/61) जो

किसी मुआहिद को क़त्ल करेगा जिसके अम्न के ज़िम्मेदार बन चुके हैं और जो अल्लाह और रसूल (ﷺ) की ज़िम्मेदारी में आकर ज़िम्मी बन चुका हो तो उसके क़ातिल को जन्नत की ख़ुश्बू तक नसीब न होगी। (तिर्मिज़ी, किताबुद्दियात, **बाब मा जाअ फ़ीमंय्यक़्तल नफ़्सन मुआहिदन** : 1403; वहुव सहीह, इब्ने माजा : 2687; मुस्नद अबी यअ़ला : 6452) और क़ौलुहू तआला (**ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअ़ल्लकुम तअ़क़िलून**) यह हैं वह वसिय्यतें जो तुम्हें की गईं, क्या अजब तुम्हें कुछ अक़्ल आ जाए।

***

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ حَتّٰی يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰی ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿۱۵۲﴾

तर्जुमा : ''और यतीम के माल के पास न जाओ मगर ऐसे तरीक़े से जो कि मुस्तहसन (अच्छा) है यहाँ तक कि वह अपने सिन्ने बुलूग़ (बुलूग़त की उम्र) को पहुँच जाए और नाप तौल पूरी-पूरी किया करो, इंसाफ़ के साथ। हम किसी शख़्स को उसके इम्कान से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देते और जब तुम बात किया करो तो इंसाफ़ रखा करो भले वह शख़्स क़राबतदार ही हो और अल्लाह तआला से जो वादा करो उसको पूरा किया करो उनका अल्लाह तआला ने तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम याद रखो।'' (152)

चंद और मुफ़ीद हिदायात (आयत 152) : जब अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि यतीम का माल न खाओ तो जिसके घर कोई यतीम रहता था उसने यतीम का खाना पीना इस डर के मारे कि कहीं उसका खाना मेरे खाने में न आ जाए अपने खाने पीने से अलग कर दिया और यतीम की ग़िज़ा खा पीकर बचने लगी तो वह उसी के लिए उठाकर रखी जाने लगी ताकि वह दोबारा खाये, या यह कि वह सड़कर ख़राब हो जाती थी। यह बात दोनों के लिए गिराँ और तक्लीफ़देह थी इसका ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) के पास आया तो इस बारे में अल्लाह तआला के पास से वही नाज़िल हुई कि यतीमों के बारे में तुमसे पूछते हैं, कह दो कि ख़ैर की जो बात है वह उनकी ख़ैरख़्वाही है इसलिए अगर तुम उनसे मिल-जुलकर और ग़िज़ा एक साथ मिलाकर पकाओ खाओ तो कोई हर्ज नहीं वह तुम्हारे ही तो भाई हैं हत्ताकि वह बालिग़ हो जाएँ। (अबूदाऊद, किताबुल वसाया, बाब मुख़ालितृतल यतीम फ़ित्तआमि : 2871; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; नसाई : 3699; हाकिम : 2/278) सुद्दी ने इसकी मुद्दत 30 साल, 40 साल बल्कि 60 साल तक भी क़रार दी है और यह बातें यहाँ बह्स से बहुत दूर की हैं। और पैमाना और तराज़ू को इंसाफ़ के साथ इस्तेमाल करो। फ़र्माने इलाही है कि लेन देन में अ़द्ल बरतो। इसका लिहाज़ न रखने पर सख़्त वईद हुई। इर्शाद होता है कि हलाकत है उन नाप तौल वालों पर कि जब नाप

कर लेते हैं तो भरपूर नाप के साथ, और जब नाप या तौलकर दूसरों को देते हैं तो बेईमानी करते हैं, क्या उन्हें ख़बर नहीं कि क़यामत के दिन उठाए जाने वाले हैं और अल्लाह का सामना करना है। (83/मुतफ़्फ़िफ़ीन : 61) पहली एक क़ौम इसीलिए तबाह व हलाक हुई थी कि नाप-तौल में बेईमानी करने लगी थी। व क़ौलुहू तआला **(ला नुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा)** हम किसी पर उसकी ताक़त से ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं डालते। जिसने अदा-ए-हक़ में पूरी कोशिश कर ली फिर भी कोताही हो गई तो कोई हर्ज नहीं। नबी अकरम (ﷺ) ने इस आयत के बारे में कि नाप तौल में इंसाफ़ से काम लो, फ़र्माया कि "जिसने सेहते निय्यत के साथ नापा और तौला और अल्लाह तो निय्यत को जानता है तो उससे कोई मुवाख़िज़ा नहीं।" (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/105; यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।) लफ़्ज़े वुस्अत की यही तावील है। और यह इर्शाद कि जब बोलो तो इंसाफ़ का पास रखो अगरचे किसी अज़ीज़ क़रीब ही का मामला क्यूँ न हो जैसाकि फ़र्माया कि ऐ ईमान वालो! अद्लो इंसाफ़ के साथ शहादत पर क़ायम रहो। (4/निसाअ : 135)

इसी तरह सूरह निसाअ में अल्लाह तआला फ़ेल (करनी) और क़ौल (कथनी) में अद्ल का हुक्म देता है चाहे क़रीब के लिए हो या दूर के लिए, अल्लाह पाक हर एक के लिए और हर वक़्त और हर हाल में अद्ल का हुक्म देता है। और फ़र्माया कि अल्लाह तआला के अहद को पूरा करो यानी अल्लाह तआला ने जो नसीहत की है उसको पूरा करो उसका इफ़ा (पूरा करना) इस तरह है कि उसके अम्र व नही में उसकी इताअत करो और उसकी किताब और सुन्नते रसूल पर अमल करो। यही वफ़ा बिअहदिल्लाहि है। इसकी नसीहत तुमको अल्लाह तआला ने की है मुम्किन है कि तुम नसीहत हासिल करो और की हुई की बुराइयों से बाज़ आ जाओ। कुछ लोग **(तज़क्करून)** के ज़ाल को तशदीद से पढ़ते हैं और कुछ तख़फ़ीफ़ से।

***

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِیْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

तर्जुमा : "और यह कि यह दीन मेरा रास्ता है जो मुस्तक़ीम (सीधा) है सो इस राह पर चलो और दूसरी राहों पर मत चलो कि वह राहें तुमको अल्लाह तआला की राह से अलग कर देंगी इसका तुमको अल्लाह तआला ने ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम एहतियात रखो।"(153)

हिदायत का रास्ता अल्लाह और रसूल की इताअत है (आयत 153) : इर्शाद है कि इधर उधर के दूसरे रास्तों पर न चल पड़ो, वरना अल्लाह तआला की राह से हट जाओगे और दीन को क़ायम रखो और इसमें फूट न डालो। (42/शूरा : 13) इस क़िस्म की आयतों में अल्लाह तआला मोमिनीन को हुक्म दे रहा है कि जमाअत को न छोड़ो। जमाअत में इफ़्तिराक़ और इख़्तिलाफ़ से बचो। पहले के लोग दीन के बारे में लड़ाई झगड़े ख़ुसूमात और इख़्तिलाफ़ात बहुत पैदा करते थे और उसी से तबाह हुए। (तबरी : 12/229)

अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा कि नबी अकरम (ﷺ) ने अपने हाथ से ज़मीन पर एक लकीर खींची और फ़र्माया कि "यह है अल्लाह तआला का सीधा रास्ता।" फिर दाएँ बाएँ और लकीरें खींचीं और फ़र्माया, यह वह रास्ते हैं कि इनमें से हर एक पर शैतान बैठा हुआ है और अपनी तरफ़ बुला रहा है।" फिर यह आयत तिलावत फ़र्माई (**व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा....**) (अहमद : 1/465; व सनदुहू हसन; हाकिम : 2/239, 318) जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि हम नबी अकरम (ﷺ) के पास बैठे हुए थे कि आप (ﷺ) ने अपने सामने ज़मीन पर इस तरह एक लकीर खींचीं और फ़र्माया कि "यह तो हुआ अल्लाह तआला का रास्ता" फिर सीधी तरफ़ दो लकीरें और बाईं तरफ़ दो लकीरें खींचीं और फ़र्माया यह "सब शैतान के रास्ते हैं" फिर बीच की लकीर पर उँगली रखी" और यही आयत तिलावत की कि (**व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा**) (इब्ने माजा, किताबुस्सुन्नत, बाब इत्तिबाअे सुन्नते रसूलिल्लाहि (ﷺ) : 11; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; मुजालिद बिन सईद रावी ज़ईफ़ है। अहमद : 3/397) एक आदमी ने इब्ने मसऊद (रज़ि.) से पूछा कि "सिराते मुस्तक़ीम" क्या है? तो आपने फ़र्माया कि नबी अकरम (ﷺ) ने हमें अपने पास जगह दी थी। आप (ﷺ) की निगाहें गोया जन्नत पर हैं। और आप (ﷺ) की सीधी तरफ़ भी रास्ते बने हुए हैं और बाईं तरफ़ भी, उन पर लोग मुतमक्किन हैं जो लोग उनके पास से गुज़रते हैं वह उन्हें बुलाते हैं जो उनके बुलाए हुए रास्तों पर हो लिया वह दोज़ख़ में पहुँच गया और जो सीधा रास्ता लिए हुए रहा वह जन्नत तक पहुँच गया। फिर इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने यही आयत पढ़कर सुनाई। (तब्री : 12/230)

नुवास बिन सम्आन (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला ने सिराते मुस्तक़ीम की मिसाल पेश की है। इस रास्ते के दोनों तरफ़ दो दीवारें हैं उनमें खुले दरवाज़े लगे हुए हैं, दरवाज़ों पर पर्दे लटके हुए हैं और सीधे रास्ते के दरवाज़े पर एक दाई इलल्लाह बैठा हुआ है और कह रहा है कि ऐ लोगों! आओ सीधे रास्ते के अंदर दाख़िल हो जाओ, इधर उधर भटको नहीं। और एक दाई दरवाज़े के ऊपर बैठा बुला रहा है जब कोई इंसान उन दूसरे दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा खोलता है तो कहते हैं कि तुझ पर अफ़सोस! इसे न खोल। अगर उसे खोलेगा तो उसमें दाख़िल हो जाएगा। अब यह सीधा रास्ता तो इस्लाम का है और दीवारें हुदूदुल्लाह हैं और यह खुले दरवाज़े अल्लाह तआला के महारिम (हराम कर्दा चीजें) हैं और यह रास्ते के सिरे पर बैठने वाली चीज़ किताबुल्लाह है और दरवाज़े के ऊपर बैठा हुआ शख़्स इंसान का अपना ज़मीर है जो बुरे कामों से उसके दिल में ख़लिश (खटक) पैदा करता है गोया अल्लाह तआला का वाइज़ है।" (तिर्मिज़ी, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़ी मसलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल लि इबादिही : 2859; वहुव सहीहुन; अहमद : 4/182, 183; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11233; हाकिम : 1/73) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "कोई है जो मुझसे इन तीन आयतों के बारे में अहद करे।" फिर (तआलव) वाली आयत तिलावत फ़र्माई, उसकी तीनों आयतें पढ़ने के बाद फ़र्माया, "जिसने इनका हक़ अदा किया उसका अज्र अल्लाह तआला पर मुक़र्रर हो चुका और जिसने इसकी तामील में कोताही की, दुनिया में उसको उक़ूबत मिल गई और न मिली तो आख़िरत में अल्लाह तआला तो सज़ा देगा वरना मुआफ़ कर देगा।" (हाकिम : 2/318; इसकी सनद में सुफ़ियान बिन हुसैन है जिसकी ज़ोहरी से रिवायत ज़ईफ़ होती है। देखिए (तहज़ीबुल कमाल : 3/214, रक़्म : 2383) लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है लेकिन अल्बत्ता इस मानी की रिवायत सहीह बुख़ारी किताबुल ईमान : 18; सहीह मुस्लिम : 1709 में मौजूद है।)

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾

तर्जुमा : ''फिर हमने मूसा (अ.) को किताब दी थी जिससे अच्छी तरह अमल करने वालों पर नेअ़मत पूरी हो और सब अह़काम की तफ़्सील हो जाए और रहनुमाई हो और रह़मत हो ताकि वह लोग अपने रब से मिलने पर यक़ीन करें। (154) और यह एक किताब है जिसको हमने भेजा बड़ी ख़ैरो बरकत वाली सो इसका इत्तिबाअ़ करो और डरो ताकि तुम पर रह़मत हो।'' (155)

तौरात और क़ुरआन अल्लाह का नाज़िलकर्दा है (आयत 154, 155) : (सुम्म आतैना मूसा) की तक़्दीर यह है कि ऐ मुह़म्मद (ﷺ)! हमारे बारे में फिर यह कह दो कि हमने मूसा (अ.) को किताब दी, बदलालते क़ौल **(क़ुल तआलव)** लेकिन यह ग़ौरत़लब है। **(सुम्म)** यहाँ सिर्फ़ अत़्फ़े ख़बर बादे ख़बर के लिए है तर्तीब बताने के लिए नहीं है। (सुम्म का ह़र्फ़ उ़मूमन तर्तीब बताने के लिए आया करता है।)

यहाँ जब अल्लाह पाक अपने क़ौल **(व अन्ना हाज़ा स़िरात़ी मुस्तक़ीमा)** के ज़रिये क़ुरआन के बारे में ख़बर दे चुका तो तौरात की तारीफ़ पर सुम्म के ज़रिये अत़्फ़ फ़र्माता है कि अब तुम्हें हम यह ख़बर भी देते हैं कि हमने मूसा (अ.) को भी किताब दी थी। अक्सर जगह अल्लाह पाक क़ुरआन और तौरात का एक जगह यानी मुत्तस़लन ज़िक्र फ़र्माता है जैसे कि इससे पहले मूसा (अ.) की किताब इमामो रह़मत थी और यह तुम्हारी किताब क़ुरआन ज़ुबाने अ़रबी में इसकी तस्दीक़ करती है। (46/अह़क़ाफ़ : 12) और इस सूरत की शुरुआत में फ़र्माया, पूछो वह किताब जो मूसा (अ.) को हमने दी जिसे हमने लोगों के लिए नूर व हिदायत बनाकर पेश किया था वह किसने उतारी थी जिसको तुम काग़ज़ों में लिखते हो जिसमें से कुछ छुपा डालते हो और कुछ रहने देते हो। (6/अन्आम : 91) फिर उसके बाद भी फ़र्माया कि इस क़ुरआन को हमने मुबारक बनाकर पेश किया है। अब मुश्रिकीन के बारे में फ़र्माता है कि जब हमारे पास से ह़क़ यानी क़ुरआन उन्हें पेश किया गया तो कहने लगे कि वैसी किताब क्यूँ न दी गई जैसी मूसा (अ.) को दी गई थी। अब अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मूसा (अ.) की किताब के साथ क्या कुफ़्र नहीं किया था और क्या यह नहीं कह दिया था कि यह दोनों तो जादूगर हैं जो आ धमके हैं, हम तो उन्हें न मानेंगे। (6/अन्आम : 92) और जिन्नों के बारे में ख़बर देते हुए फ़र्माया कि जिन्नों ने अपने लोगों को यह ख़बर दी कि ऐ क़ौम! हमने एक किताब सुनी है जो मूसा (अ.) के बाद उतरी और तौरात के मज़्मून की तस्दीक़ करती है और ह़क़ की त़रफ़ हिदायत करती है। (28/क़सस़ : 48) फिर क़ुरआन के बारे में इर्शाद होता है कि इसमें सब बातें ख़ूबी और तफ़्सील से लिखी हुई हैं और शरीअ़त की सब बातें दर्ज हैं जैसे कि तौरात में हर बात हमने बता दी थी।

इस तरह कुरआन को (**अलल्लजी अहसन**) फ़र्माया कौलुहू (وَاِذِ ابْتَلٰٓی اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا) (2/बक़रह : 124) और (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً یَّهْدُوْنَ) (32/सज्दा : 24) और (**सुम्म आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन**) यानी मूसा (अ.) को हमने किताब दी जो अतियात में सबसे अच्छा अतिया था। जो दुनिया में भी अहसन और आख़िरत में भी कामिल। इब्ने जरीर (रह.) ने इसकी तक़्दीर यूँ बताई है कि (**तमामन अला इहसानिही**) गोया कि (**अल्लज़ी**) को मस्दरिया क़रार दिया यानी वह किताब कामिल थी अहसन होने की बिना पर जैसेकि क़ौलुहू तआला (**ख़ुज़्तुम कल्लज़ी ख़ाज़ू**) अब यहाँ (**अल्लज़ी ख़ाज़ू**) के मअनी ख़ौज़ के हो गए। दूसरों का क़ौल है कि (**अल्लज़ी**) बमअनी (**अल्लज़ीना**) चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) यूँ क़िरात करते थे (**तमामन अलल्लज़ीना अहसनू**) मुजाहिद (**अल्लज़ी अहसन**) से (मोमिनीन) और (मुहसिनीन) मुराद लेते थे। और बग़वी (रह.) (मुहसिनीन व अम्बिया) मुराद लेते थे यानी तौरात की फ़ज़ीलत हमने मोमिनीन व मुहसिनीन पर ज़ाहिर कर दी थी, जैसे कि फ़र्माया (قَالَ یٰمُوْسٰۤی اِنِّی اصْطَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ) (7/आराफ़ : 144) यानी ऐ मूसा (अ.)! हमने तुमको अपनी रिसालत व कलाम के सबब सब पर बरगुज़ीदा बनाया। यहाँ यह लाज़िम नहीं आता कि उनको फ़ज़ीलत मुहम्मद (ﷺ) और ख़लील (अ.) पर भी है। यहया बिन यअमर अहसन को ज़बर के बजाए पेश से पढ़ते थे और कहते थे कि (**अल्लज़ी हुव अहसनु**) के मअनी में है इसलिए पेश से होना ज़रूरी है फिर यह भी कहा कि इस तरह पढ़ना मैं मुनासिब नहीं समझता अगरचे अरबियत के लिहाज़ से एक वजहे सहीह भी हो। और कहा गया है कि मअनी यह हैकि (**तमामन अला इहसानिल्लाहि इलैहि**) और फ़र्माया कि इसमें हर चीज़ तफ़्सील के साथ है और वह हिदायत और रहमत है शायद कि तुम अल्लाह तआला की मुलाक़ात पर ईमान लाओ। हमारी यह नाज़िलकर्दा किताब मुबारक है इसकी इत्तिबाअ करो अल्लाह तआला से डरो, शायद तुम पर अल्लाह तआला का रहम हो जाए। इसमें इत्तिबाअे कुरआन की तरफ़ दावत है। अल्लाह अपने बन्दों को अपनी किताब की तरफ़ तर्ग़ीब दे रहा है और इसमें तदब्बुर (ग़ौरो फ़िक्र) का हुक्म दे रहा है।

***

اَنْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآىِٕفَتَیْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ
لَغٰفِلِیْنَ ﴿۱۵۶﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّاۤ اُنْزِلَ عَلَیْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّاۤ اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ
بَیِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ؕ
سَنَجْزِی الَّذِیْنَ یَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰیٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا یَصْدِفُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

तर्जुमा : "कभी तुम लोग यूँ कहने लगते कि किताब तो सिर्फ़ हमसे पहले जो दो फ़िर्क़े थे उन पर नाज़िल हुई थी और हम उनके पढ़ने पढ़ाने से महज़ बेख़बर थे। (156) या यूँ कहते कि अगर हम पर कोई किताब नाज़िल होती तो हम उनसे भी ज़्यादा राह पर होते। सो अब तुम्हारे पास तुम्हारे रब के पास से एक किताब वाज़ेह और रहनुमाई का ज़रिया और रहमत आ चुकी है। सो उस शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बतलाए और इससे रोके हम अभी उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, उनके इस रोकने की वजह से सख़्त सज़ा देंगे।" (157)

अल्लाह ने किताब नाज़िल फ़र्माकर हुज्जत क़ायम कर दी (आयत 156, 157) : यानी ताकि तुम यह न कहो कि यहूद व नसरानियों पर तो हमसे पहले किताबें उतार दी गईं और हम पर कोई किताब नहीं उतरी। यह बयान उनके उ़ज़्र को ख़त्म करने के लिए है जैसाकि फ़र्माया कि अगर यह बात न होती कि उनकी मुसीबत उन्हीं के आमाल का नतीजा है तो वह यह कहते कि ऐ रब! कोई रसूल अगर तू हमारी तरफ़ भी भेजता तो हम भी तेरे अहकाम की पैरवी करते। (28/क़सस : 47) व क़ौलुहू **(व इन कुन्ना....)**। यानी हम इन यहूद व नसरानी की ज़ुबान तो समझते नहीं इसलिए हम ग़फ़्लत में रहे और इनके जैसे सहीह अमल न कर सके और ताकि तुम यह न कहो कि अगर हम पर भी हमारी ज़ुबान में कोई किताब उतरती तो हम इनसे ज़्यदा हिदायत याफ़्ता रहते। चुनाँचे हमने इनके उ़ज़्र (बहाने) को ख़त्म कर दिया जैसाकि फ़र्माया, वह क़समें खाकर बयान करते हैं कि अगर इनके पास भी कोई रसूल आता तो हम सबसे बढ़कर नेक निय्यत बनते और हिदायत पर होते। (35/फ़ातिर : 42) चुनाँचे फ़र्माया कि अब तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारे लिए हिदायत व रहमत वाली किताब आ गई है और तुम्हारी ही ज़ुबान में यह क़ुरआने अज़ीम है इसमें हलाल व हराम सबका बयान है और इबादत गुज़ार बन्दों के दिलों के लिए रहमत है। फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला की आयतों को झुठलाने वाले से बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा कि न ख़ुद क़ुरआन से फ़ायदा उठाए, न अहकामे इलाही की तामील की बल्कि अल्लाह की आयात के इत्तिबाअ से लोगों को भी फेर दिया और हिदायत की राह पाने से उन्हें भी महरूम कर दिया। जैसाकि आग़ाज़े सूरत में गुज़रा कि वह ख़ुद भी ईमान लाने से दूर रहते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। वह अपने हाथों अपनी जान हलाकत में डालते हैं। (6/अन्आम : 26) और फ़र्माया जो लोग कुफ़्र करते हैं और अल्लाह तआला के रास्ते से दूसरों को भी रोकते हैं उन्हें दुगुना अज़ाब होगा। (16/नहल : 88) और इस आयते करीमा में फ़र्माया कि "हम उन लोगों को सख़्त अज़ाब देंगे जो अल्लाह तआला की राह से लोगों को रोकते हैं।" जैसाकि फ़र्माया कि "न तस्दीक़ की, न नमाज़ पढ़ी बल्कि झुठलाया और मुँह फेर लिया।" (75/क़ियामा : 31) ग़र्ज़ यह कि बहुत सी आयतें इस पर दलालत करती हैं कि यह काफ़िर दिल से झुठलाते हैं और जवारेह (ज़ाहिरी तौर) से भी नेक अमल नहीं करते।

***

هَلۡ يَنۡظُرُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ تَاۡتِيَهُمُ الۡمَلٰۤـئِكَةُ اَوۡ يَاۡتِىَ رَبُّكَ اَوۡ يَاۡتِىَ بَعۡضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ‌ ؕ يَوۡمَ يَاۡتِىۡ بَعۡضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنۡفَعُ نَفۡسًا اِيۡمَانُهَا لَمۡ تَكُنۡ اٰمَنَتۡ مِنۡ قَبۡلُ اَوۡ كَسَبَتۡ فِىۡۤ اِيۡمَانِهَا خَيۡرًا‌ ؕ قُلِ انْتَظِرُوۡۤا اِنَّا مُنۡتَظِرُوۡنَ ﴿۱۵۸﴾

तर्जुमा : ''यह लोग सिर्फ़ इस अम्र के मुंतज़िर हैं कि इनके पास फ़रिश्ते आएँ या इनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए जिस दिन आपके रब की बड़ी निशानी आ पहुँचेगी, किसी ऐसे शख़्स का ईमान उसके काम न आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया हो। आप कह दीजिए कि तुम इंतिज़ार करो, हम भी इंतिज़ार करते हैं।'' (158)

क़यामत और उसकी निशानियाँ (आयत 158) : रसूल के मुख़ालिफ़ीन और काफ़िरों को धमकी दी जा रही है कि तुम तो सिर्फ़ इस बात का इंतिज़ार कर रहे हो कि फ़रिश्ते तुम तक आ पहुँचे, या रब से सामना हो जाए, और क़यामत के दिन ज़रूर होने वाला है। या अल्लाह तआला की कुछ निशानियाँ तुम पर खुल जाएँ और जब वह निशानियाँ खुल जाएँगी तो फिर किसी को उसका ईमान नफ़ा न देगा। और यह क़यामत आने से पहले क़यामत की निशानियों के तौर पर ज़रूर होगा। बुख़ारी में अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ''क़यामत क़ायम न होगी जब तक कि सूरज मग़्रिब से न उग जाए और जब यह सूरते हाल लोग देख लेंगे तो सारे अहले ज़मीन को यक़ीन हो जाएगा और ईमान लाएँगे और अगर पहले ईमान नहीं ला चुके तो अब उनका ईमान लाना नफ़ा बख़्श साबित नहीं होगा।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल अन्आम बाब **(ला यन्फ़उ नफ़्सन ईमानुहा)** : 4635; सहीह मुस्लिम : 157; अबूदाऊद : 4312; इब्ने माजा : 4068; अहमद : 2/231; इब्ने हिब्बान : 6838)

अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''तीन चीज़ें अगर ज़ाहिर हो गईं तो उनके ज़ुहूर से पहले अगर ईमान नहीं लाया था तो अब ईमान लाना बेकार है और पहले नेक अमल नहीं किए तो अब करना बेकार है। पहली निशानी यह कि सूरज का मश्रिक़ के बजाए मग़्रिब से तुलूअ होना। दूसरे दज्जाल का निकलना, तीसरे दाब्बतल अर्ज़ का ज़ाहिर होना।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब **बयानुज़्ज़मनुल्लज़ी ला युक़्बलु फ़ीहिल ईमान** : 158; तिर्मिज़ी : 3074; अहमद : 1/107; मुस्नद अबी यअला : 6172) अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''जिस शख़्स ने सूरज के मग़्रिब से तुलूअ होने से पहले तक तौबा कर ली तो उसकी तौबा क़बूल हो जाएगी वरना नहीं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़िक्र वद्दुआ, बाब इस्तिहबाबुल इस्तिग़फ़ार वल इस्तिक्सारु मिन्हू : 2703; अहमद

: 2/275; इब्ने हिब्बान : 629) अस्हाबे सित्ता में से एक ने इसको रिवायत नहीं किया बाक़ी पाँच किताबों में मौजूद है।

जुंदुब बिन जुनादा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "क्या तुम जानते हो कि सूरज डूब जाता है तो कहाँ चला जाता है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। फ़र्माया कि वह अ़र्श के सामने आता है, सज्दा में गिर पड़ता है, फिर उठता है ताकि उससे कहा जाए कि अपना रुख़ बदल दे। और ऐ अबू ज़र्र (रज़ि.)! क़रीब है वह दिन कि कहा जाएगा कि पिछले पैर गर्दिश कर और याद रखो कि उस दिन अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाना, कुफ़्र को छोड़ देना कुछ फ़ायदा न पहुँचाएगा।" (सह़ीह़ बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तुश्शम्स वल क़मर : 3199; बिदूनि ज़िक्रे हाज़िहिल आयत; सह़ीह़ मुस्लिम :159; इब्ने हिब्बान : 6153; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11176)

एक दूसरी ह़दीस : अपने हुज्रे से रसूलुल्लाह (ﷺ) निकलकर आए, हम क़यामत के बारे में बातें करने बैठे थे, नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माने लगे कि "उसकी निशानियाँ जब तक ज़ाहिर न हो जाएँगी क़यामत न होगी। सूरज का मग़्रिब से तुलूअ होना, एक ज़बरदस्त धुआँ उठना, दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना, याजूज-माजूज का निकल आना, ईसा बिन मरयम (अ.) का नुज़ूल, दज्जाल का निकलना, तीन ज़लज़ले और ज़मीन का धंस जाना। एक मश्रिक़ में, एक मग़्रिब में, एक जज़ीर-ए-अ़रब में। बीच अ़द्न से एक आग का नमूदार होना, कि जिसकी वजह से लोग भागे दौड़े फिर रहे होंगे, वह रात को कहीं सोना चाहते होंगे तो वहाँ भी मौजूद और दिन को कहीं लेटना चाहते होंगे तो वहाँ भी ह़ाज़िर।" (सह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल फ़ितन, बाब फ़िल आयातिल्लती तकूनु क़ब्लस्साअ़ति : 2901; अबूदाऊद : 4311; तिर्मिज़ी : 2183; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11380; इब्ने माजा : 4041; अह़मद : 4/6; इब्ने हिब्बान : 6791)

ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मग़्रिब की त़रफ़ से सूरज के निकलने की निशानी क्या है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "उस दिन रात इतनी लम्बी हो जाएगी कि दो रातों के बराबर। रातों को नमाज़ पढ़ने वाले जाग उठेंगे और जिस त़रह़ नमाज़े तहज्जुद पढ़ते थे पढ़ेंगे, सितारे अपनी जगह क़ायम दिखाई देंगे, डूबेंगे नहीं। यह लोग सो जाएँगे, फिर उठेंगे, फिर नमाज़पढ़ेंगे, फिर सो जाएँगे, फिर उठेंगे, लेटे लेटे उनके पहलू सुन हो जाएँगे। रात बहुत लम्बी हो जाएगी, लोग घबरा जाएँगे और सुबह़ होगी नहीं। इस इंतिज़ार में होंगे कि सूरज मश्रिक़ से तुलूअ होगा कि यकायक वह मग़्रिब से निकलता दिखाई देगा। अब ईमान लाने से कुछ फ़ायदा न होगा।" इब्ने मर्दवे ने इसको रिवायत किया है लेकिन इस मज़्मून के साथ सिह़ाहे सित्ता की किसी किताब में मौजूद नहीं।

ह़दीस : स़फ़्वान बिन अ़स्साल (रज़ि.) कहते हैं कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआ़ला ने मग़्रिब की त़रफ़ एक दरवाज़ा खोल रखा है जिसकी लम्बाई सत्तर साल की मसाफ़त है यह तौबा का दरवाज़ा है। सूरज के रुख़ बदलकर निकलने से पहले बन्द न होगा।" (तिर्मिज़ी, किताबुद्दअ़वात, बाब **मा जाअ फ़ी**

फ़ज़िलत्तौबति वल इस्तिग़फ़ार वमा ज़िक्रु मिर्रहमतिल्लाहि लि इबादिही : 3535; वहुव हसन; इब्ने माजा : 4070; अहमद : 4/241; इब्ने हिब्बान : 1321) तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने इसको नक़ल किया है।

हदीस : "एक रात लोगों पर ऐसी आयेगी जो तीन रातों के बराबर होगी, जब ऐसा होगा तो तहज्जुद पढ़ने वाले पहचान लेंगे वह नफ़्ल पढ़ेंगे, सो जाएँगे। उठेंगे फिर पढ़ेंगे फिर बार-बार ऐसा ही करेंगे कि यकायक एक शोर उठेगा लोग चीख़ पुकार शुरु कर देंगे, डरकर मस्जिदों की तरफ़ भागेंगे क्योंकि सूरज मग़्रिब से तुलूअ हुआ होगा। अब वह वस्ते आमसान (बीच आसमान) तक आकर फिर मग़्रिब की तरफ़ वापिस जाएगा। उसके बाद हस्बे आदत मश्रिक़ से निकलता रहेगा उस वक़्त ईमान लाना बेकार है।" (इसकी सनद में ज़र्रार बिन सुर्द मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 2/327; रक़म : 3951) जिसकी वजह से यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) यह हदीस ग़रीब है और सिहाहे सित्ता की किसी किताब में नहीं।

हदीस : तीन मुसलमान मदीना में मरवान (रज़ि.) के पास थे और वह आयाते क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे कि दज्जाल का निकलना क़यामत की निशानी है। अब यह लोग अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के पास आए और मरवान से जो सुना था, बयान किया। उन्होंने कहा, मरवान ने तो कुछ नहीं कहा। मैंने जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनकर याद रखा है तुमको सुनाता हूँ।" पहली निशानी यह कि सूरज मग़्रिब से निकलेगा, फिर दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना होगा या कोई एक पहले और फिर दूसरी निशानी उसके बाद ज़ाहिर होगी।" (अहमद : 2/201; व सनदुहू सहीहुन)

अम्र बिन आस (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब सूरज मग़्रिब से तुलूअ होगा तो इब्लीस सज्दे में गिर पड़ेगा और चिल्लाएगा कि या रब! मुझे हुक्म करता कि तू जिसको कहेगा सज्दा करूँ, तो उसके निगरानकार जमा होकर कहेंगे कि यह सब तज़र्रोअ (डर) क्यूँ है, तो कहेगा कि मैंने अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की थी कि "वक़्ते मालूम तक मुझे मोहलत दे" और आज ही का दिन वक़्ते मालूम है। फिर दाब्बतुल अर्ज़ निकलेगा। पहला क़दम जो वह रखेगा, इंताकिया में होगा। इब्लीस आकर उसको थप्पड़ मारेगा।" (अल्मुअजमुल औसत : 94; मज्मउज़्ज़वाइद : 8/11; इसकी सनद में इस्हाक़ बिन इब्राहीम बिन ज़बरीक़ मुतकल्लम फ़ीही (अल्मीज़ान : 1/181; रक़म : 730) और इब्ने लहीआ मुख़्तलत (अत्तक़रीब : 1/44; रक़म : 574) रावी हैं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) यह हदीस ग़रीब है। इसकी सनद ज़ईफ़ है शायद इब्नुल आस (रज़ि.) ने उस ज़ख़ीरा में से यह हदीस ली होगी जिसको उन्होंने जंगे यरमूक में पड़ा हुआ पाया था, वल्लाहु आलम! इब्नुस्सअदी से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हिज्रत मुंक़तअ नहीं होगी जब तक कि दुश्मन जंग कर रहा है और तंग कर रहा है।" मुआविया, और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हिज्रत दो क़िस्म की है। एक तो बुराइयों से हिज्रत करके नेकियों की तरफ़ आना और दूसरी अल्लाह तआला और रसूल (ﷺ) की तरफ़ करो और यह बाक़ी रहेगी जब तक कि तौबा का दरवाज़ा बन्द नहीं होगा और सूरज जब तक मग़्रिब से न निकलेगा तो हर

शख़्स के दिल पर मुहर लग जाएगी जो कुछ उसके अन्दर होगा सो बस वही है और जो अमल हो चुका होगा बस हो चुका।"(अहमद : 1/192; व सनदुहू हसन) यह हदीस अच्छे इस्नाद वाली है।

इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि आयाते क़यामत में से सब गुज़र गईं, चार निशानियाँ आना बाक़ी हैं। तुलूअे शम्स मग़्रिब से, दज्जाल, दाब्बतुल अर्ज़, याजूज माजूज, और वह निशानी जो आमाल पर मुहर लगा देगा वह तुलूअे शम्स है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से एक हदीस मरफ़ूअन ज़िक्र है। हदीस लम्बी और ग़रीब है।

इसकी सनद नहीं, वह यह है कि सूरज और चाँद उस दिन मिलकर मग़्रिब से निकलेंगे और आधा आसमान तक पहुँचकर उल्टे पैर वापिस हो जाएँगे। (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/114; इसकी सनद में अब्दुल मुन्इम बिन इदरीस अल्यमानी मतरूक रावी है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे ज़ाहिबुल हदीस कहा है (अल्मीज़ान : 2/668; रक़म : 527) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ व मरदूद है।) यह हदीस मुंकर और मनगढ़त है लेकिन इसके मरफ़ूअ होने का दावा किया गया है और वक़्फ़े रावी इब्ने अब्बास (रज़ि.) और वहब बिन मुनब्बा (रह.) तक आकर होता है इसलिए बिलकुल यह भी इसको दूर नहीं कर सकते, वल्लाहु आलम!

हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि "पहली अलामत के ज़ाहिर होते ही किरामन कातिबीन का काम पूरा हो जाएगा और अज्साद (लोगों) के आमाल पर गवाही देने का वक़्त आ जाएगा और उससे पहले ही जो साहिबे ईमान था और नेक अमल भी करता था तो वह बड़े फ़ायदा में रहेगा और अगर नेक न हो और तौबा करने लगे तो अब तौबा से क्या हासिल" और **(कसबत् फ़ी ईमानिहा ख़ैरन)** का यही मतलब है यानी अब अमले सालेह क़बूल नहीं किया जाएगा, जबकि वह उससे पहले अमले सालेह नहीं करता था। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ऐ नबी (ﷺ)! कह दो उस दिन का तुम भी इंतिज़ार करो, मैं भी इंतिज़ार करता हूँ। यह काफ़िरों के लिए सख़्त तम्बीह है जो अपने ईमान और तौबा से ग़ाफ़िल रहे हत्ता कि वक़्त आ पहुँचे। जैसाकि फ़र्माया, यह बेसमझ वक़्ते क़यामत का इंतिज़ार कर रहे हैं कि नागहाँ (अचानक) वारिद हो जाए। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मौक़ा कहाँ बाक़ी रहेगा। (47/मुहम्मद : 18) इर्शाद होता है कि जब वह हमारा अज़ाब देखेंगे तो कहेंगे कि हम अल्लाह तआला वाहिद पर ईमान लाए और शुरका से मुंकिर हो गए। लेकिन अज़ाब देख लेने के बाद ईमान की सारी बातें बेकार हैं। (40/ग़ाफ़िर : 84)

***

اِنَّ الَّذِیۡنَ فَرَّقُوۡا دِیۡنَهُمۡ وَكَانُوۡا شِیَعًا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ ؕ اِنَّمَاۤ اَمۡرُهُمۡ اِلَی اللّٰهِ ثُمَّ یُنَبِّئُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا یَفۡعَلُوۡنَ ﴿۱۵۹﴾

तर्जुमा : "बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को अलग-अलग कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं, बस उनका मामला अल्लाह तआला के हवाले है। फिर उनको उनका किया हुआ जतला देंगे।" (159)

फ़िर्क़ापरस्त(गुटबाज़)लोगों से आप(ﷺ) का कोई रिश्ता नहीं (आयत 159) : यह आयत यहूद व नसारा के बारे में उतरी है। यहूद व नसारा मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने से पहले आपस में इख़्तिलाफ़ रखते थे और अपना अपना दीन अलग क़रार देते थे। (तब्री : 12/269) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मब्ऊस हुए तो यह आयत उतरी कि जिन लोगों ने अपने दीनों में तफ़र्क़ा डाल लिया और गिरोहबन्दियाँ कर लीं तुम्हें उनसे कोई सरोकार नहीं, उन्हें भी तुमसे कोई सरोकार नहीं। यह अहले बिदअत, अहले शुब्हात, और अहले ज़लालत हैं और इसी उम्मत में हैं। (इसकी सनद में इबाद बिन कसीर मतरूक रावी है। जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फ़र्माया, यह रिवायत मौक़ूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह से ज़ईफ़ व मर्दूद है।) लेकिन इस हदीस में एक सनद ठीक नहीं है। अबू हुरैरा (रज़ि.) इस आयत के बारे में कहते हैं कि इसी उम्मत के बारे में नाज़िल हुई है। (वकानू शियअन) से ख़्वारिज मुराद हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से फ़र्माया कि "इससे अस्हाबे बिदअत मुराद हैं।" यह हदीस भी ग़रीब है और मरफ़ूअन भी सहीह नहीं है। और ज़ाहिर बात तो यह है कि यह आयत आम है हर उस शख़्स के लिए जो अल्लाह तआला के दीन में फ़िर्क़ाबन्दी इख़्तियार किए हुए हो और मुख़ालिफ़े दीन हो। इसलिए कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) को दीने हक़ के साथ मब्ऊस फ़र्माया है ताकि तमाम अदयान (धर्मों) पर दीने इस्लाम ग़ालिब फ़र्माए और इस्लाम का रास्ता एक ही है उसमें कोई इख़्तिलाफ़ व इफ़्तिराक़ नहीं, जिसने अलग फ़िर्क़ा इख़्तियार किया जैसे कि बहत्तर (72) फ़िर्क़े वालों ने, तो अल्लाह तआला का रसूल (ﷺ) उससे बरी है। यह आयत मिस्ल उस आयत के है जैसे कि फ़र्माया है, "ऐ नबी (ﷺ)! तुम्हारे लिए भी हमने वही दीन पसंद किया है जो नूह (अ.) के लिए किया था।" (42/शूरा : 13) और हदीस में है कि "हम गिरोहे अम्बिया (अ.) गोया कि अल्लाती औलाद हैं, जैसे अल्लाती औलाद का बाप एक ही होता है हम सबका दीन भी एक ही है। (इसकी तख़रीज सूरतुल माइदा 48 के तहत गुज़र चुकी है।) और यही सिराते मुस्तक़ीम है और यही वह हिदायत है जो अल्लाह तआला वाहिद की इबादत के बारे में रसूलों ने पेश की और आख़िरी रसूल (ﷺ) की शरीअत से तमस्सुक को सिराते मुस्तक़ीम बनाया। इसके सिवा सारी चीज़ें ज़लालतें और जिहालतें हैं और अपनी ज़ाती ख़्वाहिशात हैं।" पैग़म्बर उससे बरी हैं। जैसाकि आयत ज़ेरे ज़िक्र में फ़र्माया "ऐ नबी (ﷺ)! तुम पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं।" फिर इर्शाद होता है कि इन काफ़िरों का मुआमला अल्लाह तआला के सुपुर्द कर दो वह क़यामत के दिन इनके आमाल से इनको

बाख़बर कर देगा। जैसे कि एक जगह फ़र्माया है, जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बने या सितारापरस्त या जो नसारा और मजूसी हैं या जो मुश्रिकीन हैं क़यामत के दिन अल्लाह तआला उनका बाहम फ़ैसला कर देगा। (22/हज्ज : 17) अब इसके बाद अल्लाह तआला क़यामत के दिन अपने हुक्म और अदालत के अंदर भी अपने लुत्फ़ो करम को यूँ बयान करता है।

***

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

तर्जुमा : "जो शख़्स नेक काम करेगा उसको उसके दस हिस्से मिलेंगे और जो शख़्स बुरा काम करेगा उसके बराबर ही सज़ा मिलेगी और उन लोगों पर ज़ुल्म न होगा।" (160)

नेकी का सवाब कई गुना जबकि बदी एक ही लिखी जाती है (आयत 160) : यह आयते करीमा तफ़्सील से रोशनी डाल रही है और इसके बाद की आयत में इज्माल है इस आयत की मुताबिक़त में बहुत सी अहादीस हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया (यहाँ आप ﷺ अल्लाह तआला से रिवायत करते हुए फ़र्मा रहे हैं) "तुम्हारा रब अज़्ज़ व जल्ल बड़ा रहीमो करीम है। किसी शख़्स ने अगर किसी नेक काम का इरादा किया लेकिन अमल में न ला सका तो भी उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और अगर अमल कर लिया तो दस नेकियाँ लिखी जाती हैं। यह इज़ाफ़ा हुस्ने निय्यत का लिहाज़ करते हुए सात सौ गुना तक भी जा पहुँचता है। और अगर किसी ने एक गुनाह का इरादा किया लेकिन उसको अमल में न लाया तो उसके लिए भी एक नेकी दर्ज हो जाती है और अगर वह गुनाह का इर्तिकाब कर बैठे तो गुनाह दस नहीं बल्कि एक लिखा जाएगा और अगर चाहे तो उसको भी मिटा देता है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब **मिन्हुम बि हसनतिन अव बि सय्यिअतिन** : 6491; सहीह मुस्लिम : 131; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 7670; अहमद : 1/279) अबू ज़र्र (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिसने एक नेक अमल किया उसको दस हिस्से से ज़्यादा सवाब है बल्कि उससे भी बढ़कर। और अगर एक बुराई की तो उसकी सज़ा एक हिस्सा ही है बल्कि शायद वह भी मुआफ़ हो जाए। अल्लाह तआला कहता है जो मुझसे मिले और दुनिया भर की ख़ताएँ भी लाए लेकिन शिर्क न लाए तो भी मैं उस पर इतनी ही मग़्फ़िरत करूँगा। जो मेरी तरफ़ एक बालिश्त बढ़ता है मैं उसकी तरफ़ एक हाथ बढ़ता हूँ, और जो एक हाथ बढ़ता है मैं दो हाथ बढ़ता हूँ और जो मेरी तरफ़ चलकर आता है मैं उसके पास दौड़कर आता हूँ। (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़िक्र वद्दुआ, बाब फ़ज़्लुज़्ज़िक्र वद्दुआइत्तक़रीब इलल्लाहि तआला व हुस्निज़्ज़न्न बिही... : 2687; इब्ने माजा : 3821; अहमद : 5/153) यहाँ यह जान लेना ज़रूरी है कि जिस शख़्स ने गुनाह का इरादा किया फिर उसको अमल में लाया हो उनकी तीन क़िस्में हैं। कभी तो ऐसा होता है कि अल्लाह तआला से डरकर गुनाह का इरादा

छोड़ देता है। ऐसे शख़्स को भी गुनाह से रुकने की वजह से एक नेकी दी जाएगी।'' और यह चीज़ अमल और निय्यत पर मौक़ूफ़ है और इसीलिए उसके वास्ते एक नेकी लिखी जाती है जैसे कि हदीसे सहीह में वारिद है कि ''उसने गुनाह का काम मेरी ख़ातिर तर्क कर दिया था। और कभी यूँ भी होता है कि गुनाह का काम वह शख़्स बावजूद इरादा के भूलकर छोड़ देता है, तो अब उसके लिए न सज़ा है न जज़ा।'' क्योंकि उसने ख़ैर की निय्यत तो नहीं की थी लेकिन शर का काम भी नहीं किया था। और कभी यूँ भी होता है कि कोई शख़्स गुनाह को अमल में लाने की कोशिश करता है उसके अस्बाब फ़राहम करता है लेकिन अमलन वह उसको अन्जाम देने से आजिज़ रह जाता है और मजबूर हो जाना पड़ता है। ऐसा शख़्स अगरचे मुर्तकिबे गुनाह न हुआ हो लेकिन बमंज़िला मुर्तकिब ही के समझा जाएगा और उसे सज़ा मिलेगी जैसे कि हदीसे सहीह में वारिद है कि ''अगर दो मुसलमान दो तलवारें लेकर आपस में लड़ने लगें तो क़ातिल व मक़्तूल दोनों जहन्नमी हैं।'' लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ातिल तो ज़ाहिर है कि जहन्नमी होगा लेकिन बेचारा मक़्तूल क्यूँ जहन्नमी हो। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''वह भी तो अपने साथी को क़त्ल करने के दर पे था।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब (व इन ताइफ़तानि मिनल मोमिनीनक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा...) : 31; सहीह मुस्लिम : 2888; अबूदाऊद : 4268; अहमद : 7/46, 47; इब्ने हिब्बान : 5945; बैहक़ी : 8/190) अगर मक़्तूल का दाव चल जाता तो वही क़ातिल बन जाता। अब अगर वह क़ातिल नहीं बना है तो यह एक मजबूरी की बिना पर था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''जिसने किसी नेकी का इरादा कर लिया हो तो उसके अमल में लाने से पहले ही उसके नाम एक नेकी लिख दी जाती है और अगर अमल में ला चुका तो मिन जानिब अल्लाह तआला दस नेकियाँ उसके नामा-ए-आमाल में लिख दी जाती हैं। लेकिन जिसने किसी गुनाह का इरादा किया तो सिर्फ़ इरादा की बिना पर उसके नाम गुनाह का इंद्राज नहीं होगा जब तक कि वह अमल न करे। पस अगर अमल कर ले तो दस गुनाहों के बजाय एक गुनाह उसके नाम पर लिखा जाएगा। और इरादे के बावजूद उस गुनाह से दूर हो गया तो बिला अमल भी एक नेकी का इंद्राज हो जाता है क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि उसका गुनाह से दूर रहना मुझसे डरने की बिना पर था।''

आमाल की छः क़िस्में यह हैं : ख़ुरैम बिन फ़ातिक असदी (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''लोग चार क़िस्म के होते हैं और आमाल छः क़िस्म के। कुछ तो दुनिया और आख़िरत दोनों जगह ख़ुशनसीब निकलते हैं आर कुछ सिर्फ़ दुनिया में साहिबे नसीब होते हैं और आख़िरत में साहिबे नसीब नहीं होते। और कुछ दुनिया में बदनसीब होते हैं और आख़िरत के लिहाज़ से साहिबे नसीब और कुछ बदबख़्त तो दुनिया और आख़िरत दोनों जगह बदनसीब साबित होते हैं।''

दो क़िस्में तो वाजिब कर देने वाली यानी बराबर को बराबर बदला मिलेगा या दस गुना ज़्यादा या सात सौ गुनाह ज़्यादा। दूसरी नतीजा बख़्श चीज़ें दो हैं। यानी कोई शख़्स मोमिन मर जाए और उसने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो तो नतीजा में जन्नत उसके लिए है। और जो काफ़िर मर गया हो तो नतीजे में उसके लिए दोज़ख़ है। और जिसने नेकी का इरादा किया लेकिन अमल में न ला सका तो अल्लाह तआला तो जानता है कि उसके दिल में यह बात थी और वह उसको अमल में लाने पर हरीस था इसलिए उसके

लिए नेकी लिख दी जाती है। और किसी ने अल्लाह तआला की राह में कुछ नफ़्क़ा (ख़र्च) किया तो कभी तो दस हिस्से ज़्यादा सवाब मिलता है और कभी उसके हस्बे हुस्ने निय्यत सात सौ तक अज्र में इज़ाफ़ा हो सकता है। (तिर्मिज़ी, किताब फ़ज़ाइलुल जिहाद, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लिन्नफ़्क़ति फ़ी सबीलिल्लाह : 1625; व सनदुहू सहीहुन; नसाई : 3188; अहमद : 4/345; इब्ने हिब्बान : 31; इब्ने अबी शैबा : 2/38) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "नमाज़े जुम्आ में तीन आदमी हाज़िर होते हैं। एक तो ऐसे कि जो बतौरे रस्म आ गए उनका आना तो लग़्व है और उनका हिस्सा भी लग़्व है। दूसरा ऐसा शख़्स जो मस्जिद में हाज़िर होकर दुआ करता है लेकिन अल्लाह तआला चाहे तो उसकी दुआ क़बूल करे और चाहे तो न करे। तीसरा ऐसा शख़्स है जो मस्जिद में हाज़िर होकर बिलकुल ख़ामोश रहता है। नमाज़ियों की गर्दनें फाँदता हुआ आगे नहीं बढ़ता है। किसी को धक्के नहीं देता और तक्लीफ़ नहीं पहुँचाता तो अब आइन्दा जुम्आ तक और उसके बाद और तीन दिन तक भी उसकी यह नमाज़ गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाती है और यह उसी वजह से है कि अल्लाह पाक ने फ़र्माया है कि तुम एक नेकी करो तो दस हिस्से उसका अज्र दूँगा।" (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाबुल्कलाम वल इमामु यख़्तुब : 1113; व सनदुहू हसन)

अबू ज़र्र (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जो हर महीने तीन दिन रोज़े रखे तो उसने गोया साल भर के रोज़े रख लिए।" यह अज्र भी इसी उसूले मौज़ूआ की बिना पर है क्योंकि अल्लाह तआला ने इसकी तस्दीक़ अपनी किताब में फ़र्मा दी है। (तिर्मिज़ी, किताबुस्सौम, बाब मा जाआ फ़ी सौमि सलासति अय्यामिम मिन कुल्लि शहरिन : 762; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू उस्मान बिन सय्यदुना अबू ज़र्र (रज़ि.) के बीच एक मज्हूल रावी का वास्ता है। नसाई : 2411; इब्ने माजा : 1708; अहमद : 5/154) चुनाँचे एक दिन का रोज़ा दस दिन के बराबर, तो साल भर में छत्तीस रोज़ों का अज्र तीन सौ साठ रोज़ों का अज्र बन जाता है। और इब्ने मसऊद (रजि.) से मरवी है नीज़ सल्फ़ की एक जमाअत से मंक़ूल है कि आयत **(मन जाअ बिल हसनति फ़लहू अश्रु अम्सालिहा)** में हसना से मुराद कलिमा-ए-तौहीद यानी **(ला इलाहा इल्लल्लाहु)** है और **(मन जाअ बिस्सय्यिअति...)** में लफ़्ज़ **(सय्यिअति)** से शिर्क मुराद है। इस आयत की तफ़्सीर में और भी बहुत सी अहादीस आई हुई हैं लेकिन मैंने जिस क़द्र बयान कीं, वही बहुत काफ़ी है।

***

قُلْ اِنَّنِیْ هَدٰىنِیْ رَبِّیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۚ دِیْنًا قِیَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِیْمَ حَنِیْفًا ۚ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۝١٦١ قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝١٦٢
لَا شَرِیْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ ۝١٦٣

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बतला दिया है कि वह एक दीन है मुस्तहकम जो तरीक़ा है इब्राहीम (अ.) का, जिसमें ज़रा टेढ़ापन नहीं। और वह शिर्क करने वालों में से न थे। (161) आप कह दीजिए कि बिलयक़ीन मेरी नमाज़ और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना यह सब ख़ालिस अल्लाह तआला ही के लिए है जो मालिक है सारे जहान का। (162) उसका कोई शरीक नहीं और मुझको इसी का हुक्म हुआ है और मैं सब मानने वालों से पहला मानने वाला हूँ।" (163)

नबी (ﷺ) पर इन्आमाते इलाही (आयत 161-163) : अल्लाह तआला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि उन्हें ख़बर दो कि अल्लाह तआला ने नबी अकरम (ﷺ) पर कैसे कैसे इन्आमात किए हैं कि सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़ उनकी हिदायत की जिसमें कोई कजी नहीं है जो एक दीन पर क़ायम है और जो मिल्लते इब्राहीम है। वह यक्सू होकर अल्लाह तआला की इबादत करने वाले थे। उन्होंने कभी शिर्क नहीं किया। जैसाकि फ़र्माया कि मिल्लते इब्राहीम से नासमझ के सिवा कौन रूगर्दानी करेगा। (2/बक़रह : 13) और फ़र्माया कि अल्लाह तआला की राह में ऐसी कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक़ है। उसने तुमको सबसे बरगुज़ीदा बनाया और दीन के बारे में कोई तंगी तुम्हारे बारे में नहीं रखी। यह वही तुम्हारे बाप इब्राहीम (अ.) का मज़हब है और मस्लक है। (22/हज्ज : 78) और फ़र्माया कि इब्राहीम (अ.) बड़े अल्लाह वाले थे, वह मुख़्लिस शख़्स थे और शिर्क से हमेशा दूर रहे। अल्लाह तआला की नेअमतों के शुक्रगुज़ार रहे। हमने उसे सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़ हिदायत की थी। दुनिया में भी उनको नेकियाँ हासिल थीं और आख़िरत में भी वह नेकतरीन बन्दों में शामिल है। अब हम तुम्हारी तरफ़ वही भेजते हैं कि मिल्लते इब्राहीम की पैरवी करो। (16/नहल : 120-123) इस बरतरी के ऐतिराफ़ से यह लाज़िम नहीं आता कि नबी अकरम (ﷺ) को चूँकि इत्तिबाअे मिल्लते इब्राहीम का हुक्म है इसलिए इब्राहीम (अ.) नबी अकरम (ﷺ) से अकमल व अफ़ज़ल हो गए। इसलिए कि हमारे नबी अकरम (ﷺ) ने उनके मस्लक को अपने इत्तिबाअ (मानने वालों से) से क़यामे अज़ीम बख़्शा है और उनके दीन की तक्मील आप (ﷺ) से हुई है। और कोई नबी इस दीन की तक्मील न कर सका और यह ख़ातिमुल अम्बिया हैं, औलादे आदम के मुत्लक़न सरदार हैं, और मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ हैं कि क़यामत के दिन सारी मख़्लूक़ आप (ﷺ) ही की तरफ़ रुजूअ करेगी, हत्ता कि ख़ुद ख़लील (अ.) भी। इब्ने अब्ज़ा अपने वालिद से रिवायत करते हुए कहते हैं कि जब सुबह होती तो नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माया करते कि "हम मिल्लते इस्लाम और कलिम-ए-इख़्लास पर सुबह करते हैं।" (अहमद : 3/406; व सनदुहू सहीहुन, अमलुल यौम वल्लैला : 1/133; दारमी : 2/292; इब्ने अबी शैबा : 6591; शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को सहीह क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीहा : 2989)

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा दीन अल्लाह तआला को पसंद है? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "इब्राहीम हनीफ़ (अ.) का दीन।" हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि मैं अपनी ठुड्डी नबी अकरम (ﷺ) की शाना पर रख देती और आप (ﷺ) की पीठ के पीछे होकर हब्शियों का खेल देखती और जब थक जाती तो हट जाती। उस दिन नबी अकरम (ﷺ) ने

फ़र्माया था कि "यहूद इस बात को जान लें कि हमारा दीन बहुत बड़ा है और मैं शिर्क से बिलकुल अलग रहने वाला दीन देकर भेजा गया हूँ।" (अहमद : 6/116; व सनदहू हसन; मुस्नदुल फ़िरदौस : 2/1/4) और फ़र्माया अल्लाह पाक ने कि कह दो "ऐ नबी (ﷺ)! मेरी नमाज़, मेरी सारी इबादतें, मेरा जीना और मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है।" और जैसाकि फ़र्माया कि "ऐ नबी (ﷺ)! तुम अपने रब ही के लिए नमाज़ पढ़ो और उसी के लिए क़ुर्बानी किया करो।" (108/कौसर : 2) मुश्रिकीन तो अस्नाम (बुतों) की इबादत करते थे, और अस्नाम के नाम पर क़ुर्बानी करते थे। अल्लाह पाक उनसे मुख़ालिफ़त और इंह्रिराफ़ का हुक्म देता है। और अल्लाह तआला से इख़्लास के साथ निय्यत व अज़्म का हुक्म है। चुनाँचे फ़र्माया कि मेरी नमाज़ और मेरी इबादत सबकुछ अल्लाह तआला ही के लिए है।" 'नस्क' ज़मान-ए-हज्ज व उमरा में क़ुर्बानी को कहते हैं। नबी अकरम (ﷺ) ने बक़र ईद के दिन दो दुंबे ज़िब्ह किए और ज़िब्ह करने लगे तो फ़र्माया (اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ اِنَّ صَلَاتِیْ) (अबूदाऊद, किताबुज़्ज़हाया, बाब मा यस्तहिब्बु मिनज़्ज़हाया : 2795; वहुव हसन; इब्ने माजा : 3121) अव्वलुल मुस्लिमीन से मुराद इस उम्मत का पहला मुसलमान। तमाम अम्बिया (अ.) आप (ﷺ) से पहले इस्लाम ही की दावत देते थे। असल इस्लाम अल्लाह तआला को मअबूद मानना है और उसको **वहदहू ला शरीक लहू** समझना है। जैसाकि फ़र्माया कि हमने तुमसे पहले जितने भी रसूल भेजे उन सबकी तरफ़ यही वह्यी (अल्लाह का पैग़ाम) थी कि अल्लाह तआला एक ही है, कोई उसका शरीक नहीं और उसी की इबादत करो। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि नूह (अ.) अपनी क़ौम से कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे चेहरा फेरते हो तो क्या मैंने तुमसे तब्लीग़ व तालीम का कोई मुआवज़ा मांगा था? मुझे तो अज्र अल्लाह तआला देगा मुझे तो हुक्म है कि सबसे पहले मैं इस्लाम लाऊँ। और फ़र्माया जो मिल्लते इब्राहीम से ऐराज़ करता है वह बड़ा ही बेसमझ है। हमने उनको दुनिया में भी इंतिख़ाब किया है और वह आख़िरत में भी बड़े अल्लाह वालों में से हैं। जब अल्लाह तआला ने इब्राहीम (अ.) से कह दिया कि इस्लाम लाओ। वह फ़ौरन बोल उठे (अस्लम्तु लि रब्बिल आलमीन) इब्राहीम (अ.) ने अपने बेटों को वसिय्यत की थी और यअक़ूब (عليه السلام) ने भी, कि ऐ लड़को! अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए इस दीन को मख़्सूस कर दिया है। न मरना जब तक कि मुसलमान न रहो। और यूसुफ़ (अ.) ने फ़र्माया था कि ऐ रब! तूने मुझे मुल्क व दौलत बख़्शी और मुझे ख़्वाबों की ताबीर और बातों की तावील सिखाई। तू आसमान व ज़मीन का पैदा करने वाला है, तू दुनिया व आख़िरत में मेरा वली है, तू मुझे मरने तक मुसलमान ही रख और मरने के बाद सालिहीन में मेरा शुमार कर। (12/यूसुफ़ : 101) और मूसा (अ.) ने कहा था ऐ लोगो! अगर तुम ईमान रखते हो तो अल्लाह तआला ही पर भरोसा करो, तो उनकी उम्मत ने कहा था कि अपने रब ही पर तवक्कल करते हैं कि ऐ रब! हमें ज़ालिमों का निशाना न बना, और अपनी रहमत से उन काफ़िरों के तसल्लुत से हमें नजात अता फ़र्मा। (10/यूनुस : 84-86) और फ़र्माया कि हमने तौरात नाज़िल फ़र्माई जिसमें हिदायत है और नूर है जिसके ज़रिये उनके बाद इस्लाम लाने वाले अम्बिया यहूदियों और रब्बानिय्यून और अहबार के बीच फ़ैसले फ़र्माया करते थे। (5/माइदा : 44) और फ़र्माया कि जब हमने हवारियों से कहा कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ तो कहने लगे हाँ! हम ईमान लाए और ऐ अल्लाह! तू गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। (5/माइदा : 111)

चुनाँचे अल्लाह तआला ने ख़बर दी है कि उसने तमाम रसूलों को इस्लाम देकर भेजा था लेकिन अम्बिया की यह उम्मतें अपनी अपनी शरीअत के लिहाज़ करते हुए अलग अलग मस्लक पर थीं और कुछ नबी कुछ के फ़ुरूई मस्लक को नस्ख़ करके अपना मस्लक जारी करते यहाँ तक कि शरीअते मुहम्मदी के ज़रिये दूसरे सब अदयान (धर्म) मंसूख़ हो गए और दीने मुहम्मदी कभी मंसूख़ नहीं होगा, हमेशा क़ायम और मंसूर रहेगा। क़यामे क़यामत तक उसके झण्डे बुलंद रहेंगे। इसीलिए नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "हम नबियों की जमाअत अल्लाती औलाद हैं यानी जैसे अल्लाती औलाद का बाप एक होता है हम सबका दीन भी एक है। (इसकी तख़रीज सूरतुल माइदा आयत 28 के तहत गुज़र चुकी है।) सब वह्दहू ला शरीक लहू को मानते हैं उसी की इबादत करते हैं। अगरचे शरीअतें बदली हुई हों। यह शरीअतें बमंज़िला माओं के हैं जैसाकि अख़्याफ़ी भाई उसके बरअक्स होते हैं कि माँ एक ही होती है और बाप अलग अलग होते हैं और हक़ीक़ी भाई एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद होते हैं। तो गोया उम्मत की मिसाल बाहम सगे भाईयों की तरह है।" हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) जब नमाज़ की तक्बीर कहने लगे तो यह कहकर शुरू करते (**اللھم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی و انا عبدک ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی فاغفرلی ذنوبی جمیعا لا یغفر الذنوب الا انت واھدنی لاحسن الاخلاق لا یھدی لاحسنھا الا انت واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت تبارکت و تعالیت استغفرک واتوب الیک**) (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब सलातन्नबी (ﷺ) व दुआउहू बिल्लैलि : 771; अबूदाऊद : 760; तिर्मिज़ी : 3422; नसाई : 1292; अहमद : 1/102; इब्ने हिब्बान : 1771)

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۭ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह तआला के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ हालाँकि वह मालिक है हर चीज़ का और जो शख़्स भी कोई अमल करता है वह उसी पर रहता है और कोई दूसरे का बोझ न उठाएगा फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा। फिर वह तुमको जतला देंगे जिस जिस चीज़ में तुम इख़्तिलाफ़ करते थे।" (164)

अस्लाफ़ को अख़्लाफ़ के नेक आमाल का सवाब मिलता है (आयत 164) : ऐ नबी (ﷺ)! इन मुश्रिकीन से इख़्लासे इबादत और भरोसे (तवक्कुल) के बारे में कह दो कि मैं रब को छोड़कर किसी और को अपना रब बनाऊँ और वह तो हर उस चीज़ का रब है जिसको मैं रब बनाऊँगा। वह रब अकेला मेरी तर्बियत करता है, मेरी हिफ़ाज़त करता है, वह मेरे हर अम्र में मेरा मुदब्बिर (तदबीर करने वाला) है। मैं तो उसके सिवा किसी

और की तरफ़ नहीं झुकूँगा। क्योंकि सारी मख़्लूक़ उसी की है। हुक्म का हक़ सिर्फ़ उसी को है। ग़र्ज़ यह है कि इस आयत में इख़्लास व तवक्कल का हुक्म है जैसाकि इससे पहले की आयत में इख़्लासे इबादत की तालीम थी। और यह मज़्मून क़ुरआन में कसरत के साथ एक दूसरे से मिलता-जुलता देखा गया है। जैसाकि फ़र्माया कि तुम यूँ कहा करो कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। (1/अल फ़ातिहा : 5) और फ़र्माया, उसी की इबादत करो और उसी पर भरोसा करो और फ़र्माया कह दो वह रहमान है हम ईमान लाए और उसी पर तवक्कल किया। (67/मुल्क : 29) और फ़र्माया, वह मश्रिक़ व मग़्रिब का रब है, वह अकेला है, उसी को अपना वकील समझो। (73/मुज़म्मिल : 9) और इसी जैसी आयतें हैं। फ़र्माता है कि कोई शख़्स अगर नामुनासिब अमल करेगा तो उसके गुनाह का रद्दे अमल ख़ास उसी पर होगा। एक के गुनाह का बोझ दूसरा नहीं उठाएगा और उसका कफ़्फ़ारा नहीं बनेगा। इन आयतों के ज़रिये ख़बर दी जा रही है कि क़यामत के दिन जो सज़ा होगी वह हिक्मत और अद्ल की बुनियाद पर होगी, आमाल का बदला अमल करने वाले नुफ़ूस ही को मिलेगा। नेकी की तो नेक बदला और गुनाह किया तो बुरा बदला। एक की ख़ता दूसरे के सर नहीं मँढ़ी जाएगी। यही तो उसका अद्ल है। जैसाकि फ़र्माया कि गुनाह का काम कोई करे तो उसका बोझ कोई और नहीं उठाएगा ख़्वाह उसका कितना ही कोई क़रीबी क्यूँ न हो। (35/फ़ातिर : 18) (فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا) (20/ताहा : 112) की तफ़्सीर में उलमा ने कहा कि किसी पर ज़ुल्म नहीं किया जाएगा कि दूसरे के गुनाह का बोझ अपने सर ले और न यह ज़ुल्म होगा कि उसकी नेकी में से कुछ कमी हो। और फ़र्माया कि हर नफ़्स अपने बुरे अमल की वजह से महबूस रहेगा सज़ा मिलने तक छुटकारा न होगा मगर अस्हाबे यमीन (74/मुद्दस्सिर : 28) यानी सीधी तरफ़ वाले आज़ाद रहेंगे कि उनके नेक आमाल की बरकत से उनकी ज़ुर्रियत भी मोमिन बनती है तो ज़ुर्रियत के ईमान और आमाले सालिहा का असर उनके अस्लाफ़ तक पहुँचता है। यानी अस्लाफ़ को भी अख़्लाफ़ के आमाले नेक का सवाब मिलता है लेकिन अख़्लाफ़ के अजर में से कमी नहीं होती और जन्नत में मदारिजे आलिया में उनकी नेक ज़ुर्रियत के पास उनके अस्लाफ़ को भी हम पहुँचा देते हैं और बेटे की नेकी का बदला बाप को भी मिलता है अगरचे वह आमाले नेक में बेटे का शरीक नहीं था। और उन बुलंद मदारिज अख़्लाफ़ के सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी और दोनों को हम बराबर कर देंगे बल्कि अब्नाअ को भी मंज़िले आबाअ तक उनकी बरकते आमाल के सबब पहुँचा देता है। यह उसका ख़ास फ़ज़ल है और फ़र्माया कि हर आदमी अपने किए के लिए रहन है यानी अपनी बदकिरदारी के अंदर माख़ूज़ है। फिर फ़र्माया कि तुम अपने रब की तरफ़ ही लौटकर जाओगे। यानी जो करना चाहते हो अपनी जगह पर करो और हम भी अपनी जगह पर अपना काम करेंगे। आख़िर तुमको एक दिन तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा और वह अल्लाह तआला तो मोमिनीन और मुश्रिकीन सबको उनके आमाल से आगाह कर देगा और दुनिया में आख़िरत के बारे में जो इख़्तिलाफ़ात रखते थे सब अयाँ (ज़ाहिर) हो जाएँगी। और फ़र्माया कि ऐ नबी (ﷺ)! कह दो कि तुमने जो गुनाह किए होंगे उसकी बाबत सवाल हमसे नहीं होगा और हमारे आमाल की पुर्सिश तुमसे नहीं होगी। अल्लाह तआला हम सबको जमा करेगा फिर हक़ व इंसाफ़ के साथ फ़ैसला करेगा। वह फ़त्ताह व अलीम है। (34/सबा 25, 26)

***

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۶۵﴾

तर्जुमा : ''और वह ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में साहिबे इख़्तियार बनाया और एक का दूसरे पर रुत्बा बढ़ाया। ताकि तुमको आज़माए उन चीज़ों में जो तुमको दी हैं। बिल यक़ीन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है। और बिल यक़ीन वह वाक़ई बड़ी मग़्फ़िरत करने वाला मेहरबानी करने वाला है।'' (165)

दरजात की तक़्सीम एक आज़माइश (आयत 165) : इर्शाद होता है कि तुम एक के बाद एक ज़मीन में बस्तियाँ बसाते थे और अस्लाफ़ के बाद अख़्लाफ़ का ज़माना आता रहता था। एक दूसरे के जानशीन हुए। जैसाकि फ़र्माया, अगर हम चाहते तो तुम्हारे जानशीन तुम्हारी औलाद या किसी और को बनाने की बजाए फ़रिश्तों को बना देते और तुम्हारे बाद वह तुम्हारी जगह ले लेते। और फ़र्माया कि यह ज़मीन उसने तुम्हें एक के बाद एक को दी। और फ़र्माया कि मैं ज़मीन में एक अपना ख़लीफ़ा बनाना चाहता हूँ। और फ़र्माया मुम्किन है कि अनक़रीब तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुमको उसकी जगह पर ला बिठाए और फिर यह देखे कि उसके बाद तुम आकर किया किरदार पेश करते हो। और फ़र्माया कि एक से ऊपर एक के दरजात बनाए गए हैं यानी अर्ज़ाक़ (रोज़ी) और अख़्लाक़ और महासिन और मसावी, मनाज़िर और अश्काल (सूरत) व अलवान में सब एक दूसरे से कम ज़्यादा हैं। जैसाकि फ़र्माया हमने इनकी दुनियावी ज़िन्दगी में इनकी बाहमी मईशत को बांट दिया है और कुछ के दर्जे कुछ से ऊँचे रखे हैं। (43/ज़ुख़रुफ़ : 32) कोई अमीर है कोई ग़रीब और कोई आक़ा है और कोई उसका नौकर। और फ़र्माया, ग़ौर तो करो कि हम किसी को किसी पर कैसी बरतरी और तर्जीह देते हैं लेकिन दुनियावी दरजात से क़त्अे नज़र आख़िरत के दरजात बड़ी चीज़ हैं और बड़ी फ़ज़ीलत रखते हैं। और फ़र्माया कि यह तफ़रीक़े मदारिज इसलिए है ताकि हम तुम्हें आज़माएँ। दौलतमंद को दौलत देकर उससे पूछा जाएगा कि उस दौलत का शुक्र किस तरह अदा किया था। और ग़रीब से पूछा जाएगा कि अपनी ग़ुर्बत पर सब्र भी किया था या नहीं।

अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''दुनिया शादाब व सरसब्ज़ है। अल्लाह तआला ने दूसरों के बाद अब तुमको दुनिया से मुतमत्तअ होने का मौक़ा दिया है और तुम्हें उनका जानशीन बनाया। अब हम देखेंगे कि उनके बाद अब तुम क्या किरदार पेश करते हो। ऐ लोगो! दुनिया से डरो और औरतों से डरो। पहला फ़ित्ना जो बनी इस्राईल में पैदा हुआ था वह औरतों का ही था।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुर्रिक़ाक़, बाब अक्सरु अहलिल जन्नति अल फ़ुक़रा व अक्सरु अहलिन्नारि अन्निसाअ.... : 2742; तिर्मिज़ी : 2191; इब्ने माजा : 4000; अहमद : 3/19; मुस्नद अबी यअला : 1101; इब्ने हिब्बान

: 3221) और फ़र्माया कि "रब तआला जल्द ही सज़ा देने वाला है। यानी दुनिया की ज़िन्दगी जल्द ही ख़त्म होने वाली है और आक़िबत व सज़ा से सामना हो जाएगा और वह बड़ा ग़फ़ूर व रहीम भी है।"

यहाँ ख़ौफ़ भी दिलाया जा रहा है और तर्ग़ीब भी दी जा रही है कि उसका हिसाब और इक़ाब जल्द ही आ जाएँगे और अल्लाह की नाफ़र्मानी और रसूलों की मुख़ालिफ़त करने वाले पकड़े जाएँगे। जिसने अल्लाह तआला को दोस्ता बनाया, अल्लाह तआला उसका वाली और ग़फ़ूर व रहीम है। अक्सर जगह क़ुरआन में अल्लाह तआला की यह दोनों सिफ़तें यानी ग़फ़ूर व रहीम हमेशा साथ-साथ आई हैं। जैसाकि फ़र्माया कि तुम्हारा रब अपने बन्दों के गुनाहों को बख़्शने के बारे में बड़ा साहिबे मग़्फ़िरत है। और उसके साथ उसकी पकड़ भी बड़ी सख़्त होती है। (13/रअद : 6) और फ़र्माया, ऐ नबी! मेरे बन्दों से कह दो कि मैं ग़फ़ूर और रहीम हूँ, और मेरा अज़ाब भी बड़ा सख़्त अज़ाब है। (15/हिज्र : 29) तर्ग़ीब व तर्हीब पर मुश्तमिल आयात बड़ी कसरत से हैं। कभी तो बन्दों को जन्नत के सिफ़ात बयान करके तर्ग़ीब देता है और कभी दोज़ख़ का ज़िक्र फ़र्माकर उसके अज़ाब और क़यामत की होलनाकियों से डराता है और कभी एक साथ दोनों का ज़िक्र फ़र्माता है। अल्लाह तआला अपने अहकाम में हमें अपना इताअत गुज़ार बनाए और गुनहगारों के ज़ुम्रे (जमाअत) से दूर रखे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अगर मोमिन यह जान ले कि अल्लाह तआला का अज़ाब कितना सख़्त होता है तो कोई जन्नत की तमअ तक न करेगा कहेगा कि दोज़ख़ से छुटकारा पा जाऊँ तो बस है अगर काफ़िर यह मालूम कर ले कि अल्लाह तआला की रहमत कैसी ज़बरदस्त है तो वह भी जन्नत से मायूस न हो हालाँकि उसको जन्नत का हक़ ही नहीं है। अल्लाह तआला ने रहमत के सौ हिस्से रखे हैं उसमें से एक हिस्सा अपनी सारी मख़्लूक़ात के बीच बांट दिया कि उसी एक हिस्से की वजह से दुनिया में लोग और जानवर एक दूसरे पर रहम करते हैं और हमदर्दी करते हैं और बाक़ी निन्नान्वे हिस्से रहम के अल्लाह तआला ने अपने लिए रख लिए हैं।" (अहमद : 2/484; वहुव सहीहुन इस मअनी की रिवायत सहीह मुस्लिम 2755 में भी मौजूद है।) इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी रहमत कैसी ज़बरदस्त होगी। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला ने जब मख़्लूक़ को पैदा किया तो अपनी किताब लौहे महफ़ूज़ में लिख दिया है जो उसके पास फ़ौक़ल अर्श है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहेगी। (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तौहीद, बाब क़ौलुल्लाहि तआला **(व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहू)** : 7404; सहीह मुस्लिम : 2751; तिर्मिज़ी : 3543; इब्ने माजा : 4295; इब्ने हिब्बान : 6143; अहमद : 2/313) इसी एक हिस्से की यह बरकत है कि जानवर गाय ऊँटनी वग़ैरह भी बच्चे को कुचल देने से बचती है और बच्चा पैर के नीचे आ रहा हो तो बचती और एहतियात करती है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब **जअलल्लाहुर्रहमत फ़ी मिअति जुज़्अ** : 6000; सहीह मुस्लिम : 2752; इब्ने हिब्बान : 6148)

***

सूरह आराफ़

الاعراف

FLOW CHART
तरतीबी नक्शा-ए- रब्त

MACRO-STRUCTURE
नज़्मे जली

सूरह आ'राफ़

आयात:206 मक्की सूरह, पैराग्राफ:8

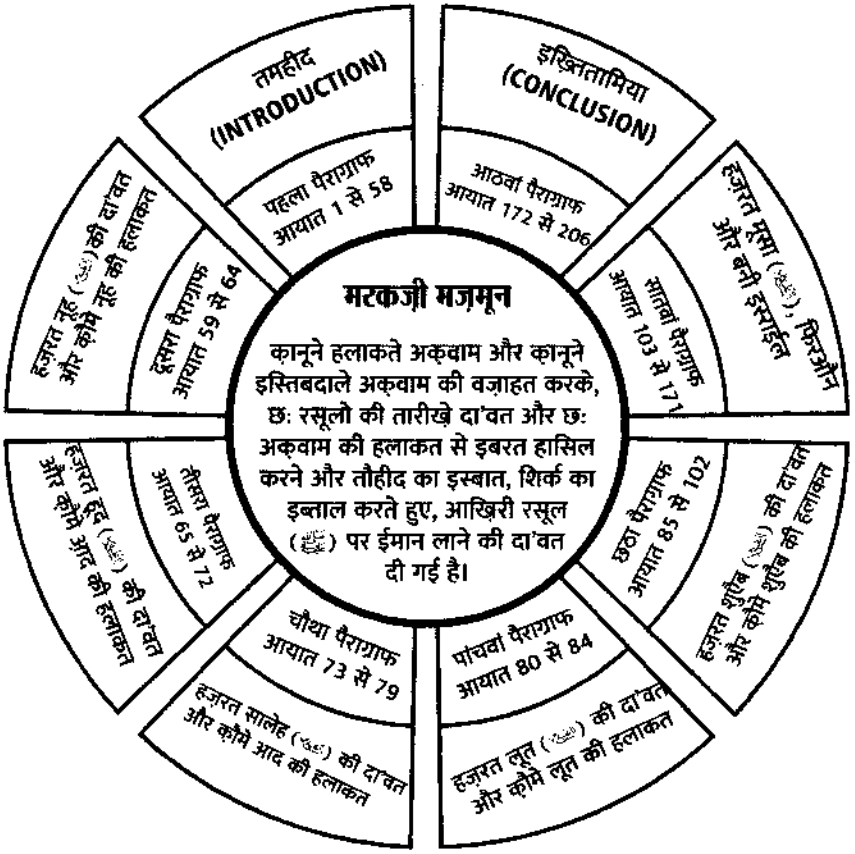

ज़मान-ए-नुज़ूल और पसे मन्ज़र:
सूरह (आराफ़) आख़री सूरह है, जो रसूले अकरम (ﷺ) के क़यामे मक्का के चौथे और आख़री दौर (11 से 13 नबवी) में हिजरत से ठीक पहले, ग़ालिबन 13 नबवी में सूरह (अनआम) और सूरह (अलहज्ज) की इब्तिदाई आयात के बाद नाज़िल हुई। ये वो ज़माना था, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़त्ल के मन्सूबे हो रहे थे। क़ुरैशे मक्का को क़ौमों की हलाकत की तारीख़ और उसके असबाब बता कर तंबीह की गई कि उन का अन्जाम भी हलाकत हो सकता है। सूरह के आख़िर में रसूलुल्लाह (ﷺ) और अहले ईमान को सब्रो-इसतिक़ामत की हिदायत दी गई है।

सूरह आराफ़

आराफ़ अरफ़ की जमा है। जिसके मआनी बुलंद मक़ाम या जगह के है। जैसे टीला, पहाड़ी वग़ैरह। अल्आराफ़ से मुराद वो ख़ास दीवार है जो क़यामत के दिन जन्नत और दोजख़ के दरम्यान हाइल होगी। आराफ़ पर खड़े होने वालों को एक तरफ़ जन्नत और दूसरी तरफ़ दोजख़ साफ़ नज़र आयेगी। यहाँ उन लोगों को ठहराया जायेगा जिनकी नेकियाँ और बुराइयाँ तोल में बराबर होगी। ये लोग अहले जन्नत और अहले दोजख़ को उनके चेहरों से पहचान लेंगे। अहले जन्नत को देखकर ये लोग उन पर सलाम भेजेंगे। जबकि अहले जन्नत, अहले दोजख़ को देखकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि उनको उनके साथ शामिल न किया जाये। अल्लाह उन पर करम फ़रमायेगा और उन्हें जन्नत में जगह देगा।

इस सूरह के 24 रूकूअ और 206 आयात हैं। इसके नुज़ूल का ज़माना वही है जो सूरह अन्आम का है। हज़रत इब्ने अब्बास के मुताबिक़ ये सूरत मक्का में सूरह अन्आम से फ़ौरन पहले नाजिल हुई। यानी हिज़रत से तो एक साल पहले 12 इस्वी में।

इस सूरत का सूरह अन्आम से जमानए-नुजूल के ऐतबार से भी ताल्लुक़ है बल्कि मज़मून के ऐतबार से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इस सूरह का मर्कजी मज़मून तौहीद और तर्दीदे शिर्क है। जबकि इस सूरत का कलीदी मज़मून वही और नुबुवत है जिसके जरिये अल्लाह तबारक व तआला बनी आदम को सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत देता है और शैतान के दिलफ़रेब व दिलकश हथकण्डों से बचाता है। इस सूरत के ज़्यादातर हिस्से में मअरक-ए-हक़ व बातिल पेश किया गया है। इसमें नेकी और बदी के दो लश्कर आमने-सामने नज़र आते हैं। इस मअरके में एक लश्कर अंम्बिया किराम की सिपहसालारी में मोमिनों का है जो हक़ और माबूद परस्ती का झण्डा उठाये हुए है। उसके मुक़ाबले में दूसरा लश्कर शैतानों की सरबराही में कुफ़्फ़ार और मुश्रिकीन का है। जिनके मग़रूर और घमण्डी सरदार झूठ और बुतपरस्ती का झण्डा थामे अल्लाह से बग़ावत और नबियों से सरकशी पर तुले हुए हैं।

इस हक़ और बातिल मअरके की शुरूआत उस वक़्त हुई जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म की नाफ़र्मानी करके आदम को सज्दा करने से इंकार किया और फटकारा हुआ, जलील हुआ। इस तरह शैतान और बनी आदम में जंग का सिलसिला शुरू हुआ। शैतान और उसके चेले बनी आदम को गुमराह करते हैं। झूठे ख़ुदाओं की पूजा और बुरे काम पर आमादा करते हैं। जबकि अल्लाह तआला उनकी हिदायत के लिये उन्ही में से पैग़म्बर भेजता है। जो सीधे रास्ते की हिदायत देते हैं। शैतान के मक्र व फ़रेब से बचाते हैं और नेक कामों की तल्क़ीन करते हैं। ये मअरका जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। ये सूरत हक़ व बातिल की लगातार और बार-बार मअरका आराई को बयान करती है।

इस सिलसिले में हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत शुऐब, हज़रत सालेह, हज़रत लूत और उनकी क़ौमों के हालात तफ़सील से बयान किए गए हैं। सूरत का काफ़ी हिस्सा हज़रत मूसा के हालात पर मुश्तमिल है। हज़रत मूसा (अलैहि.) का वास्ता दो पार्टियों से पड़ा। एक फ़िरऔने मिस्र और उसके घमण्डी सरदार और दूसरी बनी इस्राईल जो हज़रत मूसा की अपनी क़ौम थे। कमज़ोर, बुजदिल, नाफ़र्मान और सरकश लोग थे।

इस क़िस्से से मुश्रिकीन को अपनी रविश से बाज आ जान की चेतावनी दी गई है और उनको बुरे अंजाम से ख़बरदार किया गया है। इस सूरत में उस अहद का भी जिक्र किया गया है जो अल्लाह ने बनी आदम की कुल औलादों को इकट्ठा करके अपने रब होने के बारे में लिया था और ये साबित किया गया है कि तौहीद का तसव्वुर हर इंसान में पैदाइशी तौर पर पाया जाता है।

तफ़्सीर सूरह आराफ़

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

"शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।"

الٓمّٓصٓ ① كِتٰبٌ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ فَلَا يَكُنۡ فِىۡ صَدۡرِكَ حَرَجٌ مِّنۡهُ لِتُنۡذِرَ بِهٖ وَذِكۡرٰى لِلۡمُؤۡمِنِيۡنَ ② اِتَّبِعُوۡا مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ ؕ قَلِيۡلًا مَّا تَذَكَّرُوۡنَ ③

तर्जुमा : "अलिफ़ लाम मीम स़ॉद (1) यह एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके ज़रिये से डराएँ सो आपके दिल में इससे बिलकुल तंगी न होनी चाहिए और नसीहत है ईमान वालों के लिए। (2) तुम लोग उसकी इत्तिबाअ करो जो तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल हुई है और अल्लाह तआला को छोड़कर दूसरे रफ़ीक़ों की इत्तिबाअ न करो, तुम लोग बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो।" (3)

क़ुरआन नसीहत और हिदायत की किताब है (आयत 1-3) : हुरूफ़े मुक़त्तआत और इनके मअनी और इनके बारे में सूरह बक़रह में बात गुज़र चुकी है। (अलिफ़ लाम मीम स़ॉद) यानी (अनल्लाहु उफ़स्सिल) यह किताब तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल की गई है। अब इसकी तब्लीग़ और अंदाज़ में तुम अपने दिल के अंदर कोई कोताही और तंगी न आने दो। और ऐसा स़ब्र इख़्तियार करो जैसाकि ऊलुल अ़ज़्म पैग़म्बरों ने स़ब्र इख़्तियार किया था। इसे नाज़िल करने का मक़्सद यह है कि इसके ज़रिये काफ़िरों को डराओ। और मोमिनीन के लिए तो यह क़ुरआन नसीहत है ही उन मोमिनीन ने तो क़ुरआन नाज़िलशुदा का इत्तिबाअ कर लिया है और नबी उम्मी (ﷺ) ने जो किताब पेश की है उसके नक़्शे क़दम पर चल रहे हैं अब इसको छोड़कर ग़ैर के पीछे न पड़ना वरना अल्लाह तआला के दायर-ए-हुक्म से निकलकर ग़ैर के हुक्म में चले जाओगे। लेकिन इब्रत व नसीहत करने वाले बहुत कम होते हैं और तुम सब ही को इब्रत नहीं दिला सकते, ख़्वाह कितनी ही हिर्स़ व कोशिश क्यूँ न करो। और फ़र्माया कि अगर तुम हर किसी को ख़ुश रखने की कोशिश करोगे तो यह लोग तुमको अल्लाह तआला की राह से भटका देंगे। (6/अन्आम : 246) अक्सर लोग ईमान नहीं लाते हैं और मुश्रिक रह जाते हैं। (12/यूसुफ़ : 106)

***

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤ فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ
اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٥ فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ
وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٦ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ۝٧

तर्जुमा : ''और बहुत सी बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और उन पर हमारा अ़ज़ाब रात के वक़्त पहुँचाया या ऐसी हालत में कि वह दोपहर के वक़्त आराम में थे। (4) सो जिस वक़्त इन पर हमारा अ़ज़ाब आया उस वक़्त इनके चेहरे से सिवाय इसके और कोई बात न निकलती थी कि वाक़ई हम ज़ालिम थे। (5) फिर हम उन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनके पास पैग़म्बर भेजे गए थे और हम पैग़म्बरों से भी ज़रूर पूछेंगे। (6) फिर हम चूँकि पूरी ख़बर रखते हैं इनके रूबरू बयान कर देंगे और हम कुछ बेख़बर न थे।'' (7)

ज़ालिमों का ऐ़तिराफ़े जुर्म और उनकी तबाही (आयत 4-7) : कितनी ही बस्तियों को हमने मुख़ालिफ़ते रसूल की वजह से हलाक कर दिया है और दुनिया और आख़िरत की रुस्वाई उनके पीछे लगा दी। जैसाकि फ़र्माया कि तुमसे पहले रसूलों के साथ मज़ाक़ किया गया और यह मज़ाक़ करने वाले उसकी सज़ा में हलाक कर दिए गए जैसाकि फ़र्माया कि हमने बहुत सी बस्तियों को उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया तो उनके बड़े-बड़े महल और मज़बूत मकानात उजड़े और गिरे पड़े हो गए, उनके चश्मे और नहरें टूट फूट गईं और फ़र्माया, वह अपनी फ़राख़िये मईशत पर इतराए तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, उनके घर ऐसे हो गए गोया कोई उनमें रहा ही न था मगर थोड़े से लोग बच रहे। अब उनके वारिस हम ही हैं। और फ़र्माया कि हमारा अ़ज़ाब उनके पास सोते में आया या दोपहर की आराम के वक़्त अचानक। और यह दोनों वक़्त ग़फ़्लत के होते हैं जैसाकि फ़र्माया, क्या इन लोगों को उसका डर नहीं कि हमारा अ़ज़ाब रात में सोते हुए अचानक उनको आ घेरेगा या सुबह सवेरे आ जाएगा और वह अपने ख़ुराफ़ात ही में मुब्तला रहें। और यह अपने गुनाहों से चालबाज़ी करने वाले क्या इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह तआ़ला इन्हें ज़मीन में धंसा सकता है या ऐसा अचानक अ़ज़ाब आ सकता है कि इनके वहम और गुमान में भी न हो। या इनके सफ़र में इन्हें आ पकड़ेगा और वह इसका तोड़ नहीं कर सकते। और फ़र्माया कि जब अ़ज़ाब इन पर आ ही पड़ता है तो बजुज़ यह कहने के बन न पड़ेगी कि क़ुसूर हमारा ही था। जैसाकि फ़र्माया कि बहुत सी ऐसी बस्तियों को जो ह़द से तजावुज़ कर गई थीं हमने बर्बाद कर दिया है। यह आयते बाला नबी अकरम (ﷺ) की उस ह़दीस की वाज़ेह़ दलील है कि ''कोई क़ौम नहीं हलाक की गई जब तक उनके सारे उ़ज़्रात (बहाने) ख़त्म नहीं कर दिए गए।''

अ़ब्दुल मलिक (रह़.) से पूछा गया कि यह किस त़रह़ होगा तो यही आयत पढ़ी थी कि जब हमारा

अ़ज़ाब आ ही पहुँचा तो यही कहते बनी कि ज़्यादती तो हमारी ही तरफ़ से थी। और फ़र्माया कि जिनकी तरफ़ नबी भेजे गए उनसे ज़रूर पूछताछ होगी। जैसाकि फ़र्माया, इनसे पूछा जाएगा कि रसूलों को तुमने क्या जवाब दिया था जबकि उन्होंने अपना फ़रीज़-ए-तब्लीग़ अदा किया था। और फ़र्माया, उस दिन अल्लाह तआ़ला रसूलों को जमा करेगा और पूछेगा कि तुम्हारी क़ौम ने तुम्हें क्या जवाब दिया था? वह कहेंगे कि हमको इल्म नहीं तू ग़ैब की बात जानने वाला है। अब अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन उन लोगों से पूछेगा कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था? चुनाँचे फ़र्माया कि हम यह सवाल रसूलों से भी करेंगे और उनकी क़ौमों से भी करेंगे। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''तुम लोग ज़िम्मेदार हो तुम सबसे अपने-अपने ज़ेरे असर और मातहतों के बारे में पूछ होगी। बादशाह से उसकी रइयत के बारे में, मर्द से उसकी बीवी बच्चों के बारे में, औरत से उसके शौहर के बारे में और ख़ादिम से उसके आक़ा के माल के बारे में पूछगछ होगी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जुम्आ, बाब अल्जुम्अतु फ़िल कुरा वल् मुदुन : 893; सहीह मुस्लिम : 1829; अबूदाऊद : 2928; तिर्मिज़ी : 1705; इब्ने हिब्बान : 4472; बैहक़ी : 6/287) और फ़र्माया, हम यक़ीन के साथ इनको सब कुछ बता देंगे और हम बेख़बर तो हैं नहीं। क़यामत के दिन इनके नामा-ए-आमाल खोला जाएगा और इनके आमाल की जांच होगी। अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को देखता है वह तो चोरी से नज़र डालने को भी जानता है। दिलों के भेद को जानता है, पत्ता गिर जाए और अंधेरे में कोई दाना पड़ा हुआ उसको इल्म है, किताबे मुबीन में क्या नहीं रुतबो याबिस सब कुछ है।

***

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑧ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ⑨

तर्जुमा : ''और उस दिन वज़न भी क़ायम होगा फिर जिस शख़्स का पलड़ा भारी होगा तो ऐसे लोग कामयाब होंगे। (8) और जिस शख़्स का पलड़ा हल्का होगा तो यह वह लोग होंगे जिन्होंने अपना नुक़्सान कर लिया बसबब उसके कि हमारी आयतों की हक़तल्फ़ी करते थे।'' (9)

क़यामत और मीज़ाने अ़द्ल (आयत 8, 9) : इर्शाद है कि आमाल को क़यामत में वज़न करना हक़ है ताकि किसी पर ज़ुल्म न होने पाए। जैसाकि फ़र्माया, हम क़यामत के दिन तराज़ू क़ायम करेंगे ताकि किसी पर ज़ुल्म न हो सके। राई के दाने बराबर भी कोई अ़मल होगा तो वह भी लाया जाएगा। शुमार के लिए हम काफ़ी हैं। और फ़र्माया अल्लाह तआ़ला ज़र्रा बराबर भी किसी पर ज़ुल्म न करेगा। अगर एक नेकी हो तो उसको दो गुना तिगुना करता जाता है। यह अज्रे अ़ज़ीम उसके अपनी तरफ़ से बतौर इन्आम है। (4/निसाअ : 40) और फ़र्माया, तौल में जो भारी उतरा वह बड़े मज़े में रहा और जो हल्का उतरा वह दोज़ख़ में जा गिरा। जानते हो ''हाविया'' क्या है? दहकती हुई आग है। और फ़र्माया जब सूर फूँका जाएगा तो रिश्ते नाते सब ख़त्म हो जाएँगे

और न कोई किसी को पूछेगा। जिसका वज़न भारी रहा वह तो कामयाब हो गया और जो हल्का रहा वह बड़े घाटे में पड़ा और हमेशा का जहन्नम उसका ठिकाना हुआ। मीज़ान में जो चीज़ तौली जाएगी कुछ ने कहा वह नफ़्से आमाल हैं। अगरचे वह ऐराज़ हैं यानी ग़ैर मादी चीज़ हैं लेकिन अल्लाह तआला उन्हें जिस्म दे देगा। इसी मज़्मून की हदीस इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि "सूरह बक़रह और सूरह आले इमरान क़यामत के दिन दो बादलों की शक्ल में सामने आएँगी, या दो सायबानों या आसमान पर फैले हुए परिन्दों के झुण्ड की सूरत में होंगी। (सहीह मुस्लिम, किताब सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब फ़ज़्ल क़िराअतुल कुरआन व सूरतुल बक़रह : 805; मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 5991; अहमद : 5/249; इब्ने हिब्बान : 116; हाकिम : 1/564) और सहीह हदीस में है कि कुरआन पढ़ते रहने वाले के पास कुरआन एक नौजवान ख़ुश रंग की शक्ल में आएगा। क़ारी पूछेगा तुम कौन हो? वह कहेगा मैं कुरआन हूँ, रात भर तुम्हें जगाता रहा और दिन भर तुम्हें तामीले हुक्म, सौम (रोज़े) में प्यासा रखा।" (इब्ने माजा, किताबुल अदब, बाब सवाबुल कुरआन : 3781; व सनदुहू हसन, फ़ज़ाइलुल कुरआन लि अबी उबेद बिन सलाम, पेज : 36; अहमद : 5/348) क़िस्सा सवाले क़ब्र में है कि "मोमिन के पास क़ब्र में एक ख़ूबसूरत ख़ुश्बूदार नौजवान आएगा। साहिबे क़ब पूछेगा कि तुम कौन हो? वह कहेगा, मैं तुम्हारा अमले सालेह (नेक अमल) हूँ।" (अहमद : 4/287, 288; वहुव हदीसुन सहीहुन; अत्तर्ग़ीब वत्तर्हीब : 5221) हदीसे बिताक़ा में है कि "एक आदमी को एक काग़ज़ का पुर्ज़ा दिया जाएगा और वह तराज़ू के एक पलड़े में रख दिया जाएगा और दूसरे पलड़े में निन्नान्वे (99) काग़ज़ के तूमार रखे जाएँगे। हर एक इतना बड़ा होगा कि जहाँ तक नज़र काम करती है। उस बिताक़ा में लिखा होगा (ला इलाहा इल्लल्लाह) वह कहेगा, कहाँ यह काग़ज़ का टुकड़ा और कहाँ यह पूरे के पूरे दफ़्तर (रजिस्टर) तो अल्लाह तआला फ़र्माएगा मगर तुम्हारे साथ ज़ुल्म नहीं किया जाएगा।" रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "वह गुनाहों के तूमार दफ़्तर के दफ़्तर तराज़ू में हल्के हो जाएँगे और वह काग़ज़ का छोटा सा बिताक़ा वज़नी हो जाएगा।" (तिर्मिज़ी, किताबुल ईमान, बाब मा जाअ फ़ीमंय्यमूतु वहुव यश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु : 2639; व सनदुहू सहीहुन; इब्ने माजा : 4300; अहमद : 2/213; हाकिम : 1/6; इब्ने हिब्बान : 225) और यह भी कहा गया है कि अमल या आमाल नामा नहीं वज़न किया जाएगा बल्कि साहिबे अमल वज़न किया जाएगा। जैसाकि हदीस में है कि "क़यामत के दिन एक मोटा सा आदमी लाया जाएगा लेकिन वह अल्लाह तआला के नज़दीक परपशा के बराबर भी वज़न न रखता होगा।" फिर यह आयत तिलावत फ़र्माई (फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़्ना) (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल कहफ़, बाब (ऊलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत आमालुहुम) : 4729; सहीह मुस्लिम : 2785) अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की सताइश करते हुए फ़र्माया कि "तुमको इब्ने मसऊद की पतली पतली टाँगों पर ताज्जुब क्यूँ है अल्लाह तआला की क़सम! यह मीज़ान में तुलेगा तो इसकी पतली टाँगें उहुद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी साबित होंगी।" (अहमद : 1/420, 421; व सनदुहू हसन; मुस्नद तयालिसी : 2561; मुस्नद अबी यअला : 5310; मज्मउज़्ज़वाइद : 9/289) उन तीनों रिवायतों को यूँ जमा किया जा सकता है कि कभी आमाल तौले जाएँगे और कभी आमाल नामे, कभी अमल करने वाला।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۟ ۝١٠
وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ
اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝١١

तर्जुमा : ''और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और हमने तुम्हारे लिए इसमें सामाने ज़िन्दगी पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो। (10) और हमने तुमको पैदा किया फिर हम ही ने तुम्हारी शक्ल बनाई फिर हमने फ़रिश्तों से फ़र्माया कि आदम (عليه السلام) को सज्दा करो सो सबने सज्दा किया सिवाए इब्लीस के वह सज्दा करने वालों में शामिल न हुआ।'' (11)

ख़ालिक़ के मख़्लूक़ पर एहसानात (आयत 10, 11) : अल्लाह बन्दों पर अपने एहसान का ज़िक्र करता है कि हमने इस क़द्र तसल्लुत दिया कि दुनिया में तुम हुकूमत करने लगे और ज़मीन पर अपनी जड़ें मज़बूत करलीं, अपनी नहरें जारी कर दीं, अपने घर और शानदार महल बना लिए और सारी मन्फ़अतें (फ़ायदे की चीज़ें) अपने लिए पैदा कर लीं। हमने इनके लिए अब्र (बादल) को मुसख़्ख़र किया ताकि पानी बरसाकर ज़मीन से इनके लिए रिज़्क़ पैदा करे और ज़मीन में इनके लिए ज़रिय-ए-मआश हासिल हो जिसमें वह तिजारत करें, और क़िस्म-क़िस्म के अस्बाब अपनी राहत के लिए पैदा करें। फिर भी यह इन सारी नेअ़मतों का शुक्र अदा नहीं करते। जैसाकि फ़र्माया कि अगर तुम अल्लाह तआ़ला की नेअ़मतों को गिनना चाहो तो गिन न सकोगे। इंसान बड़ा ही ज़ालिम और नाशुक्रा है। (14/इब्राहीम : 34) लफ़्ज़ (मआयिश) को सब लोग (य) के साथ पढ़ते हैं। यानी हम्ज़ा के साथ (मआइश) नहीं पढ़ते लेकिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ इसको हम्ज़ा से पढ़ते थे। और सहीह तो यही है कि जो अक्सर का ख़्याल है यानी बिला हम्ज़ा। इसलिए कि मआयिश जमा (मईशत) की है। यह मस्दर है इसके अफ़आल (आश, यईशु, मईशत) इस मस्दर की असलियत है (मईशत) कसरा (य) पर सक़ील था इसलिए ऐन की तरफ़ मुंतक़िल कर दिया गया और लफ़्ज़ (मईशतु, मईशत) बन गया। फिर इस वाहिद की जब जमा बनाई गई तो (य) की तरफ़ हरकत फिर लौट आई क्योंकि अब सक़ालत बाक़ी नहीं रही चुनाँचे कहा गया कि (मआयिश) का वज़न मफ़ाईल है इसलिए कि इस लफ़्ज़ में (य) असली है। बख़िलाफ़े मदाइन सहाइफ़ और बसाइर के कि यह मदीना, सहीफ़ा और बसीरा की जमा हैं। इसलिए कि (य) इसमें ज़ाइद है लिहाज़ा जमा बरवज़न फ़आइल होगी और हम्ज़ा भी आएगा, वल्लाहु आलम!

पैदाइश और फ़ज़ीलते आदम (عليه السلام) : अल्लाह पाक इस जगह पर अबुल बशर हज़रत आदम (عليه السلام) की फ़ज़ीलत और उनके दुश्मन इब्लीस का ज़िक्र कर रहा है जिसको बनू आदम और आदम (عليه السلام) से बुग़्ज़ है ताकि लोग उस दुश्मन इब्लीस से बचने लगें और उसके रास्ते पर न चलें। चुनाँचे फ़र्माया कि हमने तुमको

पैदा किया, तुम्हारी सूरतें ढालीं। फिर हमने फ़रिश्तों को कहा कि आदम (عليه السلام) को सज्दा करो। सबने सज्दा किया, रब ने फ़रिश्तों से कहा था कि मैं एक बशर (इंसान) पैदा करने वाला हूँ जिसको खनखनाती हुई सूखी मिट्टी से बनाऊँगा। पस जब मैं ने उसको तैयार करने के बाद उसमें अपनी रूह फूँक दी और वह एक ज़िन्दा जिस्म बन गया तो मेरी इस कुदरत को देखकर सब उस आदम (عليه السلام) के लिए सज्दे करते हुए गिर पड़े। (15/हिज्र : 28, 29) और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि जब अल्लाह तआला ने आदम (عليه السلام) को अपने हाथ से चिकनी लैसदार मिट्टी से बनाया और उसको एक रास्त क़ामत इन्सान की सूरत बख़्शी और उसके अंदर अपनी रूह फूँक दी तो फ़रिश्तों को हुक्म दिया कुन से बनी हुई मख़्लूक़ को नहीं बल्कि ख़ुद मेरे हाथों से बने हुए पुतले को सज्दा करो दरअसल यह कुदरते इलाही को सज्दा करना था और उसकी शान की ताज़ीम करनी थी। चुनाँचे सब फ़रिश्तों ने तामीले हुक्म में सज्दा किया लेकिन इब्लीस ने न किया। पहले सूरह बक़रह में इसकी तफ़्सीर गुज़र चुकी है। अब इस वक़्त हमने यहाँ जो तक़रीर की है वह इब्ने जरीर (रह.) की इख़्तियारकर्दा है।

(ख़लक़्नाकुम सुम्म सव्वरनाकुम) की तफ़्सीर में इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि लोग मर्दों की पीठों के अंदर पैदा किए हुए हैं। उसके बाद औरतों के अरहाम (कोख/रहम) में इनकी शक्लबंदी होती है। (हाकिम : 2/319) क़तादा और ज़ह्हाक (रहि.) इस आयत की तफ़्सीर में कहते हैं कि हमने आदम (अ.) को पैदा किया फिर उसकी ज़ुर्रियत (औलाद) की तश्कील की। लेकिन इसमें ग़ौरतलब मक़ाम है इसलिए कि उसके बाद फ़र्माया है कि (कुल्ना लिल मलाइकतिस्जुदू लि आदम) तो यह चीज़ इस बात पर दलालत करती है कि इससे मुराद आदम (عليه السلام) हैं और यहाँ जमा के साथ जो कहा गया है उसकी वजह यह है कि आदम (अ.) अबुल बशर हैं। जैसे कि अल्लाह तआला ख़िताब तो फ़र्माता है नबी (ﷺ) के ज़माने में बनी इस्राईल से यानी (وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ) (2/बक़रह : 57) यानी ग़माम और मन्न व सल्वा तो मौजूदा बनी इस्राईल के आबाअ व अज्दाद पर आया था। चुनाँचे मुराद तो वही लोग हैं जो हज़रत मूसा (عليه السلام) के ज़माने में थे लेकिन बाप दादों पर एहसान करना भी दरअसल उनकी नस्ल पर भी एहसान करना होता है तो गोया यह एहसान औलाद पर भी हुआ था, इसलिए ख़िताब कम के साथ हुआ तो गोया आदम से आदम और औलादे आदम से सब मुराद हैं। यानी सबको जमा किया गया। बरख़िलाफ़ इस क़ौले बारी के कि (لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ) (23/मोमिनून : 12) यहाँ लफ़्ज़ इंसान से जिंसे इंसान मुराद नहीं है यानी जमा मुराद नहीं बल्कि एक मुतनफ़्फ़िस यानी आदम (عليه السلام) की ज़ात मुराद है जो मिट्टी से बने थे लेकिन इनकी तमाम ज़ुर्रियत मिट्टी से नहीं बल्कि नुत्फ़ा से बनी है। अब इंसान को मिट्टी से बना हुआ सिर्फ़ इसलिए कहते हैं कि इसके बाप आदम (عليه السلام) इंसान की तरह नुत्फ़ा से नहीं बल्कि मिट्टी से बने हुए थे, वल्लाहु आलम!

***

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝۱۲

तर्जुमा : "अल्लाह तआला ने फ़र्माया तू जो सज्दा नहीं करता, तुझको इस काम से किस चीज़ ने रोक लिया है जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका, कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझको आग से पैदा किया है और इसको तूने ख़ाक से पैदा किया है।" (12)

इब्लीस का क़यासे फ़ासिद (आयत 12) : बकौल कुछ नहवियों के इस आयत (मा मनअक अल्ला तस्जुदा इज़ अमर्तुक) में (ला) ज़ाइद है और ताकीद इंकार के तौर पर ज़्यादा किया गया है। जैसा कि शायर कह गया है कि (मा इन रअयतु वला समिअ़तु बि मिस्लिही) इस मिस़रा (सेन्टेन्स) में इन नफ़ी के लिए है जो (मा) नाफ़िया पर ताकीदे नफ़ी के लिए लाया गया है। गोया यहाँ (इन) ज़्यादा है। इसी तरह इस आयत में (ला) ज़्यादा है। (लम यकुम्मिनस्साजिदीन) यह क़ौले बारी इससे पहले ही आया हुआ है। इब्ने जरीर (रह.) का यह क़ौल है कि (मनअक) एक दूसरे फ़ेअल को मुतज़म्मिन है जिसकी तक़्दीर यूँ होगी कि किस बात ने तुझे इसके लिए मजबूर कर दिया था कि सज्दा न करे जबकि मेरा हुक्म मौजूद था। और यह क़ौल क़वी और हसन है, वल्लाहु आलम!

फ़ायदा : यहाँ इब्ने कसीर (रह.) से कुछ तसामोह हो गया है कि (ला) को दूसरे कुछ लोगों की तरह ज़ाइद समझते हैं या यह कि एक दूसरा फ़ेअल इससे पहले मुक़द्दर मानते हैं। यानी (मा अहरजक) या (मा अल्ज़मक) ताकि (तस्जुद) पर (ला) के लाने को खींचतान और तावील करके सही साबित किया जा सके। हालाँकि (ला) को न ज़ाइद की ज़रूरत है और न इससे पहले किसी काम (इज़्तर्रक) वग़ैरह को महज़ूफ़ मानने की ज़रूरत है। बल्कि दरअसल (मनअ़) में तजरीर वाक़ेअ हुई है। यानी (मनअ़) बमअ़नी) क़ाल) है क्यों कि बाद में जब लाए इंकारिया आ रहा है तो (मनअ़) में इंकारियत को बाक़ी रखने की ज़रूरत न रही और इसमें से मअ़नाए इंकार की तजरीद करके सिर्फ़ क़ौल के मअ़नी में बाक़ी रख दिया गया। चुनाँचे मअ़नी यह हुए कि किस चीज़ ने तुझसे कहा था कि सज्दा न करे। तज्रीद का यह सीधा साधा रास्ता जो ऐन मुताबिक़ क़ानूने नह्व (ग्रामर/व्याकरण) है और जिसको अक्सर ज़रूरतन इख़्तियार करना पड़ता है, इख़्तियार कर लिया जाए तो वह दोनों तकल्लुफ़ भरी बातों को मानना ग़ैर ज़रूरी हो जाता है। यानी (ला) की ज़्यादती या जुम्ला को सहीह बनाने के लिए फ़ेअल मुक़द्दर (इज़्तर्रक) को मानना इब्लीस ने कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ और फ़ाज़िल से सज्दा नहीं कराया जाता है मफ़्ज़ूल के लिए। यानी मैं इससे बेहतर हूँ तो मुझे सज्दा करने का क्यूँ हुक्म है। वह दलील यह पेश करता है कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और आग अशरफ़ है मिट्टी से जिससे आदम (अ.) पैदा किए गए हैं। इब्लीस की नज़र अस़ल उंस़र पर है लेकिन उसने इस तशरीफ़े देहिये आदम पर नज़र नहीं डाली कि वह अल्लाह तआला के हाथों का बना हुआ है। उसमें अल्लाह तआला की रूह भरी हुई है। उसने एक क़यासे फ़ासिद कर लिया जो नस़ (दलील) के मुक़ाबले में आरिज़ हो रहा है। यानी क़यास, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बैठ रहा। ग़र्ज़ सारे

फ़रिश्ते सज्दे में गिर पड़े। इब्लीस सज्दा न करने की वजह से फ़रिश्तों से अलग हो गया और अल्लाह की रहमत से दूर रह गया। यही नाउम्मीदी दरअसल उसकी ख़ता है और क़यास में भी ग़लती की। उसका दावा यह था कि आग मिट्टी से अशरफ़ है लेकिन मिट्टी की शाने तहम्मुल, हिल्म, बुर्दबारी, मुस्तक़िल मिज़ाजी, साबित क़दमी है, नीज़ तीन (मिट्टी) महल नबात व नमूद है। और आग की शान जलाना, तैश, सुरअत है। इसलिए इब्लीस के उंसुर ने उसके साथ ख़यानत की और आदम के उंसुर ने रुजूअ और इनाबत व इस्तिकाना व आजिज़ी और इंक़ियाद करके आदम (अ.) को नफ़ा पहुँचाया। हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं और इब्लीस आग के शोले से और आदम मिट्टी से (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाब फ़ी अहादीसिल मुतफ़र्रिक़ा : 2996; अहमद : 6/153; इब्ने हिब्बान : 6155; अल्अस्माउ वस्सिफ़ात : 2/126) हूरें ज़ाफ़रान से।" (तारीख़े बग़दाद : 7/99; सिफ़तुल जन्नत लि अबी नुऐम : 2/71 इसकी सनद में हारिस बिन ख़लीफ़ा मज्हूल रावी है (अल्मीज़ान : 1/633; रक़म : 1614) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ : 3539) इब्लीस ने क़यास लगाया और सबसे पहले क़यास लगाने वाला वही है और सूरज और चाँद की इबादत भी क़यास ही की बिना पर की जाने लगी है।" (तबरी : 12/332)

***

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ
﴿۱۳﴾ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿۱۴﴾ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ
لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۱۶﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿۱۷﴾

तर्जुमा : "अल्लाह तआला ने फ़र्माया, तू आसमान से उतर जा, तुझको कोई हक़ हासिल नहीं कि तकब्बुर करे आसमान में रहकर तो निकल बेशक तू ज़लीलों में शुमार होने लगा। (13) वह कहने लगा कि मुझको मोहलत दीजिए क़यामत के दिन तक। (14) अल्लाह तआला ने फ़र्माया, तुझको मोहलत दी गई। (15) वह कहने लगा, बसबब इसके कि तूने मुझे गुमराह किया है मैं क़सम खाता हूँ कि मैं इनके लिए तेरी सीधी राह पर बैठूँगा। (16) फिर इन पर हमला करूँगा, इनके आगे से भी और इनके पीछे से भी और इनकी दाहिनी तरफ़ से भी और इनकी बाईं जानिब से भी और तू इनमें से अक्सर को एहसान मानने वाला न पाएगा।" (17)

इब्लीस को क़यामत तक मोहलत (आयत 13-17) : अल्लाह पाक इब्लीस से ख़िताब कर रहा है एक ऐसे अम्र के बारे में जो ला महाला वक़ूअ पज़ीर होने वाला है कि मेरे हुक्म से नाफ़र्मानी और इताअत से बाहर हो जाने की वजह से तू यहाँ से निकल जा, तुझे कोई हक़ नहीं था कि तू घमण्ड करता। अक्सर मुफ़स्सिरीन (मिन्हा) की ज़मीर को जन्नत की तरफ़ आइद (लौटाते) करते हैं और यह भी एहतिमाल है कि इस रुत्बा व मंज़िलत की तरफ़ आइद हो जो उसको मलकूते आला में हासिल था। फ़र्माता है तू निकल जा, तू ज़लील व हक़ीर है। यह इब्लीस की ज़िद्द का नतीजा था। उस मौक़े पर इब्लीस ने एक बात सोची और क़यामत के दिन तक अल्लाह तआला से मोहलत मांगी। और यूँ अर्ज़ किया कि "ऐ अल्लाह! मुझे सज़ा देने में क़यामत के दिन तक मोहलत दे।" अल्लाह तआला ने फ़र्माया, "जा! तुझे मोहलत दे दी।" इसमें भी अल्लाह तआला की हिक्मत मख़्फ़ी थी और उसी का इरादा काम कर रहा था। उसकी मशिय्यत की मुख़ालिफ़त नहीं की जा सकती, उसके हुक्म के बाद किसी का हुक्म नहीं वह सरीउल हिसाब है।

शैतान की मक्कारियाँ : जब इब्लीस को क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत मिल गई और उसने इत्मिनान का सांस लिया तो उसने मुआनिदत (दुश्मनी) और तमर्रुद शुरू कर दिया। और कहने लगा कि ऐ अल्लाह! मुझे जिस तरह तूने भटकने दिया है मैं भी तेरे बन्दों को सीधी राह पर बैठकर उन्हें भी भटकाऊँगा। इब्ने अब्बास (रज़ि.) (अग़्वयतनी) का तर्जुमा (अज़्लल्तनी) करते हैं और दूसरे (अह्लक्तनी) करते हैं। मैं आदम (عليه السلام) का बदला आदम (عليه السلام) की नस्ल से लूँगा। क्योंकि मैं आदम (अ.) ही की वजह से रांदा दरगाह (धुतकारा गया) बना हूँ। सिराते मुस्तक़ीम से तरीक़े हक़ और सबीले नजात मुराद है। भटकाना इस तरह होगा कि वह तेरी इबादत नहीं करेंगे। तेरी तौहीद से दूर रहेंगे। और कुछ नहवियों ने कहा कि (फ़ बिमा) का (ब) यहाँ क़स्मिया है। गोया कि यूँ कहा गया कि क़सम है तेरे अग़्वा की जो मुझ पर सादिर हुआ। मुजाहिद (रह.) (सिरात) से मुराद अम्रे हक़ लेते हैं। और मुहम्मद बिन सौक़ा तरीक़े मक्का मुराद लेते हैं। और इब्ने जरीर (रह.) ने कहा कि सहीहतर तो यही बात है कि यह लफ़्ज़ उन सारे मआनी से आम है। सबुरा बिन अबी अल्फ़ाका (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते थे कि "शैतान मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इब्ने आदम की राह मारता है। वह इस्लाम की राह पर आकर बैठता है और कहता है कि क्या तू इस्लाम लाएगा और अपना और अपने आबा व अज्दाद का दीन छोड़ेगा? लेकिन वह शख़्स शैतान की बात नहीं मानता है और इस्लाम लाता है फिर वह उसकी राहे हिज्रत में बैठ जाता है और कहता है कि क्यूँ हिज्रत करता है क्या अपना वतन छोड़ देगा, मुहाजिर की इज़्ज़त एक जानवर और एक घोड़े से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन वह शैतान की बात नहीं मानता है और हिज्रत इख़्तियार कर लेता है। फिर राहे जिहाद खोटी करने के लिए आ बैठता है। जिहाद जान से भी होता है और माल से भी, चुनाँचे कहता है कि क्या जंग करने के लिए निकलेगा, अरे तू क़त्ल हो जाएगा तो तेरी औरत दूसरे से निकाह कर लेगी, तेरा माल लोग आपस में बांट लेंगे लेकिन फिर भी वह जिहाद करने के लिए निकलता है।" नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "जो ऐसा करता है और शहीद हो जाता है तो अल्लाह तआला पर वाजिब है कि उसको जन्नत में जगह दे, ख़्वाह वह क़त्ल हो जाए या राह में डूब जाए या

अस्ना-ए-राह (सफ़र के दौरान) में जानवर उसे कुचल दे।'' (नसाई, किताबुल जिहाद, बाब व लिमन अस्लम व हाजरा व जाहदा : 3136; व सनदुहू हसन; अहमद : 3/483; इब्ने हिब्बान : 4593; शुअबुल ईमान : 4246; तारीख़ुल कबीर : 2/87; इब्ने अबी शैबा : 5/293; अल्मुअजमुल कबीर : 7/138) फिर शैतान ने कहा कि मैं बनी आदम के सामने से भी आऊँगा और पीछे से भी, यानी आख़िरत के बारे में उनके दिलों में शक पैदा करूँगा और दुनिया पसंदी के लिए भी तर्ग़ीब दूँगा। और सीधी तरफ़ से भी आऊँगा, यानी अम्रे दीन उन पर मुश्तबा कर दूँगा और उनकी बाईं तरफ़ से भी आऊँगा यानी मआसी उनके लिए दिल पज़ीर बना दूँगा।

फिर मुख़्तलिफ़ लोग इसके मुख़्तलिफ़ मअनी मुराद लेते हैं जो तक़रीबन क़रीब क़रीब हैं। और शैतान ने यह नहीं कहा कि ऊपर से आऊँगा क्योंकि ऊपर से तो सिर्फ़ अल्लाह तआला की रहमत ही आ सकती है। और तू ऐ अल्लाह! इन बन्दों में अक्सर को शाकिर यानी तौहीद परस्त नहीं पाएगा। यह बात इब्लीस ने अपने वहम व गुमान की बिना पर कही थी लेकिन वाक़िया के मुताबिक़ आकर बैठ गई जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि इब्लीस का यह गुमान ठीक था क्यों कि मोमिनीन के सिवा सबने उसकी पैरवी की, लेकिन मोमिनीन पर उसकी चाल कारगर न हुई। और हमने शैतान को ऐसी कोशिश इसलिए करने दी कि यह ज़ाहिर हो जाए कि कौन आख़िरत पर यक़ीन रखने वाला है और कौन शक व शुब्हा में पड़ने वाला है और अल्लाह तआला तो हर चीज़ का निगरान है। (34/सबा : 20) इसीलिए हदीस में वारिद है कि अल्लाह तआला के पास शैतान से यूँ पनाह मांगो कि ''ऐ अल्लाह तआला! वह किसी जेहत (जानिब) से भी हम पर तसल्लुत न पाए।'' जैसाकि नबी अकरम (ﷺ) दुआ मांगा करते थे कि ''ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अफ़ू व आफ़ियत मांगता हूँ दीन के लिए भी और दुनिया के लिए भी और अहल और माल के लिए भी। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को ढाँक दे, मुझे डर से अम्न में रख और सामने से भी मेरी हिफ़ाज़त कर और पीछे से भी और सीधी तरफ़ से भी और बाईं तरफ़ से भी और ऊपर से भी, और मैं पनाह माँगता हूँ कि नीचे से मेरे साथ शैतान फ़रेब चलाए।'' (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मा यक़ूलु इज़ा अस्बह : 5074; व सनदुहू सहीहुन; नसाई : 5531; इब्ने माजा : 3871; अहमद : 2/25; अल्अदबुल मुफ़रद : 1200; इब्ने हिब्बान : 961; हाकिम : 1/517)

***

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا
وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ
تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

तर्जुमा : ''अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि यहाँ से ज़लीलो ख़्वार होकर निकल जा जो शख़्स उनमें से तेरा कहा मानेगा मैं ज़रूर तुमसे जहन्नम को भर दूँगा। (18) और हमने हुक्म दिया कि ऐ आदम (अलैहि०)! तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो फिर जिस जगह से चाहो दोनों खाओ और उस दरख़्त के पास मत जाओ, वरना आप दोनों नामुनासिब काम करने वालों में से हो जाएँगे।(19) फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वस्वसा डाला ताकि उनके बदन का पर्दा जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों का इस दरख़्त से और किसी वजह से मना नहीं किया मगर सिर्फ़ इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फ़रिश्ते न बन जाओ। (20) या कहीं हमेशा ज़िन्दा रहने वालों में से हो जाओ। और उन दोनों के रूबरू क़सम खा ली कि यक़ीन जानिए मैं आप दोनों का ख़ैरख़्वाह हूँ।'' (21)

इब्लीस राँदा दरगाह (धुतकारा) हुआ (आयत 18-21) : अल्लाह पाक महल्ले मलए आला से इब्लीस को निकालते हुए हुक्म देता है कि ज़लील और राँदा बना हुआ यहाँ से निकल जा। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि ''मज़्ऊम'' बमअ़नी मुईब व ज़लील है। ऐब के मौक़े पर ज़म का लफ़्ज़ इस्तेमाल करने से 'ज़ीम' का लफ़्ज़ इस्तेमाल करना ज़्यादा बलीग़ है और मदहूर के मअ़नी दूर और राँदा। मज़्ऊम और मज़्मूम दरअस़्ल एक ही हैं। और यह फ़र्मान कि ''जो तेरी पैरवी करेगा, मैं ऐसे सब लोगों से और तेरे गिरोह से जहन्नम को भर दूँगा।'' जैसाकि फ़र्माया शैतान से ''निकल जा, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे, जहन्नम उनकी पूरी पूरी जज़ा है। जिन जिन पर तू क़ुदरत रखता है सबको आवाज़ देकर बुला ले और अपने लश्कर और ज़ुर्रियत के ज़रिये उनको फ़तह कर ले और अम्वाल व औलाद में उनका शरीक बन जा और ख़ूब ख़ूब उनसे झूठे वादे कर। शैतान का वादा तो महज़ धोखा देने के लिए होता है। लेकिन मेरे ख़ास़ बन्दों पर तेरा हर्गिज़ बस न चलेगा। रब उनकी किफ़ालत व वकालत करेगा।''

इब्लीस की मक्कारी और फ़रेब : इर्शाद होता है कि आदम (अलैहि०) और उनकी बीवी हव्वा (अलैहि०) के लिए जन्नत को मस्कन क़रार दिया गया था और कहा गया था कि जन्नत के सब फल खा सकते हो सिवा एक दरख़्त के। उस पर पूरा बहस सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है। यह बात देखकर शैतान को उन दोनों पर हसद हुआ और मक्कारी और फ़रेब से काम लेने की कोशिश की ताकि जो नेअ़मत और लिबासे हुस्न उनको हासिल हुआ

उससे उन्हें महरूम कर दे। अब इब्लीस ने आदम (عليه السلام) व हव्वा (عليه السلام) से कहा कि रब ने जो तुम्हें उस दरख़्त से मना फ़र्माया है वह इस मस्लिहत से है कि कहीं तुम दोनों फ़रिश्ते न बन जाओ और हमेशा यहाँ रहने का हक़ न हासिल कर लो। अगर तुमने उस दरख़्त का फल खा लिया तो फिर यह बात तुम्हें हासिल हो जाएगी। जैसाकि कहने लगा कि ऐ आदम (عليه السلام)! क्या मैं तुमको एक दरख़्त बताऊँ और ऐसी मिल्कियत का पता दूँ जो कभी मिटने वाली और फ़ना होने वाली नहीं। जैसाकि फ़र्माया, ''अल्लाह तआला तुम्हें वाज़ेह तौर पर यह बात इसलिए समझा रहा है ताकि गुमराह न हो जाओ।''

(अन् तज़िल्लू) का मतलब है (अल्ला तज़िल्लू) और उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेंखें गाड़ दीं ताकि हिलने और झुकने न लगे यहाँ (तमीद बिकुम) से (ला तमीद बिकुम) मुराद है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) और यह्या बिन अबी कसीर (रह.) (मलकैन) को (मलिकैन) कसरा (ज़ेर) से पढ़ते थे लेकिन जुम्हूर फ़तहा (ज़बर) ही से पढ़ते हैं।

(व क़ासमहुमा) यानी उनके सामने अल्लाह तआला की क़समें खाईं कि मैं तो तुम्हारा ख़ैरख़्वाह हूँ। मैं तुम दोनों से पहले यहाँ रहता था और इस जन्नत की जगह जगह से ख़ूब वाक़िफ़ हूँ (क़ासम) बाब मुफ़ाअला से है जिसमें शिर्कत की ख़ासियत होती है। लेकिन कुछ वक़्त एक ही रुख़ मुराद होता है यानी आदम (عليه السلام) व इब्लीस दोनों ने नहीं बल्कि सिर्फ़ इब्लीस ने क़सम खाई थी। यहाँ तक कि धोखा देने में कामयाब हो गया और अल्लाह तआला का नाम लेकर मोमिन को धोखा देना आसान होता है। कुछ अहले इल्म कहते हैं जिसने हमको अल्लाह तआला का नाम लेकर धोखा दिया, हमने हमेशा धोखा खा लिया तो आदम (عليه السلام) भी कैसे धोखा न खाते।

***

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

तर्जुमा : ''तो उन दोनों को फ़रेब से नीचे ले आया पस उन दोनों ने जो दरख़्त को चखा दोनों का पर्दा का बदन एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गया और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़कर

रखने लगे और उनके रब ने उनको पुकारा क्या, मैं तुम दोनों को उस दरख़्त से मना न कर चुका था और यह न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। (22) दोनों कहने लगे, ऐ हमारे रब! हमने अपना बड़ा नुक़्सान किया और तू हमारी मग़्फ़िरत न करेगा और हम पर रहम न करेगा तो वाक़ई हमारा बड़ा नुक़्सान हो जाएगा।" (23)

आदम (عليه السلام) की अल्लाह तआला से रहम की दुआ करना (आयत 22, 23) : उबय बिन कअब (रज़ि.) कहते हैं कि आदम (عليه السلام) दरख़्ते ख़ुर्मा की तरह लम्बे क़द के थे। सर के बाल घने और लम्बे थे। जब उनसे ख़ता सरज़द हो गई तो उनका छुपा हुआ जिस्म खुल गया और उससे पहले अपने मस्तूर (छुपे हुए) जिस्म को देखते न थे। अब बदहवासी में जन्नत के अंदर इधर उधर भागने लगे। जन्नत के एक दरख़्त से सर के बाल उलझ गए, कहने लगे, मुझे छोड़ दो। दरख़्त बोल उठा कि मैं न छोड़ूँगा, रब अज़्ज़ व जल्ल ने आवाज़ दी कि ऐ आदम! क्या मुझसे भागते हो? आदम (عليه السلام) कहने लगे, ऐ रब! मैं तुझसे शर्म कर रहा हूँ क्योंकि खुल गया हूँ। (तब्री : 12/354) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि वह दरख़्त जिससे आदम (عليه السلام) को मना किया गया था वह ख़ौशा गंदुम (गेहूँ का ख़ोशा) था। जब आदम (عليه السلام) व हव्वा (عليها السلام) ने उसको खा लिया तो उनके छुपे हुए हिस्से उन पर ज़ाहिर हो गए। अब वह दरख़्तों के पत्तों से और अंजीर के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे और एक से एक को जोड़कर जिस्म पर चिपकाने लगे। अल्लाह तआला ने फ़र्माया, ऐ आदम! मैंने तुम्हें जन्नत बख़्श दी थी और हर चीज़ जाइज़ कर दी थी सिवाए इस दरख़्त के जिससे मना कर दिया था। आदम (अ.) ने कहा, हाँ! ऐ रब! लेकिन तेरी इज़्ज़त की क़सम! मेरे तो गुमान में भी यह बात न आ सकती थी कि तेरी क़सम खाकर कोई झूठ कहेगा, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया (وَ قَاسَمَهُمَآ إِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ) (7/आराफ़ : 21) क़सम खाकर उसने कहा कि मैं तुम्हारा ख़ैरख़्वाह हूँ। अब अल्लाह तआला ने आदम (عليه السلام) से कहा मुझे अपनी इज़्ज़त की क़सम! मैं तुम्हें ज़मीन की तरफ़ भेज दूँगा, तुमको उस ज़िन्दगी में मेहनत व रंज के सिवा कोई राहत नहीं मिल सकती। फिर फ़र्माया, जन्नत से नीचे उतर जाओ अगर तुम जन्नत में हर क़िस्म की नेअमतें खाते थे तो अब खाना व पीना और कोई ख़ुशगवार नेअमतें तुम्हें नहीं मिलेंगी। अल्लाह तआला ने दुनिया में आदम को लोहे से काम लेना सिखाया, काश्तकारी सिखाई। उन्होंने ज़राअत शुरू की, खेतों की आबयारी (सींचाई) की। खेत पक गए तो फ़सल काटी। उसे कूटा, दाने निकाले, फिर पीसा, गूंदकर रोटी पकाई और खाया और जो ज़हमत उन्हें होनी क़िस्मत में लिखी थी, अल्लाह तआला की मशिय्यत के तहत हुई। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि आदम (عليه السلام) जन्नत में अंजीर के पत्ते लिबास की शक्ल में जोड़कर बाँधते थे। वहब बिन मुनब्बा (रह.) कहते हैं कि आदम व हव्वा (عليهما السلام) का लिबास नूरानी था कि एक दूसरे को बरहना नहीं देख सकते थे और जब बरहंगी ज़ाहिर हो गई तो उस नंगेपन को छुपाने का ख़्याल क़ुदरती तौर पर पैदा हुआ। क़तादा (रह.) ने कहा कि आदम (عليه السلام) ने कहा था, ऐ रब! क्या मैं तौबा व इस्तिग़्फ़ार कर सकता हूँ? तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया, हाँ! उस सूरत में फिर तुम्हें जन्नत में दाख़िल कर दूँगा। लेकिन इब्लीस ने बजाए तौबा की इजाज़त माँगने के मोहलत का सवाल किया। अल्लाह तआला की तरफ़ से हर एक को उसकी मांगी हुई चीज़ दी गई। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जब आदम (عليه السلام) ने गंदुम खा लिया तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जब मैंने तुम्हें इस दरख़्त से मना किया था तो तुमने क्यूँ

खाया? तो कहने लगे कि हव्वा (عليها السلام) ने मुझे ऐसा मश्वरा दिया था। तो कहा कि मैं हव्वा (عليها السلام) को यह सज़ा देता हूँ कि हमल के ज़माने में भी उसको तक्लीफ़ और वज़अे हमल के वक़्त भी उसको दर्द व कर्ब लाहिक़ रहेंगे। यह सुनकर हव्वा (عليها السلام) रोने लगीं तो कहा गया कि विलादत के वक़्त तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों रोया करोगे। (हाकिम : 2/381)

आदम (عليه السلام) ने अपने रब से यह कलिमात सीखे **(रब्बना ज़लम्ना अन्फ़ुसना व इल्लम् तग़्फ़िर्लना व तरहम्ना ल-नकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन)**

***

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَىٰ حِيْنٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

तर्जुमा : "अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम बाहम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और तुम्हारे वास्ते ज़मीन में रहने की जगह है और नफ़ा हासिल करना एक वक़्त तक। (24) फ़र्माया, तुमको वहाँ ही ज़िन्दगी बसर करनी है और वहाँ ही मरना है और उसी में से फिर पैदा होना है।" (25)

आदम (عليه السلام) व हव्वा (عليها السلام) अर्श से ज़मीन पर (आयत 24, 25) : यह जन्नत से नीचे उतर जाने का ख़िताब (हुक्म) आदम (عليه السلام) व हव्वा (عليها السلام) और इब्लीस को हो रहा है और कुछ ने इसमें साँप को शामिल कर लिया है। क्योंकि साँप ही आदम व इब्लीस के बीच अदावते हासिला की वजह बना था। इसलिए सूरह ताहा में फ़र्माया है कि तुम सबके सब उतर जाओगे। हव्वा (عليها السلام) तो आदम (عليه السلام) के ताबेअ थीं और साँप भी अगर शामिल समझा जाए तो वह इब्लीस के ताबेअ है। मुफ़स्सिरीन ने उन मक़ामात का भी ज़िक्र किया है जहाँ उनमें से हर एक उतारा गया था। यह सारी ख़बरें इस्राईलियात से ली गई हैं इनकी सेहत से अल्लाह तआला ही वाक़िफ़ है। अगर उन मक़ामाते मौक़ूआ की तअयीन में कोई फ़ायदा होता तो अल्लाह तआला उसको ज़रूर ज़िक्र करता या हदीस में कहीं मज़्कूर होता। इर्शाद होता है कि अब ज़मीन ही तुम्हारी मुस्तक़र्र (रहने की जगह) होगी और मौत आने तक ज़मीन ही से तमत्तोअ (फ़ायदा) करते रहोगे। तक़्दीर में भी लिखा हुआ है और लोहे महफ़ूज़ में भी मस्तूर था। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि "मुस्तक़र्र" से मुराद क़ुबूर हैं या फ़ौक़े-अर्ज़ (ज़मीन के ऊपर) व तहते-अर्ज़ (ज़मीन के नीचे) मुराद है। इर्शाद होता है कि अब तुम्हें ज़मीन पर ही ज़िन्दगी गुज़ारनी है वहीं मरोगे और फिरोगे वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। जैसाकि फ़र्माया (مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى) (20/ताहा : 55) अल्लाह पाक ख़बर देता है कि ज़मीन ज़िन्दगी भर बनी आदम का घर बनाई गई है। यहीं जीना है, यहीं मरना, यहीं क़ुबूर होंगी और

क़यामत के दिन यहीं से उठाए जाओगे, फिर अपने अपने आमाल का जायज़ा दोगे।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۭ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ
ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ
الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا
سَوْاٰتِهِمَا ۭ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۭ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ
اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾

तर्जुमा : "ऐ औलादे आदम! हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो कि तुम्हारे बदन को भी छुपाता है और मौजिबे ज़ीनत भी है और तक़्वा का लिबास यह इससे बढ़कर है यह अल्लाह तआला की निशानियों में से है ताकि यह लोग याद रखें। (26) ऐ औलादे आदम! शैतान तुमको किसी ख़राबी में न डाल दे जैसा कि उसने तुम्हारे दादा-दादी को जन्नत से बाहर करा दिया ऐसी हालत से कि उनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि उनको उनका पर्दा का बदन दिखाई देने लगे। वह और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पर देखता है कि तुम उनको नहीं देखते हो, हम शैतानों को उन ही लोगों का दोस्त बनाते हैं जो ईमान नहीं लाते।" (27)

लिबासे जिस्म और लिबासे तक़्वा (आयत 26, 27) : अल्लाह पाक बन्दों पर अपने एहसानात का ज़िक्र फ़र्माता है कि हमने तुम्हें लिबासे आराइश दिया। लिबास तो जिस्म को और शर्मगाह को छुपाने के काम में आता है और 'रीश' वह लिबास है जो तजम्मुल (ख़ूबसूरती) और ज़ेबो ज़ीनत के लिए पहना जाता है। पहली चीज़ तो ज़रूरियात में दाख़िल है और रीश तक्मीलात व ज़्यादात में शामिल है। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि रीश कलामे अ़रब में घर के साज़ो सामान और ज़रूरत से ज़्यादा लिबास को कहते हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इसके मअ़नी माल बताते हैं और ऐशो आराम को कहते हैं। अबू उमामा (रज़ि.) ने नया कपड़ा पहना, और जब गले तक पहन लिया तो कहने लगे कि अल्लाह तआ़ला का शुक्र है जिसने मुझे लिबास पहनाया जिससे मैं अपने जिस्म को ज़रूरी तौर पर छुपाता हूँ और उससे अपनी ज़ीनत भी करता हूँ। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि "जिसने कोई नया कपड़ा पहना और गले तक पहन लेने पर यह कहा कि अल्लाह तआ़ला का शुक्र है जिसने मुझे लिबास पहनाया जिससे मैं अपने मख़्फ़ी जिस्म को छुपाता हूँ और मेरी ज़ीस्त में वह मेरे लिए तजम्मुल व शान का सबब है फिर उतारा हुआ कपड़ा ग़रीब को दे दे, तो वह अल्लाह तआ़ला की

ज़िम्मेदारी में आ गया, ज़िन्दगी में भी और मरने पर भी।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद्दअवात : 3560; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इब्ने माजा : 3557; हाकिम : 4/193; अह़मद : 1/44 इसकी सनद में अबुल अला मज्हूल (अत्तक़रीब : 2/485; रक़म 219) अली बिन यज़ीद और उबैदुल्लाह बिन ज़ह़र ज़ईफ़ रावी हैं (तहज़ीबुल कमाल : 5/34; रक़म : 4222, 4713) ह़ज़रत अली (रज़ि.) ने एक लड़के के पास से तीन दिरहम में एक क़मीस़ ख़रीदी और पहुँचे से टख़्ने तक पहन ली तो कहने लगे, अल्लाह तआला का शुक्र है जिसने रीश से मुझे तजम्मुल बख़्शा और इससे मैं अपनी औरात को छुपाता हूँ। उनसे कहा गया कि यह आप अपने तौर पर कह रहे हैं या नबी अकरम (ﷺ) से सुनकर? तो ह़ज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी अकरम (ﷺ) से सुनकर कह रहा हूँ। (अह़मद : 1/157; मुस्नद अबी यअ़ला : 295; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 5/121; इसकी सनद में मुख़्तार बिन नाफ़ेअ ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 4/80; रक़म : 8381) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) और इर्शादे रब्बानी कि तक़्वा का लिबास यह सबसे बेहतर लिबास है। लिबास को कुछ ने नस़ब से पढ़ा है और कुछ ने रफ़अ से इस बिना पर कि यह मुब्तदा है और (ज़ालिक ख़ैरुन) यह ख़बर है। मुफ़स्सिरीन ने इसके मअ़नी में भी इख़्तिलाफ़ किया है। इक्रिमा (रह़.) कहते हैं कि वह लिबास मुराद है जो क़यामत के दिन मुत्तक़ियों को पहनाया जाएगा। इब्ने जुरैज (रह़.) कहते हैं कि इसके मअ़नी हैं ईमान। उ़र्वा 'लिबासुत्तक़्वा' के मअ़नी अल्लाह तआला का ख़ौफ़ बताते हैं। यह सब मअ़नी क़रीब-क़रीब हैं और इस ह़दीस की ताईद में हैं कि उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) मिम्बरे रसूल पर आए, आप एक क़मीस़ पहने हुए थे जिसकी घुंडियाँ खुली हुई थीं। वह कुत्तों को मार डालने का हुक्म दे रहे थे और कबूतरबाज़ी से रोक रहे थे और कह रहे थे कि ऐ लोगों! छुप छुपकर काम करने से बचो क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''अल्लाह तआला की क़सम! कोई चोरी का काम करेगा तो अल्लाह तआला उस चोरी छुपे के काम को ज़ाहिर कर देगा, वह काम अच्छा होगा तो नेक नामी और बुरा होगा तो बदनामी होगी।'' फिर यही नस़ीह़त भरी आयत पढ़ी। (त़ब्री : 12/368; इसकी सनद में सुलेमान बिन अरक़म मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 2/196; रक़म : 3527) यह रिवायत मुस्नद अह़मद : 1/72; अल्अदबुल मुफ़रद : 1301 में भी मुख़्तस़रन मौजूद है लेकिन इसकी सनद में मुबारक बिन फ़ुज़ाला है जिसे नसाई (रह़.) वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (अल्मीज़ान : 3/431, रक़म : 7048) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ ही है।)

औलादे आदम को तम्बीह : अल्लाह तआला बनी आदम को इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियात से डराता है और फ़र्माता है कि अबुल बशर आदम (عليه السلام) से उसकी पुरानी दुश्मनी है कि जन्नत से उन्हें निकालकर दुनिया के दारुत्तअ़ब (मुश्किल भरे घर) में बसाया। इनके छुपे हुए बदन खुल गए और यह सब ज़बरदस्त अ़दावत की बिना पर था। जैसाकि फ़र्माया (अफ़तत्तख़िज़ूनहू व ज़ुर्रियतहू औलियाअ मिन दूनी वहुम् लकुम् अ़दुव्वुन बिअस लिज़्ज़ॉलिमीन बदला) यानी क्या तुम इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत को अपना दोस्त बनाते हो मुझे छोड़कर ह़ालाँकि वह तुम्हारे दुश्मन हैं। ज़ालिमों को बहुत ही बुरा बदला मिलेगा।

***

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾
فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

तर्जुमा : "और वह लोग जब कोई फ़ोह्श काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीक़ पर पाया है और अल्लाह तआला ने भी हमको यही बतलाया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला फ़ोह्श बात की तालीम नहीं देता। क्या अल्लाह तआला के ज़िम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते। (28) आप कह दीजिए कि मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ़ करने का और यह कि तुम हर सज्दा के वक़्त अपना रुख़ सीधा रखा करो और अल्लाह तआला की इबादत इस तौर पर करो कि उस इबादत को ख़ालिस अल्लाह तआला ही के वास्ते रखा करो। तुमको अल्लाह तआला ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था उसी तरह फिर तुम दोबारा पैदा होंगे। (29) कुछ लोगों को अल्लाह तआला ने हिदायत की है और कुछ पर गुमराही साबित हो चुकी है, उन लोगों ने शैतानों को दोस्त बना लिया है अल्लाह तआला को छोड़कर और ख़याल रखते हैं कि वह सीधी राह पर हैं।" (30)

अल्लाह तआला फ़ोह्श काम का हुक्म नहीं करता (आयत 28-30) : मुश्रिकीने अरब कअबा का बरहना (नंगेपन) में तवाफ़ करते थे और यह कहते थे कि हम पैदाइश के वक़्त जैसे थे उसी कैफ़ियत से तवाफ़ करें गे। औरत कपड़े के बजाए चमड़े का कोई छोटा सा टुकड़ा या और कोई चीज़ लगा लेती थी और बाक़ी सब नंगी रहती। वह कहती जाती थी कि "आज जिस्म का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा खुला रखा जाएगा। लेकिन जो भी खुला हुआ हो वह किसी पर हलाल नहीं है।" चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि यह लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने आबा (बाप दादों) को इसी तरह करते देखा है और अल्लाह तआला का हुक्म ऐसा ही है। कुरैश को छोड़कर सारे अरब अपना रात दिन का लिबास पहने हुए तवाफ़ नहीं करते थे और इसकी तौजीह यह करते कि जो कपड़े पहनकर उन्होंने गुनाह किए हैं उन कपड़ों के साथ तवाफ़ कैसे करें। लेकिन क़बील-ए-कुरैश वाले कपड़े पहने हुए तवाफ़ करते और किसी कुरैशी अह्मसी

ने अगर कोई कपड़ा किसी को आरयतन दे दिया हो तो फिर वह आम अरब बवक़्ते तवाफ़ कपड़ा पहन लेता, या वह अरब जिसके पास बिलकुल नया कपड़ा होता। फिर यह कपड़े उतार दिए जाते और उनका कोई मालिक न समझा जाता और किसी के पास नया कपड़ा न हो, या किसी क़ुरैशी से कपड़ा भी आरयतन न मिला हो तो वह नंगा ही तवाफ़ करता, औरतें भी उमूमन नंगी तवाफ़ करतीं और रात के वक़्त करतीं। यह चीज़ उन लोगों ने अपनी तरफ़ से ईजाद कर ली थी और इस ज़हनियत में अपने आबा की इत्तिबाअ की थी। उनका ऐतिक़ाद था कि उनके आबा का यह काम अल्लाह तआला के हुक्म की बिना पर है। चुनाँचे अल्लाह तआला इस बात का इंकार करता है कि "ऐ मुहम्मद (ﷺ)! इनसे कह दो कि यह फ़ोहश और नाज़ेबा काम तुम जो करते हो, अल्लाह तआला ऐसे कामों का हुक्म नहीं करता है। तुम अल्लाह तआला की तरफ़ ऐसी बातें मंसूब करते हो जिसकी सेहत का तुम्हें कोई इल्म नहीं। कह दो कि मेरा रब तो अद्ल और इस्तिक़ामत का हुक्म देता है। और यह भी कि अल्लाह तआला की इबादत अपनी जगह पर इस्तिक़ामत से अंजाम दो।" इसी में रसूलों की मुताबिअत है। जिन्होंने शरीअते रब्बानी पेश की और मोजिज़ात दिखाकर ताकीद की कि अब इख़्लास इख़्तियार करो और जब तक यह दोनों बातें यानी शरीअत की पाबन्दी और इख़्लास फ़िल इबादत न हो तो तुम्हारी कोई इबादत क़बूल नहीं की जा सकेगी। क़ौलुहू तआला (कमा बदअकुम तऊदून. फ़रीक़न हदा व फ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुज़्ज़लालतु) इसके मअनी में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ है। यानी मरने के बाद फिर ज़िन्दा करेगा। दुनिया में पैदा किया और आख़िरत में उठाएगा। पैदा किया जबकि ला शै (Nothing) थे फिर मर गए, फिर ज़िन्दा किए जाओगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) पन्द व वअज़ देने के लिए खड़े हुए और फ़र्माया कि "ऐ लोगों! तुम खुले नंगे ग़ैर मख़्तून उठाए जाओगे। क्योंकि पैदाईश के वक़्त तुम ऐसे ही थे।" यह हम पर फ़र्ज़ है अगर हमको करना है तो यही करेंगे।" (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाबुल हश्र : 6526; सहीह मुस्लिम : 2860; तिर्मिज़ी : 1423; अहमद : 1/229; मुस्नद तयालिसी : 2638; इब्ने हिब्बान : 7347) मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि मतलब यह है कि मुसलमान को मुसलमान और काफ़िर को काफ़िर उठाया जाएगा। अबुल आलिया (रह.) कहते हैं अल्लाह तआला के इल्म के मुताबिक़ उठाए जाएँगे या जैसा तक़्दीर में लिखा है या जैसा तुम्हारा अमल था। मुहम्मद बिन कअब (रह.) का ख़्याल है कि शक़ावत (बदबख़्ती) पर अगर उसकी ख़िल्क़त हुई है तो शक़ी (बदबख़्त) बनाकर वरना सईद (नेक) बनाकर जैसाकि मूसा (عليه السلام) के ज़माने के जादूगर कि उम्रभर अहले शक़ावत के अमल करते रहे लेकिन चूँकि उनकी ख़िल्क़त सआदत की बुनियाद पर हुई थी इसलिए इसी बुनियाद पर उनका नश्र होगा।

इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह तआला ने किसी को मोमिन पैदा किया है और किसी को काफ़िर, जैसा कि फ़र्माया (हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिन्कुम काफ़िरुव्वंमिन्कुम मुअमिन) फिर ऐसा ही तुम्हें उठाएगा जैसा कि पैदा किया। इस क़ौल की ताईद हदीसे इब्ने मसऊद (रज़ि.) से भी होती है जो सहीह बुख़ारी में है कि "अल्लाह तआला की क़सम! कोई शख़्स अहले जन्नत वाले अमल करता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के बीच एक गज़ का फ़ासला रह जाता है कि लिखी हुई तक़दीर) उस पर ग़ालिब आ जाता

है और वह अहले नार के अमल करने लगता है और उसी पर मर जाता है और दाख़िले जहन्नम होता है। और कोई शख़्स उम्रभर अहले नार के से अमल करता है और दोज़ख़ से एक ग़ज़ की दूरी रह जाती है कि किताबे इलाही उस पर ग़ालिब आ जाती है फिर वह जन्नतियों की तरह अमल करके मरता है और जन्नती बन जाता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्रुल मलाइकति सल्वातुल्लाहि अलैहिम : 3208; सहीह मुस्लिम : 2643; अहमद : 1/382; इब्ने हिब्बान : 1674) और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''कोई शख़्स लोगों की नज़रों में जन्नतियों के से अमल करता हुआ दिखाई देता है और वह दरहक़ीक़त होता है अहले दोज़ख़। और एक दूसरा शख़्स होता है कि दोज़ख़ियों के से आमाल करता हुआ दिखाई देता है लेकिन दरअसल होता है जन्नती।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब अल्आमालु बिल ख़्वातीम वमा युख़ाफ़ु मिन्हा : 6493; सहीह मुस्लिम : 112; अहमद : 3/331; दलाइलुन्नुबुव्वत : 4/252) सनद तो उन आमाल की है जो ख़ात्मा के वक़्त सरज़द होते हों और कलिम-ए-शहादत पर दम निकलता हो। जैसाकि फ़र्माया कि मरने के वक़्त जैसा था वैसा ही उठेगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नत, बाब अल्अम्रु बि हुस्निज़्ज़न्न बिल्लाहि तआला इन्दल मौत : 2878; अहमद : 3/331; इब्ने हिब्बान : 7319) अब ज़रूरी है कि इस क़ौल और इस आयत के बीच कि (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا) (30/रूम : 30) तो तवाफ़ुक़ क़ायम रहे। और यह भी हदीस क़ौले बारी तआला की ताईद में है कि हर बच्चा फ़ित्रते दीन पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ बाप या तो उसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी या मजूसी। (इसकी तख़रीज सूरतुन्निसाअ आयत 119 के तहत गुज़र चुकी है।) और नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मैंने तो अपने बन्दों को नेक फ़ित्रत पर पैदा किया था लेकिन शयातीन ने उनको बहका बहकाकर दीन से भटका दिया।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्नत, बाब अस्सिफ़ातुल्लती युअरफ़ु बिहा फ़िद्दुनिया अहलुल जन्नत व अहलुन्नार : 2865; मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20088; मुस्नद तयालिसी : 1079; अहमद : 4/266; इब्ने हिब्बान : 653) ग़र्ज़ तवाफ़ुक़ यूँ हो सकता है कि अल्लाह तआला ने उनको यूँ पैदा किया है कि पहले तो वह मोमिन होंगे। क्योंकि फ़ित्रत में ईमान है और यह भी तक़्दीर में लिख दिया है कि फिर काफ़िर हो जाएँगे अगरचे सारी मख़्लूक़ मारिफ़त और तौहीद की फ़ित्रत रखती है जैसाकि उनसे ऐसा अहद भी ले लिया गया था, और उसको उनकी फ़ित्री चीज़ बनाया था लेकिन बावजूद इसके उनके मुक़द्दर में यह था कि वह या तो शक़ी (बदबख़्त) साबित होंगे या सईद (नेक) और हदीस में है कि ''लोग सुबह उठते हैं तो या तो अपनी जान नजात के हवाले करते हैं या हलाकत के हवाले।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तहारत, बाब फ़ज़्लुल वुज़ू : 223; तिर्मिज़ी : 3517; अहमद : 5/342; इब्ने हिब्बान : 844) उसकी नजात में अल्लाह तआला ही का हुक्म नाफ़िज़ है। वही अल्लाह तआला है कि (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ) (87/आला : 3) यानी क़रार यूँ दिया कि वह हिदायत पाएगा। (الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ) (20/ताहा : 50) जिसने कि हर चीज़ को उसकी ख़िल्क़त अता फ़र्माई फिर रास्ते पर लगाया। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि ''जो अहले सआदत हैं उनको अहले सआदत के से अमल करने में दुश्वारी महसूस नहीं होती। और जो अहले शक़ावत से हैं उन पर शक़ी (बदबख़्त) लोगों के से अमल आसान हो जाते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब

मौइज़तिल मुहद्दिस इन्दल क़ब्रि व क़ुऊदु अस्हाबिही हौलह : 1362; सहीह मुस्लिम : 2647; अबूदाऊद : 4694; तिर्मिज़ी : 2137; इब्ने माजा : 78; अहमद : 1/82; मुस्नद अबी यअ़ला : 375) इसीलिए फ़र्माया कि एक फ़रीक़ तो हिदायत पर है और एक फ़रीक़ पर गुमराही छाई हुई है फिर उसकी यह इल्लत यहाँ बयान फ़र्माई कि उन्होंने अल्लाह तआ़ला के बजाए शयातीन को अपना औलिया बना लिया था। यह बड़ी खुली दलील है उन लोगों की ग़लती पर जो यह ज़अ़म (गुमान) करते हैं कि अल्लाह किसी को मअ़सियत या किसी ग़लत अ़क़ीदा पर अ़ज़ाब नहीं देगा जबकि उसको अपने अ़मल के सहीह होने का यक़ीने कामिल हो। हाँ! किसी इल्म व यक़ीन के बावजूद अगर ज़िद् से न माने तो उसी को अ़ज़ाब होगा। इसलिए कि अगर उनका यही ख़्याल होता तो उस गुमराह में जो अपने को हिदायत पर यक़ीन कर रहा है और उस फ़रीक़ पर जो दरहक़ीक़त गुमराही पर नहीं बल्कि हिदायत पर है सहीह अ़मल करता है और सहीह अ़क़ीदा पर है कोई फ़र्क़ नहीं हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने ऐसे दो क़िस्म के लोगों में फ़र्क़ बता दिया है।

***

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

तर्जुमा : "ऐ औलादे आदम! तुम मस्जिद की हर हाज़िरी के वक़्त अपना लिबास पहन लिया करो और ख़ूब खाओ और पियो और हद से मत निकलो बेशक अल्लाह तआ़ला पसंद नहीं करते हद से निकल जाने वालों को।" (31)

अच्छा लिबास कौनसा है? (आयत 31) : इन आयात में उन मुश्रिकीन का रद्द है जो नंगे होकर बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करने पर ऐतिमाद रखते थे कि दिन में मर्द और रात में औरतें कपड़े उतारकर तवाफ़ करती थीं। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तफ़्सीर, बाब फ़ी क़ौलिही (ख़ुज़ू ज़ीनतुकुम इन्द कुल्लि मस्जिद) : 3028) चुनाँचे इर्शाद होता है कि हर नमाज़ के वक़्त (जिसमें बैतुल्लाह शरीफ़ के तवाफ़ की इबादत भी शामिल हो सकती है) अपनी ज़ीनत यानी लिबास पहने रहो जो तुम्हारे जिस्म को नंगेपन से छुपा ले। इसके अ़लावा अच्छे-अच्छे कपड़े और ज़ेबो ज़ीनत भी कर लो। अइम्म-ए-सल्फ़ ने यही लिखा है कि यह आयत मुश्रिकीन के नंगे होकर तवाफ़ करने ही के बारे में है, और अनस (रज़ि.) से मरफ़ूअन मरवी है कि "यह नमाज़ के वक़्त जूती पहनकर पढ़ने के बारे में वारिद हुई है" लेकिन इसकी सेहत ग़ौरतलब है। और इसी बिना पर हदीस में कहा गया है कि "नमाज़ के वक़्त तजम्मुल (अच्छे लिबास) से नमाज़ पढ़ना मुस्तहब और लायक़े सवाब है। ख़ुसूसन जुम्अ़े का दिन और ईदैन के दिन, और बेहतर है कि ख़ुश्बू भी मलें क्योंकि यह भी ज़ीनत है और सबसे अच्छा लिबास सफ़ेद लिबास है।" नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "सफ़ेद कपड़े पहनो यही सबसे अच्छे कपड़े हैं

अपनी मय्यित को भी उसी में कफ़्नाओ। आँखों में सुर्मा लगाया करो यह बसारत को तेज़ करता है और बाल उगाता है।'' (अबूदाऊद, किताबुल् लिबास, बाब फ़िल बयाज़ : 4061; वहुव ह़सन; तिर्मिज़ी : 994; इब्ने माजा : 1472; अह़मद : 1/247; इब्ने ह़िब्बान : 5423; ह़ाकिम : 1/354) यह ह़दीस जय्यदुल इस्नाद है। तमीमदारी (रज़ि.) ने एक चादर हज़ार दिरहम में ख़रीदी थी, उसी को ओढ़कर नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह तआला ने फ़र्माया (कुलू वश्रबू वला तुस्रिफ़ू) खाओ पियो और इस्राफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची) न करो। इस आयत में सारी तिब्ब जमा है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जो चाहो खाओ जो चाहो पहनो मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं रखता लेकिन दो ख़स्लतें बुरी हैं एक तो इस्राफ़ दूसरे गुरूर और अकड़ना। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''खाओ पियो पहनो दूसरों को दो, लेकिन इस्राफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची) न होने पाए और शान व गुरूर के लिए न हो, अल्लाह तआला चाहता है कि तुम पर उसकी नेअ़मतों का असर नुमायाँ हो।'' (अह़मद : 2/182; ह़ाकिम : 4/135; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; व ह़दीसे तिर्मिज़ी : 2819 (स़ह़ीह़) युग़्नी अ़न्हू) यह तो पहनने के बारे में बात थी और खाने के बारे में यह कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''उस बर्तन से ज़्यादा मनहूस कोई बर्तन नहीं जिसको भरा हुआ पेट कहा जाए। इंसान के लिए तो चंद लुक़्मे भी काफ़ी हैं। जो उसको अपनी ह़ालत पर क़ायम रख सकें और अगर कुछ खाना ही चाहता है तो एक तिहाई पेट ग़िज़ा खा ले और एक तिहाई पानी पी ले और एक तिहाई ब आसानी सांस लेने के लिए छोड़ दे।'' (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब मा जाअ फ़ी कराहियति कस्रतिल अक्ल : 2380; वहुव स़ह़ीहुन; इब्ने माजा : 3349; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 6768; अह़मद : 4/132; इब्ने ह़िब्बान : 674) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''इस्राफ़ यह है कि जो जी में आया इंसान खा लिया करे।'' (इब्ने माजा, किताबुल इत़्अ़मा, बाब मिनल इस्राफ़ि तअकुल कुल्ला मश्तहैता : 3352; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दा, यूसुफ़ बिन अबी कसीर मज्हूल और नूह़ बिन ज़क्वान ज़ईफ़ रावी है। मुस्नद अबी यअ़ला : 2765; ह़िल्यतुल औलिया : 10/213; शुअ़बुल ईमान : 2/169)

सुद्दी (रह़.) कहते हैं कि जो लोग नंगे त़वाफ़े बैतुल्लाह करते थे वह ह़ज्ज के ज़माने में चर्बी अपने पर ह़राम कर लिया करते थे। इसलिए अल्लाह तआला फ़र्माता है कि चर्बी ह़राम नहीं है खाओ पियो और चर्बी की तह़रीम में जो ज़्यादती तुमने कर रखी है यह न करो। मुजाहिद (रह़.) कहते हैं खाओ पियो जो कुछ अल्लाह तआला ने तुम्हें दे रखा है। अ़ब्दुर्रह़मान बिन ज़ैद (रजि.) कहते हैं कि (ला तुस्रिफ़ू) का मत़लब यह है कि खाओ लेकिन ह़राम न खाओ क्योंकि यह ज़्यादती है। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि खाओ पियो लेकिन ज़्यादा खाओ पियो नहीं, क्योंकि यही इस्राफ़ है। अल्लाह तआला इस्राफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। (मुस्रिफ़ीन) से मुअ़तदीन) मुराद हैं जैसाकि फ़र्माया (इन्नल्लाह ला युह़िब्बुल मुअ़तदीन) यानी ह़द से तजावुज़ करने वालों को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता। क्योंकि गुलू करके ह़लाल को भी बज़अ़मे एह़तियात़ अपने ऊपर ह़राम कर लेते थे या ह़राम को ह़लाल कर लेते थे। अल्लाह तआला का मंशा यह है कि ह़लाल को ह़लाल रखो और ह़राम को ह़राम। यही अ़द्ल है जिसका हुक्म दिया गया है।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि अल्लाह तआला के पैदा किए हुए कपड़ों को जिनको उसने अपने बन्दों के वास्ते बनाया है। और खाने पीने की हलाल चीज़ों को किस शख़्स ने हराम किया है। आप कह दीजिए कि यह चीज़ें इस तौर पर कि क़यामत के दिन भी ख़ालिस रही दुनियावी ज़िन्दगी में ख़ास अहले ईमान ही के लिए हैं हम इसी तरह तमाम आयात को समझदारों के वास्ते साफ़ साफ़ बयान करते हैं। (32) आप कहिए कि अल्बत्ता मेरे रब ने सिर्फ़ हराम किया है तमाम फ़ोहश बातों को उनको जो यह ऐलानिया करते हैं वह भी और इनमें जो पोशीदा हैं वह भी और हर गुनाह की बात को और नाहक़ किसी पर ज़ुल्म करने को और इस बात को कि तुम अल्लाह तआला के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह तआला ने कोई सनद (दलील/प्रूफ़) नाज़िल नहीं की और इस बात को कि तुम लोग अल्लाह तआला के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसकी तुम सनद न रखो।" (33)

हलाल चीज़ को हराम करना (आयत 32, 33) : इस आयत में रद्द है उस शख़्स का जो खाने पीने या पहनने की कोई चीज़ अपने ऊपर हराम कर लेता है हालाँकि शरअन कोई मुमानिअत नहीं होती। कह दो ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उन मुश्रिकीन से जिन्होंने आरा-ए-फ़ासिदा (ग़लत रायों) से अपने ऊपर एक एक चीज़ हराम कर ली है कि किसने अल्लाह तआला की इस दी हुई ज़ीनत को हराम कर दिया, जो हक़ तआला ने बन्दों के लिए क़रार दी। जिसको कि अल्लाह तआला ने पैदा किया है इस दुनियावी ज़िन्दगी में अपने इबादतगुज़ार मोमिनों के लिए। अगरचे कुफ़्फ़ार भी इसमें शरीक हैं। लेकिन इन नेअमतों का हक़ तो दरअसल मोमिन ही रखते हैं और यह नेअमतें तो ख़ुसूसियत के साथ क़यामत में उन्हें मिलेंगी जहाँ कुफ़्फ़ार शरीक नहीं हो सकते। क्योंकि जन्नत की नेअमतें कुफ़्फ़ार पर हराम हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अरब बैतुल्लाह शरीफ का उरियाँ (नंगे) तवाफ़ करते वक़्त सीटियाँ और तालियाँ बजाते थे, तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि "लिबास तो अल्लाह तआला की ज़ीनत है" इसको पहने हुए तवाफ़ किया करो।

सबसे ज़्यादा ग़ैरतमंद हस्ती : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला से ज़्यादा ग़ैरतमंद कोई नहीं। इसीलिए खुली छुपी सारे गुनाह की बातें अल्लाह तआला ने ह़राम कर दी हैं और वह बन्दा अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है जो हर आन (वक़्त) अल्लाह तआला की ह़म्द करता रहे और नाह़क़ और नारवा इस्म और बग़्य को भी ह़राम कर दिया है।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, बाब सूरतुल अन्आम व क़ौलुहू तआला (वला तक़्रबुल फ़वाह़िश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन) : 4634; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2760; तिर्मिज़ी : 353; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11173; अह़मद : 1/381; इब्ने ह़िब्बान : 294) अनस (रज़ि.) कहते हैं कि इस्म के मअ़नी मअ़सियत और बग़्य के मअ़नी हैं बग़ैर ह़क़ के लोगों का माल या नाह़क़ इज़्ज़त छीनने में ज़्यादती करना। मुजाहिद (रह़.) कहते हैं कि बाग़ी वह है जो ख़ुद अपने नफ़्स पर बग़ावत करे और ह़ासिले बह़स तफ़्सीर यह है कि 'इस्म' वह ख़ताऐं हैं जो फ़ाइल (कर्ता) की अपनी ज़ात के बारे में हैं और 'बग़्य' वह तअ़द्दी है जो लोगों तक मुतजाविज़ (तजावुज़ करने वाला/हदों को लाँघने वाला) हो जाए। अल्लाह तआला ने इन दोनों चीज़ों को ह़राम फ़र्माया है और फ़र्माया कि शिर्क बिल्लाह भी ह़राम है जिसकी कोई सनद ही नहीं है और किसी को अल्लाह का शरीक बनाने का कोई ह़क़ ही नहीं है। और यह भी ह़राम है कि वह बातें कहो जो तुम नहीं जानते यानी यह कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह तआला की औलाद हैं और इसी क़िस्म की बातें जिनका कोई इल्म व यक़ीन ही नहीं जैसाकि फ़र्माया कि बुतपरस्ती की गंदगी से बचो।

***

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٤﴾
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا
اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا
عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

तर्जुमा : ''और हर गिरोह के लिए म्याद मुअय्यन है तो जिस वक़्त उनकी म्यादे मुअय्यन आ जाएगी उस वक़्त एक साअत न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। (34) ऐ औलादे आदम! अगर तुम्हारे पास पैग़म्बर आएँ जो तुम ही में से होंगे जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करेंगे तो जो शख़्स परहेज़ रखे और दुरुस्ती करे तो उन लोगों पर न कुछ अंदेशा है और न वह ग़मगीन होंगे। (35) और जो लोग हमारे इन अहकाम को झूठा बताएँ और इनसे तकब्बुर करेंगे वह लोग दोज़ख़ वाले होंगे वह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। (36) तो उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह तआला पर झूठ बाँधे या उसकी आयतों को झूठा बतलाए, इन लोगों के नसीब का जो कुछ है वह इनको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते इनकी जान क़ब्ज़ करने आएँगे तो कहेंगे कि वह कहाँ गए जिनकी तुम अल्लाह तआला को छोड़कर इबादत किया करते थे, वह कहेंगे कि हमसे सब ग़ायब हो गए और अपने काफ़िर होने का इक़रार करने लगेंगे।'' (37)

नेकों को बशारत (ख़ुशख़बरी) और बुरे लोगों को अज़ाब की वईद (धमकी) (आयत 34-37) : इर्शाद होता है कि हर उम्मत के लिए एक मीक़ात (तै शुदा वक़्त) मालूम और वक़्त मुक़र्रर है और जब वह वक़्त आ जाए तो फिर लम्हा भर की भी तो तक़्दीम व ताख़ीर नहीं हो सकती। फिर बनी आदम को अल्लाह पाक डराता है कि देखो! तुम्हारे पास हमारे रसूल आएँगे तुमको हमारी आयात पढ़कर सुनाएँगे बशारत भी देंगे और डर भी दिलाएँगे, अब जो डर गया और अपनी इस्लाह कर ली, हराम चीज़ों को तर्क कर दिया, इताअत के काम करने लगा तो उसको न किसी डर का सामना होगा और न कोई रंजो ग़म घेरेगा। लेकिन जो हमारी आयतों को झुठलाएँगे और गुरूर से काम लेंगे यही लोग अहले नार (दोज़ख़ी) हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे।

मलकुल मौत की ज़ालिम लोगों से मुलाक़ात : इर्शाद होता है कि उससे बढ़कर ज़ालिम और कोई नहीं जो अल्लाह तआला पर किज़्ब का इफ़्तिरा करे या उसकी आयतों और मोजिज़ात को झुठलाए, यह लोग नविश्त-ए-तक़्दीर से अपना हिस्सा पा लेंगे। मुफ़स्सिरीन ने इसके मअनी में इख़्तिलाफ़ात किए हैं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि उनका चेहरा काला हो जाएगा। या यह कि जो ख़ैर करेगा उसकी जज़ा ख़ैर मिलेगी और बद की जज़ा बद मिलेगी। या अपने हिस्से से मुराद अपना अमल अपना रिज़्क़ और अपनी उम्र। और यह क़ौल मअनी और सियाक़े इबारत के लिहाज़ से क़वी है। इस पर अल्लाह तआला का यह क़ौल दलालत करता है कि ''हमारे फ़रिश्ते जब उनकी रूह क़ब्ज़ करने के लिए आएँगे।'' और इस आयत के मअनी की मिसाल यह क़ौले पाक है कि ''जो लोग अल्लाह तआला पर झूठ का इफ़्तिरा करते हैं वह दुनिया में तमत्तोअ के लिहाज़ से कोई फ़लाह नहीं पाएँगे और जब फिर वह हमारी तरफ़ लौटेंगे तो उनके कुफ़्र के सबब हम उन्हें अज़ाबे शदीद का मज़ा चखाएँगे।'' फिर फ़र्माया कि, अगर कोई कुफ़्र करता है तो करने दो, तुम्हें उसका कुफ़्र रंज व कोफ़्त में न डाले। उनको आख़िर हमारी तरफ़ आना है ही, उस वक़्त इनके आमाल इन पर खुल जाएँगे। अल्लाह तआला दिलों की बात को जानने वाला है। हमने तो चंद दिन की छूट इनको दे रखी है। अल्लाह पाक आयते बाला में ख़बर देता है कि फ़रिश्ते जो मुश्रिकीन की रूह क़ब्ज़ करेंगे तो मौत के वक़्त उनको डराएँगे और रूह क़ब्ज़

करके दोज़ख़ की तरफ़ ले जाएँगे और उनसे कहेंगे कि अब वह कहाँ हैं जिनको तुम अल्लाह तआला का शरीक ठहराए फिरते थे, उन्हीं से दुआ मांगते थे और उन्हीं की इबादत करते थे। उन्हीं को बुलाओ ताकि वह तुमको दोज़ख़ से छुड़ाएँ। तो वह कहेंगे, वह अब कहाँ वह तो सब भाग गए। हमको तो अब उनकी ख़बर की भी उम्मीद नहीं, और अपने मुँह आप इक़रार करने लगेंगे कि हम कुफ़्र करते रहे थे।

***

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ۭ كُلَّمَا
دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۭ حَتّٰٓي اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ
لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَاۗءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ڛ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ
وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

तर्जुमा : "अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि जो फ़िर्के तुमसे पहले गुज़र चुके हैं जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी, उनके साथ तुम भी दोज़ख़ में जाओ। जिस वक़्त भी कोई जमाअत दाख़िल होगी अपनी जैसी दूसरी जमाअत को लानत करेगी यहाँ तक कि जब उसमें सब जमा हो जाएँगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार हमको इन लोगों ने गुमराह किया था इनको दोज़ख़ का अज़ाब दुगुना दीजिए। अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि सब ही का दुगुना है लेकिन तुमको ख़बर नहीं। (38) और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हम पर कोई फ़ौक़ियत नहीं सो तुम भी अपने किरदार के मुक़ाबले में अज़ाब का मज़ा चखते रहो।" (39)

काफ़िरों का एक दूसरे को मौरिदे इल्ज़ाम ठहराना (आयत 38, 39) : अल्लाह पाक मुश्रिकीन की उन बातों की ख़बर दे रहा है जो वह अल्लाह तआला पर इफ़्तिरा बाँधते थे जबकि उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने जैसे उन गिरोहों में जाकर शामिल हो जाओ जो तुम्हारी सिफ़ात वाले थे और जो तुमसे पहले गुज़रे हैं ख़्वाह वह जिन्नात में से हों या इंसान में से और फिर जहन्नम की राह लो। (मिनल जिन्नि वल इंस) मुहतमिल (मुम्किन) है कि (फ़ी उममिन) का बदल हो और यह भी मुहतमिल है कि (फ़ी उममिन) मअनी में हो मअ उमम के। और क़ौलुहू तआला (कुल्लमा दख़लत् उम्मतुल् लअनत् उख़्तहा) यानी जब एक नया गिरोह दोज़ख़ में झोंका जाएगा तो एक दूसरे को बुरा कहने लगेंगे (ख़लीलुल्लाह ﷺ ने फ़र्माया कि क़यामत के दिन एक काफ़िर

दूसरे काफ़िर से सरकश हो जाएगा और आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगेंगे।) इर्शाद होता है कि जिस वक़्त यह कुफ़्फ़ार ताबेईन अपने अपने मत्बूईन से सख़्त इज़्हारे नाराज़गी करेंगे और जब वह अ़ज़ाबे इलाही को देख लेंगे और ताल्लुक़ात बाहम टूट जाएँगे, यह ताबेईने कुफ़्फ़ार कहेंगे कि काश! हमें फिर दुनिया में जाना नसीब हो तो जिस त़रह़ इस वक़्त यह हमसे अलग हो गए हैं उसी त़रह़ हम भी इन से बेज़ारी का इज़्हार करके बदला लेंगे। अल्लाह तआ़ला इसी त़रह़ इनके आ़माले ह़सरत के रंग में पेश करके इन्हें बतलाएगा। लेकिन जहन्नम से वह किसी त़रह़ ख़ारिज न हो सकेंगे। यहाँ तक कि वह सब जब दोज़ख़ में जमा हो जाएँगे तो बाद में दाख़िले दोज़ख़ होने वाले ताबेईन अपने मत्बूईन के बारे में कहेंगे, वह मत्बूईन जिनका जुर्म बनिस्बत ताबेईन के ज़्यादा शदीद था और वह पहले ही से दाख़िल हो चुके थे, अल्लाह तआ़ला से अपने मत्बूईन की शिकायत करेंगे कि इन्हीं ने हमको सीधे रास्ते से भटका दिया था, इसलिए ऐ रब! इनको दोज़ख़ में दुगुना अ़ज़ाब कर जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है कि ''जिस दिन आग में जलकर इनके चेहरे स्याह हो जाएँगे, वह कहेंगे कि काश! हम अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) की इत़ाअ़त करते। और ऐ रब! हमने अपने बड़ों की बात मानी और उन्होंने हमें बहका दिया। ऐ अल्लाह! इनको दुगुना अ़ज़ाब कर।'' (33/अह़ज़ाब : 66, 67) तो अल्लाह तआ़ला कहेगा कि नहीं! तुममें से हर एक को दुगुना अ़ज़ाब होगा। जैसाकि फ़र्माया कि जो लोग कुफ़्र करते हैं और लोगों को अल्लाह तआ़ला की राह से रोकते हैं हम उनका अ़ज़ाब ज़्यादा कर देंगे और वह अपने गुनाहों का बोझ भी उठाएँगे और दूसरों के गुनाहों का भी। ग़र्ज़ मत्बूईन अपने ताबेईन से कहेंगे कि अब तुमको हम पर क्या फ़ज़ीलत रही, तुम भी ऐसे ही ख़ुद से गुमराह हो गए, जैसे हम हो गए थे, तो अब अपने आ़माल का मज़ा चखो। उनकी यह ह़ालत वैसी कुछ है जिसकी ख़बर अल्लाह तआ़ला ने यूँ दी है कि, ऐ नबी (ﷺ)! काश तुम इन काफ़िरों को देखते कि वह अपने रब के सामने खड़े हुए हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ामतराशी कर रहे हैं और ताबेईन अपने मत्बूईन से कह रहे हैं कि अगर तुम न होते तो हम मोमिन बनते और मत्बूईन अपने ताबेईन से कहेंगे कि हिदायत ह़ासिल करने से हमने तुमको रोक थोड़े ही लिया थ, तुम तो अपने आप भटक गए थे अ़क़्ल से काम क्यूँ नहीं लिया था। और ताबेईन मत्बूईन से कहेंगे कि यह तो तुम्हारा रात दिन का बहकाना था कि तुम हमको कुफ़्र पर मजबूर करते थे और ख़ुदाई में शरीक ठहराते थे। फिर आप ही चुपके-चुपके नादिम हो जाएँगे, जब अ़ज़ाबे इलाही को देख लेंगे और हम उनकी गर्दनों में त़ौक़ डाल देंगे और जैसा वह किया करते थे वैसी ही उनको जज़ा मिलेगी। (34/सबा : 31-33)

***

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾ لَهُم
مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

तर्जुमा : "जो लोग हमारी आयात को झूठा बतलाते हैं और उनसे तकब्बुर करते हैं उनके लिए आसमान के दरवाज़े न खोले जाएँगे और वह लोग कभी जन्नत में न जाएँगे जब तक कि ऊँट सूई के नाके के अंदर से न चला जाए और हम मुज्रिम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। (40) इनके लिए आतिशे जहन्नम का बिछौना होगा और इनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा और हम ऐसे ज़ालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं।" (41)

काफ़िरों का ओढ़ना बिछौना आग ही है (आयत 40, 41) : जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और उससे रूगर्दानी की, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएँगे यानी न उनका अमले सालेह ऊपर चढ़ाया जाएगा न दुआएँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ाजिर की रूह के क़ब्ज़ करने का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि "फ़रिश्ते उस रूह को लेकर आसमान पर चढ़ेंगे, और मल-ए-आला के जिन फ़रिश्तों पर से गुज़र होगा वह पूछेंगे कि यह किस ख़बीस की रूह है? तो उसका क़बीह तरीन नाम लेकर कहा जाएगा कि फ़लाँ की है यहाँ तक कि आसमान तक पहुँचेंगे और कहेंगे कि दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलेगा" जैसाकि इर्शाद है **(ला तुफ़त्तहु लहुम् अब्वाबुस्समाइ)** बराअ बिन आज़िब (रजि.) कहते हैं कि हम एक अंसारी के जनाज़े को लेकर नबी अकरम (ﷺ) के साथ चल रहे थे और क़ब्र तक पहुँचे तो नबी अकरम (ﷺ) वहाँ बैठ गए। हम भी आप (ﷺ) के आसपास बैठे थे और ऐसे ख़ामोश थे गोया परिन्दे हमारे सरों पर बैठ गए हों (हमें ख़ामोश व बेहरकत देखकर) आप (ﷺ) के हाथ में एक लकड़ी थी, ज़मीन पर उससे एक शुग़ल (खेल) के तौर पर लकीरें खींच रहे थे। फिर आप (ﷺ) ने अपना सर उठाया और फ़र्माने लगे "अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह तआला के पास पनाह मांगो!" दो या तीन बार फ़र्माया। फिर इर्शाद हुआ कि "मोमिन जब दुनिया से उठने लगता है और आख़िरत का रुख़ करता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फ़रिश्ते उतरते हैं और जन्नत का कफ़न लिए हुए होते हैं और जन्नत की ख़ुश्बूएँ साथ लाते हैं। इतने ज़्यादा होते हैं कि जहाँ तक नज़र काम करती है, फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते होते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सिराहने बैठते हैं और कहते हैं "ऐ मुत्मइन रूह! मग़्फ़िरते रब्बानी की तरफ़ चल! यह सुनते ही रूह निकल पड़ती है जैसेकि मश्क के मुँह से पानी के क़तरे निकलने लगते हैं, रूह निकलते ही चश्मे ज़दन (एक क्षण) में वह उसको जन्नती कफ़न पहना देते हैं और जन्नती ख़ुश्बू में उसको बसाते हैं वह मुश्क की ऐसी बेहतर ख़ुश्बू होती है कि दुनिया में जो बेहतरीन हो सकती

है। उसको लेकर आसमान पर चढ़ने लगते हैं। जहाँ कहीं से गुज़रते हैं फ़रिश्ते कहते हैं कि यह किसकी पाक रूह ले जा रहे हो? कहा जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की। आसमान तक पहुँचकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं दरवाज़ा खोल दिया जाता है। उनके साथ दूसरे तमाम फ़रिश्ते भी आसमाने दोम तक साथ आते हैं। इसी तरह आसमान ब आसमान सातवें आसमान तक पहुँचते हैं। अब अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मेरे इस बन्दे को इल्लिय्यीन के दफ़्तर में लिख लो और ज़मीन की तरफ़ वापिस कर दो। क्योंकि मैंने इसको मिट्टी ही से पैदा किया है उसी के अंदर इसको वापिस करता हूँ और फिर दूसरी बार उसी के अंदर से इसको उठाऊँगा। अब उसकी रूह वापिस की जाती है। यहाँ दो फ़रिश्ते आते हैं। उसके पास बैठते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वह कहता है कि अल्लाह तआला मेरा रब है फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है? वह कहता है इस्लाम मेरा दीन है। फिर पूछते हैं वह कौन शख़्स हैं जो तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का पैग़ाम देकर भेजे गए थे? वह कहता है कि वह अल्लाह तआला के रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) थे। फिर पूछते हैं तुम्हारा ज़रिय-ए-इल्म क्या था? वह कहता है कि मैंने अल्लाह तआला की किताब पढ़ी थी उस पर ईमान लाया था। अब आसमान से एक आवाज़ आती है कि मेरे बन्दे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का फ़र्श लाओ। जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत का एक दरवाज़ा इसके लिए खोल दो ताकि जन्नत की हवा और ख़ुश्बू इसको पहुँचती रहे। उसकी क़ब्र ताहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है। एक ख़ूबसूरत शख़्स अच्छे लिबास में ख़ुश्बू में बसा हुआ उसके पास आता है और कहता है ख़ुश हो जाओ कि आज तुमसे जो वादा किया गया था पूरा किया जाता है। वह पूछेगा कि तुम कौन हो? वह शख़्स कहेगा कि मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। तो मुतवफ़्फ़ा कहेगा ऐ अल्लाह तआला! इसी वक़्त क़यामत क़ायम कर दे। मैं अपने अहलो-अयाल और माल से मिलूँगा।'' आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''बन्दा काफ़िर जब दुनिया से मुँह मोड़ने लगता है तो स्याह रंग के फ़रिश्ते टाट लिए हुए आ पहुँचते हैं और ताहद्दे नज़र होते हैं। अब मलकुल मौत आते हैं और कहते हैं कि ऐ ख़बीस रूह! निकल और अल्लाह तआला की नाराज़ी और ग़ज़ब की तरफ़ जा तो वह जिस्म के अंदर घुसने लगती है, फ़रिश्ते उसको खींचकर निकालते हैं जैसे कि लोहे की सीख़ भीगे हुए बालों के अंदर से निकाली जाती है। वह उसको लेते ही पलक झपकते ही उसको टाट के अंदर लपेट लेते हैं। उसके अंदर से सड़े हुए मुरदार की तरह बदबू निकलती है उसको लेकर आसमान पर चढ़ते हैं और जहाँ कहीं से गुज़रते हैं फ़रिश्ते पूछते हैं कि यह किस ख़बीस की रूह है? कहा जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की। और जब आसमान तक पहुँचकर कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो! तो नहीं खोला जाता है।'' फिर आप (ﷺ) ने (ला तुफ़त्तहु) वाली आयत पढ़ी।

''अब अल्लाह तआला फ़र्माता है कि उसको ज़मीन के सबसे निचला तब्क़ा की ''सिज्जीन'' में ले जाओ। चुनाँचे उसकी रूह वहाँ फेंक दी जाती है।'' फिर आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई कि ''जो अल्लाह तआला का शरीक ठहराता है गोया आसमान से गिर पड़ा और परिन्दे उसका गोश्त नोच रहे हों या हवाएँ दूर दराज़ उसको लिए उड़ रही हों।'' उसकी रूह उसके जिस्म में वापिस कर दी जाती है। दो फ़रिश्ते आकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है अफ़सोस! मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन कौनसा है?

वह जवाब देते है हाय! मैं वाक़िफ़ नहीं। अब पूछा जाता है कि तेरी तरफ़ कौन भेजे गये थे? वह कहता है हैफ़ (अफ़सोस) मुझे इल्म नहीं। अब आसमान से निदा आती है कि मेरा बन्दा झूठ कहता है। इसके लिए दोज़ख़ का फ़र्श लाओ और दोज़ख़ का दरवाज़ा इस पर खोल दो ताकि इसको दोज़ख़ की हरारत और गर्म हवा पहुँचती रहे। उसकी क़ब्र उस पर तंग हो जाती है और इतना दबाती है कि हड्डी पसली मिल जाए। एक क़बीह चेहरे वाला मैले कुचैले कपड़े पहने बदबूदार उसके पास आता है और कहता है कि तुझे अपनी बदबख़्तियों की बशारत है यह वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया था। वह पूछता है तू कौन है? वह कहता है मैं तेरा अमले बद हूँ। काफ़िर कहने लगता है कि अल्लाह तआला करे क़यामत क़ायम न हो, (ताकि मुझे दोज़ख़ में न जाना पड़े।) (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब अल्मस्अलतु फ़िल क़ब्रि व अज़ाबिल क़ब्र : 4753; वहुव सहीहुन; अहमद : 4/287, 288; शरीअत लिल आजुरी : 878; हाकिम : 1/37; शुअबुल ईमान : 395; उसूलुल ऐतिक़ाद : 2140; इनकी इस्नाद सहीह दर्जे की हैं। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया : 30/503))

बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) कहते हैं कि हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ बाहर निकले, जनाजे के साथ थे, (बाक़ी बयान साबिक़ा बयान की तरह है।) ''यहाँ तक कि मोमिन की रूह जब निकलती है तो आसमान व ज़मीन के फ़रिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं। उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सारे फ़रिश्तों की दुआ यही होती है कि उसकी रूह को हमारे सामने से लेते जाएँ। काफ़िर की रूह पर एक ऐसा फ़रिश्ता मुतअय्यन होता है जो अंधा बहरा और गूँगा है। उसके हाथ में गुर्ज़ होता है कि अगर पहाड़ पर मारे तो रेज़ा-रेज़ा (चूरा-चूरा) हो जाए। चुनाँचे उसकी एक ही चोट से उसका चूरा हो जाता है बिलकुल मिट्टी बन जाता है फिर वह जैसा का वैसा बहुक्मे इलाही बन जाता है। फिर एक और मार पड़ती है वह चीख़ उठता है कि जिन्न व इंस के सिवा हर मख़्लूक़ सुनती है। अब दोज़ख़ का दरवाज़ा खुल जाता है और आग बिछ जाती है।'' (अहमद : 4/295, 296; व सनदुहू ज़ईफ़ुन) (अबू हुरैरा रज़ि. से एक रिवायत भी क़रीब क़रीब ऐसी ही है इसलिए तर्जुमा ग़ैर ज़रूरी है) व क़ौलुहू तआला (ला यद् ख़ुलूनल् जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात़) यानी अगर सूई के नाके से ऊँट बाहर निकल सकता है तो फिर काफ़िर भी दाख़िले जन्नत हो सकेगा। ग़र्ज़ यह कि कभी ऐसा हो नहीं सकता। इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस लफ़्ज़ को जुम्मल पढ़ते थे। यानी जीम के पेश के साथ और तशदीद मीम के साथ 'जुम्मल' मोटी रस्सी को कहते हैं जिससे कश्तियाँ बाँधी जाती हैं।

***

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

तर्जुमा :"और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए हम किसी शख़्स को उसकी क़ुदरत से ज़्यादा कोई काम नहीं बतलाते ऐसे लोग जन्नत वाले हैं वह उसमें हमेशा-हमेशा रहेंगे।(42) और जो कुछ उनके दिलों में गुबार था हम उसको दूर कर देंगे उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वह लोग कहेंगे कि अल्लाह तआला का लाख लाख एहसान है जिसने हमको इस जगह तक पहुँचाया और हमारी कभी रसाई न होती अगर अल्लाह तआला हमको न पहुँचाता वाक़ेई हमारे रब के पैग़म्बर सच्ची बातें लेकर आए थे और उनसे पुकारकर कहा जाएगा कि यह जन्नत तुमको दी गई है तुम्हारे आमाल के बदले।" (43)

अहले ईमान की सआदतमंदी (आयत 42, 43) : अल्लाह पाक जब अश्क़िया (बदबख़्तों) का हाल ज़िक्र फ़र्मा चुका तो अब साहिबे सआदत लोगों का ज़िक्र फ़र्माता है कि वह लोग जो दिल से ईमान ला चुके हैं और अपने जवारेह से अमले सालेह कर चुके हैं और वह बरअक्स हैं उन लोगों के जिन्होंने आयाते रब्बानी से कुफ़्र किया। यहाँ इस बात को रोशनी में लाया जा रहा है कि ईमान और अमल कुछ दुश्वार चीज़ नहीं, बल्कि बहुत आसान हैं। चुनाँचे इर्शाद होता है कि हमने तक्लीफ़ाते शरई जो आइद किए हैं और ईमान और अमले सालेह को जो फ़र्ज़ क़रार दिया है यह इंसान की वुस्अत से कुछ बाहर नहीं। हम किसी को भी उसकी वुस्अत से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देते, यही लोग अहले जन्नत हैं और अहले ईमान के दिलों में जो कुछ बाहमी बुग़्ज़ व कीना होगा वह हम निकाल देंगे। (6/अन्आम : 152, 153) जैसाकि फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कि "मोमिनीन जब आग से नजात पा जाएँगे तो वह जन्नत और जहन्नम के बीच वाले पुल पर रोक लिए जाएँगे फिर उनके वह मज़ालिम ज़ेरे बहस आएँगे जो दुनिया में उनके बीच थे यहाँ तक कि उन मज़ालिम और बुग़्ज़ व हसद से जब उनके दिल पाक व साफ़ कर दिए जाएँगे तो फिर उनको जन्नत की तरफ़ राह दी जाएगी और अल्लाह तआला की क़सम! उनको जन्नत की मंज़िल अपने दुनिया के मस्कन (ठिकाने) से ज़्यादा

आसान मालूम होगी। (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मज़ालिम, बाब क़िसासुल मज़ालिम : 2440; ह़ाकिम : 2/354; मुस्नद अबी यअ़ला : 1186; इब्ने ह़िब्बान : 7434) अहले जन्नत जब जन्नत की त़रफ़ भेजे जाएँगे तो वह बाबे जन्नत के पास एक दरख़्त पाएँगे जिसके नीचे दो चश्मे बहते होंगे एक में से पानी लेकर पियेंगे तो उनके दिल में जो कुछ बाहमी कीना होगा धुल जाएगा। यही शराबे तुहूर (पाक करने वाला) है और दूसरे चश्मे में नहाएँगे तो जन्नत की सी ताज़गी उनके चेहरों पर नुमायाँ हो जाएगी। फिर न तो बाल बिखरेंगे और न सुर्मा लगाने की ज़रूरत होगी। फिर यह लोग जन्नत की त़रफ़ गिरोह गिरोह होकर रवाना किए जाएँगे।'' (त़ब्री :12/439) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और उ़स्मान और त़लह़ा और ज़ुबैर (रज़ि.) इंशाअल्लाह तआ़ला! उन्हीं लोगों में से होंगे जिनके दिलों में कीना था लेकिन सबका दिल कीना से साफ़ कर दिया जाएगा। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि अल्लाह तआ़ला की क़सम! हममें अहले बद्र भी हैं और उन्हीं की शान में यह आयत उतरी है। अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''हर जन्नती को दोज़ख़ का ठिकाना बता दिया जाएगा। वह कहेगा कि अगर अल्लाह तआ़ला मेरी हिदायत न फ़र्माता तो मेरा यही ठिकाना होता। अल्लाह तआ़ला का बड़ा शुक्र है और हर दोज़ख़ी को जन्नत का ठिकाना बता दिया जाएगा। वह कहेगा कि काश! अल्लाह तआ़ला मुझे भी हिदायत फ़र्माता तो यह ठिकाना मेरा होता इस त़रह़ उस पर ह़सरत छाई रहेगी। (सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11454; ह़ाकिम : 2/435; अह़मद : 2/512; व सनदुहू ज़ईफ़ुन व लहू शाहिद सह़ीह़ इन्दल बुख़ारी : 1569; व ह़सन इन्दहू अह़मद : 2/540; फ़िल ह़दीसि ह़सन) और जब इन मोमिनीन को जन्नत की बशारत मिल जाएगी तो कहा जाएगा कि यह जन्नत आ़माले स़ालेह़ा के नतीजे के त़ौर पर इन्आ़म है तुम पर अल्लाह की रह़मत है तुम जन्नत में दाख़िल किए गए अपने ह़स्बे आ़माल अपना ठिकाना बना लो और यह सब रह़मते रब्बानी की वजह से है'' बुख़ारी व मुस्लिम में है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''हर एक तुममें से जान ले कि किसी के अ़मल उसको जन्नत में नहीं पहुँचाते हैं।'' तो लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपको भी नहीं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''हाँ! मैं भी नहीं जब तक कि अल्लाह तआ़ला की रह़मत मेरे भी शामिले ह़ाल न हो।'' (सह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब तमन्नल मरीज़ल मौत : 5673; सह़ीह़ मुस्लिम : 2816; अह़मद : 2/264; इब्ने ह़िब्बान : 348)

***

وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ
وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٤﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
كٰفِرُوْنَ ﴿٤٥﴾

तर्जुमा : ''और अहले जन्नत अहले दोज़ख़ को पुकारेंगे कि हमसे जो हमारे रब ने वादा फ़र्माया था हमने तो उसको वाक़िया के मुताबिक़ पाया तो तुमसे जो तुम्हारे रब ने वादा किया था, तुमने भी उसको मुताबिक़े वाक़िया के पाया? वह कहेंगे, हाँ! फिर एक पुकारने वाला दोनों के बीच में पुकारेगा कि अल्लाह तआला की मार हो उन ज़ालिमों पर। (44) जो अल्लाह तआला की राह से ऐराज़ करते थे और उसमें कजी तलाश करते रहते थे और वह लोग आख़िरत के भी मुंकिर थे।'' (45)

जन्नतियों का अहले जहन्नम से सवाल (आयत 44, 45) : अहले जहन्नम के जहन्नम में जाने के बाद बतौर तौबीख़ व सरज़निश उनसे ख़िताब किया जा रहा है कि अस्हाबे जन्नत अस्हाबे नार से कहेंगे कि हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था उसको तो हक़ साबित कर दिखाया, क्या तुमको भी हक़ के उस वादे से सामना पड़ा जो तुम्हारे साथ रब ने किया था। यहाँ हर्फ़ 'अन' क़ौले महज़ूफ़ की तफ़्सीर कर रहा है और 'क़द' तहक़ीक़ के लिए आया है, तो वह काफ़िर जवाब देंगे कि हाँ। जैसाकि सूरह साफ़्फ़ात में हक़ तआला ने फ़र्माया और उस शख़्स के बारे में ख़बर दी है जो ज़िन्दगी में किसी काफ़िर का रफ़ीक़ (दोस्त) था यह कि वह मोमिन जब अपने काफ़िर दोस्त को दोज़ख़ में झाँककर देखेगा तो कहेगा कि, अल्लाह तआला की क़सम! यह तो मुझे दुनिया में अपनी ग़लत रहनुमाई से आज हलाक ही कर देने वाला था। अगर अल्लाह तआला का करम शामिल न होता तो आज मैं इसी के साथ होता। यह काफ़िर कहते थे कि बस यही हम जो मर गए सो मर गए, न फिर उठेंगे, न कोई अ़ज़ाब होगा। (37/साफ़्फ़ात : 58) फ़रिश्ते अब उनके कान खोलेंगे और कहेंगे कि देखो यह है वह दोज़ख़ जिसका तुम इंकार करते थे। यह कोई जादू है या यह कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आओ दोज़ख़ में दाख़िल हो जाओ। चारो नाचार अब तुमको सब्र करना ही पड़ेगा। तुम अपने किए का बदला पा रहे हो। (52/तूर : 14-16) इसी तरह नबी अकरम (ﷺ) ने मक़्तूलीने बद्र के कुफ़्फ़ार से यूँ ख़िताब किया था कि ऐ अबू जहल बिन हिशाम! ऐ उत्बा बिन रबीआ़! ऐ शैबा बिन रबीआ़! और दीगर मक़्तूल सरदाराने क़ुरैश के नाम ले लेकर फ़र्माया कि क्यूँ! रब ने तुमसे जो वादा किया था पूरा फ़र्मा लिया कि नहीं, मुझसे अल्लाह तआला ने जो वादा किया था, वह तो पूरा हो गया। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह

(ﷺ)! आप मुर्दों को तख़ातुब (बातचीत) कर रहे हैं, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''अल्लाह की क़सम! वह तुमसे कम नहीं सुन रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते हैं।'' (सहीह़ बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़त्ले अबी जहल : 3976; सहीह़ मुस्लिम : 2874; इब्ने हि़ब्बान : 6498)

फिर इर्शादे बारी होता है कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि ज़ालिमीन पर अल्लाह तआला की लानत है। फिर फ़र्माया कि यह वह लोग हैं जो सीधी राह से लोगों को रोकते थे। अम्बिया (عليهم السلام) की राहे शरीअ़त से लोगों को मुंहरिफ़ (फेरना) कर देते थे कि लोग टेढ़ी राह चलें और पैग़म्बर (ﷺ) की पैरवी न करें। यह आख़िरत में अल्लाह तआला का सामना होने से मुंकिर (इंकार करने वाले) थे क्योंकि उन्हें हि़साब के दिन का डर ही नहीं था। यह बड़े ही बुरे लोग थे।

***

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

तर्जुमा : ''और इन दोनों के बीच एक आड़ होगी और आराफ़ के ऊपर बहुत से आदमी होंगे वह लोग हर एक को उनके क़याफ़ा से पहचानेंगे और अहले जन्नत को पुकारकर कहेंगे, अस्सलामु अलयकुम! अभी यह अहले आराफ़ जन्नत में दाख़िल नहीं हुए होंगे और उसके उम्मीदवार होंगे। (46) और जब उनकी नज़रें अहले दोज़ख़ की तरफ़ जा पड़ेंगी तो कहेंगे, ऐ हमारे रब! हमको इन ज़ालिम लोगों के साथ शामिल न कीजिए।'' (47)

अस्हा़बे आराफ़ और उनका अंजाम (आयत 46, 47) : अहले जन्नत का अहले नार से मुख़ातिब होने का ज़िक्र फ़र्माने के बाद इर्शाद होता है कि दोज़ख़ और जन्नत के बीच एक आड़ होगी जो जहन्नमियों को जन्नत तक पहुँचने से रोक देगी। जैसाकि फ़र्माया कि उन दोनों के बीच एक दीवार क़ायम कर दी गई है। जिसके अंदर की तरफ़ एक दरवाज़ा है जिसमें रह़मत है और उसके बाहर की तरफ़ अज़ाब है। (57/ह़दीद : 13) वही आराफ़ है जिसकी निस्बत फ़र्माया कि आराफ़ पर लोग होंगे। सुद्दी से रिवायत है कि अल्लाह तआला के क़ौल ''उनके बीच आड़ होगी' में ''आड़'' यही आराफ़ है। इब्ने जरीर (रह़.) कहते हैं कि जन्नत व दोज़ख़ के बीच एक टीला है। यहाँ भी लोग रोक रखे गए हैं, यह गुनहगार हैं। सुद्दी (रह़.) कहते हैं कि आराफ़ इसलिए नाम रखा गया है कि यहाँ के लोग अपने लोगों को पहचान लेंगे। मुफ़स्सिरीन की तअबीर अस्हा़बे आराफ़ के बारे में मुख़्तलिफ़ हैं। तक़रीबन सबके एक ही मअनी हैं। यानी वह ऐसे लोग हैं जिनकी नेकियाँ और गुनाह बराबर होंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) से

पूछा गया कि जिनकी नेकियाँ और गुनाह बराबर होंगे वह कहाँ रहेंगे? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "यही लोग अस्हाबे आराफ़ हैं, यह जन्नत में तो नहीं दाख़िल किए जाएँगे लेकिन उन्हें जन्नत की तवक़्क़ुअ (उम्मीद) ज़रूर होगी।" (इसकी सनद में अबू इबाद मज्हूल है जबकि अब्दुल्लाह बिन अक़ील जिसे इब्ने मुईन ने ज़ईफ़ और इब्ने ह़िब्बान ने रदियुल ह़िफ़्ज़ कहा है (अल्मीज़ान : 2/484; रक़म : 4536) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ मर्दूद है।) फिर इसी क़िस्म के एक सवाल पर नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "यह अस्हाबे आराफ़ वह हैं जो वालिदेन की इजाज़त के बग़ैर अल्लाह तआला की राह में जिहाद के लिए निकले और फिर शहीद कर दिए गए, दुख़ूले जन्नत से तो इन्हें इसलिए रोक दिया गया कि अपने वालिदेन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया था और दोज़ख़ से इसलिए बच गये कि अल्लाह तआला की राह में शहीद हुए थे।" (तब्री : 8/139; अल्अमाली : 8/162; इसकी सनद में यह्या बिन शुबुल मज्हूल रावी हैं (अल्मीज़ान : 4/384; रक़म : 9539) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ मर्दूद है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को मुन्कर क़रार दिया है। देखिए (सिलसिलतुज़्ज़ईफ़ :2791) और एक ह़दीस है कि फ़र्माया, "यह वह लोग हैं जिनकी नेकियाँ और बदियाँ बराबर बराबर थीं। बुराइयों ने तो जन्नत में जाने से इन्हें रोक दिया और नेकियों ने जहन्नम में जाने से दूर रखा, अब यह लोग उसी दीवार के पास ठहरे हुए हैं और अल्लाह तआला के फ़ैसला करने तक यहीं ठहरे रहेंगे। अब इनकी नज़रें जब अस्ह़ाबे नार की त़रफ़ उठेंगी तो वह कहेंगे, या रब! इन ज़ालिमीन में से हमें न बना। यह इसी त़रह़ दुआएँ मांगते रहेंगे कि अल्लाह तआला उनसे कहेगा, अच्छा जाओ! जन्नत में दाख़िल हो जाओ, मैंने तुम्हें बख़्श दिया। क़यामत के दिन अल्लाह तआला लोगों का ह़िसाब लेगा। जिसकी एक नेकी भी बढ़ गई वह दाख़िले जन्नत कर दिया जाएगा और जिसकी एक बुराई भी बढ़ जाएगी उसको दोज़ख़ की राह बता दी जाएगी।" फिर आप (ﷺ) ने (फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहू) वाली आयत पढ़ी।

फिर फ़र्माया कि "मीज़ान तो एक दाना के फ़र्क़ से भी झुक जाएगा और चढ़ जाएगा और नेकियाँ और बदियाँ बराबर होती हैं तो वह पुल पर ठहराए जाते हैं, वह अहले जन्नत और अहले नार (आग) को पहचान लेते हैं। अहले जन्नत को देखकर सलाम कहेंगे और अहले दोज़ख़ दिखाई देंगे तो कहने लगेंगे कि ऐ अल्लाह! इन लोगों में से हमें न बनाना। अस्ह़ाबे ह़सनात के सामने एक नूर होगा जिसकी रहनुमाई में वह चलेंगे ऐसे हर नेक मर्द और औरत के आगे नूर होगा। स़िरात़ पर जब पहुँचेंगे तो यह नूर उन लोगों से छिन जाएगा जो मुनाफ़िक़ होंगे। जब अहले जन्नत इस ह़ाल में मुनाफ़िक़ीन को देखेंगे तो कहेंगे ऐ अल्लाह! हमारे नूर को क़ायम रख लेकिन अस्ह़ाबे आराफ़ का नूर उनके सामने होगा वह दूर न होगा। उस वक़्त अल्लाह तआला फ़र्माएगा, वह जन्नती तो नहीं हैं लेकिन जन्नत के तवक़्क़ुअ (उम्मीद) रखते हैं। बन्दा जब कोई नेकी करता है तो दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और कोई बदी करता है तो एक ही बदी लिखी जाती है। वह शख़्स़ बदनसीब है जिसकी इकाईयाँ उसकी दहाईयों पर ग़ालिब आ गई हों। जब अल्लाह तआला उन्हें मुआफ़ कर देगा तो एक नहर की त़रफ़ भेजेगा उसको नहरे ह़यात कहते हैं। जिसके किनारे सोने के हैं जिन पर हीरे और मोती टिके हैं। उसकी मिट्टी मुश्क है यह लोग उस नहर में नहलाए जाएँगे तो उनके रंग दुरुस्त हो जाएँगे और उनकी गर्दनों पर सफ़ेद और रोशन अलामात (निशानात) ज़ाहिर हो जाएँगी। उसी निशानी से उनका स़ाह़िबे आराफ़ होना मालूम किया

जाएगा। जब उनके रंग निखर जाएँगे तो अल्लाह पाक उनसे ख़िताब (बात/कलाम) करेगा कि मांगो क्या चाहते हो? वह अपनी ख़्वाहिश ज़ाहिर करेंगे, उनकी उम्मीदें पूरी की जाएँगी और कहा जाएगा कि, "तुम्हारी दरख़्वास्त (अपील/गुज़ारिश) से और सत्तर गुना तुम्हें दिया जाता है वह जन्नत की तरफ़ रवाना कर दिए जाएँगे, उनका नाम होगा मसाकीने अहले जन्नत।" नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "सबसे आख़िर में उनका फ़ैसला होगा, सब बन्दों का फ़ैसला हो चुकने के बाद अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि, "ऐ साहिबाने आराफ़! तुम्हारी नेकियों ने तुमको दोज़ख़ में जाने से रोक दिया लेकिन जन्नत का हक़दार तुमको साबित न कर सकीं। अब तुम मेरे आज़ादकर्दा हो जाओ। जन्नत से फ़ायदा उठाओ जिस तरह भी तुम चाहो।" (यह रिवायत मुर्सल यानी ज़ईफ़ है।)

और यह भी कहा गया है कि यह अहले आराफ़ वह लोग हैं जो नाजाइज़ पैदा हुए हैं। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जिन्नात के मोमिनीन! उनके लिए भी सवाब और अज़ाब है।" लोगों ने उनके सवाब के बारे में और उनके मोमिनीन के बारे में पूछा तो फ़र्माया, "यह सब साहिबे आराफ़ हैं। यह जन्नत में उम्मते मुहम्मदिया के साथ नहीं होंगे।" पूछा कि आराफ़ क्या है? फ़र्माया, "जन्नत के क़रीब एक दीवार है जिसमें नहरें भी हैं।" (इसकी सनद में वलीद बिन मूसा दमिश्क़ी है जिसे दारे क़ुत्नी (रह.) ने मुंकरुल हदीस, इब्ने हिब्बान (रह.) ने इसकी रिवायत को मौज़ूअ कहा और इसके अलावा दूसरे मुहद्दिसीन ने इसे मतरूक क़रार दिया है। देखिए (अल्मीज़ान : 4/349: रक़म : 9612) लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ मर्दूद है।) दरख़्त और फल भी हैं।" मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि अस्हाबे आराफ़ वह नेक लोग हैं जो फ़ुक़्हा और उलमा हैं। (बयनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ़ि रिजालुन) के बारे में अबू मिज्लज़ कहते हैं कि जो आराफ़ पर मुतअय्यन होंगे वह फ़रिश्ते होंगे जो अहले जन्नत और अहले नार को पहचानते होंगे और अहले जन्नत को आवाज़ देकर कहते होंगे अस्सलामु अलयकुम! वह जन्नत में तो नहीं होंगे लेकिन जन्नत के आरज़ूमंद होंगे और दोज़ख़ियों को देखकर दोज़ख़ से पनाह मांगेंगे। अस्हाबे आराफ़ ऐसे लोगों को आवाज़ देंगे जिनको वह रोशन पेशानी से पहचान लेंगे और कहेंगे कि तुम अल्लाह तआला के हुक्म से गुरूर और सरताबी नहीं करते थे। यह गुनहगार लोग तो जन्नती नहीं हो सकते, जिन्होंने अल्लाह तआला की रहमत नहीं पायी। और जब जन्नती जन्नत में दाख़िल किए जाएँगे तो कहा जाएगा कि जाओ जन्नत में! अब तुमको न कोई ख़ौफ़ है न तुमको हुज़्न व ग़म से सामना होगा। हज़रत मुजाहिद (रह.) का क़ौल भी जो ऊपर बयान हुआ ग़राबत से ख़ाली नहीं। क़ुर्तुबी (रह.) ने इस बारे में बारह क़ौल नक़्ल किए हैं। सालिहीन, अम्बिया, मलाइका वग़ैरह यह जन्नतियों को उनके चेहरे की रौनक़ और सफ़ेदी से और जहन्नम वालों को उनके चेहरे की स्याही से पहचान लेंगे। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि अल्लाह पाक ने यह मंज़िलत उनको इसलिए बख़्शी है ताकि वह जान लें कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन। वह अहले नार को चेहरे की स्याही से पहचान लेंगे और अल्लाह तआला से पनाह मांगकर कहेंगे कि अल्लाह तआला उन ज़ालिमों में से हमें न बना। उसी हालत में वह अहले जन्नत को सलाम कहेंगे और ख़ुद जन्नत में दाख़िल तो नहीं हुए लेकिन उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह दाख़िल होंगे। हसन बसरी (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तआला की क़सम! यह तमअ (ख़्वाहिश) उनके दिल में सिर्फ़

उस करामत व मेहरबानी की वजह से है जो अल्लाह तआला उनके हाल पर शामिल रखता है और वह जो उम्मीद रखेंगे उससे अल्लाह ने उन्हें आगाह भी कर दिया है यानी कह दिया है कि अहले दोज़ख़ को देखकर वह कहेंगे कि अल्लाह तआला इनसे बचा। इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि वह अहले दोज़ख़ की तरफ़ देखेंगे तो उनके चेहरे झुलस जाएँगे और जब अहले जन्नत को देखेंगे तो यह बात जाती रहेगी।

***

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۭ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

तर्जुमा : "और अहले आराफ़ बहुत से आदमियों को जिनको कि उनके क़याफ़ा से पहचानेंगे पुकारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी जमाअत और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम न आया। (48) क्या यह वही हैं जिनकी निस्बत तुम क़समें खा खाकर कहा करते थे कि अल्लाह उन पर रहमत न करेगा। उनको यूँ हुक्म हो गया कि जाओ जन्नत में तुम पर न कुछ अंदेशा है और न तुम ग़मगीन होंगे।" (49)

क़यामत के दिन हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की सिफ़ारिश (आयत 48, 49) : अल्लाह तआला उस मलामत का ज़िक्र कर रहा है जो अहले आराफ़ क़यामत के दिन मुश्रिकीन के सरदारों को देखकर करेंगे कि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया और अज़ाबे इलाही से तुम्हारी सरकशी ने भी तुम्हें कोई नफ़ा न बख़्शा और तुम मुस्तहिक़े अज़ाब व नकाल (सज़ा) हो गए। यही मुश्रिकीन अहले आराफ़ के बारे में कहते थे और क़समें खाते थे कि उन्हें अल्लाह तआला की रहमत कभी नहीं मिलेगी। अब अल्लाह तआला अहले आराफ़ से कहेगा कि, जाओ! जन्नत में दाख़िल हो जाओ, तुम्हें न डर है, न रंज व ग़म।

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि "अस्हाबे आराफ़ वह लोग हैं कि जिनके आमाल बराबर हैं। यानी इतने नहीं कि जन्नत में जा सकें और न ऐसे हैं कि दोज़ख़ में डाले जाएँ। चुनाँचे वह आराफ़ के अंदर रहकर दोज़ख़ियों को उनके चेहरों ही से पहचान लेंगे। फिर क़यामत के दिन जब सब बन्दों के फ़ैसले हो चुकें होंगे तो अल्लाह तआला सिफ़ारिश करने की इजाज़त देगा। लोग आदम (عليه السلام) के पास आएँगे और कहेंगे, आप हमारे बाप हैं अल्लाह तआला के पास हमारी सिफ़ारिश कीजिए। वह कहेंगे कि क्या तुम जानते हो कि किसी को भी अल्लाह तआला ने मेरे सिवा अपने हाथों से बनाया हो और उसमें ख़ास अपनी रूह फूँकी हो और क्या फ़रिश्तों ने मेरे सिवा किसी और को भी सज्दा किया है। लोग कहेंगे कि, नहीं! आदम (عليه السلام) कहेंगे फिर भी मैं ज़ाते

इलाही की हक़ीक़त से वाक़िफ़ नहीं, मैं तो सिफ़ारिश की ताक़त नहीं रखता। तुम मेरे बेटे इब्राहीम (عليه السلام) के पास जाओ। लोग इब्राहीम (عليه السلام) के पास आएँगे और उनसे सिफ़ारिश करने को कहेंगे। वह कहेंगे, क्या अल्लाह तआला ने मेरे सिवा किसी को ख़लील क़रार दिया है और मेरे सिवा क्या किसी को उसकी क़ौम ने आग में झोंका है? लोग कहेंगे, नहीं! इब्राहीम (अ.) कहेंगे, मैं सिफ़ारिश नहीं कर सकता। अल्लाह तआला की कुनह् (मक़सद) से वाक़िफ़ नहीं। तुम मूसा (عليه السلام) के पास जाओ। मूसा (عليه السلام) कहेंगे, क्या मेरे सिवा अल्लाह तआला ने किसी से बराहे रास्त बातें की हैं? मगर फिर भी मैं हक़ीक़ते इलाही से वाक़िफ़ नहीं, तुम ईसा (عليه السلام) के पास जाओ। ईसा (عليه السلام) कहेंगे, क्या मेरे सिवा अल्लाह तआला ने किसी को बग़ैर बाप के पैदा किया है और क्या किसी ने कोढ़ी और जुज़ामी जैसे ला इलाज मरीज़ को ठीक किया है। और मेरे सिवा क्या किसी ने मुर्दे को ज़िन्दा किया है? लोग कहेंगे, नहीं! फिर भी मैं उसकी ज़ात से वाक़िफ़ नहीं, मुझे अपनी फ़िक्र है। तुम हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ, लोग मेरे पास आएँगे। मैं सीने पर हाथ मारकर कहूँगा, मैं तुम्हारी सिफ़ारिश करूँगा। फिर मैं अल्लाह तआला के अर्श के आगे आकर खड़ा होऊँगा और मेरी ज़बान अल्लाह तआला की तारीफ़ में ऐसी खुल जाएगी कि कभी तुमने ऐसी तारीफ़ न सुनी होगी। फिर मैं सज्दे में गिर जाऊँगा।

अल्लाह तआला फ़र्माएगा, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! सर उठाओ, बोलो क्या चाहते हो, सिफ़ारिश करते हो तो तुम्हारी सिफ़ारिश क़बूल की जाएगी। अब मैं सर उठाऊँगा और फिर अल्लाह तआला की हम्दो सना करूँगा। फिर सज्दे में गिर पड़ूँगा। फिर कहा जाएगा कि उठो! दरख़्वास्त करो। मैं सर उठाकर अर्ज़ करूँगा, या रब मेरी उम्मत को बख़्श दे।'' अल्लाह तआला कहेगा, हाँ! बख़्श दिया।'' इस कैफ़ियत को देखकर कोई नबी, रसूल और फ़रिश्ता न होगा जिसको रश्क न हो, यही मक़ामे महमूद है।

अब मैं सब उम्मतियों को लेकर जन्नत की तरफ़ आऊँगा। जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाएगा। अब उन सब उम्मतियों को नहर की तरफ़ ले जाया जाएगा जिसको ''नहरे हयात'' कहते हैं। जिसके दोनों किनारे मोती, हीरे और ज़र (सोने) से मुरस्सअ होंगे। उसकी मिट्टी मुश्क होगी, उसके कंकर पत्थर याक़ूत होंगे। उस नहर में यह लोग नहाएँगे और उनके रंग जन्नतियों के से हो जाएँगे और उनसे जन्नतियों की ख़ुश्बू पैदा हो जाएगी, ऐसे मालूम होंगे जैसे चमकते सितारे हैं लेकिन उनके सीनों पर रोशन निशानात होंगे जिनसे वह पहचाने जाएँगे, उन्हें मसाकीने अहलुल जन्नत कहा जाएगा।'' (यह रिवायत नहीं मिली लेकिन इस मअनी की दूसरी रिवायत सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अदना अहलिल जन्नत मंज़िलतन फ़ीहा : 194, 195 में मौजूद है।)

***

وَنَادٰٓى اَصۡحٰبُ النَّارِ اَصۡحٰبَ الۡجَـنَّةِ اَنۡ اَفِيۡضُوۡا عَلَيۡنَا مِنَ الۡمَآءِ اَوۡ مِمَّا رَزَقَكُمُ
الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا دِيۡنَهُمۡ لَهۡوًا وَّلَعِبًا اللّٰهُ‌ ؕ قَالُوۡۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ ۝٥٠
وَّغَرَّتۡهُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا‌ ۚ فَالۡيَوۡمَ نَنۡسٰٮهُمۡ كَمَا نَسُوۡا لِقَآءَ يَوۡمِهِمۡ هٰذَا ۙ وَمَا
كَانُوۡا بِاٰيٰتِنَا يَجۡحَدُوۡنَ ۝٥١

तर्जुमा : ''और दोज़ख़ वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे, कि हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह तआला ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह तआला ने दोनों चीज़ों की काफ़िरों के लिए बंदिश कर रखी है। (50) जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा था और जिनको दुनियावी ज़िन्दगी ने धोखे में डाल रखा था। सो हम भी आज के दिन उनका नाम न लेंगे जैसा उन्होंने इस दिन का नाम तक न लिया और जैसा यह हमारी आयतों का इंकार किया करते थे।'' (51)

अहले दोज़ख़ की फ़रियाद (आयत 50, 51) : अल्लाह तआला ज़िल्लते अस्हाबे नार (दोज़ख़ियों की ज़िल्लत) को बता रहा है और यह कि वह किस तरह अहले जन्नत से पानी और खाना मांग रहे हैं लेकिन जन्नती उन्हें कुछ नहीं देंगे। दोज़ख़ी जन्नतियों से कहेंगे कि कुछ पानी और कुछ खाना हमें भी दे दो। बाप से बेटा या भाई से भाई मांगेगा और कहेगा कि मैं तो जल उठा हूँ, थोड़ा सा पानी दे दो। लेकिन वह यही जवाब देंगे कि अल्लाह तआला ने यह दोनों चीज़ें काफ़िरों के लिए हराम कर दी हैं। अबू मूसा सिफ़ार (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि) से पूछा कि कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है? तो कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ''बेहतरीन सदक़ा पानी है।'' क्या तुमने नहीं सुना कि अहले नार अहले जन्नत से पानी और खाना मांगेंगे।'' (मुअजमुल औसत : 1015; मुस्नद अबी यअला : 2673; इसकी सनद में मूसा बिन मुग़ीरह और अबू मूसा सिफ़ारी मज्हूल रावी हैं (मीज़ानुल ऐतिदाल : 4/224; रक़म : 8929) लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) अबू सालेह से रिवायत है कि जब अबू तालिब बीमार हुए तो लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने भतीजे के पास कहला भेजो कि अंगूर का एक जन्नती ख़ोशा मंगवा दो शायद कि उसकी बरकत से शिफ़ा हो जाए। क़ासिद नबी अकरम (ﷺ) के पास आया। अबूबक्र (रजि.) नबी अकरम (ﷺ) के पास बैठे हुए थे, कहने लगे कि काफ़िरों पर अल्लाह तआला ने जन्नत की हर चीज़ हराम कर दी है।'' (यह रिवायत मुअज़ल यानी ज़ईफ़ है।) फिर अल्लाह तआला बयान फ़र्माता है कि काफ़िरों ने किस तरह दुनिया में मज़हब व दीन को खिलौना बना रखा है और दुनिया के अंदर किस तरह भूल में पड़े हुए हैं और दुनिया की ज़ीनत व आराइश में कैसे मुब्तला हैं

और आख़िरत का सौदा करने से कैसे ग़ाफ़िल हैं। फिर फ़र्माया, आज हम भी इनको भुला देते हैं जैसाकि इन्होंने इस आख़िरत के दिन को भुला दिया था। यह भुलाने का लफ़्ज़ बतौर मामला और बदले के है वरना अल्लाह तआला किसी चीज़ को फ़रामूश नहीं करता। जैसाकि फ़र्माया (فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى) (20/ताहा : 52) यहाँ मक़्सद सिर्फ़ जवाबी बात कहना है। जैसाकि फ़र्माया (نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ) (9/तौबा : 67) और (اَلْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ) (20/ताहा : 126) और (كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى) (لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا) (45/जासिया : 34) इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह तआला ने उनके साथ ख़ैर करना भुला दिया है और उनको सज़ा देना नहीं भुलाया।

हदीस में है कि "अल्लाह तआला क़यामत के दिन बन्दे से फ़र्माएगा कि क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे और क्या तुझ पर इन्आम व इकराम नहीं किया था और क्या ऊँट, घोड़े और फ़ील (हाथी) व हशम नहीं दिए थे और क्या तू सरदारी व अफ़सरी नहीं करता था।" बन्दा कहेगा कि हाँ! ऐ अल्लाह तआला! तूने सब कुछ दिया था। फिर फ़र्माएगा कि "क्या तुझे यक़ीन था कि मेरा सामना करना पड़ेगा?" वह कहेगा कि ऐ अल्लाह तआला! मुझे यक़ीन नहीं था। अल्लाह तआला कहेगा, "जिस तरह तूने मुझे भुला दिया था आज मैं भी तुझे भुला देता हूँ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाब अद्दुनिया सिज्नुल मोमिन व जन्नतुल काफ़िर : 2968; अहमद : 2/492; इब्ने हिब्बान : 7446)

***

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ۭ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۭ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

तर्जुमा : "और हमने उन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुँचा दी है जिसको हमने अपने इल्मे कामिल से बहुत ही वाज़ेह करके बयान कर दिया है ज़रिय-ए-हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए। (52) इन लोगों को और किसी बात का इंतिज़ार नहीं सिर्फ़ इसके अख़ीर नतीजे का इंतिज़ार है जिस दिन इसका अख़ीर नतीजा पेश आएगा उस दिन जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे यूँ कहने लगेंगे कि वाक़ेई हमारे रब के पैग़म्बर सच्ची बातें लाए थे तो अब क्या कोई हमारा सिफ़ारिशी है कि वह हमारी सिफ़ारिश करे या क्या हम फिर वापिस भेजे जा सकते हैं ताकि

हम लोग उन आमाल के जिनको हम किया करते थे बरख़िलाफ़ दूसरे आमाल करें। बेशक उन लोगों ने अपने को ख़सारे में डाल दिया और यह जो जो बातें बनाते थे सब गुम हो गया।'' (53)

मुश्रिकीन और तक्मीले हुज्जत (आयत 52, 53) : अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन की तक्मीले हुज्जत कर दी थी, यानी पैग़म्बर भेजे थे, किताबें भेजी थीं जिनमें बड़ी खुली खुली दलीलें थीं। जैसाकि फ़र्माया (كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ) (11/हूद : 1) यानी ऐसी किताब जिसकी आयतें मुहकम हैं और हर बात साफ़ साफ़ बयान कर दी गई है। और क़ौलुहू (फ़स्सल्नाहू अ़ला इल्मिन) यानी जिन बातों पर हमने रोशनी डाली है उसको ख़ूब जानते हैं। जैसाकि फ़र्माया (اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ) (4/निसाअ : 166)

इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि यह आयत उस क़ौले बारी तआला से ताल्लुक़ रखती है कि (كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ) (7/आराफ़ : 2) यानी यह किताब जो तुम पर नाज़िल की गई है इससे तुम्हारे दिल में कोई ख़लिश (खटक) न हो जाए, और आयत मुंदर्जा बाला (व लक़द जिअनाहुम बि किताबिन...)। यह बात जो इब्ने जरीर (रह.) ने कही है यह क़ाबिले ऐतिराज़ है क्योंकि दोनों आयतों में फ़स्ले तवील है और इस दावे पर कोई दलील भी नहीं है और यहाँ बात तो सिर्फ़ यह है कि जब इस बात की ख़बर दे दी कि वह आख़िरत में क्या ख़सारा उठाने वाले हैं तो फिर इस बात का ज़िक्र किया गया है कि दुनिया में रसूल भेजकर और किताब उतारकर उनके सारे उज़्रात (बहाने) ख़त्म कर दिए गए हैं, जैसाकि फ़र्माया (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا)(17/इस्रा : 15) यानी हम अ़ज़ाब नहीं दिया करते जब तक कि रहनुमाई के लिए रसूल न भेज दें और इसीलिए आयते बाला में फ़र्माया (हल यंज़ुरून इल्ला तावीलहू) यानी यह तो उस अ़ज़ाब और सज़ा और जन्नत या जहन्नम का इंतिज़ार कर रहे हैं जिसका इनसे वादा किया गया है। मुजाहिद (रह.) वग़ैरह कहते हैं कि तावील से मुराद बदला और जज़ा है। रबीअ़ कहते हैं कि हिसाब के दिन आने तक यह बदला मिलता रहेगा। यहाँ तक कि जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में पहुँच जाएँगे। उस वक़्त जज़ा का मामला ख़त्म हो जाएगा और जबकि क़यामत के दिन ऐसा होगा तो वह लोग जिन्होंने अ़मल छोड़ दिया था और दुनिया में उसको भूल गए थे तो कहेंगे कि अल्लाह तआला के रसूल हक़ बात लेकर आए थे तो क्या वह हमारी नजात के लिए अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करेंगे या कम अज़्कम फिर दुनिया में हमें भेज दिया जाएगा कि अबकी बार हम पिछले अ़मल की तरह अ़मल न करें। जैसे कि फ़र्माया, काश! तुम उन लोगों को देखते जबकि वह दोज़ख़ में झोंके जाने के लिए दोज़ख़ के मुँह पर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि काश! हमें फिर लौटा दो, इस बार हम कुरआन को झुठलाएँगे नहीं, और मोमिन बने रहेंगे। बल्कि बात यह है कि अब इन्हें मालूम हो गया है कि कौनसी बात पहले से इनके दिल में छुपी हुई थी। और अगर दोबारा दुनिया में लौटाए भी जाएँ तो फिर वही करेंगे जिसकी मुमानिअ़त की गई होगी, इनकी बात झूठ है कि अब ऐसा न करेंगे। (6/अन्आम : 27, 28)

जैसाकि यहाँ फ़र्माया है कि इनके नुफ़ूस बड़े नुक़्सान और घाटा में पड़ गए और जो कुछ वह मज़ाक़ करते थे सब हवा हो गया और अब तो हमेशा की दोज़ख़ गले पड़ गई। इनके बुत, इनकी सिफ़ारिश नहीं कर सकते और न इनको अ़ज़ाब से छुड़ा सकते हैं।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾

तर्जुमा : "बेशक तुम्हारा रब अल्लाह तआला ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को छः दिन में पैदा किया फिर अ़र्श पर क़ायम हुआ। छुपा देता है रात से दिन को ऐसे तौर पर कि वह रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबेअ़ हैं, याद रखो! अल्लाह तआला ही के लिए ख़ास है ख़ालिक़ होना और हाकिम होना। बड़ी ख़ूबियों का भरा हुआ है अल्लाह तआला जो तमाम आलम का परवरदिगार है।" (54)

तौहीदे रुबूबियत का इस्बात (आयत 54) : अल्लाह तआला ख़बर देता है कि अल्लाह तआला ही ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है उसने ज़मीन व आसमान को छः दिन में पैदा किया है जिसका क़ुरआन में कई बार ज़िक्र आया है। वह छः दिन यह हैं इतवार, सोमवार (पीर), मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्आ। जुम्आ ही के दिन सारी मख़्लूक़ मुज्तमिअ़ (जमा) हुई और इसी दिन आदम (عليه السلام) पैदा किए गए। अय्याम (दिनों) के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि क्या दिन, इन दिनों की तरह थे जैसाकि ज़हन फ़ौरन इसी ख़्याल की तरफ़ मुंतक़िल होता है या यह कि एक हज़ार साल वाला दिन था। अब रह गया, हफ़्ते का दिन। उस दिन कुछ नहीं किया गया। पैदाइश उस दिन मुंक़तअ़ थी इसीलिए इस सातवें दिन यानी हफ़्ता के दिन को यौमुस्सब्त कहते हैं और 'सब्त' के मअ़नी क़तअ़ (काटने) के हैं। अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरा हाथ थामा और फ़र्माया कि "अल्लाह तआला ने हफ़्ता के दिन ज़मीन पैदा की और इतवार के दिन पहाड़ पैदा किए और सोमवार के दिन दरख़्त पैदा किए, बुराइयाँ और मकरूहात मंगल के दिन, नूर बुध के दिन और तमाम जानवर और ज़ी रूह जुमेरात के दिन और आदम (عليه السلام) को असर के बाद जुम्अे के दिन आख़िरी घण्टे में असर और मग़रिब के बीच।" (सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब इब्तिदाउल ख़ल्क़ व ख़ल्क़े आदम (عليه السلام) : 2789; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11010; अहमद : 2/327; इब्ने हिब्बान : 6161; अल्अस्माउ वस्सिफ़ात : 2/124) इस हदीस से तो सातों दिन मसरूफ़ (Busy) साबित होते हैं और अल्लाह तआला ने तो फ़र्माया है कि छः दिन मसरूफ़ियत के थे, इसलिए बुख़ारी (रह.) वग़ैरह ने इस हदीस की सेहत में कलाम किया है और कहा है कि इसको अबू हुरैरा (रज़ि.) ने कअ़ब अहबार (रह.) से सुनकर कह दिया होगा, वल्लाहु आलम! (शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस दावा को रद्द किया है। तफ़्सील के लिए देखिए (सिलसिलतुस् सहीहा : 1833) जज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा)

उन छः दिन की मसरूफ़ियत के बाद वह अर्श पर जलवा अफ़रोज़ हो गया। इस मक़ाम पर लोगों ने बहुत कुछ ख़्याल आफ़रीनियाँ की हैं और बहुत ख़्यालात दौड़ाए हैं जिनकी तफ़सील का यहाँ कोई मौक़ा नहीं। हम इस बारे में सिर्फ़ सलफ़ सॉलिहीन का मस्लक इख़्तियार करते हैं यानी मालिक, औज़ाई, सौरी, लैस बिन सअद, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ बिन राहवे (रहि.) वग़ैरह और नए पुराने अइम्मतुल मुस्लिमीन। और वह मस्लक यह है कि इस पर यक़ीन कर लिया जाए बग़ैर किसी कैफ़ियत व तश्बीह के और बग़ैर उस फ़ौरी ख़्याल की तरफ़ ज़हन ले जाने के कि जिससे तश्बीह का अक़ीदा ज़हन में आता है और जो सिफ़ात अल्लाह तआला से दूर है। ग़र्ज़ जो कुछ अल्लाह तआला ने फ़र्माया है बग़ैर उस पर कुछ ख़्याल आराई और शुब्हा करने के तस्लीम कर लिया जाए और चूँ चरा में न पड़ें। क्योंकि अल्लाह पाक किसी चीज़ के मुशाबेह और मुमासिल नहीं है वह समीअ और बसीर है। जैसा कि मुज्तहिदीन ने फ़र्माया, जिनमें से नईम बिन हम्माद अल ख़ुज़ाई (रह.) भी हैं जो बुख़ारी (रह.) के उस्ताद हैं। कहा है कि जिसने अल्लाह तआला को किसी मख़्लूक़ से तश्बीह दी वह कुफ़्र का मुर्तकिब हो गया। और अल्लाह तआला ने जिन सिफ़ात से अपने को मुत्तसिफ़ फ़र्माया है उससे इंकार किया तो कुफ़्र किया। अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) ने जिन बातों से अल्लाह तआला की तौसीफ़ नहीं की वैसी तौसीफ़ करना यही तश्बीह है और जिसने अल्लाह तआला के लिए वह औसाफ़ साबित किए जिनकी सराहत आयाते इलाही में और अहादीसे सहीहा में हुई है जो अल्लाह तआला के जलाल को साबित करती हैं और हर नक़ाइस (कमियों) से अल्लाह तआला की ज़ात को बरी करती हैं तो ऐसा ही शख़्स सही ख़्याल पर है। इर्शाद होता है कि वह ढाँकता है रात से दिन को यानी रात की तारीकी दिन की रोशनी से और दिन की रोशनी रात की तारीकी से ढाँक देता है और इस रात और दिन में से हर एक दूसरे को बड़ी तेज़ी से पा लेते हैं। यानी यह ख़त्म होने लगता है तो वह आ धमकता है और वह रुख़सत होने लगता है तो यह फ़ौरन आ पहुँचता है। जैसाकि फ़र्माया (وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ) (36/यासीन : 37-40) यानी इनके लिए इसमें निशानी है कि रात के ज़रिये दिन की पोस्तकनी होती है और यकायक तारीकी फैल जाती है और सूरज अपनी क़रारगाह की तरफ़ दौड़ता है। यह अज़ीज़ व अलीम का मुक़र्ररकर्दा उसूल है। चाँद की हमने मंज़िलें क़रार दे रखी हैं वह घटता बढ़ता रहता है यहाँ तक कि किसी दिन खजूर की सूखी टहनी की तरह बारीक हो जाता है। सूरज से यह नामुम्किन है कि वह चाँद से आगे बढ़े और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है हर एक अपने मुक़र्ररा दायरा और मदार पर घूमते रहते हैं।, इसीलिए (**यत्लुबुहू हसीसव्वंशशम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिम् बि अम्रिही**) फ़र्माया। कुछ शम्स और क़मर को नसब से पढ़ते हैं और कुछ रफ़अ से और दोनों सूरतों में मअनी एक ही हैं। यानी सब चीज़ें उसके तहत तसर्रुफ़ में और उसी की तस्ख़ीर व मशिय्यत (चाहत) के अंदर हैं, इसीलिए फ़र्माया (अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु) यानी मुल्क और तसर्रुफ़ उसी का हक़ है। क़ौलुहू (तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन) जैसा कि फ़र्माया (तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन....) (25/फ़ुरक़ान : 61)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो अमले सालेह करके अल्लाह तआला का शुक्र अदा न करे

बल्कि अपनी तारीफ़ करे उसने कुफ़्र किया और उसका अमल छीन लिया जाएगा और जिसने यह गुमान किया कि अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दे को अपनी कोई हुकूमत या कुदरत मुंतक़िल कर दी है तो उसने कुफ़्र किया। क्योंकि फ़र्माया (अला लहुल ख़ल्कु वल अम्र. तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन) (तब्री : 12/486) दुआ-ए-मासूरा में है कि यूँ दुआ मांगा करो (अल्लाहुम्म लकल मुल्कु कुल्लुहू व लकल हम्दु कुल्लुहू व इलैक यर्जिउल अम्रु कुल्लुहू अस्अलुक मिनल ख़ैरि कुल्लिही व अऊज़ुबिक मिनश्शर्रि कुल्लिही) (अहमद : 5/396; अन हुज़ैफ़ा (रज़ि.) शुअबुल ईमान : 4400; अन अबी सईद (रज़ि.) यह रिवायत दोनों सनदों के साथ ज़ईफ़ है।)

***

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

तर्जुमा : "तुम लोग अपने रब से दुआ किया करो, तज़ल्लुल ज़ाहिर करके भी और चुपके चुपके भी। वाक़ेई अल्लाह तआ़ला उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाएँ। (55) और दुनिया में इसके बाद कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई है फ़साद मत फैलाओ और तुम अल्लाह तआ़ला की इबादत किया करो उससे डरते हुए और उम्मीदवार रहते हुए। बेशक अल्लाह तआ़ला की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों से।" (56)

दुआ में आजिज़ी व इंकिसारी (आयत 55, 56) : अल्लाह पाक अपने बन्दों को दुआ का तरीक़ा सिखाता है जो दीन और दुनिया में उनका सबब बन सके। फ़र्माया कि निहायत ख़ुलूस के साथ मख़्फ़ी (छुपे) तौर पर दुआ किया करो। जैसा कि फ़र्माया "रब को अपने दिल में याद किया करो।" (7/आराफ़ : 205) लोग बहुत बुलंद आवाज़ से दुआएँ मांगने लगते थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, "ऐ लोगों! अपने नफ़्सों पर रहम करो, तुम किसी बहरे और ग़ायब को नहीं पुकार रहे हो जिससे तुम दुआ कर रहे हो वह क़रीबतर है वह सुन रहा है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मा यक्रहू मिन रफ़इस्सौति फ़ित्तक्बीर : 2992; सहीह मुस्लिम : 2704; अहमद : 4/402; अबूदाऊद : 1527; तिर्मिज़ी : 3371; इब्ने माजा : 3824; अबू यअ़ला : 7252) दुआ में तज़ल्लुल और तज़र्रोअ इख़्तियार करो और आजिज़ी के साथ मख़्फ़ी तौर पर दुआ मांगो, ख़ुशूअे क़ल्ब (सुकूने दिल) हासिल रहे। उसकी वह्दानियत पर यक़ीने कामिल हो, रियाकारी के तौर पर आवाज़ बुलंद करके दुआ नहीं मांगनी चाहिए। रियाकारी से बचने के लिए पहले के लोग अगरचे हाफ़िज़ होते थे। लेकिन लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं होता था, एक शख़्स बड़ा फ़क़ीह और आलिम होता और लोग उसके इल्म से वाक़िफ़ तक न होते। लोग रात को अपने घरों में लम्बी-लम्बी नमाज़ें पढ़ते और उनके घर में मेहमान होते मगर उन्हें ख़बर तक न होती। लेकिन आजकल हम ऐसे लोगों को पाते हैं जो अगरचे इबादत को छुपाकर करने की कुदरत रखते हैं लेकिन हमेशा ऐलानिया करते देखे गए हैं। पहले के मुसलमान जब दुआ

मांगते देखे जाते थे तो सिवाए खुसर फुसर के उनके मुँह से आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि अल्लाह तआला का हुक्म है कि तज़र्रोअ के साथ और मख़्फ़ी तौर पर दुआ मांगो। अल्लाह तआला अपने एक बरगुज़ीदा बन्दे का ज़िक्र फ़र्माता है कि वह जब अपने रब को पुकारता था तो बहुत ही पस्त आवाज़ में पुकारता था। आवाज़ को बुलंद करना बहुत ही मकरूह है। (इन्नहू ला युह़िब्बुल मुअ़तदीन) की तफ़्सीर में इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि इससे मुराद यह है कि अपनी दुआ में ह़द से तजावुज़ करने को अल्लाह तआला पसंद नहीं करता। (त़ब्री : 12/486) अबू मिज्लज़ कहते हैं कि मनाज़िले अम्बिया ह़ासिल होने की दुआ मांगा करो। (त़ब्री : 12/486) सअ़द (रज़ि.) ने अपने बेटे को देखा कि यूँ दुआ मांग रहा है कि ऐ अल्लाह तआला! मैं जन्नत और जन्नत की नेअ़मतें और जन्नत के रेशमी कपड़े माँगता हूँ और दोज़ख़ से पनाह मांगता हूँ और उसकी ज़ंजीरों और बेड़ियों से। तो वालिद ने कहा कि तुमने ख़ैर माँगने में भी इंतिहा कर दी, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि ''ज़माना क़रीब में ऐसे लोग पैदा होंगे जो दुआ करने में ह़द से तजावुज़ कर जाएँगे और वुज़ू करने में ह़द से ज़्यादा पानी ख़र्च करने लगेंगे'' और फिर यह आयत पढ़ी (उद्ऊ रब्बकुम तज़र्रुअ़....)। तुम्हारे लिए तो सिर्फ़ इस क़द्र दुआ मांगना काफ़ी है कि ''ऐ अल्लाह! मैं तुझसे जन्नत और जन्नत से क़रीब करने वाले क़ौल व अ़मल मांगता हूँ और दोज़ख़ और दोज़ख़ से क़रीब करने वाले क़ौल और अ़मल से पनाह चाहता हूँ।'' (अबूदाऊद, किताबुल वित्र, बाबुद् दुआ : 1480; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; सनद में मज्हूल रावी हैं। अह़मद : 1/172) अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि) ने अपने बेटे को देखा कि यूँ दुआ कर रहा है कि ''ऐ अल्लाह! मैं जन्नत की सीधी त़रफ़ का सफ़ेद महल माँगता हूँ।'' तो कहा कि ''ऐ बेटे! अल्लाह तआला से सिर्फ़ जन्नत का सवाल कर और सिर्फ़ दोज़ख़ से पनाह मांग।'' (अबूदाऊद, किताबुत् त़हारत, बाब अल्इस्राफ़ु फ़िल वुज़ू : 96; व सनदुहू सह़ीहुन; इब्ने माजा : 3864; अह़मद : 4/187; ह़ाकिम : 1/162; इब्ने हि़ब्बान : 6764)

अल्लाह पाक का क़ौल है कि दुनिया में अम्न की ह़ालत के बाद फ़साद न पैदा करो क्योंकि अम्न के बाद फ़साद बहुत बुरा होता है और उमूर (मुआ़मलात) जब अपनी ह़ालते अम्न पर चल रहे हों और फ़साद डाल दिया जाए तो बन्दे बड़े तबाह हो जाते हैं, इसीलिए अल्लाह तआला ने (बअ़द इस्लाह़िहा) की क़ैद लगाई और दुआ को आजिज़ी के साथ मांगने के लिए कहा है और फ़र्माया कि (वद्ऊहु ख़ौफ़व् व त़मअ़न) यानी अ़ज़ाब व इ़क़ाब से डरकर और अल्लाह तआला की नेअ़मत व सवाब की तमन्ना करके दुआ मांगो। फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला की रह़मत मुह़सिनीन से क़रीब है। यानी उसकी रह़मत नेकोकारों के इंतिज़ार में है जो लोग अम्रे रब्बानी की पैरवी करते हैं और ज़वाजिर (धमकियों) और मन्हयात (मनाही कामों) से दूर रहते हैं। जैसाकि फ़र्माया (व रह़मती वसिअ़त् कुल्ला शैइन) (रह़मतल्लाहि क़रीबुन) फ़र्माया है (क़रीबतुन) नहीं फ़र्माया ह़ालाँकि रह़मत मुअन्नस है तो सेग़ा भी मुअन्नस होना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि रह़मत के सवाब के मअ़नी में लेकर मअ़नवी त़ौर पर उसको मुज़क्कर क़रार दिया और इसलिए भी कि ज़ाते रब्बानी की त़रफ़ उसकी इज़ाफ़त हुई है। त़ाअ़त के सबब मुह़सिनीन को अल्लाह तआला के वादों का सहारा मिल गया है और वह अल्लाह तआला की रह़मत से क़रीब हो गए हैं।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۗءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ
خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۭ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ﴿٥٨﴾

तर्जुमा : ''और वह ऐसा है कि अपने बाराने (बारिश) रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वह ख़ुश कर देती हैं यहाँ तक कि जब वह हवाएँ भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी ख़ुश्क (सूखी) सरज़मीन की तरफ़ हाँक ले जाते हैं फिर उस बादल से पानी बरसाते हैं फिर उस पानी से हर क़िस्म के फल निकालते हैं यूँ ही हम मुर्दों को निकाल खड़ा करेंगे ताकि तुम समझो। (57) और जो सुथरी (ज़रख़ेज़) सरज़मीन होती है उसकी पैदावार तो अल्लाह तआला के हुक्म से ख़ूब निकलती है और जो ख़राब है उसकी पैदावार बहुत कम निकलती है इसी तरह हम दलाइल को तरह-तरह से बयान करते रहते हैं उन लोगों के लिए जो क़द्र करते हैं।'' (58)

बाराने रहमत का नुज़ूल अल्लाह तआला की तरफ़ से (आयत 57, 58) : अल्लाह तआला जब इस ज़िक्र से फ़ारिग़ हो चुका, वह ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, मुतसर्रिफ़ और हाकिम और मुदब्बिर है। और दुआ मांगने के तरीक़े की भी जब तालीम दे दी, तो अब इस बात से आगाह करता है कि वही राज़िक़ है, मरने वाले को वही क़यामत के दिन दोबारा उठाएगा। हवाओं को वही भेजता है कि पानी भरे बादलों को चारों तरफ़ फैलाएँ। कुछ ने (नश्रन) को (बुश्रन) पढ़ा है। जैसाकि फ़र्माया है (वमिन आयातिही अंय्युर्सिलर्रियाह मुबश्शिरातिन) यानी हवाएँ बारिश की बशारत देती हैं। इर्शाद होता है (बैन यदय रह्मतिही) यहाँ रह्मत से मुराद बारिश है। जैसाकि फ़र्माया कि, ''लोगों के नाउम्मीद हो चुकने के बाद वह बादल को भेजता है जो उसकी रह्मत को बरसाते हैं यानी पानी को।'' (42/शूरा : 28) और फ़र्माया कि अल्लाह तआला के आसारे रह्मत पर नज़र डालो कि ज़मीन के मुर्दा (बंजर) हो जाने के बाद किस तरह उसको ज़िन्दा कर देता है इसी तरह वह मुर्दों को ज़िन्दा करने पर क़ादिर है। (30/रूम : 50) और इर्शाद होता हे (हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन) यानी हवाएँ बोझल बादलों को उठाए होती हैं। क्योंकि उनमें वज़नदार पानी होता है जो ज़मीन से क़रीबतर होती हैं। फिर इर्शाद होता है कि (सुक़्नाहा लि बलदिम्मय्यितिन) और हम मुर्दा और क़हतज़दा ख़ुश्क ज़मीन को सैराब करते हैं। जैसाकि फ़र्माया (व आयतुल्लहुमुल अर्ज़ुल मैततु अह्ययनाहा)। इसलिए इर्शाद होता है (फ़-अख़रज्ना बिही मिन् कुल्लिस्समाराति कज़ालिक नुख़्रिजुल मौता) यानी जिस तरह

हम ज़मीन को उसके मर जाने के बाद ज़िन्दा करते हैं, उसी तरह जिस्मों को ख़ाक (मिट्टी) हो जाने के बाद भी क़यामत के दिन ज़िन्दा करेंगे। अल्लाह पाक आसमान से पानी बरसाएगा और चालीस दिन तक ज़मीन पर बारिश होती रहेगी और इंसानों के जिस्म अपनी अपनी क़ब्रों से इस तरह उठने लगेंगे जैसेकि ज़मीन से दाना उगने लगता है। इस मज़्मून की आयतें कुरआन में बहुत सी हैं।

अल्लाह तआला ने क़यामत के दिन को बतौर मिसाल ज़िक्र किया है। (लअल्लकुम तज़क्करून) इस ग़र्ज़ से कि शायद तुम नसीहत व इब्रत हासिल करो। व क़ौलुहू (वल बलदुत् तय्यिबु यख़्रुजु नबातुहू बिइज़्नि रब्बिही) अच्छी ज़मीन पर अल्लाह तआला के हुक्म से नबातात उगते हैं (वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़्रुजु इल्ला नकिदन) और जो ख़राब ज़मीन है जैसे संगलाख और रेतीली, उससे वैसी ही पैदावार होगी या न होगी। यह बात मोमिन और काफ़िर के लिए बतौर मिसाल बयान की गई है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मुझे अल्लाह तआला ने जो इल्म व हिदायत देकर भेजा है उसकी मिसाल उस बादल की है जो ज़मीन पर बरसे। चुनाँचे जो ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है वह पानी को क़बूल करती है और सब्ज़ा और पैदावार उगाती है और उससे अल्लाह तआला लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। लोग पीते सैराब होते और ज़राअत (खेती) करते हैं। और एक दूसरी ज़मीन होती है चटयल बंजर ज़मीन कि पानी ढुल जाता है। घास और सब्ज़ा नहीं उगाती। यह उन दो क़िस्म के लोगों की मिसालें हैं कि एक ने इल्म सीखा, दीने इलाही से वाक़िफ़ हुआ और मेरे मब्ऊस होने से फ़ायदा उठा लिया और एक वह होता है जिसने कुछ न सीखा, न अल्लाह तआला की हिदायत हासिल की जो मेरी मारिफ़त (ज़रिये) भेजी गई है।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब फ़ज़्लुम् मन अलिमा व अल्लमा : 79; सहीह मुस्लिम : 2282; मुस्नद अबू यअला : 7311)

***

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّیْۤ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۵۹﴾ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِیْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِیْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّیْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۶۱﴾ اُبَلِّغُكُمْ
رِسٰلٰتِ رَبِّیْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۲﴾

तर्जुमा : ''हमने नूह (अलैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम की तरफ़ भेजा तो उन्होंने फ़र्माया कि, ''ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआला की इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा मअबूदे बरहक़ होने के क़ाबिल नहीं, मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अज़ाब का अंदेशा (डर) है।(59) उनकी क़ौम के इज्जतदार लोगों ने कहा कि हम तुमको सरीह ग़लती में देखते हैं। (60) उन्होंने फ़र्माया कि, ''ऐ मेरी क़ौम! मुझमें तो ज़रा भी ग़लती नहीं लेकिन मैं परवरदिगारे आलम का रसूल हूँ। (61) तुमको अपने रब के पैग़ाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी ख़ैरख़्वाही चाहता हूँ और मैं अल्लाह तआला की तरफ़ से उन उमूर (चीज़ों) की ख़बर देता हूँ जिनकी तुमको ख़बर नहीं।'' (62)

नूह (अलैहिस्सलाम) का अपनी क़ौम को नसीहत (आयत 59-62) : अल्लाह पाक जब अव्वले सूरत (सूरत के शुरू) पहली सूरत में आदम (अलैहिस्सलाम) और उनसे मुतअल्लिक़ात का क़िस्सा बयान कर चुका तो अम्बिया (अलैहिमुस्सलाम) के क़िस्से बयान करता है। ज़िक्र के शुरु में नूह (अलैहिस्सलाम) से फ़र्माया जाता है क्योंकि आप ही सबसे पहले रसूल हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने आदम (अलैहिस्सलाम) के बाद दुनिया में भेजा। वह नूह बिन लामिक बिन मतूशल्ख़ बिन अख़्नूअ हैं, अख़्नूअ ही का नाम इदरीस (अ.) नबी है, उन्हीं के बारे में कहा गया है कि फ़न्ने तहरीर उन्हीं ने ईजाद किया, अख़्नूअ बिन बुर्द बिन महलील बिन क़िनीन इब्ने यानिश बिन शीस बिन आदम (अलैहिस्सलाम)। किसी नबी ने ऐसी तक्लीफ़ें नहीं उठाईं जैसी नूह (अलैहिस्सलाम) ने। हाँ! कुछ नबी क़त्ल भी किए गए हैं। नूह (अलैहिस्सलाम) अपने नफ़्स पर बहुत नोहा करते थे इसीलिए नूह नाम पड़ गया। आदम (अलैहिस्सलाम) से ज़माना नूह तक दस सदियाँ गुज़री हैं। यह सब उसूले इस्लाम व तौहीद पर थे।

उलमा-ए-तफ़्सीर कहते हैं कि अस्नाम परस्ती (बुतपरस्ती) की शुरुआत यूँ हुई है कि वह लोग जो सालेहीन थे जब मर गए तो उनके मुअतक़िदीन ने उनकी क़ब्रों पर मस्जिदें बना लीं और उनकी तस्वीरें बनाकर उसमें रखने लगे ताकि उन्हें देखकर उनकी हालत और इबादत को याद करते रहें और उन्हीं जैसे बनने की कोशिश करते रहें। जब कुछ ज़माना गुज़र गया तो उनकी तस्वीरों के बजाए उनके पुतले बना दिए गए। कुछ दिनों बाद उन पुतलों का एहतिराम करने लगे और परसतिश (पूजा) होने लगी। उन पुतलों के नाम भी उन्हीं सालेहीन के नाम पर थे यानी वद, सुवाअ, यग़ूस, यऊक़, नस्र वग़ैरह। जब यह मुजस्समा परस्ती बढ़ गई तो अल्लाह तआला ने नूह (अलैहिस्सलाम) को भेजा कि पूजा सिर्फ़ अल्लाह वाहिद की की जाए कि ''ऐ क़ौम! इबादत सिर्फ़ अल्लाह तआला की करो, उसके सिवा इक़्तिदा और किसी के हाथ में नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि तुम पर अल्लाह तआला का अज़ाबे अज़ीम नाज़िल हो जाए।'' तो उनकी क़ौम ने जवाब दिया कि हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। तुम उनकी पूजा से हमें रोकते हो, हम तो तुमको इस बारे में बड़ी ग़लती और गुमराही पर समझते हैं। आजकल के फ़ुज्जार (झूठे लोगों) का यही हाल है कि वह ख़ुद नेकोकारों पर गुमराही का इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसाकि फ़र्माया कि (وَ اِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ) (83/मुतफ़्फ़िफ़ीन : 32) यानी यह बदकार जब नेकोकारों को देखते हैं तो कहते हैं कि यह गुमराह हो गए हैं और काफ़िर ईमान वालों से कहते हैं कि अगर इसकी बात सही होती तो इनसे पहले हम इसको इख़्तियार करते। और चूँकि ख़ुद इन्होंने हिदायत नहीं पाई थी, तो कहने लगे कि गुमराह तो यह ख़ुद हैं और झूठ बोलते हैं। इस क़िस्म की बहुत आयात हैं। फिर इर्शाद

होता है, नूह (عليه السلام) कहते हैं कि ऐ लोगों! मैं गुमराह नहीं हो गया हूँ। मैं वह पैग़ाम पहुँचा रहा हूँ जो ख़ास अल्लाह तआला ने भेजा है। मैं तुम्हारा ख़ैरख़्वाह हूँ। मुझे अल्लाह तआला की तरफ़ से वह इल्म है जो तुम्हें नहीं है। रसूल की यही शान हुआ करती है कि वह एक फ़सीह व बलीग़ और नासेह मुबल्लिग़ हो। अल्लाह की मख़्लूक़ात में उन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ दूसरे नहीं हुआ करते। जैसाकि नबी अकरम (ﷺ) ने अपने अस्हाब से यौमे अरफ़ा में फ़र्माया जहाँ हज़ारों लोग जमा थे कि ''ऐ लोगों! तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा और मेरे अदा-ए-फ़रीज़ा की तुमसे तस्दीक़ मांगी जाएगी तो तुम क्या कहोगे? लोगों ने कहा कि हम इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं कि आपने हक़्क़े तब्लीग़ व ख़ैरख़्वाही अदा कर दिया और रिसालत का फ़रीज़ा पूरा किया। तो आप (ﷺ) ने अपनी उँगली आसमान की तरफ़ उठाई। फिर उन लोगों की तरफ़ इशारा किया और फ़र्माया कि ''ऐ अल्लाह तआला! गवाह रह, गवाह रह कि यह मेरी तस्दीक़ कर रहे हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल हज्ज, बाब हज्जतुन्नबी (ﷺ) : 1218)

***

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا
وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ
اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ
سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٧﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ
اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ
وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ
فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

तर्जुमा : "और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख़्स की मारिफ़त जो तुम्हारी ही जिंस का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वह शख़्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। (63) तो वह लोग उनको झुठलाते रहे तो हमने नूह (عليه السلام) को और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे बचा लिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया उनको हमने ग़र्क़ कर दिया बेशक वह लोग अंधे हो रहे थे। (64) और हमने क़ौमे आद की तरफ़ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फ़र्माया, ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा मअबूद नहीं, तो क्या तुम नहीं डरते। (65) उनकी क़ौम में जो इज़्ज़तदार लोग काफ़िर थे उन्होंने कहा, हम तुमको कमअक़्ली में देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं। (66) उन्होंने फ़र्माया कि ऐ मेरी क़ौम! मुझ में ज़रा कम अक़्ली नहीं लेकिन मैं परवरदिगारे आलम का भेजा हुआ पैग़म्बर हूँ। (67) तुमको अपने परवरदिगार के पैग़ाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा ख़ैरख़्वाह हूँ। (68) और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख़्स की मारिफ़त जो तुम्हारी ही जिंस का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वह शख़्स तुमको डराए और तुम यह हालत याद करो कि अल्लाह तआला ने तुमको क़ौमे नूह के बाद आबाद किया और डील डोल में तुमको फैलाव ज़्यादा दिया तो अल्लाह तआला की नेअमतों को याद करो ताकि तुमको फ़लाह (कामयाबी) मिले।" (69)

अल्लाह तआला का क़ौमे नूह को पानी में डुबोना (आयत 63-69) : अल्लाह पाक क़ौमे नूह के बारे में फ़र्माता है कि तुम्हें इस बात पर ताज्जुब क्यूँ है कि अल्लाह तआला तुम्हारे किसी आदमी पर वह्य भेजता है। यह तो तुम पर लुत्फ़ो करम है। वह तुमको अल्लाह तआला से डराता है ताकि तुम अल्लाह तआला के अज़ाब से दूर रहो और शिर्क न करो, शायद कि तुम पर रहमो करम किया जाए। लेकिन क़ौम ने नूह (عليه السلام) को झुठला दिया, नूह (عليه السلام) की मुख़ालिफ़त करने लगे और बहुत ही थोड़े लोग ईमान लाए। जैसाकि फ़र्माया है कि हमने नूह (عليه السلام) और उसके साथियों को कश्ती में बिठाकर नजात दी और हमारी तक्ज़ीब करने वालों को डुबो दिया। जैसाकि फ़र्माया कि अपने गुनाहों की वजह से वह डूबो दिए गए और जहन्नम में झोंके गए। अब अल्लाह तआला के सिवा कौन उनका मददगार हो सकता था, यह लोग अंधे थे कि हक़ (सच्ची/सही) चीज़ को देख ही नहीं सकते थे। इस क़िस्से में अल्लाह तआला ने बयान कर दिया है कि अल्लाह तआला के दोस्तों से दुश्मनी करने की कैसी सज़ा मिली, रसूल और मोमिनीन नजात पा गए। जैसाकि फ़र्माया कि हम अपने रसूलों की मदद करते हैं, ग़ल्बा और कामयाबी नेक लोगों ही को हासिल है ख़्वाह दुनिया में या आक़िबत (आख़िरत) में हो। ज़ेद बिन असलम (रह.) कहते हैं कि क़ौमे नूह (عليه السلام) इतनी ज़्यादा थी कि शहर और जंगल भर गए थे, हर हिस्स-ए-ज़मीन पर उनका क़ब्ज़ा था। नूह (عليه السلام) के साथ नजात पाने वाले अस्सी (80) लोग थे उन्हीं में से एक जुरहुम था जिसकी ज़ुबान अरबी थी।

हूद (ﷺ) की अपनी क़ौम को तब्लीग़ और क़ौम का जवाब : अल्लाह पाक फ़र्माता है कि जिस तरह हमने क़ौमे नूह की तरफ़ रसूल भेजा था, क़ौमे आद की तरफ़ भी उन्हीं में से एक शख़्स हूद (ﷺ) को रसूल बनाकर भेजा था। यह आद बिन इरम की औलाद थे, बड़े बड़े मकानात में रहते थे, जैसे कि फ़र्माया, क्या तुमने नहीं देखा कि क़ौमे आद को अल्लाह तआला ने कैसी सज़ा दी उनके मकान और बाग़ बड़े-बड़े सतून वाले थे। शहरों में ऐसे बड़े मकानात कहीं भी नहीं थे और यह उनकी ज़बरदस्त ताक़ते जिस्मानी की दलील थी। जैसाकि फ़र्माया कि लेकिन क़ौमे आद फ़ख़्र व नाज़ में पड़ गई, नाहक़ गुरूर करने लगी और खुला दावा करने लगी कि हमसे बढ़कर ताक़तवर कौन है? क्या उन्होंने इस पर ग़ौर नहीं किया कि अल्लाह तआला जिसने उन्हें पैदा किया है, वह उनसे ज़्यादा क़वी है। वह हमारी आयतों और मोजिज़ों का इंकार करते थे। उनके मसाकिन (ठिकाने) मुल्के यमन में अह़क़ाफ़ में थे और वह एक रेगिस्तानी और पहाड़ी क़ौम है। ह़ज़रत अली (रज़ि.) ने ह़ज़रमौत के रहने वाले एक आदमी से कहा कि क्या तुमने सरज़मीने ह़ज़रमौत में कोई सुर्ख़ टीला देखा जिसकी मिट्टी सुर्ख़है। उस टीले के फ़लाँ-फ़लाँ किनारे पर बेरी और पीलू के बकसरत दरख़्त हैं। उसने कहा, हाँ! ऐ अमीरुल मोमिनीन! अल्लाह तआला की क़सम! आप तो इस तरह बता रहे हैं जैसे कि ख़ुद अपनी आँखों से देखा हो। आपने फ़र्माया, देखा तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसी ह़दीस पहुँची है। उसने कहा, या अमीरल मोमिनीन! आप इस बारे में क्या फ़र्माना चाहते थे? आपने कहा, यहीं हूद (ﷺ) की क़ब्र है। (तब्री : 12/507) इस ह़दीस से यह फ़ायदा ह़ासिल होता है कि क़ौमे आद के मसाकिन (ठिकाना) यमन में थे और हूद (ﷺ) वहीं मदफ़ून हैं। हूद (अ) अपनी क़ौम में शरीफ़तरीन ख़ानदान में से थे। सारे रसूल अफ़ज़लुल क़बाइल होते हैं। लेकिन हूद (ﷺ) की क़ौम जिस्मानी ह़ैसियत से जिस तरह बड़ी सख़्त थी, दिल भी उनका ऐसा ही सख़्त था, और ह़क़ की तक्ज़ीब सब उम्मतों से बढ़कर उन्होंने की। इसीलिए हूद (ﷺ) उनको रब्बे वाह़िद की इबादत और इताअत की तरफ़ बुलाते थे। लेकिन हूद (अ.) की उस काफ़िर क़ौम ने यह कहा कि "ऐ हूद (ﷺ)! हम तो तुम्हें बड़ा बेसमझ और गुमराह पाते हैं कि हमको तर्के इबादते अस्नाम की दावत देते हो और एक अल्लाह तआला की इबादत का मश्वरा देते हो।" जैसाकि कुरैश ने नबी अकरम (ﷺ) की ऐसी ही दावत पर ताज्जुब किया था कि क्या उसने इतने सारे ख़ुदाओं को एक (रब) अल्लाह बनाकर रख दिया है। ग़र्ज़ हूद (ﷺ) ने उनसे कहा कि ऐ लोगों! मुझमें बेसमझी नहीं है बल्कि मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ, रब की तरफ़ से ह़क़ बात लेकर आया हूँ। हर चीज़ अल्लाह तआला ही ने पैदा की है वह हर चीज़ का रब है। मैं रब के पैग़ामात तुमको पहुँचा रहा हूँ। मैं तुम्हारा सही मअ़नी में ख़ैरख़्वाह हूँ। यही वह सिफ़ात हैं जिनसे रसूल मुत्तसिफ़ रहते हैं, यानी नसीह़त और अमानत, अगर तुम्हारे ही एक आदमी पर वह़ी आई और तुम्हारी ही बेहतरी की ख़ातिर उसने तुम तक पहुँचाई, तो इसमें ताज्जुब क्यूँ करते हो? बल्कि यह तो तुम्हारे लिए शुक्र की जगह है और यह तो अल्लाह तआला का एह़सान मानो कि उसने क़ौमे नूह़ के बाद तुमको उनकी जगह दी और वह क़ौम तो हलाक हो गई जिसने अपने रसूल का कहा नहीं माना था और फिर यह कि जिस्मानी ह़ैसियत से तुमको बहुत ही तवाना बनाया है। तुम दूसरी क़ौमों की बनिस्बत बहुत दराज़ क़ामत (लम्बे क़द) हो और चौड़े चकले हो। इसी क़िस्म का ज़िक्र अल्लाह तआला ने क़िस्सा तालूत में किया है कि इल्मी और जिस्मानी

क़ुव्वत में तालूत बहुत ही ख़ुसूसियत रखते थे। फिर इर्शाद होता है कि अल्लाह तआला की नेअमतों को याद करो, उसके एहसानात पर ग़ौर करो, शायद कि तुम्हें फ़लाह नसीब हो।

***

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝٧٠ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝٧١ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٧٢

तर्जुमा : ''वह लोग कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए हैं कि हम सिर्फ़ अल्लाह तआला ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते थे हम उनको छोड़ दें। और हमको जिस अज़ाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। (70) उन्होंने फ़र्माया कि बस अब तुम पर अल्लाह तआला की तरफ़ से अज़ाब और ग़ज़ब आया ही चाहता है क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाब में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने गढ़ लिए हैं उनके मअबूद होने की अल्लाह तआला ने कोई दलील नहीं भेजी। तो तुम इंतिज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतिज़ार कर रहा हूँ। (71) ग़र्ज़ हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था और ईमान लाने वाले न थे।'' (72)

क़ौमे आद की तबाही व बर्बादी (आयत 70-72) : अल्लाह तआला ख़बर दे रहा है कि यह कुफ़्फ़ार हूद (عليه السلام) के साथ किस तरह इंकार और तुग़ियान व इनाद से पेश आए और कहने लगे कि क्या तुम हमारे पास इसीलिए आए हो कि हम एक अल्लाह तआला की इबादत करें। और हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते थे, उन सबको छोड़ दें। अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो जिन अज़ाबों से डरा रहे हो, ला नाज़िल करो। जैसा कि कुफ़्फ़ारे क़ुरैश कहते हैं कि अगर अज़ाब की तुम्हारी यही धमकी सच है तो आसमान से पत्थर बरसा लो और अज़ाबे अलीम में हमें माख़ूज़ (पकड़) कर ही लो। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) कहते हैं कि वह लोग बुत की पूजा करते थे। एक बुत का नाम था समद और दूसरे का नाम था समूद और एक का नाम था हुबा। इसीलिए हूद (عليه السلام) ने

कहा था कि तुम्हारे इस कहने की वजह से तुम पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब वाजिब हो चुका है। कहा गया है कि रिज्स से मुराद है रिजज़ यानी अज़ाब। क्या तुम मुझसे उन बुतों के बारे में झगड़ते हो जिनके नाम ख़ुद तुमने या तुम्हारे अस्लाफ़ ने रख लिए हैं। यह बुत तो न नफ़ा पहुँचाने वाले हैं न नुक़्सान और न अल्लाह तआला ही ने इनकी इबादत की तुम्हें कोई सनद दी है, न इस बात की कोई दलील है। अगर यही बात है तो अच्छा अज़ाब के मुंतज़िर रहो, तुम्हारे साथ मैं भी इंतिज़ार करता हूँ। यह रसूल की तरफ़ से अपनी क़ौम को बड़ी ज़बरदस्त तहदीद (धमकी) है। चुनाँचे उसके बाद इर्शाद होता है कि हमने हूद (अ.) को तो बचा लिया और उनके साथियों को भी, और जो हूद (عليه السلام) पर ईमान न लाए थे और हमारी आयतों को झुठलाते थे उनका क़िस्सा ही साफ़ कर दिया। उनकी हलाकत के वाक़ियात क़ुरआन में दूसरे मक़ामात पर इस तरह मज़्कूर हैं कि उन पर एक सख़्त आँधी भेजी गई और जिन तक वह पहुँची उनको तहस नहस करके रख दिया। जैसाकि एक दूसरी आयत में है कि आद एक हवाए सरसर के ज़रिये हलाक कर दिए गए। यह आँधी आठ दिन और सात रातों तक चलती रही। यह सरकश लोग ऐसे मरे पड़े थे कि जैसे खजूर के दरख़्तों के तने अलग हो और शाख़ें अलग हों। उनमें से कोई भी बाक़ी नहीं रहा। (69/हाक़्क़ा : 6-8) उनकी सरकशी की वजह से एक ज़बरदस्त आँधी भेजकर अल्लाह तआला ने उन्हें हलाक कर दिया। हवा उनको आसमान पर ले उड़ती थी फिर सर के बल ज़मीन पर गिरा देती थी। सर टूटकर धड़ से अलग हो जाता था। इसीलिए फ़र्माया कि ख़ुजूर के तने के मानिन्द हो गए थे जिनकी डालियाँ और सिरे ख़ाली हों। (69/हाक़्क़ा : 7) यह लोग मुल्के यमन में ओमान व हज़रमौत के बीच रहते थे। इसके अलावा वह सारी सरज़मीन में दूर-दूर फैल गए और अपनी क़ुव्वत के मुज़ाहिरा में लोगों पर ज़ुल्मो ज़बरदस्ती करने लगे थे। यह बुतों को पूजते थे।

चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ हूद (عليه السلام) को भेजा और वह ख़ानदानी लिहाज़ से उन सब में शरीफ़ थे। उनकी ताकीद थी कि अल्लाह तआला को वाहिद करार दें किसी को उसके साथ शरीक न करें। लोगों पर ज़ुल्म करने से बाज़ आएँ, लेकिन उन्होंने इंकार किया। उनकी तक्ज़ीब (झुठलाया) की और कहने लगे कि हमसे बढ़कर ताक़तवर कौन है? दूसरे लोगों ने भी उनकी पैरवी की। हूद (عليه السلام) पर ईमान लाने वाले लोग बहुत थोड़े थे। जब आद ने इस तरह सरकशी से काम लिया और दुनिया में फ़साद मचाते फिरने लगे और बिला ज़रूरत बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाने लगे तो हूद (عليه السلام) उनसे यूँ मुख़ातिब हुए कि तुम लोग हर जगह बिला ज़रूरत मकानात बनाते हो और ऐसे मुस्तहकम महल बनाते हो गोया तुम्हें यहाँ हमेशा ही रहना है और जब तुम किसी पर तसल्लुत पाते हो तो बड़ी सख़्ती करते हो। अल्लाह तआला से डरो। मेरी सुनो! तो वह कहने लगे कि ऐ हूद (عليه السلام)! तुम एक बेदलील आदमी हो, तुम्हारे कहने से हम अपने ख़ुदाओं को नहीं छोड़ सकते और हम तुम पर ईमान नहीं ला सकते। हमारी समझ में तो यह आता है कि तुम पर हमारे किसी ख़ुदा की लानत पड़ी है कि दीवाने हो गए हो। हूद (عليه السلام) ने कहा कि मैं अल्लाह तआला को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि तुम्हारी मुश्रिकाना ज़हनियत से मैं बिलकुल बरी हूँ। अब तुम सब मिलकर मेरे साथ जो चाल चलना चाहते हो, चलो और मुझे मोहलत तक न दो। मेरा भरोसा अल्लाह तआला पर है वह मेरा और तुम्हारा भी रब है। तुम तो क्या कोई जानवर भी ऐसा नहीं जो उसकी गिरफ़्त में न हो। मेरा रब जो कहता है ठीक कहता है। (26/शुअरा : 128-136)

यह लोग जब कुफ़्र पर बिलकुल ही अड़ गए तो अल्लाह तआला ने तीन बरस तक इनसे बारिश रोक रखी। वह सख़्त फ़ित्ना में मुब्तला हो गए और इस तरह जब वह किसी सख़्त आफ़त में मुब्तला हो जाया करते थे तो अल्लाह तआला से कुशादगी की दुआएँ माँगने लगते और उनका यह दस्तूर था कि किसी को बैतुल्लाह भेजते। उस ज़माने में मक्का में उनके क़बीले के चंद लोग अमालीक़ रहते थे और यह अमलीक़ बिन लाविज़ बिन साम बिन नूह़ की नस्ल से थे, उस क़बीला का सरदार उन दिनों वहाँ मुआविया बिन बक्र नामी एक शख़्स था उसकी माँ क़ौमे आद में से थी, उसका नाम जुल्हिज़ा था, ख़ुबैरी की बेटी थी। चुनाँचे क़ौमे आद ने सत्तर आदमियों का एक वफ़्द हरम की तरफ़ भेजा ताकि कअबतुल्लाह में जाकर पानी बरसने की दुआ करें। यह लोग अपने क़बीला वाले मुआविया बिन बक्र के पास मक्के से बाहर ठहरे। एक महीने तक उसके पास क़याम किया। शराबें पीते और उसके पास दो मुग़न्निया (गाने वाली) कनीज़ों के गाने सुनते रहते। महीना भर तक उनका क़यामे तवील हो गया। इधर मुआविया का अपनी क़ौमे आद की परेशानहाली और क़हत की वजह से दिल बहुत ज़्यादा तंग था। लेकिन मेहमानों से रुख़सत होने के लिए कहने से शर्म करता था। चंद शेअर बनाए और उन मुग़न्नियात (गाने वालियों) को कहा कि यह अश्आर इनके सामने गाएँ। वह यह थे ''ऐ क़ील! तुझ पर अफ़सोस! उठ, जा दुआ मांग। शायद अल्लाह तआला बादलों को बरसने के लिए भेज दे ताकि सरज़मीने आद सैराब हो जाए क्योंकि क़ौमे आद की हालत तो अब यहाँ तक पहुँच गई है कि बात तक अच्छी तरह नहीं कर सकते। प्यास से दम निकल रहा है। बूढ़े और जवान किसी को ज़िन्दगी की आस बाक़ी नहीं रही, उनकी औरतों की भी ख़बर नहीं। वह भूख प्यास से बेसुध हो गई हैं। वुहूश खुले बन्दों उनकी बस्तियों में घुस आए हैं क्योंकि किसी अहले आद से उन्हें ख़ौफ़ नहीं रहा कि तीर मारकर उन्हें हलाक करेंगे क्योंकि तीर चलाने की ताक़त ही नहीं रही है। बस यह समझ लो कि उनके दिन और रात अब ख़त्म ही हो रहे हैं। किसी क़ौम का वफ़्द तुम जैसा मन्हूस वफ़्द न होगा। तुम पर अल्लाह तआला की फटकार हो।'' यह सुनकर उस वफ़्द के लोगों को एहसास हुआ। कअबतुल्लाह में गए और अपनी क़ौम के लिए दुआ मांगने लगे। उस वफ़्द के सरबराह का नाम क़ील था। अल्लाह तआला की क़ुदरत से तीन बादल ज़ाहिर हुए। एक सफ़ेद, एक काला, एक लाल। आसमान से एक आवाज़ आई कि अपनी क़ौम के लिए इन तीनो में से एक बादल पसंद कर लो। क़ील ने कहा मैं यह स्याह बादल पसंद करता हूँ, स्याह बादल बहुत बरसने वाला होता है। निदा आई कि तूने तो रिमाद और ख़ाक को पसंद किया है, क़ौमे आद से कोई बाक़ी नहीं रहेगा, यह बादल न तो बाप को छोड़ेगा, न बेटे को, सबको बर्बाद करके रख देगा लेकिन आद का क़बीला बनी उलूज़िया महफ़ूज़ रहेगा। आद का यह क़बीला मक्का में क़याम पज़ीर था उस पर कुछ आँच न आई, सारी क़ौमे आद तबाह हो गई। जो लोग बच गए वह इसी क़ौम के क़बीला बनी उलूज़िया वाले थे उसकी नस्ल और ज़ुर्रियत से वह क़ौम बाक़ी रही जिसको आदे सानी कहते हैं।

कहते हैं कि अल्लाह तआला ने एक काला बादल भेजा जिसको क़ील ने पसंद किया था और यही उस क़ौम के अ़ज़ाब का सबब बना। मुग़ीस नामी एक वादी से उठा, लोगों ने उसको देखा तो ख़ुश हो गए और कहने लगे कि यह तो बरसने वाला बादल है। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि "उस बादल को हवा ज़ोरों से बहाती हुई लाई, उसमें अ़ज़ाबे अलीम था, जो हर चीज़ को हलाक कर दे।" (46/अह़क़ाफ़ : 24) उस बादल के अंदर एक चीज़ को सबसे पहले जिसने देखा वह एक औरत थी जिसका नाम मुमीद था। उसने उस बादल के अंदर जो कुछ देखा वह उसके सबब बेहोश होकर गिर गई। होश में आई तो कहा कि उस बादल के अंदर आग के शोले थे कुछ लोग दिखाई दिए जो उन शोलों को खींचे ला रहे हैं। चुनाँचे सात रातें और आठ दिन तक यह बादल बरसता रहा और आ़द का कोई शख़्स हलाक होने से नहीं बचा। हूद (ﷺ) और उनके साथ मोमिनीन यहाँ से हट गए थे और एक खेत में पनाह ले चुके थे, वहाँ उन्हें कोई नुक़्सान नहीं पहुँचा। बाग़ की ठण्डी हवा उनके जिस्मों को छूती रही और रूह को ताज़गी देती रही। लेकिन क़ौमे आ़द पर यह हवा और बारिश संगबारी करती रही, उनके सर टूटते रहे। इस क़िस्सा का ज़िक्र बहुत लम्बा है और सियाक़े इबारत भी अ़जीब है। इससे कई नतीजे भी निकलते हैं।

अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि जब हमारा अ़ज़ाब आ ही पहुँचा तो हमने हूद (ﷺ) को बचा लिया और उनके साथ के मोमिनीन को भी। अ़ज़ाबे अलीम से वह महफ़ूज़ रहे। (11/हूद : 58) ह़ारिस अल्बक्री से रिवायत है कि अ़ला बिन ह़ज़्रमी की शिकायत लेकर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जा रहा था और क़ौमे रब्ज़ा पर से गुज़र रहा था कि बनी तमीम की एक बुढ़िया जो उस क़बीले से छूट गई थी और अकेली हो गई थी, कहने लगी, ऐ अल्लाह तआला के बन्दे! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की त़रफ़ ले चल, मुझे आप (ﷺ) से काम है। चुनाँचे मैंने उसको ऊँट पर बिठा लिया और मदीने ले आया। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी और एक काला झण्डा बुलंद था। बिलाल (रज़ि.) अपनी तलवार लटकाए रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने खड़े थे। मैंने पूछा, यह लोग कैसे जमा हैं? लोगों ने कहा कि अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) की सरकरदगी में लश्कर भेजा जा रहा है। मैं बैठ गया। आप (ﷺ) अपने हुज्रे में दाख़िल हुए, मैंने ह़ाज़िरी की इजाज़त मांगी। मुझे इजाज़त मिल गई। मैंने आकर सलाम किया। मुझसे कहने लगे कि "क्या तुममें और बनी तमीम में कोई रंजिश है?" मैंने अ़र्ज़ किया हाँ! मुझे उनसे शिकायत है और इल्ज़ाम उन्हीं पर है। अब मैं आप (ﷺ) के पास आ रहा था कि रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई, क़बीला बनी तमीम की है जो उनसे छूट गई थी। मुझसे कहने लगी कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) से काम है, मुझे ले चलो। चुनाँचे वह भी दरवाज़े पर खड़ी है। तो आप (ﷺ) ने उसे भी बुला लिया। वह आ गई। मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हममें और बनू तमीम में आड़ कर दीजिए। यह सुनकर क़बीला बनी तमीम की उस बुढ़िया को ह़मिय्यत पैदा हुई और तेज़ होकर बोली कि "या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर आपके परेशान ह़ाल कहाँ पनाह लेंगे।" मैं कहने लगा, अरे मेरी मिसाल तो उस ज़र्बुल मसल की सी हो गई कि बकरी अपनी मौत को आप खींच लाई। मैं उस बुढ़िया को सवार करके ले आया, मुझे क्या ख़बर थी कि यह मेरी दुश्मन साबित होगी। मैं अल्लाह तआला के पास और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पनाह लेता

हूँ इस बात से कि वफ़्दे क़ौमे आद की तरह बन जाऊँ। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''वफ़्दे आद का क्या क़िस्सा है।'' हालाँकि आप (ﷺ) मुझसे बेहतर जानते थे लेकिन मुझसे सुनने के ख़्वाहिशमंद थे। मैंने कहा कि क़ौमे आद क़हत में मुब्तला हो गई थी। चुनाँचे उन्होंने अपना एक वफ़्द मक्का भेजा, वफ़्द के क़ाइद का नाम क़ील था। वह मक्का आकर मुआविया बिन बक्र के पास ठहरे, एक महीना क़याम किया, शराब पीते रहे, जुरादतान नामी दो लौण्डियों का गाना सुनते रहे। फिर सरदारे वफ़्द क़ील मुहरा की पहाड़ियों की तरफ़ निकला और दुआ की कि ऐ अल्लाह तआला! तू जानता है कि मैं किसी मरीज़ की दुआए सेहत के लिए नहीं आया हूँ, न किसी क़ैदी के छुड़ाने के लिए फ़िदया मांगता हूँ, बल्कि ऐ अल्लाह तआला! आद को पानी दे। चुनाँचे बहुक्मे रब! तीन बादल ज़ाहिर हुए। आवाज़ आई कि एक बादल को इख़्तियार कर ले, उसने काले बादल को चुना, आवाज़ आई कि तुझको तो ख़ाक मिलेगी, क़ौमे आद का कोई शख़्स बाक़ी नहीं रहेगा। चुनाँचे अल्लाह तआला ने एक आँधी भेजी जो हवाओं में गोया उतनी ही थी जितना कि मेरी इस अंगूठी का दायरा है जिससे यह सारी क़ौम तबाह हो गई। अब अरब के लोग जब किसी वफ़्द को भेजते हैं तो बतौरे ज़र्बुल मसल कहते हैं कि वफ़्दे आद की तरह न हो जाना। इमाम अहमद (रह.) ने अपनी मुस्नद में इसको बयान किया है और तिर्मिज़ी ने भी रिवायत किया है, वल्लाहु आलम! (मुस्नद अहमद : 3/382; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिज़्ज़ारियात : 3273, 3274; वहुव हसन; इब्ने माजा : 2816)

***

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ
جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ
بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ
بُيُوتًا ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ
ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا
مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا

بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝٧٦ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ
ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٧٧ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ
دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۝٧٨

तर्जुमा : ''और हमने समूद की तरफ़ उनके भाई सालेह (عليه السلام) को भेजा। उन्होंने फ़र्माया कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआला की इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा मअबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। यह ऊँटनी है अल्लाह तआला की जो तुम्हारे लिए है तो इसको छोड़ दो कि अल्लाह तआला की ज़मीन में खाती फिरे और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कहीं तुमको दर्दनाक अज़ाब आ पकड़े। (73) और तुम वह हालत याद करो कि अल्लाह तआला ने तुमको आद के बाद आबाद किया और तुमको ज़मीन पर रहने को ठिकाना दिया कि नर्म ज़मीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराशकर उनमें घर बनाते हो, तो अल्लाह तआला की नेअमतों को याद करो और ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ। (74) उनकी क़ौम में जो मुतकब्बिर सरदार थे उन्होंने ग़रीब लोगों से जो कि उनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यक़ीन है कि सालेह (عليه السلام) अपने रब की तरफ़ से भेजे हुए हैं। उन्होंने कहा, बेशक हम तो उस पर पूरा यक़ीन रखते हैं जो इनको देकर भेजा गया है। (75) वह मुतकब्बिर लोग कहने लगे कि तुम जिस बात पर यक़ीन लाए हुए हो हम तो उसके इंकारी हैं। (76) ग़र्ज़ उस ऊँटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म की सरकशी की और कहने लगे कि ऐ सालेह (عليه السلام)! जिसकी आप हमको धमकी देते थे उसको मंगवाइए अगर आप पैग़म्बर हैं।(77) पस आ पकड़ा उनको ज़लज़ला ने तो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए।'' (78)

सालेह (عليه السلام) का पैग़ामे तौहीद (आयत 73-78) : इब्राहीम ख़लीलुल्लाह से पहले पुराने अरब के जो क़बीले थे उन्हीं में से समूद भी थे जो क़ौमे आद के बाद हुए। हिज़ाज़ व शाम के बीच वादी क़ुरा और उसके अत्राफ़ (आसपास) उनके मसाकिन (ठिकाने) मशहूर हैं। नबी अकरम (ﷺ) सन नौ (9) हिज्री में तबूक की तरफ़ जा रहे थे तो उनके मसाकिन (ठिकाने) और दियार पर से गुज़रे। एक मक़ाम था हजर नामी यहाँ समूद की बस्ती थी। जब नबी अकरम (ﷺ) अस्हाब समेत यहाँ फ़रोकश हुए तो लोगों ने उन चश्मों से पानी पी लिया जिन्हें समूद इस्तेमाल करते थे उस पानी से आटा गून्धा और हाँडियों में डाला तो नबी अकरम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि हांडियाँ उलट दी जाएँ और गूँधा हुआ आटा ऊँटों को खिला दीं।'' फिर यहाँ से आप (ﷺ) कूच कर गए। फिर आप (ﷺ) एक दूसरे चश्मे पर उतरे जो समूद के पीने का चश्मा नहीं था बल्कि नाक़ा

(ऊँटनी) समूद के पीने का चश्मा था। आप (ﷺ) ने उससे मना कर दिया था कि "वह अज़ाब की हुई क़ौम पर से गुज़रें। क्योंकि मुझे तो ख़ौफ़ होता है कि समूद जिस तरह मुब्तल-ए-अज़ाब हो गए थे कहीं तुम भी न हो जाओ, इसलिए इस चश्मा पर क़याम न करो। (अहमद : 2/117; व सनदुहू सहीह; इब्ने हिब्बान : 6203) और हजर पर से जो मस्कने समूद था अगर गुज़रना भी पड़े तो अल्लाह तआला के आगे रोते हुए गुज़रो। अगर रो नहीं सकते तो इधर से गुज़रना ही नहीं, वरना तुम पर भी वही अज़ाब उतर जाएगा।" (अहमद : 2/74 इस मअनी की रिवायत सहीह बुख़ारी, किताबुस्सलात फ़ी मवाज़िइल ख़स्फ़ : 433; सहीह मुस्लिम : 2980; इब्ने हिब्बान : 6200; दलाइलुन्नुबुव्वत : 5/233 में मौजूद है।) ग़ज़्व-ए-तबूक में लोग अहले हजर की तरफ़ तेज़ी से जा रहे थे ताकि वहाँ उतरें। नबी अकरम (ﷺ) को ख़बर मिली तो निदा करा दी कि नमाज़ तैयार है। अबी कब्शा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं नबी अकरम (ﷺ) के पास आया। आप (ﷺ) के हाथ में एक नेज़ा था और फ़र्मा रहे थे, "ऐसी क़ौम की तरफ़ न जाओ जिन पर अल्लाह तआला का ग़ज़ब हुआ था।" तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम उन लोगों को देखकर ताज्जुब कर रहे थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "क्या तुम्हारे उस ताज्जुब से बढ़कर ताज्जुब की बात मैं तुम्हें न सुनाऊँ। तुम्हीं में से एक आदमी यानी मैं तुम्हें ग़ैब से उन लोगों की ख़बर सुना रहा हूँ जो तुमसे पहले थे और गुज़िश्ता के अलावा आइन्दा की बातें भी बता रहा हूँ। इसलिए सीधे हो जाओ अपनी इस्लाह कर लो। क्योंकि तुम पर भी अज़ाब आ जाए तो अल्लाह तआला को क्या परवा हो सकती है और वह क़ौम भी आने वाली है कि वह ख़ुद भी अपने नफ़्सों पर से कुछ न टाल सकेगी।" (अहमद : 4/231; व सनदुहू ज़ईफ़; मज्मउज़्ज़वाइद : 6/194 इसकी सनद में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह मसऊदी मुख़्तलत रावी है इब्ने क़त्तान कहते हैं इख़्तलत फ़ी ला यअक़िल (अल्मीज़ान : 2/574; रक़म : 4907) और इस्माईल बिन औसत उसके बारे में इमाम ज़हबी कहते हैं ला यम्बग़ी अय्यरौन अन्हु (अल्मीज़ान : 1/222; रक़म : 853) ग़र्ज़ जब हुज़ूर (ﷺ) हजर पर से गुज़रे तो फ़र्माया कि "अल्लाह तआला से मोजिज़ात और निशानियाँ न माँगो। क़ौमे सालेह ने भी मांगा था और मोजिज़े के तौर पर उन्हें नाक़ा मिली थी कि वह एक रास्ते से आती और दूसरे रास्ते से जाती। उन लोगों ने अल्लाह के हुक्म से सरकशी की। उस ऊँटनी को मार डाला। वह एक दिन चश्मे से पानी पीती और दूसरे दिन यह लोग उसका दूध पीते। जब उसको मार डाला तो एक ऐसी कड़कदार आवाज़ आसमान से आई कि सब मर गए। उनकी क़ौम का सिर्फ़ एक आदमी बच गया। वह इसलिए कि उस वक़्त वह कअबतुल्लाह के अंदर था।" लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! वह कौन था? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "अबू रग़ाल! लेकिन जब हरम से निकला तो वह भी मुब्तल-ए-अज़ाब होकर मर गया।" (मुस्नद अहमद : 3/296; व सनदुहू ज़ईफ़; इब्ने हिब्बान : 6197; हाकिम : 2/340 इसकी सनद में अबुज़्ज़ुबैर मुदल्लस रावी है जिसके सिमाअ की सराहत मौजूद नहीं।) (यह हदीस सिहाहे सित्ता में मौजूद नहीं है।))।

इर्शाद होता है कि समूद की तरफ़ उनके एक क़ौम का फ़र्द सालेह (عليه السلام) पैग़म्बर भेजे गए थे। तमाम पैग़म्बरों की तरह आपकी भी यही दावत व तालीम थी कि ऐ लोगों! रब्बे वाहिद की इबादत करो कि उसके

सिवा कोई दूसरा रब है ही नहीं। सारे पैग़म्बर उसी की इबादत की तरफ़ दावत देते रहे हैं जैसाकि फ़र्माया कि तुमसे पहले जितने भी रसूल भेजे गए सबकी तरफ़ यही वह़ी थी कि अल्लाह तआला वाहिद मैं ही हूँ सिर्फ़ मेरी ही इबादत करना। और फ़र्माया कि हर क़ौम में हमने रसूल भेजे हैं वह सब तौहीद की तालीम देते रहे हैं और ताअते शैतान से रोकते रहे हैं। (16/नह्ल : 36) और फ़र्माया कि अल्लाह तआला की तरफ़ से तुम्हारे पास निशानी आ चुकी है वह निशानी यह नाक़ा है। उन लोगों ने ख़ुद सालेह (عليه السلام) से सवाल किया था कि उन्हें कोई मोजिज़ा दिखलाया जाए और दरख़्वास्त यह की थी कि इस ख़ास चट्टान के अंदर से जिसको हम बता रहे हैं एक नाक़ा पैदा हो। यह चट्टान मक़ामे हजर की एक तरफ़ अकेली एक ही चट्टान थी जिसका नाम कातिबा था। और वह ऊँटनी दस माह का हमल भी रखती हो दूध भी देती हो। सालेह (عليه السلام) ने उनसे मजबूत वादे लिए थे कि अगर अल्लाह तआला ने उनकी दरख़्वास्त क़बूल कर ली तो वह ईमान ले आएँगे और मेरे कहे पर अमल करेंगे। जब यह वादे वईद हो चुके तो सालेह (عليه السلام) दुआ के लिए उठे, दुआ की। चट्टान को अचानक हरकत हुई, वह फट पड़ी और एक ऊँटनी उसके अंदर से निकली, जिसके पेट में बच्चे होने की वजह से चलने में इधर उधर हरकत हो रही थी। यह देखकर उन कुफ़्फ़ार का सरदार जुन्दअ बिन अम्र और उसके मातहत लोग ईमान ले आए और दूसरे अशराफ़े समूद भी ला रहे थे कि जुवाब बिन अम्र और हब्बाब पुजारी और रुबाब ने उनको रोक दिया और जुन्दअ का एक चचेरा भाई शिहाब नामी भी जो अशराफ़े समूद में से था इरादा कर रहा था कि ईमान लाए, लेकिन उन लोगों के कहने से रुक गया। उसी के बारे में समूद के मोमिनीन में से एक आदमी महूश कहता है जिसका मतलब यह है कि जुन्दअ ने दीने नबी की तरफ़ शिहाब को बुलाया था और उसने ईमान लाने का इरादा भी कर लिया था लेकिन आले हजर के गुमराहों ने हिदायत के बाद उसको गुमराह कर दिया। ग़र्ज़ यह कि नाक़ा के बच्चा हुआ और वह एक अर्सा तक उस क़ौम में रही। एक चश्मे से एक दिन वह पानी पीती थी और एक दिन छुट्टी रहती थी ताकि दूसरे लोग और उनके जानवर पी सकें और वह लोग उसका दूध पीते और फिर जिस क़द्र चाहते, दूध से अपने बर्तन भर लेते। जैसा कि एक दूसरी आयत में इर्शाद है कि पानी उनके बीच तक़्सीमशुदा था, कभी यह पीती कभी वह पीते। चुनाँचे फ़र्माया है कि पानी पीने का एक मुक़र्ररा दिन नाक़ा का है और एक तुम्हारा है। उस वादी में वह चरने को जाती तो एक रास्ते से जाती और दूसरे रास्ते से बाहर आती ताकि आने जाने वालों को आसानी हो क्योंकि पानी पीकर वह बहुत मोटी ताज़ी हो जाती थी और वह बहुत शानदार और पुर रौब व हैबत मंज़र रखती थी। जानवरों के पास से गुज़रती तो दूसरे जानवर डरकर भाग जाते। इस हालत पर कुछ अर्सा गुज़रा और उस क़ौम की सरकशी शदीद हो गई। यहाँ तक कि उन लोगों ने इरादा किया कि उस ऊँटनी को क़त्ल ही कर दिया जाए ताकि हर दिन पानी का हक़ हासिल हो जाए। चुनाँचे इन सब कुफ़्फ़ार ने मिलकर क़त्ले नाक़ा की राय की। क़तादा (रह.) कहते हैं कि जिसने उसको क़त्ल किया था सब उसके पास गए हत्ता कि औरतें भी और बच्चे भी ताकि उससे क़त्ल कराएँ। सारी जमाअत का उसमें हिस्सा लेना इस आयत पाक से मालूम हो रहा है कि (فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۠ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ﴿١٤﴾) (91/शम्स : 14) यानी उन्होंने नबी को झुठलाया, नाक़ा को क़त्ल कर दिया, तो अल्लाह तआला ने उस सरज़मीन पर उनको हलाक करके बराबर कर दिया। और फ़र्माया कि समूद को हमने नाक़ा का मोजिज़ा दिया

और यह उनकी आँखें खोलने के लिए काफ़ी था। लेकिन उन ज़ालिमों ने ज़ुल्म से काम लिया। ग़र्ज़ यह कि क़त्ले नाक़ा की निस्बत सारी जमाअ़त की तरफ़ की गई है कि उस काम में सब ही का हाथ था।

इमाम अबू जाफ़र (रह़.) और दीगर उलमा-ए-तफ़्सीर ने सबबे क़त्ल यह बताया है कि एक औरत थी उनैज़ा नाम, बुढ़िया और काफ़िरा थी। सालेह़ (ﷺ) से उसको दुश्मनी थी। उसकी ख़ूबसूरत लड़कियाँ थीं, माल व दौलत वाली थी। उसका शौहर ज़ुवाब बिन अम्र समूद के रईसों में से था। और एक दूसरी औरत सदक़ा बिन्ते मुहय्या नामी जो ह़सब व नसब माल व जमाल वाली थी यह एक मोमिन की बीवी थी और शौहर को छोड़े हुए थी। नाक़ा के क़ातिल से उन दोनों ने वादे कर रखे थे। सदक़ा ने एक आदमी ह़ब्बाब नामी को उभारा कि अगर तू नाक़ा को मार डाले तो मैं तेरी हो जाऊँगी। उसने इंकार कर दिया। फिर अपने चचेरे भाई मस्दअ़ इब्ने मिहरज से कहा तो उसने क़बूल कर लिया और उनैज़ा बिन्ते ग़नम ने क़िदार को बुलाया। वह नीला पस्त क़ामत आदमी था। लोग उसको वलदुज़्ज़िना समझते थे और उसके बाप सालिफ़ का बेटा नहीं समझते थे। उस आदमी का नाम ज़ियान था जिसका दरह़क़ीक़त यह लड़का था ह़ालाँकि उसकी माँ उस वक़्त सालिफ़ की बीवी थी। उस औरत ने नाक़ा के क़ातिल से कहा था कि मेरी जो लड़की तू चाहे इस काम के बदले में ह़ासिल कर सकता है कि नाक़ा को क़त्ल कर डाले। चुनाँचे क़िदार बिन सालिफ़ और मस्दअ़ बिन मिहरज ने समूद के गुण्डों से साज़ बाज़ कर ली और सात आदमी उनके साथ हो गए। इस तरह़ यह सब मिलकर नौ (9) अफ़राद हुए। चुनाँचे अल्लाह पाक ने इर्शाद फ़र्माया है कि शहर में नौ अफ़राद थे जो बजाए इस्लाह़ करने के फ़साद पर कमरबस्ता थे। (27/नम्ल : 48) और यह अपनी क़ौम के नामी गिरामी थे। उन काफ़िरों ने काफ़िर क़बीला के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया था। यह सब के सब चले और नाक़ा का इंतिज़ार करने लगे। जब यह पानी पीकर वापिस चली तो क़िदार उसकी राह में एक चट्टान के पीछे घात लगाए बैठा रहा और मस्दअ़ दूसरी चट्टान के पीछे था। नाक़ा मस्दअ़ के पास से गुज़री। उसने एक तीर मारा, वह पिण्डली को लगा। बिन्ते ग़नम उनैज़ा निकली और अपनी सबसे ख़ूबसूरत लड़की को ले आई और क़िदार और उसकी जमाअ़त के सामने अपनी लड़की के बेपनाह हुस्न का मुज़ाहिरा किया। क़िदार उस पेशकश से मुतास्सिर होकर तलवार लेकर उठा और उस नाक़ा के कूँचे काट डाले। वह ज़मीन पर गिर पड़ी। उसने अपने बच्चे को देखकर एक चीख़ मारी, गोया कि उसको आगाह कर रही है कि भाग जा। फिर क़ातिल ने उसके सीने पर नेज़ा मारा फिर उसका गला काट दिया। उसका बच्चा एक पहाड़ की तरफ़ भाग गया और चोटी पर चढ़कर एक चीख़ मारी, गोया कि कहता है कि ऐ रब! मेरी माँ कहाँ है? कहा जाता है कि तीन बार वह चिल्लाया फिर चट्टान के अंदर गुम हो गया। यह भी कहा जाता है कि लोगों ने उसका पीछा करके उसे भी मार डाला, वल्लाहु आलम! यह ख़बर जब सॉलेह़ (ﷺ) को मिली तो वह मक़्तल (क़त्ल की जगह) में आए। लोगों का मज्मअ़ था। नाक़ा को देखकर रोने लगे और कहा (बक़ौले तआ़ला) कि तुम तीन दिन और जी लो। नाक़ा का क़त्ल बुध के दिन हुआ। जब रात हुई तो उन नौ अफ़राद ने क़त्ले सालेह़ का भी क़सद कर लिया और मश्वरा किया कि अगर यह सच्चा है और तीन दिन बाद हम हलाक होने वाले हैं तो अपने से पहले ही उसको क्यूँ न भेज दें। और अगर झूठा है तो हम

नाक़ा ही के पास इसको क्यूँ न भेज दें। क़ौलुहू तआला उन लोगों ने क़समों से अपने अ़हद (वादे) को मुअक्कद (मजबूत) किया कि स़ालेह़ (ﷺ) और उसकी बीवी को क़त्ल कर देंगे और उसके औलिया (अपनों) से कह देंगे कि हमें क्या ख़बर, हम उनके हलाकत के वाक़िया के वक़्त मौजूद तो थे नहीं कि क़ातिल को जानते, हम तो सच्ची बात कहने वाले हैं। उन्होंने चालबाज़ी करनी चाही और हम जिस चालबाज़ी पर थे उसकी उन्हें ख़बर न थी। देखो मक्कारों का नतीजा कैसा होता है। जब उन लोगों ने तहिया कर लिया और इत्तिफ़ाक़ करके रात के वक़्त अल्लाह तआला के नबी (अ.) को क़त्ल करने के लिए आए तो हुक्मे इलाही से पत्थर बरसने शुरू हो गए। जुमेरात का दिन मोहलत का पहला दिन था। उस दिन उन लोगों के चेहरे क़ुदरतन पीले पड़ गए जैसाकि स़ालेह़ (ﷺ) ने कह दिया था और दूसरे दिन जुम्आ को चेहरे लाल हो गए और तमत्तोअ़े दुनियावी का तीसरा दिन सनीचर था, उस दिन सबके चेहरे काले हो गए। इतवार का दिन था तो यह लोग ख़ुश्बू मलकर अ़ज़ाब का इंतिज़ार कर रहे थे कि न मालूम! अब हमारे साथ क्या होने वाला है और अ़ज़ाब की क्या सूरत होगी। सूरज निकला और आसमान से एक चीख़ भी निकली और पैर तले से एक शदीद ज़लज़ला पैदा हुआ, रूहें निकलीं और एक लम्हा में सब मर गए। सब लोग अपने अपने घरों में लाशें बनकर पड़ गए। छोटा बड़ा मर्द औरत कोई न बचा, सिर्फ़ एक औरत बच गई, कलिबा बिन्ते सलक़ नामी, यह बड़ी काफ़िरा और सख़्ततरीन दुश्मन थी। उसने अ़ज़ाब को देखा उसके पैर को तेज़ भागने की कुव्वत मिल गई। एक क़बीला के पास पहुँची। जो कुछ देखा उसकी ख़बर दी और सारी क़ौम जिस हलाकत से दो चार हुई उसका ज़िक्र किया, फिर पीने के लिए पानी मांगा और पानी पीते ही मर गई। (तफ़सीर अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 916; व मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 11/453, 455; ह़ : 20989; व सनदुहू ज़ईफ़ुन लि इंक़िताइही) अफ़रादे क़ौमे समूद में से स़ालेह़ (ﷺ) और उनके उम्मतियों के सिवा कोई न बच सका। उस क़ौम का एक आदमी अबू रिग़ाल था जो अ़ज़ाब के वक़्त मक्के में था वह कुछ देर महफ़ूज़ रहा लेकिन किसी ज़रूरत से जब मक्के से बाहर निकला तो आसमान से उस पर एक पत्थर गिरा और वहीं ढेर हो गया। कहते हैं कि यह अबू रिग़ाल ताइफ़के रहने वाले क़बीला सक़ीफ़ का जद्दे आला है। (तफ़्सीर अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 916; व मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 11/453, 455; ह़ : 20989; व सनदुहू ज़ईफ़ुन लि इंक़िताइही) नबी अकरम (ﷺ) अबू रिग़ाल की क़ब्र पर से गुज़रे और फ़र्माया ''जानते हो कि यह किसकी क़ब्र है, यह समूद के एक फ़र्द अबू रिग़ाल की है जो ह़रम में था, ह़रम ने अ़ज़ाब से इसको रोक रखा। जब ह़रम से बाहर हुआ तो अ़ज़ाब से दो चार हुआ और यहीं दफ़न हुआ। इसके साथ इसकी सोने की छड़ी भी वहीं दफ़न है। लोगों ने तलवारों से उसकी क़ब्र खोदी और यह छड़ी निकाल ली। (अबूदाऊद, किताबुल ख़िराज, बाब नब्शुल क़ुबूरिल आ़दियति यकूनु फ़ीहल माल : 3088; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इब्ने हिब्बान : 6199; बैहक़ी : 4/156; इसकी सनद में इब्ने इस्हाक़ मुदल्लस (अत्तक़रीब : 2/144) और बुजैर बिन अबी बुजैर मज्हूल रावी है (अत्तक़रीब : 1/93)

***

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا

تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ۝٧٩

तर्जुमा : ''उस वक़्त सालेह (ﷺ) उनसे चेहरा फेरकर चले और फ़र्माने लगे कि, ऐ मेरी क़ौम! मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुँचा दिया था और मैंने तुम्हारी ख़ैरख़्वाही की लेकिन तुम लोग ख़ैरख़्वाहों को पसंद नहीं करते थे।'' (79)

क़ौमे समूद का अंजाम (79) : यह सॉलेह (ﷺ) की तरफ़ से क़ौम को तहदीद हो रही है कि उस वक़्त जबकि उनकी मुख़ालिफ़त और तमर्रुद इख़्तियार करने की वजह से वह हलाक कर दिए गए तो वह उन मुर्दों को ख़िताब कर रहे हैं गोया कि वह सुन रहे थे। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम से भी यह साबित है कि नबी अकरम (ﷺ) जब कुफ़्फ़ारे बद्र पर ग़ालिब आ गए तो तीन दिन वहाँ क़याम किया था। फिर आख़िरी रात में वहाँ से चल पड़े और क़लीब (खाई) पर ठहर गए, यह कुफ़्फ़ारे कुरैश का क़ब्रिस्तान था। आप (ﷺ) उस क़ब्रिस्तान को देखकर फ़र्माने लगे कि, ''ऐ अबू जहल बिन हिशाम! ऐ उत्बा बिन शैबा, ऐ फ़लाँ! ऐ फ़लाँ! क्या रब के वादे को पूरा होता हुआ तुमने देख लिया? मैंने अपने रब के वादे को हमेशा पूरा पाया।'' तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप मुर्दों से बातें कर रहे हैं? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अल्लाह तआला की क़सम! तुम इनसे ज़्यादा नहीं सुन सकते। अल्बत्ता सुनकर वह जवाब नहीं दे सकते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुल मग़ाज़ी, बाब क़त्ले अबी जहल : 3976; सहीह मुस्लिम : 2874) सीरत में है कि नबी अकरम (ﷺ) ने उनसे कहा था कि ''नबी अकरम (ﷺ) के क़बीले वालों में से तुम बहुत ही बुरे लोग थे। बाहर के लोग तो मेरी तस्दीक़ कर रहे थे और तुम मेरे क़बीले के होकर मुझे झुठला रहे थे। मदीने के लोगों ने मुझे पनाह दी और तुमने मुझे अपने वतन से निकाला। तुमने मेरे क़त्ल का इरादा किया और दूसरों ने मेरी मदद की।'' (इब्ने हिशाम : 2/292; इसकी सनद मुअ़ज़ल होने की वजह से ज़ईफ़ है।) नबी अकरम (ﷺ) के लिए तुम बहुत ही बुरा क़बीला साबित हुए। इसी तरह सालेह (ﷺ) भी अपनी क़ौम से कह रहे हैं कि मैंने पैग़ामे रब्बानी तुम्हें पहुँचा दिया, तुम्हारी ख़ैरख़्वाही की, लेकिन तुमने उससे फ़ायदा न उठाया, क्योंकि तुम हक़ बात को पसंद ही नहीं करते थे। इसीलिए इर्शाद हुआ कि मैंने तुम्हें नसीहत की थी लेकिन नसीहत तुम्हें तो पसंद ही नहीं थी। किसी मुफ़स्सिर ने ज़िकर किया है कि हर नबी जिसकी उम्मत हलाक हो गई हो, वह हरम में आकर क़याम पज़ीर हो जाते थे, वल्लाहु आलम!

इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हज्ज के ज़माने में नबी अकरम (ﷺ) जब वादी अस्फ़ान से गुज़रे तो फ़र्माया कि ''ऐ अबूबक्र (रज़ि.)! यह कौनसी जगह है?'' हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि यह अस्फ़ान की वादी है। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''सालेह और हूद (ﷺ) नाक़ा पर सवार होकर

किसी ज़माने में यहाँ से गुज़रे थे जिनकी नकीलें खजूर की रस्सियों की थीं, कम्बलों के तहबंद थे, पोस्तीन की चादरें थी और लब्बैक कहते हुए बैते अतीक़ के हज्ज के लिए जा रहे थे।'' (अहमद : 1/232; व सनदुहू ज़ईफ़; मज्मउज़्ज़वाइद : 3/223 इसकी सनद में ज़म्आ बिन सालेह मुतकल्लम फ़ीह रावी है (मीज़ानुल एअतिदाल : 2/81, 2904)

***

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

तर्जुमा : ''और हमने लूत (अलैहि.) को भेजा जबकि उन्होंने अपनी क़ौम से फ़र्माया कि तुम ऐसा फ़ोहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालो में से नहीं किया। (80) तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर बल्कि तुम हद ही से गुज़र गए हो।'' (81)

क़ौमे लूत का शदीदतरीन गुनाह (आयत 80, 81) : और उस वक़्त को याद करो कि हमने लूत (अलैहि.) को भेजा था और वह अपनी क़ौम से कह रहे थे। लूत (अलैहि.) बिन हारान बिन आज़र हैं और इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलैहि.) के भतीजे हैं। इब्राहीम (अ.) के साथ वह भी ईमान लाए थे और शाम की ज़मीन की तरफ़ उनके साथ हिज्रत की थी। अल्लाह तआला ने उन्हें अहले सदूम की तरफ़ भेजा था। वह अहले सुदूम को अल्लाह तआला की तरफ़ बुलाते, भलाई का हुक्म करते और बुराई से रोकते। उस क़ौम ने ऐसे फ़वाहिश काम निकाल लिए थे कि आदम (अलैहि.) से लेकर अब तक उनके सिवा किसी ने जिसका इर्तिकाब नहीं किया था। और वह काम औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आना था। यह चीज़ अब तक किसी के दिल में भी नहीं गुज़री थी और बनी आदम आज तक उसके आदी नहीं थे। ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक उमवी बानी जामेअ दमिश्क़ ने कहा था कि अगर अल्लाह पाक क़ौमे लूत का क़िस्सा ज़िक्र न करता तो मुझे इस बात का यक़ीन भी न आता कि कोई मर्द किसी मर्द के साथ ऐसा काम कर सकता है। चुनाँचे लूत (अलैहि.) उनसे फ़र्मा रहे हैं कि क्या तुम ऐसा फ़ोहश काम इख़्तियार किए हुए हो कि दुनिया में किसी ने तुमसे पहले कभी ऐसा काम न किया था। औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, अल्लाह तआला ने तो तुम्हारे लिए औरतें पैदा की हैं। यह तुम्हारी बड़ी ज़्यादती और बड़ी जिहालत है। जिस चीज़ का जो महल (जगह) नहीं तुम उसको महल (जगह) बनाते हो। फिर दूसरी आयत में उनसे फ़र्माता है कि देखो! यह सब औरतें हैं सब मेरी बेटियाँ हैं जिससे चाहो रिश्ता जोड़ो। (15/हिज्र : 71) लेकिन उन लोगों ने कहा, लूत (अलैहि.)! तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी इन दुनिया जहान की बेटियों से हमें कोई लगाव नहीं और हमारी जो ग़र्ज़ है तुम्हें उसका इल्म है। (11/हूद : 79) मुफ़स्सिरों ने ज़िक्र किया है कि मर्द अपनी हाजत मर्द से पूरी करते थे और इसी तरह औरतें अपनी हाजत भी औरतों से पूरी कर लेती थीं, और उसके लिए वह मजबूर भी थीं।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝٨٢ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝٨٣ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۭ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝٨٤

तर्जुमा : ''और उनकी क़ौम से कोई जवाब न बन पड़ा, सिवाय इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यह लोग बड़े पाक साफ़ बनते हैं। (82) तो हमने लूत (عليه السلام) को और उनके मानने वालों को बचा लिया, सिवाए उनकी बीवी के कि वह उन ही लोगों में रही जो अज़ाब में रह गए थे। (83) और हमने उन पर एक नई तरह की बारिश बरसायी तो देखो तो सही कि उन मुज्रिमों का अंजाम कैसा हुआ।'' (84)

क़ौमे लूत का रद्दे अमल (आयत 82-84) : इसके जवाब में क़ौम का रद्दे अमल (री-एक्शन) यही था कि वह आपस में कहने लगे कि लूत (عليه السلام) को निकाल दो, देश निकाला दे दो। लेकिन अल्लाह तआला ने लूत (عليه السلام) को ज़िन्दा सलामत वहाँ से निकाल लिया और उन कुफ़्फ़ार को ज़िल्लत की मौत मार डाला। क़ौलुहू तआला (इन्नहुम उनासुय्यततह्हरून) उन्होंने ऐब के बग़ैर ऐब को मंसूब किया और लूत (عليه السلام) की उस नेक किरदारी को ऐब (बुराई) बताया कि वह बड़े पाकबाज़ बनते फिरते हैं। या यह कि लूत (عليه السلام) और उनके लोगों में यह बुराई है कि अदबारे रिजाल और अदबारे निसाअ से बचते हैं। यह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है।

इग़लामबाज़ी (समलैंगिकता) की सज़ा और फ़ुक़्हा का मौक़िफ़ : अल्लाह तआला फ़र्माता है कि हमने लूत (عليه السلام) और उनके घराने को बचा लिया और उनके घराने के अलावा कोई भी ईमान लाया हुआ नहीं था जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि हमने उन लोगों को अज़ाब की जगह से निकाल लिया जो ईमान ला चुके थे। और एक घर के सिवा कोई मुसलमान घराना तो था ही नहीं, लेकिन उनकी औरत नहीं बचाई गई क्योंकि वह ईमान नहीं लाई थी। क़ौम के दीन पर ही थी और लूत (عليه السلام) के ख़िलाफ़ क़ौम से साज़ बाज़ रखती थी। लूत (عليه السلام) के पास फ़रिश्तों का नौजवानों की शक्ल में आना और क़ौम का उससे वाक़िफ़ हो जाना, यह सब उस औरत की जासूसी की वजह से था। अल्लाह तआला ने लूत (عليه السلام) को हुक्म दिया था कि अपने घराने को लेकर रात के वक़्त निकल जाओ और उस औरत को मालूम न होने दो और उसको शहर से लेकर न चलो। और कुछ यह भी कहते हैं कि वह भी लूत (عليه السلام) के साथ चली थी और निकलते वक़्त ही जब क़ौम पर अज़ाब नाज़िल हो गया तो हमदर्दी से पलट पलटकर उन्हें देखने लगी और ख़ुद भी अज़ाब में गिरफ़्तार हुई। लेकिन यही ज़्यादा सही है कि वह शहर से नहीं निकली और लूत (عليه السلام) ने उसको ख़बर भी न

होने दी। इसीलिए इर्शाद होता है कि लूत (ﷺ) की औरत रह गई और वह पस मांदगान (पीछे रहने वालों) में से थी। तफ़्सीर बिल्लाज़िम यही है। (वम्तर्ना अलैहिम मतरन) यह आयत इस क़ौल की तफ़्सीर कर रही है कि (وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ) (11/हूद : 82) और इसीलिए फ़र्माया कि आख़िरकार मुज्रिमों का नतीजा देखो कि मआसी इख़्तियार करने और झुठलाने की वजह से कैसी सज़ा मिली। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि इग़लामबाज़ को बुलंदी से नीचे गिरा दो फिर उस पर पत्थर बरसाओ कि क़ौमे लूत के साथ भी सज़ादेही की यही सूरत इख़्तियार की गयी थी। और कुछ उलमा कहते हैं कि रजम कर दो, ख़्वाह शादीशुदा हो या कुंवारा। इमाम शाफ़ेई (रह.) का भी एक रिवायत की बिना पर यही ख़्याल है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''जिस किसी को तुम क़ौमे लूत के अमल पर देखो तो फ़ाइल (करने वाला) और मफ़ऊल (कराने वाला) दोनों को क़त्ल कर दो।'' (अबूदाऊद, किताबुल हुदूद, बाब फ़ीमन अमिल अमलन क़ौम लूत : 4462; व सनदुहू हसन; तिर्मिज़ी : 1456; इब्ने माजा : 2561; अहमद : 1/300; दारे क़ुत्नी : 341; बैहक़ी : 8/232; हाकिम : 4/355; इमाम हाकिम (रह.) और इमाम ज़हबी (रह.) ने इस रिवायत को सहीहुल इस्नाद क़रार दिया है।) कुछ ने कहा कि वह मिस्ल ज़ानी के है। अगर शादीशुदा है तो रजम (पत्थर मार मारकर हलाक) कर दो वरना सौ कोड़ों की सज़ा दो। औरतों से इग़लाम करना भी लवातत है और यह भी इज्माओ उम्मत हराम है। इसके बरख़िलाफ़ सिर्फ़ एक क़ौल शाज़ है। उसकी भी मुमानिअत में रसूलुल्लाह (ﷺ) से कई अहादीस मरवी हैं। सूरह बक़रह में इस पर तफ़्सील गुज़र चुकी है।

***

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ
جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ
اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾ وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ

لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٧﴾

तर्जुमा : ''और हमने मदयन की तरफ़ उनके भाई शुऐब (ﷺ) को भेजा। उन्होंने फ़र्माया, ऐ मेरी क़ौम! तुम अल्लाह तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा मअबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से वाज़ेह दलील आ चुकी है तो तुम नाप तौल पूरी पूरी किया करो और लोगों का उन चीज़ों में नुक़्सान मत किया करो और रूए ज़मीन में बाद इसके कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई, फ़साद मत फैलाओ, यह तुम्हारे लिए नाफ़ेअ (फ़ायदा देने वाला) है अगर तुम तस्दीक़ करो। (85) और तुम सड़कों पर इस ग़र्ज़ से मत बैठा करो कि अल्लाह तआला पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह तआला की राह से रोको और उसमें कजी (कमी) की तलाश में लगे रहो। और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे। फिर अल्लाह तआला ने तुमको ज़्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फ़साद करने वालों का। (86) और अगर तुममें से कुछ इस हुक्म पर जिसको मुझे देकर भेजा गया, ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए हैं तो ज़रा ठहर जाओ। यहाँ तक कि हमारे बीच में अल्लाह तआला फ़ैसला किए देता है और वह सब फ़ैसला करने वालों से बेहतर है।'' (87)

शुऐब (ﷺ) का अपनी क़ौम से ख़िताब (आयत 85-87) : शुऐब (ﷺ) का असली नाम सुरयानी ज़ुबान में यस्रून था। मदयन का लफ़्ज़ क़बीले के लिए भी बोला जाता है और शहर के मअनी में भी इस्तेमाल किया जाता है और यह मक़ाम मआन के क़रीब है जो हिजाज़ के रास्ते में है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जब वह मदयन के चश्मे पर पहुँचे तो वहाँ ऐसे लोग मिले जो उस चश्मे से पानी ले रहे थे। (28/क़सस : 23) यह अस्हाबे ऐका मुराद है जिसका इंशाअल्लाह क़रीब में ज़िक्र किया जाएगा। इर्शादे बारी है कि शुऐब (ﷺ) कह रहे हैं कि ऐ क़ौम! अल्लाह तआला की इबादत करो। उसके सिवा कोई दूसरा अल्लाह नहीं है। तमाम रसूलों की यही तब्लीग़ हुआ करती थी। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से तक्मीले हुज्जत हो चुकी है। शुऐब (ﷺ) लोगों को उनके मामलाती काराबोर में हिदायत कर रहे हैं कि अपने नाप तौल सही रखो लोगों को नुक़्सान न पहुँचाओ। दूसरों के माल में ख़यानत न करो। नाप तौल में चोरी से कमी करके किसी को धोखा न दो। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि ''नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी हलाकत है।'' (83/मुतफ़्फ़िफ़ीन : 1) यह बड़ी ज़बरदस्त तम्बीह है। फिर अल्लाह तआला शुऐब (ﷺ) के बारे में ज़िक्र करता है कि वह क़ौम से कह रहे हैं, (शुऐब ﷺ को ख़तीबुल अम्बिया कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ही फ़सीह व बलीग़ अल्फ़ाज़ में बात कहते थे और इस्तिआरे इस्तेमाल करते थे और नसीहत करते तो किनायतन करते)

शुऐब (ﷺ) का अपनी क़ौम को वअज़ (नसीहत) : शुऐब (ﷺ) लोगों को हिस्सी और मअनवी

तौर पर क़तअ़े तरीक़ (लूटपाट) से मना कर रहे हैं। यानी रास्तों पर न बैठा करो कि लोगों को डरा धमकाकर कुछ हासिल कर लो, और अगर लोग माल हवाले न करें तो क़त्ल की धमकी देने लगो। यह लुटेरे चुंगी (टेक्स) वसूल करने के नाम से लूटते थे। और जो लोग शुऐब (अ.) के पास हिदायत हासिल करने की ग़र्ज़ से आते थे उन्हें रोकते और न आने देते थे। यह दूसरा क़ौल इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का है। पहला क़ौल ज़्यादा वाज़ेह और क़रीबे स्याक़ इबारत है। क्योंकि सिरात के मअ़नी रास्ता है और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के मफ़्हूम को तो अल्लाह तआ़ला ने दूसरी ही आयत में ख़ुद इर्शाद फ़र्माया है कि "जो ईमान लाते हैं तुम उनकी राह मारते हो और मेरे पास आने से नेकोकारों को रोकते हो और ग़लत रास्तों पर मोड़ देते हो।" ऐ मेरी क़ौम के लोगों! शुक्र करो कि तुम तादाद में कम थे, कमज़ोर थे, फिर अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारी तादाद बढ़ा दी और तुम्हारी इज्तिमाई ताक़त बढ़ गई। यह तुम पर अल्लाह तआ़ला का एहसान था। और इब्रत हासिल करो कि दुनिया में और क़ुरूने माज़िया में गुनहगारों और मुफ़्सिदीन को किस अ़ज़ाब और नकाल (सज़ा) से दो चार होना पड़ा क्योंकि वह अल्लाह तआ़ला से सरकशी पर बहुत जरी हो गए थे। और अगर तुममें से एक गिरोह मेरी तब्लीग़ पर ईमान लाता है और दूसरा गिरोह ईमान नहीं लाता है तो इंतिज़ार करो, सब्र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला हमारे और तुम्हारे बीच अपना फ़ैसला फ़र्मा दे। वह सबसे अच्छा हाकिम और क़ाज़ी है। हुस्ने आक़िबत अल्लाह तआ़ला से डरने वालों को ही हासिल है और काफ़िरों को हलाकत से दो चार होना पड़ेगा।

***

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ﴿۸۸﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا
عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ
نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ﴿۹۰﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جٰثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ
كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

तर्जुमा : "उनकी क़ौम के मुतकब्बिर (घमण्डी) सरदारों ने कहा कि ऐ शुऐब (عليه السلام)! हम आपको और जो आपके साथ ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे या यह हो कि तुम हमारे मज़हब में फिर आ जाओ। शुऐब (عليه السلام) ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएँ, भले हम उसको मकरूह ही समझते हों। (88) हम तो अल्लाह तआला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएँगे अगर हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएँ बाद इसके कि अल्लाह तआला ने हमको उससे नजात दी हो और हमसे मुम्किन नहीं कि तुम्हारे मज़हब में फिर आ जाएँ लेकिन हाँ! यह कि अल्लाह तआला ही ने जो हमारा मालिक है मुक़द्दर किया हो, हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत (घेरे हुए) है। हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं, ऐ हमारे रब! हमारे और हमारी क़ौम के बीच फ़ैसला कर दीजिए हक़ के मुवाफ़िक़ और आप सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाले हैं। (89) और उनकी क़ौम के काफ़िर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुऐब (عليه السلام) की राह पर चलने लगोगे तो बेशक बड़ा नुक़्सान उठाओगे। (90) पस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। (91) जिन्होंने शुऐब (عليه السلام) को झुठलाया था, उनकी यह हालत हो गई जैसे उन घरों में कभी बसे ही न थे। जिन्होंने शुऐब (عليه السلام) को झुठलाया था वही घाटे में पड़ गए।" (92)

क़ौमे शुऐब का जवाब और शुऐब (عليه السلام) की दुआ (आयत 88-92) : कुफ़्फ़ार अपने नबी शुऐब (عليه السلام) के साथ और उस ज़माने के मुसलमानों के साथ जिस बदसुलूकी के साथ पेश आए और जिस तरह शुऐब (عليه السلام) को और मोमिनीन को डराया धमकाया कि या तो हमारी बस्ती छोड़ दो या फिर यह कि हमारी मिल्लत इख़्तियार कर लो और हमारे वफ़ादार बन जाओ। उन सब बातों की अल्लाह पाक ख़बर दे रहा है। यह ख़िताब बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से है लेकिन मुराद आपके उम्मती हैं। क़ौमे शुऐब के मुतकब्बिरीन ने कहा था कि ऐ शुऐब (عليه السلام)! हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बस्ती से निकाल देंगे या यह कि फिर तुम्हें हमारी मिल्लत में वापिस आना पड़ेगा। तो शुऐब (عليه السلام) कहते हैं कि क्या तुम ऐसा करना चाहते हो अगरचे हमें शिर्क इख़्तियार करना ना पसंद हो, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापिस आ जाएँ और तुम्हारे ही नज़रियात को अपना लें तो हम अल्लाह तआला पर बड़ा ज़बरदस्त बोहतान लगाएँगे कि उन बुतों को अल्लाह तआला का शरीक ठहराएँ। इस तरह कुफ़्फ़ार के इत्तिबाअ से नफ़रत ज़ाहिर की जा रही है। हमसे तो यह न होगा कि फिर मुश्रिक बन जाएँ। हाँ! अल्लाह तआला ही हमें भटकने दे तो और बात है यहाँ भी बात को अल्लाह तआला ही

की तरफ़ फेरा जा रहा है क्योंकि उस अल्लाह को आइन्दा की हर बात के इल्म पर एहाता हासिल है। हम जो इख़्तियार करते हैं और जो इख़्तियार नहीं करते सारे उमूर में अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखते हैं। ऐ अल्लाह तआला! हमारी इस क़ौम के और हमारे बीच हक़ बात को खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर कर दे और हमें इन पर फ़तह इनायत फ़र्मा, तू ख़ैरुल हाकिमीन है, ऐसा आदिल व मुंसिफ़ है कि ज़र्रा भर ज़ुल्म नहीं करता।

क़ौमे शुऐब का कुफ़्र पर अज़्मे मुसम्मम (ठोस इरादा) और नतीजा : ख़बर दी जा रही है कि उनका कुफ़्र तमर्रुद (ज़िद/हठधर्मी) और ज़लालत (गुमराही) किस शिद्दत की है और मुख़ालिफ़ते हक़ उनके दिलों में किस क़द्र जिबिल्ली और फ़ितरी बन गई है। इसीलिए उन्होंने आपस में क़समें खा लीं और अहद कर लिया कि देखो अगर तुमने शुऐब (عليه السلام) की बात मान ली तो बड़े घाटे में रहोगे। उनके इस मज़बूत इरादे के बाद अल्लाह तआला फ़र्माता है कि इस अज़्म की वजह से उन पर एक ऐसा ज़लज़ला भेजा गया कि वह अपने घरों में धरे के धरे रह गए और यह सज़ा थी इस बात की कि शुऐब (عليه السلام) और अस्हाबे शुऐब को उन्होंने बिला वजह डराया, उन्हें जिला वतनी की धमकी दी, जैसाकि सूरह हूद में ज़िक्र है कि "जब हमारा अज़ाब उन पर आ पहुँचा तो हमने शुऐब (عليه السلام) को और उनके अस्हाब को अपनी रहमत से बचा लिया। और उन ज़ालिमों को एक ऐसी कड़क ने आ पकड़ा कि अपने घरों ही में बैठे रह गए और फ़ना हो गए।" उन दोनों आयतों में मुनासिबत यह है कि उन काफ़िरों ने जब (असलातुक तामुरुक) कहकर तज़्लील की तो एक ज़बरदस्त चीख़ ने उन्हें हमेशा के लिए ख़ामोश कर दिया। सूरह शुअरा में अल्लाह पाक यूँ वाक़िया बयान करता है कि जब उन्होंने नबी को झुठलाया तो अब्र से उन पर अज़ाब आना नाज़िल हुआ उसकी वजह यह थी कि उन्होंने मुतालबा किया था कि ऐसा है तो हम पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दो। चुनाँचे बताया गया कि उन्हें आसमानी अज़ाब आ पहुँचा और उन पर तीन अज़ाब जमा हो गए। एक तो आसमानी अज़ाब कि बादल से आग की चिंगारियाँ और शोले गिरने लगे फिर आसमान से एक रअद (बिजली) और कड़क पैदा हुई और उनके क़दमों के नीचे ज़मीन से एक शदीद ज़लज़ला पैदा हुआ कि उनकी जानें निकल गईं और जसद बेरूह बनकर रह गए और अपने घरों में ढेर हो गए। गोया कभी उस बस्ती में बसे ही नहीं थे हालाँकि वह रसूल को देश निकाला दे रहे थे। अब जवाब में उन्हीं के लफ़्ज़ को अल्लाह तआला दोहराता है कि जिन लोगों ने शुऐब (عليه السلام) को झुठलाया था वही घाटे में रहे।

***

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى
عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿۹۳﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ

وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩٣﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا
قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩٥﴾

तर्जुमा : "उस वक़्त शुऐब (عليه السلام) उनसे चेहरा फेरकर चले और फ़र्माने लगे कि, ऐ मेरी क़ौम! मैंने तुमको अपने रब के अहकाम पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हारी ख़ैरख़्वाही की फिर मैं इन काफ़िर लोगों पर क्यूँ रंज करूँ। (93) और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने मुहताजी और बीमारी में न पकड़ा हो कि वह ढीले पड़ जाएँ।(94) फिर हमने इस बदहाली की जगह ख़ुशहाली बदल दी यहाँ तक कि उनको ख़ूब तरक़्क़ी हुई और कहने लगे कि हमारे आबाअ व अज्दाद (पूर्वजों) को भी तंगी और राहत पेश आई थी तो हमने उनको दोबारा पकड़ लिया और उनको ख़बर भी न थी।" (95)

शुऐब (عليه السلام) ने तब्लीग़ का हक़ अदा कर दिया (आयत 93-95) : काफ़िरों के इस तरह कहने से शुऐब (عليه السلام) वहाँ से चले गए और कह दिया कि ऐ क़ौम! मैंने अल्लाह तआला के पैग़ामात तुम्हें पहुँचा दिये थे। मैंने अपना हक़ अदा कर दिया था उस पर भी मेरी ख़ैरख़्वाही से तुमने फ़ायदा न उठाया तो तुम्हारी इस बदअंजामी को देखकर मैं क्यूँ अफ़सोस करूँ और अपने को क्यूँ हल्कान कर लूँ।

सेहत और ख़ुशहाली भी एक इम्तिहान है : इस बात की ख़बर दी जा रही है कि साबिक़ा उम्मतें जिनकी तरफ़ अम्बिया भेजे गए उन्हें तक्लीफ़ पहुँचाकर और शादमानी देकर हर तरह हमने आज़माया। (बासाअ) यानी बदनी तक्लीफ़ जिस्मानी अम्राज़ (बीमारियाँ) व अस्क़ाम। और (ज़र्राअ) वह मुसीबत जो फ़क़्रो-हाजत की होती है, शायद कि वह हमारी तरफ़ रुजूअ करें हमसे डरें और उस मुसीबत के दूर होने की दरख़्वास्त करें। तक़्दीरे कलाम यह है कि अल्लाह तआला ने उन्हें सख़्तियों में डाल दिया ताकि हमारे सामने आजिज़ी पेश करें। लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। उस पर भी हमने उनकी हालत राहत व मालदारी की तरफ़ फेर दी,उन्हें दौलतमंद व ख़ुशहाल बना दिया ताकि उन्हें आज़माएँ। इसीलिए फ़र्माया कि शिद्दत और सख़्ती से नर्मी व राहत की तरफ़ हम ने उन्हें फेर दिया। मर्ज़ के बजाए सेहत व आफ़ियत दे दी। फ़क़ीरी के बजाए दौलतमंदी बख़्शी ताकि वह शुक्र अदा करें और कुफ़्राने नेअमत छोड़ दें लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। (हत्ता अफ़व) यानी उनकी औलाद व अम्वाल में बरकत दी। इर्शाद होता है कि मसर्रत (ख़ुशी) व मज़र्रत (ग़म) दोनों चीज़ों से हमने उन्हें आज़माया ताकि अल्लाह तआला की तरफ़ झुक पड़ें। लेकिन न वह हमारे शुक्रगुज़ार हुए न सब्र व आजिज़ी इख़्तियार की और कहने लगे कि हम तो मुसीबत व मज़र्रत में फंस गए हैं। उसके बाद हमने उन्हें राहत व ख़ुशी दी तो कहने लगे कि यह इंक़िलाबे राहत व मुसीबत तो आबाअ व अज्दाद के ज़माने से चला आ रहा है और

हमेशा से यही दौर रहा है ज़माना कभी ऐसा होता है कभी वैसा। इसी तरह हम भी कभी राहत में रहे, कभी मुसीबत में यह कोई नई बात नहीं है। चाहिए था कि वह इस इशारे से अल्लाह तआला के अज़ाब को ताड़ जाते और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करते और मुज़र्रत व मुसीबत पर सब्र इख्तियार करते। जैसाकि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मोमिन के हाल पर बड़ा ताज्जुब है कि अल्लाह तआला का जो हुक्म भी उसके बारे में हो, उसमें उसके लिए ख़ैर का ही पहलू निकल आता है, अगर मुसीबत पहुँची और सब्र किया तो भी उस मज़र्रत के अंदर नफ़ा ही में रहा। और अगर शादमानी मिली और शुक्र किया तो भी मज़े में रहा।" (सहीह मुस्लिम, किताबुज़्ज़ुहद, बाब (अल्मोमिन अम्रुहू कुल्लुहू ख़ैरुन) : 2999; अहमद : 4/333; इब्ने हिब्बान : 3896) मोमिन तो वह है कि मज़र्रत (गमी) व मसर्रत (खुशी) पहुँचे तो हर सूरत में इस नतीजे पर पहुँचे कि मैं अल्लाह तआला की तरफ़ से मज़र्रत व मसर्रत देकर आज़माया जा रहा हूँ। हदीस में है कि "मुसीबतें मोमिन को गुनाहों से पाक करती रहती हैं और मुनाफ़िक़ की मिसाल गधे के जैसी है जो नहीं जानता कि उस पर क्या लदा है और किस ग़र्ज़ से उससे काम लिया जा रहा है और क्यूँ बाँधा गया और क्यूँ खोला गया।" (गधे की मिसाल के ज़िक्र के साथ हमें कोई रिवायत नहीं मिल सकी अल्बत्ता इस मिसाल के बग़ैर या फिर मोमिन की मिसाल नर्म पौधे और काफ़िर की सनूबर के दरख़्त की मिसाल के साथ यह रिवायत इन जगहों में वारिद है। सहीह मुस्लिम, किताब सिफ़ातुल मुनाफ़िक़ीन, बाब (मिस्लुल मोमिन कज़्ज़रअ....) : 2810; तिर्मिज़ी : 2866; इब्ने हिब्बान : 2915; अहमद : 2/450) चुनाँचे इसके बाद ही इर्शाद होता है कि हमने उन्हें अचानक अज़ाब में फंास लिया कि अज़ाब आने का उन्हें गुमान तक न था। जैसाकि हदीस में है कि "नागहाँ (अचानक) मौत मोमिन के लिए तो रहमत हो सकती है और काफ़िर के लिए हसरत व ताईफ़ (अफ़सोस) है।" (अहमद : 6/136; बैहक़ी : 3/379; मज्मउज़्ज़वाइद : 2/318; इसकी सनद में उबेदुल्लाह बिन वलीद वसाफ़ी मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 3/17; रक़म : 5405) और अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह बिन उमैर का हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं इस वजह से इसकी सनद कमज़ोर है। देखिए (अल्मौसूअतुल हदीसिया :41/491)

***

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٦﴾ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ

بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ

يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾ اَوَلَمْ
يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ
وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٠٠﴾

तर्जुमा : ''और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेज़ करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते लेकिन उन्होंने झुठलाया तो हमने उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। (96) क्या फिर भी उन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफ़िक्र हो गए हैं कि उन पर हमारा अ़ज़ाब रात के वक़्त आ पड़े जिस वक़्त वह सोते हों। (97) और क्या उन बस्तियों के रहने वाले इस बात से बेफ़िक्र हो गए हैं कि उन पर हमारा अ़ज़ाब दिन दोपहर आ पड़े जिस वक़्त कि वह अपने बे मतलब के क़िस्सों में मशग़ूल हों। (98) हाँ! तो क्या अल्लाह तआ़ला की इस पकड़ से बेफ़िक्र हो गए। तो अल्लाह तआ़ला की पकड़ से सिवाए उनके जिनकी शामत ही आ गई हो और कोई बेफ़िक्र नहीं होता।(99) और उन ज़मीन पर रहने वालों के बाद जो लोग ज़मीन पर बजाए उनके रहते हैं क्या इन ज़िक्र किये गए वाक़ियात ने इनको यह बात नहीं बतलाई कि अगर हम चाहते तो इनके जराइम की वजह से इन्हें हलाक कर डालते और हम इनके दिलों पर बंद लगाए हुए हैं इससे वह सुनते नहीं।'' (100)

ईमान व तक़्वा नुज़ूले बरकात और कुफ़्र अ़ज़ाब की वजह है (आयत 96-100) : बस्ती वालों के थोड़े ईमान की ख़बर दी जा रही है जिनकी तरफ़ पैग़म्बर भेजे गए थे जैसाकि फ़र्माया कि यह बस्ती वाले ईमान क्यूँ नहीं लाए कि इनका ईमान इनको नफ़ा देता। क़ौमे यूनुस जब ईमान लाई थी तो हमने उन्हें दुनिया के रुस्वाकुन अ़ज़ाब से बचा लिया और एक अ़र्सा तक वह दुनियावी राहतों से फ़ायदा उठाते रहे यानी सबके सब ने ईमान क़बूल नहीं किया, सिवाए क़ौमे यूनुस के कि जब उन्होंने अ़ज़ाब देख लिया तो मोमिन हो गए जैसाकि फ़र्माया कि हमने उसको एक लाख से ज़्यादा इंसानों की तरफ़ पैग़म्बर बनाकर भेजा था। इर्शाद होता है कि अगर यह बस्ती वाले ईमान लाते और परहेज़गारी इख़्तियार करते तो हम आसमान व ज़मीन की बरकतें उन पर नाज़िल करते। यानी आसमान से बारिश और ज़मीन से नबातात (फल व खेतियाँ) लेकिन उन्होंने झुठलाया। उसकी सज़ा में हमने भी उन्हें अ़ज़ाब का मज़ा चखाया। यानी रसूलों को झुठलाया तो उनके बुरे आमाल की वजह से मैंने उन पर अ़ज़ाब नाज़िल किया। फिर अल्लाह पाक अपने अवामिर (हुक्मों) की मुख़ालिफ़त और गुनाहों पर अड़े रहने से उन्हें डराता है। क्या यह बस्ती वाले काफ़िर हमारे अ़ज़ाब व नकाल से महफ़ूज़ हो गए वह सोते ही रहेंगे और रात ही रात में हमारा अ़ज़ाब उन्हें आ पहुँचेगा या इस बात से वह मामून हो गए कि दिन में किसी वक़्त अ़ज़ाब उन्हें घेरे और उस वक़्त वह अपने कारोबार और अपनी ग़फ़लत में लगे हुए हों। क्या इस

बात से वह अम्न में हो गए कि हमारा इंतिक़ाम किसी वक़्त भी उन्हें आ पकड़ेगा और वह उस वक़्त अपने सह्व और ग़फ़्लत में होंगे। समझ रखो कि बदबख़्त क़ौम के सिवा कोई अल्लाह तआला के अ़ज़ाब से बेफ़िक्र नहीं रह सकता, इसीलिए हसन बसरी (रह.) ने कहा है कि मोमिन ताअ़त करता है नेक अ़मल करता है और फ़िर भी वह अल्लाह तआला से डरता रहता है और फ़ाजिर गुनाहों का इर्तिकाब करता है और फिर भी वह अपने को महफ़ूज़ व मामून समझता है।

गुनाहों की वजह से हलाकत (बर्बादी) और दिलों पर क़ुफ़्ल (पर्दे) : इर्शाद होता है कि जानते हो कि पहले के लोगों को हमने उनके गुनाहों की वजह से हलाक कर दिया था और अब यह वारिसे ज़मीन बने हैं और ज़मीन पर इन्हें बसाया गया है लेकिन क्या यह बात अब भी इन पर नहीं खुली कि अगर हम चाहें तो इन्हें भी अ़ज़ाब में मुब्तला कर दें। इन काफ़िरों ने अपने से पहले की सीरत इख़्तियार कर रखी है उन्हीं के से आमाल कर रहे हैं और अल्लाह तआला से सरकश बने हुए हैं। इस सरकशी की सज़ा में हम इनके दिलों पर मुहर लगा देंगे कि फिर वह किसी अच्छी बात को न सुन सकें, न समझ सकें। इसी तरह दूसरी जगह फ़र्माया है कि "क्या यह समझदारों के लिए निशानियाँ नहीं हैं।" (20/ताहा : 128) और फ़र्माया, क्या इससे पहले तुम पुख़्ता अ़ज़्म के साथ दावा नहीं करते थे कि तुमको ज़वाल होगा ही नहीं हालाँकि उनको ज़वाल हो गया और आज उन्हीं ज़ालिमों की जगह तुमने ले रखी है।"(14/इब्राहीम : 45) और फ़र्माया कि इनसे पहले कितनी क़ौमें तबाह हो गईं कि आज उनका नामो निशान तक बाक़ी न रहा, न उनकी कोई आवाज़ तक सुनाई देती है और फ़र्माया कि, "ये काफ़िर नहीं देखते कि इनसे पहले कितनी क़ौमें यहाँ राज करती थीं कि वह राज तुम्हें भी नसीब नहीं और फिर आसमान से बारिश का अ़ज़ाब और ज़मीन तले से सैलाब उबल पड़ा और वह सबके सब हलाक कर दिए गए, उसके बाद हमने दूसरी क़ौम को ला बसाया। आद की क़ौम की तबाही का ज़िक्र करके फ़र्माता है कि अब सिर्फ़ इनके खण्डर देखे जा सकते हैं, मुज्रिमीन का यही हश्र होता है। जिसमें आज हमने तुम्हें बसाया है कभी उनको बसाया था, उनको सुनने वाले कान, देखने वाली आँखें और समझने वाले दिल दिए थे लेकिन उनके कानों, उनकी आँखों उनके दिलों ने उन्हें कुछ नफ़ा नहीं पहुँचाया क्योंकि वह अल्लाह तआला की आयतों का इंकार करने लगे और जो मज़ाक़ वह करते थे उसकी सज़ा पाई। तुम्हारी सर ज़मीन के अतराफ़ ही की कितनी बस्तियाँ उजड़ गईं और कितनी ही निशानियों का हेर फेर हो गया है, समझो शायद कि कुछ इब्रत पकड़ो। (46/अहक़ाफ़ : 25-27) और फ़र्माया कि "इनसे पहले के लोगों ने रसूलों को झुठलाया तो उसका कैसा नतीजा देखना पड़ा और तुम तो उनके दसवें हिस्से के बराबर भी कुव्वत नहीं रखते हो।" (34/सबा : 45) और फ़र्माया "कितनी बस्तियाँ उजड़ गईं, उनके घरों की छतें गिर गईं, चश्मे बेकार हो गए, बड़े-बड़े महल वीरान पड़े हैं। इन्होंने दुनिया में घूम फिरकर क्यूँ नहीं देखा कि इन्हें समझने वाला दिल और सुनने वाले कान मिलते क्योंकि आँखें अंधी नहीं होती हैं बल्कि वह दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर हैं। (22/हज्ज :45,46) और फ़र्माया कि रसूलों के साथ मज़ाक़ किया गया उन पर उसी मज़ाक़ का अ़ज़ाब नाज़िल हुआ। (6/अन्आम : 10) ग़र्ज़ इस क़िस्म की बहुत सी आयात हैं जो रब के दुश्मनों के साथ इंतिक़ाम पर रोशनी डालती हैं और ओलिया अल्लाह के साथ एहसानो करम पर। चुनाँचे इसी सिलसिले में हसबे ज़ेल इर्शाद होता है।

***

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا
كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾
وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ
بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

तर्जुमा : "उन बस्तियों के कुछ-कुछ क़िस्से हम आपसे बयान कर रहे हैं और उन सबके पास उनके पैग़म्बर मोजिज़ात लेकर आए फिर जिस चीज़ को उन्होंने शुरु में झूठा कह दिया यह बात न हुई कि फिर उसको मान लेते। अल्लाह तआ़ला इसी तरह काफ़िरों के दिलों पर बंद लगा देता है। (101) और अक्सर लोगों में हमने वफ़ा-ए-अ़हद (वादा पूरा करते) न देखा। और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। (102) फिर उनके बाद हमने मूसा (ﷺ) को अपने दलाइल देकर फ़िरऔन और उसके उमरा (वज़ीरों) के पास भेजा तो उन लोगों ने उनका बिलकुल हक़ अदा न किया तो देखिए उन मुफ़्सिदों का क्या अंजाम हुआ।"(103)

मोजिज़ात (चमत्कार) देखने के बावजूद ईमान न लाए (आयत 101-103) : नूह़, हूद, सालेह़, लूत, शुऐब (ﷺ) की क़ौमों का ज़िक्र करने के बाद कि वह तो हलाक कर दिए गए और मोमिन बचा लिए गए और यह कि रसूलों के ज़रिये मोजिज़ात और दलाइल पेश करके उनकी तक्मीले हुज्जत कर दी गई इर्शाद होता है कि ऐ मुह़म्मद (ﷺ)! उन बस्तियों के ह़ालात हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनके पास रसूलों ने खुली निशानियाँ पहुँचा दी थीं और हम तो रसूल भेजकर तक्मीले हुज्जत करने के बग़ैर कभी अ़ज़ाब नहीं करते। यह उन बस्तियों के क़िस्से हैं कि जिनमें से कुछ तो क़ायम हैं और कुछ खण्डर बने हुए हैं। यह ज़ुल्म हमने नहीं किया, उन्होंने ही अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लिया है, वह आप ज़िम्मेदार हैं।" (11/हूद : 101, 102) और वह क्या ईमान लाते जबकि उससे पहले उन्होंने झुठला दिया था। (बिमा कज़्ज़बू) का (ब) सबबिया है यानी वही की तक्ज़ीब करने की वजह से ईमान लाने के वह ह़क़दार ही न रहे। जैसे कि फ़र्माया, तुम क्या जानो, यह तो मोजिज़े पेश करने पर भी ईमान न लाएँगे। हम इनके दिलों और आँखों को उलट देंगे क्योंकि यह पहली बार भी ईमान न लाए थे। इसीलिए यहाँ फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला काफ़िरों के दिलों पर मुहर कर देता है। उनमें से अक्सर गुज़िश्ता क़ौमों को अपने अ़हदो मीसाक़ का पास ही नहीं। उनमें से अक्सर तो हमें फ़ासिक़ ही मिले जो ताअ़त और फ़र्मांबरदारी से ख़ारिज हैं। यह अ़हद (वादे) वह है जो रोज़े अज़ल में इनसे लिया गया था और

उसी पर वह पैदा किए गए और वही बात इनकी फ़ित्रत व जिबिल्लत में भी रखी गई। वादा यह था कि अल्लाह तआला ही उनका रब है और मालिक है उसके सिवा कोई दूसरा रब नहीं। उसका उन्होंने इक़रार किया था गवाही दी थी लेकिन फिर उसकी मुख़ालिफ़त करके अहद को उन्होंने पीठ के पीछे डाल दिया। और अल्लाह तअला के साथ दूसरों को भी शरीक करने लगे जिसकी न कोई दलील है न हुज्जत, न अक़्ल की बात है न शरअ की। फ़ित्रते सलीमा तो इस बुतपरस्ती के ख़िलाफ़ है। शुरू से आख़िर तक तमाम अम्बिया (अलैहि०) बुतपरस्ती से रोकते रहे हैं। जैसाकि हदीसे मुस्लिम में है कि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मैंने अपने बन्दों को तो बुतपरस्ती से अलग पैदा किया था शयातीन आए और उनके सच्चे दीन से उन्हें भटका दिया और मैंने जो हलाल किया था वह उन्होंने हराम कर लिया।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, अस्सिफ़ातुल्लती युअरफ़ु बिहा फ़िदुनिया अहलुल जन्नत व अहलुन्नार : 2865; अहमद : 4/266; इब्ने हिब्बान : 653; अब्दुर्रज़्ज़ाक़ : 20088; मुस्नद तयालिसी : 1079) बुख़ारी व मुस्लिम में है कि हर मौलूद (पैदा होने वाला) अपनी फ़ित्रते इस्लामिया पर पैदा होता है लेकिन उसके यहूदी या नसरानी वालिदेन उसको यहूदी या नसरानी बना डालते हैं।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुर्रूम बाब (ला तब्दीला लि ख़ल्क़िल्लाहि) : 4775; सहीह मुस्लिम : 2658; तिर्मिज़ी : 2138; अहमद : 2/253; इब्ने हिब्बान : 130) या मजूसी बनाते हैं। अल्लाह तआला अपनी किताबे अज़ीज़ में फ़र्माता है कि हमने तुमसे पहले जितने नबी भेजे सब ला इलाहा इल्लल्लाहु की तल्क़ीन करते रहे। (21/अम्बिया : 25) इर्शाद है कि तुमसे पहले जो रसूल हमने भेजे उनसे हम पूछेंगे कि क्या अल्लाह तआला के सिवा कोई और रब भी पूजा के क़ाबिल क़रार दिया गया था। (43/ज़ुख़रुफ़ : 45) और फ़र्माया, हर क़ौम में हमने रसूल भेजे कि पूजा सिर्फ़ अल्लाह तआला की करो और शैतान की पूजा से बचे रहो। (16/नहल : 36) इस क़िस्म की बहुत सी आयात हैं। ऊपर की आयत के बारे में उबय बिन कअब (रज़ि.) कहते हैं कि मीसाक़ के दिन बन्दों ने जो इक़रारे वह्दानियत किया था वह अल्लाह तआला के इल्म में है इसलिए बिनाबर इल्मे इलाही वह ईमान लाने वाले नहीं। और यही होकर रहा कि दलाइल सामने आने के बावजूद ईमान न लाए अगरचे मीसाक़ के दिन ईमान क़बूल किया था। लेकिन अल्लाह तआला जानता थ कि यह नाख़ुशी के साथ है जैसे फ़र्मान है कि अगर यह दोबारा दुनिया की तरफ़ भेजे जाएँ तो फिर भी वही बुतपरस्ती और शिर्क व मआसी (गुनाह का काम) करने लगें, जिनसे इनको मना किया गया था।

मूसा (अलैहि०) का फ़िरऔन के पास आना : इर्शाद होता है कि पिछले पैग़म्बरों नूह, हूद, सालेह, लूत और शुऐब (अलैहि०) के बाद हमने मूसा (अलैहि०) को अपनी आयाते बय्यिनात देकर फ़िरऔन की तरफ़ भेजा। फ़िरऔन मिस्र का बादशाह था। लेकिन फ़िरऔन और उसकी क़ौम ने इंकार और कुफ़्र किया जैसाकि फ़र्माया, उन्होंने सरकशी के सबब इंकार किया है हालाँकि उनके दिल मानते हैं। यानी जिन लोगों ने अल्लाह तआला की राह से रोक दिया है और रसूलों को झुठलाया, ऐ मुहम्मद (सल्ल०)! तुम ग़ौर तो करो कि हमने उन्हें कैसी सज़ा दी और मूसा (अलैहि०) के देखते हमने उन्हें डुबा दिया। देखो उन मुफ़्सिदीन का कैसा नतीजा हुआ। फ़िरऔन और उसकी क़ौम के अज़ाब की बात किस बलीग़ तरीक़ा से बयान की गई है और मूसा (अलैहि०) और मोमिनीन के लिए कैसी तशफ़्फ़ी बख़्श है।

وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرۡعَوۡنُ اِنِّىۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝١٠٤ حَقِيۡقٌ عَلٰٓى اَنۡ لَّاۤ اَقُوۡلَ
عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الۡحَقَّؕ قَدۡ جِئۡتُكُمۡ بِبَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ فَاَرۡسِلۡ مَعِىَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ ۝١٠٥
قَالَ اِنۡ كُنۡتَ جِئۡتَ بِاٰيَةٍ فَاۡتِ بِهَاۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الصّٰدِقِيۡنَ ۝١٠٦ فَاَلۡقٰى عَصَاهُ
فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ۝١٠٧ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ۝١٠٨

तर्जुमा : ''और मूसा (عليه السلام) ने फ़र्माया कि ऐ फ़िरऔन! मैं रब्बुल आलमीन की तरफ़ से पैग़म्बर हूँ। (104) मेरे लिए यही शायाँ (मुनासिब) है कि सिवाए सच के अल्लाह तआला की तरफ़ कोई बात मंसूब न करूँ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ़ से एक बड़ी दलील भी लाया हूँ तो तू बनी इस्राईल को मेरे साथ भेज दे। (105) फ़िरऔन ने कहा, अगर आप कोई मोजिज़ा लेकर आए हैं तो उसको पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। (106) पस आपने अपना अ़सा (लाठी) डाल दिया तो फ़ौरन वह एक साफ़ (दिखता भालता) अज़्दहा बन गया। (107) और अपना हाथ बाहर निकाल लिया तो वह अचानक सब देखने वालों के सामने बहुत ही चमकता हुआ हो गया।'' (108)

मूसा (عليه السلام) और फ़िरऔन का मुनाज़िरा (आयत 104-108) : मूसा (عليه السلام) और फ़िरऔन का मुनाज़िरा होता है। फ़िरऔन के दरबार में और उसकी क़ौम क़िब्तियों के सामने आयाते बय्यिनात का इज़्हार होता है और दलाइल व हुज्जत पेश किए जाते हैं कि मूसा (عليه السلام) ने फ़िरऔन से कहा कि मैं अल्लाह तआला की तरफ़ से रसूल हूँ, उसने भेजा है जो हर चीज़ का ख़ालिक़ और मालिक है। मुझ पर लाज़िम है कि हक़ बात ही पेश करूँ। कुछ ने (हक़ीक़ुन अ़ला अन) के मअ़नी (हक़ीक़ुन बिअन) मुराद लिए हैं और कहा है कि (ब) और (अ़ला) एक दूसरे के बदले आ सकते हैं जैसे (रमैत बिल क़ौस) और (अ़लल क़ौस) और जाअ अ़ला ह़ालि ह़सनतिन) और (बि ह़ालि ह़सनतिन) और कुछ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि (हक़ीक़ुन) से मुराद (ह़रीसुन) है यानी मैं सच्ची बात ही कहने पर ह़रीस़ हूँ। कुछ मदनी (मदीना के रहने वाले) कहते हैं कि यह लफ़्ज़ (अ़ला) नहीं (अ़लय्य) है जिसके मअ़नी हैं वाजिब यानी मुझ पर वाजिब और हक़ है कि हक़ बात के सिवा दूसरी बात न कहूँ। मैं अल्लाह तआला की तरफ़ से क़तई दलील लेकर तुम्हारी तरफ़ आया हूँ। मेरे साथ बनी इस्राईल को कर दो, उन्हें अपनी क़ैद से आज़ाद कर दो क्योंकि वह इस्राईल यानी याक़ूब बिन इस्हाक़ (عليه السلام) नबी की नस्ल से हैं और उनकी औलाद हैं तो फ़िरऔन ने कहा, तुम्हारे दावा-ए-रिसालत को हम नहीं मानते, अगर तुम पैग़म्बर हो और कोई मोजिज़े लेकर आए हो तो बताओ ताकि तुम्हारी बात की तस्दीक़ की जा सके।

मूसा (عليه السلام) के हाथ पर कुदरते इलाही का ज़ुहूर : मूसा (عليه السلام) ने अपना अ़सा सामने डाल दिया तो

अल्लाह तआला की क़ुदरत से वह एक अज़्दा बन गया और अपना मुँह फाड़कर फ़िरऔन की तरफ़ लपका, फ़िरऔन तख़्त से कूद पड़ा और मूसा (عليه السلام) से चिल्लाकर कहने लगा कि, मूसा (عليه السلام) इसे रोक लो। आपने रोक लिया और वह फिर असा बन गया। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि जब उसने मुँह फाड़ा तो उसका नीचे का जबड़ा ज़मीन पर और ऊपर का महल की दीवार पर था। जब वह फ़िरऔन की तरफ़ बढ़ा तो वह काँप उठा। कूदकर भागने लगा और चीख़ उठा कि ऐ मूसा! इसको पकड़ लो! मैं तुम पर ईमान लाता हूँ और बनी इस्राईल को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। मूसा (عليه السلام) ने उसको पकड़ लिया और वह असा बन गया। मूसा (عليه السلام) जब फ़िरऔन के पास आए थे तो फ़िरऔन ने कहा, मैं बताऊँ तुम कौन हो? मूसा (عليه السلام) ने कहा, अच्छा बताओ। उसने कहा, तुम वही तो हो कि हमारे ही पास बढ़े और पले, हमने तुम्हें पाला है। (26/शुअरा : 18) मूसा (عليه السلام) ने इसका जवाब दे दिया तो फ़िरऔन ने हुक्म दिया इसको पकड़ लो। मूसा (عليه السلام) ने यह सुनकर फ़ौरन असा फेंक दिया वह एक बड़ा सा अज़्दहा बनकर लहराने लगा और लोगों पर हमला करने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। उस हंगामे में पच्चीस हज़ार आदमी मर गए, लोग कुचलकर मरने लगे, फ़िरऔन अपने महल में भाग गया। इस रिवायत में बहुत ग़राबत है, वल्लाहु आलम!

अब इर्शाद होता है कि दूसरा मोजिज़ा मूसा (عليه السلام) ने यह बताया कि अपनी क़मीस में हाथ डालकर जब बाहर निकाला तो वह इंतिहाई रोशन और चमकदार होकर निकला कि उस पर नज़र नहीं ठहर सकती थी, उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं थी और जब अपनी आस्तीन में वापिस ले जाते तो वह फिर हस्बे साबिक़ (पहले जैसा) हो जाता था।

***

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٩﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾

तर्जुमा : "क़ौमे फ़िरऔन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा कि वाक़ेई यह शख़्स बड़ा माहिर जादूगर है। (109) यह चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरज़मीन से बाहर कर दे तो तुम लोग क्या मश्वरा देते हो।" (110)

मूसा (अ.) के मोजिज़ात ने फ़िरऔनियों को फ़िक्रमंद कर दिया (आयत 109, 110) : जब उन लोगों का ख़ौफ़ ख़त्म हुआ और असली हालत पर आए तो फ़िरऔन ने अपने सल्तनत के ज़िम्मेदारों की जमाअत से कहा कि यह तो बड़ा ही फ़ंकार साहिर (जादूगर) मालूम होता है। लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और मश्वरे के लिए बैठे कि अब इस बारे में क्या किया जाए। उसके नूर को बुझाने उसकी बात को दबाने और

मूसा (ﷺ) के किज़्ब व इफ़्तिरा को साबित करने के लिए क्या तदबीर की जाए। उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया कि लोग उसके मुअतक़िद होकर उसके जादू की तरफ़ माइल हो जाएँगे जिससे मूसा (ﷺ) का ग़ल्बा हो जाएगा और वह लोगों को उनकी सरज़मीन से निकाल बाहर करेगा। लेकिन जिस बात का अंदेशा उन्हें था उसी में मुब्तला होना पड़ा। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि फ़िरऔन व हामान को वही ख़ौफ़ सामने आया जो उन्हें था। (28/क़सस : 6) और जब यह लोग मूसा (ﷺ) के बारे में मश्वरा कर चुके तो एक राय पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया जिसकी हिकायत अल्लाह पाक ने फ़र्माई।

***

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَاۤىِٕنِ حٰشِرِيْنَ ﴿١١١﴾ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿١١٢﴾ وَجَاۤءَ
السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ
لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿١١٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾ قَالَ
اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاۤءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

तर्जुमा : "उन्होंने कहा कि आप उनको और उनके भाई को मोहलत दीजिए और शहरों में चीरासियों को भेज दीजिए। (111) कि वह सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाज़िर कर दें। (112) और वह जादूगर फ़िरऔन के पास हाज़िर हुए, कहने लगे कि अगर हम ग़ालिब आए तो हमको कोई बड़ा सिला मिलेगा? (113) फ़िरऔन ने कहा कि हाँ! तुम मुक़र्रब (क़रीबतर) लोगों में दाख़िल हो जाओगे। (114) उन जादूगरों ने कहा कि ऐ मूसा (ﷺ)! ख़्वाह आप डालिए और या हम ही डालें। (115) मूसा (अ.) ने फ़र्माया कि, "तुम ही डालो। पस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नज़रबंदी कर दी और उन पर हैबत ग़ालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखलाया।" (116)

मूसा (ﷺ) से मुक़ाबले के लिए माहिर जादूगरों की ख़िदमात (आयत 111-116) : सरदारों ने फ़िरऔन को मश्वरा दिया कि मूसा (ﷺ) और उसके भाई को रोक लिया जाए और देशभर के तमाम शहरों में लोग भेज दिये जाएँ और मशहूर मशहूर जादूगर जमा किए जाएँ। उस ज़माने में जादू का बहुत बोलबाला था। सबका यही वहम और गुमान हो गया कि मूसा (ﷺ) का यह मोजिज़ा जादू और शोअबदाकारी था चुनाँचे उन्होंने तमाम जादूगरों को जमा किया ताकि मूसा (ﷺ) की उस फ़नकारी का मुआरज़ा और मुक़ाबला किया

जाए। जैसाकि अल्लाह पाक ने फ़िरऔन की बात नक़्ल की है कि ऐ मूसा (ﷺ)! तुम अपने जादू के ज़ोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल बाहर करना चाहते हो। हम भी तुम्हारी तरह के जादू से तुम्हारा मुक़ाबला करेंगे। अब इम्तिहाने मुक़ाबला की कोई तारीख़ क़रार दो। उसके ख़िलाफ़ न तुम करो न हम। मूसा (ﷺ) ने कहा, ईद के दिन सुबह के वक़्त सब लोग जमा किए जाएँ। अब फ़िरऔन ने जाकर अपनी फ़रेबकाराना तदबीरें इख़्तियार कीं और आख़िरकार वक़्ते मुक़र्ररा आ गया।

जादूगरों का फ़िरऔन से मुतालबा : यहाँ इस क़रारदाद को बयान किया जा रहा है जो फ़िरऔन और जादूगरों के बीच हुई थी जो मुआरज़-ए-मूसा (ﷺ) के लिए बुलाए गए थे कि अगर वह मूसा (ﷺ) पर ग़ालिब आ जाएँगे तो उन्हें बड़ा इन्आम दिया जाएगा और उनको मुँह मांगी मुराद दी जाएगी और उन्हें हमनशीनों और मुक़र्रबों में से बना लिया जाएगा। जब फ़िरऔन से वादा ले लिया तो मूसा (ﷺ) से कहा।

मूसा (ﷺ) और जादूगरों का मुक़ाबला : यह मूसा (ﷺ) और जादूगरों की मुबारिज़त और जंग है। जादूगर कह रहे हैं कि मूसा (ﷺ) या तो तुम पहले अपना हुनर बताओ या हम पहले बताएँ। मूसा (ﷺ) ने कहा, तुम्ही पहले अपना शिगूफ़ा छोड़ो। मूसा (ﷺ) की इसमें मस्लिहत यह थी कि ताकि लोग पहले उन जादूगरों का तमाशा देख लें और सोच समझ लें और जादूगर अपनी शोअबदाकारी से फ़ारिग़ होलें तो हक़ बात तलब और इंतिज़ार के बाद वाज़ेह और जली (साफ़) हो कर उनके सामने आ जाए क्योंकि कोई बात तलब के बाद ही दिल पर ज़्यादा कारगर होती है चुनाँचे ऐसा ही हुआ। अब अल्लाह तआला फ़र्माता है कि जब जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ डाल दीं तो लोगों की नज़रबन्दियाँ कर दीं और यूँ दिखाई देने लगा कि जो कुछ यह दिखा रहे हैं हक़ीक़त में ऐसा ही वुजूद पज़ीर हो रहा है हालाँकि यह रस्सियाँ और लाठियाँ दरहक़ीक़त लाठियाँ ही थीं, देखने वालों का फ़क़त वहम व ख़्याल था कि यह साँप हैं। चुनाँचे इर्शाद होता है कि ''उनके जादू से ऐसा मालूम हो रहा था कि वह चलते और रेंगते हैं। यह देखकर मूसा (ﷺ) पर दहशत तारी हो गई। हमने कहा, डरो नहीं, ग़ालिब तुम ही रहोगे। अपने हाथ का असा तुम भी मैदान में फेंक दो, यह अज़्दहा बनकर उन सब साँपों को निगल (खा) जाएगा। यह जादू तो उनका फ़रेब है, जादूगर अपने तमाशे में कामयाब नहीं हो सकते। मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) कहते हैं कि पन्द्रह हज़ार जादूगरों की सफ़बन्दी थी। हर जादूगर के साथ उसकी रस्सियाँ और लाठियाँ थीं। मूसा (ﷺ) अपने भाई को लेकर असा टेकते हुए निकले। मैदान में आए, फ़िरऔन अपने तख़्त पर सल्तनत के ज़िम्मेदारों के साथ बैठा हुआ था। जादूगरों ने सबसे पहले मूसा (ﷺ) की आँखों पर अपने जादू से बंदिश कर दी, फिर फ़िरऔन और लोगों की आँखों पर। अब हर जादूगर ने अपनी रस्सी और लाठी डाली। वह सब साँप बन गए, सारा मैदान साँपों से भर गया। एक पर एक रेंग रहे थे। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि यह तीस हज़ार से ज़्यादा जादूगर थे। सबके साथ लाठी और असा था। जनता की भी नज़रबन्दी हो गई तो यह मंज़र देखकर सब डर गए। इब्ने अबी बुरज़ा (रह.) कहते हैं कि फ़िरऔन ने सत्तर हज़ार जादूगर बुलाए थे। सत्तर हज़ार रस्सियाँ और सत्तर हज़ार लाठियाँ साँप बने हुए रेंग रहे थे। इसीलिए अल्लाह पाक ने फ़र्माया है कि (वजाअ बि सिहरिन अज़ीम) यानी उन्होंने बहुत बड़ा जादू बताया।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ
وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ
سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

तर्जुमा : और हमने मूसा (अ.) को हुक्म दिया कि आप अपना अ़सा डाल दीजिए। तो अ़सा का डालना था कि उसने उनके सारे बने बनाए खेल को निगलना शुरू किया। (117) पस हक़ ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब आता जाता रहा। (118) पस वह लोग उस मौक़े पर हार गए और ख़ूब ज़लील हुए। (119) और वह जो जादूगर थे, सज्दे में गिर गए। (120) कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। (121) जो मूसा और हारून (अ.) का भी रब है।" (122)

हक़ की फ़तह (जीत), मूसा (अ.) ने मैदान मार लिया (आयत 117-122) : अल्लाह तआ़ला ने इस ज़बरदस्त आज़माइशगाह में मूसा (अ.) को अपनी वह्यी भेजी जिसने हक़ व बातिल में इम्तियाज़ कर दिया। मूसा (अ.) ने भी अपना अ़सा डाल दिया। देखते क्या हैं कि वह इन तमाम वहमी साँपों को निगला जा रहा है और एक भी उनका झूठा साँप न बचा। यह देखकर उन जादूगरों ने जान लिया कि यह जादू नहीं, कोई आसमानी मदद है, अल्लाह तआ़ला के काम हैं। चुनाँचे सबके सब अल्लाह तआ़ला के लिए सज्दे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम मूसा (अ.) और हारून (अ.) के अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाते हैं। मूसा (अ.) ने जब मैदान मार लिया तो अपने अ़सा पर हाथ डाला तो वह फ़िर अ़सा बन गया। जादूगर सज्दे में गिर पड़े और कहने लगे कि यह नबी न होता और जादू होता तो कभी हम पर ग़ालिब आ ही नहीं सकता। क़ासिम बिन अबी बुरज़ा कहते हैं कि जादूगरों ने अपना सर सज्दे से उठाने से पहले ही जन्नत और दोज़ख़ को देख लिया। (त़ब्री : 13/30)

***

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ
لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ
اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

तर्जुमा : "फ़िरऔन कहने लगा कि हाँ! तुम मूसा (ﷺ) पर ईमान लाए हो बग़ैर इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ, बेशक यह कार्रवाई थी जिस पर तुम्हारा अमल दरआमद हुआ है इस शहर में ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। तो अब तुमको हक़ीक़त मालूम हो जाती है। (123) मैं तुम्हारे एक तरफ़ के हाथ दूसरी तरफ़ के पैर काटूँगा फिर तुम सबको सूली पर टाँग दूँगा। (124) उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर अपने मालिक ही के पास जाएँगे। (125) और तूने हममें कौनसा ऐब देखा है सिवाए इसके कि हम अपने रब के अहकाम पर ईमान ले आए। ऐ हमारे रब! हमारे ऊपर सब्र का फ़ैज़ान फ़र्मा और हमारी जान हालते इस्लाम पर निकाल।" (126)

जादूगरों को उनके ईमान की सज़ा (आयत 123-126) : जादूगर जब मोमिन बन चुके और फ़िरऔन को अपने मक़सद में शिकस्त हो गई तो जादूगरों को धमकी दे रहा है कि आज मूसा (ﷺ) को जो तुम पर ग़ल्बा मिला है दरअसल यह तुम लोगों का बाहमी समझौता और साज़िश थी, कि इस तरह हुकूमत पर ग़ालिब आकर असली अहले वतन को मुल्क से निकाल बाहर करना चाहते हो। यक़ीनन यह तुम सबका उस्ताद था जिसने तुम्हें जादू सिखाया था। (20/ताहा : 238) हर उस शख़्स को जिसको ज़रा भी अक़्ले सलीम है, समझ जाएगा कि फ़िरऔन का यह इल्ज़ाम इस बिना पर था कि बातिल के बातिल साबित हो जाने की वजह से वह बोखला गया था। मूसा (ﷺ) ने तो मदयन से आते ही फ़िरऔन के पास पहुँचकर उसको इस्लाम की दावत दी थी और अपने मोजिज़ाते बाहिरा ज़ाहिर करके रसूल होने की तस्दीक़ कर दी थी, उसके बाद फ़िरऔन ने अपने मुल्क के तमाम शहरों और हमागीर इलाक़ो में लोगों को भेज भेजकर शहरे मिस्र के अलग-अलग जादूगरों को जमा किया था जिनको उसने और उसकी क़ौम ने चुना था और उनसे बेहतरीन इन्आम व इकराम का वादा किया गया था। इसलिए उन्हें इस बात की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरह मूसा (ﷺ) पर ग़ालिब आ जाएँ और फ़िरऔन के पास तक़र्रुब हासिल करें। मूसा (ﷺ) तो किसी भी जादूगर से वाक़िफ़ नहीं थे, न उन्हें कभी देखा था, न उनसे मिले थे और फ़िरऔन इस बात को भी जानता था। मगर जाहिल जनता की ज़हनियत को मुतास्सिर (प्रभावित) होने से बचाना चाहता था जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि फ़िरऔन की क़ौम उसकी मुतीअ थी और उसकी हमख़्याल बनी हुई थी और वह लोग बड़ी ज़बरदस्त गुमराही में पड़े हुए थे।

(43/ज़ुख़रुफ़ : 54) जो फ़िरऔन के (اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰی) (79/नाज़िआत : 24) वाले दावे की तस्दीक़ करते थे। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि मूसा (عليه السلام) की मुलाक़ात जादूगरों के सरदार से हुई तो मूसा (عليه السلام) ने उससे कहा था कि अगर मैं ग़ालिब आ जाऊँ और तुम हार जाओ तो क्या मुझ पर ईमान लाओगे और क्या तस्लीम कर लोगे कि पेशकर्दा चीज़ अल्लाह तआला का मोजिज़ा होगी। तो जादूगर ने कहा था कि कल मैं तो ऐसा जादू पेश करूँगा कि कोई जादू तो उस पर ग़ालिब नहीं आ सकता अगर तुम ग़ालिब आ गए तो मैं मान लूँगा कि तुम अल्लाह की तरफ़ से पैग़म्बर हो। फ़िरऔन ने उनकी यह बातचीत सुन ली, इसीलिए साज़िश का इल्ज़ाम लगा था कि तुम इसलिए जमा हुए थे कि हुकूमत पर तुम्हें ग़ल्बा व सतवत हासिल हो जाए, तुम मुल्क से बड़ों और रईसों को निकाल देना चाहते हो और तख़्त पर ख़ुद क़ाबिज़ होने के दर पे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मैं तुम्हें क्या सज़ा देने वाला हूँ। समझे रहो कि मैं तुम्हारा दायाँ हाथ और बायाँ पैर काट दूँगा या उसके बरअक्स, फिर तुम सबको फांसी पर लटका दूँगा, तुम्हारी लाशें दरख़्तों की टहनियों से बंधी और लटकी होंगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि फांसी और हाथ पैर काटने की ताज़ीर (सज़ा) सबसे पहले फ़िरऔन ही की निकाली हुई है। जादूगर कहते हैं कि हम तो अब अल्लाह तआला के हो चुके हैं उसकी तरफ़ रुजूअ कर चुके। आज तुम हमें जिस अज़ाब की धमकी दे रहे हो, उससे सख़्ततरीन अज़ाब अल्लाह तआला का अज़ाब है। हम तुम्हारे अज़ाब पर आज सब्र कर लेते हैं ताकि कल अल्लाह तआला के अज़ाब से हमें छुटकारा मिल जाए। इसीलिए वह बोल उठे कि, "ऐ अल्लाह तआला! अपने दीन पर साबित क़दम रहने के लिए और फ़िरऔन के अज़ाब से न डरने के लिए हमें सब्र इनायत फ़र्मा और अपने नबी मूसा (عليه السلام) की इत्तिबाअ में हमें दुनिया से मुसलमान उठा। चुनाँचे फ़िरऔन से साफ़-साफ़ कह दिया कि तू हमारा जो कुछ बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ ले। यही न कि हमारी इस दुनियावी ज़िन्दगी को ख़त्म कर देगा। हम उसी पर ईमान लाते हैं जो हमारा सच्चा रब है। ताकि वह हमारी बाक़ी ग़लतियों को मुआफ़ कर दे और जो जादू पेश करने पर मजबूर होना पड़ा है उससे दरगुज़र करे, क्योंकि जो शख़्स अल्लाह तआला के पास काफ़िर बनकर हाज़िर होगा, उसकी क़िस्मत में जहन्नम होगी कि न ज़िन्दों में शुमार, न मुर्दों में और जो मोमिन और फिर नेकोकार बनकर हाज़िर होगा उसको आख़िरत में बड़े-बड़े दर्जे मिलेंगे। (20/ताहा : 72-75) चुनाँचे यह सब जादूगर सुबह के वक़्त तो काफ़िर जादूगर थे और शाम के वक़्त नेकोकार शुहदा (शहीद) हो गए।

***

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ
وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ
قٰهِرُوْنَ ۝١٢٧ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ۬
يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝١٢٨ قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ
تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ
فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝١٢٩

तर्जुमा : "और क़ौमे फ़िरऔन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा (عليه السلام) और उनकी क़ौम को यूँ ही रहने देंगे कि वह मुल्क में फ़साद करते फिरें और वह आपको और आपके मअबूदों को छोड़ दें। फ़िरऔन ने कहा कि हम अभी इन लोगों के बेटों को क़त्ल करना शुरु कर देंगे और औरतों को ज़िन्दा रहने देंगे और हमको हर तरह का इन पर ज़ोर है। (127) मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम से फ़र्माया कि अल्लाह तआला का सहारा रखो और मुस्तक़िल रहो। यह ज़मीन अल्लाह तआला की है जिसको चाहे मालिक बना दे अपने बन्दों में से और अख़ीर में कामयाबी उन ही को मिलती है जो अल्लाह तआला से डरते हैं। (128) क़ौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ़ लाने से पहले भी और आपके तशरीफ़ लाने के बाद भी। मूसा (عليه السلام) ने फ़र्माया कि बहुत जल्द अल्लाह तआला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा और बजाए उनके तुमको इस सरज़मीन का मालिक बना देगा फिर तुम्हारा तर्ज़े अमल देखेगा।" (129)

दरबारियों की फ़िरऔन को मलामत (आयत 127-129) : फ़िरऔन और उसकी जमाअत की बाहमी मुशाविरत की ख़बर दी जा रही है कि मूसा (عليه السلام) के लिए उन लोगों के दिलों में कैसा कीना था, फ़िरऔन से उसके मुक़र्रिबीन (क़रीबी लोग) कह रहे हैं कि क्या आप मूसा (عليه السلام) को यूँ ही छोड़ देंगे कि दुनिया में फ़साद मचाते फिरे और अहले मुल्क को फ़ित्ने में डाले और उनमें अपने बारी तआला की तब्लीग़ करे। यह कैसी अजीब बात है। यह लोग तो दूसरों को मूसा (عليه السلام) और मोमिनीन की फ़सादअंगेज़ी से डरा रहे हैं हालाँकि यही लोग असली मुफ़्सिद हैं। इन्हें ख़ुद को अपनी ख़बर नहीं। कुछ कहते हैं कि (व यज़रक) का वाव 'और' के मअनी में नहीं बल्कि हाल के मअनी में है। मतलब यह हुआ कि क्या आप मूसा (عليه السلام) को इजाज़त दे देंगे कि फ़साद मचाता फिरे यहाँ तक कि उसने आपकी इताअत और आपके ख़ुदाओं की इबादत छोड़ दी है।

उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) ने इसको इस तरह़ पढ़ा है (वक़द तरकूका अंय्यअबुदूक व आलिहतक) यह इब्ने जरीर (रह़.) का बयान है। कुछ ने इस वाव को आ़तिफ़ा कहा है यानी क्या आप इसे छोड़ देंगे कि फ़साद मचाए और आपको और आपके ख़ुदाओं को छोड़ दे, और कुछ ने इसको (इला हतक) पढ़ा है बमअ़नाए (इबादक) क़िरअते औला कुछ इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फ़िरऔन भी पोशीदा तौर पर एक बुत की पूजा करता था और एक दूसरी रिवायत में है कि उसके गले में मूर्ती लटकी हुई थी। यह उसको सज्दा करता था। इसी बिना पर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि यह लोग जब किसी ख़ूबसूरत गाय को पाते थे तो फ़िरऔन उन्हें हुक्म देता था कि उसकी पूजा करें, इसीलिए सामरी ने एक गौशाला बनाया था जिसके अंदर से आवाज़ निकलती थी। ग़र्ज़ यह कि फ़िरऔन ने अपने अहले दरबार की दरख़्वास्त मंज़ूर कर ली और कहा कि इनकी नस्ल को खत्म करने के लिए हम इनके बेटों को क़त्ल कर दिया करेंगे और लड़कियों को ज़िन्दा रहने देंगे। इस क़िस्म का यह दूसरा ज़ुल्म था और इससे पहले भी पैदाइशे मूसा (عليه السلام) से पहले भी उसने ऐसा ही किया था ताकि मूसा (عليه السلام) का वजूद ही दुनिया में न आने पाए और वाक़ेअ़ हुआ उसके बरख़िलाफ़ जो फ़िरऔन चाहता था कि मूसा (عليه السلام) आख़िरकार ज़िन्दा बच गए। दोबारा उसने ऐसा ही क़सद किया जबकि बनी इस्राईल को ज़लील करना और उन पर ग़ालिब आना चाहता था। यहाँ भी उसकी ख़्वाहिश पूरी नहीं हुई। अल्लाह तआ़ला ने मूसा (عليه السلام) को इ़ज़्ज़त दी और फ़िरऔन को ज़लील (बेइ़ज़्ज़त) किया और उसको और उसके लश्कर को डुबो दिया। जब फ़िरऔन बनी इस्राईल के साथ बुराई करने का अ़ज़्मे मुसम्मम कर चुका तो मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम से कहा कि स़ब्र करो और अल्लाह तआ़ला ही से मदद मांगो। मूसा (عليه السلام) ने उनसे हुस्ने आ़क़िबत का वादा किया और यह कि मुल्क तुम्हारा हो जाएगा। ज़मीन अल्लाह तआ़ला की है वह जिसको चाहे मुल्क की बादशाहत सौंपे और हुस्ने आ़क़िबत मुत्तक़ीन (अल्लाह से डरने वालों) के लिए है। मूसा (عليه السلام) के साथियों ने कहा कि आपके आने से पहले भी हमें बड़ी-बड़ी तक्लीफ़ें दी गई हैं और आपके आने के बाद भी आप देख रहे हैं कि कितना ज़लील किया जा रहा है। मूसा (عليه السلام) उन्हें ह़ालते मौजूदा पर और पेश आने वाले ह़ालात पर मुतनब्बा (आगाह) करते हुए फ़र्माते हैं कि बहुत क़रीब में अल्लाह पाक तुम्हारे दुश्मन को हलाक करने वाला है। इस आयत के ज़रिये उन्हीं नेअ़मतों पर शुक्रगुज़ारी के लिए उभारा जा रहा है।

***

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ
۝١٣٠ فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى
وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٣١ وَقَالُوْا مَهْمَا
تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝١٣٢ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ايٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا
وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا
عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِ
سْرَآءِيْلَ ﴿۱۳۴﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿۱۳۵﴾

''और हमने फ़िरऔन वालों को मुब्तला किया, क़हतसाली में और फलों की कम पैदावारी में ताकि वह समझ जाएँ। (130) तो जब उन पर ख़ुशहाली आ जाती तो कहते कि यह तो हमारे लिए होना ही चाहिए। और अगर उनको कोई बदहाली पेश आती तो मूसा (ﷺ) और उनके साथियों की नहूसत बतलाते, याद रखो कि उनकी नहूसत अल्लाह तआला के इल्म में है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते थे। (131) और यूँ कहते कैसी ही अजीब बात हमारे सामने लाओ कि उसके ज़रिये से हम पर जादू चलाओ जब भी हम तुम्हारी बात हर्गिज़ न मानेंगे। (132) फिर हमने उन पर तूफ़ान भेजा और टिड्डियाँ और घुन का कीड़ा और मेंढक और ख़ून कि यह सब खुले-खुले मोजिज़े थे। तो वह तकब्बुर करते रहे और वह लोग कुछ थे ही जराइम पेशा। (133) और जब उन पर कोई अज़ाब वाक़ेअ होता तो यूँ कहते कि ऐ मूसा (ﷺ)! हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका उसने आपसे अहद कर रखा है अगर आप उस अज़ाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर-ज़रूर आपके कहने से ईमान ले आएँगे और हम बनी इस्राईल को भी रिहा (आज़ाद) करके आपके साथ कर देंगे। (134) फिर जब उनसे उस अज़ाब को एक ख़ास वक़्त तक कि उस वक़्त तक उनको पहुँचना था, हटा देते तो वह फ़ौरन ही वादा ख़िलाफ़ी करने लगते।'' (135)

फ़िरऔनियों का रवय्या और अज़ाबे इलाही (आयत 130-135) : हमने आले फ़िरऔन को क़हत में मुब्तला करके आज़माना चाहा। उनकी खेतियों में ग़ल्ला नहीं हुआ। दरख़्तों में फल नहीं आए। खजूर के दरख़्त में एक ही खजूर लगती थी। ताकि वह कुछ इब्रत हासिल करें। जब यह ख़ूब सरसब्ज़ रहते थे, ग़ल्ला ख़ूब होता था तो कहते थे कि हम तो इसके मुस्तहिक़ थे, यह हमारा अपना हक़ है कैसे न शाद काम होते। और अगर क़हत हो जाता, भूकों मरने लगते तो कहते कि यह मूसा (ﷺ) और उसके साथियों की नहूसत है। अरे यह नहूसत तो ख़ुद इनकी अपनी क़िस्मत की बात है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) लफ़्ज़े ताइर से मुसीबत मुराद लेते हैं। नहूसत के इस असली सबब को लोग समझते नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) (इन्दल्लाहि) से (मिन क़िब्लिल्लाह) मुराद लेते हैं यानी (मिन्जानिब अल्लाह)

फ़िरऔनियों पर मुख़्तलिफ़ क़िस्म के अज़ाब : क़ौमे फ़िरऔन के तमर्रुद (आड़ूपन) और सरकशी की

ख़बर दी जा रही है कि उन्हें कैसा हक़ से इनाद और बातिल पर इसरार था कि वह यह भी कहने लगे कि, अगर मूसा (ﷺ) कोई निशानी बताए कि जिसके ज़रिये हम पर जादू कर दे तो भी हम उस पर ईमान लाने वाले नहीं। हम न उसकी दलील को क़बूल करेंगे, न उस पर और उसके मोजिज़े पर ईमान लाएँगे। चुनाँचे अल्लाह तआला फ़र्माता है कि "हमने उन पर तूफ़ान भेजा।" तूफ़ान के मअनी में इख़्तिलाफ़ है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं "बकसरत बारिश जो डुबो दे या खेतों और बाग़ात को नुक़्सान पहुँचाए या यह कि "वबाए आम"। मुजाहिद (रह.) कहते हैं सैलाब और ताऊन। हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "तूफ़ान यानी मौत।" एक दूसरी रिवायत में है "अल्लाह का नागहानी और आसमानी अज़ाब।" जैसाकि फ़र्माया (فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ) (68/क़लम : 19) यानी अल्लाह तआला का नागहानी अज़ाब उनके सोते हुए उन्हें आ पहुँचा। जराद यानी टिड्डी जो एक मशहूर परिन्दा है जिसका खाना हलाल है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ सात ग़ज़्वात में शरीक रहे हैं और हर वक़्त जराद खाने का मौक़ा मिला। (सहीह बुख़ारी, किताबुज़्ज़बाइह, बाब अकलल जराद : 5495; सहीह मुस्लिम : 1952; अबूदाऊद : 3812; तिर्मिज़ी : 1822; अहमद : 4/357; इब्ने हिब्बान : 5257; बैहक़ी : 9/257) इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, "दो मुर्दे और दो दम (ख़ून) हमारे लिए हलाल हैं, एक मछली और दूसरी जराद कि यह मरी हुई भी हों तो जाइज़ हैं। और ख़ून में दो मुंजमिद ख़ून, यानी तिल्ली और कलेजी।" (अहमद : 2/97; इब्ने माजा, किताबुल अत्इमा, बाब अल्कबिदु वत्तिहाल : 3314; वसनदुहू ज़ईफ़ुन; अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम ज़ईफ़ रावी है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने मरफ़ूअ रिवायत को ज़ईफ़ जबकि इब्ने उमर (रज़ि.) से मौक़ूफ़ रिवायत को सहीह क़रार दिया है और यह मौक़ूफ़ रिवायत मरफ़ूअ के हुक्म में है। देखिए (सिलसिलतुस्सहीह : 1118) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "अक्सर जानदार जो दरहक़ीक़त अल्लाह तआला का लश्कर हैं जिनको न मैं खाता हूँ, न दूसरों के लिए हराम कहता हूँ बल्कि वह हलाल हैं अगरचे मैं न खाऊँ।" (अबूदाऊद, किताबुल अत्इमा, बाब फ़ी अकलिल जराद : 3813; इब्ने माजा : 3219; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; सुलेमान तैमी मुदल्लस है और तसरीह बिस्सिमाअ साबित नहीं।) नबी अकरम (ﷺ) के न खाने का सबब यह है कि आपकी तबीयत को भाता नहीं था, जैसे जानवर गोह कि आपको उसका खाना पसंद न था लेकिन दूसरों को इजाज़त दे रखी थी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) टिड्डी और गोह और गुर्दे नहीं खाते थे। मगर यह कि उसको हराम नहीं कहा। टिड्डी से इसलिए इज्तिनाब (परहेज़) करते थे कि वह अल्लाह तआला का एक अज़ाब है। जिस तरफ़ टिड्डी दल गुज़र जाता है, खेत के खेत बर्बाद हो जाते हैं, गुर्दे और मसानों से इसलिए इज्तिनाब था कि यह पेशाब से क़रीब के हिस्से हैं और गोह इसलिए कि ग़ालिबन यह कोई मस्ख़शुदा उम्मत है। (इसकी सनद में यहया बिन ख़ालिद मज्हूल (अल्मीज़ान : 4/372; रक़म : 9493) और हसन बिन अली अदवी, दारे कुत्नी ने इसे मतरूक कहा है (अल्मीज़ान : 1/506; रक़म : 1904) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ुल जामेअ : 3392) फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि यह रिवायत भी ग़रीब है, मैंने इसलिए इसको नक़्ल किया है कि इससे इसके इज्तिनाब के वजूहात पर रोशनी पड़े। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जराद को बड़े शौक़ से खाते थे। हज़रत उमर (रज़ि.) से जराद के बारे में पूछा गया कि क्या

यह हलाल है? तो फ़र्माया, काश! दो एक लपें दो एक टिड्डियाँ मिल जातीं तो हम बड़े मज़े से खाते। (मौता इमाम मालिक, किताब सिफ़तुन्नबी (ﷺ) बाब मा जाअ फ़ित्तआमि वश्शराब : 30; व सनदुहू सहीहुन) अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अज़्वाजुन्नबी तबाक़ (प्लेट) भर भरकर जराद तोहफ़ा के तौर पर भेजा करती थीं। (इब्ने माजा, किताबुस्सैद, बाब सैदुल हीतान वल जराद : 3220; बैहक़ी : 9/258; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू सअद बक़्क़ाल ज़ईफ़ मुदल्लस रावी है। यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ मर्दूद है।) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मरयम बिन्ते इमरान (عليها السلام) ने अल्लाह तआला से दुआ की थी कि मुझे ऐसा गोश्त खिला जिसमें ख़ून न हो तो अल्लाह तआला ने उन्हें जराद खिलाई। तो मरयम (عليها السلام) ने कहा, ऐ परवरदिगार! परवरिश के बग़ैर भी इसको ज़िन्दगी दे और बग़ैर आवाज़ और शोर के इसको एक दूसरे के पीछे रख।" (बैहक़ी : 9/258; इसकी सनद में नुमैर बिन यज़ीद क़ैनी मज्हूल रावी है (अल्मीज़ान : 4/273; रक़म : 9122) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है (सिलसिलातुज़्ज़ईफ़ तहत रक़म : 1992) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जराद को न मारो कि यह अल्लाह तआला का एक ज़बरदस्त लश्कर है।" (मुअजमुल औसत : 9273; मुस्नद शामिय्यीन : 1656; मज्मउज़्ज़वाइद : 4/39; यह सनद मुन्क़तअ होने की वजह से ज़ईफ़ है।) यह हदीस बहुत ग़रीब है (फ़अर्सल्ना) वाली आयत के बारे में मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि यह अज़ाब इसलिए हैं कि गुज़िश्ता ज़माने में यह दरवाज़ों की कीलें खा जाते थे और लकड़ी छोड़ देते थे। औज़ाई (रह.) कहते हैं कि मैं जंगल की तरफ़ निकला था कि अचानक एक टिड्डीदल देखा कि ज़मीनो आसमान पर छाया हुआ है। और एक आदमी उस टिड्डीदल के अंदर है और वह मुसल्लह है और जिस तरह अपने हाथ से इशारा करता है और धकेलता है तो टिड्डियाँ हट जाती हैं और वह बार-बार कहता जाता है कि दुनिया और मा फ़ीहा सब बातिल हैं, बातिल हैं।

क़ाज़ी शुरैह (रह.) से जराद के बारे में पूछा गया तो कहा, अल्लाह तआला इसे बर्बाद करे, इसमें सात ताक़तवरों की शान है। इसका सर तो सर है घोड़े का, गर्दन है बैल की, सीना है शेर का, बाज़ू हैं गिद्ध के, पैर हैं ऊँट के, दुम है साँप की और पेट कसरूम का पेट है।

क़ौलुहू तआला (اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ) (5/माइदा : 96) के ज़िक्र के वक़्त यह हदीस बयान की जा चुकी है कि हम रसूलुल्ल्लाह (ﷺ) के साथ हज्ज या उमरे के लिए जा रहे थे कि हमें एक टिड्डीदल से सामना हुआ। हम उसे लकड़ियों से धकेलते और मार रहे थे हालाँकि हम हालते एहराम में थे। हमने यह बात नबी अकरम (ﷺ) से कही तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "बहालते एहराम सैदे बहर की मुमानिअत नहीं।" (अबूदाऊद, किताबुल मनासिक, बाब अल्जरादु लिल मुहरिम : 1854; तिर्मिज़ी : 850; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन; इब्ने माजा : 3222; बैहक़ी : 5/207; अहमद : 2/306; इसकी सनद में अबुल मेहज़म यज़ीद बिन सुफ़ियान मतरूक रावी है। (अत्तक़रीब : 2/478) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (अल्इरवाअ : 1031) जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने जब जराद के लिए यूँ बद दुआ की थी कि "इलाही! छोटे-बड़े सब जराद को हलाक कर दे, उनके अण्डों को तबाह कर, उनकी नस्ल को क़तअ कर दे और हमारा छीना हुआ रिज़्क़ इनके मुँह से ले ले।" तो जाबिर (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो अल्लाह तआला का एक लश्कर है आप इसको

क़त्अे नस्ल की बद् दुआ कर रहे हैं। तो फ़र्माया कि ''यह समुन्द्र की मछलियों से पैदा होते हैं।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल अत्इमा, बाब मा जाअ फ़िदुआ अलल जराद : 1823; व सनदुहू ज़ईफ़ुन जिद्दन; इब्ने माजा : 3221; अल्मौज़ूआत : 2/333; इसकी सनद में मूसा बिन मुहम्मद मतरूक रावी है (अत्तक़रीब : 2/287; रक़्म : 1501) ज़ियाद ने ख़बर दी है कि जिस शख़्स ने मछलियों से पैदा होते हुए इन्हें देखा है उसका बयान है कि मछली जब समुन्द्र के किनारे के क़रीब अण्डे देती है और किनारे का पानी सूख जाता है, धूप चमकती है तो अण्डों में से यह जराद निकलकर उड़ने लगते हैं। और क़ौलुहू तआला (इल्ला उममुन अम्सालकुम) के तहत हमने यह हदीस बयान कर दी है कि अल्लाह तआला ने हज़ार क़िस्म की मख़्लूक़ पैदा की है, छः सौ समुन्द्री है और चार सौ ख़ुश्की वाली और जल्दी हलाक होने वाली मख़्लूक़ जराद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''जंग के महलूकीन के सामने वबा भी कोई चीज़ नहीं और जराद के मुक़ाबले में लकड़ी की कोई हक़ीक़त नहीं।'' (इसकी सनद में मुहम्मद बिन मालिक ज़ईफ़ (अल्मीज़ान : 4/23; रक़्म : 8108) और अब्दुर्रहमान बिन क़ैस मतरूक रावी है। लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) यह हदीस ग़रीब है (कुम्मल) के बारे में इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि वह गेहूँ के अंदर के कीड़े हैं या यह कि वह छोटे-छोटे जराद हैं जिनके पर नहीं होते और उड़ते नहीं। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि (कुम्मल) छोटे स्याह रंग के कीड़े हैं या मच्छरों को कहते हैं या वह एक ऐसा कीड़ा है जो ऊँटों को चिमटी रहने वाली चीचड़ियों के मुशाबेह है।

रिवायत है कि जब मूसा (عليه السلام) ने फ़िरऔन से कहा था कि बनी इस्राईल को मेरे साथ कर दो तो उस वक़्त अल्लाह तआला की तरफ़ से तूफ़ान आया हुआ था, वह बारिश थी कि मूसलाधार बरस रही थी, फ़िरऔनी समझ गए थे कि यह अल्लाह तआला का अज़ाब है। कहने लगे, ऐ मूसा! अल्लाह तआला से दुआ करके इस बारिश को बंद करा दीजिए, हम आप पर ईमान ले आएँगे और बनी इस्राईल को भी आपके साथ कर देंगे। मूसा (عليه السلام) ने दुआ की, लेकिन न वह ईमान लाए, न बनी इस्राईल को आज़ाद किया। उस साल बारिश की वजह से ख़ूब खेती हुई, ग़ल्ला और फल ख़ूब पैदा हुए, सब्ज़ियाँ उगीं। लोगों ने कहा, बस हमारी यही आरज़ू थी, लेकिन ईमान न लाने की वजह से जराद उन पर मुसल्लत कर दिए गए, वह सब खेत खा गए, सब्ज़ियाँ तबाह कर दीं, समझ गए कि अब कोई फ़सल बाक़ी नहीं रहेगी। मूसा (عليه السلام) से कहा कि इस अज़ाब को हटा दीजिए, हम ईमान लाएँगे। मूसा (عليه السلام) की दुआ से जराद ख़त्म हो गए लेकिन फिर भी ईमान न लाए और ग़ल्ला घरों में ख़ूब जमा करके रख लिया और कहने लगे कि अब क्या डर है, ग़ल्ला ढेरों जमा किया मौजूद है कि यकायक कुरमुराए गंदुम (गेहूँ) का अज़ाब उन पर नाज़िल हुआ। अगर कोई पिस्वाने के लिए दस जरीब पैमान लेकर निकलता तो पिसने तक तीन क़फ़ीज़ ग़ल्ला भी न रहता। फिर मूसा (عليه السلام) से दरख़्वास्त की कि यह ''कुम्मल'' का अज़ाब दूर कर दो हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन अज़ाब दूर होने के बाद फिर भी सरकशी की। एक वक़्त मूसा (عليه السلام) फ़िरऔन से मिल रहे थे कि मेंढक की टर्र-टर्र सुनी गई। आपने फ़िरऔन से कहा कि तुम पर और तुम्हारी क़ौम पर यह अज़ाब है। उसने कहा, इससे तो कोई अंदेशा की बात नहीं। लेकिन शाम भी न होने पाई थी कि लोगों के सारे जिस्म पर मेंढक कूदने लगे। कोई बात करने के लिए मुँह खोलता और मेंढक फुदक कर मुँह में चला जाता। फिर मूसा (عليه السلام) से दरख़्वास्त की और अज़ाब दूर होने पर ईमान न लाए। अब के ख़ून का अज़ाब नाज़िल हुआ। नहरों और बावलियों से पानी लाते हैं तो ख़ून बन जाता

है। बरतनों में पानी रखते हैं तो ख़ून हो जाता है। फ़िरऔन से लोगों ने शिकायत की कि ख़ून के अ़ज़ाब में हम मुब्तला हैं, पीने को पानी नहीं मिलता। फ़िरऔन ने कहा कि तुम पर जादू कर दिया गया है। लोगों ने कहा, यह किसने जादू किया होगा हमारे बरतनों में ख़ून ही ख़ून भरा हुआ है। फिर मूसा (عليه السلام) के पास आकर दरख़्वास्त की और वादे किए। लेकिन अब भी ईमान न लाए, न बनी इस्राईल को आज़ाद किया।

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि जब जादूगर ईमान लाए, और फ़िरऔन हारा और नाकाम वापिस हुआ तो फिर भी सरकशी और कुफ़्र से बाज़ न आया तो पे दर पे उस पर निशानियों का ज़हूर हुआ। क़हत से साबिक़ा पड़ा, बारिश का तूफ़ान आया, फिर जराद का अ़ज़ाब, फिर जूँ और कीड़ों का, फिर मेंढक और ख़ून का। यह मुसलसल निशानियाँ ज़ाहिर हुईं। तूफ़ान आया, सारी ज़मीन दलदल हो गई, न हल चला सकते थे, न कुछ बो सकते थे। भूख से तड़पने लगे। मूसा (عليه السلام) से दरख़्वास्त की कि अ़ज़ाब हट जाए लेकिन ईमान लाने के वादे को पूरा न किया। फिर जराद का अ़ज़ाब आया, जो सारी खेती खा गए। दरवाज़ों की कीलें चाट गए, जिसकी वजह से उनके घर गिर पड़े। फिर जूओं का अ़ज़ाब आया। मूसा (عليه السلام) ने कहा कि इस टीले की त़रफ़ आओ। फिर ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) ने बहुक्मे इलाही एक पत्थर पर लकड़ी मारी जिससे बेशुमार चीचड़ियाँ निकल पड़ीं, घरों में हर जगह फैल गईं, ग़िज़ा को चिमटने लगीं, न सो सकते थे, न क़रार ले सकते थे, फिर मेंढक का अ़ज़ाब आया। खानों में मेंढक बरतनों में मेंढक, कपड़ों में मेंढक। फिर ख़ून का अ़ज़ाब आया। पानी के हर बरतन में पानी के बजाए ख़ून। ग़र्ज़ मुख़्तलिफ़ अ़ज़ाबों से दो चार होना पड़ा। (त़ब्री : 13/63, 64)

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मेंढक को न मारा करो, क्योंकि मेंढक का अ़ज़ाब जो क़ौमे फ़िरऔ़न पर भेजा गया था तो एक मेंढक आग के एक तन्नूर में अल्लाह तआ़ला की ख़ुशनुदी की ख़ातिर गिर पड़ा था। चुनाँचे मेंढकों का मस्कन अल्लाह तआ़ला ने ठण्डी चीज़ बनाई यानी पानी का मुक़ाम और उनकी आवाज़ को तस्बीह क़रार दिया।" ज़ेद बिन असलम 'दम' के अ़ज़ाब से नक्सीर फूटने का अ़ज़ाब मुराद लेते हैं।

***

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾
وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ
بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ ڏ بِمَا صَبَرُوْا ۭ وَدَمَّرْنَا
مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ
الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰي قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓي اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا

كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۭ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝١٣٨ اِنَّ هٰٓؤُلَاۗءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٣٩

तर्जुमा : ''फिर हमने उनसे बदला लिया यानी उनको दरिया में डुबो दिया इस वजह से कि वह हमारी आयतों को झुठलाते थे और उनसे बिलकुल ही बेतवज्जही ही करते थे। (136) और हमने उन लोगों को जो कि बिलकुल कमज़ोर गिने जाते थे उस सरज़मीन के मश्रिक़ व मग़रिब का मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी है। और आपके रब का नेक वादा बनी इस्राईल के हक़ में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया और हमने फ़िरऔन के और उसकी क़ौम के बनाए हुए कारख़ानों को और जो कुछ वह ऊँची-ऊँची इमारतें बनवाते थे सबको दरहम बरहम कर दिया। (137) और हमने बनी इस्राईल को दरिया से पार उतार दिया पस उन लोगों का एक क़ौम पर गुज़र हुआ जो अपने चंद बुतों को लगे बैठे हैं, कहने लगे ऐ मूसा (عليه السلام)! हमारे लिए भी एक मअबूद ऐसा ही मुक़र्रर कर दीजिए जैसे इनके यह मअबूद हैं, आपने फ़र्माया कि वाक़ेई तुम लोगों में बड़ी जिहालत है। (138) यह लोग जिस काम में लगे हैं यह तबाह किया जाएगा और इनका यह काम महज़ बेबुनियाद है।'' (139)

फ़िरऔनियों की तबाही और बनी इस्राईल पर अल्लाह तआला का इन्आम (136-139) : क़ौमे फ़िरऔन को बावजूद यह कि लगातार निशानियाँ बताई गईं और एक के बाद एक उन्हें कई अज़ाब दिए गए लेकिन उनकी सरकशी दूर न हुई, तो उन्हें दरिया में डुबा दिया गया। जिसमें मूसा (عليه السلام) के लिए रास्ता बना दिया गया, वह उसमें उतर पड़े और उसको पार कर गए। बनी इस्राईल भी उनके साथ थे। फिर फ़िरऔन और उसका लश्कर भी उनकी तक़्लीद में उनके पीछे उतरा। जब वह बीच दरिया में हो गए तो पानी मिल गया और वह डूब गए। यह आयाते इलाही की तक्ज़ीब करने (झुठलाने) और उससे ग़फ़्लत बरतने का नतीजा था। अल्लाह पाक ने ख़बर दी है कि फिर अल्लाह तआला ने फ़िरऔन की उस सरज़मीन को शर्क़न (पूरब) व ग़र्बन (पश्चिम को) बनी इस्राईल के सुपुर्द कर दिया जिसको निहायत कमज़ोर क़ौम समझा जाता था। जो कमज़ोर बने हुए गुलामी में ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे। जैसाकि फ़र्माया, ''हम चाहते हैं कि उस क़ौम पर एहसान करें जो दुनिया में कमज़ोर समझी जाती है। हम उनको बादशाह और सरदार बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन का वारिस और क़ादिर क़रार देंगे और जिस अज़ाब से फ़िरऔन और हामान और क़ौमे फ़िरऔन को अंदेशा था वही उन पर अज़ाब नाज़िल करेंगे।'' (28/क़सस : 5, 6) और फ़र्माया कि वह कैसे-कैसे बाग़ात, खेतियाँ और बेहतरीन मक़ामात छोड़कर तबाह हो गए जिसमें वह बड़े मज़े से ज़िन्दगी गुज़ार रहे थे। हम अगर चाहते तो उसी तरह किसी दूसरी क़ौम को सरदार और बादशाह बना देते। (44/दुख़ान : 25) हसन बसरी (रह.) और क़तादा (रह.) शर्क़ व ग़र्ब से मुल्के शाम मुराद लेते हैं। अल्लाह तआला की मुबारक बात बनी इस्राईल के हक़ में पूरी हुई क्योंकि उन्होंने मुसीबतों पर सब्र किया था, और अल्लाह तआला की वह बात और वादा (وَ

نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ۝ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝ (28/क़सस : 5, 6) है (व दम्मर्ना मा कान यस्नउ फ़िरऔनु व क़ौमुहू) यानी फ़िरऔन और उसकी क़ौम ने जो इमारतें और बाग़ात बना रखे थे और महल खड़े किए हुए थे सब हमने तबाह कर दिए और उजाड़ दिए।

बनी इस्राईल का जाहिलाना मुतालबा : बनी इस्राईल के जाहिल लोगों का मुतालबा बयान किया जा रहा है कि मूसा (عليه السلام) ने जब दरिया को पार कर लिया और अल्लाह तआला की यह अज़ीमुश्शान निशानी वह देख चुके, तो उनका गुज़र एक ऐसी क़ौम पर हुआ जो बुतों को लिए बैठी थी। कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि वह किन्आनी थे या क़बीला लख़म के थे। गाय के जैसे जानवर का बुत बना रखा था। इसीलिए बाद में उसी के जैसा एक गोशाला की पूजा में वह मुब्तला हो गए और कहने लगे कि ''ऐ मूसा (عليه السلام)! हमारे लिए एक मअबूद बना दो, जैसाकि इन लोगों के मअबूद हैं।'' मूसा (عليه السلام) ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, अल्लाह तआला की अज़्मत को भूल बैठे हो, वह तो ऐसी बातों से मुनज़्ज़ा (पाक) है कि कोई उसका शरीक व मसील हो सके। इनका मज़हब भी बातिल है और इनका अमल भी बातिल (झूठ) है।

कुछ सहाबा (रज़ि.) कहते हैं कि हम नबी अकरम (ﷺ) के साथ मक्के से हुनैन की तरफ़ जा रहे थे। रास्ते में कुफ़्फ़ार का एक बेरी का दरख़्त था। जिस पर वह धरना जमाए बैठे हुए थे। अपने हथियार उस दरख़्त पर बाँध रखे थे, उस दरख़्त की अज़्मत करते थे। उस दरख़्त को कहा जाता था, ''ज़ाते अन्वात'' जब हम उस दरख़्त के पास पहुँचे जो बहुत सरसब्ज़ और अज़ीमुश्शान था तो हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक ज़ाते अन्वात हमारे लिए भी क़रार दीजिए जैसाकि इन लोगों का है। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''अल्लाह तआला की क़सम! तुमने तो वह बात कही, जो मूसा (عليه السلام) की क़ौम ने मूसा (عليه السلام) से कही थी कि मूसा (عليه السلام)! हमारे लिए भी एक मअबूद बना दीजिए जैसा इन लोगों का है, तो मूसा (عليه السلام) ने कहा था, तुम बड़े ही जाहिल हो। इनका तरीक़ और इनके आमाल सब झूठे और बातिल हैं।'' नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''तुम भी उन्हीं के क़दम ब क़दम चलना चाहते हो।'' (तिर्मिज़ी, किताबुल फ़ितन, बाब मा जाअ ल-तरकबुन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम : 2180; वहुव सहीहुन; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11185; अहमद : 5/218; मुस्नद अबी यअला : 1441; इब्ने हिब्बान : 6702)

***

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝١٤٠ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ
ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝١٤١ وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ

مِيقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

तर्जुमा : "फ़र्माया, क्या अल्लाह तआला के सिवा और किसी को तुम्हारा मअबूद तज्वीज़ कर दूँ हालाँकि उसने तुमको तमाम दुनिया जहान पर फ़ौक़ियत दी है। (140) और वह वक़्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन वालों से बचा लिया जो तुमको बड़ी सख़्त तक्लीफ़ें पहुँचाते थे, तुम्हारे बेटों को क़त्ल कर डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िन्दा छोड़ देते थे और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ़ से बड़ी भारी आज़माइश थी। (141) और हमने मूसा (عليه السلام) से तीस रात का वादा किया और दस रात और उन तीस रात का ततिम्मा बनाया तो उनके परवरदिगार का वक़्त पूरे चालीस रात हो गया। और मूसा (عليه السلام) ने अपने भाई हारून (عليه السلام) से कह दिया था कि मेरे बाद इन लोगों का इंतिज़ाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़्म लोगों की राय पर अमल मत करना।" (142)

फ़िरऔन की क़ैद से नजात देने वाला ही इबादत के लायक़ है (आयत 140-142) : मूसा (عليه السلام) बनी इस्राईल को अल्लाह तआला की नेअमतें याद दिला रहे हैं कि अल्लाह तआला ने तुम्हें फ़िरऔन की क़ैद से और ग़ल्बा से नजात दी और रुस्वाई व ज़िल्लत से छुटकारा दिया। यहाँ औज (शान) व इज़्ज़त अता की। तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सामने बर्बाद किया, उसके सिवा और कौन क़ाबिले इबादत है। इसकी पूरी तफ़्सील सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है।

मूसा (عليه السلام) की कोहे तूर पर रवानगी और हारून (عليه السلام) की जानशीनी : बनी इस्राईल पर एहसान जताया जा रहा है कि तुमको हिदायत हासिल हुई, मूसा (عليه السلام) ने अल्लाह तआला से कलाम (बात) किया। उसने तौरात दी जिसमें अह्काम हैं और शरअ की तमाम तफ़्सीली बातें हैं। अल्लाह तआला ने मूसा (عليه السلام) से तीस रातों का वादा किया था। मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि मूसा (عليه السلام) ने उन दिनों रोज़ा रखा था। जब यह तीस दिन तमाम हुए तो अल्लाह तआला ने मज़ीद हुक्म दिया कि चालीस दिन की तक्मील करें। अक्सर मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि तीस दिन ज़ी क़अदा और दस दिन ज़ुल् हिज्ज के थे। इस तरह ईद के दिन तक चालीस दिन का पूरा हुआ। उसके बाद मूसा (عليه السلام) से अल्लाह तआला ने कलाम किया और उसी दिन दीने मुहम्मदी भी कामिल हुआ। जैसाकि फ़र्माया कि आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेअमत तुम पर पूरी उतार दी और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम इख़्तियार किया। ग़र्ज़ यह कि जब म्याद पूरी हो गई और मूसा (عليه السلام) तूर की तरफ़ गए, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है, "ऐ बनी इस्राईल! हमने तुमको दुश्मन से नजात दी और तूर की सीधी तरफ़ बुलाया था।" अब मूसा (عليه السلام) ने जाते हुए अपने भाई हारून (عليه السلام) को अपना जानशीन बनाया और हालात को बेहतर रखने की वसिय्यत की ताकि फ़सादात न पैदा हों। यह बात बतौर तम्बीह व तज़्कीर के है वरना हारून (عليه السلام) ख़ुद नबी थे और वजाहत व जलालत वाले नबी थे। (वस्सलातु अला साइरिल अम्बिया)

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ ؕ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾

तर्जुमा : ''और जब मूसा (عليه السلام) हमारे वक़्त पर आए और उनके रब ने उनसे बातें की तो अ़र्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार! अपना दीदार मुझको करा दीजिए कि मैं आपको एक नज़र देख लूँ, इर्शाद हुआ कि तुम मुझको हर्गिज़ देख नहीं सकते लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ़ देखते रहो तो अगर अपनी जगह पर बरक़रार रहा तो तुम भी देख सकोगे। पस उनके रब ने जो उस पर तजल्ली फ़र्माई, तजल्ली ने उसके परख़च्चे उड़ा दिए और मूसा (عليه السلام) बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अ़र्ज़ किया कि बेशक तेरी ज़ात पाक है मैं तेरी जनाब में मअ़ज़िरत करता हूँ और सबसे पहले मैं इस पर यक़ीन करता हूँ।'' (143)

मूसा (عليه السلام) का अल्लाह तआ़ला से बात करना (आयत 143) : मूसा (عليه السلام) के बारे में ख़बर दी जा रही है कि जब मूसा (عليه السلام) वादागाह पर आए और आपको अल्लाह तआ़ला से बात का शर्फ़ हासिल हुआ तो यह भी दरख़्वास्त की कि ऐ परवरदिगार! मैं तुझे देखना चाहता हूँ मुझे देखने का मौक़ा इनायत कर। तो अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि तुम मुझे हर्गिज़ नहीं देख सकते। लफ़्ज़ (लन) ने जो (लन तरानी) में है अक्सर उ़लमा के लिए इश्काल पैदा कर दिया है। इसलिए कि लन् हमेशा की नफ़ी के लिए आया करता है। इस बिना पर मुअ़तज़िला ने इस्तिदलाल किया है कि दुनिया हो या आख़िरत, रूईयत (दीदार) नहीं हो सकती। और यह क़ौल ज़ईफ़ है क्योंकि इस बारे में लगातार अहादीस मरवी हैं कि ''मोमिनीन को आख़िरत में अल्लाह तआ़ला का दीदार होगा।'' जैसे कि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है कि (وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿۲۲﴾ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲۳﴾) (75/क़यामा : 22, 23) इसमें मोमिनीन को ख़ुशख़बरी दी गई है कि वह अल्लाह तआ़ला को देख सकेंगे। फिर कुफ़्फ़ार के बारे में कहा है कि वह न देख सकेंगे। जैसाकि फ़र्माया (كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿۱۵﴾) (83/मुतफ़्फ़िफ़ीन : 15) यह भी कहा गया है कि यह नफ़ी दुनिया के लिए है, न कि आख़िरत के लिए, इस तरह अब कलाम में मुताबिक़त पैदा हो जाती है कि आख़िरत में रूयत (देखना) सही है और दुनिया में नहीं। और यह भी कहा गया है कि इस मक़ाम में यह कलाम बिलकुल ऐसा है जैसाकि फ़र्माया (لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۡ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۰۳﴾) (6/अन्आम : 103) सूरह अन्आम में इस पर काफ़ी बहस गुज़र चुकी है। कुतुबे मुतक़द्दिमा में है कि अल्लाह पाक ने मूसा (عليه السلام) से कहा कि ऐ मूसा

(عليه السلام)! कोई ज़िन्दा मरने से पहले मुझे नहीं देख सकता। ख़ुश्क चीज़ें भी मेरी तजल्ली से फ़ना हो जाती हैं। इसीलिए फ़र्माया कि रब ने जब अपनी तजल्ली पहाड़ पर डाला तो वह चूरा-चूरा हो गया और मूसा (عليه السلام) बेहोश हो कर गिर पड़े। अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''जब अल्लाह तआला ने पहाड़ पर अपनी तजल्ली की (उस वक़्त आपने अपनी उँगली से इशारा भी किया) तो वह चूरा-चूरा हो गया।'' अबू इस्माईल ने भी यह कहते हुए हमें अपनी शहादत की उँगली से इशारा करते हुए बताया। (इसकी सनद में रजुल मुब्हम रावी है जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने कसीर (रह.) ने फ़र्माया, लिहाज़ा यह सनद ज़ईफ़ है।) इस हदीस की इस्नाद में एक रावी का नाम मुब्हम है बताया नहीं गया। नबी अकरम (ﷺ) ने आयत (फ़लम्मा तजल्ला) पढ़ते वक़्त अपने अंगूठे को अपनी छँगलिया के ऊपर के पोरे पर रखकर बताया कि ''इतनी सी तजल्ली के सबब पहाड़ चूरा-चूरा हो गया।'' हुमैद ने साबित से कहा कि देखो, इस तरह चुनाँचे साबित ने अपना हाथ हुमैद के सीने पर मारा और कहा, इसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है। अनस (रज़ि.) ने रिवायत की है तो क्या मैं इसको छुपाऊँगा। (अहमद : 3/125; तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल आराफ़ : 3074; व सनदुहू सहीहुन; हाकिम : 2/320) इमाम अहमद (रह.) ने भी इसी तरह रिवायत किया है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रब ने सिर्फ़ छँगनिलया बराबर तजल्ली की थी कि पहाड़ जल उठा और ख़ाक बन गया। सुफ़ियान सौरी (रह.) कहते हैं कि ज़मीन में धंस गया और धंसता जा रहा है और अब वह क़यामत तक ज़ाहिर नहीं होगा। अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि जब पहाड़ों पर तजल्ली हुई तो छः पहाड़ उड़ गए, तीन मक्का में आकर गिरे और तीन मदीने में। मदीने में उहुद है, वरक़ान है, रज़्वा है। और मक्के में हिरा है, सुबैर है, सौर है। यह हदीस ग़रीब है बल्कि मुंकर (ना क़ाबिले क़बूल) है।

तजल्ली से पहले कोहे तूर चिकना और साफ़ था। तजल्ली के बाद उसमें ग़ार और दर्रे पड़ गए। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि यह क़ौल कि ''ऐ मूसा (عليه السلام)! पहाड़ की तरफ़ देखो अगर वह क़ायम रहे तो समझो कि तुम मुझे देख सकोगे वरना नहीं। यह इसलिए कहा कि पहाड़ की पैदाइश और इस्तिह्काम तो इंसान से कहीं अकबर और अशद है और जब पहाड़ पर अल्लाह तआला की तजल्ली हुई और पहाड़ चूरा-चूरा हो गया तो पहाड़ की कैफ़ियत देख कर मूसा (عليه السلام) बेहोश होकर गिर पड़े (सइक़) के मअनी ग़शी के हैं, जैसाकि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने तफ़्सीर की। क़तादा (रह.) इसके मअनी मौत लेते हैं और अरबी ज़बान के हिसाब से यह मअनी भी सहीह हैं जैसाकि आयते कुरआन है कि (وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ) (39/जुमर : 68) यानी सूर फूँका जाएगा तो हर चीज़ मर जाएगी, फ़ना हो जाएगी। ग़र्ज़ यहाँ क़रीना मौत का है और ग़शी का भी है। ग़शी का इसलिए कि फिर अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि (फ़लम्मा अफ़ाक़) और अफ़ाक़ा तो बेहोशी ही से होता है न कि मौत से, इसलिए बेहोशी के मअनी लेना ही सही है।

अफ़ाक़ा (होश में आने) के बाद मूसा (عليه السلام) कहने लगे कि ''ऐ अल्लाह तआला! तू पाक है, तुझ पर कोई नज़र नहीं डाल सकता, वरना मर जाएगा, जल जाएगा, मैं सवाले रूयत की ख़ता से तौबा करता हूँ, अब मुझे इसका यक़ीन हो गया, और सबसे पहले मुझे यक़ीन है। यहाँ ईमान से, ईमान व इस्लाम मुराद नहीं बल्कि ईमान इस बात का कि तेरी मख़्लूक़ तुझे नहीं देख सकती।

इब्ने जरीर (रह.) ने इस आयत की तफ़्सीर में मुहम्मद बिन इस्हाक़ (रह.) की रिवायत से एक

अजीबो ग़रीब हदीस नक़्ल की है और ग़ालिबन उन्हें यह बात इस्राईलियात के दफ़्तर से मिली है, वल्लाहु आलम! (ख़र्र मूसा सइक़न) के बारे में अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत है कि एक यहूदी ने आकर नबी अकरम (ﷺ) से शिकायत की कि आपके एक अंसारी सहाबी ने मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया। उस अंसारी सहाबी को बुलाकर नबी अकरम (ﷺ) ने पूछा, तो उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने इस यहूदी को कहते सुना कि अल्लाह तआला ने मूसा (عليه السلام) को तमाम इंसानों पर फ़ज़ीलत दी है तो मैंने कहा, क्या मुहम्मद (ﷺ) पर भी तो इसने कहा, हाँ! मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक थप्पड़ मार दिया, तो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मुझे अम्बिया पर फ़ज़ीलत न दो, लोग क़यामत के दिन बेहोश हो जाएँगे और जब होश में आयेंगे तो सबसे पहले मुझे होश आएगा, लेकिन मैं देखूँगा कि मूसा (عليه السلام) अर्श का पाया पकड़े हुए हैं, मैं नहीं जानता कि मुझसे पहले उन्हें होश आएगा या यह कि वह बेहोश होंगे ही नहीं क्योंकि वह एक बार तजल्ली तूर से बेहोश हो चुके थे या अल्लाह तआला उन्हें बेहोश होने से अलग कर देगा।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सुरतुल आराफ़ बाब (वलम्मा जाअ मूसा लि मीक़ातिना व कल्लमहू रब्बुहू....) : 4638; सहीह मुस्लिम : 2374; मुस्नद अबी यअ़ला : 1368)

अबूबक्र बिन अबिदुनिया कहते हैं कि इस क़ज़िया के फ़रीक़ हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) थे लेकिन बुख़ारी व मुस्लिम में यह बात गुज़र चुकी है कि वह अंसार का एक आदमी था और अबूबक्र (रज़ि.) तो अंसार में से नहीं थे बल्कि मुहाजिर थे। और यह बात के कि (ला तुख़ीरूनी अ़ला मूसा) मिस्ल इस हदीस के है कि (ला तुफ़ज़्ज़िलूनी अ़लल अम्बियाइ वला अ़ला यूनुस बिन मत्ता) (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब क़ौलुहू तआला (व अय्यूनुस लमिनल मुर्सलीन) : 3412; सहीह मुस्लिम : 2376; मुख़्तसरन) कहते हैं कि यह बात अज़्रूए तवाज़ोअ थी या यह फ़र्मान इससे पहले का है कि आपको अपनी फ़ज़ीलत का इल्म अल्लाह तआला की तरफ़ से हुआ हो, या यह कि गुस्से में आकर तअस्सुब की बिना पर मुझे फ़ज़ीलत न दो,या यह कि सिर्फ़ अपनी राय से फ़ज़ीलत क़ायम न करो, वल्लाहु आलम! लोग क़यामत के दिन बेहोश होंगे। ज़ाहिर है कि यह बेहोशी क़यामत के वक़्त होलनाकियों की वजह से होगी। बहुत मुम्किन है कि यह उस वक़्त का हाल हो जब अल्लाह तआला लोगों के बीच फ़ैसला करने के लिए आएगा तो उसकी तजल्ली से लोग बोहोश हो जाएँगे। जैसे हज़रत मूसा (عليه السلام) तजल्ली की बर्दाश्त न ला सके। इसीलिए आपका फ़र्मान है कि न मालूम मुझसे पहले अफ़ाक़ा होगा या तूर की बेहोशी के बदले यहाँ बेहोश नहीं हुए। अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब (हज़रत) मूसा (عليه السلام) पर तजल्ली हुई तो आपकी नज़र ऐसी तेज़ हो गई कि दस कोस की दूरी से तारीक रात में भी किसी चट्टान पर चलती हुई चींटी को देख लेते थे।" (मुअजमुस् सग़ीर : 1/32; ह : 77; इस रिवायत में साक़ितशुदा रावी हसन बिन अबी जाफ़र मतरूक है। लिहाज़ा यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है।) क़ाज़ी अयाज़ (रह.) ने फ़र्माया कि इस लिहाज़ से कोई बईद नहीं कि यह ख़ुसूसियत हमारे नबी (ﷺ) को भी हासिल हो क्योंकि मेअराज में आप (ﷺ) ने तो आयाते कुब्रा अपनी आँखों से देख लीं थीं। इस बात के ज़रिये गोया कि हदीस की तस्हीह साबित की, लेकिन इसकी सेहत ग़ौरतलब बात है क्योंकि इस हदीस में रावी ग़ैर मअरूफ़ लोग हैं और ऐसी बातें जब तक आदिल और सिक़ा रावियों से मंसूब न हों, क़ाबिले क़बूल नहीं हो सकतीं।

قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ
مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝
سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا
يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ
يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

तर्जुमा : "इर्शाद हुआ कि ऐ मूसा (عليه السلام)! मैंने पैग़म्बरी और अपनी हमकलामी से और लोगों पर तुमको इम्तियाज़ दिया है तो जो कुछ तुमको मैंने अ़ता किया है उसको लो और शुक्र करो। (144) और हमने चंद तख़्तियों पर हर क़िस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफ़्सील उनको लिखकर दी। तो उनको कोशिश के साथ अ़मल में लाओ और अपनी क़ौम को हुक्म करो कि उनके अच्छे-अच्छे अहकाम पर अ़मल करें अब बहुत जल्द तुम लोगों को उन फ़ासिक़ों का मक़ाम दिखलाता हूँ। (145) मैं ऐसे लोगों को अपने अहकाम से बरगश्ता ही रखूँगा जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं जिसका उनको कोई हक़ हासिल नहीं। और अगर तमाम निशान देख लें तब भी उन पर ईमान न लाएँ। और अगर हिदायत का रास्ता देखें तो उसको अपना त़रीक़ा न बनाएँ। और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो उसको अपना त़रीक़ा बना लें। यह इस वजह से है कि उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया और उनसे ग़ाफ़िल रहे। (146) और यह लोग जिन्होंने हमारी आयतों को और क़ियामत के पेश आने को झुठलाया, उनके सब काम ग़ारत गए। उनको वही सज़ा दी जाएगी जो कुछ यह करते थे।" (147)

मूसा (عليه السلام) की चंद इम्तियाज़ी औसाफ़ (विशेषताएँ) (आयत 144-147) : इर्शाद होता है और मूसा (عليه السلام) से ख़िताब किया कि हमने तुमको रिसालत और कलाम के लिए सब लोगों में से चुन लिया है। और इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) सारी औलादे आदम के सरदार हैं। इसीलिए तो अल्लाह तआला ने आपको ख़ातिमुल अम्बिया बनाया। जिनकी शरीअ़त क़ियामत तक के लिए जारी होगी और आपके उम्मती सारे अम्बिया (عليهم السلام) की उम्मतों से ज़्यादा होंगे। शर्फ़ व फ़ज़्ल में आपके बाद हज़रत इब्राहीम

ख़लीलुल्लाह (ﷺ) हैं, फिर हज़रत मूसा बिन इमरान कलीमुल्लाह (ﷺ).

अल्लाह तआला मूसा (ﷺ) से फ़र्माता है कि मैंने तुम्हें जो कलाम और मुनाजात दी है उसको ले लो और शुक्र अदा करो और जिसके सहने की तुम्हें ताक़त नहीं, उसका मुतालबा न करो। फिर ख़बर दी जाती है कि उन अल्वाह में हर बात की नसीहत और हर हुक्म की तफ़्सील मौजूद है। कहा जाता है कि यह अल्वाह जवाहिर के थे। अल्लाह तआला ने उसमें मवाइज़ (नसीहत) और अहकाम तफ़्सील से लिख दिए थे और सब हलाल व हराम बता दिया गया था। उन अल्वाह पर तौरात लिखी हुई थी। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि पहले ज़माने के लोगों को हलाक करने के बाद हमने मूसा (ﷺ) को किताब दी जिसमें लोगों के लिए बसीरत थी। यह भी कहा जाता है कि यह अल्वाह तौरात लिखने से पहले ही दिए गए थे। बहरहाल यह ज़रूरी है कि यह सवाल रूयत को नामंज़ूर करने का मुआवज़ा था। कुव्वत के साथ लो, यानी ताअत का अज़्म मुसम्मम करके लो और अपनी क़ौम को भी हुक्म करो कि इस पर अच्छी तरह अमल करे। मूसा (ﷺ) के हुक्म के साथ कुव्वत का लफ़्ज़ है और क़ौमे मूसा के साथ अहसन का लफ़्ज़ है यानी मूसा (ﷺ) को ताकीद है कि सबसे पहले तुम इस पर सख़्ती से अमल करो, और तुम्हारी क़ौम भी अहसन तरीक़ से अमल करे (सऊरीकुम दारल फ़ासिक़ीन) यानी क़रीब में तुम मेरी मुख़ालिफ़त करने वाले और मेरी ताअत से सरताबी करने वाले का अंजाम देख लोगे कि वह किस तरह हलाक और बर्बाद हो जाएगा। यह बात बिलकुल इस तरह है जैसे कोई अपने मुख़ातब से कहे कि अगर तुम मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ करोगे तो कल मैं तुम्हें देख लूँगा। यहाँ ख़िलाफ़े अम्र करने वालों को वईद और तहदीद की जा रही है और कहा गया है कि इसका मतलब यह है हम इताअत करने वालों को फ़ासिक़ों का मुल्क यानी शाम अता करेंगे या यह कि मनाज़िले क़ौमे फ़िरऔन मुराद हैं, लेकिन पहली बात ज़्यादा क़रीने क़यास है, वल्लाहु आलम! क्योंकि यह फ़र्मान मूसा (ﷺ) के शहरे मिस्र को छोड़ने के बाद का है और यह दूसरा क़ौल तो बनी इस्राईल से ख़िताब है और यह तख़ातुब मैदाने तीह में दाख़िल होने से पहले का है।

तकब्बुर (घमण्ड) का नतीजा और अंजाम : इर्शाद होता है कि हम उन लोगों को जिन्हें हमारी इताअत से इंकार है जो बिलावजह लोगों से ग़ुरूर करते हैं, शरीअत और अहकाम के समझने ही से महरूम कर देंगे जो हमारी अज़्मत व वहदानियत पर दलीले क़ातेअ हैं। उन्हें जिहालत से वास्ता पड़ा है, अल्लाह तआला ने उन्हें ज़लील कर दिया है। जैसाकि फ़र्माया कि हमने उनके दिलों और आँखों को उलट ही दिया है क्योंकि समझाने बुझाने पर भी वह ईमान न लाएँगे। और फ़र्माया कि वह जब टेढ़े हो गए तो अल्लाह तआला ने उनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया ताकि नहीं समझते तो कभी भी न समझ पाएँगे। कुछ सलफ़ ने कहा है कि ग़ुरूर करने वाला इल्म और मारिफ़त सीख ही नहीं सकता उसकी तो नाक चढ़ी हुई होती है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल इल्म, बाब अल्हया फ़िल इल्म क़ब्ल हदीस : 130) जिसने कुछ अर्से के लिए इल्म सीखने की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं किया उसको हमेशा के लिए इल्म से महरूम रहने की मुज़ल्लत (तकलीफ़) बर्दाश्त करनी पड़ेगी।

इसीलिए अल्लाह तआला ने उनसे फ़हमे कुरआन का माद्दा छीन लिया है और अपनी आयात से उनको महरूम कर दिया। इस आयत का इशारा इस उम्मत की तरफ़ भी है। यह इब्ने उयेयना (रह.) का ख़्याल है लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं। इब्ने उयेयना तो हर उम्मत के हक़ में इसको क़रार देते हैं और उम्मतों के बीच कोई फ़र्क़

नहीं करते, वल्लाहु आलम!

इर्शाद है कि वह कैसी ही आयत क्यूँ न सुन लें, ईमान न लाएँगे। जैसाकि फ़र्माया जिन लोगों के हक़ में कलिम-ए-रब पूरा हो चुका कि वह राहे रास्त पर नहीं आएँगे, तो वह हर्गिज़ ईमान नहीं लाएँगे ख़्वाह कैसी ही आयत क्यूँ न आए हत्ताकि वह अज़ाबे अलीम देख लेंगे और अगर राहे हिदायत और तरीक़े नजात उन पर ज़ाहिर हो जाए लेकिन कभी सीधी राह इख़्तियार नहीं करेंगे और अगर हलाकत व गुमराही की राह उनके सामने आ जाए तो फ़ौरन इख़्तियार कर लेंगे। अब इनकी इस नादानी की वजह बयान की जाती है कि यह नतीजा इस बात का कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे ग़ाफ़िल रहे, उन पर अमल नहीं किया। इर्शाद होता है कि वह लोग जिन्हें हमारी आयतों के मानने से इंकार है और क़यामत के दिन हमसे सामना होने का यक़ीन नहीं और मरते दम तक अपने इसी ख़्याल पर क़ायम रहे तो ईमान की मइयत में नेक अमल न होने की वजह से यह सारे नेक आमाल भी बर्बाद हो जाएँगे और सल्ब कर लिए जाएँगे। इर्शाद है कि उनके आमाल की यही जज़ा है। हम उनके हस्बे आमाल जज़ा देते हैं। अगर वह ईमान के साथ नेकी करते तो नेक जज़ा देते और बुराई तो बुराई ही है जैसा अमल वैसा बदला।

***

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا
يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ
وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الْخٰسِرِيْنَ ﴿۱۴۹﴾

तर्जुमा : "और मूसा (عليه السلام) की क़ौम ने उनके बाद अपने ज़ेवरों का एक बछड़ा बना लिया जो कि एक क़ालिब (जिस्म) था जिसमें एक आवाज़ थी। क्या उन्होंने यह न देखा कि वह उनसे बात नहीं करता था और न उनको कोई राह बतलाता था उसको उन्होंने माबूद क़रार दिया और बड़ा बेढंगा काम किया। (148) और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाक़ई वह लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम न करेगा और हमें माफ़ न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में हो जाएँगे।" (149)

सामरी का तैयारकर्दा बछड़ा और उसकी हक़ीक़त (आयत 148, 149) : बनी इस्राईल में से गुमराह लोगों ने गौशाला की पूजा की थी सामरी ने उन ज़ेवरात से जो क़िब्तियों से मुस्तआर ले गए थे उनके सोने चाँदी से बछड़े का सा एक मुजस्समा बनाया और उसके पेट के अंदर एक मुट्ठीभर वह मिट्टी डाल दी जो जिब्रईल (عليه السلام) के घोड़े के क़दमों तले से हासिल कर रखी थी, चुनाँचे बछड़े के अंदर से ऐसी आवाज़ निकलने लगी

जैसे गाय की होती है। यह सारा खेल मूसा (عليه السلام) के ग़ैर हाज़िरी में हुआ जबकि आप मीक़ाते रब की ख़ातिर तूर पहाड़ पर गए हुए थे। तूर पर अल्लाह तआला ने आपको उस फ़ित्ने से आगाह कर दिया। चुनाँचे मूसा (عليه السلام) से ख़िताब होता है कि ऐ मूसा (عليه السلام)! तुम्हारी क़ौम को तुम्हारे पीछे हमने आज़माइश में डाल दिया है यानी सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। (20/ताहा : 58) मुफ़स्सिरीन ने इस बारे में इख़्तिलाफ़ किया है कि क्या यह गोश्त और ख़ून का बन चुका था और आवाज़ देने लगा था या सोने ही का बना हुआ था, सिर्फ़ उसमें हवा दाख़िल हो गई थी और उसके अंदर से गाय की तरह आवाज़ निकलती थी। कहा जाता है कि बछड़ा तैयार होने के बाद जब गाय की तरह आवाज़ देने लगा तो नाचते हुए उसके अतराफ़ तवाफ़ करने लगे और बड़े फ़ित्ने में मुब्तला हो गए और आपस में कहने लगे कि यही है तुम्हारा रब और मूसा का रब, मूसा भूल में पड़ गए। (20/ताहा : 88) इर्शाद होता है कि क्या वह इतनी सी बात को नहीं समझते कि आवाज़ निकालता है तो क्या हुआ वह तुम्हारी किसी बात का जवाब देता तो है नहीं, न तुम्हें कोई ज़रर पहुँचा सकता है, न नफ़ा। (20/ताहा : 88) चुनाँचे इस आयते करीमा में फ़र्माया कि न वह उनसे बात करता है, न उन्हें कोई रहनुमाई कर सकता है। उन गौशाला परस्तों को सरज़निश हो रही है कि बछड़े को लेकर गुमराह हो गए, ख़ालिक़स् समावाति वल अर्ज़ को भूल गए, उनकी आँखों पर जहल व गुमराही के पर्दे पड़ गए हैं जैसाकि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "किसी चीज़ की मुहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है।" (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब फ़िल हवा : 5130; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अहमद : 5/194; मुस्नद शामियीन : 1454; इन सब रिवायात की सनद में अबूबक्र बिन अबी मरयम ज़ईफ़ रावी है (अल्मीज़ान : 4/498; रक़म : 1006) और जब यह अपने काम पर नादिम हुए और समझ में आ गया कि वाक़ेई हम गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे कि अगर अल्लाह तआला हम पर रहम न करेगा और हमारी मग़्फ़िरत न करेगा तो हम बड़े घाटे में पड़ जाएँगे और हलाक हो जाएँगे। चुनाँचे उन्होंने गुनाहों का ऐतिराफ़ किया और अल्लाह तआला से माफ़ी तलब की।

कुछ ने (यरहम्ना) के बजाए (त) से (तरहम्ना) और (तग़्फ़िर्लना) पढ़ा है। इस तरह (रब्बना) फ़ाइल होने के बजाए मुनादी हो जाता है।

***

وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْۢ بَعْدِيْ ۚ
اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۭ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ
الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ ڮ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاۗءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝۱۵۰ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ڮ وَاَنْتَ اَرْحَمُ

الرَّحِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ
بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

तर्जुमा : ''और जब मूसा (عليه السلام) अपनी क़ौम की तरफ़ वापिस आए, गुस्से और रंज में भरे हुए तो फ़र्माया कि तुमने मेरे बाद यह बड़ी नामाक़ूल हरकत की क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाज़ी कर ली और जल्दी से तख़्तियाँ एक तरफ़ रखीं और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ़ घसीटने लगे। हारून (عليه السلام) ने कहा कि ऐ मेरे माँ जाये! इन लोगों ने मुझको बेहक़ीक़त समझा और क़रीब था कि मुझको क़त्ल कर डालें तो तुम मुझ पर दुश्मनों को मत हंसवाओ और मुझको इन ज़ालिमों के ज़ेल (फ़हरिस्त) में मत शुमार करो। (150) मूसा (अ.) बोले, ऐ मेरे रब! मुझे और मेरे भाई को मुआफ़ कर दे और अपनी रहमत में हमको दाख़िल कर, तू बड़ा रहम करने वाला है। (151) जो लोग गाय का बच्चा पूजने में लगे थे उन पर बड़ा ग़ज़ब टूटेगा उनके रब की तरफ़ से और दुनिया की ज़िन्दगी में भी ज़लील होंगे, झूठे बोहतान बाँधकर ऐसी हरकत करने वालों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। (152) और जो लोग गुनाह के चक्कर में फंस गए फिर तौबा कर ली उसके बाद ईमान पर क़ायम रहे तो तेरा रब उसके बाद भी मग़्फ़िरत करने वाला और रहीम है।'' (153)

मूसा (عليه السلام) की तूर से वापसी, क़ौम का शिर्क और हारून (عليه السلام) पर इज़्हारे नाराज़गी (आयत 150-153) : मूसा (عليه السلام) जब अल्लाह तआला से बातें करके क़ौम की तरफ़ लौटे तो निहायत ग़ज़बनाक थे और रंज व अफ़सोस में थे। और कहने लगे कि मेरे पीछे गाय की पूजा करके तुमने बहुत ही बुरा काम किया है, क्या अल्लाह तआला के अज़ाब को तुम जल्दी बुला लेना चाहते थे और अल्लाह तआला की बातों से हटाकर मुझे जल्दी लौटाना चाहते थे। मगर यही बात मुक़द्दर में थी। और शिद्दते ग़ज़ब में यह अल्वाह उन्होंने ज़मीन पर डाल दीं और भाई का सर पकड़कर अपनी तरफ़ घसीटा। कहा जाता है कि यह अल्वाह ज़मर्रुद के थे या याक़ूत के या कपड़े के या लकड़ी के। इस वाक़िया से दलालत होती है उस हदीस पर जो नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (लैसल ख़बरु कल मुआयनति) यानी शुनीदा के बूद मानिन्ददीदा। (अहमद : 1/271; वहुव सहीहुन; मुस्नद बज़्ज़ार : 200; मुअजमुल कबीर : 12451; मुस्नद शिहाब : 1182; इब्ने हिब्बान : 6213; हाकिम : 2/321) और ज़ाहिर स्याक़ इबारत यह है कि आपने ग़ज़बनाक होकर अल्वाह क़ौम के सामने फेंक दिये। यह सल्फ़ व ख़ल्फ़ तमाम जुम्हूर का क़ौल है। इब्ने जरीर (रह.) ने रिवायत की है कि यह क़ौल ग़रीब है इसकी इस्नाद सही नहीं। अक्सर उलमा कहते हैं कि यह रद्द करने के क़ाबिल है, शायद कुछ

अहले किताब के ज़ख़ीरे से क़तादा (रह़.) ने नक़्ल कर लिया हो और अहले किताब में तो झूठ तसर्रुफ़ करने वाले बात बनाने वाले और ज़िन्दीक़ बहुत हैं। भाई का सर पकड़कर घसीटा तो इस ख़्याल के तह़्त कि लोगों को गाय की पूजा से रोकने में कोताही की होगी। जैसाकि दूसरी आयत में है कि ऐ हारून (عليه السلام)! जब तुमने देखा था कि यह गुमराही इख़्तियार कर रहे हैं तो मेरे हुक्म पर चलने से तुमको किसने रोका था। क्या तुम्हें मेरी नाफ़र्मानी की जुर्अत हो गई। तो हारून (عليه السلام) ने कहा, ''ऐ मेरे माँ जाए! मेरी दाढ़ी और सर के बालों को पकड़ कर न खींचो, मुझे तो डर था कि कहीं तुम यह न कहो कि मेरा इंतिज़ार क्यूँ न किया और बनी इस्राईल में तफ़रक़ा क्यूँ डाल दिया, ऐ भाई! यह लोग तो मेरी परवाह नहीं करते थे। (20/ताहा : 92-94) मुझे कमज़ोर कर लिया और क़रीब था कि मुझे क़त्ल भी कर देते, दुश्मनों को मुझ पर मत हंसाओ और इन ज़ालिमों में मुझे शुमार न करो।'' मेरी माँ के बेटे के अल्फ़ाज़ इसलिए कहे ताकि यह अल्फ़ाज़ असरअंदाज हों। मूसा (عليه السلام) को रह़म आ जाए। वरना वह तो उनके माँ बाप दोनों तरफ़ से सगे भाई थे। जब ह़ज़रत मूसा (عليه السلام) को भाई की बेक़सूरी साबित हो गई तो हारून (عليه السلام) को छोड़ दिया। इर्शाद है कि हारून (عليه السلام) ने पहले ही लोगों से कह दिया था कि ''ऐ लोगों! तुम फ़ित्ने में मुब्तला हो रहे हो, तुम्हारा रब यह गौशाला नहीं, बल्कि रह़मान है तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात सुनो। (20/ताहा : 90) इसलिए तो मूसा (عليه السلام) ने कहा था कि ''इलाही! मुझे और मेरे भाई को बख़्श दे। हम दोनों को तू अपनी रह़मत में ले ले, तू अरह़मुर्राह़िमीन है।'' रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि ''अल्लाह तआला मूसा (عليه السلام) पर रह़म करे, देखने वाले की बात अलग और सुनने वाले की अलग होती है। रब अज़्ज़ व जल्ल ने ख़बर दी थी कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी क़ौम शिर्क में मुब्तला हो गई है, यह सुनकर उन्होंने अल्वाह़ नहीं फेंके और जब उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया तो गुस्से के मारे अल्वाह़ फेंक दिए।'' (अह़मद : 1/271; वहुव स़ह़ीहुन)

गौशाला परस्ती से तौबा का तरीक़ा : गौशाला परस्ती की सज़ा में अल्लाह तआला का जो ग़ज़ब बनी इस्राईल पर नाज़िल हुआ वह यह था कि उनकी तौबा उस वक़्त तक क़बूल नहीं हुई कि बहुक्मे इलाही आपस में एक दूसरे को क़त्ल कर डालें जैस कि सूरह बक़रह में गुज़र चुका है कि ''अल्लाह तआला की बारगाह में यूँ तौबा पेश करो कि बाहम अपनी जानों को क़त्ल कर डालो। अल्लाह तआला इसी में तुम्हारी बेहतरी जानता है।'' और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी तौबा क़बूल कर ली गई। वह तो रब्बे रह़ीम है। (2/बक़रह : 54) लेकिन दुनिया में उन्हें ज़िल्लत व ख़्वारी नसीब हुई। क़ौलुहू (व कज़ालिक नज़्ज़िल मुफ़्तरीन) और यह ज़िल्लत तो हर मुफ़्तरी के लिए यौमे क़यामत तक रहती है। सुफ़ियान बिन उ़येयना (रह़.) कहते हैं कि इसी तरह़ हर साह़िबे बिदअ़त ज़लील होगा। जो बिदअ़त निकालता है उसको यही सज़ा मिलेगी। मुख़ालिफ़ते रिसालत और बिदअ़त का बोझ उसके दिल से निकलकर उसके कँधों पर आ पड़ता है। ह़सन बस़री (रह़.) फ़र्माते हैं कि अगरचे वह दुनियावी शानो शौकत रखता हो लेकिन ज़िल्लत उसके चेहरा पर बरसती है। अल्लाह तआला की तरफ़ से क़यामत तक यह सज़ा झूठ बाँधने वाले और इफ़्तिरा करने वाले को मिलती रहेगी। अल्लाह तआला तौबा क़बूल करने वाला है। ख़्वाह कैसा ही गुनाह हो, लेकिन तौबा के बाद अल्लाह तआला उसको माफ़ कर देता है अगरचे कुफ़्रो शिर्क व शिक़ाक़ व निफ़ाक़ ही हो। हुक्म होता है कि जो गुनाह के बाद तौबा कर लें और ईमान लाएँ तो ऐ रसूल! तुम्हारा रब उसके बाद भी ग़फ़ूर्रुहीम है। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से

सवाल किया गया, एक ऐसे शख़्स के बारे में कि किसी औरत से ज़िना करे फिर उससे निकाह़ कर ले तो उसके बारे में क्या होगा? तो इस आयत की तिलावत की कि "जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर तौबा कर ली, ईमान लाए और रास्ती पर आ गए तो अल्लाह तआ़ला उसके बाद भी बख़्शने वाला और रह़ीम है। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने दस बार इसकी तिलावत की।" (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/566)

***

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

तर्जुमा : "और जब मूसा (عليه السلام) का गुस़्सा दूर हुआ तो उन तख़्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रह़मत थी।" (154)

मूसा (عليه السلام) तौरात और उम्मते मुह़म्मदिया (आयत 154) : अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि जब मूसा (عليه السلام) का गुस़्सा थम गया तो उन्होंने तख़्तियाँ उठा लीं, जो शिद्दते ग़ज़ब की वजह से फेंक दी थीं। यह ह़रकत बुतपरस्ती पर ग़ैरत और गुस़्से की वजह से थी। इर्शाद है कि "उसके अंदर हिदायत और रह़मत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं।" अक्सर मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि जब उन्हें फेंक दिया तो वह टूट गई थीं। फिर उन्हें जमा कर लिया और उसी बिना पर कुछ सलफ़ ने कहा है कि उन टूटी हुई तख़्तियों में हिदायत व रह़मत के अह़काम दर्ज थे लेकिन तफ़्सील के बारे में अह़काम ज़ाया हो गए। गुमान किया गया है कि इस्राईली बादशाहों के ख़ज़ानों में दौलते इस्लामिया के ज़माने तक यह टुकड़े मौजूद थे, वल्लाहु आ़लम! लेकिन इस बात पर दलील वाज़ेह़ है कि फेंक देने से वह टूट गए थे वह तख़्तियाँ जन्नत के जौहर की बनी हुई थीं। अल्लाह तआ़ला ने ख़बर दी है कि जब उन्हें उठा लिया तो उसमें हिदायत व रह़मत पाई। रह़मत के मानी ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के हैं (अख़ज़ल अल्वाह़) के बारे में क़तादा (रह़.) ने कहा है कि मूसा (عليه السلام) ने कहा कि या रब! मैं अल्वाह़ में लिखा पाता हूँ कि एक बेहतरीन उम्मत होगी जो हमेशा अच्छी बातों को सिखाती रहेगी और बुरी बातों से रोकती रहेगी। ऐ परवरदिगार! वह उम्मत मेरी उम्मत हो। तो अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि "मूसा (عليه السلام)! वह तो अह़मद (ﷺ) की उम्मत होगी। फिर कहा, या रब! इन अल्वाह़ से एक ऐसी उम्मत का पता चलता है जो सबसे आख़िर में पैदा होगी। लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाख़िल होगी, ऐ बारी तआ़ला! वह मेरी उम्मत हो। अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, वह अह़मद (ﷺ) की उम्मत है। फिर कहा, या रब! उस उम्मत का क़ुरआन उनके सीनों में होगा, दिल में देखकर पढ़ते होंगे, ह़ालाँकि उनसे पहले के सब ही लोग अपने क़ुरआन पर नज़र डालकर क़ुरआन पढ़ते हैं, दिल से नहीं पढ़ते, ह़त्ताकि उनका क़ुरआन हटा लिया जाए तो फिर उनको कुछ भी याद नहीं और न वह कुछ पहचान सकते हैं। अल्लाह तआ़ला ने उनको ह़िफ़्ज़ की ऐसी क़ुव्वत दी है कि किसी उम्मत को नहीं दी गई। या रब! वह मेरी उम्मत हो। कहा ऐ मूसा (عليه السلام)! वह तो अह़मद (ﷺ) की उम्मत है। फिर कहा या रब! वह उम्मत तेरी हर किताब पर ईमान लाएगी, वह गुमराहों और काफ़िरों

से क़िताल करेंगे हत्ता कि काना दज्जाल से भी लड़ेंगे, इलाही! वह मेरी उम्मत हो। अल्लाह तआला ने कहा कि यह अहमद (ﷺ) की उम्मत होगी। फिर मूसा (عليه السلام) ने कहा, या रब! अल्वाह में एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र है कि वह अपने नज़राने और सदक़ात ख़ुद आपस के लोग ही खा लेंगे हालाँकि उस उम्मत से पहले तक की उम्मतों का क्या यह हाल होगा कि अगर वह कोई सदक़ा या नज़्र पेश करेंगे और वह क़बूल होगी तो अल्लाह तआला आग को भेजेगा और आग उसे खा जाएगी और क़बूल न होगी तो रद्द हो गई तो फिर भी वह उसको न खाएँगे बल्कि दरिन्दे और परिन्दे आकर खा जाएँगे और अल्लाह तआला उनके सदक़े उनके अमीरों से लेकर उनके ग़रीबों को देगा। या रब! वह मेरी उम्मत हो तो फ़र्माया, यह अहमद (ﷺ) की उम्मत होगी। फिर कहा, या रब! मैं अल्वाह में पाता हूँ कि वह अगर कोई नेकी का इरादा करेगी लेकिन अमल में न ला सकेगी तो फिर भी एक सवाब की हक़दार हो जाएगी और अगर अमल में लाएगी तो दस हिस्से सवाब मिलेगा बल्कि सात सौ हिस्से तक, ऐ रब्बुल आलमीन! वह मेरी उम्मत हो। तो फ़र्माया, वह अहमद (ﷺ) की उम्मत है। फिर कहा कि अल्वाह में है कि वह दूसरों की सिफ़ारिश भी करेंगे और उनकी सिफ़ारिश भी दूसरों की तरफ़ से होगी, ऐ रब! वह मेरी उम्मत हो, तो कहा कि नहीं! यह अहमद (ﷺ) की उम्मत होगी। क़तादा (रह.) कहते हैं कि मूसा (عليه السلام) ने फिर अल्वाह रख दिए और कहा, या रब! मुझे उस अहमद (ﷺ) की उम्मत में से बना दे।

***

وَاخْتَارَ مُوسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ
لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ؕ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا
فِتْنَتُكَ ؕ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ؕ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ
اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ فَسَاَكْتُبُهَا
لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۵۶﴾

तर्जुमा : "और मूसा (عليه السلام) ने सत्तर आदमी अपनी क़ौम में से हमारे तयशुदा वक़्त के लिए चुन लिए। तो जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा (عليه السلام) अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे रब! अगर तुझे यह मंज़ूर होता तो तू इससे पहले ही उनको और मुझको हलाक कर देता। कहीं तू हम में से चंद बेवक़ूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा, यह वाक़िया सिर्फ़ तेरी ही तरफ़ से एक इम्तिहान

है ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे, गुमराही में डाल दे और जिसको तू चाहे हिदायत पर क़ायम रख दे, तू ही तो हमारा ख़बरगीराँ है, हम पर मग़्फ़िरत और रहमत फ़र्माईए और तू सब मुआफ़ करने वालों से ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है। (155) और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेकहाली लिख दीजिए और आख़िरत में भी, हम तेरी तरफ़ रुजूअ करते हैं। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मैं अपना अज़ाब तो उसी पर लाता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी रहमत तमाम चीज़ों को मुहीत हो रही है तो वह रहमत उन लोगों के नाम तो ज़रूर लिखूँगा जो अल्लाह तआला से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो कि हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं।'' (156)

कोहे तूर पर सत्तर (70) आदमियों की मौत (आयत 155-156) : अल्लाह पाक ने मूसा (عليه السلام) को सत्तर आदमी चुन लेने का हक़ दिया था, चुनाँचे मूसा (عليه السلام) ऐसे सत्तर चुने हुए लोगों को लेकर अल्लाह तआला से दुआ करने के लिए गए। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ मांगी तो कुछ इस तरह की कि, ''ऐ अल्लाह! हमें वह कुछ इनायत कर जो अब तक हमसे पहले तूने किसी को न दिया हो और न हमारे बाद फिर किसी और को दे। यह बात अल्लाह तआला को नागवार गुज़री, चुनाँचे ज़लज़ले ने उन्हें आ घेरा। (तब्री : 13/141) सुद्दी (रह.) कहते हैं कि अल्लाह तआला ने मूसा (عليه السلام) को तीस आदमियों के साथ आने के लिए कहा जो गोशाला के पूजा की वजह से अल्लाह तआला से माफ़ी मांगें और दुआ के लिए एक वक़्त और मक़ाम क़रार दिया। मूसा (عليه السلام) ने सत्तर आदमी चुने जिन्हें ऐतिज़ार (गिरयावज़ारी) के लिए अपने साथ ले गए लेकिन जब वादागाह पर पहुँचे तो कहने लगे कि, ऐ मूसा (عليه السلام)! हम तो तुम पर उस वक़्त तक ईमान न लाएँगे कि अपनी आँखों से ऐलानिया अल्लाह तआला को देख लें। (2/बक़रह : 55) तुमने तो अल्लाह तआला से बातें कर लीं, अब हमें भी अल्लाह तआला को दिखला दीजिए। इस जसारत की सज़ा में उन पर बिजली गिरी और सब वहीं ढेर हो गए। हज़रत मूसा (عليه السلام) रोते हुए उठे अल्लाह तआला से कह रहे थे कि ऐ परवरदिगार! अब मैं बनी इस्राईल को क्या जवाब दूँगा यह तो उनमें से अच्छे लोग थे इन्हें भी तूने हलाक कर दिया। काश! ऐ परवरदिगार! तू इनके साथ मुझे भी हलाक कर देता। (तब्री : 13/141) मूसा (عليه السلام) ने बनी इस्राईल के सत्तर अच्छे से अच्छे आदमी चुने थे और कहा था कि चलो अल्लाह तआला की तरफ़ और अपनी बक़िया क़ौम की तरफ़ से अल्लाह तआला के पास माज़िरत पेश करो, तौबा करो, रोज़े रखो, जिस्म और कपड़ों को पाक कर लो। फिर उन्हें वक़्ते मुक़र्ररा पर तूरे सीना की तरफ़ ले चले और यह सब अल्लाह तआला की इजाज़त और इल्म से था। अब यह सब ही सत्तर आदमी जो हज़रत मूसा (عليه السلام) की रहनुमाई में अल्लाह तआला से मिलने के लिए आए हुए थे, कहने लगे,ऐ मूसा (عليه السلام)! अल्लाह से तुम्हारी बातें होती हैं, हमें भी यह बातें सुनने दीजिए। मूसा (عليه السلام) ने कहा, अच्छा! और जब मूसा (عليه السلام) पहाड़ के क़रीब पहुँचे तो वह एक बहुत ही गहरे और उमड़े हुए बादल के अंदर छुप गए, पहाड़ भी बादल के अंदर ढक गया। मूसा (عليه السلام) बादल में आए। क़ौम से कहा, तुम भी क़रीबतर हो जाओ। और मूसा (عليه السلام) जब अल्लाह तआला से बातें करते होते तो आपके चेहरे पर एक बहुत ही चमकदार नूर ज़ियाबार होता कि कोई आपके चेहरे पर नज़र डालने की कुदरत न रखता। इसलिए आप अपने चेहरे पर नक़ाब डाल लेते। जब लोग उस बादल के क़रीब आकर उसमें दाख़िल हो गए तो सज्दे में गिर पड़े और उन्होंने मूसा (عليه السلام) और अल्लाह तआला की बातें

सुनीं कि अल्लाह तआला मूसा (ﷺ) को हुक्म दे रहा है और नही कर रहा है कि यह करो और यह न करो, और उससे जब फ़ारिग़ हो गए, बादल हट गया और मूसा (ﷺ) उन लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुए तो वह मूसा (ﷺ) से कहने लगे कि हम तो उस वक़्त तुम पर ईमान लाएँगे कि तुम हमें ऐलानिया रब दिखला दो। (2/बक़रह : 55) उस गुस्ताख़ी में उन्हें बिजली ने आ पकड़ा। उनकी रूहें जिस्म से निकल गईं, मर गए। मूसा (ﷺ) यह देखकर अल्लाह तआला के पास आहवज़ारी (दरख़्वास्त) करने लगे कि अल्लाह! अगर तू इन्हें हलाक ही करना चाहता था तो इनके साथ मुझे भी हलाक कर देता, इन्होंने बेवक़ूफ़ी वाली हरकत की। मेरे पीछे क्या तू बनी इस्राईल को हलाक कर देगा।

अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है कि मूसा (ﷺ) और हारून (ﷺ) व शिब्र व शबीर (नेक निय्यती से) यह सब मिलकर एक पहाड़ की वादी की तरफ़ गए। हारून (ﷺ) एक टीले पर खड़े थे कि अल्लाह तआला ने उन्हें मौत दे दी। मूसा (ﷺ) बनी इस्राईल की तरफ़ लौटे तो उन्होंने हारून (ﷺ) को पूछा। मूसा (ﷺ) ने कहा, वह मर गए। वह कहने लगे कि नहीं! तुमने क़त्ल किया होगा, वह बड़े नर्म मिज़ाज आदमी थे। मूसा (ﷺ) ने कहा, अच्छा! तुम कुछ आदमी चुन लो, उन्होंने सत्तर आदमी चुन लिए। अब हारून (ﷺ) की लाश पर गए और पूछा, हारून (ﷺ)! तुमको किसने क़त्ल किया? हारून (ﷺ) से आवाज़ आई, "मुझे तो किसी ने क़त्ल न किया, मैं तो अपनी मौत मरा हूँ।" अब यह लोग कहने लगे, "ऐ मूसा (ﷺ)! इसके बाद हम तुमसे कभी सरकशी नहीं करेंगे।" सज़ा यह मिली कि उन्हें एक कड़क ने आ लिया। मूसा (ﷺ) सीधे और बायें बेमअनी गर्दिश करते और कहते कि "ऐ परवरदिगार! क्या इन बेहूदों की बातचीत पर तू हमें हलाक कर देगा। यह तेरी आज़माइश थी तू जिसको चाहे गुमराह करे जिसको चाहे हिदायत दे। तो अल्लाह तआला ने उन सबको ज़िन्दा कर दिया और उन सबको अम्बिया बनाया।

यह बहुत ग़रीब और नाक़ाबिले यक़ीन हदीस है, रावियों में ओमारा बिन उबेद तो बिलकुल मज्हूल शख़्स है। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि इसलिए उन पर अज़ाब नाज़िल हुआ था कि गोशाला परस्ती को चुपचाप देखते रहे थे और क़ौम को उस शिर्क से मना तक नहीं किया था। इसीलिए हज़रत मूसा (ﷺ) ने उनको बेवक़ूफ़ों का नाम दिया था और कहा था कि ऐ परवरदिगार! यह तेरा इब्तिला और इम्तिहान है। चुनाँचे अल्लाह तआला की यूँ हम्दो सना की कि यह तो तेरी तरफ़ से आज़माइश है, तेरा ही हुक्म चलता है और तू जो चाहता है वही होता है, हिदायत व गुमराही तेरे ही पास है, जिसे तू राह दिखाए उसे कोई बहका नहीं सकता और जिसे तू गुमराह कर दे उसे कोई राह नहीं दिखा सकता। तू जिससे रोक ले, उसे कोई दे नहीं सकता और जिसे तू दे उससे कोई छीन नहीं सकता, मुल्क का मालिक तू ही है और हाकिमों का हाकिम भी सिर्फ़ तू ही है, ख़ल्क़ व अम्र सब तेरी ही तरफ़ से है।

फिर मूसा (ﷺ) ने दुआ की कि "ऐ अल्लाह! तू हमारा वली है हमें बख़्श दे हम पर रहम फ़र्मा। तू ख़ैरुल ग़ाफ़िरीन है।" ग़फ़र के मअनी ढाँपना, छुपाना और गुनाह पर मुवाख़िज़ा न करना, और ग़ुफ़रान के साथ जब रहमत का जोड़ हो जाए तो यह मतलब है कि बख़्श देने के बाद फिर अल्लाह तआला उसको आइन्दा मुब्तला-ए-गुनाह न होने दे। ऐ अल्लाह तआला! दुनिया में भी तू हमें नेकी दे और आख़िरत में भी (हसना) की तफ़्सीर सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है हम तौबा करते हैं और तेरी तरफ़ रुजूअ करते हैं।

हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं कि उनका नाम यहूद इसलिए पड़ गया कि उन्होंने (हुद्ना इलैक) कहा था।

रहमते इलाही की वुस्अतें (आयत 156) : मूसा (ﷺ) ने कहा था कि ऐ अल्लाह तआला! यह तेरा फ़ित्ना तेरा अज़ाब है, तो इर्शाद होता है कि अज़ाब उसी को पहुँचता है जिसके लिए मेरा इरादा होता है कि उसको अज़ाब होना चाहिए वरन मेरी रहमत तो हर चीज़ पर वसीअ है, जैसा चाहूँ करूँ। हर बात में हिक्मत और अदल मेरा ही हक़ है। रहमत वाली आयत बहुत अज़ीम आयत है और सब पर शामिल है। जैसाकि अर्श को उठाने वाले फ़रिश्तों की ज़ुबान में इर्शाद होता है कि ऐ अल्लाह तआला! तेरी रहमत और तेरा इल्म सब पर हावी है।

कहते हैं कि एक आराबी आया, ऊँटनी को बिठाकर बाँध दिया, फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर अपनी ऊँटनी खोली, उस पर सवार होकर यह दुआ करने लगा कि, ऐ अल्लाह तआला! मुझ पर और मुहम्मद (ﷺ) पर अपनी रहमत कर, हमारी रहमत में किसी को शरीक न बना। तो आप (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) से फ़र्माया, "बताओ तो यह ज़्यादा गुमराह और बेवक़ूफ़ है या उसका ऊँट?" तुमने सुना जो उसने कहा? लोगों ने कहा, हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "उसकी बड़ी वसीअ रहमत है, उसने रहमत के सौ हिस्से किए हैं, एक हिस्सा सारी ख़िल्क़त पर तक़सीम (बांट) कर दिया है। जिन्न व इंस व बहाइम सबको उसी एक में से हिस्सा मिला है और बाक़ी निन्नान्वे (99) हिस्से अपने लिए ख़ास रखे हैं, अब तुम्हीं बताओ कि उन दोनों में कौन ज़्यादा बेवक़ूफ़ है। (अबूदाऊद, किताबुल अदब, बाब मन लैसत लहू ग़ैबत : 4885; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू अब्दुल्लाह जशमी मज्हूल रावी है। अहमद : 4/312) अल्लाह तआला ने अपनी रहमत के सौ हिस्से किए हैं जिनमें से सिर्फ़ एक ही हिस्सा दुनिया में उतारा, उसी से मख़्लूक़ एक दूसरे पर तरस खाती है और रहम करती है, उसी से हैवान अपनी औलाद के साथ नर्मी और रहम का बर्ताव करते हैं। बाक़ी निन्नान्वे (99) हिस्से उसके पास ही हैं जिनका इज़्हार क़यामत के दिन होगा। (सहीह मुस्लिम, किताबुत्तौबा, बाब फ़ी सअति रहमतिल्लाहि तआला व अन्नहा तग़्लिब ग़ज़बहू : 2753; अहमद : 5/439; इब्ने हिब्बान : 6146; तबरानी : 6126) और क़यामत के दिन उसी हिस्से के साथ और निन्नान्वे हिस्से जो मुअख़्ख़र हैं मिला दिए जाएँगे।" (अहमद : 3/55, 56; व सनदुहू हसन; इसकी सनद आसिम बिन बहदला की वजह से हसन दर्जे की है।) और रिवायत है कि "उसी नाज़िलकर्दा एक हिस्से में चरिन्द व परिन्द भी शामिल हैं। (इब्ने माजा, किताबुज़्ज़ुहद, बाब मा यरजा मिन रहमतिल्लाहि यौमल क़ियामा : 4294; वहुव सहीहुन; अहमद : 3/55; मुस्नद अबी यअला : 1098) अल्लाह तआला की क़सम! जो बलिहाज़े दीन फ़ाजिर है जो ब लिहाज़े कस्बे मआश अहमक़ है वह भी इसमें दाख़िल है। अल्लाह तआला की क़सम! वह भी जन्नत में जाएगा जिसको आग ने गुनाहों की वजह से घेर रखा हो, उसकी रहमत क़यामत में ऐसी छा जाएगी कि इब्लीस को भी उसमें से कुछ मिलने की उम्मीद पैदा हो जाएगी।" (मुअजमुल कबीर : 3022; यह रिवायत हम्माद बिन अबी सुलेमान के इख़्तिलात और तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है। मज्मउज़्ज़वाइद : 10/216) यह हदीस बहुत ग़रीब है। सअद इसके रावियों में एक ग़ैर मारूफ़ शख़्स है। मेरी रहमत के मुस्तहिक़ वह होंगे जो मुझसे डरते हैं और परहेज़गारी इख़्तियार करते हैं। जैसा कि फ़र्माया, तुम्हारे रब ने अपनी ज़ात के लिए रहमत को फ़र्ज़ क़रार दे लिया है। परहेज़गारी करते हैं यानी शिर्क और कबीरा गुनाहों से बचते हैं और ज़कात देते हैं। कहा गया कि ज़कात से ज़काते नुफ़ूस मुराद है या ज़काते अम्वाल या यह कि दोनों मुराद हों, क्योंकि यह आयत मक्की है और वह लोग जो हमारी आयतों को मानते और उनकी तस्दीक़ करते हैं।

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ
عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

तर्जुमा : ''जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तिबाअ़ करते हैं जिनको वह लोग अपने पास तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं वह उनको नेक बातों का हुक्म देता है और बुरी बातों से मना करता है और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल बताता है और गंदी चीज़ों को उन पर हराम करता है और उन लोगों पर जो बोझ और तौक़ थे उनको दूर करता है। तो जो लोग उस नबी पर ईमान लाते हैं और उनकी हिमायत करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उस नूर की इत्तिबाअ़ करते हैं जो उनके साथ भेजा गया है ऐसे लोग पूरी फ़लाह पाने वाले हैं।'' (157)

रिसालते मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लाए बग़ैर नजाते आख़िरत मुम्किन नहीं (आयत 157) : जो लोग नबी उम्मी की पैरवी करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, उन्हें उस पेशगोई का इल्म है जो उनकी किताबों तौरात व इंजील में नबी उम्मी (अनपढ़) के बारे में हुई है। कुतुबे अम्बिया (عليهم السلام) में नबी अकरम (ﷺ) की सिफ़त ज़िक्र की गयी है। जिन्होंने अपनी अपनी उम्मत को आपकी बिअ़सत की ख़ुशख़बरी दी है और उनका मज़हब इख़्तियार करने की हिदायत की है। उनके उलमा और राहिब उस चीज़ को जानते हैं। मुस्नद इमाम अहमद में है कि एक बद्दू ने बयान किया है कि नबी अकरम (ﷺ) के ज़माने में मैं दूध बेचने के लिए मदीने गया। बेअ़ से फ़ारिग़ होने के बाद मैंने कहा, चलो उन (मुहम्मद) से भी मिल लूँ, और उनसे कुछ बातें सुनूँ। मैंने देखा कि आप (ﷺ) अबूबक्र और उमर (रज़ि.) के साथ जा रहे हैं, मैं भी पीछे हो लिया। यह तीनों एक यहूदी के घर पहुँचे जो तौरात जानता था। उसका लड़का क़रीबुल मौत था, नौजवान और ख़ूबसूरत। वह उसके पास बैठा ताज़ियते नफ़्स की ख़ातिर तौरात पढ़ रहा था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उस यहूदी से बातें करने लगे और कहा कि ''तुम्हें तौरात नाज़िल करने वाले की क़सम है सच बताओ इसमें मेरा ज़िक्र और मेरी बिअ़सत की ख़बर भी है कि नहीं।'' उसने सिर हिलाकर कहा, ''नहीं! तो उसका क़रीबुल मौत नौजवान लड़का बोल उठा कि तौरात नाज़िल करने वाले की क़सम! कि हम अपनी किताबों में आप (ﷺ) की सिफ़त और बिअ़सत की ख़बर पाते हैं और मैं गवाही देता हूँ कि आप (ﷺ) अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं। जब वह मर गया तो

आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "यह मुसलमान है यहूदियों को यहाँ से हटा दो।" फिर आप (ﷺ) ने उसके कफ़न और नमाज़ का इंतिज़ाम किया। (अह़मद : 5/411; सनदुहू ज़ईफ़ुन; हैसमी कहते हैं कि इसकी सनद में अबू सख़र को मैं नहीं जानता (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 8/234) यह रावी सह़ाबी नहीं है। इसके अलावा सही ह़दीस में यहूदी लड़के के इस्लाम लाने का क़िस्सा मुख़्तसरन मौजूद है। देखिए सही मुस्लिम : 1356; अबूदाऊद : 3095; अह़मद : 3/380) यह ह़दीस जय्यद और क़वी है और सह़ीह़ बुख़ारी में ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है।

हिशाम बिन आ़स (रज़ि.) से रिवायत है कि हिरक़्ल शाहे रोम के पास तब्लीग़े इस्लाम के लिए मैं और एक आदमी भेजे गए, हम चले और ग़ौता दमिश्क़ तक पहुँचे, जब्ला बिन ऐहम ग़स्सानी के महल को गए। वह साह़िबे तख़्त था। हमारे पास एक सफ़ीर को भेजा कि बात करे कि क्या कहना है। हमने कहा, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम बादशाह से बात करने के लिए भेजे गए हैं, उसने बुला लिया तो उसी से बात करेंगे। हमें तुमसे कुछ कहना नहीं है। उसने जाकर बादशाह को ख़बर दी। उसने बुला लिया और कहने लगा, कहो क्या कहना चाहते हो। हिशाम बिन आ़स (रज़ि.) ने उससे बातचीत और इस्लाम की दअ़वत दी। वह स्याह कपड़े पहने था। हिशाम (रज़ि.) ने कहा, यह स्याह कपड़े क्यूँ हैं? जब्ला ने कहा, मैंने क़सम खा रखी है कि यह स्याह लिबास न उतारूँगा जब तक कि तुम लोगों को शाम (सीरीया) से न निकाल दूँ। हमने कहा, अल्लाह की क़सम! हम यह तख़्त तुमसे लेने वाले हैं और मुल्के आ़ज़म का मुल्क भी इंशाअल्लाह हमारे क़ब्ज़े में आ जाएगा। हमारे नबी अकरम (ﷺ) ने इसकी पेशीनगोई कर दी है। उसने कहा, तुम वह लोग नहीं हो वह ऐसे लोग होंगे कि दिन में रोज़ा रखते हैं, रातों को नमाज़ पढ़ते हैं। तुम बताओ, तुम्हारा रोज़ा कैसा है? हमने पूरी तरह़ बता दिया तो गोया उसके चेहरे पर स्याही दौड़ गई। उसने कहा, अच्छा जाओ बादशाह से मिलो, और हमारे साथ एक रहबर कर दिया। हम उसकी रहनुमाई में चले और जब हम शहर के क़रीब पहुँचे तो हमारे रहबर ने हमसे कहा कि तुम उन सवारियों और ऊँटनियों को लेकर शहर में दाख़िल नहीं हो सकते, तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए घोड़े और ख़च्चर मुहय्या कर दें। हमने कहा, अल्लाह तआ़ला की क़सम! हम तो इन्हीं पर सवार रहेंगे। उसने बादशाह को लिख भेजा कि इन्हें दूसरी सवारियों पर बैठने से इंकार है। बादशाह ने ऊँटनियों पर ही सवार आने की इजाज़त दे दी। हम अपनी तलवारें लटकाए हुए बादशाह के मह़ल तक पहुँचे, अपनी सवारियाँ वहाँ बिठा दीं। बादशाह अपने मह़ल के बालाख़ाने से हमें देख रहा था। हमने उतरते ही कहा (ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर) अल्लाह तआ़ला जानता है कि हमारी आवाज़ तक्बीर से सारा मह़ल लरज़ा उठा गोया आँधियों ने उसको हिला दिया। बादशाह ने कहला भेजा कि तुमको अपने दीन का इस त़रह़ मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए फिर हमें बुला भेजा। हम दाख़िले दरबार हुए, वह अपनी मस्नद पर बैठा हुआ था और पॉप, पादरी और अ़माइदे सल्तनत उसके आस पास बैठे हुए थे। उसकी मज्लिस की हर चीज़ लाल थी, सारा माह़ोल लाल, उसके कपड़े भी लाल। हम उसके क़रीब गए, वह हँसा और कहने लगा कि तुम आपस में जिस त़रह़ सलाम कर लिया करते हो, मुझे क्यूँ नहीं किया? उसके पास एक फ़सीह़ुल कलाम अ़रबी जानने वाला तर्जुमान मौजूद था। हमने उसके ज़रिये यह कहा कि हम बाहम जो सलाम कह लिया करते हैं वह आपके सज़ावार नहीं और आपका जो त़रीक़ा अदबो सलाम है वह हमारे लिए सज़ावार नहीं कि वह त़रीक़-ए-ताज़ीम वह शेव-ए-

सलाम व कलाम हम आपके लिए करें। उसने कहा, तुम्हारा बाहमी सलाम कैसा होता है? हमने कहा (अस्सलामु अलैक) उसने पूछा, तुम अपने बादशाह को किस तरह सलाम करते हो? हमने कहा, उन्हें भी इसी तरह। उसने पूछा, कि वह किस तरह जवाब देता है? हमने कहा, वह भी यही अल्फ़ाज़ कहकर जवाब देते हैं। उसने पूछा, तुम्हारा इम्तियाज़ी नारा क्या है? हमने कहा (ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर) जब हमने बआवाज़े बुलंद यह कहा तो सारा महल लरज़ा गया, हत्ताकि वह घबराकर सर उठाकर देखने लगा कि छत तो नहीं गिरेगी। वह कहने लगा, यह कलिमा जो तुमने कहा जिससे मकान हिल गया तो जब कभी तुम अपने घरों में कहते हो तो क्या तुम्हारे घर भी काँप उठते हैं? हमने कहा, नहीं! हमने ऐसा कभी नहीं किया, सिवाए आपके महल के। कहा क्या अच्छा होता कि जब कभी तुम लोग यह नारा लगाते तो तुम्हारी हर चीज़ भी लरज़ा जाती और इस नारे की ज़द से मेरा आधा मुल्क मार खा जाता, और आधा रह जाता। हमने पूछा, ऐसा क्यूँ? तो कहा यह आसान है उस बात से कि अम्रे नबुव्वत मुस्तहकम और क़ायम हो जाए। फिर हमसे आने की ग़र्ज़ पूछी, हमने मक़्सद बता दिया। पूछा तुम्हारा नमाज़ रोज़ा कैसा होता है? हमने मालूम करा दिया। उसने अब हमें रुख़्सत किया। हमें ज़ियाफ़तख़ाने में ठहराया, हमारी मेहमानी की। हम वहाँ तीन दिन ठहरे फिर एक रात हमें बुला भेजा। हम गए, फिर हमसे पूछा, फिर हमने अपना मक़्सद दोहराया। अब उसने एक बहुत बड़ी चीज़ सोने चाँदी से जड़ाव मँगवाई, उसमें छोटे छोटे ख़ाने बने हुए थे, उसमें दरवाज़े लगे हुए थे। उसने एक ख़ाना का क़ुफ़्ल खोला और उसमें से एक स्याह रेशमी कपड़ा निकाला, उसमें एक लाल तस्वीर बनी हुई थी। एक आदमी की तस्वीर थी जिसकी बड़ी बड़ी आँखें थीं, मोटी रानें, लम्बी और घनी दाढ़ी, सर के बाल दो हिस्सों में निहायत ख़ूबसूरत और लम्बे लम्बे। कहने लगा, क्या इसको जानते हो। हमने कहा, नहीं! कहने लगा, यह आदम (عليه السلام) हैं इनके जिस्म पर बहुत बाल थे। फिर और एक डिब्बे का क़ुफ़्ल (ताला) खोला। उसमें से भी एक स्याह रेशमी कपड़ा निकाला। उसमें एक गोरे रंग के आदमी की तस्वीर बनी हुई थी। घुँघराले बाल, लाल आँखें, बड़ा सा सर, ख़ूबसूरत दाढ़ी। कहने लगा, यह नूह (عليه السلام) है। फिर और एक डिब्बे में से एक और तस्वीर निकाली। बहुत ही गोरा रंग, ख़ूबसूरत सी आँखें, कुशादा पेशानी, खड़ा चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी हँसमुख चेहरा, कहा जानते हो कि यह कौन है? यह इब्राहीम (عليه السلام) हैं। फिर एक और डब्बा खोला। एक रोशन और गोरे रंग की तस्वीर थी और वह मुहम्मद (ﷺ) की थी। पूछा, क्या इन्हें जानते हो, हमने कहा, हाँ! यह मुहम्मद (ﷺ) हैं, तस्वीर देखकर हम पर ख़ौफ़ तारी हो गई। वह कहने लगा कि अल्लाह तआला ही जानता है कि यही मुहम्मद (ﷺ) हैं। फिर वह खड़ा हो गया, फिर बैठ गया और कहने लगा कि अल्लाह तआला की क़सम! क्या यह वही हैं? हमने कहा, हाँ! वही हैं उस तस्वीर को देखकर तुम यह समझ लो कि आप ही को देखा है। फिर कुछ देर तक उस सूरत को घूरता रहा। फिर कहा, यह आख़िरी डब्बा था। लेकिन मैंने उसको सबके आख़िर में बताने के बजाए दूसरे डिब्बे छोड़कर बीच में बता दिया ताकि तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लूँ। फिर और एक तस्वीर निकाली जो गंदुम गूँ और नर्म सूरत थी। घुँघराले बाल, गढ़ी हुई आँखें, तेज़ नज़र, ग़ुसैला चेहरा, जड़े हुए दाँत, मोटे होंठ। कहने लगा, यह मूसा (عليه السلام) की तस्वीर है, इसके मुत्तसिल एक और तस्वीर थी जो शक्लो सूरत में उससे मुशाबिहत रखती थी। मगर यह कि बालों में तेल पड़ा हुआ, कंघी की हुई, कुशादा पेशानी, आँखें बड़ी। कहने लगा, यह हारून बिन इमरान (عليه السلام) हैं। फिर एक डिब्बा में से एक तस्वीर निकाली। गंदुमी रंग, म्याना क़ामत, सीधे बालों वाले। चेहरे से रंज व ग़ज़ब आशकार। यह लूत (عليه السلام) हैं।

फिर एक सफ़ेद रंग का रेशमी कपड़ा निकाला। एक सुनहरे रंग का आदमी जिसका क़द लम्बा न था, रुख़सार हल्के थे चेहरा ख़ूबसूरत था। कहा यह हज़रत इस्हाक़ (अलै.) हैं। फिर एक और दरवाज़ा खोला, उसमें से सफ़ेद रेशमी कपड़ा निकालकर हमें दिखाया, उसकी शक्ल इस्हाक़ (अलै.) की तस्वीर से बहुत मिलती जुलती थी मगर उसके होंठ पर तिल था। कहा, यह याक़ूब (अलै.) हैं। फिर एक काला कपड़े वाली तस्वीर बताई। गोरा रंग बहुत ख़ूबसूरत चेहरा, चेहरे पर नूर और इख़्लास व ख़ुशूअ के आसार नुमायाँ, रंग सुर्ख़ी माइल, कहा यह इस्माईल (अलै.) हैं। फिर और एक डिब्बे में से सफ़ेद रेशमी कपड़ा निकाला, जिसके अंदर की तस्वीर आदम (अलै.) की तस्वीर से मिलती जुलती थी, चेहरे पर आफ़ताब चमक रहा था। कहा, यह यूसुफ़ (अलै.) हैं। फिर और एक तस्वीर निकाली। लाल रंग, भरी पिण्डलियाँ, बड़ी आँखें, बड़ा पेट, छोटा क़द, शमशीर आवेज़ाँ। कहा यह दाऊद (अलै.) हैं। फिर और एक तस्वीर निकाली। मोटी रानें, लम्बे पैर, घोड़े पर सवार, कहा, यह सुलेमान (अलै.) हैं। फिर और एक तस्वीर निकाली, जवान, स्याह दाढ़ी, घने बाल, ख़ूबसूरत आँखें, ख़ूबसूरत चेहरा, कहा यह ईसा बिन मरियम (अलै.) हैं। हमने कहा, यह तस्वीरें आपको कहाँ से मिलीं, हम जानते हैं कि यह तस्वीरें ज़रूर अम्बिया (अलै.) की होंगी। क्योंकि हमने अपने नबी की तस्वीर भी सही पाई है। फिर कहने लगा कि आदम (अलै.) ने अल्लाह तआला से सवाल किया था कि मेरी अम्बिया औलाद को मुझे बता तो अल्लाह तआला ने उन अम्बिया (अलै.) की तस्वीरें हज़रत आदम (अलै.) को दीं, उसको आदम (अलै.) ने मग़रिबी मुल्क में महफ़ूज़ रख दिया था, जुल्क़रनैन ने उसको निकाला और दानियाल (अलै.) के सुपुर्द किया। फिर कहने लगा, मैं तो यह चाहता था कि अपना मुल्क छोड़ दूँ और तुममें से किसी कमतरीन का ग़ुलाम हो रहूँ, हत्ताकि मुझे मौत आ जाए।

अब हमें रुख़सत कर दिया, इन्आम व इकराम दिया, जाने के इंतिज़ामात कर दिए। जब हम अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पास आए, उनसे यह वाक़िया बयान किया तो वह रोने लगे और कहा, अगर अल्लाह तआला उसको तौफ़ीक़ देता तो वह ज़रूर ऐसा करता। फिर फ़र्माया कि, नबी करीम (सल्ल.) ने हमें ख़बर दी है कि "यहूदी अपनी किताब में नबी अकरम (सल्ल.) की सिफ़ात पाते हैं।" (दलाइलुन्नुबुव्वत : 1/385, 390) अता बिन यसार (रह.) कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से मैंने मुलाक़ात की और तौरात में नबी अकरम (सल्ल.) के बारे में पेशीनगोई का पूछा, तो कहा, हाँ! अल्लाह तआला की क़सम! तौरात में भी आपका ऐसा ही ज़िक्र है जैसे कुरआन में है कि ऐ नबी! हमने तुमको उम्मत का गवाह बना दिया और जन्नत की ख़ुशख़बरी देने वाला और दोज़ख़ से डराने वाला और अवाम का पुश्तपनाह बनाया है। (33/अहज़ाब : 45) तुम मेरे बन्दे और रसूल हो, तुम्हारा नाम मुतवक्किल है, तुम न सख़्तगीर हो, न संगदिल। तुमको उस वक़्त तक अल्लाह तआला न बुलाएगा जब तक कि उस ग़लत राह चलने वाली क़ौम को तुम सीधा न कर लो, और जब तक वह ईमान न ले आएँ और उनके दिलों से पर्दे न उठ जाएँ और कान सुनने और आँखें देखने न लगें। फिर अता (रह.) की मुलाक़ात हज़रत कअब (रज़ि.) से हुई तो यही सवाल उनसे किया तो बयान में एक हर्फ़ का भी इख़्तिलाफ़ न पाया सिवा इसके कि वह अपनी ज़ुबान में (ग़ल्फ़न) को (ग़ुलूफ़ियन) और (सम्मन) को (सुमूमियन) और (उम्यन) को (उमूमियन) कहते थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल बुयूअ, बाब कराहियतुस् सख़ब फ़िस्सूक़ : 2125, 4838) लेकिन यह जुम्ले बढ़ा दिए कि वह बाज़ारों में शोरो गुल न करेंगे, वह बुराई

का बदला बुराई से नहीं देते हैं, दरगुज़र कर देते हैं, और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की ह़दीस का ज़िक्र किया फिर कहा कि सल्फ़ के कलाम में लफ़्ज़ तौरात का इत्लाक़ उ़मूमन कुतुबे अहले किताब पर होता है और कुतुबे अह़ादीस में भी कुछ ऐसा ही वारिद है, वल्लाहु आलम! जुबैर बिन मुत्इम (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं शाम की त़रफ़ तिजारत की ग़र्ज़ से निकला। जब मैं मुल्के शाम के क़रीब पहुँचा तो अहले किताब में से एक आदमी से मुलाक़ात हुई। उसने पूछा कि क्या तुम्हारे मुल्क में कोई शख़्स नबी आया हुआ है? मैंने कहा, हाँ! उसने कहा, क्या तुम उसकी तस्वीर पहचान सकते हो, मैंने कहा, हाँ! तो वह मुझे एक घर में ले गया, जिसमें तस्वीरें थीं। मगर मैंने नबी करीम (ﷺ) की कोई तस्वीर नहीं देखी। हम इसी बातचीत में थे कि एक शख़्स और आया। उसने कहा, क्या बात है? हमने ख़बर दे दी तो वह हमें अपने घर ले गया। घर में दाख़िल होते ही मैंने नबी करीम (ﷺ) की तस्वीर देखी और यह भी कि तस्वीर में एक शख़्स नबी अकरम (ﷺ) के पीछे खड़ा हुआ है। मैंने कहा, यह कौन है जो इनके पीछे इन्हें थामे हुए खड़ा है? उसने कहा, यह नबी तो नहीं है लेकिन अगर उनके बाद कोई नबी होते तो यही होते, उनके बाद कोई नबी न आएगा। लेकिन यह उनका जानशीन होगा। (मुअजमुल कबीर : 1537; व सनदुहू ज़ईफ़; मुअजमुल औसत़ : 8227; हैसमी कहते हैं कि इसकी सनद में मज्हूल रावी है देखिए (मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 8/233)

अक़रअ मुअज़्ज़िने उ़मर कहते हैं कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने मुझे एक पादरी को बुला लाने के लिए भेजा। मैं बुला लाया, उससे ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने पूछा, क्या तुम किताब में मेरा भी ज़िक्र पाते हो? कहा, हाँ! किताब में आपको क़र्न कहा गया है। आपने अपना दुर्रा उठाकर कहा, क़र्न क्या बात? उसने कहा, इससे मुराद है "मर्दे अहन्ना" "अमीरे शदीद"। फिर उ़मर (रज़ि.) ने पूछा, अच्छा मेरे बाद? कहा, हाँ! आपके जानशीन एक मर्दे स़ालेह़ होगा, लेकिन वह अपने अहले क़राबत को बहुत तर्जीह़ देगा। तो उ़मर (रज़ि.) कहने लगे, "अल्लाह तआ़ला उ़स्मान (रज़ि.) पर रह़म करे" तीन बार कहा। फिर कहा, उसके बाद कौन होगा? कहा, पारा आहिन की त़रह़ एक शख़्स, उ़मर (रज़ि.) समझ गए कि अ़ली (रज़ि.) मुराद हैं। आपने अपना सर पकड़ लिया और अफ़सोस करने लगे। उसने कहा, या अमीरल मोमिनीन! वह ख़लीफ़ा स़ालेह़ है लेकिन वह उस वक़्त ख़लीफ़ा होंगे जबकि तलवार म्यान से निकाल ली गई होगी और ख़ून बह रहा होगा। (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल ख़ुलफ़ाअ : 4656; व सनदुहू स़ह़ीह़ुन; अल्अक़रअ सिक़तुन व अख़्त़ा मन क़ाल : ला यअ़रिफ़ु)

अल्लाह तआ़ला का क़ौल है कि नबी नेक बातों का हुक्म करते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। यह रसूलुल्लाह (ﷺ) की सिफ़त है जो कुतुबे मुक़द्दसा में दर्ज है, और वाक़ेई ह़ुज़ूर (ﷺ) का यही ह़ाल था कि ख़ैर के सिवा कुछ न कहते और उसी बात से रोकते जो बुरी होती। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से मरवी है कि जब तुम क़ुरआन में यह पढ़ो (या अय्युहल् लज़ीन आमनू) तो कान लगा दो कि शायद कोई ख़ैर का हुक्म दिया जाने वाला है, या किसी बुराई से रोका जाने वाला है। और सबसे अहम चीज़ जिसका अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया है कि अल्लाह तआ़ला की बिला शिर्कते ग़ैर इबादत करो, किसी और को उसका शरीक न बनाओ। तमाम अम्बिया (عليهم السلام) इसी मक़्सद के तह़त भेजे गए थे। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया है कि "हमने हर क़ौम के अंदर अपने पैग़म्बर भेजे हैं कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की करो और बुतों की पूजा

से दूर रहो।'' (16/नह्ल : 36)

अबू उसैद (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''जब तुम मुझसे मरवी कोई ह़दीस सुनो जिसको तुम्हारे दिल मान लें, तुम्हारे शऊर (समझ) उससे नर्म हो जाएँ और तुम यह बात मह़सूस करो कि यह बात तुम्हारी ज़हनियत से क़रीबतर है, तो यक़ीनन तुम्हारी बनिस्बत ज़हनियत उससे क़रीबतर होगी। यानी वह मेरी ह़दीस हो सकती है और अगर ख़ुद तुम्हारे दिल उस ह़दीस का इंकार करें और वह बात तुम्हारी ज़हनियत और शऊर (समझ) से दूर हो तो समझो कि तुम्हारी बनिस्बत मेरी ज़हनियत से दूरतर होगी और वह मेरी ह़दीस न होगी।'' (अह़मद : 5/425; व सनदुहू स़ह़ीहुन; मज्मउज़्ज़वाइद : 1/149) ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि जब तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) की कोई ह़दीस सुनो, तो उसके बारे में वही गुमान करो जो ज़्यादा सही गुमान हो और जो ज़्यादा मुबारक हो और ज़्यादा पाकीज़ा हो। (अह़मद : 1/122; सुनन इब्ने माजा, अल्मुक़द्दमा, बाब ताज़ीम ह़दीसे रसूलुल्लाह (ﷺ) : 20; व सनदुहू स़ह़ीहुन; दारमी : 592; इसकी सनद बुख़ारी मुस्लिम की शर्त पर सही है। देखिए (अल्मौसूअतुल ह़दीसिया : 2/283) इर्शादे बारी है कि ''उसने त़य्यिबात तुम्हारे लिए ह़लाल कर रखे हैं और ख़बाइस ह़राम कर दिए हैं,जैसे बह़ीरा और साइबा और वस़ीला और ह़ाम, यह ह़लाल हैं लेकिन ज़बरदस्ती ह़राम कर रखे हैं। उससे अपनी ज़ात पर और तंगी कर ली है और जो ख़बाइस अल्लाह तआ़ला ने ह़राम किए हैं, जैसे लह़्मे ख़िंज़ीर (सूअर का गोश्त) और रिबा (सूद/ब्याज) और खाने की जो चीज़ें अल्लाह तआ़ला ने ह़राम कर दी थीं, उन्हें ह़लाल बना लिया। अल्लाह तआ़ला ने हर वह चीज़ जो ह़लाल कर रखी है उसका खाना बदन को नफ़ा बख़्शता है दीन का मददगार होता है और जिसको अल्लाह तआ़ला ने ह़राम कर दिया वह जिस्म और दीन दोनों के लिए नुक़्सानदायक है। वह लोग जो अ़क़्ली तौर पर ख़ूबी और ख़राबी को जाँचते हैं, वह इसी आयत से तमस्सुक करते हैं। इस तख़य्युल का जवाब भी दिया गया है लेकिन यहाँ इन तमाम तफ़्सीलात का मह़ल (जगह) नहीं है और इसी आयत से ह़ुज्जत क़ायम की है उन उ़लमा ने भी जो यह कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की ह़िल्लत और ह़ुर्मत के बारे में कोई ह़दीस न हो तो ह़लाल और ह़राम को जाँचने का यह मेयार हो सकता है कि बलिह़ाज़े अफ़ादियत किस चीज़ को अ़रब मुफ़ीद और त़य्यिब समझते हैं और किसको ख़बीस और मुज़िर (नुक़सानदेह) समझते हैं। इस तख़य्युल में भी बहुत कुछ बह़स हुई है। इर्शादे बारी तआ़ला है कि वह बोझ जो लोगों के दिलों पर था, रसूल उसको हल्का करते हैं और रिवाज की जिन ज़ंजीरों में वह जकड़े हुए थे, रसूल उनको हटा देते हैं। वह आसानी और बख़्शिश व मुआफ़ी लेकर आए हैं। जैसे ह़दीस है कि मैं आसान और आमेज़िश (मिलावट) से पाक दीन देकर भेजा गया हूँ। (इसकी तख़रीज सूरतुल बक़रह में आयत नम्बर 185 के तह़त गुज़र चुकी है।)

नबी अकरम (ﷺ) ने जब मुआ़ज़ और अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) को अमीरे यमन बनाकर भेजा था तो हिदायत की थी कि ''ख़ुशमिज़ाज और ख़ंदाजबीं रहो, लोग तुमसे वह़शत पज़ीर न हों, उनके लिए आसानियाँ पैदा करो, तंगी न डालो। लोगों में आ़दत मान लेने की हो, इख़्तिलाफ़ात की ज़हनियत न हो।'' (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) (यस्सिर वला तुअ़स्सिर) : 6124; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 1734; अह़मद : 3/131; मुस्नद अबी यअ़ला : 4173) ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) के स़ह़ाबी अबू बरज़ा असलमी (रज़ि.) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रहा हूँ आपकी आसानियाँ बख़्शने का

ख़ूब मुशाहिदा कर चुका हूँ। (सहीह बुख़ारी, किताबुल अमल फ़िस्सलाति, बाब इज़्न फ़लतित दाब्बतु फ़िस्सलाति : 1211) अगली उम्मतों में बड़ी सख़्तियाँ थीं। इस उम्मत पर वह अह़काम हल्के कर दिए गए हैं। इसीलिए हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "अल्लाह तआला मेरी उम्मत से दिल के ख़्यालात और इरादों पर गिरफ़्त नहीं करता जब तक कि वह ज़ुबान से बोल न दें या अमल न कर लें।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल इत्क़, बाब अल्ख़ताउ वन्निस्यान फ़िल इताक़ति वत्तलाक़ व नह्वहू... : 2528; सहीह मुस्लिम : 127; तिर्मिज़ी : 1183; अह़मद : 2/255; इब्ने माजा : 2044; इब्ने ह़िब्बान : 4334) फ़र्माया कि "मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान मुआफ़ कर दिया गया है। भूल चूक से अगर कुछ किया हो या बह़ालते जबर किया हो तो उसको क़ाबिले मुआफ़ी समझा गया है।" (इब्ने माजा, किताबुत्तलाक़, बाब तलाक़ुल मुक्रेह वन्नासी : 2045; वहुव सह़ीहुन; बैहक़ी : 7/356) इसीलिए अल्लाह तआला ने इस दुआ के मांगने की हिदायत फ़र्माई है

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ (2/बक़रह : 286)

सह़ीह मुस्लिम से साबित है कि इस दुआ के ज़रिये अल्लाह तआला से मांगा जाता है तो हर सवाल पर अल्लाह तआला फ़र्माता है, "अच्छा मैंने दिया, मैंने क़बूल किया।" (सह़ीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब तजावज़ल्लाहु तआला मिन ह़दीसिन्नफ़्स वल ख़वातिर बिल क़ल्बि... : 126; तिर्मिज़ी : 2992; अह़मद : 1/233; इब्ने ह़िब्बान : 5069) क़ौले बारी है कि जो लोग नबी अकरम (ﷺ) की अज़्मत करते हैं और उनके लाए हुए की पैरवी करते हैं, यही लोग दुनिया और आख़िरत में फ़लाह़ पाने वाले हैं।

***

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि ऐ लोगो! मैं तुम सब की तरफ़ उस अल्लाह तआला का भेजा हुआ हूँ जिसकी बादशाही है तमाम आसमानों और ज़मीन में। उसके सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं वही ज़िन्दगी देता है और वही मौत देता है। तो अल्लाह तआला पर ईमान लाओ और उसके नबी उम्मी पर जो कि अल्लाह तआला पर और उसके अह़काम पर ईमान रखते हैं और उनका इत्तिबाअ़ करो ताकि तुम राह पर आ जाओ।" (158)

नबी (ﷺ) की आलमगीर नबुव्वत (आयत 158) : ऐ नबी (ﷺ)! अरब व अजम और दुनिया जहान के लोगों से कह दो कि मैं सबकी तरफ़ रसूल बनकर आया हूँ। यह आप (ﷺ) के शर्फ़ व अज़्मत की दलील है कि नबुव्वत आप (ﷺ) पर ख़त्म हो गई और आप(ﷺ) क़यामत तक सारी दुनिया के पैग़म्बर हैं। और कह दो कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह है। तुम्हें तम्बीह करने के लिए अल्लाह तआला ने मुझ पर वही भेजी है। (6/अन्आम : 19) इर्शादे बारी है कि जो क़ौम नबी को न माने उसका ठिकाना दोज़ख़ है। (11/हूद : 17) और फ़र्माया कि "अहले किताब और ग़ैर अहले किताब सबसे कह दो कि इस्लाम लाते हो या नहीं? अगर वह इस्लाम लाएँ तो हिदायत पाएँगे, वरना तुम्हारा काम तो सिर्फ़ तब्लीग़ करना था।" (3/आले इमरान : 20) इस मज़्मून की इस क़द्र ज़्यादा अहादीस हैं कि शुमार दुश्वार है। और दीने इस्लाम की यह बात तो सबको मालूम है कि नबी अकरम (ﷺ) सारी दुनिया की तरफ़ भेजे गए हैं। अबुद्दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अबूबक्र व उमर (रज़ि.) में कुछ तेज़ बातचीत हो गई, अबूबक्र (रज़ि.) ने उमर (रज़ि.) को नाराज़ कर दिया। उमर (रज़ि.) रंजीदा वापिस लौट गए। अबूबक्र (रज़ि.) को एहसास हुआ, और वह उमर (रज़ि.) से मुआफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे ही गए लेकिन उमर (रज़ि.) ने घर में आने की इजाज़त न दी, दरवाज़ा बन्द कर लिया। अब अबूबक्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गए। अबुद् दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि हम भी उस वक़्त बैठे हुए थे। नबी अकरम (ﷺ) ने हमसे फ़र्माया, "तुम्हारे इस साथी ने उमर (रज़ि.) को गुस्सा दिलाया है।" फिर उमर (रज़ि.) को भी सिद्दीक़ (रज़ि.) को घर में आने की इजाज़त न देने पर नदामत हुई। वह भी नबी अकरम (ﷺ) के पास आए। सलाम करके बैठ गए और वाक़िया हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने बयान किया। नबी अकरम (ﷺ) फ़र्मा रहे थे कि "क्या तुम लोग मेरे दोस्त और साथी को छोड़ देना चाहते हो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ़ रसूल बनकर आया हूँ, तो तुम कहते थे कि झूठ कहते हो और अबूबक्र (रज़ि.) ने मेरी तस्दीक़ कर दी थी।" (सहीह बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुल आराफ़ बाब (क़ुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलयकुम जमीअन...) : 4640)

रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्वा तबूक में रात की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो आप (ﷺ) के कुछ अस्हाब (रज़ि.) आपकी हिफ़ाज़त व निगरानी करने लगे। नमाज़ पढ़ चुकने के बाद आप उनकी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़र्माया कि "आज की रात पाँच चीज़ें ख़ुसूसियत के साथ मुझे दी गई हैं कि मुझसे पहले यह मख़्सूस रिआयतें किसी दूसरे पैग़म्बर को नहीं दी गईं (1) यह कि मैं दुनिया जहान के लोगों की तरफ़ पैग़म्बर बनकर आया हूँ और उससे पहले कोई रसूल सिर्फ़ अपनी क़ौम ही की तरफ़ रसूल होकर आता रहा है। (2) मुझे सिर्फ़ रौब ही से दुश्मन पर मदद हासिल हो जाती है अगरचे मेरे और उसके बीच एक महिने भर की मसाफ़त की दूरी हो, मगर उस पर मेरा रौब छा जाता है। (3) माले ग़नीमत मेरे और मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया गया है। लेकिन मुझसे पहले माले ग़नीमत को खा जाना गुनाहे कबीरा था उसको जला दिया जाता था। (4) सारी ज़मीन मेरे लिए पाक है और मस्जिद है। जहाँ कहीं नमाज़ का वक़्त हो जाए, उसी मिट्टी से मसह किया और उस मिट्टी पर नमाज़ पढ़ ली। मुझसे पहले के लोग सिर्फ़ अपने गिरजाओं, कनीसों, और इबादतख़ानों ही में इबादत करते थे। (5) पाँचवीं यह चीज़ कि मुझसे कहा गया कि एक दरख़्वास्त की इजाज़त है मांग लो। हर

नबी ने मांग लिया, मैंने अपना सवाल यौमे क़यामत के लिए उठा रखा और वह तुम्हारे लिए है और तौहीद परस्तों के लिए है।'' (अहमद : 1/301; मुस्नद बज़्ज़ार : 3460; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; वफ़िल बाबि अहादीसुन उख़रा मुग़नियतुन अन्हू; मज्मउज़्ज़वाइद : 8/658) इसकी इस्नाद बहुत क़वी और जय्यद है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ''मेरी उम्मत से किसी यहूदी या नसरानी ने मेरे आने की ख़बर सुन ली, मगर मुझ पर ईमान नहीं लाया तो जन्नत में नहीं जा सकता।'' (अहमद : 4/398; सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 11241; मुस्नद तयालिसी : 509; हिल्यतुल औलिया : 4/308; व सनदुहू सहीहुन) यह हदीस सहीह मुस्लिम में एक दूसरी तरह से है। (सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब वुजूबुल ईमान बिरिसालति नबिय्यिना मुहम्मद (ﷺ) इला जमीइन्नास व नस्ख़ल मिलल बि मिल्लतिही : 153) मगर सबका मफ़्हूम एक ही है।

क़ौले बारी तआला है कि आसमान व ज़मीन की बादशाहत उसी की है वही ज़िन्दा करता है और मारता है। नबी मुकर्रम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''जिसने मुझे भेजा वह हर चीज़ का ख़ालिक़ है, रब है, मालिक है। मारना और ज़िन्दा करना उसी की कुदरत में है।'' हुक्म होता है कि अल्लाह तआला पर और उसके नबी उम्मी पर ईमान लाओ। अल्लाह पाक ख़बर देता है कि वह अल्लाह तआला के रसूल हैं, तुम्हारी तरफ़ भेजे गए हैं तुम उनकी इत्तिबाअ करो, उन पर ईमान लाओ, उन्हीं का तुम से वादा किया गया था। पहले की किताबों में उन्हीं की बशारत है और उसकी पैरवी करे तो सिराते मुस्तक़ीम की तरफ़ हिदायत पा जाए।

***

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

तर्जुमा : ''और क़ौमे मूसा (عليه السلام) में एक जमाअत ऐसी भी है जो हक़ के मुवाफ़िक़ हिदायत करते हैं और उसी के मुवाफ़िक़ इंसाफ़ भी करते हैं।'' (159)

बनी इस्राईल में एक जमाअत हक़ पर थी (आयत 159) : आगाह फ़र्माया जाता है कि बनी इस्राईल में ऐसे भी लोग हैं जो अम्रे हक़ की पैरवी करते हैं, हक़ की रहबरी करते हैं और अदलो इंसाफ़ हक़ को सामने रखकर करते हैं। जैसाकि फ़र्माया ''अहले किताब में भी एक जमाअत है जो रातों की घड़ियों में आयाते अल्लाह की तिलावत करती है और नमाज़ें पढ़ती है। और फ़र्माया कि कुछ अहले किताब अल्लाह तआला पर ईमान रखते हैं। तुम पर और उन पर जो कुछ उतरा है सबको मानते हैं, अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी करते हैं। दूसरे अहले किताब की तरह अल्लाह तआला की आयतों को रुपयों की लालच में नहीं बेचते। अल्लाह तआला के पास उनको बड़ा अज्र मिलेगा। अल्लाह तआला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जिन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी है वह इस पर ईमान लाते हैं और जब उन पर हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, यह कलाम हक़ है, हम अब भी मुसलमान हैं, इससे पहले भी मुसलमान थे। उन्हें उनके सब्र का दो बारा अज्र दिया जाएगा और फ़र्माया कि जिन्हें किताब दी गई है वह

उसका हक़्क़े तिलावत अदा करते हैं, यही मोमिन लोग हैं। और फ़र्माया कि वह लोग जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है यानी किताब, जब यह किताब उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है तो सर के बल सज्दे में गिर पड़ते हैं और सज्दे में उनका ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ बहुत बढ़ जाता है। बनी इस्राईल ने जब अपने अम्बिया को क़त्ल किया और कुफ़्र इख़्तियार किया तो वह बारह गिरोह थे। उनमें से एक गिरोह बक़िया ग्यारह के अक़ाइद से दूर था। उन्होंने अल्लाह तआला से दरख़्वास्त की कि ''ऐ अल्लाह! हममें और इनमें तफ़रीक़ कर दे।'' तो अल्लाह तआला ने ज़मीन के अंदर उनके लिए एक सुरंग पैदा कर दी वह उस पर चलते रहे यहाँ तक कि उसी राह मुल्के चीन में जा निकले। वहाँ हमारे मुवह्हिद मुसलमान थे जो हमारे ही क़िब्ला की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते थे। फिर इर्शाद होता है कि हमने उसके बाद बनी इस्राईल से कहा कि अब ज़मीन पर रहो बसो। और जब आख़िरत का वादा आएगा तो हम तुम्हें हाज़िर करेंगे। कहते हैं कि सुरंग में डेढ़ साल तक चलते रहे।

***

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَاَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ
اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰی ؕ كُلُوْا
مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۰﴾ وَاِذْ قِیْلَ
لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا
الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِیْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِیْدُ الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۱۶۱﴾ فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا
مِنْهُمْ قَوْلًا غَیْرَ الَّذِیْ قِیْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
یَظْلِمُوْنَ ﴿۱۶۲﴾ وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتِیْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ یَعْدُوْنَ فِی
السَّبْتِ اِذْ تَاْتِیْهِمْ حِیْتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّیَوْمَ لَا یَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِیْهِمْ ۛۚ
كَذٰلِكَ ۛۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

तर्जुमा : "और हमने बारह ख़ानदानों में बांट करके सबकी अलग अलग जमाअत मुक़र्रर कर दी, और हमने मूसा (ﷺ) को हुक्म दिया जबकि उनकी क़ौम ने उनसे पानी मांगा कि अपने असा (लाठी) को फ़लाँ पत्थर पर मारो, पस फ़ौरन उससे बारह चश्मे फूट निकले। हर-हर शख़्स ने अपने पीने का मौक़ा मालूम कर लिया और हमने उन पर बादल का साया किया और उनको तुरंजबीन और बटेरें पहुँचाईं। खाओ नफ़ीस चीज़ों से जो कि हमने तुमको दी हैं और उन्होंने हमारा कोई नुक़्सान नहीं किया लेकिन अपना ही नुक़्सान करते थे। (160) और जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम लोग उस आबादी में जाकर रहो और खाओ,उससे जिस जगह तुम रग़बत करो और ज़ुबान से यह कहते जाना कि तौबा है और झुके झुके दरवाज़े में दाख़िल होना, हम तुम्हारी ख़ताएँ मुआफ़ कर देंगे जो लोग नेक काम करेंगे उनको मज़ीद बराँ और देंगे। (161) तो बदल डाला उन ज़ालिमों ने एक और कलिमा जो ख़िलाफ़ था उस कलिमे के जिसकी उनसे फ़र्माइश की गई थी उस पर हमने उन पर एक आफ़ते आसमानी भेजी उस वजह से कि वह हुक्म को ज़ाया करते थे। (162) और आप उन लोगों से उस बस्ती वालों का जो कि दरिया-ए-सौर के क़रीब आबाद थे उस वक़्त का हाल पूछिए जबकि वह हफ़्ता के बारे में हद से निकल रहे थे, जबकि उनके हफ़्ते का दिन तो उनकी मछलियाँ ज़ाहिर हो होकर उनके सामने आती थीं और जब हफ़्ता का दिन न होता तो उनके सामने न आती थीं , हम उनकी इस तरह से आज़माइश (इम्तिहान) ले रहे थे इस वजह से कि वह बेहुक्मी किया करते थे।" (163)

(आयत 160-163) : इन तमाम आयतों की तफ़्सीर सूरह बक़रह में गुज़र चुकी है। वह मदनी सूरत है और यह स्याक़े आयत मक्की है। इन आयतों और उन आयतों का फ़र्क़ भी हमने ज़िक्र कर दिया है। दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं।

अस्हाबे सब्त की हीलासाज़ी : अल्लाह तआला का क़ौल है (व लक़द अलिमतुमुल्लज़ीनअतदौ मिन्कुम फ़िस्सब्ति) यानी तुम उन लोगों को जानते हो जो सनीचर के दिन के बारे में हद से तजावुज़ कर गए। इसी आयत की रोशनी में यहाँ की आयत की वज़ाहत हो रही है। अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) से इर्शाद फ़र्माता है कि जो यहूदी तुम्हारे पास हैं उनसे उन लोगों के वाक़ियात पूछो जिन्होंने अम्रे अल्लाह ही की मुख़ालिफ़त की। तो उनकी सरकशी की कैसी अचानक सज़ा उन्हें दी गयी। और उन्हें इस बात का बुरे नतीजे से डराओ जो तुम्हारी इन सिफ़ात को छुपाते हैं जो अपनी किताबों में पाते हैं ताकि दूसरे यहूदियों को भी उस अज़ाब से सामना न पड़े जो उनके अस्लाफ़ को पड़ा था। उस बस्ती का नाम ऐला था और यह बहरे कुल्ज़ुम के किनारे पर वाक़ेअ थी। और इस आयत में कि "उन बस्ती वालों से पूछो जो समुन्द्र के किनारे रहते हैं।" जिस बस्ती का ज़िक्र है उसका नाम इब्ने अब्बास (रज़ि.) के बयान के मुताबिक़ ऐला था। जो मदयन और तूर के बीच वाक़ेअ है और यह भी क़ौल है कि उसका नाम मअता है और वह मदयन और ऐनूना के बीच है (यअदून) का मतलब है कि वह यौमे सब्त के बारे में हुक्मे अल्लाह ही की मुख़ालिफ़त करते हैं। और उस दिन तो वह मछलियाँ आज़ादी के साथ चढ़ी आती थीं और पानी पर फैल जाती थीं। और जब सनीचर का दिन नहीं होता था तो किनारे के पानी तक हर्गिज़ न

आतीं। यह हमने क्यूँ किया? सिर्फ़ इसलिए कि उनकी फ़र्मांबरदारी को आज़माएँ कि सैद की मुख़ालिफ़त वाले दिन तो मछलियाँ ख़िलाफ़े तवक़्क़ुअ ज़द में रहती और जिन दिनों शिकार हलाल है, छुप जातीं। यह एक आज़माइश थी क्योंकि वह ताअ़ते अल्लाह तआला से कोताही करते थे। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह तआला की हुर्मत को तोड़ने के लिए मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से हीले ढूँढ़े, और मम्नूअ का इर्तिकाब करने के लिए चोर दरवाज़े से घुसना चाहा। रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया है कि "तुम न करो जैसाकि यहूद ने किया कि हीले सोच सोचकर हराम को हलाल कर लिया।" (यह रिवायत इब्ने बत्तह की वजह से ज़ईफ़ है।)

***

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا

الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا

يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٦﴾

तर्जुमा : "और जबकि उनमें से एक जमाअ़त ने यूँ कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यूँ नसीहत किए जाते हो जिनको अल्लाह तआला बिलकुल हलाक करने वाला है या उनको सख़्त सज़ा देने वाला है। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे रब के रूबरू उ़ज़्र करने के लिए और इसलिए शायद यह डर जाएँ। (164) तो जब वह इस हुक्म के छोड़ने वाले ही रहे जो उनको समझाया जाता था तो हमने उन लोगों को तो बचा लिया जो उस बुरी बात से मना किया करते थे और उन लोगों को जो ज़्यादती किया करते थे एक सख़्त अ़ज़ाब में पकड़ लिया बवजह इसके कि बेहुक्मी किया करते थे। (165) यानी जब वह जिस काम से उनको मना किया गया था उसमें हद से निकल गए तो हमने उनको कह दिया कि तुम ज़लील बन्दर बन जाओ।" (166)

बनी इस्राईल के तीन गिरोह और फ़रीज़ा अम्र बिल मारूफ़ व नही अ़निल मुंकर (आयत (164-166) : इर्शाद होता है कि यह बस्ती वाले उस ख़ुसूस के अंदर तीन क़िस्म के हो गए। एक तो वह कि हफ़्ता के दिन मछलियाँ पकड़ने का हीला इख़्तियार करके मम्नूअ का इर्तिकाब किया। जैसाकि सूरह बक़रह में गुज़र चुका है। और दूसरे वह लोग जिन्होंने उन मुर्तकिबीने गुनाह को मना किया, रोका और उस काम में उनसे अलग रहे। और तीसरी वह जमाअ़त जो इस बारे में बिलकुल ख़ामूश रही, न ख़ुद ऐसा किया, न करने वालों को रोका बल्कि मना करने वालों से कहा कि "ऐसे लोगों को नसीहत करने से क्या फ़ायदा जिन्हें अल्लाह तआला हलाक करना और अ़ज़ाब देना चाहता है। तुम जानते हो कि यह मुस्तहिक़्क़े अ़ज़ाब हो गए हैं, नसीहत का कोई

असर नहीं लेते'' तो वह जवाब देते हैं कि अल्लाह तआला के पास हम तो मअज़ूर समझे जाएँगे कि क्यूँ नहीं रोका था। क्योंकि अच्छी बातें सिखाना और बुरी बातों से रोकना चाहिए। कुछ ने (मअज़िरतन) के बजाए (मअज़िरतुन) पढ़ा है। यानी यह मअज़िरत है और कुछ ने (मअज़िरतुन) यानी हम मअज़िरत की ख़ातिर इन्हें रोकते हैं और क्या अजब कि वह इस काम से दूर रहें और अल्लाह तआला के पास तौबा कर लें। लेकिन जब उन्होंने नसीहत को क़बूल न किया तो जो लोग उस बुराई से उन्हें रोक रहे थे उनको तो हमने बचा लिया और उन इर्तिकाबे मअसियत करने वाले ज़ालिमों को हमने पकड़ लिया और उन्हें दर्दनाक अज़ाब दिया। यहाँ रोकने वालों को नजात और गुनाहगारों की हलाकत बताई गई और ग़ैर जानिबदार लोगों के बारे में सकूत (ख़ामोशी) इख़्तियार कर लिया गया इसलिए कि जज़ा वैसी ही होती है जैसा अमल होता है इसलिए वह न मुस्तहिक़्के मदह हुए क्यों कि मदह के क़ाबिल काम नहीं किया था और न मुस्तहिक़्के मुज़म्मत हुए क्योंकि इर्तिकाबे गुनाह नहीं किया था। फिर भी अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है कि क्या उनकी नजात हुई होगी या हलाकत हुई होगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मछलियाँ हफ़्ता के दिन तो बहुत आतीं लेकिन दूसरे दिनों में न आतीं। इस पर कुछ अर्सा गुज़रने के बाद उनमें से कुछ लोग हफ़्ता के दिन मछलियाँ पकड़ने लगे ता कुछ लोगों ने उनसे कहा कि उस दिन तो मछलियों का शिकार हराम है। लेकिन उनकी सरकशी क़ायम रही। लेकिन कुछ लोग उन्हें बराबर मना करते रहे। जब उस पर भी कुछ अर्सा गुज़र गया तो रोकने वालों की एक जमाअत ने उन अपनों से कहा कि उन कमबख़्तों को मना करने से क्या फ़ायदा, इन पर अल्लाह तआला का अज़ाब मुतहक़्क़क़ हो चुका है, इनको क्यूँ नसीहत करते हो। यह लोग मना करने वालों की बनिस्बत राहे इलाही में ज़्यादा ग़ज़बनाक थे। चुनाँचे मना करने वालों ने कहा कि अल्लाह तआला हमें मुआफ़ करे, हम मअज़िरत करते हैं। गोया यह दोनों जमाअतें भी मना करने वालों की थीं। चुनाँचे जब अल्लाह तआला का ग़ज़ब नाज़िल हुआ तो यह दोनों जमाअतें तो बच गईं और यह चोर दरवाज़े से भागने वाले सरकश गुनहगार बंदर बना दिए गए।

इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि एक दिन मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास आया, वह रो रहे थे और मुस्हफ़ उनकी गोद में था। मैं इस बात को अहम समझकर उनके पास गया। आगे बढ़कर उनके पास बैठ गया और पूछा, आप क्यूँ रो रहे हैं। उन्होंने कहा, क़ुरआन के यह वरक़ रुला रहे हैं। सूरह आराफ़ ज़ेरे तिलावत थी, कहने लगे, ऐला क्या है जानते हो? मैंने कहा, हाँ! वह कहने लगे, ऐला में यहूद लोग बसते थे उन्हें हफ़्ते के दिन मछली के शिकार की मुमानिअत थी, उनकी आज़माइश के लिए मछलियों को हुक्म हुआ कि वह सिर्फ़ हफ़्ते के दिन ही निकलें। हफ़्ता के दिन दरिया मछलियों से भरे रहते थे। तरोताज़ा मोटी और उम्दा बकसरत मछलियाँ पानी के ऊपर कूदती फाँदती रहती थीं। हफ़्ता के सिवा दूसरे दिनों में सख़्त कोशिश के बाद मिलती थीं। कुछ दिनों तो यह लोग अल्लाह तआला के हुक्म ही की अज़्मत करते रहे और उन्हें पकड़ने से रुके रहे। लेकिन फिर शैतान ने उनके दिलों में यह क़यास डाल दिया कि मुमानिअत तो हफ़्ता के दिन मछलियों के खाने की है, तुम हफ़्ता के दिन इन्हें पकड़ सकते हो, लेकिन खा नहीं सकते, दूसरे दिन खा लेना। यह ख़्याल एक जमाअत को हो गया। लेकिन दूसरी जमाअत ने कहा कि, खाने और पकड़ने दोनों की मुमानिअत है, ग़र्ज़ यह कि इस बहस के बाद जुम्आ का दिन आया तो यह लोग अपनी औरतों और बच्चों को लिए हुए निकले। उनकी सीधी तरफ़ रोकने वाली जमाअत थी जो उनसे अलग रही, और बाईं तरफ़ दूसरी जमाअत थी जिसने ख़ामोशी

इख़्तियार कर ली। सीधी तरफ़ वालों ने कहा, ''देखो! हम तुम्हें मना करते हैं कहीं ऐसा न हो कि तुम अल्लाह तआला के अज़ाब के मुस्तहिक़ बन जाओ।'' और बाईं तरफ़ वालों ने कहा कि ''अरे इस हलाक होने वाली और मुब्तला-ए-अज़ाब होने वाली क़ौम को क्या नसीहत कर रहे हो, यह कहीं मानने वाले हैं?'' अस्हाबे यमीन ने कहा, अल्लाह तआला हमें मुआफ़ करे इसलिए हम रोक रहे हैं कि शायद रुक जाएँ। हमारी तो दिली ख़्वाहिश है कि वह गिरफ़्तारे अज़ाब न हों अगर वह बाज़ न आए तो अल्लाह तआला मुआफ़ करे। लेकिन वह लोग ख़ता पर क़ायम रहे तो उन्होंने कहा, ऐ दुश्मनाने रब! आख़िर तुमने न माना। अल्लाह तआला की क़सम! हमको तो अंदेशा है कि तुमको दिन भी न निकलेगा या तो ज़मीन में धंसा दिए जाओगे या पत्थर बरस पड़ेंगे या ऐसा ही कोई और अज़ाब। यह मना करने वाले और चुप रहने वाले अज़ाबे अल्लाह से डरकर शहर से बाहर ही रह गए। और यह गुनहगार शहर के अंदर रहे, शहरे पनाह का दरवाज़ा अंदर से लगा लिया, अब बाहर रहने वाले सुबह ही फ़सील के दरवाज़े पर पहुँचे। लोग बाहर निकले हुए नहीं थे। दरवाज़ा अंदर से बंद था। बहुत कुछ खटखटाया, आवाज़ें दीं, लेकिन कुछ जवाब न मिला। अब फ़सील की दीवार के ऊपर सीढ़ियाँ लगाकर चढ़े, देखा कि यह सब बंदर बने हुए हैं, उनकी लम्बी लम्बी दुमें हैं। अब शहरे पनाह का दरवाज़ा खोला, अंदर दाख़िल हुए। उन बन्दरों ने अपने अज़ीज़ों को पहचान लिया लेकिन इंसानों ने अपने अज़ीज़ बंदरों को नहीं पहचाना। यह बंदर नज़दीक आते, उनके पैर पर लौटते, तो इंसान उनसे कहते कि क्या हम तुमको मना नहीं करते थे तो सर हिलाकर कहते कि, हाँ!''

फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने यह आयत पढ़ी, ''जब उन्होंने नसीहत न मानी तो मना करने वालों को हमने बचा लिया और ज़ालिमों को मुब्तला-ए-अज़ाब कर दिया।'' इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि ''मना करने वालों को तो मैं जानता हूँ कि नजात पा गए लेकिन दूसरे के बारे में ऐसा नहीं समझता, मुसीबत तो यह है कि हम भी लोगों को गुनाह करते हुए देखते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं कहते, तो इक्रिमा (रह.) कहते हैं कि मैंने कहा, मैं आप पर फ़िदा, यह दूसरे भी तो उन गुनहगारों से बहुत नाराज़ थे और उनकी मुख़ालिफ़त करते थे और कहते थे कि उस हलाक होने वाली क़ौम को नसीहत करके क्या करोगे। इससे ज़ाहिर है कि वह अज़ाब में शरीक नहीं बनाए जा सकते। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ख़ुश होकर मुझे दो अच्छे कपड़े इन्आम में दिए। (हाकिम : 2/322; यह रिवायत इब्ने जुरैज की तदलीस की वजह से ज़ईफ़ है) कहते हैं कि मछलियाँ हफ़्ता के दिन किनारे पर बहुत दिखाई देतीं और जब शाम हो जाती तो दूसरे हफ़्ता के आने तक न दिखाई देतीं। एक वक़्त एक आदमी जाल डोरियाँ और मेखें लेकर गया और वहाँ लगा दिया, एक बड़ी सी मछली हफ़्ता के दिन उसमें लग गई और हफ़्ता के दिन गुज़रने पर जब इतवार की रात आई तो यह मछली पकड़कर और भूनकर खाने लगा। मछली की बू पाकर लोग उसके पास दौड़े आए। उससे पूछा, उसने इंकार किया। और जब बहुत इसरार किया तो कह दिया कि उसने एक मछली पकड़ी थी। और जब दूसरा हफ़्ता आया तो फिर ऐसा ही किया और रात यक शंबा में उसको भूनकर खाया। लोगों ने मछली की ख़ुश्बू पाई तो फिर आकर पूछा। तो कहा, तुम भी ऐसा ही करो, जैसा मैं करता हूँ। कहा, तू क्या करता है। उसने उन्हें अपना हीला बताया। तो दूसरे लोग भी उस हीले पर अमल करने लगे। यहाँ तक कि यह बात बहुत आम हो गई। उनका एक शहर था उसको रब्ज़ कहते थे। उस शहर का दरवाज़ा रात में बन्द कर लिया करते थे।

चुनाँचे रात ही रात में उनकी सूरतें मस्ख़ हो गईं। उनके पड़ौस के देहाती जो उनके बस्ती के अत्राफ़ ही रहते थे और सुबह् रोज़ी की तलब से शहर के अन्दर जाते थे, तो दरवाज़े को बंद पाया, आवाज़ें दीं, जवाब न मिला। दीवार के ऊपर चढ़कर देखा तो वह बंदर बन चुके थे, नज़दीक आ रहे थे अपने लोगों से लिपट रहे थे। सूरह बक़रह में इसकी तफ़्सील गुज़र चुकी है। वहाँ देख लेना काफ़ी होगा।

दूसरा क़ौल एक यह भी है कि साकित (चुप) रहने वाले लोग भी अ़ज़ाब में मुब्तला हुए थे। क्योंकि यह लोग उन्हें भूनते और खाते देखकर भी मना नहीं करते थे। सिर्फ़ एक जमाअ़त ने मना किया था। हत्ता कि उनका यह अ़मल आ़म तौर पर तक़्लीद किया जाने लगा। तो उन कुछ लोगों ने कहा कि क्यूँ इन ज़ालिमों को मना करते हो, इन्हें अ़ज़ाबे शदीद से सामना पड़ने वाला है, हम तो इनके इस अ़मल से सख़्त नाराज़ हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि यह तीन फ़रीक़ थे उनमें से सिर्फ़ मना करने वाले बचे, बाक़ी दोनों मुब्तला-ए-अ़ज़ाब हुए। लेकिन इक्रिमा (रह.) के कहने के बाद फिर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने अपने क़ौल से गोया रुजूअ़ कर लिया, क्यों कि उन्हें इन्आ़म में हुल्ला और लिबास दिया। और इस क़ौल से तो यह रुजूअ़ वाला क़ौल बेहतर है कि सकूत इख़्तियार करने वाले लोग भी नजात पा गए थे। और क़ौले बारी (अख़ज़्नल्लज़ीना ज़लमू बि अ़ज़ाबिम् बईसिन) से इस बात पर दलालत होती है कि उनके सिवा दूसरे दो क़िस्म के जो लोग बच गए, उन्हें ज़रूर नजात मिल गई होगी। (बईसिन) के मअ़नी शदीद के हैं या अलीम के हैं या दर्दनाक के हैं। यह सब मअ़नी आपस में क़रीब-क़रीब हैं, वल्लाहु आ़लम! (ख़ासिईन) के मअ़नी ज़लील व हक़ीर के हैं।

***

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٧﴾ وَقَطَّعْنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمًا ۚ مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ
وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْۢ
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ
يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ؕ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ
اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ؕ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِيْنَ
يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٧٠﴾

तर्जुमा : "और वो वक़्त भी याद करना चाहिए कि तेरे रब ने यह बात बतला दी कि वह उन यहूद पर क़यामत तक ऐसे शख़्स को ज़रूर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको सख़्त सज़ा की तक्लीफ़ पहुँचाता रहेगा। बिला शुब्हा आपका रब वाक़ेई जल्दी ही सज़ा दे देता है और बिला शुब्हा वह वाक़ेई बड़ी मग़्फ़िरत और बड़ी रहमत वाला है। (167) और हमने दुनिया में उनकी मुख़्तलिफ़ जमाअतें कर दीं कुछ उनमें नेक थे और कुछ उनमें और तरह थे और हम उनको ख़ुशहालियों और बदहालियों से आज़माते रहे कि शायद बाज़ आ जाएँ। (168) फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके जानशीन हुए कि किताब को उनसे हासिल किया इस दुनियाए फ़ानी का माल मताअ ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारी ज़रूर मग़्फ़िरत हो जाएगी, हालाँकि अगर उनके पास वैसा ही माल मताअ आने लगे तो उसको ले लेते हैं, क्या उनसे किताब के इस मज़्मून का अहद नहीं लिया गया कि अल्लाह तआला की तरफ़ सिवाए हक़ बात के और किसी बात की निस्बत न करें और उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ लिया और आख़िरत वाला घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो परहेज़ रखते हैं, फिर क्या तुम नहीं समझते। (169) और जो लोग किताब के पाबंद हैं और नमाज़ की पाबंदी करते हैं हम ऐसे लोगों का जो अपनी इस्लाह करें सवाब ज़ाया न करेंगे।" (170)

यहूदियों की पूरी तारीख़ (इतिहास) ज़िल्लत और रुस्वाई है (आयत 167-170) : (तअज़्ज़न) बरवज़न (तफ़अ्अल) अज़ान से मुश्तक़ है यानी हुक्म दिया या मालूम कराया। और चूँकि इस आयत में कुव्वते कलाम की शान है इसलिए (लयब्असन्न) का (लाम) मअ्ना-ए-क़सम का फ़ायदा दे रहा है, इसलिए (लाम) के बाद ही (यब्असन्न) लाया गया। (हुम) की ज़मीर यहूद की तरफ़ है। यानी अल्लाह तआला ने हुक्म लगा दिया है कि इन यहूदियों पर क़यामत तक बुरा अज़ाब नाज़िल रहेगा। यानी इनके इस्यान (नाफ़र्मानी) व मुख़ालिफ़त और हर बात में बहानेबाज़ी की वजह से इन्हें ज़िल्लत व हिक़ारत का अज़ाब मिलता रहेगा। कहते हैं कि मूसा (عليه السلام) ने इन पर सात या तेरह साल तक ख़िराज लगा रखा था। और सबसे पहले ख़िराज आप ही ने लगाया। फिर इन यहूदियों पर यूनानियों, कुशदानियों कल्दानियों का तसल्लुत रहा। फिर नसरानियों के तख़्ते ग़ज़ब रहे वह इन्हें ज़लील करते रहे, जिज़्या और ख़िराज लेते रहे। इस्लाम आया तो नबी अकरम (ﷺ) ने इन पर अपना ग़ल्बा रखा। वह ज़िम्मी थे, जिज़्या देते थे। फिर आख़िरकार वह दज्जाल के मददगार बनकर निकलेंगे लेकिन मुसलमान इनको क़त्ल कर देंगे। हज़रत ईसा (عليه السلام) इस ग़र्ज़ में मुसलमानों का साथ देंगे। यह सब कुर्बे क़यामत के वक़्त होगा। क़ौलुहू (इन्ना रब्बक ल सरीउल इक़ाब) यानी अल्लाह तआला गुनहगारों से बहुत जल्द बदला लेने वाला है। लेकिन वह बड़ा ग़फ़ूरुर् रहीम है, जो तौबा करता है वह उसे बख़्श देता है। यहाँ भी वही बात है कि अज़ाब और रहमत दोनों का ज़िक्र साथ साथ है, ताकि अज़ाब से डराने की वजह से लोग उसमें मुब्तला न हो जाएँ। इसलिए तर्ग़ीब व तर्हीब दोनों साथ हैं ताकि लोग डर व रिजा के दरम्यान रहें।

यहूद व नसारा के रिश्वतख़ोर उलमा और क़ाज़ी : इर्शाद होता है कि अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल को गिरोह-दर-गिरोह करके दुनिया में फैला दिया। जैसाकि फ़र्माया कि "इसके बाद हमने बनी इस्राईल से कहा कि ज़मीन पर सकूनत पज़ीर रहो, जब आख़िरत का दिन आएगा तो हम फिर तुम सबको जमा कर लेंगे। इस बनी

इस्राईल में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी, जैसाकि जिन्न कहते थे कि हममें सालेह जिन्न भी हैं और ग़ैर सालेह भी, हमारे भी मुख़्तलिफ़ फ़िर्क़े होते हैं। हमने इन्हें राहत व आराम का ज़माना और ख़ौफ़ व बला का ज़माना देकर दोनों तरह आज़माया ताकि वह इब्रत हासिल करके बुरे कामों से दूर रहें। फिर फ़र्माया कि इसके बाद इनके जानशीन ऐसे नाख़लफ़ साबित हुए कि किताब के वारिस बनने के बावजूद इस दुनिया की थोड़ी सी दौलत व शानो शौकत को तर्जीह देते हैं। उन जानशीनों में कोई ख़ैर नहीं, यह तौरात तो सिर्फ़ आप ही पढ़ने के वारिस बन गए, दूसरों को पढ़ाया नहीं। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि "इससे नसारा मुराद हैं बल्कि यह आयत तो और भी आम है, नसारा और ग़ैर नसारा सब हक़ बात को बेचते हैं और इससे दुनियावी माल हासिल करते हैं और अपने नफ़्स को यूँ बहला लेते हैं कि फिर तौबा कर लेंगे। लेकिन इसी जैसी दोबारा कोई वजह पैदा हो गई तो फिर पहले की तरह दुनिया के बदले दीन को बेच दिया, आयतों में तहरीफ़ कर दी, ग़लत मसला और ग़लत फ़त्वा बता दिया, दुनियावी जो चीज़ भी हासिल करने की सूरत पैदा हो गई, फिर न हलाल को देखा, न हराम को, ले लिया और फिर तौबा करने बैठ गए। तौबा की अल्लाह तआला से मग़्फ़िरत मांगी और फिर दुनिया का कोई माल सामने आया तो फिर इनके क़दम डगमगा गए। अल्लाह तआला की क़सम! यह बड़े नाख़लफ़ लोग थे। अम्बिया (عليهم السلام) के बाद यही लोग तौरात व इंजील के वारिस थे हालाँकि अल्लाह तआला ने किताब में इनसे अ़हद भी ले लिया था।" और एक दूसरी जगह इर्शाद होता है कि उन अच्छे लोगों के बाद ऐसे बुरे जानशीन आए जिन्होंने नमाज़ को बर्बाद कर दिया, अल्लाह तआला से दूर दराज़ उम्मीदें बाँध रखीं और अपने नफ़्स को धोखा देते रहे। (19/मरियम : 59) दुनिया कमाने का मौक़ा आया तो फिर कुछ न देखा, कोई चीज़ गुनाह के इर्तिकाब से उन्हें न रोक सकी, जो मिला खा गए, न हलाल की परवाह की, न हराम की। बनी इस्राईल का जो क़ाज़ी होता था वह मुर्तशी होता था, उनके अच्छे लोग इस रिश्वतख़ोर हाकिम को निकालकर दूसरे को लाते। उसको ताकीद रहती कि रिश्वत लेकर मुक़द्दमात का फ़ैसला न किया करे। वह वादे वईद करके जब क़ाज़ी और जज बन जाता तो दोनों हाथों से रिश्वत लेने लगता और कहता कि अरे अल्लाह बख़्शने वाला है। दूसरे उस पर ऐतिराज़ और तअ़न तश्नीअ़ करने लगते। लेकिन जब यह रिश्वतख़ोर मर जाता या मअ़ज़ूल कर दिया जाता और यही तअ़न करने वाला क़ाज़ी बना दिया जाता तो यही शख़्स ख़ुद भी रिश्वत लेने लगता। इसीलिए अल्लाह तआला फ़र्माता है कि दुनिया उनके पास आई और उन्होंने उसे समेटना शुरु कर दिया। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि क्या किताब में इनसे वादा नहीं ले लिया गया था कि हक़ बात के सिवा कोई दूसरी बात अल्लाह तआला की तरफ़ मंसूब न करना। वादा यह लिया गया था कि लोगों को हक़ बात की तल्क़ीन किया करना और अम्रे हक़ को छुपाना नहीं। लेकिन उन्होंने इस हुक्म को पसेपुश्त डाल दिया और थोड़े से रुपयों की ख़ातिर आयतों में तहरीफ़ कर दी या उनका ग़लत मतलब निकाल लिया। उनकी यह कमाई क्या बुरी कमाई है। (3/आले इमरान : 187) वह अल्लाह तआला से तमन्ना रखते हैं गुनाहों की बख़्शिश की, बख़्शिश की आरज़ू तो रखते हैं मगर गुनाहों को छोड़ते नहीं, तौबा पर क़ायम नहीं रहते। अगर अल्लाह तआला से डरना चाहो तो दारे आख़िरत तुम्हारे लिए बेहतर है, दुनिया पर क्यूँ जान दिए बैठे हो, क्या इतनी सी बात समझते नहीं। अल्लाह तआला बड़े अज्र की तर्ग़ीब दे रहा है और गुनाहों के बुरे नतीजे से डरा रहा है। यह दीन बेचने वालों को क्या ज़रा भी अ़क़्ल नहीं फिर अल्लाह तआला उन लोगों की तारीफ़ बयान करता है जिन्होंने किताबे रब्बानी से तमस्सुक कर रखा है जो उन्हें इत्तिबाअ़े मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ बुला रही है और

यह चीज़ उनकी किताब तौरात और इंजील में लिखी हुई है। चुनाँचे फ़र्माया कि जो किताबे रब्बानी को थामे हुए हैं उसके हुक्मों और नवाही पर अमल करते हैं, गुनाहों से दूर रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तो हम उनके अज्र को बर्बाद नहीं करेंगे।

***

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْۤا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧١﴾

तर्जुमा : "और वह वक़्त भी याद करने के क़ाबिल है जब हमने पहाड़ को उठाकर छत की तरह उनके ऊपर लटका कर दिया और उनको यक़ीन हुआ कि अब उन पर गिरे और कहा कि क़बूल करो जो किताब हमने तुमको दी है मज़बूती के साथ और याद रखो जो अह़काम इसमें हैं जिससे तवक़्क़ुअ़ है कि मुत्तक़ी बन जाओ।" (171)

बनी इस्राईल के सरों पर पहाड़ और उनका रवैया (आयत 171) : और जबकि हमने उनके सरों पर पहाड़ को मिस्ल सायबान के लटका दिया, जैसाकि (وَ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ) (4/निसाअ : 154) से ज़ाहिर है। उस पहाड़ को फ़रिश्तों ने उनके सरों पर ला खड़ा किया था। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जब मूसा (عليه السلام) उनको अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ़ ले चले और ग़ुस्सा ख़त्म हो जाने के बाद तख़्तियाँ उठा लीं, और तब्लीग़ के बारे में अल्लाह तआ़ला का हुक्म उन्हें सुनाया तो उन्हें गिराँ गुज़रा और तस्लीम करने से इंकार कर दिया तो अल्लाह तआ़ला ने उनके सरों पर पहाड़ ला खड़ा किया, जैसे कि सरों पर छत हो और फ़रिश्ते उसको थामे हुए थे और कहा गया कि देखो! यह अल्लाह तआ़ला की वह़ी (मेसेज) और उसके अह़काम हैं, इसमें ह़लाल व ह़राम और अम्र व नही का ज़िक्र है, क़बूल करते हो या नहीं? वह कहने लगे, सुनाइए! क्या अह़काम हैं? अगर यह फ़राइज़ और हुदूद आसान होंगे तो ज़रूर क़बूल कर लेंगे। नबी मूसा (عليه السلام) ने कहा जो कुछ भी हो, क़बूल कर लो। उन्होंने कहा, नहीं! जब तक कि हम वाक़िफ़ न हो जाएँ कि क्या हुदूदे फ़राइज़ हैं, कैसे क़बूल कर लें। कई बार यह सवाल जवाब रहे। आख़िरकार पहाड़ को अल्लाह तआ़ला का हुक्म हुआ, वह अपनी जगह से उठकर आसमान में उड़ता हुआ उनके सरों पर छा गया। मूसा (عليه السلام) ने कहा, रब्ब अ़ज़्ज़ व जल्ल जो कुछ फ़र्माता है, मानते हो कि नहीं, अगर तौरात और इसके अह़काम को नहीं मानोगे तो तुम्हारे सरों पर पहाड़ गिर पड़ेगा। जब उन्होंने देख लिया कि पहाड़ गिरने वाला है तो सज्दे में बाएँ रुख़ पर गिर पड़े और सीधी आँख से कंखियों के तौर पर पहाड़ को देख रहे थे कि कहीं गिर तो नहीं रहा है। यही वजह है कि आज तक यहूदी जब भी सज्दा करते हैं अपने बाएँ रुख़ पर करते हैं और कहते हैं कि यह वह सज्दा है जो अ़ज़ाब दूर की यादगार है। अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं कि जब मूसा (عليه السلام) ने अल्वाह़ फेंक दिए थे जो अल्लाह तआ़ला की किताब है और उसके यहाँ की तह़रीरकर्दा (लिखी हुई) थी तो ज़मीन का हर पहाड़, हर दरख़्त, हर पत्थर

काँप उठा और जुंबिश (हरकत) में आ गया। यही वजह है कि हर यहूदी तौरात पढ़ता है तो अपना सिर हिलाने और झूमने लगता है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, ''वह अपने सिर हिलाने लगते हैं।'' वल्लाहु आलम!

***

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۭ قَالُوْا بَلٰي ڔ شَهِدْنَا ڔ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

﴿١٧٢﴾ اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَاۗؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا

فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٧٤﴾

तर्जुमा : ''और जब आपके रब ने औलादे आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन ही के बारे में इक़रार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने जवाब दिया कि क्यूँ नहीं! हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के दिन यूँ न कहने लगो कि हम तो इससे बेख़बर थे। (172) या यूँ कहने लगो कि शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद उनकी नस्ल में हुए तो क्या उन ग़लत राह वालों के काम पर तू हमको हलाकत में डाले देता है। (173) हम इसी तरह आयात को साफ़ साफ़ बयान किया करते हैं, ताकि वह बाज़ आ जाएँ।'' (174)

आलमे अरवाह और एक वादा (आयत 172-174) : इर्शादे बारी तआला है कि अल्लाह तआला ने आदम (عليه السلام) की ज़ुर्रियत (औलाद) को उनकी पुश्त से अज़ल के दिन में बाहर निकाला और उन्होंने अपने नुफ़ूस पर आप गवाही दे ली कि अल्लाह तआला ही हमारा रब और मालिक है, अल्लाह वही है और कोई नहीं। चुनाँचे यही ऐतिराफ़ फ़ितरते इंसानी है और यही उनकी जिबिल्लत है। जैसाकि फ़र्माया कि तुम अपनी पूरी तवजह दीने हक़ की तरफ़ क़ायम रखो। अल्लाह तआला ने उसी फ़ितरत पर इंसान की जिबिल्लत बनाई है, अल्लाह तआला ने जिस चीज़ को जिस तरह पैदा कर दिया वह उसी तरह क़ायम रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं होगी। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर मौलूद और हर मख़्लूक़ अपनी फ़ितरत पर पैदा हुई है। (सहीह बुख़ारी, किताबुल जनाइज़, बाब मा क़ील फ़ी औलादिल मुश्रिकीन : 1385; सहीह मुस्लिम : 2658) नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मैंने अपने बन्दों को शिर्क से हटाकर पैदा किया है लेकिन शयातीन आते हैं और दीने हक़ से उसको फेर देते हैं और मैंने जो हलाल रखा है उसको हराम करा देते हैं।'' (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्ना, बाब अस्सिफ़ातुल्लती युअरफु बिहा फ़िद्दुनिया....: 2865;

अहमद : 4/266) और एक रिवायत में है कि "हर मौलूद इसी मज़हबे इस्लाम पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ बाप उसको यहूदी, नस़रानी और मजूसी बना देते हैं। जैसे कि मवेशी भले चंगे पैदा होते हैं, क्या कोई कान कटा पैदा होता है लेकिन उनके कान काटकर उनको बिगाड़ देते हैं।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुत्तफ़्सीर, सूरतुर् रूम बाब (ला तब्दीला लि ख़ल्क़िल्लाहि) : 4775; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2658; तिर्मिज़ी : 2138; इब्ने ह़िब्बान : 130) अस्वद बिन सुरैअ (रज़ि.) कहते हैं कि मैं नबी (ﷺ) के साथ चार ग़ज़्वात में शरीक रहा। मुजाहिदीन ने काफ़िरों को क़त्ल करके उनके बच्चों को पकड़ लिया। इसकी ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को मिली। आप (ﷺ) को यह ह़रकत बहुत नागवार गुज़री, कहने लगे, "लोगों को क्या हुआ कि बच्चों को पकड़ रहे हैं।" किसी ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या यह मुश्रिकीन के बच्चे नहीं हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, "तुममें से अच्छे से अच्छे लोग भी तो मुश्रिकीन ही की औलाद हैं। कोई जान ऐसी नहीं जो बिनाए इस्लाम पर पैदा न होती हो और वह मुसलमान ही रहती है, यहाँ तक कि वह माँ बाप की ज़ुबान सीखते हैं और माँ बाप उन्हें नस़रानी (ईसाई) या यहूदी बना देते हैं।" (अह़मद : 3/435; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; व स़ह़्ह़हुल ह़ाकिम : 2/123; व वाफ़क़हुज़्ज़हबी, अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 8616; बिदूनि ज़िक्रुल आयत) अह़ादीस में वारिद है कि आदम (عليه السلام) की सुल्ब से ज़ुर्रियत ली गई और उन्हें या तो अस्ह़ाबे यमीन या अस्ह़ाबे शिमाल बनाया और उनसे गवाही ली गई कि अल्लाह तआला ही उनका रब है। अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि 'क़यामत के दिन एक दोज़ख़ी से पूछा जाएगा कि बताओ तो अगर सारी ज़मीन और उसके अम्लाक तुम्हारी मिल्क हों और तुमसे कहा जाए कि फ़िदया में यह सब देकर क्या नजात ह़ासिल करोगे? तो वह कहेगा, यक़ीनन ऐसा करूँगा। तो अल्लाह तआला कहेगा कि, मैंने तो तुमसे इससे बहुत ही कम का मुत़ालबा किया था। मैंने आदम (عليه السلام) की पुश्त ही में तुमसे वादा ले लिया था कि किसी को मेरा शरीक न बनाओगे लेकिन तुम शरीक कर बैठे।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताब अह़ादीसुल अम्बिया, बाब ख़ल्क़े आदम व ज़ुर्रियतहू : 3334; स़ह़ीह़ मुस्लिम : 2805; अह़मद : 3/127; मुस्नद अबी यअ़ला : 4186) इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि मक़ामे नोअ़मान में अरफ़ा के दिन रूह़ों से वादा लिया गया था और आदम (عليه السلام) की सुल्ब से निकालकर उन्हें ज़र्रों की त़रह़ फैला दिया था और उनसे यूँ बातचीत हुई थी कि "बताओ! क्या मैं तुम्हारा रब नहीं?" सब रूहें कहने लगीं, "क्यूँ नहीं! ज़रूर।" (मुस्नद अह़मद : 1/272; व सनदुहू ह़सन; अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई : 1191; ह़ाकिम : 1/271; व स़ह़ीह़ व वाफ़क़हुज़्ज़हबी) जरीर (रह़.) से रिवायत है कि ज़ह़्ह़ाक बिन मुज़ाहिम (रह़.) का लड़का इंतिक़ाल कर गया जो सिर्फ़ छः दिन का था। तो ज़ह़्ह़ाक (रह़.) ने कहा कि ऐ जाबिर! जब तुम इसको लह़द में रखो तो इसका चेहरा क़ब्र में खुला रखना क्योंकि बच्चे को बिठाया जाएगा और इससे सवाल भी होगा। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया। फ़ारिग़ होने के बाद मैंने ज़ह़्ह़ाक (रह़.) से पूछा कि तुम्हारे बच्चे से क्या पूछा जाने वाला है और कौन पूछेगा? तो कहा, इससे मीसाक़े अज़ल के बारे में सवाल होगा। जबकि सुल्बे आदम में रूह़ों से इक़रारे उ़बूदियत लिया गया था। मैंने पूछा कि वह क्या इक़रार है? कहा कि अल्लाह तआला ने जब सुल्बे आदम को छूआ तो उससे वह रूहें निकल पड़ीं जो क़यामत तक नस्ले आदम से पैदा होने वाली हैं। फिर उनसे वादा लिया गया कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह तआला की करोगे और किसी को शरीक नहीं बनाओगे। फिर अल्लाह पाक उन

रूहों के रिज़्क़ का कफ़ील बना, उसके बाद सुल्बे आदम में उन्हें वापिस कर दिया गया। जब तक यह अहले मीसाक़ पैदा होते रहेंगे, क़यामत नहीं आएगी। अब उनमें से जिसको मीसाक़े आख़िर से सामना होगा और वह उसको बतरीक़े अह्सन पूरा करेगा तो उसी को मीसाक़े अव्वल भी नफ़ा दे सकता है और जो मीसाक़े आख़िर में कामयाब नहीं, उसको मीसाक़े अव्वल भी नफ़ाबख़्श साबित नहीं हो सकता और जो बचपन ही में मर गया, उससे पहले कि मीसाक़े आख़िर की नौबत आए और दुनिया में अच्छे अच्छे काम अंजाम दे, तो समझा जाएगा कि वह मीसाक़े अव्वल यानी अज़ल के वादा पर क़ायम था जो बर बिनाए फ़ित्रते इस्लाम है। इस तमाम तह्रीर से पता चलता है कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इन तमाम बातों से बख़ूबी वाक़िफ़ थे, वल्लाहु आ़लम!

नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब अल्लाह तआ़ला ने बनी आदम से ज़ुर्रियात निकाले तो इस तरह ज़ुर्रियात निकले जैसे कंघी करने में बाल कंघी के अंदर रह जाते हैं। अब अल्लाह तआ़ला ने उनसे पूछा, "क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?" तो रूहों ने कहा कि तू ज़रूर हमारा रब है। फ़रिश्ते कहने लगे कि हम गवाह हैं कि क़यामत के दिन कहीं तुम यह न कह बैठो कि हमें तो इसका कोई इल्म नहीं।" (तब्री : 13/232)

हज़रत उ़मर (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया "अल्लाह तआ़ला ने आदम (عليه السلام) को पैदा करके उनकी पीठ पर जब हाथ फेरा तो ज़ुर्रियात निकलना शुरु हो गए। तो फ़र्माया कि फ़लाँ फ़लाँ जन्नती हैं क्योंकि अहले जन्नत ही का सा अ़मल करेंगे और यह दोज़ख़ी हैं क्योंकि दोज़ख़ी का सा अ़मल करेंगे।" किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब यह वहीं तै हो चुका है तो फिर अ़मल करने का क्या मक़्सद रहा? तो फ़र्माया कि, "अल्लाह तआ़ला का वही बन्दा जन्नत के लिए पैदा हुआ है जिसके अ़मल जन्नतियों के से होंगे और समझो कि दोज़ख़ी वही है जो दोज़ख़ियों के से काम करता है और उसी अ़मले बद पर तौबा करने से पहले दम टूटे।" (अबूदाऊद, किताबुस्सुन्ना, बाब फ़िल क़द्र : 4703; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; सनद में एक रावी मज्हूल है। तिर्मिज़ी : 3075; अह्मद : 1/44; हाकिम : 1/27; इब्ने हिब्बान : 6166)

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि "जब रूहें आदम (عليه السلام) की पीठ से ज़ाहिर हुईं तो हर इंसान के माथे पर एक रोशनी चमक रही थी। उन तमाम नस्ल को आदम (عليه السلام) के सामने पेश किया गया। आदम (عليه السلام) ने पूछा, ऐ रब! यह कौन हैं? फ़र्माया गया, यह सब तुम्हारी नस्ल हैं। एक शख़्स के चेहरे पर बहुत ज़्यादा रोशनी थी। पूछा या रब! यह कौन है? अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि, "एक लम्बे अ़र्सा के बाद तुम्हारी नस्ल से एक शख़्स पैदा होगा जिसको दाऊद (عليه السلام) कहेंगे। आदम (عليه السلام) ने पूछा, या रब! उसकी क्या उ़म्र होगी? कहा, साठ साल। तो आदम (عليه السلام) ने कहा, या रब! मैंने अपनी उ़म्र में से चालीस साल इसको दे दिए। लेकिन जब आदम (عليه السلام) की उ़म्र ख़त्म हो गई, मलकुल मौत आए तो आदम (عليه السلام) ने कहा कि, अभी से क्यूँ आ गए, अभी तो चालीस साल मेरी उ़म्र के बाक़ी हैं। तो कहा गया कि यह चालीस साल क्या तुमने अपने बेटे दाऊद (عليه السلام) को न दे दिये थे। तो आदम (عليه السلام) ने इंकार किया, चुनाँचे उनकी नस्ल में भी इंकार की आदत पड़ गई और चूँकि आदम (عليه السلام) भूल गए थे इसलिए भूल चूक भी औलादे आदम की ख़स्लत बन गई और आदम (عليه السلام) से चूँकि ख़ता (ग़लती) सरज़द हो गई थी, इसलिए ख़ता करना भी

औलादे आदम की फ़ित्रत है। (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, बाब वमिन सूरतिल आराफ़ : 3076; व सनदुहू हसन; तब्क़ात : 1/27; हाकिम : 2/276) जब आदम (عليه السلام) ने अपनी जुर्रियत को देखा था तो उनमें बीमार भी थे, जुज़ामी (कोढ़ की बीमारी) और बर्स (सफ़ेद दाग) वाले भी थे, अंधे वग़ैरह भी थे। आदम (عليه السلام) ने कहा, या रब! यह ऐसे क्यूँ बना दिए गए। फ़र्माया ताकि इंसान हर हाल में मेरा शुक्र करे। आदम (عليه السلام) ने पूछा, या रब! यह कौन हैं जो सरतापा नूर हैं? कहा गया, यह अम्बिया (عليه السلام) हैं।''

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आमाल अज़्सरे नो नतीजा आवर हैं, या जो कुछ तै हो गया सो हो गया। फ़र्माया कि ''अल्लाह तआला ने आदम (عليه السلام) से जुर्रियत निकाली, फिर उन्हीं की अपनी ज़ुबान से तौहीदे अल्लाह की गवाही ली, फिर दो मुट्ठियाँ उनसे भरीं और कहा यह तो ठहरे जन्नती और वह ठहरे दोज़ख़ी। (मुस्नद बज़्ज़ार : 2140; शरीअत लिल आजुरी : 343; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अब्दुर्रहमान बिन क़तादा नस्री की मुअतबर तौसीक़ नामालूम है।) अगरचे अमल पर जन्नत व दोज़ख़ का इंहिसार है लेकिन हमें मालूम है कि अहले जन्नत के से अमल करना किस पर आसान रहेगा और किस पर दोज़ख़ियों के से अमल करना आसान रहेगा। अब इसी बिना पर वह जन्नती या दोज़ख़ी होंगे। कुछ हमने अज़ल में उन्हें जन्नती या दोज़ख़ी नहीं बनाया। उनके आमाल उसके ज़िम्मेदार हैं। अल्बत्ता हम अभी से दोनों का इल्म रखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि फ़लाँ जन्नती होंगे और फ़लाँ जहन्नमी। यह बंटवारा हमारे कह देने की बिना पर नहीं हुई है बल्कि अमल की बिना पर हुई है।'' यह हमने अबू हुरैरा (रज़ि.) की हदीस की वज़ाहत की है।

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''जब अल्लाह तआला ने मख़्लूक़ को पैदा करके क़िस्मत बना दी तो दाएँ बाएँ रूहें थीं। अल्लाह तआला ने दोनों से सवाल किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, दोनों ने एतिराफ़ किया कि हाँ! तू ही हमारा रब है। फिर दाएँ-बाएँ दोनों तरफ़ की रूहें मख़्लूत कर दी गईं। किसी ने अल्लाह तआला से पूछा, या रब! यह दोनों मुम्ताज़ तौर पर थे, ख़लत-मलत क्यूँ कर दिये गए? अल्लाह तआला ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं, अपने-अपने अमल के सबब वह अब भी मुमताज़ रहेंगे। मिला देने पर भी नेक व बद दोनों का आपस में कोई मिलाप नहीं। हम ऐसा न करते तो क़यामत के दिन गुनहगार कहते कि हमको तो इसका कोई इल्म ही न था। और नेक तो किसी सूरत में न कहते। अब बात सिर्फ़ अमल पर रह गई है तो गुनहगारों को ऐतिराज़ करने और अदमे इल्म का उज़्र करने का हक़ नहीं रहा।'' (इसकी सनद में जाफ़र बिन जुबेर मतरूक रावी है (अल्मीज़ान : 1/406; रक़म : 1502) लिहाज़ा यह रिवायत मर्दूद है।) यह हमने अबू उमामा (रज़ि.) की हदीस की वज़ाहत की है। क़यामत तक पैदा होने वाली रूहों को शक्लें दी गईं। बोलने की कुव्वत दी, उनसे मीसाक़ लिया, उस मीसाक़ पर आसमान व ज़मीन को गवाह बनाया गया। आदम (عليه السلام) भी गवाह हुए, वरना क़यामत में तो वह साफ़ इंकार कर बैठते। जान लो कि अल्लाह तआला के सिवा कोई रब नहीं है, किसी को शरीक न बनाओ। मैं तुम्हारे पास पैग़म्बर भेजूँगा ताकि वह तुमको अहदो-मीसाक़ याद दिलाए, मैं किताबें भेजूँगा। तो रूहों ने कहा कि तेरे सिवा हमारा कोई रब नहीं, अल्लाह तआला की इताअत का इक़रार करेंगे। आदम (عليه السلام) उनके सामने लाए जाएँगे। आदम (عليه السلام) ने देखा कि उनमें ग़नी भी हैं और फ़क़ीर भी, ख़ूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी। कहा गया या रब! सब लोग बराबर ही क्यूँ नहीं पैदा किए गए?

तो कहा कि मुझे यह पसंद था कि देखूँ शाकिर व साबिर कौन है? सब एक ही जैसे होते तो यह इम्तिहान कैसे लेता? अम्बिया (ﷺ) उन लोगों में नूर भरे चराग़ के से थे। यह रिसालत व नबुव्वत दूसरा मीसाक़ था कि अल्लाह तआला की तौहीद के इक़रार के बाद इक़रारे रिसालत भी करें। अल्लाह तआला फ़र्माता है कि हमने नबियों से भी मीसाक़ लिया है वह यह कि दीने हनीफ़ फैलाने के लिए अज़्मे-मुसम्मम (मज़बूत इरादा) कर लो जो एक फ़ितरी दीन है। इस गवाही से ग़र्ज़ यह थी कि इंसान फ़ितरते तौहीद पर पैदा हुआ है। इसीलिए (मिम् बनी आदम) कहा गया न कि (मिन आदम) यानी न सिर्फ़ आदम बल्कि आदम (ﷺ) की सारी औलाद फ़ितरते तौहीद पर मख़्लूक़ है। और इसीलिए (मिन् ज़ुहूरिहिम) कहा गया न कि (मिन ज़हरिही) यानी सब बनी आदम की नस्लों से नस्ल बाद नस्ल। जैसाकि फ़र्माया कि उसने तुम सबको फ़र्दन फ़र्दन ज़मीन पर ख़लीफ़ा बनाया है। और फ़र्माया कि "जैसाकि हमने तुमको पैदा किया दूसरी क़ौमों की ज़ुर्रियत से" और ख़ुद आप अपना उन्हें गवाह बनाया तभी तो गवाही दी कि "हाँ! तू हमारा रब है" यानी हालन् व क़ालन दोनों तरह वह मुअतरिफ़ (मानने वाले) रहे। क्योंकि शहादत कभी तो क़ौल के ज़रिये होती है, क़ौलुहू (قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا) (6/अन्आम : 130) और कभी हाल के ज़रिये होती है, क़ौलुहू (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) (9/तौबा : 17) यानी मुश्रिकीन को कोई हक़ नहीं कि अल्लाह तआला की मस्जिदों को बसाएँ, अपनी ही ज़ात पर कुफ़्र की शहादत देते हुए, यानी उनका हाल उनके कुफ़्र का शाहिद है। यह शहादत क़ौली शहादत नहीं, हाली शहादत है और सवाल कभी क़ाल के ज़रिये होता है, कभी हाल के ज़रिये, क़ौलुहू (وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ) (14/इब्राहीम : 34) यानी तुमने जो कुछ माँगा, अल्लाह तआला ने तुम्हें दिया। कहते हैं कि इस बात पर यह दलील भी है कि उनके शिर्क करने पर यह हुज्जत उनके ख़िलाफ़ पेश की, पस अगर यह वाक़ेई में हुआ होता जैसाकि एक क़ौल है तो चाहिए था कि हर एक को याद होता ताकि उस पर हुज्जत रहे। अगर इसका जवाब यह हो कि फ़र्माने रसूल (ﷺ) से ख़बर पा लेना काफ़ी है तो इसका जवाब यह है कि जो रसूलों ही को नहीं मानते वह रसूलों की दी हुई ख़बरों को कब सही मानेंगे। हालाँकि क़ुरआने करीम ने रसूलों की तक्ज़ीब के अलावा ख़ुद इस गवाही को मुस्तक़िल दलील ठहराया है। चुनाँचे इससे यही साबित होता है कि इससे मुराद फ़ितरते अल्लाह ही है जिस पर अल्लाह तआला ने सारी मख़्लूक़ को पैदा किया है और वह फ़ितरते तौहीद बारी तआला है। इसीलिए फ़र्माता है कि कहीं तुम यह न कहो कि हमको तो इस तौहीद का इल्म ही नहीं था और यह कि शिर्क तो हमारे बाप दादाओं ने किया था। उनके ईजादकर्दा काम पर हमें सज़ा क्यूँ हो।

***

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ
الْغٰوِيْنَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ

كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۷۶﴾ سَآءَ مَثَلَا ۨالْقَوْمُ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۷۷﴾

तर्जुमा : ''और उन लोगों को उस शख़्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि उसको हमने अपनी आयतें दीं फिर वह उनसे बिलकुल ही निकल गया फिर शैतान उसके पीछे लग गया, तो वह गुमराह लोगों में दाख़िल हो गया (175) और अगर हम चाहते तो उसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते लेकिन वह तो दुनिया की तरफ़ माइल हो गया और अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशात की पैरवी करने लगा। तो उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू उस पर हमला करे तब भी हाँपे या उसको छोड़ दे तब भी हाँपे। यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया। तो आप इस हाल को बयान कर दीजिए शायद वह लोग कुछ सोचें। (176) उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और वह अपना नुक़्सान करते हैं।'' (177)

दुनिया के तालिब का हाल कुत्ते की तरह है (आयत 175-177) : बनी इस्राईल में एक शख़्स था बल्अम (हाकिम : 2/325; मुख़्तसरन जिद्दन व सनदुहू क़वी) बिन बाऊरा नामी अहले बल्क़ाअ में से था और वह इस्मे आज़म जानता था। यहूदी उलमा के साथ बैतुल-मक़्दिस में रहता। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि वह अहले यमन में से था। अल्लाह तआला ने उसको अपनी निशानियाँ और करामतें दी थीं, लेकिन उसने नाक़द्री की। (तबरी : 13/3601) वह मुस्तजाबुद्दअवात था, उसकी दुआएँ क़बूल हो जाती थीं। लोग मुसीबतों में अल्लाह तआला से दुआ मांगने के लिए इसी को आगे बढ़ाते थे। अल्लाह तआला के नबी हज़रत मूसा (عليه السلام) ने इसको दीन की तब्लीग़ के लिए मुल्के मदयन की तरफ़ भेजा। यहाँ के बादशाह ने इसको अपना बना लिया, इस पर बहुत सरफ़राज़ियाँ कीं। चुनाँचे इसने बादशाह के दीन को क़बूल कर लिया और दीने मूसा (عليه السلام) को छोड़ दिया। उसका नाम बल्आम था और यह भी कहा गया है कि यह उमय्या बिन अबी सुल्त है। मुम्किन है कि उसके कहने से यह मुराद हो कि यह उमय्या भी उसी के मुशाबेह था, उसको भी अगली शरीअतों का इल्म था लेकिन उसने उससे फ़ायदा न उठाया। नबी करीम (ﷺ) के ज़माने को भी उसने पाया था, आपके आयाते बय्यिनात देखे थे, मुअजिज़े अपनी आँखों से देख लिए, दीने इलाही में दाख़िल होते हुए हज़ारों को देखा, लेकिन मुश्रिकीन के मेलजोल, उनमें इसका इम्तियाज़ और वहाँ की सरदारी ने इसे इस्लाम और क़बूले हक़ से रोक दिया। इसने बड़े मर्सिये बद्र के काफ़िरों के मातम में कहे हैं। इसकी ज़ुबान तो ईमान ला चुकी थी लेकिन दिल मोमिन नहीं हुआ था। यह सारा बयान मुम्किन है उमय्या बिन अबी सुल्त के बारे में हो न कि बल्आम के।

बल्आम का ज़िक्र कुरआन में हो रहा है कि हमने उसको अपनी आयतें यानी करामतें बख़्शी थीं,

लेकिन वह उनसे हट गया यानी उनसे महरूम रहा। अल्लाह तआला ने उसको तीन दुआओं का हक़ दिया था कि क़बूल होंगी। एक औरत और एक लड़का उसका था। उसकी औरत ने कहा कि एक दुआ मेरे हक़ में ख़ास कर दो। उसने कहा, अच्छा! कहो क्या दुआ है? औरत ने कहा कि अल्लाह तआला से दुआ करो कि सारे बनी इस्राईल में मुझसे ज़्यादा हसीन कोई औरत न हो। उसने अल्लाह तआला से दुआ की, और वह हसीनतरीन औरत बन गई। जब औरत ने यह महसूस कर लिया कि उस जैसी हसीन अब कोई औरत नहीं, तो शौहर से बेपरवाह और बेरग़बत हो गई और उसके ख़्यालात और आमाल कुछ और ही हो गए तो बल्आम ने दुआ की कि वह कुतिया बन जाए। चुनाँचे वह कुतिया बन गई। दो दुआएँ ख़त्म हो गईं। उसका लड़का कहने लगा कि हमसे तो नहीं देखा जा सकता कि हमारी माँ कुतिया हो, लोग हमें आर दिला रहे हैं, दुआ करो कि वह अपने पहले हाल पर आ जाए। चुनाँचे दुआ की और वह औरत जैसी पहले थी वैसी ही हो गई। अब तीनों दुआएँ ख़र्च हो गईं। यह रिवायत ग़रीब है। इस आयत का सबबे नुज़ूल जो मशहूर है वह यह है कि बनी इस्राईल के ज़माने में एक शख़्स था और वह जब्बारीन यहूद के शहर का रहने वाला था, इस्मे आज़म जानता था। कहा गया है कि उसकी दुआ मिन्जानिब अल्लाह क़बूल हुआ करती थी। और सबसे अजीब बात यह है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि वह नबी था मगर उसकी नबुव्वत छीन ली गई। इब्ने जरीर (रह.) का ऐसा क़ौल है लेकिन यह मुत्लक़न सहीह नहीं। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मूसा (عليه السلام) जब शहरे जब्बारीन में आए तो बल्आम के पास उसके लोग आए और कहा कि मूसा (عليه السلام) एक मर्दे आहिनी है, उसके साथ बड़ी फ़ौज है, अगर वह हम पर ग़ालिब आ जाए तो हम सब हलाक हो जाएँगे। अल्लाह तआला से दुआ करो कि यह मूसा (عليه السلام) और इसके साथियों की मुसीबत से दूर हो जाए। उसने कहा कि अगर मैं ऐसी दुआ करूँ तो मेरा दीन और दुनिया दोनों तबाह हो जाएँ, लेकिन लोग उसको तंग ही करते रहे। चुनाँचे उसने ऐसी दुआ की, तो अल्लाह तआला ने उसकी बुज़ुर्गी और करामतें सब उससे छीन लीं। चुनाँचे फ़र्माया (फ़न्सलख़ मिन्हा फ़अत्बअहुश्शैतानु) यानी वह करामतों से महरूम हो गया, यहीं से शैतान उसके पीछे लग गया। सुद्दी (रह.) कहते हैं कि जब मूसा (अ.) के लिए मैदाने तीह की चहल साला गर्दिश ख़त्म हुई तो अल्लाह तआला ने यूशअ बिन नून (عليه السلام) नबी को भेजा। उन्होंने बनी इस्राईल को अपने नबी होने की ख़बर दी और यह कि अल्लाह तआला ने उन्हें हुक्म दिया है कि जब्बारीन से जंग करो, जब्बारीन ने यूशअ (عليه السلام) के हाथ पर बेअत की और तस्दीक़ की। लेकिन बनी इस्राईल का एक आदमी बल्आम नामी नाफ़र्मानी करके जब्बारीन के पास चला गया, और उनसे कहा कि तुम न घबराओ, जब तुम लड़ने के लिए निकलोगे तो मैं अपने बद्दुआ के हथियार से काम लूँगा और वह सब हलाक हो जाएँगे। जब्बारीन के पास उसकी दुनियावी मालो मताअ के लिए सब कुछ मौजूद था, बजुज (सिवाय) उसके कि वह उनकी औरतों से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता था। क्योंकि उन औरतों की अस्मत उस पर छायी हुई थी, वह सिर्फ़ अपनी ही गधी यानी औरत से रिश्ता रखता था। शैतान उसके पीछे लग गया यानी उस पर छा गया। अब वह शैतान की फ़र्मांबरदारी करने लगा (फ़काना मिनल ग़ावीन) यानी हालिकीन हाइरीन में से बन गया। नेक लोग भी कुछ वक़्त बद बन जाते हैं, चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "मुझको तुम पर कुछ इस क़िस्म का अंदेशा है जैसे वह आदमी जो क़ुरआन का इल्म रखता था, क़ुरआन की बरकत और रौनक़ उसके चेहरे से ज़ाहिर थी, इस्लामी शान थी, लेकिन अल्लाह तआला की दी हुई बदबख़्ती ने

उसको आ घेरा। इस्लाम के अह्काम उसने पीठ पीछे डाल दिए। वह अपने पड़ौसी पर तलवार ले दौड़ा, यह इल्ज़ाम लगाकर कि उसने शिर्क किया है।'' नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया कि इल्ज़ाम लगाने वाला ख़ताकार था या जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया? तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''ख़ताकार इल्ज़ाम लगाने वाला था।'' (तारीख़ुल कबीर : 4/301, 2097; वहुव ह्दीसुन ह्सन; मतालिबुल आलिया : 4/273; मुस्नद बज़्ज़ार : 1/99)

इर्शादे बारी तआला है कि अगर हम चाहते तो दुनियापरस्ती की गंदगी से उसको बालातर रखते और जो करामतें उसको दी थीं उनसे उसको महरूम कर देते लेकिन वह ज़ीनते दुनिया की तरफ़ माइल हो गया और दुनिया में ऐसा फंस गया जैसे दूसरे बेसमझ लोग (ला किन्नहू अख़्लद इलल अर्ज़) वह शैतान का हमकार बन गया और पस्ती इख़्तियार कर ली। उसकी सवारी ने अल्लाह तआला को सज्दा किया लेकिन बल्आम ने शैतान को सज्दा किया। इब्ने सय्यार से इस आयत ''और उस शख़्स की ख़बर पढ़ो जिसको हमने करामतें बख़्शी थीं'' के बारे में मरवी है कि मूसा (ﷺ) ने बनी इस्राईल को लेकर उस सरज़मीन का रुख़ किया जिसमें बल्आम रहता था या शाम का रुख़ किया। मूसा (ﷺ) की फ़ौजकशी से वहाँ के लोग घबराए और बल्आम के पास आकर कहने लगे कि मूसा (ﷺ) और उनके लश्कर के लिए दुआ करो। तो उसने कहा कि ठहरो! मैं रब से मश्वरा कर लूँ। चुनाँचे उसने मश्वरा किया या इस्तिख़ारा किया तो उससे कहा गया कि नहीं! बद् दुआ न करना क्योंकि वह मेरे बन्दे हैं और उनमें मेरा नबी भी मौजूद है। तो उसने अपनी क़ौम से कह दिया कि मैंने रब से मश्वरा किया लेकिन मुझे बद् दुआ करने की मुमानिअत हुई है। अब लोगों ने उसके पास बहुत से हदिये और तोह्फ़े भेजे, चाहिए था कि वह क़बूल न करता लेकिन उसने क़बूल कर लिया। उसके बाद यह लोग फिर उसको मजबूर करने लगे। उसने कहा, अच्छा! फिर मश्वरा कर लूँ। अबके उसको कोई मश्वरा न मिला। उसने कहा, मुझे कोई मश्वरा नहीं दिया गया। इसलिए बद् दुआ न करूँगा लेकिन लोगों ने उसको बहकाया कि अगर अल्लाह तआला को मंज़ूर ही न होता तो पहले की तरफ़ रोक देता। अब अल्लाह तआला ख़ामोश है तो गोया तुमको बद् दुआ की इजाज़त है। चुनाँचे वो धोखा खा गया और मूसा (ﷺ) और उनके लश्कर के लिए बद् दुआ करने लगा। जब कभी वो बद् दुआ के अल्फ़ाज़ मूसा (ﷺ) के लिए निकालना चाहता तो अपनी ही क़ौम के लिए बद् दुआ के अल्फ़ाज़ ज़बान से निकलते और अपनी क़ौम की फ़तह के लिए अल्फ़ाज़ अदा करना चाहता तो मूसा (ﷺ) की फ़तह के अल्फ़ाज़ ज़ुबान से निकल जाते, या इंशाअल्लाह का जुम्ला भी आख़िर में ज़ुबान से निकल जाता। जिसकी वजह से बद् दुआ मशरूत होने की वजह से अबस बनकर रह जाती। लोग कहने लगे, अरे तुम तो बद् दुआ मूसा (ﷺ) के बजाए हमारे ह़क़ में कर रहे हो। वह कहता, मैं क्या करूँ, मेरी ज़ुबान से बिला इरादा ऐसा ही कुछ निकल जाता है। मैं गुमान करता हूँ कि अगर बद् दुआ करूँगा भी तो क़बूल नहीं होगी। अब मैं तुमको एक तदबीर बताऊँ जिससे यह लोग हलाक हो सकते हैं। देखो! अल्लाह तआला ने ज़िना को ह़राम कर दिया है और ज़िना के काम से सख़्त नाराज़ है अगर यह लोग किसी तरह ज़िना में मुब्तला हो जाएँ तो यक़ीनन इनकी हलाकत की उम्मीद है। चुनाँचे ऐसा करो कि इनकी फ़ौज में अपने पास की औरतें भेज दो। यह तो बीवी बच्चे छोड़े हुए मुसाफ़िर लोग हैं, क्या अजब कि ज़िना में पड़ जाएँ और हलाक हो जाएँ। उन लोगों ने ऐसा ही किया। औरतों को मूसा (ﷺ) की फ़ौज की तरफ़ भेज दिया। यहाँ

तक कि बादशाह की बेटी भी न छोड़ी। शहज़ादी को उसके बाप ने या बल्आम ने ताकीद कर दी थी कि मूसा (عليه السلام) के सिवा किसी के तसर्रुफ़ में न आना। कहते हैं कि वाक़ेई लोग ज़िना में पड़ गए। शहज़ादी के पास बनी इस्राईल का एक सरदार आ पहुँचा और उससे फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कह दिया कि मूसा (عليه السلام) के सिवा मैं और किसी को न आने दूँगी। सरदार ने बताया कि मेरा ओहदा (पद) ऐसा बरतर है और मेरी यह शानो शौकत है तो लड़की ने अपने बाप को लिख भेजा और उस बारे में उसकी हिदायात माँगी। तो उससे कहा गया कि हाँ! मान जाओ। वह दोनों जब मसरूफ़कार थे तो हारून (عليه السلام) का एक बेटा वहाँ आ पहुँचा, उसके हाथ में एक नेज़ा था, ऐसा मारा कि दोनों अपनी मौजूदा हालत के अंदर एक ही नेज़े में हलाक हो गए। वह नेज़ा बुलंद करके लोगों के सामने आया और लोग देखते रह गए। और अल्लाह तआला ने उन पर मर्ज़े ताऊन का अज़ाब भेजा, जिससे सत्तर हज़ार आदमी हलाक हो गए। इब्ने सय्यार का बयान है कि बल्आम अपनी गधी पर सवार होकर मालूली तक आया। यहाँ से उसकी सवारी आगे नहीं चल रही थी वह उसको मार रहा था और वह बैठी जा रही थी। अल्लाह तआला ने उसको ज़ुबान दी और वह कहने लगी कि मुझको क्यूँ मार रहा है, सामने देख क्या है? देखा तो वहाँ शैतान खड़ा था, वह उतरकर शैतान को सज्दा करने लगा। इसीलिए अल्लाह तआला ने फ़र्माया है (फ़न्सलख़ मिन्हा) सालिम अबुन्नज़र कहते हैं कि मूसा (عليه السلام) जब शाम की ज़मीन से बनी किन्आन में आए तो बल्आम की क़ौम आकर उनसे कहने लगी कि मूसा (عليه السلام)! अपनी क़ौम को लेकर हमारे मुल्क में आया हुआ है ताकि हमें क़त्ल करे और यहाँ उन्हें बसाए। हम तुम्हारी क़ौम हैं हमारा कोई ठिकाना न रहेगा। तुम मर्दे मुस्तजाबुद्दअवात हो, अल्लाह तआला से उनके लिए दुआ करो। उसने कहा, यह तुम्हारी कमबख़्ती है। मूसा (عليه السلام) अल्लाह तआला के नबी हैं। उनकी मदद पर फ़रिश्ते भी हैं और मोमिनीन भी हैं, मैं कैसे बद् दुआ करूँ, मैं जो जानता हूँ सो जानता हूँ। लोगों ने कहा, हम रहें कहाँ। और हर घड़ी उस पर दबाव डालते रहे और आजिज़ी करते रहे यहाँ तक कि उन लोगों ने उसको फ़ित्ने में डाल ही दिया, चुनाँचे वह अपनी गधी पर सवार होकर पहाड़ की तरफ़ चला जिस पर चढ़कर बनी इस्राईल के लश्कर को देखे। उसको जबले हुस्बान कहते हैं कि कुछ दूर चला था कि उसकी सवारी बैठ गई, उतरकर उसको मारने लगा। कुछ दूर चलकर वह फिर बैठ गई। जब बार बार उसको मारने लगा तो अल्लाह तआला ने उसको ज़ुबान दी और वह कहने लगी कि, "बल्अम! तू मुझे किधर लिए जा रहा है, क्या नहीं देखता कि फ़रिश्ते मेरे सामने हैं, मुझे धकेलकर पीछे की तरफ़ वापिस कर रहे हैं, तू अल्लाह तआला के नबी और मोमिनीन पर बद् दुआ करने के लिए जा रहा है।" लेकिन वह बाज़ न आया, और फिर उसको मारने लगा। चुनाँचे अब की बार वह अल्लाह तआला के हुक्म से हुस्बान नामी पहाड़ी पर चढ़ गयी। वह वहाँ पहुँचकर मूसा (عليه السلام) और मोमिनीन के लिए बद् दुआ करने लगा लेकिन उसकी ज़ुबान उलट जाती थी और बद् दुआ अपनी क़ौम के लिए और दुआ मूसा (عليه السلام) के लिए निकलती थी। कहते हैं कि बद् दुआ करने पर उसकी ज़ुबान बाहर निकल पड़ी और उसके सीने पर लम्बी होकर लटक गई। अब वह बोल उठा कि मेरी दुनिया भी गई और दीन भी गया। क़ौम से कहने लगा, अब तो सिर्फ़ मकर व हीला से काम लिया जा सकता है, अपनी लड़कियों को बनाव सिंगार करके बनी इस्राईल के लश्कर में भेज दो, उनसे कह दो कि मर्दों को अपनी तरफ़ माइल करें। अगर एक शख़्स भी ज़िना का मुर्तकिब हो गया तो समझो! तुमने मक़्सद पा लिया। चुनाँचे औरतें बनी इस्राईल के लश्कर में भेजी गईं।

अहले किन्आन की एक औरत जिसका नाम कुस्तुबी था, सौर की बेटी थी जो क़ौम का सरदार और बादशाह था। उस औरत का बनी इस्राईल के एक सरदार से मिलाप हो गया जिसका नाम ज़ुमरी बिन शुलूम था। जो शम्ऊन बिन याक़ूब बिन इस्हाक़ बिन इब्राहीम का पोता था और सरदार था। उसने उस औरत को देखा तो पसंद आ गई, उसका हाथ पकड़कर मूसा (عليه السلام) के पास ले गया और कहने लगा, मूसा (عليه السلام)! आप तो यही कहेंगे कि यह तुझ पर हराम है इसके नज़दीक न होना। मूसा (عليه السلام) ने कहा, हाँ! यह तुझ पर हराम है। उसने कहा, मूसा (عليه السلام)! वल्लाह! मैं यहाँ तो तुम्हारी बात न सुनूँगा। फिर उस लड़की को अपने ख़ेमे में ले गया और हमबिस्तर हुआ। अल्लाह तआला ने बनी इस्राईल में ताऊन भेज दिया। मूसा (عليه السلام) की क़ौम का सरदार फ़िन्हास बिन ऐज़ार बिन हारून नामी, ज़ुमरी बिन शुलूम की इस हरकत के वक़्त वहाँ मौजूद न था और इस हरकत से सारी क़ौम में ताऊन फैल गया। यह सारा वाक़िया फ़िन्हास को मालूम हुआ उसने अपना लोहे का नेज़ा उठाया और ज़ुमरी के ख़ेमे में दाख़िल हुआ। वह दोनों लेटे हुए थे। दोनों को एक ही वार में हलाक कर दिया और नेज़े को सर पर बुलंद करके निकला। फ़िन्हास नौजवान और क़वी था, यह बोझ उठा लिया और उठाए हुए कहता जा रहा था कि "ऐ परवरदिगार! हम तेरे नाफ़र्मानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अब ताऊन ख़त्म कर दे।" ताऊन ख़त्म हो गया। ताऊन से हलाक होने वाले बनी इस्राईल उस मुद्दत में कि उसने औरत हासिल की फिर फ़िन्हास के हाथों क़त्ल हुआ, सत्तर हज़ार आदमी मर गए या कम से कम बीस हज़ार। फ़िन्हास की इसी शुक्रगुज़ारी में बनी इस्राईल जब कभी ज़बीहा करते हैं तो जानवर की सिरी और दस्त और अपने फलों और अम्वाल की पहली चीज़ औलादे फ़िन्हास को नज़्राना के तौर पर देते हैं। इस आयत की तफ़्सीर में इख़्तिलाफ़ात हैं कि "उसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि उस पर मशक़्क़त लादो तो भी ज़ुबान लटकाए हुए हाँपता रहता है और छोड़ दो तब भी हाँपता रहता है।" चुनाँचे कहते हैं कि बल्आम की ज़ुबान भी लटककर उसके सीने पर आ गई थी। तो उसकी तश्बीह भी ऐसे कुत्ते से दी गई है जो दोनों हालतों में एक सा हो कि उस पर करामतें नाज़िल करो या रहमतें, दोनों ही हालतों में एक जैसा ही रहेगा। या यह मिसाल उसकी गुमराही और गुमराही की पायदारी में और ईमान की तरफ़ बुलाने या न बुलाने दोनों हालतों में उससे नफ़ाबख़्श न होने के अंदर उस कुत्ते की सी है जो रकीद ने और न रकीद ने दोनों सूरतों में ज़ुबान लटकाए हाँपता रहता है। इसी तरह यह बल्आम भी कि ईमान की तरफ़ बुलाने से भी फ़ायदा नहीं उठाता और न बुलाने से भी नहीं। इसी तरह की एक बात एक दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फ़र्माई है कि "चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वह ईमान नहीं लाएँगे।" (2/बक़रह : 6) या और एक मिसाल कि "तुम इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो या न करो, अल्लाह तआला इन्हें नहीं बख़्शेगा।" (9/तौबा : 80) या यह भी मअनी हो सकते हैं कि काफ़िर और मुनाफ़िक़ और गुमराह का दिल कमज़ोर और हिदायत से फ़ारिग़ होता है कितनी ही कोशिश की जाए हिदायत नहीं पाता।

अल्लाह पाक अपने नबी करीम (ﷺ) से फ़र्माता है कि लोगों को यह वाक़ियात सुनाओ ताकि बनी इस्राईल से वाक़िफ़ होने के बाद वह ग़ौरो-फ़िक्र करके अल्लाह तआला की राह पर आ जाएँ और यह सोचें कि बल्आम का क्या हाल हुआ। रब के इल्म जैसी ज़बरदस्त दौलत उसने दुनिया की सुफ़्ली राहत पर खो दी, आख़िर न यह मिला न वह। इसी तरह यह उलमा-ए-यहूद जो अपनी किताबों में अल्लाह तआला की हिदायतें पढ़ रहे हैं और आपके औसाफ़ (पहचान की निशानियाँ) उसमें लिखे पाते हैं, उन्हें चाहिए कि दुनिया

की तमअ (लालच) में फंसकर और अपने मुरीदों को फांसकर भूल और ग़फ़्लत में न पड़ जाएँ वरना यह भी उसी तरह दीनो दुनिया से खो दिए जाएँगे, इन्हें चाहिए कि अपनी इल्मियत से फ़ायदा उठाएँ और तुम्हारी ताअत की तरफ़ झुकें और दूसरों पर भी हक़ बात को ज़ाहिर कर दें। देख लो कि कुफ़्फ़ार की कैसी बुरी मिसालें हैं कि कुत्तों की तरह खाने और शहवतरानी में पड़े हुए हैं। पस जो भी इल्म व हिदायत को छोड़कर ख़्वाहिशे नफ़्स को पूरा करने में लग जाए वह भी कुत्ते जैसा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि "बुरी मिसाल हम पर सादिक़ नहीं आनी चाहिए यानी किसी को देकर फिर वापिस ले लेने वाले की मिसाल उस कुत्ते की सी है जो उल्टी करे फिर उसी को खा जाए।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल हिबा, बाब ला यहिल्लु लि अहदिन अय्यंरजिअ फ़ी हिबतिहू व सदक़तिहू : 2622; तिर्मिज़ी : 1298; अहमद : 1/127; इसके अलावा इस मअनी की रिवायत सहीह बुख़ारी 2589; इब्ने माजा 2385 में भी मौजूद है।) और फ़र्माया कि "उन्होंने ख़ुद अपने नफ़्सों पर ज़ुल्म किया है" क्योंकि हिदायत की इत्तिबाअ नहीं की, दुनिया और दुनिया की लज़्ज़त में फंस गए। यह अल्लाह तआला का ज़ुल्म नहीं है।

***

مَنۡ یَّہۡدِ اللّٰہُ فَہُوَ الۡمُہۡتَدِیۡ ۚ وَ مَنۡ یُّضۡلِلۡ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ﴿۱۷۸﴾ وَ لَقَدۡ ذَرَاۡنَا لِجَہَنَّمَ کَثِیۡرًا مِّنَ الۡجِنِّ وَ الۡاِنۡسِ ۫ۖ لَہُمۡ قُلُوۡبٌ لَّا یَفۡقَہُوۡنَ بِہَا ۫ وَ لَہُمۡ اَعۡیُنٌ لَّا یُبۡصِرُوۡنَ بِہَا ۫ وَ لَہُمۡ اٰذَانٌ لَّا یَسۡمَعُوۡنَ بِہَا ؕ اُولٰٓئِکَ کَالۡاَنۡعَامِ بَلۡ ہُمۡ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡغٰفِلُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾

तर्जुमा : "जिसको अल्लाह तआला हिदायत करता है तो हिदायत पाने वाला वही होता है और जिसको वह गुमराह कर दे तो ऐसे लोग ख़सारे (घाटे) में पड़ जाते हैं। (178) और हमने ऐसे बहुत से जिन्न और इंस दोज़ख़ के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते और जिनकी आँखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते और जिनके कान ऐसे है जिनसे नहीं सुनते। यह लोग चौपाये जानवरों की तरह हैं बल्कि यह लोग ज़्यादा गुमराह हैं, यह लोग ग़ाफ़िल हैं।" (179)

हिदायत और गुमराही अल्लाह तआला के इख़्तियार में है (आयत 178, 179) : जिसको अल्लाह तआला हिदायत करे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वो गुमराह कर दे, किसी की मजाल नहीं कि उसको हिदायत कर दे, अल्लाह तआला ने जो चाहा हुआ और जो नहीं चाहा, नहीं हुआ। इसीलिए हदीस में है कि **(इन्नल हम्द लिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तहदियहू व नस्तग़्फ़िरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फ़ुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मंय्यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल**

लहू वमंय्युज़्लिल फ़ला हादिया लहू व अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू) अन इब्ने मसऊद (रज़ि.)

"तमाम तारीफ़ें अल्लाह तआला ही के लिए हैं। हम उसकी हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं और उसी से हिदायत तलब करते हैं और उसी से बख़्शिश माँगते हैं। हम अपने नफ़्स की शरारतों से अल्लाह तआला की पनाह लेते हैं और अपने आमाल की बुराईयों से भी। अल्लाह तआला की राह दिखाए हुए को कोई भटका नहीं सकता और उसके गुमराह किए हुए को कोई सीधी राह पर ला नहीं सकता। मैं गवाही देता हूँ कि मअबूद सिर्फ़ अल्लाह तआला ही है, वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।" (अबूदाऊद, किताबुन् निकाह, बाब फ़ी ख़ुत्बतिन्निकाह : 2118; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अबू उबेदह की अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत मुन्क़तअ है नीज़ अबू इस्हाक़ सबीई मुदल्लस रावी के सिमाअ की तसरीह नहीं है। तिर्मिज़ी : 1105; नसाई : 3279; इब्ने माजा : 1892; अहमद : 1/432; बैहक़ी : 3/214)

जिस्मानी हिस्सों का सही इस्तेमाल न करने वाले जानवरों से बदतर हैं : हुज़ूर (ﷺ) को एक बार किसी अंसार के लड़के के जनाज़े में जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह बच्चा तो जन्नत की एक चिड़िया है, न उसने कोई बुरे काम किए, न दोज़ख़ उसका कोई ठिकाना है तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि "ऐ आइशा (रज़ि.)! अब मुझसे भी कुछ सुनो कि अल्लाह तआला ने जन्नत को पैदा किया और वह लोग भी पैदा किए जो अहले जन्नत होंगे। और यह मुस्तहिक़्क़ीने जन्नत उसी दिन क़रार दिए गए कि अभी आदम (عليه السلام) की पीठ में थे और दोज़ख़ और अहले दोज़ख़ पैदा किए गए और अभी आदम (عليه السلام) की पीठ ही में थे।" (सहीह मुस्लिम, किताबुल क़द्र, बाब मअनी कुल्लू मौलूदिन यूलद अलल फ़ित्रति : 2662; अबूदाऊद : 4713; इब्ने माजा : 82; मुस्नद अबी यअला : 4553; अहमद : 6/41; इब्ने हिब्बान : 138)

इब्ने मसऊद (रज़ि.) से मरवी है कि अल्लाह पाक माँ के पेट में एक फ़रिश्ते को भेजता है जो चार बातें उसके बारे में लिख देता है। उसका रिज़्क़, उसकी उम्र, उसके आमाल और नेक या बद। (सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब ज़िक्रुल मलाइका : 3208; सहीह मुस्लिम : 2643; अबूदाऊद : 4708; तिर्मिज़ी : 2137; इब्ने माजा : 76; अहमद : 1/382; इब्ने हिब्बान : 6174) और यह बात पहले बयान हो चुकी कि आदम (عليه السلام) की पीठ से जब अल्लाह तआला ने ज़ुर्रियत को निकाला तो अस्हाबे यमीन और अस्हाबे शिमाल दो फ़रीक़ बनाए, एक जन्नत के लिए और एक दोज़ख़ के लिए। और फ़र्माया, मुझे उसकी परवाह नहीं कि कौन अपने को मुस्तहिक़्क़े जन्नत बना रहा है और कौन मुस्तहिक़्क़े जहन्नम। इस बारे में अहादीस कस्रत से वारिद हैं और तक़्दीर का मसला एक अहम मसला है। यहाँ मज़ीद वज़ाहत की गुंजाइश नहीं। इर्शाद होता है कि उनके दिल तो हैं लेकिन वह नहीं समझ सकते, आँखें हैं पर देखते नहीं, कान हैं मगर सुनते नहीं। यह चीज़ें जिन को हिदायत हासिल करने के लिए सबब बनाया गया था। उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाते जैसाकि फ़र्माया "इन्हें कान, आँख, दिल दिए गए लेकिन इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। क्योंकि इन चीज़ों से

उन्होंने काम नहीं लिया और आयाते अल्लाह ही का इंकार कर बैठे।'' मुनाफ़िक़ीन के हक़ में अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ) (2/बक़रह : 18) और काफ़िरों के हक़ में है (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ) (2/बक़रह : 171) और फ़र्माया कि ''अगर अल्लाह बुरों में कोई ख़ैर मालूम करता तो ज़रूर उनको सुनने के क़ाबिल बनाता तो ज़रूर वह हिदायत पाते।'' और फ़र्माया कि ''आँखें अंधी नहीं होती है बल्कि दिल अंधे होते हैं।'' और फ़र्माया कि ''जिसने अल्लाह की वह्नी (फ़र्मान) से रूगर्दानी की तो शैतान उस पर मुसल्लत हो जाता है और हर वक़्त उससे लगा लिपटा रहता है। यह लोग अल्लाह तआला की राह से लोगों को रोकते हैं और गुमान यह करते हैं कि यही ठीक राह पर हैं।'' अब यहाँ यह इर्शाद होता है कि यह लोग मिस्ल जानवरों के हैं कि न हक़ बात को सुनते हैं, न हक़ की मदद करते हैं, न हिदायत को देखते हैं और अपने हवासे ख़म्सा से कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाते सिवाए उसके कि दुनियावी हयात के अंदर उससे फ़ायदा उठा लिया जैसाकि फ़र्माया कि काफ़िरों की मिसाल उस जानवर जैसी है जो कि राई (चरवाहे) के अल्फ़ाज़ को तो नहीं समझता सिर्फ़ आवाज़ को सुनता है कि उन्हें भी ईमान की तरफ़ बुलाया जाए तो उसकी अफ़ादियत को तो नहीं समझते अल्बत्ता आवाज़ सुन पाते हैं इसीलिए फ़र्माया कि यह उन जानवरों से भी ज़्यादा ज़लील हैं कि जानवर अपने राई (चरवाहे) की बात अगरचे न समझें लेकिन उसके बुलाने पर उसका रुख़ तो करते हैं। इसलिए कि उन जानवरों से न समझ सकने का फ़ित्री व ख़ल्क़ी काम सरज़द होता है या तो अज़रूए तबीयत या सधाने की बिना पर, बरख़िलाफ़ काफ़िर के कि वह तो बिना किसी शिर्क के अल्लाह तआला की इबादत के लिए पैदा किया गया था लेकिन उसने कुफ़्र और शिर्क किया और इसीलिए जिसने अल्लाह तआला की इताअत की वह बरोज़े क़यामत फ़रिश्ते से भी अफ़ज़ल है और जिसने कुफ़्र किया वह जानवर बल्कि उससे भी बदतर है।

***

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

तर्जुमा : ''और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह तआला ही के लिए हैं तो उन नामों से अल्लाह तआला ही को पुकारा किया करो। और ऐसे लोगों से रिश्ता न रखो जो उसके नामों में कज रवी करते हैं उन लोगों को उनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी।'' (180)

अल्लाह तआला के अस्मा-ए-हुस्ना की तादाद और फ़ज़ीलत (आयत 180) : हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''अल्लाह तआला के निन्नान्वे (99) नाम हैं, एक कम सौ, जो इनका विर्द रखेगा वह जन्नत में जाएगा, अल्लाह तआला वित्र (बेजोड़) है इसलिए अदद में भी वित्र ही को पसंद करता है।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुद्दअवात, बाब लिल्लाहि मिअत इस्मुन ग़ैरा

वाहिदतिन : 6410; सहीह मुस्लिम : 2677; तिर्मिज़ी : 3506; इब्ने माजा : 3860; अहमद : 2/267; इब्ने हिब्बान : 807) वह पाक नाम यह हैं:–

(हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू, अर् रहमानु, अर् रहीमु, अल्मलिकु, अल्कुद्दूसु, अस्सलामु, अल्मोमिनु, अल्मुहैमिनु, अल्अज़ीज़ु, अल्जब्बारु, अल्मुतकब्बिरु, अल्ख़ालिकु, अल्बारिउ, अल्मुसव्विरु, अल्ग़फ़्फ़ारु, अल्क़हहारु, अर्रज़्ज़ाकु, अल्फ़त्ताहु, अल्क़ाबिज़ु, अल्बासितु, अल्ख़ाफ़िज़ु, अर्राफ़िउ, अल्मुइज़्ज़ु, अल्मुज़िल्लु, अस्समीउ, अल्बसीरु, अल्हकमु, अल्अदलु, अल्लतीफु, अल्ख़बीरु, अल्अज़ीमु, अल्ग़फ़ूरु, अश्शकूरु, अल्अलिय्यु, अल्कबीरु, अल्हफ़ीज़ु, अल्मुक़ीतु, अल्हसीबु, अल्जलीलु, अल्करीमु, अर्रक़ीबु, अल्मुजीबु, अल्वासेउ, अल्हकीमु, अल्वदूदु, अल्मजीदु, अल्बाइसु, अश्शहीदु, अल्हक़्क़ु, अल्वकीलु, अल्क़विय्यु, अल्मतीनु, अल्वलिय्यु, अल्हमीदु, अल्मुहसी, अल्मुब्दिउ, अल्मुईदु, अल्मुहयि, अल्मुमीतु, अल्हय्यु, अल्क़य्यूमु, अल्वाजिदु, अल्माजिदु, अल्वाहिदु, अल्अहदु, अल्फ़र्दु, अस्समदु, अल्क़ादिरु, अल्मुक़्तदिरु, अल्मुक़द्दिमु, अल्मुअख़्ख़िरु, अल्अव्वलु, अल्आख़िरु, अज़्ज़ाहिरु, अल्बातिनु, अल्वालियु, अल्मुतआली, अल्बर्रु, अत्तव्वाबु, अल्मुंतक़िमु, अल्अफ़ुव्वु, अर्रऊफु, मालिकुल मुल्क, ज़ुल जलालि वल इकराम, अल्मुक़्सितु, अल्जामिउ, अल्ग़निय्यु, अल्मुग़्निय्यु, अल्मानिउ, अज़्ज़ार्रु, अन्नाफ़िउ, अन्नूरु, अल्हादी, अल्बदीउ, अल्बाक़ी, अल्वारिस, अर्रशीदु, अस्सबूरु)

यह हदीस ग़रीब है। कुछ कमी ज़्यादती के साथ इस तरह यह नाम इब्ने माजा की हदीस में भी वारिद हैं। (इब्ने माजा, किताबुदुआ, बाब अस्माउल्लाह अज़ व जल्ल : 3861; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में अब्दुल मलिक बिन मुहम्मद सन्आनी ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/663) कुछ बुज़ुर्गों का ख़्याल है कि यह नाम रावियों ने क़ुरआन में से छांट लिए हैं, वल्लाहु आलम! यह याद रहे कि यही निन्नान्वे नाम ही अल्लाह तआला के हों और न हों, यह बात नहीं। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जिसे कभी कोई ग़म व रंज पहुँचे और वह दुआ करे।

(अल्लाहुम्म इन्नी अब्दुक, इब्ने इब्दिक, इब्नि अमतिक नासियती बि यदिक माज़िन फ़िय्य हुक्मुक अद्लुन फ़िय्य क़ज़ाउक अस्अलुक बिकुल्लिस्मिन हुव लक सम्मैत बिही नफ़्सक व अन्ज़ल्तहू फ़ी किताबिक अव अल्लम्तहू अहदम् मिन् ख़ल्क़िक अविस्त'सर्त बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इन्दक अन् तज्अलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी) कहा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम याद न कर लें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, "बल्कि जो भी इसे सुने चाहिए कि याद कर ले।" (अहमद : 1/391; व सनदुहू हसन; मुस्नद अबी यअला : 5297; हाकिम : 1/509; इब्ने हिब्बान : 972) कुछ लोगों ने तो क़ुरआन व सुन्नत से अल्लाह तआला के एक हज़ार नाम निकाले हैं। इर्शाद होता है कि जाने भी दो उन लोगों को जो अल्लाह तआला के नामों में कज रवी इख़्तियार करते हैं कि यह

काफ़िर लोग अल्लाह तआला के नामों में 'लात' का लफ़्ज़ भी शरीक करते हैं कि लात को अल्लाह तआला का मुअन्नस लफ़्ज़ बताते हैं कि उ़ज़्ज़ा को अ़ज़ीज़ का लफ़्ज़। यह दोनों नाम काफ़िरों के पास मुअन्नस ख़ुदाओं के हैं। इल्ह़ाद के मअ़नी तक्ज़ीब के हैं और कलामे अ़रब में एअतिदाल से हटने को कहते हैं। लह़्द ब मअ़नी क़ब्र उसी से है क्योंकि क़िब्ला की त़रफ़ रुख़ फेरकर बनाई जाती है।

***

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿١٨١﴾ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٢﴾ وَاُمْلِيْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿١٨٣﴾

तर्जुमा : "और हमारी मख़्लूक़ में एक जमाअ़त ऐसी भी है जो ह़क़ के मुवाफ़िक़ हिदायत करते हैं और उसके मुवाफ़िक़ इंसाफ़ भी करते हैं। (181) और जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं हम उनको बतदरीज (धीरे-धीरे) लिए जा रहे हैं इस त़ौर पर कि उनको ख़बर भी नहीं। (182) और उनको मुहलत देता हूँ बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है।" (183)

एक जमाअ़त क़यामत तक ह़क़ पर है (आयत 181-183) : हमारी पैदाकर्दा क़ौमों में से कुछ क़ौम क़ौलन व अ़मलन ह़क़ पर क़ायम है, ह़क़ बोलती है और ह़क़ की त़रफ़ बुलाती है और ह़क़ के मुत़ाबिक़ ही फ़ैसला करती है। उस उम्मत से मुराद उम्मते मुह़म्मदिया है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) जब इस आयत को पढ़ते थे, तो फ़र्माते थे कि, "यह तुम हो और वह क़ौम जो तुमसे पहले गुज़री यानी क़ौमे मूसा कि यह लोग भी दूसरों को ह़क़ की त़रफ़ बुलाते थे। (7/आराफ़ : 159) (त़बरी : 3/286; यह रिवायत मुअ़ज़ल यानी ज़ईफ़ है) नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरी उम्मत में से एक क़ौम ह़क़ पर क़ायम रहेगी यहाँ तक कि ईसा (عليه السلام) नुज़ूल फ़र्माएँ। (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/272) और वह जमाअ़त ह़क़ पर ग़ालिब रहेगी, उनका कोई मुख़ालिफ़ उनको ज़रर (नुक़सान) नहीं पहुँचा सकेगा और क़यामत के आने या वह अपने मरने तक उस पर कारबन्द रहेंगे।" (स़ह़ीह़ बुख़ारी, किताबुल मनाक़िब, बाब : 28; 3640; स़ह़ीह़ मुस्लिम, किताबुल इमारत, बाब क़ौलुहू (ला तज़ालु त़ाइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अ़लल ह़क़....) : 1920)

कसरते रिज़्क़ बाइसे वबाल भी है : इसका मत़लब यह है कि उनके लिए अब्वाबे रिज़्क़ खुल जाएँगे। दुनियावी मफ़ाद ज़्यादा हो जाएगा। ह़त्ताकि वह उसी धोखे में रहेंगे और यह गुमान करने लगेंगे कि उनकी हमेशा यही ह़ालत रहेगी। जैसाकि फ़र्माया, "उन्होंने जब हमारी याद भुला दी तो हमने अब्वाबे रिज़्क़ उन पर खोल दिए और जब वह गुरूर में उतर आए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया और वह मायूस होकर रह गए। उन ज़ालिमों की नस्ल ही क़त़अ़ कर दी गई। ह़म्द के लायक़ तो अल्लाह रब्बुल आ़लमीन ही है। (6/अन्आम : 44, 45) इसीलिए फ़र्माया कि हम उन्हें ढील देते हमारी तदबीर बहुत मजबूत होती है।

***

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۸۴﴾ اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

तर्जुमा : "क्या उन लोगों ने इस बात पर ग़ौर न किया कि उनका जिनसे साबिक़ा है उनको ज़रा भी जुनून नहीं वह तो सिर्फ़ एक साफ़-साफ़ डराने वाले हैं। (184) और क्या उन लोगों ने ग़ौर नहीं किया आसमानों और ज़मीन के आलम में और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह तआला ने पैदा की हैं और इस बात में कि मुम्किन है कि उनकी अजल क़रीब ही आ पहुँची हो। फिर क़ुरआन के बाद कौनसी बात पर यह लोग ईमान लाएँगे।" (185)

नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं (आयत 184-185) : इन तक्ज़ीब करने वालों ने यह भी ग़ौर न किया कि उनके रफ़ीक़ (हज़रत मुहम्मद ﷺ) को दरहक़ीक़त कोई जुनून नहीं। (81/तक्वीर : 22) बल्कि अल्लाह तआला के रसूल हैं और हक़ की तरफ़ बुलाते हैं। जिस शख़्स को अक़्ले सलीम है और उससे काम लेना चाहता है, वह उसको साफ़-साफ़ तम्बीह करने वाले हैं और फ़र्माया कि मैं तुम्हें एक बात की नसीहत करता हूँ कि अल्लाह तआला की इबादत और उसकी तब्लीग़ के लिए एक-एक और दो दो मिलकर खड़े हो जाओ फिर इस बात पर तो कुछ ग़ौर करो कि तुम्हारे रफ़ीक़ को जुनून नहीं, बल्कि वह तो अल्लाह तआला के अज़ाबे शदीद से डराने वाले हैं। (34/सबा : 46) अल्लाह तआला से ख़ुलूस इख़्तियार करो। तास्सुब व दुश्मनी को छोड़ दो अगर तुम ऐसा करोगे तो हक़ीक़त तुम पर खुल जाएगी कि यह रसूल सच्चे हैं और ख़ैरख़्वाह हैं।

नबी अकरम (ﷺ) सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए। क़ुरैश को जमा किया और एक एक क़बीला का नाम ले लेकर बुलाने लगे। फिर अल्लाह तआला के अज़ाब और हादिसाते मुतवक़्क़ा से उन्हें डराया तो कुछ बेवक़ूफ़ कहने लगे कि यह तो कुछ दीवाने से मालूम होते हैं। सुबह तक बकवास करते रहे तो अल्लाह तआला की तरफ़ से यह आयत उतरी थी।

मौत का इल्म नहीं, हक़ को क़बूल कर लेना चाहिए : इर्शाद होता है कि हमारी निशानियों को झुठलाने वाले क्या इस बात पर ग़ौर नहीं करते कि हमें कैसा ग़ल्बा हासिल है आसमानों और ज़मीन पर और उनमें जो कुछ है उन सब पर। उन्हें चाहिए था कि इस पर तदबीर व तफ़क्कुर करते और इब्रत लेते और इस नतीजा पर पहुँचते कि यह सब उसका है जिसका कोई नज़ीर व शबीह नहीं वही इस बात का मुस्तहिक़ है कि इबादत और ख़ुलूस सिर्फ़ उससे बरतें और उसके रसूल की तस्दीक़ करें, उसकी इताअत की तरफ़ झुक जाएँ, बुतों को

निकाल फेंकें और इस बात से डरें कि मौत क़रीब है अगर कुफ़्र ही पर मर जाएँगे तो अ़ज़ाबे अलीम के मुस्तहिक़ होंगे। फिर फ़र्माया कि अब उसके बाद फिर और कौनसी तख़्वीफ़ और तर्हीब चाहिए कि जो धमकी आई हुई है वह अल्लाह तआला की तरफ़ से आई हुई है अगर वह्य (फ़र्माने इलाही) और क़ुरआन की तस्दीक़ न करें जो हज़रत मुहम्मद (ﷺ) ने पेश की है तो फिर किस बात की तस्दीक़ करेंगे।

अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ''शबे मेअ़राज में मैंने देखा कि सातवें आसमान तक जब मैं पहुँचा तो ऊपर नज़र की तो रअ़द व बर्क़ देखे। और ऐसी क़ौम पर से मेरा गुज़र हुआ जिनके पेट मटकों की तरह फूले हुए थे उनमें साँप भरे हुए थे जो बाहर से भी दिखाई दे रहे थे। मैंने जिब्राईल (عليه السلام) से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सूद खाने वाले लोग हैं और जब इस पहले आसमान पर उतरा तो मैंने अपने से नीचे की तरफ़ नज़र डाली तो एक धुंध और धुआँ था और शोरो ग़ोग़ा बरपा था। मैंने पूछा, ऐ जिब्राईल (عليه السلام)! यह क्या है? तो कहा, यह वह शयातीन हैं जो इंसानों की आँखों के सामने घूमते रहते हैं और आड़ बन जाते हैं ताकि ज़मीन व आसमान के फ़रिश्तों में इंसान नज़र ही न कर सके अगर यह हाइल न होते तो इंसान आसमान की अ़जीब अ़जीब बातें देखता।'' (अहमद : 2/353; इब्ने माजा, किताबुत्तिजारात, बाब अत्तग़लीज़ फ़िर्रिबा : 2273; मुख़्तसरन व सनदुहू ज़ईफ़ुन (अत्तक़रीब : 2/37; रक़म : 342) इसकी सनद में अबुस्सुल्त मज्हूल और अ़ली बिन ज़ेद ज़ईफ़ रावी है। और शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ इब्ने माजा : 496) उसके एक रावी अ़ली बिन ज़ेद से बहुत से मुंकर रिवायात भी मंसूब हैं।

***

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۱۸۶﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ
السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؔۚ ثَقُلَتْ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ
اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

तर्जुमा : ''जिसको अल्लाह तआला गुमराह करे उसको कोई राह पर नहीं ला सकता। और अल्लाह तआला उनको उनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। (186) यह लोग आपसे क़यामत के

बारे में सवाल करते हैं कि वो कब क़ायम होगी, आप फ़र्मा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ़ मेरे रब ही के पास है। उसके वक़्त पर उसको सिवा अल्लाह तआला के कोई और ज़ाहिर न करेगा। वह आसमानों और ज़मीन में बड़ा भारी हादसा होगा। वह तुम पर महज़ अचानक आ पड़ेगी। वह आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी तहक़ीक़ात कर चुके हैं। आप कह दीजिए कि उसका इल्म ख़ास अल्लाह तआला ही के पास है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।" (187)

जिसे अल्लाह तआला गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता (आयत 186, 187) : अल्लाह तआला ने जिसके नाम गुमराही लिख दी है उसको कोई हिदायत नहीं कर सकता, वह कितनी ही निशानियाँ देखे, कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिसको अल्लाह तआला ही फ़ित्ने में डाले, उसको कौन सीधी राह पर लाए। (5/माइदा : 41) जैसाकि फ़र्माया, देखो! आसमानों और ज़मीन में हमारी क्या कुछ निशानियाँ हैं। लेकिन निशानियाँ, मुअजिज़ात और धमकियाँ कोई चीज़ भी इन काफ़िरों को मुफ़ीद नहीं पड़ती। (12/यूसुफ़ : 101)

क़यामत और उसकी निशानियाँ : यह आयत कुरैश के बारे में उतरी है, या यहूद की एक जमाअत के बारे में। लेकिन पहली बात ज़्यादा सही है क्योंकि यह आयत मक्की है और यहूद तो मदीना में रहते थे। ये लोग क़यामत का वक़्त जो तुमसे पूछते हैं तो उसका यक़ीन न करेंगे, तक्ज़ीब के अंदाज़ में पूछते हैं जैसाकि इस आयत के अंदाज़े बयान से नतीजा निकलता है।" यह लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो यह बताओ कि वह होगी कब और किस तारीख़े?" और फ़र्माया कि यह काफ़िर क़यामत को जल्दी माँगते हैं, हालाँकि मोमिन तो क़यामत की होलनाकियों से डरते हैं और यक़ीन रखे हुए हैं कि उसका आना हक़ है और जो लोग क़यामत में शक करते हैं, बड़ी गुमराही में हैं। (42/शूरा : 18) और फ़र्माया "बताओ! वह किस तारीख़ को होगी। और दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी, और फिर घड़ी क़यामत की कौनसी है?" तो ऐ नबी (ﷺ)! कह दो कि इसका इल्म तो मेरे रब ही को है। अल्लाह तआला के सिवा किसी को नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मश्वरा दिया है कि ऐ नबी (ﷺ)! वह वक़्ते क़यामत पूछें तो बात को अल्लाह तआला की तरफ़ फेर दो कि उसके वक़्त की तहदीद (सही मालूमात) तो अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए फ़र्माया (सक़ुलत फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि) यानी ज़मीन व आसमान वाले उसके इल्म से बेबहरा हैं। हसन (रह.) यह मतलब बयान करते हैं कि जब क़यामत आएगी तो अहले ज़मीन व आसमान पर बहुत भारी गुज़रेगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) यह मतलब बयान करते हैं कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं होगी जिसको क़यामत का ज़रर न पहुँचेगा। आसमान फट जाएँगे, सितारे टूट पड़ेंगे, सूरज तारीक हो जाएगा, पहाड़ उड़ जाएँगे और अल्लाह तआला ने जो कुछ कहा है वह सब होगा। आसमान वालों को भी इसका इल्म नहीं। जैसाकि फ़र्माया कि वह अचानक आ जाएगी, लोगों को उसका सान व गुमान भी न होगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "क़यामत उस वक़्त तक न आएगी कि एक वक़्त सूरज मग़रिब से उगेगा। काफ़िर यह अजीब बात और उस पेशगोई की सदाक़त देखकर ईमान लाएँगे। लेकिन किसी को भी उस वक़्त का ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा। या गुनहगारों को अब नेक काम करना कोई नतीजा न बख़्शेगा। दो आदमी कपड़े का लेन देन कर रहे होंगे, इस ग़र्ज़ से कपड़े के थान खोला जा रहा होगा। दूध दूहकर पिया भी न गया होगा, लोग

पीने के पानी की टंकी साफ़ ही कर रहे होंगे, लुक़्मा मुँह की तरफ़ ले जाया जा रहा होगा कि अचानक क़यामत शुरू हो जाएगी।'' (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब : 40, 6506; अहमद : 2/369; मुस्नद अबी यअ़ला : 6271)

(यस्अलूनक कअन्नक हफ़िय्युन अन्हा) के मअ़नी में मुफ़स्सिरीन का इख़्तिलाफ़ है। यानी वह क़यामत का राज़ तुमसे ऐसे पूछते हैं गोया तुम उनके बड़े दोस्त हो और इस अंदाज़ में पूछते हैं कि गोया क़यामत की तारीख़ वक़ूअ से तुम वाक़िफ़ हो। इसलिए अल्लाह तआ़ला ने फ़र्मा दिया कि उसका इल्म अल्लाह तआ़ला के सिवा और किसी को नहीं। अल्लाह तआ़ला ने तो इस राज़ को किसी मुक़र्रबतरीन फ़रिश्ते या अपने किसी रसूल पर भी ज़ाहिर नहीं किया। क़तादा (रह.) कहते हैं कि कुरैश हुज़ूर (ﷺ) से कहते थे कि तुम्हारे हमारे बीच तो रिश्तेदारी है, हमें तो बता दीजिए कि क़यामत कब क़ायम होगी। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने यह आयत उतारी कि कह दो कि उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही को है।

यह लोग जो नबी करीम (ﷺ) से वक़्ते क़यामत को पूछते हैं तो नहीं जानते कि नबी को भी इसका इल्म नहीं। अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई उसका इल्म नहीं रखता। हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) एक आ़राबी की शक्ल में नबी (ﷺ) के पास आए ताकि उमूरे दीन की तालीम लोगों को हासिल हो सके। और एक तालिबे हिदायत साइल के अंदाज़ में हुज़ूर (ﷺ) के पास बैठ गए और आप (ﷺ) से इस्लाम के बारे में पूछा, फिर ईमान और एहसान के बारे में पूछा। फिर पूछा कि क़यामत कब आने वाली है। उस चौथे सवाल के जवाब में नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि ''इस बारे में तो मुझको तुमसे ज़्यादा इल्म नहीं। यानी जैसे तुम नावाक़िफ़ हो, मैं भी नावाक़िफ़ हूँ। और कोई शख़्स भी इस बारे में कुछ न हीं जान सकता।'' फिर हुज़ूर (ﷺ) ने यह आयत पढ़ी (إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (31/लुक़्मान : 34) और एक रिवायत में है कि जिब्राईल (عليه السلام) ने बशक्ले आ़राबी आपसे क़यामत की निशानियाँ पूछीं। आपने निशानियाँ बता दीं। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''पाँच चीज़ों का इल्म अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई और नहीं जानता।'' हुज़ूर (ﷺ) के हर जवाब पर वह आ़राबी कहता गया कि आप सही फ़र्मा रहे हैं। गोया कि वह जानता था और बात की सदाक़त का ऐतिराफ़ कर रहा है। इस अंदाज़े तस्दीक़ पर सहाबा (रज़ि.) ने ताज्जुब किया कि यह कैसा साइल है कि ख़ुद ही सवाल कर रहा है और ख़ुद ही जवाब पर साद (हाँ) कर रहा है। फिर यह साइल चला गया तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''यह जिब्राईल (عليه السلام) थे और इस बहाने से तुम लोगों को मसाइले दीन और मुअ़तक़िदात की तालीम देने के लिए आए थे। (सहीह बुख़ारी, किताबुल ईमान, बाब सुआलु जिब्राईलन्नबी (ﷺ)... : 150; सहीह मुस्लिम : 1009) इससे पहले जब कभी यह सूरत बदलकर आते रहे, मैं पहचानता रहा और इस दफ़ा तो मैंने भी नहीं पहचाना था।'' (अहमद : 4/129; वहुव हसन; मज्मउ़ज़्ज़वाइद : 1/40) मैंने आग़ाज़े शरह बुख़ारी में इस हदीस को बयान कर दिया है। और जब एक आ़राबी ने आपसे पूछा और बुलंद आवाज़ में आपको पुकारा कि या मुहम्मद (ﷺ)! तो आप (ﷺ) ने भी बुलंद आवाज़ में जवाब दिया। हाँ! क्या है?'' तो उसने कहा, क़यामत कब आने वाली है। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ''ऐ नादान! क़यामत जब भी आएगी ज़रूर आएगी। लेकिन तुम बताओ कि उसके लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है। कहा, बड़ी बड़ी नमाज़ें और

रोज़े तो ख़ैर नहीं हो सके लेकिन अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुझे बहुत मुहब्बत और शग़फ़ है। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी क़यामत में उसी के साथ रहेगा कि जिसको ज़्यादा चाहता हो।'' (तिर्मिज़ी, किताबुद्दअवात, बाब मा जाअ फ़ी फ़ज़्लित्तौबति....: 3535; वहुव हसन; मुस्नद तयालिसी : 1167; इब्ने हिब्बान : 562; इस मअनी की रिवायत सहीह बुख़ारी, किताबुल अदब, बाब मा जाअ फ़ी क़ौलिर्रजुल वैलक : 6167; सहीह मुस्लिम : 2638 में भी मौजूद है।) इस हदीस को सुनकर सहाबा किराम (रज़ि.) बेइंतिहा ख़ुश हो गए। बुख़ारी व मुस्लिम में अक्सर सहाबा (रज़ि.) की रिवायतों से यह हदीस मुत्अद्दिद (कई) तरीक़ों से बयान हुई है। नबी करीम (ﷺ) की आदते शरीफ़ा थी कि जब कोई शख़्स ऐसा सवाल करता जिसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं और उसके लिए अबस है, तो आप (ﷺ) जवाब में इस बात की तरफ़ उसका रुख़ कर देते जिसका जानना उसके लिए अपने सवाल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होगा। ताकि वह अपनी ज़ात को उससे निपटने का अहल बना ले, और पहले से तैयारी कर रखे अगरचे उसकी तअयीने वक़्त से वाक़िफ़ न हो। हज़रत आइशा (रज़ि.) से मरवी है कि अरब देहाती हुज़ूर (ﷺ) के पास आते तो अकसर यह सवाल करते रहते कि क़यामत कब होगी। तो आप (ﷺ) ने उनके किसी बच्चे की तरफ़ इशारा करके कहते कि ''अगर अल्लाह तआला ने इसको ज़िन्दगी दी तो यह बूढ़ा भी न होने पाएगा कि तुम्हारी क़यामत तो आ जाएगी। (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब सक्रातुल मौत : 6511; सहीह मुस्लिम : 2952) गोया क़यामत से मुराद मौत हुई जो यहाँ से हटाकर तुम्हें आलमे बरज़ख़ में ले जा छोड़ेगी।'' और बहुत सी अहादीस इसी मज़्मून की अल्फ़ाज़ के थोड़े से तग़य्युर के साथ पेश की गई हैं, जो सबकी सब एक ही मज़्मून की हैं। हासिले कलाम यह कि मक़्सद इन सब हदीसों का यही है कि क़यामत आएगी और ज़रूर आएगी लेकिन वक़्त का तअय्युन नहीं किया जा सकता। ''उस बच्चे के बुढ़ापे से पहले क़यामत आ जाएगी।'' यह इत्लाक़ भी उसी तक़य्युद पर महमूल है। यानी मुराद इससे लोगों की मौत का वक़्त है। अपनी वफ़ात से एक माह पहले आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ''क़यामत के बारे में मुझसे तुम लोग पूछते रहते हो। उसका इल्म तो ख़ैर अल्लाह तआला को है कि क़यामत आने में और कितनी मुद्दत है। लेकिन मैं क़सम खाकर बयान करता हूँ कि इस वक़्त ज़मीन पर जितने मुतनफ़्फ़िस आबाद हैं सो साल बाद उनमें से एक भी बाक़ी न रहेगा।'' (सहीह मुस्लिम, किताब फ़ज़ाइलुस्सहाबा, बाब बयानु मअनी क़ौलुहू (ﷺ) (अला .....) : 2538; तिर्मिज़ी : 2250; अहमद : 3/322; इब्ने हिब्बान : 2987) तो गोया मतलब यह हुआ कि जैसे क़यामत में सब लोग मर जाएँगे उसी तरह सौ साल में मौजूदा सब लोगों के लिए क़यामत आ जाएगी। गोया तअय्युने वक़्त ही अगर चाहते हो तो लो यह तअय्युने वक़्त है। इस तरह क़यामत से मुराद उस एक सदी का इख़्तिताम था। (सहीह बुख़ारी, किताब मवाक़ीतुस्सलात, बाब अस्समरु फ़िल फ़िक़्हे वल ख़ैरि बअदल इशा : 601; सहीह मुस्लिम : 5037; अबूदाऊद : 4348; तिर्मिज़ी : 2251; अहमद : 2/88; इब्ने हिब्बान : 2989) कि बात को इस ढंग से बयान किया गया। नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''शबे मेअराज में इब्राहीम (عليه السلام), और मूसा (عليه السلام) और ईसा (عليه السلام) पर मेरा गुज़र हुआ, लोग क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे। यह सब हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) से आकर पूछने लगे। आपने फ़र्माया कि मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं। फिर हज़रत मूसा (عليه السلام) के पास गए। आप ने भी यही फ़र्माया। ईसा (عليه السلام) के पास गए, आप (عليه السلام) ने भी फ़र्माया कि उसका इल्म तो

अल्लाह तआला के सिवा किसी को है ही नहीं, लेकिन अलामत यह है कि दज्जाल निकलेगा। मेरे साथ एक दो शाख़ा होगा, वह मुझे देखेगा तो सीसे की तरह पिघल जाएगा और अल्लाह तआला उसको हलाक कर देगा। यहाँ तक कि शजर (पेड़) और हजर (पत्थर) भी बोल उठेंगे कि ऐ मुसलमान! मेरी आड़ में काफ़िर छुपा हुआ है, आ और इसे क़त्ल कर दे। पस अल्लाह तआला उन सब काफ़िरों को हलाक कर देगा फिर लोग अपने अपने शहरों और वतनों को वापिस हो जाएँगे। ऐसे वक़्त में याजूज माजूज निकलेंगे, हर गोशे में उबल पड़ेंगे। शहरों को पामाल करते फिरेंगे हर चीज़ उनके आने और फिरने से बर्बाद और ख़त्म होती रहेगी। हत्ता कि नहरों पर पहुँचेंगे तो नहरों को खाली कर देंगे। लोग मेरे पास उनकी शिकायत लेकर आएँगे। मैं उनके लिए अल्लाह तआला से बद् दुआ करूँगा। अल्लाह तआला उन सब याजूज और माजूज को हलाक कर देगा हत्ता कि हर जगह की फ़िज़ा उनकी लाशों की सड़न की बदबू से मस्मूम (ज़हर आलूद) हो जाएगी। तो अल्लाह तआला बारिश बरसाएगा कि पानी का बहाव उनकी लाशों को बहाकर समुन्दर में ले जा डालेगा उस वक़्त पहाड़ उखड़ जाएँगे, ज़मीन फैल जाएगी।'' उस वक़्त क़यामत ऐसी क़रीब होगी जैसे नौ महीना की हामिला कि जिसको लोग नहीं जानते कि दिन रात में किस वक़्त ज़चगी हो जाए।'' (इब्ने माजा, किताबुल फ़ितन, बाब फ़ित्नतिदज्जाल व ख़ुरूज ईसा बिन मरियम (عليه السلام) : 4081; व सनदुहू सहीहुन व अख़्ता मन जअअफ़हू; अहमद : 1/375; हाकिम : 4/488) बड़े बड़े पैग़म्बर (عليهم السلام) भी क़यामत का वक़्त नहीं जानते थे। ईसा (عليه السلام) ने भी सिर्फ़ उसकी अलामतें बताईं। क्योंकि इस उम्मत के आख़िरी ज़माने में वह उतरेंगे और नबी अकरम (ﷺ) के अहकाम नाफ़िज़ करेंगे। मसीह दज्जाल को क़त्ल करेंगे और याजूज माजूज को अल्लाह तआला उनकी दुआ की बरकत से हलाक कर देगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''मैं तुम्हें उसकी अलामतें बताऊँ वह यह कि उसके सामने बड़े फ़ित्ने और हर्ज मर्ज वाक़ेअ होंगे।'' लोगों ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम फ़ित्ना का मफ़्हूम तो समझते हैं, लेकिन हर्ज क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ''हब्श की अरबी ज़ुबान में इसके मअनी क़त्ल। फिर फ़र्माया कि लोगों में अजनबियत और बेपरवाही इतनी बढ़ जाएगी कि एक शख़्स दूसरे शख़्स को कहेगा कि मैं नहीं पहचानता।'' (अहमद : 5/389; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; मज्मउज़्ज़वाइद : 7/309) सिहाहे सित्ता में बात को इस तरीक़े से रिवायत नहीं किया गया है।

हमारे नबी उम्मी सय्यदुल मुर्सलीन ख़ातिमुन्नबिय्यीन (ﷺ) ने जो नबी रहमत और नबियुत्तौबा हैं, फ़र्माया है कि ''मैं और क़यामत इन दो उँगलियों की तरह हैं।'' चुनाँचे आपने कलिमा की और बीच की उँगली को जोड़कर बताया। (सहीह बुख़ारी, किताबुर्रिक़ाक़, बाब क़ौलुन्नबी (ﷺ) (बुइसतु अना वस्साअतु कहातैन) : 6503; सहीह मुस्लिम : 2951; तिर्मिज़ी : 2214; अहमद : 3/222; मुस्नद अबी यअला : 2925; इब्ने हिब्बान : 6640) गोया कि मेरे साथ क़यामत लगी हुई है यानी दोनों के बीच कोई नबी नहीं आने वाला। ग़र्ज़ यह कि (क़यामत) का इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक को है।

***

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿١٨٨﴾

तर्जुमा : "आप कह दीजिए कि मैं ख़ुद अपनी ज़ाते ख़ास के लिए किसी नफ़ा का इख़्तियार नहीं रखता और न किसी नुक़सान का मगर उतना ही कि जितना अल्लाह तआला ने चाहा हो। और अगर मैं ग़ैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से मुनाफ़े हासिल कर लिया करता। और कोई नुक़्सान ही मुझ पर वाक़ेअ न होती। मैं तो सिर्फ़ बशारत देने वाला और डराने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं।" (188)

नबी (ﷺ) ग़ेब नहीं जानते (आयत 188) : अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को हुक्म दिया है कि सारे उमूर की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ फेर दो और अपने बारे में कह दो कि मुस्तक़्बिल (भविष्य) का मुझे भी इल्म नहीं, हाँ! अल्लाह तआला ने जो कुछ बता दिया है वह मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसाकि फ़र्माया, "आलिमुल ग़ैब के इल्मे ग़ैब कोई नहीं पा सकता।" (72/जिन्न : 26) और ऐ नबी (ﷺ)! कह दो कि अगर मैं ग़ैब की बात जानता तो अपने लिए बहुत सा ख़ैर जमा कर लेता। यानी अगर मुझको अपनी मौत की ख़बर होती कि कब मरूँगा तो कोशिश करता कि जल्दी से बहुत से नेक आमाल कर लूँ। यह क़ौल मुजाहिद (रह.) का है और इब्ने जुरैज (रह.) भी यही कहते हैं। लेकिन यह बात ग़ौर करने की है इसलिए कि हुज़ूर (ﷺ) का हर अमल अच्छा ही होता था और जो अमल करते वह मुस्तक़िल तौर पर पायदार होता। (सहीह बुख़ारी, किताबुस्सौम, बाब हल युख़स्सु शैअन मिनल अय्यामि... : 1987; सहीह मुस्लिम : 783; अबूदाऊद : 1370; अहमद : 6/43; इब्ने हिब्बान : 322) सारे आमाल एक ही ढंग के थे। हर अमल में आप (ﷺ) की नज़र अल्लाह तआला पर ही होती। ग़र्ज़ यह कि कोई अमल भी ग़ैर अमले सालेह न होता। हाँ! यह हो सकता है कि यह मुराद हो कि ग़ैब की बातें जान लेता तो लोगों की किस नोअ की भलाई किस काम के अंदर होती, तो इससे उनको आगाह कर देता। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ख़ैर के मअनी माल के लिए बताये हैं और यह मफ़्हूम अहसन है। या यह कि जिस ख़रीददारी में फ़ायदा का इल्म होता वह ज़रूर ख़रीद लेता और कोई चीज़ न बेचता, जब तक उसमें फ़ायदा का इल्म न होता। ग़र्ज़ यह कि तिजारत में कभी नुक़्सान न उठाता या न उठाने देता। या मुझे फ़क़्र व तंग दस्ती कभी न आने पाती। कुछ लोगों ने यह मतलब भी लिया है कि क़हत आने वाला होता तो बहुत कुछ ग़ल्ला जमा कर रखता। सस्ते ज़माने में ख़रीद लेता और गिरानी के ज़माने में बेचता और मुझे ग़ुर्बत व मस्कनत कभी न छूती और नुक़्सान आने से पहले उससे बच जाता। (अद्दुर्रुल मंसूर : 3/622) फिर आप (ﷺ) ने कहा, मैं सिर्फ़ नज़ीर (डराने वाला) और बशीर (ख़ुशख़बरी सुनाने वाला) हूँ अज़ाब से डराने वाला और जन्नत की बशारत देने वाला। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि "हमने क़ुरआन को तुम्हारी ज़ुबान पर आसान बना दिया है ताकि इरादा तक़्वा रखने वालों को तुम बशारत दो और झगड़ने वाले सरकश लोगों को डराओ। (19/मरियम : 97)

هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ اِلَيۡهَا ۚ فَلَمَّا
تَغَشّٰٮهَا حَمَلَتۡ حَمۡلًا خَفِيۡفًا فَمَرَّتۡ بِهٖ ۚ فَلَمَّاۤ اَثۡقَلَتۡ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنۡ اٰتَيۡتَنَا
صَالِحًا لَّنَكُوۡنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيۡنَ ﴿۱۸۹﴾ فَلَمَّاۤ اٰتٰٮهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيۡمَاۤ اٰتٰٮهُمَا ۚ
فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشۡرِكُوۡنَ ﴿۱۹۰﴾

तर्जुमा : ''वह अल्लाह तआला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि वह उस अपने जोड़े से सुकून हासिल करे फिर जब मियाँ ने बीवी से क़ुर्बत की तो उसको हमल रह गया, हल्का सा तो वह उसको लिए हुए चलती फिरती रही फिर जब वह बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह तआला से जो कि उनका मालिक है, दुआ करने लगे कि ''अगर तूने हमको सही सालिम औलाद दे दी तो हम ख़ूब शुक्रगुज़ारी करेंगे। (189) तो जब अल्लाह तआला ने दोनों को सही सालिम औलाद दे दी तो अल्लाह तआला की दी हुई चीज़ में वह दोनों अल्लाह के शरीक क़रार देने लगे। तो अल्लाह तआला पाक है उनके शिर्क से।'' (190)

अल्लाह तआला की अताकर्दा औलाद को मुश्रिक ग़ैरुल्लाह की तरफ़ मंसूब करते हैं (आयत 189, 190) : इर्शाद होता है कि दुनिया जहान के लोग आदम (عليه السلام) की नस्ल से पैदा किए गए हैं और आदम (عليه السلام) ही से उनकी बीवी हव्वा (عليه السلام) पैदा की गईं। उन्हीं दोनों से नस्ल बढ़ी जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, ''ऐ लोगों! हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और इतना बढ़ाया कि तुम लोग ख़ानदान और क़बीले बन गए, अब तुम्हें एक दूसरे के हुक़ूक़ पहचानना चाहिए और अल्लाह तआला की नज़रों में तुममें शरीफ़तर वही होगा जो सबसे ज़्यादा मोहतात अमल करे। (49/हुजुरात : 13) (लियस्कुन इलैहा) के मअनी हैं ताकि एक दूसरे में उल्फ़त पज़ीरी रहे। इसीलिए फ़र्माया कि (जअल बैनकुम मवद्दतंव्व रहमतन) यानी तुम दोनों के दिलों में मुहब्बत और रहमत डाल दी। दो रूहों में जो मुहब्बत और रहमत होती है वह रूहैन की बाहमी उल्फ़त व मुवानिसत से बढ़कर नहीं हो सकती। इसीलिए तो अल्लाह तआला ने यह बयान फ़र्माया है कि साहिरा अक्सर अपने सेहर के ज़रिये इस बात की कोशिश करते हैं कि मियाँ बीवी में तफ़र्क़ा डाल दें ग़र्ज़ शोहर जब अपनी बीवी के साथ फ़ित्री मुहब्बत की बिना पर मुवानिसत व क़ुर्बत इख़्तियर करता है तो पहले पहल वह अपने पेट में एक हल्का सा बोझ महसूस करने लगती है। यह आग़ाज़े हमल का ज़माना होता है उस वक़्त तो औरत को कोई तक्लीफ़ का आग़ाज़ नहीं होता क्योंकि यह हमल तो अभी नुत्फ़ा या अलक़ और मुज़्ग़ा है यानी नुत्फ़ा या गोश्त का छोटा सा लोथड़ा। अभी वह हल्की फुल्की होती है। अय्यूब (रह.) कहते हैं कि मैंने हसन (रह.) से (मर्रत बिही) का मतलब पूछा तो कहा अगर

मैं अरब होता अहले ज़ुबान होता तो जानता इसका मतलब यह हो सकता है कि इसी तरह वह उस हमल को चंदे लिए फिरती रहती है। क़तादा (रह.) इसके मअनी यह बताते हैं कि हमल नुमायाँ हो गया। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि हमल लिए हुए आसानी से उठ बैठ सकती है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मतलब यह है कि यह शुरुआती ज़माना वह है जबकि उसको शक है कि मुझे हमल है भी कि नहीं। ग़र्ज़ यह कि उसके बाद जो औरत को बोझ अच्छा ख़ासा महसूस होने लगता है और यक़ीने हमल हो जाता है तो यह माँ बाप दोनों अल्लाह तआला से तमन्ना करने लगते हैं कि अगर अल्लाह तआला इन्हें सही सालिम बच्चा दे तो अल्लाह तआला का बड़ा एहसान है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि माँ बाप को डर लगा रहता है कि कहीं जानवर की शक्ल या हिस्से का या अधूरा बच्चा न हो जाए जैसाकि कुछ मर्तबा हो जाया करता है। हसन बसरी (रह.) यह मतलब लेते हैं कि अगर अल्लाह तआला हमको लड़का दे, क्योंकि मौलूद में ज़्यादा सलाहियत वाला मौलूद लड़का ही होता है। ग़र्ज़ यह कि जब अल्लाह तआला उनको सही सालिम बच्चा देता है तो उसको बुतों का हिस्सा बना डालते हैं। अल्लाह की ज़ात ऐसे शिर्क से बेनियाज़ है। मुफ़स्सिरीन ने यहाँ बहुत से आसार व अहादीस बयान की हैं जिनका हम ज़िक्र करेंगे, उन पर रोशनी डालेंगे। फिर इंशाअल्लाह सही बात की तरफ़ रहनुमाई करेंगे। अल्लाह तआला ही पर भरोसा है।

नबी अकरम (ﷺ) फ़र्माते हैं कि "हव्वा (عليها السلام) को जब वज़्अे हमल हुआ तो इब्लीस उनके पास आया। उनका बच्चा ज़िन्दा नहीं रहता था तो हव्वा (عليها السلام) को मश्वरा दिया कि बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रखो तो वह ज़िन्दा रहेगा। चुनाँचे बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रखा गया और वह ज़िन्दा रहा। यह शैतान की तरफ़ की वह्य थी और हारिस शैतान का नाम होता है।" (तिर्मिज़ी, किताब तफ़्सीरुल कुरआन, वमिन सूरतिल आराफ़ : 3077; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; उमर बिन इब्राहीम सदूक़ है ताहम क़तादा (रह.) से इसकी रिवायत में ज़ुअफ़ है। अहमद : 5/11; हाकिम : 2/545) इस हदीस में तीन इल्लतें हैं। एक तो यह कि इसका रावी उमर बिन इब्राहीम एक बसरी शख़्स है। अगरचे इब्ने मुईन ने इसकी तौसीक़ की है लेकिन अबू हातिम ने कहा है कि उससे हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती। दूसरी यह कि यही रिवायत मौक़ूफ़न हज़रत समुरह (रज़ि.) के अपने क़ौल से मरवी है जो मरफ़ूअ नहीं। इब्ने जरीर (रह.) में ख़ुद समुरह बिन जुंदुब (रज़ि.) का कहना है कि आदम (عليه السلام) ने अपने बेटे का नाम अब्दुल हारिस रखा। तीसरे यह कि इसके रावी हसन से भी इस आयत की तफ़्सीर इसके सिवा बयान की गई है तो ज़ाहिर है कि अगर यह मरफ़ूअ हदीस इनकी रिवायतकर्दा होती तो यह ख़ुद इसके ख़िलाफ़ तफ़्सीर न करते। इब्ने जरीर (रह.) कहते हैं कि यह हज़रत आदम (عليه السلام) का वाक़िया नहीं बल्कि कुछ दूसरे मज़हब वालों का है। और यह भी मरवी है कि इससे मुराद कुछ मुश्रिक इंसान हैं जो ऐसा करते हैं। कहते हैं कि यह यहूद व नसारा का काम बयान हुआ है कि अपनी औलाद को अपनी रविश पर डाल लेते हैं। इस आयत की जो तफ़्सीरें बयान की गई हैं उन सब में बेहतर यही तफ़्सीर है। ग़र्ज़ ताज्जुब के लिए गुंजाइश यह थी कि ऐसा मुत्तक़ी और परहेज़गार आदमी एक आयत की तफ़्सीर में एक मरफ़ूअ हदीस क़ौले पैग़म्बर रिवायत करे फिर उसके ख़िलाफ़ ख़ुद तफ़्सीर करे, इससे यह साबित होता है कि वह हदीसे मरफ़ूअ नहीं बल्कि वह समुरह (रज़ि.) का अपना क़ौल है। उसके बाद यह ख़्याल होता है कि मुम्किन है कि समुरह

(रज़ि.) ने इसे अहले किताब से सुना हो, जैसे कअ़ब (रज़ि.) और वहब (रज़ि.) वग़ैरह जो मुसलमान हो गए थे। इंशाअल्लाह तआ़ला इसका बयान भी अ़न्क़रीब आएगा।

ग़र्ज़ इस ह़दीस का मरफ़ूअ होना तस्लीम नहीं हो सकता। अब दूसरी अह़ादीस भी इस बारे में हैं, यह कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि ह़व्वा (अलै.) के जो औलाद होती थी, उनको अल्लाह तआ़ला की इ़बादत के लिए मख़्सूस कर देती थीं और उनका नाम अ़ब्दुल्लाह, उ़बेदुल्लाह वग़ैरह रखती थीं। यह बच्चे मर जाते थे। चुनाँचे ह़ज़रत आदम व ह़व्वा (अलै.) के पास इब्लीस आया और कहने लगा कि अगर अपनी औलाद का कुछ दूसरा नाम रखोगे तो वह ज़िन्दा रहेगी। अब ह़व्वा (अलै.) के बच्चा हुआ तो माँ बाप ने बच्चे का नाम अ़ब्दुल ह़ारिस रखा। इसी के बारे में अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है (हुवल्लज़ी ख़लक़कुम......) ह़व्वा (अलै.) को शक था कि ह़मल है या नहीं। ग़र्ज़ जब वह ह़मल से बोझल हो गई तो उन दोनों ने अल्लाह तआ़ला से दुआ की कि अगर जीता जागता नेक बच्चा होगा तो हम बड़ा शुक्र करेंगे। अब शैत़ान उन दोनों के पास आया और कहने लगा, तुम्हें क्या ख़बर कि कैसा बच्चा पैदा होगा, जानवर की शक्ल व सूरत का होगा या इंसान। एक ग़लत़ बात उनकी निगाहों में अच्छी बनाकर पेश की और शैत़ान तो धोखा देने वाला है ही। इससे पहले दो बच्चे हो चुके थे और मर चुके थे। शैत़ान ने उन्हें समझाया कि अगर तुम मेरे नाम पर उसका नाम न रखोगे तो न वह ठीक पैदा होगा और न ज़िन्दा रहेगा। चुनाँचे उन्होंने उस बच्चे का नाम अ़ब्दुल ह़ारिस रखा। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि जब अल्लाह तआ़ला ने उनकी दुआ पर सही सालिम बच्चा दिया तो उसका नाम अ़ब्दुल ह़ारिस रखकर अल्लाह तआ़ला के साथ शिर्क किया। इन आयतों में उसी का बयान है और एक रिवायत में है कि पहली दफ़ा के ह़मल के वक़्त यह (शैत़ान) आया और उन्हें डराया कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्नत से निकलवा दिया था अब तुम मेरी इत़ाअ़त करो वरना मेरे करतब से इसके सींग पैद हो जाएगा और वह पेट को फाड़कर निकलेगा और यह होगा वह होगा, ग़र्ज़ उन्हें बहुत डरा दिया मगर उन्होंने उसकी बात न मानी। अल्लाह तआ़ला की मस्लिह़त बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। दूसरा ह़मल हुआ फिर भी बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। इस बार इब्लीस ने आकर अपनी बहुत ख़ैरख़्वाही जतलाई। बच्चे की मुह़ब्बत ग़ालिब आ गई और उसका नाम उन्होंने अ़ब्दुल ह़ारिस रख दिया। इसी बिना पर अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया (जअ़ला लहू शुरकाअ फ़ीमा आताहुमा) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से इस ह़दीस को लेकर उनके शागिर्दों की एक जमाअ़त ने भी यही कहा है, जैसे मुजाहिद, सईद बिन जुबेर, इ़क्रिमा, क़तादा और सुद्दी (रह़ि.) इसी त़रह़ सलफ़ से लेकर ख़लफ़ तक बहुत से मुफ़स्सिरीन ने इस आयत की तफ़्सीर में यही कहा है। लेकिन ज़ाहिर यह है कि यह वाक़िया अहले किताब से लिया गया है। इसकी एक बड़ी दलील यह है कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) इसे उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) से रिवायत करते हैं। जैसे कि इब्ने अबी ह़ातिम में है। पस ज़ाहिर है कि यह बात अहले किताब से नक़्ल की गई है जिनकी बाबत हुज़ूरे अकरम (सल्ल.) ने फ़र्माया है कि ''उनकी बातों को न सच्ची कहो, न झूठी।'' (अबूदाऊद, किताबुल इ़ल्म, बाब रिवायतु ह़दीसि अहलिल किताब : 3644; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; नम्ला बिन अबी नम्ला रावी मस्तूर यानी मज्हूलुल ह़ाल है; अह़मद : 4/136; इब्ने ह़िब्बान : 6257) इनकी रिवायतें तीन त़रह़ की होती हैं एक तो वह जिनकी सेह़त किसी आयत या ह़दीस से होती है। दूसरी वह जिनकी तक्ज़ीब किसी आयत

व हदीस से होती है। तीसरी वह जिनकी बाबत कोई ऐसा फ़ैसला हमारे दीन में न मिले तो बक़ौल हुक्मे हदीस इसके बयान में तो कोई हर्ज नहीं। (सहीह बुख़ारी, किताब अहादीसुल अम्बिया, बाब मा ज़ुकिरा अन बनी इस्राईल : 3461; तिर्मिज़ी : 2669; अहमद : 2/202; इब्ने हिब्बान : 8256) लेकिन इसकी तस्दीक़ व तक्ज़ीब नहीं करनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो यह असर दूसरी क़िस्म का है यानी मानने के क़ाबिल नहीं और जिन सहाबा या ताबेईन से यह मरवी है उन्होंने इसे तीसरी क़िस्म का समझकर रिवायत किया है। लेकिन हम तो वही कहते हैं कि जो हज़रत हसन (रह.) कहते हैं कि मुश्रिकों का अपनी औलाद में अल्लाह का शरीक ठहराने का ही बयान इन आयतों में है, न कि हज़रत आदम व हव्वा (عليهما السلام) का। पस अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अल्लाह तआला इस शिर्क से बुलंद व बाला है। इन आयतों में यह ज़िक्र और इससे पहले आदम व हव्वा (عليهما السلام) का ज़िक्र मिस्ल तौता के है कि इन असली माँ बाप का ज़िक्र करके फिर और माँ बाप का ज़िक्र हुआ और उन्हीं का शिर्क बयान हुआ।

अब शख़्सी व इंफ़िरादी ज़िक्र ख़त्म करके जिंस के ज़िक्र की तरफ़ बात का रुख़ फेरा जाता है, हमने आसमाने दुनिया को सितारों से ज़ीनत दी और फिर उन्हीं सितारों को शैतानों को मार भगाने के काम में लाया। (67/मुल्क : 5) और यह ज़ाहिर है कि जो सितारे ज़ीनत के हैं वह झड़ते नहीं, उनसे शैतानों पर मार नहीं पड़ती। यहाँ भी बात का रुख़ यूँ फेरा जाता है कि तारों की शख़्सियत से तारों की जिंस की तरफ़। उसकी और बहुत सी मिसालें क़ुरआन में मौजूद है, वल्लाहु आलम!

***

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا
أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي

نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝١٩٦ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَكُمْ وَلَاۤ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝١٩٧ وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝١٩٨

तर्जुमा : "क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को बना न सकें और वह ख़ुद ही बनाए जाते हों। (191) और वह उनको किसी क़िस्म की मदद नहीं दे सकते और वह ख़ुद अपनी भी मदद नहीं कर सकते। (192) और अगर तुम उनको कोई बात बतलाने के लिए पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें, तुम्हारे ऐतिबार से दोनों अम्र बराबर हैं ख़्वाह तुम उनको पुकारो या तुम ख़ामोश रहो। (193) वाक़ेई तुम अल्लाह तआला को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वह भी तुम ही जैसे बन्दे हैं। तो तुम उनको पुकारो, फिर उनको चाहिए कि तुम्हारा कहना कर दें अगर तुम सच्चे हो। (194) क्या उनके पैर हैं जिनसे वह चलते हों या उनके हाथ हैं जिनसे वह किसी चीज़ को थाम सकें, या उनकी आँखें हैं जिनसे वह देखते हों, या उनके कान हैं जिनसे वह सुनते हों। आप कह दीजिए कि तुम अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मुझको तक्लीफ़ पहुँचाने की तदबीर करो फिर मुझको ज़रा मुहलत मत दो। (195) यक़ीनन मेरा मददगार अल्लाह तआला है जिसने यह किताब नाज़िल फ़र्माई। और वह नेक बन्दों की मदद करता है। (196) और तुम जिन लोगों की अल्लाह तआला को छोड़कर इबादत करते हो वह तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और न वह अपनी मदद कर सकते हैं। (197) और उनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो उसको न सुनें। और उनको आप देखते हैं कि गोया वह आपको देख रहे हैं और वह कुछ भी नहीं देखते।" (198)

मुश्रिकों के गूँगे, बहरे, अंधे मअबूद (आयत 191-198) : वह मुश्रिकीन जो अल्लाह तआला के बजाए औसान व अस्नाम (मूर्तियों) की इबादत करते हैं, उन्हें तम्बीह की जा रही है कि यह बुत भी अल्लाह तआला की मख़्लूक़ हैं, एक बनाई हुई चीज़ हैं। किसी बात की भी इनको क़ुदरत नहीं, न वह किसी को नुक़्सान पहुँचा सकते हैं, न नफ़ा, न इनमें देखने की ताक़त है, न वह अपने इबादत करने वालों की मदद कर सकते हैं, बल्कि यह बुत तो जमादात में से हैं, हरकत तक नहीं कर सकते बल्कि इनकी इबादत करने वाले इनसे कहीं अफ़ज़ल हैं कि सुन सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसीलिए फ़र्माया कि वह क्या उन पत्थरों के बुतों को अल्लाह तआला का शरीक बनाते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वह ख़ुद पैदा किए हुए हैं। जैसाकि फ़र्माया, ऐ लोगों! एक मिसाल बयान की जाती है, सुनो! यह लोग जो अल्लाह तआला के सिवा दूसरों की पूजा करते हैं, वह एक मक्खी तक नहीं बना सकते, भले ही सब के सब मिलकर क्यों न कोशिश कर लें, बल्कि मक्खी अगर उनके खाने की कोई चीज़ ले उड़े तो वह उससे वापिस तक नहीं

ले सकते, तालिब और मतलूब दोनों किस क़द्र ज़ईफ़ व बेकुदरत हैं, उन्होंने अल्लाह तआला की क़द्र नहीं पहचानी। बेशक अल्लाह तआला बड़ा क़वी और अज़ीज़ है। मक्खी एक हक़ीर ग़िज़ा भी इनसे ले उड़े तो उससे छुड़ाने की ताक़त नहीं रखते। जिसकी यह सिफ़त हो वह कैसे रिज़्क़ देगा या मदद करेगा। जैसाकि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने फ़र्माया था (अतअबुदून मा तन्हितून) क्या तुम उसकी इबादत करते हो जिसको ख़ुद बनाते हो। फिर फ़र्माया कि वह अपने इबादत करने वालों की ज़रा भी मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई उनके साथ बुरा बर्ताव करे तो ख़ुद अपना बचाव नहीं कर सकते। जैसे हज़रत ख़लील (عليه السلام) अपनी क़ौम के बुतों को तोड़ फोड़ दिये थे और उनकी इन्तिहाई बेइज़्ज़ती किये थे। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, इब्राहीम (عليه السلام) ने मार-मारकर उन बुतों के टुकड़े-टुकड़े कर दिए लेकिन बुतख़ाना के सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया ताकि लोग आकर उस बड़े बुत से पूछ लें कि यह क्या हुआ और किसने किया।

मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह और मुआज़ बिन जबल (रह.) दोनों जवान थे, मुसलमान हो चुके थे। मदीना में रात के वक़्त मुश्रिकीन के बुतों के पास जाते और उनको तोड़ देते। अगर वह लकड़ी के बने हुए होते तो उनको तोड़कर जलाने के लिए बेवा ग़रीब औरतों को दे देते ताकि उन कमबख़्त मुश्रिकीन को कुछ इब्रत हो और अपने अमल और अक़ीदे पर कुछ ग़ौर करें। अम्र बिन जमूह अपनी क़ौम के सरदार थे। उसका एक बुत था वह उस बुत की इबादत करते थे, उसको ख़ुश्बूएँ मलता। वह दोनों नौजवान रात के वक़्त उसके बुतख़ाने में जाते, उसके सर पर ग़लाज़त करते। अम्र बिन जमूह आता तो बुत को उस कैफ़ियत में देखता तो उसको धोता ख़ुश्बूएँ मलता और उसके पास तलवार रख देता और कहता कि इससे बचाव कर। दोबारा यह लोग ऐसा ही करते और इब्ने जमूह फिर धोता, साफ़ करता, फिर उसके पास तलवार रखता। आख़िरकार एक दिन उन दोनों ने उस बुत को निकाला और एक कुत्ते की लाश से उसको बाँध दिया और एक रस्सी के ज़रिये एक बावली में लटका दिया। जब अम्र बिन जमूह आया और यह केफ़ियत देखी तो उसको अक़्ल आ गई कि वह बुतपरस्ती पर झुठा विश्वास रखता है। चुनाँचे वह कहने लगा कि, "अगर तू सचमुच रब होता तो कुएँ में कुत्ते के साथ पड़ा न होता।" फिर वह इस्लाम ले आया और अच्छा मुस्लिम रहा और जंगे उहुद में शहीद हुआ। (दलाइलुन्नबुव्वत : 2/456; व सनदुहू ज़ईफ़ुन)

इर्शादे बारी तआला है कि अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ़ बुलाओ तो वह कभी तुम्हारी पैरवी न करें। यानी यह बुत किसी की पुकार को नहीं सुन सकते, उनको पुकारना न पुकारना बराबर है। हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने कहा था कि, "ऐ बाप! इबादत न करो ऐसी मूर्ती की जो न सुनती है, न देखती है, न तुम्हारा कुछ काम निकालती है।" फिर फ़र्माया, वह भी अल्लाह तआला की मख़्लूक़ है, जैसे यह बुतपरस्त, बल्कि यह बुतपरस्त ही उन बुतों से अच्छे कि सुनते, देखते और छूते तो हैं। फिर फ़र्माया कि अच्छा! अपनी मदद के लिए अपने शरीकों को बुलाओ और मुझे पलक झपकने की भी मुहलत न दो और मेरे ख़िलाफ़ जी खोलकर कोशिश कर लो। मेरा मददगार अल्लाह तआला है जिसने किताब नाज़िल फ़र्माई, वह नेकोकारों का वाली है, वही अल्लाह तआला मेरे लिए काफ़ी है, वही मेरी मदद करेगा, उसी पर मेरा भरोसा है। मैं मजबूर हूँ तो उसी का हूँ।

वह दुनिया व आख़िरत में न सिर्फ़ मेरा बल्कि मेरे बाद भी हर नेकोकार का सरपरस्त है। जैसा कि हूद (عليه السلام) ने अपनी क़ौम के जवाब में फ़र्माया था जबकि आपकी क़ौम ने आप पर यूँ तोहमत बाँधी कि तुम पर हमारे ख़ुदाओं की कुछ मार पड़ी है तभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। तो आपने जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह तआला को गवाह बनाता हूँ और साफ़-साफ़ कहे देता हूँ कि मैं तुम्हारे शरीकों से नफ़रत व बेज़ारी ज़ाहिर करता हूँ, अच्छा! तुम सब मिलकर मेरे साथ कुछ शरारत करके देखो और हाँ! दम भर के लिए मुझे बचाव का मौका न देना। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। मेरा भरोसा तो अल्लाह तआला पर है, वह मेरा और तुम्हारा सबका रब है। ज़मीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी नकेल उसके हाथ में न हो। मेरा रब सीधे और सच्चे तरीक़ पर है। और ख़लील (عليه السلام) ने फ़र्माया था कि तुम्हार क्या ख़्याल है उन बुतों के बारे में जिनकी तुम और तुम्हारे आबाअ व अज्दाद (पूर्वज) पूजा करते थे। यह लोग तो मेरे दुश्मन हैं, मगर परवरदिगार मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे पैदा किया और वही मुझे ठीक राह चलाएगा। और जैसे कि हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) ने अपने बाप और अपनी क़ौम से कहा था कि मैं तो बरी हूँ तुम्हारे ख़ुदाओं से मगर अपने रब का मैं इबादतगुज़ार हूँ, जिसने मुझे पैदा किया और फिर मेरी हिदायत फ़र्माई और उसके पीछे उसको एक कलिमा यादगार बना छोड़ा, शायद कि यह अपनी बात से रुजूअ करें, और इसीलिए फ़र्माया कि वह न तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं न अपनी और अगर तुम इन्हें हिदायत की तरफ़ बुलाओ तो वह ख़ाक नहीं सुनते तुम ऐसा समझते हो कि वह तुम्हारी तरफ़ नज़र कर रहे हैं लेकिन ख़ाक कुछ नहीं देखते। वह अपनी तस्वीरें आँखें तुमसे दो चार कर रहे हैं जैसे वाक़ेई देख रहे हैं लेकिन वह तो बेजान चीज़ है। इसीलिए उनसे ऐसा मामला किया जो एक साहिबे अक़्ल करता हो। उन बुतों की शक्ल तो तस्वीरी शक्ल है और इंसान जैसे मालूम होते हैं, तुम देखते हो कि गोया वह तुमको घूर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी तरफ़ हुम की ज़मीर फेर दी जो इंसान की तरफ़ फेरी जाती है हालाँकि बेजान चीज़ हा की ज़मीर (प्रोनाउन) की मुस्तहिक़ होती है। सुद्दी (रह.) इससे बुतों के बजाए मुश्रिकीन मुराद लेते हैं लेकिन पहला ही ख़्याल सही है।

***

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠﴾

तर्जुमा : "सरसरी बर्ताव को क़बूल कर लिया कीजिए और नेक काम की तालीम कर दिया कीजिए और जाहिलों से एक किनारा हो जाया कीजिए। (199) और अगर आपको कोई वस्वसा शैतान की तरफ़ से आने लगे तो अल्लाह तआला की पनाह लिया कीजिए, बिला शुब्हा वह ख़ूब सुनने वाला और जानने वाला है।" (200)

अफ़्व व दरगुज़र से काम लो (आयत 199, 200) : इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि (ख़ुज़िल अफ़्व) का यह मतलब है कि इनके वह अम्वाल जो इनकी ज़रूरियात से ज़्यादा हैं और वह माल जो तुम्हें ला दें, वह ले लो। और यह अमल दरआमद सूरह बरा'त (सूरह तौबा) में फ़राइज़े सदक़ात की तौज़ीह व तशरीह से पहले थी कि सदक़ात आपके पास पेश किए जाते थे और ज़ह्हाक (रह.) कहते हैं कि (ख़ुज़िल अफ़्व) के मअ़नी हैं जो ज़्यादती है वह ख़र्च कर दो। अफ़्व के मअ़नी ज़्यादती के किए गए हैं। ज़ैद बिन असलम (रह.) कहते हैं कि इसमें मुश्रिकीन से अफ़्व व दरगुज़र का हुक्म है। दस साल तक यह अफ़्व व दरगुज़र रहा फिर उन पर सख़्ती करने का हुक्म हुआ। यह इब्ने जरीर (रह.) का क़ौल है। मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि लोगों के अख़्लाक़ और आमाल से दरगुज़र करो यानी उनके आमाल व अख़्लाक़ की खोज न करो। मुराद यह है कि लोगों से दरगुज़र करो और बुरी सोहबत इख़्तियार करने से बचो। अल्लाह तआ़ला की क़सम! जिसकी सुहबत मैं इख़्तियार करूँगा, ज़रूर उसके अख़्लाक़ पकड़ लूँगा। सब क़ौल में यही क़ौल ज़्यादा बेहतर है।

उयेयना (रह.) से रिवायत है कि जब अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी अकरम (ﷺ) पर यह आयत उतारी (ख़ुज़िल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ि व अअ़रिज़् अनिल जाहिलीन) तो हुज़ूर (ﷺ) ने जिब्राईल (عليه السلام) से पूछा कि "इससे क्या मक़्सद हुआ, तो जिब्राईल (عليه السلام) ने कहा कि अल्लाह तआ़ला आपको हुक्म देता है कि जो तुम्हारी ज़ात पर कोई ज़्यादती करे तू उसको माफ़ कर दिया करो। जो तुमको न दे, तुम उसको दो, जो तुमसे रिश्ता तोड़े, तुम उससे रिश्ता जोड़ो।" (तब्री : 6/154; इब्ने अबी हातिम : 5/163) इसी मज़्मून की हदीस के बारे में इब्ने आमिर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से मुलाक़ात की। मैंने आप (ﷺ) का हाथ थाम लिया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे बेहतरीन आमाल बताइए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.)! जो तुमसे हमदर्दी नहीं करता तुम उससे हमदर्दी करो, जो तुमको महरूम रखता है, तुम उसको अ़ता से महरूम न रखो, जो तुम्हारी ज़ात के बारे में ज़्यादती करे तुम उससे दरगुज़र करो और बख़्श दो (ख़ुज़िल अफ़्व वामुर बिल उर्फ़ि व अअ़रिज़् अनिल जाहिलीन) माफ़ कर दिया करो और नेक कामों की रहनुमाई किया करो और जाहिल लोगों से अंजान बन जाओ।" (तिर्मिज़ी, किताबुज़्ज़ुहद, बाब मा जाअ फ़ी हिफ़्ज़िल लिसान : 2406; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; अली बिन यज़ीद और उबेदुल्लाह बिन ज़हर ज़ईफ़ रावी हैं।) उर्फ़ि के मअ़नी मअ़रूफ़ के हैं। सही बुख़ारी में है कि उयेयना अपने भतीजे हुर्र बिन क़ैस के यहाँ आकर ठहरे। हुर्र बिन क़ैस हज़रत उमर (रज़ि.) के दरबारी थे, वह कुरआन करीम के माहिर थे और क़ारी उलमा हज़रत उमर (रज़ि.) की मज्लिसे मुशाविरत के रुक्न थे, यह उलमा जवान भी होते थे और बूढ़े भी। उयेयना ने अपने भतीजे से कहा, ऐ भतीजे तुमको अमीरुल मोमिनीन के पास रुसूख़ हासिल है, अमीर से इजाज़त ले लो कि मैं उनसे मिल लूँ। तो हुर्र ने उयेयना के लिए इजाज़त हासिल कर ली और उमर (रज़ि.) ने हाज़िरी की इजाज़त दे दी। जब उयेयना अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.) से मिले तो कहने लगे, या इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.)! तुमने हमको काफ़ी रुपया नहीं दिया, न हमारे साथ अद्ल से काम लिया। अद्ल का नाम सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) ग़ज़बनाक हो गए और क़रीब था कि उयेयना को मार बैठें। तो हुर्र कहने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन (रज़ि.)! अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी (ﷺ) से फ़र्माया कि "मुआफ़ कर दिया करो और नेक कामों का मश्वरा दिया करो और जाहिलों से ऐराज़ किया करो और यह तो जाहिलीन में से हैं। अल्लाह तआ़ला की क़सम! जब उमर

(रज़ि.) के आगे यह आयत तिलावत की गई तो वहीं रुक गए, कोई उक़ूबत (सज़ा) नहीं की, वह किताबुल्लाह के बड़े जानकार थे।'' सिर्फ़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसकी रिवायत की है। मरवी है कि सालिम बिन अब्दुल्लाह का गुज़र अहले शाम के एक क़ाफ़िले पर से हुआ। क़ाफ़िला में घण्टियाँ बज रही थीं। तो कहा कि घण्टी बजाना हराम है, कुफ़्फ़ार मन्दिरों में घण्टी बजाते हैं तो अहले क़ाफ़िला ने कहा कि इस बारे में हमें तुमसे ज़्यादा मालूमात हैं। मुमानिअत बड़े बड़े घण्टों की है, इन छोटी-छोटी घण्टियों में कोई हर्ज नहीं। तो सालिम ख़ामोश हो गए और सिर्फ़ इतना कहा कि (अअरिज़ अनिल जाहिलीन) यानी जाहिलों के मुँह न लगना ही बेहतर है। कहा जाता है (औलियतहू मअरूफ़न, आरिफ़ा, व आरिफ़तन) सबके एक ही मअनी हैं, यानी नेक काम। अल्लाह तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि बन्दों को नेक काम का हुक्म दो। लफ़्ज़ मअरूफ़ के अंदर जमीअ ताआत दाख़िल हैं और जाहिलों से ऐराज़ करने का भी हुक्म दिया है। अगरचे इसके मामूर बज़ाहिर नबी अकरम (ﷺ) हैं लेकिन दरहक़ीक़त सब ही बन्दे मामूर हैं। इसके ज़रिये बन्दों को अदब सिखाया जा रहा है कि अगर कोई तुम पर ज़ुल्म करे तो उसको बर्दाश्त कर लो। यह मतलब नहीं कि कोई अल्लाह तआला के हुक़ूक़े वाजिबी में क़ुसूर करे तो भी ऐराज़ कर जाओ या अल्लाह तआला से कुफ़्र करे या वह्दानियत से जाहिल रहे तो भी दरगुज़र कर दिया, मुसलमानों से अपनी जिहालत की वजह से लड़े तो भी ख़ामोश हो जाओ, ग़र्ज़ यह कि ऐसी ग़लतफ़हमी न होना चाहिए, यह वह अख़्लाक़ हैं जिनकी तालीम अल्लाह तआला ने नबी अकरम (ﷺ) को दी है। इस मज़्मून को एक अक़्लमंद शायर ने बहुत उम्दगी से शेअर में लिखा है, कहता है :

ख़ुज़िल अफ़्व वअमुर बि उर्फ़िन कमा — उमिर्त व अअरिज़ अनिल जाहिलीन
वलिन फ़िल कलामि लिकुल्लिल अनामि — फ़मुस्तहसनु मिन् ज़विल जाहि लीन

''मुआफ़ करने की आदत रखो, नेक कामों की रहबरी किया करो, और जाहिलों से ऐराज़ करो, हर शख़्स के साथ बात में नर्मी बरतो और बुलंद मर्तबे वालों के लिए बात में नर्मी बरतना और भी ज़्यादा अच्छा है।''

कुछ उलमा का मक़ूला है कि लोग दो क़िस्म के होते हैं, एक तो मर्दे मुहसिन कि जो कुछ वह ख़ुशी से तुझ पर एहसान करे शुक्रिया के साथ क़बूल कर ले और उसकी ताक़त से ज़्यादा उस पर बोझ न डाल कि वह ख़ुद दबकर रह जाए। दूसरा बुरेक़िस्म का आदमी उसको अम्रे नेक का मश्वरा देता रह। लेकिन अगर उसकी गुमराही बढ़ती ही जाए और वह अपनी जाहिलियत पर क़ायम रहे तो उससे ऐराज़ कर लो। शायद यही दरगुज़र उसकी बुराई से उसको रोक दे, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि, ''बेहतरीन तरीक़ से मुदाफ़िअत करो, इस तरह दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएँगे। हम ख़ूब जानते हैं कि जो कुछ वह इज़्हारे ख़्याल करते हैं और कहा करो कि ऐ परवरदिगार! मैं शैतान के बहकावे से तेरी पनाह माँगता हूँ और उससे तेरी पनाह कि शैतानों का अमल दख़ल मेरे पास हो। और फ़र्माया कि नेकी और बदी बराबर नहीं हुआ करते। मुदाफ़िअत और रद्दे जवाब अच्छे ढंग से किया करो। यह अमल वही लोग इख़्तियार करते हैंजो तबीयत के साबिर हों । नतीजा में उनको बड़ी कामयाबी हासिल रहेगी, ख़ुशक़िस्मत ही इस पर अमलपेरा होंगे। अगर शैतान तुम्हारे दिल में कुछ वस्वसे डाले और बहकाने लगे या तुम्हें दुश्मन से निपटने के वक़्त ग़ज़ब में लाए और इस जाहिल की तुम पर ज़्यादती को भी अल्लाह तआला देख रहा है और तुम्हारे पनाह माँगने को भी सुन रहा है, उस पर कोई बात पोशीदा

(छुपी हुई) नहीं, शैतान के बहकावे और फ़सादअंगेज़ियाँ तुमको जिस क़द्र नुक़्सान पहुँचा सकते हैं अल्लाह तआला उससे अलीम व वाक़िफ़ है।

जब (ख़ुज़िल अफ़्व) वाली आयत उतरी तो बन्दे ने कहा, या इलाही! गुस्सा चढ़ जाए तो किस तरह अफ़्व किया जाए? तो (फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) वाली आयत नाज़िल हुई। उन दो आदमियों का वाक़िया पहले बयान हो चुका है कि यह दोनों आपस में नबी करीम (ﷺ) के सामने लड़ बैठे हत्ता कि एक के गुस्से के मारे नथुने फूल गए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि, ''मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर वह पढ़े तो उसका गुस्सा थम जाए, वह कलिमा यह है (अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर् रजीम) इसको यह बात बता दी गई, तो कहा मुझे जुनून नहीं है। (इसकी असल सहीह बुख़ारी, किताब बदउल ख़ल्क़, बाब सिफ़तु इब्लीस व जुनूदिही : 3282; सहीह मुस्लिम : 2610 में मौजूद है।) नज़अ के असली मअनी फ़साद के हैं, यह फ़साद ख़्वाह ग़ज़ब की वजह से हो या ग़ैर ग़ज़ब से। अल्लाह पाक फ़र्माता है कि ''ऐ नबी (ﷺ)! मेरे बन्दों से कह दो कि बात अच्छे ढंग से किया करो, शैतान आपस में फ़साद डालने की कोशिश करता रहता है। अयाज़ के मअनी हैं शर से पनाह मांगना और मिलाज़ तलबे ख़ैर में हुआ करता है (इस्तिआज़ा) की हदीसें पहली तफ़्सीर में पहले गुज़र चुकी हैं, एआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं।

***

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

तर्जुमा : ''यक़ीनन जो लोग अल्लाह वाले हैं जब उनको कोई ख़तरा शैतान की तरफ़ से आ जाता है तो वह याद में लग जाते हैं तो यकायक उनकी आँखें खुल जाती हैं। (201) और जो शयातीन के ताबेअ हैं वह उनको गुमराही में खींचे ले जाते हैं पस वह बाज़ (वापिस) नहीं आते।'' (202)

शैतानी वस्वसों से बचने का तरीक़ा (आयत 201, 202) : जिन बन्दों ने अम्रे इलाही की इताअत की और मम्नूआत (हरामकर्दा चीज़ों) से दूर रहे हैं अगर शैतानी वस्वसे उन्हें आते हैं तो फ़ौरन उन्हें ज़िक्रे इलाही की याद आ जाती है। इस लफ़्ज़ को कुछ तैफ़ और कुछ ताइफ़ कहते हैं। यह दोनों क़िराअतें मशहूर हैं और मअनी एक ही हैं और कहा जाता है कि कुछ फ़र्क़ भी है। कुछ ने इसके मअनी ग़ज़ब बताए हैं और कुछ ने कहा है कि शैतान ने अगर आसेबज़दा कर दिया हो। और कुछ ने कहा है कि गुनाह की वजह से नदामत और रंज। कुछ ने कहा है कि इर्तिकाबे गुनाह। ऐसे लोगों को अल्लाह की उक़ूबत (सज़ा), अता-ए-सवाब, अल्लाह के वादे और वईद याद आ जाते हैं तो वह तौबा करने लगते हैं, अल्लाह तआला की तरफ़ झुक जाते हैं और फ़ौरन उसकी तरफ़ रुजूअ करके पनाह माँगने लगते हैं। वह फ़ौरन अहले बसीरत बन जाते हैं, बेहोशी में थे तो होश में आ जाते हैं।

कहते हैं कि एक औरत नबी अकरम (ﷺ) के पास आई उसको मिर्गी की बीमारी थी। हुज़ूर (ﷺ) के पास आकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला से मेरी शिफ़ा के लिए दुआ कीजिए। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर यही तेरी मर्ज़ी है तो मैं अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ वह तुझे शिफ़ा दे देगा और अगर तू चाहे तो सब्र कर और क़यामत के दिन हिसाब तुझ पर से उठ जाए। तो कहने लगी, अच्छा! मैं बीमारी पर सब्र कर लूँगी जबकि मुझे हिसाब से आज़ाद किया जा सकता है। वह यह कह रही थी कि मुझे सरअ (मिर्गी) की बीमारी है, होशो हवास रुख़सत हो जाते हैं, जिस्म पर से कपड़ा खुल जाता है, नंगी हो जाती हूँ। बीमारी दूर न हो तो न हो, दुआ कीजिए कि कम अज़्कम मेरा कपड़ा न खुलने पाए। आप (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई और फिर कभी बहालते सरअ कपड़ा उसके जिस्म पर से न हटा। (अहमद : 2/441; व सनदुहू हसन हाकिम : 4/218; इब्ने हिब्बान : 2909; सहीह बुख़ारी, किताबुल मर्ज़ा, बाब फ़ज़्लु मय्यस्रिइ मिनर्रीह : 5652; सहीह मुस्लिम : 2576) कहते हैं कि एक नौजवान एक मस्जिद में बैठा इबादत करता रहता था, एक औरत उसकी दीवानी हो गई, उसको अपनी तरफ़ माइल करती रहती थी। यहाँ तक कि एक दिन वह उसके घर आ ही गया। अब फ़ौरन उसको यह आयत याद आ गई (इन्नल्लज़ीनत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम् मिनश्शैतानि तज़क्करु फ़इज़ाहुम मुब्सिरून) और साथ ही वह ग़श खाकर गिर पड़ा। जब होश आया तो फिर यही आयत पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते जान दे दी, हज़रत उमर (रज़ि.) आए, उसके बाप से ताज़ियत की। वह रात को दफ़न कर दिया गया तो उमर (रज़ि.) अपने कुछ साथियों को लेकर उसकी क़ब्र पर गए, उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, फिर क़ब्र से मुख़ातिब होकर यूँ बोलने लगे, ऐ नौजवान! (व लिमन् ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान) (55/रहमान : 46) यानी जो अल्लाह तआला से डर गया उसको अल्लाह तआला की तरफ़ से दो जन्नतें हैं। इस आयते करीमा को सुनकर क़ब्र के अंदर से आवाज़ आई कि ऐ उमर (रज़ि.)! अल्लाह तआला ने मुझे दोनों जन्नतें बख़्शी हैं। क़ौलुहू तआला (व इख़्वानुहुम यमुद्दूनहुम) यानी उनके साथी इंसानी शयातीन उनको गुमराही की तरफ़ और घसीटे लिए जाते हैं। जैसाकि फ़र्माया (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) (17/इस्रा : 27) यानी फ़िज़ूल ख़र्च लोग शैतान के भाई हैं और गुनाहों को उनकी नज़रों में मुस्तहसन कर दिखलाते हैं। मुद्द के मअनी ज़्यादती के हैं यानी जहल और गुमराही में ज़्यादती करते हैं (सुम्म ला युक़्सिरून) यानी यह कि शयातीन अपनी कोशिशों में कोताही नहीं करते। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि न इंसान अपने आमाले बद के सुदूर में कोताही करते हैं और न शयातीन उनसे दूर रहते हैं। गुमराही की तरफ़ खींच ले जाने वाले जिन्न व शयातीन हैं जो अपने इंसानी औलिया की तरफ़ अपनी वही भेजते रहते हैं और उसमें अपनी कोशिश उठा नहीं रखते। इसलिए कि उनकी फ़ितरत और तबीयत ही ऐसी है। जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया (أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا) (19/मरियम : 83) यानी ऐ पैग़म्बर (ﷺ)! क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शयातीन को काफ़िरों के पास भेजा जो उन काफ़िरों को मआसी की तरफ़ माइल करते रहते हैं।

***

وَاِذَا لَمْ تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰۤى اِلَیَّ مِنْ رَّبِّیْ ۚ هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

तर्जुमा : "और जब आप कोई मुअजिज़ा इनके सामने ज़ाहिर नहीं करते तो वह लोग कहते हैं कि आप यह मुअजिज़ा क्यूँ न लाए, आप कह दीजिए कि मैं उसकी इत्तिबाअ करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ़ से हुक्म भेजा गया है। यह गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ़ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। (203) और जब कुरआन पढ़ा जाया करे तो उसकी तरफ़ कान लगा दिया करो और ख़ामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो।" (204)

कुरआने हकीम ज़िन्दा व जावेद और अज़ीम मुअजिज़ा है (आयत 203, 204) : यह लोग किसी मुअजिज़े और निशानी के तालिब होते हैं और तुम नहीं पेश करते हो तो कहते हैं कि कोई निशानी तुमने ख़ुद क्यूँ नहीं बना डाली। अपनी तरफ़ से क्यूँ न गढ़ लिया या आसमान से कोई निशानी क्यूँ न खींच लाए। आयत से मुराद मुअजिज़ा और ख़र्क़े आदत जैसा कि फ़र्माया, "अगर हम चाहें तो आसमान से मुअजिज़ा उतारें जिसको देखकर इनकी गर्दनें झुक जाएँ। यह काफ़िर भी हमारे रसूल (ﷺ) से कहते हैं कि अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई निशानी हासिल करने की तुम कोशिश क्यूँ नहीं करते ताकि हम उसको देख लें तो ईमान ले आएँ। तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि कह दो कि मैं अपनी तरफ़ से इस बारे में कोई इक़्दाम नहीं करना चाहता। मैं तो अल्लाह तआला का बन्दा हूँ जो मुझे हुक्म भेजा गया उसकी तामील करने वाला हूँ। अगर उसने अज़्ख़ुद (अपने तौर पर) कोई मुअजिज़ा भेजा तो मैंने पेश कर दिया, अगर न भेजा तो मैं इसरार नहीं कर सकता। उसने मुझे यह बात बताई है कि यह कुरआन ही सबसे बड़ा मुअजिज़ा है इसमें दलाइले तौहीद ऐसे वाज़ेह हैं कि ख़ुद मुअजिज़ा बने हुए हैं।

हाज़ा बसाइरु मिर्रब्बिकुम व हुदंव्वरहमतुल् लि क़ौमिय्युअमिनून)

कुरआन को ख़ामोशी से सुनो : जब इस बयान से फ़रागत हासिल हो चुकी कि कुरआन हिदायत और रहमत है और लोगों के लिए समझने की चीज़ है तो अब इर्शाद होता है कि इसकी तिलावत के वक़्त ख़ामोश रहा करो ताकि इसका एहतिराम और ताज़ीम की जा सके, ऐसा नहीं जैसा कि कुफ़्फ़ारे कुरैश करते थे, यानी कहते थे कि कुरआन न सुनो, न सुनने दो, कुरआन पढ़ने के वक़्त शोरो गुल मचाया करो। लेकिन यह सकूत की ताकीद फ़र्ज़ नमाज़ के बारे में है और वह भी उस वक़्त जबकि इमाम बआवाज़े बुलंद क़िरअत कर रहा हो। जैसाकि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि, "जब इमाम नमाज़ पढ़ने लगे, जब वह तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब वह क़िरअत करने लगे तो तुम ख़ामोश हो जाओ।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब

अत्तशह्हुद फ़िस्सलाति : 404; अबूदाऊद : 604; नसाई : 922; इब्ने माजा : 846; इनमें (जब क़िरअत करने लगे तो ख़ामोश हो जाओ) के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं।) अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि इस आयत के उतरने से पहले लोग नमाज़ पढ़ने में बातें कर लिया करते थे, चुनाँचे जब यह आयत उतरी कि ख़ामोश हो जाओ और कुरआन सुनो तो सुकूत (खामूशी) का हुक्म दिया गया। इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग नमाज़ में एक दूसरे को सलाम अलैक कह लिया करते थे, इसलिए यह आयत उतरी। इब्ने मसऊद (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे, लोगों को देखा कि इमाम के साथ ख़ुद भी क़िरअत कर रहे हैं तो नमाज़ ख़त्म करके कहा, तुम्हें क्या हो गया कि कुरआन सुनते नहीं, समझते नहीं, हालाँकि अल्लाह तआला ने ख़ामोश रहकर सुनने की हिदायत की है। ज़ोहरी (रह़.) कहते हैं कि यह आयत अंसार के एक शख़्स के बारे में नाज़िल हुई (यह आयत मक्की है और अंसार के क़बूले इस्लाम से पहले की नाज़िलशुदा है)। हुज़ूर (ﷺ) पढ़ते थे तो वह भी हुज़ूर (ﷺ) के पीछे पढ़ता था। अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) ने बिल जहर नमाज़ ख़त्म करने के बाद फ़र्माया, ''मुझे क्या हुआ कि मैं देखता हूँ कि मेरे साथ साथ कुरआन पढ़ा जाता है।'' चुनाँचे इसके बाद लोग सलात बिल जहर में इमाम के पीछे क़िरअत करने से रुक गए। (अह़मद : 2/341; इसकी सनद में इबाद बिन मैसरा ज़ईफ़ रावी है। (अल्मीज़ान : 2/378, 4146) जबकि हसन बसरी (रह़.) का ह़ज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से सुनना साबित नहीं। लिहाज़ा यह रिवायत ज़ईफ़ है।) ज़ोहरी (रह़.) ने कहा है कि जहरी नमाज़ में इमाम के पीछे क़िरअत नहीं करनी चहिए। इमाम की अपनी क़िरअत भी तुम्हारे लिए काफ़ी है अगरचे उसकी आवाज़ तुम्हें सुनाई न दे। लेकिन नमाज़ बिल जहर न हो तो लोग अपने मुँह में पढ़ लिया करते थे। लेकिन यह दुरुस्त नहीं कि कोई शख़्स जहरी नमाज़ में इमाम के पीछे क़िरअत करे, न पोशीदा करे, न ऐलानिया करे, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि कुरआन पढ़ते वक़्त ख़ामोशी इख़्तियार कर लिया करो। मैं कहता हूँ कि यह तरीक़ा उलमा की एक जमाअत का है कि मुक़्तदी पर नमाज़े जहर में यह वाजिब नहीं है कि क़िरअत ख़ुद भी करे, न इमाम के फ़ातिहा पढ़ने के वक़्त न ग़ैर फ़ातिहा पढ़ने के वक़्त और शाफ़ेई (रह़.) के दो क़ौल हैं जिनमें एक क़ौल यह भी है। इमाम अबू हनीफ़ा और अह़मद बिन हंबल (रहि.) कहते हैं कि मुक़्तदी हर्गिज़ क़िरअत न करे, न सिर्री नमाज़ में, न जहरी नमाज़ में, क्योंकि हदीस में वारिद है कि इमाम की क़िरअत तुम्हारी क़िरअत है। यही ज़्यादा सही है। यह मसला बहुत बसीत़ है और मुख़्तलफ़ फ़ीह है। इमाम बुख़ारी (रह़.) ने कहा है कि इमाम के पीछे क़िरअत वाजिब है, ख़्वाह नमाज़ सिर्री हो या जहरी, वल्लाहु आलम!

कुरआन पढ़ा जाने लगे तो ख़ामोशी से सुनो यानी जबकि सलाते मफ़्रूज़ा (फ़र्ज़ नमाज़) में पढ़ा जा रहा हो। यह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल है। तलह़ा बिन उबेदुल्लाह बिन कुरैज़ (रह़.) कहते हैं कि मैंने उबेद बिन उमेर और अता बिन अबी रिबाह़ (रह़.) को बाहम बातें करता पाया हालाँकि दूसरी तरफ़ वअज़ हो रहा था तो मैंने कहा कि, ज़िक्रुल्लाह क्यूँ नहीं सुनते, तुम वईद के क़ाबिल हो रहे हो, तो उन दोनों ने मेरी तरफ़ देखा फिर अपनी बातों में लग गए। मैंने दोबारा उन्हें तम्बीह की। उन्होंने मेरी तरफ़ देखा और फिर बातों में लग गए। मैंने तीसरी बार अपनी बात का एआदा किया तो कहने लगे कि यह हुक्म नमाज़ के बारे में है कि इमाम कुरआन पढ़ रहा हो और तुम मुक़्तदी हो तो ख़ामोश होकर सुनो, तुम भी न पढ़ने लगो। मुजाहिद (रह़.) और दूसरे भी कई रावी इस हुक्म को कुरआन के बारे में ही बताते हैं और कहते हैं कि कोई शख़्स नमाज़ में न हो

और क़ुरआन पढ़ा जा रहा हो तो फिर बातें करने में कोई हर्ज नहीं। ज़ेद बिन असलम (रह़.) भी यही मुराद लेते हैं। मुजाहिद (रह़.) कहते हैं कि यह हुक्म नमाज़ और ख़ुत्बा यौमे जुम्आ के बारे में है। इब्ने जुबेर (रह़.) कहते हैं कि यौमुल अज़्हा और ईदुल फ़ित्र और यौमे जुम्आ के ख़ुत्बे और जहरी नमाज़ के बारे में है, ग़ैर जहरी नमाज़ के बारे में नहीं। इब्ने जरीर (रह .) ने भी यही इख़्तियार किया है कि इससे मुराद चुप रहना है, नमाज़ में और ख़ुत्बे में। और यही हुक्म है कि ख़ुत्बे में और इमाम के पीछे चुप रहा करो, ह़दीस में बिलकुल यही हुक्म वारिद है। मुजाहिद (रह़.) इस बात को बहुत ही बुरा समझते थे कि जब इमाम कोई आयते ख़ौफ़ या आयते रह़मत पढ़े तो बोलने लगें। नहीं! बल्कि ख़ामोश रहें, अपनी ज़ुबान से जज़्बाते ख़ौफ़ व रजा के तह़्त कुछ नहीं कहना चाहिए। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि, ''जो क़ुरआन की कोई आयत ख़ामोश होकर सुने तो उसके लिए दुगुनी नेकियाँ लिखी जाती हैं और क़ुरआन की तिलावत करता है क़ुरआन क़यामत के दिन उसके लिए नूर बन जाएगा।'' (अबूदाऊद, किताबुस्सलात, बाब मन रअल क़िरअता इज़ा लम यज्हर : 826; वहुव स़ह़ीह़; तिर्मिज़ी : 312; नसाई : 920; इब्ने माजा : 848; अह़मद : 2/301; इब्ने ह़िब्बान : 1849; शैख़ अल्बानी (रह़.) ने इसे सही क़रार दिया है। देखिए (स़ह़ीह़ तिर्मिज़ी : 257)

***

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿٢٠٦﴾ {السجدہ}

तर्जुमा : ''और ऐ शख़्स! अपने रब की याद किया कर अपने दिल में आजिज़ी के साथ और ख़ौफ़ के साथ और ज़ोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ सुबह और शाम और अहले ग़फ़्लत में शुमार मत होना। (205) यक़ीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं वह उसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और उसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सज्दा करते हैं।'' (206)

आहिस्ता आवाज़ से ज़िक्र करना मुस्तह़ब है (आयत 205, 206) : अल्लाह पाक हुक्म देता है कि दिन के पहले हिस्से और दिन के आख़िरी हिस्से में अल्लाह तआला को ख़ूब याद करो जैसाकि इन दोनों वक़्तों में अल्लाह तआला की इबादत करने का इस आयत के ज़रिये हुक्म दिया है कि तुलूअे आफ़ताब से पहले और इसी त़रह़ ग़ुरूब से पहले अल्लाह तआला की ह़म्द की तस्बीह़ किया करो। और यह शबे मेअ़राज में पाँच नमाज़ों के फ़र्ज़ होने से पहले की बात है और यह आयत मक्की है (ग़ुदुव्वुन) के मअ़नी अव्वले नहार (दिन के पहले ह़िस्से) के हैं और (आसाल) अस़ील की जमा है जैसे (अयमान) यमीन की जमा है। फिर हुक्म होता है कि अपने रब को दिल से भी याद करो और ज़ुबान से भी, उससे रग़बत रखकर भी और उससे डरकर भी, बुलंद आवाज़ के साथ नहीं और यह मुस्तह़ब है कि अल्लाह तआला का ज़िक्र चीख़ पुकार के साथ न हो।

रसूलुल्लाह (ﷺ) से लोगों ने पूछा कि क्या हमारा रब हमसे क़रीब है या दूर, अगर क़रीब है तो हम सरगोशी के तौर पर उसको मुख़ातब करेंगे और अगर दूर है तो आवाज़ से निदा देंगे। तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी कि, "मेरे बन्दे मेरे बारे में पूछते हैं, तू उनसे कह दे कि मैं बहुत क़रीब हूँ, वह मुझे पुकारें तो मैं पुकारने वाले की दुआ को सुनता हूँ।"

अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से रिवायत है कि लोग किसी सफ़र में बुलंद आवाज़ से दुआ करने लगे, तो उनसे नबी करीम (ﷺ) ने कहा कि "ऐ लोगों! अपनी जानों पर रहम करो, तुम किसी बहरे या ग़ायब को नहीं पुकार रहे हो जिसको पुकार रहे हो वह सुनने वाला और क़रीब है तुम्हारी शहे रग गर्दन से भी क़रीबतर।" (सहीह बुख़ारी, किताबुल जिहाद, बाब मा यक्रहू मन रफ़अस्सौत फ़ित्तक्बीर : 2992; सहीह मुस्लिम : 2704; अहमद : 4/402) इस आयत से यह भी मुराद हो सकता है जो इस आयत में है कि "अपनी दुआ और नमाज़ न बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ो और न बहुत धीमी आवाज़ से बल्कि दोनों की दरम्यानी आवाज़ हो क्योंकि मुश्रिकीन जब क़ुरआन सुनते थे तो क़ुरआन को और क़ुरआन उतारने वाले और लाने वाले को बुरा भला कहते थे तो अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि बहुत बुलंद आवाज़ से क़ुरआन न पढ़ो ताकि मुश्रिकीन को अज़िय्यत न हो और न इतनी पस्त आवाज़ में कि तुम्हारे साथी भी न सुन सकें। इस आयते करीमा में भी यह मज़्मून है कि सुबह व शाम की इबादत में बुलंद आवाज़ से न पढ़ो और नादानों में से न हो जाओ। मुराद यह कि क़ुरआन के सुनने वाले को हुक्म दिया जाए कि इस ढंग से नमाज़ और इबादत की जाए। और यह बात दूर है और आहिस्ता पढ़ने का हुक्म के मनाफ़ी है और फिर इससे मुराद यह भी है कि यह हुक्म नमाज़ के बारे में है जैसाकि इससे पहले गुज़रा। यह सलात और ख़ुत्बा के बारे में है और यह बात ज़ाहिर है कि ऐसे वक़्त ज़िक्र करने से अफ़ज़ल ख़ामोश रहना है। ख़्वाह वह ज़िक्र आहिस्ता हो या बुलंद आवाज़ से हो। यह चीज़ जो इन दोनों ने बयान की उसकी मुताबिअत नहीं की गई। बल्कि मक़सद यह है कि बन्दों को सुबह व शाम हर वक़्त कस्रते ज़िक्र पर उभारा जाए ताकि वह किसी वक़्त भी ज़िक्रुल्लाह से ग़ाफ़िल न रहें। इसीलिए तो उन फ़रिश्तों की मदह की गई है जो सुबह व शाम अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करने में ग़फ़्लत नहीं बरतते। चुनाँचे फ़र्माया कि (इन्नल्लज़ीना इन्द रब्बिक ला यस्तक्बिरून अन इबादतिही) उन फ़रिश्तों की मिसाल सिर्फ़ इसलिए बयान की गई ताकि बन्दे कस्रते ताअत में फ़रिश्तों की इक़्तिदा करें। और जैसाकि हदीस में आया है और जब अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों के सज्दा करने का ज़िक्र फ़र्माया तो ऐसा ही सज्दा हमारे लिए भी मशरूअ फ़र्माया। हदीस में है कि "तुम भी अल्लाह की इबादत के लिए ऐसी ही सफ़ें क्यूँ नहीं बाँधते जैसे कि फ़रिश्ते अपने रब के सामने सफ़ें बाँधे रहते हैं और पहली सफ़ वालों को अव्वलियत हासिल रहे और सफ़ों में सहीह और सीधी सफ़बन्दी का बहुत ख़्याल रखते हैं।" (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, बाब अल्अम्रु बिस्सुकूनि फ़िस्सलाति वन्नही अनिल इशारति बिल यदि...: 430) यहाँ जो सज्द-ए-तिलावत है वह क़ुरआन का सबसे पहला सज्द-ए-तिलावत है जिसका अदा करना तिलावत करने वाले और सुनने वाले सब पर बिल इज्माअ मशरूअ है। और इब्ने माजा की हदीस में है कि नबी अकरम (ﷺ) ने इसको सज्दाते क़ुरआन में से क़रार दिया है। (इब्ने माजा, किताब इक़ामतिस्सलात, बाब अदद सुजूदिल क़ुरआन : 1056; व सनदुहू ज़ईफ़ुन; इसकी सनद में उस्मान बिन फ़ाइद ज़ईफ़ रावी है (अत्तक़रीब : 2/13; रक़्म : 106) और शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिए (ज़ईफ़ इब्ने माजा : 217)